

2016 - 17



आर्थिक समीक्षा 2016-17

भाग 2

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
अगस्त, 2017

विषय सूची

अध्याय सं०	पृष्ठ सं०	अध्याय का नाम
1		अर्थव्यवस्था की स्थिति: विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन
	1	प्रस्तावना
	2	भाग क-हालिया घटनाक्रम की विश्लेषणात्मक समीक्षा
	2	ऐतिहासिक कर सुधार, माल और सेवा कर (जीएसटी)
	6	कम मुद्रास्फीति की दिशा में सैद्धांतिक परिवर्तन
	11	विश्वास/उल्लास: आस्ति मूल्यों और वास्तविक अर्थव्यवस्था में अंतर
	12	कृषि ऋण माफी: बृहत आर्थिक प्रभाव
	16	प्रचुरता के समय में कृषि ऋण संबंधी तनाव?
	19	विमुद्रीकरण के दीर्घावधिक लाभ और अल्पावधिक दुष्प्रभाव: अद्यतन स्थिति
	31	भाग-ख: 2017-18 के लिए दृष्टिकोण तथा नीतियां
	39	भाग-ग: 2016-17 के विकास की समीक्षा
2		राजकोषीय घटनाक्रम
	59	केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों की स्थिति
	61	राजस्व सृजन योजनाएं और परिणाम
	63	व्यय में प्रवृत्तियां
	65	अंतरण
	66	केन्द्रीय सरकार का ऋण
	67	राज्य वित्त
	69	सामान्य सरकार
	71	वर्ष 2017-18 और इससे आगे के लिए वित्तीय नीति
	80	परिशिष्ट 1: वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए मुख्य कर उपाय
3		मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता
	85	2016-17 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम
	87	नकदी की स्थिति और इसका प्रबंधन
	90	बैंकिंग क्षेत्र
	90	वित्तीय समावेशन
	95	गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र
	95	सरकारी प्रतिभूति बाजार में गतिविधि
	97	पूंजी बाजार में गतिविधि
	99	बीमा और पेंशन क्षेत्र
4		कीमतें और मुद्रास्फीति
	102	कम मुद्रास्फीति की दिशा में सैद्धांतिक परिवर्तन?
	105	विभिन्न मद समूहों और राज्यों के बीच मुद्रास्फीति में अंतर
	106	मुद्रास्फीति में मौजूदा रुझान
	116	मुद्रास्फीति पर काबू पाने के प्रयास
	117	निष्कर्ष
5		जलवायु परिवर्तन, धारणीय विकास और ऊर्जा
	118	प्रस्तावना
	120	भारत का ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन प्रोफाइल
	120	वर्तमान ऊर्जा समिश्र
	121	भावी बिजली पारेषण परिदृश्य
	122	भारत की ऊर्जा सुरक्षा

125	कोयला आधारित विद्युत बनाम नवीकरणीय विद्युत की सामाजिक लागत का विश्लेषण
128	धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन पर भारत के कार्य
131	भारत के पर्यायानुकूल कदम
132	जी 20 मंच में चर्चा
134	वित्तीय क्षेत्र और हरित पहलें
135	संभावनाएं

6

वैदेशिक क्षेत्र

137	वैश्विक आर्थिक माहौल
139	भुगतान शेष घटनाक्रम
147	व्यापार का संघटन
149	व्यापार की दिशा
150	व्यापार नीति
153	बहुपक्षीय और द्विपक्षीय/क्षेत्रीय वार्ताएं और भारत
153	विदेशी मुद्रा भंडार
155	विनिमय दर
158	विदेशी ऋण

7

कृषि और खाद्य प्रबंधन

164	प्रस्तावना
164	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का सिंहावलोकन
165	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण
167	कृषि भू-स्वामित्व का पैटर्न
168	कृषक परिवारों की रूपरेखा
169	कृषि क्षेत्र में व्याप्त जोखिम
178	बागबानी
180	संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन
182	खाद्य प्रबंधन
185	भावी योजनाएं

8

उद्योग और अवसंरचना

186	औद्योगिक क्षेत्र में रुझान
188	आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का निष्पादन
190	कॉरपोरेट क्षेत्र निष्पादन
190	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम
191	क्षेत्रवार मुद्दे और पहलें
191	एमएसएमई क्षेम
192	इस्पात क्षेत्र
193	परिधान और वस्त्र क्षेत्र
194	चमड़ा और फुटवियर (जूते-चप्पल) क्षेत्र
194	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
195	जीएसटी का कार्यान्वयन और उद्योगों पर इसका प्रभाव
195	औद्योगिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलें
196	अवसंरचना क्षेत्र का निष्पादन-मुद्दे और पहलें
197	सड़क
198	रेलवे
200	नागर विमानन: क्या भारतीय एयर कैरियर विकास के लिए तैयार हैं?
205	पत्तन और पोत परिवहन
207	दूरसंचार क्षेत्र
209	विद्युत क्षेत्र-उदय पर विशेष बल
216	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र
217	शहरी अवसंरचना स्मार्ट सिटी मिशन पर एक टिप्पणी सहित

सेवा क्षेत्र

- 231 अंतरराष्ट्रीय तुलना
- 234 भारत का सेवा क्षेत्र
- 234 सेवा जीवीए और सकल पूंजी निर्माण
- 234 सेवा का राज्य-वार विश्लेषण
- 236 भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई
- 237 भारत का सेवा व्यापार
- 238 सेवा व्यापार नीतियों और सेवा वार्ताओं में कुछ हालिया उपलब्धियां
- 240 प्रमुख सेवाएं: समग्र निष्पादन
- 242 प्रमुख सेवाएं: क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ हालिया नीतियां
- 243 पर्यटन
- 246 आईटी-बीपीएम सेवाएं
- 250 भवन संपदा और आवासन
- 252 उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएं

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

- 255 सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्ति
- 257 शिक्षा में चुनौतियां
- 264 रोजगार एवं कौशल विकास
- 267 स्वस्थ भारत की ओर
- 274 मानव विकास: अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं
- 275 महिलाओं संबंधी मुद्दे
- 277 भावी योजनाएं

आभारोक्ति

यह आर्थिक समीक्षा मिल-जुलकर किए गए कार्य और परस्पर सहयोग का परिणाम है। आर्थिक प्रभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से जिन व्यक्तियों का योगदान इस समीक्षा की रचना और प्रकाशन में मिला है, इनमें शामिल हैं; अर्चना एस० माथुर, एच०ए०सी० प्रसाद, संजीव सान्याल, ए०एस० सचदेवा, विजय कुमार, रोहित कुमार परमार, जी०एस० नेगी, अरूण कुमार, राजश्री रे, एंटनी सिरियक, आर० सतीश, पी०के० अब्दुल करीम, अश्विनी लाल, निखिला मेनन, आशुतोष राराविकर, रंगीत घोष, अभिषेक आचार्य, मृत्युंजय झा, रबि रंजन, विजय कुमार, एम० राहुल, आकांक्षा अरोड़ा, गौरव कुमार झा, दीपक कुमार दास, कनिका वधावन, अभिषेक आनंद, सोनल रमेश, सुभाष चंद, रियाज अहमद खान, शोभीन्द्र अकाई, सलम श्यामसुंदर सिंह, मो० आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पायने, नरेन्द्र जेना, संजय कुमार दास, विजय कुमार मान, प्रवीण जैन, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, मृत्युंजय कुमार, गायत्री गणेश, जोश फेलमन, तेजस्वी वेलायुधन, रोहित लाम्बा, सिद्धार्थ ईपेन जॉर्ज, सुतीर्थ रॉय, सौमित्र चटर्जी, सिद रविनुतला, अमृत अमीरापु, एम०आर० शरण, पार्थ खरे, बोबन पॉल, पटेल, जस्टिन सान्देफर, अनन्या कोडिया, नवनीरज शर्मा, कपिल पाटीदार और सैयद जुबेर हुसैन नकवी।

यह समीक्षा माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली और माननीय वित्त राज्य मंत्रियों—श्री संतोष कुमार गंगवार और श्री अर्जुन राम मेघवाल की टिप्पणियों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से बहुत लाभान्वित हुई है।

यह समीक्षा निम्नलिखित अधिकारियों की टिप्पणियों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से भी लाभान्वित हुई है, विशेषतौर से अरविंद पनगढ़िया, नृपेन्द्र मिश्र, पी०के० मिश्र, पी०के० सिन्हा, ऊर्जित पटेल, अशोक लवासा, हसमुख अधिया, सुभाष सी० गर्ग, अंजुली छिब दुग्गल, नीरज गुप्ता, अमिताभ कांत, सुशील चंद्र, वनजा एन० सरना, शक्तिकांत दास, बिवेक देबरॉय, अमरजीत सिन्हा, नागेश सिंह, टी०वी० सोमनाथन, तरूण बजाज, ब्रजेन्द्र नवनीत, अनुराग जैन, आलोक शुक्ल, अमिताभ कुमार, आनंद झा, अजय भूषण पाण्डे, ए०पी० होता, विरला आचार्य, रमेश कृष्णामूर्ति, पंकज बत्रा, प्रशांत गोयल, डॉ० सौरभ गर्ग, डॉ० एम०एस० साहू, रंजीता दूबे, अनिन्दिता, डॉ० अलका भार्गव, सुधा पी० राव, टी० राजेश्वरी, डेविड रासक्विनहा, एस० प्रह्लादन अय्यर, आशीष कुमार, श्रीजीत केबी, रूपाली घनेकर, बिशाखा भट्टाचार्य, निर्मला बालकृष्णन, रितु प्रकाश सिंह, चेतना शुक्ल, इंद्रनील भट्टाचार्य, अमित अग्रवाल, एच०के० श्रीवास्तव, सौरभ शुक्ल, आर० व्यासन, विवेक चौधरी, आनंद झा, नवीन कुमार, प्रकाश कुमार और जीएसटीएन टीम, विजय पृष्ठ, सोमित दासगुप्त, वंदना अग्रवाल, रितु महेश्वरी, मयूर महेश्वरी, पी०सी० सीरियक, राहुल अग्रवाल, नवीन कुमार विद्यार्थी, दीपक कुमार और बाहर से जिन व्यक्तियों का सहयोग मिला है उनमें इनके नाम शामिल हैं: डॉ० प्रदीप्तो घोष, दीपक दासगुप्ता, स्वाति अग्रवाल, दीपक कुमार, प्रांजल भंडारी, साजिद चिन्नॉय, पंकज बत्रा, देवेश कपूर, हरीश दामोदरन, प्रताप भानु मेहता, आशीष गुप्ता, कुश शाह, शिशिर बैजल, सामंतक दास, मयंक शेखर, अखिलेश अवस्थी, क्षितिज बत्रा, रूबेन अब्राहम, वैदेही टंडेल, जेसिका सेडन, प्रीतिका हिंगोरानी, सागर गावड़े, राजामोहन, ज्योति तिरोकदर, शरद शिंगडे, सुमन कुमार और प्रियम पिल्लै, राजीव मल्होत्रा, रानेन बनर्जी, मनोरंजन पटनायक, मेहुल गुप्ता, अमिताभ खोसला, जे०डी० गिरी, कोमल चौहान, अभिलाषा अरोड़ा, गोकुल अरूण कुमार, शिवांग डोंगरा, पुनीत कुमार और तीर्थाकर मुखर्जी।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों ने अपने क्षेत्र से संबंधित सहयोग प्रदान किया है। यथोचित प्रशासनिक सहायता जिनसे प्राप्त हुई है वे हैं: एस० सेल्वकुमार, आर०पी० पुरी, आर०के० सिन्हा, एन० श्रीनिवासन, आर० विजया कुमारी, वी०के० प्रेमकुमारन, गुरमीत भारद्वाज, प्रदीप राणा, साधना शर्मा, ज्योति बहल, सुशील शर्मा, मनीष पंवर, सुषमा, मुना साह, सुरेश कुमार अनिकेत सिंह, जोध सिंह, पुनीत, ओमबीर, आर०आर० मीना, सुभाष चन्द, राजकुमार और आर्थिक प्रभाग तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अन्य कर्मचारी और सदस्य। रमेशबाबू अणियेरी, सुवर्चा वसुदेव और उनकी अनुवादक-टीम के साथ-साथ प्रो० बी०एस० बागला और संतोष कुमार ने हिंदी अनुवाद का काम पूरा किया। हिंदी टंकण का काम पंकज कुमार, वाई०एस० राठौर, मीना पंत, के०के० वधावन द्वारा किया गया। समीक्षा के लिए कवर पेज का डिजाइन जेकब डिजाइन, कोच्चि के जेकब जॉर्ज द्वारा किया गया जिनकी सहायता विनीत कुमार ने की। इस समीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का मुद्रण विभा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ओखला द्वारा किया गया है।

उन व्यक्तियों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने पूरे कार्य के दौरान हमें ऊर्जावान रखा—काँफी के लिए सीताराम और आदित्य का तथा चाय के लिए सतीश जी का धन्यवाद।

अन्त में हम इस समीक्षा के कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों के परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस दौरान धैर्य और उदारता का परिचय तो दिया ही, साथ ही अपना भरपूर सहयोग भी दिया।

अरविंद सुब्रह्मण्यन

(मुख्य आर्थिक सलाहकार)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

प्राक्कथन

आर्थिक समीक्षा का यह खण्ड इसलिए अभूतपूर्व है क्योंकि इसे वर्ष में दूसरी बार प्रकाशित किया जा रहा है, और इसके संबंध में स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर उन पाठकों के लिए जो आर्थिक समीक्षा के इस खण्ड को देखकर भ्रमित हो सकते हैं।

वर्ष 2014-15 से पहले आर्थिक समीक्षा में एक अपेक्षाकृत अधिक विश्लेषणात्मक/नीतिगत अध्याय मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता था। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पहले सदन में प्रस्तुत की जाती थी और सार्वजनिक कर दी जाती थी।

गत दो वर्षों के दौरान इस पैटर्न में बदलाव आया। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा के दो खण्ड प्रकाशित किए जाने लगे। उनमें से पहला खण्ड विश्लेषणात्मक तथा नीतिगत एवं सिद्धान्त-परक होता था, जबकि दूसरा खण्ड विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा से संबंधित होता था तथा उसमें पिछले दो वर्षों से संबंधित आंकड़ों की सारणियां भी उपलब्ध कराई जाती थीं।

इस वर्ष, एक बार फिर से इस पैटर्न में बदलाव किया गया है, किन्तु यह बदलाव बजट कैलेंडर के आरंभिक मार्च से बदलकर फरवरी के आरंभ में कर दिए जाने के कारण किया गया है। विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा हमेशा से ही कुछ अटपटी लगती थी क्योंकि आंकड़ों की उपलब्धता इस समीक्षा को बीते वर्ष की पहली तीन तिमाहियों तक सीमित कर देती थी। इसे देखते हुए, इस बार आर्थिक समीक्षा को दो खण्डों में बांट देने का निर्णय किया गया: खण्ड 1 पिछले दो वर्षों की भांति, विश्लेषणात्मक/नीतिपरक रहा और इसे बजट से ठीक पहले जारी कर दिया गया। खण्ड 2 ऐसे समय प्रकाशित किया जा सकता था जब बीते पूरे वर्ष से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हों (इस प्रक्रिया में मध्यवर्षीय आर्थिक विश्लेषण जो दिसम्बर में प्रकाशित होता था, को भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है)। इस प्रकार आंकड़ों की उपलब्धता काफी हद तक खण्ड 2 को संसद में प्रस्तुत करने का समय निर्धारित करने का मुख्य कारक रही।

तथापि, चूंकि खण्ड 2 का प्रकाशन खण्ड 1 को प्रकाशित किए जाने के बाद लगभग आधे वर्ष की अवधि (इस दौरान जीएसटी का कार्यान्वयन, विमुद्रीकरण का प्रभाव, कृषि क्षेत्र में असामान्य स्थिति का बने रहना आदि अनेक घटनाएं हुईं) बीत जाने के बाद किया जा रहा है, अतः यह आवश्यक है कि इसमें कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दों की विश्लेषणात्मक समीक्षा के साथ नए सिरे से बृहत आर्थिक स्थिति के बारे में अद्यतन सूचना भी शामिल की जाए। यह अद्यतन सूचना, जो इस खण्ड के अध्याय 1 ('अर्थव्यवस्था की स्थिति') में दी गई है-मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा जारी की गई है। 2014-15 से पहले प्रकाशित किए गए संस्करणों में भी ऐसा ही किया जाता था। अन्य अध्याय आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किए गए हैं। इसी संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि समीक्षा का यह खण्ड 2014-15 से पहले प्रकाशित की गई आर्थिक समीक्षाओं के समान है।

आर्थिक समीक्षा के दो खण्ड जारी करने की यह प्रथा भविष्य में जारी रहेगी या नहीं, यह अंशतः इस बात पर निर्भर है कि भविष्य में बजट किस समय प्रस्तुत किया जाता है।

इस वर्ष एक नई बात यह हुई कि आर्थिक समीक्षा के साथ ही, ऐसे आंकड़ों का जो कुछ मामलों में 1950 के दशक से भी संबंधित हैं, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी जारी किया जाएगा। इससे आम जनता को अध्यापन, विश्लेषण और अनुसंधान के कार्य में अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी।

इस संबंध में आखिर में यह उल्लेख है कि प्रयोक्ताओं के एक बड़े वर्ग की भारी मांग को देखते हुए आर्थिक समीक्षा के खण्ड 1 का दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बागला से नए सिरे से अनुवाद कराकर संशोधित हिंदी संस्करण फिर से जारी किया जा रहा है।

हमेशा की तरह, इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा के दूसरे खण्ड को प्रकाशित करने में शामिल सभी व्यक्तियों, विशेषकर आर्थिक प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।

अरविंद सुब्रह्मण्यन

मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

संकेताक्षर

एएआई	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	डीएवाई-एनआरएलएम	दीन-दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एएएस	कृषि मौसम विज्ञान संबंधी सलाहकार सेवाएं	डीएवाई-एनयूएलएम	दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
एएवाई	अंत्योदय अन्न योजना	डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
एबीपी	क्षेत्र आधारित परियोजना	डीसीपी	विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति
आई	अग्रिम अनुमान	डीडीयूजीजेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
आईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली	डीईएस	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय
एएफबी	अनुकूलन निधि बोर्ड	डीआईआई	घरेलू संस्थागत निवेशक
एआईडीआईएस	अखिल भारत ऋण और निवेश समीक्षा	डीआईपीपी	औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर	डीएसआईएससीओएमएस	वितरण कंपनी
एपीएमसी	कृषिगत उत्पाद विपणन समिति	डीआईएसई	जिला सूचना शिक्षा प्रणाली
एपीवाई	अटल पेंशन योजना	ईसीए	आवश्यक वस्तु अधिनियम
एआरएम	अतिरिक्त संसाधन जुटाना	ईसीबी	विदेशी वाणिज्यिक उधार
एआरपीयू	औसत राजस्व प्रति प्रयोक्ता	ईएचआर	इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकार्ड
एसईएएन	दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ	ईएमडीएस	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था
एसईआर	शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक उपस्थिति	ईएमईएस	उभरते बाजार अर्थव्यवस्था
एसआई	उद्योगों की वार्षिक समीक्षा	ई-एनएम	इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
एयूएम	प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियां	ईओ	पृथ्वी पर्यवेक्षण
बीसी	लाभ कीमत	ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क	ईएसए	यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी
बीसीएम	बिलियन क्यूबिक मीटर	ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
बीई	बजट अनुमान	ईयूएस	रोजगार और बेरोजगार सर्वेक्षण
बीएचआईएम	मुद्रा हेतु भारत अंतराष्ट्र	एफएआईटीएच	भारतीय पर्यटन और अतिथि सत्कार संघ
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे	एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
बीआरआईसीएस	ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका	एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
बीएसबीडी	मूल बचत बैंक जमा खाता	एफसीआई	भारतीय खाद्य निगम
बीयूआर	द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट	एफसीएनआर(बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
बीवीएस	जैव निम्नीकरणीय संवहनी मंच	एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
सीएए एवं ए	सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक	एफईईएस	विदेशी विनिमय अर्जन
सीएसीपी	कृषि लागत और मूल्य आयोग	एफआईजी	किसान ब्याज समूह
सीएडी	हृदय-धमनी रोग	एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
सीबीडीआर-आरसी	सामान्य लेकिन अलग-अलग दायित्व और संबंधित क्षमताएं	एफआईपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
सीबीआर	अपक्व जन्म दर	एफआईआर	पहली सूचना रिपोर्ट
सीडीआर	अपक्व मृत्यु दर	एफपीओ	किसान उत्पादक संगठन
सीएफपीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक	एफआरबीएम	राजकोषीय दायित्व और बाजार प्रबंधन
सीजीए	लेखा महा नियंत्रक	एफआरएल	राजकोषीय दायित्व
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु और सेवा कर	एफवाई	वित्त वर्ष
सीएचई	मौजूदा स्वास्थ्य संबंधी व्यय	जीसीसीए	पूँजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान
सीआईसी	परिचलन में मुद्रा	जीडीआई	लिंग विकास सूचकांक
सीआईएन	कारपोरेट पहचान मुद्रा	जीडीपी	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम
सीआईपी	केंद्रीय निर्गम मूल्य	जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
सीआईपीएचईटी	केंद्रीय फसल पशु इंजिनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान	जीईसी	हरित ऊर्जा कोरिडोर
सीकेएम	सर्किट किलोमीटर	जीईएफ	वैश्विक पर्यावरण सुविधा
सीओपी 21	21वा दल सम्मेलन	जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
सीपीआई (एल)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषिगत श्रमिक)	जीएफसीएफ	सकल नियत पूँजी निर्माण
सीपीआई (सी)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)	जीएचआई	वैश्विक भूख सूचकांक
सीपीआई (आईडब्ल्यू)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार)	जीएलसी	भू-स्तरीय ऋण
सीपीआई (आरएल)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिक)	जीएम	जेनेटिकली मॉडिफाइड
सीपीआई टीसी	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	जीएम	त्रिकोणमितीय माध्य
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	जीएनआई	सकल राष्ट्रीय आय
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	जीएनपीए	सकल गैर-निष्पादन अग्रिम
सीआरएआर	पूँजी में जोखिम-भारित आर्स्टि अनुपात	जीपीआई	लिंग समानता सूचकांक
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय	जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
सीवी	घट-बढ़ का सह-संबंध	जीएसएलवी	भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान
सीवीडीज	छद्म वाहिनी रोग	जीएसटी	वस्तु और सेवाकर
सीडब्ल्यूपी	जनता के पास मुद्रा	जीएसवीए	जोड़ा गया सकल राज्य मूल्य
डीएससी एवं एफडब्ल्यू	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	जीवीए	जोड़ा गया सकल मूल्य
डीआई	प्रत्यता पहुंच स्थिति		

जीडब्ल्यू	गीगा वाट्ट	एमडब्ल्यू	मेगावाट
एचडीआई	मानव विकास सूचकांक	एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एचडीआर	मानव विकास रिपोर्ट	एनएएफसीसी	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि
एचएफसीएस	आवास वित्त कंपनी	एनएएम	राष्ट्रीय कृषि बाजार
एचवाईवीएस	अधिक उपज वाली किस्म	एनएपीसीसी	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना
आईएएस	सेवा के रूप में अवसरचना	एनएआर	निवल उपस्थिति अनुपात
आईबीबीआई	भारत शोधन असक्षमता और दिवालियापन बांड	एनएसएससीओएम	राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ
आईबीसी	अशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता	एनबीएफएस	गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र
आईसी	ब्याज कवरेज	एनसीईईएफ	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण
आईसीटीएस	सूचना व संचार प्रौद्योगिकी	एनसीआरबी	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो
आईईए	अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी	एनसीटी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
आईईसी	आयातक निर्यातक संहिता	एनसीटीएफ	राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति
आईजीएस	अंतर राष्ट्रीय भू-स्थल	एनडीसी	राष्ट्रीय निर्धारक योगदान
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु और सेवा कर	एनडीडीबी	राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	एनडीएचए	राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकारी
आईआईपीएस	अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	एनडीटीएल	निवल मांग व समय देयताएं
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एनईईआर	नगण्य प्रभावी विनिमय-दर
आईएमआर	शिशु मृत्यु दर	एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोश अंतरण
आईएनवीआईटीएस	अवसरचना निवेश न्यास	एनईआर	निवल नामांकन अनुपात
आईओआई	ऋणग्रस्तता का पैमाना	एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
आईओटी	इंटरनेट आफ थिंग्स	एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे
आईपीसी	भारतीय दंड संहिता	एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
आईक्यूआर	इंटर क्वार्टाइल रेंज	एनजीसीपी	राष्ट्रीय हरित कोरिडोर कार्यक्रम
आईआरईएनए	अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी	एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा
आईएसएस	ब्याज राजसहायता योजना	एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी	एनआईटीआई	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
आईटीए	अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पहुंच	एनएलईएम	राष्ट्रीय अनिवार्य दवाईयों की सूची
आईटी-बीपीएम	सूचना प्रौद्योगिकी-कारोबार प्रक्रिया प्रबंध	एनपीए	गैर-निष्पादन आस्तियां
आईटीसी	इनपुट कर ऋण	एनपीआईएसएच	गैर-लाभ संस्थान सेवा करने वाले परिवार
आईटीआईएस	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	एनपीके	नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम
आईटीआर	अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां	एनपीपीए	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य प्राधिकारी
जेएलएफ	संयुक्त कर्जदाताओं मंच	एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन स्कीम/प्रणाली
केएमएस	खरीद विपणन	एनआरआई	गैर-निवासी भारतीय
केडब्ल्यू	किलोवाट	एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एलईबी	जन्म जीवन प्रत्याशा	एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेम वर्क
एलईओ	निम्न भू-कक्ष	एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वे
एलटीआरसीएफ	दीर्घाधिक ग्रामीण ऋण निधि	एनएसएस/ओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
एलयूएलयूसीएफ	भू-उपयोग, भू-उपयोग बदलाव और वानिकी	एनएसएसएफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
एम0	रिजर्व मुद्रा	एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
एम3	स्थूल मुद्रा	एनटीबीएस	गैर-टैरिफ बरियर
एमबीपीएस	प्रति सेकेंड मेगाबिट्स	ओबीसीएस	अन्य पिछड़ी जाति
एमडीडीएस	मेटाडाटा और डाटा मानक	ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
एमडीएम	मध्याह्न भोजन	ओईसीडी	आर्थिक सहकारिता और विकास संगठन
एमईआईएस	भारत योजना से पण्य निर्यात	ओएफसीबी	समुद्रपार्याय विदेशी मुद्रा उधार
एमईपी	न्यूनतम निर्यात मूल्य	ओएमओ	खुला बाजार परिचालन
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	ओएमएसएस	खुला बाजार बिक्री योजना
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	ओओआई	अल्प परिचालन आय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	ओओपी	सीमा से अधिक व्यय
एमआई	सूक्ष्म सिंचाई	ओपीईसी	पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन
एमआईडीएच	एकीकृत बागवानी विकास मिशन	पी/ई	मूल्य/अर्जन
एमएमआर	मातृत्व मृत्यु दर	पीए	अनर्तित वास्तविक
एमएमटी	मिलियन मिट्टिन टन	पीएएस	सेवा के रूप में मंच
एमएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	पीईडी	सार्वजनिक तौर से उपलब्ध पर्यावरणीय आंकड़ा
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	पीएचएएल	प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति	पीएटी	निष्पादन उपलब्धि व्यापार
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	पीएटी	कर पश्चु लाभ
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा	पीसीए	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
एमएसएमई	सूक्ष्म और लघु, उद्यम मंत्रालय	पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एमएसपी	न्यूनतम सहायता मूल्य	पीई	अनर्तित अनुमान
एमटी	मीट्रिक टन	पीजी	स्नातकोत्तर
एमवीए	मेगा वॉल्ट ऐम्प	पीजीसीआईएल	भारत विद्युत ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड

पीएलएफ	संयत्र भार कारक	एससीएस	अनुसूचित जाति
पीएमएवाई	प्रधान मंत्री आवास योजना	एसडीजीएस	धारणीय विकास उद्देश्य
पीएमजेडीवाई	प्रधान मंत्री जन-धन योजना	एसडीएल	राज्य विकास ऋण
पीएमजेबीवाई	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	एसडीआर	विशेष आहरण अधिकार
पीएमकेएसवाई	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	एसडीआर	कार्यनीतिक ऋण संरचना
पीएमकेवीवाई	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	एसईबीआई	भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
पीएमएसबीवाई	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना	एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक जाति गणना
पीओएल	पेट्रोलियम, तेल और स्टेब्ल	एसईआईएस	भारत योजना से सेवा निर्यात
पीपीए	क्रय व्यक्ति करार	एसईक्यूआई	सामाजिक शिक्षा गुणता सूचकांक
पीपीपी	क्रय शक्ति समरूपता	एसजीएसटी	राज्य वस्तु और सेवा कर
पीआरओबीई	मूल शिक्षा संबंधी सरकारी रिपोर्ट	एसएचजीएस	स्वयं सहायता समूह
पीएसबीएस	सरकारी क्षेत्र के बैंक	एसएमबीएस	सर्वर मेसेज ब्लॉक
पीएसएलवी	पोलर सेटलाइट लांच वेहिकल	एसपीवी	सोलर फोटो वोल्टिक
पीटीआर	छात्र-शिक्षण अनुपात	एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
पीवीबीएस	निजी क्षेत्र के बैंक	एसटीएएसएस	सेवा के रूप में भण्डारण
क्यूई	परिमाणत्मक सरलीकरण	एसटीआरआई	सेवा व्यापार अवरोधक अवसंरचना
क्यूईएस	त्रैमासिक रोजगार सर्वे	एसटीएस	अनुसूचित जनजाति
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक	सब-जीटीओ	उप-जैव अंतरण कक्ष
आरसीईपी	क्षेत्रीय समग्र आर्थिक हिस्सेदारी	एसयूयूटीआई	भारत विशिष्ट निकाय न्यास उद्यम
आरसीएस	क्षेत्रीय एयर संयोजना योजना	टीबीएस	द्वि-तुलन पत्र
आरई	संशोधित अनुमान	टीएफआर	कुल जन्म दर
आरईईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर	टीएफएस	सेवाओं में व्यापार सुविधा
आरईआईटीएस	वास्तविक सम्पदा निवेश न्यास	टीआईईएस	व्यापार निर्यात अवसंरचना योजना
आरईएस	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	टीआईएसए	सेवा करार में व्यापार
आरजीआई	भारत के महा रजिस्ट्रार	टीपीडीएस	लक्षित सरकारी वितरण प्रणाली
आरएचएस	दायीं तरफ	टीपीपी	प्रशांत-पारीय भागीदारी
आरकेएम	मार्ग किलोमीटर	टीआरएआई	भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
आरएमएस	रबी विपणन मौसम	यूडीएएन	उड़े देश का आम नागरिक
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	यूडीएवाई	उज्जवल डिस्कॉम आशवासन योजना
आरओए	आस्तियों पर लाभ	यूएन	संयुक्त राष्ट्र
आरओई	इक्विटी पर लाभ	यूएनईएससीओ	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूएनएफसीसीसी	संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क
आरटीई	शिक्षा का अधिकार		अभिसमय
आरटीजीएस	तत्काल निपटान	यूएनडब्ल्यूटीओ	संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
एस4ए	दबाव में स्थित आस्तियों की संपोषणीय संरचना	यूएसडी	संयुक्त राज्य डालर
एसएएसएस	सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर	यूएसईआईए	संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा सूचना प्रसारण
एसएडी	विशेष अतिरिक्त कार्य	यूटीएस	संघ राज्य क्षेत्र
एसएपी	स्वच्छ कार्य योजना	वीएटी	मूल्य वर्धित कर
एसएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्ययोजना	वीएनआर	स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा
एसबीएम-जी	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
एसबीएनएस	विशेषीकृत बैंक नोट	डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	डब्ल्यूटीसीसी	विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद

टिप्पणियां

आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित सांख्यिकी/इकाइयों का प्रयोग किया गया है:

बी सी एम	बिलियन क्यूबिक मीटर	कि. ग्रा.	किलोग्राम
बी यू	बिलियन यूनिट	हे.	हेक्टेयर
एम टी	मिलियन टन	बी बी एल	बिलियन बैरल प्रति लीटर
लाख	1,00,000	बिलियन	1,000 मिलियन/100 करोड़
मिलियन	10 लाख	ट्रिलियन	1,000 बिलियन/100,000 करोड़
करोड़	10 मिलियन		

अर्थव्यवस्था की स्थिति: विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन और नीति संबंधी संभावनाएं

01

अध्याय

अपस्फीतिकारी संवेगों को लेकर मध्यावधिक संदर्भ में आशा और अल्पावधिक संदर्भ में बनी घबराहट दोनों एक साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाई हुई हैं। यह आशावाद ऐतिहासिक माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने, एयर इंडिया का निजीकरण करने का सिद्धांततः निर्णय लेने; दोहरे तुलनपत्र (टीबीएस) की चुनौतियों का सामना करने के लिए की गई कार्रवाई; और इस बढ़ते विश्वास से उपजा है कि समष्टि आर्थिक स्थिरता मजबूत हो गई है। यह आशावाद, यहां तक कि इसे उल्लास भी कहा जा सकता है, वित्तीय बाजारों के बाण्ड, विशेषकर स्टॉकों के ऊंचे और बढ़ते मूल्यन में प्रकट हो रहा है। साथ ही, यह तनाव इस वजह से भी छाया है कि अनेक अपस्फीतिकारी संवेग एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रहे हैं जिसने अभी अपने विकास की पूरी रफ्तार हासिल नहीं की है और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाई है। इन अपस्फीतिकारी संवेगों में ये शामिल हैं: कृषि आगम पर भार, क्योंकि अनाज-भिन्न खाद्य कीमतों में गिरावट हुई है; कृषि ऋण माफी और इसके परिणामस्वरूप बरती जाने वाली राजकोषीय कठोरता; तथा विद्युत और दूरसंचार क्षेत्रों की लाभ प्रदता में गिरावट जिनसे टीबीएस समस्या और बिगड़ी है। अब आगे के वर्ष के लिए, ढांचागत सुधार एजेंडा यह होगा कि वास्तविक कार्रवाई की जाए और किए गए वायदों को पूरा किया जाए-इनमें जीएसटी, एअर इंडिया और अति महत्वपूर्ण टीबीएस संबंधी कार्रवाई शामिल है। समष्टि आर्थिक चुनौती महत्वपूर्ण मौद्रिक, राजकोषीय और कृषि नीतियों के जरिए इन अपस्फीतिकारी संवेगों पर रोक लगाने की होगी। “अनुकूल परिस्थितियों” के जरिए पैदा हुए अवसरों, जिन पर हालिया आर्थिक समीक्षाओं में बल दिया गया था, को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

I. प्रस्तावना

1.1 इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतरता की ऐसी प्रतिक्रियाओं से गुजर रही है जिन्हें बुनियादी आशावाद (अपने उमंगपूर्ण, उल्लसित रूप में) से लेकर मध्यावधिक संदर्भ में कुछ तनावयुक्त और इससे आगे अल्पावधिक संदर्भ में अपस्फीतिकारी संवेगों का दौर कहा जा सकता है। इसलिए:

- ढांचागत सुधारों को लेकर पुनः आशा जगी है, जब माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया, जो लगभग डेढ़ दशक से तैयारी की प्रक्रिया से गुजर रहा था; एअर इंडिया का निजीकरण करने पर सिद्धांततः निर्णय लिया गया; ऊर्जा सब्सिडियों को और अधिक युक्तिसंगम बनाया गया और दोहरे तुलनपत्र (टीबीएस) की चुनौती का सामना करने

की कार्रवाई हुई;

- इस बात को लेकर विश्वास बढ़ा है कि समष्टि आर्थिक स्थिरता अब मजबूत हो चुकी है जो अंशतः सरकार और आरबीआई की कार्रवाइयों के कारण और अंशतः इसलिए भी है कि तेल बाजार में हुए ढांचागत परिवर्तनों ने मूल्य वृद्धि का जोखिम कम कर दिया है, जो मुद्रास्फीति और भुगतान शेष को अस्थिर कर देती थी;
- वित्तीय बाजार में व्याप्त असाधारण आत्मविश्वास जो बाण्ड और विशेषकर स्टॉक के उच्च और बढ़ते मूल्यन में प्रतिबिंबित हो रहा है;
- विमुद्रीकरण की चुकाई गई अल्पकालिक कीमत को स्वीकारने के साथ इसके दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम;

- यह चिंता बढ़ रही है कि राज्य सरकारों के वित्त साधनों पर कृषि ऋण माफी का बुरा प्रभाव पड़ेगा; और
- यह अहसास कि अपस्फीतिकारी प्रवृत्तियाँ ऐसी अर्थव्यवस्था पर छाई हुई हैं जो अपने विकास की पूरी रफ्तार अभी हासिल नहीं कर पाई है और इसने अभी अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं किया है। इनमें शामिल हैं: (i) कृषि आगम पर भार क्योंकि अनाज-भिन्न खाद्यान्न कीमतों में तेजी से गिरावट हुई है; (ii) बजट घाटों पर रोक लगाने के लिए राज्यों द्वारा बरती गई राजकोषीय कठोरता-उत्तर प्रदेश इसका एक हालिया उदाहरण है जिसने ऋण माफी को समायोजित करने के लिए पूंजीगत व्यय में 13 प्रतिशत (उदय को छोड़कर) की कटौती कर दी है; (iii) विद्युत और दूरसंचार क्षेत्रों में गिरती लाभप्रदता जिनसे टीबीएस समस्या और बिगड़ी है; और (iv) जीएसटी के लागू होने से प्रारंभिक अड़चनें।

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घावधिक आर्थिक चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर आर्थिक समीक्षा 2016-17, खण्ड-1 में चर्चा की गई थी। अब आगे के वर्ष के लिए, ढांचागत और समष्टि आर्थिक एजेंडा अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह ढांचागत सुधार संबंधी एजेंडा लिए गए निर्णयों और वचनबद्ध कार्रवाइयों (जीएसटी, टीबीएस और एयर इंडिया) को लागू करने का होगा।

1.3 देश भर के असंख्य प्रमाण यह बताते हैं कि ढांचागत सुधार बेहतर समष्टि आर्थिक संदर्भ में अधिक सफल होते हैं; वस्तुतः बेहतर समष्टि आर्थिक संदर्भ पूर्वापेक्षा ही हो सकते हैं। समष्टि आर्थिक गतिशीलता अपरिहार्य अड़चनों को कम करने और ढांचागत सुधारों को वित्तपोषित करने के लिए सहायता और संसाधन मुहैया कराती है। इसीलिए, अल्पावधिक संदर्भ में मांग संबंधी कमी पर काबू पाना बहुत जरूरी होगा। यहीं पर महत्वपूर्ण नीतिगत विकल्पों पर विचार करना होगा: मौद्रिक सुलभता की मात्रा और समय, की गई वचनबद्धताओं के संदर्भ में राजकोषीय समेकन की सीमा और संरचना; तथा अनाज-भिन्न कृषि क्षेत्र संबंधी कार्रवाई जहां इस वर्ष की स्थितियाँ-अच्छा मानसून और अधिक मांग-पिछले वर्ष की स्थितियों जैसी हो सकती हैं।

1.4 यह अध्याय तीन भागों में बांटा गया है: भाग-क में महत्वपूर्ण हालिया समष्टि आर्थिक घटनाक्रम पर

विश्लेषणात्मक चर्चा की गई है, जिसके बाद भाग-ख में 2017-18 के लिए आर्थिक संभावनाओं और उपयुक्त समष्टि आर्थिक नीति के दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया गया है। भाग-ग में हालिया आर्थिक घटनाक्रम का वर्णन किया गया है।

क. हालिया घटनाक्रम की विश्लेषणात्मक समीक्षा

1.5 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधिक संभावनाओं को लेकर जगी आशाएं अनेक ढांचागत सुधार कार्रवाइयों और घटनाओं से उपजी हैं और सबसे अधिक तो ये वित्तीय बाजार के विश्वास में दिखाई दे रही हैं।

II. ऐतिहासिक कर सुधार: माल और सेवा कर (जीएसटी)

1.6 जीएसटी की शुरुआत ऐतिहासिक आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धि की द्योतक है, और यह भारतीय कर और आर्थिक सुधारों के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। इसे नीचे दी गई सारणी-1 में सारबद्ध किया गया है और इस पर अध्याय-2 में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। यहां हम गलतफहमियों को दूर कर रहे हैं और भविष्य की बात करते हुए, अब तक अनदेखे रह गए कुछ लाभों पर प्रकाश भी डाल रहे हैं।

1. क्या कर ढांचे की जटिलता बढ़ गयी है?

1.7 अधिकांश टीकाओं में यह कहा गया है कि जीएसटी से कर ढांचा जटिल हो गया है जहां इस नयी व्यवस्था की आदर्श जीएसटी कर ढांचे से अव्यक्त तुलना की जाती है लेकिन असल में तुलना पिछली व्यवस्था से की जाती है। यह कहना ठीक नहीं है कि जीएसटी पिछली प्रतिस्थापित व्यवस्था से अधिक जटिल है। इसके दो संबद्ध कारण हैं।

1.8 पहले, प्रत्येक माल पर केंद्र द्वारा उत्पाद कर और राज्य का वैट लगाया जाता था। तब कम से कम 8-10 उत्पाद शुल्क दरें और राज्य के वैट की 3-4 दरें होती थीं, वैट-दरें सभी राज्यों में संभवतः भिन्न-भिन्न होती थीं। इस प्रकार, अनेक प्रकार की दरों (सिद्धान्ततः 29 राज्यों में कि 10 गुणा 4 गुणा) का ढांचा सिमट कर 6 प्रकार की दरों के ढांचे तक रह गया है।

1.9 सबसे जरूरी बात यह है कि एकरूपता या “एक वस्तु एक कर” का सिद्धांत पूरे भारत में अब हकीकत

सारणी 1. जीएसटी के मुख्य लाभ

1. सहयोगपरक संघवाद को बढ़ावा देना	• घरेलू अप्रत्यक्ष कर संबंधी लगभग सभी निर्णय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाएंगे
2. भ्रष्टाचार और हेराफेरी में कमी लाना	• स्व-नियंत्रण; आदान कर क्रेडिट का दावा करने के लिए इन्वॉयस मैचिंग अन-अनुपालन को रोकेंगी और अनुपालन को बढ़ावा देगी। इससे पहले इन्वॉयस मैचिंग केवल अंतर-राज्यीय वैट लेन-देन के लिए होती थी और उत्पाद एवं सेवा कर तथा आयातों के लिए नहीं होती थी।
3. जटिल कर संरचना को सरल बनाना और देशभर में कर दरों में एकरूपता लाना	• 8-10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरें और 3-4 राज्य वैट दरें जो राज्यों में अलग-अलग लागू थी, जीएसटी की 6 दरों में विलयित की जाएंगी। सभी राज्यों में कर दरों में एकरूपता (एक वस्तु, एक कर)। • राज्यों और केंद्र के अन्य कर और उपकर जीएसटी में मिला दिए जाएंगे।
4. साझा बाजार बनाना	• राज्यों के बीच व्यापार पर लगे हुए सभी कर और भौतिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे।
5. आयात के नाम से होने वाले पक्षपात मिटाकर 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना (नकारात्मक संरक्षण)	• आयात पर लागू घरेलू कर को अधिक कारगर और हेरा-फेरी की कम संभावना वाला बनाएगा (आईजीएसटी, जो पहले प्रतिकारी शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क का जोड़ होता था) जिससे घरेलू उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
6. विनिर्माण के विरुद्ध कर पूर्वाग्रह मिटाना/ उपभोक्ता पर कर का बोझ घटाना	• आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध समाप्त करके और आदान कर क्रेडिट का प्रवाह सुसाध्य बनाकर जीएसटी प्रपाती प्रभाव (मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण पर कर-भुगतान और सभी पूर्ववर्ती चरणों पर कर जैसेकि केंद्रीय बिक्री कर) को काफी हद तक समाप्त कर देगा।
7. राजस्व, निवेश, और मध्यकालिक आर्थिक संवृद्धि की गति में तेजी लाना	• निवेश बढ़ेगा क्योंकि पूंजी पदार्थों की खरीदारी पर आदान कर क्रेडिट का दायरा बढ़ेगा • बेहतर अनुपालन से कर आधार का विस्तार होगा • निर्यात सन्निहित कर समाप्त हो जाएंगे।

बन गया है। पहले, भिन्न-भिन्न राज्यों में किसी खास उत्पाद पर अलग-अलग कर लग सकते थे और ये कर केंद्र द्वारा लगाए गए कर से भिन्न हो सकते थे।

1.10 अतः पिछली व्यवस्था की तुलना में, अब बहुलता के स्थान पर एकरूपता है तथा अब जटिलता भी काफी कम है।

2. अनुपालन का अतिरिक्त बोझ?

माल

1.11 यह सही है कि जो लोग अब जीएसटी व्यवस्था में शामिल हैं, उन सभी को अतिरिक्त प्रलेखीकरण अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी। परंतु विवरणी दाखिल करने की अपेक्षाओं में फार्मों का एक सेट (न कि तीन जैसाकि

कहा गया है क्योंकि पहले फार्म को भरने से अन्य दो अपने-आप भर जाते हैं) महीने में एक बार दाखिल किया जाना शामिल है। यह कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा क्योंकि पहले भी इसी प्रकार की, कभी-कभार अधिक दुरुह अपेक्षाएं राज्य के वैट और केंद्रीय उत्पाद की पिछली व्यवस्था में विद्यमान थी (सारणी 2)। मसलन, जैसाकि नीचे सारणी से पता चलता है, जीएसटी से पहले वाली व्यवस्था में, तीन भिन्न-भिन्न प्राधिकारियों को तीन पृथक विवरणियां उन तीन करों के मामले में दाखिल करना होती थीं, जो अब जीएसटी में सम्मिलित कर दिए गए हैं।

सेवाएं

1.12 पहले, चूंकि केवल केंद्र सेवा कर लगाता था,

और एजेंटों को केवल एक प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना होता था तथा इसलिए केवल एक के पास ही कर दाखिल करना होता था। अब एजेंटों को उन सभी राज्यों में पंजीकरण कराना होगा जिनमें वे कार्य करते हैं और प्रत्येक राज्य में इसे दाखिल करना होगा। जीएसटी परिषद् में हुई चर्चा के दौरान, यह प्रयास किए गए कि पहले वाली सरल व्यवस्था को बनाए रखा जाए, परंतु राज्य राजस्व में अपने उचित हिस्से की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में एकाधिक पंजीयन पर अड़े रहने में लगभग एकमत थे। इसके अलावा, बढ़ा हुआ बोझ कम एजेंट ही वहन करेंगे जिनकी अखिल भारतीय उपस्थिति हो और जिनकी पालन क्षमता भी इसके अनुरूप वृहत्तर होगी। भविष्य की बात करें तो अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए अधिक केंद्रीकृत प्रक्रियाओं की गुंजाइश मौजूद है।

सारणी 2. दाखिल की जाने वाली विवरणियों की संख्या और बारंबारता: जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद

जीएसटी से पहले		जीएसटी ढांचा
राज्य वैट	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक
सेवा कर	2 अर्ध वार्षिक	
केंद्रीय उत्पाद	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक	

लघु व्यापारी

1.13 लघु व्यापारियों और एजेंटों पर अतिरिक्त अनुपालन का बोझ पड़ने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इससे दूसरी दिशा में किए गए कुछ जरूरी परिवर्तनों की अनदेखी हो जाती है। जीएसटी ने कर व्यवस्था में समावेश के लिए कारोबार की आरंभिक सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की है जैसाकि सारणी 3 में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पहले कर व्यवस्था में (राज्यों के वैट, केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर) में आने वाले लगभग 87 लाख एजेंटों में से अब लगभग 70 लाख एजेंट ही जीएसटी व्यवस्था में रह गए हैं। 20 लाख रु० से कम कारोबार करने वाले काफी संख्या में छोटे व्यापारीगण जीएसटी के दायरे से बाहर चले गए हैं। इसके अलावा, यद्यपि नयी प्रारंभिक सीमा 20 लाख रु० है, तथापि, 75 लाख रु० तक का कारोबार करने वाले एजेंट अपने उस लेन देन पर (जो मूल्यवर्धित नहीं हो) मात्र थोड़ा कर चुकाने का विकल्प अपना सकते हैं, जिसे वे प्रत्येक महीने के बजाय प्रत्येक तिमाही में जमा किए जाने वाले

कम दस्तावेजों के साथ दाखिल कर सकते हैं।

सारणी 3. कर व्यवस्था में समावेश हेतु बिक्री की आरंभिक सीमा: जीएसटी से पूर्व और इसके बाद (रुपये में)

जीएसटी से पूर्व		जीएसटी ढांचा
राज्य वैट	5-10 लाख रु०	- न्यूनतम 20 लाख रु० 20-75 लाख रु० - कम अनुपालन बोझ के अध्वधीन
सेवा कर	सेवा कर 10 लाख रु०	
केंद्रीय उत्पाद	1.5 करोड़ रुपये	

1.14 इस चिंता के चलते कि मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों के चलते प्रशासन अति उत्साही हो सकता है, सरकार ने यह संकेत दिया है कि इन प्रावधानों का बहुत कम प्रयोग किया जाएगा। बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए समापन अवधि खंड (सनसेट क्लॉज़) लाया गया था कि ये प्रावधान अधिक से अधिक दो वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे।

3. अलक्षित लाभ

1.15 जीएसटी का एक महत्वपूर्ण अलक्षित लाभ यह है कि अब कपड़ा और परिधान क्षेत्र कर-व्यवस्था का पूर्ण रूप से हिस्सा है। पहले, मूल्य श्रृंखला के कुछ हिस्से, खासकर फेब्रिक्स, कर-व्यवस्था से बाहर थे, जिसकी परिणति अनौपचारिकता और कर-वंचना में होती थी। फेब्रिक्स के घरेलू उत्पादन की अपेक्षा आयात को तरजीह देने की कुछ विसंगतियां सुधारने की ज़रूरत है, परंतु समग्र कर आधार में विस्तार हुआ है।

1.16 इसी प्रकार, भूमि और भवन संपदा को कर-व्यवस्था में लाया गया है: अर्थात् “निर्माण कार्य सविदा” जो निर्मित किए जा रहे आवास के संदर्भ में हैं। इससे आगे चलकर अभी तक कर-व्यवस्था से बाहर रहे सीमेंट, इस्पात और अन्य बिक्रियों को औपचारिक रूप से कर-व्यवस्था में लाया जा सकेगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। औपचारिकरण इसलिए होगा कि बिल्डरों को कर-क्रेडिट का दावा करने के लिए इन आदान खरीदों के प्रलेखन की ज़रूरत होगी।

1.17 तीसरे, जीएसटी से आयातों पर लगाए जा रहे घरेलू करों की पिछली व्यवस्था—उत्पाद शुल्क कर को समायोजित करने के लिए प्रतिकारी शुल्क और राज्य वैट को समायोजित करने के लिए विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी)—की कमियां दूर हो जाएंगी। मसलन,

एसएडी 4 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता था, यद्यपि अधिकांश राज्यों में मानक वैट 12.5 प्रतिशत था; जबकि सिद्धान्तः, आदान पर वैट अदा करने वाली फर्मों का दावा कर सकती थीं, लेकिन व्यवहार में कर क्रेडिट प्राप्त करने में कठिनाइयां थीं। जीएसटी में, केन्द्र और राज्यों द्वारा घरेलू बिक्री पर लगाए गए संपूर्ण कर (आईजीएसटी) लगाए जाएंगे जब श्रृंखला के नीचे तक उपलब्ध संपूर्ण कर क्रेडिट के साथ आयातित माल पहले देश में पहुंच जाएगा। इसकी परिणति आयात के संबंध में अधिक पारदर्शिता और अधिक प्रभावकारी कराधान के रूप में होगी।

1.18 शुरुआती लक्षण कर-आधार का विस्तार होने के हैं। जून और जुलाई 2017 के बीच, कर व्यवस्था से बाहर रहे 6.6 लाख नए एजेंटों ने जीएसटी में पंजीकृत किए जाने के लिए अनुरोध किया है। जैसे-जैसे इस व्यवस्था के औपचारिक कार्य के लिए प्रोत्साहन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे, अनुमानतः इसमें लगातार वृद्धि ही होगी। आरंभिक अनुमान इंगित करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप कर-आधार में संभवतः भारी वृद्धि होगी।

1.19 दूसरा लाभ जीएसटी के प्रभाव और प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संबंध में इसके द्वारा दी गई जानकारी का होगा। यह बहुत विशाल हो सकता है। विगत में, केंद्र के पास छोटे विनिर्माताओं और खपत से संबंधित मामूली आंकड़े होते थे (क्योंकि उत्पाद शुल्क विनिर्माण अवस्था में लगाया जाता था), साथ ही राज्यों के पास अपनी सीमाओं से बाहर कार्य कर रही फर्मों के कार्यकलाप विषयक आंकड़े भी अपर्याप्त होते थे। जीएसटी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य दोनों के ही आंकड़ों के सामान्य समूह का अपरिमित प्रवाह और उपलब्धता होगी, जिससे प्रत्यक्ष कर संग्रहण अधिक प्रभावी होगा।

1.20 दीर्घावधिक लाभों में, वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाला जीएसटी का प्रभाव शामिल है। छोटे कारोबारी डिजिटल रूप से कर संचाय का एक वास्तविक समय ट्रेकर रिकार्ड बना सकते हैं और इसका उधारदाता संस्थाओं द्वारा क्रेडिट रेटिंग और उधार देने के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल, छोटे व्यवसायी ऋण की कमी से परेशान हैं, क्योंकि वे अपने वित्तीय सामर्थ्य को विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं।

1.21 अंततः जीएसटी लागू होने पर पहले कुछ दिनों के भीतर ही, अंतरराज्यीय जांच-चौकियों को समाप्त करने की रिपोर्टें मिली हैं। अभी तक 24 राज्य ये जांच-चौकियां समाप्त कर चुके हैं, जबकि अन्य राज्य उन्हें समाप्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो परिवहन लागतों, ईंधन के उपयोग और भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी हो सकती है।

1.22 यह कहने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि भारत के भीतर संभार-तंत्र संबंधी लागतें अधिक हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन यह बताता है कि भारत में ट्रक एक दिन में अमेरिकी ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी (800 किमी. की तुलना में 280 किमी.) की एक तिहाई दूरी ही तय कर पाते हैं। इससे प्रत्यक्ष लागतें (समय पर सुपुर्दगी के संदर्भ में) बढ़ती हैं, अप्रत्यक्ष लागतें (अधिक इन्वेंटरी रखने वाली फर्मों) बढ़ती हैं, स्थान के विकल्प (उत्पादन के श्रेष्ठ स्थान की बजाय आपूर्तिकर्ताओं/ग्राहकों के लिए अपेक्षाकृत निकट स्थान रखने के संदर्भ में) बढ़ते हैं। इसके अलावा, वाहन चलाने में, लगने वाले कुल यात्रा समय का लगभग 40 प्रतिशत समय ही लगता है; जबकि जांच चौकियों और अन्य आधिकारिक ठहराव स्थलों पर कुल यात्रा समय का लगभग एक चौथाई समय लगता है। जांच चौकी समापन से चलने वाले ट्रक प्रतिदिन लगभग 6 घंटे अधिक, प्रतिदिन 164 किमी. अतिरिक्त के समतुल्य दूरी तय कर सकते हैं—इससे भारत वैश्विक औसत से ऊपर की ओर बढ़ सकता है और ब्राजील के स्तर तक पहुंच सकता है।

1.23 कुल मिलाकर, संभार-तंत्र लागतें (मोटे तौर पर परिभाषित, और जिसमें बिक्री में हानि को लेकर फर्मों के अनुमान शामिल हैं) अंतरराष्ट्रीय मानकों से तीन-चार गुना अधिक हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि अंतरराज्यीय व्यापार लागतें आंतरराज्यीय व्यापार लागतों से 7-16 गुना तक अधिक हैं। इस प्रकार, ये लागतें माल के अंतर-राज्यीय आवागमन में सीमावर्ती अवरोधों की स्पष्ट मौजूदगी का संकेत हैं।¹ जीएसटी के कार्यान्वयन से इन लागतों में जबरदस्त कमी आएगी और इससे देश में अंतरराज्यीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. भावी चुनौतियां

1.24 सारणी 4 में जीएसटी करों और उन माल/क्षेत्रों

¹ राजस्व निरपेक्ष दर और माल एवं सेवा कर संरचना संबंधी समिति की रिपोर्ट : <http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/cea-rpt-rnr-new.pdf>

सारणी 4. जीएसटी दरें और जीएसटी आधार से अपवर्जन

आईजीएसटी (%)			वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या *	जीएसटी के बाहर मुख्य वस्तुएं
सीजीएसटी (%)	एसजीएसटी (%)	कुल (%)		
0	0	0	88	• अल्कोहॉल
1.5	1.5	3	स्वर्ण और आभूषण	• पेट्रोलियम और ऊर्जा
2.5	2.5	5	173	• बिजली
6	6	12	200	• भूमि और स्थावर संपदा
9	9	18	521	• शिक्षा
14	14	28	229	• स्वास्थ्य देखभाल
उपकर (बहुल)				

आईजीएसटी केंद्र और राज्य जीएसटी का योग है।

*समानिकृत तन्त्र रेखाओं की संख्या द्वारा मापित, जिनको टैरिफ कोड में परिभाषित किया गया है।

की संरचना दर्शाई गई है जो जीएसटी व्यवस्था से बाहर हैं। जैसाकि सारणी 4 में दर्शाया गया है, कर संरचना और आधार से अपवर्जन में सुधार की बहुत गुंजाइश है। अल्कोहॉल, पेट्रोलियम और ऊर्जा उत्पादों, बिजली तथा भूमि एवं भवन संपदा जैसे कुछ लेन-देन जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं, लेकिन जीएसटी से बाहर केंद्र और/अथवा राज्यों द्वारा उन पर कर लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य, और शिक्षा कर-व्यवस्था से पूरी तरह बाहर हैं, जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं और इन पर केंद्र और राज्यों द्वारा कर भी नहीं लगाया जाता।

1.25 बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने से, भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा है क्योंकि बिजली पर कर विनिर्माता की लागत से जुड़ जाता है और आदान कर क्रेडिट के रूप में वापसी का दावा किया जा सकता है। भूमि और भवन संपदा को तथा अल्कोहल को इसके दायरे में लाने से पारदर्शिता में सुधार होगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी; स्वास्थ्य और शिक्षा को इससे पूरी तरह बाहर रखना साम्यता के साथ असंगत है क्योंकि ये ऐसी सेवाएं हैं जिनका अमीर लोगों द्वारा भरपूर उपभोग किया जाता है। इसके अलावा, स्वर्ण और आभूषण उत्पाद—ये ऐसी मर्च हैं जिनका अत्यधिक अमीर लोगों द्वारा अनाप-शनाप उपभोग किया जाता है—पर 3 प्रतिशत कर अभी भी काफी कम है।

1.26 दरों की बहुलता अनेक उद्देश्यों को पूरा करने का एक तरीका है, जिनमें गरीब वर्गों को अनेक आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए दरों को कम

रखने की जरूरत शामिल है।

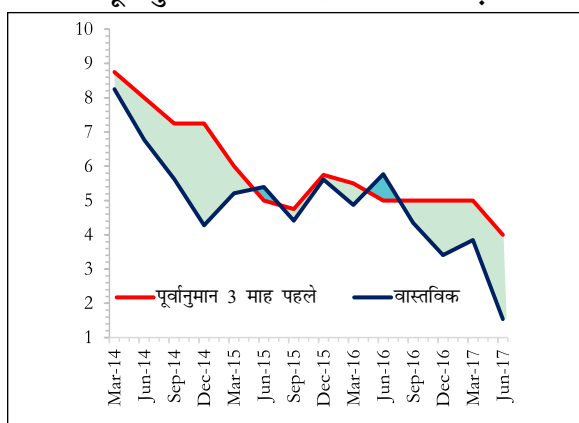
1.27 जीएसटी परिषद—जो सहकारी संघवाद के अभिशासन में एक उल्लेखनीय नवप्रवर्तन है, और इस संस्था ने अपने अस्तित्व के प्रारंभिक दस महीनों में ही ऐसा सिद्ध भी कर दिया है, को भारत को एक अच्छे जीएसटी की स्थिति से और अधिक बेहतर जीएसटी की ओर ले जाने के लिए आने वाले महीनों में इन चुनौतियों का सामना करना होगा

III. कम मुद्रास्फीति की दिशा में सैद्धांतिक परिवर्तन?

1.28 क्या भारत कम मुद्रास्फीति की दिशा में स्फीतिकारी प्रक्रिया में संरचनागत परिवर्तन से गुजर रहा है?

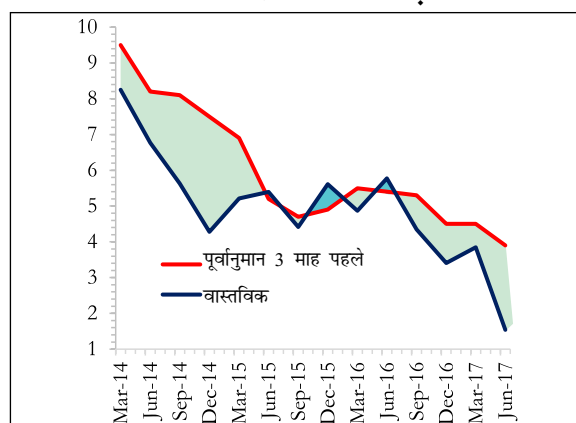
1.29 अनुसंधान से पता चलता है कि लगभग पिछले पांच वर्षों में वैश्विक तौर पर और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी उपभोक्ता मूल्य से जुड़ी मुद्रास्फीति पेशेवर पूर्वानुमानों से सतत रूप से कम रही है। भारतीय संदर्भ में, साक्ष्य इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं— हालांकि दीर्घावधिक संदर्भ में, दोनों पक्षों की ओर से त्रुटियाँ हुई हैं। अभी हाल ही में ऐसे परिवर्तनों पर दृष्टि नहीं गई प्रतीत होती है (क्रमशः चित्र 1 और चित्र 2)। मिसाल के तौर पर, पिछली 14 तिमाहियों में छः तिमाहियों (2014 में तीन और हालिया अवधि में तीन) में मुद्रास्फीति का 100 आधार बिन्दु से अधिक आकलन किया गया जहां औसत त्रुटि 180 आधार बिन्दु की रही है (और यह भी केवल तीन माह पहले

चित्र 1. सीपीआई मुद्रास्फीति-आरबीआई पूर्वानुमान² और वास्तविक आंकड़े



स्रोत: आरबीआई और समीक्षा परिकल्पना

चित्र 2. सीपीआई मुद्रास्फीति-पेशेवर पूर्वानुमान² और वास्तविक आंकड़े



के बहुत अल्पावधिक पूर्वानुमान के लिए) (चित्र 1)। यह भी ध्यातव्य है कि इस अवधि में 14 तिमाहियों में से 4 तिमाहियों (मार्च 2014, जून, सितम्बर और दिसम्बर 2015) में यह पूर्वानुमान परिणाम के 50 आधार बिन्दु की परिधि में था और 14 तिमाहियों में से एक तिमाही (दिसम्बर 2015) में यह 25 आधार बिन्दु की परिधि में था। पेशेवर अनुमानकर्ताओं का रिकार्ड भी ऐसा ही रहा है (चित्र 2)। पूर्वानुमान की तुलना में वास्तविक तौर पर कम मुद्रास्फीति तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के स्थायी रूप से गिर जाने जैसी असाधारण घटनाओं को परिलाक्षित कर सकती है।

1.30 आगे सवाल यह है कि क्या मुद्रास्फीति में कोई सैद्धान्तिक परिवर्तन हो रहा है और मौद्रिक प्रबंधन के लिए इसका क्या अर्थ है।

1.31 पहले चित्र 3 में दिखाए गए भारत में मुद्रास्फीति के दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करें। पिछले चार दशकों में (1977 से शुरू करके), मूल रूप से चार दौर रहे हैं: लगभग 23 वर्ष तक औसतन 9 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति; वर्ष 2000 और 2005 के बीच पांच वर्ष के लिए लगभग 4 प्रतिशत की कम मुद्रास्फीति; 2006-14 की अवधि में मुद्रास्फीति की जोरदार वापसी जो लगभग 9 प्रतिशत हो गई; और अब अपेक्षाकृत कम, संभवतः

बहुत कम मुद्रास्फीति का नया दौर।³

1.32 चित्र 3 मुद्रास्फीति के संचालकों को समझने में सहायता करता है। मुख्यतः उच्च मुद्रास्फीति और विशेषकर शीर्ष मुद्रास्फीति, वस्तु-कीमतों में वृद्धि, विशेषकर तेल की कीमतों और कृषि कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ चलती है; कुछ मामलों में वे विनिमय दर में तेजी से हुए परिवर्तनों जैसे बिल्कुल ही अलग कारकों की वजह से भी होती है।

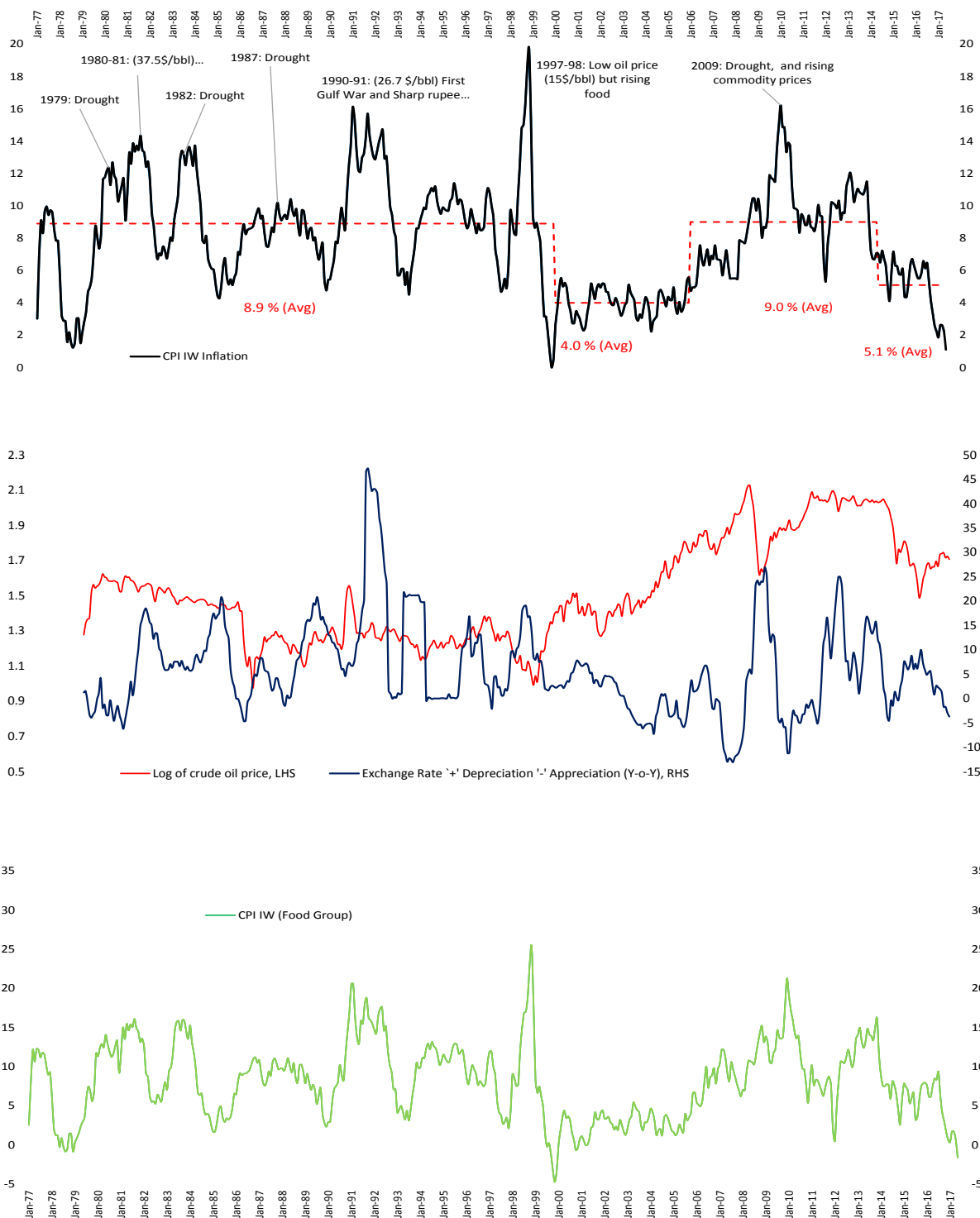
1.33 इसलिए, यदि तेल बाजार में और घरेलू कृषि में भी कोई ढांचागत परिवर्तन होते हैं तो स्फीतिकारी प्रक्रिया भी ढांचागत परिवर्तनों से गुजर सकती है। जैसाकि नीचे वर्णन किया गया है, यह विश्वास करने के कुछ कारण अवश्य हैं कि दोनों परिवर्तन हो रहे हैं।

तेल

1.34 अब तक यह लगभग स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो चुकी है कि भू-राजनीति का ज़िक्र तेल की कीमतों और इसीलिए उनसे आगे घरेलू मुद्रास्फीति से जुड़े जोखिमों की सूची में किया जाए। लेकिन इन जोखिमों में संभवतः काफी कमी भी हो रही है। आज तेल बाजार कुछ साल पहले के बाजार की तुलना में इस अर्थ में बहुत भिन्न हो चुका है, कि जो तेल की कीमतों में कमी फ्रैक्चरिंग

² चित्र 1 में मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान संबंधित मौद्रिक नीति विवरणों के फैनचार्ट में विश्वास बैंड के मध्यबिंदु के रूप में अनुमानित हैं। चित्र 1 और 2 मार्च 2014 में शुरू होते हैं क्योंकि 3 माह पहले के पूर्वानुमान (फैन चार्ट में निहित) पूर्ववर्ती अवधियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

³ हैडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अब 2 प्रतिशत से कम है किंतु परिष्कृत कोर भी (जो सभी अस्थिर खाद्य और ईंधन घटकों से अधिक रहती है) अब 4 प्रतिशत से कम हो गयी है। यह लगभग 9 प्रतिशत की भारत की दीर्घावधिक मुद्रास्फीति की औसत और जनवरी 2011 से सीपीआई-नई श्रृंखला में 6.8 प्रतिशत की परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति की औसत की तुलना में काफी बेहतर है।

चित्र 3. दीर्घावधिक मुद्रास्फीति⁴ (1977-2017)

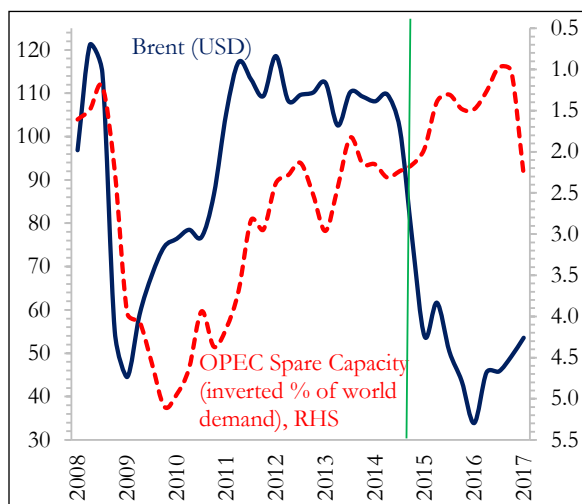
स्रोत: श्रम ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक

⁴ श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित मुद्रास्फीति का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह दीर्घावधिक अवधि के लिए उपलब्ध होती है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) की नई श्रृंखलाएं वर्ष 2012-13 से ही उपलब्ध हैं। तथापि, दोनों श्रृंखलाएं (2012-13 से 2016-17) के लिए वह अवधि जब दोनों श्रृंखलाएं उपलब्ध हैं, 0.94 के सहसंबंध गुणांक के साथ बहुत निकट रहती हैं।

अथवा कम से कम तेल की कीमतों में वृद्धि के जोखिमों को समाप्त कर रहा है।

1.35 हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जैसी परिष्कृत नई प्रौद्योगिकी की मेहरबानी से शेल ऑयल और गैस के दोहन के चलते, ओपेक-भिन्न, विशेषकर उत्तरी अमरीकी बाजारों से, तेल की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो गई है, इसके अलावा, इस आपूर्ति की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि यह 50 डालर प्रति बैरल की कीमत के आसपास की दर पर लाभकारी है और इसकी आपूर्ति परंपरागत तेल के मुकाबले, कहीं कम पूंजी लागत के कारण कीमत संबंधी परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करती है। परिणामस्वरूप, अब तेल की कीमतों पर ओपेक का उतना नियंत्रण नहीं है, जितना पहले होता था। चित्र 4 में ओपेक की क्षमता परिवर्तन तथा तेल कीमतें दर्शायी गई हैं। वर्ष 2014 से पहले, यह दोनों साथ-साथ चलती थीं, लेकिन तब से दोनों पूरी तरह अलग-थलग हो गई हैं।

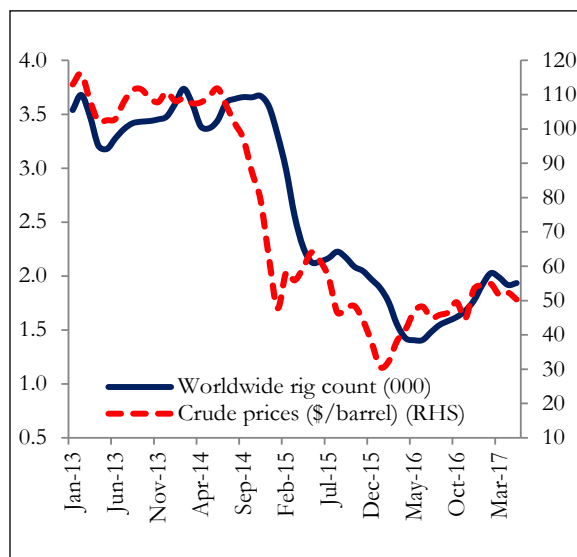
चित्र 4. ओपेक की कम होती बाजार शक्ति?



स्रोत: अमरीकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए)

1.36 चित्र 5 में विश्वव्यापी शेल रिग और तेल कीमतें दिखाई गई हैं। यहां भी यह संबंध असाधारण है, जहां रिग की क्षमता अपेक्षाकृत कम कीमतों होने पर गिरती है और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर तत्काल बढ़ती है।⁵ शेल तेल और गैस का यह अकार्डियन जैसा स्वरूप तथा इस अनुमान के साथ कि अर्थक्षमता 50 डालर प्रति बैरल के आस-पास ही हासिल की जाती है, का अर्थ यह है कि तेल की कीमतों पर कुल मिलाकर रोक लगा दी गई है।

चित्र 5. शेल “अकार्डियन”



स्रोत: बेकर ह्यूज

1.37 इसलिए, भविष्य की बात करें तो, ऐसा नहीं है कि ये कीमतें अस्थिर नहीं रहेंगी और न ही यह होगा कि ये 50 डालर की “सीमा” से ऊपर कभी नहीं बढ़ेंगी। लेकिन शेल प्रौद्योगिकी जरूर सुनिश्चित करेगी कि वे इस सीमा से ऊपर बहुत देर तक न रह सकें क्योंकि शीघ्र आपूर्ति की प्रक्रिया इन कीमतों को शेल के उत्पादन की सीमांत लागत की ओर वापस ले जाएगी। नवीकरणीय स्रोतों की लागत और कीमतों में जबरदस्त गिरावट इस रुझान को और मजबूत बनाएगी।

1.38 संक्षेप में, भू-राजनीतिक जोखिम पहले की तरह खतरनाक नहीं हैं। प्रौद्योगिकी ने भारत को भू-अर्थव्यवस्था (ओपेक) और भू-राजनीति (मध्य पूर्व) के उतार-चढ़ावों के प्रति कम संवेदनशील बना दिया है। यदि ये परिवर्तन स्थायी सिद्ध होते हैं और जिस हद तक स्थायी हो, तो उस संख्या में स्फीतिकारी प्रक्रिया के लिए परिणामों को ध्यान में रखना होगा।

कृषि

1.39 लंबे समय (दशकों तक) तक किए गए मूल्यांकनों के अनुसार भारतीय कृषि का निष्पादन साधारणतः सफल रहा है। एक उपलब्धि यह है कि उत्पादन-विशेष तथा अनाज, जो उपभोग की मुख्य मद है, का उत्पादन कम

⁵ रिग और तेल की कीमतों के प्रवाह के बीच मुख्यतः इसी तरह का संबंध है।

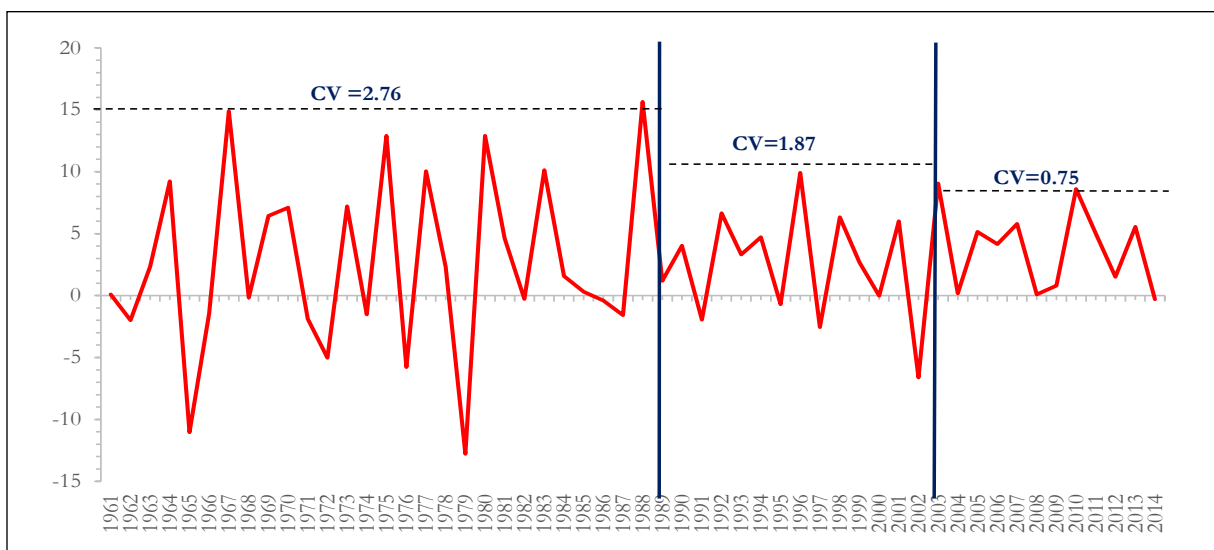
अस्थिर और कमजोर मानसून के प्रति अधिक प्रतिरोध क्षम हो गया है।

1.40 चित्र 6 में कृषि जीडीपी में वास्तविक वृद्धि दर्शाई गई है। औसत वृद्धि 3 प्रतिशत के आसपास रही है किंतु उत्पादन में वृद्धि की अस्थिरता जो परिवर्तन के गुणांक द्वारा मापी जाती है, 1988-2004 की अवधि में 1.87 प्रतिशत से घट कर 0.75 प्रतिशत हो गई है।

1.41 चित्र 7 और 8 में क्रमशः अनाजों और दालों के उत्पादन को दर्शाया गया है। यहां भी, अनाजों और

विशेषकर दालों दोनों में व्याप्त अस्थिरता में उल्लेखनीय कमी स्पष्ट है (सारणी 5)। पिछले दशक में परिवर्तन के गुणांक में जबरदस्त कमी हुई है। चित्र 6 से 8 के बारे में जो बात विशेष है, वह यह है कि मंदी की स्थिति बहुत कम हैं (1 प्रतिशत अथवा कम की वृद्धि दर)–मुद्रास्फीति के खतरे की मुख्य अवधियों में। उच्च उत्पादक, सिंचाई-प्रधान राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हाल ही में मध्य प्रदेश भी) में काफी अधिक समर्थन मूल्यों और प्रभावी खरीद ने अनाज उत्पादन में स्थिरता प्रदान की है।

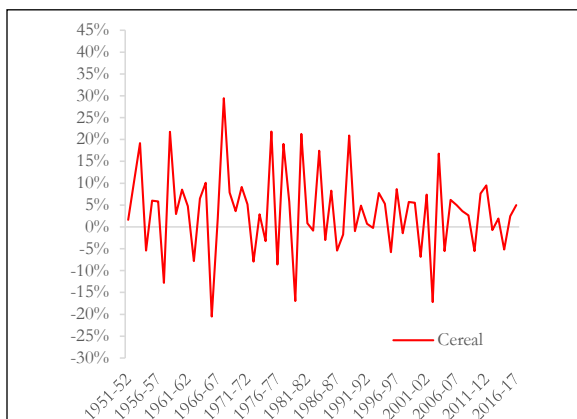
चित्र 6. भारत में कृषि जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: सीएसओ

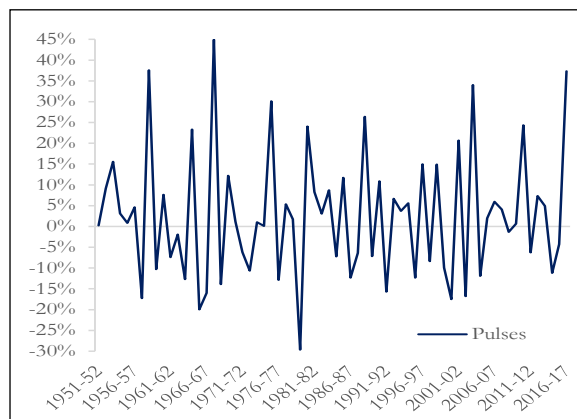
टिप्पणी: सीवी-परिवर्तन का गुणांक

चित्र 7. अनाज उत्पादन में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

चित्र 8. दालों के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)



सारणी 5. दालों और अनाजों के उत्पादन में परिवर्तनीयता

	औसत		परिवर्तन का गुणांक	
	दाल	अनाज	दाल	अनाज
1951-2017	2.6%	3.6%	5.88	2.69
1951-1965	2.2%	3.4%	6.86	3.19
1966-1989	2.8%	5.6%	6.03	2.04
1990-2004	0.7%	1.5%	20.35	5.01
2005-2016	5.3%	2.7%	2.42	1.64

स्रोत: अर्थ और सांख्यिकी, कृषि मंत्रालय

1.42 तो फिर, वर्ष 2007-2011 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल का क्या कारण था? वह घटना घरेलू नीति के साथ-साथ वैश्विक तेल और कृषि मूल्यों में उछाल के सम्मिलन से हुई थी। घरेलू नीति के संबंध में वर्तमान सरकार ने उस रूपरेखा में परिवर्तन करके कार्रवाई की है जिनमें कृषि मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया है, कृषि विपणन व्यवस्थाओं को उदार बनाया है तथा मुद्रास्फीति लक्ष्य एवं-मौद्रिक नीति समिति की रूपरेखा को संस्थागत रूप दिया है।

1.43 हालिया महीनों में खाद्य कीमतों में हुई कमी के चलते मुद्रास्फीति अभूतपूर्व रूप से कम स्तरों पर आ चुकी है जो जून में 1.5 प्रतिशत हो गई। यह स्थिति निश्चित रूप अस्थायी है; शीघ्र ही खाद्य कीमतें सामान्य हो जाएंगी। किंतु जब यह स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो यह संभावना नहीं है कि मुद्रास्फीति अपने 2014 से पहले के स्तर तक वापस चली जाएगी? इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में गहन और प्रौद्योगिकी के कारण होने वाले परिवर्तन तथा घरेलू नीति और कृषि बाजारों में हुए सुधार भारत में कम मुद्रास्फीति-का नया युग प्रवर्तित कर सकते हैं।

IV. विश्वास/उल्लास: आस्ति मूल्यों और वास्तविक अर्थव्यवस्था में अंतर

1.44 जैसाकि बाद में भाग ग में विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है, अनेक संकेतक-सकल मूल्य वर्धन

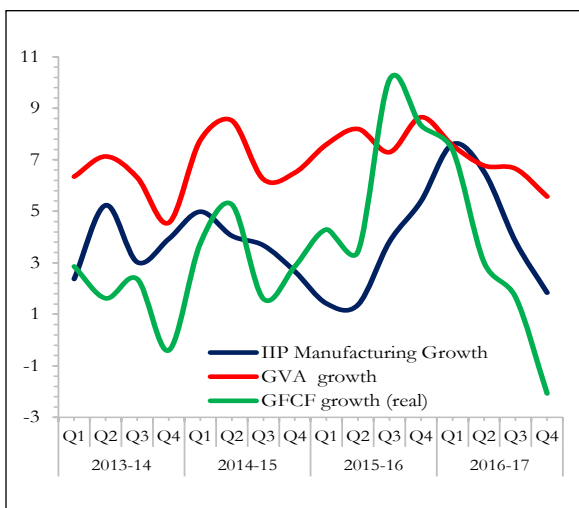
(जीवीए), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), ऋण, कीमतें, क्षमता उपयोग, निवेश-ये सभी 2016-17 के दौरान आर्थिक गतिविधि में अल्पावधिक अवमंदन की ओर संकेत करते हैं (चित्र 9)। लेकिन फिर भी, इस अवधि में विशेष रूप से फरवरी 2017 से, आस्ति मूल्य बढ़े हैं। उदाहरणार्थ, सरकारी प्रतिभूति से होने वाली आय का 7.12 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से घटकर 6.5 प्रतिशत तक हो जाना उच्च बांड मूल्यांकन का सूचक है।

1.45 इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि उसी अवधि में, स्टॉक मूल्यों में रिकार्ड स्तर की वृद्धि हुई है, जब सेन्सेक्स 28,743 अंक से बढ़कर 32,020 तक जा पहुंचा जो 11 प्रतिशत का लाभ बैठता है (चित्र 10), यह अमरीकी डालर मूल्य में 15 प्रतिशत के समतुल्य है।

1.46 इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टॉक बाजार का मूल्य-अर्जन (पी/ई) अनुपात मई, 2017 में 23 के स्तर तक पहुंच गया, तथा अनुमान है कि जुलाई मध्य तक यह लगभग 25 तक पहुंच जाएगा। यह 18 की दीर्घावधिक औसत से काफी ज्यादा है और वर्ष 2007 में प्राप्त किए गए अत्यधिक उछाल के स्तरों से ज्यादा दूर नहीं है। वित्तीय साहित्य से यह स्पष्ट है कि असामान्य उच्च पी/ई स्तर बनाए रखने के लिए मुख्य शर्त यह है कि भावी आर्थिक और विशेषकर लाभ वृद्धि तीव्र हो, और/अथवा निवेशक अन्य कम जोखिम वाली आस्तियों (तथाकथित इक्विटी जोखिम प्रीमियम) की तुलना में स्टॉक धारिता हेतु कम प्रीमियम स्वीकार करने हेतु इच्छुक हों। ऐसा न होने पर, पूरे विश्व में औसत प्रत्यावर्तन की तीव्र प्रवृत्ति व्याप्त है जो भारत के संबंध में 2000 के दशक के मध्य में हुई तेजी के बाद की स्थिति से स्पष्ट होती है (चित्र 10)।

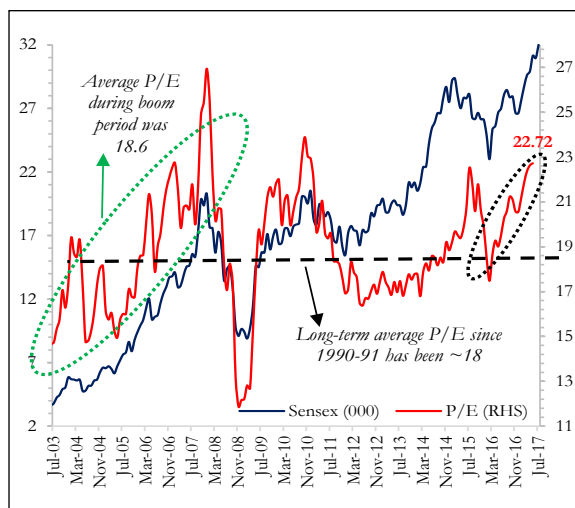
1.47 क्या हालिया गिरावट के कारण लाभ और विकास में आया उछाल अस्थायी सिद्ध होगा अथवा आस्ति मूल्यन, दूसरे शब्दों में, तर्कसंगत विश्वास या उल्लास को ठीक स्तर पर ले आएगी? यह अभी देखा जाना बाकी है। ऐतहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अधिक यथार्थपरक मूल्यन की दिशा में माध्य परिवर्तन हो रहा है, विशेषकर सबसे पहले वैश्विक स्तर पर अत्याधिक नकदी उच्च मूल्यों को प्रेरित कर रही है।

चित्र 9. जीवीए, आईआईपी तथा निर्देश वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: सीएसओ

चित्र 10. सेनसेक्स और मूल्य-अर्जन अनुपात (पी/ई)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और बीएसई

V. कृषि ऋण माफी: बृहत-आर्थिक प्रभाव⁶

1.48 हाल ही में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु द्वारा किसी न किसी रूप में कृषि ऋण माफी की घोषणाएं या वादे किए गए हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसमें सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों की बजाय सभी किसानों को ऋण माफी प्रदान किए जाने की बात कही गई है। यह संभावना है कि यह संक्रमण अन्य राज्यों में भी फैल जाएगा। यह स्थिति वर्ष 2007-08 की पूर्ववर्ती घटना के ठीक विपरीत है जब कृषि ऋण माफी भारत व्यापी आधार पर केन्द्र द्वारा दी गई थी।

1.49 कृषि ऋण माफी के समर्थक इस माफी को उन किसानों की मदद करने का माध्यम समझते हैं जो कृषि क्षेत्र पर हो रहे लगातार आघातों से ग्रस्त रहे हैं, दो वर्ष तक अपर्याप्त वर्षा जिसके बाद की कीमतों में बड़ी गिरावट का एक और वर्ष रहा। अन्य के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह इंगित किया है कि इन ऋण माफियों का ऋण अदायगी की संस्कृति पर दीर्घावधिक प्रभाव पड़ेगा और ये नैतिक दृष्टि से भी घातक होंगी: यह ऋण माफी उन लोगों का पक्ष लेती है जिन्होंने उधार लिया है न कि उनका जिन्होंने मितव्ययिता बरती है; यह उनका पक्ष लेती है जिन्होंने उधार लिया है न कि उनका जिन्होंने अपने ऋण चुका

दिए हैं; और यह ऋण माफी उनका भी पक्ष लेती है जिन्होंने औपचारिक स्रोतों से उधार लिए हैं बजाय उनका जिन्होंने अनौपचारिक स्रोतों से अक्सर बहुत अधिक ब्याज दरों पर उधार लिए हैं। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि किसानों की मदद करने के लिए अधिक कार्यदक्ष और लक्षित तरीके भी हैं।

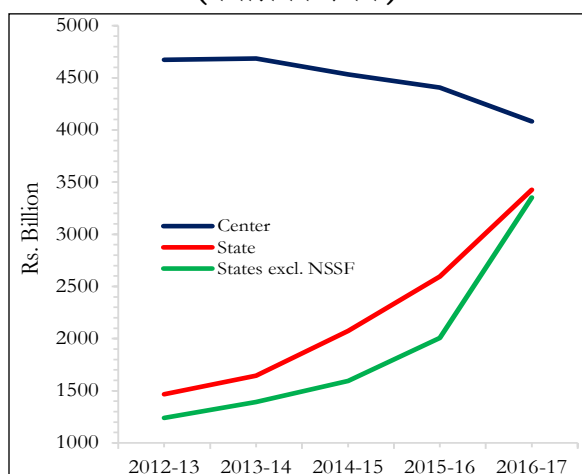
1.50 इस भाग में कृषि ऋण माफी के मापदण्ड संबंधी आयामों का आकलन नहीं किया गया है। बल्कि, इसमें ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी अपने विकास की पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है, के लिए इसके तात्कालिक परिणामों को समझने की दृष्टि से समष्टि आर्थिक विश्लेषण किया गया है। जिस हद तक चक्रीय प्रभाव पर चर्चा की गई है, यह माना गया है कि यह स्फीतिकारी है। परंतु वास्तव में, नीचे किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि अल्पकालिक परिणाम काफी अपस्फीतिकारी होने की संभावना है।

1. ऋण माफी की संभावित मात्रा

1.51 कृषि ऋण माफी की मांगें ऐसे समय में उभरी हैं जब राज्य के वित्त साधन गड़बड़ा रहे हैं। उदय योजना के कारण राज्य अब अधिक बाजार उधार ले रहे हैं (चित्र 11), यह संभावना है कि यह जल्द ही केन्द्र सरकार के उधारों से ज्यादा हो जाएंगे। परिणामस्वरूप, सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में राज्य सरकारों के बांड पर स्प्रेड में पिछले छः महीनों में लगभग 60 आधार बिंदुओं की

⁶ कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी बुनियादी तथ्य परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं।

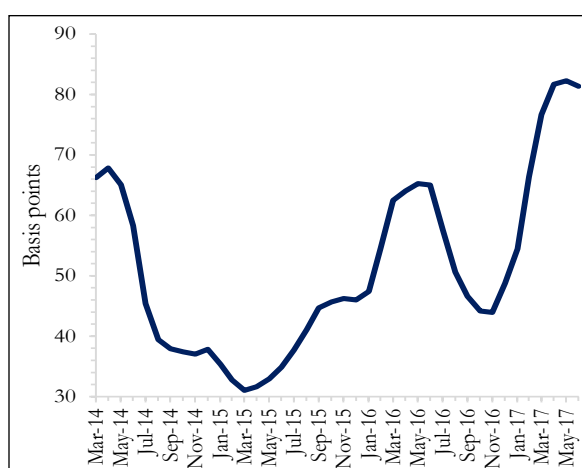
**चित्र 11. निवल बाजार उधार
(बिलियन रुपये)**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, जे०पी० मॉर्गन

टिप्पणी: एनएसएसएफ का तात्पर्य राष्ट्रीय लघु बचत निधि है जो बाजार-भिन्न उधार को दर्शाता है।

**चित्र 12. राज्य विकास ऋण
(एसडीएल)-सरकारी प्रतिभूति स्प्रेड (5-मास
चल औसत, आधार बिन्दु)⁷**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और एचएसबीसी

लगातार वृद्धि हुई है (चित्र 12)। इसके बाद, जे०पी० मॉर्गन द्वारा अनुमानित कॉरपोरेट बांड पर स्प्रेड लगभग 40 आधार बिंदु बढ़ा है, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा किया गया व्यय संभवतः कम हो जाएगा।

1.52 समष्टि-आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाने में ऋण माफी की मात्रा के बारे में पूर्वानुमानों की जरूरत होती

है। माफी योजनाओं को लेकर तीन राज्यों ने विशिष्ट घोषणाएं की हैं: उत्तर प्रदेश ने अभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक लाख रुपये तक की माफी की घोषणा की है; पंजाब में यह सीमा छोटे किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की है परंतु इन किसानों को परिभाषित नहीं किया गया और, कर्नाटक ने माफी की धनराशि 50,000 रुपये तक सीमित की है (महाराष्ट्र की माफी शर्तें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं)। माफी की घोषणा यह स्पष्ट नहीं करती कि क्या धनराशि परिवारों पर अथवा ऋणों पर लागू होंगी: विशेष बात तो यह है कि एक परिवार के पास एक से अधिक ऋण होंगे।

1.53 यह माना गया है कि ये ऋण माफी पारिवारिक स्तर की बजाय ऋण पर लागू होगी, क्योंकि परिवारों के संबंध में ऋणों को जोड़ना प्रशासनिक दृष्टि से कठिन होगा। यह भी माना गया है कि अन्य राज्य उत्तर प्रदेश के मॉडल का अनुसरण करेंगे। इस आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ऋण माफी की ऊपरी सीमा 2.2 और 2.7 लाख करोड़ रुपये (परिशिष्ट 1, सारणी 1) के बीच होगी। ऋण माफी का राज्यवार आकलन बॉक्स 1 में दिया गया है।⁸

2. समष्टि आर्थिक प्रभाव

1.54 अपने नितांत मूल रूप में, कृषि ऋण-माफी देनदारियों को पूरी तरह से निजी क्षेत्र से हटाकर सरकारी क्षेत्र के तुलनपत्रों में स्थानांतरित कर देती हैं। इसके बाद समग्र मांग पर पड़ने वाला प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि किस क्षेत्र में संपदा से खपत करने की प्रवृत्ति है। वस्तुतः संपदा में से उपभोग करने की प्रवृत्ति राज्यों की नहीं है परंतु दोनों के बीच में संबंध है क्योंकि उनका खर्च उनके राजकोषीय दायित्व विधान (एफआरएल) के लक्ष्यों के संदर्भ में उनकी जरूरत द्वारा प्रभावित होता है। यदि वे ज्यादा ऋण लेते हैं, तो उन्हें बहुत से मामलों में अन्य खर्च कम करने (अथवा कर बढ़ाने) की जरूरत होगी। एक बार यदि खर्चों में परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसके दूसरे दौर के प्रभाव होंगे।

1.55 निम्नलिखित विश्लेषण से यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त चर्चा के अनुसार, कृषि ऋण माफी पूरे देश में व्याप्त हो जाएगी। उस मामले में, कुल ऋण

⁷ औसत एसडीएल आय उन सभी राज्यों की आय का मासिक औसत है जिन्होंने उस माह में राज्य पत्र जारी किया है।

⁸ यदि केवल पांच राज्य भी जिन्होंने घोषणा की है, इसे कार्यान्वित कर देते हैं, तो अनुमानित प्रभाव 1-1.25 लाख करोड़ रुपये होगा।

बॉक्स 1. ऋण माफी का राज्यवार राजकोषीय आकलन

कृषि ऋण माफी को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों की राजकोषीय सामर्थ्य क्या है? इसका आकलन करने में माफी की संभावित लागत का अनुमान लगाने, राज्यों की एफआरएल सीमाओं की तुलना में उनकी राजकोषीय सीमा की मात्रा निर्धारण करने तथा इन दोनों की तुलना करने की जरूरत है। नीचे सारणी में किए गए विश्लेषण दर्शाये गये हैं।

राज्यों को राजकोषीय गुंजाइश की सीमा के अनुसार दर्जा दिया जाता है। अधिकतर राज्यों के लिए राजकोषीय सीमा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत है। तथापि, छः राज्यों (ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और बिहार) की सीमाएं उच्च हैं और जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत है क्योंकि उनकी समग्र राजकोषीय स्थितियां मजबूत हैं, जैसाकि चौदहवें वित्त आयोग के मानदंडों द्वारा माना गया है।

वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों के साथ सीमाओं की तुलना करने पर यह पाया गया है कि केवल सात राज्यों की राजकोषीय गुंजाइश जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत से अधिक है। रुपये के संदर्भ में सर्वाधिक गुंजाइश वाले राज्य हैं—महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तुलनात्मक रूप से, झारखंड के पास भी पर्याप्त गुंजाइश है जो जीएसडीपी का 0.7 प्रतिशत है। वे राज्य जिनमें अतिरिक्त घाटा उठाने की क्षमता नहीं है, उनमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल है।

कृषि ऋण माफी के लिए राज्य-विशिष्ट राजकोषीय गुंजाइश

राज्य	चालू जीएसडीपी बाज़ार मूल्य (2017-18)	2017-18 (बजट अनुमान) में उदय के बिना राजकोषीय घाटा	राजकोषीय सीमा चौदहवें वित्त आयोग के बाद	राजकोषीय गुंजाइश	2017-18 (बजट अनुमान) में उदय के बिना राजकोषीय घाटा	राजकोषीय सीमा चौदहवें वित्त आयोग के बाद	राजकोषीय गुंजाइश
	लाख करोड़	हजार करोड़	रूपए में				जीएसडीपी का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	7.7	23.1	23.1	0.0	3.0	3.0	0.0
उत्तर प्रदेश	14.2	42.6	42.6	0.0	3.0	3.0	0.0
राजस्थान	8.3	24.8	24.8	0.0	3.0	3.0	0.0
केरल	7.5	25.8	22.4	0.0	3.4	3.0	-0.4
हिमाचल प्रदेश	1.4	4.9	4.2	0.0	3.5	3.0	-0.5
ओडिशा	4.1	14.4	14.4	0.0	3.5	3.5	0.0
छत्तीसगढ़	2.8	9.7	9.7	0.0	3.5	3.5	0.0
महाराष्ट्र	25.4	38.8	76.2	37.4	1.5	3.0	1.5
पश्चिम बंगाल	10.8	19.4	32.4	13.1	1.8	3.0	1.2
गुजरात	12.8	23.2	38.3	15.1	1.8	3.0	1.2
झारखंड	3.0	6.9	9.1	2.2	2.3	3.0	0.7
हरियाणा	6.2	16.2	18.6	2.4	2.6	3.0	0.4
कर्नाटक	12.8	33.4	44.8	11.5	2.6	3.5	0.9
तमिलनाडु	15.0	42.0	45.1	3.2	2.8	3.0	0.2
उत्तराखंड	2.3	6.6	6.8	0.2	2.9	3.0	0.1
पंजाब	5.0	14.6	15.1	0.5	2.9	3.0	0.1
बिहार	6.3	18.1	22.1	4.0	2.9	3.5	0.6
मध्य प्रदेश	7.4	21.1	25.7	4.7	2.9	3.5	0.6
तेलंगाना	7.6	26.1	26.6	0.5	3.5	3.5	0.0
कुल	160.6	411.6	502.2	94.6	2.6	3.1	0.6

टिप्पणी: राजकोषीय सीमा 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के आधार पर परिकलित की गई है। चालू और पिछले वर्षों में अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश के उपयोग को लागू किए जाने की आवश्यक शर्त शून्य राजस्व घाटा है। इसके बाद, की जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत के बराबर में राजकोषीय गुंजाइश तभी उपलब्ध है, यदि राजस्व प्राप्ति और ब्याज भुगतान का अनुपात 10 प्रतिशत से कम अथवा इसके बराबर हो; और जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत, यदि ऋण और जीडीपी अनुपात जीएसडीपी के 25 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के राजकोषीय घाटे के आंकड़े 2016-17 (ब०अ०) से संबंधित हैं।

माफी 2.7 लाख करोड़ हो सकती है। साथ ही, यह मान लिया गया है कि जैसाकि वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा है कि केन्द्र इन ऋण माफियों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी पर ही ऋण माफी का वित्तपोषण करना होगा।

1.56 ऋण माफी के कुल मांग पर चार प्रभाव होंगे:

- निजी क्षेत्र के निवल धन में वृद्धि के माध्यम से निजी उपभोग प्रभाव
- सरकारी व्यय/करों में बदलाव के कारण सरकारी क्षेत्र प्रभाव
- राज्य सरकारों द्वारा अधिक उधार लिए जाने से निजी क्षेत्र को ऋण बाजार से बाहर कर देने का प्रभाव
- बैंकों की अनर्जक आस्तियों में कमी के कारण उनकी अधिक ऋण प्रदान कर पाने की क्षमता का प्रभाव

1.57 आइए, प्रत्येक प्रभाव पर विचार करें।

1.58 *निजी उपभोग प्रभाव:* ऋण माफी देने से कृषि परिवारों के निवल धन में वृद्धि होगी। धन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, यह अनुमान लगाया गया है कि निवल आय माफ किए गये ऋण की राशि जितनी बढ़ेगी (जबकि वास्तव में तो इस वर्ष की निर्वृत्य आय में सिर्फ माफ किए गए ऋण शोधन जितनी वृद्धि होती है)। कृषि परिवारों पर समस्तरीय आंकड़ों का प्रयोग करके हम उपभोग की (अस्थायी) आय लोच का अनुमान 0.25 आकलित कर पा रहे हैं।⁹ चूंकि ऋण माफी से कुल आय में 28 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है, अतः उपभोग में 7 प्रतिशत अथवा लगभग 55,000 करोड़ रु० की वृद्धि अनुमानित है। यह अनुमानित उपभोग प्रभाव कदाचित् उच्चतर है, क्योंकि विश्व बैंक के 2008-09 के “कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना” पर अध्ययन में यह पाया गया है कि ऋण माफी के पश्चात् उपभोग नहीं बढ़ पाए थे।¹⁰

1.59 *सरकारी क्षेत्र प्रभाव:* यह प्रभाव वित्तीय स्थिति की उस सीमा पर निर्भर करेगा जो राज्य सरकारों को अपनी संबंधित एफआरएल के अंतर्गत उपलब्ध हो। बॉक्स 2 में सरकारी क्षेत्र प्रभाव की विधि का वर्णन किया गया है। प्रमुख सहजबोध यह है कि ऋण माफी में वे खर्च शामिल होते हैं जोकि सकल मांग में नहीं जुड़ पाते (क्योंकि ये राज्यों के तुलन पत्र को देनदारियों का अन्तरण होते हैं) परंतु एफआरएल लक्ष्यों को पाने के लिए की गई कार्रवाई (अधिक कर और/अथवा कम व्यय) मांग को कम करेगी। यह अनुमानित है कि अच्छी राजकोषीय गुंजाइश वाले राज्यों के लिए ऋण माफी अतिरिक्त ब्याज लागत के माध्यम से लगभग 6,350 करोड़ रु० की राशियां मांग में जोड़ देगी। उन राज्यों के लिए जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हैं, ऋण माफी मांग में लगभग 1.9 लाख करोड़ रु० की कमी कर सकती है। राज्यवार दोनों प्रभावों का समंजन कर प्राप्त निवल प्रभाव कुल मांग में 1.9 लाख करोड़ रु० के लगभग कमी कर सकते हैं।

1.60 अब दूसरे चरण के प्रभाव पर ध्यान दें:

1.61 निजी क्षेत्र को साख बाजार से बाहर धकेलने का प्रभाव: राजकोषीय सीमा वाले राज्यों द्वारा ऋण माफी का परिणाम उच्च उधारी में होगा। यह फर्मों को अपने निजी खर्चों को घटाने को विवश कर सकता है। जे०पी० मॉर्गन का विश्लेषण बताता है कि कारपोरेट बांड पर फैलाव लगभग 40 आधार बिन्दु बढ़ गया है।

1.62 अधिक साख सुलभ होने का प्रभाव: गैर-निष्पादक कृषि ऋण तुलन पत्रों से हटने से बैंकों के तुलन पत्र इस सीमा तक सुधर जाएंगे कि वे निजी क्षेत्र को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे जिससे फर्मों के खर्च में बड़ी वृद्धि होगी। विश्व बैंक के अध्ययन में यह पाया गया कि 2008-09 ऋण माफी करने वाले राज्यों में उधार लेने में वृद्धि हुई थी, हालांकि जिन जिलों में छूट की योजना का खूब प्रचार किया गया उन जिलों में ऐसी बात नहीं देखी गयी।

1.63 यह अनुमानित है कि ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को लगभग निरसित कर देंगे।

⁹ यह कम संख्या मालूम पड़ती है क्योंकि उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति आमतौर पर उच्च है। परंतु व्यावहारिक अर्थशास्त्र बताता है कि आय में वास्तविक वृद्धि पर प्रतिक्रिया छोड़े गए व्ययों पर आधारित अनुमानित वृद्धि से बहुत भिन्न होती है।

¹⁰ Giné, X and M. Kanz, 2014, “The Economic Effects of a Borrower Bailout Evidence from an Emerging Market,” World Bank Policy Research Paper, WPS7109.

बॉक्स 2. ऋण माफी का समष्टि अर्थशास्त्रीय लेखांकन

ऋण माफी के दो ध्रुवीय मामलों पर विचार करें जहां राज्यों की राजकोषीय स्थिति ठीक नहीं है और जहां राजकोषीय स्थिति कुछ ठीक है। दोनों मामलों में:

$$FD=E-R$$

(1)

जहां एफडी राजकोषीय घाटा है, ऋ और ऋ क्रमशः इसके कुल व्यय तथा ऋण-भिन राजस्व हैं। मान लीजिए कि राज्य ऋ की सीमा तक ऋण माफी प्रदान करते हैं।

$$\text{अब } FD = E-R + LW$$

(2)

यदि ऋण माफी वाले राज्य पहले से ही अपनी घाटों की सीमा पर हों तब अपरिवर्तित FD के लिए उच्च LW को समायोजित करने के लिए समीकरण 2 में E को कम करने (व्यय कम करके) अथवा (कर बढ़ाकर) R को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

मुख्य बात यही है जबकि मापा हुआ वित्तीय घाटा परिवर्तित न हो सके तो कुल मांग में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में LW सिर्फ आस्तियों का एक लेनदेन है (समष्टि-लेखांकन शब्दावली में “लाइन से नीचे”) जिसमें राज्य बैंकों को प्रभावपूर्ण तरीके से किसानों की तरफ से भुगतान करता है। उसी समय, R में वृद्धि अथवा E में कमी एफआरएल लक्ष्य के कारण आवश्यक है, जिसका वास्तविक समष्टि स्तरीय प्रभाव होगा, जो कुल मांग को कम करेगा। अतः इस मामले में ऋण माफी प्रदान करना कुल सरकारी क्षेत्र की मांग में संभवतः बड़ी राशि की कमी करेगा।

अब दूसरे मामले में, यदि राज्यों की स्थिति ऋण माफी से पहले अच्छी हो तो तब LW में वृद्धि से R अथवा E में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु यहां भी अधिक ऋण लेने के कारण अतिरिक्त ब्याज लागत का भार बजट पर पड़ेगा। अतः इस स्थिति में समष्टि प्रभाव गौण रह जाएगा। इसमें LW की वृद्धि तो प्रभावहीन रहती है, किन्तु अतिरिक्त ऋण के कारण अतिरिक्त ब्याज लागत का भार तो उठाना ही पड़ेगा।

1.64 कुल प्रभाव: इन प्रभावों को जोड़कर सकल मांग में 1.1 लाख करोड़ रु० की कमी की आशंका है।¹¹ दूसरे शब्दों में, ऋण माफी जीडीपी के 0.7 प्रतिशत जितनी समग्र मांग को कम कर सकती है जो अभी तक पूरी गति नहीं पकड़ पाई जो अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण अपस्फीतिकारी झटका दे सकता है। किन्तु ध्यान रहे, यह एक उच्च अनुमान है। वास्तविक प्रभाव राज्यों की उस संख्या पर निर्भर करेगा जो वास्तव में छूट प्रदान करने का निर्णय लेते हैं और वे इसे समय के अनुसार कैसे वितरित करते हैं।

VI. प्रचुरता के समय में कृषि संबंधी तनाव?

1.65 ऋण माफी के लिए अचानक मांग की क्या वजह है? क्या यह संभव है कि कृषक तनाव वस्तुतः तब बढ़ा है जब इस वर्ष मौसमी परिस्थितियां तो बहुत ही अच्छी रही हैं? आखिरकार, आय तथा मौसमी दशाएं सामान्यतः अधिक सहसंबंधित होती हैं। जब 2006-12 के दौरान मौसम सही था और अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ रही थी, तब कृषि की आय भी तेजी से बढ़ी। फिर जब वर्षा बहुत कम हुई तो परिणामस्वरूप फसलें कम हुईं और कठिनाई

बढ़ी। लेकिन पिछले दो वर्षों में पर्याप्त वर्षा तथा अच्छी फसल हुई है, तो हैरानी इस बात की है कि प्रचुरता के इस समय में तनाव क्यों उत्पन्न हो रहा है।

1.66 कृषि तनाव को तटस्थ भाव से आंकना कठिन है। कई राज्यों में बेचैनी और ऋण राहत के लिए मांगों का अविर्भाव आसानी से देखा जा सकता है। परंतु इनके राजनीतिक और आर्थिक उद्गमों को सुलझाना कठिन है। उदाहरण के लिए, ऋण माफी के लिए व्यापक मांग उत्तर प्रदेश की ऋण माफी के प्रदर्शन प्रभाव को अधिक प्रतिबिम्बित कर रही है।

1.67 फिर भी, इस तनाव के लिए कम कीमतों तथा कम कृषि आय किसी सीमा तक आंशिक कारण मालूम होते हैं।¹²

1.68 इस स्थिति का आकलन करने के लिए, कृषि मंत्रालय के एगमार्कनेट डेटाबेस का उपयोग किया गया। इसमें कृषि उत्पादों की प्रमुख मंडियों में आवक तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कीमत के दैनिक आंकड़े होते हैं। बहुत सी वस्तुएं, जैसे गेहूं, अरहर, मूंग, टमाटर, आलू और प्याज के लिए कीमत, मात्रा, आय के लिए

¹¹ राज्य जिन्होंने ऋण माफी की पहले ही घोषणा की है, उनके लिए यह प्रभाव लगभग 57,900 करोड़ रु० अनुमानित है।

¹² लागतों पर विस्तृत आंकड़ों के अभाव में कृषि आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता; इसके बजाय मात्रा और कीमत के गुणनफल द्वारा कृषि आय को मापा जा रहा है।

अनुमान प्रदान किये जाते हैं और जहां प्रासंगिक हो (गेहूं और दालों), फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर बेची गई फसल का प्रतिशत भी मुहैया कराया जाता है। डाटाबेस में अलग-अलग राज्यों की सूचना के साथ अखिल भारतीय आधार पर सूचना भी होती है। सभी गणनाएं कृषि वर्ष (जुलाई-जून)¹³ के लिए हैं।

1.69 कुछ वृहत् पैटर्न उभर रहे हैं। आर्थिक तनाव-जैसा वास्तविक आय द्वारा मापा गया ग्रामीण (सीपीआई) द्वारा अपस्फीत कीमत और बाजार में आने वाली मात्रा के गुणनफल द्वारा मापित आर्थिक तनाव तो एक व्यापक प्रक्रिया नहीं है।¹⁴ उदाहरण के लिए, यह गेहूं और चना को प्रभावित नहीं कर रही, जहां बाजार मात्रा और कीमतें बढ़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय में वृद्धि हुई है।

1.70 परंतु दाल और आलू जैसी कुछ सब्जियों (चित्र-13) में वास्तविक कृषि आय में गिरावट होती प्रतीत होती है। जून 2017 में समाप्त हो रहे कृषि वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा वास्तविक आय में मूंग के मामले में अधिकतम (30 प्रतिशत) तथा आलू के मामले में सबसे कम (4 प्रतिशत) के साथ अरहर और मूंग के लिए क्रमशः लगभग 10 और 28 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। तथापि प्याज और टमाटर की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी शुरू हो गई है।

1.71 कुछ रुचिकर प्रादेशिक भिन्नताएं भी रही हैं। उत्तर प्रदेश ने गेहूं और आलू सहित अधिकतर फसलों में समुचित रूप से अच्छा काम किया है। गेहूं के मामले में, गेहूं की खरीद में काफी वृद्धि हुई थी जो एमएसपी से नीचे कीमत पर बिक्री की मात्रा में हुई गिरावट के रूप में प्रतिबिंबित हुई। इसकी तुलना में, मध्य प्रदेश में जिसमें हाल ही में गेहूं पर विशेष आग्रह रहा है, एमएसपी से नीचे की कीमत पर बिक्री की मात्रा में वृद्धि देखी गई। दालों में पिछले वर्ष की तुलना में कीमतों में बड़ी कमी देखी गई, विशेषकर मूंग में, यद्यपि कुछ राज्यों (मूंग में

राजस्थान और अरहर में कर्नाटक और मध्य प्रदेश) में तेजी से कीमतें गिरी हैं।

1.72 स्पष्ट रूप से, आपूर्ति में वृद्धि के कारण कीमतों में बड़ी गिरावट हुई। पहली यह है कि इसने कीमतों को इतना अधिक क्यों कम कर दिया कि इससे कृषि आगम पर इतना बुरा असर पड़ा है। आखिरकार वर्ष 2014 में, अरहर, आलू तथा प्याज सहित अधिकतर फसलों में, बिना आगम गिरावट के भी, उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। यह वर्ष भी कीमत में हुई गिरावट की सीमा में असामान्य प्रतीत हो रहा मालूम होता है।

1.73 इसकी दो संभावित व्याख्याएं दिखाई पड़ती हैं: पहली, किसानों के लिए बिक्री केन्द्र थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर लगाई गई भंडारण सीमा के कारण कम हो गए और निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए जबकि कुछ जिलों के संबंध में आयातों में उदारता बरती गई। साक्ष्य संकेत एक ओर चने और दूसरी ओर अरहर तथा मूंग के अनुभवों की परस्पर तुलना करने पर मिलते हैं। चने पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के चलते किसानों को प्राप्त बाजार कीमतों को बढ़ाने में मदद मिली। दूसरा, पिछले वर्ष की तुलना में कमजोर मांग कीमतों पर दबाव डाल सकी थी।

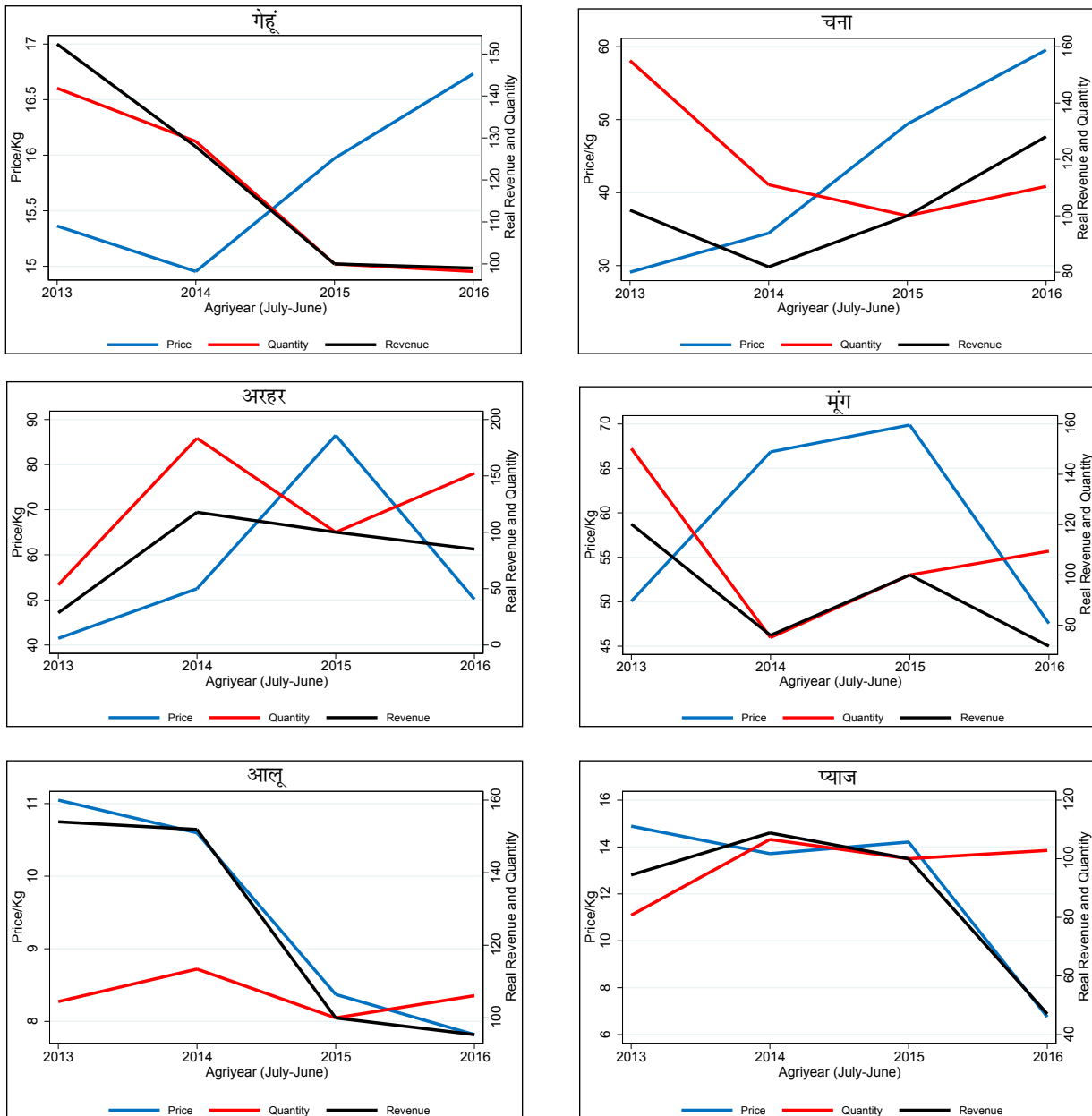
1.74 कुछ प्रेक्षकों की उम्मीदों के विपरीत, विमुद्रीकरण ने रबी फसल की आपूर्ति में कमी नहीं की। नकदी की कमी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुस्पष्ट देखी गई तथा वे ऋण की कमी के चलते और बढ़े जब, ऋण वृद्धि सितंबर के 16 प्रतिशत से धीमी होती इस वर्ष की पहली तिमाही और मई के अंत तक 8-9 प्रतिशत तक हो गई। (चित्र 14 में काली रेखा)।

1.75 नकद और ऋण की इस कमी के कारण कृषित क्षेत्रफल और उर्वरक का उपयोग कम हो सकता था। तब भी, पिछले वर्ष रबी रोपण-जो कि विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान हुआ था तथा उत्पादन सही सलामत

¹³ आवक पर आंकड़ों में समस्त उत्पादन पर ध्यान नहीं रखा गया है। एगमार्क विनियमित बाजार का 48.7 प्रतिशत तथा अविनियमित बाजार को कवर करता है। तथापि, राज्य और अखिल भारतीय स्तर दोनों पर कवरेज प्रातनिधिक है। हमारा अनुमान समय-समय पर राज्यों को सामान्य प्रतिदर्श पर आधारित है।

¹⁴ यदि यहां कोई धन संबंधी भ्रान्ति है तो निगरानी करने के लिए मौद्रिक आय सही पैमाना होगा। चूंकि ग्रामीण सीपीआई मुद्रास्फीति 2015-16 की तुलना में 2016-17 से कम थी, वास्तविक आगमों में गिरावट मौद्रिक आगम में बड़ी गिरावट का संकेत करेगी।

चित्र 13. चयनित कृषि वस्तुएं: वास्तविक आय, मात्रा और कीमतें



स्रोत: एगमार्क नेट और समीक्षा अनुमान

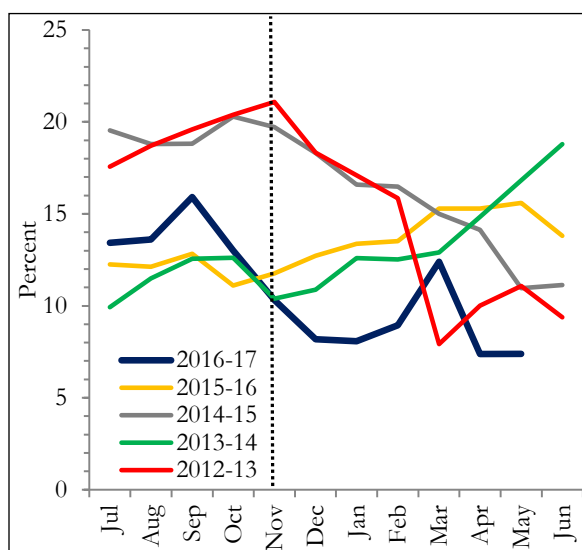
टिप्पणी: कृषि वर्ष 2016 का अर्थ है 2016-17 और अन्य वर्षों के संबंध में भी इसी तरह है। कीमतें भारत औसत हैं। वास्तविक आगम तथा मात्रा कृषि आधार वर्ष 2015-16=100 के साथ सूचीबद्ध है।

रहा था (बोये गये क्षेत्र में 5.7% तथा उत्पादन में 7% की वृद्धि)।

1.76 अंततः, यहां कुछ व्यवहारवादी घटक भी हो सकते हैं। पिछले वर्ष दालों के रोपण में वृद्धि उच्च बाजार कीमतों के साथ-साथ सरकार द्वारा अधिक खरीदी तथा एमएसपी में बड़ी वृद्धि के वादे, दोनों की प्रतिक्रिया

थी। परंतु विपणन के समय कीमतें उन पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी कम रही। खरीदी में रिकार्ड वृद्धि के बावजूद (खरीफ दालों की खरीद 2015-16 में नगण्य स्तर से 2016-17 पर बढ़कर 1.5 मिलियन टन हो गई), कुछ दालों की काफी बिक्री न्यूनतम समर्थन कीमत से कम पर हुई। इस तरह, कृषि तनाव इसलिए

**चित्र 14. ऋण वृद्धि (%)—कृषि
(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक तथा समीक्षा परिकलन

रहा होगा क्योंकि प्राप्त कीमतें पिछले वर्ष की अपेक्षा कम तथा अधिकांशतः एमएसपी कीमतों की अपेक्षा भी कम रही थी।

VII. विमुद्रीकरण के दीर्घावधिक लाभ और अल्पावधिक दुष्प्रभाव: अद्यतन स्थिति

1.77 2016-17 की आर्थिक समीक्षा खंड-I में विमुद्रीकरण के संभाव्य परिणामों पर चर्चा की गई थी जो अधिकांशतः सैद्धांतिक थी, क्योंकि उस समय तक उपलब्ध आंकड़े सीमित थे। इसके छह महीने बाद, इस चर्चा में जोड़ने के लिए और अधिक आंकड़े उपलब्ध हैं। यह चर्चा कुछ संकेतकों के आस-पास घूमती है जोकि खंड I में रेखांकित किए गए थे।

1 नकद और डिजिटलीकरण

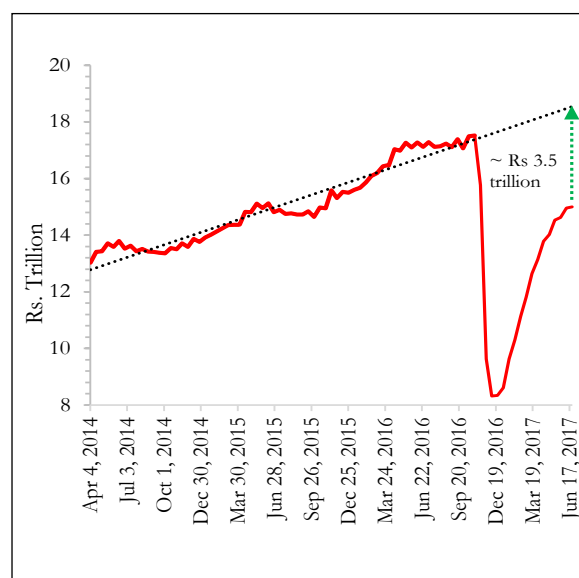
1.78 नकद के उपयोग में कमी तथा डिजिटल माध्यमों से भुगतान के उपयोग में वृद्धि विमुद्रीकरण के मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद प्रगति क्या रही?

1.79 जैसा कि आर्थिक समीक्षा 2016-17 खंड-I में दर्शाया गया है, भारत तुलनीय देशों की अपेक्षा नकद पर बहुत अधिक निर्भर था जो लगभग 12 प्रतिशत उच्च नकद-जीडीपी अनुपात प्रदर्शित करता था तथा समय-समय पर नकद जीडीपी अनुपात बढ़ रहा था

(चित्र 2 और चित्र 3, आर्थिक समीक्षा 2016-17 खंड I के अध्याय 3 में)। विमुद्रीकरण के लागू होने के बाद से नौ महीने हो रहे हैं। यह मानते हुए और यह एक महत्वपूर्ण अनुमान है कि पुनः मुद्रीकरण पूरी तरह से हो गया है और कि अब नकद की आपूर्ति मांग को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है, तब आज के नकद के स्तर की विमुद्रीकरण के पूर्व के नकद स्तर से तुलना की जा सकती है।

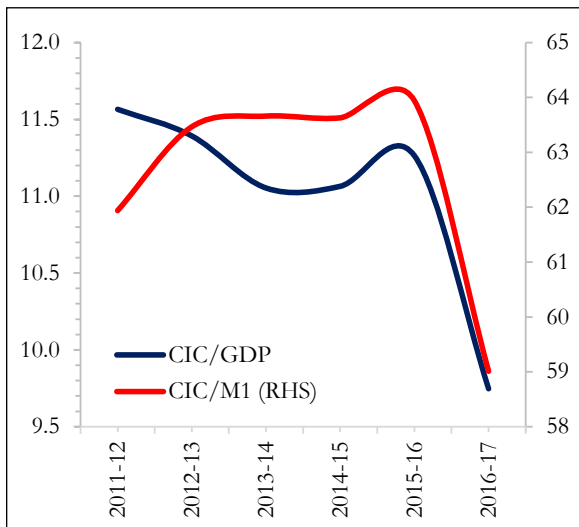
1.80 चित्र 15 में 2014 से नकद के स्तर की रूपरेखा दी गई है तथा प्रवृत्ति रेखा भी दर्शाई गई है और यह भी इंगित किया गया है कि विमुद्रीकरण की अनुपस्थिति में नकद कहां रहा होगा (विमुद्रीकरण के दिन प्रचलित स्तर के साथ आज के स्तर की तुलना करना सटीक नहीं है)। इन स्तरों, और जीडीपी के हिस्से के रूप में तथा धन के संदर्भ में, नकद के प्रयोग में तीव्र और संतुलन संबंधी गिरावट हुई है: जुलाई की स्थिति के अनुसार नकद का स्तर, विमुद्रीकरण से पूर्व के रुझानों से लगभग 3.5 लाख करोड़ रु. (20%) कम है जो खण्ड I में प्रस्तुत परिकलनों के अनुरूप है। नकद रखने में इस कमी को चित्र 16 में दर्शाया गया है, जिसमें नकद को जीडीपी तथा धन के हिस्से (एम1) के रूप में बताया गया है। पूर्वोक्त जीडीपी के 11.3 प्रतिशत के स्तर से लगभग

**चित्र 15. विमुद्रीकरण और नकदी धारिता
(ट्रिलियन रु० में)**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और समीक्षा परिकलन

चित्र 16. जीडीपी और एम1 तथा परिचालन में करेंसी के अनुपात (प्रतिशत)



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक और समीक्षा परिकलन

1.6 प्रतिशत बिन्दु कम होकर 9.7 प्रतिशत तथा उत्तरोक्त 5 प्रतिशत बिन्दु गिर गया।

1.81 निस्सन्देह, एक अंतिम निर्णय तभी सुनाया किया जा सकता है, यदि जीडीपी के सापेक्ष में नकदी के वर्तमान स्तर इस अवधि में बने रहते हैं, लेकिन मालूम होता है कि नकद पर निर्भरता तेजी से गिर रही है। यह गिरावट बताती है कि नकद रखने का बहुत अधिक भाग बचत के लिए उपयोग किया गया जो कि अब बैंकिंग तंत्र में हस्तांतरित हो गया है। इसके अतिरिक्त, विमुद्रीकरण के पश्चात नये प्रवर्तन तथा अनुपालन व्यवस्था तथा बढ़े हुए डिजीटलीकरण ने लेनदेन के लिए नकद के उपयोग को कम किया है।

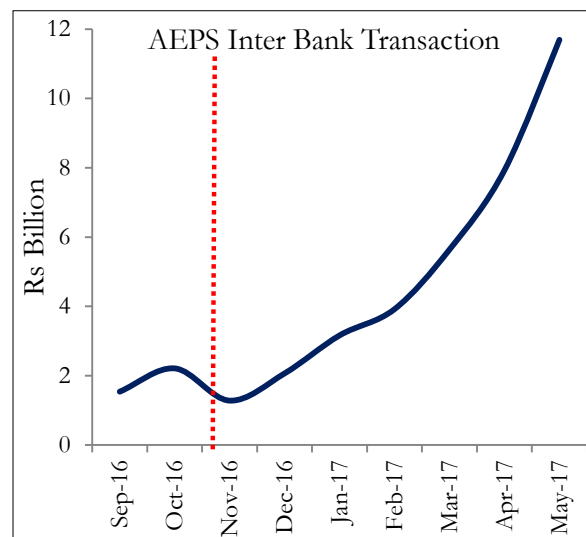
1.82 डिजीटलीकरण के बारे में क्या कहा जा सकता है? डिजीटलीकरण समाज के तीन क्षेत्रों पर वृहत प्रभाव डाल सकता है: गरीब जो कि डिजीटल अर्थव्यवस्था से बाहर हैं; कम समृद्ध जो डिजीटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं और जिनके पास जन धन खाते तथा रुपये कार्ड है तथा अमीर जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पूरी तरह से डिजीटल अर्थव्यवस्था से जुड़ चुके हैं। विभिन्न संकेतक इन वर्गों पर पड़ने वाले

प्रभाव बताते हैं; “डिजीटलीकरण से बाहर” के वर्ग के लिए आधार समर्थित भुगतान तंत्र (ईपीएस): मध्यवर्ती वर्गों के लिए रुपये कार्ड; तथा डिजीटलीकरण से जुड़े हुए लोगों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ये आंकड़े चित्र 17-20 में प्रस्तुत किए गए हैं।

1.83 यह स्पष्ट है कि सभी श्रेणियों में डिजीटलीकरण में काफी वृद्धि हुई है। यहां तक कि कुछ मामलों में विमुद्रीकरण के तुरन्त बाद के उछाल में कमी आने के बावजूद, डिजीटलीकरण का स्तर और इसकी गति विमुद्रीकरण के पहले की तुलना में अभी भी काफी तेज है। यह बात बड़े ग्राहकों वाली श्रेणी के लिए भी सच है जिनके लेनदेनों का चित्र 20 में उल्लेख किया गया है।¹⁵

1.84 आशा थी कि विमुद्रीकरण से भवन सम्पदा में काला धन कम होगा, जो स्थावर सम्पदा की घटी हुई कीमत में परिलक्षित होगा (चित्र 21 जो भारत के सात प्रमुख शहरों में भारित औसत कीमतों को दर्शाता है)। विमुद्रीकरण के पहले भी, मकान मुद्रास्फीति में गिरावट आई थी और विमुद्रीकरण के बाद कीमत में और अधिक गिरावट हुई है। तब से इस गिरावट में उलटफेर हुआ है

चित्र 17. “डिजीटल तंत्र के बाहर रहे” लोगों के लिए ईपीएस डिजीटल लेनदेन (बिलियन रु. में)

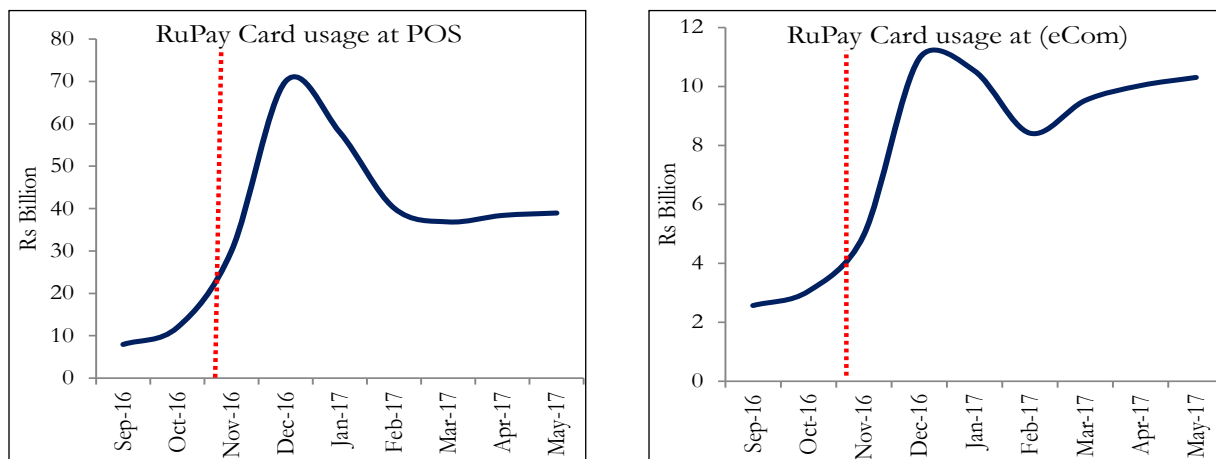


स्रोत: एनपीसीआई

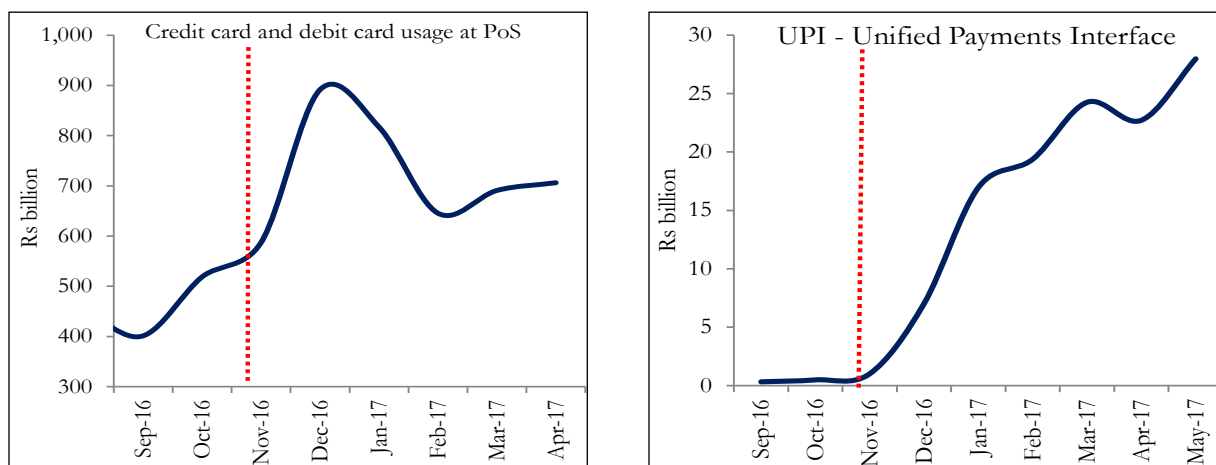
टिप्पणी: ईपीएस-आधार समर्थित भुगतान तंत्र

¹⁵ डिजीटल लेन देन की संख्या पर आधारित आंकड़े (उनके मूल्य के विपरीत) चित्र 17-20 के अनुसार ही छवि दर्शाते हैं।

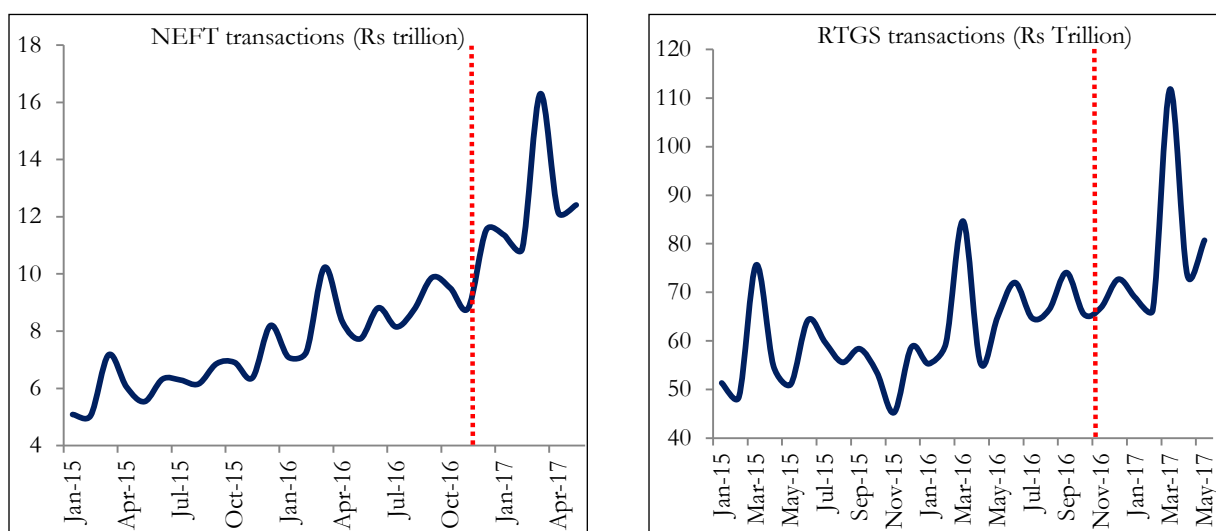
चित्र 18. कम अमीर उपभोक्ता के डिजीटल लेनदेन (बिलियन रु में)



चित्र 19. अमीर उपभोक्ता के डिजीटल लेनदेन (बिलियन रु. में)



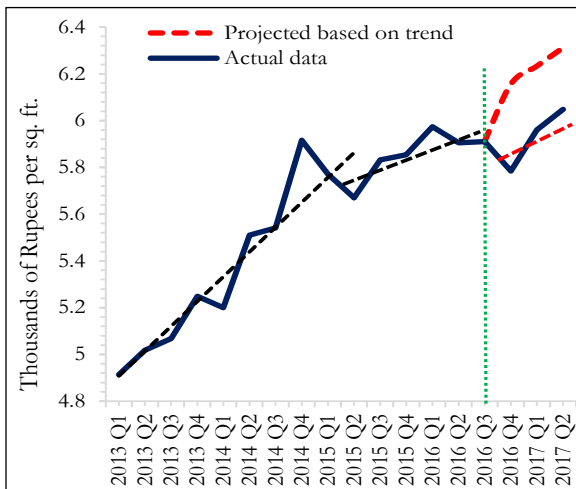
चित्र 20. बड़े उपभोक्ताओं के डिजीटल लेनदेन (ट्रिलियन रु में)



स्रोत: एनपीसीआई

टिप्पणी: एनईएफटी-नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड्स ट्रांसफर, आरटीजीएस-रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, भीम-भारत इंटरफेस फॉर मनी

चित्र 21. प्रमुख भारतीय शहरों में भवन सम्पदा की कीमतें¹⁶ (मौसम के अनुसार समायोजित)



स्रोत: नाइट फ्रेंक

और ऐसा लगता है कि कीमतें दोबारा बढ़ रही हैं। यह देखना बाकी है कि क्या विमुद्रीकरण का आवास बाजार में स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

2. आय कर की अनुपालना

1.85 क्या विमुद्रीकरण का सांकेतिक प्रभाव—नामत: 2017-18 के केन्द्रीय बजट में कर का अनुपालन न करने वालों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी—इसका कर संबंधी अनुपालना पर प्रभाव पड़ा है? कर आंकड़ों के अनुसार नए व्यष्टि कर दाताओं की संख्या 2015-16

की 63.5 लाख से बढ़कर 2016-17 में 80.7 लाख हो गई है। परन्तु इन सभी बढ़ोतरियों का श्रेय विमुद्रीकरण को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नए करदाताओं के बढ़ने में कुछ प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इसकी बजाय, पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई वृद्धि की तुलना में विमुद्रीकरण पश्च अवधि (9 नवंबर, 2016-मार्च 2017) में करदाताओं की संख्या बढ़ने को मापकर इस प्रभाव का अनुमान लगाया गया है।

1.86 जैसाकि सारणी 6 दर्शाती है, विमुद्रीकरण पश्च करदाताओं की संख्या में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक थी (25 प्रतिशत की तुलना में 45 प्रतिशत)। यह लगभग 5.4 लाख अतिरिक्त करदाता या केवल कुछ महीनों में सभी व्यष्टि करदाताओं का 1 प्रतिशत था। सूचित कर-योग्य आय में वृद्धि (नए करदाताओं में से) लगभग ₹10,600 करोड़ थी। अतः विमुद्रीकरण के बाद कराधार वाकई बढ़ा है। तथापि, यह रोचक तथ्य है कि नए करदाताओं में से संसूचित औसत आय ₹2.7 लाख, आरंभिक ₹2.5 लाख कर से बहुत अधिक नहीं था। अतः कर संग्रहण पर तत्काल प्रभाव फीका पड़ गया था। जैसे-जैसे इन करदाताओं की संसूचित आय बढ़ती जाएगी, संग्रहण पर पूरा प्रभाव दिखाई पड़ेगा।

1.87 कुल मिलाकर, समय बीतने के साथ-साथ विमुद्रीकरण से लाभ मिलना जारी रहना चाहिए क्योंकि

सारणी 6. विमुद्रीकरण के बाद अतिरिक्त करदाताओं का अनुमान (9 नवंबर-31 मार्च)

	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2016-17
नए करदाताओं में वृद्धि	25.1	45.3
विमुद्रीकरण के चलते संभावित अतिरिक्त करदाता (पिछले वर्ष की वृद्धि की तुलना में अतिरिक्त के अनुसार परिकलित)		5.4
विवरणी में दर्ज आय में वृद्धि	38.6	54.3
विवरणी में दर्ज आय में संभावित वृद्धि (करोड़)		10,587
औसत करयोग्य आय (लाख)	2.5	2.7

¹⁶ विमुद्रीकरण पूर्व मौसम के अनुसार समायोजित आंकड़ों के लिए प्रयुक्त त्रि घातांकी समायोजन (अर्थात् हॉल्ट-विटर्स) से पूर्वानुमान की प्रवृत्ति ली गई है। आर में 'सीज' पैकेज का उपयोग करते हुए मौसम के अनुसार समायोजन किया जाता है; कीमतों के संबंध में आंकड़े एनसीआर, मुम्बई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद के स्थावर सम्पदा की कीमतों का औसत है, जो प्रत्येक शहर में संपत्ति की बिक्री के मूल्यों द्वारा प्रभासित है।

इसने अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और कराधार बढ़ाने की जो गति बनाई है, वह जारी रहेगी।

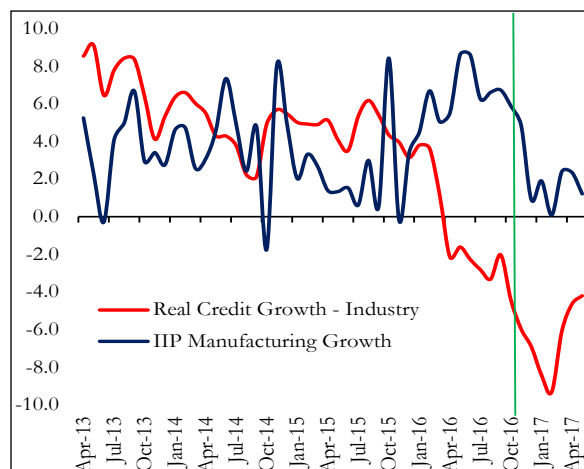
3. जीडीपी

1.88 वास्तविक जीडीपी वृद्धि, वित्तीय वर्ष के दौरान धीमी गति के कारण 2015-16 के 8 प्रतिशत से गिरकर 2016-17 में 7.1 प्रतिशत रह गई। वास्तविक जीडीपी वृद्धि, 2016-17 की पहली छमाही में 7.7 प्रतिशत से घटकर दूसरी छमाही में 6.5 प्रतिशत रह गई। तिमाही आधार पर जीडीपी वृद्धि भी पहली दो तिमाहियों की तुलना में तीसरी और चौथी तिमाही में गिरावट दर्शाती है। इन संकेतकों में देखी गई मंदी विमुद्रीकरण से पहले हुई थी लेकिन विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में और गहन हो गई।

1.89 उच्च बारंबारता वाले संकेतक-उदाहरणार्थ उद्योग की वास्तविक ऋण वृद्धि, आईआईपी विनिर्माण-ऐसा ही पैटर्न दर्शाते हैं। चित्र में यह भी दर्शाया गया है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसा लगता है कि प्रभाव कम हो गया है जैसाकि इन संकेतकों के वापस पटरी पर आने से दिखता है (चित्र 22)।

1.90 परन्तु जीडीपी अनुमानों से विमुद्रीकरण की एक पहली सी उभरती है। हांलाकि वास्तविक वृद्धि नरम हुई, यह गिरावट अनुमान से बहुत कम थी: समग्र रूप से वर्ष के लिए वृद्धि आर्थिक समीक्षा 2016-17 खण्ड-I में अनुमानित 6.5 से 6.75 प्रतिशत के दायरे से बहुत अधिक थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि

चित्र 22. उच्च बारंबारता वाले समष्टि आर्थिक संकेतक



स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

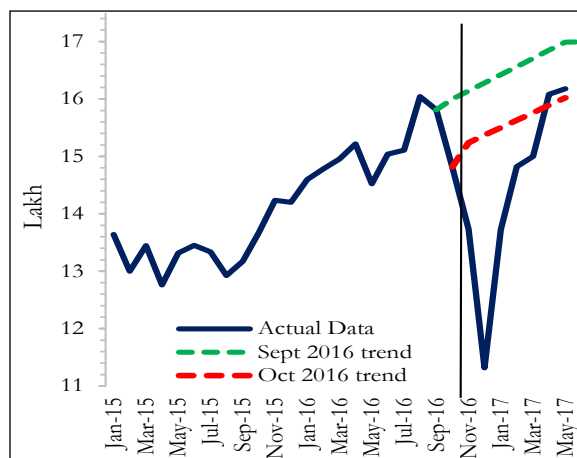
अनुमानित जीडीपी वृद्धि में विमुद्रीकरण के बाद तेजी आई, जैसाकि बॉक्स 3 में स्पष्ट किया गया है।

4. अनौपचारिक क्षेत्रक का प्रभाव: मनरेगा

1.91 आर्थिक समीक्षा खण्ड 1 में यह बताया गया था कि विमुद्रीकरण के प्रभाव अल्पावधिक होंगे। खण्ड 1 में यह भी बताया गया था कि परम्परागत आर्थिक संसूचक-जिसमें आंकड़े औपचारिक क्षेत्रकों के संबंध में लिए जाते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह विमुद्रीकरण से अपेक्षाकृत कहीं अधिक अप्रभावित बना रहेगा - में इन कारकों का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। दो पहिया वाहनों की बिक्री के मामले में अनौपचारिक क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में किए गए एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि विमुद्रीकरण के बाद इनमें तेजी से गिरावट आयी है, किंतु 6 से अधिक महीनों के बाद स्थिति विमुद्रीकरण से लगभग पूर्व की अवस्था पर लौट आई है। (चित्र 23)। वास्तविक बिक्री तथा रुझान रेखाओं के बीच संचयी गिरावट कम समय तक चलने वाले अनौपचारिक प्रभावों का एक अनुमान है।

1.92 अनौपचारिक क्षेत्रक के संबंध में लागत को ज्ञात करने का एक वैकल्पिक तरीका बीमा के लिए मांग से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करना है। नकारात्मक रूप में प्रभावित परिवारों द्वारा बीमा की मांग की जाती है जो परिवार और मित्रों की ओर से अनौपचारिक बीमा या सरकार द्वारा मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी स्कीमों जैसी अधिक औपचारिक सामाजिक बीमा के रूप में होती है।

चित्र 23. घरेलू बाजार में दो पहिया वाहनों की बिक्री के संबंध में आंकड़े (मौसमी आधार पर समायोजित)



स्रोत: भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माताओं के लिए सोसाइटी

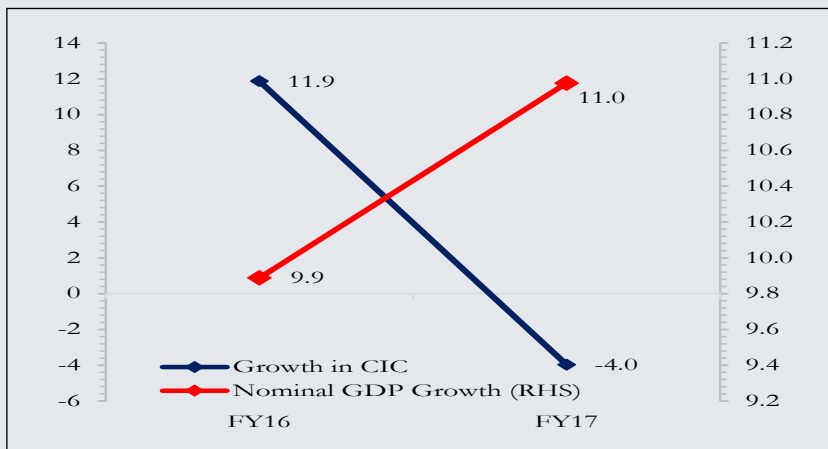
बॉक्स 3. विमुद्रीकरण और अनुमानित जीडीपी पहेली

फरवरी में आर्थिक समीक्षा के खण्ड-I में तर्क दिया गया था कि जीडीपी वृद्धि पर विमुद्रीकरण के अल्पावधिक प्रभाव का आकलन करने में, वास्तविक जीडीपी वृद्धि की बजाय मौद्रिक वृद्धि अधिक बेहतर संकेतक रहेगी: “आखिरकार विमुद्रीकरण अधिकांशतः मौद्रिक मांग झटका है, अतः पहली बार इसका प्रभाव मौद्रिक परिमाण पर होगा।

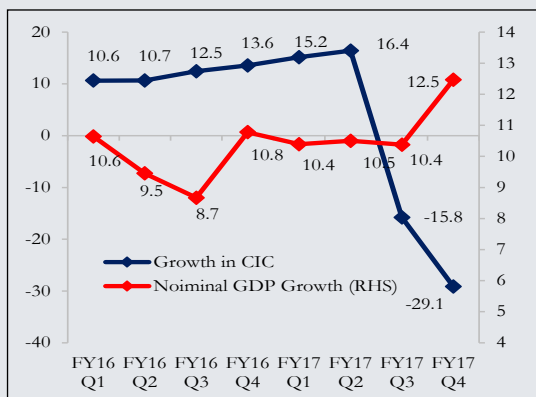
मौद्रिक परिमाण वास्तविक से बिल्कुल अलग छवि प्रस्तुत करते हैं। चाहे तुलना वार्षिक रूप से की जाए या तिमाही आधार पर, आंकड़े दर्शाते हैं कि विमुद्रीकरण के बाद मौद्रिक जीडीपी वृद्धि में तेजी आई है। 2016-17 में वार्षिक मौद्रिक जीडीपी वृद्धि 2015-16 की वृद्धि से लगभग 1.1 प्रतिशतांक अधिक थी; 2016-17 की दूसरी तिमाही में भी यह पहली छमाही की अपेक्षा 1.1 प्रतिशतांक अधिक थी।

यह कितनी बड़ी पहेली है, इसे समझने के लिए समतुल्य मौद्रिक झटके का स्मरण करना उचित होगा: वार्षिक आधार पर नकदी में वृद्धि 12 प्रतिशत से घटकर (-) 4 प्रतिशत रह गई। अतः नकदी वृद्धि में लगभग 16 प्रतिशतांक के परिवर्तन के परिणामस्वरूप मौद्रिक जीडीपी वृद्धि में 1 प्रतिशतांक की बढ़ोतरी हुई है।

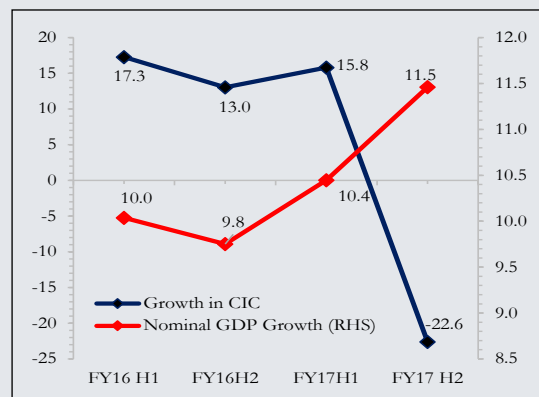
चित्र: वार्षिक सीआईसी एवं मौद्रिक जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)



चित्र: तिमाही सीआईसी एवं मौद्रिक जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)



चित्र: अर्धवार्षिक सीआईसी एवं मौद्रिक जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)



वृद्धि की यह दर पिछले अनुच्छेद में बतायी गई यह बात कि विमुद्रीकरण के कारण कृषि पदार्थों के मूल्यों में कमी आई, को देखते हुए आश्चर्यजनक है। अधिक मौलिक रूप में, यह तथ्य मौद्रिक सिद्धान्त के संदर्भ में भी आश्चर्यजनक है। नकदी की उपलब्धता में वृद्धि की दर 2016-17 की दूसरी छमाही के 16 प्रतिशत से घटकर 2016-17 की पहली छमाही में (-) 23 प्रतिशत हो गई जो 39 प्रतिशत अंक कमी को दर्शाता है। अगर यह भी मान लिया जाए कि कुछ नकदी राशि निष्क्रिय पड़ी हुई थी तो भी धनराशि के परिमाण से संबंधित सिद्धान्त के किसी भी विश्वसनीय लगने वाली बात से यह पूर्वानुमान प्राप्त होगा कि जीडीपी विकास में मामूली गिरावट आई हालांकि इसकी गति में विश्वसनीय प्रतीत होने वाली वृद्धि बतायी गई। इसके बजाए अर्थव्यवस्था में तेजी दिखाई पड़ती है। (परिशिष्ट 2 में इस संबंध में एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार वास्तविक तथा नाममात्रिक परिमाण का आकलन किया जाता है)।

वास्तव में, मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग जिन वर्षों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है उन वर्षों के दौरान प्रायः बढ़ जाती है जो इस बात को इंगित करती है कि यह स्कीम एक प्रकार के सामाजिक बीमा के रूप में उपयोगी है (फेट्जर 2014)¹⁷।

1.93 अतः प्रश्न यह है कि क्या मनरेगा से संबंधित आंकड़े इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि विमुद्रीकरण के कारण सामाजिक बीमा के लिए मांग में वृद्धि हुई है। इसका आकलन करने के लिए, हमने पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक सप्ताह से संबंधित मनरेगा रोजगार के जिलावार आंकड़ों को संकलित किया। ये आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

1.94 क्या 8 नवम्बर से पहले के सप्ताहों की तुलना में 8 नवम्बर के बाद के सप्ताहों में मनरेगा के तहत रोजगार में वृद्धि हुई और क्या यह प्रभाव पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वर्ष 2016 (विमुद्रीकरण का वर्ष) के दौरान अधिक स्पष्ट था। यह आम तौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली एक अनुभव आधारित पद्धति थी जिसे अंतरों में अंतर ज्ञात करने की विधि के नाम से जाना जाता है (बट्टेण्ड और अन्य 2004 परिशिष्ट 4)। इन आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया और उन कारकों को ज्ञात किया गया जिनके कारण इस वर्ष और इसके पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मनरेगा पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ा था। इससे संबंधित ब्यौरे परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं।

1.95 मुख्य निष्कर्ष चित्र 24-27 में दर्शाए गए हैं और ये निष्कर्ष सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित हैं। विमुद्रीकरण की अवधि (नवम्बर, 2016 के आरंभ से लेकर मार्च 2017) के दौरान बीमा के लिए मांग में वृद्धि हुई है, इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये स्थिति विशेषकर कम विकसित राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के संबंध में अधिक मजबूत बनी रही (चित्र 25) जिसके दौरान काम पर रखे गए मानव दिवसों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये परिणाम तुलना के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाए गई समय अवधि तथा साथ ही तुलना के वर्षों के संदर्भ में संवेदनशील हैं।

1.96 यह एक रोचक बात है कि विमुद्रीकरण-मनरेगा के बीच संबंधों के 4 चरण थे: (क) विमुद्रीकरण के

बाद लगभग 4 सप्ताह तक मनरेगा कार्य के लिए मांग में कमी की स्थिति बनी रही; (ख) इसके पश्चात् स्थिति में सुधार आने में 4 सप्ताह का समय लग गया, और उसके बाद (ग) 10 सप्ताह की अवधि जबकि मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई; और अंत में, (घ) मार्च के मध्य के बाद से पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में मनरेगा की मांग के संबंध में कोई अंतराली प्रभाव एक बार पुनः दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

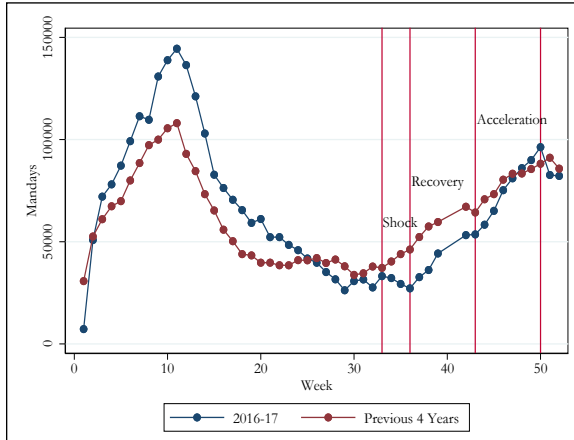
1.97 यह व्यापक पैटर्न विशेषरूप से कम विकसित राज्यों में दिखाई देता है जिनमें तीसरे चरण के दौरान मांग में अधिक उछाल आया, तथा बिहार के संदर्भ में मनरेगा के अंतर्गत मांग में विशेष तौर पर अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता (चित्र 27)।

1.98 इस संदर्भ में दो पैटर्न विशेषकर ध्यातव्य हैं। उत्तर प्रदेश में विमुद्रीकरण के कारण पड़ने वाला कोई भी प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से दिखाई नहीं देता जो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के आरंभ में पिछले वर्षों की तुलना में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार में आई तेज वृद्धि से संबंधित है (चित्र 27)। यह भिन्नात्मक पैटर्न अन्य किसी राज्य में स्पष्ट दिखाई नहीं देता (चित्र 24, 25 और 26)। इस संबंध में एक स्पष्टीकरण यह है कि यदि लोगों ने वर्ष के आरंभिक हिस्से में मनरेगा से प्राप्त होने वाले अधिकतम भत्तों को प्राप्त कर लिया तो यह एक सहज बात है कि वर्ष के परवर्ती हिस्से में, जो विमुद्रीकरण की भी अवधि है मनरेगा के तहत रोजगार की कम उपलब्धता होगी। उत्तर प्रदेश संभवतः परवर्ती/पूर्ववर्ती विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त राज्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति और मांग दोनों पूर्ववर्ती अवधि सभी वर्षों में प्रायः एक समान होती है, यह बात उत्तर प्रदेश के संबंध में लागू नहीं होती।

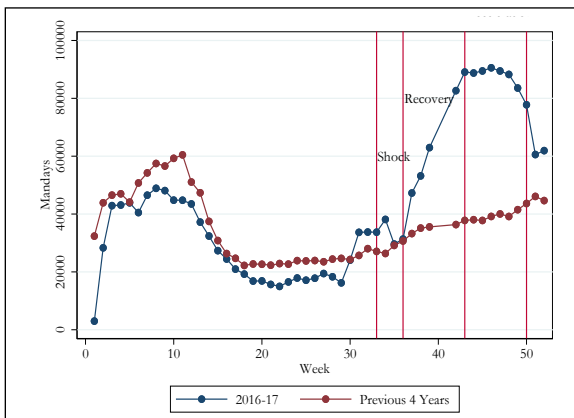
1.99 दूसरी बात, विमुद्रीकरण के बाद के पहले 4 सप्ताहों में मांग में कमी का पैटर्न हैरान कर देने वाला है। इस संबंध में एक स्पष्टीकरण यह है कि विमुद्रीकरण के कारण मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में वृद्धि हुई है किन्तु आरंभ में मनरेगा के तहत काम सृजित करने में स्थानीय सरकार की क्षमता से संबंधित बाधाओं के

¹⁷ फेट्जर, टी.(2014), “सोशल इन्स्युरेंस एंड कन्फ्लिक्ट: एविडेन्स फ्रॉम इंडिया, वेबसाइट: www.trfjetzer.com/wp-content/uploads/JMP.pdf पर उपलब्ध

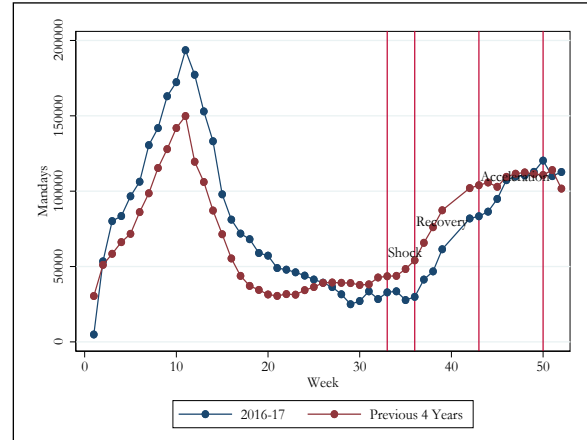
चित्र 24. अखिल भारत



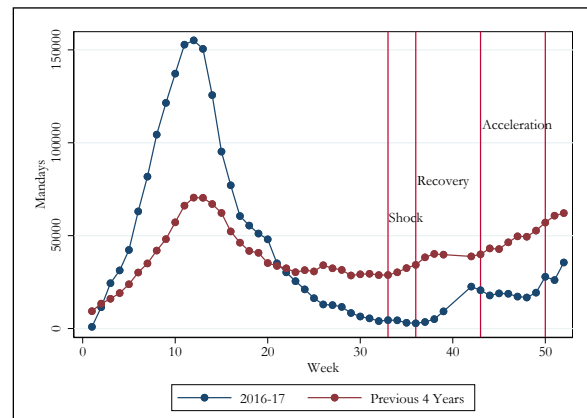
चित्र 26. बिहार



चित्र 25. कम विकसित राज्य



चित्र 27. उत्तर प्रदेश



स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा सर्वेक्षण परिकलन

कारण असंतुलित हो गई। इसके दृष्टिगत, विमुद्रीकरण के कारण बीमा हेतु आपूर्ति और मांग दोनों में कमी आई तथा पहले कुछ सप्ताहों में उपलब्धता में कमी के कारण मांग में वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बाद में नकदी का प्रवाह आरंभ होने और वित्तीय बाधाएं समाप्त हो जाने पर बीमा हेतु मांग को आंकड़े में स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है।

1.100 वैकल्पिक रूप में, यह संभव है कि 2016-17 में बेहतर कृषि उत्पादन, जो विमुद्रीकरण के बाद शस्य प्रापण के 4 सप्ताहों के दौरान विशेषरूप से प्रदर्शित हुआ, के कारण विमुद्रीकरण के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को संतुलित करने में सफलता प्राप्त हुई।

1.101 कुल मिलाकर तीन प्रायोगिक परिणाम इस संबंध में सुझाव देते हैं। पहला, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के प्रभाव के कारण सामाजिक बीमा हेतु मांग में वृद्धि हुई जो विशेषकर कम विकसित राज्यों के संबंध में ज्ञात हुई किन्तु आश्चर्यजनक रूप से उत्तर

प्रदेश इसका अपवाद रहा। दूसरा, यह प्रभाव दिसम्बर और मार्च के बीच की अवधि के दौरान उच्च स्तर पर बना रहा और इसके बाद यह समाप्त हो गया जो चित्र 24 में दर्शाए गए अनुसार दो पहिया वाहनों की बिक्री के संबंध में प्राप्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है, और अंतिम, मनरेगा आवश्यकता के समय के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र होने के रूप में अपनी उल्लिखित भूमिका को पूरा करने में सफल प्रतीत होता है।

1.102 इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि परिणाम निर्णायक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, परवर्ती-पूर्ववर्ती अवधि के बीच की स्थिति में अंतर की माप करने के लिए विमुद्रीकरण से पहले की जितनी अधिक अवधि को प्रयोग में लाया जाएगा उतने ही क्षीण परिणाम प्राप्त होंगे। विमुद्रीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र पर इसके प्रभाव के बीच सभी विपुल एवं जटिल परस्पर संबंधित कारणों के समाधान के लिए और अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

5. क्या मौजूदा विकास के रुझान को बनाए रखा जा सकता है?

1.103 गत 2 वर्षों के दौरान जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की दर 7.5 प्रतिशत रही है। किन्तु यह वृद्धि कम निवेश, निर्यात की मात्रा तथा ऋण वृद्धि की स्थिति में प्राप्त की जा सकी है। निरंतर विकास की गति में इस कमी की स्थिति और इसे प्रेरित करने वाले अपेक्षाकृत अंतर्निहित दुर्बल कारकों के कारण एक प्रश्न उठता है और साथ ही एक पहली भी खड़ी होती है। इस समस्या पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न देशों की स्थिति का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और यह देखा गया है कि क्या गत 25 वर्षों के दौरान अन्य उभरते हुए बाजार वाले देशों में ऐसी ही स्थिति रही है (अर्थात् आनुक्रमिक 2 वर्षों की अवधियों जबकि भारत में विकास की दर कारकों के ऐसे संयोजन से प्राप्त की गई हो अर्थात् 2015-16 और 2016-17 के दौरान वास्तविक निवेश, निर्यात की मात्रा और ऋण में हुई वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्तर)। यह अध्ययन आंकड़ों की उपलब्धता को देखते हुए गत 25 वर्षों के संबंध में किया गया है।

1.104 पहला, गत 2 वर्षों (2015-16 और 2016-17) के दौरान वास्तविक निवेश (सकल स्थिर पूंजी निर्माण), निर्यात की मात्रा और ऋण की मात्रा के संबंध में भारत की स्थिति की पहचान की गई है।¹⁸ इस अवधि के दौरान निवेश में 4.5 प्रतिशत (वास्तविक) वृद्धि हुई, निर्यात की मात्रा में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ऋण-जीडीपी अनुपात में 2 प्रतिशत अंकों की कमी आई (सभी वार्षिक औसत)। उसके पश्चात लगभग 23 अन्य तुलनीय देशों (इनकी सूची परिशिष्ट 5 में दी गई है) के एक प्रतिदर्श पर विचार किया गया था ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि कितनी बार निवेश, निर्यात की मात्रा और ऋण की मात्रा के इस संयोजन में कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। परिणाम सारणी 7 में दिए गए हैं।

1.105 चूंकि इस संबंध में तीन मानदण्डों को प्रयोग में लाया गया है अतः सात संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं: तीन ऐसे मामले जिनमें किसी भी एक मानदंड को प्रयोग में लाया गया हो, तीन ऐसे मामले जिनमें किन्हीं दो मानदंडों के संयोजनों को प्रयोग में लाया गया हो, तथा एक मामला ऐसा जिसमें तीनों मानदंड प्रयोग में लाए गए हों। सारणी से पता चलता है कि पिछले 25 वर्षों के दौरान ऐसा कभी

नहीं हुआ जबकि मौजूदा भारतीय संयोजन के अनुरूप निवेश, निर्यात और ऋण के मामले में 7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई हो। वास्तव में, ऐसा भी कोई मामला नहीं ज्ञात हुआ जहां तीन में दो मानदण्डों को प्रयोग में लाया गया हो। केवल अत्यधिक कम मामलों में, 7 प्रतिशत के संगत वृद्धि प्रदर्शित हुई है वह भी जबकि तीन में से केवल एक मानदण्ड पूरा किया गया हो।

1.106 अगला प्रश्न यह है कि निवेश, निर्यात की मात्रा और ऋण के संबंध में भारतीय संयोजन 5 प्रतिशत वृद्धि के दुर्बल विकास निष्पादन से संबंधित है (सारणी 7)। एक बार फिर उत्तर 'कभी नहीं' में है। वास्तव में, 5 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी वृद्धि तीन में दो मानदण्डों के संगत रही है जिसे केवल चार प्रतिशत बार ही पूरा किया गया है।

1.107 अतः गत दो वर्षों के दौरान भारतीय स्थिति वास्तव में आपवादिक स्वरूप की रही है। इस संबंध में अन्य प्रकार से यह कहा जा सकता है कि 7 प्रतिशत प्रतिदर्श में औसत निवेश और निर्यात मात्रा में वृद्धि क्रमशः 13.8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत हुई है जो भारत की स्थिति की तुलना में काफी अधिक है। एक कठोर लेखांकन परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि भारत की इस आपवादिक स्थिति की व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं है। परिभाषा की दृष्टि से, खपत और कुछ कम हद तक सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है। किन्तु विभिन्न देशों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना का प्रयोजन लेखांकन से संभावित आर्थिक स्पष्टीकरण की ओर बढ़ना है।

1.108 परिणाम अत्यधिक स्पष्ट है। चूंकि मौजूदा स्थिति निश्चित रूप से किसी अन्य देश के संबंध में लागू नहीं होती, अतः मौजूदा वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए विकास के अपेक्षाकृत अधिक सामान्य प्रेरकों जैसेकि निवेश एवं निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी तथा ऋण वृद्धि को सुकर बनाने के लिए तुलन पत्रों को साफ-सुथरा रखना होगा।

6. बैंकिंग: विद्युत तथा दूरसंचार क्षेत्र की लाभकारिता में निरंतर कमी आना तथा दोहरे तुलनपत्र से संबंधित चुनौती

1.109 दो क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है जो टीबीएस समस्या के समाधान और इस प्रकार ऋण, निवेश और आर्थिक विकास के लिए दृष्टिकोण को दुष्प्रभावित करती है।

¹⁸ मुख्य ध्यान पिछले दो वर्षों से संबंधित आंकड़ों पर दिया गया है क्योंकि इस दौरान डब्ल्यूपीआई और सीपीआई श्रृंखला के बीच भारी अंतर देखा गया जिसके कारण जीडीपी के संबंध में अनुमान लगाना जटिल हो गया है।

सारणी 7. भारत की मौजूदा विकास दर का विश्व के अन्य देशों के साथ तुलनात्मक रिकार्ड (1191-2015)

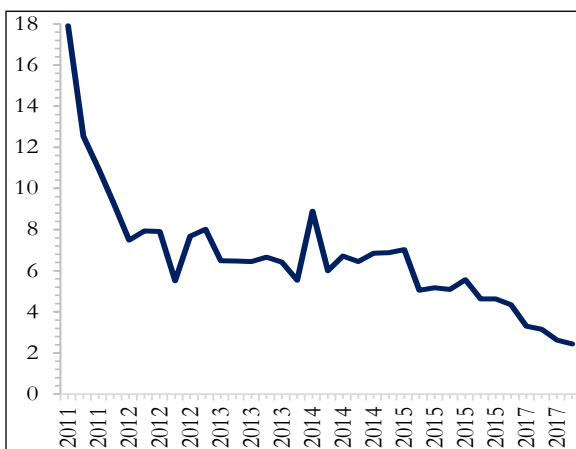
मानदंड	जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता $\geq 7\%$	जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता $\geq 5\%$
	108	285
क. किसी भी एक मानदंड के पूरा होने की स्थिति में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता का प्रतिशत	16	29
ख. किन्हीं दो मानदंडों के पूरा होने की स्थिति में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता का प्रतिशत	0	4
ग. सभी तीनों मानदंडों के पूरा होने की स्थिति में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता का प्रतिशत	0	0

टिप्पणी: निर्धारित मानदंड हैं (1911 से 2016 के दौरान प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के लिए): (i) वास्तविक निवेश वृद्धि $\leq 4.5\%$, (ii) निर्यात में वृद्धि $\leq 2\%$, और (iii) ऋण और जीडीपी अनुपात में कम से कम 2 प्रतिशतता अंक की कमी। निर्यात वृद्धि के लिए न्यूनतम सीमा 2% मानी गई है, तब भी जबकि भारत के लिए वित्त वर्ष 16 और वित्त वर्ष 17 के दौरान इसमें औसत वृद्धि 1% से कम रही हो। ऋण और जीडीपी अनुपात संबंधी आंकड़ा विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है तथा इसमें ऋण के बैंक से इतर स्रोत शामिल हैं।

1.110 विद्युत के क्षेत्र में अल्पावधिक और मध्यम अवधि से संबंधित दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाली अनेक उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं। जैसा कि चित्र 28 में दिखाया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है। यह भारत तथा विश्व द्वारा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एक सकारात्मक दीर्घावधिक स्थिति है। किन्तु इसके कारण अनेक अल्पावधिक चुनौतियां सामने आएंगी।

1.111 चित्र 29 में निजी क्षेत्र में ताप विद्युत के उत्पादन में 883 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्शाई गई है जो ताप विद्युत उत्पादन में कुल वृद्धि का 57 प्रतिशत है। बिजली के उत्पादकों तथा वितरकों के बीच दीर्घावधिक शक्ति क्रय करार (पीपीए) के दौरान एक पूर्व निर्धारित हिस्सा

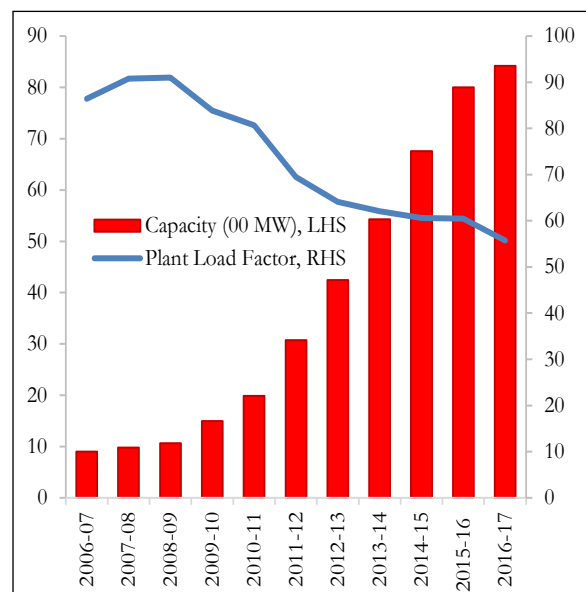
चित्र 28. भारत में सौर ऊर्जा से उत्पन्न प्रति यूनिट बिजली की कीमत (रुपए प्रति किलो वाट घण्टा)



स्रोत: सोलरडे.कॉम

तय किया गया है। तथापि, बिजली उत्पादन में काफी वृद्धि होने तथा बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति के कारण मांग में कमी आने के कारण मांग को उत्पादन के अनुरूप नहीं रखा जा सका है। ताप विद्युत की मांग में कमी काफी हद तक इस कारण हुई है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली की कीमत अधिक प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप औसत संयंत्र लोड फैक्टर लगातार घटकर लगभग 60 प्रतिशत पर पहुंच गया है (चित्र 29)।

चित्र 29. निजी क्षेत्र में ताप विद्युत उत्पादन क्षमता तथा संयंत्र लोड फैक्टर (आरएचएस) (क्षमता हजार मेगावाट में)

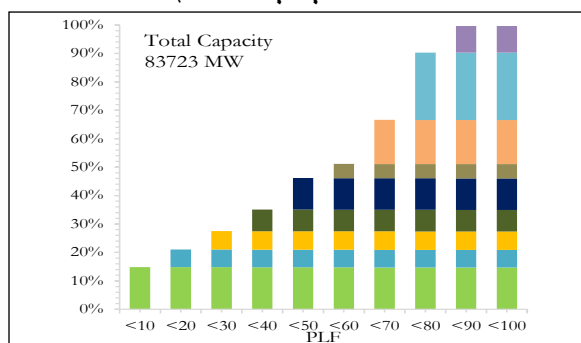


स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

1.112 इसका अर्थ यह है कि संयंत्र क्षमता को देखते हुए मौजूदा वितरण की स्थिति में अनेक संयंत्र क्षमता उपयोग के व्यवहार्य स्तर से काफी नीचे पर प्रचालित हो रहे हैं। यदि 60 प्रतिशत और इससे अधिक का एक स्थूल मानक व्यवहार्य मान लिया जाए तो चित्र 30 से यह ज्ञात होता है कि मौजूदा क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत अव्यवहार्य है।

1.113 इसे ध्यान में रखते हुए क्रेडिट स्वीस द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष बिजली के क्षेत्र में काम कर रही दबाव ग्रस्त कंपनियों को अनुपात (इसे कंपनियों द्वारा लिए गए ऐसे ऋण की हिस्सेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका ब्याज कवरेज (आईसी) अनुपात 1 से कम हो) निरंतर बढ़ रहा है और 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है तथा इनका जोखिम के स्तर का ऋण 3.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है (चित्र 32)।

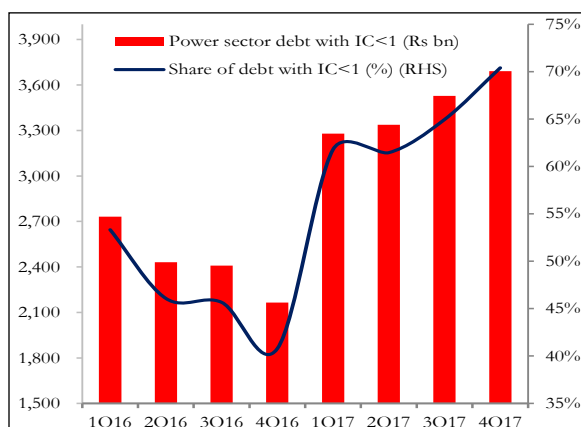
चित्र 30. निजी क्षेत्र में कोयला तथा गैस उत्पादन की क्षमता-पीएलएफ वितरण



स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्रधिकरण

टिप्पणी: अलग-अलग रंग क्षमता में वृद्धिशील योग को सूचित करते हैं।

चित्र 32. निजी क्षेत्र में ऋण, जबकि ब्याज कवरेज 1 से कम हो



स्रोत: क्रेडिट स्वीस के आकलन

टिप्पणी: आईसी ब्याज कवरेज को सूचित करता है। यदि आईसी<1 हो तो आय इतने पर्याप्त नहीं हैं कि उनसे ब्याज देनदारियां पूरी की जा सकें।

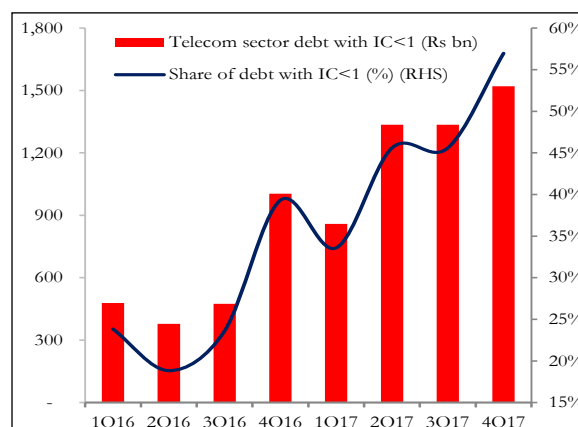
1.114 किन्तु मध्यम कालिक समस्याएं भी हैं जिन पर कम ध्यान दिया जाता है। जैसेकि बिजली वितरण कंपनियां यह समझती हैं कि उन्होंने बिजली उत्पादकों के साथ जिस मूल्य पर बिजली का क्रय करने के लिए करार किया है उससे कम कीमत पर बिजली प्राप्त करने के सस्ते वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं, तो उनके द्वारा बिजली के प्रशुल्क में कमी करने की मांग अधिकाधिक की जाने लगेगी। हाल में उठने वाली बातें उनकी इस आशंका को स्पष्ट करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वे अपनी कुछ मौजूदा सविदाओं को फिर से तय कर सकते हैं। इससे, विशेषकर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा हाल ही में दी गई यह व्यवस्था कि ये सविदाएं अति पवित्र होती हैं (इस संबंध में विडम्बना यह है कि इस मामले में निजी क्षेत्र ने सविदा को निरस्त करने और उसे फिर से तय करने मांग की) के संदर्भ में यह मामला और अधिक जटिल हो जाता है। इस तथ्य

चित्र 31. प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व (रुपए, तिमाही)



स्रोत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

चित्र 33. दूर संचार में ऋण, जबकि ब्याज कवरेज 1 से कम हो



से बिल्कुल हटकर कि भारत के पास सविदा को फिर से तय करने के लिए कोई व्यवहार्य ढांचा उपलब्ध नहीं है, भविष्य में कीमतों में कमी आने की स्थिति में क्षमता में और अधिक वृद्धि होना आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य होगा तथा ऋणग्रस्तता में और अधिक वृद्धि होगी जो संपोषणीय स्थिति नहीं होगी।

1.115 दूरसंचार के क्षेत्र में नवीकरणीय आघात को अपने संदर्भों में अनुभव किया गया है जो नए प्रचालकों के दूरसंचार के क्षेत्र में आने के कारण हुआ है जिसके कारण डेटा की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है तथा डेटा अभिगम की स्थिति में सुधार हुआ है जिससे अंततः उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है। किन्तु नवीकरणीय आघात के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान दूरसंचार प्रचालकों के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार बने रहने की स्थिति निकट भविष्य में गंभीर होने जा रही है तथा उनकी लाभकारिता में नाटकीय ढंग से कमी आई है। जैसाकि चित्र 31 में दर्शाया गया है, रिलाइंस जियो द्वारा सितम्बर, 2016 में दूरसंचार सेवा की शुरुआत किए जाने के बाद से इस उद्योग में कुल मिलाकर प्रति उपभोक्ता औसत आगम में एक दीर्घावधि (दिसम्बर, 2009-जून, 2016) के दौरान प्राप्ति की तुलना में 22 प्रतिशत कमी आई है और सितम्बर, 2016 के बाद से इसमें लगभग 32 प्रतिशत की कमी आयी है।¹⁹

1.116 इस कारण को देखते हुए क्रेडिट स्विस् द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि जिन कंपनियों का ब्याज कवरेज 1 से कम है उनके दूरसंचार ऋण की हिस्सेदारी 2016 के आखिरी महीनों के बाद से दोगुने से भी अधिक हो गई है, तथा यह दर 55 प्रतिशत से भी ऊपर निकल गई है एवं संबंधित जोखिम ग्रस्त ऋण 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है (चित्र 33)। दूरसंचार के मामले में न केवल बैंकिंग प्रणाली को ही कठिनाई में डाला है बल्कि इससे सरकार को भी परेशानी होने वाली है जिसे उन कंपनियों से विभिन्न प्रकार के शुल्क और कर की प्राप्ति या होती है।

1.117 सबसे पहले दिसम्बर, 2014 के मध्यवार्षिक आर्थिक विश्लेषण में भारत के दोहरे तुलन पत्र की चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया गया था, जबकि आर्थिक समीक्षा 2016-17 के खण्ड I में इसकी विस्तार से जांच की गई थी। बाद में जारी की गई आर्थिक समीक्षा में इस बात पर बल दिया गया है कि इस चुनौती का सामना करने के

लिए चार स्थितियों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है-मान्यता, समाधान (जिसमें कंपनियों के तुलन पत्र को लक्षित किया जाना है), पुनर्पूजीकरण (जिसमें बैंकों के तुलन पत्रों को लक्षित किया जाना है), और सुधार।

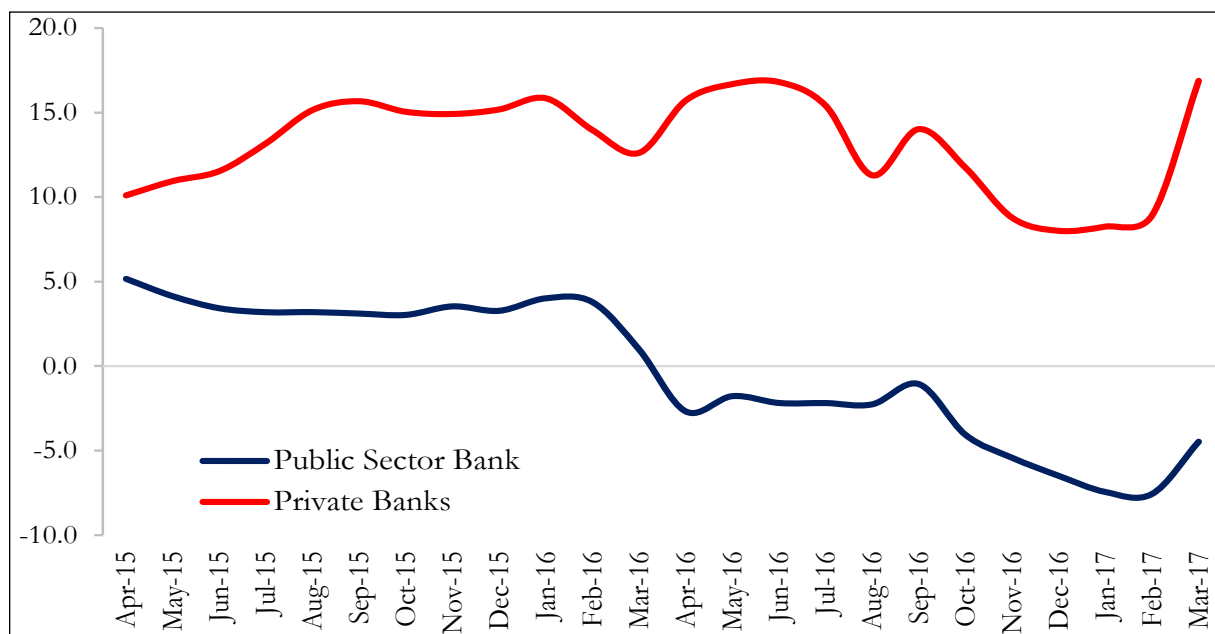
1.118 पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णायक रूप से मान्यता और हाल ही में समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मई, 2017 में सरकार ने समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 जून, 2017 को ऐसे 12 ऋण खातों की निर्णायक रूप से पहचान की जिन पर भारत के नए दिवालिया कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है। इस बीच, सुधार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 कमजोर बैंकों को त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा गया है तथा इन बैंकों को अन्य उपायों के साथ अपने बैंकिंग परिचालनों को कम करना शुरू करने के लिए बाध्य किया गया है।

1.119 आशा की जाती है कि इन उपायों से टीबीएस की चुनौतियों का निर्णायक रूप में सामना किया जा सकेगा। प्रेक्षकों द्वारा समाधान प्रक्रिया के विलंबित होने तथा बाधित होने की संभावना के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया है क्योंकि इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत परीक्षित नहीं हैं तथा निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के ऋणों को बट्टे खाते में डालने में स्वाभाविक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस दिशा में शीघ्र और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होने से इन संदेहों को शांत करने में सहायता प्राप्त होगी तथा नीति निर्माता इस प्रगति पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं।

1.120 यदि समाधान हेतु लक्षित नए उपायों को लागू कर दिया जाए तो भी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक उपयोगी दृष्टिकोण के संदर्भ में अन्य समाधानों के बारे में सोचना उपयुक्त होगा। दबाव में पड़ी परिसंपत्तियों और पिछले कुछ समय से विद्यमान अनिश्चिता के वातावरण में बैंकों और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नए ऋण जारी करने के बजाए अपनी अनर्जक आस्तियों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा है। नीचे दिए गए चित्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि ऋण में मंदी के लिए अपर्याप्त मांग की स्थिति से पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई है और इसकी राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफी अधिक है।

¹⁹ जून 2016 और मार्च 2017 के दौरान औसत मोबाइल डेटा प्रयोग में 6.5 गुना वृद्धि हुई है तथा यह 154 एमबी से बढ़कर 2000 एमबी हो गया है। प्रति जीबी मूल्य 121 रू. से घटकर 17 रू. हो गया है

चित्र 34. विभिन्न बैंक समूहों द्वारा दिए जा रहे कारपोरेट ऋण* में वृद्धि



स्रोत: एक्स्ट्रापोलेशन राजन (2015) https://www.rbi.org.in/scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1013.

मार्चात 2017 के आंकड़ों की सावधानीपूर्वक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस तारीख को सभी मौद्रिक राशियों में अचानक वृद्धि होती है।

1.121 समस्या यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नए ग्राहकों और अवसरों की तलाश करने की बजाए नुकसान को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। अतः वे आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने के वास्तविक कार्य को फिर से कैसे शुरू कर सकते हैं? समस्याएं फिर से उत्पन्न न हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या करना आवश्यक होगा?

1.122 निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व चौथा समाधान, अर्थात् स्थिति में सुधार लाना है। इस संबंध में तीन बातें महत्वपूर्ण होंगी पहली, राहत चयनात्मक आधार पर उपलब्ध कराई जाए, पीसीए ढांचे को लागू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन बैंकों का कार्यनिष्पादन अत्यधिक निम्न कोटि का है उन्हें आगे से ऋण नहीं दिया जाए और वे कालान्तर में सिमट जाएं। इस प्रकार, राहत केवल आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बैंकों और इसके सनिकट स्थित बैंकों को प्रदान की जाए। दूसरी, निजी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका में विस्तार किया जाए और कुछ मामलों में निजी क्षेत्र को उनमें बहुमत स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। तीसरी, इन उपायों के साथ ही बैंकों के पुर्नपूँजीकरण तथा उनकी ऋण प्रक्रियाओं तथा जोखिम प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ बनाने जैसे विशेष कार्य किए जाएं।

1.123 सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने दोहरे तुलन पत्र (टीबीएस) की चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आशा है कि वे तेजी से कार्य करेंगे। किन्तु उनके कारगर होने की प्रतीक्षा करने के बजाए ऋण, निवेश और विकास की गति को फिर से शुरू करने में सहायक एक बैंकिंग क्षेत्र को सृजित करना हमारी निरन्तर जारी रहने वाली प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

ख. 2017-18 के लिए दृष्टिकोण तथा नीतियां

1.124 इस महत्वपूर्ण समीक्षा में वर्ष 2017-18 के शेष महीनों के संबंध में आर्थिक दृष्टिकोण तथा बृहत आर्थिक एवं अन्य नीतियों की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है।

1. वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक क्रियाकलापों के संदर्भ में दृष्टिकोण

1.125 किसी भी विकास से संबंधित दृष्टिकोण को व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। व्यापक संदर्भ से आशय विकास की गति को फिर से बहाल करने में प्रत्याशाओं को उपयुक्तता प्रदान करना है।

1.126 पिछले कुछ समय से भारत एक ऐसी पीड़ा को झेल रहा है जिसे कार्मेन रेनहार्ट तथा केनेथ रोगोफ्फ ने

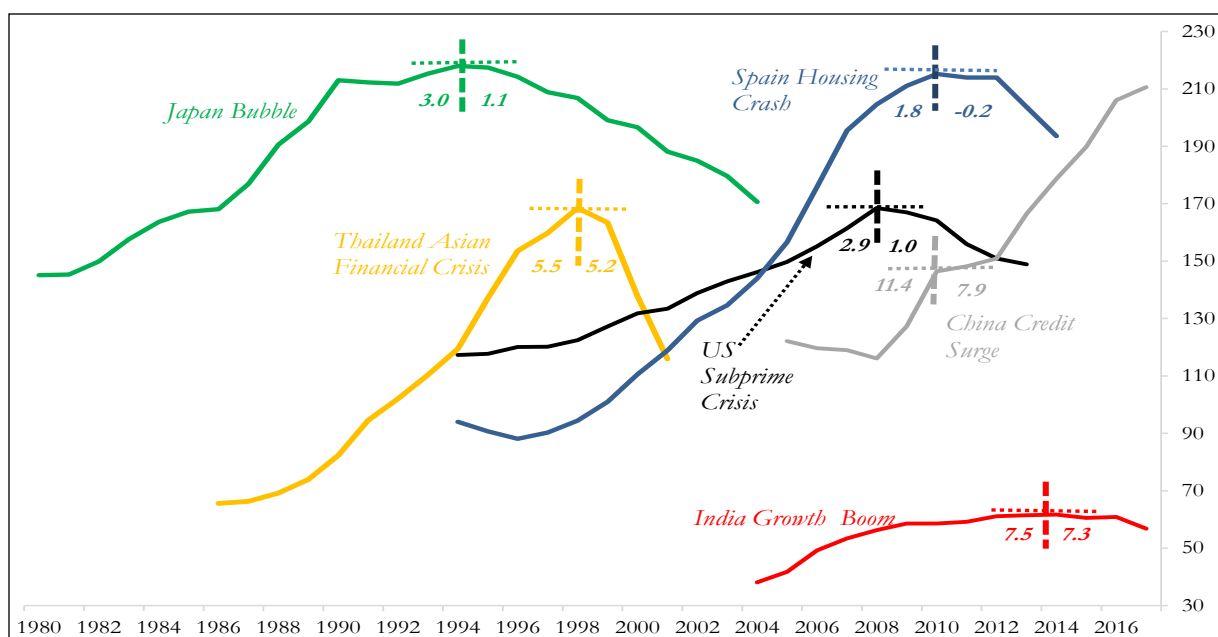
तुलन पत्र में 'मंदी' का नाम दिया है ('मंदी' के बजाए भारत के संदर्भ में इसे संभावित विकास दर से कम दर पर संवृद्धि कहना अधिक उपयुक्त होगा)।

1.127 भारतीय अर्थव्यवस्था में सन् 2000 के दशक के मध्य में ऋण एवं निवेश के संदर्भ में व्याप्त प्रति क्षण परिवर्तनशील स्थिति अभी भी बनी हुई है। चित्र 35 में विभिन्न देशों का संदर्भ दर्शाया गया है। अधिकांश देशों में उछाल के साथ ही ऋण में तेजी से वृद्धि देखी जा सकती है जिसके बाद ऋण में कटौती ज्ञात होती है जिसके पश्चात विकास की गति में तेजी आ सकती है—जिसका होना सुनिश्चित नहीं है। थाइलैंड, अमरीका और स्पेन में विभिन्न सीमाओं तक इस पैटर्न का अनुसरण किया गया है। चीन में एक अलग मार्ग का अनुसरण किया गया है: इस देश में स्थिति का सामना करने के लिए ऋण एवं निवेश के साधनों का फिर से प्रयोग किया गया है ताकि संवृद्धि में मंदी पर रोक लगाई जा सके। इस दृष्टिकोण को अपनाने से अल्पावधि में लाभ प्राप्त होते हैं, हालांकि इसके कारण पूंजी की दक्षता में कमी आती है तथा वित्तीय क्षेत्र में असक्षमता की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण भविष्य में विकास की गति नाटकीय रूप से मंद पड़ सकती है। एक रोचक तथ्य है कि वर्ष 2000 के मध्य में भारत में देखे गये

उछाल के बाद ऋण एवं निवेश के पैटर्न में कोई गंभीर गिरावट नहीं आई। हालांकि गत 2 वर्षों में बैंक ऋण में मंद गति से हो रही वृद्धि चिंता का विषय है, किन्तु यह निश्चित तौर पर मंदी से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः भारत में निवेश और ऋण पर्याप्त स्तर पर पहुंच चुका है। यदि तीव्र विकास की गति फिर से बहाल होने के लिए ऋण में कमी करना एक आवश्यक स्थिति है तो संभवतः भारत को कम ऋण की जरूरत है—यदि संक्षेप में कहा जाए तो इसे अल्पावधि में अधिक ऋण में कटौती करने की आवश्यकता है।

1.128 जैसाकि पहले ही वर्णन किया जा चुका है और चित्र 43-49 के भाग ग में दर्शाया गया है। प्रथम तिमाही, 2016-17 से वास्तविक गतिविधियों के अनेकों संकेतक—जीडीपी, ऋण, निवेश, क्षमता, उपयोग प्रथम की कमी की ओर इशारा कर रहे थे, और तीसरी तिमाही में उनमें और शिथिलता आ गई। चौथी तिमाही 2016-17 में वास्तविक जीवीए वृद्धि 5.6 प्रतिशत थी। जब तक संभावित उत्पादन, अत्यधिक कम है यदि संभावित उत्पादन अधिकांश व्यक्तियों द्वारा माने गए स्तर (लगभग 7 प्रतिशत या अधिक), नहीं रहा तो उत्पादन में अंतर और अधिक हो जाएंगे।

चित्र 35. ऋण में शीर्ष बिन्दुओं तथा जीडीपी में वास्तविक वृद्धि का आलेखीय निरूपण



स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेट्लमेंट (बीआईएस) तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

आंकड़े में ऋण-जीडीपी अनुपात तथा समय को आलेखित किया गया है; चार्ट में दी गई संख्याएं चीन और भारत को छोड़कर अन्य देशों के संबंध में ऋण-जीडीपी अनुपात के शीर्ष पर पहुंच जाने से 5 वर्ष पहले और बाद में वास्तविक जीडीपी वृद्धि को सूचित करती हैं।

1.129 आगे बढ़ते हुए, प्रश्न है कि लगभग छः महीने पहले प्रकाशित समीक्षा के संस्करण I के सारांश के बाद से क्या परिवर्तन हुए हैं? तब हमने जीडीपी वृद्धि 6.75 और 7.5 के बीच रहने का पूर्वानुमान लगाया था। उस समय हमने मान लिया था कि विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में सुधार का क्रम ऊपर उठेगा और विमुद्रीकरण के बाद से मौद्रिक स्थिति होने वाली रियायतों का प्रभाव भी उस जीडीपी वृद्धि में निहित करेगा।

1.130 तब से सभी नए कारक-वास्तविक विनिमय दर मूल्यवृद्धि, कृषि ऋण माफी, विद्युत क्षेत्र तुलनपत्र पर दूरसंचार, कृषि दबाव, तथा जीएसटी के कार्यान्वयन से परिवर्ती चुनौतियां-गतिविधियों में अपस्फीति संबंधी झुकाव पैदा करते हैं।

1.131 फरवरी 2017 से, आरबीआई की 36-मुद्रा बॉस्केट-के अनुसार वास्तविक प्रभावी संदर्भ में चीन और एशियाई मुद्राओं की तुलना में रुपये में लगभग 1.5 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई है। कारण यह है कि चीनी यूआन में भारी गिरावट हुई है, रुपया की तुलना 2.7 प्रतिशत सहित (चित्र 57 और 58 भाग ग में)।

1.132 कृषि ऋण माफी पर अपस्फीति संबंधी प्रभाव निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करेंगे कि कितने राज्य उ०प्र०, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और कर्नाटक अनुसरण करेंगे, और वे कितनी राहत प्रदान कर सकते हैं और यह राहत कितने चरणों में होगी। कुछ तार्किक अवधारणाओं के अनुसार इस वर्ष में अपस्फीति संबंधी प्रभाव जीडीपी के 0.35 प्रतिशत तक हो सकते हैं (यह मानते हुए कि पूर्व भाग में अनुमानित परिमाण दो वर्षों में वितरित किए गए हैं)।

1.133 इसके अतिरिक्त, वास्तविक नीति दर खण्ड-I के पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक कठोर रही है। ऐसी परिस्थितियों में, और यह मानते हुए कि वर्तमान वृहद् 2 अगस्त 2017 को रेपो दर में 25 आधार बिंदु कम की गई मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के स्वरूप को बरकरार रखा गया है, जीडीपी के पूर्वानुमान से और जोखिम और कम होंगे।

1.134 अच्छा पहलू यह है कि पिछले आर्थिक सर्वेक्षण

में सरकार और आरबीआई ने दोहरी तुलनपत्र, चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष उपाय किए हैं। इससे बहुत कम समय में बाजार का विश्वास बढ़ गया है। निवेश एवं ऋण मांग बहाली के लिए कारपोरेट तुलन पत्रों की डिलीवरी रजिंका आवश्यक है। ऋण आपूर्ति के बंद चैनलों के खोलने के लिए बैंकों के तुलनपत्रों को निष्प्रभावी करना आवश्यक होगा। तथापि, उठाए गए कदमों का वास्तविक प्रभाव कार्य क्षेत्र, प्रभावकारिता और दबाव वाली परिसंपत्तियों का समय पर समाधान करने पर निर्भर करेगा।

1.135 जीएसटी के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। चेक पोस्टों को हटाना और परिवहन बाधाओं के लगातार सरलीकरण से आर्थिक गतिविधियों को अल्पावधिक के लिए बढ़ावा मिलेगा।

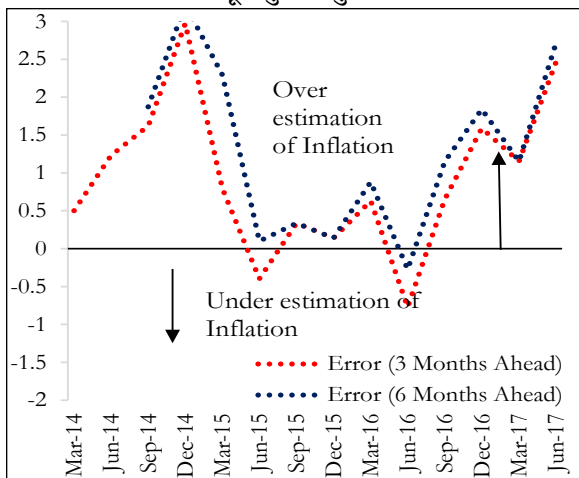
1.136 फरवरी में, सर्वेक्षण (खण्ड-I) में वित्त वर्ष 2018 के लिए वृद्धि 6.75 से 7.5 प्रतिशत के स्तर में रहने के पूर्वानुमान लगाया गया। पूर्व में किए गए विचार-विमर्श से यह संकेत मिलता है कि जोखिम कम हो गए हैं। तदनुसार संभावनाओं का संतुलन बदला है, जहां परिणाम अब पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक भारांश वाले, अपेक्षाकृत कम सीमा के निकट है।

2. 2017-18 के लिए मूल्यों और मुद्रास्फीति हेतु आऊटलुक

1.137 'कम मुद्रास्फीति' के बारे में यह तर्क दिया गया है कि भारत पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कृषि दोनों में और अधिक स्थिर विकास के कारण ढांचागत गैर-स्फीति विषयक परिवर्तन में फंसा हुआ है। जो असंभावित मुद्रास्फीति विकास में दर्शाए गए हैं (चित्र 36 क)

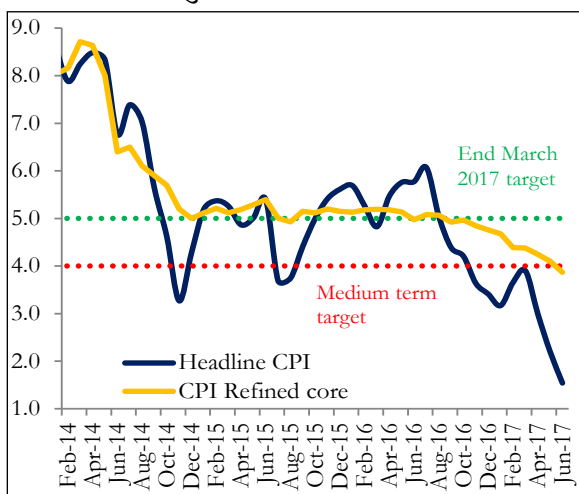
1.138 समीपवर्ती अवधि में हैडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति संख्या नाटकीय ढंग से कम हुई है, जून 2017 में 1.5 प्रतिशत से कम रही जो मध्यावधिक 4 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है। (चित्र 36 ख)। मार्च 2017 के लक्ष्य, से 7 महीनों, सितंबर 16 से मार्च 17 तक 124 बिंदु के औसत तक कम हुई है। जून के 246 बिंदुओं के साथ यह मार्च, 2018 के लक्ष्यों से 175 बिंदुओं के औसत से 2017-18 के सभी तीनों महीनों में नीचे चल रही है। परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति-मूलभूत मुद्रास्फीति को मापने

चित्र 36क. सीपीआई मुद्रास्फीति: आरबीआई पूर्वानुमान त्रुटि



स्रोत: आरबीआई और सर्वेक्षण गणना

चित्र 36ख. हेडलाइन और रिफाइंड कोर सीपीआई मुद्रास्फीति (प्रतिशत)



स्रोत: एमओएसपीआई और सर्वेक्षण गणना

की प्रवृत्तियां अस्थिर तेल एवं खाद्य घटकों ने बदल दी और एमपीसी की फरवरी की बैठक में इस बात का उल्लेख भी किया है कि यह लगातार कम हो रही है और अब 3.9 प्रतिशत है, जो मध्यावधिक 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है।

1.139 इस पृष्ठभूमि के विपरीत, निकट भविष्य में मुद्रास्फीति अनेक निकटवर्ती कारकों द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें निम्न शामिल है:

- पूंजी प्रवाह और विनिमय दर जो आऊटलुक एवं उन्नत अर्थव्यवस्था में नीतियों, विशेषरूप से यूएस

से प्रभावित होती हैं, के लिए आउट लुक;

- तात्कालिक सांकेतिक दर अधिमूल्यन;
- मानसून;
- जीएसटी का शुभारंभ;
- 7वां वेतन आयोग अवार्ड्स;
- संभावित कृषक ऋण माफी; और
- उत्पादन अन्तराल

1.140 आईएमएफ और अन्य संस्थानों ने यह नोट किया कि व्यापक-वैश्विक वसूली प्रगति पर है। परन्तु उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीतियों की उलझनें हैं—और इस कारण से भारत से पूंजीगत बहिर्वाह और रुपया के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है।

1.141 उन्नत देश की मौद्रिक नीति की दुविधा यह है कि जब आर्थिक गतिविधियां उछाल पर होती हैं और अस्थिरता के संकेत सामान्यतः कम होते हैं—वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों पर संकट मंडराने के पूर्वाभास, से मौद्रिक नीति सरलीकरण की मांग बढ़ती है, मुद्रास्फीति लक्ष्य से कम रहती है। (केवल यूके में छोड़कर), जैसाकि वैश्विक आर्थिक संकट से यह कई बार घटित हुआ है। इसके अलावा, दीर्घावधिक लाभ कम हुआ है, और इससे मंदी के संकेत मिल रहे हैं। इस प्रकार अभी तक यह देखा जाता रहा है कि मौद्रिक कठोरता अच्छी रहेगी, अर्थात् भारत से पूंजी प्रवाह का जोखिम, इस वर्ष के पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार नहीं है।

1.142 ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि, आर्थिक समीक्षा खण्ड-I के प्रकाशन से सांकेतिक प्रभावों के संदर्भ में सांकेतिक विनिमय दर में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जैसे (फरवरी-जून 2017 के बीच)। भारत के अनुमान बताते हैं कि 10 प्रतिशत विनिमय दर मूल्यवर्धन से सीपीआई मुद्रास्फीति 0.8 प्रतिशत कम हो जाएगी। 'भारत में तीव्र अपस्फीति के क्या कारण हैं? साजिद चिनाय, पंकज कुमार और प्राची मिश्रा, आईएमएफ वर्किंग पेपर नं डब्ल्यूपी/16/166 मुद्रास्फीति की कम होती गति लगभग 0.25 प्रतिशतांक बिन्दु होगी।

1.143 खाद्य मूल्यों के संदर्भ में, इस वर्ष में वर्षा

दीर्घावधिक औसत के बराबर या अधिक होने की आशा है और 12 जुलाई के अनुसार इसका स्तर तथा क्षेत्रीय वितरण आश्वस्तकारी है। 21 जुलाई तक बुआई आंकड़े उत्साहवर्धक रहे हैं। अरहर को छोड़कर, सभी प्रमुख फसलों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में एकड़वार उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुई है जैसे: चावल (4.6 प्रतिशत), दालें (3.4 प्रतिशत) ईख (8.7 प्रतिशत) और कपास (20.1 प्रतिशत) सहित।

1.144 सभी पहलुओं पर विचार करने पर, जीएसटी से मूल्य कम होने की अपेक्षा है क्योंकि पूर्व के केन्द्र और राज्यों के संयुक्त करों की तुलना में कम कर लगना। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि 7वां वेतन आयोग आवास किराया भत्ता से मुद्रास्फीति में 0.4 और 1.2 प्रतिशतांक के बीच औसत वृद्धि हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि केवल केन्द्र या केन्द्र और सभी राज्यों ने आवास किराया भत्ते को लागू किया है या नहीं। इसके अलावा, यह औसत प्रभाव चरणबद्ध समय में कम हो जाएगा, अर्थात् वास्तविक अवार्ड के बाद 6 महीनों में²⁰ इस तथ्य के अलावा कि जीएसटी और वेतन आयोग के प्रभाव मुख्यतया एक दूसरे में जल्दी ही निष्प्रभावी करेंगे, ये दोनों एकबारगी घटनाएं हैं जो मूल्य स्तर में प्रभावित करते हैं न कि मुद्रास्फीति को। मौद्रिक नीति को सामान्यतः अस्थायी मूल्य स्तर प्रभावों के जरिए देखे जाने की आवश्यकता, उन पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, धन और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर जहां तक संभव हो दुसरे प्रभावों को छोड़कर²¹।

1.145 जैसाकि पहले कहा गया है, कि किसान ऋण माफी गैर अपस्फीति की बजाए अधिक अपस्फीति संबंधी है और इस कारण से कीमतों को ऊर्ध्वमुखी की बजाय अधोमुखी आधार प्रदान किया जाए।

1.146 मुद्रास्फीति के लिए उत्पादन अन्तराल बहुत महत्वपूर्ण है और पूर्व के विचार-विमर्श में कमजोर होती अर्थव्यवस्था और उत्पादन अन्तराल के बारे में रेखांकित करते हैं।

1.147 निम्नांकित मुद्रास्फीति की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन को रेखांकित करते हुए पिछले विश्लेषणों के साथ आउट-लुक का मूल्यांकन इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे चल रही है, यह संकेत करता है कि मार्च 2018 तक मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य से नीचे रहने की संभावना है।

3. नीति विषयक दृष्टिकोण

1.148 जीडीपी और मुद्रास्फीति के ये पूर्वानुमान, निसंदेह सशर्त हैं, विशेषकर मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के संबंध में यहां प्रश्न यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

मौद्रिक नीति

1.149 समीक्षा खण्ड-I से मौद्रिक नीति की तीन मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। वास्तविक नीति ब्याज दरें वर्तमान में अत्यधिक ऊंची हैं, सरकारी दरों में असामान्य अस्थिरता है, जो संभावित नीतिगत परिवर्तनों और बैंकों में अधिक नकदी की स्थिति को दर्शाता है जो लगभग नौ महीनों से बची हुई है। बाद की दो का अध्याय 3 में विस्तार से चर्चा की गई है?

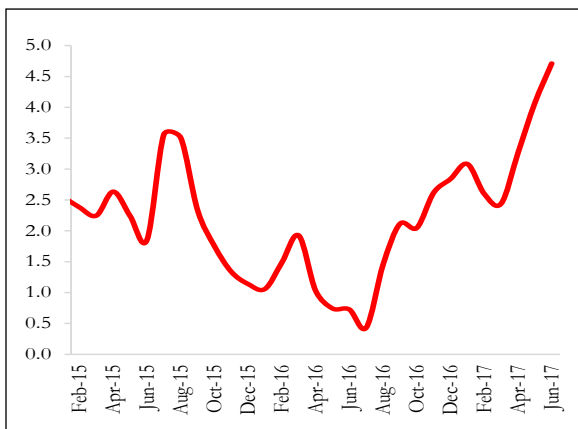
1.150 चित्र 37क और 37ख मौद्रिक नीति स्वरूप के दो संकेतक मुहैया कराते हैं। वास्तविक ब्याज दरें (वर्तमान मुद्रास्फीति पर आधारित), 4.7 प्रतिशत पर, अधिक हैं हाल ही में पिछले कुछ समय से वे उच्चतम हैं (चित्र 37)²²। उभरते बाजार-वाले देशों (चित्र 38) की तुलना में ये दरें विशेषरूप से अधिक हैं।

²⁰ मुद्रास्फीति के ये प्रभाव आर्थिक की बजाय पूरी तरह से सांख्यिकीय हैं।

²¹ मौद्रिक नीति समिति के कई सदस्यों द्वारा अस्थायी बनाम स्थायी कारकों के बारे में भिन्न-भिन्न उत्तर दिए गए हैं।

²² वास्तविक ब्याज दरों की गणना वर्तमान और संभावित मुद्रास्फीति दरों के आधार पर की जा सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान मुद्रास्फीति दरों का प्रयोग ठीक रहेगा।

चित्र 37क. वास्तविक ब्याज दरें (प्रतिशत)

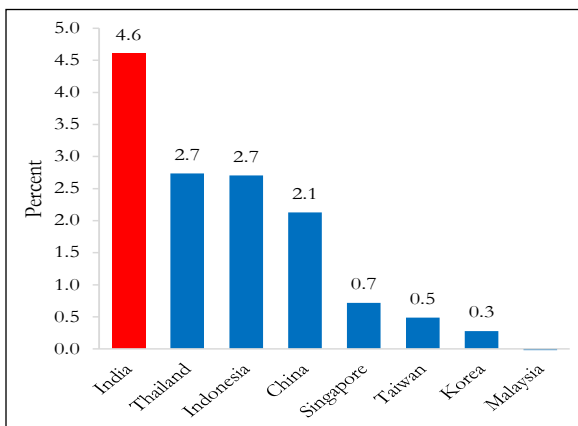


स्रोत: आरबीआई और सर्वेक्षण गणना।

नोट: सांकेतिक रेपो दर से मुद्रास्फीति को घटा कर वास्तविक ब्याज दर प्राप्त किया जाता है;

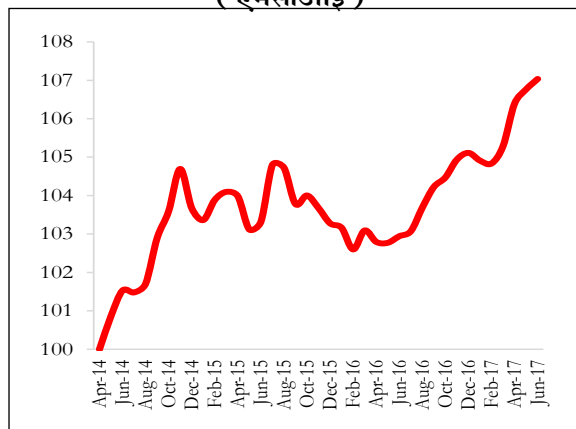
*आरबीआई की गणना के अनुसार प्रत्येक महीने के लिए एमसीआई के वास्तविक विनिमय दर (एक-तिहाई अधिभार और वास्तविक नीतिगत दर में प्रतिशतांक बिन्दु परिवर्तन (दो तिहाई अधिभार) में प्रतिशतांक अंतर को जोड़कर, जिसमें अप्रैल 2014 को आधार माना जाए, प्रचार किया जाता है।

चित्र 38. देशवार वास्तविक बांड लाभ

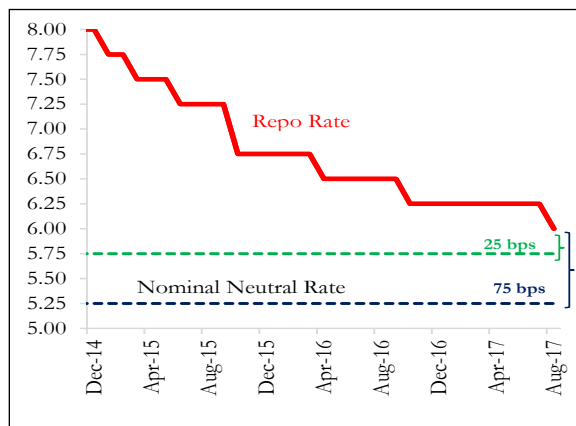


स्रोत: ब्लूमबर्ग

चित्र 37ख. वास्तविक मौद्रिक स्थिति सूचकांक (एमसीआई)*



चित्र 39. रेपो दर और सांकेतिक निरपेक्ष दर



स्रोत: आरबीआई, गणना

1.151 अन्य संकेतक, वास्तविक मौद्रिक स्थिति²³—जो विनिमय दरों के परिवर्तन में कारक है, क्योंकि वे घरेलू वस्तु और सेवाओं की विदेशी मांग को प्रभावित करते हैं—भी अनवरत रूप से आगे बढ़ रहे हैं और लम्बे समय से अपने उच्चतम स्तर पर बने हुए हैं (चित्र 37ख)।

1.152 उच्च वास्तविक ब्याज दरें अत्यधिक कठोर नीति के लिए उचित नहीं हैं। आखिरकार, मुद्रास्फीति लक्ष्य-सह-एमसीपी रूपरेखा नई है, और अपनी अनिवार्यता के लिए विश्वसनीयता का वातावरण बना रही

है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि मुद्रास्फीति को इसके लक्षित स्तर के नजदीक रखा जाए। प्रश्न यह, उठता है कि क्या ब्याज दरों का वर्तमान स्तर स्थिति के अनुसार जरूरी है। आर्थिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि यह प्रश्न आर्थिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर, यदि चक्रीय स्थितियां मजबूत हैं, वास्तविक ब्याज दरें 'सामान्य' से अधिक होनी चाहिए, यदि स्थितियां कमजोर हैं, तो ब्याज दरें कम होनी चाहिए। परन्तु "सामान्य" क्या है और क्या वर्तमान स्थिति कमजोर या मजबूत है?

²³ जैसे यूरोपीयन सेन्ट्रल बैंक का मासिक बुलेटिन (जून 2002) ऐसे वास्तविक मौद्रिक स्थिति सूची के प्रयोग की तर्कसंगतता बताता है। www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb200206_focus03.en.pdf?fae8f6b163749307cfa99ff6c824d

1.153 सामान्य और निष्प्रभावी ब्याज दरें वे हैं जब मुद्रास्फीति लक्ष्य और वास्तविक जीडीपी संभावना के नजदीक हो। निष्प्रभावी दरों को मापना आसान नहीं है परन्तु भारत में भारतीय रिजर्व बैंक से निष्प्रभावी ब्याज दरों के अनेक अनुमान हैं। ये सारणी 8 में दर्शाए गए हैं। मुख्यतः, वास्तविक निष्प्रभावी ब्याज दरें लगभग 1.125-1.75 प्रतिशत के आस-पास हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 5.25-5.75 की निष्प्रभावी दरें हैं (4 प्रतिशत लक्षित मुद्रास्फीति को मानते हुए)। आज की दरें 6.00 प्रतिशत या निष्प्रभावी दरों से लगभग 25-75 आधार बिंदु से अधिक होती हैं। (चित्र 39)

1.154 चक्रीय स्थितियां किस प्रकार की होनी चाहिए? तथाकथित, टेलर नियमानुसार, मुख्य संकेतक मुद्रास्फीति अन्तराल है अथवा वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य तथा उत्पाद अन्तराल से कितनी दूर है और वर्तमान जीडीपी वृद्धि संभावना से कितनी दूर है। यदि अनुमानित मुद्रास्फीति और वृद्धि उनके संतुलन स्तर से अधिक हो, सांकेतिक ब्याज दरें सामान्य, और असामान्य से अधिक होनी चाहिए।

1.155 आऊटलुक विचार-विमर्श से यह सुझाव निकल कर आया है कि अनुमानित मुद्रास्फीति और जीडीपी दोनों अपने संतुलन स्तर से कम हैं। वर्तमान 1.5 प्रतिशत पर मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे चल रही है, घरेलू अर्थव्यवस्था में इसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की क्षमता का अभाव है। उदाहरणार्थ 2016-17 की तीसरी तिमाही में 72.7 प्रतिशत औसत क्षमता उपयोग अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर मंदी का संकेत है।

1.156 चक्रीय स्थितियां, बताती है कि नीति दरें वास्तव में 50-100 के आधार बिंदुओं से कम या-निष्प्रभावी दरों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मौद्रिक कार्यक्षेत्र की सुगमता बहुत अधिक हो, निष्प्रभावी ब्याज दरों के साथ तुलना से अधिक पूर्व की सुगमता, अन्य सुधारपरक कार्रवाई, विशेषकर टीबीएस चुनौतियों से निपटना से अभिप्रेरित अर्थव्यवस्था में तेजी इसकी पूरी संभावना का प्रयोग कर सकेगी।

1.157 इसके अलावा, यह स्मरणीय है कि वास्तविक दरें जो उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए निर्णयों

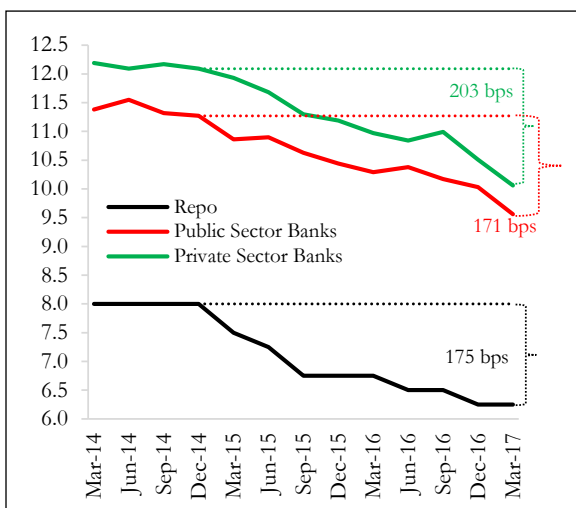
सारणी 8. भारत में अनिश्चित ब्याज दरों का अनुमान

अध्ययन	मौद्रिक नीति नियमों का प्रकार	अवधि	वास्तविक तटस्थ दर	तटस्थ सांकेतिक दर, 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य सहित	कटौती के लिए स्थान जैसे चालू नीति दरें (6%)
1. कार्यकारी निदेशक का भाषण आरबीआई (2013)	मानक टेलर नियम और सगुमता के साथ टेलर नियम	2012-13Q3	0.5-0.9 प्रतिशत	4.5-4.9 प्रतिशत	110-150 बीपीएस
2. आरबीआई वर्किंग पेपर सं. 05/2015 (2015)	मानक टेलर नियम एवं संरचनात्मक टेलर नियम	2014-15Q4	1.6-1.8 प्रतिशत (मुख्य अनुमान)	5.6-5.8 प्रतिशत	20-40 बीपीएस
3. मीडिया के साथ पश्च नीति आरबीआई सम्मेलन (फरवरी 2015)	...	2014-15	1.5-2 प्रतिशत	5.5-6.0 प्रतिशत	0-50 बीपीएस
4. एमपीसी: मीडिया के साथ पश्च नीति आरबीआई सम्मेलन (अक्टूबर 2016)	...	2016-17Q3	~1.25 प्रतिशत	~5.25 प्रतिशत	~75 बीपीएस

को प्रभावित करती हैं, वार्षिक औसत है, किसी समय विशेष के लिए नहीं। 2016-17 में औसत वास्तविक नीति ब्याज दरें 1.8 प्रतिशत थी। यदि मार्चांत 2018 तक मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत तक पहुंचती है तो 2017-18 के लिए औसत मुद्रास्फीति 3 प्रतिशत होगी। परिणामस्वरूप, औसत वास्तविक नीति दर लक्ष्य मुद्रास्फीति दर के द्वारा सुझाई गई दर से पर्याप्त अधिक रहेगी।

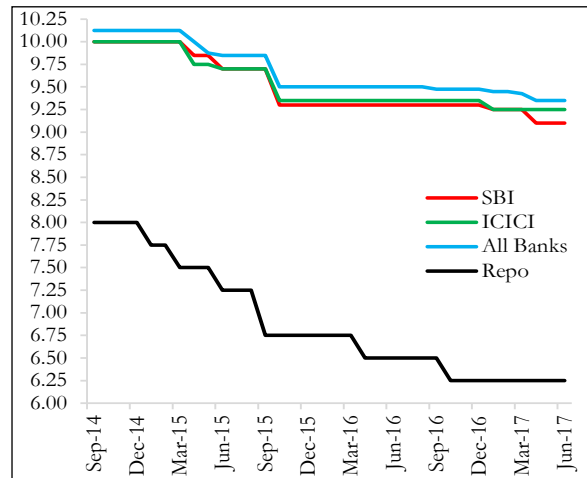
1.158 मौद्रिक सुगमता के विरुद्ध एक तर्क है कि कमजोर पासथ्रू (इससे बाहर निकलना कठिन) है: नीति दर में कटौती करने में क्या परेशानी है यदि ऋण देने की दरें कम नहीं होती हैं? यह सच है कि नीति दर में कटौती के बराबर आधार दरें कम नहीं हुई हैं (80 की तुलना में 175 आधार बिंदु चित्र 40)। परन्तु निजी बैंकों में पासथ्रू सरकारी बैंकों की तुलना में बहुत अधिक हैं, इससे प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होता है इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी बैंकों के लिए नए ऋणों के निमित्त पासथ्रू (1 अप्रैल 2016 से सभी रुपया ऋण निधियों की आंशिक लागत है, जो आधार भूत ऋण दर से जुड़ा है) अधिक रहा है। चित्र 41 दर्शाता है कि इन ऋणों के देने की दरें नीति दर के बराबर ही गिरी हैं और ये कटौतियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों (175 आधार बिंदु) की अपेक्षा निजी बैंकों (200 आधार बिंदु) के लिए अधिक

चित्र 40. रेपो दर नए रुपया ऋणों पर बैंक समूहवार भारित औसत ऋण दर



स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिकलन

चित्र 41. रेपो दर और आधार दर (प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिकलन

रही हैं। लघु और मध्यम उद्यमों सहित यह कटौती सभी लेनदारों को लाभ पहुंचाएगी।

1.159 इसके अतिरिक्त, पासथ्रू के अपर्याप्त रहने पर भी, नीति दरों में कटौती करने से वित्तीय स्थिरता के लाभ हैं, क्योंकि ऋण देने की दरों में बराबर गिरावट के बगैर निधियों की लागत में कटौती उनकी लाभप्रदता की बहाली में सहायता करेगी। अपेक्षाकृत कम दरें टीबीएस समस्याओं की प्रक्रिया को भी आसान बनाएंगी।

राजकोषीय नीतियां

1.160 2017-18 के लिए बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रखा गया है, जो तेजी से राजकोषीय समेकन की बजाय लगातार राजकोषीय समेकन को दर्शाता है। यह चयन विकल्प की भावना से है न कि एफआरबीएस समीक्षा समिति रिपोर्ट में प्रस्तावित बहुसंख्यक दृष्टिकोण है (अध्याय 2 में बॉक्स 2 में बहुसंख्यक और वैकल्पिक दृष्टिकोण की तुलना दी गई है)।

1.161 इस वर्ष के लिए राजकोषीय संभावना अनिश्चित है। निचले स्तर के जोखिमों (बजट के समय संभावित से इतर) शामिल हैं:-

- प्रत्याशा से कम अनुमानित वृद्धि से कम कर राजस्व;
- वस्तु एवं सेवा कर पूर्व करों की तुलना में कम वस्तु

एवं सेवा कर दरों के कारण कम वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण और वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से परिवर्तनात्मक चुनौतियां;

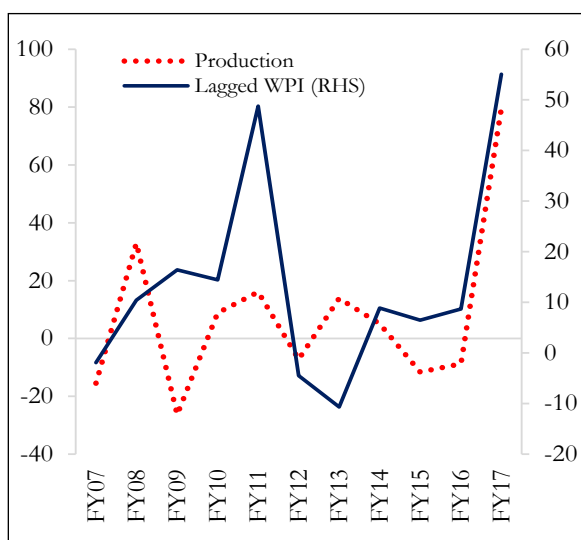
- दहन से संबंधित फर्मों की व्यावहार्यता पर संरचनात्मक झटका के कारण कम स्पेक्ट्रम प्राप्तियां; और
- अनुमानित रु. 30,000 करोड़ पर 7वें वेतन आयोग से अधिक व्यय।

1.162 माल एवं सेवाकर अनुपालन एवं विमुद्रीकरण द्वारा सृजित संभावनाओं, दोनों से अच्छे राजस्व का अनुमान है; तदनुसार प्रतिबद्धताओं के सापेक्ष परिमाण तथा अंतिम समेकन की स्थिति का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

अन्य नीतियां

1.163 कृषि दबाव के लिए उपयुक्त नीतिगत अनुक्रिया की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि 2017 अभाव की बजाय अधिशेष का वर्ष है, और कृषि संबंधी आय बढ़ाने के लिए नीतियां बनाना अनिवार्य होगा, 2016 के अनुभव से सीख लेना महत्वपूर्ण है। ऐसी एक सीख सितंबर, 2016 की दाल संबंधी रिपोर्ट²⁴ में दी गयी है।

चित्र 42. अरहर का उत्पादन और सुस्त मुद्रास्फीति (प्रतिशत वर्षानुवर्ष)



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कृषि मंत्रालय

क्या कीमतों के प्रति यह कृषकों की प्रतिक्रिया है। एक वर्ष में कम कीमत बुआई और इसके आगे की कीमत को प्रभावित करती है, जो मकड़ा जाल चक्र बनाती है। चित्र 42 तुअर के मामले में इसे रेखांकित करता है जहां पिछले वर्ष प्राप्त कीमत के साथ उत्पादन का बहुत अधिक सह-संबंध है। नीति को मान्यता द्वारा संचालित होना है कि लम्बी अवधि में, किसानों और उपभोक्ताओं के हित के बीच आवश्यक प्रतिपक्ष नहीं होता है; परिलब्धि और स्थिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (और उनकी सहायता के लिए अधिप्राप्ति) तथा निर्यात बाजारों तक पहुंच किसानों को उत्पादन की कमी बेशी और कीमत बढ़ोतरी के जोखिम से बचने में सहायता करती है जो उपभोक्ताओं के लिए दुखदायी होती है।

1.164 अतः किसानों के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने के मार्ग में आड़े आ रही अड़चनें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लगाई गई स्टॉक सीमाएं, निर्यात प्रतिबंध, ई-नेम के कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करना।

1.165 अधिशेष जारी रखने की शर्तें पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम जो, जब बाजार कम सुविकसित थे तक गंभीर दुर्लभता की परिस्थितियों का सामना करने के लिए दशकों पहले अधिनियमित किया गया था, पर पुनर्विचार करने के लिए खूब उपर्युक्त क्षण हो सकता है। यह समय यह करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है कि क्या किसानों को प्रत्यक्ष सहायता करना वर्तमान अप्रत्यक्ष कम प्रभावकारी, अकारगर प्रकार की सहायता की तुलना में कृषि संबंधी आय में वृद्धि करने के लिए कहीं अधिक असरदार उपाय हो सकता है।

ग. 2016-17 के विकास की समीक्षा

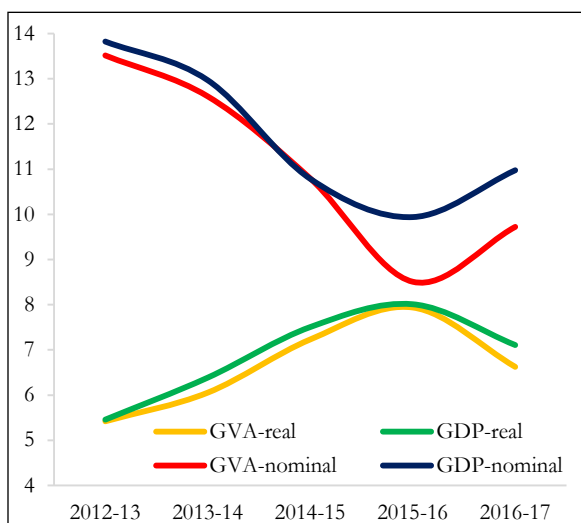
1. सकल घरेलू उत्पाद

1.166 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के मई, 2017 अनुमानों के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के 8 प्रतिशत के मुकाबले 2016-17 में बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गया। यह निष्पादन आर्थिक समीक्षा खंड 1 में फरवरी में अनुमानित रेंज

²⁴ "Incentivising Pulses Production Through Minimum Support Price (MSP) and Related Policies", September 16, 2016 - http://finmin.nic.in/sites/default/files/Pulses_report_16th_sep_2016.pdf

के मुकाबले अधिक रहा (चित्र 43)। इस वृद्धि में यह सुझाव दिया गया है कि अर्थव्यवस्था विमुद्रीकरण से होने वाले बड़े नकदी वर्ष 2016-17 की दूसरी छमाही में नकदी परिचालन 22.6 प्रतिशत हो गया। यह सुस्पष्ट, लचीला, अंकित वृद्धि और अधिक परिमाणवाला

चित्र 43. वास्तविक और अंकित जीवीए और जीडीपी में वार्षिक वृद्धि



स्रोत: सीएसओ

रहा चूंकि 2015-16 के मुकाबले अंकित जीवीए और जीडीपी वृद्धि दोनों में 2016-17 में 1 प्रतिशतांक बिंदु से अधिक की वृद्धि हुई।

1.167 अच्छे मानसून के अलावा, जिसमें कृषिगत वृद्धि के साथ सरकार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है (सारणी 9)। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग द्वारा वेतन बढ़ोतरी के प्रभाव को दर्शाता है (सारणी 9)। इन क्षेत्रों ने लगभग कुल जीवीए वृद्धि का एक तिहाई योगदान दिया है, जबकि वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2016 की अवधि में जीवीए वृद्धि में लगभग छठवें हिस्से का योगदान रहा है।

1.168 समुत्थानशीलता का सुझाव देते समय वित्त वर्ष 2017 में कई अन्य संकेतकों के अलावा नवीनतम जीडीपी आंकड़ों में विकास स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। वास्तविक जीडीपी और जीवीए वृद्धि में आवर्ती चार तिमाहियों में गिरावट देखी गई है कृषि, सहबद्ध क्षेत्रों तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं को छोड़कर मुख्य जीवीए-कुल जीवीए में वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2017 में 3.6 प्रतिशतांक बिंदु तक गिरावट

सारणी 9. मूल्य वर्द्धित और जीडीपी में वृद्धि (प्रतिशत, स्थिर कीमतें)

क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कृषि, वानिकी व मत्स्यपालन	5.6	-0.2	0.7	4.9
खनन व विनिर्माण	0.2	11.7	10.5	1.8
विनिर्माण	5.0	8.3	10.8	7.9
विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	4.2	7.1	5.0	7.2
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार आदि	6.5	9.0	10.5	7.8
वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं	11.2	11.1	10.8	5.7
लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य	3.8	8.1	6.9	11.3
जीवीए	6.1	7.2	7.9	6.6
कोर जीवीए	6.6	9.0	9.8	6.2
जीडीपी	6.4	7.5	8.0	7.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन एवं सर्वेक्षण परिकल्पन

टिप्पणी: कोर जीवीए = कृषि एवं सहबद्ध तथा सरकारी प्रशासन, रक्षा व अन्य का जीवीए

देखी गई (सारणी 9) और वित्त वर्ष 2016 की चौथी तिमाही से वित्त वर्ष 17 की चौथी तिमाही के बीच 6.8 प्रतिशतांक बिन्दु की गिरावट देखी गई (चित्र 44 तथा 45)। विनिर्माण जीवीए वृद्धि वित्त वर्ष 2016 की चौथी तिमाही से कम होना शुरू हुई और नई तथा संशोधित आईआईपी संख्या में वही गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई (चित्र 46)।

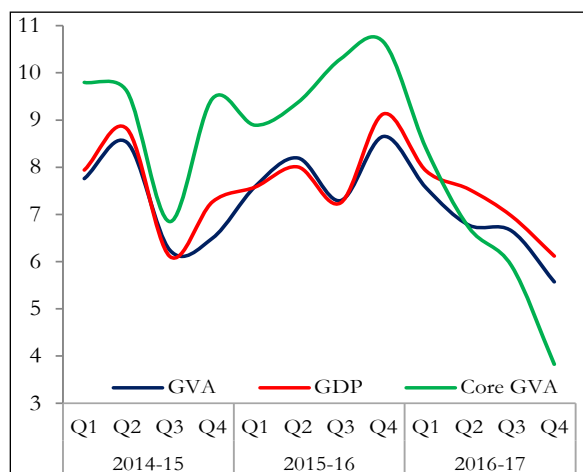
1.169 वास्तविक जमा निवेश में वृद्धि वित्त वर्ष 2013 की दूसरी छमाही से ही कम थी तथा वित्त वर्ष 2016 की दूसरी छमाही में अस्थायी प्रयास के पश्चात से इसमें

तेजी से गिरावट आई, बाद में सार्वजनिक निवेश से कुछ हद तक सुधार हुआ। (चित्र 47 एवं 48)। 2016-17 में निजी निवेश में वृद्धि ऋणात्मक रही केवल खपत से मांग में उछाल आया जो वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी वृद्धि का लगभग 96 प्रतिशत बैठता है।

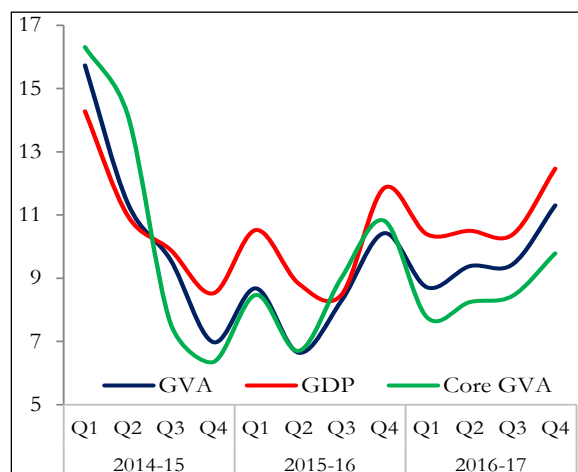
2. मुद्रास्फीति

1.170 अधिक से कम मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था नाटकीय संक्रमण के दौर से गुजर रही है (देखें: नीचे खण्ड); 2014-15 में वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत थी तथा वित्त वर्ष 2017 में कम होकर यह

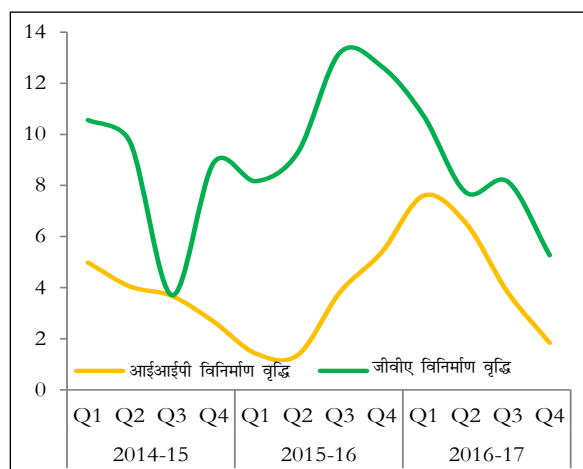
चित्र 44. जीवीए एवं जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत में स्थिर कीमतें)



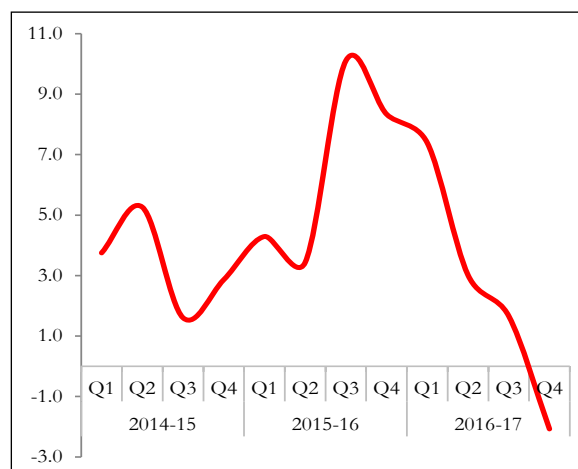
चित्र 45. जीवीए एवं जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत में वर्तमान कीमतें)



चित्र 46. विनिर्माण में वृद्धि (प्रतिशत में)-जीवीए तथा आईआईपी

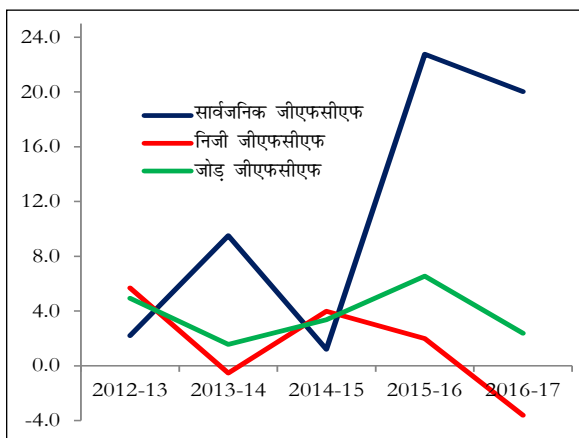


चित्र 47. स्थिर कीमतों पर जीएफसीएफ वृद्धि



आंकड़ों के स्रोत: सीएसओ एवं सर्वेक्षण गणना

चित्र 48. निर्धारित पूंजी निर्माण में वृद्धि
(प्रतिशत, स्थिर कीमतें)

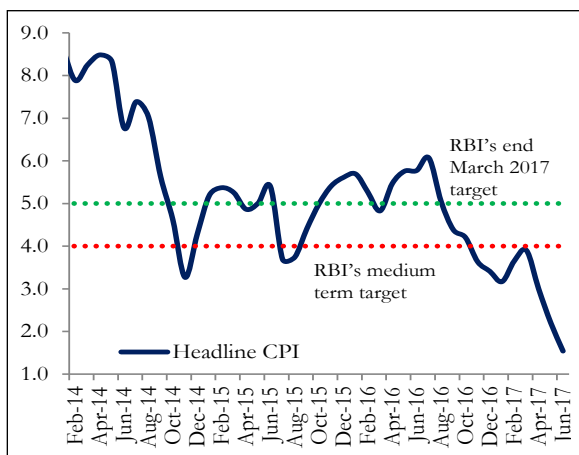


आंकड़ों के स्रोत: सीएसओ, आरबीआई एवं सर्वेक्षण गणना

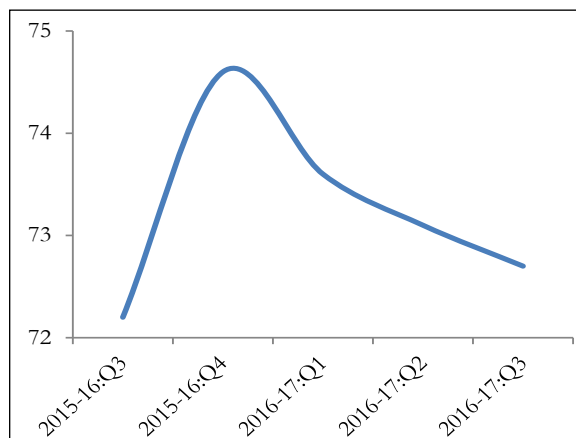
4.5 प्रतिशत पर आ गई है। 2016-17 में कई नाटकीय घटनाक्रम हुए। आंशिक रूप से वृद्धि में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति जुलाई, 2016 में 6.1 प्रतिशत से कम होकर जून 2017 में 1.5 प्रतिशत पर आ गई। मुख्य रूप से दालों तथा सब्जियों के दाम अधिक होने के कारण वित्त वर्ष 2017 के पहले कुछ मासों में खाद्य मंहगाई ऊंची रही लेकिन बाद में मौसमी उपलब्धता में सुधार और खासकर विमुद्रीकरण के पश्चात इसमें सुधार हुआ।

1.171 हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 10 क्रमिक मासों में कम होकर भारतीय रिजर्व बैंक के 2017 के लक्ष्य से नीचे अर्थात् लगभग 1.7 प्रतिशतांक बिंदु पर आ गई थी (चित्र 50)। केवल हेडलाइन ही नहीं बल्कि रिफाइंड कोर मुद्रास्फीति, जो कृषि; परिवहन सेवाओं में तेल तथा

चित्र 50. हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति
(प्रतिशत)



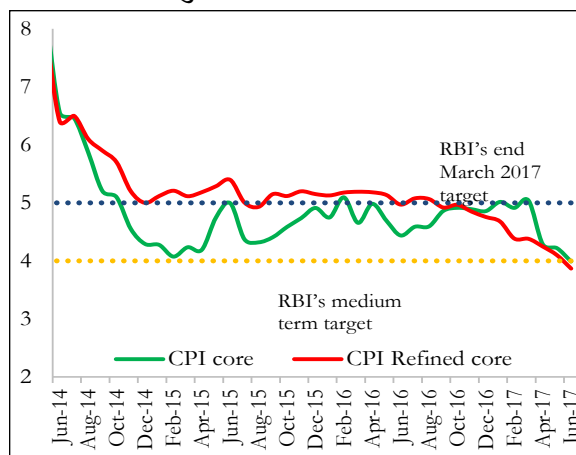
चित्र 49. विनिर्माण में क्षमता उपयोग
(प्रतिशत)



तेल घटक को पृथक् करती है, तेजी से कम होकर जून, 2016 में 5 प्रतिशत से जून 2017 में 3.9 प्रतिशत पर आ गई। (चित्र 51)

1.172 वित्त वर्ष 2015 के अंत में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई और समूचे वित्त वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक उपभोक्ता वस्तु कीमतों में गिरावट जारी रही। वैश्विक उपभोक्ता वस्तु कीमतों तथा आधार प्रभाव ('बेस एफेक्ट') (गत वर्ष कम मुद्रास्फीति) में उछाल से वित्त वर्ष 2017 के दौरान थोक मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई। फुटकर एवं थोक मुद्रास्फीति में अन्तर की भिन्नता से अन्य बातों के साथ-साथ खासतौर से वित्त वर्ष 2016 में राष्ट्रीय लेखों में गंभीर खामियां मिली; जो अब दूर हो गई हैं। (चित्र 52) (परिशिष्ट 3)

चित्र 51. कोर एण्ड रिफाइंड कोर सीपीआई
मुद्रास्फीति (प्रतिशत)



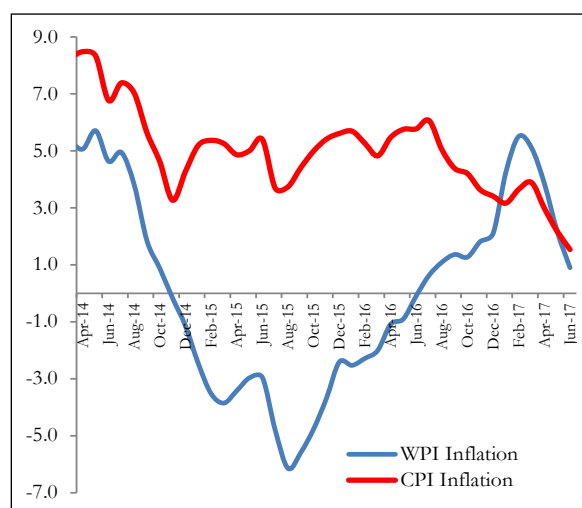
में एक स्थान पर संक्षेप में यह बताया गया है कि प्रयुक्त संकेतकों एवं अपस्फीतिकारी तथा सामान्य एवं वास्तविक परिकलन को स्पष्ट करते हुए प्रमुख उपक्षेत्रों में से प्रत्येक में किस प्रकार राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए जाते हैं।)

वैदेशिक क्षेत्र

1.173 व्यापारी माल तथा सुदृढ़ पूंजी प्रवाह में जो प्रतिलाभ धीरे-धीरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं उससे बाह्य स्थिति भी सुदृढ़ होती प्रतीत हो रही है जिसे अन्य बातों सहित बढ़ते आरक्षित भंडार तथा मजबूत होती विनिमय दर में भी देखा जा सकता है।

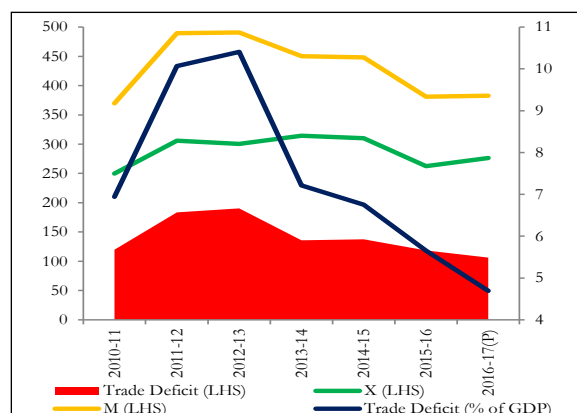
1.174 व्यापार घाटे में तीव्र संकुचन निवल अदृश्य में गिरावट को भी पार कर गया जिसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा विगत वर्ष के जीडीपी का 1.1 प्रतिशत घटकर 2016-17 में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत हो गया है। (चित्र 53 एवं 54)। निवल सेवाओं तथा निवल निजी अंतरणों दोनों में ही गिरावट के कारण निवल अदृश्य प्राप्तियां 97.1 बिलियन अमरीकी डॉलर पर वित्तीय वर्ष 2017 में 10 प्रतिशत तक गिर गईं। स्रोत देशों विशेषकर खाड़ी क्षेत्रों में मंद गतिविधि ने काफी हद तक भारत में निवल प्रेषणों के प्रवाह को कम कर दिया है जो 2015-16 में 63.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था 2016-17 में घटकर

चित्र 52. डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति एवं सीपीआई मुद्रास्फीति

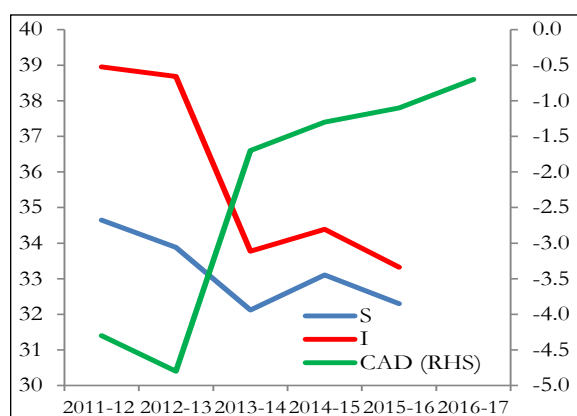


स्रोत: एमओएसपीआई

चित्र 53. निर्यात एवं आयात (बिलियन अमरीकी डॉलर में) तथा व्यापार संतुलन (बिलियन अमरीकी डॉलर तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)



चित्र 54. बचत (एस) एवं निवेश (आई) दर तथा चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में



56.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

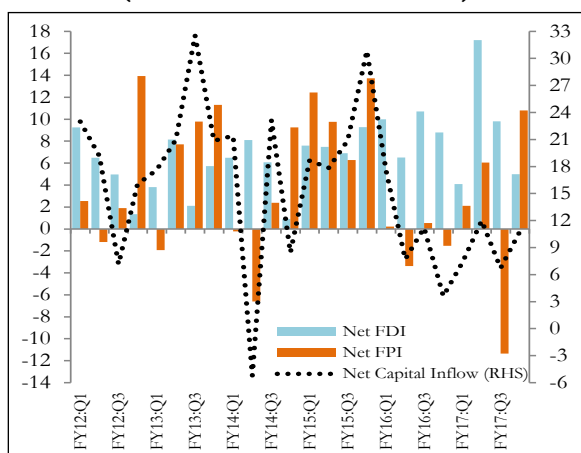
1.175 दो वर्षों के अंतराल के पश्चात् निर्यात ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है वहीं दूसरी ओर आयात संकुचित होकर कम हो गया है जिसके कारण भारत का व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017 में 6.2 प्रतिशत (130.1 बिलियन अमरीकी डॉलर) से घटकर जीडीपी का 5.0 प्रतिशत हो गया (112.4 बिलियन अमरीकी डॉलर)। कई तिमाहियों के पश्चात् निर्यात फरवरी 2016 से निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर्ज कर रहा है जबकि आयात में सकारात्मक वृद्धि अक्टूबर 2016 से देखने को मिली है। अगस्त 2016 से सोने का आयात बढ़ गया है जो संभवतः जीएसटी के तहत सोना एवं आभूषण पर लगने वाले कर में अपेक्षित वृद्धि से

पूर्व जौहरियों द्वारा खरीद को दर्शाता है। (चित्र 60)।

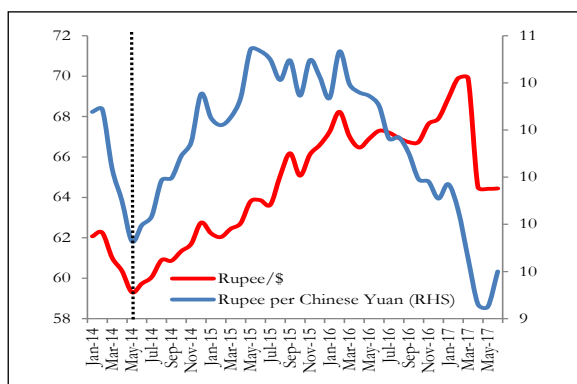
1.176 मुख्यतः प्रवासी भारतीय जमा में गिरावट के कारण विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017 में निवल पूंजी प्रवाह पिछले वर्ष जीडीपी 1.9 प्रतिशत (40.1 बिलियन अमरीकी डालर) से कुछ हद तक घटकर जीडीपी का 1.6 प्रतिशत (36.8 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया जो विगत 2016 में एफसीएनआर (बी) की बड़ी वापसी को दर्शाता है (चित्र 55)। हालांकि निवल विदेशी मुद्रा भंडार वित्तीय वर्ष 2017 में 35.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर सुदृढ़ रहा तथा चालू खाता घाटे को भी पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करता रहा।

1.177 पूंजी खाता अधिशेष के चालू खाता घाटे से अधिक होने ने भंडार संचयन (भुगतान शेष आधार पर)

चित्र 55. पूंजी प्रवाहों के मुख्य घटकों की प्रवृत्ति (बिलियन अमरीकी डॉलर में)

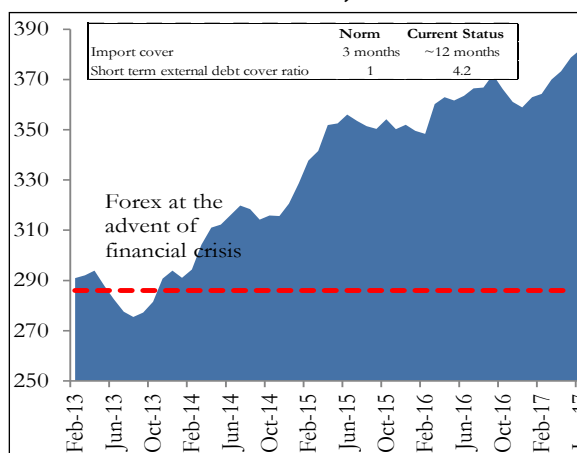


चित्र 57. विनिमय दर: रुपया डालर एवं रुपया युआन

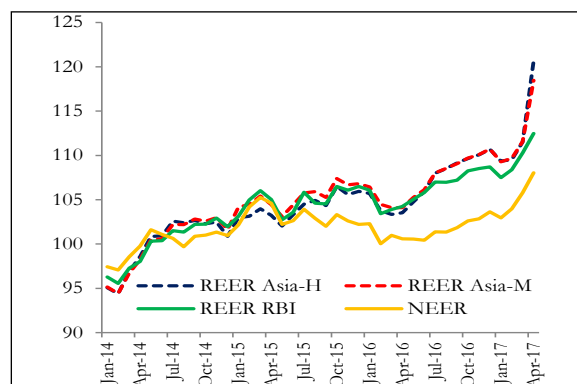


को 2016-17 में 21.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक बढ़ा दिया जो वित्तीय वर्ष 2016 की 17.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि की तुलना में अधिक था। मार्च 2016 की समाप्ति की तुलना में मार्च 2017 की समाप्ति में विदेशी मुद्रा भंडार 360.2 बिलियन से बढ़कर 370 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। (चित्र 56)। अप्रैल 2017 की समाप्ति तक विदेशी मुद्रा भंडार 13.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि के साथ 386.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गया जो बढ़े हुए भंडार को दर्शाता है। परिणामस्वरूप अधिकतम भंडार आधारित बाह्य क्षेत्रों के प्रवणता सूचक बेहतर हो गए हैं। व्यापक अग्रवर्ती बाजार हस्तक्षेप (जिसे सफलतापूर्वक निष्कीरित कर दिया गया) विमुद्रीकरण के

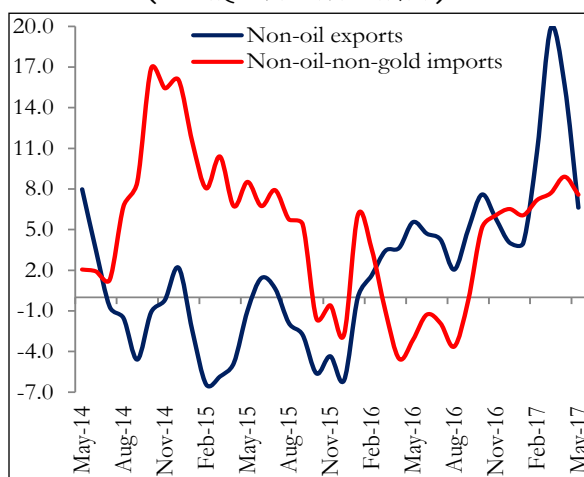
चित्र 56. विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमरीकी डॉलर में)



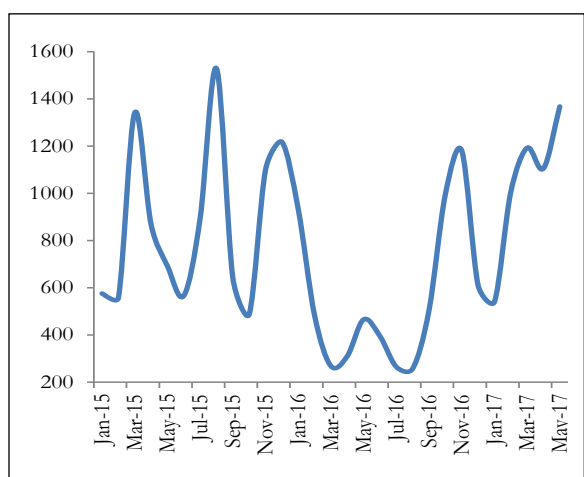
चित्र 58. अंकित प्रभावी विनिमय दर एवं वास्तविक प्रभावी विनिमय दर: (2014=100)



**चित्र 59. निर्यात तथा आयात वृद्धि (प्रतिशत)
(3 माह का चल औसत)**

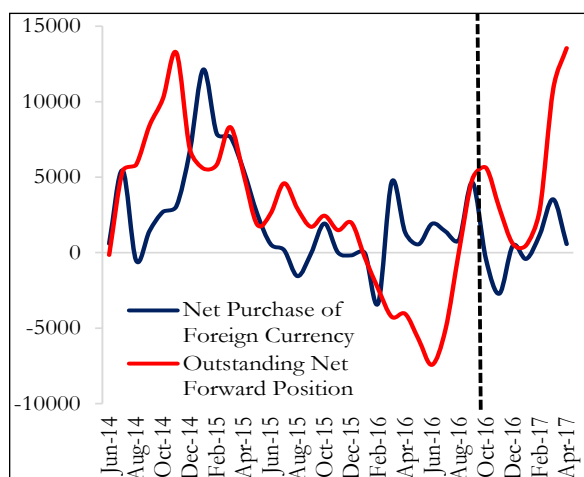


चित्र 60. स्वर्ण आयात (.00 किग्रा.)



चित्रों के स्रोत: आरबीआई, सीएसओ, डीजीसीआईएस तथा सर्वेक्षण गणना

चित्र 61. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री एवं खरीद (मिलियन अमरीकी डॉलर, हजार)



परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिक नकदी के प्रबंध की ओर किए गए प्रयत्न को दर्शाता है।

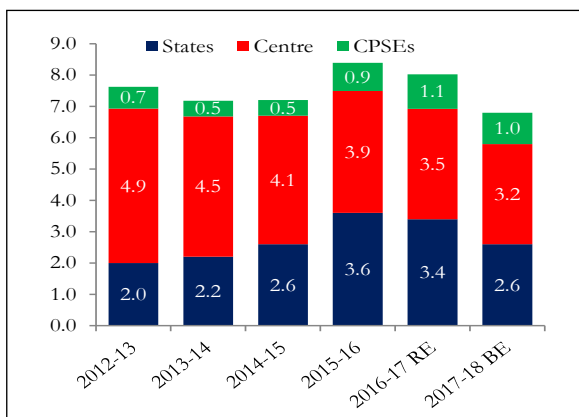
1.178 अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों जिसने विश्व भर में बड़े पैमाने पर मुद्राओं के मूल्यहास को जन्म दिया, तथा इससे उपजी अनिश्चितता का भारतीय रुपए पर क्षणिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विश्वव्यापी जोखिम के कम होने के कारण शेयर समूह (पोर्टफोलियो) प्रवाह ने सकारात्मक रुख अपना लिया, इससे अमरीकी नीतियों की अवधारणा में बदलाव आ गया, उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) चुनावों के परिणामस्वरूप सरकारी नीतियों के प्रति विश्वास जागृत हुआ तथा राजनैतिक स्थिरता आई इन्हीं सब कारणों के परिणामस्वरूप दिसम्बर 2016 से रुपए का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है तथा फरवरी 2017 से यह और मजबूत हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान रुपया ₹65.9 से ₹68.1 प्रति अमरीकी डॉलर के स्तर पर स्थिर रहा तथा 2015-16 से 2016-17 के मध्य औसतन 2.4 प्रतिशत ही रुपए का मूल्य घटा है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संबंध में रुपए के मूल्य का बढ़ना निर्यात के कुछ हद तक कम प्रतिस्पर्धात्मक होने को दर्शाता है (चित्र 58)। चीनी युआन के हास के कारण एशियाई मुद्राओं की तुलना में रुपए की मूल्यवृद्धि का परिमाण कहीं अधिक है। (चित्र 57)।

iv. राजकोषीय घटनाक्रम

1.179 सातवें वेतन आयोग तथा डिफेंस वन रैंक वन पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के कारण व्यय संबंधी दबाव के बावजूद केन्द्रीय बजट 2017-18 राजकोषीय स्थिति को समेकित करने की दृष्टि से लक्षित था। वर्ष के अंत में सरकार ने राजकोषीय घाटे के अपने लक्ष्य को बनाये रखा (चित्र 62), जबकि स्पेक्ट्रम नीलामी तथा विनिवेश प्राप्तियां लक्ष्य से कम रहीं।

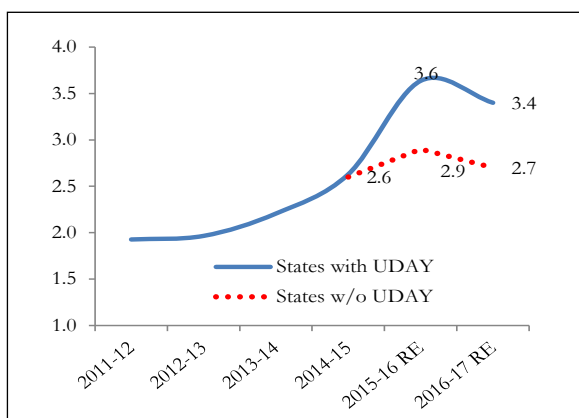
1.180 वित्त वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार का समग्र राजकोषीय परिणाम राजस्व कर में वृद्धि और पेट्रोलियम पर उत्पाद कर से प्राप्त राजस्व से गैर-वेतन तथा पेंशन राजस्व व्यय तथा उधार के समेकन से सुदृढ़ रहा। उत्पाद कर तथा सेवा कर से अतिरिक्त कर संसाधन जुटाने के प्रयास से विगत दो वर्षों में कर संग्रह में वृद्धि से पर्याप्त

चित्र 62. केन्द्र, राज्य तथा सीपीएसई से उधार (जीडीपी का प्रतिशत)



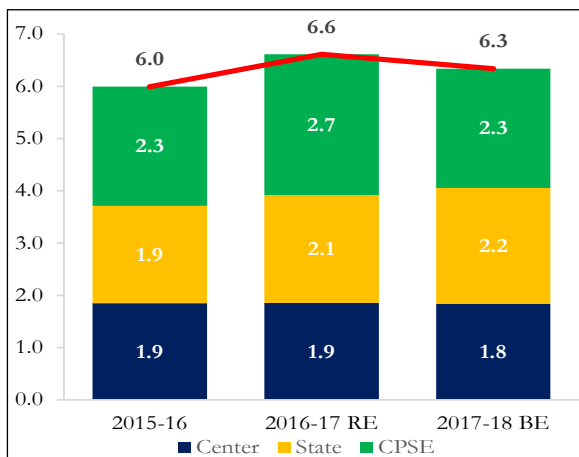
स्रोत: केन्द्र तथा राज्यों के बजट, भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 63. राज्यों का राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 64. केन्द्र, राज्य और सीपीएसई द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय (प्रतिशत जीडीपी)



स्रोत: सर्वेक्षण गणना

मदद मिली। स्वच्छ भारत कर तथा कृषि कल्याण कर से संग्रह सेवा कर संग्रह में वृद्धि का एक तिहाई बैठता है। पेट्रोलियम पदार्थों से संग्रह में वृद्धि कुल उत्पाद कर संग्रह में वृद्धि की दो-तिहाई से अधिक रही।

1.181 विगत 2 वर्षों में उदय कार्यक्रम के अन्तर्गत डिस्काम परिकल्पित देयताओं को दर्शाते हुए हाल के वर्षों में राज्यों की घाटे की स्थिति क्रमशः कम रही है। वित्त वर्ष 2016 के दौरान राज्यों का संचित राजकोषीय घाटा लगभग 1 प्रतिशतांक बिंदु तक घट गया (चित्र 63)। बहरहाल, उदय (UDAY) को शामिल करते हुए राज्य का संचित राजकोषीय घाटा 0.2 प्रतिशतांक बिंदु तक संतुलित रहा अर्थात् जीडीपी के 3.6 प्रतिशत से 3.4 प्रतिशत तक यूडीएवाई बान्ड वित्त वर्ष 2016 तथा वित्त वर्ष 2017 में अनुमानतः 0.7 प्रतिशत बैठते हैं।

1.182 2016-17 में सीपीएसई द्वारा किए गए तीव्र प्रयासों की पृष्ठभूमि में केन्द्र, राज्य तथा सीपीएसई द्वारा किए गए प्रयासों से सार्वजनिक निवेश में बढ़ोत्तरी हुई (चित्र 64)। सर्वेक्षण परिकलन से पता चलता है कि सार्वजनिक निवेश वृद्धि के ऊंचे स्तर के बावजूद निर्धारित निवेश दर में गिरावट अविश्वसनीय बनी रही (चित्र 50)। जीडीपी की तुलना में सरकार का निवेश खर्च 2017-18 में कम होने की संभावना है।

1.183 केन्द्रीय बजट 2017-18 में कई प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं। प्रथमतः रेलवे बजट की 1924 से जारी परिपाटी को पीछे छोड़ते हुए इसे केन्द्रीय बजट के साथ जोड़ा गया, और इस प्रकार रेलवे की वित्त बजट व्यवस्था को मुख्य धारा में लाया गया। दूसरे केन्द्रीय बजट को 1 फरवरी को पेश किया गया लगभग एक माह पूर्व, ताकि केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को वित्त वर्ष के आरंभ से अपना पूरा बजट खर्च कर सकें, जबकि पहले बजट को विधायी स्वीकृति के लिए वित्त वर्ष में पर्याप्त (मई-अंत) इंतजार करना पड़ता था। तीसरे आर्थिक रूप से और अधिक लाभप्रद पूंजी राजस्व भिन्नता पर ध्यान देने की दृष्टि से 'आयोजना' एवं 'आयोजना-भिन्न' व्यय के वर्गीकरण को समाप्त किया गया। चौथे बहुवर्षीय बजट व्यवस्था के अग्रदूत

के रूप में मध्यावधि व्यय ढांचा विवरण का पुनर्गठन किया गया ताकि आगामी दो वित्तीय वर्षों की प्रत्येक मांग हेतु अनुमानित व्यय (राजस्व तथा पूंजीगत) का ब्यौरा दिया जा सके।

1.184 केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्थिर समेकन के मार्ग का चयन किया गया। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2017 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत के परिणाम की तुलना में वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा कम होकर जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना

है। केन्द्र सरकार द्वारा अंगीकृत समेकन मार्ग ने प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों में विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन कायम किया है। एक तरफ तो चक्रिय रूप से कमजोर होती अर्थव्यवस्था जो दोहरे तुलनपत्र की समस्या से ग्रस्त थी तथा जो निवेश और ऋणवृद्धि में गिरावट में दिखाई दी, की जरूरतें थीं जिनके लिए प्रति चक्रिय नीति अपनाने के पक्ष में दलील दी जा सकती है और दूसरी ओर विशेषकर राज्य सरकार के वित्त साधनों पर सम्भावित अड़चनों को देखते हुए विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता ने समेकन को जारी रखना जरूरी बना दिया।

परिशिष्ट 1. किसान ऋणग्रस्तता: मूलभूत तथ्य

कृषि ऋण की मात्रा और वितरण से संबंधित जानकारी क्या है?

इस प्रश्न के उत्तर के लिए वर्ष 2012-13 के राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण कार्यालय के कृषि से संबंधित परिवारों की स्थिति के आंकलन सर्वेक्षण का सहारा लेना है, जो बकाया कृषि ऋण की संरचना का विस्तृत आंकलन प्रस्तुत करता है²²।

कृषि से जुड़े हुए परिवार की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि किसी परिवार को 3000 रुपये से अधिक वार्षिक उत्पाद मूल्य कृषि गतिविधियों-संबद्ध गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं- से प्राप्त होता है और परिवार के कम से कम एक सदस्य ने कृषि को मुख्य रूप से अथवा गौण रूप से पिछले 365 दिनों में अपने रोजगार के रूप में अपनाया है।

नीचे दी गई सारणी-1 और 2 में वर्ष 2016-17 में राज्य द्वारा दिए गए कृषि ऋण के अनुमान और भूमिधारिता का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए इंगित संख्या वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान की अवधि की सीपीआई मूल्यवृद्धि द्वारा इनफ्लेट किया गया है। कुछ तथ्य इसमें शामिल नहीं हैं।

समग्र रूप से भारत के संबंध में कुल कृषि ऋण लगभग 5.5 लाख करोड़ का है, जिसमें से 3.25 लाख करोड़ (60 प्रतिशत) औपचारिक संस्थाओं द्वारा दिया गया है और शेष अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा दिया गया है। लगभग 2.4 लाख करोड़ अथवा कुल औपचारिक ऋण का लगभग 75 प्रतिशत छोटे किसानों (जिनकी भूधारिता 2.5 हेक्टेयर से कम है) का है। लेकिन समस्त अनौपचारिक ऋणों का 85 प्रतिशत भी छोटे किसानों का है। बड़े किसानों, जिनके पास कुल अनौपचारिक ऋणों का केवल 25 प्रतिशत है, की तुलना में छोटे किसान प्रायः अनौपचारिक क्षेत्र का सहारा लेते हैं।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान अधिक मात्रा में औपचारिक क्षेत्र कृषि ऋण वाले (पूर्णरूप से) राज्य हैं। शायद यह आश्चर्य की बात है कि पंजाब और हरियाणा उच्चतम कृषि ऋण वाले राज्यों में शामिल नहीं हैं। हालांकि, केरल और आंध्र प्रदेश के साथ, पंजाब का कृषि ऋण स्तर जीएसडीपी की तुलना में उच्च है।

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना उच्चतम रूप से अनौपचारिक कृषि ऋण परिचालन करने वाले राज्य हैं। औसतन रूप से कम विकसित राज्यों में उच्चतर मात्रा में अनौपचारिक क्षेत्र ऋण की प्रवृत्ति है। उदाहरणार्थ, इन चार राज्यों में अनौपचारिक ऋण एक लाख करोड़ के नजदीक है जो किसानों की समग्र ऋणग्रस्तता का 56 प्रतिशत बैठता है। सरकारी ऋण माफी के बावजूद अधिसंख्यक किसान ऋणी बने रहेंगे।

²⁵ भारतीय रिजर्व बैंक वैकल्पिक एवं और अधिक अद्यतन आंकड़ों का स्रोत है लेकिन यह फॉर्म साइज अनौपचारिक क्षेत्र उधार अभिग्रहण से पृथक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की कृषि ऋण संबंधी संख्या एनएसएसओ अध्ययन से प्राप्त संख्या से अधिक है क्योंकि एनएसएसओ गणना नमूना आधारित है। तथापि आर्थिक समीक्षा 2014-15 में किए गए विचार विमर्श के अनुसार अध्ययन 5, बॉक्स 5.2, क आरबीआई का वास्तविक हिस्सा-परिभाषित कृषि संबंधी ऋण क्षेत्र में परिदृष्ट नहीं होते हैं।

परिशिष्ट सारणी 1

वर्ष 2016-17 के लिए भू-धारिता आकार द्वारा अनुमानित बकाया ऋण और ऋण का स्रोत (करोड़ रुपये में)

	भूमिहीन और छोटा किसान			मध्यम			बड़ा			कुल योग		
	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल
उत्तर प्रदेश	32,246	24,061	56,308	5,376	356	5,732	1,662	111	1,773	39,284	24,529	63,813
आंध्र प्रदेश	18,727	25,872	44,599	3,439	3,949	7,388	2,986	2,556	5,542	25,152	32,377	57,529
तमिलनाडु	26,649	16,619	43,269	3,144	682	3,826	1,380	250	1,631	31,174	17,552	48,726
राजस्थान	14,948	27,597	42,544	6,221	2,649	8,870	4,626	3,215	7,841	25,795	33,461	59,255
कर्नाटक	24,949	16,230	41,179	4,943	2,773	7,716	3,815	737	4,552	33,706	19,740	53,447
केरल	32,529	3,901	36,429	1,900	32	1,932	407	53	461	34,835	3,986	38,821
महाराष्ट्र	22,292	8,352	30,645	8,426	2,129	10,554	7,777	1,372	9,149	38,495	11,853	50,348
तेलंगाना	9,075	17,925	27,000	991	1,565	2,556	555	642	1,197	10,620	20,133	30,753
मध्य प्रदेश	9,094	7,627	16,720	4,064	1,693	5,756	1,951	528	2,480	15,109	9,848	24,957
ओडिशा	4,811	10,020	14,830	1,009	22	1,030	419	161	579	6,238	10,202	16,440
बिहार	3,912	10,511	14,423	295	63	358	129	100	229	4,336	10,675	15,010
पश्चिम बंगाल	8,295	6,034	14,329	116	50	166	107	41	148	8,518	6,125	14,643
पंजाब	8,167	4,480	12,647	5,643	1,183	6,825	1,829	522	2,351	15,638	6,185	21,823
हरियाणा	9,023	3,588	12,611	1,526	1,192	2,718	605	141	746	11,154	4,922	16,075
गुजरात	8,707	3,586	12,293	3,766	438	4,204	2,905	19	2,925	15,378	4,044	19,422
उत्तराखंड	3,522	639	4,161	331	4	335	228	165	393	4,081	808	4,889
हिमाचल प्रदेश	2,548	485	3,033	74	8	83	58	28	87	2,681	522	3,202
छत्तीसगढ़	1,762	1,242	3,004	284	35	319	71	2	73	2,116	1,280	3,396
झारखंड	416	1,173	1,588	37	6	43	5	-	5	458	1,178	1,636
कुल	41,670	189,942	31,612	51,583	18,829	70,412	31,515	10,645	42,160	324,768	219,417	544,185

स्रोत: कृषि परिवारों के संबंध में स्थिति आंकलन सर्वेक्षण से संबंधित यूनिट स्तर डाटा से अनुमानित

टिप्पणी: (1) भूधारिता श्रेणी “खुद की ज़मीन” और इसमें वासभूमि भी शामिल है, पर आधारित है।

(2) वर्ष 2016-17 के लिए अनुमान वर्ष 2012-13 की संख्या पर आधारित है। वर्ष 2012-13 की संख्या सीपीआई मूल्यवृद्धि से इन्फ्लैटेड है।

(3) औपचारिक ऋण में बैंकों, सहकारी समितियों और सरकार से प्राप्त ऋण शामिल हैं।

परिभाषा भूमि का आकार

भूमिहीन और छोटा - 2.5 हेक्टेयर तक

मध्यम - 2.5-5.5 हेक्टेयर

बृहद् - >5.5 हेक्टेयर

परिशिष्ट सारणी 2

वर्ष 2016-17 के लिए भू-धारिता आकार द्वारा अनुमानित बकाया ऋण और ऋण का स्रोत (2017-18 जीएसडीपी का %)

	भूमिहीन और छोटा किसान			मध्यम			बड़ा			कुल योग		
	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल
उत्तर प्रदेश	2.3	1.7	4.0	0.4	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	2.8	1.7	4.5
आंध्र प्रदेश	2.4	3.4	5.8	0.4	0.5	1.0	0.4	0.3	0.7	3.3	4.2	7.5
तमिलनाडु	1.8	1.1	2.9	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	2.1	1.2	3.2
राजस्थान	1.8	3.3	5.1	0.8	0.3	1.1	0.6	0.4	0.9	3.1	4.0	7.2
कर्नाटक	1.9	1.3	3.2	0.4	0.2	0.6	0.3	0.1	0.4	2.6	1.5	4.2
केरल	4.3	0.5	4.9	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	4.7	0.5	5.2
महाराष्ट्र	0.9	0.3	1.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.1	0.4	1.5	0.5	2.0
तेलंगाना	1.2	2.4	3.6	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	1.4	2.7	4.1
मध्य प्रदेश	1.2	1.0	2.3	0.6	0.2	0.8	0.3	0.1	0.3	2.1	1.3	3.4
ओडिशा	1.2	2.4	3.6	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	1.5	2.5	4.0
बिहार	0.6	1.7	2.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.4
पश्चिम बंगाल	0.8	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	1.4
पंजाब	1.6	0.9	2.5	1.1	0.2	1.4	0.4	0.1	0.5	3.1	1.2	4.3
हरियाणा	1.5	0.6	2.0	0.2	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	1.8	0.8	2.6
गुजरात	0.7	0.3	1.0	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	1.2	0.3	1.5
उत्तराखंड	1.6	0.3	1.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	1.8	0.4	2.2
हिमाचल प्रदेश	1.8	0.3	2.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.9	0.4	2.3
छत्तीसगढ़	0.6	0.4	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	1.2
झारखंड	0.1	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.4	0.5
कुल	1.5	1.2	2.7	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3	2.0	1.4	3.4

स्रोत: कृषि परिवारों के संबंध में स्थिति आंकलन सर्वेक्षण से संबंधित यूनिट स्तर डाटा से अनुमानित

टिप्पणी: (1) भूधारिता श्रेणी “खुद की ज़मीन” और इसमें वासभूमि भी शामिल है, पर आधारित है।

(2) वर्ष 2016-17 के लिए अनुमान वर्ष 2012-13 की संख्या पर आधारित है। वर्ष 2012-13 की संख्या सीपीआई मूल्यवृद्धि से इन्फ्लैटेड है।

(3) औपचारिक ऋण में बैंकों, सहकारी समितियों और सरकार से प्राप्त ऋण शामिल हैं।

परिभाषा भूमि का आकार

भूमिहीन और छोटा - 2.5 हेक्टेयर तक

मध्यम - 2.5-5.5 हेक्टेयर

बृहद् - >5.5 हेक्टेयर

परिशिष्ट-2. चयनित फसलों की कीमतों, मात्राओं और आगम के अनुमान के लिए उपयोग किए गए डाटा का ब्यौरा

कृषि क्षेत्र के तनाव से संबंधित खंड में चित्र 13 के लिए डाटा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि मार्केटिंग सूचना नेटवर्क (एजीएमएआरकेएनईटी) से प्राप्त किया गया है। यह डाटा देश में फैले हुए मुख्य कृषि उत्पाद बाजारों, राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्डों और निदेशालयों से लिंक करता है और प्रमुख कृषि वस्तुओं के लेन देन के संबंध में प्रमुख बाजारों के लिए विविध मूल्य और आगमन रूझान का विश्लेषण करता है। इसका कवरेज राज्य एवं अखिल भारतीय दोनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है।

हम कीमत एवं आगमन डाटा का उपयोग भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए करते हैं। हमने राज्यों के संबंध में एक संतुलित पैनल बनाए रखने के लिए इसमें केवल ऐसे राज्यों को शामिल किया है, जिनके आंकड़े सभी वर्षों में उपलब्ध हैं। ऐसे राज्यों को उत्पाद नमूने में शामिल नहीं किया गया है, जिनके एक वर्ष का उत्पाद आगमन डाटा उपलब्ध नहीं है। सारणी-1 में दी गई सूची प्रत्येक उत्पाद के संबंध में शामिल नहीं किए गए राज्यों को दर्शाती है।

उत्पाद	शामिल नहीं किए गए राज्य
प्याज	अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा
आलू	अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडू
मूंग	अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल
तूर	अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडू, तेलंगाना, त्रिपुरा
गेहूं	अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा

संतुलित पैनल की हमारी अपेक्षा से मिस्सिंग डाटा से परिणामों में कोई बाधा नहीं होती है। नमूने से छोड़े गए राज्य प्रत्येक उत्पाद के कुल आगमन के केवल नगण्य हिस्सा हैं। उदाहरणार्थ, बिहार के संबंध में दो वर्षों में गेहूं नमूने के लिए आंकड़ा प्राप्त न होने के कारण इस संबंधित नमूने से बिहार राज्य को छोड़ा गया है। तथापि, वर्ष 2013 जिसे वर्ष के लिए गेहूं के संबंध में बिहार से डाटा उपलब्ध है, उस वर्ष में भी बिहार में कुल आगमन का प्रतिशत केवल 0.009 प्रतिशत है। इसी प्रकार, आलू के संबंध में नमूने से बिहार को छोड़ा गया है लेकिन वर्ष 2014, जिस वर्ष के संबंध में आंकड़ा उपलब्ध है, उस वर्ष बिहार में कुल आगमन का प्रतिशत केवल 0.027 प्रतिशत है।

पशिष्ट 3. जीवीए तथा जीडीपी के तिमाही और वार्षिक अग्रिम अनुमानों के निर्धारण की पद्धति

नीचे दी गई सारणी सेक्टरों/उप सेक्टरों के लिए प्रयोग किए गए संकेतकों और अपस्फीतिकारक अथवा संस्फीतिकारक के साथ-साथ, राष्ट्रीय अकाउंट के तिमाही एवं वार्षिक अग्रिम अनुमानों की पद्धति को दर्शाती है।

सेक्टर (क्षेत्र)	जीवीए शेयर	प्रयोग किया गया मुख्य सूचक	क्या सूचक नॉमिनल अथवा वास्तविक	नॉमिनल को वास्तविक में परिवर्तित करने हेतु अपस्फीतिकारक/वास्तविक को नॉमिनल में परिवर्तित करने का संस्फीतिकारक
कृषि	13.3	उत्पादन आंकड़ा-फसल एवं मवेशी (अंडा, दूध, मांस)	वास्तविक	डब्ल्यूपीआई-फसल एवं डब्ल्यूपीआई (मवेशी उत्पाद)
वन उद्योग	1.3	पिछला वृद्धि रुझान	वास्तविक	डब्ल्यूपीआई-औद्योगिक लकड़ी
मछली पकड़ना	0.8	इनलैंड और समुद्री मछली उत्पादन	वास्तविक	डब्ल्यूपीआई-मछली (इनलैंड व समुद्री)
खनन एवं उत्खनन	3.1	कोयला उत्पादन, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, आईआईपी खनन सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कॉर्पोरेट वृद्धि	वास्तविक नॉमिनल	कोयला, कच्चा तेल, लोह संबंधी एवं अन्य खनिज और खनिज तेल की भारित औसत डब्ल्यूपीआई
विनिर्माण	13.7	सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कॉर्पोरेट वृद्धि	नॉमिनल वास्तविक	डब्ल्यूपीआई-विनिर्मित उत्पादन (श्रेणी वार संकलित)
	4.1	क्वासी कॉर्पोरेट और असंगठित क्षेत्र के लिए आईआईपी विनिर्माण		
बिजली	1.6	अपाईआईपी-बिजली	वास्तविक	डब्ल्यूपीआई बिजली
गैस एवं जल आपूर्ति	0.4	पिछला वृद्धि रुझान (3-4 वर्ष)	वास्तविक	
निर्माण	8.4	पक्के निर्माण के लिए: सीमेंट का उत्पादन, स्टील, आईआईपी अन्य गैर मेटेलिक खनिज उत्पादों का उपभोग; कच्चा निर्माण के लिए पिछला वृद्धि रुझान	वास्तविक	कुल डब्ल्यूपीआई
व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	10.9	वार्षिक अनुमान: के लिए प्रयुक्त सूचक ये हैं: (क) निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कॉर्पोरेट वृद्धि (ख) असंगठित क्षेत्र के लिए मोटर वाहनों की बिक्री और सेवा कर (मरम्मत सेवाओं के लिए) तथा बिक्री कर (थोक बिक्री और खुदरा व्यापार के लिए) तिमाही अनुमानों के लिए प्रयुक्त सूचक सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) और सेवा कर से निजी कॉर्पोरेट वृद्धि है। सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कॉर्पोरेट वृद्धि और बिक्री कर तिमाही अनुमान के लिए सूचक के रूप में प्रयुक्त है।	नॉमिनल (कॉर्पोरेट वृद्धि, कर) और वास्तविक (मोटर वाहनों की बिक्री)	व्यापार की गई वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई
होटल व रेस्टोरेंट	1.1	सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कॉर्पोरेट वृद्धि	नॉमिनल	व्यापार की गई वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई

सेक्टर (क्षेत्र)	जीवीए शेयर	प्रयोग किया गया मुख्य सूचक	क्या सूचक नॉमिनल अथवा वास्तविक	नॉमिनल को वास्तविक में परिवर्तित करने हेतु अपस्फीतिकारक/वास्तविक को नॉमिनल में परिवर्तित करने का संस्फीतिकारक
रेल परिवहन	0.8	नेट टन कि॰मी॰ और यात्री कि॰मी॰	वास्तविक	सीपीआई परिवहन और संचार (सीपीआई-टीसी)
अन्य परिवहन	4.2	कॉर्गो संचालन (जल परिवहन के लिए यात्री वाहन और कॉर्गो संचालन (वायु परिवहन) वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री संबंधी डाटा का प्रयोग करते हुए सड़क पर मौजूद वाणिज्यिक वाहनों का अनुमान लगाया जाता है।	वास्तविक	सीपीआई-टीसी
संचार व प्रसार	2.0	वार्षिक अनुमानों को संकलित करने के लिए प्रयुक्त सूचक ये हैं, सूचिबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि, उपयोग संबंधी मिनुट्स (दूरसंचार के लिए) और सेवाकर (कोरियर और केबिल सेवाओं के लिए अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि को उपयोग करते हुए क्वार्टराइज किया जाता है।	नॉमिनल (कार्पोरेट वृद्धि कर) और वास्तविक (उपयोग संबंधी मिनुट्स)	सीपीआई-टीसी
बैंकिंग	5.5	तिमाही की समाप्ति पर कुल क्रेडिट एवं जमा में वृद्धि	नॉमिनल	गैर वित्तीय क्षेत्र जीवीए अपस्फीतिकारक
बीमा	0.9	जीवन/गैर जीवन पॉलिसियों के लिए संकलित निवल प्रिमियम	नॉमिनल	गैर वित्तीय क्षेत्र जीवीए अपस्फीतिकारक
रियल एस्टेट	0.9	सूचिबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि	नॉमिनल	सीपीआई (विविध)/कुल डब्ल्यूपीआई (निजी कार्पोरेटीड क्षेत्र)
आवास मालिकाना	6.5	वार्षिक अनुमान ग्रामीण व शहरी आवासों की संख्या में वृद्धि का उपयोग करते हुए किया जाता है। 4 तिमाहियों में समान रूप से वितरित किया जाता है।	वास्तविक	संगत सीपीआई
व्यावसायिक सेवाएं	8.1	सूचिबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि	नॉमिनल	सीपीआई (विविध)/कुल डब्ल्यूपीआई (निजी कार्पोरेटेड क्षेत्र)
लोक प्रशासन एवं रक्षा	5.4	केंद्र और राज्यों की मासिक कर राजस्व वृद्धि	नॉमिनल	सीपीआई सामान्य सूचक (संयुक्त)
अन्य सेवाएं	6.8	(क) निजी क्षेत्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्येतर उपभोक्ता व्यय में होने वाली वृद्धि, जो एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण और सेवाकर से प्राप्त सूचना के अनुसार संकलित है, का उपयोग करते हुए वार्षिक अनुमान तैयार किया जाता है। इस वार्षिक अनुमान को चार तिमाहियों में समान रूप से वितरित किया जाता है। (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, लोक प्रशासन और रक्षा हेतु प्रयुक्त वही सूचकों को आधार बनाया जाता है।	नॉमिनल	संगत सीपीआई

सेक्टर (क्षेत्र)	जीवीए शेयर	प्रयोग किया गया मुख्य सूचक	क्या सूचक नॉमिनल अथवा वास्तविक	नॉमिनल को वास्तविक में परिवर्तित करने हेतु अपस्फीतिकारक/वास्तविक को नॉमिनल में परिवर्तित करने का संस्फीतिकारक
अप्रत्यक्ष कर		केन्द्र तथा राज्यों के कर राजस्व संबंधी मासिक आंकड़े	नॉमिनल	उत्पादों पर करों की स्थिर कीमत का अनुमान बहिर्वेशन मात्रा द्वारा संकलित किया जाता है, विभिन्न उत्पाद करों के लिए बहिर्वेशन मात्रा की गणना अलग से की जाती है। विनिर्माण की आऊटपुट मात्रा में वृद्धि, सेवाएं (लोक प्रशासन एवं रक्षा को छोड़कर) और आयात बहिर्वेशन के लिए प्रयुक्त सूचक है।
सब्सिडी		केंद्रीय सरकार के लेखों से उपलब्ध प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय को सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है।	नॉमिनल	जीवीए अपस्फीतिकारक

टिप्पणी: 1. एमसीए (कार्पोरेट कार्य मंत्रालय) के डाटाबेस को प्रथम संशोधित अनुमान के रूप में उपयोग किया जाता है और अग्रिम और तिमाही अनुमानों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

परिशिष्ट 4. एमएनआरईजीए पर विमुद्रीकरण के प्रभाव और प्रतीपगमन (रिग्रेशन) के परिणामों के आकलन के लिए पद्धति

हम एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित श्रम दिवसों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव मापने का प्रयास कर रहे हैं जो परिकल्पना जांच के रूप में है कि विमुद्रीकरण सामाजिक इश्योरेंस के लिए अधिक मांग का कारण बन गया। ऐसा करने के लिए हम भिन्न रणनीति अपनाते हैं।²⁶ हम नवंबर 8 के पश्चात् और नवंबर 8 के पूर्व के सप्ताह में एमजीएनआरईजीएस श्रम दिवसों की तुलना करते हैं और अध्ययन करते हैं क्या यह अंतर पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में विशेष रूप से अधिक था। वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण के पूर्व और पश्चात् मानव दिवसों में इस प्रकार हुए बदलाव से संबंधित स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट होना चाहिए कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में ऐसा अंतर क्यों हुआ। ये रिग्रेशन जिलों को विभिन्न रूप से प्रभावित कारकों को भी नियंत्रित करते हैं।

औपचारिक रूप से हम एस्टीमेट करते हैं:

$$\text{Log}(\text{Man-days})_{d,w} = \alpha_1(\text{Post}) + \alpha_2(\text{Post} * \text{Demonetization}) + \alpha_3 \text{FE}_{d,m} + \alpha_4 \text{FE}_{d,y} \quad (1)$$

यहां $\text{Log}(\text{man-days})$ किसी जिले में, किसी निर्दिष्ट सप्ताह में सृजित मानव दिवसों के स्वह मूल्य को दर्शाता है; d, w, m और y क्रमशः जिला, सप्ताह, महीने और वर्ष का संकेत करते हैं। Post एक डमी है जो सभी सप्ताहों (वर्ष के विचार किए बिना) के लिए एक का मूल्य रखता है। विमुद्रीकरण एक डमी है जो वर्ष 2016-17 में सभी सप्ताहों (जब विमुद्रीकरण हुआ है) के लिए एक का मूल्य रखता है। $\text{FE}_{d,m}$ जिला, महीना स्थिर प्रभावों का संकेत करते हैं। $\text{FE}_{d,y}$ जिला-वर्ष के स्थिर प्रभावों का संकेत करते हैं। मानक गलतियों का जिला माह स्तर पर क्लस्टर किया गया है, ऐसा सहसंबंध आंकलन की जा रही गलतियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है।

ब्याज का गुणांक 2 - है जो विमुद्रीकरण अवधि का औसतन प्रभाव है।

हमारी पूर्व-विंडो में विमुद्रीकरण के पहले के 8 सप्ताह शामिल है। इसको इसलिए चयन किया गया था कि वर्ष 2016-17 में 25 सप्ताह में सृजित मानव दिवस पूर्व चार वर्षों में सृजित मानव दिवसों के बिल्कुल समान है। हमारा अनुसंधान डिजाइन समांतर रुझान अनुमान के रूप में जो ज्ञात है उस पर आश्रित करता है। यह बताता है कि विमुद्रीकरण न होने की स्थिति में, पूर्व वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में भी प्रवृत्ति उसी प्रकार समान रूपी बनी रही होती। 8 सप्ताह कट ऑफ इस मापदंड को पूरा करने के लिए है। लेकिन, जहां हम इस विंडो का विस्तार एवं संकुचन दोनों करते हैं वहां परिणाम भी प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त, चित्र 24-27 का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि समांतर प्रवृत्ति अनुमान उत्तर प्रदेश, जहां वर्ष 2016-17 में वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्षों की तुलना में एमजीएनआरईजीएस का उपयोग बहुत ज्यादा था, पर प्रभावी नहीं है। इसलिए, उत्तर प्रदेश के साथ और उत्तर प्रदेश के बिना हमें मजबूती के लिए जांचना चाहिए।

हम इस प्रकार भी एस्टीमेट करते हैं:

$$\text{Log}(\text{Man-days})_{d,w} = \alpha_1(\text{Post}) + \alpha_{21}(4 \text{ weeks-Post} * \text{Demonetization}) + \alpha_{22}(5-10 \text{ weeks-Post} * \text{Demonetization}) + \alpha_{23}(\text{Beyond 10 weeks-Post} * \text{Demonetization}) + \alpha_3 \text{FE}_{d,m} + \alpha_4 \text{FE}_{d,y} \quad (2)$$

इस स्पेसिफिकेशन में, विमुद्रीकरण के बाद की अवधि को तीन विंडो में विभाजित किया गया है। क्या समय के साथ प्रभाव में भिन्नता हुई है, इसके आकलन करने के लिए ऐसा किया है।

सारणी 1 और 2 क्रमशः स्पेसिफिकेशन 1-2 के लिए हमारे प्रतिगमनों के परिणामों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत

²⁶ Bertrand, M., Duflo, E., Mullainathan, S., "How much should we trust in difference-in-difference estimates?", Quarterly Journal of Economics (2004), 249-275. http://www.utdallas.edu/~d.sul/Econo2/Marianne_etal_QJE_04.pdf

करती हैं।

अतः बेस लाईन में जो समग्र देश को कवर करता है हम यह देख सकते हैं कि विमुद्रीकरण से एमजीएनआरईजीएस रोज़गार के लिए मांग 10 प्रतिशत तक बढ़ गई (कॉलम-1)। इस नमूने को कम विकसित राज्यों (कॉलम-2) तक सीमित करते हुए यह पाया जाता है कि 39 प्रतिशत एमजीएनआरईजीएस विमुद्रीकरण का प्रभाव अधिक था। कॉलम-3 में हम नमूने को उत्तर प्रदेश तक सीमित करते हैं और जिस पर कोई प्रभाव नहीं है। हम, कॉलम-4 में चार सप्ताहों तक सिकुड़ते हुए और कॉलम-5 में 12 सप्ताह तक विस्तार करते हुए कॉलम 4 और 5 में फ्री विंडों में परिवर्तन करते हैं। परिणाम क्रमशः सुदृढ़ और कमजोर नजर आते हैं। कॉलम-6 में विमुद्रीकरण के पश्चात् पांच सप्ताहों के लिए निरीक्षण करते हैं और यह पाया जाता है कि सकारात्मक प्रभाव जारी रहता है। कॉलम-7 में, नमूने से दो सूखे वर्षों को ड्राप करते हैं जो इसी प्रकार के कृषि संबंधी वर्षों तक तुलना को सीमित रखने के लिए है और इसका परिणाम सांख्यिकीय तरीके से महत्वपूर्ण नहीं होता है।

विमुद्रीकरण अवधि को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने को छोड़कर सारणी-2 सारणी-1 के समान है। 3 अलग-अलग अवधियों का सबूत है: प्रथम चार सप्ताह की 'षोक' अवधि जिसमें एमजीएनआरईजीएस के लिए मांग में गिरावट (बेसलाइन में 25 प्रतिशत तक) हुई, उसके बाद छः सप्ताह का 'वसूली' चरण, जिसमें एमजीएनआरईजीएस के लिए कोई देखने लायक मांग नहीं है और आखिर में बाद के 10 सप्ताहों के गतिवर्धन का चरण, जिसमें एमजीएनआरईजीएस

सारणी 1: एमजीएनआरईजीएस रोज़गार पर विमुद्रीकरण का संभावित प्रभाव

	(1) बेसलाइन	(2) कम विकसित राज्य	(3) केवल उत्तर	(4) सप्ताह 29 से प्रदेश	(5) सप्ताह 21 से	(6) ड्रापिंग सप्ताह 33-36	(7) सूखे वर्षों को छोड़ते हुए
विमुद्रीकरण प्रभाव	0.10*** (0.02)	0.39*** (0.03)	0.04 (0.07)	0.23*** (0.03)	-0.05** (0.02)	0.20*** (0.02)	0.02 (0.02)
आर-स्कोर	0.81	0.81	0.77	0.83	0.8	0.82	0.84
# प्रेक्षण	82607	28631	9688	69844	95397	69874	49425

सारणी 2: एमजीएनआरईजीएस रोज़गार पर विमुद्रीकरण का संभावित प्रभाव: विमुद्रीकरण के सभी विंडो के संबंध में

	(1) बेसलाइन	(2) कम विकसित राज्य	(3) केवल उत्तर	(4) सप्ताह 29 से प्रदेश	(5) सप्ताह 21 से	(6) सूखे वर्षों को छोड़ते हुए
विमुद्रीकरण से पहले 4 सप्ताहों में हुआ प्रभाव	-0.25*** (0.03)	-0.09** (0.04)	-1.11*** (0.10)	-0.12*** (0.03)	-0.39*** (0.03)	-0.28*** (0.03)
विमुद्रीकरण से 5-10 सप्ताहों में हुआ प्रभाव	0.00 (0.03)	0.25*** (0.04)	-0.27*** (0.09)	0.13*** (0.03)	-0.14*** (0.03)	-0.06** (0.03)
10 सप्ताहों के बाद विमुद्रीकरण का प्रभाव	0.27*** (0.02)	0.63*** (0.04)	0.60*** (0.07)	0.41*** (0.03)	0.13*** (0.02)	0.19*** (0.03)
आर-स्कोर	0.81	0.82	0.8	0.83	0.8	0.85
# प्रेक्षण	82607	28631	9688	69844	95397	49425

की मांग में 27 प्रतिशत की भारी उछाल दिखाई दी।

यह सभी परिणाम सूचक हैं, निष्पक्ष नहीं हैं। इसके व्यापक परिणाम रोचक एवं संकीर्ण दोनों हैं और विमुद्रीकरण-एमजीएनआरईजीएस के संबंध को सुलझाने के लिए और अनुसंधान की आवश्यकता है।

मापे गया परिणाम प्रति सप्ताह प्रति जिला मानव दिवसों का लॉग है। सभी प्रतिगमन (रिग्रेशन) सभी जिलों के लिए है। प्रत्येक वित्त वर्ष के सप्ताह 25-52 को कॉलम (1) में बेसलाइन स्पेसीफिकेशन में एक बार विचार किया गया है। हमने इस प्रकार इसलिए किया कि सप्ताह 25 में, चालू वर्ष में औसतन व्यय तथा पिछले वर्षों के औसतन व्यय बिल्कुल समान रहे। सभी प्रतिगमनों (रिग्रेशन) से हमने सप्ताह 40 और सप्ताह 41 को छोड़ दिया है क्योंकि वे पूर्व-2016 के वर्षों में मानव दिवसों में अस्पष्ट रूप से नीचे दिखाने का स्वभाव है। विमुद्रीकरण सप्ताह 33 को हुआ। अतः विमुद्रीकरण के पश्चात होने वाली भिन्नता वर्ष 2016 में सप्ताह 33 के दौरान तथा उसके पश्चात की अवधि के लिए मानव दिवसों के लॉग पर अंतर लाने वाला प्रभाव दर्शाती है। कॉलम (2) में केवल बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्यों के जिले शामिल हैं। कॉलम (3) में केवल उत्तर प्रदेश के जिलों से संबंधित प्रतिगमन (रिग्रेशन) दिखाता है। कॉलम (4) में 29-52 के बीच के सभी सप्ताह शामिल हैं। कॉलम (5) में 21-52 के बीच के सभी सप्ताह शामिल हैं। कॉलम (6) में सारणी 1 में 33-36 सप्ताह को छोड़ा गया है, विमुद्रीकरण के पश्चात 4 सप्ताहों में मानव दिवसों में हुई असाधारण कमी को दिखाने के लिए ऐसा इसलिए किया गया। सारणी 1 में कॉलम 7 तथा सारणी 2 में कॉलम 6 में वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के 2 सूखे वर्षों को छोड़ा गया है ताकि तुलना को अच्छे मानसून वर्षों में सीमित रखा जा सके। जिला-वर्ष और जिला-महीना सहित सभी प्रतिगमनों (रिग्रेशन) को नियत प्रभाव हैं। सभी मानक त्रुटियों को जिला-महीने स्तर पर क्लस्टर किया गया है, जो इन त्रुटियों के परस्पर संबंध से बचने के लिए है।

$*p<0.01$, $**p<0.05$, $***p<0.01$

परिशिष्ट 5. सेक्शन VI.5 में वृद्धि संरूपण प्रक्रिया के लिए उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं का नमूना।

1.	अर्जेंटीनया
2.	कोरिया
3.	बोलिविया
4.	चिली
5.	भारत
6.	ब्राजील
7.	इंडोनेशिया
8.	मलेशिया
9.	मैक्सिको
10.	फिलिपिन्स
11.	साउथ अफ्रीका
12.	थाइलैंड
13.	तुर्की
14.	वियतनाम
15.	कॉलम्बिया
16.	चीन
17.	पॉलैंड
18.	रूमानिया
19.	पेरू
20.	बंगलादेश
21.	ईजिप्ट
22.	इजराइल
23.	मोरिशस
24.	सिंगापुर

राजकोषीय घटनाक्रम

केन्द्र सरकार के वित्त साधन पिछले तीन वर्षों में काफी हद तक समेकित हुए। इसके लिए कर-राजस्व में बढ़ोतरी से मदद मिली थी जो मुख्यतः अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए किए गए उपायों और कम हो चुकी पेट्रोलियम कीमतों से जुड़ी सब्सिडी में की गई कमी से उपजी थी। खर्च करने की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ जब पूंजीगत व्यय की ओर धीरे-धीरे झुकाव होता दिखाई दिया। वर्ष 2016-17 में राजकोषीय परिणाम की विशेषता कर-राजस्व में हुई जबरदस्त वृद्धि रही थी, जो मुख्यतः पेट्रोलियम पर लगाए गए उत्पाद शुल्कों से उत्पन्न हुई थी, तथा वेतन/पेंशन-भिन्न राजस्व व्यय और उधारों का समेकन रही थी। वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में, एफआरबीएम समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित कठोर समेकन की बजाय क्रमिक समेकन के विकल्प का चयन किया गया, जिसमें चक्रीय दृष्टि से कमजोर होती अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों और विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन कायम किया गया। ऐसा विशेषकर राज्य सरकारों के वित्त साधनों में आड़े आ रही बाधाओं के चलते किया गया जो “उदय” कार्यक्रम के अंतर्गत ‘डिस्कॉम की देनदारियों को उनके द्वारा वहन करने के रूप में दिखाई दीं। केन्द्र जीएसटी के पहले वर्ष में अपने वित्त-साधनों पर नजर रखे हुए है। राज्यों के वित्त-साधन अब कृषि ऋण की संभावित माफी के चलते दबाव में हैं। और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समेकन की प्रवृत्ति के चलते, वर्ष 2017-18 में सरकारी निवेश में होने वाली वृद्धि साधारण रह सकती है।

2.1 केंद्रीय बजट 2016-17 विरुद्ध वैश्विक मांग की परिस्थितियों के बाद भी बाह्य चालू खाता में सुधार, मंद मुद्रास्फीति और स्थिर घरेलू बृहत आर्थिक संभावनाओं के परिवेश में प्रस्तुत किया गया था। केन्द्रीय बजट ने बृहत आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को अपनाते हुए, वैश्विक मांग में मंदी के संकट को झेलने के लिए घरेलू मांग पर आश्रित रहने की ज़रूरत को मान्यता दी। द्वितुलन-पत्र की चुनौतियों से प्रभावित निजी निवेश शिथिल सा था। इस वर्ष की विशिष्ट चिन्ताएं 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाएं तथा रक्षा-सेवा में वन-रैंक-वन-पेंशन लागू करने के लिए संसाधन जुटाने की थीं। राज्यों के लिए चौदहवें वित्त आयोग के तहत अधिदेशित उच्च कर अंतरण को भी बनाये रखा जाना था। इस प्रकार 2016-17 की

राजकोषीय नीति को अर्थव्यवस्था के लिए रक्षित इष्टतम स्थिति के बीच मिले-जुले उद्देश्यों के समूह का सामना करना पड़ा।

2.2 वर्ष 2016-17 पर ध्यान केन्द्रण के साथ भारत में राजकोषीय स्थिति में हुए सुधारों की समीक्षा कर रहे इस अध्याय को चार भागों—केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति, सामान्य सरकार की वित्तीय स्थिति और 2017-18 तथा इससे आगे की संभावनाओं में बांटा गया है।

केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों की स्थिति

2.3 व्यय की दबावमूलक चिन्ताओं और एफआरबीएम की कार्ययोजना से संबंधित विरोधाभासी विचारों के बावजूद, 2016-17 के बजट ने पिछले वर्ष के स्तरों

से राजकोषीय, राजस्व और प्राथमिक घाटे के स्तरों को समेकित करने का निर्णय लिया (सारणी-1)। कुल मिलाकर 2016-17 में केंद्रीय सरकार का वित्तीय निष्पादन कर राजस्व में जबरदस्त वृद्धि होने, पूंजीगत व्यय की गति को बनाए रखने और वेतन/पेंशन-भिन्न राजस्व व्यय के समेकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस संयोजन से

सरकार अपने बजटीय स्तर के सापेक्ष कर-भिन्न राजस्व और ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों में आई गिरावट के बावजूद, बजट घाटे को 2015-16 में जीडीपी के 3.9 प्रतिशत से घटाकर 2016-17 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर ला सकी। राजकोषीय सुदृढीकरण जो 2011-12 के अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तरों से 2012-13 में प्रारंभ

सारणी 1. केंद्र सरकार के वित्तीय संकेतक

संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17 ब.अ.	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
(₹ लाख करोड़ में)					
राजस्व प्राप्तियां	11.01	11.95	13.77	13.76	15.16
सकल कर राजस्व	12.45	14.50	16.31	17.17	19.12
निवल कर राजस्व	9.04	9.44	10.54	11.02	12.27
कर-भिन्न राजस्व	1.98	2.51	3.23	2.74	2.89
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां(*)	0.51	0.63	0.67	0.64	0.84
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	11.53	12.58	14.44	14.40	16.00
कुल व्यय	16.64	17.91	19.78	19.75	21.47
राजस्व व्यय	14.67	15.38	17.31	16.85	18.37
पूंजी व्यय	1.97	2.53	2.47	2.90	3.10
वित्तीय व्यय घाटा	5.11	5.33	5.34	5.35	5.47
राजस्व घाटा	3.66	3.43	3.54	3.08	3.21
प्राथमिक घाटा	1.08	0.91	0.41	0.55	0.23
मैमो आइटम					
वर्तमान कीमतों पर जीडीपी	124.45	136.82	150.65	151.84	168.47
(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)					
राजस्व प्राप्तियां	8.9	8.7	9.1	9.1	9.0
सकल कर राजस्व	10.0	10.6	10.8	11.3	11.3
निवल कर राजस्व	7.3	6.9	7.0	7.3	7.3
कर-भिन्न राजस्व	1.6	1.8	2.1	1.8	1.7
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां(*)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	9.3	9.2	9.6	9.5	9.5
कुल व्यय	13.4	13.1	13.1	13.0	12.7
राजस्व व्यय	11.8	11.2	11.5	11.1	10.9
पूंजी व्यय	1.6	1.8	1.6	1.9	1.8
वित्तीय व्यय घाटा	4.1	3.9	3.5	3.5	3.2
राजस्व घाटा	2.9	2.5	2.3	2.0	1.9
प्राथमिक घाटा	0.9	0.7	0.3	0.4	0.1

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

अ.वा.: अंतिम वास्तविक आंकड़े; ब.अ.=बजट अनुमान;

*विनिवेश आगम शामिल है।

हुआ, 2016-17 में भी जारी रहा।

2.4 विगत तीन वर्षों में केंद्र सरकार के वित्तीय साधनों की स्थिति में हुए अधिकांश महत्वपूर्ण परिवर्तनों में ये शामिल है:—

- अतिरिक्त संसाधन जुटाने (विस्तार बाद में किया जाएगा) हेतु किए गए प्रयत्नों की सहायता से जीडीपी अनुपात की तुलना में कर जुटाने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ;
- व्यय में क्रमिक झुकाव निवेश व्यय की ओर होना और राजस्व व्यय का समेकन हुआ, जिनके परिणामस्वरूप जीडीपी की अपेक्षा राजस्व और राजकोषीय घाटों में उत्तरोत्तर गिरावट हुई (सारणी-1)।

2.5 राजकोषीय मानदंडों की वृद्धि दरें सारणी-2 में दिखाई गई हैं। व्यय की तुलना में गैर-सहज प्राप्तियों में हुआ क्रमिक सुधार इस सारणी में दृष्टव्य है।

क. राजस्व सृजन योजनाएं और परिणाम

2.6 केन्द्रीय सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियों (एनडीआर) में अंतरण निवल कर राजस्व (निवल कर राजस्व), अन्य बातों के साथ-साथ, स्पेक्ट्रम नीलामी से हुई प्राप्तियां और लाभांश तथा लाभ सहित कर-भिन्न राजस्व और ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां, मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र

के उद्यमों में विनिवेश से हुए आगम, शामिल हैं। बजट 2016-17 में निवल कर राजस्व में सुधरी हुई वृद्धि और कर-भिन्न राजस्व में सुदृढ़ वृद्धि जो स्पेक्ट्रम नीलामी के आगमों से प्रेरित होने वाली थी, और विनिवेश के इष्टतम लक्ष्य के साथ सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि को लक्षित किया था। एनडीआर में कुल परिणाम लक्ष्य के लगभग अनुरूप रहा, परंतु इसके घटकों के योगदान तदनुरूपी बजट विहित लक्ष्यों से काफी भिन्न रहे। कर राजस्व की वृद्धि लक्ष्य से आगे निकल गयी और इससे कर-भिन्न राजस्व और विनिवेश-आगमों में रह गई कमियों की पूर्ति हो गयी।

2.7 कर-भिन्न राजस्व बजट विहित लक्ष्यों से बहुत कम स्पेक्ट्रम नीलामी से हुए आगमों में कमी के कारण रहा। इसी प्रकार, ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां बजट विहित आंकड़ों से कम रहीं, क्योंकि विनिवेश से हुई आय कार्यनीतिक पूंजी के अधिकार-त्याग और सूटी (SUUTI) निवेश के प्रबंधन से हुई आय सहित 2016-17 की अवधि के दौरान बजट लक्ष्य ₹56,500 करोड़ और संशोधित अनुमान ₹45,500 करोड़ के विपरीत ₹46,247 करोड़ थी। यद्यपि विनिवेश से हुआ आगम बजटीय लक्ष्यों से पीछे रह गया तथापि, विनिवेश से प्राप्त संपूर्ण धनराशि और केंद्र सरकार के व्यय के लिए धन देने की इसकी सामर्थ्य, दोनों 2016-17 में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए (चित्र 1)। कुल

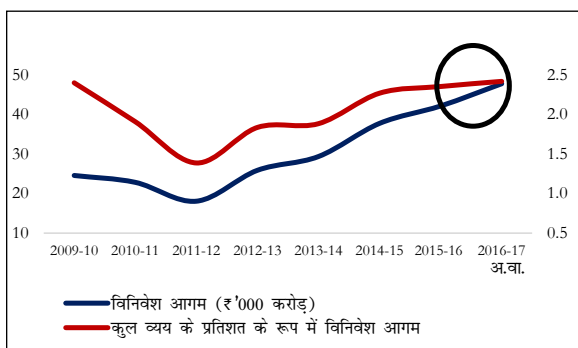
सारणी 2. वित्तीय संकेतकों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
राजस्व प्राप्तियां	8.5	8.5	15.2	10.1
सकल कर राजस्व	10.8	4.4	16.8	11.3
निवल कर राजस्व	-0.5	27.0	9.1	5.3
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां(*)	23.0	22.3	0.9	33.0
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	9.1	9.1	14.5	11.1
कुल व्यय	6.7	7.6	10.3	8.7
राजस्व व्यय	6.9	4.8	9.5	9.0
पूंजी व्यय	4.8	28.6	14.7	6.7

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

अ.वा.: अर्न्तम वास्तविक; ब.अ.: बजट अनुमान (*) विनिवेश आगम शामिल है।

चित्र 1. विनिवेश आगम



स्रोत: केन्द्रीय बजट

ऋण-भिन्न प्राप्तिओं के प्रतिशत के रूप में, यह 3.2 प्रतिशत बैठता है, जो पिछले पांच वर्ष के तदनुसूची औसत से एक प्रतिशतांक से अधिक है।

2.8 वर्ष 2016-17 में सकल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः उत्पाद शुल्क के उत्साहजनक राजस्व एकत्रण के कारण विगत छह वर्ष में उच्चतम थी। 2016-17 के दौरान किए गए मुख्य कर उपाय इस अध्याय के परिशिष्ट में दिए गए हैं। प्रत्यक्ष कर के मामले में, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन ने वैयक्तिक आयकर से धनराशि एकत्रण में योगदान दिया (सारणी 3) और चालू वित्त वर्ष में भी ऐसा ही होने की काफी संभावना है।

2.9 उत्पाद शुल्क और सेवा कर से अतिरिक्त कर संसाधन जुटाने के प्रयत्नों से पिछले दो वर्ष में अधिक धनराशि एकत्रित करने में पर्याप्त मदद मिली (सारणी 3)। दो उल्लेखनीय प्रयास तो स्वच्छ भारत उपकर और कृषि कल्याण उपकर हैं। स्वच्छ भारत प्रकल्पों में योगदान के लिए पहला उपकर नवंबर 2015 में लगाया गया था तो कृषक कल्याण और कृषि कार्यों के वित्तीयन के उद्देश्य से दूसरा उपकर जून 2016 में लगाया गया है। ये मिलकर 2016-17 में सेवाकर राजस्व में बहुत बड़ी वृद्धि का कारण बने हैं। वस्तुतः सेवाकर के सकल संकलन में इन दो उपकरों का योगदान एक तिहाई रहा है। इसी प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों से उत्पाद-शुल्क संकलन में वृद्धि ने कुल उत्पाद-शुल्क संकलन में दो तिहाई से अधिक योगदान दिया। जैसाकि आर्थिक समीक्षा के खंड-I में उल्लेख किया गया है, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत, नकदी की कमी की अवधि के दौरान इन उत्पादों के लिए विशेष संदाय व्यवस्था के कारण, विमुद्रीकरण से काफी हद तक अप्रभावित रही। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि के साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयत्नों को 2016-17 में पेट्रोलियम उत्पादों से आबकारी-संकलन में हुई 40% की वृद्धि का कारण बताया गया। पिछले दो वर्ष में उत्पाद और सेवाकर संकलन आधिक्य को

सारणी 3. केंद्र के मुख्य कर राजस्व

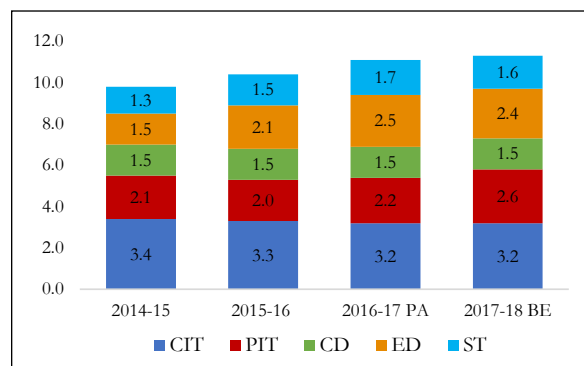
कर	2014-15	2015-16	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.	2014-15	2015-16	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
	(₹ लाख करोड़ में)				(वृद्धि प्रतिशत में)			
सकल कर राजस्व	12.45	14.50	17.17	19.12	9.8	16.5	18.4	11.3
निगम कर	4.29	4.53	4.85	5.39	8.7	5.7	7.0	11.1
वैयक्तिक आय कर	2.58	2.80	3.41	4.41	8.6	8.5	21.5	29.6
सीमा शुल्क	1.88	2.10	2.26	2.45	9.3	11.9	7.4	8.4
उत्पाद शुल्क	1.90	2.87	3.81	4.07	12.1	51.2	32.7	6.8
सेवा कर	1.68	2.11	2.55	2.75	8.5	25.9	20.4	8.0

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

अ.वा.: अनंतिम वास्तविक आंकड़े; ब.अ.=बजट अनुमान;

प्रतिबिम्बित करते हुए जीडीपी में अप्रत्यक्ष करों का अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया (चित्र 2)।

चित्र 2. कर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

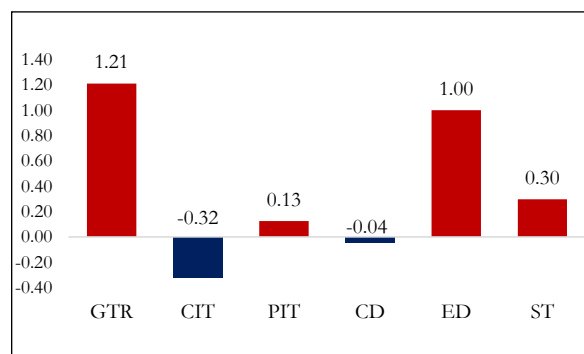


स्रोत: सीजीए

सीआईटी=निगम कर; पीआईटी=वैयक्तिक आयकर; सीडी=सीमा शुल्क; ईडी=उत्पाद शुल्क; एसटी=सेवा कर

2.10 वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान कर संग्रह में हुए सुधार से सृजित अधिकांश राजकोषीय गुंजाइश, महत्व के क्रम में, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैयक्तिक आय कर के कारण हुई (चित्र 3)। अप्रत्यक्ष कर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क तथा सेवाकर-में विगत तीन वर्ष में कुल मिलाकर जीडीपी के 1.3 प्रतिशतांक तक सुधार हुआ। संचयी कर नीति में किए गए परिवर्तन के कारण कर प्राप्त विगत तीन वर्ष में जीडीपी के 0.8 प्रतिशत से अधिक परिगणित हुई। भविष्य में, कर संग्रह में सुधार

चित्र 3. 2013-14 से 2016-17 के दौरान कर संग्रह में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में परिवर्तन



स्रोत: सीजीए

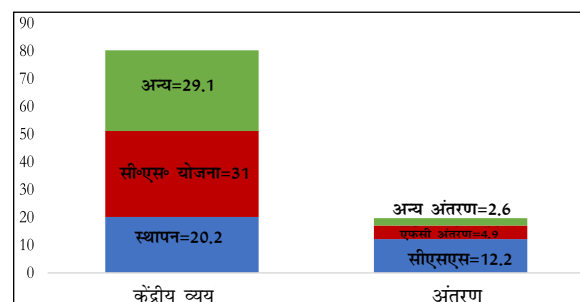
जीटीआर=सकल कर निगम; सीआईटी=वैयक्तिक सीमा; पीआईटी=उत्पाद सेवा; सीडी=राजस्व कर; ईडी=आयकर शुल्क; एसटी=शुल्क कर

की धारणीयता जीएसटी, जिसमें अन्य उपकरणों और करों (ब्योरे बॉक्स 1 में) के अलावा उत्पाद-शुल्क और सेवा कर दोनों शामिल होंगे, से राजस्व वृद्धि पर निर्भर करेगी। इसके विपरीत, निगमित कर संग्रह 0.3 प्रतिशतांक कम हो गया है जो शायद सामान्य रूप से कंपनियों में चालू तुलनपत्र पर दबाव के कारण हो सकता है।

ख. व्यय में प्रवृत्तियाँ

2.11 केंद्र सरकार का सकल बजटीय व्यय मोटे तौर पर केंद्र सरकार के व्यय और अंतरणों में विभाजित किया जा सकता है। 2016-17 (सं.अ.) में, केंद्र सरकार का व्यय कुल बजटीय व्यय का 80.3 प्रतिशत बैठता था और शेष 19.7 प्रतिशत अंतरण राशि था (चित्र 4)।

चित्र 4. 2016-17 के सं. अ. में बजटीय व्यय में कुल हिस्सा (प्रतिशत में)



स्रोत: केंद्रीय बजट 2017-18

सं.अ.=संशोधित अनुमान

सीएस योजना केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं (एफसी)

अंतरण=वित्त आयोग अंतरण;

सीएसएस=केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

2.12 राजस्व व्यय के मामले में 7वें वेतन आयोग की देयताओं से बोझिल और एफआरबीएम की वचनबद्धता से निरुद्ध, बजट 2016-17 ने सामान्य पूंजीगत व्ययन को लक्षित किया (सारणी 1)। तथापि, अतिरिक्त कर संसाधनों ने पूंजीगत व्यय बनाए रखने और तनख्वाह और पेंशन पर सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू करने के लिए उधार लेने के कार्यक्रम का विस्तार किए बिना, गुंजाइश उत्पन्न कर दी।

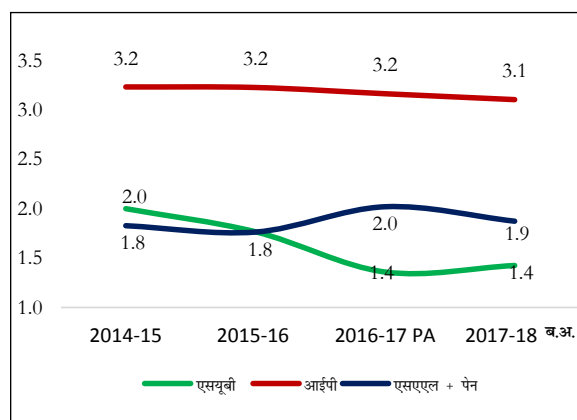
2.13 वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय में वृद्धि के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला कारक पिछले वर्ष वेतन

और पेंशन संबंधी व्यय में वृद्धि, जो वेतन आयोग के कारण वर्ष के दौरान कार्मिकों और पेंशनरों की आय में वृद्धि को मुख्य रूप से प्रतिबिंबित करता है। वेतन और पेंशन संबंधी खर्च को हटाने पर, राजस्व व्यय में वृद्धि 2016-17 में काफी कम थी (सारणी 4 एवं 5 और चित्र 5)।

2.14 मुख्य सब्सिडियां, जिनमें खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडियां भी शामिल हैं, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2012-13 से लगातार घट रही हैं (चित्र 5)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुसरण में खाद्य सब्सिडियां उच्च बनी रहने के बावजूद यह प्रतिशत घटा है।

2.15 वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय में वृद्धि का दूसरा कारण पूंजी परिसंपदाओं के सृजन हेतु अनुदान (जीसीसीए) में 26.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को दिए गए सभी अनुदान राजस्व व्यय के रूप में माने जाते हैं, परंतु इन अनुदानों के एक भाग का प्रयोग पूंजी के सृजन के लिए किया

चित्र 5. राजस्व व्यय की मुख्य मदें जीडीपी के % के रूप में



स्रोत: सीजीए; पीए: अंतिम वास्तविक आंकड़े;
ब.अ.=बजट अनुमान; आईपी=ब्याज संदाय;
एसयूबी=मुख्य इमदाद; एसएएल=वेतन और भत्ते; पेन=पेंशन

जाता है। ऐसा निवेश संवर्धन, जो केंद्रीय सरकार के व्यय के चलते अर्थव्यवस्था को मिलता है, का अनुमानित आकलन राजस्व व्यय में से जीसीसीए को घटाकर और इसे पूंजी व्यय में जोड़कर किया जा सकता है। यह

सारणी 4. राजस्व व्यय की मुख्य मदें (₹ लाख करोड़ में)

मदें	2014-15	2015-16	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
ब्याज संदाय	4.0	4.4	4.8	5.2
मुख्य इमदाद	2.5	2.4	2.1	2.4
पेंशन	0.9	1.0	1.3	1.3
वेतन	1.3	1.4	1.8	1.8

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए
अ.वा.=अंतिम वास्तविक आंकड़े; ब.अ.=बजट अनुमान

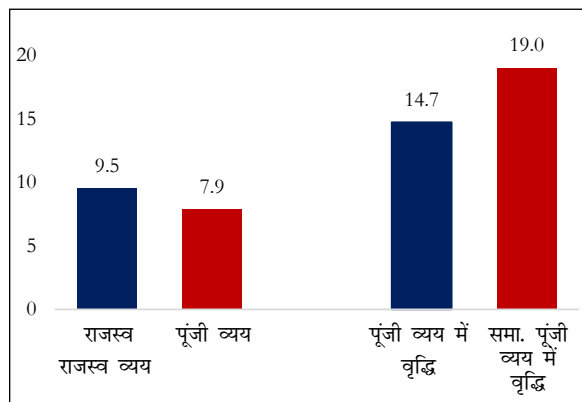
सारणी 5. राजस्व व्यय के मुख्य घटकों में वृद्धि (प्रतिशत में)

	2015-16	2016-17 ब.अ.	2016-17 अ.वा.
राजस्व व्यय	4.8	12.6	9.5
ब्याज संदाय	9.7	11.5	8.8
मुख्य इमदाद	-2.9	-4.2	-14.6
पेंशन	3.4	27.5	33.4
वेतन और भत्ते	7.9	27.2	23.1
एनएसपी-सं. अ	4.6	9.8	6.3

स्रोत: भारत सरकार का बजट और सीजीए
एनएसपी-सं. अ=वेतन-भिन/पेंशन-भिन राजस्व व्यय

समायोजन वर्ष में पूंजीगत व्ययों को काफी बढ़ा देता है (चित्र 6)।

चित्र 6. वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय (आर०ई०) और पूंजी व्यय (सीई) में वृद्धि (प्रतिशत में)

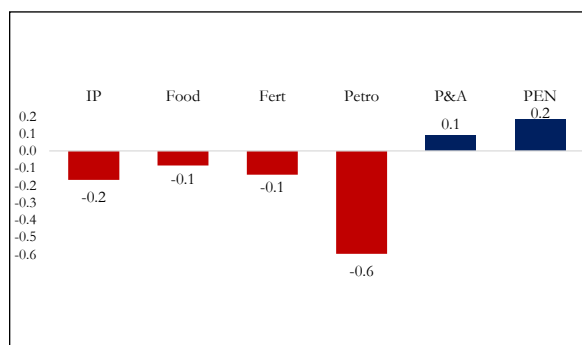


स्रोत: सीजीए

समा.= समायोजित

2.16 वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान, केंद्रीय सरकार का कुल बजटीय व्यय जीडीपी का 0.9 प्रतिशतांक--राजस्व व्यय 1.1 प्रतिशतांक कम हुआ है, जबकि पूंजीगत व्यय 0.1 प्रतिशतांक बढ़ा है। हालिया व्यय रुझान पूंजीगत व्यय की ओर क्रमिक झुकाव के साथ, बेहतर व्यय गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है (सारणी 1 और सारणी 2)। चित्र 7 दर्शाता है कि आधे से अधिक राजवित्तीय गुंजाइश का सृजन पेट्रोलियम

चित्र 7. राजस्व व्यय के चुनिंदा घटकों में 2013-14 से 2016-17 के दौरान जीडीपी के % के रूप में परिवर्तन



स्रोत: केंद्रीय बजट

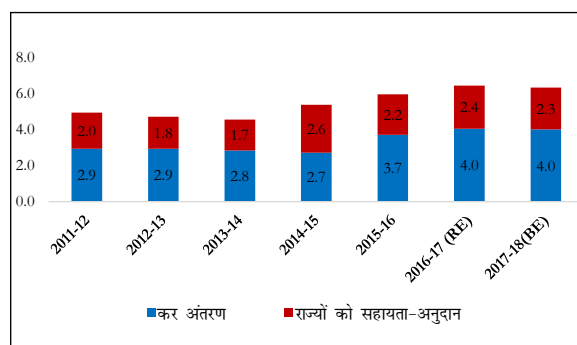
IP=व्याज संदाय; Food=खाद्य सब्सिडी; Fert=उर्वरक सब्सिडी; Petro=पेट्रोलियम सब्सिडी; P&A=वेतन व भत्ते; PEN=पेंशन

सब्सिडी में हुई कटौती के चलते राजस्व व्यय कम होने से हुआ है। यह कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में आई कमी, मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने और सब्सिडियों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए हेरा-फेरी समाप्त करने के संयुक्त परिणाम को दर्शाता है।

ग. अंतरण

2.17 केंद्र से राज्यों को अंतरण में कर अंतरण और अनुदान शामिल होता है। 2013-14 तक, केंद्र प्रायोजित स्कीमों की निधियां दो तरीके-राज्यों की समेकित निधियों और राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से-से दी जाती थीं। 2014-15 में, राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष अंतरण समाप्त कर दिया गया और सीएसएस के लिए अंतरणों सहित राज्यों को सभी अंतरण राज्यों की समेकित निधियों के जरिए किए जाने शुरू कर दिए गए (सारणी 6)। इसलिए, 2014-15 में राज्यों के कुल अंतरण में वृद्धि (चित्र 8) काफी हद तक अंतरण के पैटर्न में किए गए बदलाव का परिणाम थी।

चित्र 8. राज्यों को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अंतरण



स्रोत: व्यय विभाग वित्त मंत्रालय

आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

2.18 चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को विभाजनीय कर पुल का 32 प्रतिशत देने की बजाय 42 प्रतिशत देने की संस्तुति की थी। इस संस्तुति के कार्यान्वयन के अनुसरण में, 2015-16 में राज्यों को किए जाने वाले कर अंतरण में जीडीपी के 1 प्रतिशतांक तक की वृद्धि हुई। राज्यों को किए जाने वाले कुल अंतरण में भी वृद्धि हुई, परंतु

सारणी 6. केंद्र से राज्यों को अंतरण (₹ लाख करोड़)

	2014-15	2015-16	2016-17 (स.अ.)	2017-18(ब.अ.)
कर अंतरण	3.38	5.06	6.08	6.75
सहायता अनुदान	3.30	3.06	3.59	3.88
कुल	6.68	8.12	9.67	10.63

स्रोत: व्यय विभाग वित्त मंत्रालय

सं.अ.: संशोधित अनुमान; ब.अ.: बजट अनुमान

इसका अनुपात कम रहा। यह जीडीपी के 0.5 प्रतिशतांक तक रही। इसका कारण यह था कि अनिबद्ध कर अंतरण में वृद्धि निबद्ध अंतरणों में की गई कुछ कटौती से भी जुड़ी हुई थी। (चित्र 8)। जीडीपी के सापेक्ष केंद्र के सकल कर राजस्व में तदनुरूपी बदलाव (सारणी 1) को प्रतिबिंबित करते हुए, 2016-17 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर अंतरण में वृद्धि हुई। (चित्र 8)

घ. केंद्रीय सरकार का ऋण

2.19 अल्प, परंतु निरंतर, राजकोषीय समेकन के चलते, 2015-16 में हुई आंशिक वृद्धि को छोड़कर, जीडीपी के अनुपात में केंद्रीय सरकार की देयताएं घट रही हैं (सारणी 7)। पिछले 14 वर्षों में, ऐसे केवल दो वर्ष-2011-12 और 2015-16 हैं जब केंद्रीय सरकार की देयताओं में सांकेतिक जीडीपी की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। प्रथम वर्ष में, यह वृद्धि असामान्य राजकोषीय विस्तार

के कारण हुई थी-पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 1.1 प्रतिशतांक बढ़ गया था। 2015-16 में, सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे को कम किया। फिर भी, देयताओं में वृद्धि 10.6 प्रतिशत थी, जो सांकेतिक जीडीपी की 9.9 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक थी। इसका कारण यह था कि मुद्रास्फीति में आई तीव्र गिरावट के चलते, पिछले वर्ष की तुलना में सांकेतिक जीडीपी वृद्धि लगभग एक प्रतिशतांक तक नीचे आ गई थी (चित्र 9)। वर्ष 2016-17 में यह रुझान विशिष्ट रूप से उलटा हो गया।

2.20 ऋण के संदर्भ में अन्य विशिष्ट रुझान नियत ब्याज दर वाली बाजार उधारों पर निर्भरता में वृद्धि और भारत सरकार के ऋण पोर्टफोलियो में विदेशी उधारों की कम होती अहमियत थे। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाहरी ऋण में धीमी, परंतु निरंतर गिरावट, भारत के ऋण स्टॉक के अपेक्षाकृत कम मुद्रा जोखिम और

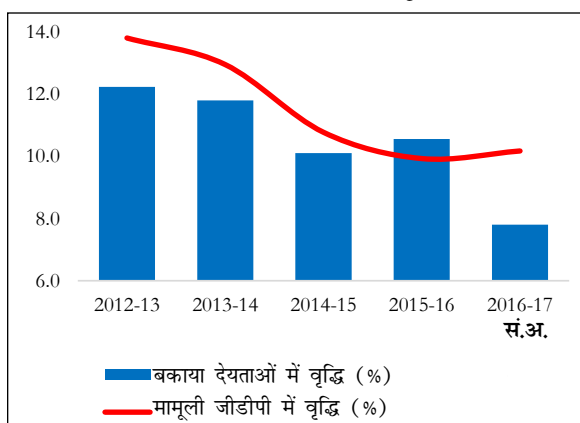
सारणी 7. केंद्र सरकार की बकाया देयताएं जीडीपी के % के रूप में

(जीडीपी के % के रूप में)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 सं.अ.	2017-18 ब.अ.
आंतरिक देयता	49.8	49.2	48.8	48.6	48.9	47.9	45.8
आंतरिक ऋण	37.0	37.9	37.8	38.1	38.8	38.0	36.7
बाजार उधार	28.8	30.0	30.6	31.3	31.4	30.8	29.7
अन्य	8.2	7.8	7.1	6.8	7.4	7.2	7.0
अन्य आंतरिक देयताएं	12.8	11.4	11.1	10.5	10.1	9.8	9.2
बाह्य ऋण (बकाया)*	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4
कुल बकाया देयताएं	51.7	51.0	50.5	50.2	50.4	49.4	47.3

स्रोत: केंद्रीय बजट;

*बाह्य ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों में व्यक्त है।

चित्र 9. जीडीपी वृद्धि और केंद्रीय देयताओं के बकाया में वृद्धि

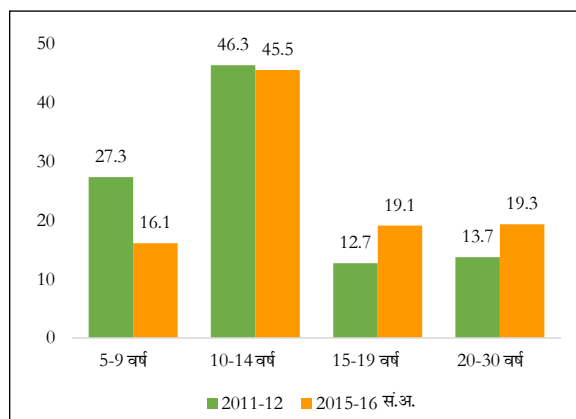


स्रोत: केंद्रीय बजट

अदायगी शेष स्थिति पर सरकार के उधार कार्यक्रम के कम प्रभाव को भी इंगित करती है (सारणी 7)। केंद्रीय सरकार अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों से सीधे उधार नहीं लेती है; इसका दो-तिहाई से अधिक विदेशी ऋण स्टॉक बहुपक्षीय संस्थाओं से है, जो काफी हद तक रियायती शर्तों पर आधारित होता है।

2.21 सरकार के ऋण के परिपक्वता प्रोफाइल के क्रमिक दीर्घीकरण ने आवर्ती जोखिम को कम कर दिया है (चित्र 10)। भारत सरकार की बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित अवशिष्ट औसत परिपक्वता मार्चान्त 2010 की स्थिति के अनुसार 9.7 वर्ष से बढ़कर मार्चान्त 2016 की स्थिति के अनुसार 10.5 वर्ष हो गई।

चित्र 10. वर्ष 2011-12 और 2015-16 में केंद्र सरकार की दिनांकित बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता-रूप रेखा (कुल के % के रूप में)

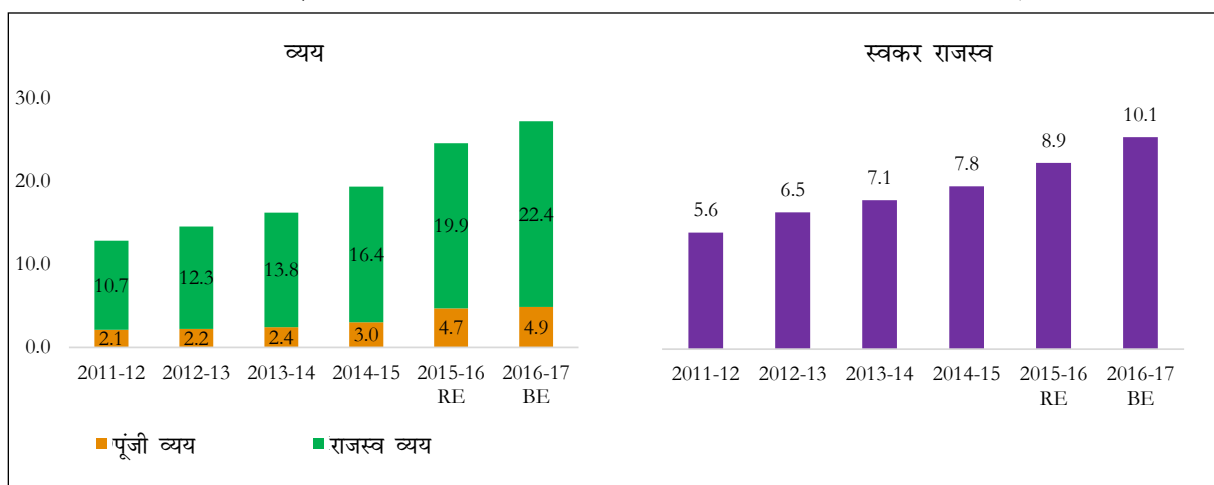


स्रोत: ऋण स्थिति पत्र, वित्त मंत्रालय

राज्य वित्त

2.22 वर्ष 2015-16 में राज्य बजटों में काफी विस्तार हुआ। यह विस्तार चालू और पूंजीगत खर्च, दोनों में वृद्धि के चलते हुआ (चित्र 11क और ख और सारणी 8)। पूंजी व्यय में राज्य सरकारों के पूंजीगत परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। 2015-16 में ऋणों और अग्रिमों में तेजी से वृद्धि हुई। 2015-16 में राज्यों का पूंजीगत व्यय (मिलाकर) 56.1 प्रतिशत तक बढ़ गया, परंतु उदय को अलग कर देने पर, यह वृद्धि केवल 23 प्रतिशत थी।

चित्र 11क एवं ख. राज्यों के वित्तीय संकेतक (सम्मिलित) (₹ लाख करोड़ में)



स्रोत: राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन, भारि.बैंक

सं.अ.=संशोधित अनुमान; ब.अ.=बजट अनुमान

सारणी 8. राज्यों के वित्तीय संकेतक (सम्मिलित) जीडीपी के % के रूप में

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 सं.अ.	2016-17 ब.अ.
स्व कर राजस्व	6.6	6.3	6.3	6.6	6.7
स्व कर-भिन्न राजस्व	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
पूंजी व्यय*	2.2	2.2	2.4	3.5	3.2
राजस्व व्यय	12.4	12.3	13.2	14.7	14.8
कुल व्यय	14.6	14.5	15.6	18.1	18.1

स्रोत: राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन, भारि.बैंक

सं.अ.=संशोधित अनुमान, ब.अ.=बजट अनुमान

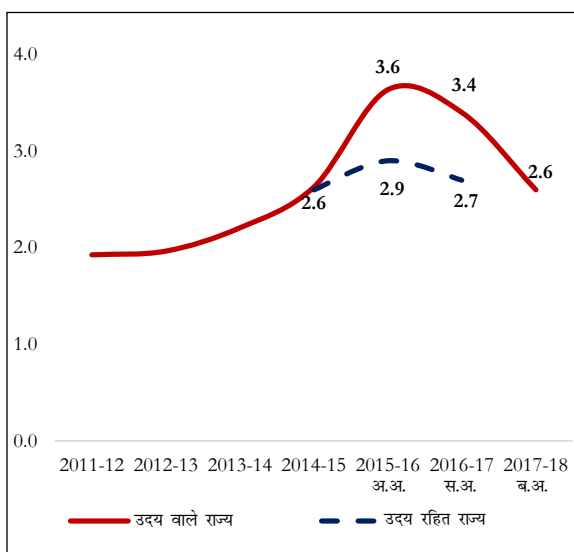
*पूंजी व्यय में पूंजी सवितरण में समाविष्ट केंद्र के ऋणों/उधारों की अदायगी शामिल नहीं होती है।

2.23 राज्य सरकारों द्वारा जुटाई गई उदय-संबंधी उधारों को 2015-16 और 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से छूट दे दी गई। जहां राज्यों के निजी स्तर पर यह किया जा सकता है वहीं उदय की देयताओं सहित सभी राज्यों के संयुक्त राजकोषीय घाटे को समझना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये देयताएं राज्यों के ऋणों में जोड़ी जाती हैं।

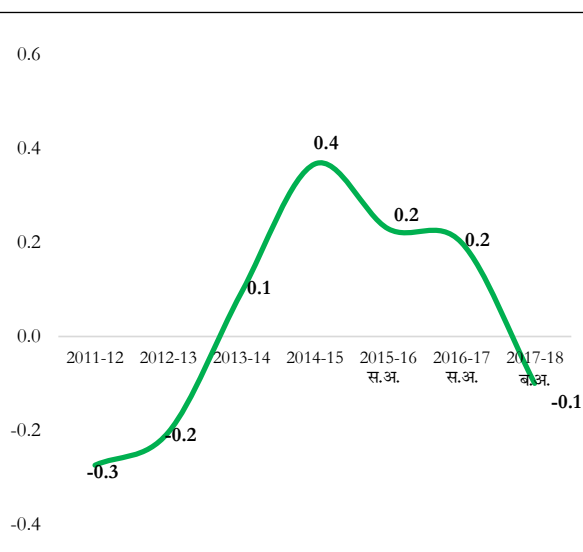
2.24 राज्य के वित्तीय साधनों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन वर्ष 2015-16 के दौरान आठ

राज्यों द्वारा पूंजीगत परिव्यय और विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋणों और अग्रिमों-उदय के तहत यह जीडीपी ऋणों और अग्रिमों के रूप में लगभग ₹98960 करोड़ की राशि उधार ली। यह जीडीपी अनुपात की तुलना में राजकोषीय घाटे की स्थिति बदतर होने का संकेत देती है। निवल उदय ब्रांड समेकित राज्य राजकोषीय घाटा 0.7 प्रतिशत कम होकर 2.9 प्रतिशत रह गया (चित्र 12)। इस प्रकार, उपलब्ध सूचना के अनुसार, उदय के चलते राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 3.0 प्रतिशत के एफआरबीएम को पार कर गया। 25 राज्यों

चित्र 12. राज्यों का वित्तीय घाटा जीडीपी के % के रूप में



चित्र 13. राज्यों का राजस्व घाटा जीडीपी के % के रूप में



स्रोत: राज्य के बजटों पर आरबीआई का अध्ययन:

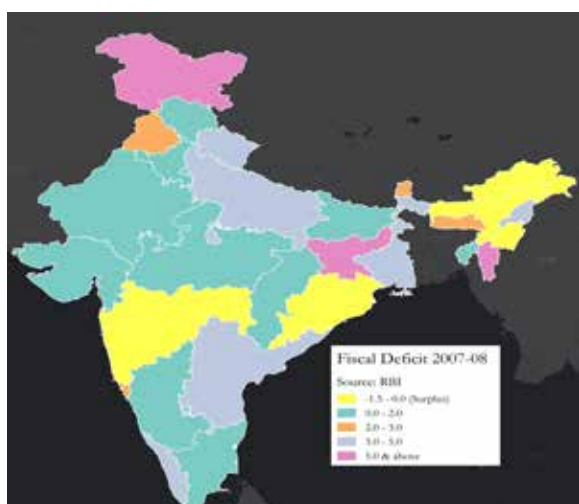
सं.अ.=संशोधित अनुमान, ब.अ.=बजट अनुमान

टिप्पणी: 2016-17 सं.अ. और 2017-18 ब.अ. की संख्याएं 25 राज्यों के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।

से संबंधित सूचना के आधार पर, वर्ष 2016-17 में राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा (सं.अ.), उदय की देयताओं को शामिल करने के पश्चात् 3.4 प्रतिशत होगा जबकि उदय की देयताओं के बिना यह 2.7 प्रतिशत होगा (चित्र 12)। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2015-16 में, आठ राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, बिहार, झारखंड, हरियाणा) ने उदय के अंतर्गत उधार लिया, जबकि 2016-17 में, तेरह राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय) ने उदय के तहत उधार लिया।

2.25 चित्र 14 और 15 राज्य के राजकोषीय घाटे-2007-08 के दो आशुचित्र प्रस्तुत करते हैं: जब जीडीपी अनुपात की तुलना में संयुक्त राजकोषीय घाटा एफआरबीएम के प्रारम्भ से अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच

चित्र 14. वित्तीय घाटे/जीडीपी अनुपात के अनुसार राज्यों का वितरण: 2007-08



स्रोत: राज्य के बजटों पर आरबीआई का अध्ययन

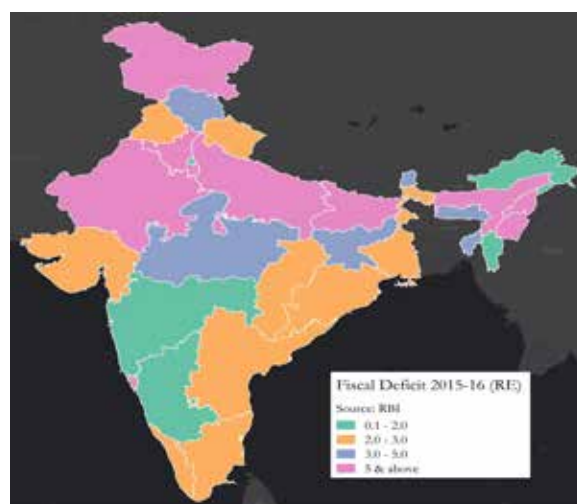
गया था, और वर्ष 2015-16 जब यह अनुपात सर्वोच्च था। पांच राज्यों में 2007-08 में राजकोषीय अधिशेष हुआ और 2015-16 में कोई राजकोषीय अधिशेष नहीं हुआ।

2.26 जीडीपी के सापेक्ष राज्यों की संयुक्त ऋण स्थिति में किसी बदहाली के बिना वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे में वृद्धि दिखाई देती है (चित्र 12 और 16)। तथापि, वर्ष 2015-16 में, राज्यों के देयता जीडीपी अनुपात में घाटों में अत्यधिक वृद्धि और अंकित जीडीपी वृद्धि में कमी के संयुक्त प्रभाव के कारण तेजी से बढ़ोतरी हुई (सारणी 9)।

सामान्य सरकार

2.27 वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक, केन्द्रीय और राज्य सरकारों की जीडीपी के सापेक्ष बकाया देयताओं में तेजी से गिरावट आई (सारणी 10)। वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार की घाटे और बकाया देयताओं की स्थिति

चित्र 15. वित्त घाटे/जीडीपी अनुपात के अनुसार राज्यों का वितरण 2015-16 (सं.अ°)



सारणी 9. राज्यों की बकाया देयताएं

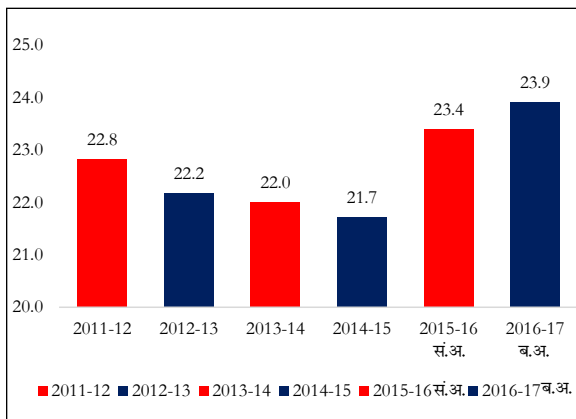
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 RE#	2016-17 BE#
राज्यों की देयताएं (₹ लाख करोड़ में)	22.1	24.7	27.0	31.7	36.0
राज्यों की देयता (% वृद्धि)	10.6	12.0	9.4	17.4	13.5

स्रोत: राज्य के बजटों पर आरबीआई का अध्ययन

सं.अ°=संशोधित अनुमान, ब.अ°=बजट अनुमान

उदय वाले

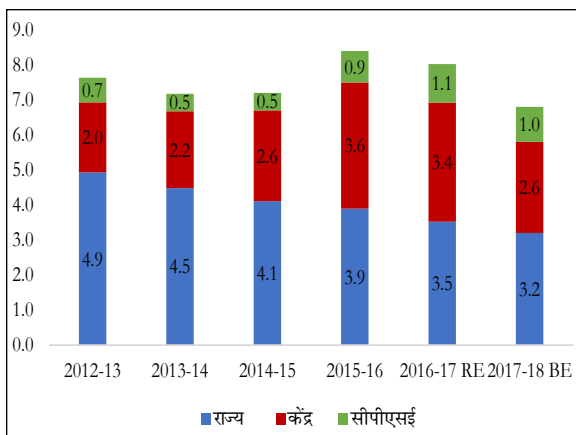
चित्र 16. राज्यों की बकाया देयताएं (जीडीपी के % के रूप में)



स्रोत: राज्य के बजटों पर आरबीआई का अध्ययन:
 संअ=संशोधित अनुमान बीई, बअ=बजट अनुमान
 # उदय वाले राज्य

बिगड़ने के साथ, सामान्य सरकार द्वारा कुल उधारों तथा केन्द्र और राज्यों की संयुक्त रूप से ऋण की स्थिति भी बिगड़ती गई (चित्र 17 और सारणी 10)। 2017-18 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के उधारों के बजटीय स्तर से ये संकेत मिल रहे थे कि उनका समेकन हो रहा है (चित्र 17)। केन्द्र के राजकोषीय घाटों के संबंध में हालिया रुझानों और इसके द्वारा मध्यावधि

चित्र 17. केन्द्र, राज्यों (उदय वाले) और सीपीएसई की उधारियां (जीडीपी का %)



स्रोत: केन्द्रीय बजट और राज्य बजट

संअ=संशोधित अनुमान, बअ=बजट अनुमान, सीपीएसई=केन्द्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम।

टिप्पणी: 2016-17 एवं 2017-18 बअ की संख्याएं 16 राज्यों के लिए उपलब्ध सूचनानुसार हैं, जो जीडीपी का लगभग 79 प्रतिशत बैठता है।

राजकोषीय नीति विवरण 2017-18 में (चित्र 19) दिए गए एक सुस्पष्ट समेकन रूपरेखा (आंकड़े संभावना में प्रस्तुत किए जाने हैं) को ध्यान में रखते हुए, ऐसा लग रहा है कि सामान्य सरकार और भी मजबूत हो रही है।

2.28 केन्द्र, राज्यों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुमानित सरकारी निवेश में वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों के बल पर सुधार हुआ (चित्र 18)। राष्ट्रीय लेख से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में अचल निवेश दर 2015-16 में 29.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 27.1 प्रतिशत रह गई। सर्वेक्षण के आकलन यह दर्शाते हैं कि यदि सरकारी निवेश की स्थिति में सुधार न होता तो नियत निवेश दर में और तेजी से गिरावट आई होती (चित्र 48, अध्याय 1)। 2015-16 से 2016-17 की अवधि और 2016-17 से 2017-18 की अवधि के बीच सामान्य सरकार (सीपीएसई सहित) के निवेश खर्च में विभिन्नकारी रुझानों का अवलोकन चित्र 18 से किया जा सकता है।

सारणी 10. केन्द्र, वर्ष राज्यों की जीडीपी % के रूप में देयताएं

वर्ष	केन्द्र की देयताएं और	राज्यों की देयताएं	केन्द्र और राज्य दोनों की देयताएं
2009-10	56.3	25.5	70.6
2010-11	52.2	23.5	65.6
2011-12	53.5	22.8	67.4
2012-13	52.5	22.2	66.6
2013-14	52.2	22.0	67.1
2014-15	51.5	21.7	66.9
2015-16 सं.अ.	52.3	23.4	69.3
2016-17 ब.अ.	50.7	23.9	68.6

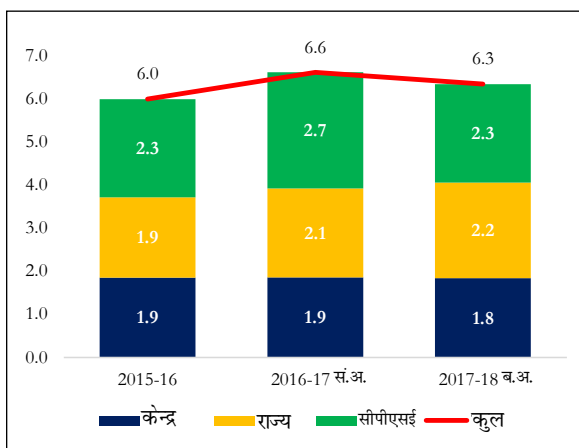
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन पर आधारित सर्वेक्षण गणनाएं

संअ=संशोधित अनुमान बअ=बजट अनुमान

सीपीएसई=केन्द्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम।

टिप्पणी: सारणी 10 में प्रस्तुत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्र की बकाया देयता के आंकड़े सारणी 7 में दिए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि बाह्य ऋण सारणी 7 में प्रदर्शित ऐतिहासिक विनिमय दरों में निर्धारित है, जबकि यह इस सारणी में चालू विनिमय दर में निर्धारित है।

चित्र 18. केंद्र, राज्यों और सीपीएसई द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय (जीडीपी का प्रतिशत)



स्रोत: केंद्रीय बजट और राज्य बजट

टिप्पणी: 2016-17 सं.अ. और 2017-18 ब.अ. संख्याएं 16 राज्यों के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार हैं, जो जीडीपी का लगभग 79 प्रतिशत बैठता है।

एफ.आर.बी.एम. समीक्षा समिति

2.29 एफ.आर.बी.एम. काल के अनुभव का जायजा लेते हुए, बजट 2016-17 इस बात का साक्षी रहा कि राजवित्तीय उत्तरदायित्व की रूपरेखा के संबंध में भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार हैं-सीमा आधारित लक्ष्य बनाम नियतकालिक लक्ष्य, ऋण और आर्थिक चक्रों के प्रति उत्तरदायी राजकोषीय विस्तार और संकुचन आदि। ये मुद्दे एफ.आर.बी.एम. की एक समीक्षा समिति द्वारा विश्लेषण करने के लिए छोड़ दिए गए थे।

2.30 सरकार ने मई, 2016 में श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय एफआरबीएम समीक्षा समिति गठित की। समिति के सदस्य थे: श्री सुमित बोस, डॉ. उर्जित पटेल, डॉ. राधिन रॉय और डॉ. अरविन्द सुब्रमणियन। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2017 में प्रस्तुत की। सरकार ने इन सिफारिशों में से किसी भी सिफारिश पर कोई राय नहीं बनाई है।

वर्ष 2017-18 और इससे आगे के लिए वित्तीय नीति

2.31 केंद्रीय बजट 2017-18 में अनेक प्रक्रियागत सुधार प्रारम्भ किए गए। प्रथम, 1924 से चली आ रही कार्यनीति को बंद करते हुए, रेल बजट को केंद्रीय

बजट में एकीकृत किया गया जिससे रेल वित्त का मामला मुख्य धारा में आ गया। द्वितीय, केंद्रीय बजट प्रस्तुति की तारीख लगभग एक महीने पहले 1 फरवरी कर दी गई जिससे मंत्रालय और राज्य सरकारें वित्त वर्ष के आरंभ से योजना बनाकर अपने पूरे बजट को खर्च कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें वित्तीय वर्ष के काफी अंदर तक (विशेष रूप से मई के अंत तक) बजट को विधायिका द्वारा पारित किए जाने का इंतजार करना पड़ता था। तृतीय, व्यय का 'योजना' और 'योजना-भिन्न' में विभाजन समाप्त करके पूंजी-राजस्व सुस्पष्टता को आर्थिक रूप से और सार्थक बनाने पर जोर दिया गया। चतुर्थ, मध्यकालिक व्यय कार्यप्रणाली का विवरण अगले दो वित्त वर्ष में प्रत्येक मांग के लिए अनुमानित व्यय (राजस्व तथा पूंजी) प्रस्तुत करने हेतु पुनःनिर्मित किया गया।

2.32 इन उल्लेखनीय वित्तनीति की पहलकदमियों से आगे बढ़कर, वस्तु और सेवाकर को 01 जुलाई 2017 से, अधिक से अधिक केंद्रीय और राज्यस्तरीय अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित करते हुए लागू कर दिया गया व जिससे भारतीय बाजारों और अर्थव्यवस्था के शीघ्र कायापलट का मार्ग प्रशस्त हो गया है (बॉक्स 1)।

2.33 वर्ष 2017-18 के बजट में क्रमिक समेकन को अपनाया गया। अतः राजकोषीय घाटा 2016-2017 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत के मुकाबले 2017-2018 में घटकर जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है (सारणी 11)। केंद्रीय सरकार द्वारा अंगीकृत समेकन मार्ग ने प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों में विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन बनाया। जहां एक ओर, निरंतर ढंग से कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था की अपेक्षाएं थीं, जो दोहरे तुलन-पत्र से संतुष्ट थी और गिरते हुए निवेश और वर्धित ऋण से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, ऐसी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप प्रति-चक्रीय नीति के लिए तर्क दिया जा रहा था वहीं दूसरी ओर, विशेष रूप से राज्य सरकार के वित्त साधनों में संभावित व्यवधानों के आलोक में, साख को बनाए रखने की अनिवार्यता ने समेकन का मार्ग अपनाने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी थी।

सारणी 11. 2017-18 के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतक

मद	जीडीपी का प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.	2016-17 अ.वा.	2017-18 ब.अ.
राजस्व प्राप्तियां	9.1	9.0	15.2	10.1
सकल कर राजस्व	11.3	11.3	18.0	11.3
प्रत्यक्ष कर	5.4	5.8	11.4	18.7
अप्रत्यक्ष कर	5.7	5.5	21.4	7.6
निवल कर राजस्व	7.3	7.3	16.8	11.3
कर-भिन्न राजस्व	1.8	1.7	9.1	5.3
ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां	0.4	0.5	0.9	33.0
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	9.5	9.5	14.5	11.1
कुल व्यय	13.0	12.7	10.3	8.7
राजस्व व्यय	11.1	10.9	9.5	9.0
पूंजीगत व्यय	1.9	1.8	14.7	6.7
मैमो मदें				
राजकोषीय घाटा	3.5	3.2		
राजस्व घाटा	2.0	1.9		
प्राथमिक घाटा	0.4	0.1		

स्रोत: केंद्रीय बजट

अ०वा० = अनंतिम वास्तविक; ब०अ० = बजट अनुमान

बॉक्स 1. ऐतिहासिक कर सुधार: वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी का प्रवर्तन भारतीय कर तथा आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धि का द्योतक है, सार सारणी 2 में दिया गया है। यहां हम भावी मार्ग की ओर संकेत करते हुए कुछ गलतफहमियों को स्पष्ट करते हुए सापेक्षतया कुछ अलक्षित लाभों पर प्रकाश डाल रहे हैं।

सारणी 1. जीएसटी में शामिल कर

केंद्रीय कर	राज्य कर
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क - उत्पाद शुल्क (चिकित्सा और शौचालय संबंधी सामग्रियां) - अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं, और कपड़ा तथा कपड़ा उत्पाद) - अतिरिक्त सीमा शुल्क - विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क - सेवा कर - माल या सेवा की आपूर्ति विषयक उपकर और अधिभार	- राज्य वैट - केन्द्रीय बिक्री कर - क्रय कर - विलासिता कर - प्रवेश कर (सभी प्रकार के) - मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों से अतिरिक्त) - विज्ञापन कर - लाटरी, सट्टा और जुआ कर - राज्य उपकर और अधिभार

राज्य स्तरीय करों को सम्मिलित करते हुए, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अगले पांच वर्ष के लिए 14 प्रतिशत वार्षिक राजस्व वृद्धि की गारंटी दी है। यह ऐसी क्षतिपूर्ति है जिसका वित्त पोषण समाज के लिए अवांछनीय चीजों (तंबाकू, लकजरी कार, वातित पेय पदार्थ आदि) पर उपकर लगाकर किया जाएगा। यहां हम भावी समय की ओर संकेत और कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर रहे हैं और कुछ अपेक्षाकृत अलक्षित लाभों को उजागर कर रहे हैं।

सारणी 2. जीएसटी के मुख्य लाभ

1. सहयोग परक संघवाद को बढ़ावा देना	• घरेलू अप्रत्यक्ष कर संबंधी लगभग सभी निर्णय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाएंगे
2. भ्रष्टाचार और हेराफेरी में कमी लाना	• स्व-नीति निर्धारण: आवक कर क्रेडिट का दावा करने के लिए बीजक के मिलान से अनुपालन रूकेगा और अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। पहले बीजक मिलान केवल अंतरा-राज्य वैट लेने-देने के लिए ही विद्यमान था यह न तो सेवा कर उत्पाद शुल्क या सेवा कर के लिए ही विद्यमान था न आयात के लिए ही।
3. जटिल कर संरचना को सरल बनाना और देशभर में कर दरों में एकरूपता लाना	• 8-11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरें और सभी राज्यों पर भिन्न रूप से लागू होने वाली 3-5 राज्य वैट दरें जीएसटी की 6 दरों में विलयित की गईं; सभी राज्यों पर एक समान रूप से लागू की गईं (एक वस्तु पर एक भारतीय कर)। • राज्यों और केन्द्र के अन्य कर और उपकर जीएसटी में मिला दिए गए।
4. एक समान बाजार बनाना	• जीएसटी से राज्यों के बीच व्यापार पर लगे हुए अधिकांश भौतिक प्रतिबंध और कर समाप्त कर दिए जाएंगे।
5. आयात के नाम से होने वाले पक्षपात मिटाकर 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना ('नकारात्मक संरक्षण')	• आयातों पर लगाए गए घरेलू कर (आईजीएसटी, पहले प्रतिकारी शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क की राशि) को अधिक प्रभावी और कम हेरा-फेरी वाला बनाएगा, जिससे घरेलू वस्तुएं और अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी।
6. विनिर्माण के विरुद्ध कर पक्षपात मिटाना/उपभोक्ता कर बोझ में कमी लाना	• आपूर्ति श्रृंखला में कमियों को ठीक करके और उत्पाद कर जमाओं के प्रवाह में सुगमता लाकर जीएसटी, कास्केडिंग व्यवस्था (मूल्य संवर्धन प्रत्येक स्तर पर कर और सभी पूर्व स्तरों पर कर यथा केन्द्रीय बिक्री कर सहित) पर्याप्त रूप से समाप्त होगी।
7. राजस्व, निवेश, और मध्यकालिक आर्थिक संवृद्धि की गति में तेजी लाना	• निवेश बढ़ेगा, क्योंकि पूंजी पदार्थों की खरीदारी पर आदान कर क्रेडिट का दायरा बढ़ेगा • बेहतर अनुपालन से कर आधार का विस्तार होगा। • निर्यात में सन्निहित कर समाप्त हो जाएंगे।

1. क्या कर ढांचे की जटिलता बढ़ गयी?

अधिकांश टीकाओं में यह सुझाव दिया गया है कि जीएसटी से कर ढांचा (इस नयी व्यवस्था के आदर्श जीएसटी कर ढांचे से अप्रत्यक्ष रूप से तुलना करने के आधार पर) जटिल हो गया है जबकि इसका आशय यह है कि तुलना पिछली व्यवस्था से की गयी है। यह सुझाव देना सटीक नहीं है कि जीएसटी, दो संबंधित कारणों से, अपनी पिछली प्रतिस्थापित व्यवस्था से अधिक जटिल है।

पहले, प्रत्येक माल को केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद कर और राज्य के वैट को वहन करना होता था। तब कम से कम 8-10 उत्पाद शुल्क दर और राज्य के वैट की 3-4 दरें होती थीं, वैट-दरें सभी राज्यों में संभवतः भिन्न-भिन्न होती थीं। इस प्रकार अनेक प्रकार की दरों (अधिकतम 10 गुणा 4 गुणा 29 राज्य) का ढांचा सिमट कर 6 दरों के कर ढांचे तक रह गया है।

सबसे जरूरी बात यह है कि एकरूपता या 'एक वस्तु, एक कर' का सिद्धांत पूरे भारत में अब हकीकत बन गया है। पहले, भिन्न-भिन्न राज्यों में किसी खास उत्पाद पर अलग-अलग कर लग सकते थे और ये कर केंद्र द्वारा लगाए गए कर से अलग हो सकते थे।

अतः पिछली व्यवस्था की तुलना में, अब जटिलता काफी कम है।

2. क्या अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा?**वस्तुएं**

यह सही है कि जो लोग अब जीएसटी व्यवस्था में शामिल हैं उन सभी को अतिरिक्त दस्तावेजी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी। परंतु इन अपेक्षाओं में (विवरणी दाखिल करना) फार्मों का एक सेट (न कि तीन क्योंकि पहले समूह के फार्म को भरने से दो अन्य की रचना अपने-आप हो जाती है) महीने में एक बार दाखिल किया जाना सम्मिलित है। अतः यह कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा क्योंकि पहले इसी प्रकार की, कभी-कभार अधिक दुरुह, अपेक्षाएं राज्य के वैट और केंद्रीय उत्पाद की पिछली व्यवस्था में विद्यमान थीं (सारणी 3)। मसलन, जैसाकि नीचे दी गई सारणी से पता चलता है, जीएसटी से पहले वाली व्यवस्था में, तीन भिन्न-भिन्न प्राधिकारियों को तीन पृथक विवरणियां उन तीन करों के मामले में दाखिल करनी होती थीं जो अब जीएसटी में सम्मिलित कर दिए गए हैं।

सेवाएं

पहले, चूँकि सेवा कर केवल केंद्र लगाता था, और एजेंटों को केवल एक प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना होता था तथा इसलिए केवल एक के पास ही कर दाखिल करना पड़ता था। अब एजेंटों को उन सभी राज्यों में पंजीकरण कराना होगा जिनमें वे कार्य करते हैं और प्रत्येक राज्य में इसे दाखिल करना होगा। जीएसटी परिषद् में हुई चर्चा के दौरान यह प्रयत्न किए गए कि पहले वाली सरल व्यवस्था को बनाए रखा जाए, परंतु राज्य राजस्व में अपने उचित हिस्से की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के रूप में एकाधिक पंजीयन पर अड़े रहने पर लगभग एकमत थे। इसके अलावा, बड़ी हुई अपेक्षाएं वे ही वहन करेंगे जिनकी अखिल भारतीय उपस्थिति हो और जिनकी अनुसरण-क्षमता भी इसी के अनुरूप वृहत्तर होगी। भविष्य में, अनुपालन बोझ को कम करने के लिए और अधिक केन्द्रीकृत प्रक्रियाओं के लिए गुंजाइश है।

सारणी 3. दाखिल की जाने वाली विवरणियों की संख्या और बारंबारता: जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद

जीएसटी से पहले	जीएसटी के बाद
राज्य वैट	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक
सेवा कर	2 प्रति वर्ष + 1 वार्षिक
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक

छोटे व्यापारी

छोटे व्यापारियों और एजेंटों पर अतिरिक्त अनुपालन का बोझ पड़ने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इससे दूसरी दिशा में कुछ ज़रूरी परिवर्तनों की अनदेखी हो जाती है। जीएसटी ने कर व्यवस्था में समावेश के लिए कारोबार की आरंभिक सीमा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दी है जैसाकि सारणी 4 में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पहले कर व्यवस्था में (राज्यों के वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) में आने वाले लगभग 87 लाख एजेंटों में से अब लगभग 70 लाख एजेंट ही जीएसटी व्यवस्था में रह गए हैं। ₹ 20 लाख से कम कारोबार करने वाले काफी संख्या में छोटे व्यापारीगण जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा, यद्यपि नयी आरंभिक सीमा ₹ 20 लाख है, तथापि ₹ 75 लाख तक का कारोबार करने वाले एजेंट अपने उस लेन-देन पर (जो मूल्यवर्धित नहीं हो) मात्र थोड़ा कर चुकाने का विकल्प अपना सकते हैं जिसे वे प्रत्येक महीने के बजाय प्रत्येक तिमाही में जमा किए जाने वाले कम दस्तावेजों के साथ दाखिल कर सकते हैं।

प्रति मुनाफाखोरी उपबंधों से संबंधित चिंताएं अति उत्साही प्रशासन में परिणामी हो सकती हैं, सरकार ने इंगित किया है कि इनका प्रयोग किफायती तरीके से किया जाएगा। यदि ऐसे उपबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सनसैट खंड की शुरुआत की गई थी कि इसका अवसान दो वर्ष के पश्चात नहीं होगा।

सारणी 4. कर व्यवस्था में समावेश हेतु बिक्री की आरंभिक सीमा: जीएसटी से पूर्व और इसके बाद में:

जीएसटी से पूर्व	जीएसटी की संरचना
राज्य वैट	₹ 5-10 लाख • ₹ 20 लाख न्यूनतम
सेवा कर	₹ 10 लाख • न्यून अनुपालन भार के अध्वधीन ₹ 20-75 लाख
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	₹ 1.5 करोड़

3. अलक्षित लाभ

जीएसटी का एक अलक्षित लाभ यह भी है कि अब कपड़ा और पोशाक क्षेत्र व्यवस्था का पूर्ण रूप से हिस्सा है। पहले, मूल्य श्रृंखला के कुछ हिस्से, खासकर फेब्रिक्स, व्यवस्था से बाहर थे, जिसकी परिणति अनौपचारिकता और अपवंचन में होती थी। घरेलू उत्पादन की

अपेक्षा फैब्रिक्स के आयात को तरजीह देने वाली कुछ विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं, जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। परंतु समग्र कर आधार में विस्तार हुआ है।

इसी प्रकार, भूमि और भवन संपदा के लेनदेन का एक भाग कर व्यवस्था में लाया गया है: “निर्माण कार्य सविदाओं” का उल्लेख निर्मित किए जा रहे आवास के संदर्भ में हैं। इसके परिणामतः बाद में कर व्यवस्था से बाहर रखे जाने वाले सीमेन्ट, इस्पात और अन्य चीजों की खरीदों में और अधिक पारदर्शिता तथा औपचारिकता आएगी क्योंकि भवन निर्माताओं को जमाकर का दावा करने के लिए इन उत्पादों के लिए प्रलेखन की आवश्यकता होगी।

तृतीय, आयातों पर लगाए गए घरेलू करों की पिछली व्यवस्था-उत्पाद शुल्क कर को समायोजित करने के लिए प्रतिकारी शुल्क और राज्य वैट को समायोजित करने के लिए विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) की अपर्याप्तता में सुधार होगा। मसलन, एसएडी 4 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता था, यद्यपि अधिकांश राज्यों में मानक वैट 12.5 प्रतिशत था, जबकि उत्पादों पर वैट अदा करने वाली आदर्श फर्म कर का पुनः दावा कर सकती थीं, किन्तु उन्हें कर जमा करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो रही थीं। जीएसटी में, केन्द्र और राज्यों द्वारा घरेलू बिक्री पर लगाए गए संपूर्ण कर (आईजीएसटी) तभी लगाए जाएंगे जब आयातित माल पहले देश में पहुँच जाएगा। इससे संपूर्ण कर जमा श्रृंखला में पहले की अपेक्षा काफी कमी आएगी। इसकी परिणति आयात के संबंध में अधिक पारदर्शिता और अधिक प्रभावकारी कराधान के रूप में होगी।

शुरूआती लक्षण कर आधार का विस्तार होने के हैं। जून और जुलाई 2017 के बीच, 6.6 लाख नए एजेंटों, जो पहले कर व्यवस्था से बाहर थे, ने जीएसटी में पंजीकृत किए जाने के लिए अनुरोध किया है। जैसे-जैसे औपचारिक कार्य के लिए प्रोत्साहन बढ़ेगा, वैसे-वैसे, हमारा यह अनुमान है कि इसमें लगातार वृद्धि ही होगी। प्रारंभिक अनुमान यह है कि इसके परिणामस्वरूप कर आधार में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

दूसरा लाभ जीएसटी के प्रभाव और प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संबंध में इसके द्वारा दी गई जानकारी का होगा। यह बहुत विशाल हो सकता है। विगत में, केंद्र के पास छोटे विनिर्माताओं और खपत से संबंधित मामूली आंकड़े होते थे (क्योंकि उत्पाद शुल्क विनिर्माण अवस्था पर लगाया जाता था); जबकि राज्यों के पास अपनी सीमाओं से बाहर की स्थानीय कंपनियों के कार्यकलाप विषयक आंकड़े भी मामूली ही होते थे। जीएसटी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य दोनों के ही आंकड़ों के सामान्य समूह का अपरिमित प्रवाह और उपलब्धता होगी जिससे प्रत्यक्ष कर संग्रहण अधिक प्रभावी होगा।

दीर्घावधिक लाभों में, वित्तीय समावेशन पर जीएसटी का प्रभाव शामिल है। छोटे कारोबारी डिजिटल रूप से कर संदाय का एक वास्तविक समय ट्रेकर रिकार्ड बना सकते हैं और इसका उधारदाता संस्थाओं द्वारा ऋण दर निर्धारण और उधार देने के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल, छोटे व्यवसायी ऋण से परेशान हैं, क्योंकि, वे अपनी वित्तीय सामर्थ्य को विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं।

अंततः, जीएसटी प्रारंभ होने पर पहले कुछ दिनों के भीतर भी अंतर-राज्य जांच-चौकियों को समाप्त करने की रिपोर्ट मिली हैं। अभी तक 24 राज्य जांच-चौकियाँ समाप्त कर चुके हैं जबकि अन्य राज्य उन्हें समाप्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो आवागमन लागतों, ईंधन के उपयोग और भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।

यह सुझाव देने का पर्याप्त साक्ष्य है कि भारत के भीतर संभार-तंत्र संबंधी लागतें अधिक हैं। मसलन एक अध्ययन यह सुझाव देता है कि भारत में ट्रक एक दिन में अमरीका में ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी (280 किमी. बनाम 800 किमी.) की एक तिहाई दूरी ही तय कर पाते हैं। इससे प्रत्यक्ष लागतें (चालकों को मजदूरी, जिसका प्रभाव फर्मों पर पड़ता है) बढ़ती हैं, अप्रत्यक्ष लागतें (अधिक इन्वेंटरी रखने वाली फर्में) बढ़ती हैं, स्थान के विकल्प (मजदूरी भाड़े की दृष्टि से निम्नतम लागत वाले स्थान की बजाय आपूर्तिकर्ताओं/ग्राहकों के लिए अपेक्षाकृत पास स्थान निर्धारण, आदि) बढ़ते हैं। इसके अलावा, कुल यात्रा समय का लगभग 40 प्रतिशत समय ही वाहन चलाने में लगता है; जबकि कुल यात्रा समय का लगभग एक चौथाई समय जांच चौकियों और अन्य आधिकारिक ठहराव स्थलों पर बर्बाद होता है। जांच चौकी पर विलंब न होने देने से चलने वाले ट्रक प्रतिदिन लगभग 6 घंटे अधिक, प्रतिदिन 164 किमी. अतिरिक्त के समतुल्य, चल सकते हैं। इससे भारत का उपर्युक्त वैश्विक औसत बढ़ सकता है और ब्राजील के स्तर तक पहुँच सकता है।

समग्रतया, संभार-तंत्र लागतें (मोटे तौर पर परिभाषित, और फर्मों के बिक्री में हानि के अनुमान सहित) अंतरराष्ट्रीय मानकों की 3-4 गुना हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि अंतः राज्य व्यापार लागतों से अंतर-राज्य व्यापार लागतें 7-16 के कारक द्वारा बढ़ जाती हैं। इस प्रकार ये वस्तुएं अंतर-राज्य आवागमन के लिए सीमावर्ती अवरोधों की स्पष्ट विद्यमानता की ओर संकेत करती हैं। जीएसटी के पारित होने से इन लागतों में जबरदस्त कमी आएगी और इससे देश में अंतर-राज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।¹

¹ See the Subramanian Committee Report on the Revenue Neutral Rate: <http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/cea-rpt-rnr-new.pdf>

4. भावी चुनौतियां

सारणी 5 उन जीएसटी करों और क्षेत्रों की संरचना दर्शाती है जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। सारणी 5 में दर्शाई गई दर संरचना और आधार से जावक में सुधार की गुंजाइश है। मदिरा, पेट्रोलियम, और ऊर्जा उत्पाद, विद्युत और भूमि तथा भवन संपदा के कुछ संव्यवहार जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, परंतु इन पर केंद्र और/या अन्य राज्यों द्वारा जीएसटी व्यवस्था से इतर भी कर लगाया जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा कर व्यवस्था से पूर्णतः बाहर हैं और इन पर जीएसटी में छूट है तथा इन पर केंद्र और राज्यों द्वारा अन्यथा कर नहीं लगाया जाता।

बिजली को इसके दायरे से बाहर रखने से, भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हो जाती है क्योंकि बिजली पर कर विनिर्माता की लागत में जुड़ जाता है और इसके लिए उत्पाद कर जमाओं के रूप में वापसी का दावा नहीं किया जा सकता। भूमि और भवन संपदा को तथा मदिरा को इसके दायरे में रखने से पारदर्शिता में सुधार होगा और भ्रष्टाचार में निरन्तर कमी आएगी; स्वास्थ्य और शिक्षा को इससे पूरी तरह बाहर रखना इक्विटी के साथ असंगत है क्योंकि ये ऐसी सेवाएं हैं जिनका अमीर लोगों द्वारा अनाप-शनाप उपभोग किया जाता है। इसके अलावा, स्वर्ण और आभूषण उत्पादों - ये ऐसी मदें हैं जिनका बहुत अमीर लोगों द्वारा अनाप-शनाप उपभोग किया जाता है - पर 3 प्रतिशत कर अभी काफी कम है।

अनेक दरों की अनुक्रिया अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए थी, जिनमें निर्धन वर्ग को मूल्यवृद्धि से संरक्षित करने के लिए अनिवार्य अनेक वस्तुओं की दरें घटाने की जरूरत शामिल है।

सारणी 5. जीएसटी दरें और आधार से अपवर्जन

आईजीएसटी (%)			वस्तुओं की श्रेणियों की संख्या*	जीएसटी से बाहर प्रमुख वस्तुएं
सीजीएसटी (%)	एसजीएसटी(%)	कुल (%)		
0	0	0	88	• मद्य • पेट्रोलियम व ऊर्जा • बिजली • भूमि एवं भवन संपदा • शिक्षा • स्वास्थ्य देखभाल
1.5	1.5	3	Gold	
2.5	2.5	5	173	
6	6	12	200	
9	9	18	521	
14	14	28	229	

उपकर (बहु)

आईजीएसटी केंद्र (सीजीएसटी) और राज्यों (एसजीएसटी) द्वारा जीएसटी करों का योग है।

*टैरिफ संहिता के अधीन परिभाषित सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएस) रेखाओं की संख्या के रूप में मापित।

जीएसटी परिषद - जो सहकारी संघवाद के अभिशासन में एक उल्लेखनीय संस्थागत नवोन्मेष है (और जिसने अपने प्रथम महीनों में अपनी विद्यमानता पहले ही सिद्ध कर दी है) को भारत द्वारा एक अच्छे जीएसटी से महत्वपूर्ण बेहतर जीएसटी की ओर ले जाने के लिए आगामी महीनों में इन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होगी।

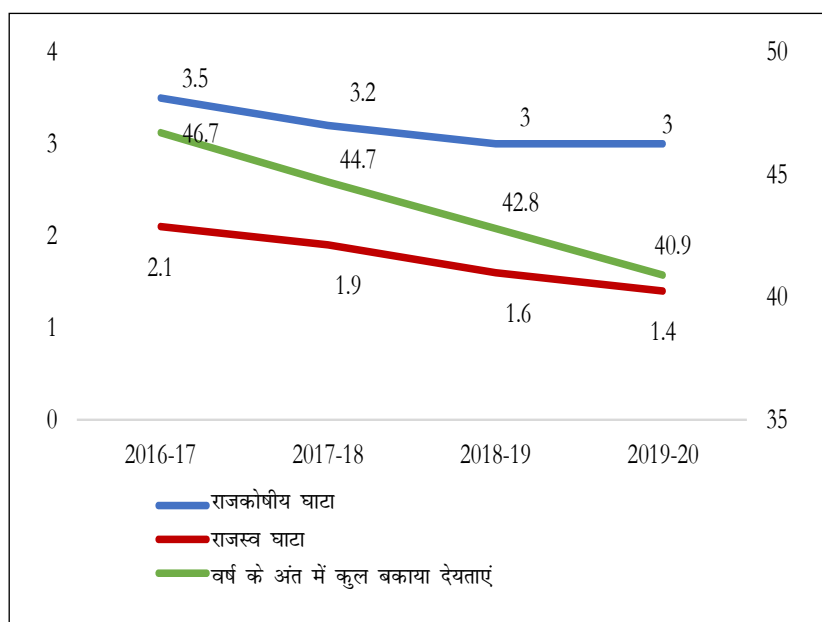
2.34 वर्ष 2017-18 के लिए बजट में यह माना गया था कि अप्रत्यक्ष कर राजस्व वृद्धि सीमित रहेगी (सारणी 11)। ऐसी संभावना के लिए दो कारण बताए गए थे। चालू वर्ष में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए गए हैं। यह और जीएसटी व्यवस्था में संभावित परिवर्तन, चालू वित्त वर्ष के लिए उत्पाद प्रशुल्कों और सेवा कर तथा मोटे तौर पर अप्रत्यक्ष करों में अधिक रूढ़िवादी बजट संख्याओं को स्पष्ट करता है। विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष करों में बृहत्तर उछाल आने का बजटीय अनुमान है। 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों की बाध्यताओं ने राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण कमी करने को कठिन बना दिया है।

2.35 एफआरबीएम संरचना के अधीन जीडीपी का 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2018-19 में हासिल किए जाने का अनुमान है। घाटा समेकन योजना

यह भी दर्शाती है कि केंद्रीय सरकार की बकाया देयताओं में 2017-18 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 2 प्रतिशतांक तक की कमी आएगी (चित्र 19)।

2.36 एफएफसी द्वारा राज्यों के तैयार किए राजकोषीय रोडमैप के अनुसार, ऐसे राज्यों, जिनका राजस्व घाटा शून्य होगा और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर होगा, के पास 3 प्रतिशत की सामान्य सीमा के अतिरिक्त, शर्तों के अध्यधीन (बॉक्स 2), जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त उधार लेने का विकल्प होगा। ऋण माफी को क्रियान्वित करने के लिए, राज्य सरकारों की राजकोषीय गुंजाइश की बॉक्स 2 में जांच की गई है। अलग-अलग परिमाण के विभिन्न राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी का क्रियान्वयन, इन सीमाओं के अंदर प्रचालन यह सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि सामान्य सरकार की ऋण धारणीयता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है।

चित्र 19. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय लक्ष्य



स्रोत: केंद्रीय बजट 2017-18

टिप्पणी: 2017-18 के लिए यहां पर दी गई केंद्र की बकाया देयताएं सारणी 4 में चित्र से मेल नहीं खाती हैं क्योंकि पूर्वगत विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवल निवेश है।

बॉक्स 2. ऋण माफी के आलोक में राज्य-वार राजकोषीय मूल्यांकन

कृषि ऋण माफी को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों की राजकोषीय क्षमता क्या है? इस मूल्यांकन के लिए, माफी की संभावित लागतों का अनुमान लगाना, राज्यों के वित्तीय उत्तरदायित्व विधान सीमाओं के सापेक्ष उनकी राजकोषीय गुंजाइश की स्थिति का निर्धारण करना, और इन दोनों की तुलना करना अपेक्षित है।

कृषि ऋण माफी के लिए राज्य विशिष्ट राजकोषीय गुंजाइश

	जीएसडीपी चालू एमपी (2017-18)	2017-18 (ब. अ.) में उदय रहित एफडी	एफएफसी पञ्च राजकोषीय सीमा	राज. कोषीय गुंजाइश	2017-18 (ब.अ.) में उदय रहित एफडी	एफएफसी पञ्च राजकोषीय सीमा	राज. कोषीय गुंजाइश
राज्य	लाख करोड़	हजार करोड़ रूपए में	जीएसडीपी का प्रतिशत				
आंध्र प्रदेश	7.7	23.1	23.1	0.0	3.0	3.0	0.0
उत्तर प्रदेश	14.2	42.6	42.6	0.0	3.0	3.0	0.0
राजस्थान	8.3	24.8	24.8	0.0	3.0	3.0	0.0
केरल	7.5	25.8	22.4	0.0	3.4	3.0	-0.4
हिमाचल प्रदेश	1.4	4.9	4.2	0.0	3.5	3.0	-0.5
ओडिशा	4.1	14.4	14.4	0.0	3.5	3.5	0.0
छत्तीसगढ़	2.8	9.7	9.7	0.0	3.5	3.5	0.0
महाराष्ट्र	25.4	38.8	76.2	37.4	1.5	3.0	1.5
पश्चिम बंगाल	10.8	19.4	32.4	13.1	1.8	3.0	1.2
गुजरात	12.8	23.2	38.3	15.1	1.8	3.0	1.2
झारखंड	3.0	6.9	9.1	2.2	2.3	3.0	0.7
हरियाणा	6.2	16.2	18.6	2.4	2.6	3.0	0.4
कर्नाटक	12.8	33.4	44.8	11.5	2.6	3.5	0.9
तमिलनाडु	15.0	42.0	45.1	3.2	2.8	3.0	0.2
उत्तराखंड	2.3	6.6	6.8	0.2	2.9	3.0	0.1
पंजाब	5.0	14.6	15.1	0.5	2.9	3.0	0.1
बिहार	6.3	18.1	22.1	4.0	2.9	3.5	0.6
मध्य प्रदेश	7.4	21.1	25.7	4.7	2.9	3.5	0.6
तेलंगाना	7.6	26.1	26.6	0.5	3.5	3.5	0.0
कुल	160.6	411.6	502.2	94.6	2.6	3.1	0.6

टिप्पणी: राजकोषीय सीमा की संगणना 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की संस्तुतियों पर आधारित है। स्लेटी रंग में दर्शाए गए राज्यों के पास अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश है। अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश का प्रयोग करने के लिए अनुमत किए जाने के लिए आवश्यक शर्त चालू और पिछले वर्षों में शून्य राजस्व घाटा है। यदि राजस्व प्राप्ति के अनुपात में ब्याज संदाय 10 प्रतिशत से कम या इसके समकक्ष है तब जीएसडीपी मूल्य की 0.25 प्रतिशत राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध है और यदि ऋण जीडीपी का अनुपात जीएसडीपी के 25 प्रतिशत से कम है, तब जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लिए राजस्व घाटा संख्या वर्ष 2016-17 ब.अ. के लिए है।

राज्यों को राजकोषीय गुंजाइश के विस्तार के अनुसार क्रम प्रदान किया गया है। अधिकतर राज्यों की राजकोषीय सीमा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत है। तथापि, छः राज्यों (ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार) में जीएसडीपी की 3.5 प्रतिशत की सीमाएं उच्च हैं क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति कुल मिलाकर मजबूत है, जैसा कि चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा समझा गया है।

वर्ष 2017-18 के ब.अ. आकलनों के साथ सीमाओं की तुलना करने पर, हम पाते हैं कि केवल सात राज्यों की राजकोषीय क्षमता जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत से अधिक है। अधिकतम गुंजाइश (रुपए की दृष्टि से) वाले राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। सापेक्ष दृष्टि से, झारखंड के पास भी पर्याप्त गुंजाइश है, जो जीडीपी का 0.7 प्रतिशत बैठती है। बिना किसी अतिरिक्त राजकोषीय क्षमता वाले राज्य उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा हैं।

संपूर्ण देश के लिए, अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश राशि लगभग ₹95,000 करोड़ थी या जीडीपी का 0.6 प्रतिशत है। यदि इस गुंजाइश का प्रयोग ऋण माफी के लिए किया गया तो वित्तपोषण के ब्याज की लागत जो लगभग ₹6,350 करोड़ बैठती है से सकल मांग पर प्रभाव पड़ेगा।

परिशिष्ट 1. वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए मुख्य कर उपाय**(क) प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत मुख्य उपाय**

- ₹5 करोड़ या इससे कम कुल बिक्री वाली कंपनी के लिए कर दरें 29% तक कम कर दी गई।
- दिनांक 1.3.2016 को या उससे बाद निगमित विनिर्माण कंपनियों को बिना कटौती के दावे पर 25% की दर से कर देने का विकल्प प्रदान किया गया।
- वहनीय आवास योजनाओं हेतु 100% कटौती।
- उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, जो किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं करते, किराये के संबंध में ₹24,000 से ₹60,000 तक की वृद्धि के मामले में कटौती की अनुमति।
- ₹50 लाख या इससे कम आय वाले व्यवसायिकों के लिए अनुमानित कराधान स्कीम आरंभ करना और व्यापार ₹1 करोड़ से 2 करोड़ तक बढ़ने पर अनुमानित कराधान स्कीम के लिए प्रारम्भिक सीमा।
- स्टार्ट-अप फंड में निवेश और स्टार्ट-अप-कंपनी के शेयर में निवेश करने के लिए आवासीय सम्पत्ति की बिक्री पर दीर्घावधिक पूंजी प्राप्ति की छूट। पांच वर्षों में से तीन क्रमिक वर्षों में 100% लाभ संबंधी कटौती।
- पुराने मुकदमों को कम करने के लिए नई विवाद समाधान स्कीम शुरू हो गई।
- उन व्यक्तियों, जो पूर्व में कर अदा करने में असफल रहे हैं, को अवसर प्रदान करने के लिए आय प्रकटन स्कीम, 2016 शुरू की गई।
- कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के समय एनपीएस में बचत से 40% कर मुक्त आहरण का प्रावधान किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष कराधान के अंतर्गत लाने के लिए कतिपय अपतटीय डिजिटल संव्यवहारों हेतु 6% समानीकरण उद्गृहण की शुरुआत।
- वैयक्तिक कर दाताओं के लिए गृह ऋण पर ₹50,000 तक के ब्याज की अतिरिक्त छूट।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 में शुरू की गई। जिसे उस व्यक्ति के अनुसार घोषित किया गया, है जिसके पास नकद/बैंक जमाओं के रूप में अघोषित आय है, और वह उसकी घोषणा ऐसी आय के 25% को अनिवार्य रूप से जमा करने के साथ कर, अधिभार तथा ऐसी आय के 49.9% के जुर्माने को अदा करके करता है।

(ख) उत्पाद और सीमा शुल्क के अंतर्गत मुख्य उपाय**i घरेलू उद्योग के लिए 'मेक-इन-इंडिया' प्रोत्साहन****सीमा शुल्क**

- 58% से कम एफ ई कंटेंट (अन्तर्वस्तु), सहित परिष्कृत लौक अयस्क और ढेलों तथा क्रोमियम अयस्क एवं कन्सन्ट्रेटों पर निर्यात शुल्क से पूर्ण छूट, और बाक्ससाइट पर इसे घटाकर 20% से 15% कर दिया गया है।
- कोयला, लिग्नाइट, पांस, तेलों और अन्य उच्च ताप कोल तार आवसन के उत्पादों पर 2.5% पर बीसीडी का यौक्तिकरण किया गया और कोयला कोक और अर्ध-कोक, आफ लिग्नाइट अथवा पांस, कोयला गैस, जल गैस, उत्पादक गैस और अन्य समान गैसों, अन्य पेट्रोलियम गैसों तथा अन्य गैसीय हाईड्रो कार्बन पर 5% बीसीडी का यौक्तिकरण।
- पैरा-जार्लेन तथा स्टार्इन को छोड़कर, सभी अचक्रीय हाईड्रोकार्बन और चक्रीय हाईड्रोकार्बन पर बीसीडी 2.5% पर यौक्तिकरण किया गया।
- फिथालिक एनीहाईड्राइड के विनिर्माण के लिए ऑर्थोजार्ई लेने पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (सामान्यतः एसएडी के रूप में जाना जाता है) धारा 3(5) के अंतर्गत लगाया जाने वाला अतिरिक्त सीमा शुल्क 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- लकड़ी, कागज, पेपर बोर्ड और समाचार मुद्रण के विनिर्माण के लिए चिप्स अथवा पार्टिकलों में लकड़ी पर बीसीडी से छूट दी गई है।
- विशेष फाईबर, तंतु/सूत पर बीसीडी 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया।
- निर्माता या व्यापारी, निर्यातक को परिधान निर्यात उन्नयन परिषद एवं कृत्रिम तथा रेयान वस्त्र निर्यात उन्नयन परिषद के अतिरिक्त कपास वस्त्र निर्यात उन्नयन परिषद के साथ भी पंजीकृत किया जा सकता है तथा कर-रहित आयात अधिकारों को प्राप्त करने हेतु प्रमाणन पर भी विचार किया जा सकता है।
- रद्दी पीतल तथा सिलिका रेती पर बी.सी.डी. को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- प्राथमिक ऐलुमिनियम एवं जस्ता मिश्र धातुओं पर बीसीडी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है तथा अन्य ऐलुमिनियम उत्पादों पर 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत। नकली जेवरों पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
- कैपेसिटर श्रेणी की प्लास्टिक परतों के निर्माण हेतु पलिप्रपलीन कणिकाओं अथवा रालों पर बीसीडी को वास्तविक उपभोग अवस्था के अनुरूप 7.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

- ई-पाठकों पर बीसीडी को शून्य से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है तथा वास्तविक उपभोग अवस्था के अनुरूप ई-पाठकों के कच्चे पदार्थों तथा भागों पर बीसीडी को बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक कर दिया गया है।
- संचल दूरभाष यंत्रों (मोबाइल फोन) के निर्माण हेतु चार्जर्स/एडेप्टर्स/बैटरी तथा वायर्ड हैंडसेट एवं स्पीकरों पर दी जाने वाली बीसीडी, सीबीडी तथा एसएडी छूटों को वापिस ले लिया गया।
- मोबाइल के चार्जर्स, एडेप्टर्स, बैटरियों तथा वायर हैंडसेटों एवं स्पीकरों के निर्माण हेतु वास्तविक प्रयोक्ता स्थिति के अनुरूप उनके इन्पुटों (निवेशों) भागों, उपभागों तथा घटकों पर बीसीडी, सीबीडी तथा एसएडी 10 से छूट प्राप्त है। सभी प्रकार के चुम्बकीय सिरों, मृत्तिका एवं चुम्बकीय कारतूसों तथा एन्टीनाओं, ई.एच.टी. केबिलों, सम मापकों, सम सूचकों, समस्वरक सूचकों, उच्च स्तरीय मापकों, बैटरी मापक, बीसी मापकों टेप गणकों, स्वर शस्त्रों, इलेक्ट्रान बंदूकों पर बीसीडी में दी जाने वाली छूट को वापिस ले लिया जो अब बीसीडी पर 7.5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत आदेय को वापिस ले लिया गया।
- दूरसंचार श्रेणी के तंतुप्रका आप्टिकल फायबर एवं केबलों के निर्माण हेतु सिलिका के पूर्व स्वरूप पर दी जाने वाली बीसीडी छूट को वापिस लेकर 10 प्रतिशत बीसीडी को लागू कर दिया गया।
- सूक्ष्म संलगकों, अधो-लघु संलगकों, पुनर्गठित संलगकों तथा ऊष्मीय संलगकों के निर्माण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं तथा निवेशों को छूट दे दी गई।
- पर्सनल कम्प्यूटरों, मोबाइल फोन, टेबलेट कम्प्यूटर (लैपटोप या डेस्कटाप) के निर्माण हेतु बहुसांख्यिक पीसीबी पर एसएडी से छूट तथा समान बहुसांख्यिक पीसीबी पर एसएडी लागू करने के प्रस्ताव को वापिस ले लिया गया है।
- औद्योगिक सौर जल हीटर पर बीसीडी 7.5% से बढ़ाकर 10% और सोलर टैम्पर्ड ग्लास पर 5% बीसीडी लगाई गई थी।
- बिना किसी समय सीमा के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर बीसीडी समाप्त की गई और सीबीडी में 6% छूट दी गई।
- गोल्फ कारों पर बीसीडी 10% से बढ़ाकर 60% की गई थी।
- वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्तों के अध्यधीन वाशकोट बनाने में उपयोग के लिए एल्यूमीनियम ओक्साइड संबंधी बीसीडी 7.5% से घटाकर 5% की गई।
- निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं और सीमा शुल्क की 96 मदों के अंतर्गत आने वाली कुछ पूंजीगत वस्तुओं पर बीसीडी 7.5% से बढ़ाकर 10% की गई।
- निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं और सीमाशुल्क की 115 मदों के अंतर्गत आने वाली कुछ पूंजीगत वस्तुओं पर बीसीडी की सीमाशुल्क दर 7.5% से बढ़ाकर 10% की गई। इन वस्तुओं पर बीसीडी की प्रभावी दर 7.5% पर बनी रहेगी।
- हवाई जहाजों के रख-रखाव, मरम्मत और पूरी जांच करके मरम्मत करने के लिए एम आर ओ द्वारा आयात किए गए (नागर विमानन महानिदेशालय के साथ पंजीकृत) टूल्स और टूल्स किट को बीसीडी, सीबीडी और एससीडी से मुक्त रखा गया।
- हवाई जहाजों के रख-रखाव, मरम्मत और जांच करके मरम्मत हेतु शुल्क मुक्त हिस्सों को उपयोग में लाए जाने का एक वर्ष का प्रतिबन्ध हटा लिया गया था।
- एमआरओ क्रियाकलाप (60 दिवस) के लिए हवाई जहाजों को रखने की मौजूदा शर्तें जिससे कि इन्हें 6 माह तक रोके रखा जा सके (और डीजीसीए, के द्वारा इन्हें और आगे रखने की समयसीमा बढ़ाने के लिए रखा माना गया था) में राहत दी गई।
- प्राकृतिक लेटेक्स रबड़ से बने गुब्बारों पर बीसीडी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई थी।
- रेडियो फार्मास्टिकल्स के विनिर्माण के लिए रेडिएशन और आइसोटोप टेक्नोलोजी (बीआरआईडी) बोर्ड द्वारा मेडिकल यूज फिसलन मॉल बडनम-99 के आयात पर बीसीडी पूरी तरह हटा दी गई।
- सेनिटरी पेड्स, नेपकिन, एवं टैम्पनस (वयस्क डाइपर को छोड़कर जिसके लिए पल्प पर बीसीडी पहले ही शून्य है) के निर्माण हेतु उपयोग में लाई गई लकड़ी के पल्प पर बीसीडी पर 2.5% की छूट प्रदान की गई।
- सेनिटरी पेड्स नेपकिन एवं टैम्पून के निर्माण हेतु उपयोग किए गए सुपर एबसोरबेन्ट पोलिमेर पर बीसीडी में 5% की छूट प्रदान की गई थी।
- मेडिकल, सर्जिकल, डेन्टल और वेटरनरी प्रयोग के लिए आवश्यक 12 निर्दिष्ट मदों की बीसीडी पर 5% की छूट और निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल, उपस्कर सहायक सामग्री के लिए 2.5 बीसीडी की रियायत दर प्रतिबन्धित की गई थी।
- मेडिकल, सर्जिकल, डेन्टल अथवा वेटरनरी प्रयोग के लिए आवश्यक 12 निर्दिष्ट मदों के लिए एसएडी हटा दी गई थी।

उत्पाद शुल्क

- ब्रान्डेड तैयार कपड़ों और 1000 खुदरा बिक्री मूल्य के कपड़े से तैयार एक वस्त्र अथवा अधिक वस्त्रों पर बिना आईटीसी के तैयार करने पर आईटीसी शून्य से 2% कर दी गई।
- तैयार कपड़ों और कपड़े से तैयार वस्त्रों पर शुल्क 30% खुदरा बिक्री मूल्य से बदलकर 60% खुदरा बिक्री मूल्य कर दिया गया।

- असंतुप्त पॉलिस्टर रेजिन (पॉलिस्टर आधारित इन्फ्यूजन रेजिन और हैण्ड ले अप रेजिन) आधारित पालिस्टर) आसंजक रेजिन हेतु हार्डनेस/हार्डनर, विनाइल इस्टर आसंजक (वीईए) और पवन चालित विद्युतीय जनरेटर्स के लिए रोटोर ब्लेड्स के निर्माण के लिए उपयोग किए गए इपोक्सी रेजिन के लिए उत्पाद शुल्क शून्य से बढ़ाकर 6% कर दिया गया।
- वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्तों के अधीन पवन चालित विद्युतीय जनरेटर्स के रोटोर ब्लेड्स के पूर्ण और छोटे पूर्ण मध्यस्थ पूर्ण और रोटोर ब्लेड्स के विनिर्माण के लिए कार्बन पल्ड्रिसिअन्स पर उत्पाद शुल्क 12.5% से घटाकर 6% कर दिया गया।
- तलवा और ऐडी के लिए रबड़ शीट एवं रेजिन रबड़ शीट पर उत्पाद शुल्क अपकेन्द्री पम्प के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिक मोटर, शाफ्ट, स्लीव, चैम्बर, इम्पेलर, वाशर पर उत्पाद शुल्क 12.5 से घटाकर 6% कर दिया गया।
- फुटवियर की सभी श्रेणियों के लिए आरएसपी आधारित उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ खुदरा बिक्री मूल्य से कम हुई दर 25% से 30% कर दी गई।
- मूल उपस्कर विनिर्माता के रूप में मोबाइल फोन विनिर्माताओं को आपूर्ति हेतु चार्जर/एडेप्टर, बैटरी और वायर्ड हैंडसेट पर आईटीसी सहित 12.5 अथवा आईटीसी के बिना 2% उत्पाद शुल्क प्रदान किया गया।
- वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्तों के अधीन मोबाइल फोन के चार्जर/एडेप्टर, बैटरी और वायर्ड हैंडसेट स्पीकर के निर्माण के लिए इनपुट पार्ट्स और घटकों को उत्पाद शुल्क मुक्त रखा गया है।
- रूटर्स, ब्रोडबैंड मॉडल्स इन्टरनेट तक पहुंच बनाने के लिए सेट-टॉप बॉक्स, टीवी के लिए सेट-टॉप बॉक्स, डीजिटल विडियो रिकार्डर/नेटवर्क विडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा, लिथियम इओन बैटरी (जो मोबाइल हैंडसेट के लिए हैं उन्हें छोड़कर) के लिए आईटीसी के साथ 12.5% आईटीसी के बिना 4% उत्पाद शुल्क नियत किया गया है।
- एल्युमीनियम फॉयल से बने डिसपोजेबल कन्टेनर्स पर आईटीसी के साथ 6% उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया।
- बिना किसी समय सीमा के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर 6% रियायती उत्पाद शुल्क।
- 6% रियायती उत्पाद शुल्क के प्रयोजनार्थ एचवी हेतु इंजन (अटकिनसन साइकल) से ग इवी (हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन) हेतु इंजन तक का विवरण परिवर्तित किया गया।
- नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणन के अधीन हवाई जहाज के रख-रखाव, मरम्मत और पूरी जांच करके मरम्मत करने के लिए एमआरओ द्वारा प्रदान की गई टूल्स और टूल्सकिट पर उत्पाद शुल्क की छूट बढ़ा दी गई।
- अभिलेखों पर आधारित हवाई जहाज के पूर्ण, परीक्षण उपकरणों के रख-रखाव के लिए टूल्स और टूल किट मरम्मत और पूरी जांच करके मरम्मत किए गए पूर्ण पर उत्पाद शुल्क में छूट की सुविधा लेने के प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया था।

ii कारोबार को सुगम बनाना

सीमा शुल्क

- विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों और संविदाओं, मार्जिनल फील्ड पॉलिसी और कोल बेड मीथेन पॉलिसी के अंतर्गत पेट्रोलियम की खोज के लिए आयोजित विशिष्ट वस्तुओं पर सीमा शुल्क से दी गई छूटों, को विशिष्ट वस्तुओं और स्थितियों की एकीकृत सूची के साथ एकल छूट में आमेलित किया गया।

उत्पाद शुल्क

- अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगाए गए और राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित 13 उपकर जिनमें से प्रत्येक से राजस्व संग्रह प्रतिवर्ष ₹50 करोड़ से कम है, उन्हें समाप्त कर दिया गया।

iii. जीएसटी की ओर बढ़ना तथा कर आधार को विस्तृत करना

- सभी बांड वाले तैयार परिधानों तथा तैयार वस्तुओं पर जिनका खुदरा बिक्री मूल्य 1000 अथवा अधिक है, उत्पाद शुल्क, 'बिना आईटीसी' के शून्य अथवा आईटीसी के साथ 6%/12.5% से बदलकर 'बिना आईटीसी' के 2% अथवा आईटीसी के साथ 12.5% कर दिया गया था।
- आभूषण की वस्तुओं (इनमें चांदी के आभूषण शामिल नहीं, हीरे अथवा अन्य कीमती पत्थरों से जड़े अन्य आभूषणों को छोड़कर) से उत्पाद शुल्क छूट वापस ले ली गई तथा सरल अनुपालन पद्धति के साथ वर्ष में ₹6 करोड़ तक की आरंभिक सीमा छूट तथा ₹12 करोड़ की पात्रता सीमा सहित बिना आईटीसी के 1% अथवा आईटीसी के साथ 12.5% उन पर आरोपित किया गया।
- केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषण की वस्तुओं के हिस्सों पर 1% उत्पाद शुल्क (निविष्टि तथा पूंजी वस्तु क्रेडिट के बिना) निर्धारित किया गया। इसके अलावा, विशेष कीमती धातु के आभूषण की वस्तुओं अथवा आभूषण की वस्तुओं के हिस्सों अथवा दोनों के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड निर्धारित किए गए।

iv. स्वच्छ भारत

- कोयले, लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' का पुनः नामकरण 'स्वच्छ पर्यावरण उपकर' किया गया तथा दर को ₹200 प्रति टन से बढ़ाकर ₹400 प्रतिटन किया गया।

v. अतिरिक्त संसाधन जुटाना

- वातित पेय लेमोनेड और अन्य पेय, जिनमें चीनी अथवा अन्य मिठासकारी पदार्थ अथवा सुगंध समाहित होती है, पर उत्पाद शुल्क 18% से बढ़ाकर 21% कर दिया गया।
- शीर्षक 8703 की विशिष्ट छूटों के साथ मोटर वाहनों पर अवसंरचना उपकर लगाया गया जो निम्नलिखित है:
 - 4 मी० से कम की लंबाई के पेट्रोल/एलपीजी/सीएनजी चालित मोटर वाहन तथा 1200 सीसी से कम की इंजन क्षमता-1%
 - मी० से कम की लंबाई के डीजल चालित मोटर वाहन तथा 1500 सीसी से कम की इंजन क्षमता -2.5%
 - उच्च इंजन क्षमता के अन्य मोटर वाहन तथा एसयूवी और बड़ी गाड़ियां -4%
- क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत विमान को सप्लाई किए जाने वाले ईंधन को छोड़कर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क 8% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया।

vi. राहत उपाय**सीमा शुल्क**

- प्रशीतित कन्टेनरों पर बीसीडी 10% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- ब्रेल पेपर पर बीसीडी से छूट-अवधि बढ़ा दी गई।
- कृत्रिम यकृत के डिस्पोजेबल स्टैरेलाइज्ड डायालाइजर तथा माइक्रो बैरियर पर बीसीडी, उत्पाद शुल्क/सीवीडी और एसएडी से छूट दी गई।

उत्पाद शुल्क

- प्रशीतित कन्टेनरों पर उत्पाद शुल्क 12.5% से घटाकर 6% कर दिया गया।
- लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गोबर के उपले, ब्रिकेट तथा कोयला जलाने के लिए घुंआरहित चूल्हों सहित उन्नत चूल्हों पर उत्पाद शुल्क बिना शर्त के समाप्त कर दिया।
- सोलर लैम्प को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई।

vii. जन स्वास्थ्य

- सिगरेट, सिगार, चुर्रुट एवं सिगारीलो तथा अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाया गया।
- पान मसाला, गुटका, कच्चे तम्बाकू, चबाने वाली तंबाकू, जर्दा सुगन्धित तंबाकू तथा छनी हुई खैनी पर लगभग मूल उत्पाद शुल्क 15% बढ़ाया गया।

(ग) सेवा कर के अंतर्गत उपाय**i. कर आधार का विस्तार तथा जीडीपी और कर के अनुपात में वृद्धि करना।**

- बजट 2016-17 में, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यापारिक संस्थानों को दी जाने वाली सभी सेवाओं पर कर लगाने के इससे पूर्व के बजट में किये गये प्रावधान को 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त किया गया।
- 1 जून 2016 से कृषि कल्याण उपकर सभी करयोग्य सेवाओं पर ऐसी कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर 0.5% की दर से लगाया गया।
- वातानुकूलित वाहन द्वारा सामान के साथ अथवा सामान के बिना यात्रियों के परिवहन पर सेवा कर से दी गई छूट वापस ले ली गई।
- रोपवे, केबल कार अथवा एरियल ट्राम वे द्वारा सामान के साथ अथवा सामान के बिना यात्रियों के परिवहन के परिवहन पर सेवा कर से दी गई छूट वापस ली गई।
- मोनोरेल, अथवा मेट्रो से संबंधित 1 मार्च, 2016 के पश्चात् प्रभावी होने वाली सविदाओं के संबंध में मूल निर्माण कार्यों का निर्माण ढांचा खड़ा करना, चालू करना अथवा प्रनिष्ठापन के संबंध में सेवाकर से दी गई छूट वापस ली गई।
- 1 दिसंबर 2016 से आनलाइन सूचना तथा डाटाबेस पहुंच अथवा पुनः प्राप्ति (ओआईडीएआर) सेवाओं जो वाणिज्य, उद्योग अथवा, किसी अन्य कारोबार अथवा पेशे के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के संबंध में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी व्यक्ति द्वारा गैर कर योग्य क्षेत्र (सेवाओं की सीमा पर आपूर्ति) में स्थित सेवा प्रदाता से प्राप्त होती है, के प्रावधान पर सेवाकर पर दी गई छूट वापस लेना।
- भारतीय पोत परिवहन उद्योग को समान और उपयुक्त अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत आने वाली वस्तुओं के संबंध में किसी विदेशी चार्टर को विदेशी फ्लैगशिप द्वारा आयात भाड़ा सेवा के लिए दी जाने वाली छूट 22 जनवरी, 2017 से समाप्त कर दी गई।

ii. व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने हेतु।**सेवा कर से छूट**

- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अन्य किसी सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को कुछ अपवादों के साथ प्रदान की गई सेवाएं;

- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कोई व्यवसाय या कारोबार कर रहा हो, प्रदान की गई निर्दिष्ट सेवाएं;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा (i) विधि के तहत अपेक्षित पंजीकरण; (ii) यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण, जांच या प्रमाणन के लिए प्रदान की गई सेवाएं;
- कृषि के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्तिगत कृषक को प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन के रूप में सेवाएं;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भूमि-उपयोग के विनियमन, भवनों के निर्माण और अन्य सेवाओं के लिए दी गई सेवाएं;
- किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए अधिकार प्राप्त करने हेतु, एकबारगी संदेय पूर्ण अपफ्रंट या किस्तों में संदेय सेवा कर और यह 01.04.2016 से पूर्व दिए गए स्पेक्ट्रम के संबंध में 01.04.2016 के पश्चात् देय वार्षिक किस्तों और वर्ष 2015-16 के लिए 01.04.2016 के बाद संदेय स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता प्रभार और लाइसेंस फीस के संबंध में समनुदेशिनी द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित किसी आवधिक भुगतान के लिए न हो।
- सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को संदेय जुर्माने और परिनिर्धारित हर्जाने।

यह स्पष्ट किया गया कि:

- उद्ग्रहीत कर, उपकर या प्रशुल्क अथवा शास्ति ऐसी किसी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिफल नहीं हैं और इसलिए सेवा कर उद्ग्रहणीय नहीं है;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी प्रतिफल के लिए किया गया कोई ऐसा कार्यकलाप जो किसी सेवा के अंतर्गत आता है और ऐसे कार्यकलाप करने के लिए प्रभारित धनराशि पर सेवा कर देय है;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कारोबारी कंपनी को प्रदत्त सेवाओं के मामले में कराधान की तारीख उन तारीखों में से पहले की तारीख होगी जिस तारीख को: (क) ऐसी सेवा के लिए कोई भुगतान पूर्णतः या अंशतः, देय हो जाता है या (ख) ऐसा भुगतान कर दिया जाता है;
- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कारोबारी कंपनी को प्रदत्त किसी सेवा के मामले में आस्थगित भुगतान पर प्रभार योग्य ब्याज, जहां ऐसी सेवा के लिए भुगतान को ब्याज संदाय करने पर अस्थगित किए जाने की अनुमति दी जाती है, कर योग्य सेवा के मूल्य में शामिल किया जाएगा;
- किसी वर्ष में संदत्त एक बारगी प्रभारों (चाहे वह अग्रिम संदत्त या किस्तों में हो) पर सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट 3 (तीन) वर्ष की अवधि में समान रूप से लिया जाना अनुमत होगा। किंतु, स्पेक्ट्रम के व्यापार पर सरकार द्वारा प्रभारित स्पेक्ट्रम उपभोक्ता प्रभारों, लाइसेंस शुल्क, अंतरण शुल्क पर संदत्त सेवा कर उसी वर्ष में लागू होगा जिस वर्ष में इसका भुगतान किया गया होगा इसी प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित रायल्टी पर संदत्त सेवा कर और कोई आवधिक संदाय उसी वर्ष में क्रेडिट में उपबंध होगा जिस वर्ष इसे संदत्त किया गया हो;
- किसी विवाचन अधिकरण (अधिकरण के व्यष्टि विवाचकों सहित) द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए सेवा कर देयता सेवा प्राप्तकर्ता पर होगी यदि यह पूर्वगामी वित्त वर्ष में दस लाख से अधिक का लेनदेन करते हुए कर योग्य भूक्षेत्र में स्थित कोई व्यावसायिक कंपनी हो;
- यह निदेश दिया गया कि सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6(2) के तहत क्षेत्राधिकारगत उप/सहायक आयुक्त द्वारा निहित विवेक का प्रयोग न्यायोचित और युक्तिसंगत ढंग से किया जाएगा;
- मालों को किराये पर, पट्टे पर लेने या उनके लाइसेंसिंग से युक्त किसी विशिष्ट मामलों में, यह तय करना अनिवार्य है कि क्या, सविदा की दृष्टि से, मालों का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित किया गया है या नहीं। भारत संचार निगम लि० बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड, 2006(2) एसटीआर 161 एससी = 2006-टीआईओएल-15-एससी-सीटी-एलबी में उल्लिखित, का मालों को किराये पर, पट्टे पर लेने या उनके लाइसेंसिंग से युक्त मामलों में विशिष्ट रूप से अनुपालन और अनुप्रयोग किया जाएगा;
- अधिसूचना 25/2012-सेवा कर के क्रमांक 12(ड) और 25 (क) में दी गई प्रविष्टियों के तहत वर्णित छूट में सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदत्त व्यापक दायरे वाले कार्यकलाप/सेवाएं आएंगी और इनमें ट्यूबवेल के निर्माण संबंधी कार्यकलाप शामिल होंगे।
- धार्मिक स्थल के आसन्न पड़ोस और इर्द-गिर्द में स्थित तथा धार्मिक स्थल के स्वामित्वाधीन या धार्मिक स्थल के रूप में एक ही प्रबंधन के अधीनस्थ अचल संपत्ति के बारे में यह विचार किया जा सकता है कि वह धार्मिक स्थल के पड़ोस में स्थित है और उस पर अधिसूचना सं० 25/2012-सेवा कर क्रमांक 5(क) के तहत छूट का लाभ दिया जा सकता है।

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016-17 के दौरान पॉलिसी दरों में 50 आधार बिंदु की कटौती की। तथापि, इसने फरवरी 2017 में अपनी मौद्रिक नीति को समायोजनकारी दृष्टिकोण से बदलकर तटस्थ बनाया। और अगस्त 2017 में रेपो दर में 25 आधार बिंदु की कटौती की। आरक्षित मुद्रा जैसे मौद्रिक समंक 9 नवंबर, 2016 को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की विधिमान्य स्थिति समाप्त किए जाने के बाद काफी कम हो गए। विमुद्रीकरण के पश्चात कई महीनों तक अतिरिक्त नकदी की स्थिति बनी रही। बैंकों से ऋण लेने में हुई गिरावट बरकरार रही और अनर्जक आस्तियों की स्थिति और अधिक बिगड़ी। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मन्द विकास और बढ़ती ऋणग्रस्तता से बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता प्रभावित हुई और यह चिंता का विषय है। वित्तीय समावेशन का कार्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत तेजी से हो रहा है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों में औसत शेष में 2016-17 में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और शून्य शेष वाले खातों की संख्या लगातार कम हुई है।

2016-17 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

3.1 सरकार ने, मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया ताकि संशोधित मौद्रिक नीति ढांचे का उपबंध कर सके। संशोधित अधिनियम के तहत प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अधिकार प्राप्त मौद्रिक नीति समिति के गठन के लिए सांविधिक आधार के उपबंध किए गए हैं। 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए सरकार ने सहनीय स्तर ± 2 प्रतिशत के साथ 4 प्रतिशत का मुद्रास्फीति लक्ष्य रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अप्रैल 2016 में अपने नकदी प्रबंधन नीति ढांचे को दुरुस्त किया है, इसका उद्देश्य नियमित सुविधाओं द्वारा अल्पावधिक नकदी आवश्यकता को पूरा करना, कार्यों में उचित तालमेल के जरिए क्षणिक और मौसमी बेमेल को कम करना और

अपने तुलन पत्र में निवल विदेशी आस्तियों और निवल घरेलू आस्तियों को सुधारकर अधिक टिकाऊ नकदी प्रदान करना है। यह आंशिक रूप से, 2015 के अंतिम दिनों में देखी गई मुद्रा की दुर्लभ स्थिति के 'प्रत्युत्तर' में था। (देखें बॉक्स 3.1 चित्र 1)।

3.2 सरकार ने, 29 सितंबर, 2016 को मौद्रिक नीति समिति के गठन को अधिसूचित किया। 2016-17 में एमपीसी की तीन बैठकें हुईं। 2016-17 की 8 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी अंतिम बैठक में, एम पी सी ने, नीति दरों को नियंत्रित करते समय अपनी मौद्रिक नीति को समायोजनकारी से बदलकर तटस्थ बना दिया। 2 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी अद्यतन बैठक में, एमपीसी ने नीति रेपो दर में 25 आधार बिन्दु तक 6 प्रतिशत की कटौती की। तदनुसार रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत है और अत्यल्प स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत है।

सारणी 1. नीति दरों में संशोधन

प्रभावी तारीख	बैंक दर/ एमएसएफ दर* (प्रतिशत)	रेपो दर (प्रतिशत)	रिवर्स रेपो दर (प्रतिशत)	नकदी आरक्षित अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	वैधानिक तरलता नकदी अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)
29-09-2015	7.75	6.75	5.75	4.00	21.50
1-12-2015	7.75	6.75	5.75	4.00	21.50
2-02-2016	7.75	6.75	5.75	4.00	21.50
5-04-2016	7.0	6.50	6.0	4.00	21.25
7-06-2016	7.0	6.50	6.0	4.00	21.25
9-08-2016	7.0	6.50	6.0	4.00	21.00
4-10-2016	6.75	6.25	5.75	4.00	20.75
7-12-2016	6.75	6.25	5.75	4.00	20.75
8-02-2017	6.75	6.25	5.75	4.00	20.50
6-04-2017	6.50	6.25	6.0	4.00	20.50
7-06-2017	6.50	6.25	6.0	4.00	20.50
2-08-2017	6.25	6.00	5.75	4.00	20.00

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: 13 फरवरी 2012 से बैंक दरों को एमएसएफ दरों से जोड़ा गया है, एनडीटीएल, निवल मांग और समय देयता है।

3.3 2016-17 के दौरान, 9 नवंबर, 2016 को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की विधिमाम्य मुद्रा की समाप्ति के चलते मौद्रिक संग्रहण काफी धीमा पड़ गया है। विमुद्रीकरण के पहले, आरक्षित मुद्रा (वर्षानुवर्ष आधार पर एमओ) का औसत 15 प्रतिशत था जो 2015-16 की इसी अवधि में औसत वृद्धि से लगभग 4 प्रतिशतांक अधिक था (चित्र 1)। प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि मुख्य रूप से परिचालन में मुद्रा की अधिक वृद्धि के कारण हुई थी। विमुद्रीकरण के बाद विगत अनेक वर्षों में पहली बार परिचालनरत मुद्रा में तेजी से कमी आई, सहवर्ती रूप से प्रारक्षित मुद्रा में गिरावट आई (सारणी 2) प्रारक्षित मुद्रा में नरम बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सरकार के नकद शेष संग्रहण को दर्शाया है, अधिकांशतः नकद प्रबंध हुंडियों के निर्गम के जरिए और आधिक्य अधिशेष को बैंकिंग प्रणाली में समाहित करने की दृष्टि से बढ़ती एलएएफ रिवर्स रेपो के जरिए भी यह संभव हुआ। 6 जनवरी, 2017 को ₹ 9 ट्रिलियन नीचे गिरने के बाद परिचालनरत मुद्रा पुनःमुद्रीकरण प्रक्रिया की तर्ज पर

बढ़ना शुरू किया और 31 मार्च 2017 तक 74 प्रतिशत पर शीर्ष पर पहुंच गया (4 नवंबर, 2016 को ₹ 18 ट्रिलियन) परिणामस्वरूप मार्च अंत 2017 में प्रारक्षित मुद्रा में सुधार आया किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में यह 12.9 प्रतिशत कम था।

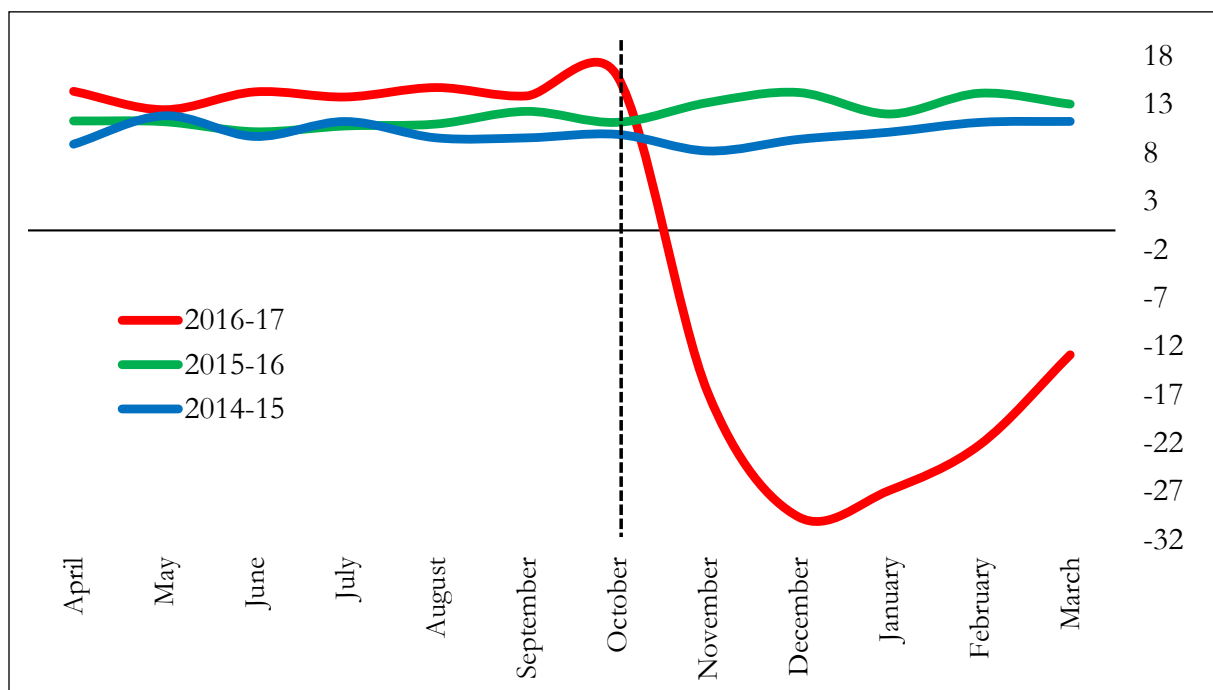
3.4 सकल मौद्रिक संसाधनों में वृद्धि 2016-17 के दौरान नरम पड़ गई जो ऋण वृद्धि में मंदी तथा एफसीएनआर(बी) जमा राशि की काफी मात्रा में मोचन दर्शाता है (चित्र 2)। 9 नवम्बर, 2016 के बाद जनता के पास मुद्रा अचानक कम हो गई और इसकी वृद्धि ऋणात्मक हो गई। साथ ही साथ कुल जमा राशि में बढ़ोतरी देखी गई क्योंकि एसबीएन की विधिमाम्यता समाप्त होने के साथ-साथ नकद आहरण पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, विमुद्रीकरण के बाद सकल मुद्रा में कटौती प्रारक्षित मुद्रा में आई कमी से काफी कम थी, इसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान मुद्रा गुणकों में तेजी से वृद्धि हुई। तथापि, पुनःमुद्रीकरण के गति पकड़ने के साथ ही साथ सकल मुद्रा में सुधार

सारणी 2. प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में मौद्रिक समकों में वर्षानुवर्ष परिवर्तन (प्रतिशत)

मद	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
परिचलन में मुद्रा	-19.7	14.9	11.3	9.2	11.6	12.4	18.8
बैंक के पास नकद	8.1	6.6	12.4	10.7	14.6	15.2	18.0
जनता के पास मुद्रा	-20.8	15.2	11.3	9.2	11.5	12.3	18.8
आरबीआई में बैंकों की जमा राशि	8.3	7.8	8.3	34.0	-10.0	-15.9	20.2
प्रारक्षित मुद्रा (एम ओ)	-12.9	13.1	11.3	14.4	6.2	3.6	19.1
मांग जमा राशि	42.5	11.0	9.8	7.8	6.0	-1.7	0.7
संकीर्ण मुद्रा (एम1)	3.6	13.5	11.3	8.5	9.2	6.0	10.0
सावधि जमा	12.6	9.2	10.7	14.9	15.0	16.1	18.3
सकल मौद्रिक संसाधन	10.6	10.1	10.9	13.4	13.6	13.5	16.1

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं, स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 1. प्रारक्षित मुद्रा वर्षानुवर्ष वृद्धि (%)—मासिक रूझान



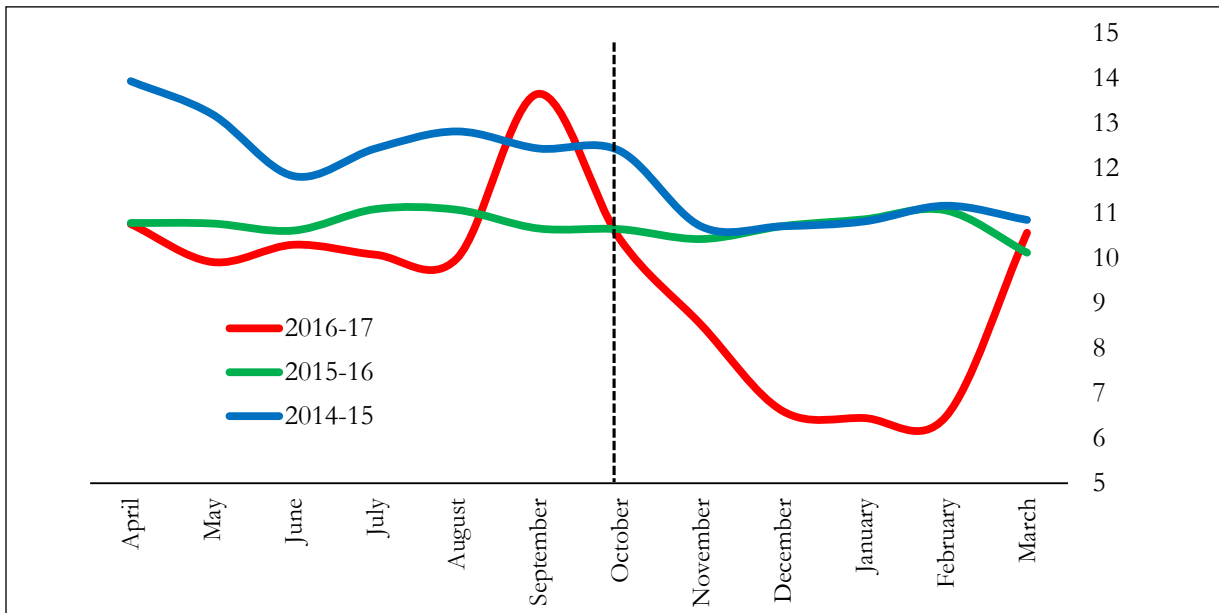
स्रोत: आरबीआई

आया और पिछले वर्ष की तुलना में यह 10.6 प्रतिशत अधिक था। इसके परिणामस्वरूप 6 जनवरी, 2017 को 8.8 पर शीर्ष पर पहुंचने के पश्चात, मुद्रा गुणकों में बाद की अवधि में गिरावट आई और यह 31 मार्च, 2017 को 6.8 पर आ गया (5.3 पिछले वर्ष) (चित्र 3)

नकदी की स्थिति और इसका प्रबंधन

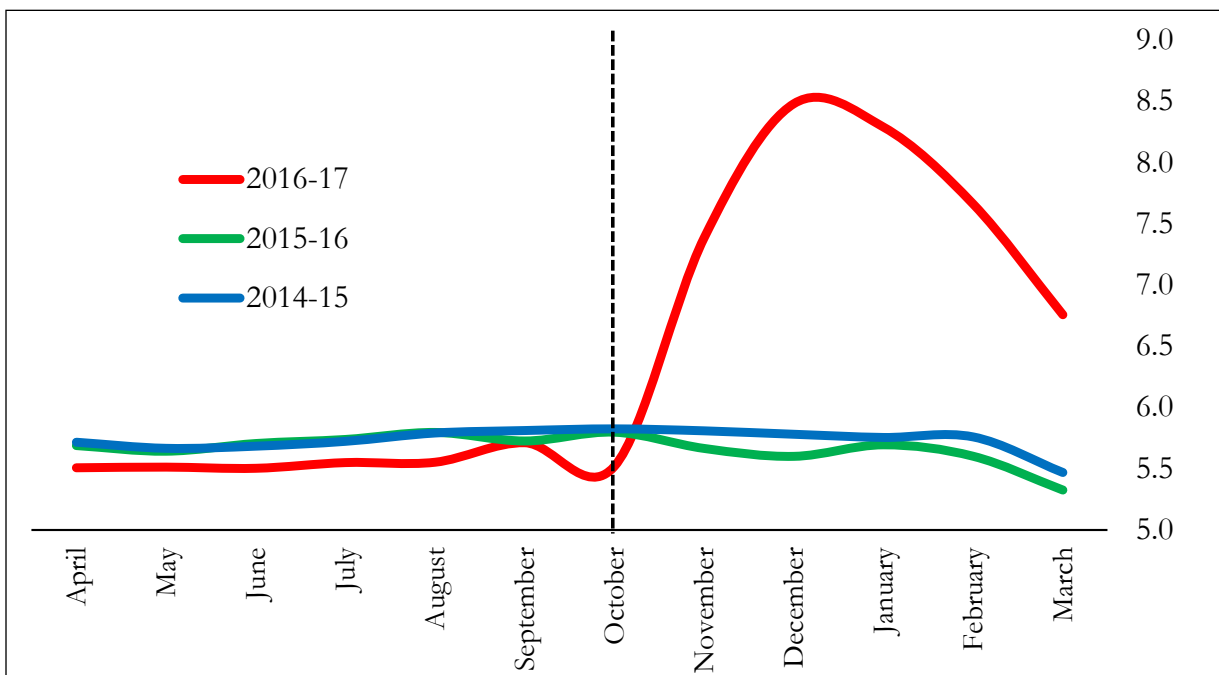
3.5 अप्रैल, 2016 में नए नकदी प्रबंधन ढांचे की शुरूआत करने से, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औसत प्रत्याशित तरलता घाटा तटस्थता की स्थिति में लाने के लिए प्रयास किए गए हैं और अप्रैल से जून में

चित्र 2. सकल मुद्रा: वर्षानुवर्ष वृद्धि (%) - मासिक रुझान



स्रोत: आरबीआई

चित्र 3. मुद्रा गुणक-मासिक रुझान



स्रोत: आरबीआई

यह घाटा लगातार कम हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक में भारत सरकार के नकद शेष में गिरावट और ओएमओ खरीद नीलामी के जरिए स्थायी नकदी अन्तःक्षेप के साथ जुलाई से सितंबर मध्य 2016 की अवधि के दौरान

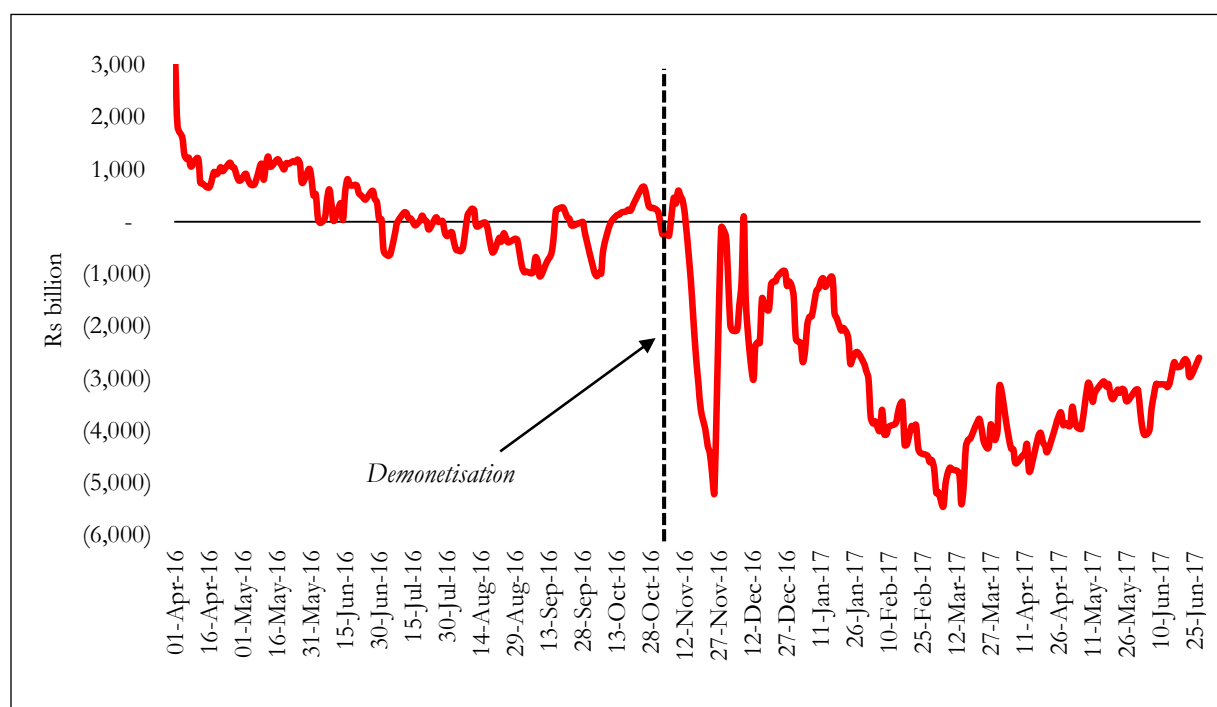
भारतीय रिजर्व बैंक नकदी को अपने पास जमा करने की विधि से कार्य करता रहा। बैंकिंग प्रणाली से अग्रिम कर बहिर्प्रवाह के कारण सितंबर के उत्तरार्ध में नकदी की स्थिति मामूली रूप से मजबूत हुई और परिणामस्वरूप

भारतीय रिजर्व बैंक में भारत सरकार के नकद शेष में वृद्धि हुई। परिचालन में मुद्रा में त्योहार के कारण वृद्धि होने की वजह से यह अक्टूबर उत्तरार्ध में घाटे पर रहने के पहले अक्टूबर मध्य, 2016 तक अधिशेष दिखा रहा था। ऐसे घटनाक्रम सामान्यतः घटित होते रहते हैं।

3.6 विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर, 2016 को की गई। इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में अभूतपूर्व तरीके से नकदी अधिशेष बढ़ा। एलएएफ के तहत 25 नवंबर, 2016 को शीर्ष 5194 बिलियन निवल नकदी समाहित हुई। बैंकिंग प्रणाली में नकदी की भरमार को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने विभिन्न उपाय किए। इन उपायों में 26 नवंबर 2016 को प्रारंभ पखवाड़े से अस्थायी रूप से 100 प्रतिशत आंतरिक सीआरआर (16 सितंबर, 2016 और 11 नवंबर, 2016 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर) और बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत नकदी प्रबंधन हुंडियां जारी करना एवं रातों रात से लेकर 91 दिवसों विभिन्न अवधियों की परिवर्तनीय दर, रिवर्स रेपो, आदि शामिल हैं।

3.7 विमुद्रीकरण से उत्पन्न बड़ी मात्रा में अधिशेष मुद्रा की स्थिति 2016-17 की चौथी तिमाही में भी बनी रही। अधिशेष नकद को समाहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने परिवर्तनीय दर, रिवर्स रेपो, जारी रखी और जनवरी, 2017 में भी सीएमबी निर्गम करता रहा। एमएसएस के अंतर्गत सीएमबी के निर्गमों के जरिए नकदी समाहरण जनवरी 2017 में ₹ 5,966 बिलियन पर शीर्ष पर पहुंच गया। सीएमबी के परिपक्व होने और फरवरी-मार्च 2017 में नए सीएमबी का निर्गम बंद कर देने से प्रणाली में अधिशेष नकद को समाहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो नीलामी का स्तर बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल नकदी समाहरण जनवरी, 2017 में ₹ 2002 से बढ़कर फरवरी, 2017 में ₹ 3,997 बिलियन तथा मार्च, 2017 में और अधिक बढ़कर ₹ 4,483 बिलियन हो गया। एलएएफ और सीएमबी जारी करके औसत दैनिक निवल नकदी समाहरण 2016-17 की चौथी तिमाही के दौरान ₹ 5932 बिलियन था, 4 जनवरी, 2017 को शीर्ष ₹ 7956 बिलियन दर्ज किया गया। तथापि, ये सभी उपाय

चित्र 4. दैनिक बाजार तरलता



स्रोत: आरबीआई

बाक्स 1. केन्द्रीय बैंक तरलता क्या है?

नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत बैंक और प्राथमिक डीलर (पीडी) या तो रेपो विंडो का उपयोग करके आरबीआई से उधार ले सकते हैं या रिवर्स रेपो विंडो का उपयोग करके आरबीआई में अधिक निधि को रख सकते हैं। यह ध्यान रहे कि पीडी आरबीआई पंजीकृत संख्या हो, जिनके पास सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री करने का लाइसेंस हो। अक्टूबर, 2013 और जून 2014 से आरबीआई ने भी सावधि रेपो (14 दिवसीय तक) और सावधि रिवर्स रेपो (56 दिवसीय तक) का प्रचालन शुरू किया है। रेपो और रिवर्स रेपो विंडो के तहत लेन-देन संपार्श्विक होते हैं।

किसी भी समय बाजार तरलता का अभिप्राय एलएएफ के अंतर्गत बैंकों और पीडी द्वारा उधार ली गई निवल निधि है (आरबीआई से निधियां उधार ली जाती हैं और उसमें जमा की जाती हैं)। तरलता की कमी का अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें आरबीआई से उधार ली गई निवल निधि धनात्मक हो। दूसरे शब्दों में, रातों रात उधार लेने के लिए बैंकों और पीडी को आरबीआई का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि बाजार में नकदी का अभाव है। इसी प्रकार तरलता का आधिक्य का अभिप्राय है इसके विपरीत स्थिति जहां आरबीआई से उधार ली गई निवल निधि ऋणात्मक होती है। मूल रूप से बैंक और पीडी के पास पर्याप्त से अधिक नकदी है अतः वे ब्याज कमाने के लिए अपनी आधिक्य निधि जमा करने हेतु आरबीआई का रुख करते हैं।

प्रणाली से नकदी आधिक्य को समाप्त करने में सफल नहीं रहे। जून 2017 के अंतिम सप्ताह में भी नकदी का आधिक्य ₹ 2500 बिलियन बना रहा।

बैंकिंग क्षेत्र

3.8 बैंक-साख आर्थिक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 2003-2008 की अवधि में देखी गई उच्च वृद्धि के साथ-साथ मौद्रिक संग्रहण और साख वृद्धि में बेहतर प्रदर्शन हुआ जो वर्षानुवर्ष 20 प्रतिशत के आंकड़े से सामान्य अधिक था। वैश्विक वित्तीय संकट और 2008-10 की तुलना में राजकोषीय उत्प्रेरक द्वारा तेजी से प्रभावित होने के बाद फरवरी, 2014 तक साख वृद्धि लगभग 15 प्रतिशत अंक पर बनी रही। बाद में इसमें मंदी आई। वर्ष 2016-17 के दौरान सकल बैंक साख बकाया औसतन 7 प्रतिशत बढ़ा। मई 2017 के लिए अद्यतन पाठन 4.1 प्रतिशत है। धीमी वृद्धि के अनेक कारक हो सकते हैं: (क) मौद्रिक नीति का अपूर्ण प्रचार-प्रसार क्योंकि बैंकों ने उधारकर्ताओं को मौद्रिक सुलभता के समस्त फायदे की जानकारी नहीं दी थी; (ख) दोहरे तुलन पत्र की समस्या (कमजोर बैंक तुलन पत्र तथा कारपोरेट तुलन पत्र); (ग) बांड बाजार में और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से उधारकर्ताओं के लिए अधिक आकर्षक ब्याज दरें।

3.9 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक खाद्य-भिन्न ऋण के अभिनियोजन की प्रवृत्ति दर्शाती है कि उद्योग क्षेत्र द्वारा ऋण लेना कम हो गया है (चित्र 5) वित्तीय वर्ष 2016-17 में उद्योग को औसत सकल बैंक ऋण में 1.6

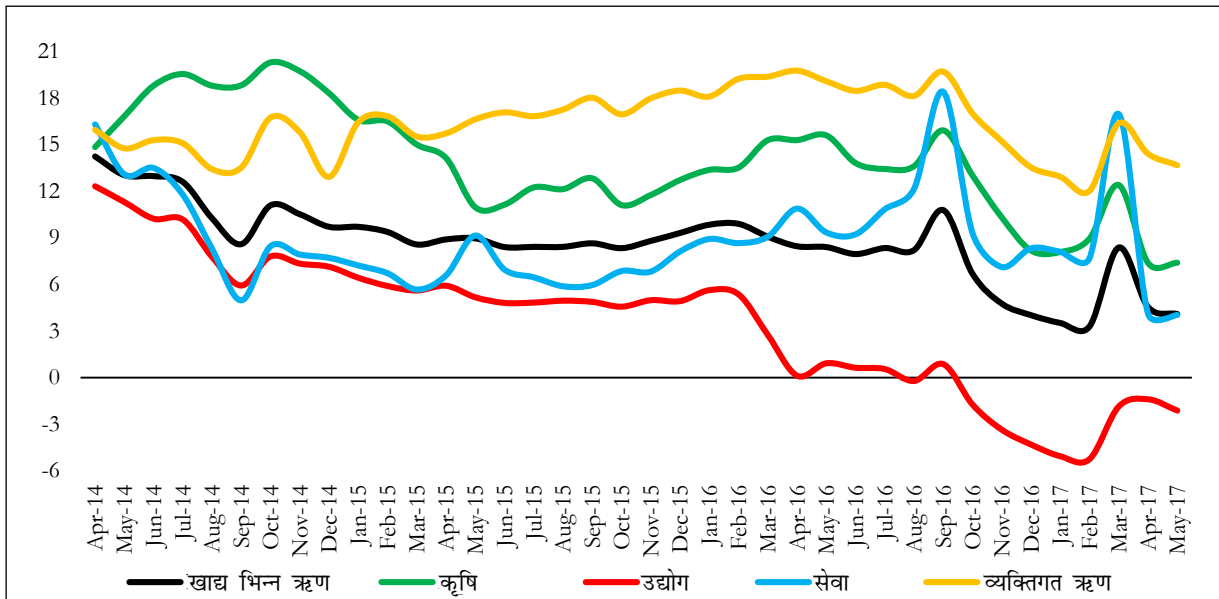
प्रतिशत कमी आई है। मई 2017 में इसमें 2.1 प्रतिशत की कमी आई थी। यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के उत्तरार्ध में व्यक्तिगत ऋण खंड में भी गिरावट आई। चित्र 6क और 6ख सरकारी और निजी बैंकों द्वारा उद्योग को ऋण और गैर-खाद्य ऋण के सकल अभिनियोजन को दर्शाते हैं। हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से ऋण उठाव में कमी निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के मुकाबले स्पष्ट रूप से अधिक है।

3.10 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादन अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात सितंबर, 2016 में 9.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2017 में 9.5 प्रतिशत हो गया। जोखिम-आपदाग्रस्त आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पूंजी सितंबर 2016 और मार्च, 2017 के बीच 13.4 प्रतिशत से बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गया जबकि कर पश्च लाभ वर्ष 2016-17 में बढ़कर 45.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015-16 में इसमें 61.6 प्रतिशत की गिरावट रही। यह मुख्यतया अन्य परिचालन आय (ओओआई) में उच्च वृद्धि के कारण हुआ जोकि जोखिम संबंधी प्रावधानों और बट्टे-खाते डालने के सापेक्ष है।

वित्तीय समावेशन

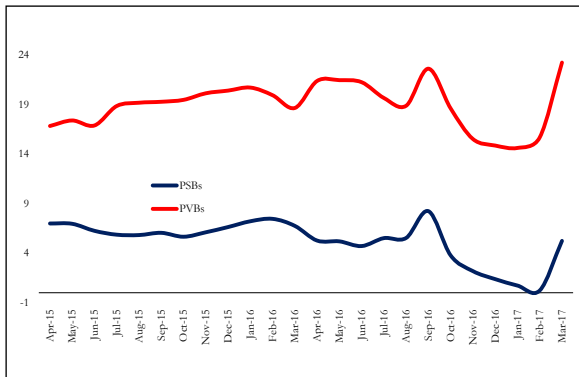
3.11 अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के शुभारंभ से मिशन मोड में वित्तीय समावेशन के महत्वाकांक्षी एजेंडा के प्रति भारत वचनबद्ध हो गया है। जैसे-जैसे इस पहल को तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके प्रभाव का परिणाम के संदर्भ में आकलन करना, प्रमुख

चित्र 5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन (वर्षा-नु-वर्ष, %)

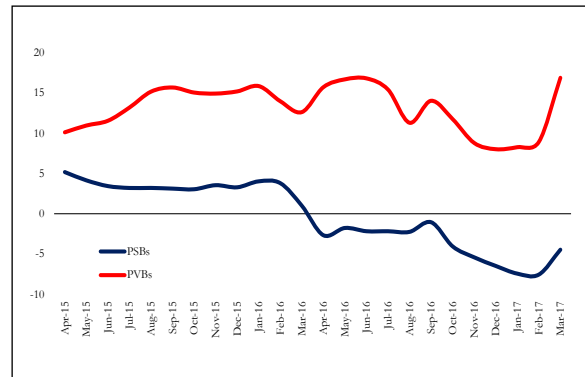


स्रोत: आरबीआई

चित्र 6क. बैंक समूहों द्वारा खाद्यभिन्न ऋण वृद्धि (वर्षा-नु-वर्ष, %)



चित्र 6ख. बैंक समूहों में उद्योगों को ऋण वृद्धि (वर्षा-नु-वर्ष, %)



स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान

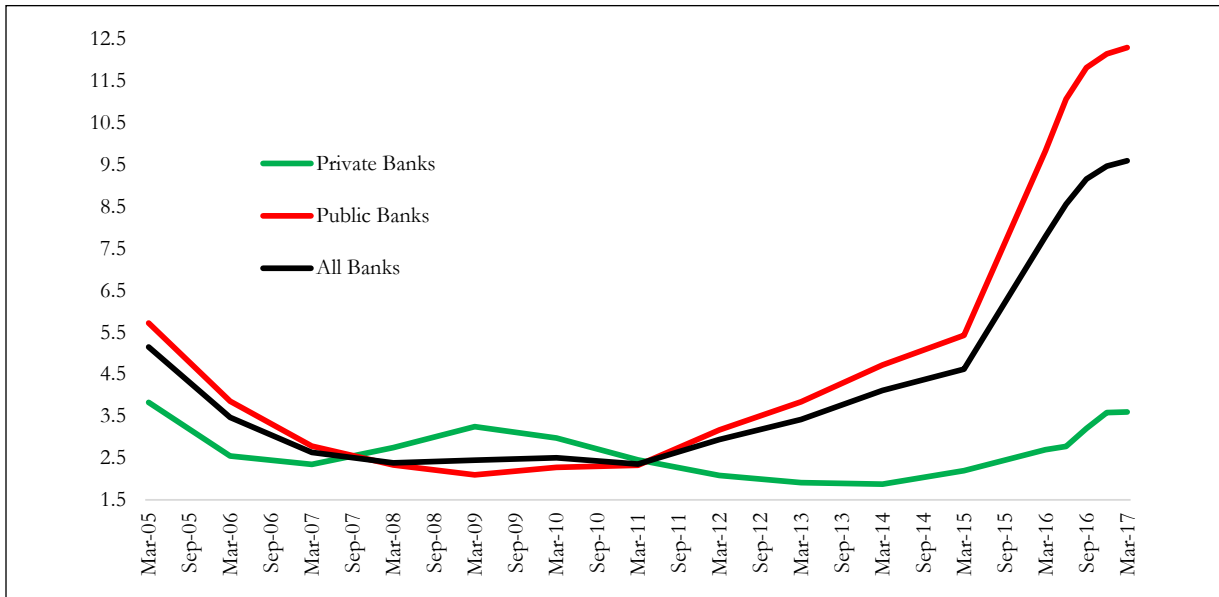
टिप्पणी: मार्च, 17 की संख्या अनंतिम हैं, पीवीबी निजी क्षेत्र के बैंक, एससीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

रूप से इसके फायदे एवं इसके भविष्य का आकलन करना, उपयुक्त होगा।

3.12 मूल बचत बैंक जमा खाता: ये खाते मूल बचत खाते उत्पाद होने के नाते बैंक से संबंधित न रहने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से शुरू किये गये, इन खातों में वृद्धि वित्तीय समावेशन में वृद्धि का आकलन करने के लिए प्रमुख मानदंड है। पीएमजेडीवाई की शुरुआत के पहले 2005 में बीएसबीडी खातों की शुरुआत से लेकर

जुलाई, 2014 तक ऐसे खातों की संख्या बढ़कर 25.54 करोड़ हो गई है। पीएमजेडीवाई की शुरुआत के बाद वीएसबीडी खातों की संख्या तेजी से बढ़कर दिसंबर, 2016 तक 51.50 करोड़ हो गई है। इसमें से 26.20 करोड़ पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खाते हैं, जो कुल के आधे से अधिक को दर्शाता है। तब से, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत और 2.56 करोड़ बीएसबीडी खाते खोले गए हैं, जिससे 31.5.2017 की स्थिति के अनुसार खातों की कुल संख्या बढ़कर 28.76 करोड़

चित्र 7. बैंक समूहों में गैर-निष्पादन आस्तियां (वर्षा-नु-वर्ष, %)



स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान

टिप्पणी: सभी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संदर्भित हैं।

बाक्स 2. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2017 को 4 मई, 2017 को लागू किया गया था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के पश्चात् इसमें दो नई धारा (अर्थात् 35कक और 35कख) जोड़ा गया जिस ने बैंकिंग कम्पनियों को निर्देशित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को अधिकृत करने के लिए संघ सरकार को सक्षम बनाया गया है ताकि ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया, जहां आवश्यक हो, प्रारंभ करके विशिष्ट आपदाग्रस्त आस्तियों का समाधान किया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक को समाधान हेतु अन्य निदेश जारी करने और नियुक्ति करने अथवा नियुक्ति का अनुमोदन देने, प्राधिकारियों अथवा समितियों को भारित आस्ति के समाधान हेतु बैंकिंग कम्पनियों को सलाह देने का भी अधिकार दिया गया है।

इस अध्यादेश के लागू किए जाने के तुरन्त बाद, रिज़र्व बैंक ने आपदाग्रस्त अस्तियों के संबंध में मौजूदा विनियमनों में निम्नलिखित बदलाव करते हुए एक निदेश जारी किया है।

- यह स्पष्ट किया गया कि सुधारात्मक कार्य योजना में लचीला पुनर्संरचना, कार्यनीतिक ऋण पुनः संरचना योजना (एसडीआर) और आपदाग्रस्त आस्तियों की संपोषणीय संरचना योजना को शामिल किया जाए।
- संयुक्त कर्जदाता मंच (जेएलएफ) में निर्णय लेने की सुगमता के दृष्टिगत, प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु 50 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए पूर्व में रखे गए 75 प्रतिशत की बजाय इसे 60 प्रतिशत कर दिया गया।
- वे बैंक जो जेएलएफ द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर अल्प संख्यक रहे, को निर्धारित समय के भीतर प्रतिस्थापन नियमों का अनुपालन करके या तो बाहर निकल जाना अथवा जेएलएफ के निर्णयों का अनुपालन करना है।
- भागीदार बैंकों को बिना किसी अन्य शर्त के जेएलएफ के निर्णय का कार्यान्वयन करने का अधिदेश दिया गया है।
- बैंक बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे निर्देश के बगैर जेएलएफ के निर्णयों का कार्यान्वयन करने हेतु अपने कार्यपालकों को सशक्त करें।

यह अध्यादेश भारतीय रिज़र्व बैंक को लक्षित तरीका अपनाने और गैर-निष्पादक आस्तियों का त्वरित रूप से निपटारा करने में समर्थ बनाएगा। सशक्त निगरानी समिति तीन कारकों को निपटाने में समर्थ हो सकेगी जिनसे समाधान प्रक्रिया अब तक धीमी रही है। एक, कर्जदारों द्वारा 'फ्री-राइडिंग' को बंद करना जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया है। दो, करार सम्पन्न होने के पश्चात् अनुपालन करना; तीन, इस प्रक्रिया को प्रमाणित करना ताकि भावी जांच-पड़ताल के डर को कम किया जा सके।

सरकारी कार्रवाई की आपदाग्रस्त आस्तियों, खासतौर पर सहायता संघ अथवा बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के कारगर समाधान पर सीधा असर पड़ेगा चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-निष्पादन आस्तियों के समाधान के विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत होगा ताकि उन्हें निश्चित निष्कर्ष पर लाया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, 13 जून, 2017 को 12 प्रमुख ऋण चूककर्ताओं को चिह्नित किया है जहां ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईवीसी) के तहत कार्यवाही की शुरुआत होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षण समिति में तीन नए सदस्यों को शामिल करने का अधिकार दिया है ताकि अशोध्य ऋण समाधान में तेजी लाई जा सके। समिति में फिलहाल पांच सदस्य हैं।

बाक्स 3. ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016

ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 को 28 मई, 2016 को अधिनियमित किया गया था। यह संहिता, एक व्यापक आधुनिक और सुदृढ़ ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन व्यवस्था है, जो वैश्विक मानकों के समरूप और कुछ पहलुओं में इससे भी बेहतर उपबंध उपलब्ध कराता है। इस व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताएँ हैं: (i) एक व्यापक व्यवस्था, जिसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों की ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन के सभी पहलुओं से संबंधित है (ii) ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संबंधी प्रक्रियाओं के वाणिज्यिक पहलुओं को न्यायिक पहलुओं से पृथक करता और हितधारकों को सशक्त बनाना तथा प्राधिकारियों को अधिनिर्णायक बनाना ताकि अपने अधिकार क्षेत्र में शीघ्रता से मामलों का निपटारा कर सकें। (iii) निवल संपत्ति के हास से हटकर ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया के प्रारंभ हेतु भुगतान में अधिक उद्देश्य-परक चूक की ओर बढ़ना (iv) 'डेब्टर-इन पोजीशन' से हटकर 'क्रेडिटर-इन-कंट्रोल' की ओर बढ़ना, जहाँ ऋणदाता ऋणशोधन अक्षमता के विषय में पेशेवरों की सहायता से मामले पर निर्णय लेता है (v) कर्जदाता द्वारा ऋण वसूली की अपेक्षा ऋणशोधन के विषय में अक्षमता को निपटाने हेतु सामूहिक प्रक्रम उपलब्ध कराना। (vi) समयबद्ध ढंग से ऋणशोधन अक्षमता का समाधान करना और हितधारकों को सशक्त बनाना ताकि समयबद्ध लेन-देनों को पूरा किया जा सके।

इस संहिता के प्रमुख नवोन्मेष संस्थागत अवसंरचना के चार स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ व्यवस्थित व्यक्तियों का एक वर्ग है 'ऋणशोधन अक्षमता पेशेवर' जो हितधारकों को ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन समाधान की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। दूसरा स्तम्भ "सूचना उपयोगिता" का नया उद्योग है जो संहिता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेनदेन करने हेतु अपेक्षित प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करते हैं, और सक्षमतापूर्वक एवं शीघ्रता से उपलब्ध कराते हैं। तीसरा स्तम्भ अधिनिर्णायन प्राधिकरण है, अर्थात् कारपोरेटों और व्यष्टियों के लिए क्रमशः एनसीएलटी एवं डीआरटी, और उनका अपीलीय निकाय अर्थात्-एनसीएलएटी और डीआरएटी चौथा स्तम्भ विनियामक है नामतः "भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड, जो ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों, ऋणशोधन अक्षमता एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं का विनियामक पर्यवेक्षण करता है और संहिता के अंतर्गत विभिन्न लेनदेनों को शासित करने के लिए विनियमों की रचना करता है।

संहिता को क्रियान्वित करने में सरकार ने तीव्रता दिखाई। इन्होंने न्यायाधिकरणों, राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 1 जून, 2016 को की और भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर, 2016 को की। सभी के सामंजस्यपूर्ण प्रयासों से अधिकांश विनियामक ढांचा और कारपोरेट ऋण शोधन अक्षमता से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र 31 मार्च, 2017 तक चालू कर दिए गए थे।

अब तक एनसीएलटी के समक्ष लगभग 2050 आवेदन दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 112 आवेदनों को स्वीकार किया गया और अन्य 146 को या तो अस्वीकार किया गया या वापस कर दिया गया। स्वीकृत आवेदनों में निहित चूक कुछ लाख रुपयों से कुछ हजार करोड़ रुपए के दायरे में है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 बड़े चूककर्ताओं की घोषणा से इसमें तेजी से विस्तार होगा।

सारणी 1: माह-वार दर्ज किए गए आवेदन

	दिसम्बर 2016	जनवरी 2017	फरवरी 2017	मार्च 2017	अप्रैल 2017	मई 2017	जून 2017	कुल
Numbers त	1	9	42	106	558	462	872	2050

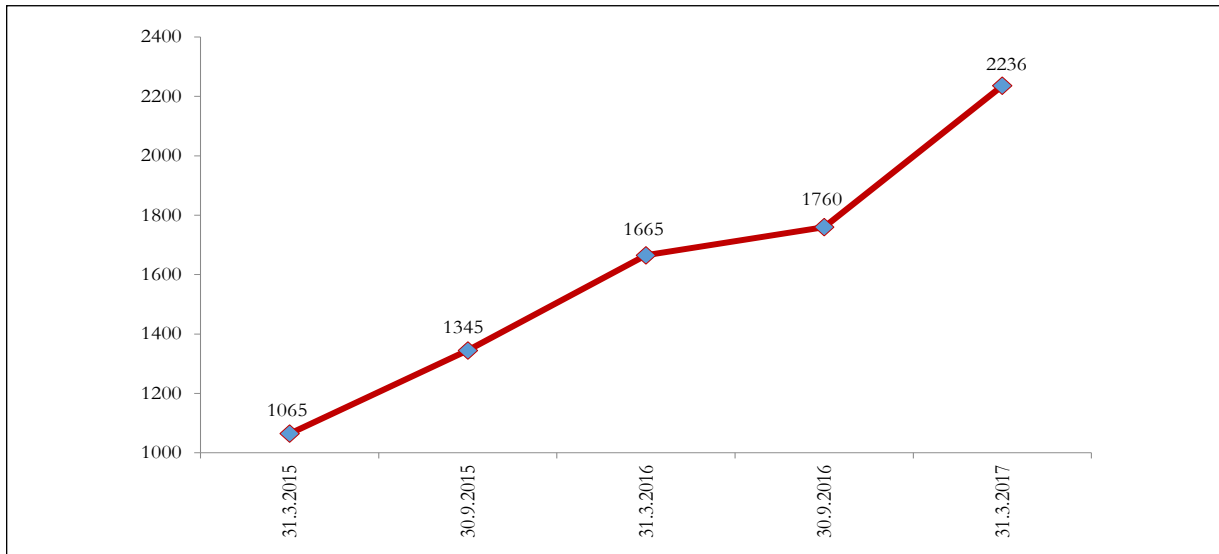
टिप्पणी: 30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार, एनसीएलटी वेबसाइट से प्राप्त आंकड़े

हो गई है। बैंकिंग सुलभता बढ़ाने में पीएमजेडीवाई का योगदान स्पष्ट है।

3.13 वित्तीय समावेशन में महिला-पुरुष का मुद्दा बना हुआ है। मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, सभी बचत खातों में, महिलाओं के खाते लगभग 28 प्रतिशत थे और कुल खातों की संख्या 33.9 करोड़ थी। मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, शीर्ष 40 बैंकों और आरआरबी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं का हिस्सा बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है। इसमें कुल 43.65 करोड़ महिलाओं के खातों में से 14.49 करोड़ खाते महिलाओं द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए हैं; यह महिलाओं के वित्तीय समावेशन में बड़ी तेजी से वृद्धि दर्शाता है।

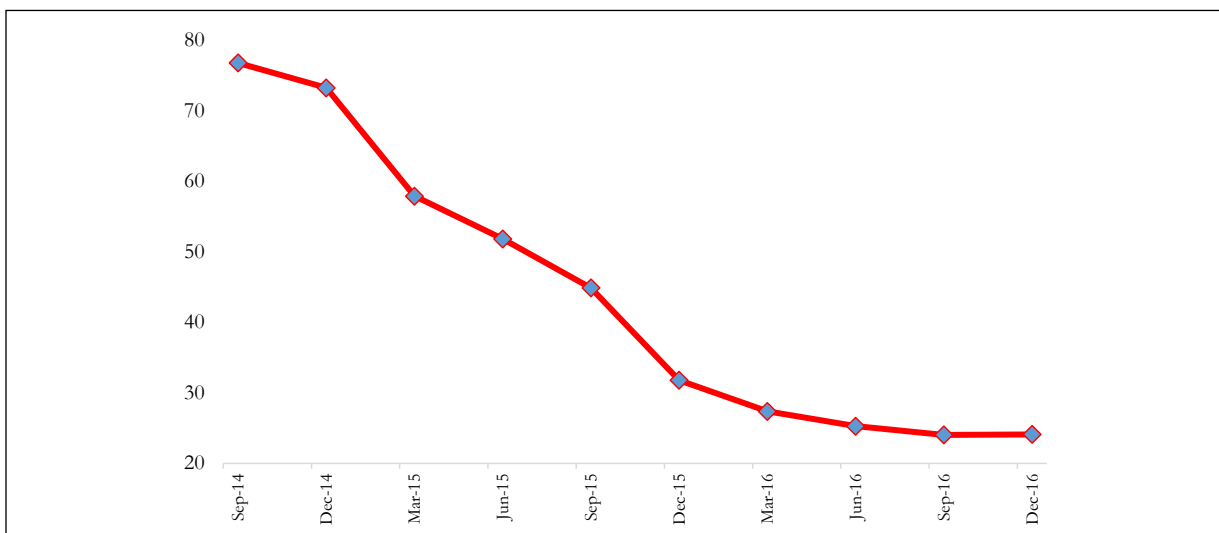
3.14 कारगर वित्तीय समावेशन न केवल सुलभता के संदर्भ में दर्शाया जाना चाहिए बल्कि इसे वित्तीय सेवाओं के उपयोग में दर्शाया जाना चाहिए। जमा राशि जुटाए जाने के संदर्भ में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों के शेष में स्थायी वृद्धि दर्ज की गई। इनमें, मार्च, 2015 में प्रति खाता 1,065 रुपये से मार्च, 2017 में 2,236 रुपये की वृद्धि हुई। (चित्र 8)। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत शून्य शेष खातों में लगातार गिरावट आई और मार्च, 2015 में इनकी संख्या लगभग 58 प्रतिशत से घटकर दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार लगभग 24 प्रतिशत रह गई। आधार समर्थित भुगतान, जो बैंकिंग पत्राचार में लेनदेन की प्रमुख विधि है, में भी तेजी से वृद्धि देखी गई, जो अगस्त, 2015 में प्रति माह 0.3

चित्र 8. पीएम जेडीवाई के अंतर्गत खोले गए बीएसबीडी खाते में औसत जमा शेष (रु. में)



स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

चित्र 9. पीएमजेडीवाई के अंतर्गत शून्य शेष खाते (%)



स्रोत: पीएमजेडीवाई वेबसाइट

करोड़ से बढ़कर अगस्त, 2016 में 2.3 करोड़ तथा मई, 2017 में 6.8 करोड़ हो गई। अंतर प्रचालन में विस्तार और इसको सुदृढ़ करने के परिणामस्वरूप, एक बैंक के ग्राहकों द्वारा दूसरे बैंक के बीसी आउटलेट पर किए गए लेन-देन का हिस्सा भी बढ़ गया है। (“ऑफ-अस’ लेनदेन”), अप्रैल, 2016 तक बीसी आउटलेट पर 1 प्रतिशत से भी कम लेन-देन से स्थायी रूप से बढ़कर मई, 2017 में लगभग 17 प्रतिशत हो गया है। बीसी की संख्या एक समान बने रहने के बावजूद भी यह हो पाया

है। यद्यपि, अगस्त, 2015 में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए ग्रामीण खातों की संख्या 8.0 करोड़ से बढ़कर अगस्त, 2016 में 14.8 करोड़ तथा मई, 2017 में 17.2 करोड़ हो गई है, लेन-देन में वृद्धि ग्रामीण खाते की वृद्धि दर से अधिक दर पर हुई है। इस प्रकार से बीसी आउटलेट के जरिए जमा और लेन-देन, दोनों ही अर्थों में खातों के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बीसी नेटवर्क की व्यवहार्यता और सतत् वृद्धि के लिए सकारात्मक परिणाम हैं।

3.15 पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खाता धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर उनके संबंधित डेबिट कार्डों में अंतर्निहित बीमा के जरिए प्रदान करने के अलावा 10.02 करोड़ खाता धारकों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए अपना बीमा कवर लिया और 3.11 करोड़ खाता धारकों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा कवर लिया। इसके फलस्वरूप काफी बड़ी संख्या में लोगों ने व्यक्तिगत दुर्घटना और जीवन बीमा करवाया और मार्च 2015 में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 32.31 करोड़ से बढ़कर मई 2017 में लगभग 45.44 करोड़ पहुंच गई। यह आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए प्रीमियम राशि अत्यधिक कम करके इसे वहनीय बनाकर ही संभव हुआ।

3.16 कई महत्वपूर्ण विकल्पों (चॉइस) और नवोन्मेषों से ही ये परिणाम सामने आए। इसे संभव बनाने में तीन प्रमुख कारक उल्लेखनीय हैं। सबसे पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की प्रभावशाली उपस्थिति में इसका व्यापक रूप से विस्तार हुआ, शाखाएं और अन्तर प्रचालनयोग्य बीसी आउटलेट इससे जुड़े उपयुक्त बैंकिंग सेवा बिन्दु हैं। अधि सूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऐसे कई सेवा बिन्दु जो मार्च 2014 में 1.16 लाख थे मार्च 2017 तक 2.62 लाख, दोगुने से भी अधिक हो गए। 1500 परिवारों के लिए औसतन एक बैंकिंग सेवा बिन्दु वाले जिलों की संख्या जनवरी 2015 में 151 जिलों से बढ़कर मार्च 2017 में 576 हो गई (नीचे मानचित्र देखें) इसे संभव बनाने का दूसरा प्रमुख कारण प्रयोक्ता की सहमति से उसके बैंक खाते को उसकी आधार संख्या से जोड़ना रहा। प्रत्येक तीन सक्रिय बचत खातों में से दो खातों को आधार संख्या से जोड़ दिया गया है। इसने आधार समर्थित लेनदेनों में उपभोक्ता की पहुंच और बीसी व्यवहार्यता दोनों के लिए अपेक्षित उपभोक्ता का बड़ा आधार सृजित किया है। बीमे में वित्तीय समावेशन के लिए तीसरा प्रमुख कारण बीमे के प्रयोजन से बढ़ते बैंकिंग नेटवर्क को फैलाने में नवपरिवर्तन लाना है और कवरेज बढ़ाते समय प्रीमियम को कम करना है। इस नवपरिवर्तन ने बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म बीमे की पहुंच बढ़ाई है।

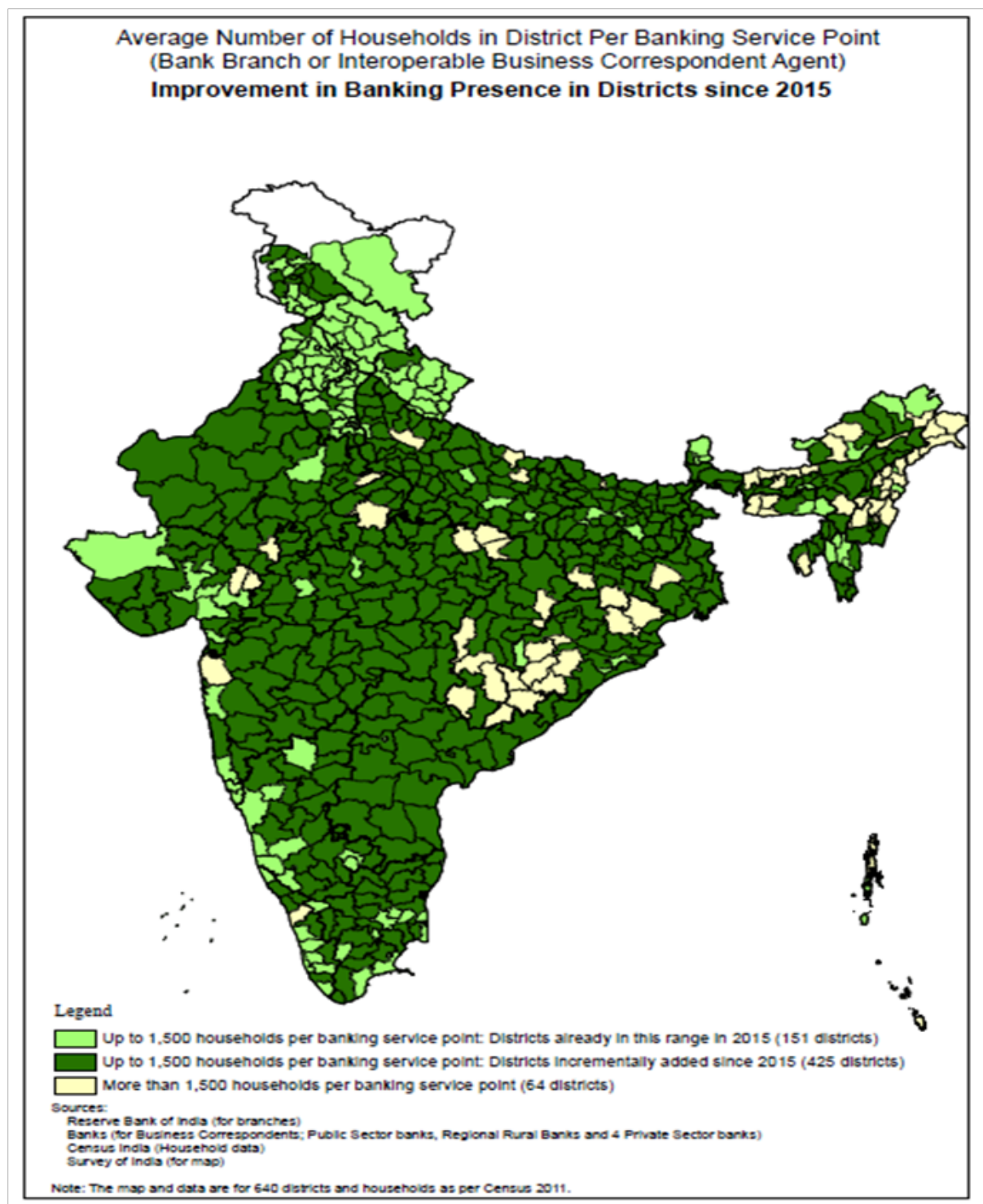
गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

3.17 गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के समेकित तुलन पत्र का आकार (सरकारी कम्पनियों को छोड़कर) 2016-17 में 14.5 प्रतिशत बढ़कर 12,56,388 करोड़ रु० हो गया जबकि 2015-16 के दौरान परिसम्पत्ति आकार में 16.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एनबीएफसी की संख्या 31 मार्च 2017 को 11,522 रही जबकि 31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार 11,586 थी। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, पूंजी और आरक्षित (कुल देयताओं का 26.1 प्रतिशत), बैंक उधार (23.1 प्रतिशत) ऋण पत्र (21.1 प्रतिशत) और वाणिज्यिक पत्र (9.5 प्रतिशत) एनबीएफसी के लिए निधियन के प्रमुख स्रोत हैं। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश इस क्षेत्र की कुल परिसम्पत्ति का क्रमशः 70 प्रतिशत और 17 प्रतिशत बैठते हैं। एनबीएफसी के ऋण तथा अग्रिम 2015-16 में 12.5 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 16.4 प्रतिशत बढ़कर 8,81,651 करोड़ रु० हो गए। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उद्योग, सेवा और खुदरा क्षेत्र को ऋण कुल ऋण का क्रमशः 42.2 प्रतिशत, 30.8 प्रतिशत, और 21.5 प्रतिशत था।

3.18 एनबीएफसी क्षेत्र का सकल एनपीए अनुपात (सकल एनपीए से सकल अग्रिम तक) मार्च 2016 में इसके 4.2 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर मार्च 2017 में 4.4 प्रतिशत हो गया। निवल एनपीए (निवल एनपीए से निवल अग्रिम तक) अनुपात मार्च 2016 और मार्च 2017 में 2.2 प्रतिशत था। एनबीएफसी क्षेत्र का जोखिम भारित परिसम्पत्ति औसत पूंजी अनुपात 31 मार्च 2017 को 22.5 प्रतिशत कम हो गया (एक साल पहले 24.3 प्रतिशत)। व्यष्टि एनएनबीएफसी के लिए 15 प्रतिशत सीआरएआर की न्यूनतम आवश्यकता है 2016-17 के दौरान आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) क्रमशः 6.8 प्रतिशत तथा 1.8 प्रतिशत है (2015-16 के दौरान क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की तुलना में)।

सरकारी प्रतिभूति बाजार में गतिविधि

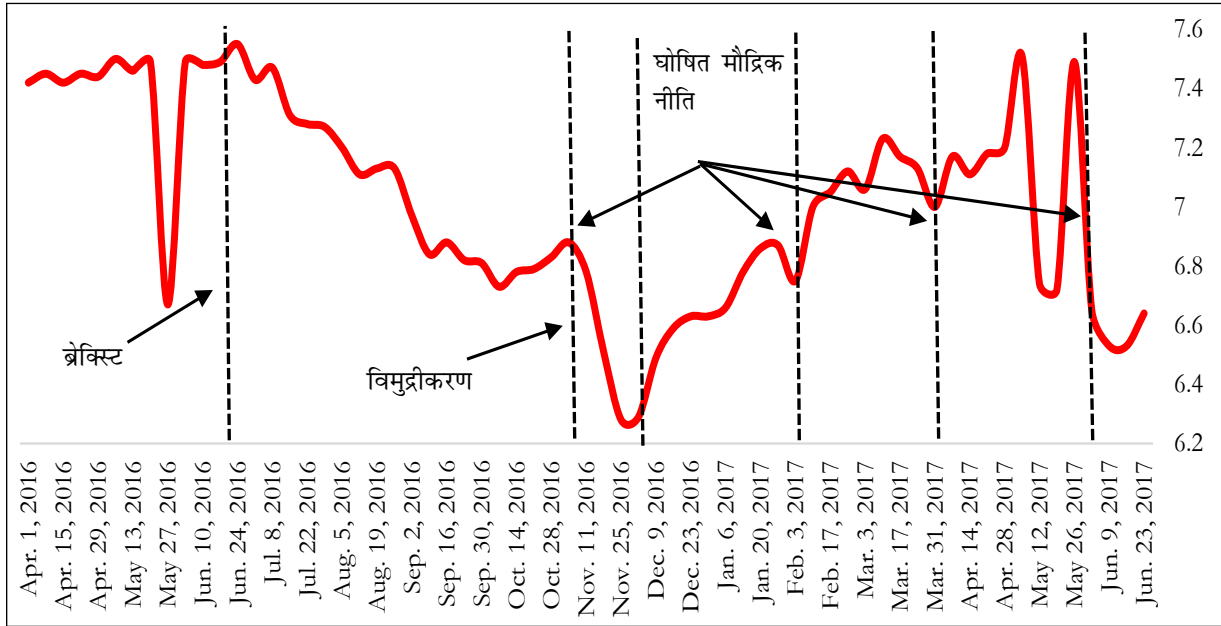
3.19 5 अप्रैल 2016 के मौद्रिक नीति विवरण में,



नकदी प्रबन्धन ढांचे में घाटे की स्थिति से निकलकर तटस्थता की स्थिति में जाने, सीआरआर के दैनिक रख-रखाव में न्यूनतम आवश्यकता 95 प्रतिशत से घट कर 90 प्रतिशत रहने, नीति दर में आई कमी से उत्पन्न सकारात्मक मनोभाव के पश्चात् विमुद्रीकरण-पूर्व अवधि के दौरान 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर

प्राप्ति सामान्यतः नरम पड़ गई। ये जी सेक प्राप्तियां 23 जून 2016 ब्रेकिजट जनमत संग्रह से पूर्व कुछ सख्ती दिखा रही थीं। किन्तु, ये प्राप्तियां ब्रेकिजट के परिणाम के बाद वैश्विक प्राप्तियों में आई कमी के बाद उल्लेखनीय रूप से कम हो गई। अपेक्षाकृत स्थिर घरेलू मुद्रा बाजार, बड़े केन्द्रीय बैंकों द्वारा सुगम उपायों की संभावनाएं और

चित्र 10. 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्ति (%)



स्रोत: आरबीआई

फेडरल रिजर्व द्वारा दर बढ़ाने में विलम्ब से प्राप्तियां कम हो गई।

3.20 विमुद्रीकरण के बाद, प्रतिलाभ में तेजी से गिरावट आई। उसके बाद, पुनर्मुद्रीकरण के कारण आरंभ में प्रतिलाभ बढ़ा फरवरी, 2017 से सरकारी प्रतिभूति की दरों में आसामान्य अस्थिरता रही है जो अचानक नीति परिवर्तन और काफी मात्रा में पूंजी प्रवाह को दर्शाता है। जून, 2017 में मौद्रिक नीति विवरण के बाद जी-सेक प्राप्तियों में तेजी से कमी आई जो आरबीआई के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान में उल्लेखनीय रूप से हुई गिरावट तथा दर में कटौती की भावी संभावनाओं के कारण था।

पूँजी बाजार में गतिविधि

प्राथमिक बाजार

3.21 वर्ष 2016-17 में प्राथमिक बाजार खंड में संसाधन संग्रहण में निरंतर वृद्धि देखी गई। इस वर्ष के दौरान, 134 कम्पनियों ने पूंजी बाजार में प्रवेश किया और 2015-16 के दौरान 107 निर्गमों के जरिए 57,866 करोड़ रुपए की तुलना में 62,079 करोड़ रु० जुटाए जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। (सारणी 3)।

म्युचुअल फण्डों के द्वारा जुटाए गए संसाधनों में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 2016-17 में काफी वृद्धि हुई। प्रबन्धन के अंतर्गत कुल आस्तियां 2015-16 के दौरान 12.32 लाख रु० से बढ़कर 17.54 लाख रु. पहुंच गई। (सारणी 4)।

3.22 पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान कॉर्पोरेट बांडों के निर्गम के जरिए (सार्वजनिक निर्गम और निजी नियोजन) संसाधनों का संग्रहण तेजी से बढ़ा, 16 सार्वजनिक निर्गमों और 3377 निजी नियोजनों के जरिए 6.70 लाख रु० की राशि जुटाई गई। कॉर्पोरेट बांड बाजार में निजी नियोजन की प्रधानता बनी रही। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेट बांडों के सार्वजनिक और निजी नियोजन के जरिए जुटाए गए संसाधन, बैंक ऋण का प्रतिस्थापन नहीं हैं। बैंक ऋण की तुलना में बांड की परिपक्व अवधि काफी कम होती है और इसलिए बैंक ऋण के साथ ऐसे संसाधन संग्रहणों की तुलना करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है।

द्वितीयक बाजार

3.23 पिछले वर्ष 2015-16 में पंजीकृत किए गए घाटों की तुलना में, सेनसेक्स में 16.9 प्रतिशत और निफ्टी

सारणी 3. सार्वजनिक और राइट्स निर्गम के जरिए प्राथमिक बाजार में संसाधन संग्रहण

निर्गम के प्रकार	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18\$	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी)	46	3,311	74	14,815	106	29,105	16	2,344
राइट्स निर्गम (इक्विटी)	18	6,750	13	9,239	12	3,415	2	368
कुल (इक्विटी)	64	10,061	87	24,054	118	32,520	18	2,712
सार्वजनिक निर्गम (ऋण)	25	9,713	20	33,812	16	29,559	1	1,968
कुल	89	19,774	107	57,866	134	62,079	19	4,680

टिप्पणी: 2017-18 के आंकड़े अनंतिम। \$ 31 मई 2017 के अनुसार स्रोत: सेबी

सारणी 4. म्यूचुअल फण्डों के द्वारा संसाधन संग्रहण

	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18\$ (₹ in crore)	
	निवल प्रवाह	एयूएम	निवल प्रवाह	एयूएम	निवल प्रवाह	एयूएम	निवल प्रवाह	एयूएम
ऋण	22,556	6,94,127	33,008	7,82,900	2,13,154	10,74,652	20,167	5,83,558
इक्विटी	71,030	3,45,139	74,026	3,86,403	70,367	5,43,541	74,195	11,63,671
अन्य	9,702	43,491	27,147	63,521	59,527	1,36,426	15,630	1,56,747
कुल	1,03,288	10,82,757	1,34,181	12,32,824	3,43,048	17,54,619	1,09,992	19,03,975

\$ 31 मई 2017 के अनुसार स्रोत: सेबी

सारणी 5. भारत में कॉर्पोरेट बांडों के निर्गम के जरिए जुटाई गई निधियां
(सूचीबद्ध प्रतिभूतियां)

वित्त वर्ष	सार्वजनिक निर्गम की संख्या	सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाई गई राशि	निजी नियोजनों की संख्या	निजी नियोजनों के जरिए जुटाई गई राशि	सार्वजनिक इश्यू और निजी नियोजनों के जरिए जुटाई गई कुल राशि
2014-15	25	9,713	2,611	4,04,136	4,13,849
2015-16	20	33,811	2,975	4,58,073	4,91,884
2016-17	16	29,559	3,377	6,40,716	6,70,275
2017-18\$	1	1,969	602	97,208	99,177

टिप्पणी: 2017-18 के आंकड़े अनंतिम हैं।

\$ 31 मई 2017 के अनुसार स्रोत: सेबी

में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय स्टॉक बाजार ने 2016-17 में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। दक्षिण अफ्रीकी स्टॉक बाजार को छोड़कर, दुनिया भर में साल 2016-17 इक्विटी की धनात्मक वृद्धि का साल था और

भारतीय बाजारों के लाभ विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लाभों के मुकाबले थे।

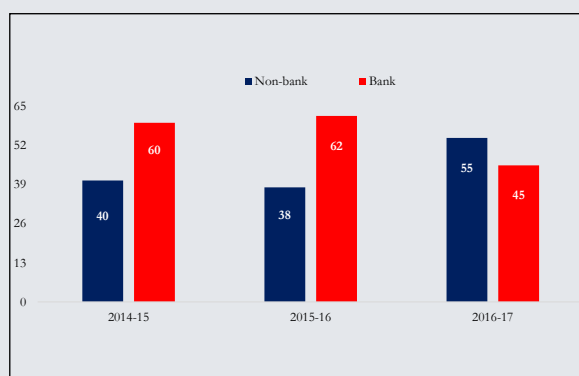
3.24 वैश्विक और घरेलू नकदी स्थितियों से बाजार में वृद्धि की रफ्तार लगातार बढ़ती रही। 2016-17 की

बाक्स 4. ऋण और जमाराशियों में मध्यस्थता समाप्त होना

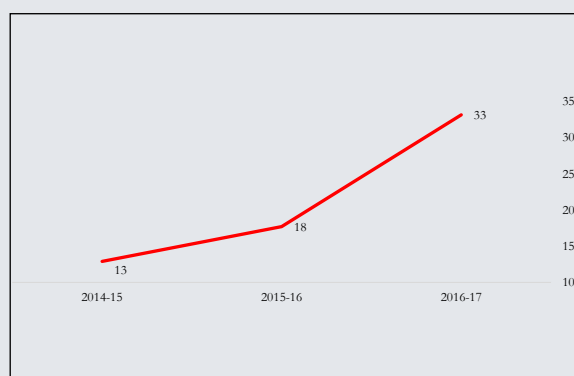
वर्ष 2016-17 में ऋण मध्यस्थता में बैंक के हिस्से में बड़े बदलाव देखे गए। निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र (पीएनएफएस) की ऋण की मध्यस्थता में बैंकों का हिस्सा, जो 2014-15 और 2015-16 में लगभग 60% था, कम होकर 2016-17 में 45% रह गया। संसाधनों के संग्रहण में भी हम यही प्रवृत्ति देखते हैं। बैंकों में निवल सावधि जमाराशियों (टीडी) के हिस्से के रूप में म्यूचुअल फंडों में संसाधनों का निवल प्रवाह 2015-16 में 18% से तेजी से बढ़कर 2016-17 में 33% पर पहुंच गया। यह नोट किया जाए कि वार्षिक निवल प्रवाह दो वित्तीय वर्षों में बैंकों और गैर बैंकों के कुल बकाया (ऋण और संसाधन संग्रहण दोनों के लिए) में आए बदलाव के रूप में परिकलित किए जाते हैं।

संसाधन संग्रहण में गैर-बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी भूमिका रहती है और ऋण मध्यस्थता ने कम बैंक ऋण बकाया वृद्धि को ऐतिहासिक बनाने में, हालांकि आंशिक रूप से परन्तु, वाणिज्यिक बैंकों की मदद की है। इस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र में समस्या यह है कि उधारकर्ताओं के साथ-साथ बचत करने वालों के लिए गैर बैंकों पर निर्भरता बढ़ रही है।

चित्र 1. पीएनएफएस में निवल ऋण प्रवाह में हिस्सा (प्रतिशत)



चित्र 2. निवल टीडी प्रवाह के प्रतिशत के रूप में एमएफ में निवल प्रवाह



स्रोत: आरबीआइ; सेबी और बीआईएस आकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान।

अंतिम तिमाही के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 68,627 करोड़ रु. का निवेश किया (पूरे कलैण्डर वर्ष 2016 के दौरान 23,079 करोड़ रु. के बहिर्वाहों की तुलना में) जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड/बीमा स्कीमों में सुदृढ़ और सतत् रूप से अभिदान से 1288 करोड़ रु. आया। म्यूचुअल फंडों के प्रबन्धन के तहत कुल आस्तियां पिछले वर्ष के मुकाबले 2016-17 में 42 प्रतिशत बढ़ी। अन्य कारक, जिन्होंने वर्ष के दौरान बाजार मनोभावों को बढ़ाया है उनमें शामिल थे: राजकोषीय समेकन रोडमैप के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, निरंतर और सुनिश्चित रूप से किए गए सुधार, बैंक एनपीए के समाधान की प्रतिबद्धता और जीएसटी के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना आदि।

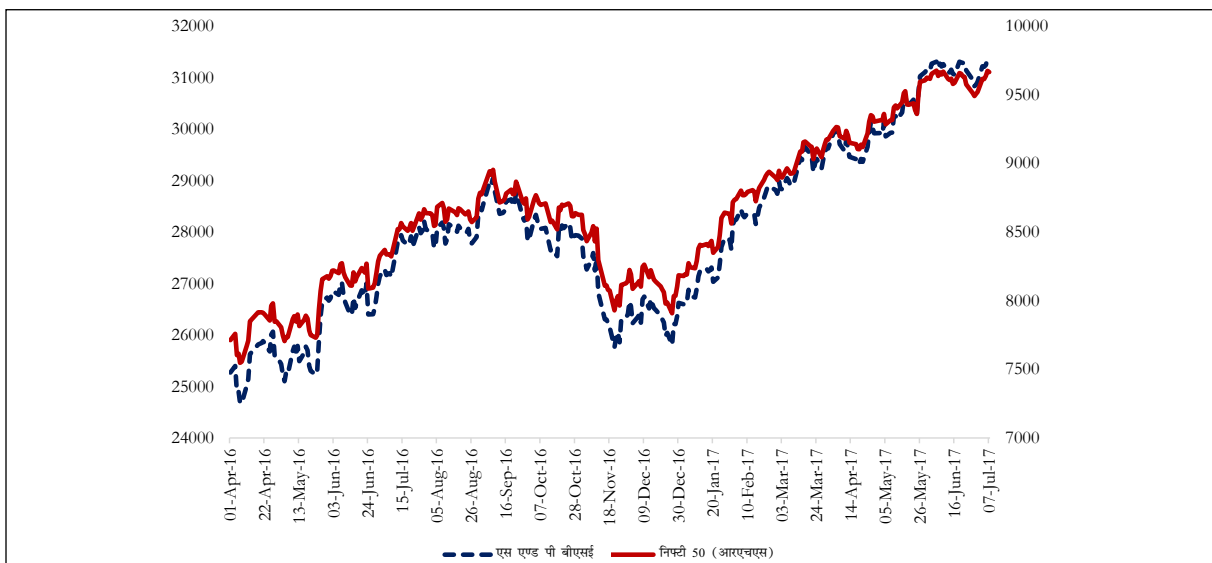
बीमा और पेंशन क्षेत्र

3.25 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति और उद्यमों को मृत्यु, सम्पत्ति और दुर्घटना के

जोखिम से सुरक्षा देने के अलावा एक सुरक्षा कदम मुहैया कराता है तथा बचत के लिए प्रोत्साहित करता है और अवसरचना के विकास के लिए और राष्ट्र की अन्य दीर्घावधिक परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक निधियां उपलब्ध कराता है। भारत में बीमा क्षेत्र का विकास इसके द्वारा लाए जा रहे आर्थिक बदलावों में सहयोग देने के लिए आवश्यक है।

3.26 बीमा क्षेत्र की संभावना और निष्पादन को दो मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए अर्थात् बीमा का विस्तार और बीमा का सघनता। बीमे विस्तार को जीडीपी के लिए, दिए गए वर्ष में बीमा कराई गई राशि के प्रीमियम से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बीमे की सघनता को कुल आबादी के लिए दिए गए वर्ष में बीमा कराई गई राशि के प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है (अंतरराष्ट्रीय तुलना में सुविधा के लिए इन्हें अमरीकी डालर में मापा गया है)।

चित्र 11. भारतीय बैंचमार्क स्टॉक सूचकांक (सेनसेक्स और निफ्टी)



स्रोत: सेनसेक्स, निफ्टी

सारणी 6. विश्व के प्रमुख बाजारों का प्रदर्शन भारतीय बाजार

इंडेक्स	2014-15 (31.03.2015)	2015-16 (31.03.2016)	2016-17 (31.03.2017)	वित्त वर्ष 2016-17 में प्रदर्शन	
				(%, स्थानीय मुद्रा एकक)	(%, डालर)
भारतीय बाजार					
सेनसेक्स, भारत	27957	25342	29621	16.9	19.1
निफ्टी, भारत	8491	7738	9174	18.6	20.8
उभरते बाजार					
संघाई संयोजित, चीन	3748	3004	3223	7.3	0.8
आरटीएसआई डालर, रूस	880	877	1114	27.1	43.7
सूचकांक बोवेस्पा, ब्राजील	51150	50055	64984	29.8	44.7
जेसीआई, इण्डोनेशिया	5519	4845	5568	14.9	15.2
जेएसई 40, दक्षिण अफ्रीका	46017	46140	45167	-2.1	11.6
कोस्पी, द. कोरिया	2041	1996	2160	8.2	12.4
ताइवान ताइएक्स, ताइवान	9586	8745	9812	12.2	17.7
विकसित बाजार					
एस एण्ड पी 500, अमरीका	2068	2060	2363	14.7	14.7
डोव जोन्स, अमरीका	17776	17685	20663	16.8	16.8
डॉक्स, जर्मनी	11966	9966	12313	23.6	18.1
एफटीएसई-100, इंग्लैंड	6773	6175	7323	18.6	2.9
सीएसी 40, फ्रांस	5034	4385	5123	16.8	11.3
निककेई 225, जापान	19207	16759	18909	12.8	13.9
हेंगसेंग, होंगकॉंग	24901	20777	24112	16.1	15.9
स्ट्रैट्स टाइम्स, सिंगापुर	3447.01	2840.9	3175.11	11.8	8.9

स्रोत: ब्लूमवर्ग, समीक्षा अनुमान

3.27 वर्ष 2000 में जब इस क्षेत्र को निजी उद्यमों के लिए खोला गया था, बीमे का विस्तार 2.32 (जीवन बीमा 1.77 और सामान्य (गैर-जीवन 0.55) था। वर्ष 2015 में यह 3.44 तक बढ़ा (जीवन बीमा 2.72 तथा सामान्य 0.72)। एशिया की कतिपय उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् मलेशिया, थाइलैण्ड और चीन में बीमे का विस्तार उसी वर्ष, अर्थात् 2015, में क्रमशः 5.81, 5.5 और 3.6 था। वर्ष 2000 में भारत में बीमे की सघनता 9.9 अमरीकी डालर थी जो 2015 में बढ़कर 54.7 अमरीकी डालर (जीवन बीमा 43.2 और सामान्य 11.5) पहुंच गई। इसी अवधि, अर्थात् 2015, के दौरान मलेशिया, थाइलैण्ड और चीन के तुलनात्मक आंकड़े क्रमशः 472, 319 और 281 अमरीकी डालर थे।

3.28 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, सामान्य बीमा कर्ताओं (भारत के भीतर) का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (जीडीपी) में 32% वृद्धि (2000-01) से सबसे अधिक दर्ज करते हुए (बीमा कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंतरिक आंकड़ों के अनुसार) 1,27,631 करोड़ रु. को पार कर गया। फसल बीमा, मोटर बिक्री, स्वास्थ्य बीमा आदि ने इस उद्योग में वृद्धि दर्ज करने में मदद की। जीवन बीमा उद्योग ने मार्च 2017 के अन्त में, पहले साल के प्रीमियम में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की

जबकि पिछले वर्ष में 22.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष में 1,38,657.3 करोड़ रु. की तुलना में 1,75,022.5 करोड़ रु. की बीमा राशि पहले साल का प्रीमियम था।

3.29 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भविष्य में वृद्धावस्था आय, बाजार आधारित प्रतिफल मुहैया कराने और सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है। सरकार का प्रयास है कि सरकार के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों से इतर इस स्कीम को विस्तारित किया जाए।

3.30 31 मार्च, 2017 तक एनपीएस के अन्तर्गत अटल पेंशन योजना को मिलाकर कुल 154.4 लाख सदस्यों/अभिदानकर्ताओं को नामांकित किया गया है। प्रबन्धनाधीन आस्तियों (एयूएम), जिनमें एनपीएस के अन्तर्गत कॉर्पस पर प्रतिफल शामिल है, में 47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह 31 मार्च, 2016 में 1,18,810 करोड़ रु. से बढ़कर 31 मार्च, 2017 में 1,74,561 करोड़ रु. हो गया। अटल पेंशन योजना में कुल लगभग 48 लाख अभिदानकर्ता हैं और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, इसके कॉर्पस में 1,751 करोड़ रु. की राशि है।

कीमतेँ और मुद्रास्फीति

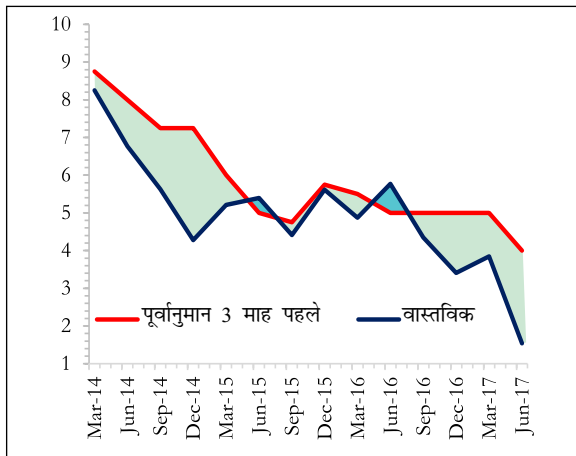
पिछले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति से हट कर कम मुद्रास्फीति की राह से गुज़रते हुए संभवतः ढांचागत और स्थायी परिवर्तन के दौर से गुज़री है। सीपीआई मुद्रास्फीति में वर्ष 2016-17 के दौरान गिरावट हुई है जहाँ सभी वस्तु समूहों में व्यापक स्तर पर कमी आई है। खाद्य मुद्रास्फीति, जो विगत में मुद्रास्फीति की मुख्य प्रेरक रही थी, में इस वर्ष काफी गिरावट हुई जिसकी वजह सामान्य मानसून होने से दालों और सब्जियों की आपूर्ति में सुधार रहा। आधारभूत रुझानों की संकेतक-कोर मुद्रास्फीति में भी पिछले कुछ महीनों में गिरावट हुई है। पिछले कुछ महीनों में सीपीआई-डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के बीच समाभिरूपता रही है। इसी तरह, ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच अंतर भी कम हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीपीआई मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई है।

I. कम मुद्रास्फीति की दिशा में सैद्धान्तिक परिवर्तन?

4.1 क्या भारत कम मुद्रास्फीति की दिशा की ओर स्फीतिकारी प्रक्रिया में सैद्धान्तिक परिवर्तन से गुज़र रहा है?

4.2 अनुसंधान से पता चलता है कि लगभग पिछले पांच वर्षों में वैश्विक तौर पर और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं

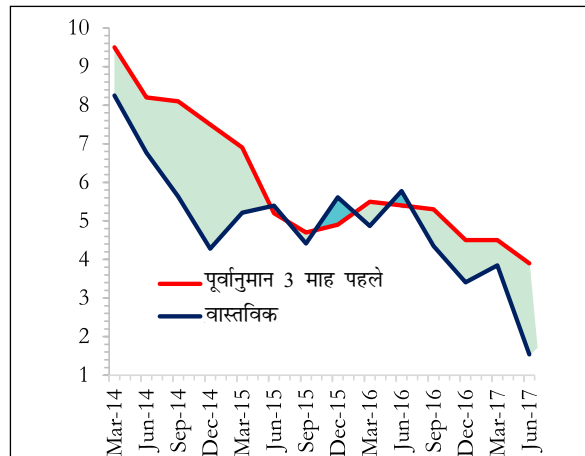
चित्र 1. सीपीआई मुद्रास्फीति-आरबीआई पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े



स्रोत: आरबीआई और समीक्षा परिकलन

में भी उपभोक्ता मूल्य से जुड़ी मुद्रास्फीति पेशेवर पूर्वानुमानों से सतत रूप से कम रही है। भारतीय संदर्भ में, साक्ष्य इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं- हालांकि दीर्घावधिक संदर्भ में, दोनों पक्षों की ओर से त्रुटियो हुई हैं। अभी हाल ही में ऐसे परिवर्तनों पर दृष्टि नहीं गई प्रतीत होती है (क्रमशः चित्र 1 और चित्र 2)।^{1क} मिसाल के तौर पर, पिछली 14 तिमाहियों में, छह

चित्र 2. सीपीआई मुद्रास्फीति- पेशेवर पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े

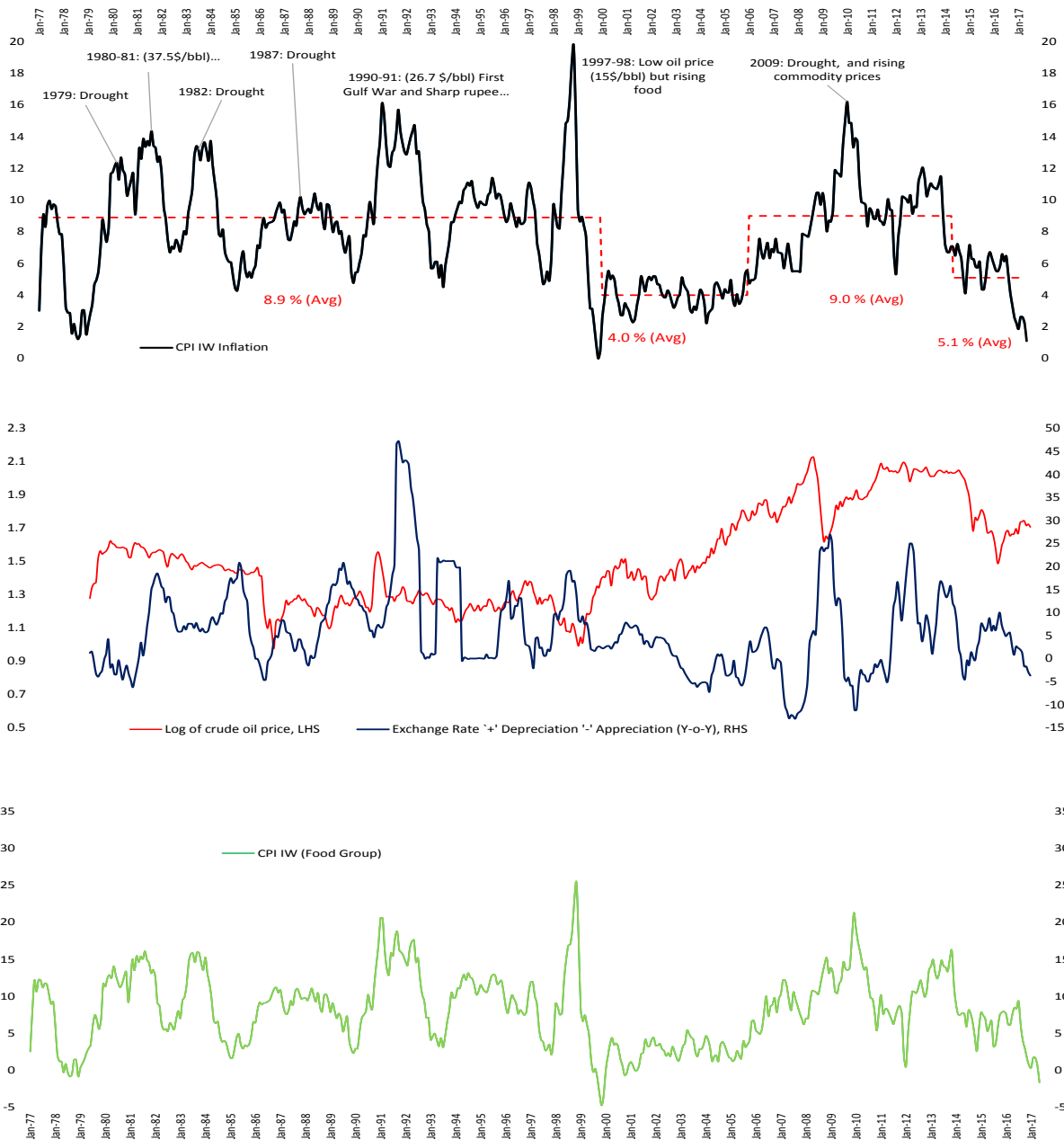


^{1क} चित्र 1 में, मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान संबंधित मौद्रिक नीति विवरणों के फैन चार्ट में विश्वास बैंड के मध्य-बिन्दु के रूप में अनुमानित किए गए हैं।

तिमाहियों (2014 में तीन और हालिया अवधि में तीन) में मुद्रास्फीति का 100 से अधिक आधार बिन्दु का अधिक मूल्यांकन किया गया जहां 180 आधार बिन्दु की औसत टुटि रही (और वह भी केवल तीन माह पहले के बहुत अल्पावधिक पूर्वानुमान) (चित्र 1)।

ध्यातव्य है कि इस अवधि में ये पूर्वानुमान 14 तिमाहियों में से 4 में (मार्च 2014, जून, सितम्बर, दिसम्बर, 2015) परिणामों के 50 आधार बिन्दु की परिधि में थे और 1 तिमाही में (दिसम्बर 2015) 25 आधार बिन्दु की परिधि में थे। पेशेवर पूर्वानुमान लगाने वालों का

चित्र 3. दीर्घावधिक मुद्रास्फीति^{1ख} (1977-2017)



स्रोत: श्रम ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक

^{1ख} श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआईआईडब्ल्यू) पर आधारित मुद्रास्फीति का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) की नई श्रृंखला पर आधारित मुद्रास्फीति के स्थान पर दीर्घावधिक अवधि के लिए उपलब्ध होती है। आधार वर्ष 1960 (जनवरी, 1977 से सितम्बर, 1988), आधार वर्ष 1982 (अक्टूबर, 1988 से दिसम्बर, 2005), आधार वर्ष 2001 (जनवरी, 2006 से मई, 2017) के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति आंकड़े इस्तेमाल किए गए हैं। सीपीआई-आईडब्ल्यू और सीपीआई-आईसी आधारित मुद्रास्फीति 0.9383 के सहसंबंध गुणांक के काफी निकट रहती है। (जनवरी, 2012 से अप्रैल, 2017 की अवधि में)। कच्चा तेल कूड ब्रेंट (वैश्विक समूह) है। विनिमय दर रूप प्रति अमरीकी डालर है।

भी रिकार्ड ऐसा ही रहा है (चित्र 2)। पूर्वानुमान की तुलना में वास्तविक तौर पर कम मुद्रास्फीति तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के स्थायी रूप से गिर जाने जैसी असाधारण घटनाओं को परिलाक्षित कर सकती है।

4.3 आगे सवाल यह है कि क्या मुद्रास्फीति में कोई सैद्धान्तिक परिवर्तन हो रहा है और मौद्रिक प्रबंधन के लिए इसका क्या अर्थ है।

4.4 पहले चित्र 3 में दिखाए गए भारत में मुद्रास्फीति के दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करें। पिछले चार दशकों में (1977 से शुरू करके), मूल रूप से चार दौर रहे हैं: लगभग 23 वर्ष तक औसतन 9 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति; वर्ष 2000 और 2005 के बीच पांच वर्ष के लिए लगभग 4 प्रतिशत की कम मुद्रास्फीति; 2006-14 की अवधि में मुद्रास्फीति की जोरदार वापसी जो लगभग 9 प्रतिशत हो गई; और अपेक्षाकृत कम, संभवतः बहुत कम मुद्रास्फीति का नया दौर।^{2क}

4.5 चित्र 3 मुद्रास्फीति के संचालकों को समझने में सहायता करता है। मुख्यतः उच्च मुद्रास्फीति और विशेषकर शीर्ष मुद्रास्फीति, वस्तु-मूल्यों में वृद्धि विशेषकर तेल की कीमतों और कृषि कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ चलती है; और कुछ मामलों में वे विनिमय दर में तेजी से हुए परिवर्तनों जैसे बिल्कुल ही अलग कारकों की वजह से भी होती है।

4.6 इसलिए, यदि तेल बाजार में और शायद घरेलू कृषि में भी कोई ढांचागत परिवर्तन होते हैं तो स्फीतिकारी प्रक्रिया भी ढांचागत परिवर्तनों से गुजर सकती है। जैसाकि नीचे वर्णन किया गया है, ऐसा विश्वास करने के कारण अवश्य हैं कि दोनों परिवर्तन हो रहे हैं।

तेल

4.7 अब यह बात लगभग स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन चुकी है कि भू-राजनीति का ज़िक्क तेल की कीमतों और इसीलिए उनसे आगे घरेलू मुद्रास्फीति से जुड़े जोखिमों की सूची में किया जाए। लेकिन इन जोखिमों में संभवतः काफी कमी भी हो रही है। आज तेल बाजार कुछ साल पहले के बाजार की तुलना में इस अर्थ में बहुत भिन्न

हो चुका है, जो तेल की कीमतों में कमी, अथवा कम से कम तेल की कीमतों में वृद्धि के जोखिमों को समाप्त कर रहा है।

4.8 हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जैसी परिष्कृत नई प्रौद्योगिकी की मेहरबानी से शेल ऑयल और गैस के दोहन के चलते, ओपेक-भिन्न बाजारों विशेषकर उत्तरी अमरीका से तेल की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा, इस आपूर्ति की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह 50 डालर प्रति बैरल की कीमत के आसपास की दर पर लाभकारी है और इसकी आपूर्ति कहीं कम पूंजी लागत होने के कारण परंपरागत तेल के मुकाबले, कीमत संबंधी परिवर्तनों के प्रति तेजी से प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, अब तेल की कीमतों पर ओपेक का उतना नियंत्रण नहीं है, जितना पहले होता था। चित्र 4 में ओपेक की क्षमता परिवर्तन तथा तेल कीमतें दर्शायी गई हैं। वर्ष 2014 से पहले, यह दोनों साथ-साथ चलती थीं, लेकिन तब से दोनों पूरी तरह अलग-थलग हो गई हैं।

4.9 चित्र 5 में विश्वव्यापी शेल रिगों की संख्या और तेल कीमतों को प्रदर्शित किया गया है। यहां भी यह संबंध असाधारण है, जहां रिग की क्षमता कीमतें कम होने पर गिरती है और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर तत्काल बढ़ती है।^{2ख} शेल का यह अकार्डियन जैसा स्वरूप तथा इस अनुमान के साथ कि अर्थक्षमता 50 डालर प्रति बैरल के आस-पास ही हासिल की जाती है, का अर्थ यह है कि तेल की कीमतों पर कुल मिलाकर रोक लगा दी गई है।

4.10 इसलिए, भविष्य की बात करें तो, ऐसा नहीं है कि ये कीमतें अस्थिर नहीं होंगी या 50 डालर की “सीमा” से ऊपर कभी नहीं बढ़ेंगी। लेकिन शेल प्रौद्योगिकी यह जरूर सुनिश्चित करेगी कि कीमतें इस सीमा से ऊपर बहुत देर तक न रह सकें क्योंकि शीघ्र आपूर्ति की प्रक्रिया इन कीमतों को वापस शेल उत्पादन की सीमांत लागत की ओर ले जाएगी। नवीकरणीय स्रोतों की लागत और कीमतों में हुई जबरदस्त गिरावट इस रूझान को केवल अधिक बल ही देगी।

^{2क} हैडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अब 2 प्रतिशत से कम है किंतु परिष्कृत कोर भी (जो सभी अस्थिर खाद्य और ईंधन घटकों से अधिक रहती है) अब 4 प्रतिशत से कम हो गयी है। यह लगभग 9 प्रतिशत की भारत की दीर्घावधिक मुद्रास्फीति की औसत की तुलना में भी काफी और जुलाई, 2011 से आगे सीपीआई नई श्रृंखला में 6.8 प्रतिशत की परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति की औसत से बेहतर है।

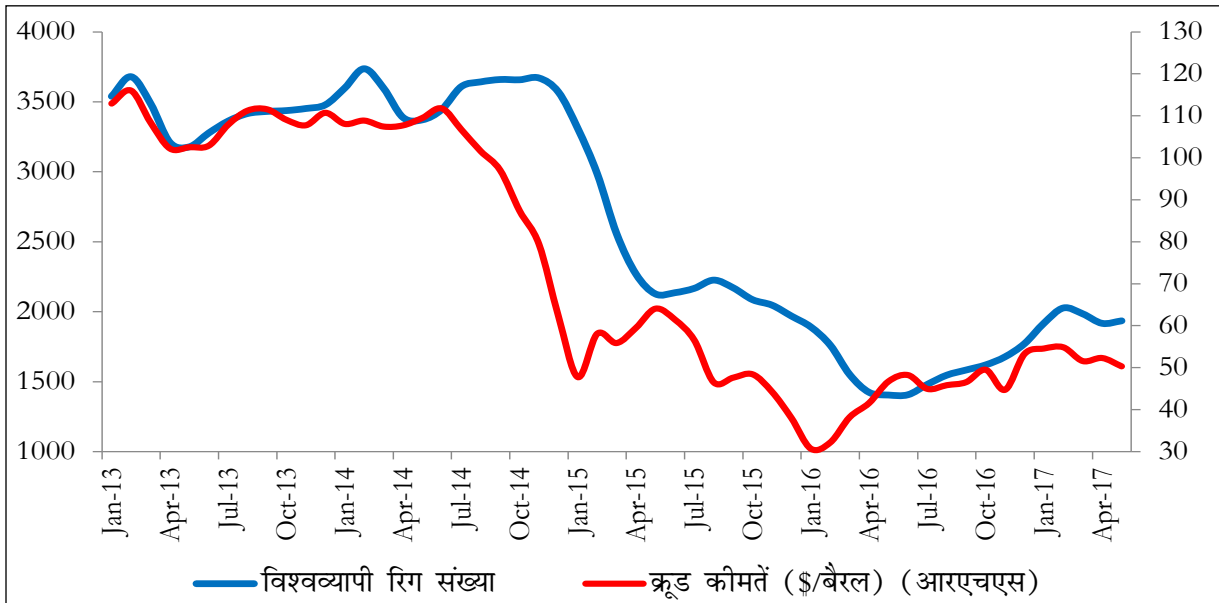
^{2ख} इसी प्रकार का संबंध रिग प्रवाह और तेल कीमतों के बीच है।

चित्र 4. ओपेक की गिरती बाजार शक्ति?



स्रोत: यू.एस. ऊर्जा सूचना प्रशासन (यूएसईआईए)

चित्र 5. शेल “अकार्डियन”



स्रोत: बेकर ह्यूज और यूएसईआईए

4.11 संक्षेप में, भू-राजनीतिक जोखिम पहले की तरह खतरनाक नहीं रहे हैं प्रौद्योगिकी ने भारत को भू-अर्थव्यवस्था (ओपेक) और भू-राजनीति (मध्य-पूर्व) के परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील बना दिया है। यदि ये परिवर्तन स्थायी हों और जिस हद तक स्थायी हों तो स्फीतिकारी प्रक्रिया के लिए उन परिणामों को ध्यान में रखना होगा।

II. विभिन्न मद समूहों और राज्यों के बीच मुद्रास्फीति में अंतर

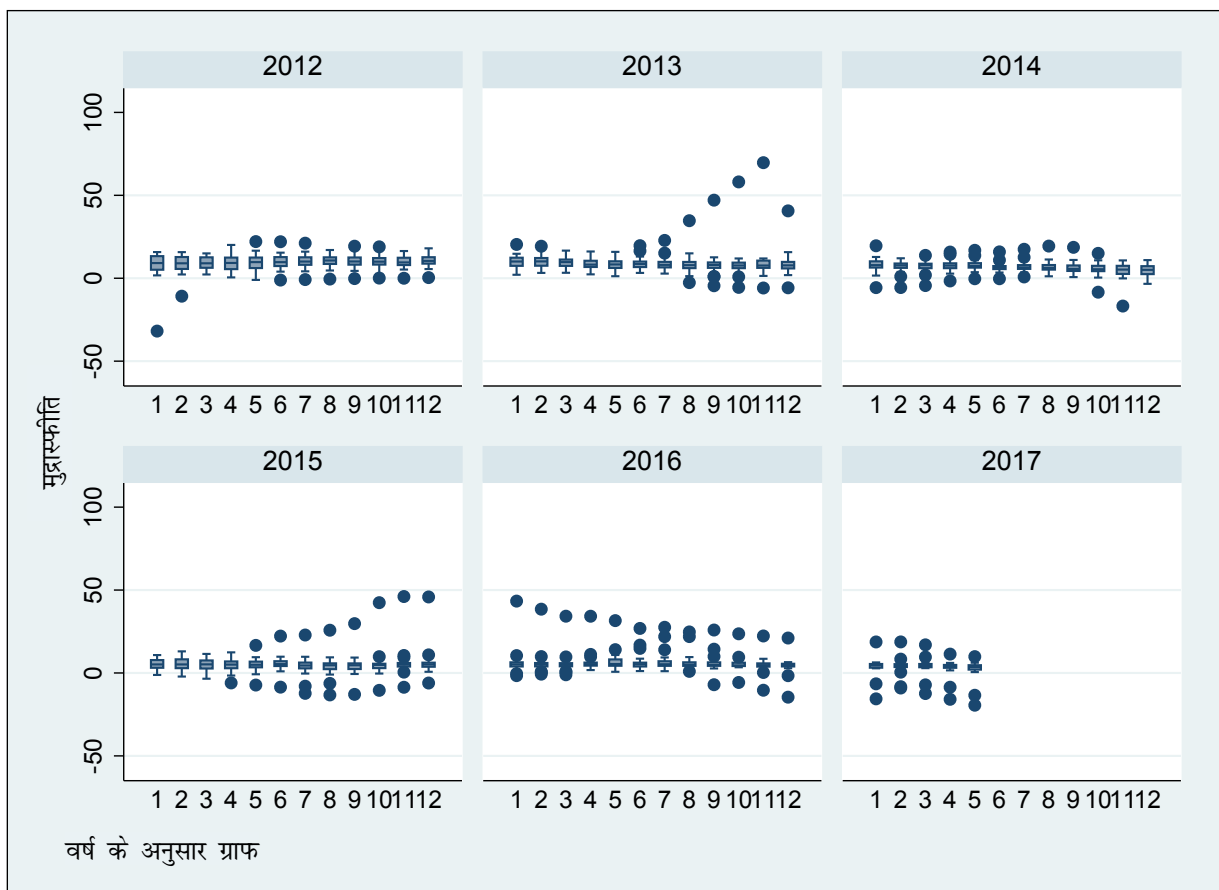
4.12 उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित मुद्रास्फीति में 2012 के लगभग 9 प्रतिशत के स्तर से गिरावट का रुख देखा गया है जो 2017 में लगभग 3 प्रतिशत के स्तर पर आ गई, सिवाय वर्ष 2013 के जब यह बढ़कर लगभग 10 प्रतिशत हो गई

थी। चित्र 6 में सभी प्रमुख मद समूहों में मुद्रास्फीति के परिवर्तन दिखाए गए हैं। वर्ष 2013 के मध्य से शुरू करते हुए, सब्जियों में व्याप्त मुद्रास्फीति शेष मद समूहों की तुलना में वर्ष भर लगातार अधिक बनी रही है (नवम्बर, 2013 में लगभग 70 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंच गई)। दालों में व्याप्त मुद्रास्फीति मई, 2015 से काफी अधिक बढ़नी शुरू हो गई है और यह 2016 के मध्य तक शेष मद समूहों से अधिक रही है। समग्र रूप से, मुख्य मद समूहों (चित्र 6) और मुख्य राज्यों (चित्र 7) में इस अवधि (2012-17) में कोई निश्चित रुझान नहीं देखा गया; तथापि वर्ष 2016 से विभिन्न मद समूहों में कम परिवर्तनीयता रही है।

III. मुद्रास्फीति के मौजूदा रुझान

4.13 उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) और थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) दोनों के संदर्भ में मुद्रास्फीति हालिया वर्षों में कम होती रही है जहां 2015-16 में तो डब्ल्यूपीआई ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इसके मुख्य पहलुओं में ये शामिल हैं: हेडलाइन मुद्रास्फीति में निरपेक्ष गिरावट, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में समाभिरूपता, विभिन्न वस्तु समूहों, विशेषकर खाद्य समूहों में मुद्रास्फीति में गिरावट, ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच अंतर का कम होना और विभिन्न राज्यों में मुद्रास्फीति में गिरावट।

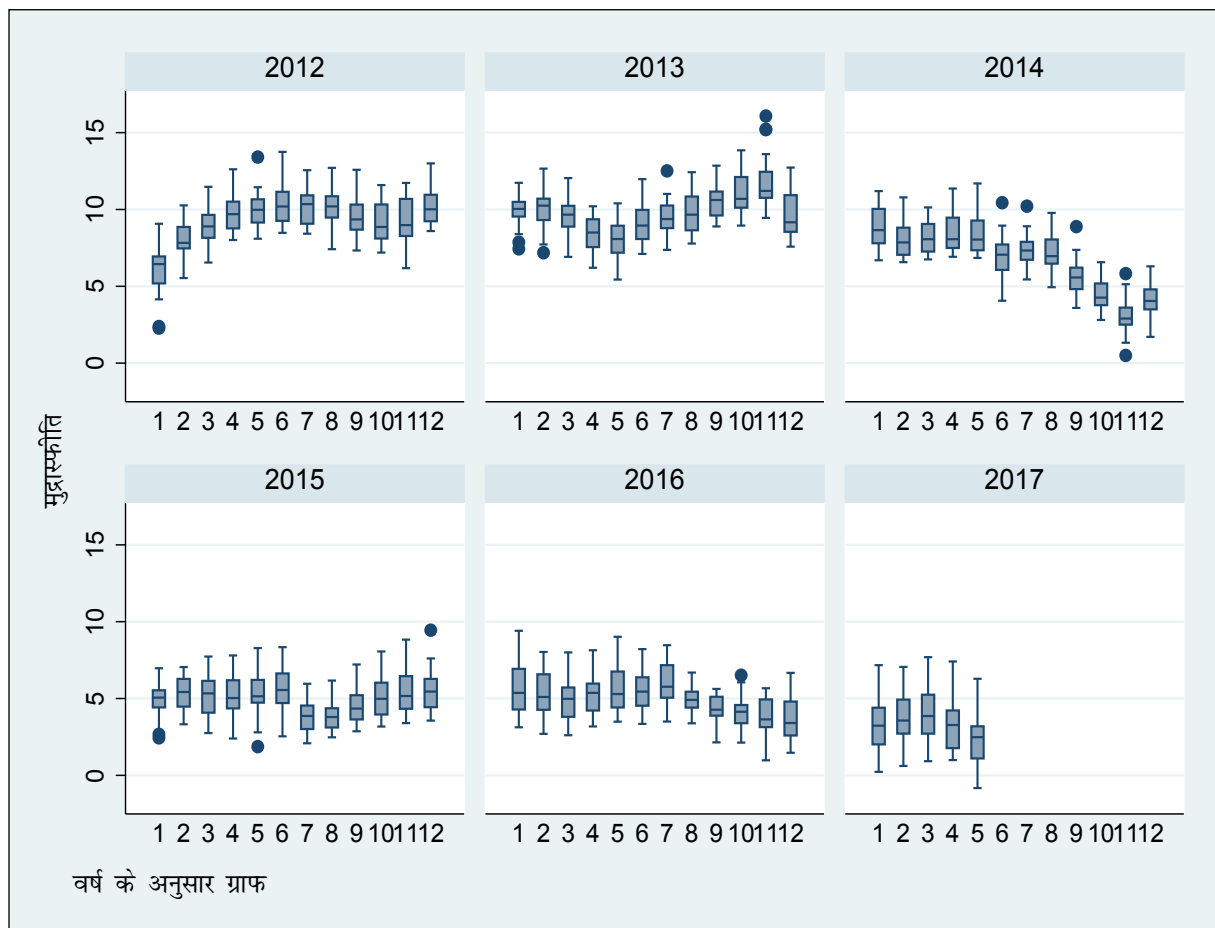
चित्र 6. उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त के संबंध में समूहों के अंतर्गत प्रमुख मदों में परिवर्तनशीलता³



स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

³ बॉक्स और व्हिस्कर प्लॉट के जरिए दिखाए गए चित्र से वितरण की विशेषताओं का अध्ययन करना हमारे लिए सरल हो जाता है। बाक्स इंटरक्वार्टाइल रेंज दिखाता है अर्थात् वितरण का 75वां और 25वां बिन्दु। बाक्स में क्षैतिज रेखा वितरण की माध्यिका दर्शाती है, और व्हिस्कर बाक्स से अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों तक जाने वाली रेखाएं हैं। यदि डाटा के मूल्य क्वार्टाइल से बहुत दूर हों तो उन्हें बाध्य मानें (चित्र में बिन्दु द्वारा प्रदर्शित) के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। बाहरी मान की मानक परिभाषा ऐसी संख्या है जो Q_1 अथवा Q_3 से क्रमशः $IQR(IQR=Q_3-Q_1)$ से 1.5 गुना कम या अधिक है। अर्थात्, बाहरी मान ऐसी कोई भी संख्या है जो $Q_1 - (1.5 \times IQR)$ से कम है अथवा $Q_3 + (1.5 \times IQR)$ अधिक है।

चित्र 7. उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त के संदर्भ में प्रमुख राज्यों की मुद्रास्फीति में परिवर्तनशीलता (2012-2017)



स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

4.14 पहला, विभिन्न कीमत सूचकांकों में मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट देखी गई है। हेडलाइन सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत और 2015-16 के 4.9 प्रतिशत से तेजी से कम होकर 2016-17 में 4.5 प्रतिशत पर आ गई है। सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले आठ महीनों से 4 प्रतिशत से कम रही है तथा यह कम होकर जून, 2017 में 1.5 के स्तर पर पहुंच गई थी (2012 में श्रृंखला शुरू किए जाने के बाद से निम्नतम)। सीपीआई-औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) आधारित मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 5.6 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 4.1 प्रतिशत रह गई है। यह मई, 2017 में 1.1 प्रतिशत के निम्न स्तर तक आ पहुंची। 2011-12 के आधार वर्ष के साथ थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुसार, वैश्विक वस्तु कीमतों में वृद्धि के चलते मुद्रास्फीति 2015-16 के -3.7 प्रतिशत से बढ़कर 1.7 प्रतिशत हो गई। पिछले पांच वर्षों के मूल्य सूचकांकों की मुख्य श्रृंखलाओं पर आधारित मुद्रास्फीति की एक

तुलनात्मक तस्वीर सारणी-1 में दी गई है।

4.15 दूसरा, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति के बीच समाभिरूपता एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति के बीच अंतर जो सितंबर, 2015 में 10 प्रतिशतांक के चरम स्तर तक बढ़ गया था, मई, 2017 में खत्म हो गया, जब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आधारित दोनों प्रकार की मुद्रास्फीति 2.2 प्रतिशत हो गयी (चित्र 8)। वार्षिक आधार पर वर्ष 2014-15 में 4.7 प्रतिशतांक से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 8.6 प्रतिशत तक होने के बाद दोनों के बीच अंतर कम होकर 2016-17 में 2.8 प्रतिशत हो गया (सारणी 1)। यह समाभिरूपता मुख्यतः विक्रय वस्तुओं, जो डब्ल्यूपीआई समूह का मुख्य हिस्सा हैं, के मजबूत होने तथा थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके उसे 2011-12 किए जाने के कारण हुई कही जा सकती है।

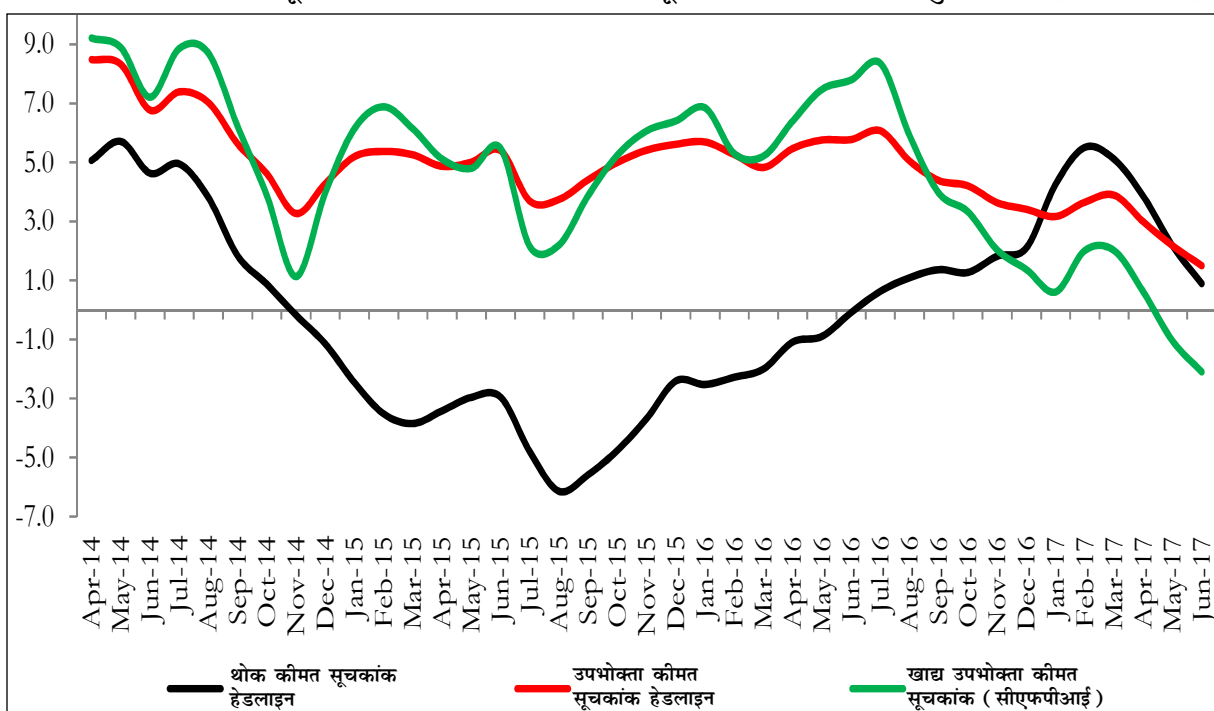
सारणी 1. विभिन्न कीमत सूचकांकों पर आधारित सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
थोक कीमत सूचकांक	6.9	5.2	1.2	-3.7	1.7
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (संयुक्त)	10.2	9.5	5.9	4.9	4.5
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (आईडब्ल्यू)	10.4	9.7	6.3	5.6	4.1
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (एएल)	10.0	11.6	6.6	4.4	4.2
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (आरएल)	10.2	11.5	6.9	4.6	4.2

स्रोत: थोक कीमत सूचकांक के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उपभोक्ता कीमत सूचकांक (संयुक्त) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा उपभोक्ता कीमत सूचकांक (आईडब्ल्यू), सीपीआई (एएल), सीपीआई (आरएल) के लिए श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: 2012-13 और 2013-14 के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फीति पुरानी 2010 = 100 श्रृंखला पर आधारित है। आईडब्ल्यू का अर्थ औद्योगिक कामगार से, एएल का अर्थ कृषि श्रमिकों से तथा आरएल का अर्थ ग्रामीण श्रमिकों से है।

चित्र 8. थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)



स्रोत: डीआईपीपी और सीएसओ

4.16 तीसरा, सभी वस्तु समूहों की मुद्रास्फीति में व्यापक आधार पर गिरावट का रुख रहा है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण खाद्य समूह में गिरावट रही है। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 2014-15 में 6.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 4.9 प्रतिशत तथा और घटकर 2016-17 में 4.2 प्रतिशत हो गयी है। दालों, सब्जियों और चीनी में उच्च मुद्रास्फीति ने हालांकि 2016-17 के प्रारंभ में सीएफपीआई पर कुछ दबाव डाला है, फिर भी अनुकूल मानसून के कारण अनाजों और दालों के उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण

दूसरी छमाही में सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति में कमी हुई है। दालों की कीमतों में अस्थिरता को कम करने के लिए, सरकार ने घरेलू खरीद और आयात के जरिए लगभग 19 लाख टन का बफर स्टॉक निर्मित किया है। सब्जियों की कीमत, जो आमतौर पर ग्रीष्मकालीन मौसम में कम आपूर्ति के कारण बढ़ जाती हैं, पिछले कुछ महीनों में तेजी से गिरी हैं क्योंकि आपूर्ति बढ़ी है। परिणामस्वरूप सितंबर, 2016 से सब्जियों में सीपीआई मुद्रास्फीति नकारात्मक रही है। चीनी की मुद्रास्फीति कम उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत के बढ़ने के

कारण वर्ष 2016-17 के दौरान लगातार अधिक रही है। पिछले कुछ महीनों में चीनी की कीमत थोक और खुदरा दोनों स्तर पर कम हुई है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई

के आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति का ब्यौरा क्रमशः सारणी 2 और 3 में दर्शाया गया है।

सारणी 2. सीपीआई के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति - आधार वर्ष 2012 (प्रतिशत में)

विवरण	भारांश	2015-16	2016-17	जून-16	मई-17	जून-17 (पी)
सभी समूह	100	4.9	4.5	5.8	2.2	1.5
सीएफपीआई*	39.1	4.9	4.2	7.8	-1.0	-2.1
खाद्य और पेय पदार्थ	45.9	5.1	4.4	7.5	-0.2	-1.2
अनाज और उत्पाद	9.7	1.8	4.2	3.1	4.8	4.4
मांस और मछली	3.6	6.3	5.6	6.6	1.8	3.5
अण्डे	0.4	2.3	6.7	5.5	0.7	-0.1
दूध और उत्पाद	6.6	5.2	4.1	3.4	4.6	4.1
तेल और वसा	3.6	4.3	4.0	4.0	2.7	2.3
फल	2.9	1.5	4.8	2.8	1.4	2.0
सब्जियां	6.0	1.4	-2.2	14.8	-13.4	-16.5
दालें और उत्पाद	2.4	31.9	9.3	26.9	-19.5	-21.9
चीनी तथा मिष्ठान	1.4	-7.0	19.6	16.8	9.8	8.7
ईंधन और प्रकाश	6.8	5.3	3.3	2.9	5.5	4.5
खाद्य और ईंधन समूह को छोड़कर सीपीआई	47.3	4.6	4.8	4.4	4.2	4.0

स्रोत: सीएसओ पी: अंतिम *उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक

सारणी 3. थोक कीमत सूचकांक के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति -आधार वर्ष 2011-12 (प्रतिशत में)

	भारांश	2015-16	2016-17	जून-16	मई-17 (पी)	जून-17 (पी)
सभी वस्तुएं	100	-3.7	1.7	-0.1	2.2	0.9
खाद्य सूचकांक	24.4	1.2	5.8	8.0	0.1	-1.2
खाद्य वस्तु	15.3	2.6	4.0	7.8	-2.3	-3.5
अनाज	2.8	1.1	8.7	9.5	4.1	1.9
दालें	0.6	34.8	17.6	27.3	-19.7	-25.5
सब्जियां	1.9	-8.6	-5.3	18.6	-18.5	-21.2
फल	1.6	0.1	6.0	6.0	-0.7	-0.1
दूध	4.4	3.1	2.9	2.3	4.5	4.1
अण्डे, मांस और मछली	2.4	1.5	0.8	2.3	-1.0	1.9
खाद्य उत्पाद	9.1	-1.5	9.5	8.7	4.8	3.1
चीनी	1.1	-9.8	28.8	29.8	12.8	10.7
खाद्य तेल	2.6	-3.2	8.4	4.1	2.1	1.5
ईंधन और बिजली	13.2	-19.7	-0.2	-11.6	11.7	5.3
खाद्य भिन्न विनिर्मित उत्पाद (कोर)	55.1	-1.8	-0.1	-1.8	2.1	2.1

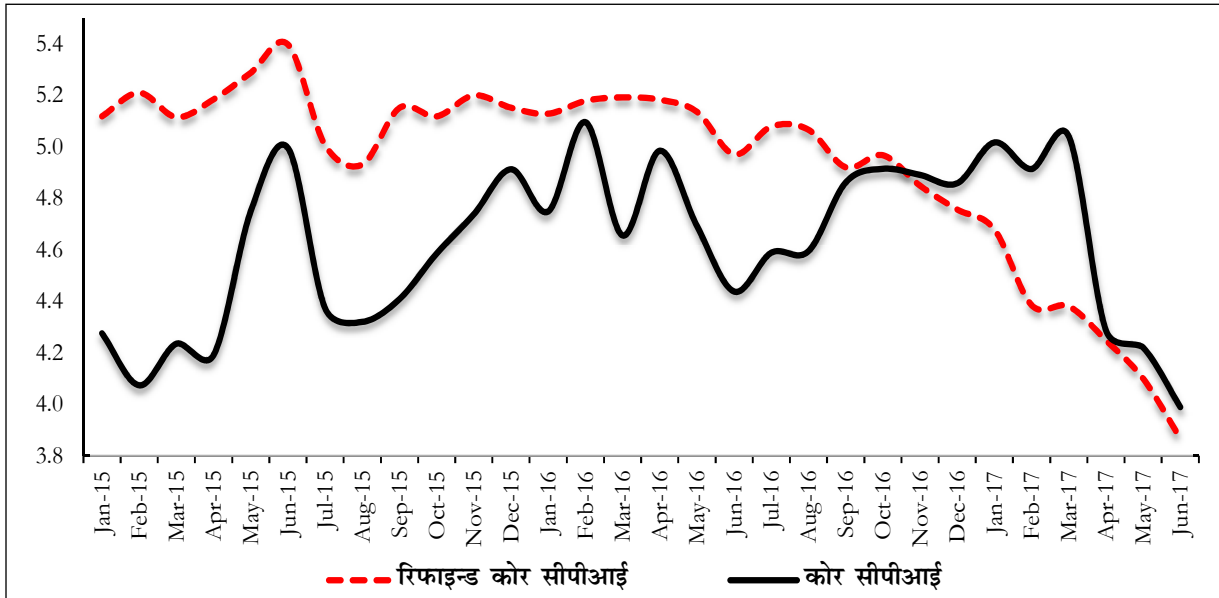
स्रोत: डीआईपीपी पी: अंतिम

4.17 पिछले तीन वर्षों में हैडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में देखी गई उल्लेखनीय गिरावट के साथ, सीपीआई आधारित परिष्कृत कोर⁴ मुद्रास्फीति 2015-16 के 5.2 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 4.9 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है। हालांकि सीपीआई आधारित कोर⁵ मुद्रास्फीति 2015-16 के 4.6% से मामूली सा बढ़कर 2016-17 में 4.8% हो गयी है। सीपीआई आधारित कोर

मुद्रास्फीति के सभी पैमानों में पिछले कुछ महीनों में गिरावट का रुख रहा है। (चित्र 9)।

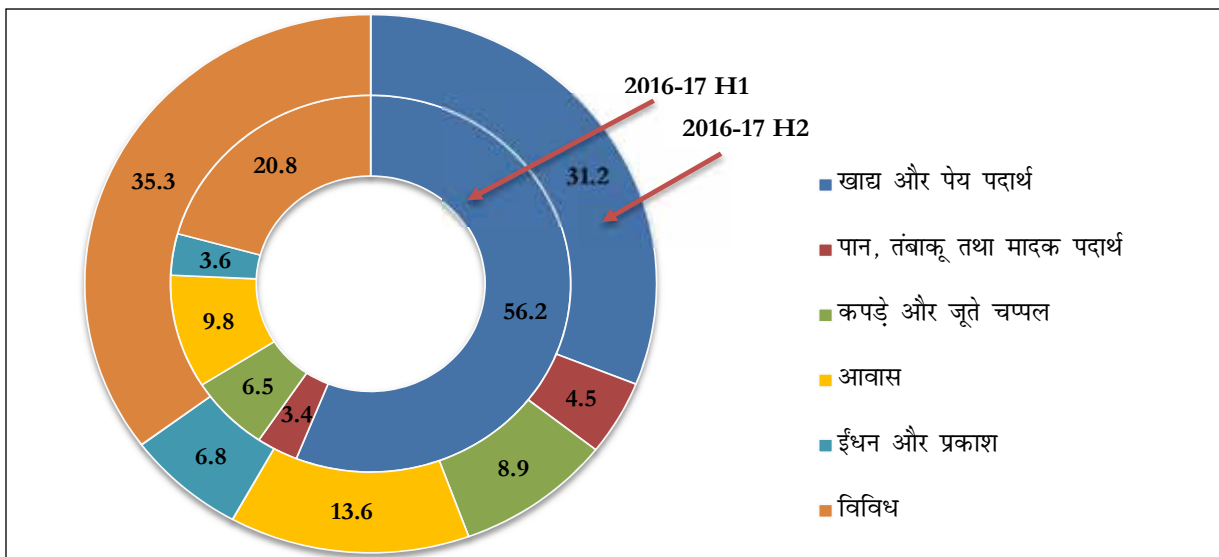
4.18 वर्ष 2016-17 की पहली छमाही के दौरान, जहां सीपीआई मुद्रास्फीति मुख्यतः खाद्य मदों से संचालित थी, वहीं विविध समूह मूलतः सेवा समूह था जिसने दूसरी छमाही में उल्लेखनीय योगदान किया। (चित्र 10)। आवास क्षेत्र ने भी शहरी इलाकों में सामान्य मुद्रास्फीति में

चित्र 9. उपभोक्ता कीमत सूचकांक आधारित कोर मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)



स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

चित्र 10. वर्ष 2016-17 के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान



स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

⁴ सीपीआई जिसमें खाद्य और ईंधन समूह, पेट्रोल और डीजल शामिल नहीं हैं।

⁵ सीपीआई जिसमें खाद्य और ईंधन समूह शामिल नहीं हैं।

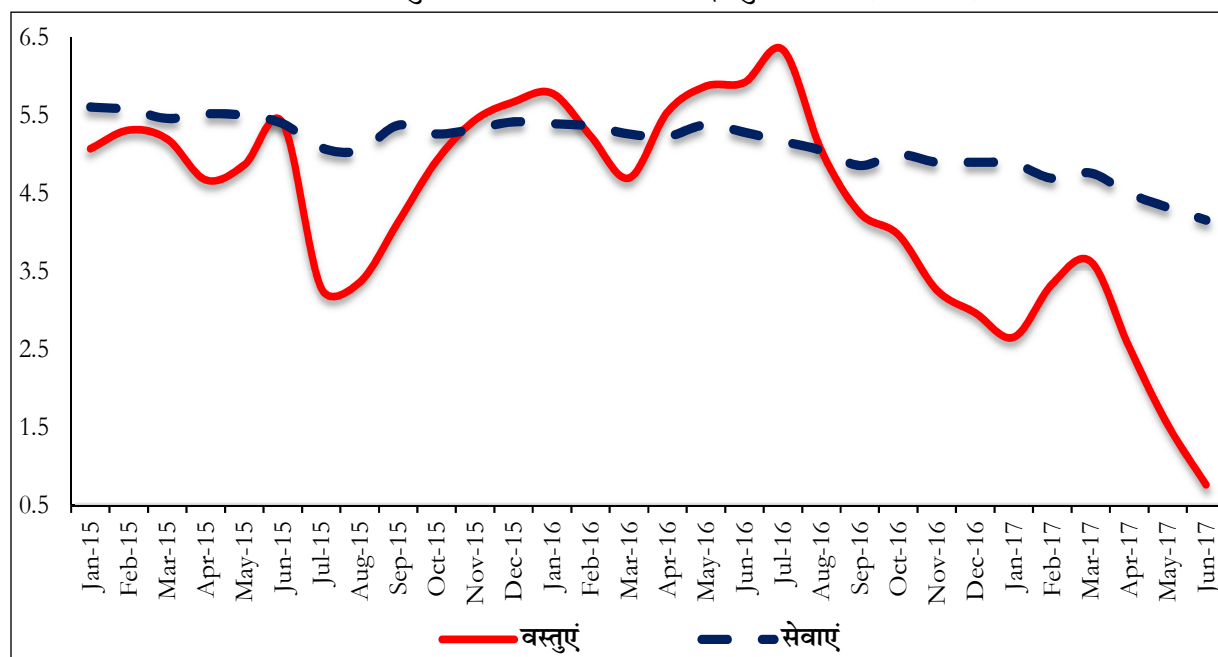
योगदान किया। सीपीआई मुद्रास्फीति का वस्तुओं (भारांश 76.6%) और सेवाओं (भारांश 23.4%) के रूप में दिया गया ब्यौरा अगस्त, 2016 के बाद से वस्तु मुद्रास्फीति में तेजी से हुई गिरावट दर्शाता है (चित्र 11)। तथापि, सेवा मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही और यह 2016-17 के दौरान लगभग 5% के आसपास मंडरा रही थी तथा इसकी मुख्य संचालक स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान किराया, हवाई किराए से जुड़ी उच्च मुद्रास्फीति रही थी।

4.19 चौथा, हालांकि ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति दोनों में गिरावट हुई है, फिर भी शहरी मुद्रास्फीति में हुई गिरावट ग्रामीण मुद्रास्फीति के मुकाबले अधिक रही है। हालिया महीनों में इन दोनों के बीच अंतर में काफी कमी हुई है (चित्र 12)। सीपीआई (ग्रामीण) पर आधारित ग्रामीण मुद्रास्फीति 2014-15 के 6.2 प्रतिशत और 2015-16 के 5.6 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 5.0 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी। सीपीआई (शहरी) पर आधारित शहरी मुद्रास्फीति 2014-15 के 5.7 प्रतिशत और 2015-16 के 4.1 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 4.0 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी। शहरी मुद्रास्फीति ग्रामीण मुद्रास्फीति के मुकाबले अपेक्षाकृत कम स्तर पर बनी रही है और यह अंतर मुख्यतः ग्रामीण और शहरी उपभोग समूह में मदों के भारांश में अंतर के कारण है। सीपीआई के ग्रामीण समूह में अनाज, सब्जियों, मीट और मछली तथा दालों

को काफी अधिक भारांश दिए गए हैं।

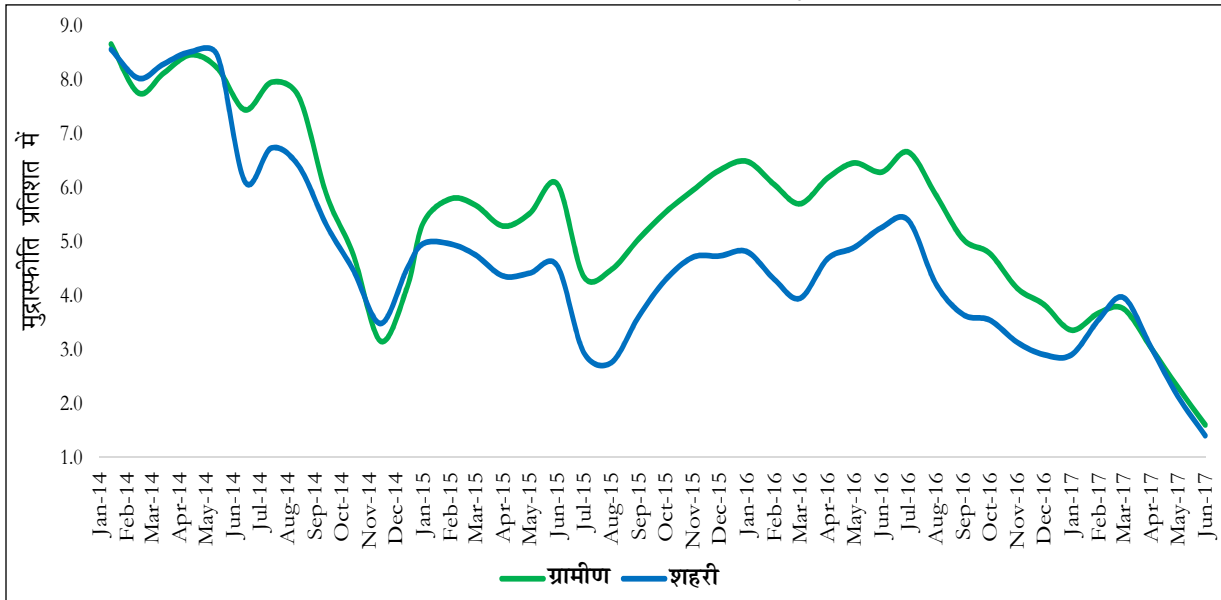
4.20 उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच व्याप्त अंतर में तब तेजी से वृद्धि होती है, जब भी खाद्य और पेय पदार्थ समूह (ग्रामीण समूह में 54.2 प्रतिशत का भारांश और शहरी समूह में 36.3 प्रतिशत का भारांश) की मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है। (चित्र 13)। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ईंधन और प्रकाश समूह संबंधी मुद्रास्फीति (भारांश 7.9 प्रतिशत), जो इस संपूर्ण अवधि में शहरी क्षेत्र के ईंधन और प्रकाश समूह संबंधी मुद्रास्फीति (भारांश 5.6 प्रतिशत) से अधिक रही है, भी ग्रामीण मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। ईंधन लकड़ी और उसके टुकड़े तथा उपले, जो सीपीआई समूह में 2.5 प्रतिशत भारांश रखते हैं (मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए), में भी उच्च मुद्रास्फीति और अस्थिरता देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विविध समूह (27.3 प्रतिशत के भारांश वाली उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं एवं सेवाएं) की मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों के विविध समूह (भारांश 29.5 प्रतिशत) की मुद्रास्फीति से अक्सर अधिक रही है। इसकी वजह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अवसंरचनागत अंतर को माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं की विपणन लागतों में वृद्धि हो जाती है।

चित्र 11. वस्तु और सेवाओं में सीपीआई मुद्रास्फीति (प्रतिशत)



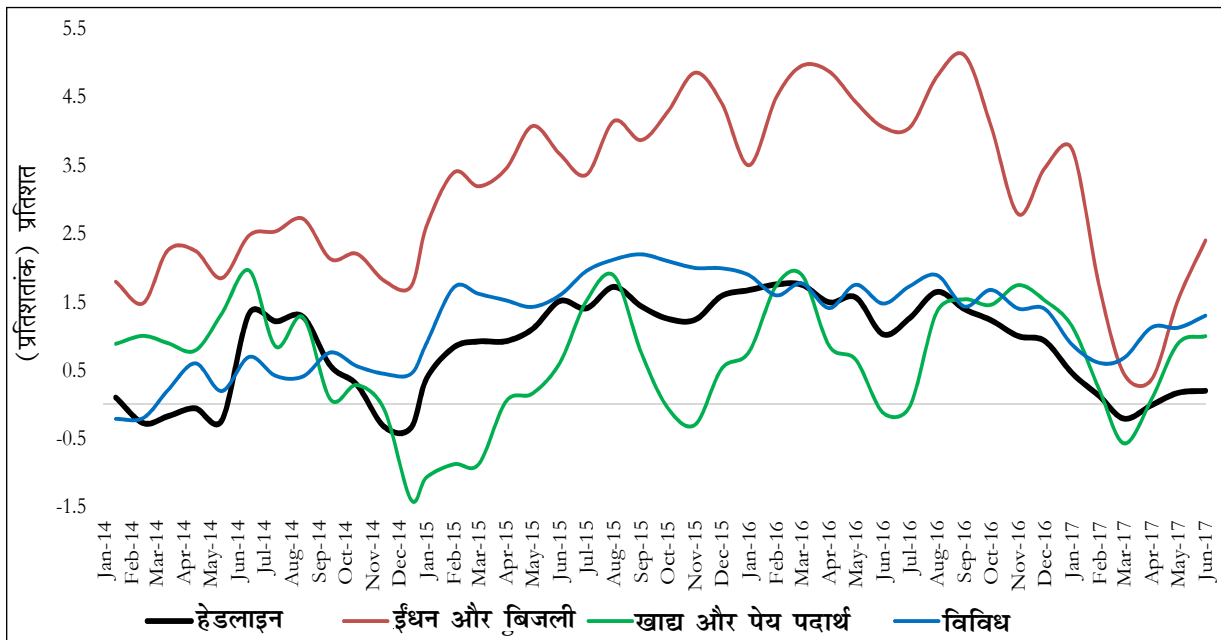
स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

चित्र 12. सीपीआई ग्रामीण तथा शहरी मुद्रास्फीति



स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

चित्र 13. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच मुद्रास्फीति अंतर (प्रतिशतांक)



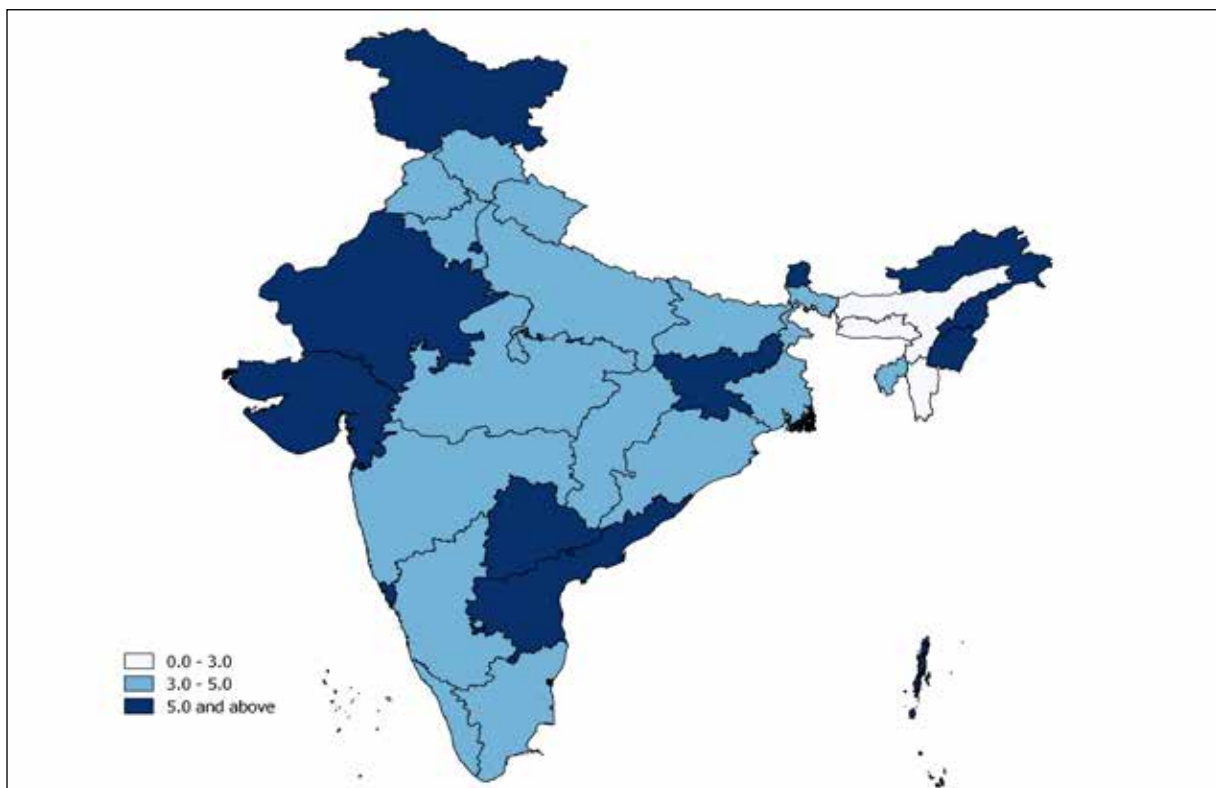
स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

4.21 अंततः, वर्ष 2016-17 के दौरान, खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी से हुई गिरावट के कारण अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीपीआई मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई (चित्र 14 और 15)। 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रही है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा तेलंगाना को छोड़कर, सभी राज्यों में संशोधित आरबीआई अधिनियम के अनुसरण में निर्धारित 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता

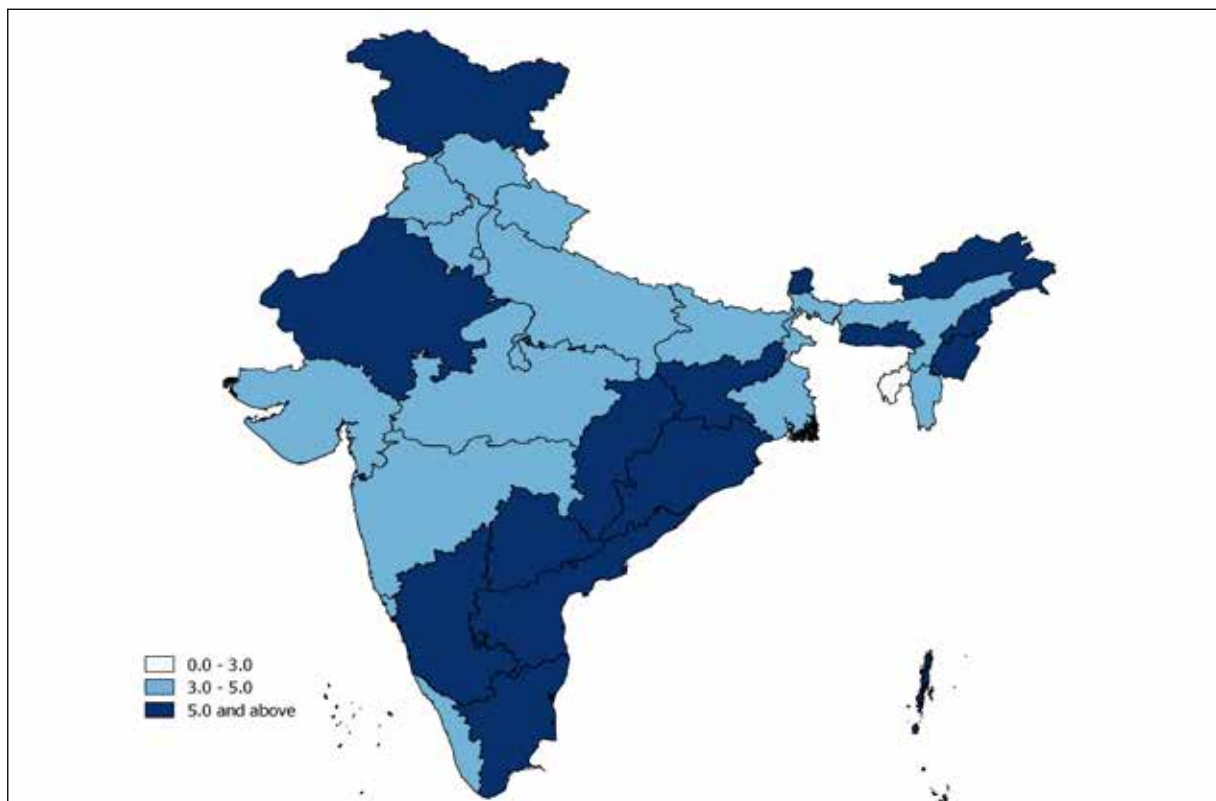
स्तर से कम रही है। जहां चार प्रमुख राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 2015-16 के दौरान 6% से अधिक की मुद्रास्फीति देखी गई थी, वहीं 2016-17 में केवल तेलंगाना में 6% से अधिक की मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

4.22 समूह स्तर पर, 2016-17 में खाद्य मुद्रास्फीति में अंतरराज्यीय घट-बढ़ आवास, ईंधन और प्रकाश तथा

चित्र 14. सीपीआई मुद्रास्फीति 2016-17 (प्रतिशत)



चित्र 15. सीपीआई मुद्रास्फीति 2015-16 (प्रतिशत)



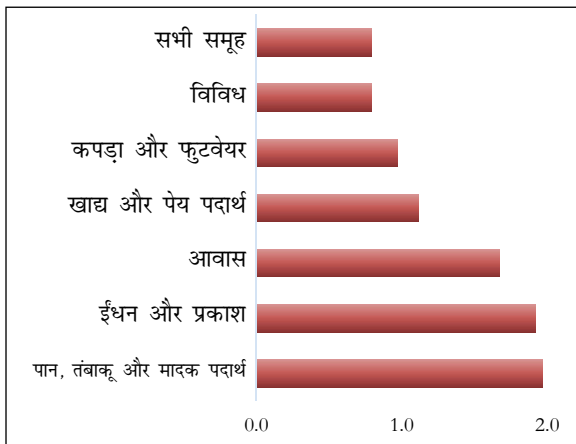
स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश की मुद्रास्फीति केवल ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में है।

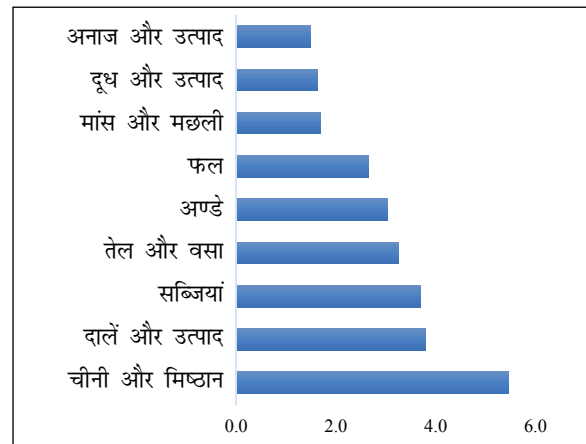
पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों की तुलना में कम रही है (चित्र 16)। खाद्य श्रेणी में अधिकतम अंतरराज्यीय घट-बढ़ चीनी और दालों में देखी गई है, जिनमें वर्ष

2016-17 में उच्च मुद्रास्फीति देखी गई (चित्र 17)। तथापि, प्रमुख राज्यों में अनाज में हुई घट-बढ़ बहुत कम रही है।

चित्र 16. 2016-17 में प्रमुख राज्यों में सीपीआई मुद्रास्फीति में परिवर्तन: प्रमुख समूहों में मानक विचलन



चित्र 17. 2016-17 में प्रमुख राज्यों में सीपीआई मुद्रास्फीति में परिवर्तन: खाद्य समूहों में मानक विचलन

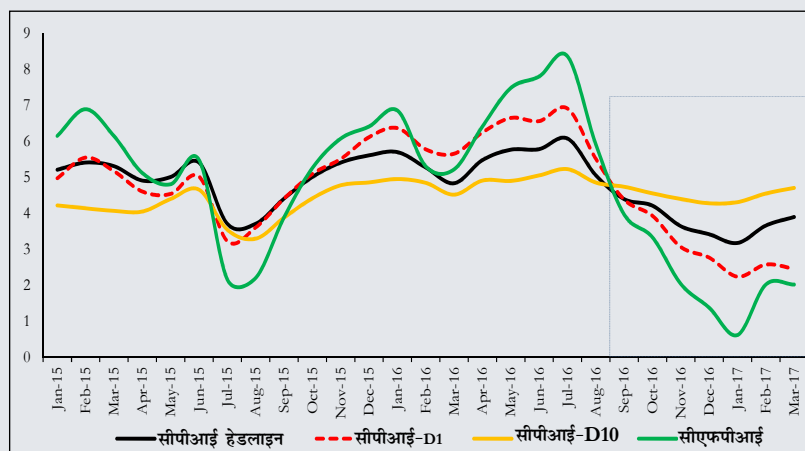


स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

बॉक्स 1. कम खाद्य मुद्रास्फीति-गरीबों को राहत

भारत में मुद्रास्फीति आमतौर पर खाद्य मदों की कीमतों से संचालित होती है। खाद्य मदें, जो गरीबों के उपभोग व्यय का बड़ा हिस्सा होती हैं, उनका सीपीआई समूह में उच्च भारांश है। खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण हुई उच्च मुद्रास्फीति गरीबों को अधिक आघात पहुंचाती है। इसके विपरीत, खाद्य मुद्रास्फीति में कमी का आबादी के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों पर लाभकर असर होता है। हैडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में हालिया गिरावट मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति, विशेषकर दालों और सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण है। इसका जनसंख्या के निधन वर्गों पर अनुकूल असर पड़ा है जैसा कि चित्र 18 में देखा जा सकता है।

चित्र 18. विभिन्न डिसाईल समूहों के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)



स्रोत: सीएसओ, समीक्षा परिकलन

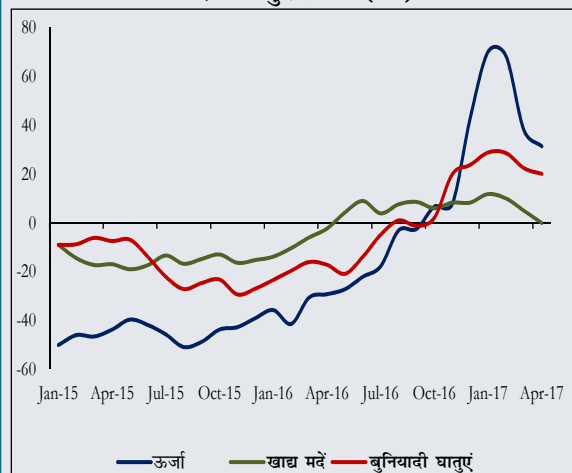
चित्र 18 में उपभोक्ता व्यय आंकड़ों पर आधारित समाज के निम्नतम और उच्चतम डिसाईल के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति दर्शाया गया है। (एनएसएस के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के 68वें दौर के आधार पर, डिसाईलवार सूचकांक और मुद्रास्फीति आकलित करने के लिए सीपीआई-संयुक्त के मद स्तर सूचकांक को डिसाईलवार भारांश दिए गए हैं और प्रयुक्त किए गए हैं)। इस चित्र में दिखाया गया है कि सितंबर, 2016 से मुद्रास्फीति उच्चतम डिसाईल (डी-10) और हैडलाइन सीपीआई के मुकाबले निम्नतम डिसाईल (डी-1) के संबंध में कम रही है। इसके अलावा, निम्नतम डिसाईल के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति ने प्रायः खाद्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) के रुझान का ही अनुसरण किया है, जिसकी वजह उच्चतम दशमक की तुलना में न्यूनतम दशमक के लिए खाद्य मदों का अधिक भारांश होना है। जैसाकि चित्र से स्पष्ट है, कम खाद्य मुद्रास्फीति समृद्ध वर्ग के मुकाबले गरीबों को अपेक्षाकृत अधिक लाभान्वित करती है और प्रतिलोमतः भी ऐसा ही होता है।

बाक्स 2. वैश्विक और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति

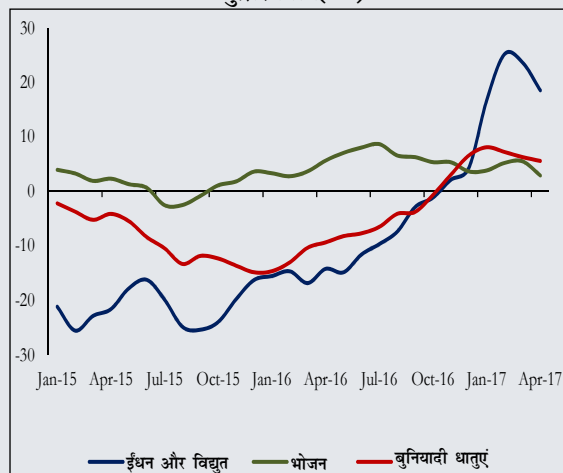
तेल का प्रभाव और प्रतिकूल आधार-प्रभाव डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं

डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति नवंबर, 2014 से जून, 2016 तक नकारात्मक बनी रही है और 2015-16 में औसतन (-) 3.7 प्रतिशत रही जिसकी आंशिक वजह विश्व स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का कमजोर पड़ना था। तथापि, वैश्विक वस्तु कीमतों में, विशेषकर कच्चे तेल की कीमतों में, आए उछाल के साथ-साथ प्रतिकूल आधार-प्रभाव ने डब्ल्यूपीआई में गिरावट के रुझान को उलट दिया है। विश्व बैंक ऊर्जा सूचकांक पर आधारित वैश्विक ऊर्जा मुद्रास्फीति 2015-16 के (-) 43 प्रतिशत के निम्न स्तर से बढ़ती हुई 2016-17 में 4.0 प्रतिशत हो गयी तथा बेस धातुओं की मुद्रास्फीति 2015-16 के (-) 20.2 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 4.1 प्रतिशत हो गयी। ईंधन और धातुओं में व्याप्त डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति ने प्रायः अंतरराष्ट्रीय रुझान का ही अनुसरण किया है और यह वृद्धि के रुख पर है (चित्र 19 और 20)।

चित्र 19. विश्व बैंक कीमत सूचकांक पर आधारित वैश्विक मुद्रास्फीति(%)



चित्र 20. थोक कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति(%)



बाक्स 3. आधार वर्ष 2011-12 वाले थोक कीमत सूचकांक की नई श्रृंखला की मुख्य विशेषताएं

सरकार ने अप्रैल, 2017 से थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया है। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति कृषि, खनन, विनिर्माण और बिजली के चार क्षेत्रों से संबंधित लेनदेनों के प्रारंभिक चरण के स्तर पर, थोक बिक्री के संबंध में वस्तुओं की कीमतों में हुए औसत परिवर्तन को मापता है। वर्ष 2011-12 में चालू कीमतों पर जीडीपी में इन चार क्षेत्रों का हिस्सा 41.4 प्रतिशत था। डब्ल्यूपीआई के समूह में तीन प्रमुख समूहों, नामतः प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और विद्युत तथा विनिर्मित उत्पादों के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं शामिल हैं। ट्रैक की जा रही कीमतें विनिर्मित उत्पादों के लिए फैक्ट्री कीमत, कृषि जिनसे के लिए मंडी कीमत और खनिजों के लिए खनन कीमत हैं। डब्ल्यूपीआई समूह में शामिल प्रत्येक वस्तु को दिए गए भारांश निवल आयातों के लिए समायोजित उत्पादन के मूल्य पर आधारित हैं। डब्ल्यूपीआई समूह में सेवाएं शामिल नहीं की गई हैं। डब्ल्यूपीआई 2004-05 और डब्ल्यूपीआई 2011-12 के बीच भारांश, मंदों की संख्या और कोटेशनों में हुए बड़े परिवर्तन सारणी 4 में दिए गए हैं।

नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला (2011-12) में संकल्पना, कवरेज और कार्य-विधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। मद समूहों में संशोधन करके नई मंदों को शामिल और पुरानी मंदों को बाहर किया गया है ताकि इसके जरिए अर्थव्यवस्था में हुए ढांचागत परिवर्तनों को परिलक्षित किया जा सके। नवीन डब्ल्यूपीआई समूह में मंदों की संख्या बढ़ाई गई है और विभिन्न समूहों की कीमत कोटेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं ताकि व्यापक कवरेज और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

सारणी 4. भारांश, मंदों की संख्या तथा कोटेशनों की संख्या का तुलनात्मक विवरण

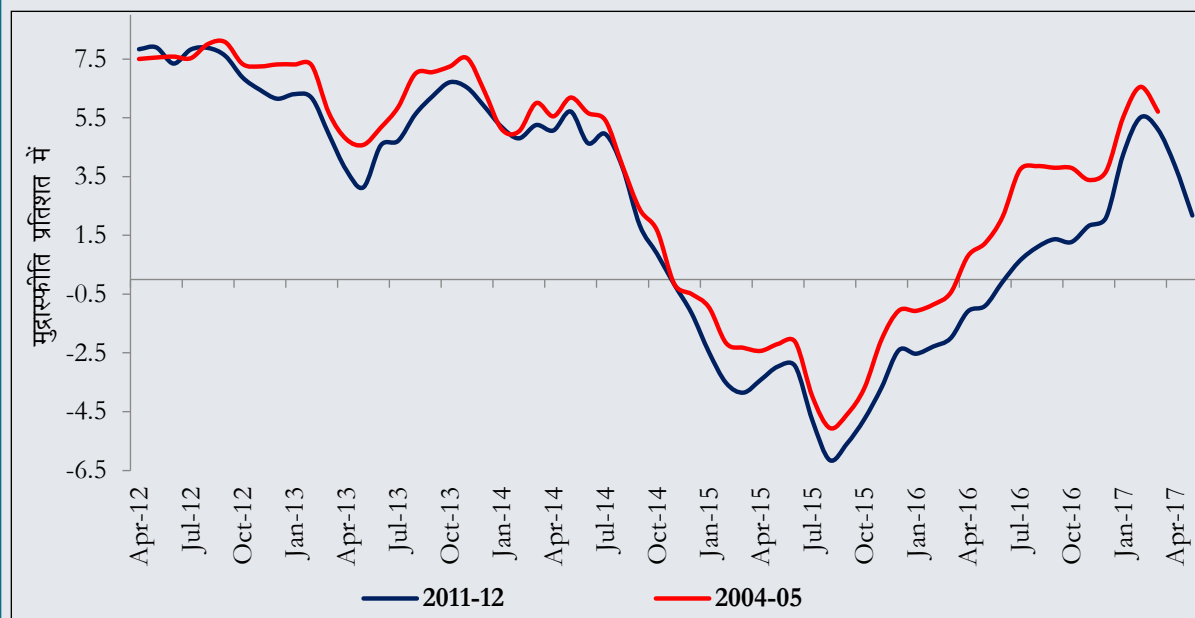
प्रमुख समूह/समूह	भारांश		मंदों की संख्या		कोटेशनों की संख्या	
	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12
सभी वस्तुएं	100	100	676	697	5482	8331
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	22.62	102	117	579	983
ईंधन और विद्युत	14.91	13.15	19	16	72	442
विनिर्मित उत्पाद	64.97	64.23	555	564	4831	6906

नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संकल्पनात्मक और कार्य-विधि संबंधी परिवर्तन किए गए हैं:

- संकलन के लिए इस्तेमाल कीमतों में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है, ताकि राजकोषीय नीति का असर हटाया जा सके। यह श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों के अनुरूप है और यह नई डब्ल्यूपीआई को संकल्पना की दृष्टि से “उत्पादक कीमत सूचकांक” के अधिक नजदीक ले आता है। इसके लिए जीएसटी कार्यान्वित हो जाने के बाद कीमत संग्रहण में परिवर्तन किए जाने की भी जरूरत नहीं होगी।
- नई श्रृंखला में “डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक” संकलित करने का भी प्रावधान है। यह सूचकांक खाद्य मदों और विनिर्मित खाद्य उत्पादों के सूचकांकों को मिलाकर संकलित किया जाता है। यह सूचकांक और सीएसओ द्वारा प्रकाशित सीपीआई खाद्य कीमत सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति को कारगर ढंग से मानीटर करने में मदद करेगा।
- नई डब्ल्यूपीआई के लिए मद स्तर के सकल समंक श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों का पालन करते हुए ज्यामितीय औसत (जीएम) को इस्तेमाल करके संकलित किए गए हैं तथा इस समय अखिल भारतीय सीपीआई के संकलन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ज्यामितीय औसत को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह अधिकतर स्वतः सिद्ध परीक्षाओं से गुजरता है, जैसेकि समय-परिवर्तन जांच इत्यादि और इस परिवर्तन द्वारा इस श्रृंखला में असंतुलों को कम किए जाने की संभावना है।
- फलों और सब्जियों से जुड़े मौसमी कारकों की अधिक महीनों तक व्याप्ति के लिए अद्यतित किया गया है क्योंकि अब ये मदें लंबी अवधि के लिए उपलब्ध होती हैं। इस समूह में इन मदों का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रकार के फलों और सब्जियों को शामिल किया गया है।
- विनिर्मित उत्पादों में दो अंकीय समूहों की संख्या एनआईसी-2008 के अनुरूप रखते हुए 12 से बढ़ाकर 22 कर दी गई है।
- अर्थव्यवस्था के बदलते ढांचे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पहली बार एक उच्च स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति गठित की गई है जो गतिशील समीक्षा का कार्य करेगी।

जैसाकि चित्र 21 में दर्शाया गया है, दोनों श्रृंखलाओं पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति अनुमान साथ-साथ चल रहे हैं और उनमें कोई बड़ा विचलन नहीं दिखायी देता, सिवाय इसके कि नई श्रृंखला नए आधार के कारण यथाप्रत्याशित मुद्रास्फीति के अपेक्षाकृत कम स्तर दिखा रही है।

चित्र 21. हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति (2011-12 श्रृंखला तथा 2004-05 श्रृंखला)



स्रोत: डीआईपीपी

IV. मुद्रास्फीति पर काबू पाने के प्रयास

4.23 सरकार कीमत स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करती है क्योंकि मुद्रास्फीति पर काबू पाने को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इन

उपायों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

- बजट 2017-18 में कीमत स्थिरीकरण कोष के लिए अधिक आवंटन, ताकि आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर दालों की कीमतों में व्याप्त अस्थिरता पर रोक लगायी जा सके।

- सरकार ने उपयुक्त बाजार दखल कार्रवाई के लिए 20 लाख टन दालों के सक्रिय बफर स्टॉक के निर्माण को मंजूरी दी है जिसमें से लगभग 18.75 लाख टन का बफर स्टॉक पहले ही बनाया जा चुका है।
- जनता को वाजिब दाम पर सीधे वितरण के लिए राज्यों/एजेंसियों को इस बफर स्टॉक में से सब्सिडीयुक्त दलनपूर्व दालों की पेशकश की गई थी।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दालों, प्याज, खाद्य तेल और खाद्य तिलहनों के संबंध में भंडारण सीमा लागू करने की शक्तियां दी गई हैं।
- काबुली चना तथा 10 हजार मीट्रिक टन तक ऑर्गेनिक दालों और मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।
- दालों का आयात शून्य आयात शुल्क पर करने की अनुमति दी गई है, इसमें तूर दाल को शामिल नहीं किया गया है, जिसके संबंध में 2016-17 में भारी उत्पादन को देखते हुए 10 प्रतिशत आयात शुल्क लागू किया गया है।
- सेबी ने सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए चने के संबंध में नई सविदाएं करने पर रोक लगा दी है।
- उच्च न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा की गई है ताकि अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और ऐसा करके खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके जिससे कीमतों को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।
- खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति 900 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात कीमत पर

केवल 5 किलोग्राम तक के ब्रॉन्डेड उपभोक्ता पैकों में ही करने की अनुमति दी गई है। इस प्रतिबंध में हाल ही में ढील दी गई है।

- दिसम्बर, 2016 तक आलू के संबंध में 360 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन न्यूनतम निर्यात कीमत लागू की गई थी।
- आलू, गेहूं और ताड़ तेल पर आयात शुल्क में कमी की गई है।
- चीनी के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।
- सट्टे बाजारी की प्रवृत्ति तथा संभावित जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए चीनी पर 28.10.2017 तक भण्डारण सीमा तथा टर्नओवर सीमा लागू की गई है।
- हाल ही में घरेलू बाजार में उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 500,000 टन अपरिष्कृत चीनी के निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

V. निष्कर्ष

4.24 वर्तमान में मुद्रास्फीति के कम स्तर पर बने रहने से इसके परिदृश्य में एक ऐसा ऐतिहासिक मौका सामने आया है जिससे कीमतों के स्थिर बने रहने का विश्वास उपजा है। 2016-17 के दौरान, सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई है तथा सभी प्रमुख वस्तु समूहों में कीमतों में व्यापक कमी देखी गई है। पिछले आठ महीनों के दौरान यह 4 प्रतिशत से कम के स्तर पर बनी हुई है। अंतर्निहित रुझानों की मापक-कोर मुद्रास्फीति में पिछले कुछ महीनों में गिरावट का रुझान प्रदर्शित हुआ है। सामान्य मानसून के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में भी पिछले कुछ महीनों के दौरान तेजी से कमी आयी है।

जलवायु परिवर्तन, धारणीय विकास और ऊर्जा

05

अध्याय

भुखमरी और गरीबी से मुक्त सतत विकास के लिए रूप रेखा तैयार करना; इसके साथ-साथ सस्ती संपोषणीय ऊर्जा की आपूर्ति (हरेक भारतीय ग्रिड से जुड़ा हो) इन्हीं व्यापक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए भारत को प्रयास करना है। शीर्ष राजनैतिक स्तर पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति की गई भारत की प्रतिबद्धता धारणीय विकास के लक्ष्यों तथा अधिक स्वच्छ, हरित कोयला और अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा पर निर्भरता बरकरार रखने के लिए वैश्विक मार्ग दर्शाती है। भारत ने जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति अपनी अनुक्रिया को भिन्न-भिन्न दायित्वों के सिद्धांतों के अनुसार और जीडीपी की उत्सर्जन गहनता को 2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक 33-35 प्रतिशत कम करने का “पेरिस संकल्प” करके राष्ट्रीय पारिस्थितियों के आलोक में अन्तरराष्ट्रीय सहायता, कम कार्बन उत्सर्जित करने वाले और जलवायु अनुकूल विकास के लिए काफी हद तक मार्ग प्रशस्त कर सकती है। भारत भी नवीकरणीय और पारंपरिक स्रोतों में धारणीय ऊर्जा एवं जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास अभियोजन और वाणिज्यीकरण के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की आशा रखता है।

प्रस्तावना

5.1 महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, “ऐसा समय आ रहा है कि जब वे लोग जो आज अपनी ज़रूरतों को बढ़ाने की अन्धी दौड़ में लगे हैं और बड़े अभिमान से यह सोच रहे हैं कि वे दुनिया के लिए वास्तव में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और इसके वास्तविक ज्ञान में इज़ाफा कर रहे हैं, वही लोग अपने कदम पीछे हटा लेंगे और कहेंगे: “यह हमने क्या कर दिया?” यह उचित ही था कि शांतिदूत और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने वाले उस महात्मा की जयंती, 2 अक्टूबर, 2016, को भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस करार का अनुमोदन किया। आज तक, 153 पक्षकार पेरिस करार का अनुमोदन कर चुके हैं। वर्ष 2020 से पहले की अवधि में, भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक, हमारे जीडीपी की उत्सर्जन गहनता में, 2005 के स्तरों की तुलना में 20-25 प्रतिशत की कमी करने की स्वैच्छिक शपथ को पूरा किया

जाए, और यह लक्ष्य पूरा करने की ओर हम अग्रसर हैं। यूएनएफसीसीसी को भेजी गई भारत की पहली द्वि वार्षिक अपडेट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2005 और 2010 के बीच भारत के जीडीपी की उत्सर्जन गहनता में 12 प्रतिशत की कमी की गई है। यह उपलब्धि जलवायु परिवर्तन और धारणीय विकास को लेकर उठे सरोकारों का समाधान करने के लिए किए गए अनेक नीतिगत उपायों को अपनाने के चलते संभव हो पाया है। एक ज़िम्मेदार देश होने के नाते भारत ने अपनी वचनबद्धताएं पूरी की हैं और यह वर्ष 2020 तक जलवायु से जुड़े अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और कार्यों को अंजाम देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

5.2 वर्ष 2020 के बाद की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में भारत द्वारा की जाने वाली कार्य योजना दी गई है। भारत का एनडीसी लक्ष्य 2030 तक भारत में 2005 के स्तर की तुलना में

जीडीपी की उत्सर्जन गहनता 33 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक कम करने का और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन की क्षमता की संस्थापित विद्युत क्षमता 40 प्रतिशत करना और 2030 तक अतिरिक्त वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र बढ़ाने के जरिए अतिरिक्त (संचयी) कार्बन 2.5 से 3 GgCO₂e कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

5.3 बहुपक्षीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय “पेरिस नियम पुस्तक” लिखने में लगा है, जिसमें कार्यों और सहायता के लिए पारदर्शी ढांचे के लिए पेरिस करार के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश एवं कार्यविधि विशेषताएं और एनडीसी की जिम्मेदारी आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन समिति और छह उप-समितियों का गठन करके भारत के एनडीसी के कार्यान्वयन की योजना बनाई जा रही है। समितियां, अपने संबंधित एनडीसी लक्ष्यों की विस्तृत व्याख्या करने और विशिष्ट नीतियों की पहचान करने तथा उन्हें हासिल करने के लक्ष्यों पर कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ सितंबर 2015 में वैश्विक समुदाय धारणीय विकास लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध है जैसाकि संयुक्त राष्ट्र संकल्प, “हमारे विश्व को बदलना: धारणीय विकास के लिए 2030 का एजेन्डा” में विस्तृत उल्लेख किया गया है। 17 एसडीजी के 169 संबंधित लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक हासिल करना है और इनसे मानव की बेहतर खुशहाली के वृहत्तर लक्ष्य के लिए विकास के कार्यों को सुव्यवस्थित करने एवं दुरुस्त करने में सहायता मिल सकती है। सभी धारणीय लक्ष्यों, विशेषकर 1: सर्वत्र गरीबी के सभी रूपों के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए किफायती, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। अतः लक्ष्य संख्या 7 “सबके लिए किफायती, भरोसेमंद, धारणीय और आधुनिक ऊर्जा की सुलभता”—हमारे सामने प्रत्येक प्रमुख चुनौति का केन्द्र बिंदु है। धारणीय विकास एजेंडा की सुपुर्दगी के लिए ऊर्जा का स्वच्छ होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

5.4 30 नवम्बर, 2015 को भारत की पहल से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांकोइस होल्लैंडे द्वारा पेरिस में यूएनएफसीसीसी की

पक्षकारों के 21वें सम्मेलन में संयुक्त रूप से शुरू किया गया। आईएसए को विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में देखा गया, जिसमें सभी संभावित सदस्य देशों द्वारा सौर ऊर्जा पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित किया गया, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और विषुव रेखा के बीच में स्थित हैं, जिनमें संसाधनों की भरमार है, उन्हें समन्वित अनुसंधान कम लागत के वित्त पोषण और त्वरित विकास के लिए एक साथ मिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गठबंधन के तहत संयुक्त प्रयासों में नवोन्मेषी नीतियां, परियोजनाएं, कार्यक्रम, क्षमता निर्माण के उपाय और 2030 तक 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर का निवेश जुटाने के लिए वित्तीय लिखत शामिल हैं। गुड़गांव, हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में आईएसए मुख्यालय की आधार शिला रखी गई। भारत आईएसए को प्रचालनरत करने की अपेक्षित सहायता देने के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है।

5.5 2020 के बाद की अवधि में पेरिस करार में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई करने के लिए बहुपक्षीय रूपरेखा निर्धारित की गई है। इसमें माना गया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाऊस गैसों के संचयी ऐतिहासिक स्टॉक के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं और इसलिए उन्हें जलवायु संबंधी कार्य करने में आगे रहना है और न्यूनीकरण एवं अनुकूलन दोनों के संबंध में विकासशील देशों को वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और क्षमता निर्माण में सहायता भी देना है। यह महत्वपूर्ण होगा कि यूएनएफसीसीसी और पेरिस करार इस तथ्य को तवज्जो देते रहें कि विकासशील देश विशिष्ट रूप से असुरक्षित हैं, विशेष परिस्थितियां और गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा की सुलभता आदि जैसी विकास की प्राथमिकताएं हैं। काफी मात्रा में जलवायु वित्त साधनों की भी आवश्यकता होगी जैसा कि भारत के एनडीसी में दर्शाया गया है, जो स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि एनडीसी के कारगर कार्यान्वयन के लिए विकासशील देशों हेतु कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

5.6 एक प्रमुख घटनाक्रम 1 जून, 2017 को संयुक्त राज्य द्वारा पेरिस करार से अलग होने की अपनी मंशा की घोषणा करना रहा है। पेरिस करार के तहत यूएसए द्वारा चुना गया लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में 2025

तक 26 से 28 प्रतिशत उत्सर्जन कम करना है। इस घोषणा को पिछले कुछ वर्षों में अपनी खुद की घरेलू ऊर्जा नीतियों के स्पष्टीकरण के रूप में देखा जाता है। तथापि, औपचारिक रूप से अलग होने तक (इसमें अभी तीन वर्ष का समय लगेगा) यूएसए पेरिस करार का सदस्य बना रहेगा। आज की तारीख में 153 देशों ने अनुसमर्थन किया, इसमें लगभग 85 प्रतिशत उत्सर्जन शामिल है। यूएसए में लगभग 18 प्रतिशत उत्सर्जन है इसलिए इसके अलग होने से पेरिस करार की 55 प्रतिशत आरंभिक संख्या प्रभावित नहीं होती है। जहां तक भारत का प्रश्न है, इसने उच्चतम राजनैतिक स्तर पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की है। भारत ने अपने आप को वैश्विक धारणीयता के अग्रणी के रूप में ला खड़ा किया है, यह स्वच्छतर ऊर्जा का व्यापक समर्थन करता है। हमें युक्तिसंगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो पर्यावरण, जलवायु, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन रखे। हमें, समावेशी आर्थिक विकास को ईंधन देने के लिए स्वच्छ कोयला, नवीकरणीय और प्राकृतिक गैस सहित ऊर्जा के स्वच्छ रूपों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रोफाइल

5.7 जनवरी 2016 को जारी भारत की द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) के अनुसार वर्ष 2010 में भारत में 2,136,841.24 जीजी (जिगा ग्राम) कार्बनडाईऑक्साइड (2.136 मिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड के समतुल्य) का उत्सर्जन ऊर्जा औद्योगिक प्रसंस्करणों और उत्पाद उपयोग, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्र (भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी को छोड़कर) से हुआ (सारणी-1)। वर्ष 2010 में, जिसके लिए तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत का उत्सर्जन चीन (11.2 बिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड के समतुल्य), संयुक्त राज्य अमेरिका (6.7 बिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड के समतुल्य) यूरोपीय संघ (4.8 बिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड के समतुल्य) और ब्राजील (2.9 बिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड के समतुल्य) से कम है।

वर्तमान ऊर्जा सम्मिश्र

5.8 देश के ऊर्जा सम्मिश्र में, कोयले से कुल प्राथमिक ऊर्जा की लगभग 55 प्रतिशत आपूर्ति होती है, इसके बाद तेल से 30 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस से 9 प्रतिशत का स्थान है। कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का केवल 2 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। विद्युत

सारणी 1. पिछले वर्षों में भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रोफाइल

क्षेत्र	1994		2000		2005		2010	
	उत्सर्जन	अंश प्रतिशत	उत्सर्जन	अंश प्रतिशत	उत्सर्जन	अंश प्रतिशत	उत्सर्जन	अंश प्रतिशत
ऊर्जा	7,43,820	62	10,27,016	67	12,10,384	69	15,10,121	71
औद्योगिक प्रसंस्करण और उत्पाद उपयोग	1,02,710	7	88,608	6	1,24,017	7	1,71,503	8
कृषि	3,44,485	29	3,55,600	23	3,60,313	21	3,90,165	18
एल्यूमीनियम	14,292	-	-2,22,567	-	-2,78,721	-	-2,52,532	-
अपशिष्ट	23,333	2	52,552	4	62,638	4	65,052	3
जोड़ (एल्यूमीनियम को छोड़कर)	12,14,248		15,23,777		17,57,352		21,36,841	
कुल (निवल उत्सर्जन)	12,28,540		13,01,209		14,78,632		18,84,309	

सभी मान Gg CO₂e में हैं; 1 Gg = 10⁹g = 1000 t

स्रोत: भारत की प्रथम द्विवार्षिक अद्यतित रिपोर्ट

क्षेत्र के अंतर्गत, भारत में ताप विद्युत (विशेषकर कोयला) का हिस्सा कुल संस्थापित क्षमता में सबसे अधिक है (चित्र: 1) कोयला आधारित ताप विद्युत का 327 जीडब्ल्यू कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 57 प्रतिशत योगदान है, जबकि संस्थापित क्षमता का 18 प्रतिशत अंश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आता है। 57 जीडब्ल्यू कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संस्थापित क्षमता में से लगभग 56 प्रतिशत योगदान पवन विद्युत का है।

5.9 इसके साथ देश में 2014-15 के दौरान बिजली उत्पादन में समग्र वृद्धि 1173.5 बीयू. से 2015-16 के दौरान 1173.6 बीयू. और 2016-17 के दौरान 1242 बीयू. दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान श्रेणीवार उत्पादन के प्रदर्शन सारणी-2 में निम्नानुसार हैं:

सारणी 2: श्रेणीवार बिजली उत्पादन का निष्पादन 2016-17

ताप	वृद्धि हुई	5.3 प्रतिशत
जल	कमी हुई	0.8 प्रतिशत
नाभिकीय	वृद्धि हुई	1.3 प्रतिशत
नवीकरणीय	वृद्धि हुई	24.5 प्रतिशत

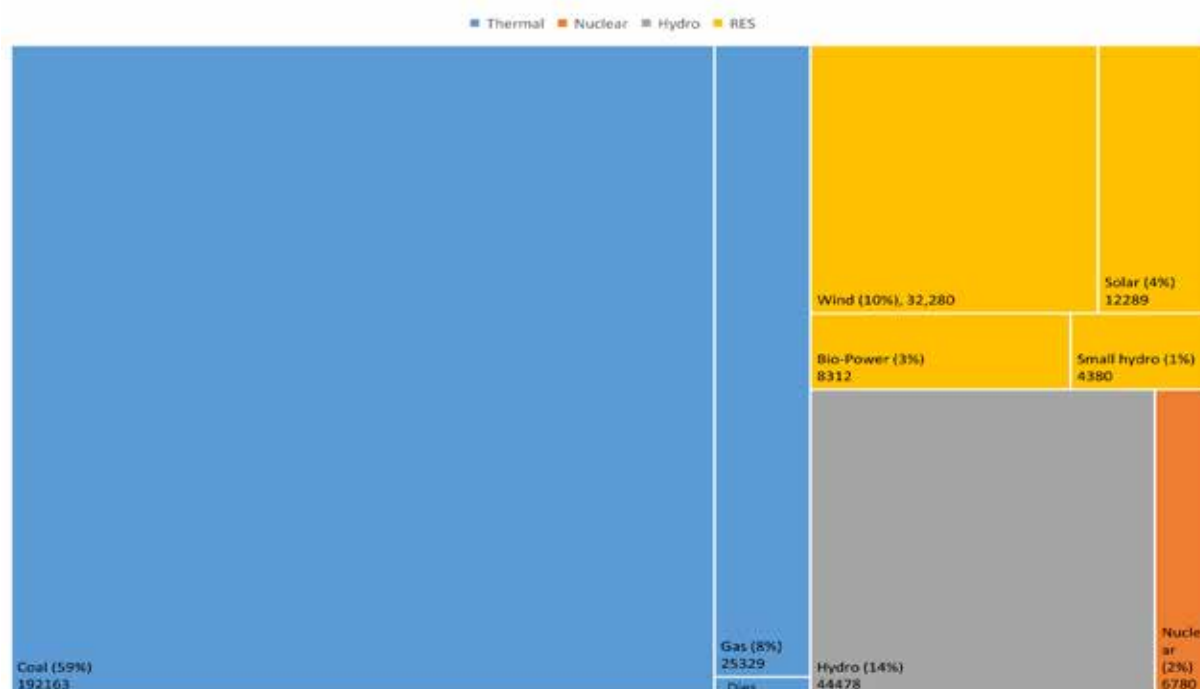
स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

भावी बिजली पारेषण परिदृश्य

5.10 जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपना महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, भारत विश्व में सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 2022 तक 175 जीडब्ल्यू वृद्धि की आशा करता है। इसमें सौर ऊर्जा से 100 जीडब्ल्यू, पवन से 60 जीडब्ल्यू, बायोमास से 10 जीडब्ल्यू और लघु पन बिजली क्षमता से 5 जीडब्ल्यू शामिल है।

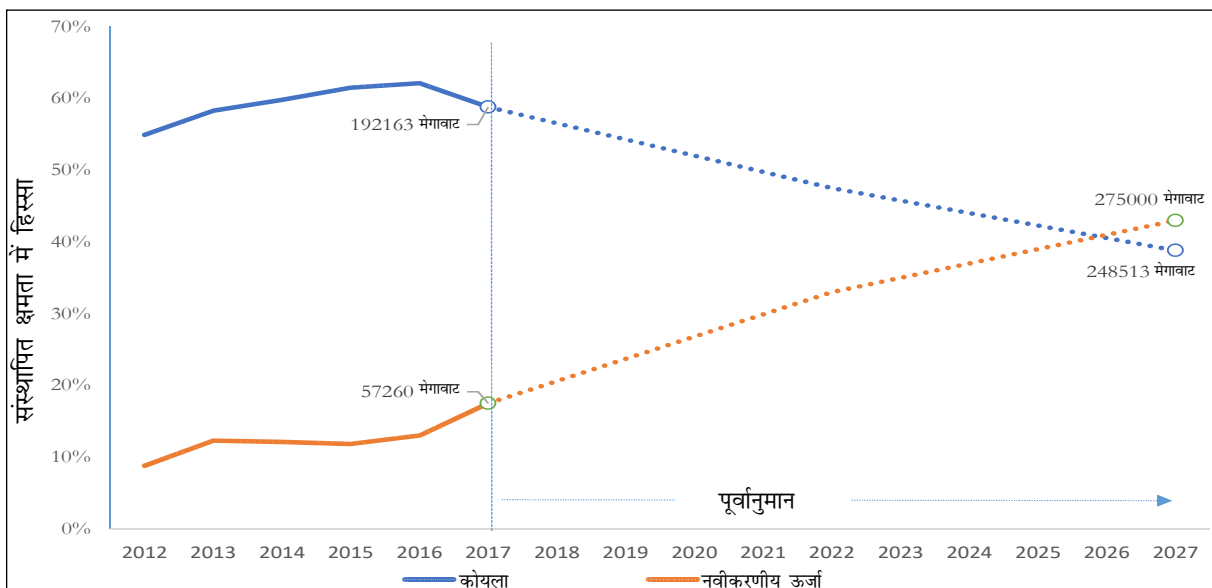
5.11 मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किए गए पूर्वानुमान (2016) में दर्शाया गया है कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में क्षमता वृद्धि 2017 और 2022 के बीच लगभग 50 जीडब्ल्यू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त इन पूर्वानुमानों के अनुसार कोयला आधारित विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता में 2022 से 2027 की अवधि में और वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, इस परिदृश्य में कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2027 में लगभग 43 प्रतिशत बढ़ सकता है। (चित्र 2)।

चित्र 1. संस्थापित विद्युत क्षमता (मेगावाट)



स्रोत: 31 मार्च, 2017 को केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण

चित्र 2. विद्युत सम्मिश्र पूर्वानुमान: संस्थापित क्षमता में कोयला और नवीकरणीय



स्रोत: 2013 से 2017 वर्षों के लिए मार्च की सीईए की मासिक रिपोर्टों से ऐतिहासिक संस्थापित क्षमता और सीईए (2016) से कोयला और नवीकरणीय के लिए संस्थापित क्षमता का पूर्वानुमान।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा

5.12 भारत विकास की जिस अवस्था में है वहां से इसे तीव्र दर से विकास करने एवं बड़ी संख्या में अपने नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की आवश्यकता है। जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए ऊर्जा से वंचित रहने का स्तर बहुत अधिक है। एसडीजी 7 का लक्ष्य सबके लिए किफायती, भरोसेमंद, धारणीय और आधुनिक ऊर्जा की सुलभता सुनिश्चित करना है। ऊर्जा सुलभ कराने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ऊर्जा की सुलभता विभिन्न अन्य आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्यों के साथ गुंथा हुआ है, जैसाकि गरीबी, स्वास्थ्य निवारण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, संचार संरचना की व्यवस्था और अन्य के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना।

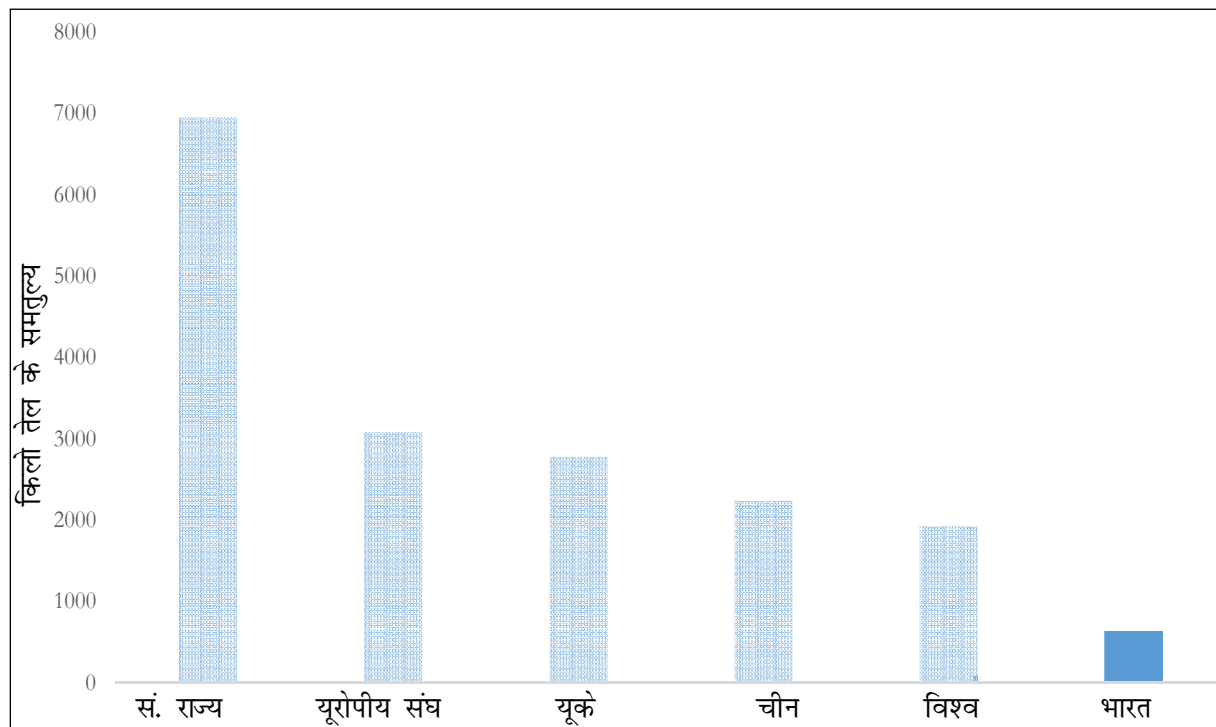
5.13 भारत, विश्व का एक तेजी से उभरता हुआ देश है। यह आय की त्वरित वृद्धि ऊर्जा की मांग में वृद्धि से सह-संबंधित है। तथापि, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वैश्विक औसत की एक तिहाई बनी हुई है और संयुक्त राज्य के उपभोग का मात्र ग्यारहवां हिस्सा है। (चित्र 3) (ओईसीडी/आईईए, 2015)।

5.14 इसके अलावा, ऊर्जा से वंचित रहने के साथ-साथ जुड़ा एक प्रश्न ऊर्जा के बेहतर रूप की सुलभता न

होना भी है। भारत में परिवारों द्वारा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के प्रकार के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश परिवार खाना पकाने के ईंधन के रूप में अभी तक जलावन की लकड़ी पर निर्भर रहते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लगभग 49 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए जलावन लकड़ी का उपयोग अभी तक कर रहे हैं जबकि केवल 29 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए एलपीजी या पीएनजी का उपयोग करते हैं (चित्र 4)। राज्यों के बीच तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि अधिकांश राज्यों में खाना पकाने के ईंधन में जलावन लकड़ी का उपयोग करते हैं (चित्र 5) जबकि एलपीजी/पीएनजी प्रयोक्ताओं का प्रतिशत 30 से कम है (चित्र 6)।

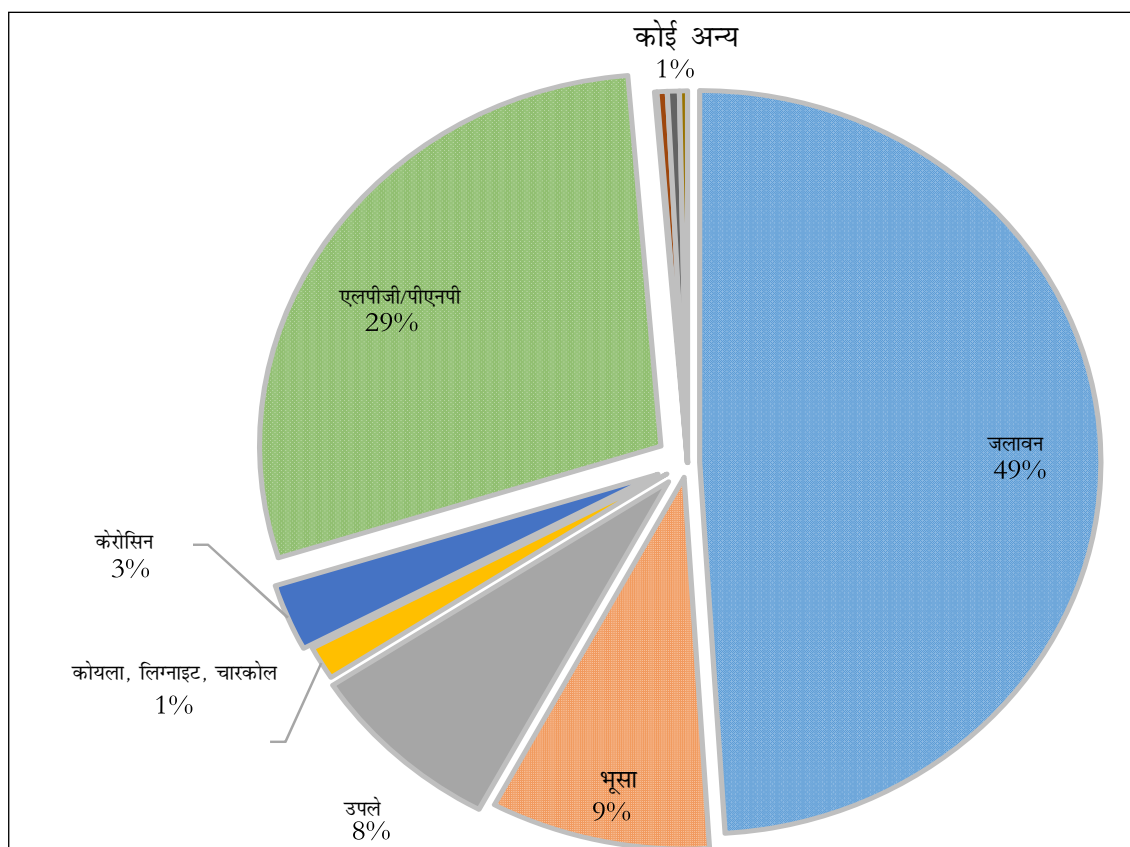
5.15 यह दर्शाता है कि गरीबों के लिए अधिक सुदक्ष ऊर्जा की सुलभता और अधिक बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए, जो कि खाने पकाने के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करने के कारण घर के भीतर वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावित होते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे उपाय का लक्ष्य 2018-19 तक लगभग 50 मिलियन एलपीजी सिलेण्डरों का वितरण करना है। सरकार ने अब 2020 तक 80 मिलियन एलपीजी

चित्र 3. चुनिंदा देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत



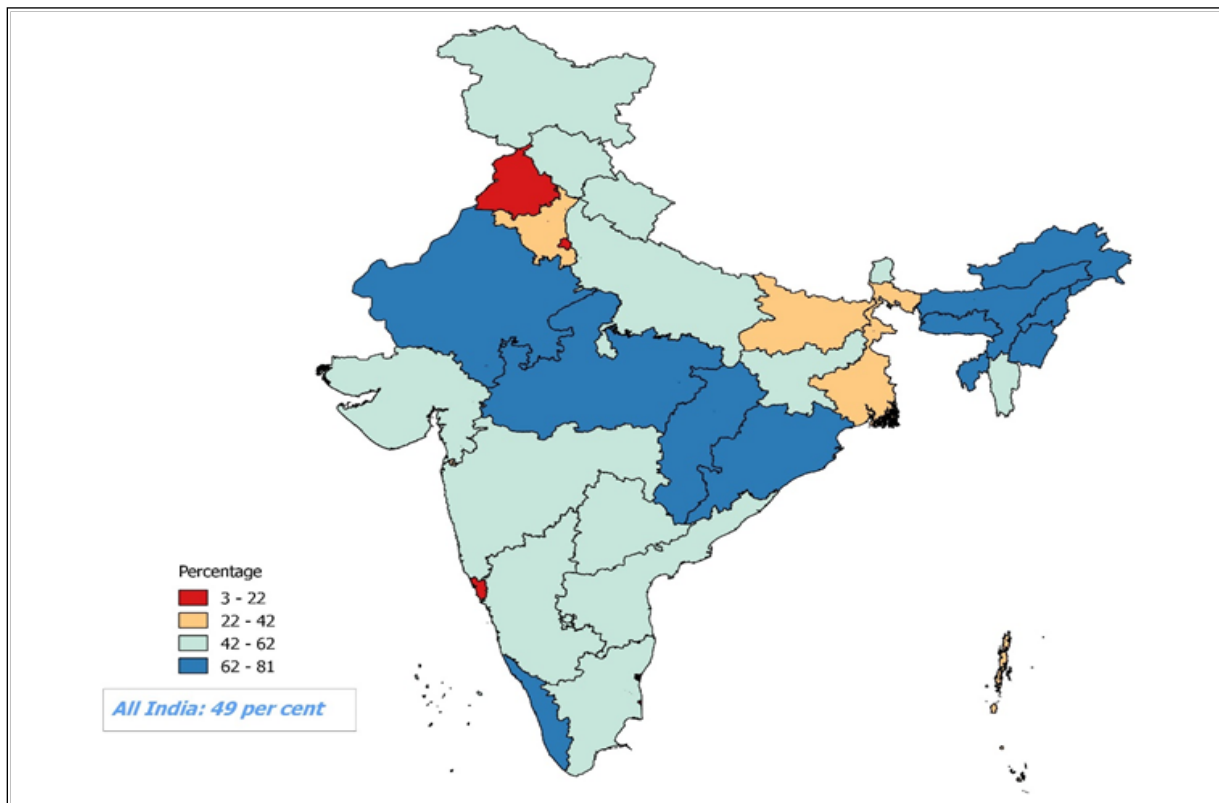
स्रोत: विश्व बैंक

चित्र 4. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के प्रकार



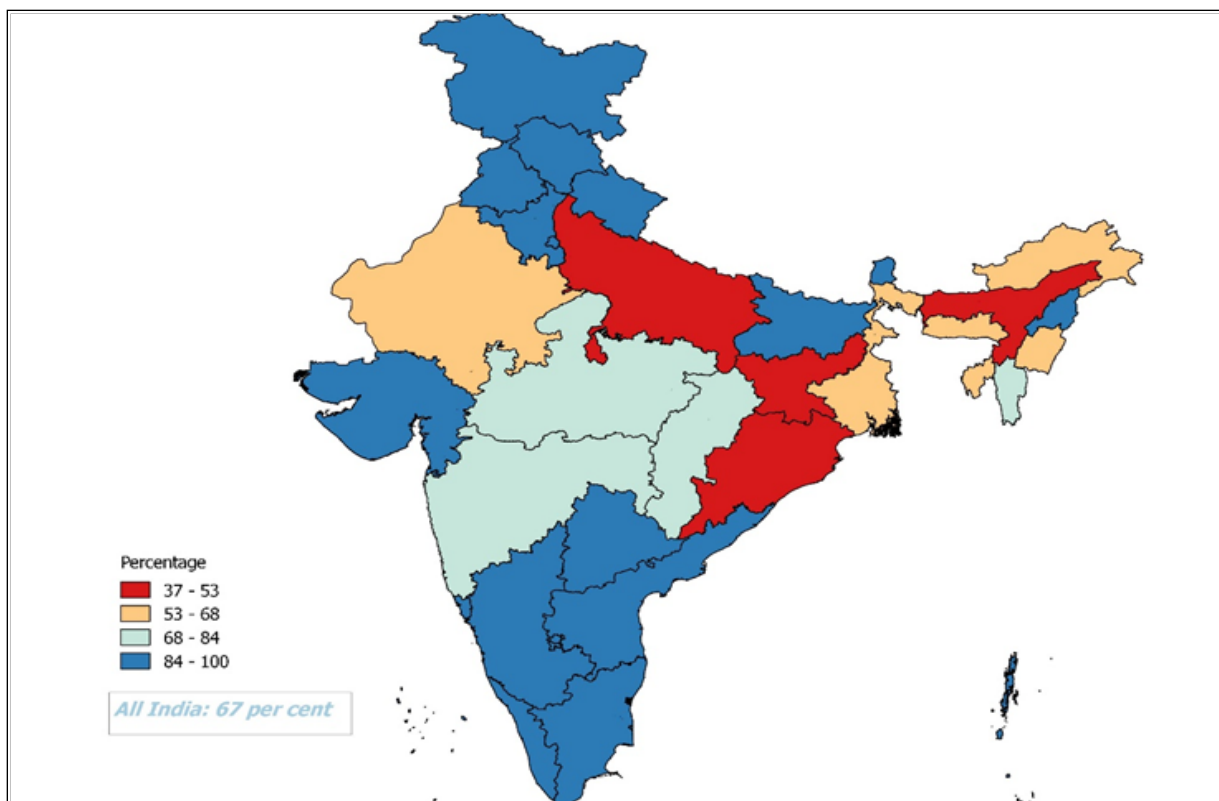
स्रोत: जनगणना 2011

चित्र 5. खाना पकाने के लिए जलावन लकड़ी का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत



स्रोत: जनगणना 2011

चित्र 6. प्रकाश के लिए बिजली का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत



स्रोत: जनगणना 2011

कनेक्शन देने के लिए स्कीम का विस्तार किया है सरकार अन्य पहल भी करने वाली है जैसा कि “उज्ज्वला प्लस”, जो वंचित लोगों की खाना पकाने की आवश्यकता की पूर्ति करेगी जिन्हें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडियों का प्रत्यक्ष अंतरण करने के लिए पहले स्कीम शुरू की गई थी। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत पहले 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करके 2022 तक सबके लिए बिजली के लक्ष्य को हासिल करने हेतु प्रमुख माध्यम के रूप में शुरू की गई थी।

5.16 भारत की समस्त जनता के लिए पर्याप्त और किफायती ऊर्जा सुलभता सुनिश्चित करते हुए इसकी धारणीयता बनाए रखना भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता है। माननीय प्रधान मंत्री ने ऊर्जा की धारणीयता को पावन कर्तव्य माना है। और उन्होंने यह भी कहा है कि पिरामिड के नीचले स्तर तक आर्थिक विकास करने के परिणामों के लिए धारणीय स्थिर और उचित कीमत वाली ऊर्जा अनिवार्य है। उन्होंने ऊर्जा की सुलभता, ऊर्जा की दक्षता, ऊर्जा धारणीय और ऊर्जा सुरक्षा को हमारे ऊर्जा भविष्य के लिए चार स्तंभ के रूप में कल्पना की है।

कोयला आधारित विद्युत बनाम नवीकरणीय विद्युत की सामाजिक लागत का विश्लेषण

5.17 हालिया वर्षों में, पूरे विश्व में विद्युत उत्पादन के धारणीय स्रोत के रूप में नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बीच चुनाव को अर्थव्यवस्था पर प्रत्येक के प्रभाव का अच्छी तरह विश्लेषण पर आधारित होना है। विकल्पों की सामाजिक लागत की स्पष्ट प्रमात्रा समग्र आधार पर प्रत्येक विकल्प के गुण-अवगुणों को पहचानने का युक्ति संगत तरीका देती है। सर्वेक्षण के इस खंड में कोयला आधारित बिजली उत्पादन बनाम नवीकरणीय स्रोत आधारित (विशेषकर पवन और सौर) की कुल सामाजिक लागतों की पहचान करने का प्रयास किया गया है।

5.18 ये अनुमान टीईआरआई (टेरी) (2017) में विद्युत उत्पादन की संभावनाओं पर आधारित हैं। इस रिपोर्ट में

भावी बिजली परिदृश्य के लिए दो संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं। एक बहुत अधिक नवीकरणीय संभावना, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2022 में 175 जी डब्ल्यू बढ़ेगी और 2026 में और अधिक 275 जी डब्ल्यू हो जाएगी। दूसरी ओर “कम नवीकरणीय संभावना” है। यहां भण्डारण लागत- सहित सौर ऊर्जा की कीमतें सामान्य ग्रिड में प्रचलित कीमतों के समान बना पाने की चुनौतियाँ और अनिश्चितताएं भी ध्यान में रखी गई हैं। इसके अलावा मांग की दो संभावनाओं पर विचार किया गया है। पूर्वानुमानों में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन का अनुमान मांग पूर्वानुमानों तथा बिजली के विभिन्न स्रोतों के लिए संस्थापित क्षमता के पूर्वानुमानों पर आधारित है। मोटे तौर पर कोयला अथवा नवीकरणीय से उत्पन्न बिजली की सामाजिक लागत का अनुमान लगाने के लिए, हम उत्पादन की निजी लागत, भूमि की अवसर लागत, कार्बन का सामाजिक दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव तथा फंसी हुई आस्तियों के अन्तरपणन की लागत को देखते हैं।

(i) उत्पादन की निजी लागत

5.19 बिजली उत्पादन की लागत अनेक कारकों से प्रभावित होती है जैसाकि पवन ऊर्जा के लिए टरबाइन की लागत, सौर फोटो वोल्टेक के लिए पैनल की लागत जैसी उपस्कर लागत, भूमि की लागत, निर्माण लागत, जगह खाली कराने की, लागत क्षमता उपयोग कारक, पूंजी लागत। नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागतें हालिया वर्षों में तेजी से कम हो रही हैं। वैश्विक रूप से एसपीवी पैनल की कीमतें काफी गिर गई है। इसके परिणामस्वरूप एसपीवी से बिजली की स्तरीयकृत लागत 2010 और 2014 के बीच आधी हो गई है (इरेना 2014)। पवन विद्युत उत्पादन की लागत भी, यद्यपि धीमी गति से, परन्तु कम हो रही है।

5.20 भारत में भी यही प्रवृत्ति देखी गई है। चित्र 7 नीलामी प्रक्रिया की बोलियों में 2010 से हालिया सौर टैरिफ दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि भारत में सौर विद्युत टैरिफ पिछले दो वर्षों में गिरा है। मई 2017 में यह टैरिफ ऐतिहासिक रूप से निम्न रुपये 2.4 प्रति

किलो वाट पर आ गया है। एसपीवी पैनल की लागत आने वाले वर्षों में और कम हो सकती है।

(ii) कार्बन की सामाजिक लागत

5.21 कार्बन की सामाजिक लागत का आशय आर्थिक लागत या कार्बनडायऑक्साइड उत्सर्जन के अतिरिक्त यूनिट द्वारा प्रभावित आर्थिक कल्याण के काटा कृत मूल्य में हानि है। (नोर्थोस, 2017)। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन ईंधन के रूप में कोयले के दहन पर निर्भर करते हैं, अतः उत्सर्जन करते हैं, जो मानव और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का सान्द्रण बढ़ाते हैं। नोर्थोस (2017) में पाया गया कि 2010 के मूल्यों पर कार्बन की वैश्विक सामाजिक लागत वर्ष 2015 के लिए प्रति टन कार्बनडायऑक्साइड 31.2 डॉलर है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह प्रति टन कार्बन पर 51.6 डॉलर हो जाएगी। भारत के लिए कार्बन की सामाजिक लागत प्रति टन 2.9 अमरीकी डॉलर है।

(iii) स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

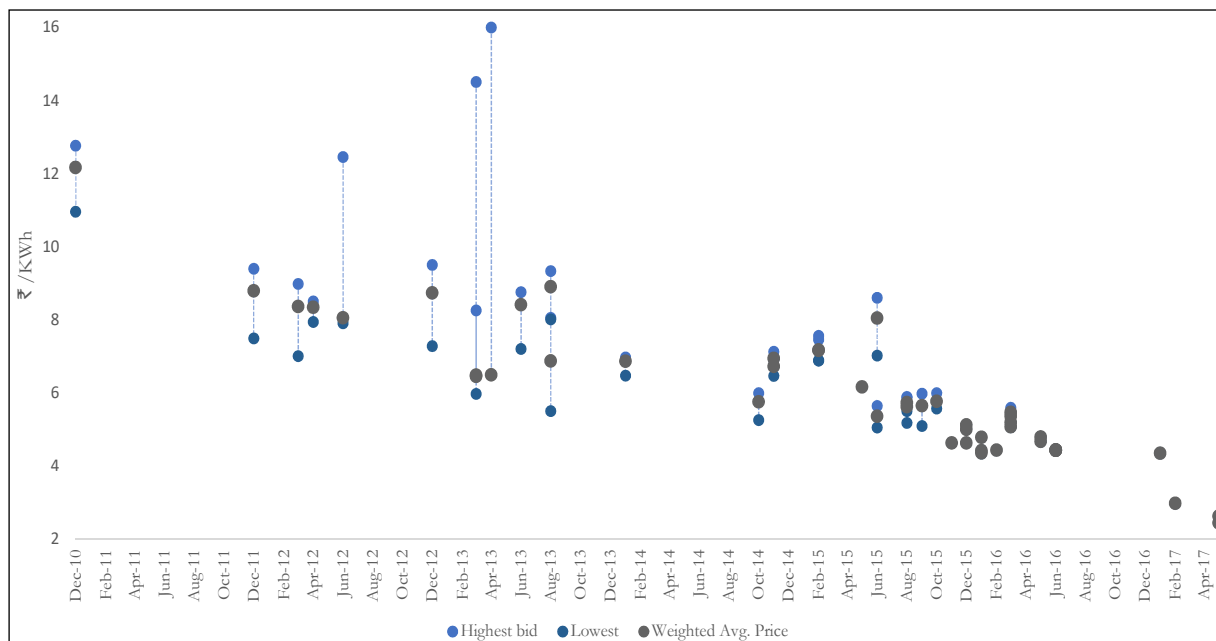
5.22 कोयला दहन का स्वास्थ्य पर प्रभाव, श्वसन

प्रणाली, हृदय संबंधी रोगों, तंत्रिका आदि पर दुष्प्रभाव के रूप में दृष्टिगत होता है। यह कोयले की खान में काम करने वालों के अलावा है, जिनके लिए दीर्घकालिक फेफड़े की सूजन और अन्य श्वासी रोगों का खतरा अधिक रहता है। कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण से संबंधित वार्षिक मृत्यु की अनुमानित संख्या लगभग 115000 है और कुल मौद्रिक लागत लगभग 4.6 बिलियन डॉलर¹ है।

(iv) बीच-बीच में रुकने का दुष्प्रभाव

5.23 पवन और सौर विद्युत गैर प्रेषणीय हैं। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा तभी उत्पन्न की जा सकती है जब हवा चलती है या उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलती है। बिजली प्रणाली को बिजली की मांग के पैटर्न के साथ समायोजन करना पड़ता है। इसलिए एकीकरण लागत होती है जो बिजली की स्तरीकृत अनुमानित लागत में शामिल नहीं होती है। इसके लिए कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्र जैसे अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होगी जो ऐसे समय में कमी की पूर्ति करेंगे जब नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही हो।

चित्र 7. भारत में सौर टैरिफ बोली: रूझान



स्रोत: सर्वेक्षण परिकलन

¹ <https://www.scientificamerican.com/article/coal-fired-power-in-india-may-cause-more-than-100000-premature-deaths-annually/>

बीच में आपूर्ति रुकने की इस समस्या का एक समाधान भण्डारण है। नवीकरणीय विद्युत उत्पादन की भावी लागत महत्वपूर्ण रूप से भण्डारण प्रौद्योगिकी के तरीकों और उनकी लागत कारगरता पर निर्भर करती है।

(v) भूमि की अवसर लागत

5.24 सौर और पवन प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने में एक बड़ी बाधा उनकी स्थापना हेतु भू-क्षेत्र की आवश्यकता है। कोयला विद्युत संयंत्र के लिए भूमि की आवश्यकता प्रायः 2023 एम2/मेगावाट होती है। इसकी तुलना में, सौर विद्युत के लिए भूमि की आवश्यकता 10 गुना होती है। सौर प्रौद्योगिकियों की क्षमता बढ़ने से भावी वर्षों में सौर के लिए भूमि की आवश्यकता कम रह जाएगी (मितावचन और श्रीनिवासन, 2012) भूमि को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित करने की लागत न केवल निवेशक द्वारा वहन की गई भूमि की निजी लागत है परन्तु उस भूमि की अवसर लागत भी है। यह वैकल्पिक उपयोग पर निर्भर होगा, जिसके लिए उस भूखण्ड विशेष का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) फंसी हुई आस्तियां

5.25 नवीकरणीय ऊर्जा की ओर से अग्रसर होने से पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में आस्तियों का कुछ भाग बेकार हो जाएगा या उनकी अधिकतम व्यवहार्य प्रौद्योगिकी क्षमता से कम स्तर पर उनका उपयोग किया जाएगा। इन संयंत्रों पर निवेश बर्बादी होने के कारण उनसे किसी भी प्रकार का प्रतिलाभ नहीं कमाया जा सकता जबकि उनकी उपयोगिता समाप्त नहीं होती है। हमारे अनुमानों में, इन फंसी हुई आस्तियों का खोये हुए राजस्व के रूप में अनुमान लगाया गया है क्योंकि कोयले से चलने वाली विद्युत उत्पादन आस्तियों के नवीकरणीय में परिवर्तन के फलस्वरूप कम उपयोग होने लगता है। आस्तियों के फंसे होने का प्रभाव बैंकिंग प्रणाली पर हो सकता है, यह इस क्षेत्र के साथ उनके निवेश पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में, जहां बैंकिंग प्रणाली पहले से ही फंसी हुई आस्तियों के संकट का सामना कर रही है, और आस्तियों को फंसाने का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। बिजली उत्पादन से संबंधित एनपीए अनुपात ₹473815

करोड़ के कुल अग्रिम (बकाया) के लगभग 5.9 प्रतिशत था। कोयला, क्षेत्र को दिया गया कुल अग्रिम ₹5732 करोड़ था, जिसका एनपीए अनुपात 19.8 प्रतिशत था।

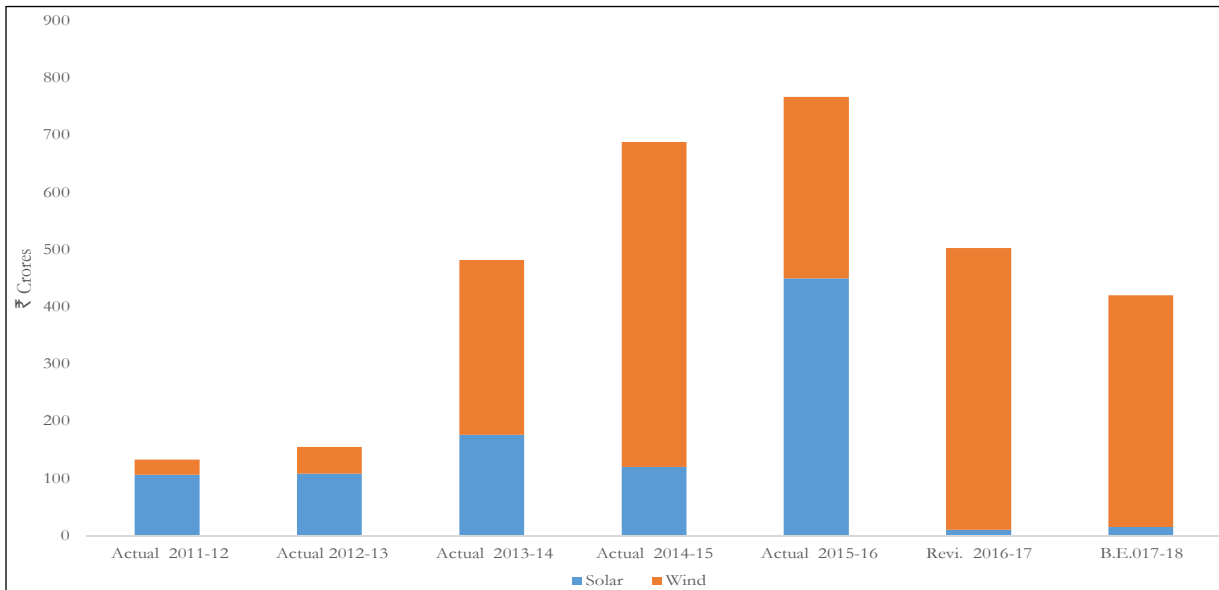
(vii) सरकारी प्रोत्साहन की लागत

5.26 भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेशों को प्रोत्साहित करने में सरकार की भूमिका उल्लेखनीय रही है। हाल ही में देखी गई कम टैरिफ आंशिक रूप से सरकारी सब्सिडी/कर छूट और अन्य प्रोत्साहनों का परिणाम है। वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान सौर एवं पवन ऊर्जा के लिए सब्सिडी हेतु ₹420 करोड़ आवंटन दर्शाते हैं (चित्र 8)। वर्ष 2015-16 में ₹106 करोड़ से बढ़कर ₹450 करोड़ करने के बाद सौर विद्युत में सब्सिडी 2016-17 और 2017-18 के ब.अ. में ₹10 करोड़ और ₹15 करोड़ घटी है। दूसरी ओर, हालिया वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा को दी जाने वाली कुल सब्सिडी में पवन ऊर्जा को काफी बड़ा हिस्सा मिल रहा है। बजट अनुमान 2017-18 में ₹420 करोड़ का आवंटन दर्शाते हैं (चित्र 8)।

परिणाम

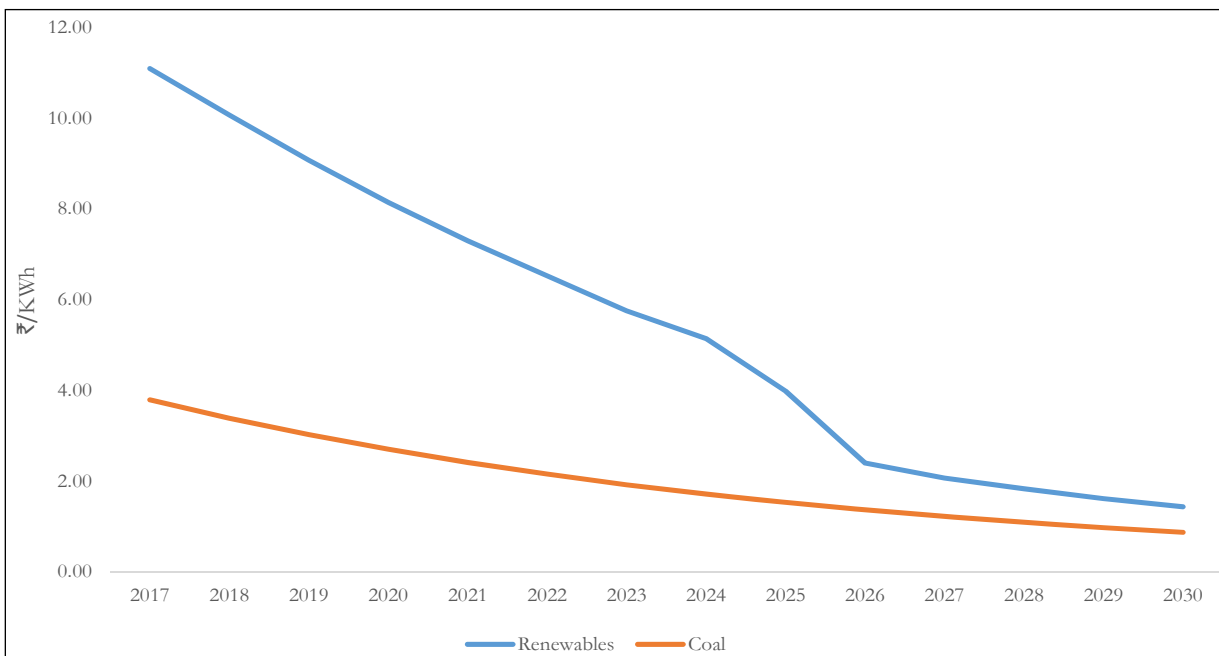
5.27 कोयला और नवीकरणीय की सामाजिक लागत के हमारे अनुमान दर्शाते हैं कि 2017 में कोयले की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा की सामाजिक लागत 11 रुपया प्रति किलोवाट पर 3 गुणा थी (चित्र 9)। जैसे जैसे हम 2030 की तरफ बढ़ते हैं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की सामाजिक लागत के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और कोयले की सामाजिक लागत के बीच अन्तर कम होता जाएगा। यह इसलिए कि कोयले में फंसी हुई आस्तियों और उत्पादन की निजी लागत, जो वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल सामाजिक लागत का लगभग 30 प्रतिशत बैठती है, वर्ष 2030 में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल सामाजिक लागत से लगभग 2.4 प्रतिशत कम हो जाएगी। फंसी हुई आस्तियों की समग्र लागत 2017 और 2030 के बीच नवीकरणीय ऊर्जा की भारी छूट के कारण है (चित्र 10)। यह दर्शाता है कि जबकि अपने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना महत्वपूर्ण है, ऐसे निवेश समाज को प्रोदभूत कुल लागत को परखते

चित्र 8. सौर एवं पवन विद्युत को सब्सिडियां



स्रोत: अनुदान की ब्यौरेवार मांगें, केन्द्रीय बजट

चित्र 9. कोयला की तुलना में नवीकरणीय विद्युत स्रोतों की सामाजिक लागत



स्रोत: सर्वेक्षण परिकलन

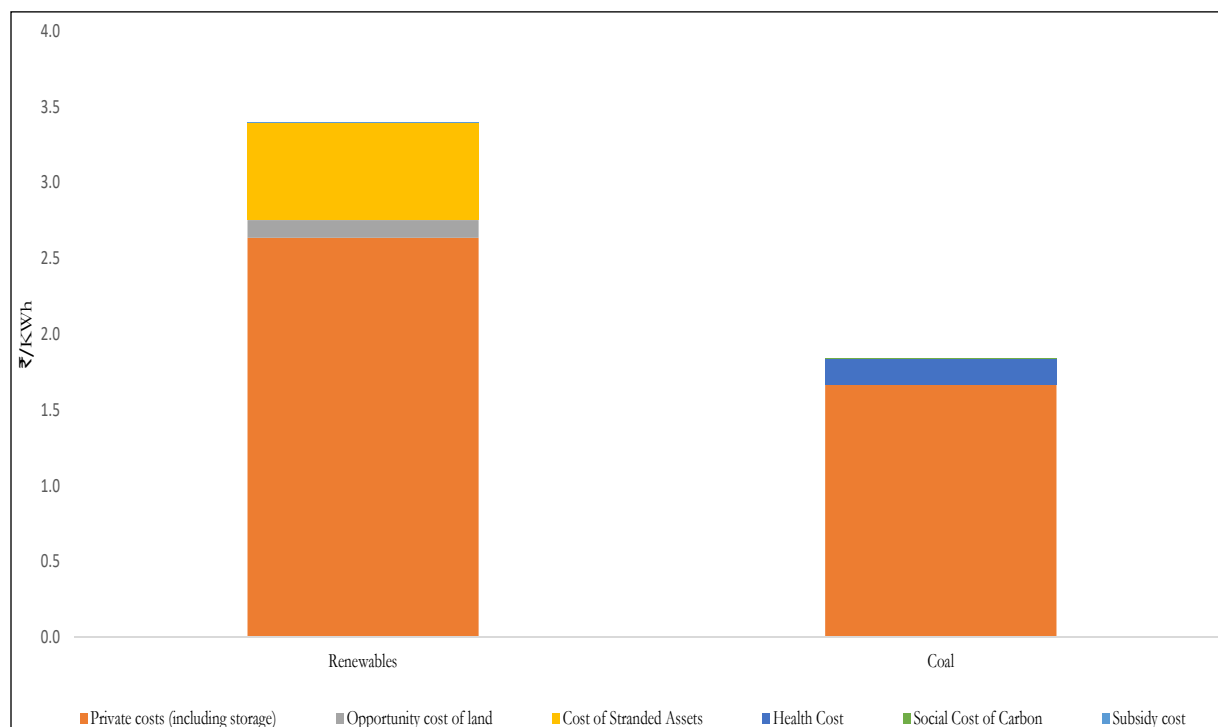
हुए अच्छी तरह से सोच-समझकर किया जाए। यह देखते हुए कि भारत के लिए पहला लक्ष्य अपनी आबादी को 100 प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करना है, और विकास घाटे के अन्तर को समाप्त करना है; सभी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने की आवश्यकता है। कोयला क्षेत्र को भावी प्रासंगिकता के संदर्भ में अपने व्यापार लक्ष्य में

संशोधन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन पर भारत के कार्य

5.28 जलवायु परिवर्तनों के प्रतिरोधक विकास और न्यूनतम उत्सर्जन के मान को सुनिश्चित करने के लिए

चित्र 10. नवीकरणीय एवं कोयला की सामाजिक लागत प्रति के डब्ल्यूएच (2017-2030)



स्रोत: सर्वेक्षण परिकलन

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक संकेद्वित कदम उठाए गए हैं। जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया था, भारत लगातार पूर्व 2020 स्वैच्छिक प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यों और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के साथ उप-राष्ट्रीय स्तर पर इसे दूसरे स्तर पर ले जाने से संभव हुआ है।

धारणीय विकास के लक्ष्य

5.29 जहां 17 धारणीय विकास के लक्ष्य और 169 संबंधित लक्ष्यों को वैश्विक तौर पर अपनाया गया है, हरेक देश को अपने लिए उपयुक्त संकेतकों का विकास करने की आजादी है। केन्द्र सरकार के स्तर पर, नीति आयोग को एसडीजी के क्रियान्वयन के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय संबंधित राष्ट्रीय संकेतकों को विकसित कर रहा है। नीति आयोग ने सरकारी पहलों पर नोडल केन्द्रीय मंत्रालयों के 17 लक्ष्यों, मुख्य में प्रमुख (मुख्य) सहित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और वैकल्पिक स्कीमों और

संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रत्येक मंत्रालय के 169 लक्ष्यों का भी पता लगाया है। कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी एस डी जी के और तेजी से क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों तथा उनके संबंधित विभागों के संबंधित लक्ष्यों तथा एस डी जी का इसी तरह पता लगाया है।

5.30 एस डी जी में हमारे राष्ट्रीय विकास एजेण्डे की झलक दिख जाती है और इसलिए कई सरकारी कार्यक्रमों और पहलों को पहले से ही एस डी जी से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, अधिक बजटीय आवंटन के जरिए उपरिसंरचना सृजित करके और गरीबी को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया है। विभिन्न उद्देश्यों और लक्ष्यों को आपस में पूरी तरह जोड़ा गया है इस प्रकार किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य पर बल देने से अन्य उद्देश्य और लक्ष्यों को भी पूरा कर लिया जाता है।

5.31 धारणीय विकास के लिए 2030 के एजेण्डे पर हस्ताक्षरकर्ता के नाते भारत नियमित रूप से एस डी जी की प्रगति की अंतरराष्ट्रीय समीक्षा में भाग लेने के लिए

प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 के एजेण्डे की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत और समीक्षा का केन्द्रीय मंच उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम है, जिसने यू एन की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ई सी ओ एस ओ सी) के तत्वाधान के अन्तर्गत 2016 से हर साल बैठकें आयोजित की है। एच एल पी एफ में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के एस डी जी के क्रियान्वयन पर अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। अतः वीएनआर, एसडीजी की प्रगति की अंतराष्ट्रीय समीक्षा के आधार के रूप में कार्य करता है। एच एल पी एफ द्वारा जुलाई 2017 की आगामी वार्षिक समीक्षा में भारत 44 देशों के साथ अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत करेगा।

5.32 भारत की हरित पहलें

1. **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी):** भारत सरकार जलवायु पर राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए कई कदम उठा रही है। जून, 2008 में जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई, जिसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं: जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय परिवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय धारणीय प्राकृतिक वास मिशन, राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र धारणीय मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सामरिक जानकारी मिशन। प्रत्येक मिशन एक मंत्रालय के अन्तर्गत चलाया जाता है जो इसको क्रियान्वित किए जाने के लिए जिम्मेदार होता है वही मंत्रालय इसकी बजटीय व्यवस्था तथा इस पर कार्य किए जाने की प्राथमिकता तय करता है।
2. **राष्ट्रीय हरित कोरीडोर कार्यक्रम:** नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति में उतार-चढ़ावों को दूर करने के लिए सरकार ने 2013 में एक राष्ट्रीय हरित कॉरीडोर कार्यक्रम की घोषणा की थी। भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन अन्तर-राज्य ट्रांसमिशन कॉरीडोर तैयार कर रहा है और राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता अन्तर-राज्य

ट्रांसमिशन अवसंरचना को स्थापित करने और सुदृढ़ करने के लिए उत्तरदायी है। हरित ऊर्जा कॉरीडोर के अन्तर्गत अन्तर-राज्य ट्रांसमिशन स्कीमों को राज्य सरकार की 20% इक्विटी, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण निधि से 40% अनुदान और 40% के उधार लक्ष्य से वित्तपोषित किया जाएगा। जबकि अन्तर-राज्य ट्रांसमिशन स्कीमों को पी जी सी आई एल की 30% इक्विटी और 70% के उधार लक्ष्यों से वित्तपोषित किया जाएगा। पी जी सी आई एल ने अनुमान लगाया है कि कॉरीडोर बनाने की लागत ₹380 बिलियन बैठती है। हरित कॉरीडोर की अन्तर राज्य ट्रांसमिशन परियोजना 2018 तक पूरी हो जाएगी।

3. **स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी हेतु आर एण्ड डी:** वर्ष 2016 में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने ₹1554 करोड़ की अनुमानित लागत पर, मिशन मोड पर थर्मल पावर प्लांट हेतु विकसित उन्नत अति सक्रिय (एडवांस यू एस सी) प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आर एण्ड डी परियोजना को अनुमोदित किया है।
4. **राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन:** सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय में धारणीय पर्यावरण और समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हरित कॉरीडोर को विकसित करने के लिए हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौन्दर्यीकरण तथा रख-रखाव) नीति 2015 लागू की है। इस नीति के संरक्षण अन्तर्गत हरित कॉरीडोर बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही तैयार, और भविष्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में अधिकृत रास्तों से अतिरिक्त उपलब्ध चौड़ी जगह को छायादार मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत को राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन को राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े एक लाख किलोमीटर के नेटवर्क में सड़क के किनारे वृक्षारोपण की योजना तैयार करने, क्रियान्वित करने और उस पर निगरानी का कार्य सौंपा गया है।
5. **हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्मित करना (फेम भारत):**

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के अन्तर्गत फेम इण्डिया स्कीम के तहत भारी उद्योग विभाग ने पहली अप्रैल 2015 से इस स्कीम को प्रारंभ करने से लेकर फरवरी 2017 तक 1, 11, 897 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहन खरीदने के लिए ₹127.8 करोड़ की अधिक मांग की है। पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार फरवरी, 2017 तक प्रायोगिक स्कीम के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों, बाइक पर 29000 रु० तक और कारों पर 1.4 लाख रुपए तक प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है।

6. **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण निधि (एनसीइइएफ):** वित्त विधेयक, 2010-11 के जरिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के निधियन, स्वच्छ ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने और उन्हें वित्तपोषित किए जाने के प्रयोजन से उत्पादित/आयातित कोयले पर उपकर (प्रदूषकों के मूल भुगतान) अथवा इससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एन सी इ एफ) नामक एक कोष बनाया गया था। तत्पश्चात् इस निधि में स्वच्छ पर्यावरण पहलों को भी शामिल करके इसके क्षेत्र को विस्तारित किया गया है। 22 जून 2010 से एक टन कोयले पर ₹50 कोयला उपकर संग्रहित किया गया जो बाद में कई बार बढ़ाया गया। वर्तमान में एक टन कोयले पर ₹400 उपकर लगाया गया है और केन्द्रीय बजट 2016-17 में इसे ही “स्वच्छ पर्यावरण उपकर” कहा गया है। तदनुसार एन सी इ एफ का नाम बदलकर ‘राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण निधि’ कर दिया गया है। तथापि, माल और सेवा कर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017, जिसे 12.04.17 को अधिसूचित किया गया है, इसमें उपबंधित है कि पान मसाला, तम्बाकू वातित पानी आदि पर कुछ अन्य उपकर के साथ-साथ कोयला उप कर जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में शामिल होंगे और इनका उपयोग जीएसटी को लागू करने के कारण संभावित हानि के लिए पांच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए किया जाएगा। पांच वर्षों के बाद बची

हुई किसी भी राशि केन्द्र और राज्यों के बीच 50 प्रतिशत के आधार पर बांट दी जाएगी। सारणी 3 में एन सी इ इ एफ परियोजनाओं का ब्यौरा स्पष्ट किया गया है।

भारत के पर्यानुकूलन कदम

5.33 एक राष्ट्र के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन पूर्णतः अनिवार्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अनुकूलन पर बहुत जोर देती है। 2015-16 और 2016-17 के लिए ₹350 करोड़ के कोष के साथ केन्द्रीय स्कीम के रूप में राष्ट्रीय अनुकूलन निधि सृजित की गई थी। कुल मिलाकर इस निधि का उद्देश्य अनुकूलन के ठोस क्रियाकलापों में सहयोग देना है जो समुदाय क्षेत्र और राज्य के सामने आ रहे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्र और राज्य सरकार की स्कीमों के जरिए चल रहे क्रिया कलापों में कवर नहीं होती। आज की तारीख तक, 21 अनुमोदित परियोजनाओं के लिए ₹212.3 करोड़ की कुल राशि मंजूर की गई है इस परियोजना की कुल लागत ₹432.7 करोड़ है और इसमें जल, कृषि और पशुपालन, वानिकी पारिस्थितिक तंत्र और जैविक वैविध्य आदि असुरक्षित क्षेत्रों को कवर किया गया है।

5.34 इस सन्दर्भ में बदलती जलवायु परिस्थितियों के तहत इसकी वहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड द्वारा जलवायु प्रतिरोधक क्षमता ग्रामीण उपरिसंरचना विकसित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। नाबार्ड द्वारा उठाए गए कतिपय महत्वपूर्ण कदम जलवायु संबंधी वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय निधियन तंत्र का मूल्यांकन करने से संबंधित हैं। यू एन एफ सी सी के अन्तर्गत हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) के लिए सीधे सम्पर्क संस्था (डी ए इ) और अनुकूलन निधि (ए एफ) के लिए राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था (एन आई इ) के रूप में नाबार्ड को अधिकृत किया गया है। नाबार्ड द्वारा अनुकूलन निधि के अन्तर्गत पूरे देश में 10 मिलियन अमरीकी डालर की अधिकतम सीमा की तुलना में 9.8 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय वाली प्रस्तुत 6 परियोजनाओं को अनुकूलन

सारणी 3. एन सी इ एफ परियोजनाओं का व्यौरा (रूपए करोड़ में)

वर्ष	संगृहीत कोयला सेस	एनसीईईएफ को अंतरित राशि	एनसीईईएफ से परियोजनाओं के लिए वित्तपोषित राशि	एनसीईईएफ से वित्तपोषण हेतु आईएमजी द्वारा अनुशंसित परियोजनाएं	आईएमजी द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं की संख्या
2010-2011	1,066.46	0.00	0.00	0.00	0
2011-2012	2,579.55	1,066.46	220.75	566.50	9
2012-2013	3,053.19	1,500.00	246.43	2715.11	6
2013-2014	3,471.98	1,650.00	1,218.78	1060.22	11
2014-2015	5,393.46	4,700.00	2,087.99	12000.17	19
2015-2016	12,675.60	5,123.09	5,234.80	18469.47	10
2016-2017 (सं.अ.)	28,500.00	6,902.74	6,902.74	-	-
2017-2018 (ब.अ.)	29,700.00	8,703.00	-	-	-
जोड़	86,440.21	29,645.29	15,911.49	34811.19	55

स्रोत: वित्त मंत्रालय 2017

निधि बोर्ड (एएफवी) ने अनुमोदित कर दिया है। इन परियोजनाओं से छः राज्यों में रहने वाली 77,225 पिछड़ी जनता को फायदा होगा। इन प्रकल्पों को उन अनुकूलन परियोजनाओं को पूरा करने के प्रमुख बिन्दुओं को तैयार करने के लिए परिकल्पित किया गया है, जिन्हें मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।

5.35 हरित जलवायु निधि (जी सी एफ) की सीधे सम्पर्क संस्था होने के नाते नाबार्ड ने 16वीं जीसीएफ बोर्ड की बैठक के बाद ओडिशा के पिछड़े जन जाति क्षेत्र में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भूमिगत जल को फिर से भरना और सौर सूक्ष्म सिंचाई संबंधी परियोजना को अनुमोदित करा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी सी एफ ने इस परियोजना को 166.29 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय के साथ, जिसमें 34.35 मिलियन अमरीकी डालर की जी सी एफ अनुदान सहायता शामिल है, मंजूरी प्रदान की है जबकि अन्य संसाधन ओडिशा सरकार और विश्व बैंक द्वारा मुहैया कराए जाएंगे।

5.36 देश में खरीफ 2016 में, कृषि संबंधी बीमे को सुदृढ़ करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरुआत की गई थी (बॉक्स 1)।

जी 20 मंच में चर्चा

5.37 पिछले कई वर्षों से हरित वित्त की प्रासंगिकता निरंतर बढ़ रही है और यह अब धारणीय विकास को बढ़ावा देने वाली नई गतिशील नीति को आगे बढ़ाने के प्रमुख विषय के रूप में उभरी है। वैश्विक स्तर पर हरित निवेश और सम्बद्ध पर्यावरणीय जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय प्रणाली को कैसे पर्याप्त निधियां जुटाने में समर्थ बनाया जाए? इसके विकल्प खोजने तथा आ रहे अवरोधों का पता लगाने में रुचि बढ़ रही है। वित्तीय प्रणाली में पर्यावरणीय कारकों को शामिल करने के कदम से पूरे देश में हलचल मची हुई है यहां तक कि कई तरह के व्यवसायों की कार्य नीति बन रही है।

5.38 इस सन्दर्भ में देशों की अलग अलग परिस्थिति को देखते हुए जी-20 देशों ने इक्विटी और सामान्य सिद्धांतों, लेकिन विभिन्न दायित्वों और संबंधित क्षमताओं को दर्शाने वाले पेरिस करार के क्रियान्वयन और धारणीय विकास हेतु 2030 के एजेण्डे को क्रियान्वित करने में अपनी भूमिका को दर्शाते हुए अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं बनाई हैं। 2017 में जी 20 देशों के धारणीयता कार्य दल की चर्चाओं का केन्द्र बिन्दु जलवायु और ऊर्जा रहे हैं तथा उन्होंने विकास के लिए अन्य प्रक्रियाओं को

बाक्स 1. जलवायु बीमा

भारत आर्थिक क्षेत्रों में दिखे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के साथ, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विश्व के सर्वाधिक असुरक्षित देशों में से एक है। अनुमानों में संकेत है कि वर्तमान में भारत को वार्षिक रूप से अत्यधिक खराब मौसम के कारण लगभग 9-10 बिलियन अमरीकी डालर का नुकसान हुआ है। जिसमें से 80 प्रतिशत के करीब नुकसान बीमा रहित रहा। 2014-15 से, भारतीय बीमा कम्पनियों के 11 बिलियन² अमरीकी डालर के प्राकृतिक आपदा (नेटकेट) नुकसान का अनुमान लगाया गया है। भारत में हाल ही में आई आपदा के आकड़ों में बीमे के कम संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2014 में कश्मीर में अत्यधिक बारिश के कारण आई बाढ़ से सरकारी आकड़ों के अनुसार 100,000 करोड़ आईएनआर (लगभग 15 बिलियन अमरीकी डालर) से भी अधिक का नुकसान होने की घोषणा की गई थी। बीमा कम्पनियों को कम बीमा कवरेज के कारण उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 4000 करोड़ रुपये (लगभग 610 मिलियन अमरीकी डालर) का भुगतान करना था। अन्य एक घटना में 2014 में आए चक्रवात हुदहुद से हुआ नुकसान 11 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया जबकि 650 मिलियन अमरीकी डालर का ही बीमा कराया गया था।³

भारत में बीमा बाजार में मुख्यतः जीवन बीमे की ही प्रधानता है, हालांकि सामान्य बीमा भी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। 10 वर्ष की अवधि में गैर-जीवन बीमा बाजार में तीन गुणा बढ़ोत्तरी हुई है। यह 2004 में 3.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2015 में 13.5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। इसके अलावा वर्ष 2007 से बाजार और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है, क्योंकि वर्ष 2015 में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 64.4 प्रतिशत से कम होकर 52.4 प्रतिशत रह गया है। जबकि भारतीय सामान्य बीमा निगम (जी आई सी) भारतीय बीमा बाजार के भीतर 52 प्रतिशत के साथ परम्परागत जोखिमों के बड़े भाग को कवर करता है। लक्षित जलवायु जोखिमों से संबंधित घरेलू विशेषज्ञता में हाल ही में कुछ प्रगति हुई है। भारत में जीवन बीमा के लिए 3.3 प्रतिशत की बीमा चुकाने की दर जीडीपी का 2.6 प्रतिशत है तथा गैर बीमा के मामले में यह जीडीपी का 0.7 प्रतिशत है जो कि 6.2 प्रतिशत⁴ के वैश्विक औसत से काफी कम है।⁵ भारत में जलवायु संबंधित बीमा कृषि क्षेत्र तक सीमित है, ख़ुब्य रूप से फसल बीमों के रूप में। भारत के 11 राज्यों ने अकाल, बर्फाले तूफान, शीत लहर आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए फसल के नुकसान की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 2015-16 के दौरान यह नुकसान 2.3 बिलियन अमरीकी डालर की कीमत का था (एनडीआरएफ)। फिर भी यह अनुमान लगाया जाता है कि कृषि क्षेत्र में केवल 19 प्रतिशत किसान ही फसल का बीमा करवाते हैं।

कृषि संबंधी बीमा क्षेत्र में नाबार्ड के बाद भारतीय कृषि बीमा (एआईसी) कम्पनी लिमिटेड के सरकारी स्वामित्व वाली सर्वाधिक प्रतिष्ठित कम्पनी जैसी बहुत कम कम्पनियां हैं। जहां एआईसी कई नए कदम उठा रही है और विशेष क्षेत्र के लिए उत्पादों की शुरुआत कर रही है, जैसे कि रबड़ वृक्षारोपण बीमा, जैव-इंधन संयंत्र बीमा, आम मौसमी बीमा, आलू ठेका खेती-बीमा, रबी मौसमी बीमा आदि। सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र को शीघ्र कवर करना संभव नहीं है। कम्पनी के 2014-15⁶ में किए गए 108.5 प्रतिशत दावों की तुलना में 2015-16 में 99.7 प्रतिशत पूरे किए गए दावों के अनुपात स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में बीमे के विस्तार तथा और अधिक कम्पनियों को लाने की आवश्यकता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइ आर डी ए) का अनुमान है कि बीमा कार्य में 6 प्रतिशत तक वृद्धि के लिए बीमे की राशि चुकाने के लिए लगभग 7.5 बिलियन अमरीकी डालर की आवश्यकता है जिसमें से 3.7 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी निवेश होगा।⁷

देश में खरीफ 2016 में कृषि संबंधी बीमे को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) की शुरुआत की गई है। पीएमएफबीआई के अन्तर्गत किसानों ने खरीफ 2016 के दौरान अपनी फसल का बीमा करवाया है और नवम्बर, 2016 में पीएमएफबीआई तथा मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) के अन्तर्गत 32.6 लाख किसान कवर किए गए हैं। बजटीय अनुमानों के अनुसार भारत सरकार ने 2016-17 के दौरान पीएमएफबीआई के अन्तर्गत 846 मिलियन अमरीकी डालर आवंटित किए हैं, जिसमें से लगभग 95 प्रतिशत निधियां पहले ही जारी कर दी गई हैं। एआईसी और कुछ निजी बीमा कम्पनियां इस स्कीम को क्रियान्वित करेंगी।

जोखिम मॉडल के सहयोग से नव-प्रवर्तन उत्पाद और पुनर्बीमा पूल भारत में बीमा उद्योग को बड़ा अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। भीषण आपदा जोखिम पूल (सीआरपी) एक ऐसा ही मॉडल है जिनका उद्देश्य आपदा के बाद निधियां जुटाने के प्रयास के बजाय प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय वित्तीय योजना पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे आर्थिक नुकसानों में कमी आएगी साथ ही राष्ट्रीय बजट पर आपदा का कम प्रभाव पड़ेगा। इन्हें तैयार करने में प्रयोग में लाए गए वित्तीय साधनों में शामिल है: आकस्मिकता निधि, आकस्मिक ऋण, अनुदान इसके अलावा अन्य जोखिम अन्तरण उपाय।

² <https://earthsecuritygroup.com/wp-content/uploads/2016/06/ESG.IndiaInsurance.pdf>

³ वर्षों में बीमा कर्ताओं ने प्राकृतिक प्रलय की लागत 2 बिलियन अमरीकी डालर बताई; एशिया बीमा समीक्षा, 8 जनवरी, 2016

⁴ <https://earthsecuritygroup.com/wp-content/uploads/2016/06/ESG.IndiaInsurance.pdf>

⁵ भारतीय बाजार सामान्य बीमा अद्यतन; टावर्स वाटसन सितम्बर, 2015।

⁶ स्विस् रे सिगमा स० 4/2015 वैश्विक बीमा रिपोर्ट; स्विस् रे 2014

⁷ <https://www.giz.de/en/mediacenter/36562.html>

⁸ भारत: बीमाकर्ताओं को विश्व स्तर बीमा कवरेज पाने के लिए। 9 बिलियन की आवश्यकता होगी-एशिया इन्शोरेंस रिव्यू। 16 दिसंबर, 2015

दोहराए बिना जलवायु और ऊर्जा संबंधी जी-20 कार्य योजना तैयार करने के प्रयास किए हैं। जलवायु के संबंध में जी-20 कार्य योजना की मुख्य अंशों में शामिल है: पेरिस करार के अनुसार एनडीसी के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना, दीर्घावधिक जीएचजी विकास कार्यनीतियों को फैलाने का प्रयास करना, जलवायु के प्रतिरोधकी क्षमता को बढ़ाना और अनुकूलन प्रयास, पेरिस करार और राष्ट्रीय सतत विकास की प्राथमिकता और आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप वित्त प्रवाह से जोड़ना। 2016 में हंगज़ू सम्मेलन में जी-20 अध्ययन देशों ने हरित वित्त की आवश्यकता को समझा। जी-20 हरित वित्त अध्ययन दल (जीएफएसजी) हरित वित्त के रास्ते में आ रहे संस्थागत और बाजार अवरोधों का पता लगाने और किसी भी देश के अनुभव के आधार पर हरित क्षेत्र में निवेश के लिए निजी पूंजी जुटाने के लिए वित्तीय प्रणाली को किस तरह समर्थ बनाया जाए, इसके विकल्प ढूंढने के उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है। हरित वित्त के लिए फ्रेम वर्क तथा नीति संकेतों के संबंध में, दिसम्बर 2015 में, विशेष रूप से पेरिस करार के आने के बाद, अंतरराष्ट्रीय तौर पर अधिक जोर दिया गया। 2017 के दौरान जीएफएसजी ने दो बातों पर बल दिया: पहली वित्तीय उद्योग में पर्यावरणीय जोखिम विश्लेषण (इरा) और दूसरे, वित्तीय जोखिम विश्लेषण के लिए सार्वजनिक रूप में उपलब्ध पर्यावरणीय आंकड़ों का प्रयोग और लिए गए निर्णय की सूचना देना। जीएफएसजी की जानकारी रखने वाले सदस्यों ने इरा को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के कई विकल्पों की पहचान की है जिन पर कोई देश विचार कर सकता है जिसमें शामिल है वित्तीय संस्थानों के लिए इरा की अहमियत के प्रति जागरूकता को इस प्रकार यथासंभव बढ़ाना कि ये नीतिगत संकेतकों के समरूप रहे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि वे वित्तीय संस्थान जिनके पास उल्लेखनीय पर्यावरणीय विवरण होते हैं, पर्यावरण संबंधी आंकड़ों को बेहतर और प्रभावशाली ढंग से रखने को प्रोत्साहन दें तथा सरकारी संस्थानों को पर्यावरण संबंधी जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करें और अलग-अलग देशों की वित्तीय बाधाओं को

पार करें। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पर्यावरण संबंधी आंकड़े (पीएडडी) और विस्तृत वित्तीय विश्लेषण इरा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जीएफएसजी की जानकारी रखने वाले सदस्यों ने पीएडडी की उपलब्धता, इस तक पहुंच बनाने और इसकी प्रासंगिकता को स्वेच्छा से बेहतर बनाने के विकल्प खोज लिए हैं और वित्तीय विश्लेषणों के लिए इसका उपयोग करने पर जोर देते हुए पीएडडी की विषय सूची तैयार करने में सहयोग दिया।

5.39 जी-20 देशों ने यह भी पाया कि इसके बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ रही है और इसके लिए और अधिक जांच की आवश्यकता है अन्यो के साथ इन क्षेत्रों में शामिल है: हरित निवेश अवसर ढांचे का एकीकृत करना; हरित वित्त के लिए और अधिक एकीकृत राष्ट्रीय पद्धतियां; उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में स्थानीय मुद्रा हरित बांड बाजार तैयार करना; हरित क्षेत्र में निवेश में सहयोग देने में सरकारी वित्त और विकास बैंकों की भूमिका तथा हरित वित्त में वित्तीय तकनीक (फिनटेक) का अनुप्रयोग।

वित्तीय क्षेत्र और हरित पहलें

5.40 भारतीय वित्तीय क्षेत्र में भी कई तरह के कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्यो के साथ शामिल हैं:

1. धारणीय विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करने में बैंकों की भूमिका को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक जागरूक रहा है। दिसम्बर 2007 के पहले से ही भारत में बैंक विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पहलों को लेकर संजीदा रहे जिसमें भूमध्य रेखीय देशों के सिद्धांत भी शामिल हैं और बैंकों को धारणीय विकास के क्षेत्र में प्रगति के प्रति सचेत रहने और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों तथा ऋण देने की कार्यनीतियों को दुरुस्त करने/संशोधित करने/और ऐसी संभावनाओं के लिए योजना बनाने के लिए कहा गया है।
2. भारत में वित्तीय नीति का मुख्य भाग प्राथमिक क्षेत्र की ऋण की आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें बैंकों का प्रमुख सामाजिक महत्व होगा: जैसे कृषि और लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों को 40 प्रतिशत ऋण

आवर्तित करना। वर्ष 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्यों के भीतर सामाजिक आधारभूत संरचनाओं तथा लघु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण देना शामिल किया था, जिसके द्वारा हरित वित्त पोषण को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा खंड में आरबीआई के मई 2016 की अधिसूचना के अनुसार सौर आधारित विद्युतीय जनरेटरों, जैव इंधन आधारित विद्युतीय जनरेटरों, पनचक्कियों, माइक्रो-हाइडेल प्लांटों आदि के लिए ₹15 करोड़ तक के बैंक ऋण पीएसएल का हिस्सा माने जाएंगे।

3. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्राथमिक क्षेत्र के ऋण दायित्वों के लिए व्यवसाय बाजार और कम लागत पर ऋण प्रोत्साहन की शुरुआत भी की है।
4. न्यू डेवलपमेंट बैंक पहला बहु-पक्षीय विकास बैंक है, इसकी स्थापना विकासशील और उभरते देशों ब्राजील, रूस, भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) द्वारा फोर्टालेजा, ब्राजील में 15 जुलाई, 2014 को हस्ताक्षरित न्यू डेवलपमेंट बैंक संबंधी करार के अनुसार की गई है। एनडीबी के उद्देश्य ब्रिक्स देशों के उद्देश्यों की तरह ही हैं अपना विकास लक्ष्य, इसमें धारणीय विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है और इसलिए एनडीसी। 2016 में एनडीबी ने सात परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, उनमें से दो भारत में हैं कुल 1.5 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक नवीकरणीय और हरित ऊर्जा एवं परिवहन के क्षेत्रों में हैं। भारत के लिए 600 मिलियन अमरीकी डालर के दो ऋण अनुमोदित किए गए थे। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना से लगभग 500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा, इसके द्वारा प्रति वर्ष 8,15,000 टन कार्बनडायऑक्साइड के उत्सर्जन की रोकथाम होगी। 250 मिलियन अमरीकी डालर सरकारी गारंटी ऋण इस परियोजना के अंतर्गत तीन ट्रांशों में केनरा बैंक को दिया जाएगा।
5. विदेशी वाणिज्यिक उधारों के मानदण्डों को और अधिक उदार बनाया गया है जिससे कि हरित

परियोजनाएं देश से बाहर से भी वित्त जुटाने के लिए इस सुविधा से जुड़ सकें। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत बकाया रुपया ऋण को चुकाने के लिए ईसीबी को प्रयोग में लाने की अनुमति दी गई है, बशर्ते ईसीबी की न्यूनतम औसत परिपक्वता 10 वर्ष हो या इसे रुपए में मूल्यवर्गित कर दिया गया हो। ईसीबी का प्रयोग मौजूदा ईसीबी को पुनर्वित्त पोषित करने के लिए भी किया जा सकता है बशर्ते सम्पूर्ण लागत मौजूदा लागत से कम हो और अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि में कमी न की जाए।

6. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने नई 2017 में हरित बांडों के निर्गम और ऐसे बांडों की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करने हेतु एक रूपरेखा बनायी है, जिससे हरित परियोजनाओं के लिए पूंजीगत बाजारों से निधियां जुटाने में मदद मिलेगी।
7. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हरित सूचकांकों, द ग्रीनेक्स और कार्बोनेक्स के प्रमुख व्यवसायों में बड़ी कारपोरेट्स इकाइयों को शामिल किया गया है। ग्रीनेक्स की शुरुआत 2012 में हुई और इसमें भारत की 25 बड़ी कंपनियां हैं। एस एण्ड पी, बीएसइ कार्बोनेक्स भविष्य में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर एस एण्ड पी बीएसई 100 में शामिल कंपनियों के निष्पादन का पता लगाता रहता है।
8. कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों पर अपने वार्षिक लाभ के 2 प्रतिशत भाग को खर्च करने का निदेश देता है। आकलन संकेत देते हैं कि एक वर्ष में ₹220 बिलियन रुपये (3.5 बिलियन यूएसडी) की उपलब्ध सीएसआर निधि का एक उचित भाग इस प्रकार के पर्यावरणीय उपायों में निवेशित किया जाएगा।

संभावनाएं

- 5.41 कुल मिलाकर भारत ने अपनी प्रतिबद्धताएं/निर्भाई हैं और यह अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन

गहनता में 2005 के स्तर से 20-25 प्रतिशत कमी करने की राह पर अग्रसर हैं। भारत ने पेरिस करार का अनुसमर्थन किया है और अपने एनडीसी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत पेरिस करार के क्रियान्वयन के लिए 'पेरिस नियम पुस्तिका' को तैयार करने के लिए बहुपक्षीय स्तर पर रचनात्मक रूप से लगा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर, इस प्रयोजनार्थ गठित समिति अपने एनडीसी के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार कर रही है। बहुपक्षीय जलवायु पद्धति अच्छी तरह काम करेगी यदि कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु प्रतिरोध क्षमता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विकासशील देशों को सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में भारत विकासशील देशों के लिए उन्नत क्षमता और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ वित्त साधन की मात्रा में वृद्धि प्रवाह और सुलभता के महत्व पर जोर देता है।

REFERENCES

- Burt et al. (2013) Burt, Erica; Orris, Peter and Buchanan, Susan, *Scientific Evidence of Health Effects from Coal Use in Energy Generation*, Health Care Research Collaborative, University of Illinois at Chicago School of Public Health
- CEA (Central Electricity Authority) (2016), *Draft National Electricity Plan*, CEA, New Delhi
- CPI (Climate Policy Initiative) (2015), *Reaching India's Renewable Energy Targets Cost Effectively*, CPI-ISB Series
- CSO (Central Statistics Office) (2017), *Energy Statistics 2017*, CSO, New Delhi
- Epstein et al. (2011) Epstein PR, Buonocore JJ, Eckerle K, Hendryx M, Stout III BM, Heinberg R, et al. Full cost accounting for the life cycle of coal. *Annals of the New York Academy of Sciences* 2011; 1219(1):73-98.
- IRENA (International Renewable Energy Agency) (2014), *Renewable Power Generation Costs in 2014*, IRENA
- IRENA (International Renewable Energy Agency) (2017a), *Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2017*, IRENA, Abu Dhabi, UAE
- IRENA (International Renewable Energy Agency) (2017b), *Perspectives for Energy Transition: Investment Needs for a Low Carbon Energy System*, IRENA, Abu Dhabi, UAE
- IRENA (International Renewable Energy Agency) (2017c), *Rethinking Energy*, IRENA, Abu Dhabi, UAE
- Mitavachan, H and Srinivasan, J. (2012), *Is Land Really a Constraint for the Utilization of Solar Energy in India?* Current Science, Vol. 103, No. 2
- NITI Aayog (2015), *A Report On Energy Efficiency and Energy Mix in The Indian Energy System (2030), Using India Energy Security Scenarios, 2047*, NITI Aayog, New Delhi
- Nordhaus, William D. (2017), Revisiting the social cost of carbon, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Volume 114, no. 7: 1518-1523
- OECD/IEA (Organisation for Economic Co-operation and Development/ International Energy Agency) (2015), *World Energy Outlook Special Report*, OECD/IEA
- TERI (The Energy and Resources Institute) (2013) *Equitable sharing of benefits arising from coal mining and power generation among resource rich states*, TERI, New Delhi.
- TERI (The Energy and Resources Institute) (2017) *Transitions in Indian Electricity Sector 2017-2030*, TERI, New Delhi

वैदेशिक क्षेत्र

वर्ष 2016-17 में भारत के वैदेशिक क्षेत्र में बदलाव देखा गया जब लगातार दो वर्ष तक नकारात्मक रहने के बाद निर्यात वृद्धि सकारात्मक हो गई, आयात वृद्धि भी लगातार चार वर्ष तक नकारात्मक रहने के बाद मामूली सी सकारात्मक वृद्धि में रूपांतरित हो गई। इन बातों के चलते, व्यापार घाटे में 1.2 प्रतिशतांक की कमी हुई और वह जीडीपी के 5 प्रतिशत के स्तर पर जा पहुंचा तथा चालू खाता घाटे में 0.4 प्रतिशतांक की गिरावट हुई जिसके चलते वह जीडीपी का 0.7 प्रतिशत रह गया। इन घटनाक्रमों के साथ-साथ सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 18.2 प्रतिशत की ज़बरदस्त वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी और एफसीएनआर(बी) जमाशियों के अबाध एवं सफल मोचन के बाद विदेशी ऋण में हुई 2.7 प्रतिशत की कमी के परिणामस्वरूप वैदेशिक क्षेत्र की अधिक स्थिर तस्वीर उभरी है। इस वर्ष बड़े नीतिगत परिवर्तन भी देखे गए जैसेकि निर्यात संवर्धन स्कीमों को युक्तिसंगत बनाया गया, निर्यात अवसरंचना निर्मित करने पर नए सिरे से बल दिया गया और व्यापार करना आसान बनाने के उपाय किए गए, विदेशी निवेश की परिधि को और बढ़ाया गया और सबसे महत्वपूर्ण तो यह रहा कि 1 जुलाई, 2017 से लागू किए गए माल और सेवा कर के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया गया।

वैश्विक आर्थिक माहौल

6.1 वर्ष 2016 में मंदी और वैश्विक व्यापार में गिरावट आने, कमजोर निवेश, चीन में मंदी और बहुत अधिक नीति की अनिश्चितता से विश्व में आर्थिक क्रियाकलाप में गिरावट के कारण वैश्विक वृद्धि 2015 में 3.4 प्रतिशत से गिरकर 2016 में 3.2 प्रतिशत पर आ गयी (अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, जुलाई 2017 अध्ययन) 2016 में धीमा प्रदर्शन के बाद, आर्थिक क्रियाकलाप के 2017 और 2018 में तेज होने का पूर्वानुमान है। इस अवधि में निवेश, विनिर्माण और व्यापार में दीर्घ प्रतीक्षित आवर्ती सुधार आने की संभावना है। वैश्विक वृद्धि 2017 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 3.6 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान है, जबकि अधिकांश उन्नत देशों का विकास 2017 और 2018 में तेजी से होने का पूर्वानुमान है, उभरते बाजार और विकासशील देशों के विकास की गति में बहुत अधिक भिन्नता बनी रहेगी। वर्ष 2016 में 6.7 प्रतिशत पर चीन का विकास आशा से

कुछ अधिक है। इसे उत्प्रेरक की सहायता मिलती रही और 2017 में 6.7 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान है। 2018 में कुछ धीमा होकर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2016 में भारत की विकास दर 7.1 प्रतिशत रही, जो विश्व के प्रमुख देशों में सबसे अधिक रही और 2017 में इसके 7.2 प्रतिशत पर तथा 2018 में 7.7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

6.2 विश्व व्यापार मूल्य वृद्धि, जो 2015 में एकाएक 13.2 प्रतिशत तक गिरी, 2016 में यद्यपि कम पर 3.2 प्रतिशत गिरना जारी रहा (विश्व व्यापार संघ आंकड़ाधार)। यह वैश्विक विकास और निवेश में गिरावट, संरक्षणवाद में बढ़ोतरी, वस्तुओं की कीमतें गिरने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में गिरावट के कारण हुआ। विश्व व्यापार की मात्रा (वस्तु और सेवा) विकास भी जो 2015 में 2.6 प्रतिशत था, गिरावट जारी रहने के कारण 2016 में 2.3 प्रतिशत पर आ गया (आईएमएफ डब्ल्यूईओ आंकड़ाधार जुलाई, 2017)। इसके 2017 में 4.0 प्रतिशत और 2018

में 3.9 प्रतिशत पर तेज होने का पूर्वानुमान है (सारणी 1) तथापि, सुधार की गति पहले की आशा से कम है क्योंकि प्रमुख उन्नत देशों में विकास संभावनाओं में कमी, वैश्विक निवेश में आई लगातार नरमी और संयुक्त राज्य

और यूरोप में व्यापार नीति के बारे में अनिश्चितता के साथ ही साथ धीमी या रुका हुआ व्यापार उदारीकरण तथा व्यापार विरोधी एवं संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि हुई (बॉक्स 1 देखें)

सारणी 1. विश्व व्यापार (वस्तु और सेवा) का सिंहवलोकन

	अनुमान	पूर्वानुमान		डब्ल्यू ई ओ अप्रैल 2017 के पूर्वानुमान से अन्तर	
	2016	2017	2018	2017	2018
विश्व व्यापार की मात्रा (वस्तु और सेवा)	2.3	4.0	3.9	0.2	0.0
उन्नत देश	2.3	3.9	3.5	0.2	-0.1
ई एम डी ई	2.2	4.1	4.6	0.1	0.3

स्रोत: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अध्ययन जुलाई 2017

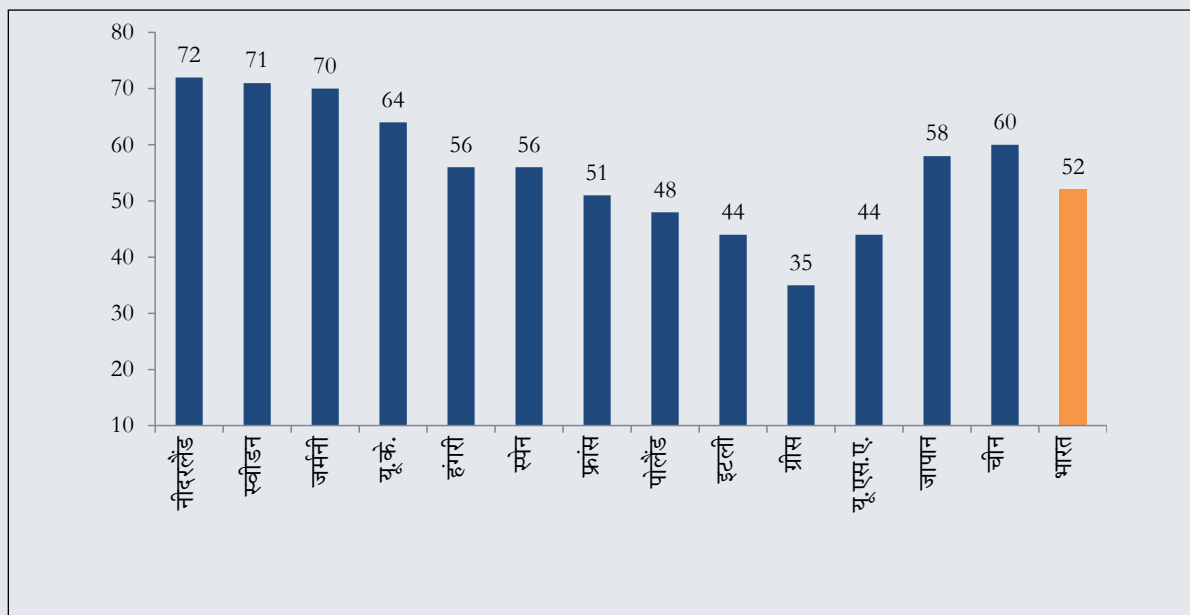
बॉक्स 1. वैश्वीकरण विरोधी और व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय

बढ़ता वैश्वीकरण विरोध: हालिया वर्षों में, चुनाव के दौरान और उसके बाद संयुक्त राज्य में हाल के घटनाक्रम से वैश्वीकरण विरोधी प्रवृत्तियां देखी गई हैं और व्यापार, आप्रवासन और बहुपक्षीय अभिनियोजन पर कुछ संशयवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के जनमत के कारण वैश्वीकरण के फायदे के प्रति संदेह हो रहा है। इसके अतिरिक्त अध्ययन से पता चलता है कि 1990 से वैश्विक असमानता में कमी आने के बावजूद बहुत से देशों में असमानता बढ़ी है, विशेषकर उन्नत देशों में। इसी प्रकार आईएमएफ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2017) में कहा गया है कि उन्नत देशों में अनेक मध्यम कौशल रोजगार समाप्त हो गए हैं, यह 1990 के प्रारंभिक समय से प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का परिणाम है और आय का वितरण उच्चतम अर्जकों के पक्ष में बना रहा और कम आय वालों के लिए आगे बढ़ने की गुंजाइश कम रह गई। औसतन, 21 ओईसीडी देशों के बीच यह अनुमान है कि 9 प्रतिशत काम के स्वतः होने का जोखिम अधिक है, जबकि अन्य 25 प्रतिशत कामों का स्वतः चालित होने के कारण दुहराव होने की संभावना है (ओईसीडी 2017ख)। अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि कुछ हद तक यह बेचैनी वृहत आर्थिक नीति के समिश्र को दर्शाती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग विकास को संपोषित करने में विफल रहा है (ओ ई सी डी, 2017क)।

व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों में वृद्धि: हालिया वर्षों में बहुत से व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिनमें अनेक प्रकार के टैरिफ-भिन्न बाधाएं शामिल हैं। वीजा की नई अड़चनें और व्यक्तियों की गतिविधि के विरुद्ध प्रतिघात का जोखिम चिंता बढ़ाने में आगे में घी का काम करता है। जी-20 व्यापार उपायों के संबंध में डब्ल्यूटीओ की 17वीं मॉनीटरिंग रिपोर्ट (30 जून 2017) के अनुसार समीक्षा अवधि (मध्य अक्टूबर 2016 से मध्य मई 2017) के दौरान जी-20 देशों द्वारा कुल 42 नए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय कार्यान्वित किए गए, जिनमें नया या बढ़ा हुआ टैरिफ, सीमा शुल्क विनियमन और मूल प्रतिबंध के नियम शामिल हैं। मासिक औसत छह उपाय होते हैं। पिछली अवधि की तुलना में यह मामूली वृद्धि दर्शाता है परन्तु 2009-2015 में देखी गई दीर्घावधिक प्रवृत्ति से कम रही जो प्रति माह सात थी। वित्तीय संकट के समय से व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों में लगातार वृद्धि होने से ऐसे प्रतिबंधों से प्रभावित वैश्विक व्यापार के हिस्से में भी धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। अक्टूबर मध्य 2016 में, अक्टूबर 2008 से क्रियान्वित किया गया आयात प्रतिबंध उपायों में शामिल किए गए विश्व आयात का हिस्सा 5 प्रतिशत था। और शामिल किया गया जी-20 आयात का हिस्सा 6.5 प्रतिशत था। शुरू किए गए आयात को प्रभावित करने वाले व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों का व्यापार कवरेज पिछली समीक्षा अवधि के दौरान (मध्य अक्टूबर 2016 से मध्य मई 2017) 47 बिलियन अमरीकी डालर था अर्थात जी-20 पण्य वस्तु आयातों के मूल्य का 0.37 प्रतिशत या वैश्विक पण्य वस्तु आयातों के मूल्य का 0.29 प्रतिशत था।

देशों का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण: वैश्वीकरण पर सभी देशों का समान दृष्टिकोण नहीं है। यह हर देश में या देशों के समूह में अलग-अलग है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है (पीईडब्ल्यू अनुसंधान केन्द्र सर्वेक्षण 2016-17, ओईसीडी 2017ग)।

चार्ट 1. वैश्विक आर्थिक अभिनियोजन पर देशों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण (प्रतिशत)



स्रोत: पीईडब्ल्यू अनुसंधान

टिप्पणी: * सर्वे किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत

- चीनी और भारतीय वैश्वीकरण के बारे में आशावादी हैं चीन में सर्वे किए गए 60 प्रतिशत कहते हैं कि वैश्वीकरण अच्छा है। भारतीयों के मामले में यह 52 प्रतिशत है।
- यूरोप में दृष्टिकोण विभाजित है, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, यू.के., हंगरी और स्पेन में अधिकांश इसका समर्थन करते हैं जबकि ग्रीस, इटली, पोलैंड इसका विरोध करते हैं और फ्रांस दोनों के बीच में है।
- व्यापार संबंधी अमरीकियों के दृष्टिकोण में विपरीत अंतर्ज्ञान विभाजन और परिवर्तनशील है। अधिकांश अमरीकियों के लिए व्यापार प्राथमिकता कभी नहीं रहा यद्यपि वे 2017 में मामूली रूप से अधिक चिंतित हैं। नाफता के लिए अमरीकी जनता का समर्थन हालिया वर्षों में बढ़ा है, यद्यपि नाफता के लिए सरकार का समर्थन कम हुआ है।

भारत का भुगतान शेष घटनाक्रम

भुगतान शेष का सिंहवलोकन

6.3 भारत के भुगतान शेष की स्थिति 2013-14 से 2015-16 के दौरान सुहानी और सुखद थी, कम और गिरते व्यापार और चालू खाता घाटा और नरम एवं बढ़ते पूंजी अंतर्वाहों के फलस्वरूप 2016-17 में और अधिक सुधर गई इसके परिणामस्वरूप आरक्षित विदेशी मुद्रा में संग्रहण और अधिक बढ़ गया। यह वैश्विक आर्थिक स्थिति में धीमी सुधार दर्शाता है। दो वर्षों के अंतराल के बाद हुए 2016-17 में भारत का निर्यात 5.2 प्रतिशत पर घनात्मक हो गया। इसके साथ-साथ आयात में 1.0 प्रतिशत की मामूली गिरावट से 2015-16 में 130.1 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 6.2 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 में 112.4 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 5 प्रतिशत) व्यापार घाटा

कम हो गया। अदृश्य शेष 2015-16 में 107.9 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 5.2 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 में 97.1 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 4.3 प्रतिशत) पर कम था। चालू खाता घाटा प्रगामी रूप से घटकर 2015-16 में जीडीपी का 1.1 प्रतिशत से 2016-17 में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत पर आ गया। यह व्यापार घाटा तेजी से कम होने के कारण हुआ, जो निवल अदृश्य अर्जन में गिरावट से अधिक है। निवल पूंजी मुख्यतः अंतर्वाह अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा राशि में गिरावट के कारण पिछले वर्ष 40.1 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.9 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 में 36.8 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.6 प्रतिशत) पर मामूली कम था। चूंकि पूंजी खाता अधिशेष चालू खाता घाटा के वित्तपोषण से अधिक था, आरक्षित निधि में (भुगतान शेष आधार पर) 2016-17

में 21.6 बिलियन अमरीकी डालर तक वृद्धि हुई, जो 2015-16 में हुई 17.9 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि से अधिक थी।

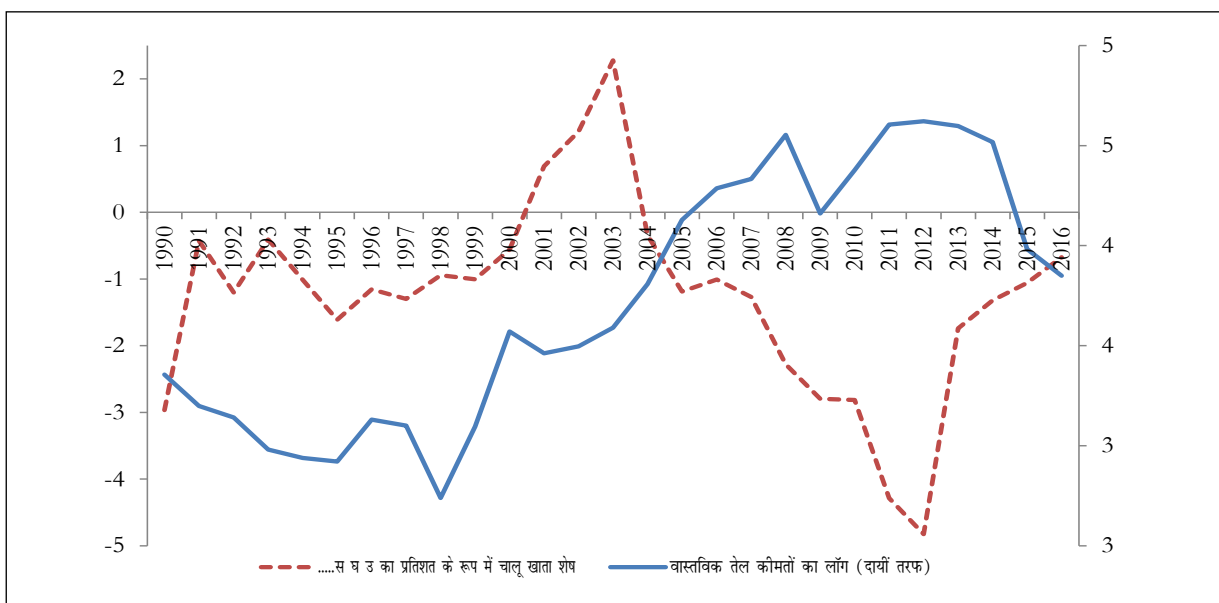
2016-17 में चालू खाता घटनाक्रम

पण्य वस्तु

6.4 दो वर्षों की ऋणात्मक वृद्धि के बाद, पण्य निर्यात (भुगतान शेष के आधार पर) पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक और पीओएल-भिन्न निर्यातों में धनात्मक वृद्धि के साथ 2016-17 में बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गया। पण्य आयात (भुगतान शेष आधार पर), जोकि 2012-13 से लगातार गिरती रही है, 2016-17 में मामूली रूप से गिरकर 1.0 प्रतिशत हो गया। निर्यातों में आई वृद्धि और आयातों में हुई गिरावट के साथ व्यापार घाटा 13.6

प्रतिशत तक कम हुआ। पहली छमाही में आयात में हुई तेज गिरावट और दूसरी छमाही में निर्यातों में हुई वृद्धि ने 2016-17 में लगभग 18 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा कम करने में भारत की मदद की है। अप्रैल-दिसंबर 2016-17 में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों में हुई गिरावट भारतीय समूह के कारण तेल आयात बिल में लगभग 10 प्रतिशत गिरावट साथ ही स्वर्ण आयातों में तेज गिरावट के साथ हो गई भारत के समग्र आयात में गिरावट आई। 2014-15 में कच्चे तेल कीमतों में तेज गिरावट भारत के चालू खाता घाटा में गिरावट की एक प्रमुख वजह रही है। (चित्र 1) तथापि, 2016-17 की चौथी तिमाही में आयात में तेज वृद्धि हुई थी क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें एक वर्ष पूर्व के अपने स्तर से बढ़ गई थी।

चित्र 1. चालू खाता शेष और वास्तविक तेल की कीमत का लॉग



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक के आंकड़े पर आधारित

6.5 भारत का पण्य वस्तु निर्यात (सीमा शुल्क आधार पर) 2013-14 में यद्यपि केवल 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 314.4 बिलियन अमरीकी डालर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। निर्यात वृद्धि में गिरावट की वैश्विक प्रवृत्ति के बाद 2014-15 और 2015-16 के दौरान, भारत की निर्यात वृद्धि भी कम होकर क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत रह गयी। 2016-17 की पहली छमाही में भारत की निर्यात वृद्धि ऋणात्मक बनी रही। तथापि, 2016-17 की दूसरी छमाही में, इसमें धनात्मक वृद्धि

दर्ज हुई इसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष 2016-17 के दौरान 5.3 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि के साथ 276.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (सारणी 2)।

6.6 भारत के निर्यात में वृद्धि (ईंधन-भिन्न) जो सामान्यतः विश्व निर्यात वृद्धि (ईंधन-भिन्न) के मुकाबले अधिक रहा है, 2014 में ऋणात्मक हो गई और यह तबसे कमतर रही अथवा विश्व निर्यात वृद्धि (ईंधन-भिन्न) के क्रम में रही (चित्र 2)।

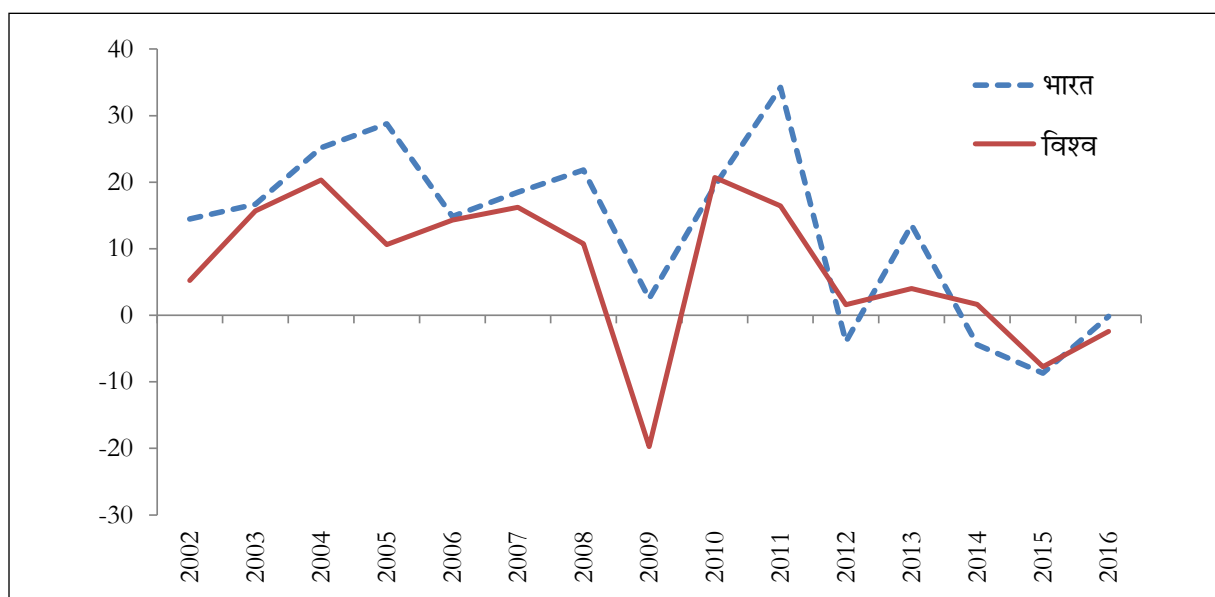
सारणी 2. व्यापार निष्पादन

	बिलियन अमरीकी डालर में मूल्य	वृद्धि (वर्षानुवर्ष) प्रतिशत में		
	2016-17	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रैल-जून)
निर्यात	276.3	-15.5	5.3	10.6
पीओएल निर्यात	31.7	-46.2	3.7	20.4
पीओएल निर्यात-भिन्न	244.6	-8.6	5.6	9.4
आयात	384.3	-15.0	0.9	32.8
पीओएल आयात	86.9	-40.0	4.8	23.0
पीओएल आयात-भिन्न	297.4	-3.8	-0.2	35.6
सोना व चांदी आयात	29.3	-8.8	-17.3	176.3
पीओएल-भिन्न व सोना व चांदी-भिन्न आयात	268.1	-3.0	2.1	25.0
व्यापार शेष	-108.0	-13.8	-9.0	108.2

स्रोत: वाणिज्य विभाग का आंकड़े पर आधारित

*अध्यतन प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित

चित्र 2. विश्व और भारत के (ईंधन-भिन्न निर्यात मूल्य वृद्धि (प्रतिशत))



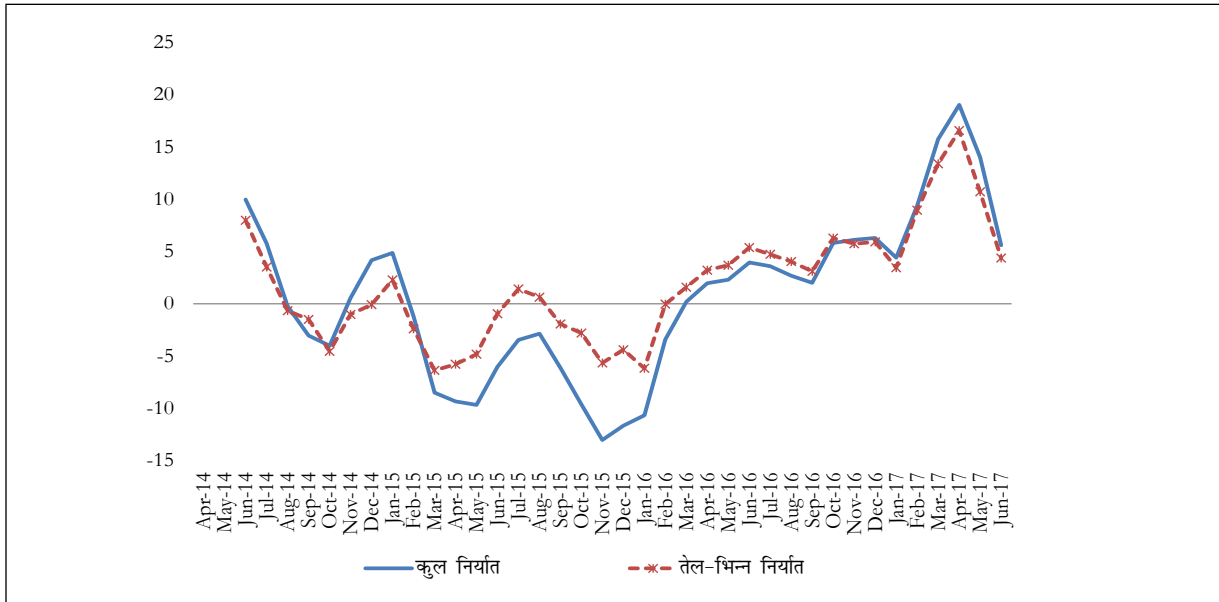
स्रोत: आईटीसी व्यापार मानचित्र पर आधारित

6.7 2016-17 में भारत की धनात्मक निर्यात वृद्धि पीओएल और पीओएल-भिन्न दोनों में धनात्मक वृद्धि क्रमशः 3.7 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत के चलते हुई। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ, पीओएल निर्यात वृद्धि 25.8 प्रतिशत पर 2016-17 की दूसरी छमाही में 10 प्रतिशत की पीओएल निर्यात वृद्धि के दुगुना से अधिक रही। 2017-18 (अप्रैल-जून) में, पीओएल-भिन्न निर्यात में दुगुना वृद्धि होने के कारण पीओएल निर्यात में 10.6 प्रतिशत पर द्विअंकीय वृद्धि हुई।

6.8 दिसंबर, 2015 में पीओएल और पीओएल-भिन्न निर्यात दोनों की प्रमात्रा में हुई वृद्धि जोकि फरवरी, 2016 में धनात्मक हुई, इससे निर्यात में सुधार आने में मदद मिली यद्यपि, मई और जून 2017 में मामूली गिरावट रही (चित्र 3)।

6.9 भारत का पण्य आयात भी (सीमा शुल्क आधार पर) वर्ष 2012-13 के 490.7 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर से गिरकर वर्ष 2015-16 में 381.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया और वर्ष 2016-17

चित्र 3. निर्यातों की प्रमात्रा सूचकांक में वृद्धि 3 एमएमए (प्रतिशत) 2013-14=100

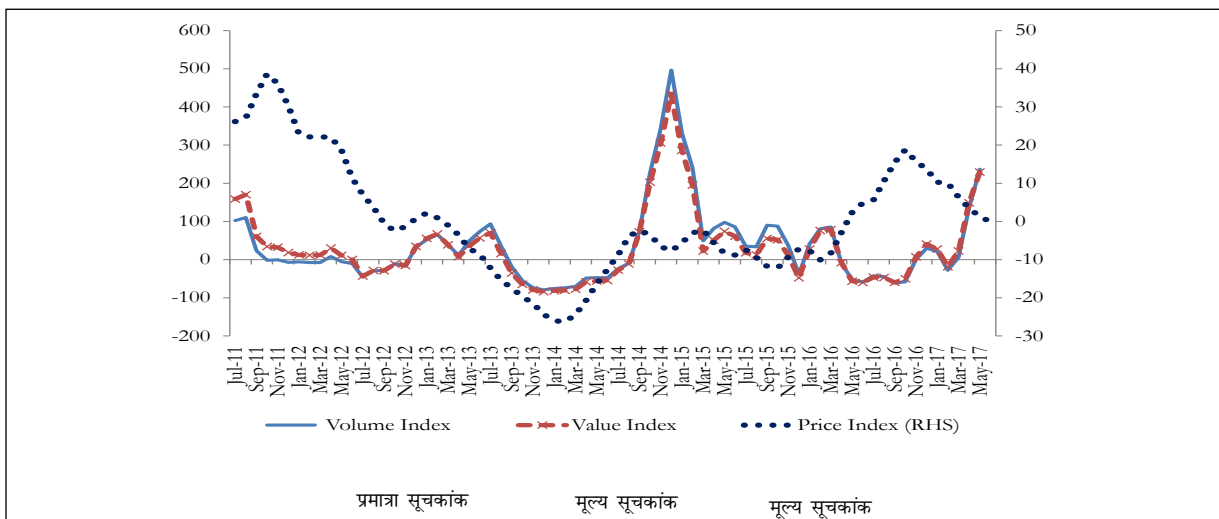


स्रोत: आंतरिक परिकलन। डीजीसीआईएण्डएस के मासिक व्यापार आंकड़े, डालर के संदर्भ में अंतराष्ट्रीय मूल्य सूचकांक की संगणना के लिए विश्व बैंक मासिक पीक शीट, रुपया सूचकांक को डालर सूचकांक में परिवर्तित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक और आरबीआई विनिमय दर

में 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई और 384.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। सोने और चांदी के आयात में 17.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट के बावजूद, वर्ष 2016-17 में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक के आयात में बढ़ोत्तरी और पीओएल-भिन और स्वर्ण-भिन और चांदी के आयात में मामूली वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जून) में, 23.0 प्रतिशत

पर पीओएल आयात वृद्धि के साथ आयात बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गया। यह मुख्यतया कच्चे तेल के कीमतों में बढ़ोत्तरी के चलते हुआ और पीओएल-भिन आयात वृद्धि 35.6 प्रतिशत हुई जो सोने और चांदी के आयातों में 176.3 प्रतिशत पर उच्च वृद्धि और पीओएल-भिन और स्वर्ण-भिन और चांदी आयात 25 प्रतिशत बढ़ने के कारण हुई। स्वर्ण आयातों के मूल्य में बढ़ोत्तरी स्वर्ण

चित्र 4. स्वर्ण प्रमात्रा के आयात/मूल्य और स्वर्ण मूल्य में वृद्धि, 3एमएमए (प्रतिशत) (2010-11=100)

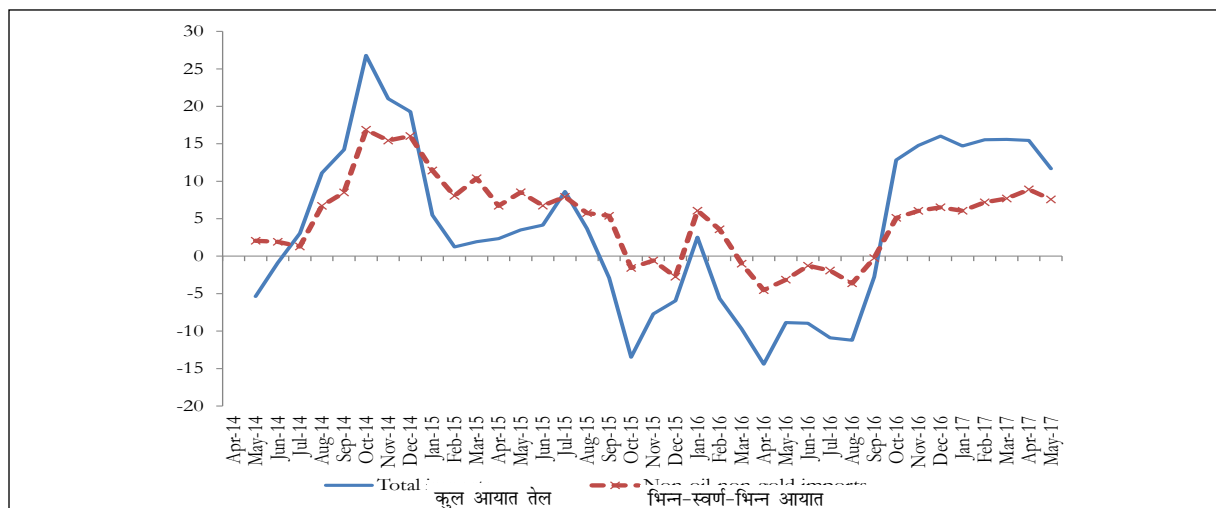


स्रोत: डीजीसीआई एण्ड सी मासिक आंकड़ा से परिकलित

आयातों की प्रमात्रा में वृद्धि के चलते हुई। वस्तुतः स्वर्ण आयात मूल्य सूचकांक पिछले वर्षों से स्वर्ण प्रमात्रा सूचकांक के क्रम में बढ़ रहा है।

6.10 आयात प्रमात्रा में वृद्धि, कुल और तेल-भिन्न और स्वर्ण-भिन्न (3एमएमए) दोनों अक्टूबर, 2016 से धनात्मक रही हैं यद्यपि, जून 2017 में मामूली गिरावट आई है (चित्र 5)।

चित्र 5. आयातों की प्रमात्रा सूचकांक में वृद्धि: 3 एमएमए (प्रतिशत) 2013-14=100



स्रोत: चित्र 3 के अनुसार

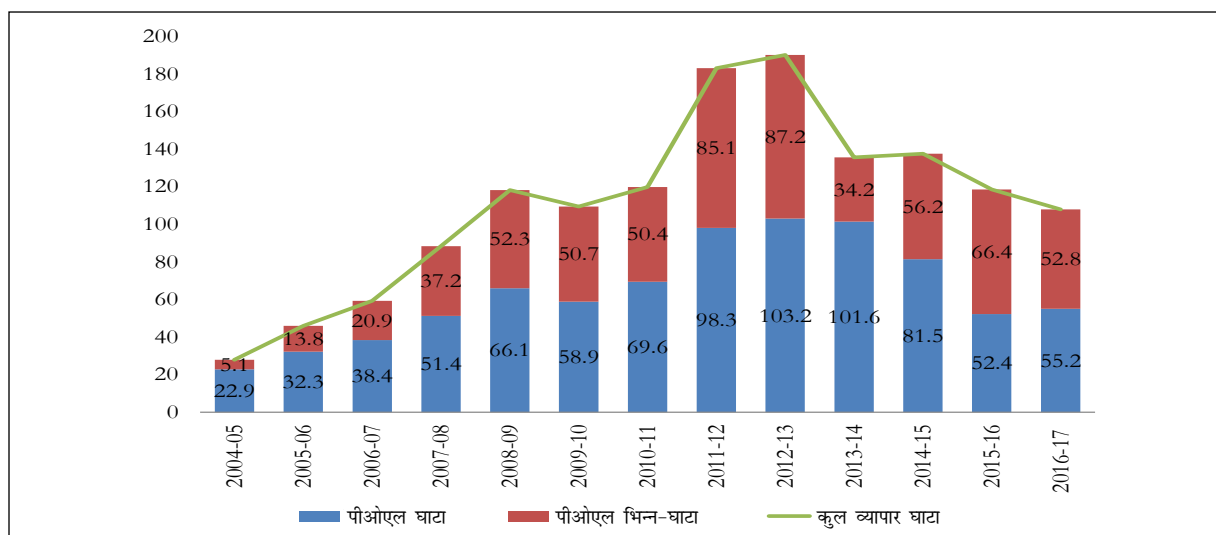
व्यापार घाटा

6.11 भारत का व्यापार घाटा (सीमा शुल्क आधार पर), जोकि वर्ष 2004-05 से लगातार बढ़ा और वर्ष 2012-13 में 190.3 बिलियन अमरीकी डालर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, इसमें वर्ष 2014-15 से लगातार गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2016-17 में 108.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। पीओएल घाटा और पीओएल-भिन्न घाटा दोनों में वर्ष

2013-14 से सामान्य गिरावट आई यद्यपि इन दोनों में कुछ वर्षों में घट-बढ़ होते रहा (चित्र 6)।

पीओएल, भिन्न घाटा में गिरावट मुख्यतया निवल जेवरात और ज्वेलरी घाटे में 2014-15 में 21.1 बिलियन अमरीकी डालर से 2015-16 में 17.2 बिलियन अमरीकी डालर की कमी और 2016-17 में और अधिक 10.3 बिलियन अमरीकी डालर तक गिरावट के कारण रही।

चित्र 6. पीओएल और पीओएल-भिन्न व्यापार घाटा (बिलियन अमरीकी डालर)



स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों से परिकलित

तथापि, 2017-18 (अप्रैल-जून) में उच्च आयात वृद्धि के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 108.2 प्रतिशत हो गया जबकि निर्यात वृद्धि कम रही जैसाकि पहले दर्शाया गया है।

6.12 भारत के व्यापार भागीदारों में, शीर्ष पांच देशों, जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार शेष ऋणात्मक है वे हैं: चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, ईराक और

इंडोनेशिया, जबकि शीर्ष पांच देशों, जिनके साथ भारत का अधिशेष व्यापार शेष है वे हैं: यूएसए, यूएई, बंगलादेश, हांगकांग और नेपाल। भारत के कुल व्यापार घाटा में प्रमुख योगदानकर्ता चीन के साथ इसका व्यापार घाटा है, जिसका हिस्सा 2011-12 में 20.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 47.3 प्रतिशत हो गया है।

सारणी 3. द्विपक्षीय व्यापार अधिव्य/घाटा (बिलियन अमरीकी डालर)

		2011-12	2014-15	2015-16	2016-17 (P)
व्यापार अधिव्य वाले देश	संयुक्त रा० अमेरिका	11.4	20.6	18.6	20.0
	यू०ए०ई०	-0.8	6.9	10.8	9.8
	बंगलादेश	3.2	5.8	5.3	6.0
	हांगकांग	2.5	8.0	6.0	6.0
	नेपाल	2.2	3.9	3.5	5.0
व्यापार घाटा वाले देश	चीन	-36.6	-48.5	-52.7	-51.1
	स्वीटजरलैंड	-34.1	-21.1	-18.3	-16.3
	सऊदी अरब	-26.4	-16.9	-13.9	-14.8
	ईराक	-18.2	-13.4	-9.8	-10.6
	इंडोनेशिया	-8.2	-11	-10.3	-9.9
कुल व्यापार घाटा		-183.4	-137.6	-118.7	-108.0

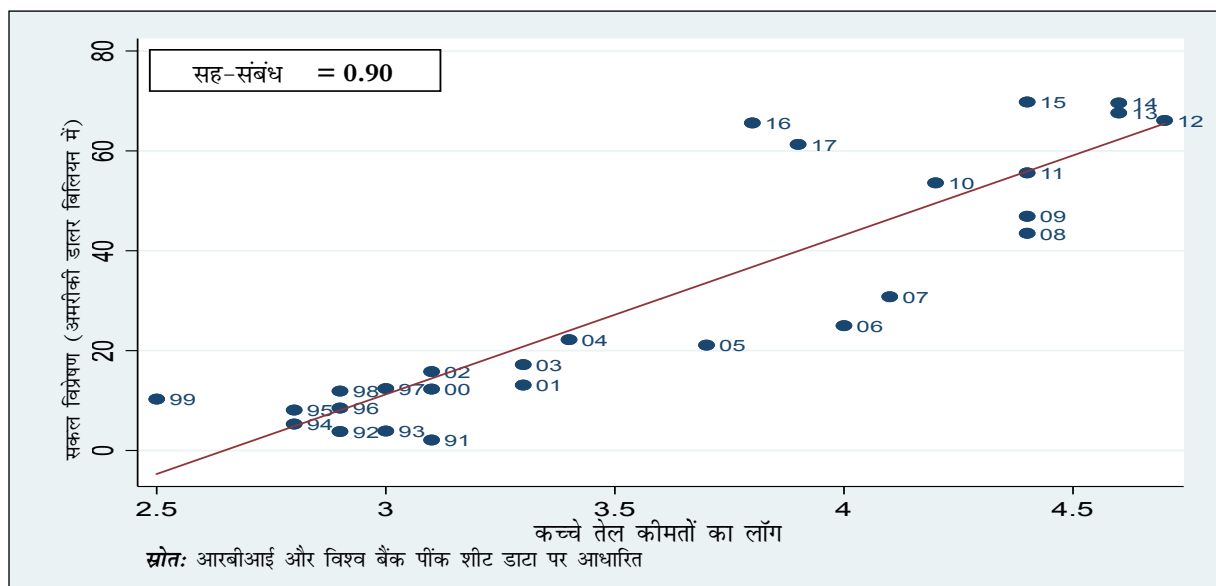
स्रोत: वाणिज्य विभाग डाटाबेस

अदृश्य और निवेश से आय

6.13 निवल अदृश्य प्राप्तियां, निवल सेवाओं और निवल निजी अंतरणों दोनों में गिरावट के साथ 2016-17 में 10 प्रतिशत गिरकर 97.1 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। निवल सेवाएं जोकि व्यापार घाटा के प्रभाव को कम करने के लिए सहायक के रूप में कार्य करती हैं, 3.2 प्रतिशत से गिरकर 67.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। यह मुख्यतया सॉफ्टवेयर, बीमा और पेंशन सेवाएं और वित्तीय सेवाओं के खाते पर निवल भुगतान, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के प्रयोग हेतु प्रभार और वैयक्तिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक सेवाओं के निवल प्राप्तियों में गिरावट के कारण हुई। स्रोत देशों खासतौर पर खाड़ी क्षेत्रों में कम आय की परिस्थितियों, तेल कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि के चलते विदेशों में तैनात भारतीयों द्वारा विप्रेषण कम हुआ। सरल सह-संबंध विश्लेषण तेल कीमतों और विप्रेषणों

के बीच एक मजबूत घनात्मक सह-संबंध को दर्शाता है (चित्र 7)। विश्व बैंक के आब्रजन और विकास सार 27 (अप्रैल, 2017) के अनुसार, 2015 में 1 प्रतिशत की गिरावट के बाद, विप्रेषणों वाले विकासशील देशों में विप्रेषण प्रवाहों के इतिहास में पहली बार लगातार दो वर्षों में गिरावट देखी गई जोकि 2016 में 2.4 प्रतिशत गिरकर 429 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। 2009 में, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, जबकि विकासशील देशों में विप्रेषण प्रवाह लगभग 5 प्रतिशत घट गया यह एक वर्ष के भीतर दोबारा बढ़ने लगा। सामान्य प्रवृत्ति के समरूप, भारत को निवल निजी अंतरण भी 2014-15 में 66.3 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर 2015-16 में 63.1 बिलियन अमरीकी डालर और 2016-17 में 56.6 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गया।

चित्र 7. विप्रेषण और तेल कीमतों का लॉग



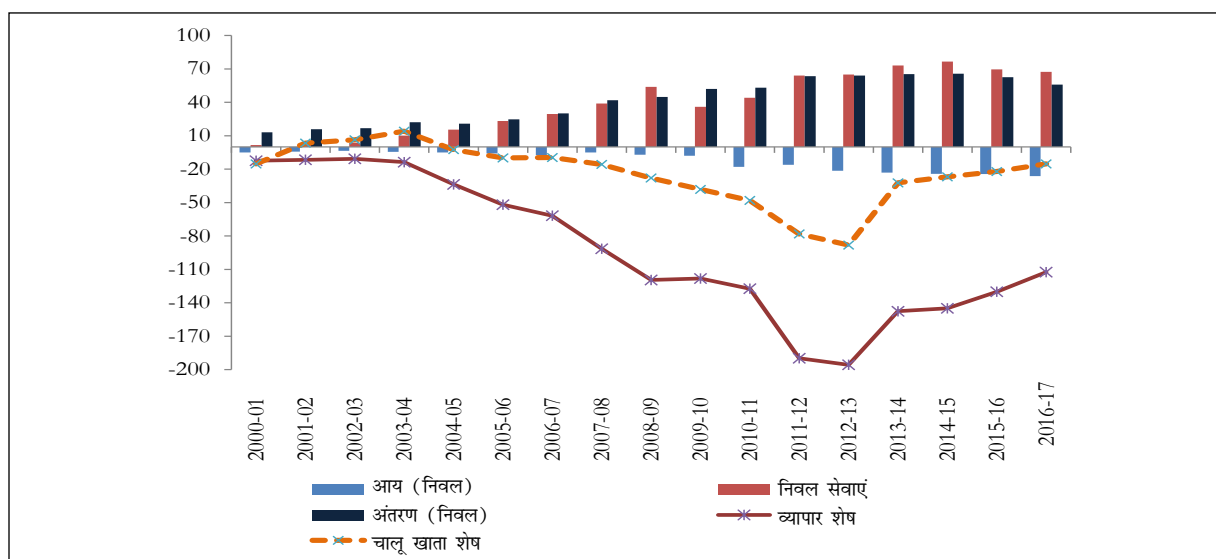
6.14 निवल निवेश आय के कारण बहिर्प्रवाह जो पिछले वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और 7.9 प्रतिशत बढ़कर 26.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2016-17 में कमतर व्यापार घाटा के परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा कम होकर 15.3 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) हो गया (चित्र 8)।

2016-17 में पूंजी/वित्त लेखे की गतिविधि

6.15 2016-17 में चालू खाता घाटा निवल पूंजी प्रवाह द्वारा आसानी से वित्त पोषित होता रहा जिसमें विदेशी

प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा अधिक था। भारत में सकल एफडीआई अंतर्वाह 2015-16 में 55.6 बिलियन अमरीकी डालर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 2016-17 में 60.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल एफडीआई अंतर्वाह (अर्थात् बहिर्प्रवाह एफडीआई का निवल) 35.6 बिलियन अमरीकी डालर रहा फिर भी 2015-16 में मामूली रूप से 1.1 प्रतिशत कम होकर 36.6 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह की वैश्विक और घरेलू घटनाक्रम दोनों में अधोमुखी रहा जिसके कारण घरेलू पूंजी बाजार

चित्र 8. भुगतान शेष के घटक



स्रोत: आरबीआई आंकड़ा पर आधारित

में उतार-चढ़ाव रहा। अस्थिर उतार-चढ़ाव ब्रेकजीट अवधि, यूएस के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम, विमुद्रीकरण और यूएस फेडरल पॉलिसी रेट की अवधि के दौरान दिखाई दिया। पोर्टफोलियो निवेश में 2016-17 में 7.6 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया जबकि एक वर्ष पूर्व 4.1 बिलियन अमरीकी डालर का बहिर्प्रवाह था। 2016-17 अप्रैल-दिसंबर के दौरान महत्वपूर्ण बहिर्प्रवाह के पश्चात् 2016-17 की चौथी तिमाही में घरेलू पूंजी बाज़ार में पोर्टफोलियो क्रेताओं का निवेश ब्याज बढ़ा। 2017-18 में (16 जूलाई, 2017 तक) 2016-17 की तदनु रूप अवधि में 2.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 13.5 बिलियन अमरीकी

डालर का निवल एफडीआई अंतर्प्रवाह अधिक रहा। 2016-17 में पूंजी प्रवाह के अन्य प्रकारों में, बैंकिंग पूंजी ने 16.6 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्प्रवाह दर्ज किया, यह मुख्यतया सितम्बर से नवम्बर, 2016 के दौरान बैंकों और एफसीएनआर (बी) निक्षेपों के उन्मोचन द्वारा विदेशी अस्तियों के बढ़ने के चलते रहा। विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के मामले में 2016-17 में 6.1 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्प्रवाह हुआ क्योंकि नए उधारों की तुलना में पुनर्भुगतान अधिक हुआ। चूंकि निवल पूंजी अंतर्प्रवाह से पर्याप्त रूप से चालू खाता घाटा का वित्त पोषित किया गया, भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में निवल वृद्धि हुई (सारणी 4)।

सारणी 4. भारत का भुगतान शेष का सार

(बिलियन अमरीकी डालर)

मद	2014-15	2015-16	2016-17 P
I चालू खाता			
i. निर्यात	316.5	266.4	280.1
ii. आयात	461.5	396.4	392.6
iii. व्यापार शेष	-144.9	-130.1	-112.4
iv. अदृश्य (निवल)	118.1	107.9	97.1
(क) सेवाएं	76.5	69.7	67.5
(ख) अंतरण	65.7	62.6	56
(ग) आय	-24.1	-24.4	-26.3
चालू खाता शेष	-26.9	-22.2	-15.3
II पूंजी खाता			
i. विदेशी सहायता (निवल)	1.7	1.5	2.0
ii. विदेशी वाणिज्यिक उधार (निवल)	1.6	-4.5	-6.1
iii. अल्पावधिक ऋण	-0.1	-1.6	6.5
iv. बैंकिंग पूंजी (निवल) जिसमें	11.6	10.6	-16.6
v. निवासी निक्षेप (निवल)	14.1	16.1	-12.4
vi. विदेशी निवेश (निवल)	73.5	31.9	43.2
जिसमें			
(क) एफडीआई (निवल)	31.3	36	35.6
(ख) पोर्टफोलियो (निवल)	42.2	-4.1	7.6
IV. अन्य प्रवाह (निवल)	1.0	3.2	7.5
पूंजी खाता शेष	89.3	41.1	36.5
III भूल-चूक	-1.0	-1.1	0.4
पूंजी खाता शेष (भूल-चूक)	88.3	40.1	36.8
IV समग्र शेष	61.4	17.9	21.6
V रिज़र्व परिवर्तन वृद्धि (-)/कमी (+),	-61.4	-17.9	-21.6

स्रोत: आरबीआई

टिप्पण: अंशः अंशतः संशोधित; अः अनंतिम

6.16 कमतर चालू खाता घाटा, सकल एफडीआई अंतर्प्रवाह का बढ़ना, एफसीएनआर (बी) डालर निधियों का सरल और सफलतापूर्वक उन्मोचन और विदेशी मुद्रा रिज़र्व का मजबूत निर्माण सभी यह दर्शाते हैं कि भारत का भुगतान शेष बेहतर के लिए स्थिर हो सकता है। फ्लिप पक्ष पर भी, व्यापार घाटा जो कि व्यापार के पक्षपूर्ण संदर्भ के चलते गिरावट आई में, वैश्विक जिस कीमतों में वृद्धि हुई है, विप्रेषणों में लगभग आनुपातिक वृद्धि हो सकती है।

व्यापार का संघटन

6.17 वर्ष 2016-17 में निर्यात वृद्धि मोटे तौर पर प्रमुख वस्तुओं में सकारात्मक वृद्धि पर आधारित थी, चर्म और चर्म उत्पादों में 4.1 प्रतिशत तक, वस्त्रों में 2.2 प्रतिशत तक गिरावट और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं तथा दवाइयों और

औषधों में मामूली गिरावट को छोड़कर (सारणी 5)। छह प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में, अभियांत्रिकी सामान और रत्न तथा आभूषण क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि हुई; पेट्रोलियम क्रूड एवं इसके उत्पादों और रसायनों तथा इनसे संबंधित उत्पादों में कम वृद्धि हुई; कृषि एवं तत्संबंधित उत्पादों में मामूली सकारात्मक वृद्धि हुई; और कपड़ा तथा तत्संबंधित उत्पादों में मामूली नकारात्मक वृद्धि हुई। उच्च वृद्धि वाले अन्य निर्यात क्षेत्र समुद्री उत्पाद और खनिज थे। वर्ष 2016-16 में क्षेत्रों द्वारा निर्यात वृद्धि के लिए बिंदु की दृष्टि से योगदान के तहत, अभियांत्रिकी सामान से योगदान सर्वोच्च (46.9 प्रतिशत) था, इसके बाद रत्न और आभूषण (29.9 प्रतिशत), अयस्क और खनिज (8.4 प्रतिशत), समुद्री उत्पाद (8.1 प्रतिशत) और पेट्रोलियम उत्पाद (7.3 प्रतिशत) का स्थान था।

सारणी 5. निर्यातों का क्षेत्रवार हिस्सा और वृद्धि दर

क्रम सं.	क्षेत्र	हिस्सा (प्रतिशत)		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
		2015-16	2016-17 (अ.)	2015-16	2016-17 (अ.)
1	अभियांत्रिकी वस्तुएं	23.1	24.3	-17.2	10.8
2	रत्न तथा आभूषण	15.0	15.8	-4.8	10.9
3	रसायन और इनसे संबंधित उत्पाद**	14.7	14.3	0.6	2.1
	जिनमें से				
	दवाइयां और औषध	6.5	6.1	9.6	-0.4
4	कपड़ा और तत्संबंधित उत्पाद	13.7	13.0	-3.2	-0.1
	जिनमें से				
	कपड़ा	5.6	5.2	-8.5	-2.2
	परिधान	8.1	7.8	0.8	1.3
5	पेट्रोलियम क्रूड एवं उत्पाद	11.7	11.5	-46.2	3.7
6	कृषि और तत्संबंधित उत्पाद *	9.9	9.5	-17.6	0.9
7	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	2.2	2.1	-5.3	-0.1
8	समुद्री उत्पाद	1.8	2.1	-13.5	24.2
9	अयस्क और खनिज	0.8	1.2	-16.4	59.1
10	चर्म और चर्मनिर्मित उत्पाद	2.1	1.9	-10.3	-4.1
	कुल निर्यात (अन्य सहित)	100	100	-15.5	5.3

स्रोत: वाणिज्य विभाग आंकड़ा आधार से परिगणित। अ.: अनंतिम
टिप्पणी: *बागान सहित। **प्लास्टिक और रबर उत्पादों सहित।

6.18 क्षेत्रवार प्रमुख महत्वपूर्ण मदों में से एक मद, पीओएल के आयातों में मुख्य रूप से 2013-14 और 2014-15 में आई तीव्र गिरावट के बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत (भारतीय समूह) में 2015-16 में 46.2 अमरीकी डालर /बीबीएल से वर्ष 2016-17 में 47.6 अमरीकी डालर/बीबीएल तक की मामूली बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2016-17 में 4.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में अन्य महत्वपूर्ण आयात मदों में, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अयस्क और खनिज में निम्न वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि कोयले, कोक और कोयला निर्मित ईंटों में उच्च वृद्धि दर्ज की गई; तथा

कृषि और तत्संबंधी उत्पादों में उच्च वृद्धि दर्ज की गई। रसायनों और तत्संबंधी उत्पादों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पूंजीगत सामान के आयात में मामूली गिरावट आई हालांकि उप-श्रेणी के परिवहन उपस्करों में उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य रूप से निर्यात और विनिर्माण के लिए प्रयुक्त मोतियों और बहुमूल्य रत्नों के आयात में उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्ज होने के बावजूद सोने और चांदी के आयात में नकारात्मक वृद्धि के कारण रत्न और आभूषण के आयात में 4.9 प्रतिशत तक की गिरावट आई (सारणी 6)।

सारणी 6. आयात का क्षेत्रवार हिस्सा और वृद्धि दर

क्रम सं०	क्षेत्र	हिस्सा (प्रतिशत)		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
		2015-16	2016-17 (अ.)	2015-16	2016-17 (अ.)
1	पेट्रोलियम तेल और स्नेहक	21.8	22.6	-40.0	4.8
2	पूंजीगत सामान	21.1	20.7	-2.5	-1.5
	जिनमें से				
	मशीनरी	8.7	8.5	3.7	-1.3
	आधार धातु	6.5	5.6	-8.7	-12.8
	परिवहन उपस्कर	4.0	5.1	0.7	27.3
3	रत्न एवं आभूषण	14.8	14.0	-9.4	-4.9
	जिनमें से				
	स्वर्ण	8.3	7.2	-7.7	-13.4
	मोती और अर्द्ध कीमती रत्न	5.3	6.2	-11.2	18.6
	चांदी	1.0	0.5	-17.3	-50.9
4	रसायन और तत्संबंधी उत्पाद**	13.3	12.4	-4.2	-5.8
	जिनमें से				
	कार्बनिक रसायन	2.5	2.6	-15.2	2.7
	उर्वरक	2.1	1.3	9.1	-37.7
5	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	10.5	11.0	8.6	4.8
6	कृषि और तत्संबंधी उत्पाद*	5.7	6.3	7.7	11.4
7	अयस्क और खनिज	5.4	5.6	-23.2	4.5
	जिनमें से				
	कोयला, कोक और कोयला निर्मित ईंटें	3.6	4.1	-23.2	15.2
	कुल आयात (अन्य सहित)	100	100	-15.0	0.9

स्रोत: वाणिज्य विभाग आंकड़ा आधार से परिगणित। अ.: अनंतिम

टिप्पणी: *समुद्री उत्पादों और बागान सहित, **प्लास्टिक और रबर उत्पादों सहित।

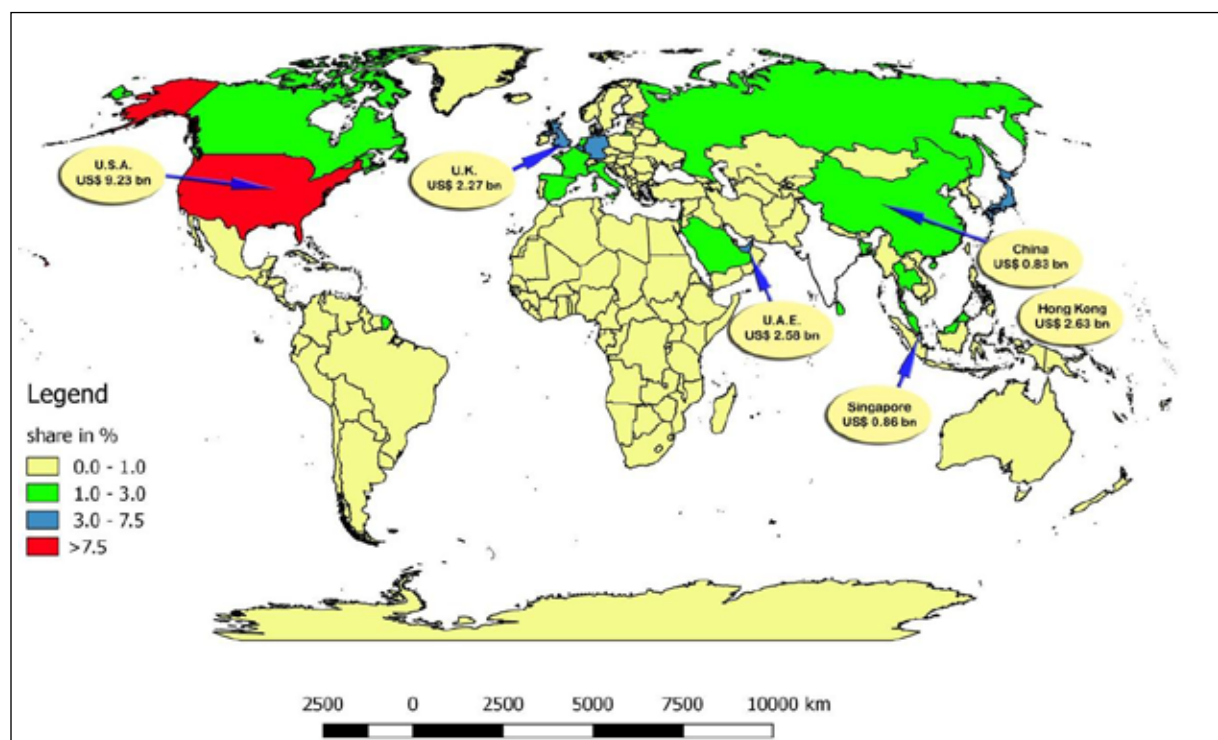
व्यापार की दिशा

6.19 वर्ष 2016-17 में क्षेत्रवार, एशिया को भारत के निर्यात (50 प्रतिशत के निर्यात हिस्से के साथ) में 8.0 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, यूरोप, अमरीका और बाल्टिक्स को भारत के निर्यात (क्रमशः 19.2 प्रतिशत, 19.9 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत के हिस्से के साथ) में 5.5 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत और 16.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तथापि, अफ्रीका को भारत के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई। 2016-17 में भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में, सभी तीन शीर्ष गंतव्यों, अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका के बाद संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग को भारत के निर्यात में क्रमशः 5.0 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 17.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत यूके, सऊदी अरब और जापान को भारत के निर्यात में क्रमशः 3.1 प्रतिशत, 19.7 प्रतिशत और 17.3 प्रतिशत तक गिरावट आई। चीन, जो वर्तमान में चौथा बड़ा गंतव्य है, को भारत का निर्यात 13.1 प्रतिशत तक बढ़ गया। वस्तुतः, वर्ष 2016-17 में भारत के कुल निर्यात में केवल 2 देशों को भारत के निर्यात का हिस्सा 7.5 प्रतिशत से अधिक है और 4 देशों को इसका हिस्सा 3 से 7.5 प्रतिशत तक है। वर्ष 2000-01

से 2016-17 के बीच भारत के व्यापार की दिशा में परिवर्तन मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात के मामले में उपर्युक्त 7.5 प्रतिशत की श्रेणी से एक स्टेप ऊपर तथा चीन और सिंगापुर के मामले में 3-7.5 प्रतिशत की श्रेणी में जाने से हुआ है (चित्र 9क और 9ख)।

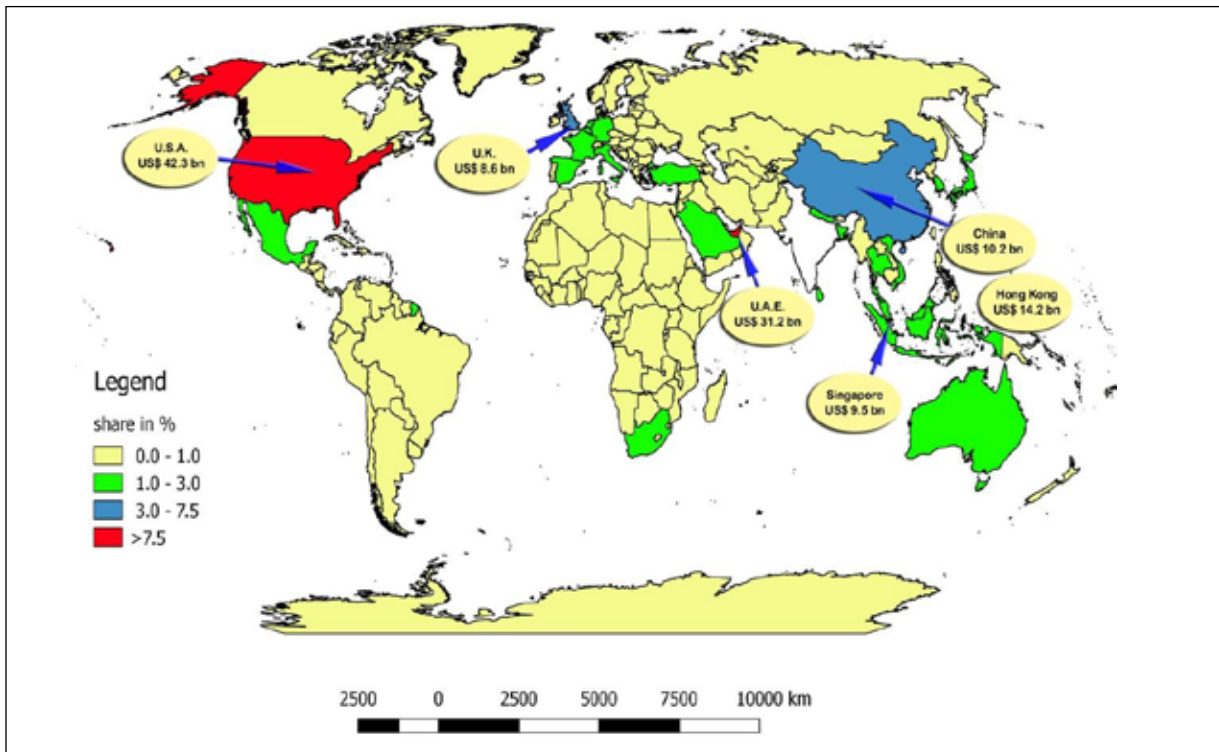
6.20 वर्ष 2016-17 में आयात के मामले में 60.0 प्रतिशत के हिस्से के साथ एशिया आयात का प्रमुख स्रोत बना रहा, इसके बाद यूरोप (16.0 प्रतिशत हिस्सा), अमरीका (12.2 प्रतिशत हिस्सा) और अफ्रीका (7.5 प्रतिशत हिस्सा) का स्थान था। देश-वार, 2016-17 में भारत के कुल आयात में 16.0 प्रतिशत के हिस्से के साथ चीन सबसे बड़ा स्रोत बना रहा, इसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका (5.8 प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (5.6 प्रतिशत), सऊदी अरब (5.2 प्रतिशत) और स्विटजरलैंड (4.5 प्रतिशत) का स्थान था। वर्ष 2016-17 में आयात के शीर्ष 5 स्रोतों में, चीन, सऊदी अरब और स्विटजरलैंड से भारत के आयात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका और संयुक्त अरब अमीरात से भारत के आयात में क्रमशः 2.6 प्रतिशत और 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

चित्र 9क. भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य (2000-01)



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर आधारित

चित्र 9ख. भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य (2016-17)



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर आधारित

व्यापार नीति

हालिया व्यापार नीतिगत उपाय

6.21 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ की गई नई विदेश व्यापार नीति (2015-20) निर्यात और आयात के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों को “मेक इन इंडिया”, “डिजिटल इंडिया” और “स्किल्स इंडिया” जैसी अन्य पहलों के साथ जोड़ती है। यह वाणिज्यिक निर्यातों को लाभ देने के लिए पूर्ववर्ती नीति के तहत 5 भिन्न-भिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को एक एकल स्कीम नामतः भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना (एमईआईएस) में समेकित करती है। सेवा क्षेत्र के लिए, भारत से सेवा प्रदत्त योजना को प्रतिस्थापित करके भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) प्रारम्भ की गई है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीसीईए) द्वारा तारीख 18 नवम्बर, 2015 को 1 अप्रैल, 2015 से 5 वर्ष तक के लिए नौभरण के पूर्व और पश्च रुपया निर्यात ऋण संबंधी ब्याज समकरण योजना को भी मंजूरी दी गई थी और 3 वर्ष पश्चात इसका मूल्यांकन किया जाएगा। निर्यात हेतु निर्यात व्यापार अवसरचना योजना (टीआईईएस) नामक नई योजना भी अनुमोदित की गई जिसे वर्ष 2017-18 से 3 वर्ष के लिए लागू किया जाना है। इसके अतिरिक्त,

विलेखों की संख्या को घटाने, 1 अप्रैल, 2016 से सरल आईईसी (आयातक निर्यातक संहिता) प्रारंभ करने, आईईसी की भौतिक प्रति का निर्गमन समाप्त करने, निर्यात वसूली संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ आदान-प्रदान करने तथा राज्यों को अपनी निर्यात रणनीतियां तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने, जिसके परिणामस्वरूप 17 राज्य अपनी निर्यात संबंधी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, आयात-निर्यात प्रपत्रों को सरल बनाने, आदि जैसे अनेक व्यापार सुगमता संबंधी उपाय भी किए गए हैं।

6.22 एफटीपी 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा की कवायद शुरू कर दी गई है और समीक्षा की गई एफटीपी की शीघ्र ही घोषणा होने की संभावना है। जबकि समीक्षा संबंधी यह कवायद खासकर हालिया अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है, न केवल समीक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है अपितु भारत के निर्यात की गति में भी तेजी लाए जाने की आवश्यकता है ताकि 2016 में इसका सम्मानजनक हिस्सा विश्व निर्यात के मौजूदा 1.7 प्रतिशत से बढ़कर कम से कम 5 प्रतिशत तक पहुंच जाए, जो चीन के 13.2 प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक कम है (बॉक्स 2 देखें)।

बॉक्स 2. भारत के वाणिज्यिक निर्यात को पुनः प्रोत्साहित करना तथा गति में तेजी लाना: नीतिगत सुधार

विश्व निर्यात के 5 प्रतिशत का सम्मानजनक हिस्सा प्राप्त करने के लिए, यह अनुमान लगाते हुए कि वैश्विक वृद्धि 1.5 प्रतिशत के सीएजीआर (2010-15) में निरंतर बनी रहती है कम से कम 5 वर्ष (2017-21) तक भारत की निर्यात वृद्धि दर (सीएजीआर) लगभग 26.5 प्रतिशत रहनी होगी। इसके लिए विशिष्ट उपायों के साथ-साथ कुछ प्रमुख रणनीतियां और सुधार आवश्यक हैं।

प्रमुख रणनीतियां और नीतिगत सुधार

- केवल आपूर्ति आधारित रणनीति के बजाय मांग आधारित निर्यात समूह विविधकरण क्योंकि विश्व के शीर्ष आयातकों में 4 अंकीय स्तर की वस्तुओं का स्थान और विश्व को इन वस्तुओं के निर्यात के मामले में भारत का स्थान 2015 में संख्याओं की दृष्टि से 4 अंकीय स्तर की विश्व की शीर्ष 100 आयात वस्तुओं में इन मदों में भारत के 96.5 प्रतिशत के निर्यात और 6 अंकीय स्तर पर 83.2 प्रतिशत के निर्यात में अत्यधिक अंतर दिखाई देता है, जो मूल्य की दृष्टि से विश्व के 100 शीर्ष आयातकों का केवल 1.6 प्रतिशत बैठता है।
- वर्ष 2015-16 में वसूल किए गए प्रशुल्कों (बीसीडी) के रूप में यौक्तिकीकरण प्रशुल्क 2.8 प्रतिशत की दर पर अत्यधिक कम है और विभिन्न छूटों के कारण औसतन प्रयुक्त प्रशुल्कों के एक-चौथाई से भी कम है। यदि सकल सीमाशुल्क राजस्व से वापस की हुई राशि और वापस ली गई सीमाशुल्क ड्यूटी घटा दी जाती है तो वसूल किए गए निवल प्रशुल्क (बीसीडी) इससे भी कम हो जाएंगे। यद्यपि अनेक कारणों से प्रशुल्कों की भिन्न-भिन्न दरें नियत की जाती हैं, फिर भी संवेदनशील और महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए उच्च प्रशुल्क बनाए रखते हुए अनेक लाइनों से प्रशुल्कों को चयनात्मक रूप से कम करके औसतन प्रयुक्त प्रशुल्कों को कम करने की गुंजाइश है। इसके परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन के बाध्य प्रशुल्कों को भी कम किया जा सकता है जो भारत की विश्व व्यापार संगठन और द्विपक्षीय वार्ताओं में और अधिक सकारात्मक भूमिका निभाने में मददगार हो सकता है।
- निर्यात संवर्धन योजनाओं को सरल और कारगर बनाना क्योंकि जीएसटी के तहत अनेक शुल्कों को आपस में मिला दिया गया है और यदि प्रशुल्कों को वसूल किए गए या वसूल किए जाने के आस-पास वाले स्तरों तक कम कर दिया जाता है तो कुछ निर्यात संवर्धन योजनाएं चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जा सकती हैं। प्रशुल्क वापसी की संशोधित दरें भी कम की जा सकती हैं। इससे बचे राजस्व का निर्यात विपणन प्रयासों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- विश्व श्रेणी की निर्यात अवसंरचना और विशेषकर पत्तन से संबंधित संभार तंत्र का युद्ध स्तर पर विकास करना।
- एफडीआई से संबद्ध और मूल्य वर्धित निर्यात, खासकर उच्च-तकनीक के निर्यात चीन और कुछ अन्य आसियान देशों की तरह हों।
- ब्रिक्स और आसियान देशों के साथ, जहां भारत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में है, सक्रियता से संबंध का विस्तार करते हुए कुछ बड़े देशों के साथ उपयोगी मुक्त व्यापार करार/व्यापक आर्थिक सहयोग करार करना।
- राष्ट्रीय निर्यातक प्राथमिकता क्षेत्रक तथा राज्यों को निधियों के अंतरण को राज्यों के निर्यात प्रयत्न के साथ जोड़ते हुए निर्यात में राज्यों की अधिक से अधिक भागीदारी।
- एक स्पष्ट कृषि-व्यापार नीति तैयार करना।

मुख्य कार्यनीतियों के अलावा, व्यापार नीति से संबंधित जटिल मामले और क्षेत्रक विशिष्ट मामले जैसे गैर-व्यस्ततम घंटों के लिए निम्न दरों सहित प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बिजली उपलब्ध कराना जिससे कपड़ा निर्यात की स्थिति में काफी सुधार हो सकता है; और हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर संयोजन तथा सुस्थापित मूल्य श्रृंखला के साथ एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार का निर्माण करने के लिए असेम्बलिंग से हटने सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यात को उच्च गति प्रदान करना।

स्रोत: डॉ॰ आर॰ सतीश, विजय कुमार, एस॰एस॰ सिंह, आर॰के॰ शर्मा के साथ डॉ॰ एच॰ए॰सी॰ प्रसाद: “रिवाइजिंग एंड एक्सलेरेटिंग इंडियाज एक्सपोर्ट्स: पॉलिसी इश्यूज एंड सजेशन” वर्किंग-पेपर नं॰ 01/2017-डीईए, जनवरी, 2017।

प्रतिपाटन (एंटी डंपिंग) उपाय

6.23 2015 में, सभी देशों द्वारा 230 प्रतिपाटन जांचें प्रारंभ की गईं जिनमें अमरीका ने भारत से अधिक लगभग 42 जांचें प्रारंभ कीं (सारणी 7)। तथापि, 2016 में, भारत जी-20 सदस्यों द्वारा प्रारम्भ की गई कुल 228 प्रतिपाटन जांचों में से 69 जांचें प्रारंभ करते हुए इन जांचों को प्रारम्भ करने वाला सर्वोच्च देश बन गया है, इसके बाद अमरीका (37) और आस्ट्रेलिया (25) का स्थान है (विश्व व्यापार संगठन, 2017)।

6.24 वैश्विक मंदी के समय से, पाटन से संबंधित शिकायतें बढ़ती रही हैं। भारत, देश में मालों के पाटन के

प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनों, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन और क्षति के बीच कार्यकारण संबंध के आधार पर प्रतिपाटन जांचें प्रारम्भ करता है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत ने 44 प्रतिपाटन जांचें प्रारम्भ कीं और 5 प्रतिपाटन जांचों में प्रारंभिक निष्कर्ष, 28 प्रतिपाटन जांचों में अंतिम निष्कर्ष तथा प्रतिपाटन शुल्क जांच के एक प्रति-उपाय में अंतिम निष्कर्ष जारी किए। जो प्रमुख उत्पाद भारत में पाटित कर दिए गए पाए गए हैं और जिनके संबंध में प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है, वे रसायन और पेट्रो-रसायन, इस्पात और अन्य धातुओं के उत्पादों, रेशम और धागा तथा उपभोक्ता

सारणी 7. प्रतिपाटन उपायों के कुछ प्रमुख उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रारंभ की गई जांचें

देश	भारत	यूएसए	ईयू	ब्राजील	अर्जेंटीना	ऑस्ट्रेलिया	चीन	सभी देश अन्य सहित
2009	31	20	15	9	28	9	17	217
2010	41	3	15	37	14	7	8	173
2011	19	15	17	16	7	18	5	165
2012	21	11	13	47	12	12	9	208
2013	29	39	4	54	19	20	11	287
2014	38	19	14	35	6	22	7	236
2015	30	42	12	23	6	10	11	230
2016	69	37	14	11	25	17	5	145*
1995-2016*	818	593	485	396	328	310	231	5132

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन

टिप्पणी: *30 जून, 2016 तक

मालों के उत्पादों के समूह के अंतर्गत आते हैं। इन जांचों में जुटे देशों में चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड, टर्की, सऊदी अरब, चीनी ताइपेई और

अमरीका शामिल हैं। जिन देशों और उत्पादों के संबंध में भारत द्वारा हाल ही में कुछ प्रतिपाटन जांचें प्रारंभ की गई हैं उनका ब्यौरा सारणी 8 में दिया गया है।

सारणी 8. 2015-16 से प्रारम्भ की गई प्रतिपाटन जांचें- शामिल देश और उत्पाद

वर्ष	प्रमुख देश	लक्षित प्रमुख मर्दे	प्रतिपाटन जांचों का प्रारम्भ करना	अंतिम निष्कर्ष/ समापन
2015-16	चीन पी आर (23), कोरिया आर पी (5) चीनी ताइपेई (7), थाइलैंड (8), इंडोनेशिया (4), अमरीका (3), रूस (4), मलेशिया (3), वियतनाम (3), पाकिस्तान (3), ईरान (5)	रसायन, पेट्रो रसायन, रेशम और धागा तथा इस्पात निर्मित उत्पाद	36	46
2016-17	चीन पी आर (37), यूरोपीय संघ (5) कोरिया आर पी (5) चीनी ताइपेई (5), थाइलैंड (3), इंडोनेशिया (7), जापान (7) अमरीका (0), रूस (4), मलेशिया (4), ईरान (3), सऊदी अरब (2)	रसायन, पेट्रो रसायन, रेशम और धागा तथा इस्पात निर्मित उत्पाद	44	29
2017-18*	चीन पी आर (8), यूरोपीय संघ (2) कोरिया आर पी (1) चीनी ताइपेई (1), थाइलैंड (2), सिंगापुर (1), इंडोनेशिया (2), अमरीका (1), मलेशिया (1), वियतनाम, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात (1), पाकिस्तान (1), हांगकांग, ईरान (1), सऊदी अरब (2)	रसायन, पेट्रो रसायन, रेशम और धागा तथा इस्पात निर्मित उत्पाद	10	11
जोड़			281	276

स्रोत: प्रतिपाटन तथा तत्संबंधित शुल्क महानिदेशालय

टिप्पणी: 2017-18* (अर्थात 30.06.2017 तक), () प्रारम्भ की संख्या

16.25 12 अप्रैल, 2016 को, भारत ने चीन में उत्पन्न कतिपय हॉट-रोल्ड और कोल्ड रोल्लेड स्टेनलेस स्टील प्लेट उत्पादों के आयातों से संबंधित प्रतिकारी शुल्क जांच आरंभ की। इसने अपनी जांच क्रियाविधि को आईएसओ 9001: 2015 अनुपालक बनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय/क्षेत्रीय वार्ताएं और भारत

6.26 प्रशांत क्षेत्र-पार भागीदारी (टीपीपी) से अमरीका के हटने, संरक्षणवाद के बढ़ने और अनेक देशों में विश्व व्यापार संगठन वार्ता की ओर वापस लौटने के विचार के परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन में समान वार्ताओं के लिए अवसर की गुंजाइश बन गयी है। डब्ल्यूटीओ का ग्यारहवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी 11) ब्यूनस आयर्स, अर्जेन्टीना में दिसम्बर, 2017 में आयोजित किए जाने को निर्धारित है। डब्ल्यूटीओ में एमसी 11 के निष्कर्ष तथा विभिन्न अनौपचारिक बैठकों में मुख्य वार्ताओं से हटकर व्यापार मंत्रियों के स्तर पर विचार-विमर्श जारी है। इन सभी बैठकों में, भारत ने बाली और नैरोबी में पिछले डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय, विशेषकर विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक अंशधारिता, और कृषि संबंधी विशेष सुरक्षा तंत्र लागू करने से संबंधित मुद्दे संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत ने डब्ल्यूटीओ में कोई मुख्य वार्ता करने से रह गए विकासशील देशों के लिए विशेष और भिन्न सुविधा सहित दोहा कार्यसूची में अन्य मसलों से संबंधित निष्कर्षों की जरूरत पर भी बल दिया है।

6.27 डब्ल्यूटीओ व्यापार सुविधा करार, व्यापार लागत घटाने की अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली सृजित करके एक जरूरी मील के पथर का प्रतीक है। इस करार का उद्देश्य “भारत की व्यवसाय करने की आसानी” वाली पहल के अनुरूप है। भारत के विचार में, खासकर विकासशील देशों के लिए व्यापार सुविधा जरूरी है। व्यापार संव्यवहार की लागत में मामूली कमी से भी विकसित और विकासशील दोनों देशों के व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत

ने, अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार, अपनी श्रेणी ‘क’ प्रतिबद्धताएं मार्च 2016 में अधिसूचित कीं और बाद में व्यापार सुविधा करार (टीएफए) का अनुसमर्थन अप्रैल, 2016 में किया। टीएफए के तहत दिए गए कुल उपबंधों में से तकरीबन 70 प्रतिशत उपबंध ‘क’ श्रेणी के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। शेष उपबंध श्रेणी “ख” के तहत वर्गीकृत किए गए हैं। इन्हें 5 वर्ष की संक्रमण अवधि के पश्चात कार्यान्वित किया जाएगा। देश में टीएफ के उपबंधों के समन्वयन और कार्यान्वयन दोनों को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) गठित की गई है। व्यापार में बाधाओं को और आसानी से दूर करने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों वाली कार्ययोजना तैयार की गई है। पूरे विश्व के लिए सेवाओं में व्यापार के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने मालविशिष्ट व्यापार सुविधा करार (टीएफए) के समकक्ष के रूप में, डब्ल्यूटीओ में व्यापार सुविधा सेवा (टीएफएस) करार पर चर्चा करने की पहल की है (अध्याय 9 देखें)।

भारत अनेक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग करारों में भी शामिल रहा है। भारत के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय करारों से संबंधित हालिया घटनाक्रम बॉक्स 3 में दिए गए हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार

6.28 चालू खाता घाटे में चल रही मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में, भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बीओपी आधार पर आरक्षित निधि में बदलाव और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित आस्तियों के मूल्यांकन में परिवर्तनों के कारण परिवर्तित हो सकता है। 2016-17 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बीओपी आधार पर (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव छोड़कर) 21.6 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया, जबकि 2015-16 में सांकेतिक दृष्टि से (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव सहित) इस भंडार में 18.5 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त की अपेक्षा 9.8 बिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि हुई। मुख्य मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डालर की मूल्य वृद्धि को प्रधानतः प्रतिबिंबित करते हुए मूल्यहास 2015-16 में 0.6 बिलियन

बाक्स 3. भारत के कुछ हालिया द्विपक्षीय/क्षेत्रीय सहयोग करारों की स्थिति

- **आसियान+एफटीए के 6 साझेदारों (आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड) के बीच आरसीईपी करार:** नवंबर, 2012 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा की गई घोषणा के आधार पर, आसियान के 10 सदस्य देशों और इसके 6 साझेदारों के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करार पर वार्ता मई, 2013 में आरंभ हुई। तीसरा इंटरनेशनल आरसीईपी मिनिस्टेरियल हनोई में 21 से 22 मई, 2017 तक संपन्न हुआ। भारत आरसीईपी के 19वें दौर के वार्ता की मेजबानी हैदराबाद में 18-28 जुलाई, 2017 तक करेगा। वार्ताओं में माल-व्यापार, सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और विधिक तथा संस्थागत मसले शामिल हैं।
- **भारत श्रीलंका ईटीसीए:** भारत और श्रीलंका के पास 1998 में हस्ताक्षरित और मार्च 2000 में प्रवृत्त मुक्त व्यापार करार विद्यमान है जिसमें माल व्यापार भी शामिल है। दिसंबर, 2015 में, भारत और श्रीलंका 'आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग करार (ईटीसीए)' नामक नये व्यापक करार के लिए वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। करार के कार्यक्षेत्रों में माल-व्यापार के अलावा सेवा-व्यापार, निवेश मसले और प्रौद्योगिकी, सीमाशुल्क, मानक आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं। अब तक वार्ता के चार और आयोजित किए जा चुके हैं, हालिया दौर 24-26 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- **भारत ईयूबीटीआईए:** माल, सेवा, निवेश, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी अवरोध, व्यापार सुविधा तथा सीमाशुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आईपीआर और जीआईएस, आदि के क्षेत्रों में वार्ताएं 28 जून, 2007 को प्रारंभ हुई। ये वार्ताएं जनवरी, फरवरी, जुलाई और नवंबर, 2016 में जायजा लेने वाली 4 बैठकों में दुबारा शुरू हुई।
- **भारत-थाइलैंड सीईपीए:** व्यापार वार्ता समिति का 30वां दौर नई दिल्ली में 13-14 जुलाई, 2016 को संपन्न हुआ। 82 मदों से संबंधित अर्ली हारवेस्ट स्कीम लागू कर दी गई है।
- **भारत-कोरिया सीईपीए समीक्षा:** नई दिल्ली में 18 जून, 2016 को आयोजित मंत्रिस्तरीय संयुक्त समिति की बैठक के दौरान, दोनों पक्षकारों ने भारत-कोरिया सीईपीए के अद्यतनीकरण के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की। भारत-कोरिया सीईपीए के अद्यतनीकरण वार्ताओं के दो दौर अब तक हो चुके हैं। वार्ता का दूसरा दौर नई दिल्ली में 13-14 फरवरी, 2017 को संपन्न हुआ था।
- **भारत-ईएईयूएफटीए:** संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) की रिपोर्ट को भारत और ईएईयू (यूरेशियाई आर्थिक संघ) द्वारा सितंबर, 2016 में अंतिम रूप दिया गया। भारत को एफटीए वार्ताएं आरंभ करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तथापि, ईएईयू अभी सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

स्रोत: वाणिज्य विभाग

अमरीकी डालर के लाभ की तुलना में 2016-17 में 11.8 बिलियन अमरीकी डालर बैठता था (सारणी 9)। मार्च 2016 की तुलना (सांकेतिक दृष्टि से) में आरक्षित निधि में 9.8 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त के साथ आयात के लिए आरक्षित निधि कवर भी मार्चान्त 2016 में 10.9 माह से मार्चान्त 2017 में बढ़कर 11.3 माह हो गया।

6.29 भारतीय रिजर्व बैंक, बाजार के हालात को व्यवस्थित बनाए रखने तथा उसमें अत्यधिक घट-बढ़ को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार के हाजिर बाजार और वायदा बाजार खंडों दोनों में हस्तक्षेप करता है। यह विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय करता है जिससे कि मुख्य रूप से मांग या आपूर्ति की अपवृद्धि में बुनियादी संतुलन स्थापित किया जा सके। पिछले कुछ महीनों में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई वायदा खरीदें हाजिर खरीदों से अधिक थीं। हस्तक्षेप से संबंधित साधन (हाजिर और वायदा) का विकल्प,

हस्तक्षेप के उद्देश्य और विदेशी मुद्रा बाजार में व्याप्त स्थिति पर निर्भर करता है। हाजिर और वायदा बाजारों के बीच हालिया कार्रवाई संबंधी कार्यों के वितरण से संबंधित निर्णय, रुपया नकदी, विद्यमान बकाया वायदा आस्ति/देयताओं की वायदा प्रीमियम स्थिति पर प्रभाव, आदि जैसे दिनानुदिन आधार से संबंधित कारक समूह द्वारा दिशानिर्देशित होते रहते हैं। 2014-16 के दौरान जब कभी हस्तक्षेप क्रय के संबंध में किया गया, तब एक सचेत प्रयत्न वायदा बाजार में समुचित मात्रा में क्रय करने के लिए किया गया ताकि एफसीएनआर(बी) और ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) विनिमय की परिपक्वता के कारण निर्धारित बहिर्वाह को कवर किया जा सके।

6.30 भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से मार्च, 2017 तक हस्तक्षेप 18 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें से लगभग 5

सारणी 9. विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन का 'सार' (बिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	वित्त वर्ष के अंत (मार्चांत) में विदेशी मुद्रा भंडार	आरक्षित निधि में कुल वृद्धि (+)/ कमी (-)	बीओपी आधार पर आरक्षित निधि में वृद्धि/कमी	मूल्यांकन प्रभाव के कारण आरक्षित निधि में वृद्धि/कमी
2007-08	309.7	110.5	92.2	18.3
2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.6
2009-10	279.1	27.1	13.4	13.7
2010-11	304.8	25.8	13.1	12.6
2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
2014-15	341.6	37.4	61.4	-24
2015-16	360.2	18.5	17.9	0.6
2016-17	370.0	9.8	21.6	-11.8

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बिलियन अमरीकी डालर हाजिर बाजार में और शेष 13 बिलियन अमरीकी डालर वायदा बाजार के जरिए प्राप्त हुआ। वायदा खरीदों के रूप में अधिकतर हस्तक्षेप इस तथ्य के कारण किया गया कि विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप बैंकिंग तंत्र में बेशी नकदी आ गई थी और किसी अतिरिक्त हाजिर-बाजार हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप इस तंत्र की बेशी नकदी में इजाफा ही हो सकता था।

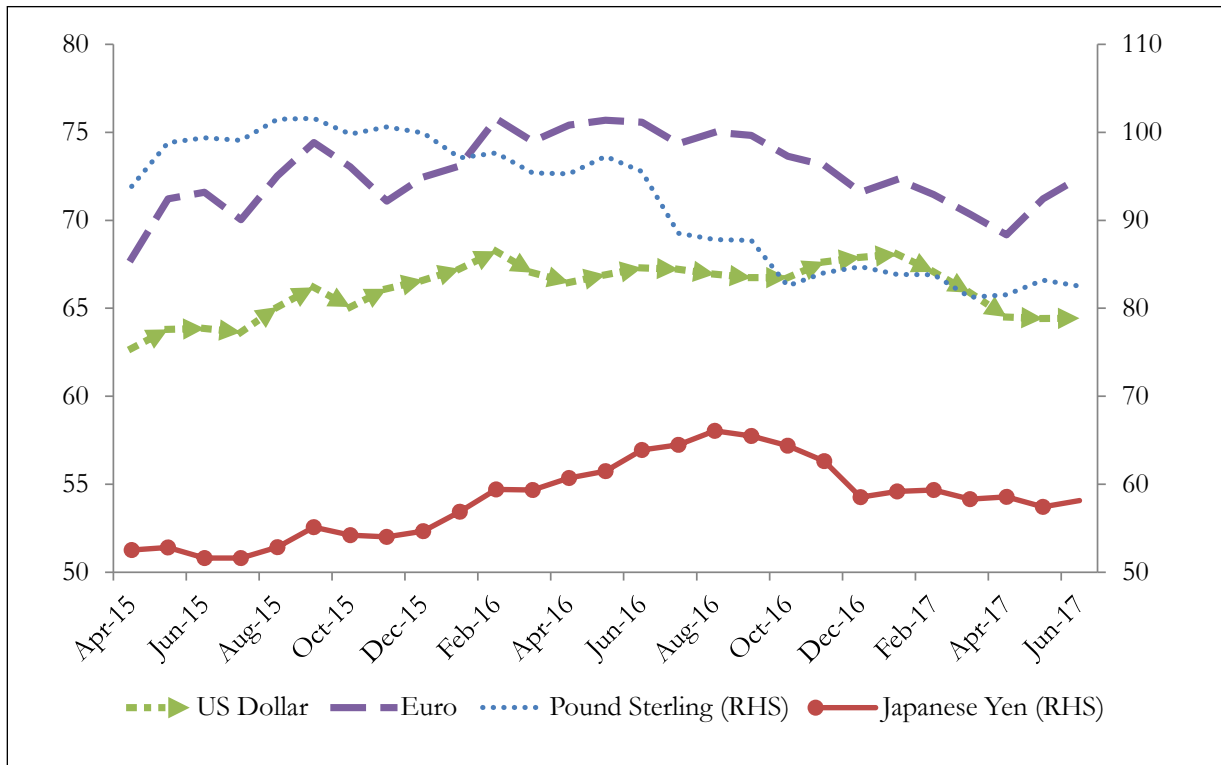
विनिमय दर

6.31 रुपये की औसत वार्षिक विनिमय दर का मूल्य 2015-16 में 65.5 ₹ प्रति अमरीकी डालर से घटकर 2016-17 में 67.1 रुपया प्रति अमरीकी डालर रह गया। 2016-17 में, अमरीकी डालर, यूरो और जापानी येन के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत हुआ, जबकि इसमें पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले 12.6 प्रतिशत तक अधिमूल्यन हुआ। अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये की औसत मासिक विनिमय दर में नवंबर 2016 से जनवरी 2017 तक लगातार अवमूल्यन के बाद, फरवरी से जून 2017 तक लगातार अधिमूल्यन हुआ है, जबकि पाउंड स्टर्लिंग, यूरो

और जापानी येन के मामले में मासिक रूप से भिन्नता रही है (चित्र 10)

6.32 2016-17 में कई अन्य ईएमई-मुद्राओं से रुपए ने बेहतर प्रदर्शन किया। जहां वार्षिक औसत आधार पर, यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का 2.4 प्रतिशत तक अवमूल्यन हुआ, वहीं चीनी युआन (6.0 प्रतिशत), अर्जेंटिनियाई पेसो (29.1 प्रतिशत), मलेशियाई रिंगिट (3.7 प्रतिशत), मेक्सिको पेसो (13.5 प्रतिशत) और टर्की लीरा (11.3 प्रतिशत) की तुलना में इसका अधिक अवमूल्यन हुआ। यूएस के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद आए नतीजों और नवंबर, 2016 में घरेलू रूप से घोषित विमुद्रीकरण अभियान के चलते अनिश्चितता के कारण भारतीय रुपए पर गिरावट का स्पष्ट रूप से दबाव था। परंतु, रुपए में दिसंबर, 2016 से तेजी से सुधार आया है, वैश्विक जोखिम अनिच्छा कम होने के चलते विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह सकारात्मक हो जाने और सुधारों पर केन्द्रित केंद्रीय बजट तथा राज्य चुनावों के निर्णायक परिणामों के कारण फरवरी, 2017 से आगे इसमें और भी सुधार हुआ है। 2017-18 (अप्रैल-जून) के दौरान,

चित्र 10. अमरीकी डालर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन की तुलना में रुपये में घट-बढ़



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

2016-17 के वार्षिक औसत के मुकाबले अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए में 4.0 प्रतिशत तक सुधार हुआ। जबकि अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूसी रूबल में 10.3 प्रतिशत तक और दक्षिण अफ्रीकी रैंड में 6.2 प्रतिशत तक का सुधार हुआ, चीनी युआन और मलेशियाई रिंगिट में अमरीकी डॉलर के मुकाबले क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

6.33 विनिमय दर के क्षेत्र में एक हालिया गतिविधि यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने अनुचित ढंग से व्यापार करने पर रोक लगाने के लिए अनुचित मुद्राओं संबंधी नीतियां लागू की हैं और मुद्रा में हेर-फेर करने वालों पर नज़र भी रख रहा है। यूएस ट्रेजरी का ध्यान अमरीका के साथ कारोबार कर रहे 12 सबसे बड़े भागीदारों पर है, जिनकी हिस्सेदारी वस्तुओं में अमरीकी कारोबार की लगभग 70 प्रतिशत बैठती है। इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन, भारत निगरानी सूची में नहीं है (बॉक्स 4)।

6.34 2016-17 के दौरान, औसतन (वर्षानुवर्ष आधार पर), यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 2.4 प्रतिशत तक का अवमूल्यन हुआ, 6 और 36 मुद्राओं के समूह के प्रति सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) के अनुसार, रुपया क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत कमजोर हुआ। तथापि, 2016-17 में, 6 और 36 मुद्राओं के समूह की तुलना में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के अनुसार, रुपया क्रमशः 2.7 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत मजबूत हुआ। 6-मुद्रा और 36-मुद्रा आरईईआर (कारोबार-आधारित; आधार वर्ष: 2004-05 = 100) में मार्च, 2016 के मुकाबले मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 7.6 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत तक की तेजी आई। जबकि ईएमई में सर्वाधिक स्थाई मुद्राओं में रुपया शामिल रहा है, आरईईआर में वृद्धि यह इंगित करती है कि भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में मामूली कमी आई है (चित्र 11)।

बाक्स 4. यूएस द्वारा मुद्रा में हेरा-फेरी करने वालों की निगरानी

मुद्रा में हेर-फेर करने वाले देशों पर नज़र रखने के लिए, यूएस ट्रेजरी ने ट्रेड फॉसिलिटेशन एंड ट्रेड एंफोर्समेंट एक्ट, 2015 में दिए गए तीन मानदंडों के लिए प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित की हैं और नए प्रशासन के अधीन यूएस ट्रेजरी ने विदेशी मुद्रा में हेर-फेर करने वालों का वर्गीकरण करने वाले नियमों के अनुसार यथास्थिति बनाए रखी है। पहला मानदंड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय कारोबार अधिशेष है (कम से कम 20 बिलियन अमरीकी डॉलर) जबकि दूसरा मानदंड जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार देश का चालू खाता शेष है (जीडीपी का कम से कम 3 प्रतिशत) और तीसरा मानदंड विदेशी मुद्रा बाजार में निरन्तर एक-पक्षीय हस्तक्षेप तथा 12 महीनों की अवधि के मुकाबले निवल 8 महीनों में किसी अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी का कम से कम 2 प्रतिशत है (यूएस ट्रेजरी रिपोर्ट अप्रैल 2017)। 2017 की ट्रेजरी रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सभी तीनों मानदंडों के पैरामीटर को कोई भी मुख्य कारोबारी भागीदारी पूरा नहीं करता है। तथापि, 2015 के अधिनियम में तीन में से दो मानदंडों को पूरा नहीं कर रही अर्थव्यवस्था को निगरानी सूची में रखा जाएगा। यद्यपि चीन इन तीन में से दो मानदंड पूरे नहीं करता, तथापि यूएस, ट्रेजरी ने यह कहते हुए उसे शर्तों में ढील दे दी कि संपूर्ण यूएस कारोबार घाटे के बड़े और गैर-आनुपातिक हिस्सेदार देशों को निगरानी सूची में रखा जाएगा। अब चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, जर्मनी और स्विटजरलैंड जैसे देशों को 2017 में निगरानी सूची में रखा गया है और ये कम-से-कम दो लगातार रिपोर्टों तक सूची में बने रहेंगे। भारत निगरानी सूची में नहीं है क्योंकि यह कारोबार अधिशेष के केवल पहले मानदंड को पूरा करता है, जो 24.3 बिलियन अमरीकी डॉलर बैठता है जोकि 20 बिलियन अमरीकी डॉलर की प्रारंभिक सीमा से मामूली-सा अधिक है (सारणी 10)।

सारणी 10. यूएस द्वारा प्रमुख विदेशी व्यापार भागीदारों के मूल्यांकन का मानदंड

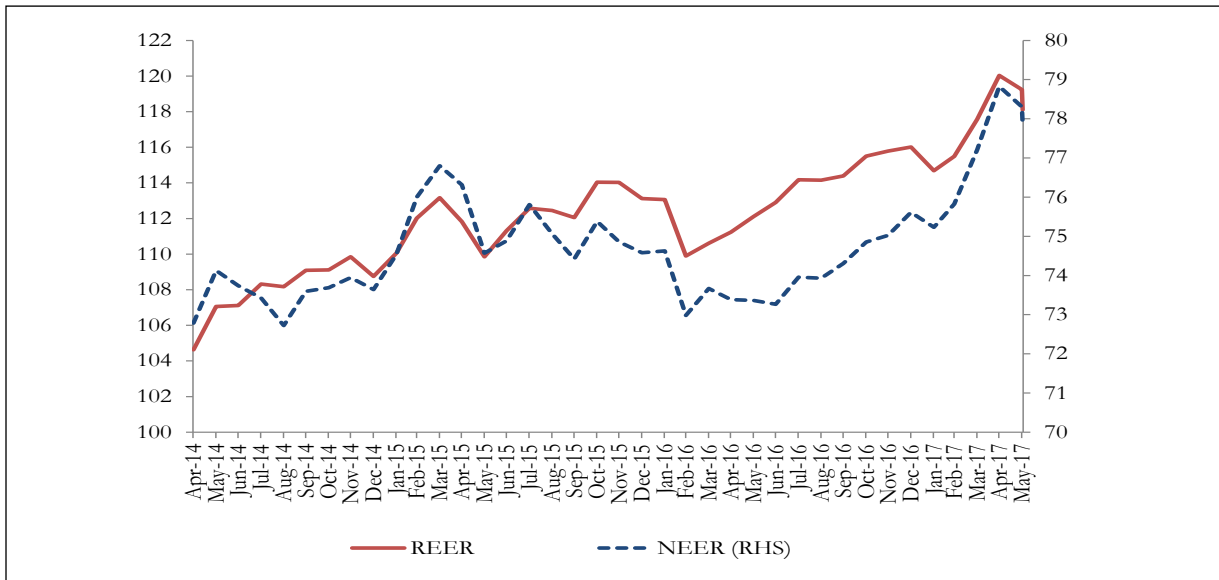
देश	द्विपक्षीय वस्तु घाटा (बिलियन अमरीकी डॉलर, अनुगामी चौथी तिमाही)	चालू खाता			विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप		
		(जीडीपी का शेष %, अनुगामी चौथी तिमाही)	शेष में 3 वर्षीय परिवर्तन (जीडीपी का %)	शेष (बिलियन अमरीकी डॉलर, अनुगामी चौथी तिमाही)	निवल फोरेक्स क्रय (जीडीपी का %)	निवल फोरेक्स क्रय (बिलियन अमरीकी डॉलर)	निवल फोरेक्स क्रय 12 माह के 8 माह
चीन	347.0	1.8	0.2	196	-3.9	-435	नहीं
जापान	68.9	3.8	2.9	186	0.0	0	नहीं
जर्मनी	64.9	8.3	1.5	286	-	-	नहीं
मैक्सिको	63.2	-2.7	-0.2	-28	-0.5	-6	नहीं
इटली	28.5	2.8	1.8	51	-	-	नहीं
कोरिया	27.7	7.0	0.8	99	-0.5	-7	नहीं
भारत	24.3	-0.5	2.1	-11	0.4	10	नहीं
फ्रांस	15.8	-1.2	-0.3	-30	-	-	नहीं
स्विटजरलैंड	13.7	10.7	-0.8	71	10.0	66	हां
ताइवान	13.3	13.4	3.4	71	1.8	10	हां
कनाडा	11.2	-3.3	-0.1	-51	0.0	0	नहीं
यूनाइटेड किंगडम	-1.1	-5.1	-1.1	-138	0.0	0	नहीं
मेमो: यूरो क्षेत्र	125.7	3.4	1.2	403	0.0	0	नहीं

स्रोत: कांग्रेस को रिपोर्ट, संयुक्त राज्य के प्रमुख व्यापार भागीदारों की विदेशी मुद्रा नीतियां, अप्रैल, 2017, यूएस ट्रेजरी विभाग।

टिप्पणी: निगरानी मानदंड :

- (क) यूएस के साथ द्विपक्षीय कारोबार अधिशेष (कम से कम 20 बिलियन डॉलर)
- (ख) चालू खाता शेष (जीडीपी का कम से कम 3 प्रतिशत)
- (ग) विदेशी मुद्रा बाजार में निरन्तर एक-पक्षीय हस्तक्षेप तथा 12 महीनों की अवधि के मुकाबले निवल 8 महीनों में किसी अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी का कम से कम 2 प्रतिशत

चित्र 11. एनईईआर और आरईईआर (व्यापार आधारित-36 मुद्राएं) के सूचकांकों में उतार-चढ़ाव
2004-05=100



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी ऋण

6.35 मार्चान्त 2017 में भारत का सकल विदेशी ऋण स्टॉक 471.9 बिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें मार्चान्त 2016 की तुलना में 13.1 बिलियन अमरीकी डालर (2.7 प्रतिशत) की कमी दर्ज हुई। मार्चान्त 2017 में दीर्घावधि विदेशी ऋण 383.9 बिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें मार्चान्त 2016 के स्तर की तुलना में 4.4 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, जबकि 88.0 बिलियन अमरीकी डालर के अल्पावधि ऋण में 5.5 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। 2016-17 के दौरान विदेशी ऋण में कमी दीर्घावधि विदेशी ऋण में कमी के चलते आई थी। यह कमी विशिष्ट रूप से एफसीएनआर(बी) जमाओं के मोचन प्रतिबिंबित करने वाली एनआरआई जमाओं में गिरावट (बाक्स 5) तथा वाणिज्यिक उधारों में कमी के कारण आई थी। (बाक्स 5) भारत का विदेशी ऋण परिपक्वता पैटर्न यह दर्शाता है कि मार्चान्त 2017 में कुल विदेशी ऋण में दीर्घावधि उधारों का प्रधान हिस्सा 81.4 प्रतिशत बैठता है (सारणी 11)।

सारणी 11. भारत के विदेशी ऋण की संरचना

(प्रतिशत)

क्र.सं.	घटक	मार्च 2015	मार्च 2016 R	मार्च 2017 P
1	बहुपक्षीय	11.0	11.1	11.5
2	द्विपक्षीय	4.6	4.6	4.9
3	आईएमएफ	1.2	1.2	1.1
4	कारोबार क्रेडिट	2.7	2.2	2.1
5	वाणिज्यिक उधार	38.0	37.3	36.7
6	एनआरआई जमाएं	24.3	26.2	24.8
7	रूपे ऋण	0.3	0.3	0.3
8	दीर्घावधि ऋण (1 से 7)	82.0	82.8	81.4
9	अल्पावधि ऋण	18.0	17.2	18.6
10	कुल विदेशी ऋण	100.0	100.0	100.0

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

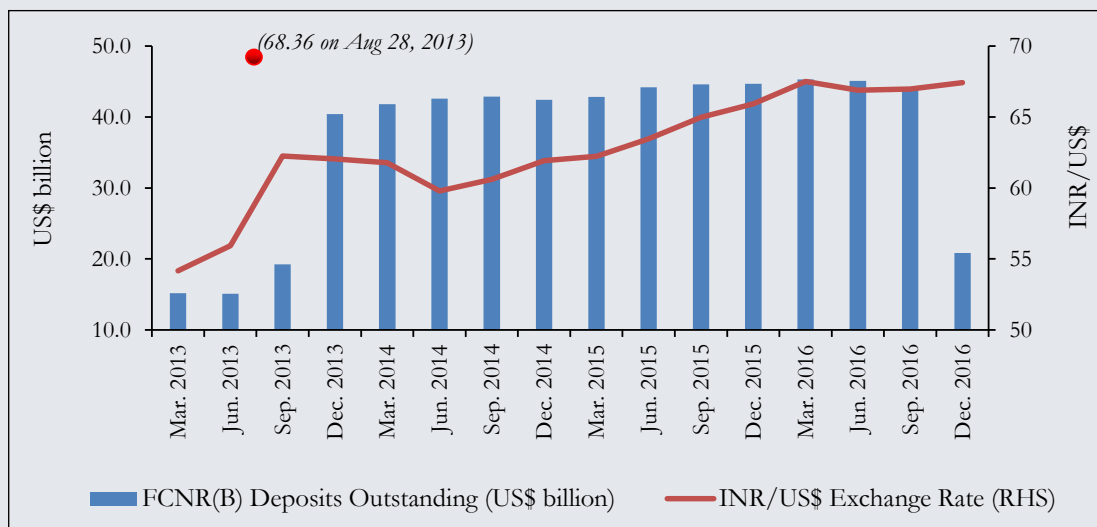
टिप्पणी: सं: संशोधित; अ: अंतिम।

बॉक्स 5. एफसीएनआर (बी) डालर निधियों का मोचन

मई 2013 में, मात्रात्मक सुगमता (क्यूई) कटौती का यूएस फेड का पहला संकेत अत्यधिक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से शीघ्र और बड़े पूंजी बहिर्वाहों में परिणामी हुआ। इन बहिर्वाहों ने भारत सहित ईएमई की मुद्राओं पर अधोगामी दबाव बढ़ा दिया। क्यूई कटौती के फेड के पहले संकेत से तीन महीने की अवधि में, अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपए की विनिमय दर में लगभग 19 प्रतिशत तक की गिरावट आई और 28 अगस्त, 2013 को यह 68.36 रुपए के सबसे निचले स्तर पर दर्ज की गई।

एफसीएनआर(बी) जमाओं के लिए अदला-बदली सुविधा: वैश्विक ब्याज दर चक्र और वित्तीय परिस्थितियों संबंधी अनिश्चितता होने के बावजूद प्रतिरोधकों (बफर्स) के पुनर्निर्माण और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को थामने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की नियत लागत पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नई एफसीएनआर(बी) डालर निधियों की अदला-बदली करने के लिए बैंकों के लिए सीमित अवधि विशेष योजना (04 सितंबर-30 नवंबर, 2013) के अंतर्गत एक अवसर मुहैया कराया और उनकी विदेशी उधार सीमा को बैंकों की अक्षत टायर-1 पूंजी के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अदला-बदली के विकल्प सहित)। इसके परिणामस्वरूप अदला-बदली सुविधा के अधीन एफसीएनआर(बी) विंडो और बैंकों के विदेशी उधार दोनों के जरिए 34.3 बिलियन अमरीकी डालर का पूंजी अंतर्वाह हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में पुनर्वृद्धि करने तथा इस प्रकार विदेशी वित्तपोषण की संभावित अपेक्षा को कवर करने और विदेशी मुद्रा बाजार में समन्वित रूप में स्थिरता लाने में सहायता मिली। अदला-बदली सुविधा के दौरान, एफसीएनआर(बी) जमाओं में वृद्धि के कारण, भारत का विदेशी ऋण जून 2013 के अंत में 404.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर दिसंबर, 2013 के अंत में 426.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (चार्ट 1)। जुटाई गई नई एफसीएनआर(बी) डालर निधियों के लिए अदला-बदली की सुविधा तीन वर्षों की न्यूनतम अवधि वाली निधियों के लिए थी। बकाया एफसीएनआर(बी) जमाएं, जो जून, 2013 के अंत में 15 बिलियन अमरीकी डालर थीं, दिसंबर, 2013 के अंत में बढ़कर 40 बिलियन अमरीकी डालर हो गई थीं।

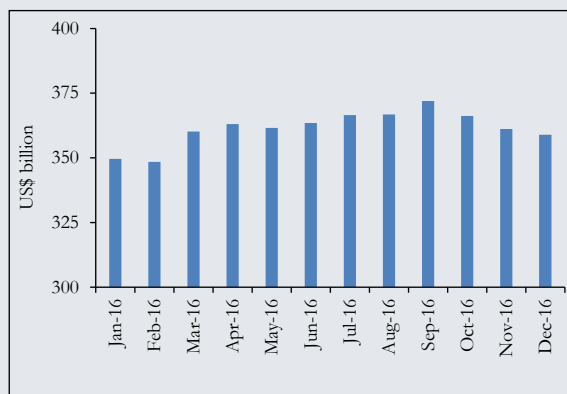
चार्ट 1. एफसीएनआर(बी) जमा बकाया और अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपए की विनिमय दर



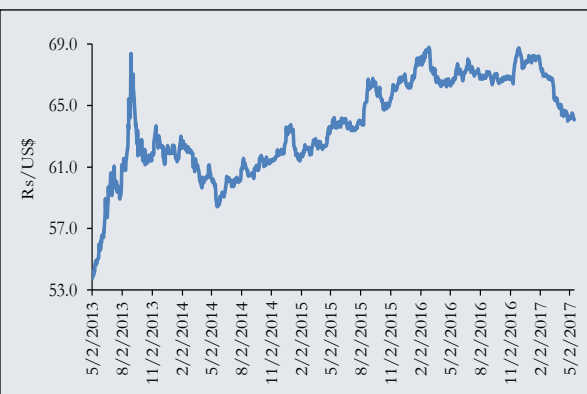
एफसीएनआर(बी) डालर निधियों का मोचन: एफसीएनआर(बी) डालर निधियों का मोचन सितंबर-नवंबर, 2016 में शुरू किया गया था। एफसीएनआर(बी) जमाओं के सुविधाजनक मोचन को सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार प्रचालनों (ओएमओ) और वायदा खरीदों के स्पॉट हस्तक्षेप/सुपुर्दगियों के जरिए नकदी प्रावधान फ्रंटलोडिंग किया। 2014-16 के दौरान जब कभी हस्तक्षेप खरीद की ओर किया गया था, तब विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र गिरावट को रोकने और रुपए की नकदी पर प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए भी एफसीएनआर(बी) और ओएफसीबी (बाहरी विदेशी मुद्रा उधार) अदला-बदली परिपक्वताओं के कारण अनुसूचित बहिर्वाहों को कवर करने के लिए वायदा में क्रय का उचित भाग रखने की ओर सतर्क प्रयास किया गया था। नकदी प्रभाव को ओएमओ क्रय सम्यक् निर्धारण द्वारा भी संभाला गया था। 2014-2015 और 2015-16 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रमशः 54.8 बिलियन अमरीकी डालर और 10.2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि की विदेशी आस्तियों की निवल खरीद की थी, ताकि मोचन अवधि के दौरान अनुमानित बहिर्वाह को कवर किया जा सके। बाजार भागीदारों को आश्वस्त करने के लिए और एफसीएनआर(बी) तथा ओएफसीबी अदला-बदली की दीर्घ परिपक्वता के कारण किसी उतार-चढ़ाव को हतोत्साहित करने के लिए, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये अदला-बदलियां वायदा खरीदों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर की गई हैं। इसके अलावा, यह सूचना भी दी गई कि भारतीय रिजर्व बैंक चल रही बाजार गतिविधियों पर सक्रिय रूप से नज़र रख रहा है और अदला-बदली संव्यवहारों को पूरा करने और रुपए नकदी के सहगामी परिवर्तनों के संबंध में यदि बाजार में कोई उतार-चढ़ाव आता है, तो वह इसे थामने के लिए तैयार है। तथापि, चूंकि वायदा खरीदें और एफसीएनआर(बी) अदला-बदलियां परिपक्वता बैंडों के अनुसार स्टीक रूप से समकालिक नहीं थीं, अतः विदेशी मुद्रा भंडारों में मोचन अवधि के दौरान आरंभ में मामूली कमी

के बाद काफी अभिवृद्धियां देखी गईं। इससे सितंबर-नवंबर, 2016 के दौरान एफसीएनआर(बी) निधियों का सफलतापूर्वक मोचन करने में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मदद मिली। मोचन के बाद, दिसंबर 2016 के अंत में बकाया एफसीएनआर(बी) जमाएं 21 बिलियन अमरीकी डालर बैठती थीं, जिसके कारण भारत का विदेशी ऋण स्टॉक भी मार्चान्त 2016 के स्तर के मुकाबले दिसंबर 2016 के अंत में गिरकर 29.0 बिलियन अमरीकी डालर (6.0 प्रतिशत) रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016 में पूरे वर्ष सुविधाजनक विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बनाए रखी (चार्ट 2)। चूंकि मोचन अवधि और यूएस राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बाद की अनिश्चितता और घरेलू रूप से घोषित किए गए विमुद्रीकरण अभियान जैसे अन्य प्रतिकूल आघात भी आंशिक रूप से समकालीन थे, जिसके कारण भारतीय रुपए पर अल्पकालिक अधोगामी दबाव बना रहा। तथापि, भारतीय रुपया दिसंबर, 2016 से तेजी से मजबूत हुआ, जो फरवरी 2017 से आगे और भी मजबूत हो गया, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह सुधारों के पक्ष में बनाए गए केंद्रीय बजट तथा राज्यों के चुनावों के निर्णायक परिणाम के बाद सकारात्मक हो गया (चार्ट-3)। उपर्युक्त उपायों के साथ चालू खाता घाटे में कमी की स्थिति तथा सुदृढ़ एफडीआई आवक ने एफसीएनआर (बी) निक्षेपों के कारण होने वाले बहिर्वाह की रक्षा करने में मदद की।

चार्ट 2. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार



चार्ट 3. यूएस डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर



स्रोत: आरबीआई और इनहाऊस अनुसंधान

6.36 भारत की कुल विदेशी ऋण की करेंसी संरचना यह दर्शाती है कि मार्च 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार भारत के कुल विदेशी ऋण का 52.1 प्रतिशत का ऋण यूएस डॉलर मूल्यवर्ग के हिसाब में है, इसके बाद भारतीय रुपये (33.6 प्रतिशत), एसडीआर (5.8 प्रतिशत), जापानी येन (4.6 प्रतिशत) तथा यूरो (2.9 प्रतिशत) मूल्य वर्ग के हिसाब में हैं। मार्च 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार 20.3 प्रतिशत शेयर के साथ सरकारी (सॉवरिन) विदेशी ऋण 95.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था जबकि गैर-सरकारी विदेशी ऋण 376.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

6.37 पिछले कई वर्षों में, भारत के विदेशी ऋण के स्टॉक की संरचना में ढांचागत परिवर्तन हुआ है। कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात वर्ष 1991-2000 के दौरान औसत 42.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011-2015 के दौरान 11.7 प्रतिशत रह गया है और यह मार्च, 2017 के अंत में 9.3 प्रतिशत

रह गया है। कुल विदेशी ऋण में गैर-सरकारी ऋण का शेयर वर्ष 1990 में 45.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000 के दशक में 65.6 प्रतिशत हो गया तथा मार्च, 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार, 79.7 प्रतिशत शेयर के साथ पिछले 5 वर्षों में 80.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि पर है।

6.38 मार्च, 2016 में समाप्त अवधि की तुलना में मार्च, 2017 में समाप्त अवधि में विदेशी ऋण के अधिकांश संकेतकों (सारणी 11) में सुधार हुआ है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

- पिछले वर्ष में हुई 2.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में बकाया विदेशी ऋण 2.7 प्रतिशत (13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) कम हुआ। भारतीय रुपए की तुलना में यूएस डॉलर के मूल्यहास के परिणामस्वरूप मूल्यन हानि 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। विदेशी ऋण में मूल्य प्रभाव को छोड़कर, विदेशी ऋण में गिरावट 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की

बजाय 14.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाती।

- जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण का अनुपात 23.5 प्रतिशत से गिरकर 20.2 प्रतिशत रह गया।
- ऋण चुकाने से संबंधित अनुपात 8.8 प्रतिशत से घटकर 8.3 प्रतिशत रह गया।
- कुल ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 74.3 प्रतिशत से बढ़कर 78.4 प्रतिशत हो गया।
- कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया।
- कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का हिस्सा 42.7 प्रतिशत से गिरकर 41.5 प्रतिशत रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) में हुई वृद्धि एफसीएनआर (बी) जमा राशियों में हुई गिरावट,

जो उनके मोचन को परिलक्षित करती है, से उत्पन्न प्रति संतुलन से अधिक थी।

- विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) भी 57.4 प्रतिशत से घटकर 52.9 प्रतिशत रह गया।
- विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में केवल अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) 23.1 प्रतिशत से मामूली वृद्धि दर्शाते हुए 23.8 प्रतिशत हो गया और कुल विदेशी ऋण की तुलना में अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) व्यापार संबंधी क्रेडिटों में हुई वृद्धि के कारण 17.2 प्रतिशत से मामूली वृद्धि दर्शाते हुए 18.6 हो गया।

6.39 धारणीयता, नकदी और ऋण चुकाने की क्षमता पर जोर देने वाली भारत की विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंध नीतियों ने विदेशी ऋण की मात्रा को बढ़ने से रोक कर सामान्य स्तर पर रखा है। विदेशी ऋण की

सारणी 11. भारत के प्रमुख विदेशी ऋण सूचक (प्रतिशत)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 सं*	2016-17 अ*
विदेशी ऋण (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	446.2	474.7	485.0	471.9
विदेशी ऋण में वृद्धि (%)	13.5	9.0	6.4	2.2	-(2.7)
जीडीपी की तुलना में कुल विदेशी ऋण	22.4	23.9	23.9	23.5	20.2
ऋण चुकाने का अनुपात	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3
कुल विदेशी ऋण की तुलना में रियायती ऋण	11.1	10.4	8.8	9.0	9.3
कुल विदेशी ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार	71.3	68.2	72.0	74.3	78.4
विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधिक विदेशी ऋण ^a	33.1	30.1	25.0	23.1	23.8
कुल ऋण की तुलना में अल्पावधिक विदेशी ऋण ^a	23.6	20.5	18.0	17.2	18.6
कुल ऋण की तुलना में अल्पावधिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता)	42.1	39.7	38.5	42.7	41.5
विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता)	59.0	58.2	53.5	57.4	52.9

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: सं* संशोधित; अ* अंतिम, ^a अल्पावधिक ऋण मूल परिपक्वता पर आधारित है।

ऋण चुकाने का अनुपात चालू खाता रसीदों (आफिशियल अंतरणों का निवल) के संबंध में सकल ऋण चुकाने से संबंधित भुगतान का अनुपात है।

संरचना सही ढंग से अनुरक्षित तुलनात्मक रूप से लंबी परिपक्वता प्रोफाइल को दर्शाती है और जहां तक स्रोतों का संबंध है, यह मोटे तौर पर संतुलित है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना

6.40 विदेशी ऋण की अंतरराष्ट्रीय तुलना से यह ज्ञात होता है कि भारत अब भी कम कमजोर देशों में शुमार है। भारत के प्रमुख ऋण अन्य विकासशील ऋणी देशों की तुलना में बेहतर हैं। शीर्ष स्थान पर रहने वाले 10 विकासशील ऋणी देशों में सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) की तुलना में भारत का 23.4 प्रतिशत विदेशी ऋण स्टॉक सबसे कम पांचवें क्रम पर है और विदेशी ऋण के संबंध में विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के संबंध में वर्ष 2015 में 69.7 प्रतिशत के साथ भारत का स्थान सबसे ऊपर वालों में छठे क्रम पर था (सारणी 12)।

6.41 विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से विकसित तिमाही विदेशी ऋण सांख्यिकी डाटाबेस के आधार पर विकासशील राष्ट्रों में हालांकि भारत तीसरा बड़ा ऋणी देश है, फिर भी कुल विदेशी ऋण की तुलना में अल्पकालिक ऋण का शेयर वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही सितंबर के अंत में और वर्ष

2016 की चौथी तिमाही (दिसंबर को समाप्त) में केवल क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 18.8 प्रतिशत रहा है, जबकि इसी अवधि में शीर्षस्थ ऋणी देश चीन का ऋण क्रमशः 56.7 प्रतिशत और 56.4 प्रतिशत रहा है। विश्व में सबसे अधिक ऋणी देशों में यू.एस. दिसंबर 2016 को समाप्त अवधि की स्थिति के अनुसार शीर्षस्थ ऋणी देश है, उसके बाद यू.के., फ्रांस और जर्मनी का स्थान है। चीन 13वें स्थान पर है जबकि भारत दूर के 24वें स्थान पर है।

निष्कर्ष

6.42 वर्ष 2017 और 2018 में विश्व व्यापार में क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान होने के चलते, व्यापार क्षतिज में नई रोशनी दिखाई देने लगी है। भारत का निर्यात मई, 2017 में लगातार 4 महीनों से सकारात्मक परिधि में बना हुआ है और अप्रैल-मई, 2017 में यह द्विअंकीय रहा है तथा वैदेशिक क्षेत्र के सभी संकेतक जैसे कि आयात के लिए आरक्षित मुद्रा कवर, जीडीपी में विदेशी ऋण के अनुपात, विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का कवर और ऋण शोधन अनुपात सकारात्मक स्थिति में हैं। तथापि, घरेलू क्षेत्र में बढ़ते व्यापार घाटे और वैश्विक स्तर पर

सारणी 12. शीर्षस्थ दस विकासशील ऋणी देशों की अंतरराष्ट्रीय तुलना, 2015

क्रम सं०	देश	सकल राष्ट्रीय आय की तुलना में विदेशी ऋण स्टॉक (प्रतिशत)	ऋण सेवा अनुपात (प्रतिशत)	कुल ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार (प्रतिशत)	कुल विदेशी ऋण स्टॉक (मि. अमरीकी डॉलर)
1	चीन	13.1	4.7	235.9	1,418,291
2	बंगलादेश	18.6	4.1	69.9	38,640
3	फिलीपींस	22.0	9.9	95.2	77,725
4	पाकिस्तान	22.9	12.9	27.2	65,482
5	भारत	23.4	10.9	69.7	479,559
6	ब्राजील	31.3	38.1	65.2	543,399
7	थाईलैंड	35.2	6.9	116.7	129,654
8	पेरू	35.6	11.5	91.6	65,938
9	इंडोनेशिया	37.0	32.1	33.5	308,540
10	मेक्सिको	37.5	13.2	40.7	426,334

स्रोत: विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, 2017

टिप्पणी: जीएनआई की तुलना में विदेशी ऋण स्टॉक के अनुपात के आधार पर देशों को क्रमबद्ध किया गया है।

उभर रहे संरक्षणवादी रुझान पर अल्पावधिक संदर्भ में नजर रखनी चाहिए। इस बीच भारत को विश्व निर्यात के कम से कम 5 प्रतिशत हिस्से के सम्मानजनक स्तर तक पहुंचने के लिए सुविचारित रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है जो इस समय वर्ष 2011 से 2016 तक 1.7 प्रतिशत पर स्थिर रहा है और कभी-कभी गिरकर 1.6 प्रतिशत स्तर तक भी पहुंच जाता है।

संदर्भ

1. OECD (2017), Secretary General Angel Gurría in his speech on the occasion of The Bill Frenzel champion of Free Trade Award-Economic Club of Minnesota, 19 April 2017. <http://www.oecd.org/trade/facing-the-facts-about-trade.htm>
2. OECD (2017a) "Fixing Globalization: Time to Make it Work for All" Better Policies Series (April 2017).
3. OECD (2017b), "International Trade: Free, Fair and Open", TAD/TC/RD(2017)4, April 2017.
4. OECD (2017c): on "Integration versus Isolation: Strengthening Communications on the impacts of Trade" Power point presentation of Mr. Bruce Stokes, Director Global Economic Attitudes of PEW Research Centre in the Trade Communications Conference, 25-26 April 2017, Paris.
5. WTO OMC (2017): "Report on G-20 Trade Measures", 30 June 2017.

कृषि और खाद्य प्रबन्धन

“कृषि न सिर्फ राष्ट्र को समृद्ध बनाती है, बल्कि यही एकमात्र समृद्धि है जिसे राष्ट्र अपनी कह सकता है।”

– सैमुअल जॉनसन

सर आर्थर लुईस के “द्वैत अर्थव्यवस्था” के मॉडल में, किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच मौजूद अन्तःसंबंध खोजे गए हैं। लुईस का मॉडल दर्शाता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में हमेशा श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र से हटकर अधिक लाभकारी औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाती है और समय बीतने पर कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अपने हिस्से के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का कम महत्वपूर्ण हिस्सा ही रह जाता है। लेकिन द्वैत अर्थव्यवस्था वाला मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र के महत्व को कम नहीं आंकता। विकास कृषि की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ होना चाहिए जो लोगों के लिए बढ़ती कृषि आय और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति भी सुनिश्चित करे।

विषय प्रवेश

7.1 भारत की विकास गाथा में, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के कारण अवश्य हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो भारत की बढ़ती आबादी के लिए रोजगार और सम्पोषणीय आजीविका मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। लेकिन कृषि क्षेत्र उत्पादन, बाज़ार और कीमतों से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों के कारण आमदनी में व्याप्त अस्थिरता से ग्रस्त है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का सिंहावलोकन

7.2 पिछले कुछ समय से कृषि की वृद्धि दर घटती-बढ़ती रही है। वर्ष 2012-13 में यह 1.5 प्रतिशत, वर्ष 2013-14 में 5.6 प्रतिशत, वर्ष 2014-15 में (-) 0.2 प्रतिशत; वर्ष 2015-16 में 0.7 प्रतिशत और 2016-17 (अंतिम अनुमान) में यह 4.9 प्रतिशत रही है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि के संबंध में अनिश्चितता का दौर चलता रहता है और

वास्तव में ऐसा वर्षा की कमी के कारण होता है क्योंकि भारत में कृषि का 55 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है और दो क्रमिक वर्षों अर्थात् 2014-15 तथा 2015-16 में सामान्य से कम वर्षा हुई है।

क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज

7.3 जैसाकि पहले बताया गया है कि 2016-17 के दौरान अच्छे मानसून के परिणामस्वरूप 2016-17 में अधिकांश फसलों के बुआई क्षेत्र में वृद्धि हो गई है। दालों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2015-16 की तुलना में लगभग 43.66 लाख हेक्टे॰ (लगभग 17.5 प्रतिशत) अधिक है। वर्ष 2015-16 की तुलना में तूर (अरहर), चना, उड़द तथा मूंग के कृषि क्षेत्र में क्रमिक रूप से लगभग 36 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, 24 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गेहूँ तथा मोटे अनाजों का कृषि क्षेत्र वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष

**सारणी 1. कृषि क्षेत्र-मुख्य संकेतक
(स्थिर 2011-12 की कीमतों पर प्रतिशत अन्तर)**

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17(अ.अ)
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि#	1.5	5.6	-0.2	0.7	4.9
वर्तमान मूल्यों पर कुल जीवीए में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का हिस्सा#	18.2	18.6	18.0	17.5	17.4
कुल सकल पूंजी निर्माण* में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा	7.6	8.5	7.8	6.9	n.a.
फसलों का हिस्सा*	6.4	7.1	6.4	5.7	n.a.
पशुधन का हिस्सा*	0.7	0.8	0.8	0.7	n.a.
वानिकी एवं लाजिंग* का हिस्सा	0.1	0.1	0.1	0.1	n.a.
मात्स्यिकी का हिस्सा*	0.4	0.4	0.5	0.5	n.a.

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

नोट: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए, की गणना राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों पर आधारित है, प्रथम संशोधित अनुमान, 31 जनवरी 2017

#31 मई 2017 को जारी अन्तिम अनुमानों पर आधारित।

2016-17 में 2.97 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 307.15 लाख हेक्टे. और 2.94 लाख हेक्टे. से बढ़कर 246.83 लाख हेक्टेयर हो गया है। किन्तु, पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में चावल के कृषि क्षेत्र में 5.77 लाख हेक्टे. की कमी आई है।

7.4 09 मई 2017 को जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार (<http://eands.dacnet.nic.in/Advance-Esttimate/3rd Adv-Estimates 2016-17 Eng.pdf>) 2016-17 में 273.38 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2015-16 में यह 251.57 मिलियन टन था। 2016-17 में चावल एवं गेहूँ का कुल उत्पादन क्रमशः 109.2 मिलियन टन तथा 97.4 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2015-16 में यह क्रमशः 104.4 मिलियन टन (चावल) तथा 92.3 मिलियन टन (गेहूँ) था। 2016-17 के दौरान दालों का उत्पादन 22.4 मिलियन टन, गन्ने का 306.0 मि० टन, तिलहन का 32.5 मि० टन और कपास का 32.6 मिलियन गांठें, (170 किग्रा० प्रत्येक), होने का अनुमान लगाया गया है। 2015-16 की तुलना में 2016-17 में विभिन्न फसलों की उपज में

प्रतिशत अंतर से मूंगफली तथा गन्ने को छोड़कर सभी फसलों में वृद्धि का पता चलता है। 2016-17 के दौरान विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल उत्पादन एवं उपज का ब्योरा सारणी-2 तथा सारणी-3 में दिया गया है।

7.5 प्रमुख फसलों की औसत उपज ने 1970-71 से 1990-91 (सारणी 3) के दशकों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्ज की है। दालों की औसत उपज ने 1970-71 की तुलना में 1980-81 तथा 1990-91 की तुलना में 2000-01 की अवधि के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की थी। बीटी कपास के आगमन से 2000-01 की अपेक्षा 2010-11 में कपास की उपज ने उछाल दर्ज किया है। औसत उपजों के अनुपात में हो रहे बदलाव, घट-बढ़ को चित्र-1 में देखा जा सकता है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण

7.6 28 फरवरी 2017 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय पूर्व अनुमानों के अनुसार कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में (2011-12 के आधार मूल्यों पर) 2016-17 में जी०वी०ए० में वृद्धि 4.4 प्रतिशत रही। अन्तिम अनुमान के अनुसार यह 2016-17 में 4.9 प्रतिशत है (31.5.2017 के अनुसार)। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी

सारणी 2. क्षेत्र, उत्पादन एवं उपज (2016-17*)

समूह/वस्तु	क्षेत्र (मिलियन हे०)	प्रतिशत परिवर्तन (2015-16 की तुलना में)	उत्पादन (मिलियन टन)	प्रतिशत परिवर्तन (2015-16 की तुलना में)	(उपज कि०ग्रा०/ हे०)	प्रतिशत परिवर्तन (2015-16 की तुलना में)
खाद्यान्न ^क	127.6	3.55	273.38	8.67	2142	4.94
चावल	42.9	-1.33	109.15	4.54	2543	5.95
गेहूं	30.7	0.98	97.44	5.58	3172	4.56
ज्वार	5.1	-15.59	4.74	11.85	924	32.51
मक्का	9.8	10.79	26.14	15.83	2679	4.55
बाजरा	7.5	4.78	9.86	22.18	1319	16.60
दालें	29.3	17.52	22.40	37.03	765	16.59
चना	9.5	13.57	9.08	28.59	951	13.22
तूर	5.4	35.92	4.60	79.57	854	32.11
तिलहन	26.5	1.45	32.52	28.80	1229	26.95
मूंगफली	5.3	15.21	7.65	13.62	1445	-1.38
रेपसीड एवं सरसों	6.2	8.38	7.98	17.36	1281	8.29
कपास ^ख	10.8	-12.14	32.58	8.57	513	23.57
गन्ना	4.5	-8.62	306.03	-12.17	68#	-3.89

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

नोट: * तीसरा अग्रिम अनुमान; # टन/हेक्टे०, 'क' अनाज एवं दालों सहित; 'ख' 170 कि०ग्रा० प्रत्येक की मिलियन गांठें।

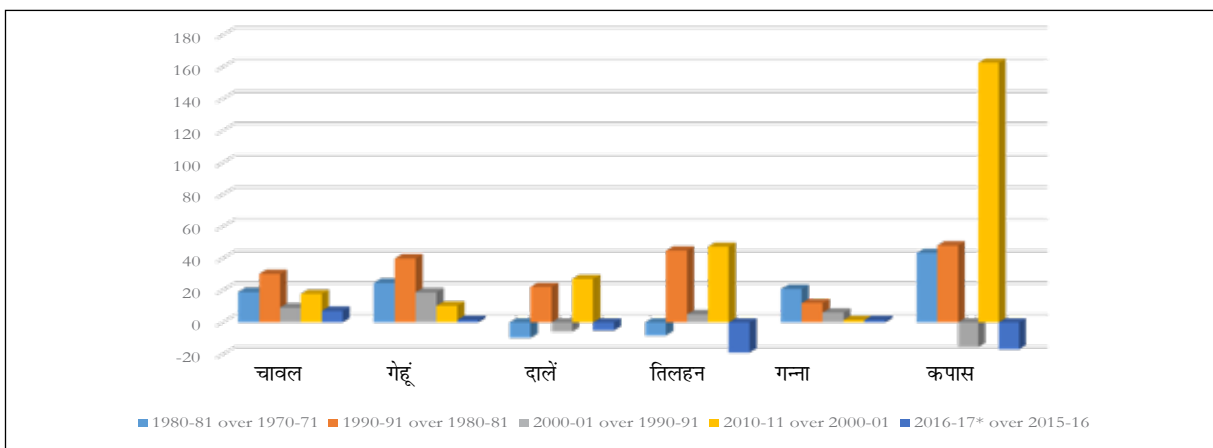
सारणी 3. भारत में प्रमुख फसलों की औसत उपज (कि०ग्रा०/हेक्टे०)

फसल	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2015-16	2016-17*
चावल	1123	1336	1740	1901	2239	2400	2543
गेहूं	1307	1630	2281	2708	2989	3034	3172
दालें	524	473	578	544	691	656	765
तिलहन	579	532	771	810	1193	968	1229
गन्ना (टन/हेक्टे०)	48	58	65	69	70	71	68
कपास	106	152	225	190	499	415	513

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण

नोट: * तीसरा अग्रिम अनुमान

चित्र 1. प्रमुख फसलों की औसत उपज में प्रतिशत परिवर्तन



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा कृषक कल्याण

निर्माण ने जी॰वी॰ए॰ की तुलना में उतार चढ़ाव दिखाए हैं (2012-13 में 16.6 प्रतिशत से 2015-16 में 16.3 प्रतिशत)। कुल सकल पूंजी निर्माण के अनुपात में कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 2014-15 की तुलना में 7.8 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 6.9 प्रतिशत हो गया है (2011-12 के आधार मूल्यों पर)। प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार जी॰वी॰ए॰ के अनुपात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण में 2014-15 में 17.3 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 16.3 प्रतिशत दर्ज करके इस घटते दौर को रेखांकित किया है (2011-12 मूल्यों पर) (सारणी 4)।

कृषि भू-स्वामित्व का पैटर्न

7.7 भारत में खेत का औसत आकार छोटा है (1.15 है॰) और 1970-71 से यह लगातार घट रहा है। लघु और सीमांत भू-स्वामित्व (2.0 है॰ से कम) कुल भू-स्वामित्व का 72 प्रतिशत है (चित्र 2)।

छोटी काश्तकारी की प्रधानता कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आर्थिक किफायत की राह में मुख्य बाधा है। इसके अतिरिक्त, छोटे और सीमांत किसानों के पास मोलभाव की शक्ति कम है, चूंकि उनके पास बिक्री योग्य अधिशेष कम होता है और वे बाजार की कीमत स्वीकार करने वाले होते हैं। बड़े पैमाने पर कृषि के लाभ हेतु लघु जोत क्षेत्र वाले किसानों की बहुलता एक बड़ी चुनौती है।

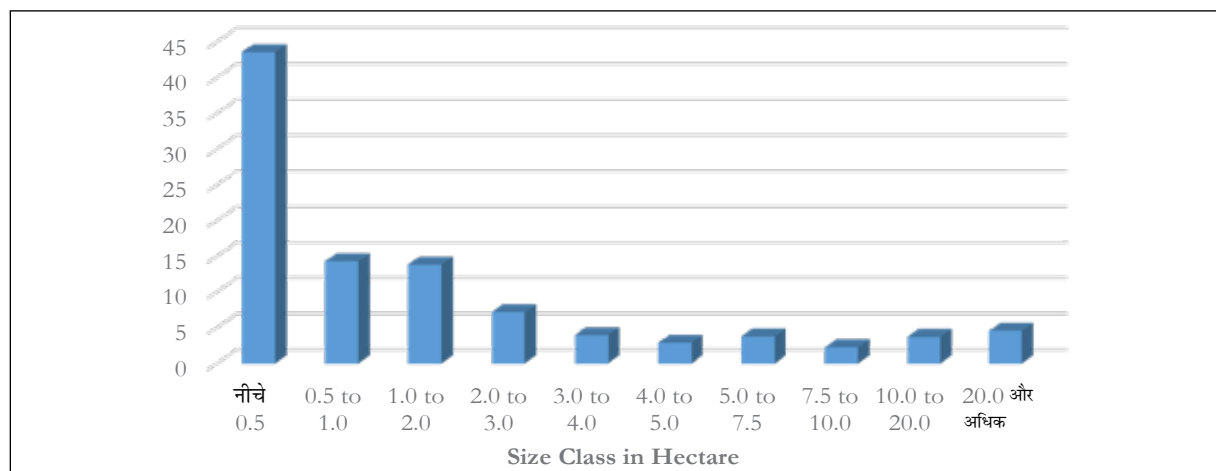
सारणी 4. कृषि क्षेत्र में जीसीएफ

अवधि	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में जीसीएफ (करोड़)			कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में जीवीए (करोड़)	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ		
	सरकारी	निजी	जोड़		सरकारी	निजी	जोड़
2011-12	35715	238717	274432	1501816	2.4	15.9	18.3
2012-13	36077	217201	253279	1524398	2.4	14.2	16.6
2013-14	33882	250252	284134	1609061	2.1	15.6	17.7
2014-15	36725	240711	277436	1604259	2.3	15.0	17.3
2015-16*	44852	218295	263147	1616461	2.8	13.5	16.3

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

*31 जनवरी 2017 को जारी राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत व पूंजी निर्माण के प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध)

चित्र 2. जोतों के आकार के अनुसार कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रतिशत



स्रोत: डीएसी एण्ड एफ डब्ल्यू, कृषि जनगणना 2010-11

कृषक परिवारों की रूपरेखा

7.8 माध्यिका कृषि आय (कृषि से आय स्थानीय बाजार दरों पर मूल्यांकित कुल लागत और बिना बिक्री वाले उत्पादन के निवल द्वारा मापित) 2012-13 में लगभग ₹ 19,250 अथवा लगभग ₹ 1600/- मासिक थी। यह अभी भी बहुत कम है (एनएसएस, 2012-13)।

कृषक परिवारों द्वारा उत्पादक परिसंपत्तियों पर व्यय का पैटर्न

7.9 उत्पादक परिसंपत्तियों पर मासिक औसत पारिवारिक व्यय का प्रतिशत दर्शाता है कि उन परिवारों में जिनके पास 0.4 हैक्टेयर से कम भूमि है, का लगभग 50 प्रतिशत व्यय पशुधन और कुक्कुट पालन पर होता है। (सारणी-5)। सीमांत किसानों के पास अपनी आमदनी की विविधीकरण कार्यनीति के रूप

में पशुधन और कुक्कुट जैसी उत्पादनकारी आस्तियां होती हैं। मिश्रित (फसल-पशुधन) कृषि उत्पादन प्रणाली में, पशुधन आमदनी की अनुपूर्ति कर सकता है, शारीरिक श्रम का स्थान ले सकता है। पोषाहार संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है, इसे वित्तीय संकट के समय गिरवी रखने योग्य संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कृषि परिवारों में ऋणग्रस्तता

7.10 परिवारों की ऋणग्रस्तता आर्थिक झटकों, गरीबी और आर्थिक असुरक्षा के प्रति उनकी साधनहीन स्थिति का एक संकेतक है। सारणी-6 में भारत के कृषि परिवारों की ऋणग्रस्तता के आंकड़े आर्थिक सुरक्षा के अभाव को प्रतिबिम्बित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दो श्रेणी के परिवारों नामतः कृषक और कृषक भिन्न

सारणी 5. कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय के लिए प्रयुक्त उत्पादक संपत्तियों पर होने वाले व्यय का मासिक वितरण (प्रतिशत में)

जोतों के आकार के अनुसार अधिग्रहण (हेक्टेयर में)	कृषि व्यापार			कुल	प्रतिशत में गैर-कृषि व्यवसाय
	पशुधन व कुक्कुट	कृषि की मशीनें एवं कार्यान्वयन	अन्य उत्पादक परिसंपत्तियां		
<0.01	66.8	5.6	6.5	79.2	20.8
0.01-0.40	48.3	13.1	19.9	81.5	18.5
0.41-1.00	15.8	41.4	36.1	93.3	6.7
1.01-2.00	11.1	16.3	66.3	93.6	6.3
2.01-4.00	21.4	45.6	28.7	95.8	4.2
4.01-10.00	14.9	56.6	26.2	97.6	2.4
10.00+	6.0	45.8	46.4	98.2	1.8
All size	18.2	32.8	42.0	93.2	6.8

स्रोत: भारत में कृषक परिवारों की आय, व्यय, उत्पादक संपत्तियां और ऋणग्रस्तता। (जुलाई 2012-जून 2013)

सारणी 6. ऋणग्रस्तता की घटनाएं (आईओआई) और बकाया ऋण के प्रतिशत का हिस्सा एआईडीआईएस (1991, 2002, 2012) के हाल ही के चरण में परिवार की व्यवसायिक श्रेणियां

वर्ष	ग्रामीण			
	कृषक		गैर कृषक	
	आईओआई (%)	कुल के ऋण प्रतिशत	आईओआई (%)	कुल के ऋण प्रतिशत
1991	25.9	79.5	18.5	20.5
2002	29.7	73.3	21.8	26.7
2012	35.0	73.6	25.6	26.4

स्रोत: एनएसएसओ रिपोर्ट सं० 577, भारत में परिवार की ऋणग्रस्तता-अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण

परिवारों के बीच कुल ग्रामीण परिवारों के ऋणों का वितरण दर्शाता है कि वर्ष 2012 में कुल ऋण का 74% कृषक परिवारों से जुड़ा था, जो वर्ष 1991 के 80% से कम होता हुआ यहां तक पहुंचा था। फिर भी ऋणग्रस्त कृषक परिवारों का प्रतिशत 1991 के 26 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 35 प्रतिशत तक बढ़ गया और यह चिंता का विषय है।

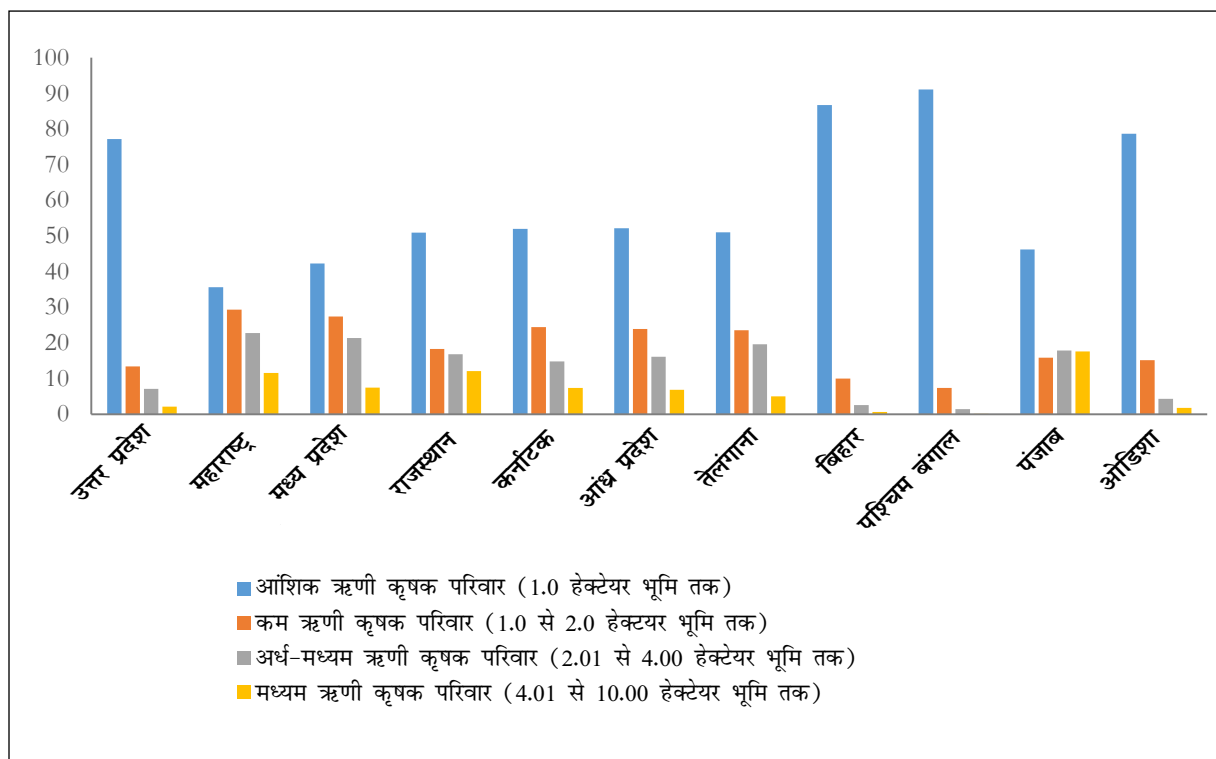
7.11 इसके अलावा, भूस्वामित्व के आधार पर कृषि परिवारों के बीच ऋणग्रस्तता का राज्य स्तरीय विश्लेषण ऋणग्रस्तता और कृषि परिवारों के स्वामित्व में भूमि के आकार के बीच प्रतिलोम संबंध दर्शाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सीमांत जोत वाले 80 प्रतिशत से अधिक कृषि परिवार ऋणग्रस्त हैं। सभी राज्यों में बड़े आकार की जोत वाले कृषि परिवारों के बीच ऋणग्रस्तता सबसे कम है जैसाकि चित्र-3 से देखा जा सकता है।

7.12 भारत में कृषि जोत और कृषि परिवारों की रूपरेखा से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों/छोटी कृषि जोतों की प्रधानता है, जो बहुत अधिक ऋणग्रस्त है और आर्थिक आघातों और गरीबी के प्रति असुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि किसानों द्वारा कृषि क्षेत्र में झेले जा रहे विभिन्न प्रकार के जोखिमों का मूल्यांकन किया जाए और इन जोखिमों को कम करने और समाप्त करने के उपाय सुझाए जाएं ताकि कृषि को ऐसा आर्थिक कार्यक्रम बनाया जा सके जो छोटे किसानों को स्थिर और स्थायी आमद भी मुहैया करा सके। अगले भाग में कृषि क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के जोखिमों की जांच की गई है।

कृषि क्षेत्र में व्याप्त जोखिम

7.13 किसी भी अन्य आर्थिक गतिविधि की तरह कृषि क्षेत्र में भी जोखिम हैं। कृषि कार्यक्रमों में जोखिमों को कम करने और उन पर काबू पाने से आमदनी,

चित्र 3. चुनीदां राज्यों और अखिल भारत में कृषि परिवारों की भूमि के आधार पर ऋण ग्रस्तता घटनाएं (कृषि परिवारों का प्रतिशत)



लाभप्रदता बढ़ सकती है और किसानों को लगातार आमदनी होना सुनिश्चित किया जा सकता है। जोखिमों को कम करने और उन पर काबू पाने के लिए उनका विश्लेषण, वर्गीकरण और समाधान करने की जरूरत है। जल प्रबंधन प्रचुर मात्रा में फसल उत्पादन के कारण कीमतों में अचानक गिरावट जैसे बाजार और कीमत जोखिम है, इन मुद्दों की जांच अगले भाग में की गई है। कृषि में व्याप्त जोखिमों का वर्गीकरण सारणी-7 में किया गया है।

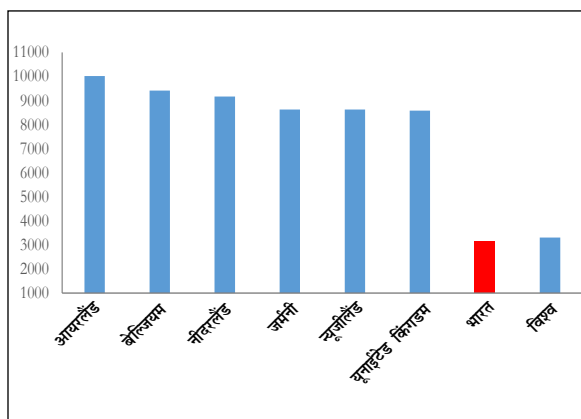
i. उत्पादन जोखिम

7.14 कृषि उत्पादन, सिंचाई, उत्तम बीजों की उपलब्धता और ऊर्वरकों के उपयोग/दुरुपयोग जैसे कारकों से निर्धारित होता है। भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज विश्व के औसत से कम है और इस संबंध में श्रेष्ठतम उत्पादन करने वाले राष्ट्र की तुलना में एक-तिहाई से भी कम है। इससे पता चलता है कि गेहूं पैदा करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सुधार की काफी गुंजाइश है। (चित्र 4)।

सारणी 7. कृषि में जोखिमों का वर्गीकरण

जोखिम का रूप	कारण	अधिकता के कारण	सुझाए गए समाधान
उत्पादन जोखिम	नाशी जीव रोग, बीज/सिंचाई जैसे आदानों का अभाव	कम उत्पादकता, कम होती उपज	नाशी जीव और रोग प्रतिरोधी बीज, आदानों के खुले बाजार, अच्छे बीजों के लिए मानकों को निर्धारित और लागू करना
मौसम और आपदा संबंधी जोखिम	वर्षा पोषित कृषि का बड़ा हिस्सा, कम सिंचाई कवरेज, सूखा, बाढ़, तूफान और बेमौसम वर्षा	उत्पादन हानि, क्षमता से कम उत्पादन	सिंचित कृषि का हिस्सा बढ़ाना, सिंचाई सुधार और विस्तार, विशेषकर छोटी परियोजनाओं में, भूमिगत जल स्तर और जल प्रबंधन जैसे निष्पादन परिणाम उपायों को अपनाना
कीमत जोखिम	लाभकर कीमत से कम	विपणन अवसंरचना का अभाव बिचौलियों की उपस्थिति एवं अधिकाधिक लाभ	चयनात्मक सामयिक हस्तक्षेप के आधार पर, सामाजिक व्यवस्था सहित श्रृंखला कीमत के लिए बाजार अवसंरचना तैयार करना।
ऋण जोखिम	ऋण प्राप्ति के अनौपचारिक स्रोतों (सूदखोरो) की प्रभुता, अल्पावधिक और दीर्घावधिक ऋणों के लिए पूंजी का अभाव	स्थिर आमदनी/लाभ के अभाव से चूक/ऋणग्रस्तता पैदा होती है।	किसानों के लिए औपचारिक क्रय तथा संस्थागत ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करना।
बाजार जोखिम	घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय मांग/आपूर्ति में परिवर्तन	बाजार/बाजार अंश की हानि	पूर्व निर्धारित कीमतों पर खरीद करने के लिए दीर्घावधिक संविदा करने की अनुमति देना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, रक्षा अर्धसैनिक बलों इत्यादि द्वारा की गई सरकारी खरीद को छूट देकर किसानों से सीधी खरीद करना।
नीतिगत जोखिम	अनिश्चित नीतियां, विनियम	सरकारी नीतियों, एपीएमसी अधिनियम और अन्य विनियमों का प्रभाव	व्यापार और नीतिगत परिवर्तनों की घोषणा बुआई से काफी पहले की जाए और आवक तक एवं खरीद पूरी होने तक वैसी ही रहे।

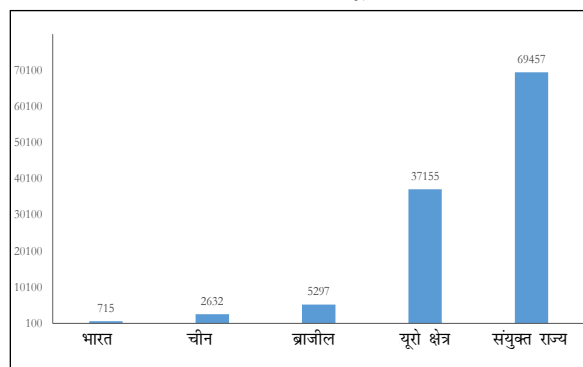
चित्र 4. गेहूँ की पैदावार की तुलना
(किग्रा./हेक्टे.)



स्रोत: एफ ए ओ सांख्यिकी

7.15 प्रति कामगार सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के संदर्भ में भारत में कृषि श्रम की समग्र उत्पादकता चीन के मुकाबले एक-तिहाई से कम है और फ्रंटियर देशों की उत्पादकता का लगभग एक प्रतिशत है। (चित्र-5)

चित्र 5. समग्र कृषि की उत्पादकता: अभी भी फ्रंटियर से काफी कम है। (प्रति कामगार जीवीए अमरीकी डॉलर, 2005 मूल्य)



स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन

उर्वरकों जैसे आदानों का गिरता अनुक्रिया अनुपात

7.16 रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा उर्वरकों की कीमत घटाने के परिणामस्वरूप किसानों ने यूरिया जैसे उर्वरकों का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया है। उर्वरक सब्सिडी के असामान्य वितरण, मूल्यन नीतियों और उर्वरक के प्रयोग में परिणामी असंतुलनों के कारण सुधार परक उपाय किए जाने की जरूरत है ताकि मृदा

की उर्वरता बनाई रखी जा सके। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना और उर्वरक के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) की योजना चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई हैं, ये इन विकृतियों को दुरुस्त करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।

प्रामाणिक उत्तम बीजों की असामान्य उपलब्धता

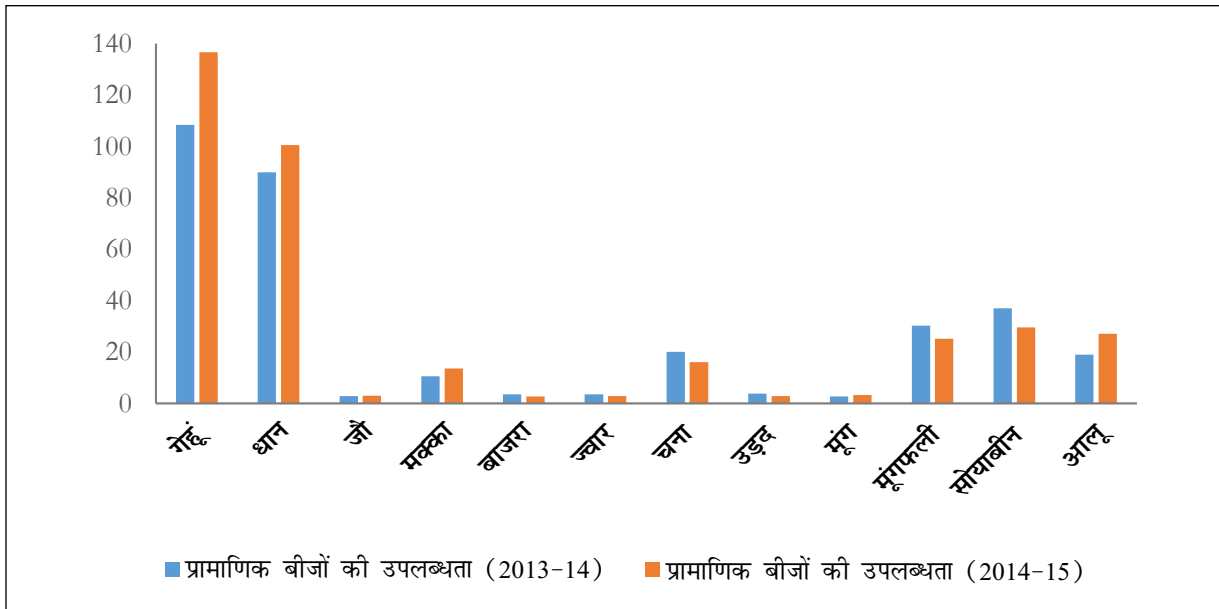
7.17 कृषि में अधिक उत्पादकता और उपज के लिए उत्तम बीजों की उपलब्धता बहुत जरूरी है। हालांकि देश में उत्तम बीजों की उपलब्धता 1960 के दशक के 40 लाख क्विंटल से कम के स्तर से बढ़कर 2016-17 में 380.29 लाख क्विंटल हो गई है प्रमाणित बीजों की फसल-वार उपलब्धता चित्र 6 में देखी जा सकती है। खरीफ 2017 के लिए प्रामाणिक गुणवत्ता परक दालों की उपलब्धता, खरीफ 2016 की तुलना में 18.06 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10,53,814 क्विंटल है।

ii. मौसम संबंधी पर्यावरणीय जोखिम और जल की कमी

7.18 जल कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कृषि संबंधी जोखिम, प्रत्यक्षतः समानुपातिक रूप से जल की कमी से जुड़े हैं। जल कमी के परिदृश्य में अधिक जल खपत वाली फसलों, जैसे ईख/धान/अनाज आदि, का कम जल ग्रहण करने वाली फसल से बदला जाए जैसे दालें और सब्जियां तथा अधिक जल खपत वाली फसलों जल प्रचुरता वाले क्षेत्रों में अंतरित किया जाए। लागत आधारित जल कीमत निर्धारण से जल की कमी को ठीक करने में सहायता मिल सकती है और इससे जल की उपलब्धता भी बढ़ सकती है।

7.19 ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई (एमआई) के मामले में 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत की तुलना में परम्परागत सिंचाई में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की रेंज में जल क्षमता उपयोग होता है। एमआई प्रणाली में, सिंचाई लागत राज्यों में 30 प्रतिशत से कम हो गई है और उर्वरकों के उपयोग के मामले में सर्वेक्षण किए गए राज्यों, (PMKSY, 2015-pmksy.gov.in/microirrigation/Archive/August2015.pdf) में, इनके उपयोग में 28 प्रतिशत की बचत हुई है।

चित्र 6. फसलवार प्रामाणिक बीजों की उपलब्धता (लाख किंटल)

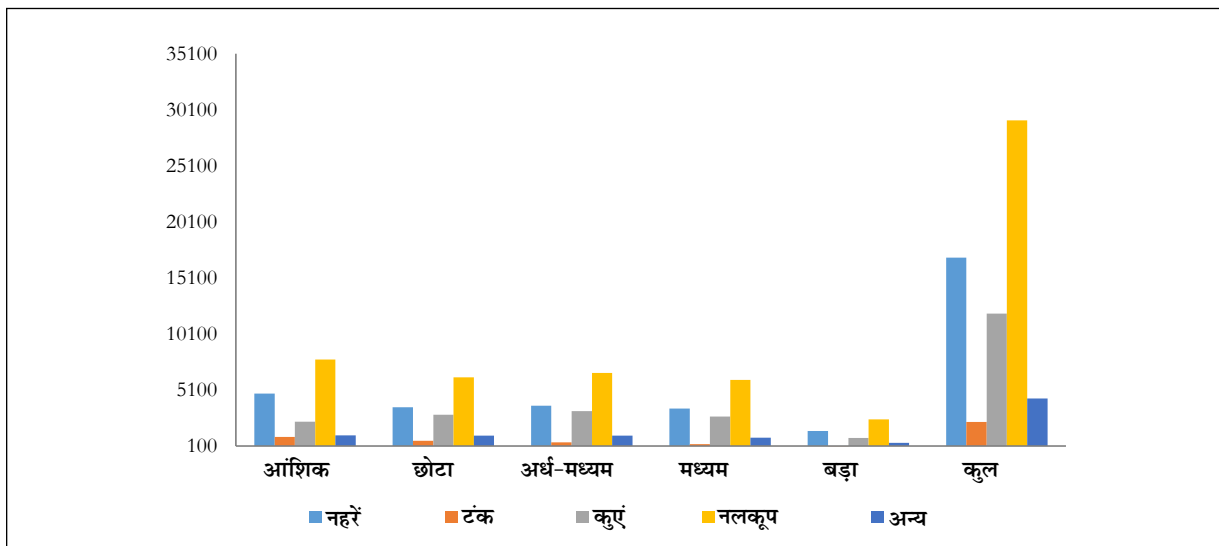


स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

7.20 एमआई (सूक्ष्म सिंचाई) प्रणाली के विकसित करने का लाभ लागत अनुपात सभी राज्यों और फसलों में “1” से अधिक है, जो किसानों की निवल आमदनी के बढ़ाने के महत्व को बताते हैं। ओडिसा में फलों व सब्जियों में बीसी अनुपात अधिकतम है, जबकि फूलों में राजस्थान व हरियाणा के लाभ भोगी किसानों ने अधिकतम बीसी औसत प्राप्त किया।

7.21 भारत में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्र दर्शाता है कि भूस्वामित्व में नलकूप सिंचाई का एक सामान्य स्रोत है, जिसके बाद नहर आती है (चित्र 7)। दोनों प्रकार की सिंचाई प्रणाली बाढ़ जैसी सिंचाई और जल की बर्बादी पर निर्भर है, जो जल के उपयोग के लिए प्रभावशाली प्रणाली की आवश्यकता की सलाह देते हैं, जैसे ड्रिप और फव्वारेदार सिंचाई।

चित्र 7. आकार के आधार पर सिंचाई के विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्र (है०)



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

कृषि-मौसम संबंधी परामर्शी सेवा (एएस)

7.22 मौसम जलवायु पर्यावरण जोखिमों को कम करने के लिए, फसल मोडल और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी व संचार सहित मौसम/जलवायु पूर्वानुमानों के प्रभावशाली प्रयोग किसान समुदाय को लाभ पहुंचा सकते हैं। वर्ष 2003 से 2007 के दौरान 15 जिलों में 3 खरीफ और 3 रबी अवधि को कवर करते हुए एएस (कृषि मौसम संबंधी परामर्शी सेवा) के आर्थिक प्रभावों के मूल्यांकन के उद्देश्य से एक अध्ययन किया गया, ताकि तार्किक मौसम संबंधी तंत्र और कृषि की कार्यप्रणाली सूचना से किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके (मात्रा और गुणवत्ता दोनों में)। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि किसान बीज, जल, कीटनाशक और उर्वरक, पर्याप्त मात्रा में बचा सकते हैं और एएस के प्रयोग से अच्छी पैदावार कर सकते हैं और कृषि को और अधिक लाभदायक बना सकते हैं। साधारणतः एएस प्रणाली द्वारा प्रदान सूचना का प्रयोग करने वाले किसानों को 8 से 10 प्रतिशत के बीच निवल लाभ होता है।

iii. कीमत जोखिम

7.23 भारतीय किसान, वर्ष के दौरान विभिन्न मौसमों में अपने उत्पादों के लिए पूरे वर्ष आपूर्ति एवं मांग में उतार-चढ़ाव, व्यापारियों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी के कारण, कीमत अनिश्चितता का सामना करते हैं। कीमत जोखिम अक्षम एपीएमसी नियंत्रित बाजार से होता है, जो भारत में किसानों के लिए कठोर है, जिनमें कम विक्रेय अधिशेष, उत्पादों की भंगुर प्रकृति, उत्पाद के भण्डारण की अक्षमता, अधिशेष/कमी के परिदृश्य से बचाव और कीमत जोखिमों के कारण हानि से सुरक्षित रहने आदि की प्रतिरोध क्षमता का अभाव है।

7.24 बाजार कीमत मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती हैं, जो अधिशेष तथा कमी से प्रभावित होते हैं, लेकिन किसानों की अपेक्षाओं के अनुसार यह कीमत कम पड़ जाती है। वर्ष/मौसम 1 में, यदि फसल कम होती है तो बाजार कीमत बढ़ जाती है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि किसानों को लाभ हो, क्योंकि उत्पादन कम होता है तथा बाजार में कीमत बढ़ जाती है, जो बिक्री/संव्यवहार

प्रक्रिया के बाद ही होती है। वर्ष/मौसम 2 में, पिछले वर्ष/मौसम (बाजार में परन्तु अधिप्राप्ति में जरूरी नहीं) की उच्च कीमत के आधार पर किसानों को धक्का लगता है तथा वह दूसरे किसानों के साथ, बुआई क्षेत्र बढ़ाता है और आपूर्ति भी। उस वर्ष/मौसम 2, उत्पादन में वृद्धि होती है, परिणामतः अधिक आपूर्ति होती है और कीमतों में गिरावट/तीव्र गिरावट होती है, ख़क़भी-कभी एमएसपी से भी नीचे, तथा किसान को नुकसान होता है। वर्ष में बुआई क्षेत्र में काट-छांट होती है और आपूर्ति में कमी होती है परन्तु कीमत बढ़ती है। किसान फिर भी उच्चतर कीमतों से लाभान्वित नहीं होते क्योंकि आपूर्ति कम होती है। उपर्युक्त परिदृश्य में किसान को तभी लाभ हो सकता है जब उसका बुआई का पैटर्न चक्रीय के विपरीत हो, स्टॉक बाजार के व्यापार के अनुरूप हो, जिसके लिए उसे शिक्षित होने की जरूरत है और निसंदेह सौभाग्यशाली भी। इसके लिए आवश्यक है कि किसान बुआई के स्थायी पैटर्न को अपनाए ताकि दीर्घावधि में उसे उत्पाद का औसत कीमत प्राप्त हो सके।

7.25 इस संदर्भ में 07.07.2017 (नवीनतम उपलब्ध), (सारणी 8) तक खरीफ फसल के अंतर्गत बोये हुए क्षेत्र में विकास, अगोती बुआई पैटर्न को दर्शाता है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में अरहर कवरेज क्षेत्र के अंतर्गत 6 प्रतिशत की कमी भी शामिल है। यदि यह पैटर्न वैसा ही रहा तो, पिछले मौसम में अरहर की कीमतों में कमी के लिये भारी पैदावार को उत्तरदायी माना जा सकता है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा, क्योंकि बुआई मौसम जारी है, तथापि, यह आवश्यक है कि अरहर की बुआई की प्रवृत्ति पर ध्यान रखा जाए और यदि बुआई बहुत कम होती है तथा परिणामस्वरूप आने वाले मौसम में कमी होती है तो भारी स्टॉक को खाली करने के लिए समय पर उपाय करने होंगे।

7.26 किसानों द्वारा हताशा भरी बिक्री की अनेक रिपोर्टें हैं। पिछले कुछ वर्षों में ओडिसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में टमाटर, तटीय आंध्र प्रदेश में नारियल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में आलू, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं ओडिसा में प्याज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्ष 1978-79 में ईख की हताशा भरी बिक्री की याद ताजा

करती हैं। इस संकलन का उद्देश्य केवल इस बात को संज्ञान में लाना है कि सामान्य मांग पर भारी मात्रा में उत्पादन एकत्रित हो जाना। एमएसपी प्रचालनों के लिए कम संभावना छोड़ता है, जब तक कि उसको सड़ाना न हो। संभव समाधान परम्परागत और आधुनिक तरीके से

खाद्य प्रसंस्करण की वृद्धि में निहित है, अत्यधिक बुआई तथा अधिक उत्पादन, सिंचित क्षेत्र के लिए एक विकल्प है; बीजों में भिन्नता, जिनकी लम्बी जीवन अवधि हो, तथा परिपक्व होने में कम समय ले और भिन्न मौसमों, मृदाओं और क्षेत्रों में लगाए जा सकें।

सारणी 8. दिनांक 07.07.2017 के अनुसार खरीफ फसल के अन्तर्गत दर्शाए गए क्षेत्र में प्रगति

क्र. सं	फसल	सामान्य क्षेत्र (डीईएस)*	तदनुरूप सप्ताह के सामान्य	दर्शाया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)		दर्शाए गए क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि	
				2017-18	2016-17	तदनुरूपी सप्ताह	2016-17
1	चावल	395.94	86.70	79.81	75.28	-7.95	6.03
2	दालें	105.58	22.00	44.11	35.88	100.53	22.92
	क अरहर (तुर)	39.25	9.11	14.25	15.10	56.37	-5.65
	ख उड़द सेम	24.80	4.32	10.13	7.40	134.74	36.81
	ग मूंग सेम	23.41	6.25	12.49	10.08	99.72	23.96
	घ कलथी	2.41	0.06	0.04	0.01	-33.33	-60.00
	ङ अन्य दालें	15.71	2.25	7.20	3.20	219.38	124.95
3	दानेदार फसल	192.15	63.77	80.78	70.11	26.68	15.23
	क ज्वार	23.46	6.94	6.21	7.19	-10.43	-13.59
	ख बाजरा	76.67	16.38	30.35	18.88	85.28	60.72
	ग रागी	11.73	1.73	1.36	1.46	-21.03	-6.62
	घ छोटा बाजरा	6.95	1.44	1.37	1.35	-5.16	1.65
	ङ मक्का	73.34	37.28	41.49	41.23	11.28	0.64
4	तेल बीजें	184.05	67.75	72.87	69.74	7.55	4.48
	क मूंगफली	41.49	16.02	16.30	17.30	1.78	-5.79
	ख सोयाबीन	110.37	47.96	53.57	48.56	11.69	10.31
	ग सूरजमुखी	2.29	0.59	0.53	0.91	-10.69	-41.73
	घ तिल	15.37	2.48	2.11	2.51	-14.93	-15.98
	ङ नागर	2.74	0.15	0.07	0.14	-56.02	-52.78
	च अरंडी का तेल	11.79	0.55	0.29	0.32	-46.55	-7.82
5	गन्ना	50.05	45.00	47.93	45.22	6.52	5.99
6	पटसन और सन	8.39	7.74	6.95	7.27	-10.20	-4.39
7	कपास	122.45	71.70	71.82	67.89	0.17	5.78
	कुल	1058.62	364.66	404.27	371.39	10.86	8.85

स्रोत: फसल प्रभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

नोट: सभी आंकड़े अनंतिम हैं और राज्यों द्वारा अनुमानित। सामान्य क्षेत्र-डीईएस औसत: 2011-2012 से 2015-2016

7.27 किसानों द्वारा अनुभव किए जा रहे कीमत जोखिम को कवर करने के लिए सरकार द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया गया। सरकारी एजेंसियों द्वारा फसल की खरीद में एमएसपी से सहायता मिली है। इसका उद्देश्य किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना है। तथापि, किसानों में एमएसपी और खरीद की जागरूकता के आंकड़े चित्र-8 में दर्शाए गए हैं जिससे पता चलता है कि एसएसपी और खरीद प्रक्रिया की जागरूकता धान और गेहूं जैसी फसलों के विषय में अधिक है।

7.28 लेकिन, एक ऐसे किसान के लिए जो एक या दो फसलों की पैदावार करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वह अन्य फसलों का उपभोग भी करता है, जिनके लिए वह अधिक कीमत अदा करता है। ऐसी फसल के संबंध में, जो वह न्यूनतम समर्थन कीमत पर बेचता है, यदि वह निवल खरीददार है या मार्जिन पर खरीद करने वाला खरीददार है, तो आखिरकार उसे खरीदी गई मात्रा के लिए अधिक कीमत देनी पड़ती है।

7.29 निम्नलिखित समीकरण में उच्चतर आय वाले किसी

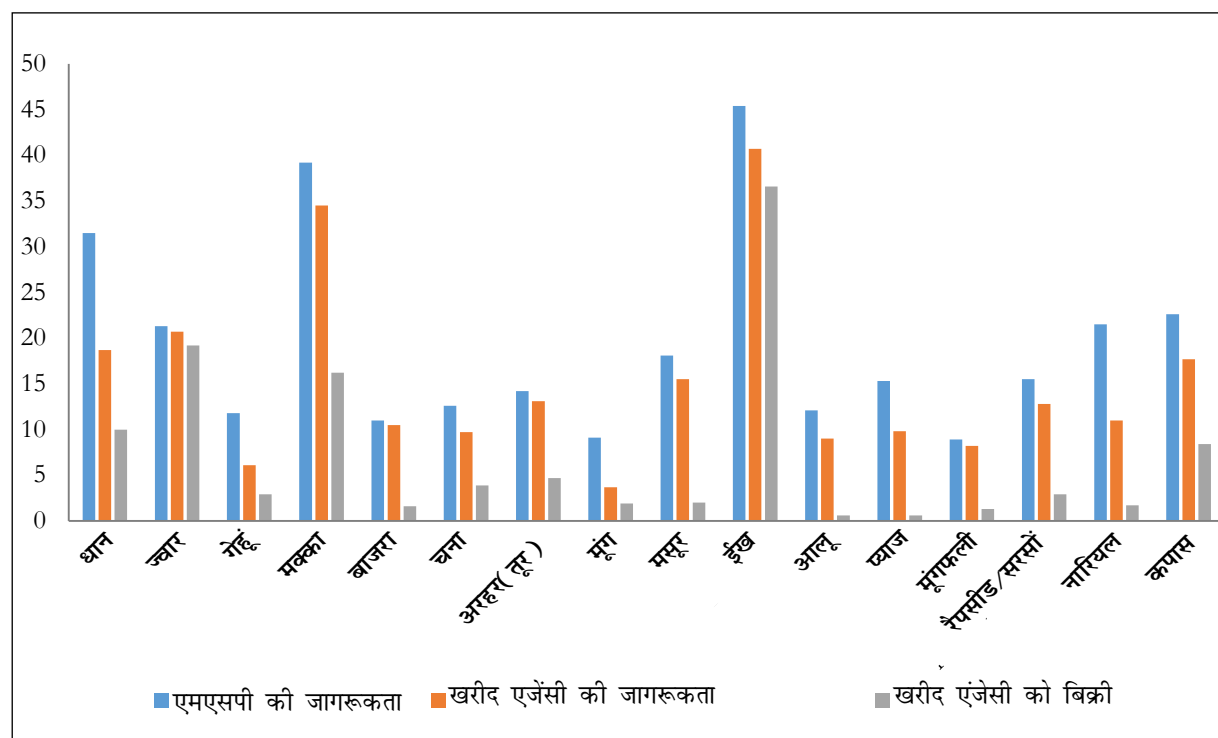
किसान को पारिश्रमिक देने के लिए पूरा महत्व कीमत (पी) में होने वाली वृद्धि पर दिया गया है। उत्पादन जोखिम संबंधी पिछले भाग में उत्तरोत्तर मात्रा (क्यू) के लिए अधिक संभावनाएं बताई गई हैं। इस अवधारणा पर कि निविष्टि लागतों को कम नहीं किया जा सकता और किसान की आय में अगर समस्त नहीं तो ज्यादातर वृद्धि, कीमत (पी) में होने वाली वृद्धियों से होनी है, तो मात्रा (क्यू) को महत्व दिए जाने की आवश्यकता है और जिसके लिए एमएसपी की संस्तुति करने वाले सीएसीपी के मौजूदा तंत्र पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ सकती है।

निवल राजस्व = कीमत x मात्रा - आदान लागत
(**एनआर = पी x क्यू - आईसी**)

2017 के दौरान दालों की खरीद

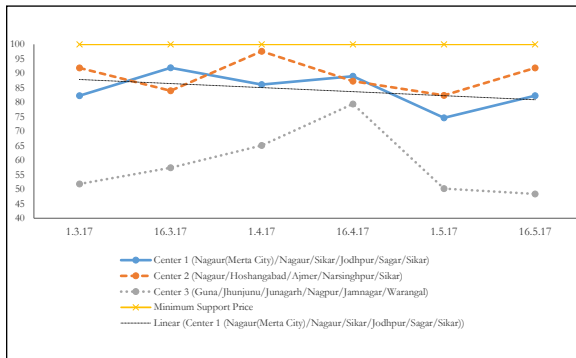
7.30 वर्तमान वर्ष के दौरान, दालों के लिए काफी अधिक एमएसपी और लगभग 2 मिलियन का बफर स्टॉक तैयार करने के लिए दालों की खरीद में हुई सराहनीय वृद्धि के बावजूद, खरीदी मौसम के दौरान कई बाजारों में एमएसपी से कम पर बिक्री होने की सूचना थी, जैसाकि नीचे चित्र 9 से 12 में देखा जा सकता है।

चित्र 8. न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कृषक परिवारों में खरीद प्रक्रिया की जागरूकता (प्रतिशत में)



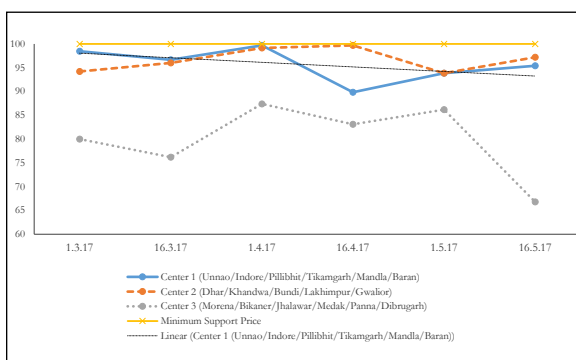
स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट सं. 573, भारत में कृषि करने के कुछ पहलु 2012-13

चित्र 9. तूर का आदर्श मूल्य (एमएसपी का प्रतिशत)



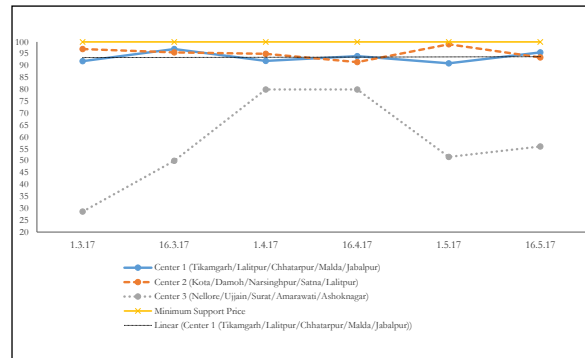
स्रोत: एग्मार्कनेट

चित्र 11. उड़द का आदर्श मूल्य (एमएसपी का प्रतिशत)



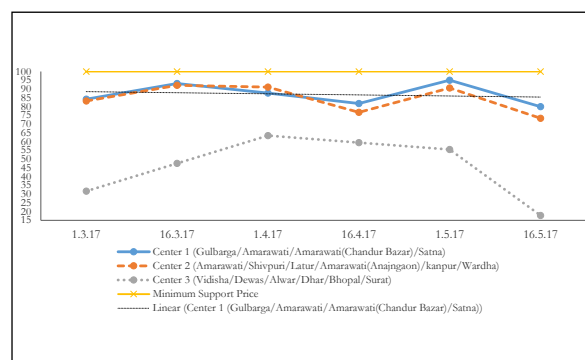
स्रोत: एग्मार्कनेट

चित्र 10. मूंग का आदर्श मूल्य (एमएसपी का प्रतिशत)



स्रोत: एग्मार्कनेट

चित्र 12. गेहूं का आदर्श मूल्य (एमएसपी का प्रतिशत)



स्रोत: एग्मार्कनेट

7.31 यहां तक कि गेहूं के मामले में भी न्यूनतम समर्थन कीमत से कम पर बिक्री किए जाने की सूचना मिली है (चित्र 12)। इससे “जिन फसलों के लिए एनएफएसए प्रतिबद्धता नहीं है उन्हें छोड़ कर अन्य फसलों के संबंध में न्यूनतम समर्थन कीमत और अधिप्रापण की दक्षता” विषय पर चर्चा को बल मिला है। किसानों को कृषि कार्य के लिए क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से उनकी आदान और उत्पादन के संबंध में बाजार की अदक्षता के कारण है क्योंकि इसके कारण आदान लागत अधिक होती है जबकि उत्पादन मूल्य कम और अनिश्चित होता है। कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए (डीबीटी) इनपुट डिलीवरी को प्रतिस्पंदी बनाया जाए। इसके अतिरिक्त प्याज, आलू और टमाटर जैसी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं के अधिप्रापण की समस्या है क्योंकि इनके समय से निपटान की आवश्यकता है और यह दक्षतापूर्वक कर पाना किसी सरकारी एजेंसी के लिए कठिन है। इस पर चर्चा करने के बाद चावल और गेहूं को छोड़कर अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत के रूप में सहायता उपलब्ध कराने के लिए बाजार से हटकर

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) फार्मेट को अपनाने की आवश्यकता है।

iv. ऋण जोखिम

7.32 कृषि में उत्पादन वृद्धि करने के लिए ऋण एक महत्वपूर्ण प्रभावी आदान है। संस्थागत ऋण तक पहुंच होने से किसान कृषि आदानों की नकद खरीद कर सकते हैं तथा उत्पादों की बिक्री करके भुगतान प्राप्त होने, जिसमें कभी-कभी विलंब हो जाता है और भुगतान की प्राप्ति रुक-रुक कर होती है, की अवधि तक समस्याओं का सामना कर सकते हैं तथा साथ ही वे उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक आदानों के लिए भी भुगतान कर सकते हैं। पिछले वर्षों के दौरान कृषि के निरपेक्ष संदर्भ में ग्रांड लेवल क्रेडिट (जीएलसी) प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा 28 फरवरी 2017 की स्थिति के अनुसार यह बढ़कर 959,826 करोड़ रु. (अनंतिम) के स्तर पर पहुंच गई है तथा कृषि ऋण खातों की कुल संख्या बढ़कर 9.74 करोड़ (अनंतिम) हो गई है। इनमें फसल ऋण खातों की संख्या 8.09 करोड़ (अनंतिम) है। कृषि ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के लिए 2017-18 के लिए

ऋण लक्ष्य 10,00,000 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है जबकि 2016-17 के लिए 9,00,000 करोड़ रु० ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

7.33 किसानों के लिए ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की प्रधानता एक चिंता का विषय है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 70वें चक्र के आंकड़ों (जनवरी से दिसंबर 2013 के संबंध में) के अनुसार किसानों के लिए कोष का 40 प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। स्थानीय ऋणदाताओं की भागीदारी कुल कृषि ऋण में लगभग 26 प्रतिशत है। ये उधार काफी ऊँची ब्याज दरों पर दिए जाते हैं। अनौपचारिक ऋण की हिस्सेदारी में कमी लाने के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि संसाधन बाधित समूह अर्थात् लघु और सीमांत किसानों को समय से और वहनीय दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।

7.34 कृषि ऋण और कृषि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 2001-02 के 12 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में लगभग 40 प्रतिशत हो गया है। कृषि में पूंजी निर्माण में वृद्धि करने के संबंध में सरकार की प्राथमिकता के कारण विगत कुछ वर्षों में कृषि में दीर्घावधिक ऋण की हिस्सेदारी के घटते हुए रुझान में वर्ष 2016-17 के 35 प्रतिशत के मुकाबले कमी आई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नाबार्ड की दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) की स्थायी निधि 2016-17 में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रु० कर दी गई थी।

7.35 कृषि ऋण के वितरण में क्षेत्रीय आधार पर व्याप्त असमानता का भी समाधान करने की आवश्यकता है। देश के पूर्वोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में कृषि ऋण का कवरेज काफी कम है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2016-17 के संबंध में निर्धारित किए गए 8737 करोड़ रु० के कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य के मुकाबले संवितरित राशि के संदर्भ में उपलब्धता केवल 4756 करोड़ रु० ही थी (दिसंबर 2016 की स्थिति)। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 2017-18 में 9380 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है।

7.36 फसल ऋण अल्पावधिक स्वरूप का होता है इसका उद्देश्य फसल की कटाई तक खेत में फसल उगाने के लिए तात्कालिक व्यय को पूरा करना होता है तथा इनका प्रयोग मौसमी कृषि कार्यों के लिए किया जाता है और इसे कृषि में किसी बड़े निवेश के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। वर्ष 2016-17 में ब्याज छूट की स्कीम के अंतर्गत किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रु०

तक के ऋण दिए गए तथा ब्याज की प्रभावी दर उन किसानों के लिए घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई जिन्होंने ऋण के भुगतान में देरी नहीं की।

v. अन्य जोखिम (बाज़ार तथा नीतिगत जोखिम)

7.37 घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के कृषि व्यापार में उत्पन्न होने वाले बाज़ार जोखिमों में मुख्य जोखिम सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि व्यापार के संबंध में लागू की गई नीतियों तथा बाज़ार नीतियों में अनिश्चितता का होना है। राज्य सरकारों के कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के अंतर्गत कृषि बाज़ारों जिनमें भौगोलिक स्थिति के अनुसार लगभग 2477 प्रधान विनियमित बाज़ार और 4843 उप बाज़ार यार्ड शामिल हैं, का विनियमन संबंधित राज्यों की कृषि उत्पाद विपणन समिति द्वारा किया जाता है। बाज़ार समिति और बाज़ार बोर्ड में पर्यवेक्षण से जुड़े पदों पर राजनीतिक दलों के प्रभावशाली लोग काबिज होते हैं जिनकी लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंटों के साथ सांठ गांठ होती है, जो प्रायः अपने लाभ के लिए परस्पर गुटबंदी करके बाज़ार में एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। इन कारणों से किसान को कृषि उत्पाद विपणन समिति में अपने उत्पादों की बिक्री करके हानि का सामना करना पड़ता है।

7.38 कृषि उत्पादों के आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करने की तथा कृषि को शासित करने वाले खंडित कानूनों के समाप्त कर देने की आवश्यकता है। वर्तमान में, कृषि बाज़ार को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित चार कानून विद्यमान हैं/निर्मित किए जा रहे हैं:

- (i) बाज़ार से संबंधित वर्तमान, राज्य कानूनों के स्थान पर आदर्श एपीएमसी अधिनियम, 2016 को लाना।
- (ii) कृषि उत्पाद व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 2017।
- (iii) एक अन्य कानून जो संविदा कृषि को विनियमित करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा; और
- (iv) एक अन्य कानून/विनियम जो ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ईएनएएम) को विनियमित करेगा।

7.39 राज्य तथा केंद्र के अनेक कानूनों के चलते कृषि बाज़ार छोटे-छोटे खंडों में विभाजित हो रहा है तथा किसानों को कम लाभ की प्राप्ति हो रही है। उपर्युक्त कानूनों को समाप्त करके एक नया कानून बनाने

की आवश्यकता है ताकि ई-एनएएम पहल में यथा परिकल्पित एक सांझा राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित किया जा सके।

7.40 वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण (2017-18) के पैरा 29 में की गई घोषणा “बाजार सुधार किए जाएंगे तथा राज्यों को कहा जाएगा कि वे शीघ्र नष्ट हो जाने वाले कृषि उत्पादों को एपीएमसी से अलग करें” के दृष्टिगत शीघ्र नष्ट हो जाने वाले कृषि उत्पादों को मौजूदा एपीएमसी अधिनियम/प्रस्तावित आदर्श एपीएमसी अधिनियम, 2016 की परिधि से बाहर रखने की आवश्यकता है। इससे किसानों को अपने फल तथा सब्जियों की सरकार द्वारा सृजित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के जरिए बिक्री करने तथा लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (इसीए), 1955 के अंतर्गत स्टॉक सीमाएं

7.41 आवश्यक वस्तु अधिनियम (इसीए), 1955 के अंतर्गत लागू स्टॉक सीमाओं के कारण कृषि उत्पादों की मांग में कमी आती है तथा इससे उनकी कीमत में भी कमी आती है। चुनिंदा राज्यों में लागू स्टॉक सीमाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पूरे वर्ष के दौरान थोक विक्रेता को खुदरा विक्रेता की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 16 से 50 गुना के बीच तथा अन्य क्षेत्रों 10 से 80 गुना के बीच भंडारण करने की अनुमति दी गई है। इस बड़े अंतर को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए अधिकतम सीमा बुआई के समय से शुरू करके शस्य प्रापण के बाद दो महीनों तक की अवधि के दौरान लागू रखने तथा बाद में उसे क्रमिक रूप से घटाकर अधिकतम सीमा के आधे तक किया जाए। अधिकतम सीमा तक स्टॉक की अवधि में मांग के उच्च स्तर पर बने रहने के कारण किसानों को लाभ मिलेगा तथा स्टॉक की सीमा में कमी किए जाने के कारण बाजार में उत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके विपरीत, स्टॉक सीमाओं में वृद्धि करने के लिए अनुरोध तब प्राप्त होते हैं जबकि अधिप्रापण प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है या पूरी हो चुकी होती है। तथापि की गई परिकल्पना के अनुसार आदर्श स्थिति आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ ही स्टॉक धारक सीमाओं को समाप्त किया जाना है। जिससे विशिष्ट खाद्य सामग्री आदेश 2002 के

तहत परमिट/लाइसेंसिंग अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं तथा आवाजाही पर रोक से संबंधित सभी प्रतिबंध समाप्त किए जा सकें।

उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवीवाई) तथा आनुवांशिक आधार पर आशोधित (जीएम) किस्म के बीज

7.42 उच्च उपज देने वाली किस्मों तथा आनुवंशिकीय आधार पर आशोधित किस्म के बीजों को प्रयोग में लाने जिस पर दशकों से विवाद की स्थिति बनी हुई है, के संबंध में महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। नीचे दी गई सारणी-9 में एक मैट्रिक्स दी गई है जिससे इस समस्या के समाधान हेतु एक आधार प्राप्त हो सकता है।

सारणी 9. उच्च उपज देने वाली किस्मों तथा आनुवांशिक आधार पर आशोधित किस्मों के बीजों के संबंध में मैट्रिक्स

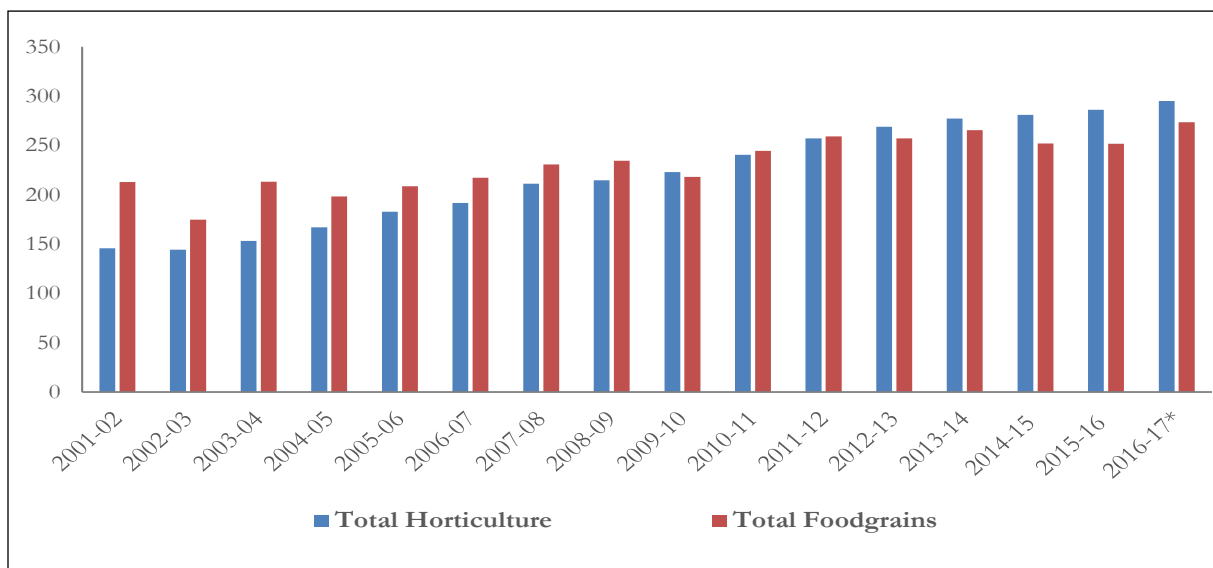
क्र.सं.	मुद्दा	निशान
1	टर्मिनेटर जीन	X
2	उच्च लागत	X
3	रोग तथा नाशीजीव रोधी	✓
4	आर्द्रता के बदलाव के संबंध में प्रतिरोधी	✓
5	मृदा में बदलाव के संबंध में प्रतिरोधी	✓
6	अधिक शेल्टर आयु	✓
7	कम फसल अवधि	✓
8	फसल का वृक्ष रूप	✓
9	अखाद्य फसलें	✓

बागबानी

7.43 गत पांच वर्षों (2012 से 2014-15) के दौरान भारत में खाद्यान्नों की तुलना में बागबानी फसलों के बुआई क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। 2012 से 2014-15 के दौरान बागबानी फसलों से उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 से बागबानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना में अधिक हुआ है (चित्र 13 और 14)।

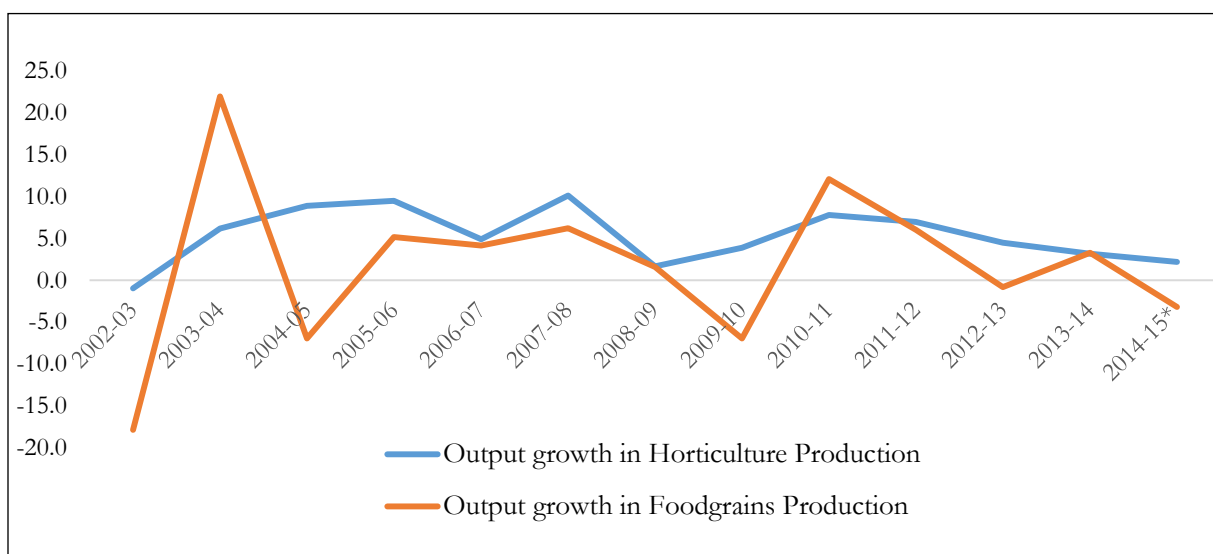
7.44 पिछले दशक के दौरान, बागबानी फसल के उत्पादन क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा इनसे उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2015-16 के दौरान बागबानी फसलों से उत्पादन 24.47 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 286.2 मिलियन टन हुआ है।

चित्र 13. खाद्यान्नों की तुलना में बागबानी फसलों का उत्पादन (मिलियन टन में)



स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय कृषि, सहकारिता तथा कृषक कल्याण विभाग

चित्र 14. खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में बागबानी फसलों के उत्पादन की वृद्धि दर (प्रतिशत)



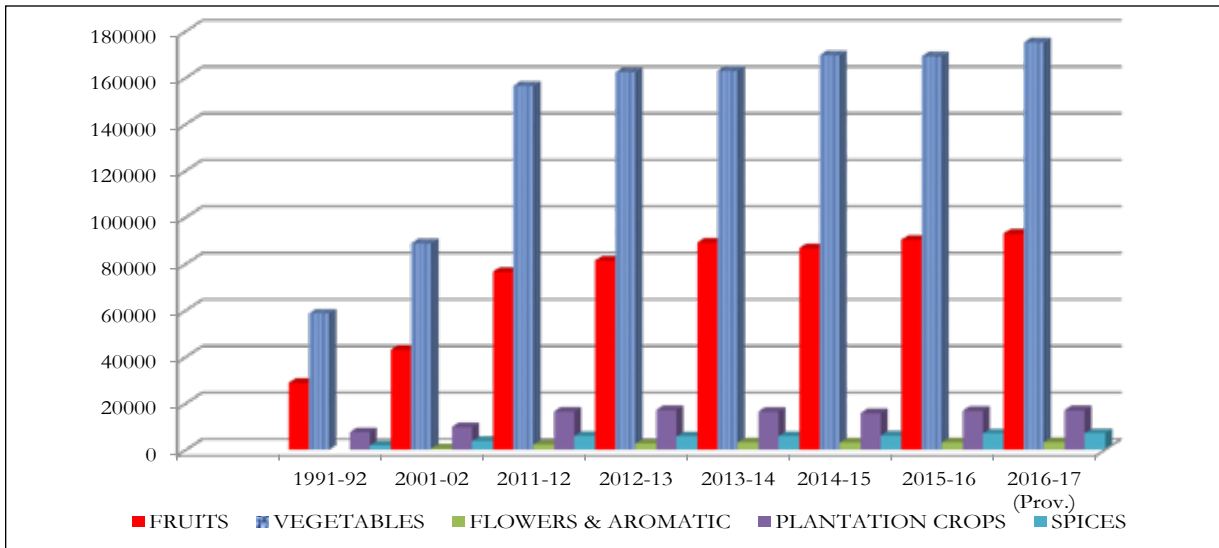
स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

7.45 फलों का उत्पादन 28,632 हजार टन से बढ़कर 90,183 हजार टन हो गया है और सब्जियों का उत्पादन 58,532 हजार टन से 1,69,064 हजार टन हो गया है। यह उपलब्धि 1991-92 से 2015-16 की है जैसा कि चित्र 15 में दर्शाया गया है। बागबानी फसलों में सब्जियों की हिस्सेदारी कुल बागबानी उत्पादन के 50 प्रतिशत से भी अधिक है। मूल्य के संदर्भ में ताजे फलों तथा सब्जियों के निर्यात मूल्य में लगभग 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा संसाधित फलों एवं सब्जियों के निर्यात मूल्य में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बागबानी क्षेत्र

में सब्जियों तथा फलों का खंड कृषि विकास का मुख्य प्रेरक खंड हो सकता है तथा इसमें शस्य प्रापण, निम्न लागत पर भंडारण सुविधाओं एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में उपयुक्त आदान तथा बाजार अवसंरचना को विकसित करके विकास की गति को और अधिक तेज किया जा सकता है।

7.46 शस्य प्रापण उपरांत होने वाली हानियां, अच्छी किस्म की रोपण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति तथा छोटे किसानों में बागबानी उत्पादों के लिए बाजार

चित्र 15. विभिन्न बागबानी फसलों से उत्पादन (हजार टन)



स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा कृषक कल्याण विभाग

में पहुंच की स्थिति भारत में बागबानी क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियां हैं। फलों तथा सब्जियों के मामले में बागबानी फसलों के लिए 5 से 15 प्रतिशत के बीच की संचयी क्षति (शस्य प्रापण तथा शस्य प्रापण उपरांत) काफी अधिक है जबकि अनाज के मामले में यह आंकड़ा 5 से 6 प्रतिशत के बीच तथा दालों के संबंध में 6 से 8 प्रतिशत तक एवं तिलहन के मामले में 5 से 10 प्रतिशत है (सीआईपीएचईटी, 2015)। बागबानी फसलों के मामले में 5 से 16 प्रतिशत के बीच होने वाली क्षति को कम करने के लिए एमआईडीएच (मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 7554 शस्य प्रापण उपरांत प्रयोग में लाई जाने वाली अवसंरचनाएं तथा 801 बाजार अवसंरचनाएं स्थापित की गईं।

7.47 विशेषकर संसाधित की जाने योग्य तथा निर्यात योग्य किस्मों की उपलब्धता बागबानी क्षेत्र में चिंता का एक अन्य क्षेत्र है। एमआईडीएच के अंतर्गत पौधशालाओं, ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं, बीज तथा रोपण सामग्री उत्पादन, बीज प्रसंस्करण अवसंरचना तथा रोपण सामग्रियों के आयात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अच्छी किस्म की रोपण सामग्रियों की उपलब्धता में आगे और वृद्धि करने के लिए एमआईडीएच के अंतर्गत रोपण सामग्रियों से संबंधित हस्तक्षेपों के लिए निधि आवंटन को इस वित्त वर्ष से बढ़ाकर लगभग 10 प्रतिशत कर

दिया गया है तथा साथ ही पौधशालाओं (नर्सरी) का प्रत्यायन भी किया गया है।

7.48 छोटे और सीमांत किसान बागवानी उत्पादों के प्रमुख उत्पादक हैं इससे उत्पादों के शीघ्र नष्ट होने के साथ ही बागवानी उत्पादों के विपणन की चुनौतियां सामने आती हैं। बागवानी उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था में कमी के कारण इनकी उपलब्धता में बार-बार कमी और कीमतों में उछाल की स्थिति उत्पन्न होती है। बागवानी उत्पादों के उत्पादकों के लिए बाजार में पहुंच में सुधार लाने के लिए एमआईडीएच के अंतर्गत अनेक उपाय किये गये हैं। छोटे तथा सीमांत किसानों को कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)/कृषक हित समूह (एफआईजी) गठित करने के लिए एकजुट किया गया है। इस वर्ष से एफपीओ मॉडल, जो कृषक उत्पादक संगठनों को अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेचने में सहायता करता है, पायलट आधार पर लागू किया जा रहा है।

संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन

7.49 भारत में मुख्य रूप से मिश्रित फसल-मवेशी फार्मिक प्रणाली में डेयरी कार्य लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक मुख्य दूसरा क्षेत्र बन गया है तथा विशेष रूप से सीमांत एवं महिला किसानों के लिए रोजगार तथा आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर चुका है। अधिकांश दूध

का उत्पादन छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है। मार्च 2015 तक लगभग 15.46 मिलियन किसानों को 165835 ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों की परिधि में लाया गया है। भारत सरकार “गौवंश के प्रजनन तथा डेयरी विकास संबंधी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम”, राष्ट्रीय डेयरी आयोजना “(चरण 1) तथा “डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम” जैसी केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों के जरिए डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के प्रयास कर रही है।

7.50 भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सरकार द्वारा मवेशियों से दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिसके फलस्वरूप दूध के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014-15 और 2015-16 के दौरान दूध के उत्पादन 6.27 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि हुई है। देश में 2015-16 के दौरान दूध की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन लगभग 337 ग्राम है।

7.51 यह एक उल्लेखनीय बात है कि महिलाओं ने उत्पादकों, महिला सहकारी समितियों और विपणनकर्ता के रूप में डेयरी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार सभी महिला डेयरी सहकारी समितियों की वार्षिक विकास दर लगभग 10 प्रतिशत है। देश में लगभग 43.8 लाख महिलाएं दूध उत्पादन से जुड़ी हुई हैं जिनमें से 3.29 लाख महिलाएं प्रबंध समिति की सदस्य हैं। (2013, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड)। अतः सरकार की डेयरी परियोजनाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर उपयुक्त उपायों को करके तथा इस क्षेत्र में महिलाओं की विशेष भागीदारी को देखते हुए निर्धारित निधि आवंटन द्वारा बल दिए जाने की आवश्यकता है।

7.52 पशुपालन की अर्थव्यवस्था तथा आजीविका के इस स्रोत का भविष्य इस उद्योग की परिसंपत्ति के समापन मूल्य अर्थात् दूध उत्पादन न करने वाले मवेशियों के मूल्य पर निर्भर करता है। यदि सामाजिक नीतियां इस समापन मूल्य को काफी कम कर देती हैं तो निजी लाभ पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, संभव है कि मवेशी पालन कम हो जाए। मवेशियों के समापन मूल्य में गिरावट मांस के रूप में मवेशियों से आय में होने वाली कमी तथा उत्पादन न करने वाले मवेशियों की

देखभाल में होने वाले अतिरिक्त व्यय दोनों के कारण होती है। यह संभव है कि सामाजिक नीतियों के कारण मवेशियों के पालन से होने वाले लाभ पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तथापि, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मानदंडों से लोगों के आचरण तथा उनके द्वारा चुने गए विकल्प पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा।

7.53 विगत 4 दशकों के दौरान भारत में मुर्गा मुर्गी उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, और यह अवैज्ञानिक फार्मिक पद्धति के स्थान पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय साधनों सहित वाणिज्यिक उत्पादन प्रणाली को प्रयोग में लाने के कारण हुई हैं। 2015-16 के दौरान हमारे देश में मुर्गा मुर्गियों की कुल संख्या 729.21 मिलियन थी (मवेशियों के संबंध में की गई 19वीं आम गणना के अनुसार) तथा अण्डे का उत्पादन लगभग 82.93 बिलियन अण्डे था। इसकी प्रतिव्यक्ति उपलब्धता (2015-16) प्रतिवर्ष लगभग 66 अंडे हैं। (सारणी 10)।

सारणी 10. प्रमुख पशुधन उत्पाद तथा मछलियों का उत्पादन

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडे (मिलियन संख्या)	मछली (हजार टन)
1990-91	53.9	21101	3836
2000-01	80.6	36632	5656
2006-07	102.6	50653	6869
2007-08	107.9	53583	7127
2008-09	112.2	55562	7620
2009-10	116.4	60267	7914
2010-11	121.8	63024	8400
2011-12	127.9	66450	8700
2012-13	132.4	69731	9040
2013-14	137.7	74752	9572
2014-15	146.3	78484	10334
2015-16	155.5	82929	10795

स्रोत: पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग (मिलियन टन में)

7.54 भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा साथ ही यह विश्व में अलवण जल की मछलियों का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मछलियों का उत्पादन 1991-92 के 41.57 लाख टन (24.27 लाख टन समुद्री तथा 17.10 लाख

टन अलवण जल की मछलियाँ) से बढ़कर 2015-16 में 107.95 लाख टन (35.8 लाख टन समुद्री तथा 72.10 लाख टन अलवण जल की मछलियाँ) हो गया है।

खाद्य प्रबंधन

7.55 खाद्य प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य किसानों से उचित कीमतों पर खाद्यान्नों की खरीद करना, उपभोक्ताओं और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण करना तथा खाद्य सुरक्षा एवं कीमत स्थायित्व के लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाए रखना है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) और केंद्रीय निर्गम कीमत (सीआईपी), इन दो लिखतों को प्रयोग में लाया जाता है। खाद्यान्नों की खरीद, वितरण और भंडारण से संबंधित कार्यों को करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद करना एक निर्वाध प्रक्रिया है जबकि खाद्यान्नों के वितरण की प्रक्रिया आवंटन की मात्रा तथा लाभभोगियों द्वारा खाद्यान्नों के उठान द्वारा शासित होती है। खाद्यान्नों का उठान मुख्य रूप से सरकार द्वारा चलाई जा रही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है।

7.56 केंद्रीय पूल में गेहूँ और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, खुले बाजार की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्यान्नों के भंडार के उपयुक्त प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (क) गेहूँ तथा चावल के अधिकतम अधिप्रापण के लिए उपाय किए गए हैं तथा गेहूँ एवं धान की न्यूनतम समर्थन कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है (मुख्य फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमत से संबंधित जानकारी परिशिष्ट सारणी में दी गई है)।
- (ख) राज्य सरकारों और विशेषकर विकेंद्रीकृत अधिप्रापण करने वाले राज्यों को राज्य एजेंसियों के जरिए किसानों से धान की खरीद करके गेहूँ और चावल का अधिकतम अधिप्रापण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- (ग) मौजूदा सुरक्षित भंडारण मानदंडों से ऊपर पांच

मिलियन टन खाद्यान्नों का शेष परिस्थितियों में प्रयोग के लिए आरक्षित भंडार सृजित किया गया है।

- (घ) खाद्य सुरक्षा में मुद्रास्फीतिजन्य रूझान पर नियंत्रण करने के लिए खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) के जरिए गेहूँ तथा चावल की बिक्री की गई।
- (ङ) चावल और गेहूँ की केंद्रीय निर्गम कीमतों में जुलाई, 2002 के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

खाद्यान्नों का अधिप्रापण

7.57 खाद्यान्नों, दालों और लघु फसलों का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमत पर अधिप्रापण किया जाता है। खाद्यान्नों के मामले में खरीफ विपणन मौसम के दौरान चावल/धान की खरीद के संबंध में उल्लेख है कि इस दौरान अनुमानतः 380.00 लाख टन चावल का अधिप्रापण किया गया। 18.05.2017 तक 359.58 लाख टन चावल की खरीद की गई है। रबी विपणन मौसम 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) के दौरान केंद्रीय पूल के अंतर्गत 229.61 लाख टन गेहूँ की खरीद की गई थी जबकि 2015-16 के रबी विपणन मौसम के दौरान 280.88 लाख टन गेहूँ की खरीद की गई थी।

विकेंद्रीकृत अधिप्रापण योजना

7.58 विकेंद्रीकृत अधिप्रापण व्यवस्था के उद्देश्य किसानों से खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन कीमत पर खरीद सुनिश्चित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के अधिप्रापण की दक्षता में वृद्धि करना तथा अपारंपरिक राज्यों में खाद्यान्नों के अधिप्रापण को प्रोत्साहित करना है। इस व्यवस्था से किसानों को उनके खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन कीमत प्राप्त होती है, खाद्यान्नों की आवाजाही के कारण मार्ग में होने वाली क्षतियों एवं इसके कारण लगने वाली लागत से बचाव से होता है तथा खाद्यान्नों का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत वितरण हेतु अधिप्रापण स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किया जा सकता है।

7.59 1997-98 में शुरू की गई विकेंद्रीकृत अधिप्रापण योजना (डीसीपी) को स्वयं राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों के अधिप्रापण एवं वितरण के माध्यम से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित डीसीपी राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत

खाद्यान्नों का अधिप्रापण, भंडारण एवं निर्गमन करते हैं। केन्द्र सरकार अनुमोदित लागत के अनुरूप अधिप्रापण प्रचालनों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए संपूर्ण व्यय को पूरा करने के लिए बचनबद्ध है। जबकि केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत अधिप्राप्त खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर निगरानी रखती है तथा अधिप्रापण संबंधी कार्य के निर्बाध प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा करती है, किंतु खाद्यान्नों के विपणन के मामले भी सामने आते रहते हैं। जो राज्य डीसीपी प्रणाली के अंतर्गत है।, उनकी सूची सारणी 11 में दी गई है।

सारणी 11. डीसीपी प्रणाली को अपनाने वाले राज्य

फसल	विकेंद्रीकृत प्रबंध करने वाले राज्य (डीसीपी)
चावल	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड (1 जिले के लिए)
गेहूं	गुजरात, पंजाब, राजस्थान (9 जिलों में)
चावल/ गेहूं	बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल

*आरएमएस 2017-18 से मुक्त

केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न भंडारण मानदंड (सुरक्षित भंडारण मानदंड)

7.60 खाद्यान्नों भंडारण मानदंड (सुरक्षित भंडारण मानदंड) के मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम भंडारण मानदंडों को पूरा करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्नों को प्रतिमास जारी करना सुनिश्चित करना, अनपेक्षित रूप से फसलों से पैदावार न होने, प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न होने आदि के कारण उत्पन्न आपात स्थितियों का सामना करने के लिए तथा खुले बाजार में कीमतों को कम स्तर पर बनाए रखने में सहायता के लिए आपूर्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से बाजार हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय पूल के खाद्यान्नों भंडारण को प्रयोग में लाना है। भारत सरकार ने जनवरी 2015 से सुरक्षित भंडारण से संबंधित मानदंडों को संशोधित कर दिया है तथा सुरक्षित भंडारण संबंधी मानदंडों का नाम बदलकर इसका नाम “केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों भंडारण संबंधी मानदंड” रख दिया गया है। सरकार ने खाद्यान्न भंडारण के बेहतर प्रबंधन के लिए जनवरी, 2015 से केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के न्यूनतम भंडारण मानदंड नीचे की सारणी में दिए गए हैं।

सारणी 12. खाद्यान्नों के न्यूनतम भंडारण संबंधी मानदंड की स्थिति

तारीख को	चावल	गेहूं	कुल
1 अप्रैल	13.58	7.46	21.04
1 जुलाई	13.54	27.58	41.12
1 अक्टूबर	10.25	20.52	30.77
1 जनवरी	7.61	13.80	21.41

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।

7.61 उपयुक्त मानदंड में 30 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल का विशेष आरक्षित स्टॉक शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए)

7.62 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों को प्राप्त करना एक कानूनी अधिकार बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अधिनियमित किया है जो 05.07.2013 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत 75 प्रतिशत तक ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एवाई) के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मोटे अनाज/गेहूं/चावल क्रमशः 1/2/3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

7.63 अब 80.54 करोड़ व्यक्तियों को शामिल करते हुए, इस अधिनियम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत कुल 81.35 करोड़ व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य है। चंडीगढ़, पुदुचेरी तथा दादर एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में इस अधिनियम को नकदी अंतरण प्रणाली के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में खाद्य सब्सिडी अंतरित की जा रही है। लाभार्थियों को खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने का विकल्प भी है। अन्य राज्यों में भी नकदी अंतरण के विस्तार हेतु ठोस आधार है।

7.64 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता के रूप में 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो खाद्यान्नों को राज्यों के भीतर भिजवाने तथा उचित दर की दुकानों के संबंधित डीलरों के मार्जिन से जुड़े हुए खर्चों के भुगतान के लिए है। ऐसी व्यवस्था एनएफएसए के तहत पहली बार की गई है। पहले, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह खर्च स्वयं वहन करना होता था अथवा वे इस खर्च को लाभार्थियों पर डाल सकते थे (एएवाई लाभार्थियों को छोड़कर)

एनएफएसए/टीपीडीएस के तहत खाद्यान्नों का आवंटन

7.65 01 नवंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार, एनएफएसए को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है और उनको एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों का मासिक आवंटन प्राप्त हो रहा है। भारत के महापंजीयक के मार्च, 2000 के जनसंख्या अनुमानों तथा भूतपूर्व योजना आयोग के वर्ष 1993-94 के गरीबी अनुमानों के अनुसार, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनएफएसए, 2013 का कार्यान्वयन नहीं किया है, उन्हें भूतपूर्व टीपीडीएस के तहत एएवाई तथा बीपीएल परिवारों के लिए प्रति माह परिवार 35 किलो ग्राम की दर से एपीएल परिवारों के लिए प्रति माह प्रति परिवार 10-35 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न प्राप्त हो रहा था। वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कल्याण संस्थाओं आदि को 628.91 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया है, जिसका ब्यौरा सारणी 13 में दिया गया है:

सारणी 13. एनएफएसए के अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटन

क्र. सं	श्रेणी	मात्रा (लाख टन)
1.	भिन्न-एनएफएसए	29.27
2.	एनएफएसए	513.45
3.	अतिरिक्त एपीएल/बीपीएल आवंटन	1.87
4.	त्यौहार/आपदा आदि	29.03
5.	अन्य कल्याण योजनाएं	55.29
	जोड़	628.91

स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू)

7.66 बफर स्टॉक को बनाए रखने तथा टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने

के लिए आवश्यक प्रावधान करने के अलावा, एफसीआई सरकार ने निदेशों पर खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू), (ओएमएसएस-घरेलू) के माध्यम से समय समय पर पूर्व निर्धारित कीमतों पर केंद्रीय पूल से अतिरिक्त स्टॉक को खुले बाजार में बेचा है, जो निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है:-

- क. विशेष रूप से फसल से दूर की अवधि में खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए और इसके द्वारा खुले बाजार कीमतों पर स्वस्थ एवं नियंत्रणकारी प्रभाव डाला जा सकता है।
- ख. केंद्रीय पूल में मौजूदा अतिरिक्त स्टॉक को खाली करने के लिए तथा जहां तक संभव हो खाद्यान्नों की रख रखाव लागत को कम करने के लिए।
- ग. खाद्यान्नों की गुणवत्ता में होने वाली कमी को रोकने के लिए तथा मानवीय उपभोग के लिए खाद्यान्नों का सदुपयोग करने के लिए।
- घ. गेहूं/चावल के आगामी विपणन दिनों के दौरान खरीदे गए स्टॉक के लिए अनिवार्य संभरण स्थान उपलब्ध कराने के लिए।

ओएमएसएस (घरेलू) के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान गेहूं/चावल की बिक्री

7.67 वर्ष 2016-17 के दौरान ओएमएसएस-घरेलू के तहत केंद्रीय पूल से एफसीआई द्वारा 65-75 लाख एम. टी. गेहूं बेचने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान ओएमएसएस (घरेलू) के तहत 20 लाख एम. टी. ग्रेड 'ए' चावल की भी बिक्री हेतु लक्ष्य तय किया गया था। वर्ष 2016-17 में ओएमएसएस (घरेलू) के तहत निजी थोक क्रेताओं/व्यापारियों को गेहूं की बिक्री के लिए 1640 रुपए प्रति क्विंटल के रूप में नियत मूल्य रखा गया था। सरप्लस खरीद करने वाले राज्य अर्थात् पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाहर स्थित एफसीआई के डिपो से बिक्री के लिए, एफसीआई के संबंधित डिपो तक मालभाड़ा प्रभार/सड़क परिवहन प्रभार भी इस आरक्षित मूल्य में जोड़ा जाना था। समर्पित प्रणाली के तहत बिक्री के लिए, एफसीआई डिपो से रेलवे रैंक में लोडिंग से संबंधित लदान, ढुलाई एवं परिवहन प्रभार भी नियत मूल्य में जोड़े जायेंगे। वर्ष 2016-17 के लिए ओएमएसएस (घरेलू) के तहत ग्रेड 'ए' चावल की बिक्री के लिए कुल नियत मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया था। पिछले पांच वर्षों के दौरान, ओएमएसएस

(घरेलू) के तहत बेचे गए गेहूं और चावल की मात्राएं सारणी-14 में दर्शायी गई हैं:

**सारणी 14. ओएमएसएस (घरेलू)
(मात्रा लाख मी. टन में)**

वर्ष	गेहूं	चावल
2012-13	68.67	0.99
2013-14	61.16	1.68
2014-15	42.37	*शून्य
2015-16	70.77	1.11
2016-17	45.67	1.78

स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

टिप्पणी: 2014-15 में चावल की बिक्री नहीं की गई।

खाद्य सस्बिडी

7.68 सस्बिडी युक्त खाद्यान्नों के माध्यम से गरीबों को न्यूनतम पोषण-सहायता का प्रावधान करना तथा विभिन्न राज्यों में कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो लक्ष्य हैं। सरकार न्यायसंगत वितरण संबंधी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए खाद्य सस्बिडी प्रदान करती है। गेहूं और चावल की आर्थिक लागत निरंतर बढ़ रही है, फिर भी इनके बेचने की कीमत में 01 जुलाई, 2002 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एनएफएसए के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप, एपीएल और बीपीएल श्रेणियों के लिए सीआईपी कम हो गया है। अतः सरकार टीपीडीएस/एनएफएसए तथा अन्य पोषण आधारित कल्याणकारी योजनाओं तथा खुले बाजार परिचालनों के तहत वितरण के लिए खाद्यान्नों पर अधिक एवं निरंतर वृद्धि होने वाली सस्बिडी जारी रखती है। (सारणी 15)

सारणी 15. सरकार द्वारा जारी खाद्य सस्बिडी की मात्रा

वर्ष	खाद्य सस्बिडी (करोड़ रु.)	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)
2010-11	62,929.56	8.05
2011-12	72,370.90	15.00
2012-13	84,554.00	16.83
2013-14	89,740.02	6.13
2014-15	1,13,171.16	26.11
2015-16	1,34,919.00	19.22
2016-17	1,05,672.96	-21.68
2017-18*	69,273.00	

स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

टिप्पणी: 08.05.2017 के आंकड़े

भावी योजनाएं

7.69 कृषि संकट का समाधान उत्पादकता में वृद्धि करके करना होगा और यह कार्य मुख्यतः लघु सिंचाई प्रणालियों, जैसी जल बचाव सिंचाई प्रणालियों का प्रयोग बढ़ाकर तथा फसल निरपेक्ष तरीके से प्रत्यक्ष अंतरण पद्धति से आदानों के वितरण से किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक की प्रगति का मूल्यांकन किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के एक उपाय के रूप में वैश्विक पैदावार में वृद्धि के अनुरूप परिणामों हासिल करने के संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है। छोटे खेतों, जिसकी भारतीय कृषि क्षेत्र में बदलता है की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए छोटी खेती के अनुकूल निरपेक्ष तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार के सहारे से समाधान ढूँढने की आवश्यकता है। एचवाईवी और जीएम बीजों के उपयोग से संबंधित विवादों को निपटाना चाहिए; केवल सरसों तक सीमित न रह कर सभी फसलों के संबंध में होना चाहिए।

7.70 कृषि क्षेत्र की चिंताओं के समाधान हेतु, अपेक्षित परिवर्तनों में से अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि बाजार को अहम भूमिका की अनुमति दी जाए; यह जरूरी नहीं है कि बाजार का एक भौतिक स्वरूप हो।

7.71 ईसीए, 1955 के तहत लागू की गई स्टॉक सीमाएं कृषि उत्पादों की मांग को कम करती हैं और इसलिए मूल्य में भी कमी आ जाती है। परमिट/लाईसेंसिंग अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन प्रतिबंधों तथा कानूनों जिन पर वे आधारित हैं, को हटाए जाने की आवश्यकता है।

7.72 दीर्घावधिक निवेश हेतु किसानों के लिए औपचारिक तथा संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की चुनौती की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। छोटे तथा सीमान्त किसानों को समय पर तथा वहनीय ऋण उपलब्ध कराना समावेशी विकास की कुंजी है।

उद्योग और अवसंरचना

भारत की सतत आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिए अवसंरचना की सुगठित सुविधाओं की सहायता से उच्च दर पर औद्योगिक संवृद्धि का महत्व बहुत निर्णायक रहने वाला है। वर्ष 2016-17 में औद्योगिक संवृद्धि में आया कुछ धीमापन विश्व स्तर पर आर्थिक संवृद्धि में व्याप्त मंदन, दोहरी तुलन पत्र की समस्या और मंदीग्रस्त निजी निवेश चक्र का परिणाम रहा है। फिर भी आठ मुख्य अवसंरचना सहायक उद्योगों ने इसी अवधि में एक अच्छी संतोषजनक संवृद्धि दर्ज की है। सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए कदम उठाकर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए हैं। सरकार की उच्च गुण भौतिक अवसंरचना प्रदान करने की प्रतिबद्धता विश्व बैंक, 2016 में 'संभरण तन्त्र निष्पादन' के वैश्विक अनुक्रमों में झलक रही है। भारत का क्रमांक 2014 के 58वें से उछल कर 2016 में 36 पर पहुंच गया है। यद्यपि सुरचित अवसंरचना परियोजनाएं प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी कुछ मुद्दे सड़क, रेल मार्ग, बंदरगाह, नागर विमानन, दूर संचार और विद्युत क्षेत्र आदि के विकास मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। इस अध्याय में हम ऐसी ही कुछ चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी अध्याय में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना-‘उदय’ कार्यक्रम का विद्युत क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याओं का निदान कर पाने के संबंध में एक प्रारंभिक मूल्यांकन करने का प्रयास भी किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में रुझान

8.1 निर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है और वर्ष 2016-17 में इसका कुल सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 31.1 प्रतिशत का योगदान रहा। मजबूत और सुदृढ़ औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र घरेलू उत्पादन, निर्यात और रोजगार के संवर्धन में सहायता करता है और ये सभी अर्थव्यवस्था में उच्च विकास के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं।

8.2 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए जीवीए की समग्र वृद्धि 6.6 प्रतिशत आँकी गई है, जबकि औद्योगिक निष्पादन वर्ष 2015-16 में 8.8 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2016-17 में 5.6 प्रतिशत हो गया है (सारणी 1)। यह स्थिति धीमी हो चुकी समग्र वैश्विक आर्थिक

गतिविधि की पृष्ठभूमि में घटित हुई है।

8.3 अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र में आई मंदी द्वैध तुलनपत्र (टीबीएस) समस्या के कारण हुई कही जा सकती है। (आर्थिक समीक्षा 2016-17 खंड I, अध्याय 4)। टीबीएस से तात्पर्य है-कारपोरेटों की उच्च अनर्जक आस्तियों (एनपीए) तथा अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों के चरमराते हुए तुलनपत्र, जिससे ऋण देने में मंदी आती है और, जिससे सकल अचल पूंजी निर्माण में और अधिक मंदी आती है तथा इसलिए औद्योगिक विकास और कम हो जाता है। वर्ष 2016-17 में उद्योग को मिले ऋण में 1.6 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि पिछले वर्ष के 6.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016-17 में जीएफसीएफ घटकर 2.4 प्रतिशत रह गया है।

सारणी-1 2011-12 में स्थिर कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन वृद्धि दर (प्रतिशत)

	2015-16	2016-17
उद्योग	8.8	5.6
जिसका		
खनन और उत्खनन	10.5	1.8
विनिर्माण	10.8	7.9
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	5.0	7.2
निर्माण	5.0	1.7

स्रोत: सीएसओ

8.4 तथापि, जब औद्योगिक विकास को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में देखा जाता है, जो औद्योगिक गतिविधि का अग्रणी संकेतक होता है, तब वह सकारात्मक विकास दर्शाता है (सारणी 2)। वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला के अनुसार, पिछले वर्ष के 3.4 प्रतिशत की तुलना में समग्र आईआईपी वर्ष 2016-17 में 5.0 प्रतिशत की दर पर बढ़ा। अप्रैल-मई

2017 के दौरान 2.3 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई है।

सारणी 2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार विकास (प्रतिशत) (आधार वर्ष 2011-12)

	2015-16	2016-17
आईआईपी साधारण	3.4	5.0
खनन	4.3	5.4
विनिर्माण	3.0	4.8
बिजली	5.7	5.8
उपयोग आधारित वर्गीकरण		
प्राथमिक माल	5	4.9
पूंजीगत माल	2.1	3.2
अंतस्थ माल	1.5	3.4
निर्माण/विनिर्माण माल	2.8	3.9
टिकाऊ उपभोक्ता चीजें	4.2	5.1
गैर टिकाऊ उपभोक्ता चीजें	2.7	8.5

स्रोत: सीएसओ

सारणी 3 औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर के सूचकांक की तुलना (आधार वर्ष 2004-05 और 2011-12)

	सामान्य		खनन		विनिर्माण		बिजली	
	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12
2012-13	1.1	3.3	-2.3	-5.3	1.3	4.8	4.0	4.0
2013-14	-0.1	3.4	-0.6	-0.1	-0.8	3.6	6.1	6.1
2014-15	2.8	4.0	1.5	-1.4	2.3	3.9	8.4	14.8
2015-16	2.4	3.4	2.2	4.3	2.0	3.0	5.7	5.7
2016-17	0.7	5.0	2.2	5.4	0.0	4.8	4.7	5.8

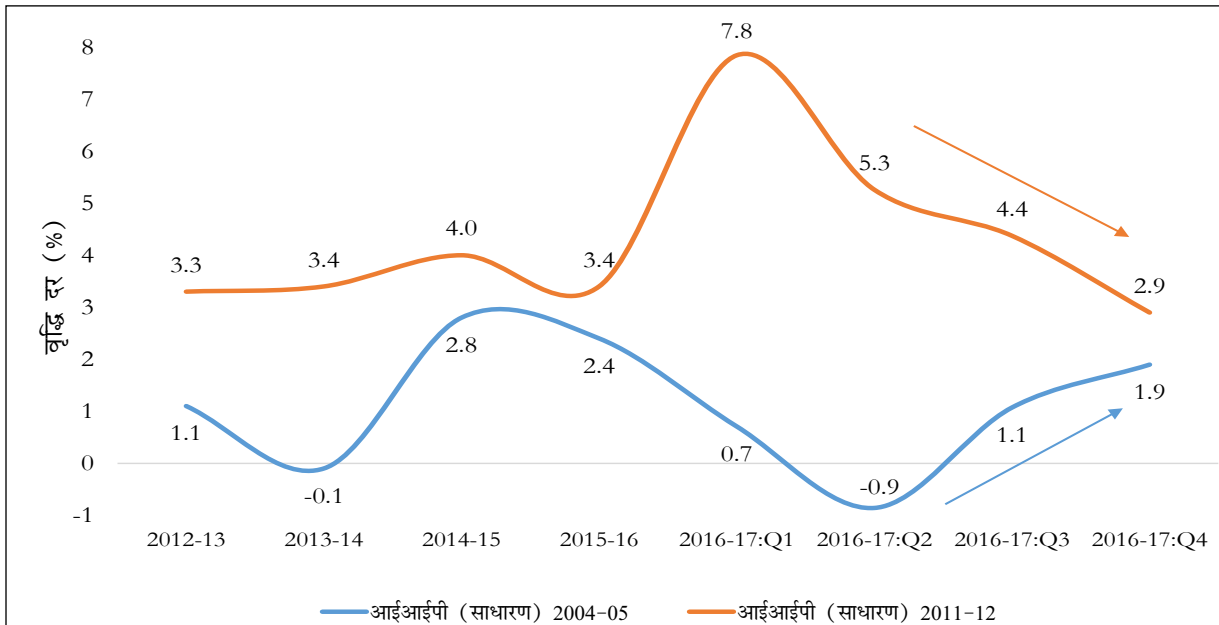
स्रोत: सीएसओ

8.5 नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ, आईआईपी विकास दरों में वृद्धि होती रही है (चित्र 1)। दोनों श्रृंखलाएं एक दिशा में नहीं जाती तथा वर्ष 2016-17 की विकास दरों में विपरीत रुझान दर्शाती हैं। वर्ष 2016-17 की तिमाही 1 में, नई श्रृंखलाओं ने विकास में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है, जबकि पुरानी श्रृंखलाओं ने 0.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाया है। नई श्रृंखलाओं ने विमुद्रीकरण (प्रतिशत) के बाद तीसरी व चौथी तिमाही में औद्योगिक विकास ने मंदी दर्शायी है जबकि पुरानी श्रृंखलाओं ने इसी अवधि में विकास में

तेजी दिखाई है। बेहतर आंकड़े नई आईआईपी श्रृंखला में मद समूह के विस्तार, कारखानों की रूपरेखा तथा भारांश में संशोधन का प्रतिबिंब है।

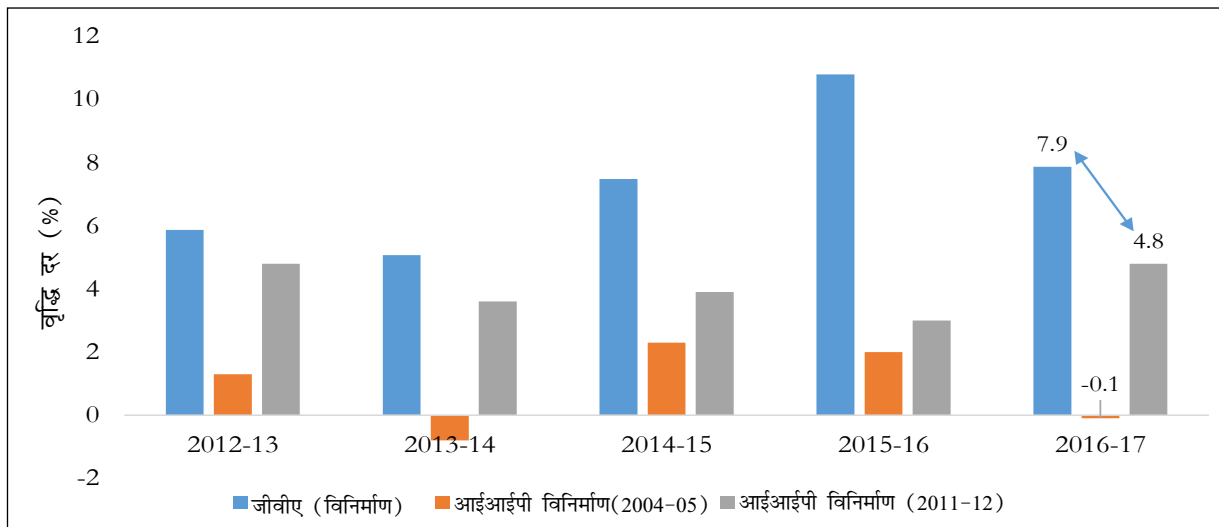
8.6 नई श्रृंखलाओं के परिणामस्वरूप जीवीए (विनिर्माण) और आईआईपी (विनिर्माण) के बीच विचलन घटा है जैसाकि चित्र 2 में देखा जा सकता है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि जीवीए (विनिर्माण) तथा आईआईपी (विनिर्माण) के बीच अंतर पूर्ववर्ती 8 प्रतिशतांक की तुलना में घटकर लगभग 3 प्रतिशतांक हो गया है।

चित्र 1. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (साधारण) 2004-05 तथा औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (साधारण) 2011-12 के बीच वृद्धि दर की तुलना



स्रोत: सीएसओ

चित्र 2. सकल मूल्य वर्धित (विनिर्माण) तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (विनिर्माण) की तुलना



स्रोत: सीएसओ

आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का निष्पादन

8.7 आठ महत्वपूर्ण उद्योगों के सूचकांक में शामिल उद्योग हैं—कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफायनरी उत्पादन, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। आठ महत्वपूर्ण उद्योगों के सूचकांक का आधार वर्ष आईआईपी के नए आधार वर्ष के अनुसार अप्रैल, 2017 से वर्ष 2004-05 से बदल कर 2011-12 कर दिया

गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का सूचकांक वर्ष 2015-16 के 3 प्रतिशत की तुलना में 4.8 प्रतिशत था (सारणी-4)। वर्ष 2017-18 के पहले दो महीनों में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। आईआईपी में संशोधित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का संयुक्त भारांश 40.3 प्रतिशत है। इस अध्याय में आगे चलकर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निष्पादन पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है।

सारणी 4. आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011-12) (प्रतिशत में)

क्षेत्र	भारांश	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कोयला	10.3	3.2	1.0	8.0	4.8	3.2
कच्चा तेल	8.9	-0.6	-0.2	-0.9	-1.4	-2.5
प्राकृतिक गैस	6.8	-14.4	-12.9	-5.3	-4.7	-1.0
रिफायनरी उत्पाद	28.0	7.2	1.4	0.2	4.9	4.9
उर्वरक	2.6	-3.3	1.5	1.3	7.0	0.2
इस्पात	17.9	7.9	7.3	5.1	-1.3	10.7
सीमेंट	5.4	7.5	3.7	5.9	4.6	-1.2
बिजली	19.9	4.0	6.1	14.8	5.7	5.8
संपूर्ण सूचकांक	100.0	3.8	2.6	4.9	3.0	4.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी

बॉक्स 1. नई आईआईपी श्रृंखला 2011-12 में परिवर्तन

औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के लिए वस्तुओं के समूह का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया है। शुरू किए गए कार्य विधिगत परिवर्तनों का सार इस प्रकार है:-

नई श्रृंखला में आईआईपी के तीन घटक, अर्थात्, खनन, विनिर्माण और बिजली शामिल हैं। 407 मदों के नए समूह में पुराने समूह की 259 मदें शामिल हैं। क्षेत्रीय स्तर पर नई श्रृंखलाओं के लिए भारांश आधार वर्ष 2011-12 के साथ लेखा सांख्यिकी (एनएसएस) के जीवीए आंकड़ों का प्रयोग करके परिकलित किए गए हैं। सारणी 1 में क्षेत्रीय स्तर पर दो आधार वर्षों के बीच तुलनात्मक भारांश दर्शाए गए हैं।

सारणी 1. आईआईपी की नई और पुरानी श्रृंखला के भारांश

क्षेत्र	आधार वर्ष 2004-05	आधार वर्ष 2011-2012
	भारांश (%)	भारांश (%)
खनन	14.2	14.3
विनिर्माण	75.5	77.6
बिजली	10.3	7.9
कुल	100	100

संशोधित आईआईपी समूह में, कुल 109 मद समूहों के आंकड़े मात्रा की बजाय मूल्य के अनुसार एकत्रित किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आंकड़ों में उछाल से बचा जा सके क्योंकि इनमें से बहुत से उत्पादों की उपयोगिता अवधि एक महीने से ज्यादा है। ऐसी मदों को “कार्य प्रगति पर” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन मद समूहों के लिए संगृहीत किये गये मूल्य आंकड़े उत्पादक मूल्य सूचकांक के अभाव में, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) 2011-12 का उपयोग करके अपस्फाहित किये गये हैं।

उपयोग आधारित वर्गीकरण ने आधारभूत वस्तुओं के स्थान पर प्राथमिक वस्तुओं को रख दिया है। अवसंरचना/निर्माण वस्तुएं नामक नया समूह बनाया गया है। पुराने उपयोग आधारित वर्गीकरण की तुलना में नए उपयोग आधारित वर्गीकरण के भारांश सारणी-2 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 2. नए और पुराने उपयोग पर आधारित भारांश के लिए वर्गीकरण

	आधार वर्ष 2004-2005		आधार वर्ष 2011-12		
	मद समूह	भारांश (%)		मद समूह	भारांश (%)
बुनियादी वस्तुएं	88	45.7	प्राथमिक वस्तुएं	15	34.1
अंतःस्थ माल	106	15.7	अंतःस्थ वस्तुएं	110	17.2
पूँजीगत माल	73	8.8	पूँजीगत वस्तुएं	67	8.2
अनुप्लब्ध	--	--	अवसंरचना/विनिर्माण वस्तुएं	29	12.3
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	43	8.5	उपभोक्ता वस्तुएं	86	12.8
गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	89	21.3	गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	100	15.3
कुल	399	100	कुल	407	100

कारपोरेट क्षेत्र निष्पादन

8.9 कारपोरेट क्षेत्र की बिक्री में 2016-17 की दूसरी तिमाही से साधारण वृद्धि दिखायी दी है। निवल लाभ में तीसरी तिमाही तक उच्च वृद्धि देखी गई है (सारणी-5)। परंतु, अंतिम तिमाही में निवल लाभ में गिरावट देखी गई है। यह गिरावट कंपनियों की कमतर गैर प्रचालन आय और भारतीय लेखा मानकों, जोकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप हैं, को अपनाने के प्रभाव के कारण हुई कही जा सकती है।

सारणी 5. बिक्री और लाभ की वृद्धि 2016-17¹ (%)

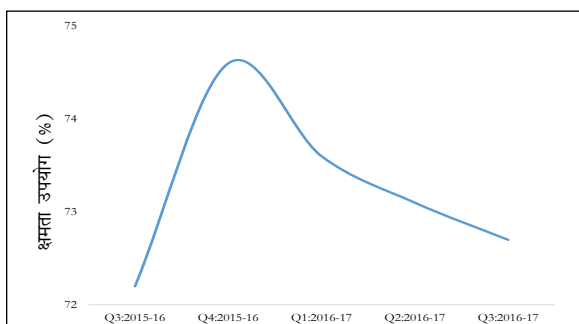
	ति1	ति2	ति3	ति4*
बिक्री	-1	3.7	4.9	18.8
निवल लाभ	28.8	27.5	57.5	6.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

*18 मई, 2017 की स्थिति के अनुसार 2016-17 की चौथी तिमाही के लिए उपलब्ध विनिर्माण कंपनियों के आरंभिक परिणामों पर आधारित

8.10 यह भी उल्लेखनीय है कि विनिर्माण उद्योगों के क्षमता उपयोग में 2016-17 की पहली तिमाही से गिरावट की प्रवृत्ति रही है। (चित्र 3)। क्षमता उपयोग उस सीमा को दर्शाती है जितना कि कोई विनिर्माण कंपनी अपनी स्थापित क्षमता का उपयोग करती है, जो आगे चलकर मांग की स्थिति और भण्डार के स्तर पर निर्भर करती है। कम क्षमता उपयोग अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधि तथा निवेश में व्याप्त मंदी को प्रतिबिंबित करता है।

चित्र 3: उद्योगों में क्षमता उपयोग (प्रतिशत)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

8.11 औद्योगिक मंदी उद्योगों को प्राप्त होने वाले ऋण की वृद्धि में भी देखी जाती है। चित्र 4 दर्शाता है कि उद्योगों को प्राप्त अनुमानित ऋण वृद्धि दर अगस्त 2016 में नकारात्मक हो गई है तथा यह इस अवधि के अधिकांश में नकारात्मक परिधि में ही रही और फरवरी 2017 से इसमें साधारण बढ़ोत्तरी का रुख बना है। वास्तविक ऋण की वृद्धि में भी गिरावट रही है तथा यह जुलाई 2016 में नकारात्मक हो गई। ऐसा संभवतः जुलाई 2016 से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के सकारात्मक परिधि में रहने के कारण हो सकता है। इसके बाद से यह ऋण वृद्धि नकारात्मक ही रही है। कुल मिलाकर, पूरे वर्ष में खनन और विनिर्माण सहित औद्योगिक क्षेत्र की ऋण प्रवाह में वृद्धि 2015-16 के 4.9 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 2016-17 में (-) 1.6 प्रतिशत रह गई। कम ऋण संवितरण से प्रभावित हुए बड़े क्षेत्र हैं विद्युत, दूरसंचार, वस्त्रोद्योग, तथा खनन एवं उत्खनन।

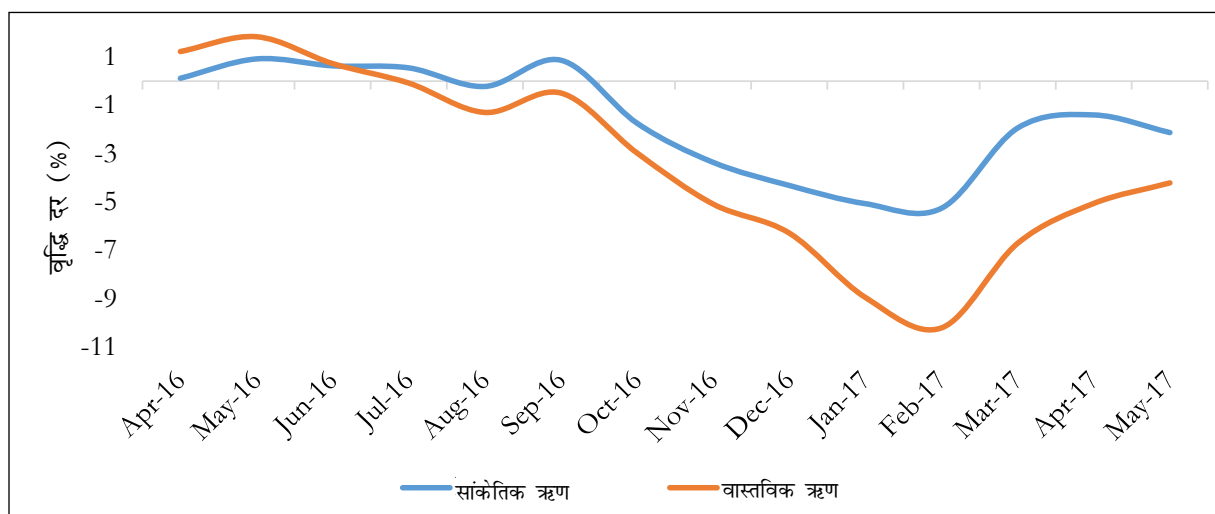
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम

8.12 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम विकास कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2015-16 में 165 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों ने 1.4 ट्रिलियन रुपये का लाभ कमाया जबकि अर्थव्यवस्था में 78 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम थे जिन्होंने 287.5 बिलियन रुपये का घाटा उठाया था। इतनी बड़ी हानि राजकोषीय संसाधनों की बरबादी कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप निजी निवेश की संभावना कम हो सकती है। यह बात महत्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब बैंकिंग क्षेत्र पहले ही अनर्जक आस्तियों की बड़ी समस्या से ग्रस्त है।

8.13 इस समस्या को सुलझाने के लिए, लोक उद्यम विभाग ने 07.09.2016 को रुग्ण/हानि उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) के समय समापन तथा चल एवं अचल आस्तियों के निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इस स्कीम में अंतर्गत हिन्दुस्तान केबल लि., एचएमटी लि. की ट्रैक्टर इकाई, इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. की कोटा इकाई, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., नेशनल

¹ उन कंपनियों की संख्या, जिनसे प्रतिदर्श लिये जाते हैं- प्रथम तिमाही-1808, दूसरी तिमाही-1775, तीसरी तिमाही 1818, अंतिम तिमाही-389

चित्र 4. उद्योगों (2016-17) को सांकेतिक और वास्तविक ऋण की वृद्धि
(थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार अपस्फीत) (महीनेवार)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लि. और बर्ड जूट एक्सपोर्ट लि. के समापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

क्षेत्रवार मुद्दे और पहलें

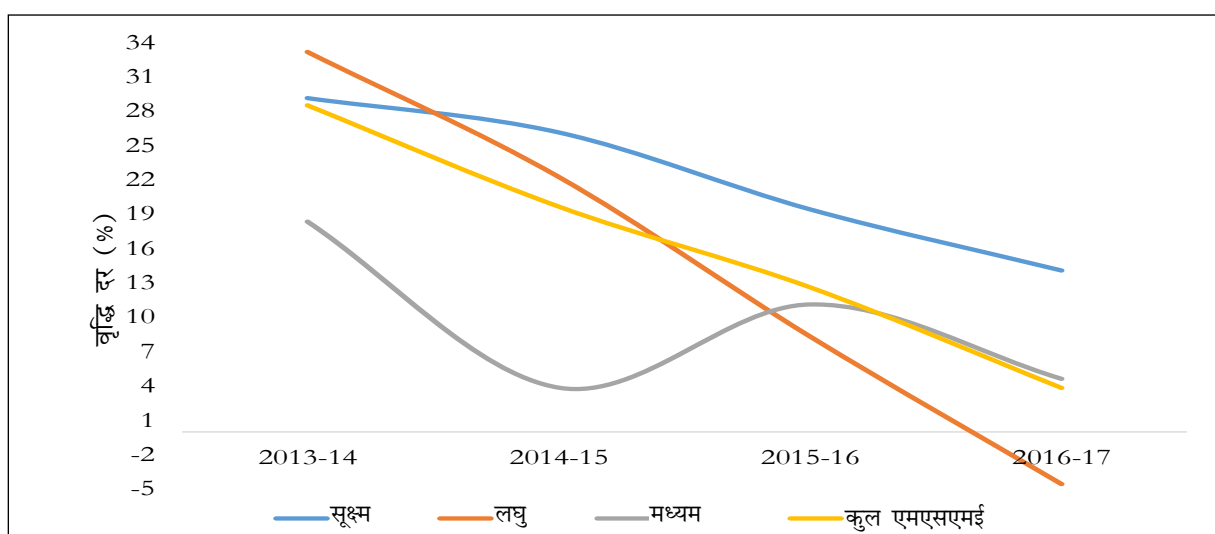
एमएसएमई क्षेत्र

8.14 भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बड़े रोजगार अवसर देने, ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई क्षेत्र ने कुल औद्योगिक जीवीए का 33 प्रतिशत तथा

स्थिर मूल्यों (2011-12 आधार वर्ष) पर औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 31 प्रतिशत का योगदान दिया।

8.15 यह क्षेत्र पर्याप्त, सस्ती एवं समय पर औद्योगिक ऋण की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। चित्र 5 में दर्शाया गया है कि कुल मिलाकर एमएसएमई क्षेत्र को प्राप्त ऋण की वृद्धि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को क्षेत्रवार प्राप्त ऋण वृद्धि में गिरावट हो रही है तथा यह 2016-17 में लघु उद्यमों के लिए नकारात्मक रही है। एमएसएमई क्षेत्र को प्राप्त ऋण

चित्र 5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

में हो रही गिरावट के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों के बढ़ने के कारण उनकी बिगड़ती हालत को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

8.16 इस समस्या से निपटने के लिए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर निरंतर एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने की प्रगति की निगरानी करता आ रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 'सूक्ष्म' उद्यमों को ऋण देने के लिए, समायोजित निवल बैंक ऋण के 7.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को शामिल करके एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी उधार देने के दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों के संबंध में विकास और पुनर्वित्त के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी शुरू की है। मुद्रा का उद्देश्य गैर निगमित सूक्ष्म व्यापार क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करना है। सरकार ने सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनःवित्तपोषण एजेंसी (मुद्रा) बैंक भी स्थापित किया है।

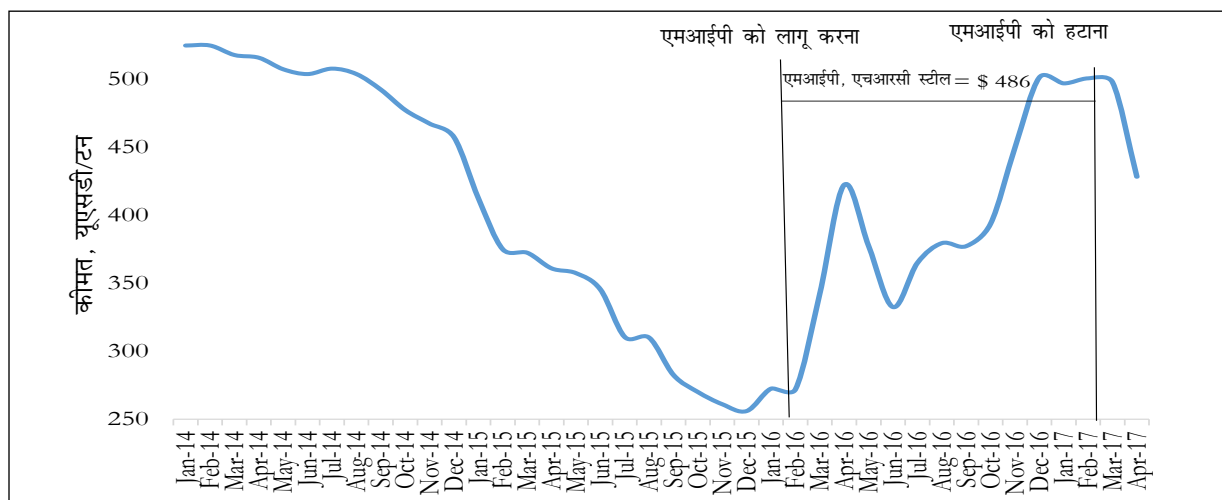
इस्पात क्षेत्र

8.17 इस्पात क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत विश्व में इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कुल परिष्कृत इस्पात का घरेलू उत्पादन 2015-16 के 91 मिलियन टन की तुलना में 2016-17 में 101.3 मिलियन टन रहा।

8.18 चीन की हालिया आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक इस्पात उद्योग ने चीन की इस्पात मांग में कमी सहित वैश्विक मांग में गिरावट के कारण प्रमुख कठिनाई झेली है। इसके अतिरिक्त, इस्पात उत्पादन में अधिक क्षमता के फलस्वरूप चीन, दक्षिण कोरिया एवं यूक्रेन द्वारा भारतीय बाजारों में कम कीमतों पर इस्पात की डम्पिंग प्रारम्भ कर दी गई है। इसकी जवाबी कार्रवाई में घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए सरकार ने 2016 में अनेक उपाय जैसे बुनियादी सीमा शुल्क में वृद्धि, न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) लगाने तथा डम्पिंग रोधीशुल्क अपनाए हैं। भारत सरकार ने फरवरी 2016 में एक वर्ष के लिए इस्पात का न्यूनतम आयात शुल्क अधिसूचित किया है (चित्र 6)।

8.19 भारत सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के अच्छे परिणाम मिले हैं। 2016-17 के दौरान, इस्पात के आयात में कमी आयी है, जबकि इस्पात का निर्यात दोगुना हो गया है (सारणी 6)। ध्यान देने योग्य है कि रुपये की स्थिर विनिमय दर के बीच भारत का इस्पात निर्यात बढ़ रहा है। इस्पात के निर्यात में बढ़ोत्तरी इस्पात क्षेत्र में अत्यधिक निर्मित क्षमता को भी समाप्त कर सकती है। वैश्विक स्तर पर इस्पात की मांग में वृद्धि तथा आयातों में मंदी के कारण, इस क्षेत्र में संभावित अत्यधिक क्षमता के चलते इस्पात का घरेलू उत्पाद 11 प्रतिशत बढ़ा है।

चित्र 6: चीन में हॉट रोलड स्टील की कीमत, भारत में हॉट रोलड स्टील की न्यूनतम आयात कीमत (यूएसडी/टन)



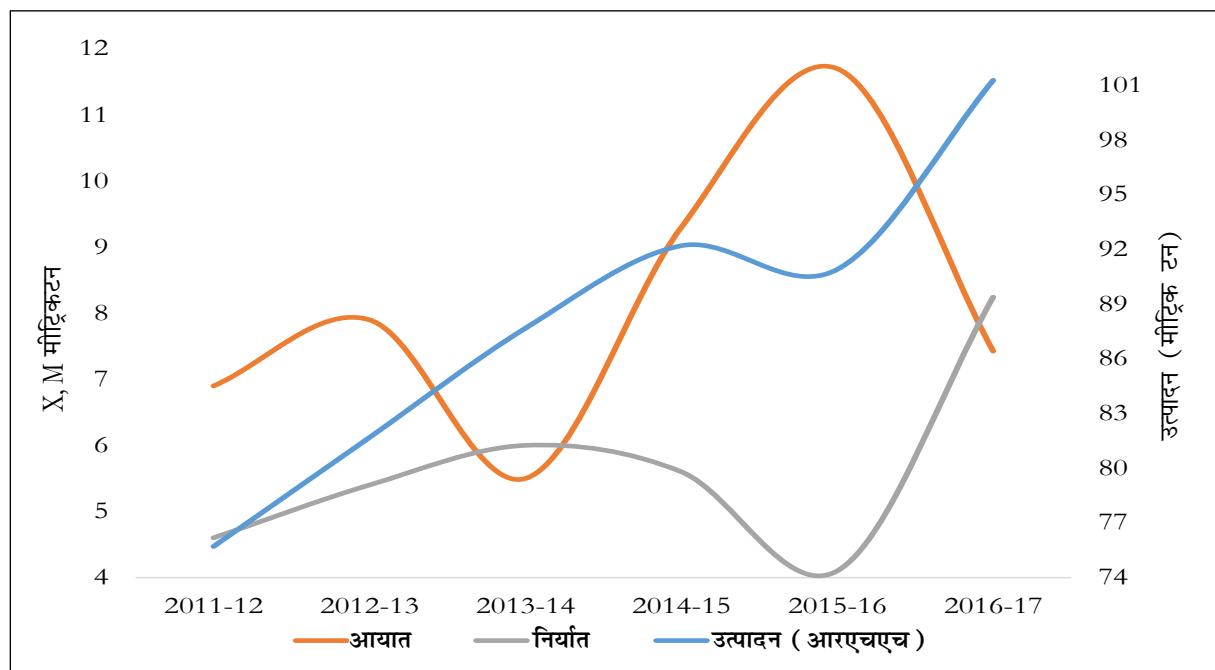
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय

सारणी 6. तैयार इस्पात का उत्पादन, आयात और निर्यात

	2015-16	2016-17	वृद्धि (%)
उत्पादन	91	101.3	11.3
आयात	11.7	7.4	-36.6
निर्यात	4.1	8.2	102.1
मीट्रिक टन			

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय

चित्र 7. 2011-2016 के लिए इस्पात का उत्पादन, आयात, निर्यात (मीट्रिक टन)



स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय

परिधान और वस्त्र क्षेत्र

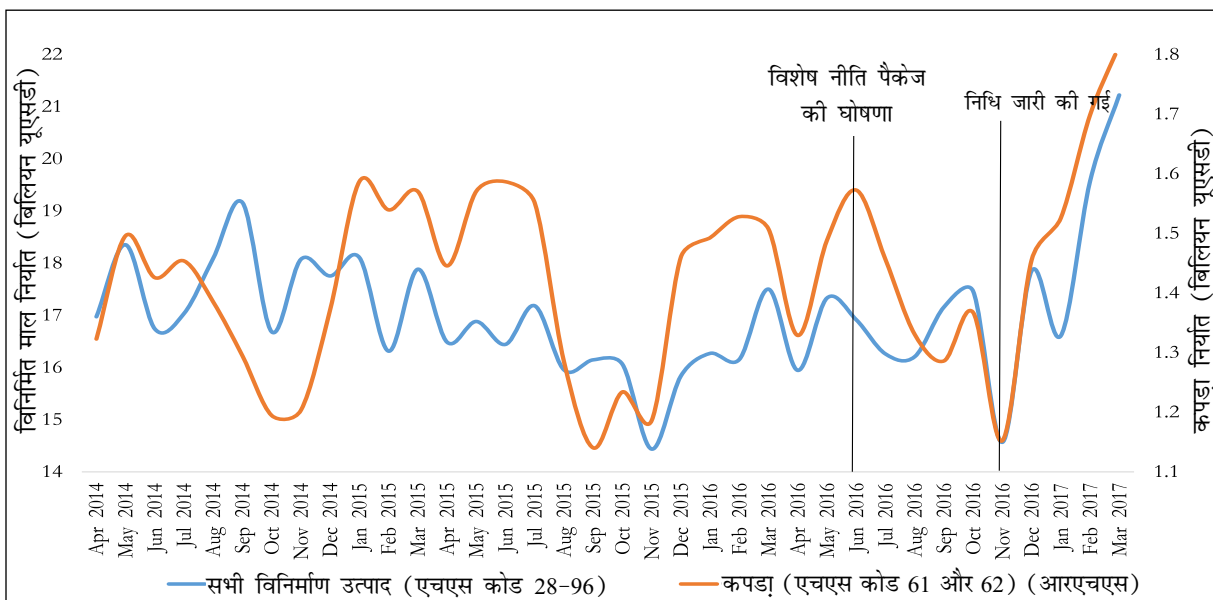
8.20 परिधान क्षेत्र रोजगार प्रधान उद्योग है, विशेषकर महिलाओं के लिए। चीन के परिप्रेक्ष्य में, जो उत्पादन की बढ़ती लागतों के कारण परिधान क्षेत्र में निर्यात के वैश्विक बाजार में अपना हिस्सा खो रहा है, भारत के लिए यह सही समय है कि वह इस बाजार में अपनी पकड़ बनाए। लेकिन, भारत के सामने इस स्थिति से लाभ उठाने से पहले बहुत सी चुनौतियां खड़ी हैं। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे भारत के प्रतिस्पर्धियों के पास अमरीका, ईयू और जापान के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच है। अन्य चुनौतियों में मानव निर्मित वस्त्रों एवं सूत से निर्मित वस्त्रों पर ऊंचे घरेलू कर; श्रम संबंधी

कड़े विनियम तथा उच्च संभरण (लॉजिस्टिक) लागतें शामिल हैं।

8.21 इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने 22 जून 2016 में रोजगार सृजन, निर्यात और निवेश में तेजी लाने के लिए वस्त्र और परिधान क्षेत्र हेतु 6,000 करोड़ ₹ का विशेष पैकेज घोषित किया है। अन्य प्रोत्साहनों में, वस्त्र क्षेत्र के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के अंतर्गत सब्सिडी 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गयी है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें अपेक्षित नौकरियों के सृजन के बाद ही सब्सिडी संवितरित की जाती है।

8.22 वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज का

चित्र 8. वस्त्र और विनिर्मित माल का निर्यात (बिलियन अमरीकी डालर)
(अप्रैल 2014-मार्च 2017)



स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (आयात निर्यात आंकड़ा संग्रह)

मुख्य घटक राज्य उद्ग्रहणों पर छूट (आरओएसएल) योजना है। इस योजना के अंतर्गत नवम्बर, 2017 में निर्यातकों को धन संचित किया गया है। चित्र 8 में कपड़ा तथा अन्य विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात दर्शाया गया है (बिलियन अमरीकी डालर)। धनराशि जारी होने के बाद, यह देखा गया है कि कपड़ा निर्यात में काफी वृद्धि हुई है जो वास्तव में विनिर्मित निर्यातों में हुई समग्र वृद्धि से अधिक है।

चमड़ा और फुटवीयर (जूते-चप्पल) क्षेत्र

8.23 कपड़ा क्षेत्र की ही तरह, चमड़ा और फुटवीयर क्षेत्र भी कम पूंजीगत जरूरतों वाला रोजगार प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चीन के कमजोर पड़ने से, फुटवीयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह अनुकूल समय है। फिर भी, बहुत सी चुनौतियां अभी हैं। फुटवीयर की वैश्विक मांग चमड़े से इतर सामग्री के फुटवीयर की ओर जा रही हैं, जबकि भारतीय कर नीतियां चमड़े के जूते के उत्पादन के पक्ष में हैं। भारत चमड़े की वस्तुओं और चमड़े से इतर सामग्री के फुटवीयर के निर्यात में भागीदार देशों के बाजारों में अधिक टैरिफ का सामना करता है।

8.24 इन चुनौतियों से निपटने के लिए, जैसा कि आर्थिक समीक्षा खंड-I (अध्याय 7) में रेखांकित किया गया था, सरकार ने 2016-17 के बजट में चमड़ा क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। इसके लाभ यथासमय मिलेंगे। जीएसटी के कार्यान्वयन से आशा है कि इससे चमड़े से इतर सामग्री के फुटवीयर के प्रति भेदभाव को तर्कसंगत बनाया जा सकेगा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

8.25 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) उच्चतर दर पर आर्थिक विकास को संभव बनाता है, क्योंकि यह मेजबान देश में पूंजी, कौशल और प्रौद्योगिकी लाकर उत्पादकता को बढ़ाता है। वर्ष 2016 में, सरकार परमाणु ऊर्जा, सिगार और तंबाकू के विनिर्माण, भवन संपदा व्यवसाय, लॉटरी, जुआ एवं चिट फंड आदि की छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर, अधिकतर क्षेत्रों को स्वतः अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ले आयी है। इन परिवर्तनों के चलते, भारत अब एफडीआई हेतु विश्व की सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है। सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) भी भंग कर दिया है, क्योंकि अब अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

सारणी 7. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (बिलियन अमरीकी डालर) (2012 से 2016 तक)

वर्ष	विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
2012-13	10.3	4.8
2013-14	15.6	2.2
2014-15	16.5	4.4
2015-16	13.4	6.9
2016-17	20.3	8.7

स्रोत: डीआईपीपी

8.26 सरकार द्वारा किए गए उपायों से वित्तीय वर्ष 2016-17 में 43.4 बिलियन अमरीकी डालर का एफडीआई इक्विटी प्रवाह आया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में केवल 8% की वृद्धि ही नहीं है अपितु अभी तक का अधिकतम इक्विटी प्रवाह है। सारणी 7 में वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक क्रमशः विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अन्तर्वाह को पृथक करके दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि विनिर्माण में एफडीआई सेवा क्षेत्र में आए एफडीआई की अपेक्षा काफी अधिक हैं। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों को प्राप्त करने वाले क्षेत्र के संदर्भ में, सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा आदि) ने अधिकतम एफडीआई (19.9%) प्राप्त किया है और उसके बाद दूरसंचार (12.8%) तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर (8.4%) का स्थान है। एफडीआई अंतर्वाहों के स्रोत देशों पर नजर डालने पर, यह कहा जा सकता है कि भारत में मॉरीशस, सिंगापुर और जापान शीर्ष तीन देश रहे हैं जिन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का क्रमशः 36.2 प्रतिशत, 20.0 प्रतिशत तथा 10.8 प्रतिशत का अंशदान किया है।

जीएसटी का कार्यान्वयन और उद्योगों पर इसका प्रभाव

8.27 जीएसटी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक परिवर्तनकारी सुधार है। यह आशा है कि जीएसटी के कार्यान्वयन से कर बाधाओं को दूर करके देश में एक साझे बाजार का निर्माण होगा, करों का प्रपाती प्रभाव समाप्त होगा जिससे विनिर्माण वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होगी और जटिल कर व्यवस्था से संबद्ध लेनदेन की लागतें कम होकर कारोबार करने में आसानी होगी। जीएसटी के कार्यान्वयन से यह भी अपेक्षा है कि असंगठित क्षेत्र के उद्योग भी इसमें कवर होंगे।

औद्योगिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलें

मेक इन इंडिया

8.28 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम 25 सितंबर, 2014 को वैश्विक रूप से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, अनुसंधान और नव प्रवर्तन का वैश्विक केन्द्र तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना है। यह पहल नई प्रक्रियाओं, नई अवसंरचना, नए क्षेत्रों तथा नई मनःस्थिति के चार स्तंभों पर आधारित है।

स्टार्टअप इंडिया

8.29 'स्टार्टअप इंडिया' भारत सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है, जो सतत आर्थिक विकास का संचालन करेगी तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इस पहल के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि स्टार्टअप उद्यमों को नव प्रवर्तन और डिजाइन के जरिए आगे विकास करने हेतु सशक्त बनाया जाए।

कारोबार करने में आसानी

8.30 सरकार ने कारोबार में आसानी लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मुख्य आग्रह मौजूदा नियमों के सरलीकरण और यौक्तिकीकरण पर तथा सूचना प्रौद्योगिकी अपनाने पर रहा है ताकि अभिशासन को अधिक दक्ष और प्रभावी बनाया जा सके। प्रत्येक अर्थव्यवस्था और इस श्रेणी में उत्तम निष्पादन के बीच अन्तर का पता लगाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला 'डिस्टेंस टू फ्रंटियर' (डीटीएफ) स्कोर मापक में 10 में से 7 संकेतकों में सुधार हुआ है, जिसका उल्लेख अक्टूबर 2016 में जारी की गई विश्व बैंक की ड्रूंग बिजनेस रिपोर्ट-2017 में किया गया है। इन प्रयासों के कवरेज का विस्तार करने की प्रक्रिया में राज्यों को भी लगाया गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

8.31 मई, 2016 में सरकार ने पहली बार बौद्धिक संपदा हेतु भविष्य का खाका तैयार करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को अंगीकार किया। इसका उद्देश्य भारतीय बौद्धिक

संपदा क्षेत्र को सुधारना है, इसमें आशा की गई है कि देश में अभिनव परिवर्तनों का आंदोलन जन्म लेगा तथा उम्मीद है कि हम “रचनात्मक भारत; अभिनव भारत” की दिशा में अग्रसर होंगे।

इस नीति का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता बढ़ाना; बौद्धिक संपदा अधिकार के सृजन को प्रेरित करना; कड़े और प्रभावकारी बौद्धिक संपदा कानून बनाना; सेवा अभिमुखी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन का आधुनिकीकरण तथा सुदृढीकरण एवं व्यावसायीकरण के जरिए आईपीआर के लिए मूल्य प्राप्त करना; आईपीआर उल्लंघनों से लड़ने के लिए प्रवर्तन एवं अधिनिर्णय तंत्र का सुदृढीकरण; तथा आईपीआर में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधनों

अवसंरचना क्षेत्र का निष्पादन—मुद्दे और पहलें

“आप और मैं सड़क या रेल से आते हैं, परंतु अर्थशास्त्री अवसंरचना पर सफर करता है।”

– मार्ग्रेट थैचर

8.33 उच्चतर आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने तथा भारत जैसी उभर रही अर्थव्यवस्था के सभी विविध हितधारकों की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए अवसंरचना क्षेत्र पर अधिक से अधिक निवेश करना परम आवश्यक है। सरकार भारत उन्नत, समावेशी और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय अवसंरचना पर अधिक निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व बैंक की 2016 लॉजिस्टिक परफॉर्मंस की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, भारत स्तरीय भौतिक अवसंरचना का निर्माण करने के संबंध में 2014 के 58वें स्थान से उठकर 2016 में 36वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वाकई उल्लेखनीय उपलब्धि है। देश का अवसंरचना क्षेत्र अभी भी बहुत से मुद्दों का सामना कर रहा है जिसके लिए सरकार ने उड़ान एवं भारतमाला जैसे विभिन्न व्यवस्थागत हस्तक्षेपों के जरिए उनका समाधान करने के लिए बहु आयामी कार्यनीति अपनाई है।

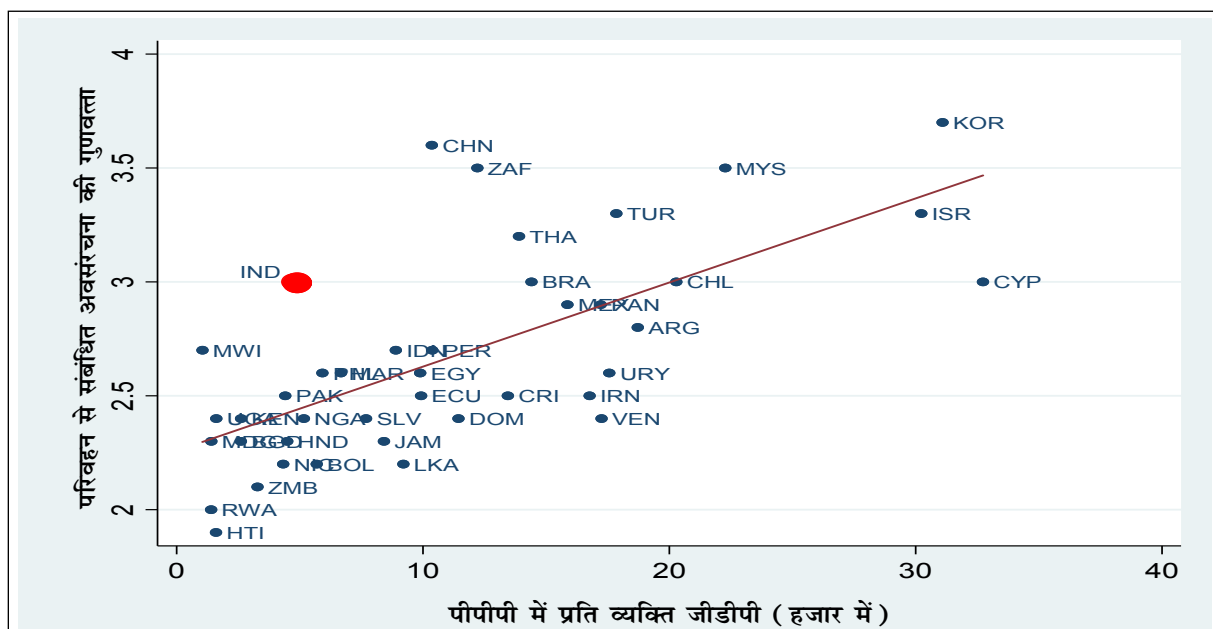
8.34 इस अध्याय में विद्युत वितरण कम्पनियों की हालत सुधारने में उदय के योगदान के संबंध में इसका मूल्यांकन किया गया है। इस अध्याय में नागर विमानन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के कुछ मुद्दों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ रेखांकित भी किया गया है।

संस्थाओं एवं क्षमताओं का सुदृढीकरण तथा विस्तार करना है।

8.32 इस नीति के 7 चिन्हित उद्देश्यों को पाने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के तत्वावधान में बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) का निर्माण किया गया है। बौद्धिक संपदा ट्रेडमार्क के क्षेत्र में यूके, सिंगापुर तथा ईयू से समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं। पेटेंट प्रदान करने के मामले लंबित रहने की अवधि 2015-16 के 3 महीने से कम होकर 2016-17 वित्त वर्ष के अंत तक 1 महीने रह गई है। इसके अतिरिक्त वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 2015 में 81 से बेहतर होकर 2016 में 66 पर आ गया है।

8.35 विश्व बैंक ने इस बात को सही इंगित किया है कि अवसंरचना विकास, आर्थिक विकास, गरीबी कम करने तथा वृहत्त विकास लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विकासशील देश में अवसंरचना क्षेत्र में निवेश की कमी को ध्यान में रखते हुए उच्च आर्थिक विकास गति को बनाये रखने के लिए इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना अत्यावश्यक है। एक सुरक्षित, अंतर-संबंधित और स्तरीय अवसंरचना विकास एवं प्रति व्यक्ति आय की मुख्य संचालक है। समान स्तर की प्रति व्यक्ति आय वाले उभर रहे देशों के बीच भारत ने उच्च स्तरीय अवसंरचना के निर्माण में काफी बेहतर काम किया है। निम्नलिखित आरेख में दर्शाया गया है कि सड़क, रेलवे, पत्तन तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी व्यापार और परिवहन से संबंधित अवसंरचना की गुणवत्ता का उभर रही अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ कैसा सकारात्मक संबंध होता है। प्रचलित धारणा के विपरीत, हालांकि भारत की प्रतिव्यक्ति आय कम है, परंतु भारत यह स्तरीय परिवहन से संबंधित अवसंरचना मुहैया कराने के संबंध में बहुत सी उभर रही अर्थव्यवस्थाओं से बहुत आगे है (चित्र 9)।

चित्र 9: उभर रहे देशों में अवसंरचना प्राप्ति (2007-2016)



स्रोत: विश्व बैंक का लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक, 2016-17 तथा विश्व विकास संकेतक, विश्व बैंक

टिप्पणी: उभर रहे देशों का पूरा नाम अनुबंध-1 में है।

8.36 समाज की समृद्धि के लिए प्राकृतिक और मानव पूंजी को बदलने में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना, दोनों की बड़ी भूमिका है। अंतरराज्यीय व्यापार तथा 'मेक इन इंडिया' की सफलता और अन्य पहलों के लाभ केवल हार्ड एवं साफ्ट लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के सुधार से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। निःसंदेह, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भौतिक अवसंरचना जैसे सड़क, रेलवे, पत्तन, नागर विमानन, दूरसंचार इत्यादि ने हमेशा नये अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है। इस परिप्रेक्ष्य में, निम्नलिखित भाग में अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन और मुद्दों पर चर्चा की गई है।

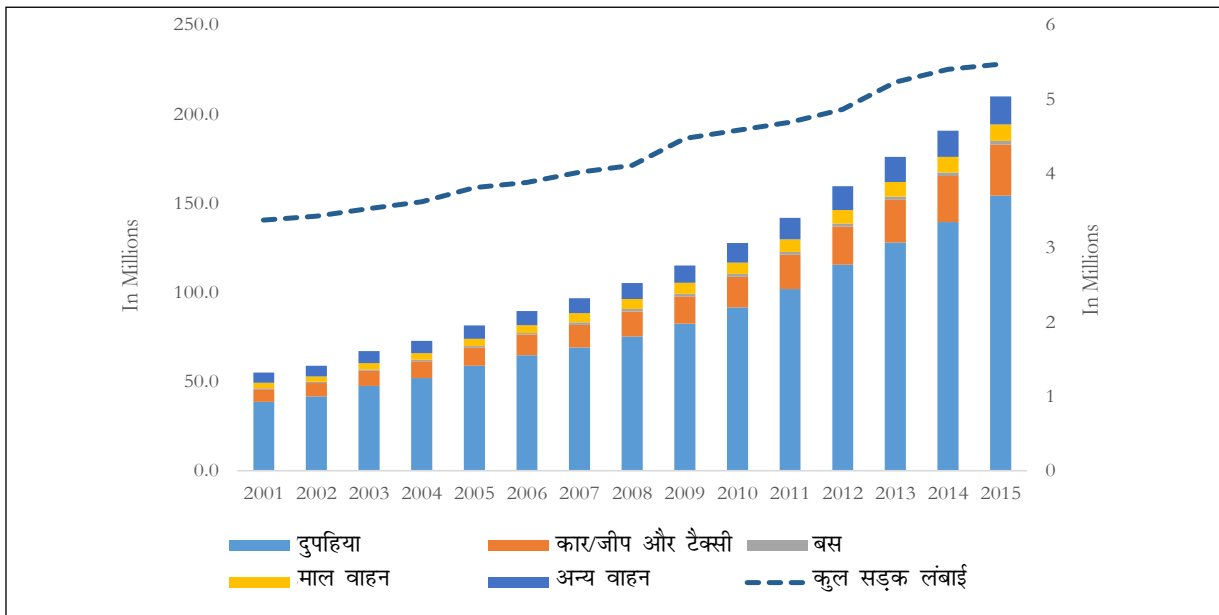
सड़क

8.37 भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 54.8 लाख किलोमीटर है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,14,158 कि.मी. और 1,61,487 कि.मी. राज्य राजमार्ग तथा 52,07,044 कि.मी. अन्य सड़कें शामिल हैं। वर्ष 2001

में, सड़कों की कुल लंबाई 33,73,520 कि.मी. थी, जिन पर 55 मिलियन वाहन थे। वर्ष 2015 में कुल सड़क लंबाई बढ़कर 54,72,144 कि.मी. हो गई जबकि मोटर वाहनों की कुल संख्या चार गुणा बढ़कर 210 मिलियन हो गई। वाहनों का संघटन यह दर्शाता है कि भारतीय सड़कों पर दुपहिया और सवारी कार, जीप और टैक्सी का हिस्सा बढ़ा है जबकि सार्वजनिक परिवहन, जैसे बस और माल वाहकों का हिस्सा इस अवधि के दौरान कम हो गया है (चित्र 10)। दुपहिया और यात्री कारों दोनों से भारतीय सड़कों पर दबाव बढ़ रहा है।

8.38 इस आवश्यकता को महसूस करके सरकार अधिक सड़कों का विकास कर रही है तथा बहुत सी प्रमुख पहलें/कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), प्रस्तावित विश्व बैंक ऋण सहायता के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अंतरसंबद्धता कार्यक्रम (एनएचआईआईपी) तथा भारतमाला कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

चित्र 10. भारत में सड़क तंत्र और वाहनों का संघटन



स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

टिप्पणी: आरएचएस में सड़क की कुल लंबाई

8.39 सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सड़क संपर्क को विकसित करने, गौण पत्तनों के लिए सड़क संपर्क सहित तटीय सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों की क्षमता में सुधार (एनएचडीपी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत विकसित किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग), आर्थिक गलियारों/फीडर मार्गों के विकास, जाम और भीड़-भाड़ के स्थानों को हटाने, रिंग रोड, लॉजिस्टिक पार्कों के निर्माण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए “भारतमाला कार्यक्रम” प्रस्तावित किया था। सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1500 बड़े पुलों और 208 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण, सुधार और उन्हें चौड़ा करने के लिए ‘सेतु भारतम’ नामक एक पृथक कार्यक्रम शुरू किया है।

8.40 वर्ष 2016-17 में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप तथा कड़ी निगरानी से लगभग 1,00,000 करोड़ रु. के निवेश वाली लगभग 88% परियोजनाओं को उपयुक्त रूप से नया रूप दिया गया और पुनर्निर्माण किया गया। यह क्षेत्र अभी भी राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और उन्नयन के लिए भूमि की

उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण की कीमत में बड़ी वृद्धि; विकासकर्ताओं के पास इक्विटी की कमी; राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत अधिक अड़चनें और जांच बिन्दु जो जीएसटी से होने वाले लाभों को उलट सकते हैं; वित्तपोषण की उच्च कीमत; अपेक्षा से कम यातायात वृद्धि और रखरखाव के लिए निधियों में अनुमानित कमी जैसे अवरोधों का सामना कर रहा है।

रेलवे

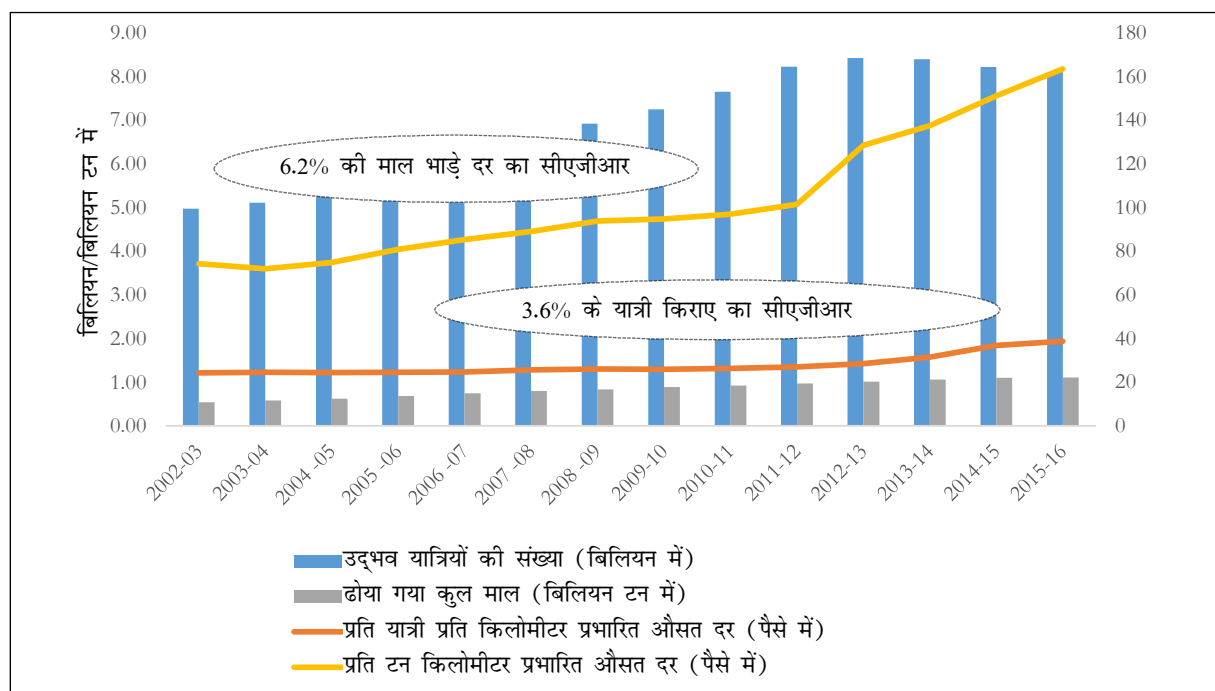
8.41 परिवहन के विभिन्न साधनों में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए अभी भी अधिकतर व्यक्ति भारतीय रेलवे को ही तरजीह देते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय रेल ने 1106.6 मिलियन टन राजस्व अर्जक माल यातायात (पी) ढोया जो कि 2015-16 के दौरान ढोये गये 1101.5 मिलियन टन से 0.5% ज्यादा है। लेकिन 2016-17 के दौरान, वर्ष में कम भाड़े वाले माल की अधिक मात्रा में ढुलाई के कारण माल भाड़ा कमाई 104339 करोड़ (पी) दर्ज की गई, जो 2015-16 की तुलना में 4.5% की नकारात्मक वृद्धि थी। यात्री किराये से हुई कमाई 46,280 करोड़ रु. (पी) रही और इसमें 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

8.42 2002-03 से 2012-13 तक लगातार बढ़ोतरी के पश्चात् रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 2013-14 से गिरावट शुरू हो गई जबकि माल भाड़ा यातायात में कई वर्षों से वृद्धि हुई है। तथापि, 2002-03 से 2015-16 के दौरान, जहां यात्री किराया सीएजीआर के 3.6 प्रतिशत की चक्रवर्धी दर पर बढ़ा, वहीं माल भाड़ा सीएजीआर के 6.2 प्रतिशत की दर पर बढ़ा (चित्र 11)। इस तरह, यात्री किराया बहुत हद तक बराबर ही रहा जबकि माल भाड़ों में 2012-13 से जबरदस्त वृद्धि हो गई।

8.43 हाल ही में आरंभ किये गये गतिशील मूल्यन मॉडल का उद्देश्य यात्रियों की संख्या को प्रभावित किये बिना अधिक यात्री किराया उगाहना है। राजस्व अर्जित करने के लिए, रेलवे को स्टेशनों का पुनर्विकास और स्टेशन पर खाली पड़े भवनों का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग, बागवानी एवं वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रैक के साथ की जमीन को लीज पर देकर भूमि का मौद्रिकरण और विज्ञापन एवं पार्सल कमाई के साथ-साथ किराये से इतर साधन अपनाने होंगे।

8.44 यात्रियों को सुरक्षित, निरापद और सुविधाजनक यात्रा सुविधा देने के लिए तथा रेल के जरिए अधिक माल ढोने के लिए, सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं जैसे मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षित कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन; कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस), स्मार्ट कार्ड आधारित स्वचालित टिकट विक्रय मशीनों (एटीवीएम) के जरिए अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस), भारतीय रेलों में सफाई/स्वच्छता को सुधारने के लिए बायो टॉयलेट लगाना, तथा रेलवे ट्रैकों का विद्युतीकरण ताकि रेलवे प्रणाली को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। दिनांक 1.4.2017 की स्थिति के अनुसार, 30,012 रूट किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतीकृत किए गए हैं जो 66,687 रूट किलोमीटर की कुल नेटवर्क लंबाई का 45% है। वर्ष 2016-17 के दौरान, 2000 आरकेएम के लक्ष्य के मुकाबले 2,013 आरकेएम, विद्युतीकृत किया गया है जो अब तक का रिकार्ड है।

चित्र 11. यात्री किराये और माल भाड़े में तुलना



स्रोत: रेलवे सांख्यिकी ईयर बुक, एमओएसपीआई तथा रेल मंत्रालय

टिप्पणी: आरएचएस में प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर और प्रति टन प्रभारित औसत दर

नागर विमानन: क्या भारतीय एयर कैरियर विकास के लिए तैयार हैं?

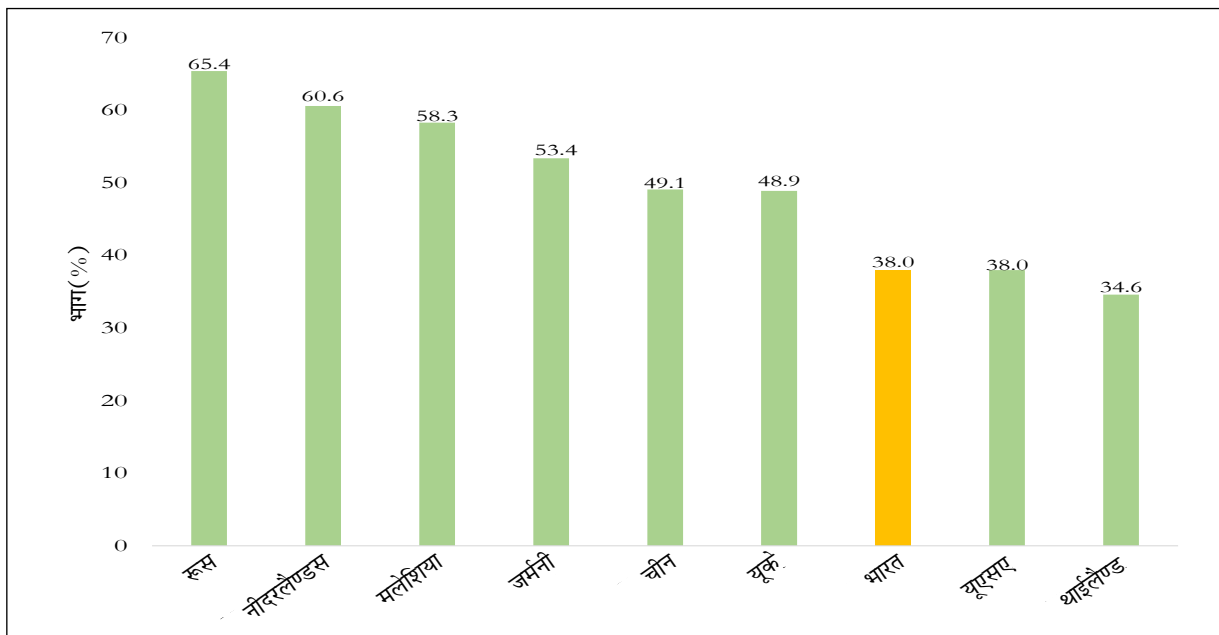
8.45 नागर विमानन देश में एक क्षमतापूर्ण क्षेत्र है जो विकास का उदीयमान क्षेत्र हो सकता है। हमारे देश में ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं, जैसेकि अनुकूल जनांकिकी, मध्यवर्ग की बढ़ती आबादी, खर्च करने के लिए अधिक आय, और तीव्र आर्थिक विकास। वर्ष 2001 से, घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 6 गुना बढ़ाकर 85.2 मिलियन हो गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्री 4 गुना बढ़कर वर्ष 2015 में 49.8 मिलियन हो गए हैं।

8.46 हवाई यात्रा के लिए मजबूत घरेलू बाजार होने के बावजूद, भारतीय (घरेलू) एयरलाइनों ने कई अन्य देशों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के भारतीय बाजार पर कब्जा नहीं किया है। चित्र 12 में दर्शाया गया है कि भारतीय (घरेलू) एयरलाइनें वर्ष 2016 में अपने अंतर्राष्ट्रीय उपलब्ध सीट किलोमीटर (एएसके) का केवल 38 प्रतिशत ही उपयोग कर रही हैं जबकि नीदरलैंड्स के मामले में यह आंकड़ा 60.6 प्रतिशत चीन का 49.1 प्रतिशत और यूके के लिए 48.9 प्रतिशत

बैठता है। एएसके प्रत्येक उड़ान में बिक्री के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या को, उड़ान द्वारा तय की गई तदनु रूप दूरी से गुणा करके प्राप्त आंकड़ों का जोड़ होता है। दूसरे शब्दों में, भारतीय (घरेलू) एयरलाइनें भारत से बाहर जाने और भारत में आने वाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवाओं के मामले में, आयात प्रतिस्थापन प्रदान नहीं कर पाई हैं।

8.47 यात्री भार के संदर्भ में, भारतीय (घरेलू) एयरलाइनों ने वर्ष 2015 में भारत से जाने वाले तथा भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात का केवल 36.6 प्रतिशत ढोया (चित्र 13)। यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय यातायात (आना और जाना) अधिकांशतः विदेशी एयरलाइनों द्वारा निष्पादित हो रहा है। विदेशी कैरियरों में, खाड़ी के देश तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी सिद्ध हुए हैं (देशों के नामों के लिए चित्र 13 का फुट नोट देखें)। भारतीय यातायात में खाड़ी कैरियरों का हिस्सा 2008 के 27 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 33 प्रतिशत हो गया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का हिस्सा 2008 के 5.9 प्रतिशत से दोगुने से अधिक बढ़कर 2015 में 12.3 प्रतिशत हो गया।

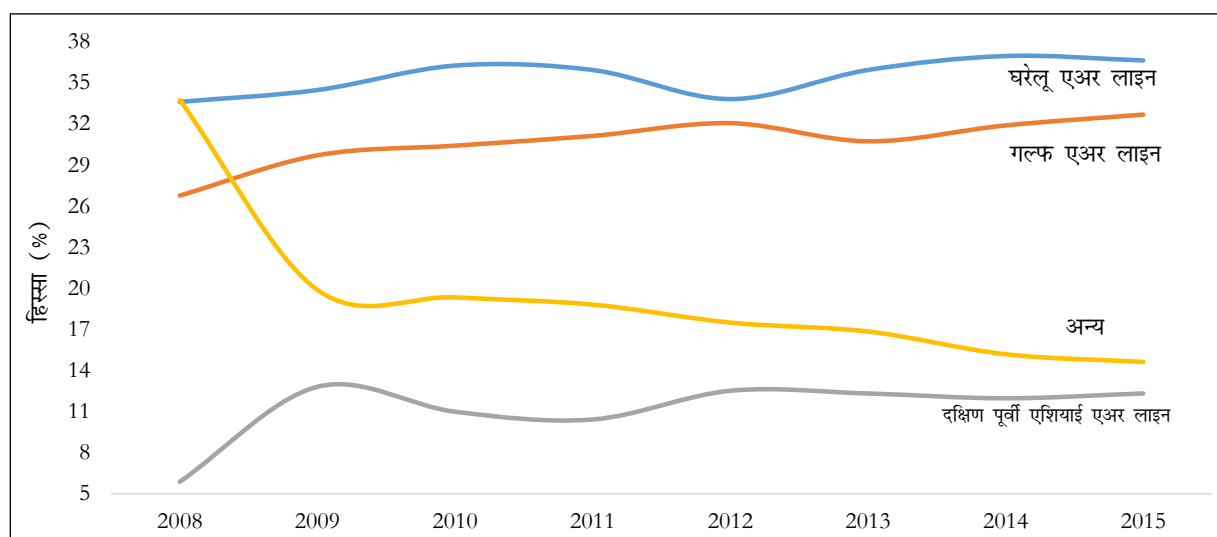
चित्र 12. स्वदेशी एअरलाइनों द्वारा उड़ाये गये अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय एएसके* का हिस्सा प्रतिशत (2016)



स्रोत: आईएटीए

*एएसके प्रत्येक उड़ान में बिक्री के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या को, उड़ान द्वारा तय की गई तदनु रूप दूरी से गुणा करके प्राप्त आंकड़ों का जोड़ है।

चित्र 13. भारत आने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का एअरलाइन वार* हिस्सा (%)



स्रोत: डीजीसीए डाटाबेस

*खाड़ी एअरलाइन में यूएई, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, कुवैत शामिल हैं; दक्षिण पूर्वी एशियाई एअरलाइन में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैण्ड और हांगकांग शामिल हैं।

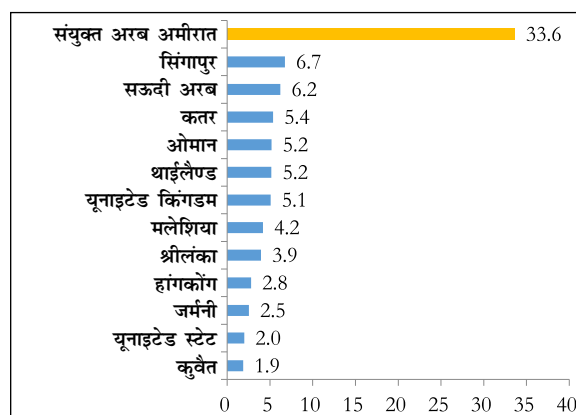
भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय यातायात में भारतीय एयरलाइनों के कम हिस्से की वजह क्या हो सकती है?

क. दुबई और सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों के जरिए यात्रियों की राउंड ट्रिपिंग, हवाई यात्रा की “सिक्स्थ फ्रीडम” का उपयोग तथा द्विपक्षीय हवाई सेवा करारों (एएसए) के अंतर्गत क्षमता हकदारी में बढ़ोतरी।

8.48 चित्र 14 में यह दर्शाया गया है कि भारत में आने और भारत से जाने वाले यात्री यातायात के मुख्य गंतव्य स्थल खाड़ी देश यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैण्ड हैं। सिर्फ यूएई का ही कुल यात्री प्रवाह का 33.6 प्रतिशत हिस्सा बैठता है। तथापि, ये देश सभी यात्रियों के अंतिम गंतव्यस्थल नहीं हैं। वास्तव में, ये देश अमरीका, कनाडा, यूरोप आदि के अगले गंतव्यस्थलों के लिए यात्रियों को ले जाने हेतु उनकी संबंधित घरेलू एयरलाइनों द्वारा विराम/केन्द्र स्थल के रूप में हमेशा से प्रयोग किए जा रहे हैं। यह हवाई यात्रा की “सिक्स्थ फ्रीडम” है जो विदेशी एयरलाइनों को अपने देश में रुकते हुए किसी दूसरे देश से किसी और दूसरे देश

में उड़ने की अनुमति प्रदान करती है। सिक्स्थ फ्रीडम काफी हद तक भारतीय कैरियरों के लिए सीधी लंबी दूरी की उड़ानों के हिस्से को कम करने की जिम्मेदार रही है जो वर्ष 2011-12 में 25 प्रतिशत से कम होकर 2015-16 में 20.5 प्रतिशत रह गया।²

चित्र 14. भारत आने जाने वाले यात्रियों का गंतव्य वार हिस्सा (प्रतिशत) (2015)



स्रोत: डीजीसीए डाटा

8.49 सारणी 8 में विदेशी एयरलाइनों द्वारा, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य में (अर्थात् भारत और दूसरे देश के बीच सीधा यातायात तथा सिक्स्थ फ्रीडम यातायात में

² स्रोत: डीजीसीए डाटाबेस और समीक्षा परिकलन: 4000 कि॰मी॰ से अधिक की उड़ान को लंबी दूरी माना गया है।

पृथक किए गए देशों तक ले जाए गए यात्रियों की कुल संख्या दर्शाई गई है। खाड़ी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की अधिकतर एयरलाइनों के लिए सिक्स्थ फ्रीडम के यातायात का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक है। कतर और यूएई के देशों के लिए, यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से अधिक है। आगे चलकर सिक्स्थ फ्रीडम का व्यापक प्रयोग द्विपक्षीय हवाई करारों (एएसए) के अंतर्गत क्षमता हकदारी में विस्तार होने के कारण संभव हुआ है। दो राष्ट्रों के बीच हवाई सेवा करार उनके बीच यात्रियों की हवाई यात्रा के लिए मेज़बान और विदेशी एयरलाइन के अधिकार तय करते हैं। ये अधिकार पारस्परिक स्वरूप के हैं अर्थात् दोनों देश एक दूसरे को समान अधिकार प्रदान करते हैं।

8.50 वर्ष 2003 से 2017 के दौरान, दुबई और भारत के बीच क्षमता हकदारी (प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह सीट) छः गुना बढ़ी है (सारणी 9)। ओमान और कतर के संबंध में यही क्रमशः 9 और 12 गुना बढ़ी है। जहां क्षमता हकदारी पारस्परिक स्वरूप की होती है, वहीं क्षमता हकदारी में ऐसी वृद्धि का लाभ भारत की तुलना में विदेशी भागीदार को अधिक हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत द्वारा इन अधिकारों का उपयोग विदेशी प्रतिपक्षियों की अपेक्षा कम रहा है (चित्र 15)।

सारणी 8: भारत आने जाने के लिए विदेशी एअरलाइनों द्वारा उठाये गये सिक्स्थ फ्रीडम यात्रियों का प्रतिशत (2015-16)

एअरलाइन का नाम	देश	कुल यात्री (दोनों दिशाओं में) (लाख)	भारत आने जाने वाले गंतव्य से गंतव्य यात्री (लाख)	सिक्स्थ फ्रीडम यात्री (लाख)	प्रतिशत (सिक्स्थ फ्रीडम कैरिज का)
यूएई एअरलाइन*	यूएई	102.4	33.7	68.7	67.1
गल्फ एअर (बहरीन)	बहरीन	8.8	1.7	7.1	81.0
कुवैत एअरवेज	कुवैत	6.0	3.5	2.5	41.6
ओमान एअरवेज	ओमान	15.0	6.2	8.8	58.6
कतर एअरवेज	कतर	18.3	3.8	14.5	79.4
मलेशिया एअरलाइन	मलेशिया	8.9	3.7	5.2	58.7
सिंगापुर एअरलाइन	सिंगापुर	15.0	6.3	8.7	58.3
थाई एअरलाइन	थाईलैंड	13.3	8.5	4.8	35.9

स्रोत: सीएजी

*यूएई एअरलाइन में एअर अरेबिया, एमिरेट्स, एतिहाद एअरवेज तथा फ्लाई दुबई शामिल हैं।

सारणी 9. चुनिंदा देशों के साथ भारत की क्षमता हकदारी

प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह सीटें (ग्रीष्म समय सारणी) (000 में)		
	2003	2017
दुबई (यूएई)	10.4	66.5*
ओमान	3.8	27.4
कुवैत	5.2	12
बहरीन	11.2	11.5
कतर	2.9	24.8
सऊदी अरब	8.5	20(seats) +डीएमएम ओपन स्काई #
सिंगापुर	23.05 यूनिट^ + 1650 सीटें @	29.4 seats@
थाईलैंड	9.8	26.3
मलेशिया	7 (+ 1500 परक्राम्य)	20.7 @

स्रोत: सीएजी और एमओसीए

* तथापि, 2017 में संपूर्ण रूप से यूएई (दुबई, शारजहां और आबुधाबी सहित) के लिए 137.2 हजार सीट क्षमता हकदार है।

सऊदी अरब के दम्माम शहर के लिए ओपन स्काई करार

^ 1 इकाई = 400 सीट

@ 18 गंतव्य द्विपक्षीय एएसए में सहमति के आधार पर विशिष्ट शहरों पर असीमित सीट हैं।

इस तरह, वायुसेवा करार के अंतर्गत क्षमता हकदारी में बड़ी बढ़ोतरी, खाड़ी और दक्षिण पूर्वी एशियाई एयरलाइनों द्वारा हवाई यात्रा की सिक्स्थ फ्रीडम का परिणामी उपयोग तथा भारत की स्वयं की हकदारी का कम उपयोग किया जाना भारत के अंतर्राष्ट्रीय यातायात में कम हिस्से के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है।

ख 5/20 नियम तथा बेड़ा संबंधी अवरोध

8.51 5/20 यह अधिदेश देता है कि किसी एयरलाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसने 5 वर्ष तक घरेलू उड़ान प्रचालन किए हों तथा उसे 20 विमान अथवा कुल विमान बेड़े का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, घरेलू प्रचालनों में लगाना होगा। इस नियम के परिणामस्वरूप, केवल तीन निजी भारतीय एयरलाइनें ही विदेशों में उड़ान सेवा देने के लिए पात्र थीं—जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो। 2016 में भारत सरकार ने इस नियम को 0/20 तक तक शिथिल कर दिया। आशा है कि निजी क्षेत्र के अधिक उद्यमी अब इस छूट का लाभ उठाएंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रचालन शुरू करेंगे जिसके चलते भारत से आने-जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों में घरेलू एयरलाइनों का हिस्सा बढ़ेगा।

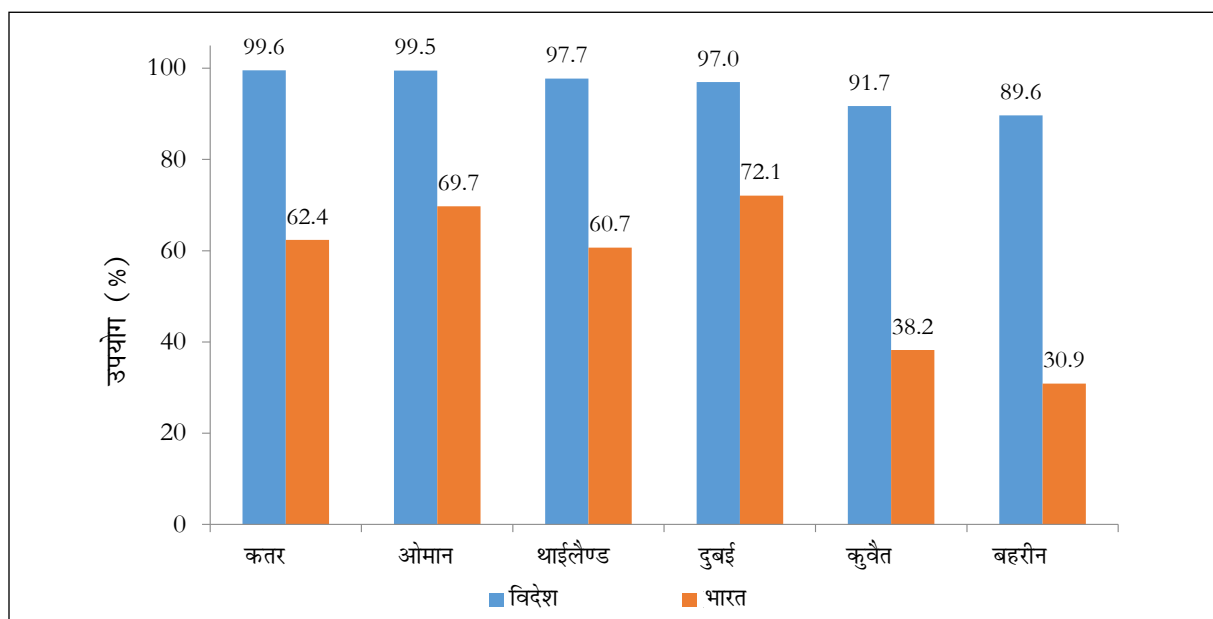
8.52 एक और अवरोध यह रहा है कि भारतीय एयरलाइनों के अधिकांश बेड़े में मुख्यतः संकीर्ण आकार वाले विमान हैं न कि चौड़े आकार वाले विमान जो कि अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की उड़ानों के लिए आवश्यक होते हैं। जेट एअरवेज और एअर इंडिया को छोड़कर, जिनके बेड़े में क्रमशः 22 और 44 चौड़े आकार के विमान हैं, अन्य सभी भारतीय एयरलाइन कैरियरों के संकीर्ण आकार वाले विमान हैं।

नीतिगत समाधान

8.53 अंतर्राष्ट्रीय यातायात में भारतीय एयरलाइनों के हिस्से को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित समाधान सुझाए जा सकते हैं:

- राष्ट्रीय कैरियर एअर इंडिया की प्रचालन और प्रबंधन दक्षता बढ़ाने के लिए निजीकरण/विनिवेश पर प्रतिबद्ध कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है क्योंकि यह भारत आने-जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यातायात का एक प्रमुख कैरियर है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का 11.4 प्रतिशत बैठता है। सरकार की एअर इंडिया का निजीकरण करने की हालिया घोषणा सोच समझ कर लिया गया निर्णय है।

चित्र 15: भारत और सहयोगी देशों की क्षमता हकदारी का उपयोग (2017 ग्रीष्म समय सारणी)



स्रोत: एमओसीए

- 0/20 नियम पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि निजी एअरलाइनों को विदेशों में उड़ान भरने की अनुमति दी जा सके। इसके बदले में, निजी एअरलाइनों को अधिक प्रादेशिक सम्पर्क पाने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में कम सेवित विमानपत्तनों से उड़ान भरने का अधिदेश दिया जा सकता है (इस दिशा में उड़ान एक अच्छी पहल है।)
- सरकार प्रमुख शहरों को विमानन केन्द्र के रूप में चिन्हित करने पर विचार कर सकती है क्योंकि दुबई और सिंगापुर की ही तरह भौगोलिक स्थिति के संदर्भ भारत भी उपयुक्त स्थिति में है।

उड़ान के जरिए प्रादेशिक संपर्क

8.54 राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का प्रमुख घटक उड़ान (यूडीएन-उड़े देश का आम नागरिक) बाजार आधारित तंत्र के जरिए प्रादेशिक विमानन में हवाई यातायात में वृद्धि में सहायता करने के लिए एक नवीन प्रादेशिक संपर्क योजना है। यह योजना एक घंटे की उड़ान के लिए 2500 रु० के सस्ते यात्री किराये पर कुछ सीटें देती है। उड़ान के अंतर्गत 70 विमानपत्तन और 128 मार्ग जुड़े हैं तथा 100 से अधिक असेवित विमानपत्तन मार्गों को बोली के अगले दौर में जोड़ा जाना है।

सरकार प्रादेशिक हवाई यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए विमानपत्तन की उपयोग की जाने वाली सुविधाओं को अर्थक्षम अंतराल निधियन तथा अवसंरचना विकास के जरिए वित्तीय सहायता देती है। उड़ान एयरलाइनों

उड़ान-मानचित्र 1.



Source: Ministry of Civil Aviation

को उड़ान मार्गों पर एयरलाइन प्रभार हटाकर, विमान टरबाइन ईंधन में सब्सिडी देकर, आधे से ज्यादा सीटों के लिए बाजार आधारित सब्सिडी प्रदान करके तथा इन मार्गों पर तीन वर्ष की अनन्यता गारंटी देते हुए प्रचालन लागत कम करके, उनके प्रचालनों को जारी रखने में मदद करके मार्ग लाभप्रदता सुनिश्चित करती है। उड़ान के अंतर्गत, पहले दौर में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 13 प्रादेशिक संपर्क योजना विमानपत्तन, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रत्येक में 12 विमानपत्तन तथा दक्षिण क्षेत्र में 8 विमानपत्तनों को शामिल किया गया है।

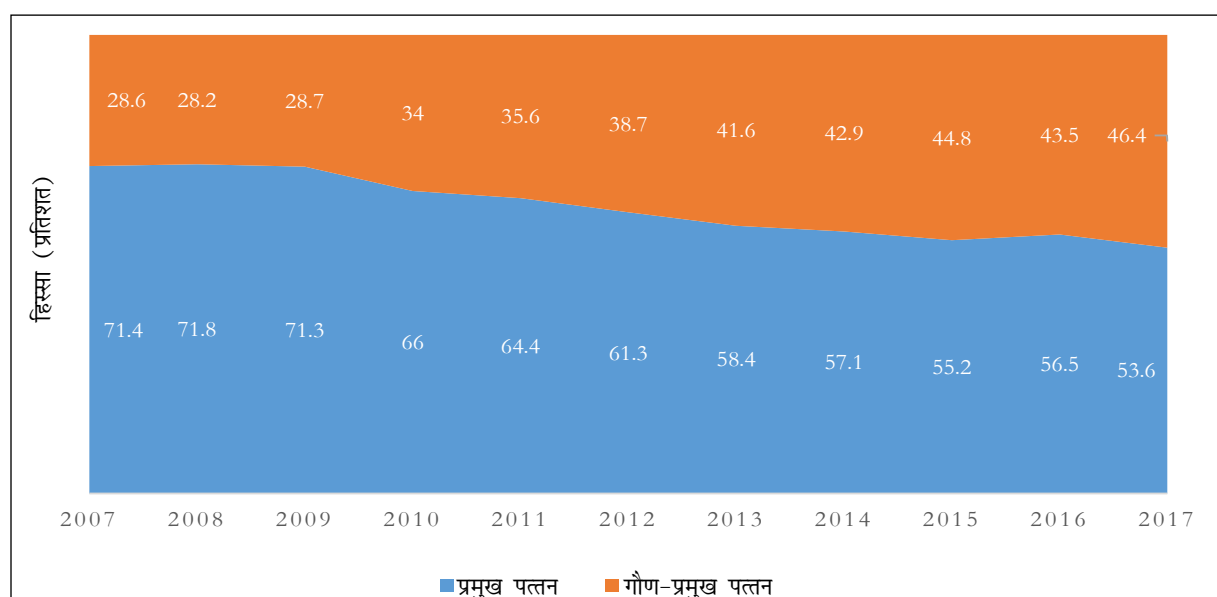
पत्तन और पोत परिवहन

8.55 गौण पत्तनों को भीतरी इलाकों से जोड़ना: भारत को, 200 से अधिक पत्तनों वाली 7,517 कि॰मी॰ से अधिक की तटरेखा के चलते रणनीतिक और प्रतिस्पर्धी लाभ दोनों ही प्राप्त हैं क्योंकि अधिकतर कार्गो जहाज, जो पूर्वी एशिया और अमरीका, यूरोप और अफ्रीका के बीच से गुजरते हैं, वे भारतीय जल क्षेत्र से होकर जाते हैं। परिमाण की दृष्टि से भारत के व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से लगभग 68 प्रतिशत समुद्र के जरिए ढोया जाता है। दिनांक 30 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार, भारत के पास 1323 जहाजों का बेड़ा था जिसमें भारतीय नियंत्रित टन भार सहित 17.50

मिलियन (11.70 मिलियन सकल टन भार) का डेड वेट टन भार था और जिसमें शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 34 प्रतिशत का हिस्सेदार था। इनमें से, 15.79 मिलियन डीडव्यूटी (10.17 मिलियन सकल टन भार) के लगभग 410 जहाज भारत के विदेश व्यापार तथा शेष जहाज तटीय व्यापार की आवश्यकता पूरी करते हैं। वर्ष 2016-17 में भारतीय पत्तनों का कार्गो यातायात 5.9 प्रतिशत बढ़कर 1135.63 मिलियन टन हो गया जिसमें प्रमुख पत्तनों का यातायात 647.63 मिलियन टन तथा गौण पत्तनों का यातायात लगभग 448 मिलियन टन था। पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख पत्तनों की तुलना में गौण पत्तनों को कार्गो ढुलाई का अधिक हिस्सा प्राप्त हो रहा है (चित्र-16)। कुल यातायात में गौण पत्तन यातायात का योगदान वित्त वर्ष 2007 के 28.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 43.5 प्रतिशत हो गया। गौण पत्तनों को विकसित करना तथा उनकी दक्षता और प्रचालन क्षमता बढ़ाना भी आवश्यक है। चूंकि कार्गो ढुलाई में गौण पत्तनों का हिस्सा बढ़ रहा है, इसलिए गौण पत्तनों को भीतरी क्षेत्रों से जोड़ने पर बल दिया जाएगा।

8.56 वर्ष 2016 में भारतीय नौवहन उद्योग ने फिर एक बार अस्थिर माल भाड़ा दरों के कष्टदायक वाणिज्यिक

चित्र 16. प्रमुख और गौण पत्तन की कार्गो ढुलाई का हिस्सा



स्रोत: पोत परिवहन मंत्रालय

परिणामों वाले आईएमओ निर्णयों, और सुधरने वाले परंतु अभी भी गैर प्रतियोगी प्रचालन माहौल की विचलित करने वाली स्थितियों का कुशलतापूर्वक सामना किया। भारतीय नौवहन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कुछ मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना आवश्यक है:

- वैश्विक रूप से, अधिकतर नौवहन क्षेत्रों में समुद्री माल भाड़ा दरों ने अस्थिरता तथा गिरावट का सामना किया। कमजोर मांग तथा बेड़ों की वृद्धि ने मालभाड़ा दरों पर बेड़ों के उपयोग में आगे और कमी की तथा टैंकरों को छोड़कर, अधिकतर बाजारों में अवस्फीति दबाव को तीव्र किया है।
- भारत के विदेशी व्यापार की दुलाई के संबंध, में भारतीय जहाजों के हिस्से में तीव्र गिरावट हुई है, जो 1980 के अंत के लगभग 40 प्रतिशत से कम होकर 2015-16 में 7 प्रतिशत पर आ गई है।
- विद्यमान भारतीय बेड़ा भी पुराना पड़ रहा है। जहां औसत आयु 1999 के 15 वर्ष से बढ़ती हुई 1 जनवरी, 2017 को 19.3 वर्ष हो गई है (बेड़े का 45.0% हिस्सा 20 वर्ष से ज्यादा पुराना है और 12.2% 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में है)।

8.57 भारतीय टनेज की वृद्धि को और बढ़ाने के लिए तथा भारतीय व्यापार में भारतीय जलयानों की अधिक भागीदारी के लिए, सरकार ने बहुत से उपाय कार्यान्वित किए हैं जिनमें कंटेनर ट्रेड में शामिल सभी भारतीय ध्वज तटीय पोतों को ईंधन-कर मुक्त रखा गया है; भारतीय जलयानों पर काम करने वाले भारतीय समुद्री यात्रियों को आयकर का लाभ प्रदान किया गया है, जिससे भारतीय नौवहन उद्योग के लिए कार्मिक की लागत और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनी है।

तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों पर ध्यान देने का समय आ गया है

8.58 वर्ष 2019-20 तक तटीय/अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रणाली के हिस्से को 7 प्रतिशत के बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के उद्देश्य से तटीय नौवहन पर्यटन और क्षेत्रीय विकास हेतु विज़न तैयार किया गया है। वर्ष 2016-17 में भारत में पत्तनों द्वारा दुलाई किया जा रहा तटीय कार्गो 189.7 मिलियन टन भार का था। इस पहल के प्रमुख तत्वों में एंड-टू-एंड स्प्लाइ

चेन के रूप में तटीय नौवहन के विकास के लिए कार्गो उत्पन्न करने हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों के अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) तटीय मार्ग विकास का समेकन, लाइटहाउस पर्यटन भी शामिल है।

8.59 तथापि, कुछ बड़ी अंतर्निहित अड़चनें हैं जैसेकि प्रथम और अंतिम मील संपर्क के कारण अतिरिक्त लागत, बंकर फ्यूल पर ज्यादा शुल्क तथा अन्य कर और आशवासित रिटर्न कार्गो का न होना, जिससे तटीय नौवहन के जरिए परिवहन की लागत बढ़ जाती है, जिसके चलते इस प्रणाली को महत्व देने में जहाज मालिक झिझकते हैं। विदेशी जलयानों की तुलना में भारतीय जलयानों के तटीय परिवहन की लागत के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारतीय जलयानों की प्रचालन लागत बंकर शुल्क (9 प्रतिशत), समुद्री नाविकों पर आयकर (6 प्रतिशत), सेवा कर (1 प्रतिशत), पूंजी लाभ कर (5 प्रतिशत) तथा टनेज कर (3 प्रतिशत) के कारण 24 प्रतिशत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नौवहन कंपनियों की अक्षमता से जुड़ी लागत 6 प्रतिशत है।

8.60 अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पहले से विद्यमान पांच राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त 106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 अधिनियमित एवं लागू किया गया है।

8.61 'जलमार्ग विकास परियोजना' (एनडब्ल्यूटी गंगा नदी) शुरू की गई है जो विशाल समेकित आईडब्ल्यूटी परियोजना है। यह परियोजना 5369 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से वाराणसी और हल्दिया के बीच की 1380 किमी. की दूरी पर, 2.2 से 3 मीटर की गहराई की अवसंरचना और जलपथ विकसित करके 1500 से 2000 टन के जहाजों के नौवहन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और विश्व बैंक की तकनीकी और निवेश सहायता से 6 साल में पूरी की जानी है।

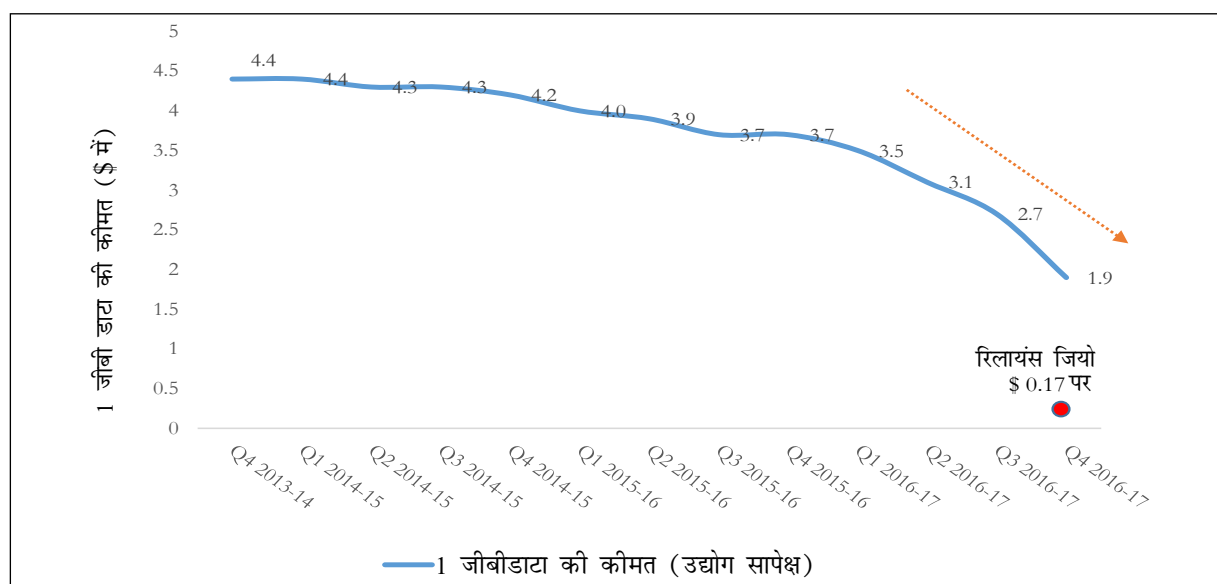
दूरसंचार क्षेत्र

8.62 दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए कई सुधारों तथा की गई पहलों के कारण पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने तीव्र प्रगति की है। अब चीन के बाद विश्व में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत ने वर्ष 2015-16 में 1 बिलियन दूरभाष ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। तथा 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार, कुल ग्राहकों की संख्या 1195.0 मिलियन है। इनमें से 501.8 मिलियन कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 693.2 मिलियन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में हैं। मार्च, 2017 के अंत में वायरलैस टेलीफोनों के ग्राहकों का हिस्सा 98.0 प्रतिशत (1170.6 मिलियन) है जबकि लैंडलाइन टेलीफोनों के ग्राहकों की संख्या का हिस्सा केवल 2.0 प्रतिशत (24.4 मिलियन) है। दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार समग्र दूरभाष घनत्व 93.0 प्रतिशत है। मार्च, 2017 के अंत में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष घनत्व 56.9% तथा शहरी क्षेत्रों में 171.5% था। 275 मिलियन स्मार्टफोन ग्राहकों के साथ भारत ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है और यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ग्राहक बन गया है। सितंबर 2015 से 38 नई मोबाइल विनिर्माण यूनिटें स्थापित की गई हैं

जिन्होंने 2015-16 में मोबाइल फोन यूनिटों के विनिर्माण को 90 प्रतिशत बढ़ा दिया है। भारत में मोबाइल उद्योग फिलहाल देश की जीडीपी में 6.5 प्रतिशत (140 बिलियन अमरीकी डालर) का योगदान करता है और 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार दे रहा है। आगामी वर्षों में इसके तेजी से बढ़ने की संभावना है।

8.63 दिनांक 5 सितंबर, 2016 को नए प्रवेशक रिलायंस जियो इंफोकॉम लि० के आने से, यह प्रतिस्पर्धा सस्ती कालों से सस्ते डाटा की ओर बढ़ गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अनुसार, 2016-17 की तीसरी तिमाही ने 1,127.4 मिलियन वायरलैस ग्राहक रिकार्ड किए गए जो 2016-17 की पिछली दूसरी तिमाही की अपेक्षा 7.7 प्रतिशत ज्यादा है रिलायंस जियो इंफोकॉम लि० ने 56.2 मिलियन ग्राहकों की सर्वाधिक निवल बढ़ोतरी रिकार्ड की है जो 2016-17 की तीसरी तिमाही के दौरान अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे आईडिया के साथ 11.7 मिलियन तथा भारती एयरटेल के साथ 5.9 मिलियन की तुलना में काफी अधिक है। रिलायंस जियो की कीमत योजना ने कार्यरत दूरसंचार फर्मों को जनवरी-मार्च, 2017 के

चित्र 17: दूरसंचार उद्योग की प्रति जीबी डाटा कीमतें



स्रोत: जेपी मॉर्गन, भारती एअरटेल, आईडिया सेलुलर, रिलायंस जियो

टिप्पणी: उद्योग सापेक्ष औसत भारती एअरटेल/आईडिया सेलुलर से 1 जीबी की डाटा वसूली की भारांशित औसत कीमत उपयोग करके परिकलित किया गया। रिलायंस जियो डाटा मार्च 2017 की वसूली के आधार पर 10 रूपए/जीबी अनुमानित है।

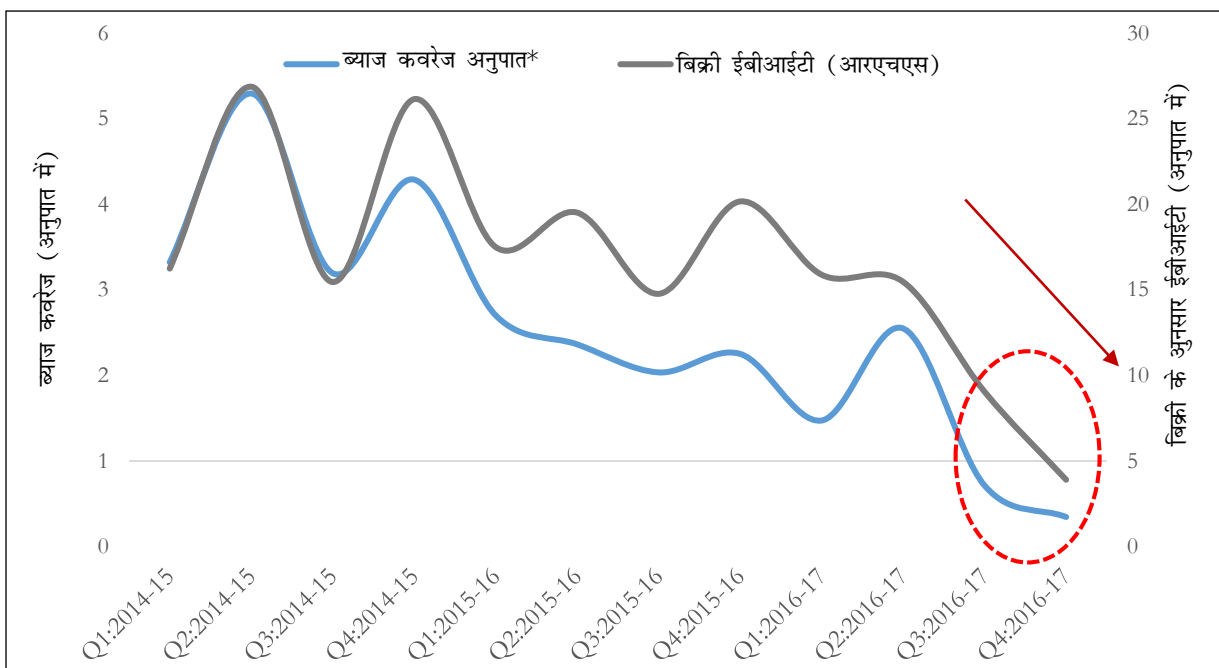
दौरान प्रति 1 जीबी 1.9 डालर वायस और डाटा टैरिफ कम करने को बाध्य किया (चित्र 17)। जियो के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण टैरिफ में कमी से अन्य प्रचालकों का राजस्व घटा है। भारत में शीर्ष तीन दूरभाष कंपनियों अर्थात् जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आईडिया सेलुलर का समायोजित सकल राजस्व वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में इनकी पिछली तिमाही की तुलना में 7.98 प्रतिशत, 5.14 प्रतिशत तथा 4.91 प्रतिशत घटा है।

8.64 कड़ी प्रतिस्पर्धा, कीमत संग्राम, घटे हुए राजस्व ने वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही से दूरसंचार क्षेत्र को ब्याज कवरेज अनुपात के साथ बहुत अधिक लेवरेज किया है। इसने बिक्री अनुपात द्वारा ब्याज और कर से पहले की गिरावट को भी दर्शाया है। (चित्र 18)। यह उद्योग उच्च स्पेक्ट्रम प्रभागों के मुद्दे का भी सामना कर रहा है। तथापि, चिंता का विषय यह है कि अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में दूरसंचार क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया है। यद्यपि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दूरसंचार क्षेत्र की कुल एनपीए 2015-16 में 3,465 करोड़ ₹ से

कम होकर 2016-17 में 2,335 करोड़ ₹ हो गयी है, अवसंरचना क्षेत्र के कुल एनपीए में दूरसंचार क्षेत्र के एनपीए का हिस्सा 2015-16 के 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 8.7 प्रतिशत हो गया है।

8.65 सरकार ने डिजिटल भारत अभियान की सफलता के लिए देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। सरकार ने स्पेक्ट्रम साझेदारी, स्पेक्ट्रम विपणन, स्पेक्ट्रम समरसता और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम नीलामी जैसी प्रक्रिया के जरिए स्पेक्ट्रम प्रबंधन में सुधार किए हैं। भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था और बौद्धिक समाज में बदलने के लिए सरकार पूरे देश में विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की परिधि को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी डिजिटल पैठ के लिए सरकार ने ब्राडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को जोड़ने हेतु मिशन मोड में 'भारत नेट' कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके पूरा होने पर, भारत नेट देश के 600 मिलियन से अधिक ग्रामीण नागरिकों के लिए ब्राडबैंड संपर्क (बैंडविड्थ

चित्र 18. ब्याज कवरेज अनुपात और बिक्री अनुपात के अनुसार ब्याज एवं करों से पहले अर्जन



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: आरएचएस में बिक्री के अनुसार ईबीआईटी

100 एमबीपीएस) सुकर बनाएगा। यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी ग्रामीण संपर्क परियोजना है और यह डिजिटल भारत कार्यक्रम का पहला स्तंभ है। यह भविष्य में विभिन्न ई-सेवाएं और एप्लीकेशन प्रदान करना सहज बनाएगा जिसमें ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-अभिशासन तथा ई-वाणिज्य शामिल है।

विद्युत क्षेत्र

8.66 सरकार ने वर्ष 2019 तक सभी के लिए विद्युत आपूर्ति करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। भारत ने बिजली की सुविधा से वंचित लोगों की संख्या घटाकर ऊर्जा तक पहुंच को उन्नत करने के लिए अथक प्रयास किया है। पिछले वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है, परंतु बिजली गुल हो जाने का मुद्दा मुख्य चिंता का विषय रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी “दी ग्लोबल कांपिटिटिवनेस रिपोर्ट 2016-17” के अनुसार आपूर्ति बिजली की गुणवत्ता के संदर्भ में भारत का स्थान 138 देशों में 88वां है। 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण, 24x7 विद्युत आपूर्ति और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयास विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के कार्य निष्पादन को सुधारे बिना सफल नहीं हो सकते। बिजली गुल होने से मेक इन इंडिया और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले कार्यक्रम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय दबाव में पड़े डिस्कॉम द्वारा बैंक ऋणों पर चूक होने से भी बैंकिंग क्षेत्र और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

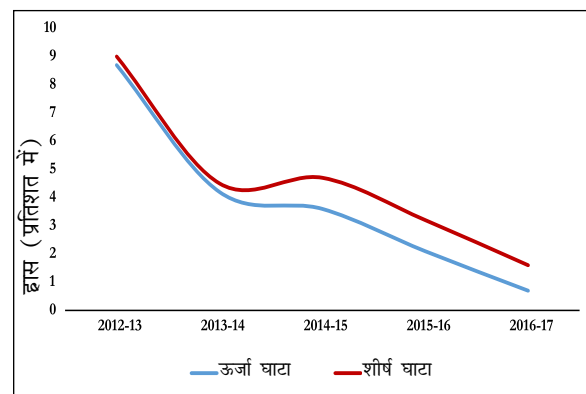
8.67 विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर 2014-15 के 8.9 प्रतिशत और 2015-16 के 5.7 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 4.7 प्रतिशत थी। वर्ष 2013-14 में कुल संस्थापित क्षमता 2,45,259 मेगावाट थी जो बढ़कर मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 3,26,649 मेगावाट हो गई थी। वर्ष 2012-2017 की अवधि के दौरान, 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,00,468 सीकेएम पारेषण लाइनें तथा 2,82,750 एमवीए पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 2,88,458 एमवीए पारेषण क्षमता पूर्ण की गई।

जैसाकि आगे चित्र 19 में दिखाया है, शीर्ष घाटे (शीर्ष विद्युत आपूर्ति की तुलना में शीर्ष घाटे की मांग में प्रतिशत गिरावट) में भी तीव्र गिरावट देखी गई तथा 2016-17 के दौरान यह (-) 1.6 प्रतिशत थी।

उज्ज्वल डिस्काम आश्वासन योजना (उदय) के निष्पादन पर विशेष बल

8.68 सरकार ने 20, नवंबर 2015 को विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत सुधारने के लिए उदय योजना को निरूपित और प्रारंभ किया है। यह उल्लेखनीय है कि इस योजना में ब्याज बोझ, विद्युत लागत और सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी करने की बात कही गई है। 27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पहले ही उदय के अंतर्गत आ गये हैं। उदय के अंतर्गत भाग लेने वाले राज्यों के निष्पादन की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु उदय के लिए एक बहुस्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। निगरानी के उद्देश्य से एक वेब पोर्टल (www.uday.gov.in) भी सृजित किया गया है।

चित्र 19: विद्युत घाटे में कमी (प्रतिशत)



स्रोत: केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण

8.69 उदय योजना के अनुसार, राज्य सरकारों को बांड निर्गमन करके विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) के 75% ऋण तथा ऋणदाताओं की चुकौती को अधिगृहीत करने की अनुमति दी गई है। शेष 25 प्रतिशत ऋण डिस्काम द्वारा जारी किये गये बांडों के जरिए चुकाया जाना होगा। दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार, राज्य स्वामित्वाधीन सभी डिस्काम का कुल ऋण 3.95 लाख करोड़ ₹ था। उदय योजना से जुड़े 26 राज्य और

1 संघ राज्य क्षेत्र का कुल बकाया ऋण 3.82 लाख करोड़ रु० था जो कि सभी राज्य डिस्काम के कुल बकाया ऋण का 97 प्रतिशत है। अब तक, 15 राज्यों ने 2.09 लाख करोड़ रु० के उदय बांड जारी किये हैं तथा डिस्काम ने 0.23 लाख करोड़ रु० मूल्य के बांड जारी किये हैं। उदय के अंतर्गत बांड निर्गमन का सार सारणी 10 में दिया गया है।

8.70 उदय की शुरुआत के पश्चात, राज्यों ने चित्र 20 में दर्शाये गये एटीएंडसी घाटों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। एटीएंडसी हानि का (सभी उदय राज्यों का) राष्ट्रीय औसत वित्त वर्ष 2016 के

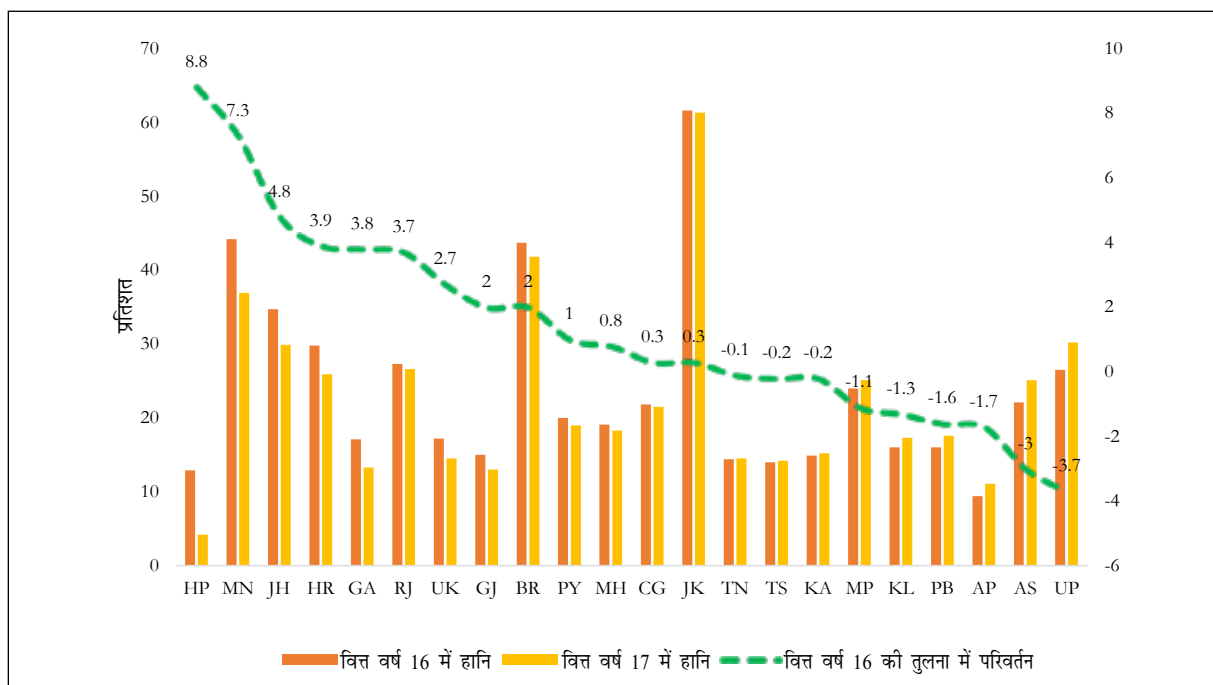
21.1 प्रतिशत से कम होकर वित्त वर्ष 2017 में 20.2 प्रतिशत तक आ गया है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोआ राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और पुडुचेरी ने महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों ने भी एटीएंडसी घाटों को कम किया है। परंतु इसमें आगे और सुधार की आवश्यकता है। तेरह डिस्काम ने वित्त वर्ष 2015-16 के स्तर के मुकाबले वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही के अंत में एटीएंडसी हानि की स्थिति में सुधार दर्ज किया है। कुछ डिस्काम का निष्पादन चित्र 21 में दिखाया गया है।

सारणी 10. 31 मार्च 2017 तक उदय के अंतर्गत बांड निर्गमन का सारांश

राज्य	30.09.2015 की स्थिति के अनुसार निवल डिस्काम देनदारियां (पुनः संरचित की जानी है/बांड जारी किये जाने हैं) (करोड़ रुपये में)	आदिनांक तक राज्यों द्वारा जारी किये गये कुल बांड	डिस्काम द्वारा जारी किये गये बांड कुल (करोड़ रु० में)	उदय के अंतर्गत जारी किये कुल बांड (करोड़ रु० में)
राजस्थान	76120	59722	12368	72090
उत्तर प्रदेश	49847	39133	10714	49847
छत्तीसगढ़	870	870	-	870
झारखंड	6136	6136	-	6136
पंजाब	20262	15629	-	15629
बिहार	3109	2332	777	3109
जम्मू-कश्मीर	3538	3538	-	3538
हरियाणा	34158	25951	-	25951
आंध्र प्रदेश	14721	8256	-	8256
मध्य प्रदेश	11899	7360	-	7360
महाराष्ट्र	6613	4960	-	4960
हिमाचल प्रदेश	3854	2891	-	2891
तेलंगाना	11244	8923	-	8923
असम	राज्य सरकार ऋण बांड निगमित नहीं किए जाने है			
तमिलनाडु	30420	22815	-	22815
मेघालय	167	125	-	125
कुल	273318	208641	23859	232500

स्रोत: विद्युत मंत्रालय

चित्र 20 उदय राज्यों की राज्य-वार एटीएंडसी हानि (प्रतिशत)

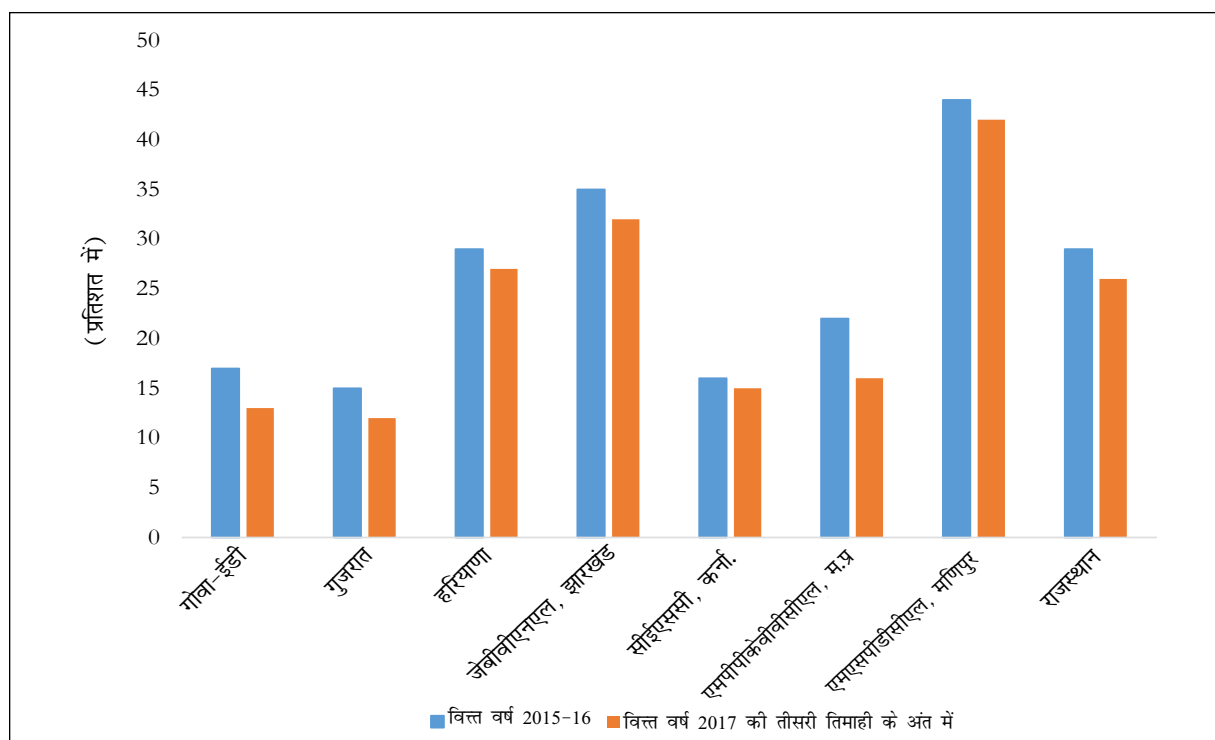


स्रोत : उदय राज्यों का औसत

टिप्पणी: आरएचएस में वित्त वर्ष 16 से एटीएंडसी हानि में परिवर्तन

राज्यों के संक्षिप्त नाम के संकेताक्षर परिशिष्ट 2 में हैं।

चित्र 21. वितरण कंपनियों की समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि (प्रतिशत)



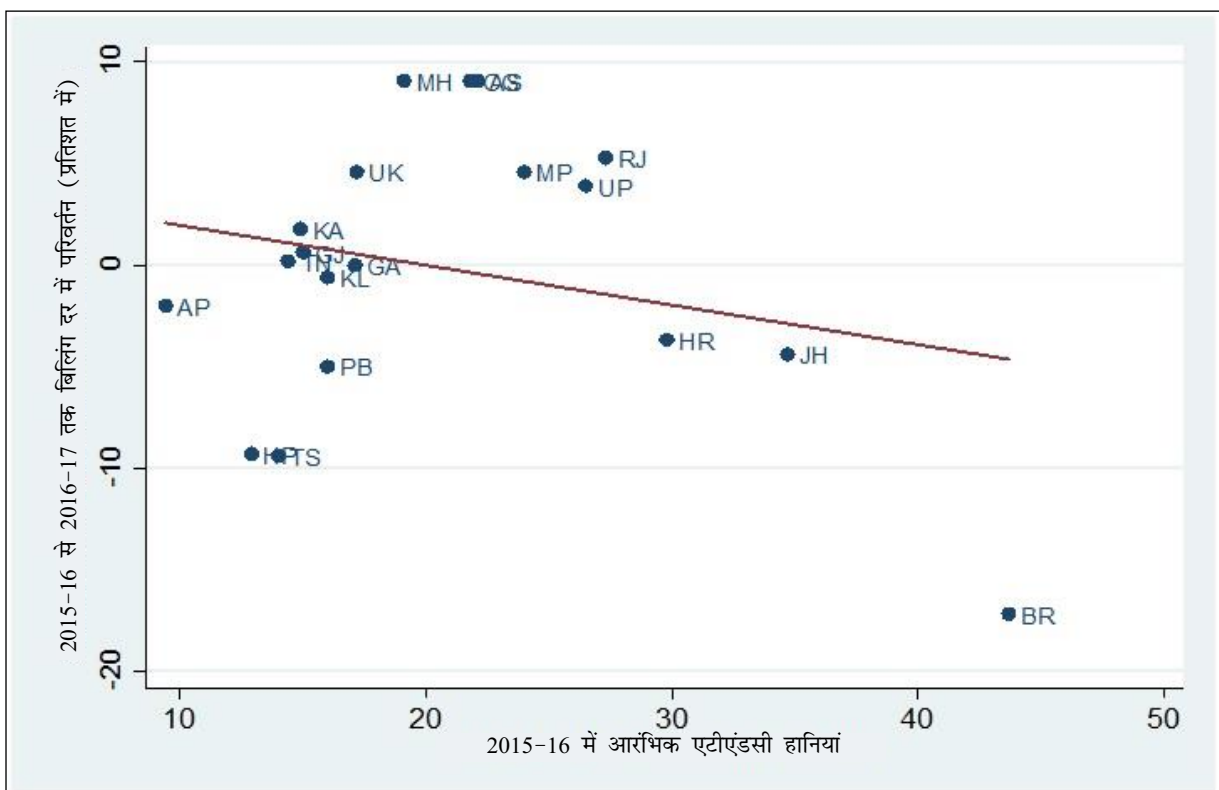
स्रोत: विद्युत मंत्रालय

8.71 उदय की शुरुआत के बाद, अधिक महत्व विद्युत वितरण कंपनियों की बिलिंग तथा संग्रहण दक्षता पर दिया गया। विद्युत मंत्रालय की सूचना के अनुसार, भारत भर में, बिलिंग क्षमता 2015-16 के 81 प्रतिशत से 2 प्रतिशत बेहतर होकर 2016-17 में 83 प्रतिशत हो गई। अधिक एटीएंडसी घाटों वाले राज्यों को उदय की शुरुआत के पश्चात अपनी बिलिंग दर बढ़ानी चाहिए थी। चित्र 22 में उदय राज्यों में 2015-16 में प्रचलित आरंभिक एटीएंडसी घाटे तथा 2015-16 से 2016-17 तक बिलिंग दरों में हुए परिवर्तन दर्शाया गया है। संभावित संबंध सकारात्मक होना चाहिए था। परंतु उच्च आरंभिक एटीएंडसी घाटे वाले अनेक राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड हरियाणा और पंजाब ने अपनी बिलिंग दर नहीं बढ़ाई है, बल्कि वास्तव में इन दरों को कम कर दिया। इस संदर्भ में बिहार सबसे बड़ा अपराधी था। तथापि, उच्च आरंभिक एटीएंडसी घाटों वाले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों

ने 2015-16 से 2016-17 तक अपनी बिलिंग दर को बढ़ाया है। जब तक राज्य समय से टैरिफ संशोधन नहीं करेंगे, तब तक विद्युत वितरण कंपनियों के घाटों और ऋणों की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता।

8.72 बिजली विशेष गुणाधारित उत्पाद है। यही बात टैरिफ संरचना में दिखाई देनी चाहिए। सर्वाधिक हानियों वाले राज्य वे हैं जहां टैरिफ औसत लागतों को भी पूरा वसूल नहीं कर पाते। राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश (हानि वितरण में शीर्ष राज्य) जैसे राज्यों में प्रतियूनिट औसत टैरिफ (एटी) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) से कम है। उदय की शुरुआत के बाद से आज तक 15 राज्यों ने आपूर्ति की लागत वसूल करने के लिए अपने संबंधित आयोगों द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टैरिफ संशोधन जारी कर दिए हैं। सभी उदय राज्यों के टैरिफ संशोधन नीचे सारणी 11 में दिए गए हैं।

चित्र 22 शुरुआती एटीएंडसी हानियां और बिलिंग दर में बदलाव



स्रोत: उदय प्रकोष्ठ, आरईसी

सारणी 11. 2017-18 में टैरिफ संशोधन

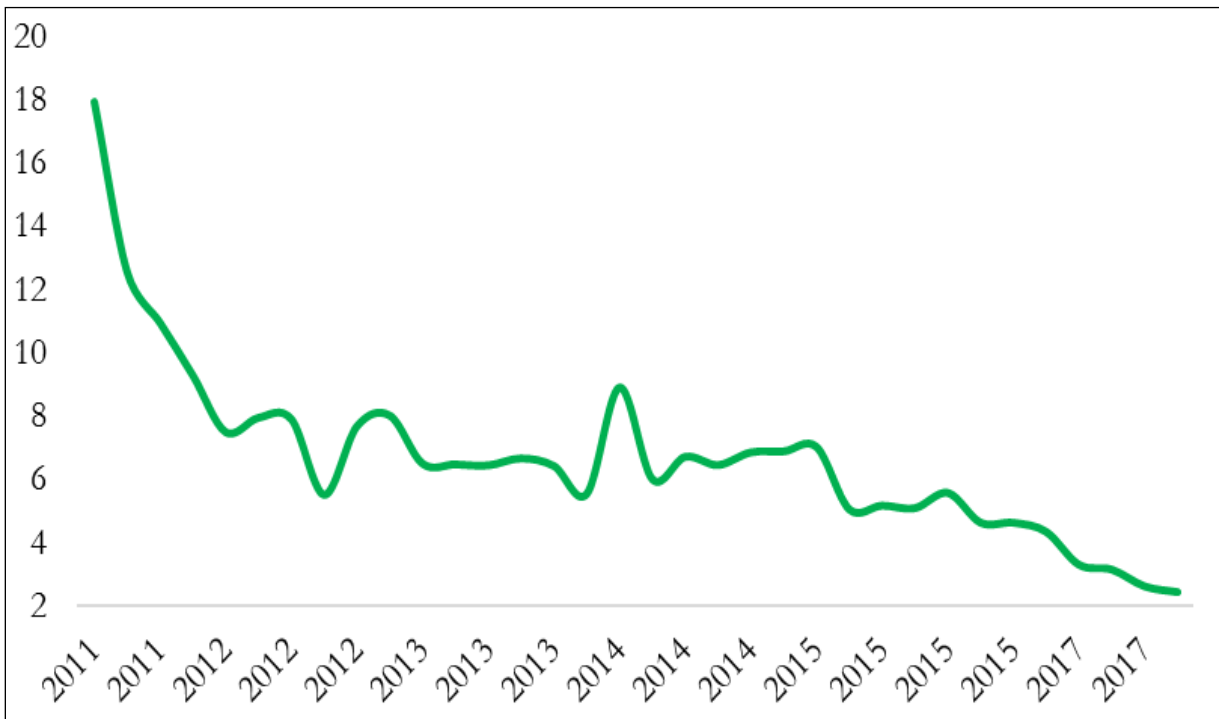
क्र.स.	राज्य का नाम	टैरिफ आदेश (जारी/नहीं जारी)	प्रतिशत औसत टैरिफ वृद्धि	प्रयोज्य तारीख	एमओयू टैरिफ वृद्धि लक्ष्य वि.व. 17-18
1	बिहार	जारी	55%	01-अप्रैल-17	15.00%
2	उत्तराखंड	जारी	5.72%	01-अप्रैल-17	4.27%
3	मध्य प्रदेश	जारी	9.42%	01-अप्रैल-17	5.00%
4	कर्नाटक	जारी	8%	01-अप्रैल-17	3%-4%
5	गुजरात	जारी	0%	01-अप्रैल-17	0.50%
6	आंध्र प्रदेश	जारी	3.60%	01-अप्रैल-17	5.00%
7	छत्तीसगढ़	जारी	2.0-2.5%	01-अप्रैल-17	6.00%
8	मणिपुर	जारी	5%	01-अप्रैल-17	5.13 रु./किवाघं
11	असम	जारी	6%	01-अप्रैल-17	6.50%
13	मेघालय	जारी	5% (लगभग)	01-अप्रैल-17	8.68%
9	महाराष्ट्र	जारी	-	01-अप्रैल-17	9.01%
10	हिमाचल प्रदेश	जारी	0%	01-अप्रैल-17	3.00%
12	तेलंगाना	जारी	0%	-	8.00%
14	सिक्किम	जारी	-	01-अप्रैल-17	15.00%
15	मिजोरम	जारी	-	-	5.00%
16	अरुणाचल प्रदेश	-	कोई टैरिफ वृद्धि प्रस्तावित नहीं	-	0.00%
17	राजस्थान	जारी नहीं	-	-	8.00%
18	हरियाणा	जारी नहीं	-	-	अनुमान नहीं दिए गए
19	पंजाब	जारी नहीं	-	-	9.00%
20	पुडुचेरी	जारी नहीं	-	-	3.00%
21	झारखंड	जारी नहीं	-	-	9.60%
22	जम्मू व कश्मीर	जारी नहीं	-	-	17.00%
23	गोवा	जारी नहीं	कोई टैरिफ वृद्धि प्रस्तावित नहीं	-	5.00%
24	तमिलनाडु	जारी नहीं	कोई टैरिफ वृद्धि प्रस्तावित नहीं	-	8.00%
25	त्रिपुरा	जारी नहीं	-	-	4.50%
26	उत्तर प्रदेश	जारी नहीं	-	-	6.95%
27	केरल	जारी नहीं	-	-	0.00%

स्रोत: विद्युत मंत्रालय

8.73 कई राज्यों में टैरिफ संशोधन के कारण टैरिफ में वृद्धि हुई है। लेकिन उच्च टैरिफ को सौर और पवन ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम कीमतों से खतरा हो सकता है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, सौर ऊर्जा की

कीमत 2.50 रुपये प्रति किलोवाट घंटे और पवन ऊर्जा की कीमत 3.40 रुपये प्रति किलोवाट घंटे है। सौर कीमतों में गिरावट का रुख चित्र 23 में दर्शाया गया है।

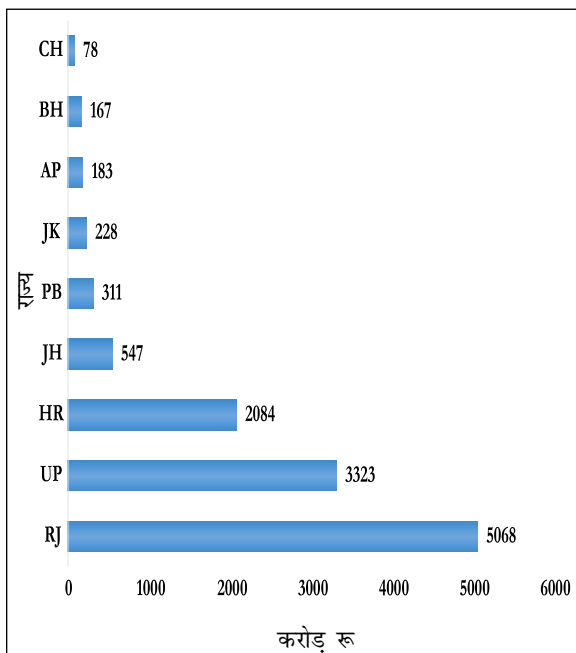
चित्र 23. सौर ऊर्जा की कीमत (रूपये प्रति किलोवाट घंटे)



स्रोत: एमएनआरई

8.74 राज्य विद्युत वितरण कंपनियों ने उदय योजना के अंतर्गत प्रचालनात्मक दक्षता के संबंध में सुधार

चित्र 24. ब्याज लागत में अनुमानित बचत (करोड़ में)

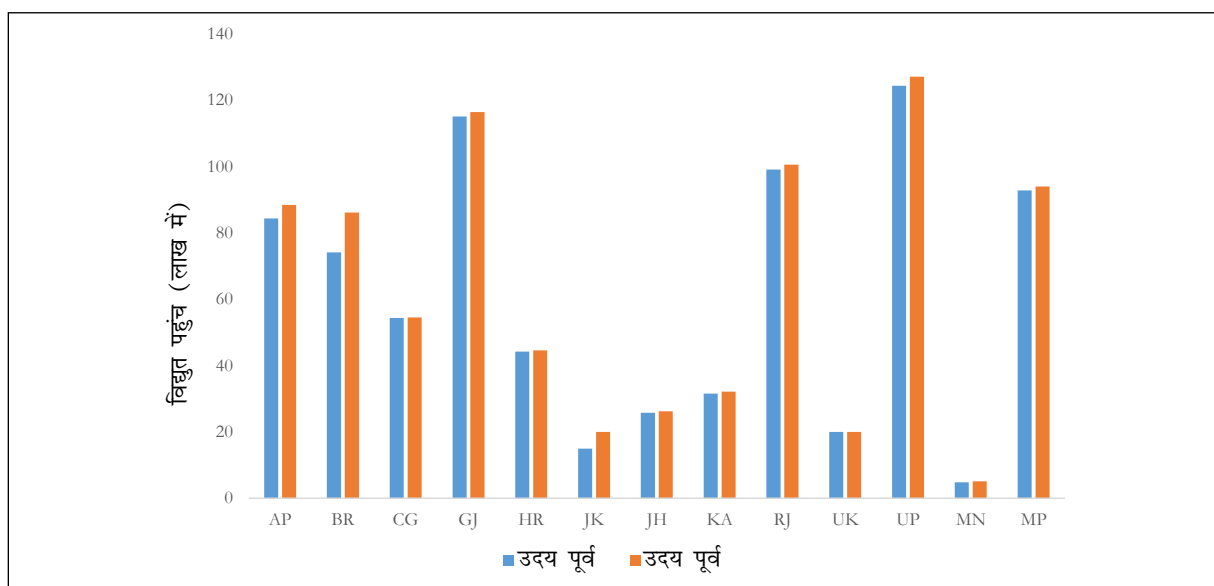


स्रोत: विद्युत मंत्रालय

और अच्छी बचतों की सूचना दी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड और पंजाब वर्ष 2016-17 में अपनी ब्याज लागतें कम करने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्यों की वितरण कंपनियों ने दिसम्बर, 2016 तक 11,989 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत की है। विभिन्न राज्यों की ब्याज लागतों में हुई अनुमानित बचतें चित्र 24 में दर्शाई गई हैं।

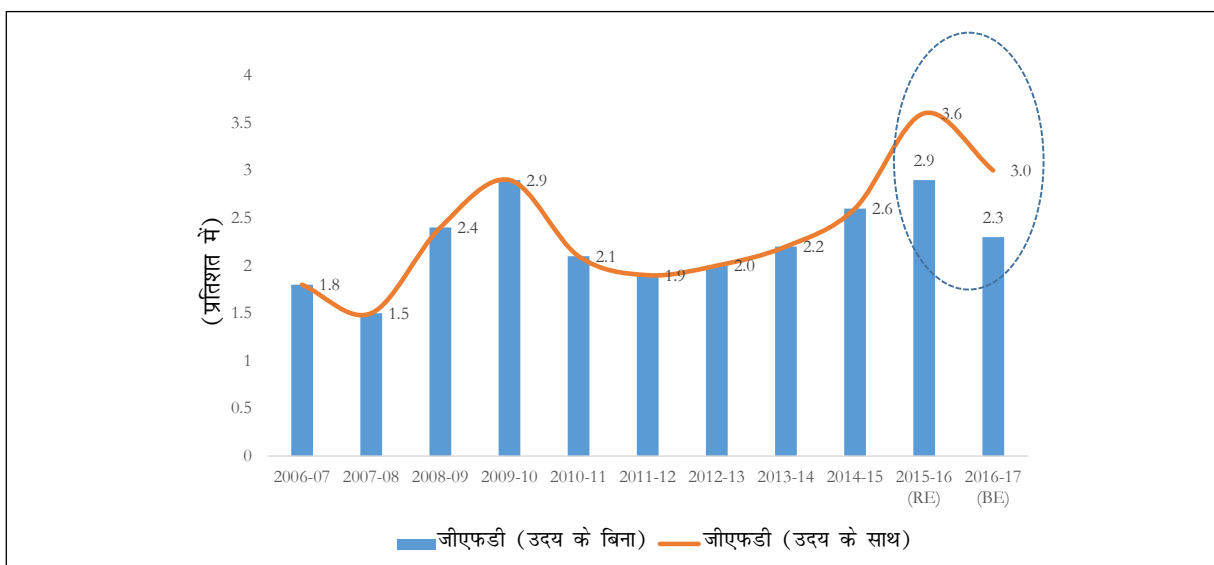
8.75 उपर्युक्त घटनाक्रम के अलावा, कई राज्यों में उदय की शुरुआत के बाद से बिजली की सुविधा से वंचित घरों तक बिजली पहुंचाने, उजाला के अंतर्गत एलईडी के वितरण, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में फीडर मीटरिंग और वितरण पारेषण (डीटी) मीटरिंग दोनों के संदर्भ में सुधार देखा गया है (चित्र 25)। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों ने बिजली की पहुंच, डीटी मीटरिंग और फीडर मीटरिंग जैसे प्रचालनात्मक पहलुओं के संदर्भ में बेहतर निष्पादन किया है; लेकिन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने किसी सुधार की सूचना नहीं दी है।

चित्र 25. उदय के प्रभाव के कारण बिजली-वंचित घरों को विद्युत पहुंच में परिवर्तन (लाख में)



स्रोत: विद्युत मंत्रालय

चित्र 26. राज्य सकल राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात



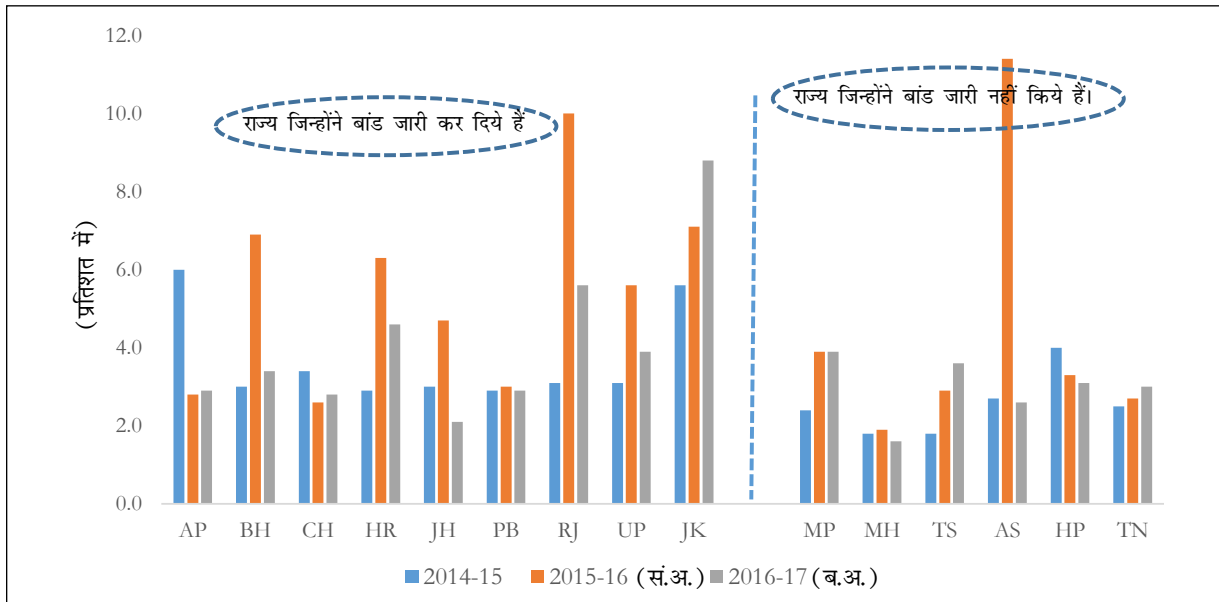
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

राज्यों पर वित्तीय बोझ:

8.76 हालांकि उदय ने विद्युत क्षेत्र से जुड़े ढांचागत मुद्दों का समाधान करने पर काफी प्रभाव डाला है, फिर भी यह वित्तीय स्थितियों का समाधान करने के लिए कोई रामबाण नहीं है। उदय योजना के अंतर्गत, राज्यों को बाजार में अथवा डिस्काम के ऋण धारित करने वाले बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं को सीधे गैर-एसएलआर स्टेट डेवलपमेंट (एसडीएल) बांड जारी

करने की अनुमति दी गई थी। इन बांडों के कारण, बिना उदय योजना के, राज्य का सकल राजकोषीय घाटा जीएफडी/जीडीपी अनुपात 2015-16 में 2.9 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गया (चित्र 26)। उदय बांड जारी करने वाले राज्यों का जीएफडी/जीडीपी अनुपात उन राज्यों के जीएफडी/जीडीपी अनुपात से अधिक है जिन्होंने उदय बांड जारी नहीं किए हैं (चित्र 27)।

चित्र 27. उदय के साथ राज्यों का जीएफडी/जीएसडीपी अनुपात



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र

8.77 वर्ष 2016-17 के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन 37.1 मिलियन मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 36.0 मिलियन मीट्रिक टन रहा था जो लक्ष्य का 97.1 प्रतिशत है। इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 के दौरान, प्राकृतिक गैस का वास्तविक उत्पादन 34.1 बीसीएम के लक्ष्य की तुलना में 31.9 बीसीएम रहा था जो लक्ष्य का 93.5 प्रतिशत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों के उत्पादन में हुई यह कमी मुख्यतः पुराने और सीमांत क्षेत्रों में गिरते उत्पादन, पश्चिमी ऑफशोर में कुछ परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी, कुओं, प्रसंस्करण प्लेटफार्म/संयंत्रों, पाइपलाइनों को अनियोजित ढंग से बंद किए जाने के कारण हुई है। सरकार ने भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का रूपांतरण करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (हेल्प):** इस नीति में परम्परागत और अपरम्परागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक ही लाइसेंस, औपचारिक बोली के दौर की प्रतीक्षा किए बिना अन्वेषण ब्लाकों का चयन करने के लिए खुली एंक्रेज लाइसेंसिंग प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो राजस्व के बंटवारे के मॉडल को प्रशासित करने हेतु सरल और आसान

तरीका है। राष्ट्रीय डाटा रिपोजिटरी विकसित की गई है ताकि निवेशकों को बेसिन की संभावना के संबंध में उच्चगुण आंकड़े प्रदान करके इस प्रक्रिया में सहायता की जा सके।

- **डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पालिसी 2016:** वर्ष 2022 तक भारत के ऊर्जा आयातों में 10 प्रतिशत की कमी करने की दिशा में एक कदम के तौर पर, डिस्कवर्ड स्माल फील्ड (डीएसएफ) बोली दौर 2016 के अंतर्गत प्रदान किए गए क्षेत्रों के लिए 31 संविदाओं (23 भूमि पर और 8 आफशोर) पर हस्ताक्षर किए गए। इन संविदा क्षेत्रों से किए जाने वाला उत्पादन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन की अनुपूर्ति करेगा।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030:** इस विजन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक तेल और गैस के उत्पादन को दोगुना करना, स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। पूर्वोत्तर भारत में वर्ष 2030 तक 1.30 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।
- **प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल):** सरकार ने सुशासन

के एक उपाय के तौर पर की गई पहल के जरिए एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी सुपुर्दगी की एक सुलक्षित प्रणाली की शुरुआत की है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य सब्सिडियों को समाप्त करके नहीं बल्कि सब्सिडी की हेराफेरी को कम करके सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना है। वर्ष 2014-15 से 17.5 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता पहल स्कीम से जुड़ चुके हैं। पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सबसे बड़ी स्कीम होने के नाते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल हो चुकी है। अब तक उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जा चुकी है। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान पहल के कार्यान्वयन के कारण सब्सिडी में हुई अनुमानित बचतें लगभग 29446 करोड़ रुपये रही हैं।

- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन):** सरकार ने देश में बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने की योजना शुरू की है जिसमें उन राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को महत्व दिया जाएगा जहां एलपीजी कवरेज दिनांक 1.1.2016 की स्थिति के अनुसार 61 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है। ये कनेक्शन लाभानुभोगी अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम में कोई एलपीजी कनेक्शन न रखने वाले बीपीएल परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम से जारी किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, गरीब परिवारों को खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन समाधान मुहैया कराना है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 1.5 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया था और 31.3.2017 के अनुसार जारी किए गए कनेक्शन लक्ष्य से आगे बढ़कर 1.98 करोड़ हो चुके हैं।
- **ऊर्जा गंगा-जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल):** का पहला चरण जुलाई, 2015 से शुरू किया गया है। यह पाइपलाइन पूर्वी भारत में गैस ऊर्जा गलियारे के विस्तार के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड के एक भाग के रूप में गेल (इंडिया) लि. द्वारा कार्यान्वित की

जा रही है। 2539 किमी जेएचबीडीपीएल पाइप लाइन 12940 करोड़ रुपये के निवेश से कार्यान्वित की जा रही है और इस राशि में भारत सरकार की ओर से 5176 करोड़ रुपये का 40 प्रतिशत पूंजी अनुदान शामिल है। ऊर्जा गंगा 5 राज्यों से गुजरेगी अर्थात् 40 जिलों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से। यह पहले चरण में 7 शहरों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने में भी मदद करेगी। सीजीडी परियोजना घरों, वाहनों और उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल ईंधन प्राकृतिक गैस मुहैया कराएगी। यह पाइपलाइन परियोजना पूर्वी भारत में गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में 3 उर्वरक संयंत्रों को गैस आपूर्ति करने के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी जो उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नया आयाम देगी।

शहरी अवसंरचना-स्मार्ट सिटी मिशन पर एक टिप्पणी सहित

8.78 शहरों को अर्थव्यवस्था के लिए “विकास संचालक” माना जाता है। शहरों में पूंजी, लोग और स्थान के संगम से समृद्धता के लाभ मिलते हैं, नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के लिए उर्वर माहौल पैदा होता है जिससे बड़े आर्थिक प्रतिलाभ सृजित होते हैं। भारत के शहर देश की जनसंख्या के मात्र एक तिहाई हिस्से की मदद से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का दो तिहाई, कर राजस्व का 90 प्रतिशत सृजित करते हैं और संगठित क्षेत्र की अधिसंख्य नौकरियां भी यहीं सृजित होती हैं। अवसर सृजन का केन्द्र होने के बावजूद भारत के शहर अनेक पर्यावरणीय और अवसंरचनागत चुनौतियों से जूझ रहे हैं जो प्रदूषण से लेकर पेय जल, मलजल निपटान, आवास और बिजली जैसी शहरी सुविधाओं के अभाव से जुड़ी हैं और जो अधिक असुरक्षित गरीब आबादी पर भारी प्रभाव डालती हैं। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार ने शहरी अवसंरचना में सुधार हेतु अनेक उपाय किए हैं जैसेकि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम शहरी) पुनरूद्धार और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन (अमृत), हैरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना (हृदय) और स्मार्ट सिटी मिशन।

स्मार्ट सिटी मिशन

8.79 भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और इसके लिए वृहत नीतिगत कार्रवाई करने की जरूरत है। नीतिगत कार्रवाई के अंतर्गत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की। यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इस संदर्भ में 'स्मार्टनेस' केवल डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने तक ही सीमित नहीं है। आरंभ से ही 'स्मार्ट सिटी' की परिभाषा मुक्त रखी गई है। वास्तविक परिवर्तन गतिहीन मास्टर प्लान और अलग-थलग रहने से हटकर अधिक इकोसिस्टम-रवैया अपनाने के संदर्भ में हुआ। किसी भी फलते-फूलते शहरी इकोसिस्टम के चार मुख्य घटक हैं: संस्थागत अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना और आर्थिक अवसंरचना। इसलिए, स्मार्ट सिटी दृष्टिकोण का उद्देश्य शहर भर में व्याप्त (पैन सिटी उपाय) किसी एक घटक के इस्तेमाल से लक्ष्यगत कार्यनीतिक दखल कार्रवाई करके अथवा किसी सुस्पष्ट स्थान पर (क्षेत्र आधारित परियोजना) में एक से अधिक घटकों को साथ-साथ उन्नत करके शहरी इकोसिस्टम को उन्नत करना है। यह माना गया है कि ऐसी कार्यनीति का सटीक कार्यान्वयन विशिष्ट संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। हैरीटेज शहरों की विशेष जरूरतों पर ध्यान देने के लिए हैरीटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना (हृदय) नामक एक सहयोगी कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है।

8.80 भारत सरकार ने 25 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की। वर्ष 2015-16 और 2019-20 की अवधि में 100 शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव था। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) शहरी चुनौती प्रतियोगिता के जरिए शहरों का चयन (ii) नगरपालिका प्राधिकरणों की स्वामित्वाधीन कंपनियों-विशेष प्रयोजन साधनों द्वारा कार्यान्वयन (iii) अन्य स्रोतों से निधियां जुटाने के लिए केन्द्रीय अनुदान निधियों का प्रयोग (iv) स्थायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मिशन की योजना और कार्यान्वयन में नागरिकों की भागीदारी।

8.81 इस प्रक्रिया को अपनाकर अब तक 60 शहरों का (जनवरी, 2016 में दौर 1 में 20 शहर, मई, 2016 में

फास्ट ट्रैक दौर में 13 शहर और सितम्बर, 2016 में दौर 2 में 27 शहर) अब तक चयन किया गया है। (लाइट हाऊस, फास्ट ट्रैक और दौर 2 शहरों की सूची के लिए परिशिष्ट-3 देखें)। इस वर्ष प्रतियोगिता के तीसरे दौर में 40 और शहरों का चयन किए जाने की संभावना है।

8.82 60 शहरों ने अपनी स्मार्ट सिटी योजनाओं के अंतर्गत 1,33,368.5 करोड़ रुपये के कुल निवेश का प्रस्ताव किया है। चिन्हित क्षेत्र (क्षेत्र आधारित परियोजनाओं) के सुधार पर बल देने वाली परियोजनाओं की लागत 1,05,621 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। शहर भर में (पैन सिटी उपाय) स्मार्ट पहलों के लिए शेष 26,141 करोड़ रुपए के निवेश को इस्तेमाल किया जाएगा। एबीपी और पैन सिटी परियोजनाओं के अलावा 1604.5 करोड़ रुपये की राशि मिशन की ओएंडएम लागत तथा अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए अलग रखी गई है।

8.83 शहर के स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त दखल कार्रवाइयों में एक समेकित कमांड और अनेकानेक विभागों से प्राप्त आंकड़ों को एकीकृत करने वाले नियंत्रण केन्द्र का विकास करना शामिल है जिससे बेहतर समन्वय और कारगर सेवा सुपुर्दगी, प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कुशल जल प्रबंधन संभव होता है जिससे राजस्व न सृजित करने वाले जल में कमी हो पाती है, स्मार्ट सड़कों, हैरीटेज और "प्लेस मेकिंग" परियोजनाएं संभव हो पाती हैं (बॉक्स 2 भी देखें)।

8.84 अप्रैल, 2017 तक 941 करोड़ रुपये की 57 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। वर्ष 2018 के दौरान 15307 करोड़ रुपये की अनुमानित अतिरिक्त 462 परियोजनाएं पूरी किए जाने की संभावना है बशर्ते कि कार्यान्वयन शुरू कर देने वाली सभी परियोजनाएं और वे परियोजनाएं जिन्होंने निविदा कर ली है, वे अपनी समय अनुसूची का पालन करें। श्रेष्ठतम स्थिति में, 24526 करोड़ रुपये मूल्य की अतिरिक्त 920 परियोजनाएं, जिनके संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार कर ली गई हैं, वे भी वर्ष 2018 के अंत तक पूरी हो जाने का अनुमान है, बशर्ते कि सभी समय अनुसूचियों का पालन किया जाए। इन दो स्थितियों में परियोजनाओं की संख्या और मूल्य का तिमाही-वार ब्यौरा नीचे सारणी 13 में दिया गया है।

सारणी 12. दौरेवार परियोजना कार्यान्वयन का ब्यौरा

चयन दौर	डीपीआर/आरएफपी तैयारी अवस्था		निविदा की गई परियोजनाएं		परियोजना कार्य आरंभ		परियोजना कार्य पूर्ण	
	परियोजनाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोजनाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोजनाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोजनाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)
दौर 1	571	32,433	135	7,112	72	3,500	32	503
फास्ट ट्रैक	468	18,446	8	684	7	107	6	150
दौर 2	919	30,270	39	1,974	37	869	19	288
कुल	1,958	81,150	182	9,769	116	4,476	57	941

स्रोत: शहरी विकास मंत्रालय

सारणी 13. स्मार्ट सिटी की परियोजना पूर्ण का अनुमानित न्यूनतम तथा उत्तम परिदृश्य

परिदृश्य-1 (न्यूनतम) परियोजनाएं जिनके पूर्ण होने की संभावना										
	जन.-मार्च' 18		अप्रैल-जून'18		जुलाई-सित.'18		अक्तू.-दिस.'18		कुल जोड़	
	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)
दौर 1	52	2652.9	72	3714.1	46	2334.6	58	2971.3	228	11673
फास्ट ट्रैक	2	79.1	2	118.6	3	158.2	8	434.9	15	791
दौर 2	33	426.5	44	568.6	55	710.8	88	1137.3	219	2843
कुल योग	86	3158.5	119	4401.3	103	3203.5	154	4543.4	462	15307

परिदृश्य-2 (उत्तम) परियोजनाएं जिनके पूर्ण होने की संभावना										
	जन.-मार्च' 18		अप्रैल-जून'18		जुलाई-सित.'18		अक्तू.-दिस.'18		कुल जोड़	
	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	परियोज-नाओं की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)
दौर 1	89	4680.0	122	6552.0	77	4118.4	98	5241.6	386	20592
फास्ट ट्रैक	9	86.1	13	129.1	17	172.2	47	473.5	85	861
दौर 2	67	460.9	90	614.6	112	768.2	180	1229.2	449	3073
कुल योग	165	5227.0	225	7295.7	206	5058.8	324	6944.3	920	24525

स्रोत: शहरी विकास मंत्रालय

8.85 जहां तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की दखल कार्रवाइयों का संबंध है, 60 शहरों में से 22 शहरों ने पहले ही स्मार्ट सड़कों के निर्माण की शुरुआत कर दी है और 18 शहरों ने समेकित कमांड और नियंत्रण परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। इसके अलावा, 20 शहरों

ने स्मार्ट जल परियोजनाएं शुरू की हैं और 26 शहरों ने सौर छत परियोजनाएं लागू करनी शुरू कर दी हैं। 18 शहरों में स्थापत्य, प्लेस मेकिंग और शहरी सौंदर्यीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

स्मार्ट सिटी परियोजना का उदाहरण: समेकित कमांड तथा नियंत्रण, केन्द्र पुणे

परियोजना का नाम: परिवहन कमांड और नियंत्रण केन्द्र

क्षेत्र: समेकित कमांड और नियंत्रण केन्द्र

लागत और वित्तपोषण: 48 करोड़ रु०

संक्षिप्त वर्णन: यातायात के लिए आधुनिक कमांड और नियंत्रण केन्द्र (2700 वर्गफुट) पीएमपीएमएल मुख्यालय में स्थापित किया गया है। कमांड और नियंत्रण केन्द्र जीपीएस ट्रैकर के आधार पर, जो बसों पर लगा होता है, शहर में बसों की वास्तविक गतिविधि पर नज़र रखता है। कार्यालय में 4 सर्वर और 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं जिनकी व्यवस्था आदि 21 लोगों द्वारा की जा रही है।

परियोजना कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति: पूर्ण रूप से कार्यान्वित इस सिस्टम पर 1500 से अधिक बसें ट्रैक की जा रही हैं (नीचे फोटोग्राफ देखिए)।



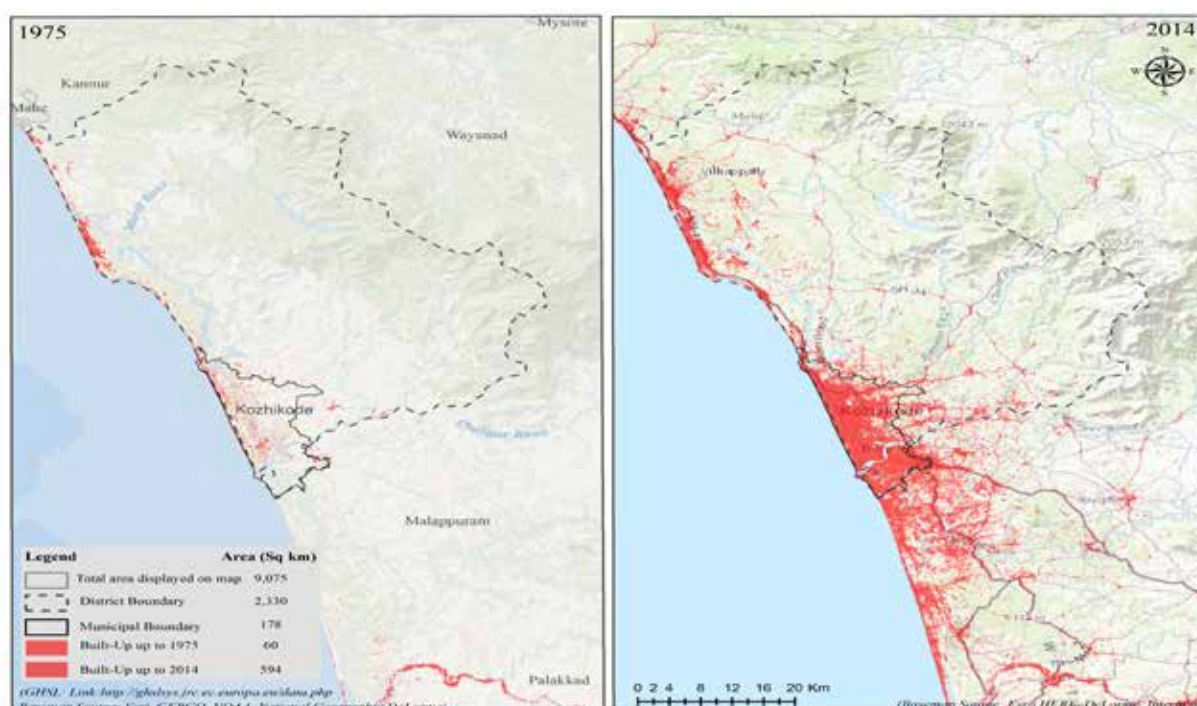
भारत में कितना शहरीकरण हुआ?

8.86 भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, परंतु क्या 2011 की जनगणना आधारित 31.2 प्रतिशत की शहरीकरण दर इसका उचित मूल्यांकन कर पाई है? भारत में शहरीकरण आधिकारिक रूप से दो मापकों द्वारा परिभाषित किया जाता है: (i) प्रशासनिक परिभाषा जो शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों, नगर परिषदों, अधिसूचित नगर समितियों आदि द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या पर विचार करती है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियंत्रित शहरी बसावटें “सांविधिक शहर” कहलाती हैं। प्रशासनिक परिभाषा के प्रयोग के अनुसार, भारत वर्ष 2011 में लगभग 26 प्रतिशत शहरी था। राज्य सरकारें बसावट की प्रशासनिक स्थिति निर्धारित करती हैं। पूर्व निर्धारित नियम से सभी बसावटें ग्रामीण मानी जाती हैं और वे तभी शहरी बनती हैं जब अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही राज्य सरकारों द्वारा उन्हें परिवर्तित किया जाता है। हालांकि किसी भी बसावट को शहरी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मार्गनिर्देश मौजूद हैं, परंतु ये राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं। (ii) जनगणना की परिभाषा: इस परिभाषा के अंतर्गत, ऊपर वर्णित सांविधिक शहरों और जनगणना शहरों दोनों में रहने वाली जनसंख्या शहरी

जनसंख्या कहलाती है। जनगणना शहर जनगणना द्वारा सृजित वह श्रेणी है जो निम्नलिखित तीन मानदंडों को पूरा करती है:- कम से कम 5,000 की जनसंख्या; कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व, और मुख्य कामकाजी पुरुष आबादी का कम से कम 75 प्रतिशत भाग कृषि-भिन्न कार्यकलाप में लगा हो। जनगणना की इस परिभाषा के अनुसार वर्ष 2011 में 31.2 प्रतिशत भारत शहरी था।

8.87 जैसे-जैसे भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ये परंपरागत तरीके इस जटिल प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए अपर्याप्त हैं, विशेष रूप से जब हम इसका अध्ययन राज्य अथवा स्थानीय स्तर पर करते हैं। पहले तो, शहरीकरण की दो सरकारी परिभाषाओं में ही बड़ा अंतर है। उदाहरणार्थ, प्रशासनिक परिभाषा के अनुसार केरल 15 प्रतिशत शहरी है, किंतु जनगणना की परिभाषा के अनुसार 47.7 प्रतिशत शहरी है। कोझीकोड के उपग्रह मानचित्र से निकाले गए भूमि पर निर्माण-घनत्व से पता चलता है कि किस प्रकार शहरी विस्तार ने 1975 और 2014 के बीच प्रशासनिक सीमा को नजरअंदाज किया। अन्य परिभाषाएं इससे भी बड़े अंतराल दर्शाती हैं।

मानचित्र 2: कोझीकोड महानगरीय क्षेत्र में निर्मित इलाका-1975 बनाम 2014



स्रोत: आईडीएफसी संस्थान, मुंबई

8.88 घाना और कतर जैसे देशों में 5000 से ज्यादा जनसंख्या की सभी बसावटें शहरी मानी जाती हैं। इस परिभाषा के अनुसार भारत वर्ष 2011 तक 47 प्रतिशत शहरी हो चुका था। मैक्सिको और वेनेजुएला में 2500 से ज्यादा जनसंख्या की सभी बसावटें शहरी मानी जाती हैं। इस परिभाषा के अनुसार भारत वर्ष 2011 तक 65 प्रतिशत शहरी हो चुका था। 5000 से ज्यादा की जनसंख्या तथा 2500 से ज्यादा की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार, केरल 99 प्रतिशत शहरी है। वर्ष 2016 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में शहरीकरण को मापने के लिए संचित सूचकांक का प्रयोग किया गया है और यह पाया है कि भारत की आधे से अधिक आबादी शहरी है।³ जाना, सामी और सेडन द्वारा किए गए अनुसंधान से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या आकार और व्यवसाय की श्रेणियों में ढील देते हैं तथा

केवल 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व के मानदंड का ही प्रयोग करते हैं तो भारत लगभग 78 प्रतिशत शहरी है।⁴ इससे पता चलता है कि यदि हम 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व के मानदंड का प्रयोग करें, तो भारत अभी भी अधिक शहरी (55 प्रतिशत) होगा; जो चालू सरकारी आंकड़ों द्वारा इंगित प्रतिशत से भी कहीं अधिक है। बात यह है कि विभिन्न परिभाषाएं अलग-अलग मूल्यांकन करती हैं और रूपरेखा विशेष की उपयुक्तता वास्तव में उसके अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि शहरीकरण की परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि अर्ध-शहरी बसावटों के विभिन्न रूप भी हैं। इसलिए भारत में शहरीकरण के स्वरूप के बारे में कोई सर्वमान्य राय बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

सारणी 14: विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार वर्ष 2011 में राज्यवार शहरीकरण

राज्य का नाम	प्रशासन	जनगणना	5000+जनसंख्या	2500+जनसंख्या
जम्मू व कश्मीर	23.44	27.38	40.35	61.58
हिमाचल प्रदेश	9.59	10.03	10.02	15.82
पंजाब	34.44	37.48	46.83	64.49
चंडीगढ़	91.11	97.25	99.21	100.00
उत्तराखंड	24.66	30.10	40.22	51.20
हरियाणा	31.01	34.88	56.79	78.90
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली	67.92	97.50	98.56	99.70
राजस्थान	22.93	24.87	35.08	52.69
उत्तर प्रदेश	20.37	22.27	37.10	60.12
बिहार	10.80	11.29	48.61	72.19
सिक्किम	24.19	25.15	27.79	41.18
अरुणाचल प्रदेश	22.66	22.94	21.50	24.60
नागालैंड	25.55	28.86	38.75	56.84
मणिपुर	24.77	32.45	41.90	59.51
मिजोरम	52.11	52.11	50.64	58.63
त्रिपुरा	18.26	26.17	57.77	85.26
मेघालय	12.67	20.07	21.42	26.81
असम	10.64	14.10	21.08	43.42
पश्चिम बंगाल	23.11	31.87	50.71	70.64
झारखंड	16.08	24.05	29.54	44.22
ओडिशा	14.24	16.69	19.56	33.10
छत्तीसगढ़	22.27	23.24	25.19	38.92

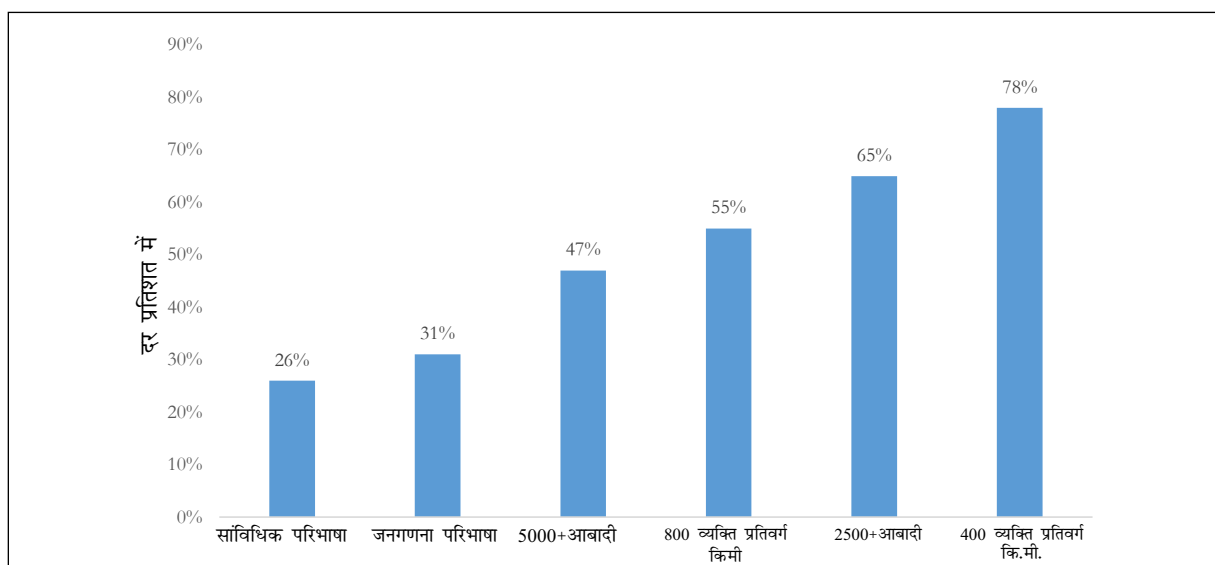
³ देखें: <http://www.worldbank.org/en/region/sar/publication/urbanization-south-asia-cities>.

⁴ देखें: <https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2014/08/Arindam-Jana.pdf>.

राज्य का नाम	प्रशासन	जनगणना	5000+जनसंख्या	2500+जनसंख्या
मध्य प्रदेश	25.85	27.69	33.24	46.34
गुजरात	38.37	42.60	56.71	74.55
दमन और दीव	28.07	75.17	89.87	95.15
दादरा और नगर हवेली	28.59	46.72	62.22	88.83
महाराष्ट्र	41.63	45.22	56.39	69.55
आंध्र प्रदेश	27.20	33.36	57.31	77.88
कर्नाटक	36.28	38.67	51.35	67.17
गोवा	27.56	62.17	66.64	85.74
लक्षद्वीप	0.00	78.07	82.88	95.85
केरल	15.71	47.70	99.22	99.89
तमिलनाडु	41.35	48.40	65.86	83.73
पुदुचेरी	59.96	68.33	86.02	96.33
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	28.39	37.70	40.35	56.53
अखिल भारतीय	26.31	31.16	47.20	64.94

स्रोत: आईडीएफसी संस्थान, मुंबई और भारत की जनगणना, 2011

चित्र 28: शहरीकरण की दर की वैकल्पिक परिभाषाएं



स्रोत: आईडीएफसी संस्थान, मुंबई और भारत की जनगणना, 2011

टिप्पणी: भारत का वह प्रतिशत जो विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार वर्ष 2011 में शहरी था।

उपग्रह के आंकड़ों का प्रयोग

8.89 दूरस्थ संवेदी प्रौद्योगिकी तथा संसाधित उपग्रह चित्रों के लिए यंत्र शिक्षण में हुई हालिया उन्नति के चलते हम इस संबंध में बहुत सूक्ष्म आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं कि भारत में शहरीकरण किस प्रकार हो रहा है (चित्र 3 देखें)। वैश्विक मानव बसावट

स्तर (जीएचएसएल)⁵ से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हम यह देखते हैं कि कैसे निर्मित क्षेत्र वर्ष 1975 से भारत में मानव बसावट के विकास को दर्शाते हैं। यह भी संभव है कि घनत्व और इन बसावटों के आकार के अनुसार सरकारी जनगणना के आंकड़ों को अलग-अलग कर लिया जाए ताकि देशभर की आबादी के सूक्ष्म आंकड़े प्राप्त किए जा सकें।

⁵ देखें: <https://ec.europa.eu/jrc>.

8.90 उपग्रह चित्रों के डाटासेट का उपयोग करते हुए, हम शहरी क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के लिए स्थानिक परिभाषाएं लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय आयोग विज्ञान केन्द्र का संयुक्त अनुसंधान केन्द्र, जो जीएचएसएल आंकड़े सृजित करता है, “उच्च घनत्व समूहों” (एचडीसी) को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं:-

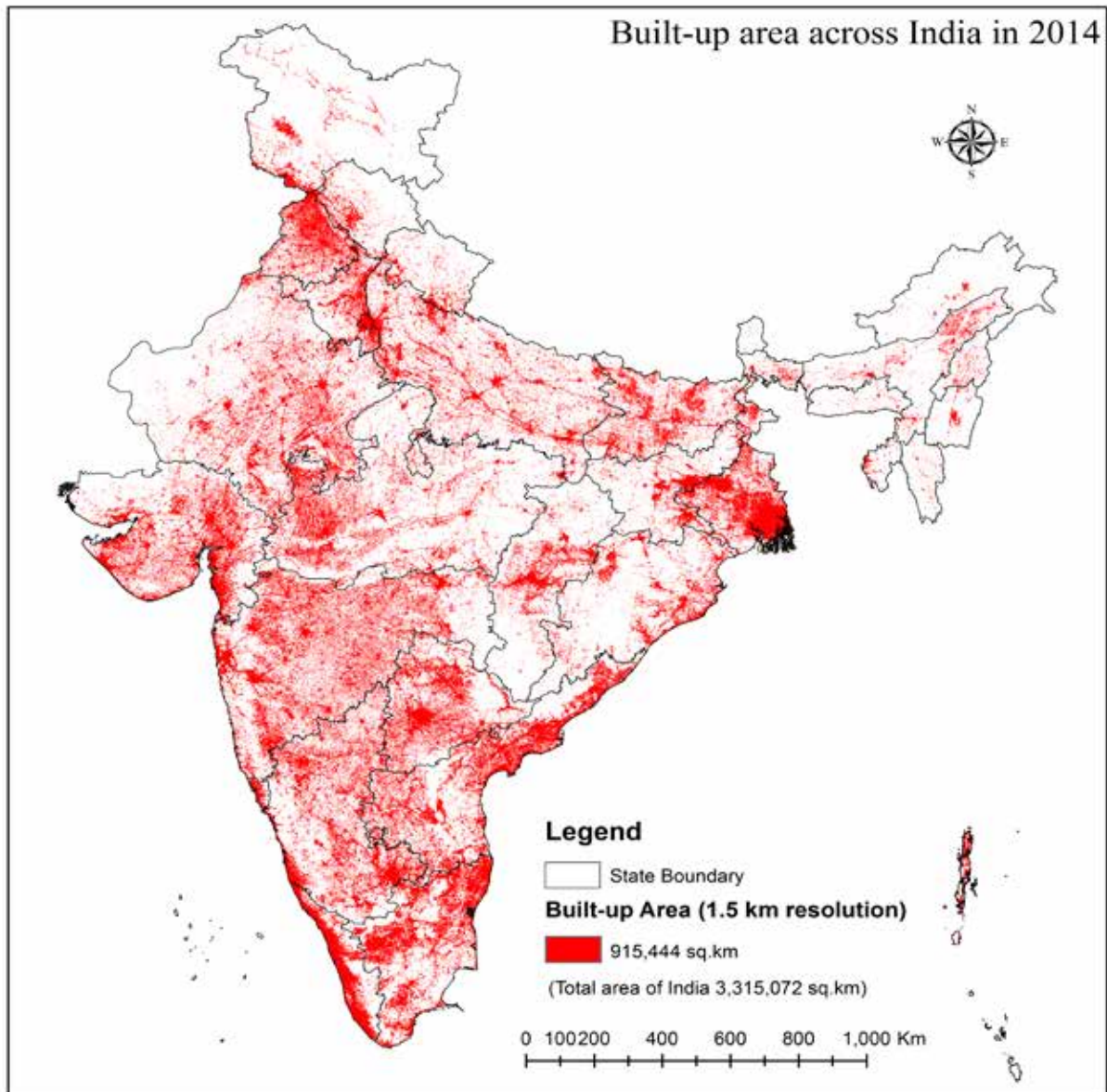
(क) कम से कम 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले 4 समीपस्थ स्थल

(ख) प्रति समूह कम से कम 50,000 व्यक्ति, और

(ग) 50 प्रतिशत से अधिक निर्मित क्षेत्र का घनत्व

8.91 अधिक विस्तृत आंकड़ों और उच्च घनत्व की बसावटों की वैज्ञानिक परिभाषा के आधार पर, भारत 2015 में 63 प्रतिशत शहरी था- 2011 की जनगणना द्वारा अनुमानित शहरीकरण की दर के दोगुने से अधिक। इसके अतिरिक्त, हम इन आंकड़ों के ज़रिए कहीं अधिक स्थानिक ब्यौरे प्राप्त कर सकते हैं जिससे ऐसी महत्वपूर्ण और गहरी अंतर्दृष्टि मिल सकती है जो केन्द्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर सरकारी नीति शीघ्र लागू करने में मददगार सिद्ध होगी।

मानचित्र 3: वर्ष 2014 में भारत में निर्मित क्षेत्र



बॉक्स 2: क्या भारत को “नियमों की पारदर्शिता अधिनियम” (टोरा) की आवश्यकता है?

लगभग सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि सुशासन के लिए ‘कानून का शासन’ अत्यावश्यक है। परिणामतः ‘कानून का शासन’ इस उम्मीद पर आधारित होता है कि सभी नागरिक देश के कानूनों से परिचित हैं तथा इनका पालन करेंगे। कानून की जानकारी न होना बचाव की कोई दलील नहीं मानी जाती। समस्या यह है कि भारत में साधारण नागरिकों और व्यवसायों के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा लागू किए गए नियमों, विनियमों, प्रारूपों, करों तथा प्रक्रियाओं की बहुलता में कुछ पता लगा पाना आसान नहीं है। इसके अलावा, ये नियम बार-बार बदलते रहते हैं तथा कभी-कभी एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। अक्सर नागरिक को वर्तमान अपेक्षाएं जानने के लिए परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं की बड़ी कागजी यात्रा करनी पड़ती है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम यहां नियमों/विनियमों की विषय-वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सिर्फ यह जानना आसान बनाना चाहते हैं कि नागरिक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है। नियमों का यह अपारदर्शी तंत्र इतना पेचीदा है कि सरकारी कर्मचारी को भी अक्सर अद्यतित संस्करण का ज्ञान नहीं होता है। यह स्थिति बड़ी अक्षमता, उत्पीड़न तथा देरी का कारण है। यकीनन यह भ्रष्टाचार तथा अंतहीन मुकदमेबाजी का मुख्य स्रोत भी है। नागरिक तथा सरकार के बीच रोजमर्रा के काम-काज के लिए भी प्रायः विशिष्ट ब्रोकर/दलाल की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यदि आम नागरिक को बोधगम्य प्ररूप में नवीनतम नियमों और विनियमों की जानकारी आसानी से मिल सके तो भारत को अपार लाभ होगा। उपर्युक्त समस्या के समाधान के लिए नियमों की पारदर्शिता अधिनियम (टोरा) एक उपाय हो सकता है। प्रस्तावित विधान में निम्नलिखित तीन घटक होंगे। हम यह महसूस करते हैं कि प्रत्येक घटक आवश्यक है और ये सभी मिलकर इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं:

- टोरा सभी विभागों के लिए यह अनिवार्य कर देगा कि नागरिक संबंधी प्रत्येक नियम, विनियम, प्ररूप तथा अन्य अपेक्षाओं को इसकी वेबसाइट पर (अधिमानतः अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषा में) डाला जाये। किसी विभाग के “टोरा-अनुरूप” घोषित हो जाने पर ऐसा कोई भी नियम जो वेबसाइट पर स्पष्ट रूप में नहीं दिया गया हो, लागू नहीं किया गया समझा जाएगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी को ऐसे नियम, प्रक्रिया अथवा प्ररूप लागू करने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया हो।

यह पूरी तरह से नया विचार बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस समय सभी राज्य और केन्द्रीय कानूनों के संबंध में अपेक्षित है कि उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह नया कानून इस सिद्धांत को इस रूप में कहता है कि कोई नियम तभी लागू होता है, यदि नागरिक उसे संबंधित विभाग या एजेंसी की वेबसाइट पर आसानी से ढूँढ सकता है। किसी भी परिपत्र को राजपत्र में अद्यतित दस्तावेजों या परिपत्रों के बड़े ढेर में लगा देना ही पर्याप्त नहीं है।

- टोरा में यह भी विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि सभी कानूनों नियमों और विनियमों को सदैव अद्यतित, एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नागरिकों को वर्तमान स्थिति जानने के लिए दशकों पुराने परिपत्रों की खाक छाननी पड़े। ऐसा कुछ स्थानों पर अस्थायी आधार पर किया जा रहा है, लेकिन यह उपयोगी नहीं है यदि कोई व्यक्ति इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता कि तथाकथित अद्यतित रूपांतरण अधिक्रमित नहीं हुआ है। विकीपीडिया द्वारा इस्तेमाल किया गया प्ररूप ऐसे प्ररूप की साधारण सी मिसाल है, जहां मुख्य पाठ को लगातार अद्यतित किया जा सकता है, लेकिन जहां लोगों को हो चुके परिवर्तन की तुलना करने के लिए दस्तावेज का इतिहास भी देखते को मिलता है। अद्यतित रूप में कानून प्रस्तुत किए जाने का एक अलिखित लाभ यह होगा कि इससे आंतरिक अंतर्विरोध स्पष्ट हो जाएंगे।
- टोरा का तीसरा महत्वपूर्ण घटक यह है कि वेबसाइटों पर हर बार परिवर्तन किए जाने की तारीख और समय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नियम पोस्ट किए जाने के बाद विनिर्दिष्ट समय (जैसे सात दिन) के बाद आमतौर पर कानून लागू हो जाएंगे। सिद्धांत यह है कि सरकार को नागरिकों को अनुपालन का पर्याप्त समय देना चाहिए। तारीख वाली मोहर का अर्थ यह है कि अधिकारी किसी विनियम को पूर्व प्रभाव से बदल नहीं सकते। यह ध्यान दिया जाए कि वेबसाइट पर डाला गया पाठ यदि गलत भी हो तो उसे कानून माना जाता है, जब तक उसकी त्रुटि दूर नहीं कर दी जाती। किसी भी भूल के लिए नागरिक को नहीं बल्कि विभाग को परिणाम भुगतने होंगे।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि टोरा को लागू करने के लिए तीनों घटकों की जरूरत होगी। इनमें से किसी एक घटक को छोड़ देने से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसके चलते अन्य घटक भी जल्द ही बेकार हो जाएंगे। टोरा की प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतें साधारण और सुस्थापित हैं तथा ये डिजिटल भारत के तंत्र में फिट बैठ रहा है। इसके कार्यान्वयन की लागत भी बहुत मामूली रहने की संभावना है। इसके अलावा, इसे एक बार में एक विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है और इसके लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी समन्वय की जरूरत नहीं है। किसी भी विभाग द्वारा इस प्लेटफार्म को अपना लिए जाने के बाद उसे “टोरा अनुरूप” माना जा सकता है और नागरिक इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि दी गई सूचना प्रामाणिक और अद्यतित है।

यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी प्रणाली प्रशासनिक तौर पर कार्यान्वित की जा सकती है और इसके लिए विधायी समर्थन की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह अधिनियम पारित किए जाने से पूर्व परियोजना को चालू कर सकता है लेकिन विधायी समर्थन के अभाव में यह अपने समय के कार्यकारी नेतृत्व पर बहुत अधिक आश्रित रहेंगी और यह स्थायी परिवर्तन भी नहीं होगा।

संकेताक्षर

देश का नाम	देश का कोड
Argentina	ARG
Bangladesh	BGD
Bolivia	BOL
Brazil	BRA
Chile	CHL
China	CHN
Costa Rica	CRI
Cyprus	CYP
Dominican Republic	DOM
Ecuador	ECU
Egypt, Arab Rep.	EGY
El Salvador	SLV
Haiti	HTI
Honduras	HND
India	IND
Indonesia	IDN
Iran, Islamic Rep.	IRN
Israel	ISR
Jamaica	JAM
Kenya	KEN
Korea, Rep.	KOR
Madagascar	MDG
Malaysia	MYS
Malawi	MWI
Mexico	MEX
Morocco	MAR
Nicaragua	NIC
Nigeria	NGA
Pakistan	PAK
Panama	PAN
Peru	PER
Philippines	PHL
Rwanda	RWA
South Africa	ZAF
Sri Lanka	LKA
Thailand	THA
Turkey	TUR
Uganda	UGA
Uruguay	URY
Venezuela, RB	VEN
Zambia	ZMB

राज्य संकेताक्षर की सूची

संकेताक्षर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
AP	Andhra Pradesh
AR	Arunachal Pradesh
AS	Assam
BR	Bihar
CG	Chhattisgarh
GA	Goa
GJ	Gujrat
HR	Haryana
HP	Himachal Pradesh
JK	Jammu and Kashmir
JH	Jharkhand
KA	Karnataka
KL	Kerala
MP	Madhya Pradesh
MH	Maharashtra
MN	Manipur
ML	Meghalaya
MZ	Mizoram
NL	Nagaland
OR	Orissa
PB	Punjab
RJ	Rajasthan
SK	Sikkim
TN	Tamil Nadu
TR	Tripura
UK	Uttarakhand
UP	Uttar Pradesh
WB	West Bengal
TN	Tamil Nadu
AN	Andaman and Nicobar Islands
CH	Chandigarh
DH	Dadra and Nagar Haveli
DD	Daman and Diu
DL	Delhi
LD	Lakshadweep

परिशिष्ट 3. सांख्यिकी परिशिष्ट का संलग्नक : दौर-वार शहर

#	शहर का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
20 लाइट हाऊस शहर		
1	भुवनेश्वर	ओड़ीशा
2	पुणे	महाराष्ट्र
3	जयपुर	राजस्थान
4	सूरत	गुजरात
5	कोच्चि	केरला
6	अहमदाबाद	गुजरात
7	जबलपुर	मध्य प्रदेश
8	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
9	शोलापुर	महाराष्ट्र
10	देवांग्री	कर्नाटक
11	इंदौर	मध्य प्रदेश
12	एनडीएमसी	दिल्ली
13	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
14	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश
15	बेलागवी	कर्नाटक
16	उदयपुर	राजस्थान
17	गुवाहाटी	असम
18	चैन्नई	तमिलनाडु
19	लुधियाना	पंजाब
20	भोपाल	मध्य प्रदेश
13 फास्ट ट्रैक शहर		
1	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
2	वारंगल	तेलंगाना
3	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
4	चंडीगढ़	चंडीगढ़
5	रायपुर	छत्तीसगढ़
6	न्यूटाउन कोलकाता	पश्चिम बंगाल
7	भागलपुर	बिहार
8	पणजी	गोवा
9	पोर्ट ब्लेयर	अण्डमान एंड निकोबार द्वीप समूह
10	इम्फाल	मणिपुर
11	रांची	झारखंड
12	अगरतला	त्रिपुरा
13	फरीदाबाद	हरियाणा
27 राउंड 2 शहर		
1	अमृतसर	पंजाब
2	कल्याण-डोम्बिवली	महाराष्ट्र
3	उज्जैन	मध्य प्रदेश

#	शहर का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
4	तिरुपति	आंध्र प्रदेश
5	नागपुर	महाराष्ट्र
6	मंगलुरु	कर्नाटक
7	वैल्लूर	तमिलनाडु
8	थाणे	महाराष्ट्र
9	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
10	आगरा	उत्तर प्रदेश
11	नासिक	महाराष्ट्र
12	राउरकेला	ओडिशा
13	कानपुर	उत्तर प्रदेश
14	मदुरै	तमिलनाडु
15	तुमकुरु	कर्नाटक
16	कोटा	राजस्थान
17	तंजौर	तमिलनाडु
18	नामची	सिक्किम
19	जालंधर	पंजाब
20	शिवमोगा	कर्नाटक
21	सेलम	तमिलनाडु
22	अजमेर	राजस्थान
23	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
24	कोहिमा	नागालैंड
25	हुबली-धारवाड़	कर्नाटक
26	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
27	वडोदरा	गुजरात

परिशिष्ट-4 उपग्रह द्वारा चित्र निकालना एवं प्रक्रियान्वयन का स्पष्टीकरण

प्राथमिक डाटा स्रोत: निर्माण संबंधी विश्लेषण ग्लोबल ह्यूमन सेटलमेंट्स लेयर (जीएचएसएल) से प्राप्त संसाधित उपग्रह चित्रों का उपयोग करके किया गया है। यूरोपियन कमीशन में ग्रुप ऑन अर्थ आब्ज़र्वेशन द्वारा निकाले और संसाधित, जीएचएसएल पिछले कई दशकों से संगृहीत किए गए विभिन्न उपग्रह चित्रों के संयोजन का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। यह निर्माण मानचित्रों, जनसंख्या घनत्व के मानचित्रों तथा बसावट के मानचित्रों के रूप में है। यह सूचना नई स्थानिक डाटा प्राप्ति प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके साक्ष्य आधारित विश्लेषण और ज्ञान से तैयार की जाती है। इस रूपरेखा में श्रेष्ठ उपग्रह चित्रों के वैश्विक संग्रह, जनगणना आंकड़ों तथा स्वतः दी गई भौगोलिक सूचना सहित विविध आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। ये आंकड़े पूरी तरह से स्वचालित रूप से संसाधित किए जाते हैं तथा विश्लेषणात्मक ज्ञान और जानकारी देते हैं जिसमें आबादी की उपस्थिति तथा निर्मित अवसंरचना के बारे में वस्तुपरक और व्यवस्थित जानकारी दी जाती है। वर्तमान अध्ययन में चार वृहत समय अंतराल अर्थात् 1975, 1990, 2000 तथा 2014 का उपयोग किया गया है। यह विधि अभी भी प्रायोगिक अवस्था में है तथा हमें उम्मीद है कि हम इसे परिष्कृत करेंगे तथा बहुत से नए क्षेत्रों और भू-क्षेत्रों में लागू करेंगे।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र आज भी भारत के आर्थिक विकास का मुख्य संचालक है और इस क्षेत्र ने 2016-17 में देश के सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि के लगभग 62 प्रतिशत का योगदान किया। लेकिन इस क्षेत्र का विकास पूर्ववर्ती वर्ष में हासिल 9.7 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 2016-17 में 7.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गया, हालांकि यह कृषि और उद्योग के अन्य दो क्षेत्रों के मुकाबले अधिक बनी हुई है और 15 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लगभग शीर्ष स्तर पर भी है। संकट के बाद की अवधि में सेवा-निर्यातों की वृद्धि में तेजी से गिरावट हुई, यहां तक कि 2016-17 में धीमी सी वृद्धि के साथ सकारात्मक परिधि में लौटने से पूर्व ये 2015-16 में नकारात्मक भी हो गई थी। सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं जैसेकि डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा पर्यटन और पोत-परिवहन संबंधी नीतियां। इन उपायों के साथ-साथ जीएसटी और एफडीआई उदारीकरण ने इस क्षेत्र के लिए विकास की संभावनाओं को उज्ज्वल बनाया है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना

वैश्विक सेवा जीवीए

9.1 वर्ष 2015 में, समग्र जीडीपी के अनुसार विश्व की शीर्ष 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। यह 2014 में 9वें स्थान से 2015 में 7वें स्थान पर पहुंच गई। तथापि, सेवा सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के अनुसार, भारत की स्थिति को नुकसान हुआ। यह 2014 में 10वें स्थान से गिरकर 2015 में 13वें स्थान पर आ गई। समग्र जीडीपी और सेवा जीवीए दोनों के अनुसार, यूएसए का स्थान प्रथम रहा, जबकि चीन का स्थान दूसरा और छठा है। 2015 में वैश्विक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 70.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर रहा। सेवा के भाग में (चालू मूल्यों पर) आंशिक सुधार हुआ। वर्ष 2014 में 66.2 प्रतिशत की तुलना में, यह बढ़कर 67.2 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, यह 2001 में हासिल किए गए 68.8 प्रतिशत के मुकाबले अभी भी कम है।

9.2 इन शीर्ष 15 राष्ट्रों में, 2001-15 की अवधि

में, जीवीए के मुकाबले सेवा भाग में उच्चतम वृद्धि चीन (8.9 पीपी) द्वारा दर्ज की गई थी, जिसके पश्चात स्पेन (8.1 पीपी), भारत (7.6 पीपी) और रूस (7.6 पीपी) का स्थान था। परंतु, 2010-15 की अवधि के दौरान, भारत ने 8.5 प्रतिशत की दर से उच्चतम चक्रवर्धी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल की थी, जिसके बाद 8.4 प्रतिशत की दर से चीन का स्थान था। 2014 की तरह 2015 में, विश्व के लिए सेवा जीवीए वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) 2.6 प्रतिशत थी, जबकि भारत के लिए यह दर 2014 और 2015 दोनों में क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत की दर से उच्चतम थी, इसके बाद चीन का स्थान था, जिसकी इन्हीं वर्षों के लिए यह दर क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत थी (सारणी 1)।

9.3 कुछ देशों के उपलब्ध नवीनतम जीडीपी आकलनों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि सामान्य रही। संयुक्त राज्य अमरीका में, सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2015 में 2.8 प्रतिशत से घटकर 2016 में 1.9 प्रतिशत रह गई जिसका मुख्य कारण रियल एस्टेट, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में गिरावट थी। चीन में

सारणी 1. सेवा क्षेत्र का निष्पादन: अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	रैंक		सेवा वृद्धि दर			सेवाओं का हिस्सा			सेवा निर्यात वृद्धि			
	जीडीपी समग्र	जीवीए सेवा	(प्रतिशत) वर्षानुवर्ष		सीएजीआर 2010-15	जीवीए 2015	रोजगार 2016*	कुल निर्यात 2016	(प्रतिशत) वर्षानुवर्ष		सीएजीआर 2001-08	सीएजीआर 2010-16
			2001	2015					2001	2016		
यूएसए	1	1	2.0	2.8	1.6	79.3	80.0	33.5	-3.6	0.3	9.5	5.1
चीन	2	6	10.3	8.3	8.4	49.7	42.4	9.0	9.1	-4.3	23.6	2.6
यूके	5	4	3.4	2.4	2.2	79.9	80.0	44.6	-0.8	-4.9	14.5	3.3
भारत	7	13	7.2	9.0	8.5	53.2	28.6	37.9	4.8	3.6	30.0	5.6
ब्राजील	9	10	2.2	-2.7	1.3	72.0	68.9	14.9	-2.7	-1.3	18.6	1.8
द. कोरिया	11	12	4.9	2.9	3.0	59.7	70.2	15.6	-4.9	-5.0	17.4	1.8
मैक्सिको	15	9	1.1	3.6	3.4	60.4	61.2	6.1	-7.5	5.3	5.3	7.9
विश्व			2.6	2.6	2.4	67.2	50.9	23.0	0.1	0.4	14.9	3.8

स्रोत: जीडीपी/जीवीए के लिए यूएन नेशनल एकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, रोजगार के लिए विश्व बैंक डाटाबेस तथा सेवा व्यवसाय के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) डाटाबेस से संगणित।

टिप्पणी: रैंक और हिस्सा चालू मूल्यों (2015) पर आधारित हैं; वृद्धि दरें सतत मूल्यों (यूएस डालर) पर आधारित हैं; निर्माण क्षेत्र सेवा जीडीपी में शामिल नहीं है; *चीन, भारत और विश्व के लिए 2016 में रोजगार आंकड़ों के लिए निकटतम पिछले वर्ष के उपलब्ध आंकड़े प्रयोग किए गए हैं।

भी, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में मामूली गिरावट आई। यह 2015 में 8.3 प्रतिशत से गिरकर 2016 में 7.8 प्रतिशत पर आ गई। भारत में, सामान्य रुझान के अनुसरण में, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2015-16 में 9.7 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 7.7 प्रतिशत रह गई, यह चीन की तुलना में भले ही थोड़ी कम हो, परंतु अन्य देशों के मुकाबले अभी भी उच्च है।

वैश्विक सेवा रोजगार

9.4 सेवा प्रदान करने वाले शीर्ष 15 देशों में, रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा अधिकतर देशों में 2016 में कुल रोजगार के दो-तिहाई से अधिक बैठता है, जबकि भारत, चीन और मैक्सिको में यह हिस्सेदारी कम है। इसमें भारत का 28.6 प्रतिशत का हिस्सा सबसे कम है। इन 15 देशों में से, 2001 से 2006 के बीच विगत 15 वर्ष की अवधि में, चीन में सेवा रोजगार के हिस्से (14.7 पीपी) में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, जबकि भारत में यह वृद्धि केवल 4.6 पीपी थी (सारणी 1)।

वैश्विक सेवा व्यापार

9.5 वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात की सीएजीआर

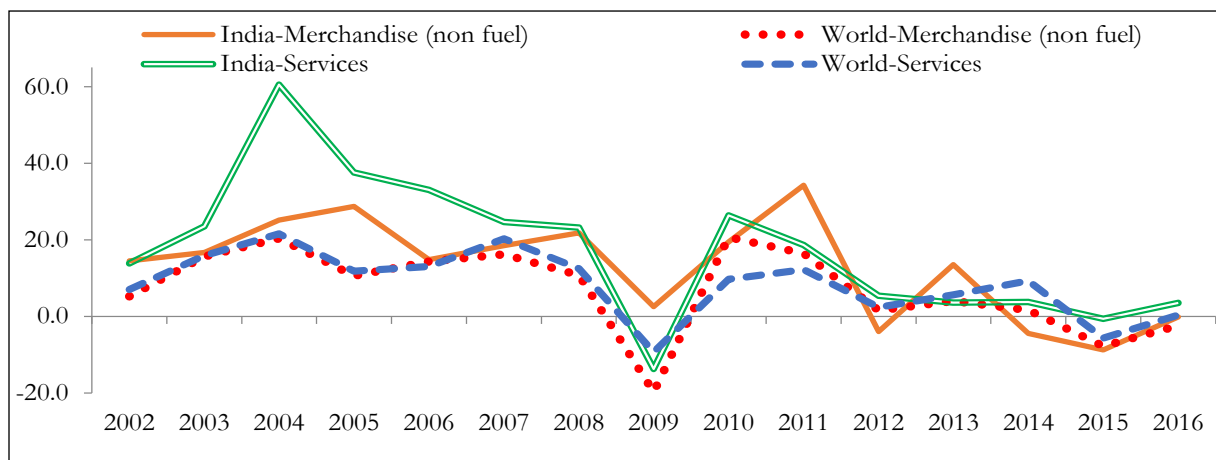
संकट-पूर्व अवधि (2001-2008) के दौरान हासिल की गई 14.9 प्रतिशत की तुलना में संकट-पश्च अवधि (2010-16) के दौरान घटकर 3.8 प्रतिशत पर आ गई। संकट-पूर्व अवधि में, सेवा प्रदान करने वाले शीर्ष 15 देशों में, भारत की सेवा निर्यात सीएजीआर सबसे तेज 30 प्रतिशत थी, जिसके बाद 26 प्रतिशत के साथ रूस और 23.6 प्रतिशत के साथ चीन का स्थान था। तथापि, संकट-पश्च अवधि (2010-2016) के दौरान, सभी अर्थव्यवस्थाओं में सेवा निर्यात सीएजीआर में गिरावट आई। सबसे अधिक वृद्धि मैक्सिको में 7.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसके बाद भारत में यह 5.6 प्रतिशत रही। चीन 2.6 प्रतिशत के साथ काफी दूर, 8वें स्थान पर, था। 2015 में, जबकि वैश्विक व्यापार निर्यात (ईंधन को मिलाकर और छोड़कर दोनों), वैश्विक सेवा निर्यात में वृद्धि हुई थी, भारत का वस्तु निर्यात (ईंधन को मिलाकर और छोड़कर दोनों) और भारत का सेवा निर्यात सभी नकारात्मक श्रेणी में थे, वैश्विक सेवा निर्यात के मामले में -5.7 नकारात्मक वृद्धि की तुलना में भारत के सेवा निर्यात के मामले में -0.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह केवल मामूली रूप से नकारात्मक था (चित्र 1क)।

तथापि, वर्षों बाद भारत के सेवा निर्यात में अधिक गिरावट आई है। समयावधि को दो भागों—संकट-पूर्व और संकट-पश्च में विभाजित कर देने पर यह सामने आता है कि भारत के और विश्व के सेवा निर्यातों में वृद्धि रुझान में संकट-पूर्व अवधि में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं थे, जबकि संकट के बाद की अवधि में भारत के सेवा निर्यातों में वृद्धि रुझान में गिरावट वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से आई थी (चित्र 1 ख)। यह गिरावट सामान्य वैश्विक माहौल के कारण थी, जिसमें 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट भी शामिल था, 2010 में भारत के सेवा निर्यातों की धीमी पुनर्बहाली जारी न रह सकी, जिसका कारण आगामी वर्षों

में कम्प्यूटर और वित्तीय सेवाओं जैसी मुख्य सेवाओं में निर्यातों की धीमी और नकारात्मक वृद्धि थी।

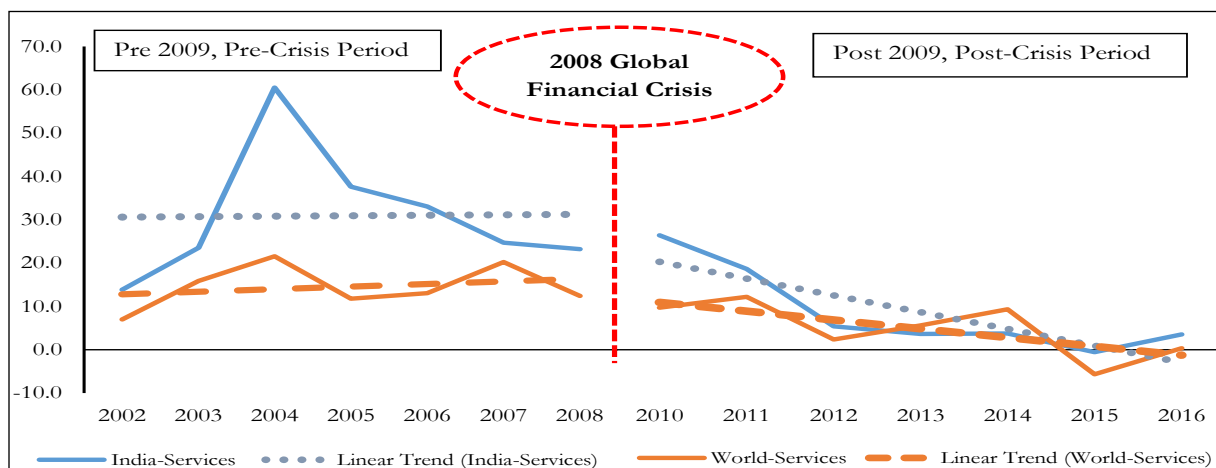
9.6 वर्ष 2016 के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अनेक अर्थव्यवस्थाओं के लिए सेवा निर्यात वृद्धि नकारात्मक श्रेणी में है, यद्यपि भारत के लिए 3.6 प्रतिशत पर यह सकारात्मक है और 0.4 प्रतिशत की वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि की तुलना में उच्च है। जहां जापान, आस्ट्रेलिया, स्पेन और मैक्सिको जैसे देशों के लिए भी यह सकारात्मक और भारत से उच्च है, वहीं चीन के लिए यह -4.3 प्रतिशत के साथ नकारात्मक है।

चित्र 1क. व्यापार (ईंधन-भिन्न) और सेवा निर्यातों में वृद्धि: विश्व और भारत (प्रतिशत)



स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप और डब्ल्यूटीओ डाटा पर आधारित

चित्र 1ख. विश्व और भारत में सेवा निर्यात वृद्धि दर: 2009 से पूर्व और पश्च की तुलना (प्रतिशत)



स्रोत: डब्ल्यूटीओ डाटा पर आधारित

वैश्विक सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

9.7 2015 में सेवा क्षेत्र, वैश्विक एफडीआई स्टॉक का 65 प्रतिशत बैठता था, यद्यपि इसका एक बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र और विनिर्माण एमएनई से सहबद्ध ऐसी संस्थाओं से संबंधित है, जो सेवाओं जैसे कार्यकलापों का निष्पादन करती हैं और किसी पूर्वनिर्धारित (डिफाल्ट) श्रेणी के रूप में सेवा के अंतर्गत आती हैं, इस प्रकार सेवा में बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई एफडीआई एक-तिहाई से अधिक है (वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2017)। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2017-19 में वैश्विक एफडीआई कार्यकलापों के लिए अधिशासियों के अनुमान दर्शाते हैं कि 65 प्रतिशत प्रतिक्रियादाताओं को सेवा में वृद्धि होने की आशा है। बढ़ते डिजिटाइजेशन से, सेवा में अधिक निवेश होने की उम्मीद है। आवक निवेश के समग्र क्षेत्रीय पैटर्न विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में समरूप हैं, परंतु सेवा एफडीआई में विकासशील एशिया सेवाओं का काफी अधिक हिस्सा होने के चलते विकासशील क्षेत्रों में इस पैटर्न संबंधी विभिन्नताएं हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि हांगकांग में सबसे अधिक निवेश हुआ है (वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2016)।

9.8 यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (यूएनसीटीएडी) के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनीटर, फरवरी 2017 अंक के अनुसार, 2016 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह 1.52 ट्रिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित स्तर पर पहुंच कर 13 प्रतिशत कम हो गए क्योंकि वैश्विक आर्थिक विकास कमजोर रहा और विश्व व्यापार में भी कुछ खास उछाल नहीं आया। इस रुझान के अनुरूप, सेवा में वैश्विक एफडीआई में कमी होने की संभावना है।

भारत का सेवा क्षेत्र

सेवा जीवीए और सकल पूंजी निर्माण

9.9 वर्ष 2016-17 के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के अनंतिम अनुमानों (पीई) के अनुसार सेवा क्षेत्र वृद्धि (अर्थात् स्थिर (2011-12) मूल कीमतों पर जीवीए) पिछले दो वर्षों में 9.7 प्रतिशत से गिरकर 7.7 प्रतिशत रह गया है, जिसका मुख्य कारण

दो सेवा श्रेणियों-व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं (7.8 प्रतिशत) तथा वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं (5.7 प्रतिशत) में वृद्धि में कमी आना है। तथापि, लोक प्रशासन और अन्य सेवा श्रेणी में वृद्धि दर पिछले वर्ष में 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गई है, जिसका मुख्य कारण 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन है। चालू कीमतों पर, पिछले कुल सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा पिछले चार वर्षों से लगातार बढ़ा है। यह 2011-12 में 53.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 60.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। लेकिन 2015-16 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर सेवा जीसीएफ की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत है जोकि 2014-15 की तुलना में लगभग आधी है। इसका मुख्य कारण रियल एस्टेट, रिहायशी और पेशेवर सेवाओं के स्वामित्व में -2.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि है। फिर भी सेवा जीसीएफ वृद्धि, कुल जीसीएफ वृद्धि के मुकाबले में उच्च बनी हुई है (सारणी 2)।

सेवा का राज्य-वार विश्लेषण

9.10 जिन 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए सीएसओ द्वारा नए आधार 2011-12 श्रृंखला के लिए आंकड़े जारी किए गए हैं, वर्ष 2016-17 के लिए, उनमें से केवल 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े उपलब्ध हैं और 2015-16 के लिए 23 राज्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्र का वर्चस्व है, जो 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का आधे से अधिक है तथा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक योगदान दे रहा है। अधिकतर राज्यों में मुख्य सेवाएं व्यापार, होटल और रेस्तरां हैं, जिनके पश्चात् रियल एस्टेट, रिहायशी और व्यवसाय सेवाओं के स्वामित्व का स्थान है। 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से, जिनके लिए 2015-16 के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, सेवा जीएसवीए के भाग के अनुसार 88.4 प्रतिशत के साथ छत्तीसगढ़ का स्थान सबसे ऊपर है, जबकि 16.4 प्रतिशत की सेवा जीएसवीए वृद्धि के अनुसार झारखंड का स्थान सबसे ऊपर है (चित्र 2)।

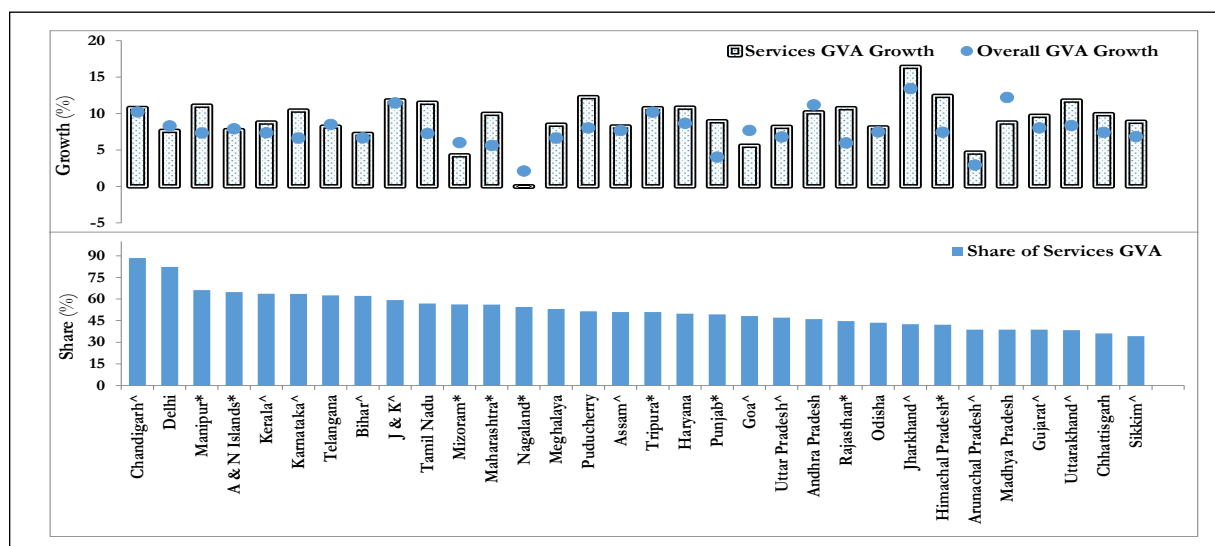
सारणी 2. भारत के सेवा क्षेत्र का हिस्सा और इसमें वृद्धि (आधार मूल्य पर जीवीए)

	जीवीए (प्रतिशत)			जीसीएफ (प्रतिशत)	
	2014-15	2015-16	2016-17@	2014-15	2015-16
कुल सेवाएं	51.8(9.7)	52.9(9.7)	53.8(7.7)	59.8(14.0)	60.3(7.6)
व्यवसाय, मरम्मत, होटल तथा रेस्तरा	11.4(9.2)	11.4(11.2)	18.4(7.8)*	9.4(57.6)	10.1(16.1)
व्यवसाय और मरम्मत सेवाएं	10.4(9.4)	10.4(10.9)	NA	8.4(51.4)	8.7(11.3)
होटल तथा रेस्तरा	1.0(6.3)	1.0(14.4)	NA	1.0(140.1)	1.5(56.8)
यातायात, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं	6.8(8.8)	7.0(9.3)	NA	6.1(-28.1)	6.4(9.9)
रेलवे	0.8(9.4)	0.8(7.0)	NA	1.7(43.1)	1.9(14.7)
सड़क यातायात	3.2(6.5)	3.2(6.7)	NA	2.0(43.1)	2.0(5.5)
हवाई यातायात	0.1(14.0)	0.2(16.8)	NA	0.2(21.6)	0.0(-92.3)
वित्तीय सेवाएं	5.7(9.0)	5.8(6.8)	21.1(5.7)^	1.6(67.4)	1.8(16.8)
रियल एस्टेट, आवासीय और पेशेवर सेवाओं का स्वामित्व	14.8(12.1)	15.3(12.5)	NA	28.8(18.9)	26.7(-2.4)
लोक प्रशासन और रक्षा तथा अन्य निर्माण	13.0(8.1)	13.4(6.9)	14.2(11.3)	13.8(9.1)	15.4(20.2)
	8.6(4.7)	8.1(5.0)	7.6(1.7)	5.5(25.0)	5.0(-2.4)
कुल सेवाएं (निर्माण सहित)	60.4(8.9)	61.0(9.1)	61.4(6.9)	65.3(14.9)	65.3(6.7)
आधार मूल्यों पर कुल जीवीए/जीसीएफ	100.0(7.2)	100.0(7.9)	100.0(6.6)	100.0(7.5)	100.0(6.2)
जीडीपी बाजार मूल्य (सतत् मूल्य) वर्षानुवर्ष	(7.5)	(8.0)	(7.1)		

स्रोत: सीएसओ डाटा से संगणित।

टिप्पणी: हिस्से चालू मूल्यों में हैं और वृद्धि सतत 2011-12 मूल्यों में है; कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वृद्धि दर इंगित करते हैं; @ 2016-17 के लिए अनंतिम आंकड़े; *परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं भी शामिल हैं; ^रियल एस्टेट, आवासीय और पेशेवर सेवाओं का स्वामित्व भी शामिल है।

चित्र 2. राज्यों में सेवाओं का हिस्सा और वृद्धि (2016-17)



स्रोत: सीएसओ डाटा से संगणित।

टिप्पणी: *2014-15, ^2015-16, चालू मूल्यों में हिस्सा और स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वृद्धि।

भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई

9.11 यद्यपि सेवाओं में एफडीआई के वर्गीकरण में अस्पष्टता है फिर भी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की सेवा क्षेत्र की परिभाषा के अधीन आने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवा जैसे शीर्ष 10 सेवा क्षेत्रों के संयुक्त एफडीआई हिस्से को; दूर-संचार; व्यापार, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर; निर्माण; होटल और पर्यटन; अस्पताल और निदान केंद्र; परामर्शी सेवाएं; समुद्री परिवहन; तथा सूचना एवं प्रसारण सेवा एफडीआई के सर्वश्रेष्ठ अनुमान वाले क्षेत्र के रूप में लिया जा सकता है, हालांकि इनमें कुछ सेवा-भिन्न कारकों को शामिल किया जा सकता है। यह हिस्सा अप्रैल 2000 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों का 55.3 प्रतिशत है और 2016-17 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों का 60.7 प्रतिशत है। यदि खुदरा व्यापार, कृषि सेवाओं, शिक्षा, पत्तन और हवाई यातायात जैसी अन्य 5 सेवाओं या सेवा-संबंधी क्षेत्रों का हिस्सा शामिल किया जाता है, तो उपर्युक्त दो अवधियों

के लिए सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों का कुल हिस्सा बढ़कर क्रमशः 57.4 प्रतिशत और 62.4 प्रतिशत हो जाएगा।

9.12 वर्ष 2014-15 और 2015-16 में सामान्यतया (27.3 प्रतिशत और 29.3 प्रतिशत) तथा विशिष्ट रूप से सेवाएं क्षेत्र (15 शीर्ष सेवाओं के लिए 67.3 प्रतिशत और 64.3 प्रतिशत) में एफडीआई अंतर्वाहों में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, 2016-17 में, एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों में वृद्धि दर सामान्य रही। कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह सामान्य 8.7 प्रतिशत बढ़कर 43.5 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया और सेवा क्षेत्र (शीर्ष 15 सेवाएं) में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 1.5 प्रतिशत घटकर 27.2 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। सेवा एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में इस नकारात्मक वृद्धि का मुख्य कारण कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर, निर्माण, व्यापार और होटल तथा पर्यटन में नकारात्मक वृद्धि रहा (सारणी 3)।

सारणी 3. सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्र.	क्षेत्र	मूल्य (मिलियन यूएस\$ में)	कुल का प्रतिशत (%)	वृद्धि दर (%)	
		2016-17	2016-17	2015-16	2016-17
1	सेवा क्षेत्र*	8684	20.0	55.1	26.0
2	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर	3652	8.4	157.2	-38.2
3	निर्माण #	1966	4.5	182.0	-57.5
4	कारोबार	2338	5.4	41.0	-39.2
5	होटल और पर्यटन	916	2.1	71.5	-31.3
6	दूरसंचार	5564	12.8	-54.3	320.1
7	सूचना और प्रसारण	1517	3.5	295.9	50.3
8	अस्पताल और निदान केंद्र	747	1.7	30.7	0.7
9	परामर्शी सेवाएं	261	0.6	13.0	-49.5
10	समुद्री यातायात	735	1.7	28.8	71.2
	शीर्ष 10 सेवा श्रेणियां (1-10)	26380	60.7	62.4	-0.9
	शीर्ष 15 सेवाएं	27151	62.4	64.3	-1.5
	कुल एफडीआई अंतर्वाह	43478	100.0	29.3	8.7

स्रोत: औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के आंकड़ों पर आधारित।

टिप्पणी: *वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, आरएंडडी, कोरियर, प्रौद्योगिकी परीक्षण और विश्लेषण; #अवसंरचना कार्यकलापों और टाउनशिप, आवासीय, तैयार अवसंरचना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं को मिलाकर।

9.13 पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने कई सुधार किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत निवेश के लिए उत्तरोत्तर रूप से आकर्षक स्थान बना रहे। इन सुधारों के स्तर का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस अवधि के दौरान, सेवा कार्यकलापों को भी शामिल करते हुए 21 क्षेत्रों और एफडीआई नीति के 87 क्षेत्रों को कवर करते हुए सुधार किए गए हैं। निर्माण विकास, प्रसारण, खुदरा व्यापार, हवाई यातायात, बीमा और पेंशन जैसे क्षेत्रों से संबंधित एफडीआई नीति प्रावधानों में व्यापक सुधार किए गए थे। इसके अलावा, इस शर्त को पूरा किए बिना कि ऐसे खाद्य उत्पादों का विनिर्माण और/या उत्पादन भारत में हुआ हो, खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत एफडीआई, किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय क्षेत्र कार्यकलाप के लिए स्वचालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत एफडीआई अनुमत करने के लिए एफडीआई नीति में संयोजन सीमाओं की शुरुआत करने जैसे उपाय भी किए गए थे और सबसे श्रेष्ठ सुधारात्मक उपाय हाल

ही में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त करने का था।

भारत का सेवा व्यापार

9.14 वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट तक, लगभग एक दशक तक भारत के सेवा निर्यातों में काफी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। सेवा निर्यात वृद्धि की 1994-95 से 2004-2005 के दौरान 21.6 प्रतिशत सीएजीआर थी, जो 2005-06 से 2014-15 के दौरान गिरकर 11.9 प्रतिशत रह गई। अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों और कमजोर बाहरी मांग के परिणामस्वरूप, भारत की सेवा निर्यात वृद्धि भी पांच वर्षों की अवधि के बाद 2015-16 में -2.4 प्रतिशत के साथ नकारात्मक रूप में परिवर्तित हो गई। 2016-17 में, परिवहन व्यवसाय सेवा और वित्तीय सेवाओं जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उछाल; और यात्रा में अच्छी वृद्धि के साथ 5.7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 4)। विदेशी पर्यटक आगमन, यात्रा से प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई, जो सेवा निर्यात के 14.2 प्रतिशत से अधिक बैठती

सारणी 4. भारत की मुख्य सेवाओं का व्यावसायिक निष्पादन

	मूल्य (बिलियन यूएस\$ में)	शेयर (%)	वार्षिक वृद्धि (%)	
	2016-17	2016-17	2015-16	2016-17
सेवा निर्यात	163.1	100.0	-2.4	5.7
यात्रा	23.2	14.2	4.6	9.3
यातायात	15.9	9.7	-19.9	13.2
विविध	121.2	74.3	-0.9	4.1
सॉफ्टवेयर सेवा	73.7	45.2	1.4	-0.7
व्यवसाय सेवा	32.9	20.2	2.0	13.6
वित्तीय सेवा	5.1	3.1	-12.7	3.1
सेवा आयात	95.7	100.0	3.7	13.0
यात्रा	16.4	17.2	-3.4	11.1
यातायात	14.1	14.8	-6.8	-6.3
विविध	63.0	65.9	9.8	19.5
सॉफ्टवेयर सेवा	3.6	3.7	-0.3	32.9
व्यवसाय सेवा	32.3	33.7	12.5	3.7
वित्तीय सेवा	5.9	6.1	-12.4	86.7
निवल सेवा निर्यात	67.5	100.0	-9.0	-3.2

स्रोत: आरबीआई के भुगतान संतुलन (बीओपी) डाटा (बीपीएम-5) पर आधारित।

है जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष में 4.6 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। 2015-16 में परिवहन सेवा निर्यात 19.9 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 2016-17 में 13.2 प्रतिशत तक बढ़ गया, जिससे वाणिज्यिक व्यापार कार्यकलाप में सुधार प्रतिबिंबित होता है। व्यवसाय सेवा निर्यात में पिछले वर्ष में 2 प्रतिशत की तुलना में 13.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की गई और वित्तीय सेवा निर्यात पिछले वर्ष में 12.7 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 3.1 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात, जो कुल सेवा का 45.2 प्रतिशत बैठता है, में 0.7 प्रतिशत तक की मामूली गिरावट आई क्योंकि घरेलू कंपनियों ने परंपरागत सेवाओं पर कीमत निर्धारण के दबाव और चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यावसायिक माहौल का सामना किया था।

9.15 वर्ष 2016-17 में भारत के सेवा आयात में 13.0 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से वित्तीय सेवा और सॉफ्टवेयर श्रेणी में दो मुख्य सेवाओं, यात्रा सेवा और विविध सेवा श्रेणी के लिए किए गए भुगतानों के कारण थी। सेवा क्षेत्र में गिरावट और सेवा आयात वृद्धि में उछाल के परिणामस्वरूप 2015-16 में निवल सेवा प्राप्तियां 9.0 प्रतिशत तक घट गईं। 2016-17 में, सेवा निर्यात में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, निवल सेवा प्राप्तियां 3.2 प्रतिशत तक घट गईं जबकि यह वृद्धि सेवा निर्यातों में हुई वृद्धि के सापेक्ष उच्च थी। निवल सेवा अधिशेष से भारत के व्यापार घाटे के लगभग 60 प्रतिशत का वित्तपोषण हुआ।

सेवा व्यापार नीतियों और सेवा वार्ताओं में कुछ हालिया उपलब्धियां

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय

9.16 इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

डब्ल्यूटीओ में सेवा में व्यापार सुविधा (टीएफएस) संबंधी भारत की प्रस्तुति: भारत ने 22 फरवरी, 2017 को डब्ल्यूटीओ में टीएफएस संबंधी विधिक मसौदा पटल पर रखा। भारत के टीएफएस प्रस्ताव के पीछे उद्देश्य डब्ल्यूटीओ में इस बात पर चर्चाएं आरंभ करना है कि सीमा और सीमा-पार के अनेक अवरोधों, आपूर्ति के

सभी तरीकों का व्यापक समाधान कैसे किया जाए तथा सेवा में व्यापार को सुगम बनाने से संबंधित पारदर्शिता, सुगमता प्रक्रियाओं एवं अवरोधों को समाप्त करने जैसे प्रासंगिक मुख्य मुद्दों का समाधान कैसे किया जाए।

डब्ल्यूटीओ में मॉड 4 (सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रकृत व्यक्तियों के अस्थाई आधार पर आवागमन के माध्यम से व्यापार) संबंधी भारत की प्रस्तुति: भारत ने मार्च, 2016 में “मॉड 4: एस्सेमेंट ऑफ बेरियर्स टु एंट्री” के संबंध में डब्ल्यूटीओ में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें मॉड 4 प्रविष्टि में अवरोधों के बढ़ते जटिल स्वरूप का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया। इनमें इंटरा-कॉर्पोरेट अंतरितियों के अधीन उप-श्रेणियों की विषयक परिभाषाएं, जिनके चलते प्रामाणिक आवेदन रद्द होते हैं, और प्रतिबद्धताओं का महत्व कम हो जाता है तथा सामाजिक सुरक्षा योगदानों की गैर-अन्तरीयता को शामिल किया गया है।

सेवा व्यापार करार (टीआईएसए) और भारत का पक्ष: वर्तमान में, बहुपक्षीय टीआईएसए चर्चाओं में 23 सदस्य भाग ले रहे हैं जिनमें ब्रिक्स और आसियान सदस्य देशों का कोई भागीदार शामिल नहीं है। भारत और भारत जैसा दृष्टिकोण रखने वाले अन्य विकासशील देशों ने इस बहुपक्षीय करार के संबंध में समय-समय पर अपनी चिंता जाहिर की है क्योंकि यह विश्व व्यापार संगठन में वर्षों की गहन वार्ता के बाद कृषि, एनएएमए और सेवा के बीच बने नाजुक संतुलन को ठेस पहुंचाकर दोहा राउंड के निष्कर्ष के लिए खतरा बन सकता है। ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी (टीपीपी) से अमरीका के अलग हो जाने से, टीआईएसए का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है, क्योंकि अमरीका जैसे विकसित देश इसके मार्गदर्शक हैं।

द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करार और भारत: भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया की सरकारों के साथ सेवा में व्यापार सहित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। सेवा और निवेश में मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर सितंबर, 2014 में आसियान के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, जो 01 जुलाई, 2015 से प्रभावी हुआ। हाल ही में भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल हो गया है, यह ऐसा एकमात्र मेगा-क्षेत्रीय एफटीए है जिसमें

भारत भागीदार है। भारत विभिन्न देशों के साथ सेवा में व्यापार सहित द्विपक्षीय एफटीए वार्ताओं में भागीदारी कर रहा है।

ओईसीडी में उपलब्धियां: ओईसीडी भारत सहित विभिन्न देशों के लिए सेवा व्यापार प्रतिबंधता सूचकांक (एसटीआरआई) तैयार कर रहा है। एक नई पहल होने

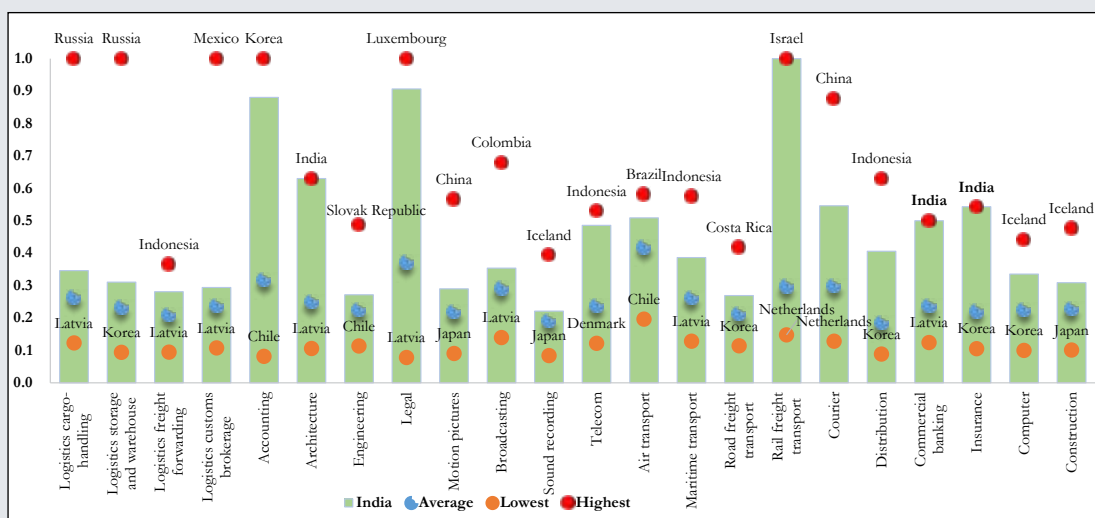
के बाद भी, व्यापार वार्ताओं और घरेलू नीतियों के लिए इसकी उपयुक्तता की जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ ऐसी चिन्ताएं हैं, जिनका समाधान किया जाना है। भारत और अन्य विकासशील देशों की चिन्ताओं पर ध्यान देने के लिए एसटीआरआई में संशोधन भी किया जा सकता है (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1. एसटीआरआई और भारत

ओईसीडी का एसटीआरआई व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले नीतिगत उपायों की पहचान करने, नीति निर्माताओं और वार्ताकारों को सेवा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपलब्ध कराने के लिए सूचना तथा मापन युक्तियां प्रदान करने एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार करारों पर वार्ताएं करने और सरकारों द्वारा सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों की पहचान करने के लिए नीतिगत उपायों को अभिचिह्नित में भी सहायक है और तत्पश्चात इसमें तरजीही क्षेत्रों तथा उपायों संबंधी उनके घरेलू सुधार प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसका आशय 22 सेवा क्षेत्रों में व्यापार प्रतिबंधता के स्तर के मात्रात्मक उपाय प्रदान करना है और इसकी गणना 44 देशों के लिए की गई है। एसटीआरआई के आंकड़ों को पांच नीति क्षेत्रों में बांटा गया है: बाजार में प्रवेश शर्तों संबंधी प्रतिबंध, लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध, अन्य विभेदकारी उपाय, प्रतिस्पर्धा संबंधी रुकावटें और विनियामक पारदर्शिता।

44 देशों में, भारत का एसटीआरआई स्कोर सभी क्षेत्रों में औसत से अधिक है और कुल 22 क्षेत्रों में से 3 सेवाओं में सबसे अधिक है (चित्र 3)। साउंड रिकार्डिंग, अभियांत्रिकी और प्रसारण ऐसे तीन क्षेत्र हैं जहां स्कोर औसत से कम है। इन सभी तीनों क्षेत्रों में 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर तक स्वचलित मार्ग का अनुसरण किया जाता है। लेखांकन सेवाएं, विधिक सेवाएं और रेल भाड़ा यातायात ऐसे तीन क्षेत्र हैं, जहां स्कोर औसत से सबसे अधिक है क्योंकि लेखांकन और लेखापरीक्षा सेवाएं लाइसेंसधारी लेखाकारों और लेखापरीक्षकों के लिए आरक्षित हैं और किसी लेखांकन तथा लेखापरीक्षा फर्म के मालिकाना हक और प्रबंधन के लिए लाइसेंस की अपेक्षा होती है और ऐसा लाइसेंस केवल भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकते हैं; विधिक सेवाएं, (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विधि दोनों), लाइसेंसधारी भारतीय अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित हैं; तथा रेलवे प्रचालन खोज प्रतिपिद्ध सूची में दिए गए हैं और भारतीय रेलवे के लिए आरक्षित हैं, जो केंद्र सरकार का उद्यम है। तथापि, भारत में एफआईपीबी के समापन जैसे कुछ हालिया सुधारों पर इन आंकड़ों में विचार नहीं किया गया है।

चित्र 3: सर्वोच्च, निम्नतम और औसत एसटीआरआई की तुलना में भारत का एसटीआरआई (2016)



भारत अनेक क्षेत्रों में उच्च एसटीआरआई रखता है। चीन के मामले में, चलचित्रों, प्रसारण, और कूरियर सेवाओं जैसे कुछ क्षेत्रों में भारत से उच्च एसटीआरआई है।

एसटीआरआई, ओईसीडी द्वारा सेवा के लिए नयी पहल है। तथापि, एसटीआरआई और इसके उपयोग से जुड़ी हुई कुछ अंतर्निहित कमियां हैं। विनियमनों का महत्व और गुणवत्ता ज़रूरी है, क्योंकि घरेलू विनियमन सभी देशों में एकरूप नहीं हैं और यह ज़रूरी है कि आवश्यक विनियमनों तथा व्यापार बाधक विनियमनों में अंतर किया जाए। चूंकि समान सेवाओं के लिए भी व्यापार अवरोध विभिन्न देशों में एक समान नहीं हैं, अतः विशेषज्ञों द्वारा भी उन्हें महत्व दिया जाना मनमानीपूर्ण हो जाता है।

जहां एसटीआरआई में कुछ प्रतिबंध वस्तुतः प्रतिबंध नहीं हैं और वे ब्रॉड बैंड की अनुपलब्धता के मामले की तरह अवसरचना के विकास की कमी के कारण ही हैं, वहीं कुछ प्रतिबंध सामाजिक और आर्थिक समावेशन जैसे बैंकों से अपने निवल जमा का 40: प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, जैसे कि भारत में कृषि, और एसएमई, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु आबंटित करना अपेक्षित है, से संबंधित सरकार की नीति के कारण हो सकते हैं। एसटीआरआई, ओईसीडी द्वारा इंगित सेवाओं में विनियमों के समतुल्य कर और प्रशुल्क की परिकलना के लिए लागू नहीं किया जा सकता, खासकर जब आंकड़े अपूर्ण हों और विनियम एकरूप नहीं हों।

इस प्रकार, एसटीआरआई अधिक से अधिक संकेतकारी ही हो सकता है और इसे संख्यात्मक महत्त्व नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब अनेक देशों के लिए सेवा से संबंधित आंकड़े प्रारंभिक स्तर पर हों और कार्यप्रणाली की परिपूर्णता में त्रुटियां हों। टीएफएस और बाजार तक पहुंच उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना घरेलू व्यापार अवरोध दूर करना। दरअसल, उपर्युक्त तीनों में कुछ हद तक प्रतिच्छादन भी है।

स्रोत: ओईसीडी एसटीआरआई प्रतिवेदनों और आंतरिक विश्लेषणों पर आधारित

घरेलू

9.17 भारत द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए निर्मित हालिया घरेलू नीतियों और की गई कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

व्यापार नीति उपाय: इसमें सर्वड फ्राम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) को प्रतिस्थापित करते हुए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्राम इंडिया स्कीम (एसईआईएस), जिसमें अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का 3 प्रतिशत या 5 का प्रतिफल मोड 1 और मोड 2 सेवाओं के लिए दिया जाता है, पर्यटन और जहाजरानी जैसे क्षेत्रों के लिए प्रवर्तित स्कीमें और सेवा क्षेत्र के लिए डिजिटाइजेशन तथा एफडीआई उदारीकरण सरीखे सामान्य उपाय शामिल हैं।

वस्तु और सेवा कर: जीएसटी के अंतर्गत निर्यात शुल्क दर शून्य रहेगी। सेवाओं के विषय में जीएसटी की मुख्य व्यवसायों इस प्रकार है: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दर शून्य होगी; किफायती श्रेणी में हवाई यात्रा पर यह 5 प्रतिशत रहेगी, यही दर रेल तथा समुद्री मार्ग से वस्तुओं के परिवहन पर देय होगी (एसी तथा केंद्रीय तापन प्रणाली तथा शराब बेचने की अनुमति से रहित रेस्त्रां में भोजन एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर यह दर 12% होगी [किन्तु इन व्यवस्थाओं वाले रेस्त्रां में जीएसटी दर 18 प्रतिशत रहेगी], होटल, गैस्ट हाऊस जहां प्रतिदिन रु. 1000/- से रु. 2500/- तक पर कमरे मिलते हैं, वहां भी ये दर 12% है (वहीं रु. 2500/- से रु. 7500/- प्रतिदिन वाले कमरों पर देय दर 18%) रखी गई है। इसी प्रकार गैरकिफायती वायुयान यात्रा, किसी भवन कंपलैक्स और आईटीसी के प्रतिदाय की व्यवस्था के बिना निर्माण पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। केवल 4 सेवाएं 28

प्रतिशत जीएसटी के उच्च तय वर्ग में हैं—इनमें शामिल है: मनोरंजक कार्यक्रम, मनोविनोद स्थलों/सुविधाओं में प्रवेश [सिनेमाघरों सहित], थीम पार्क, जलक्रीड़ा पार्क, और निवास आदि के लिए प्रतिदिन रु. 7500/- से अधिक प्रभार लेने वाले होटल/अतिथिगृह आदि।

संवर्धन उपाय: भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ संवर्धन उपायों में 73 देशों की भागीदारी के साथ बहु-क्षेत्रक वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस) का अप्रैल 2017 में तीसरे दौर का आयोजन करना तथा भारत को अग्रणी वैश्विक स्वास्थ्य परिचर्या गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु चिकित्सा महत्व यात्रा पर अंतरराष्ट्रीय शिखर बैठक के नाम से एडवाण्टेज हैल्थ केयर इंडिया 2016 के दूसरे दौर का आयोजन अक्टूबर, 2016 में करना शामिल है।

प्रमुख सेवाएं: समग्र निष्पादन

9.18 भारत के सेवा क्षेत्र का निष्पादन वैश्विक रुझान के अनुरूप ही 2016-17 में मंद पड़ गया है। तथापि, कुछ सेवाएं भारत के आर्थिक विकास में मुख्य वाहक बनी हुई हैं। भारत में विभिन्न उप क्षेत्रों के 2016-17 के लिए वाहक उपलब्ध कुछ संकेतकों (सारणी 5) तथा सीएमआईई आंकड़ों (सारणी 7) को देखने से पता चलता है कि जियो प्रभाव को प्रतिबिम्बित कर रहे दूरसंचार कनेक्शनों में वृद्धि के साथ दूरसंचार में, खासकर घरेलू यात्रा के विमानन में, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से पर्यटन संबंधी सेवाओं में, और कम्प्यूटर साफ्टवेयर की वृद्धि में गिरावट के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (आईटीबीपीएम) में उचित रूप से अच्छा निष्पादन हुआ है।

सारणी 5. भारत के सेवा क्षेत्र का निष्पादन: कुछ संकेतक

क्षेत्र	संकेतक	यूनिट	अवधि				
			2009-10	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आईटी-बीपीएम**	आईटी-बीपीएम सेवा राजस्व	यूएस \$ बिलियन	64	106	119	143	154
	निर्यात	यूएस \$ बिलियन	50	87	98	108	117
	घरेलू	यूएस \$ बिलियन	14	19	21	35	38
विमानन*	एयरलाइन यात्री (कुल)	मिलियन	77.4	103.8	115.8	135.0	158.4
	घरेलू	मिलियन	45.3	60.7	70.1	85.2	103.7
	अंतरराष्ट्रीय	मिलियन	32.1	43.1	45.7	49.8	54.7
दूरसंचार	दूरसंचार कनेक्शन (वायरलाइन और वायरलैस) ^b	मिलियन	621.3	933.0	996.1	1058.9	1194.6
पर्यटन	विदेशी पर्यटक आगमन ^a	मिलियन	5.2	7.0	7.7	8.0	8.8
	पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय ^a	यूएस \$ बिलियन	11.1	18.4	20.2	21.1	22.9
जहाजरानी	भारतीय जहाजरानी का सकल टनभार ^b	मिलियन जीटी	9.7	10.5	10.5	10.5	12.0 [@]
	जहाजों की संख्या ^b	संख्या	998	1209	1210	1251	1338 [@]
पत्तन	पत्तन यातायात	मिलियन टन	850.0	972.5	1052.5	1072.5	1135.6

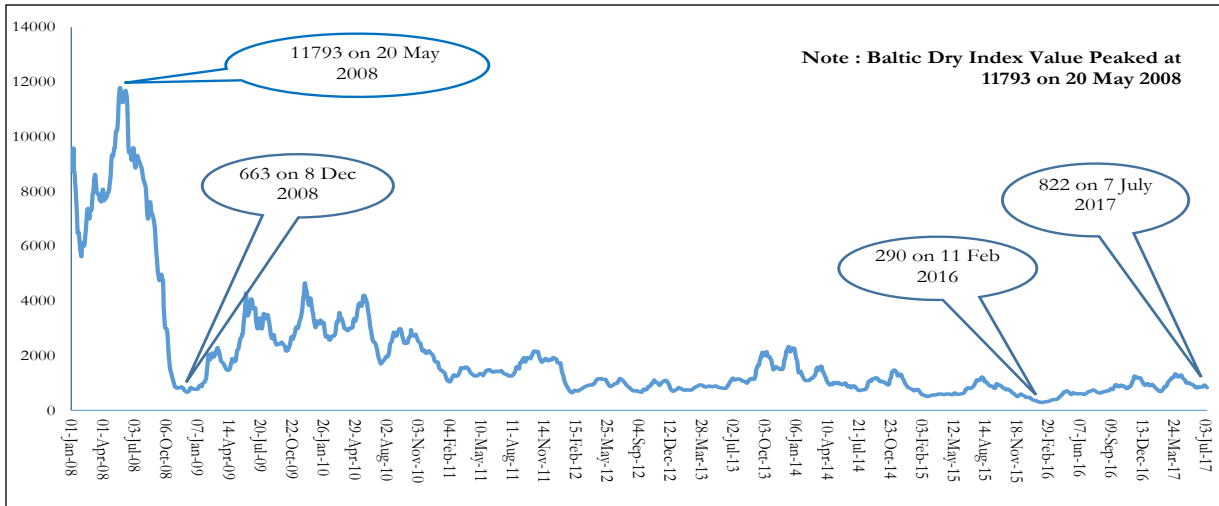
स्रोत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, एनएसएससीओएम से संकलित।

टिप्पणी: ^aकलेंडर वर्ष, उदाहरणार्थ 2009-10 के लिए 2009; ^bआगामी वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार; [@]30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार डाटा। जीटी = सकल टनभार; एमटी = मैट्रिक टन; *^aहार्डवेयर को छोड़कर। *घरेलू यात्रियों का आवागमन केवल अनुसूचित घरेलू सेवाओं पर अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा हुआ और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आवागमन भारतीय राज्यक्षेत्र में और से अनुसूचित भारतीय एवं विदेशी वाहकों द्वारा हुआ।

9.19 विमानन उद्योग ने देशी-विदेशी यात्रियों सहित, कुल यात्री संख्या की दृष्टि से, पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके बेहतर प्रदर्शन किया। नए घरेलू और विदेशी मार्गों के अतिरिक्त एयरलाइनों की क्षमता में वृद्धि होने तथा क्षेत्रीय हवाई संपर्क (संयोजकता) स्कीम (आरसीएस) नामक उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के प्रवर्तन से इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है, क्योंकि यह योजना उन असेवित तथा अल्प सेवित विमानपत्तनों को जोड़ करके उड़ान खर्च सहज बनाने का प्रयास करती है, जहां उपभोक्ताओं की खर्च योग्य आय में बढ़त तथा विमान भाड़े में कमी के चलते 50 प्रतिशत सीटों का उच्चतम भाड़ा 2500 रु० प्रति सीट/घंटा किया गया है। परिवहन संभार तंत्र सेवा के मामले में, निष्पादन, संभार तंत्र पर सरकार का ध्यान बढ़ जाने से बेहतर हो गया है। जीएसटी का प्रभाव वैट से संबंधित

चेकपोस्ट के हट जाने के कारण अनुमानतः सकारात्मक रहने वाला है जिसके परिणामस्वरूप इसमें लगने वाले समय में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, मालों की अंतरराज्य बिक्री पर लगा हुआ 2 प्रतिशत का अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर अब जारी नहीं रहेगा जिससे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि, जहाजरानी सेवा क्षेत्र पर 2016-17 के विक्रय और पीएटी आंकड़ों द्वारा किए गए संकेत के अनुसार वैश्विक मंदन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। व्यापार और जहाजरानी सेवा की मजबूती दर्शाने वाली माल भाड़ा सूची और अच्छा प्रतिपत्र नामक दि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 20 मई, 2008 को 11,793 के शीर्ष से 8 दिसंबर, 2008 को गिरकर 663 के निम्न स्तर पर आ गया था। यद्यपि इसमें आगामी वर्षों के दौरान मामूली वृद्धि हुई, तथापि यह तब से निम्नतर दायरे में रहा है और यह 11 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार 290 पर खतरे की स्थिति में रहा, जो 2008 के निम्न स्तर से

चित्र 4. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स



स्रोत: <https://in.investing.com/indices/baltic-dry-historical-data> से डाटा पर आधारित।

भी नीचे है। यह 7 जुलाई, 2017 को 822 पर पहुंचकर मामूली रूप से सुधर पाया है (चित्र 4)।

9.20 पत्तनों द्वारा संचालित किया गया यातायात 2015-16 में 606.5 मि० मीट्रिक टन से बढ़ कर 2016-17 में 647.7 मि० मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। प्रमुख पत्तनों के पत्तन से संबंधित निष्पादन सूचकांक भी यह दर्शाते हैं कि 2015-16 में शिप बर्थ डे उत्पाद में 13156 टन से 2016-17 में 14576 टन तक का महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, औसत टर्न अराउंड समय और औसत प्रीबर्थिंग समय 2012-13 में 2.55 दिन और 12.17 घंटे से घटकर 2016-17 में क्रमशः 2.05 दिन और 5.75 घंटे रह गया है तथा प्रमुख पत्तनों में संचालन आधिक्य में 2015-16 की तुलना में 2016-17 के दौरान 14 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है (सारणी 6)।

9.21 विमुद्रीकरण के तुरंत बाद वाली 2016-17 की चौथी तिमाही में सेवा क्षेत्र फर्मों के परिणामों के विश्लेषण

से पता चलता है कि जिस एकमात्र क्षेत्र में संकुचन का लक्षण दिखाई दिया, वह निर्माण और भवन संपदा क्षेत्र था, और इसमें चौथी तिमाही के दौरान निवल बिक्री (-5.1 प्रतिशत) और निवल लाभ (-34.9 प्रतिशत) दोनों में वर्षानुवर्ष गिरावट देखी गई। यहां पर भी, संकुचन का यथेष्ट कारण विमुद्रीकरण के प्रभाव को ही नहीं बताया जा सकता, यह मानते हुए कि इस क्षेत्र की वृद्धि पिछली दो तिमाहियों में भी पहले से ही ऋणात्मक में रही थी।

प्रमुख सेवाएं: क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ हालिया नीतियां

9.22 इस खंड में भारत के लिए जरूरी कुछ सेवाओं को जीडीपी/जीवीए, रोजगार, निर्यात और भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से उनके महत्व के आधार पर वर्णित किया गया है। दूसरे अध्यायों में उल्लिखित कुछ जरूरी सेवाएं दुहराव से बचने के लिए इसमें शामिल नहीं की गई हैं।

सारणी 6. भारत में मुख्य पत्तनों के कुछ निष्पादन संकेतक

संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17
संभाला गया यातायात (एमएमटी में)	581.3	606.5	647.7
प्रति-जहाज प्रति बर्थ दिन औसत आउटपुट (टनों में)	12458	13156	14576
संचालन अधिशेष (करोड़ रुपए में)	3599.4	4309.1	4919.4

स्रोत: जहाजरानी मंत्रालय से प्राप्त सूचना पर आधारित।

सारणी 7. चुनिंदा सेवाओं की बिक्री और लाभों में वृद्धि: कंपनी आधारित डाटा

सेवा	निवल बिक्री						कर पश्चात् लाभ (पीएटी)					
	2015-16	2016-17	2016-17				2015-16	2016-17	2016-17			
			Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
यातायात संभारतंत्र	2.7	2.8	0.5	0.6	4.1	5.6	4.3	-3.9	-15.9	-13.0	-13.3	21.4
जहाजरानी	2.5	-10.9	-17.4	-22.0	-1.4	0.6	37.2	-8.7	-29.4	-48.5	-29.8	434.1
विमानन	39.3	33.1	75.9	73.5	8.3	9.9	--	-12.8	178.9	168.3	-40.5	-51.0
खुदरा कारोबार	22.3	61.9	38.2	35.9	34.4	178.1	2472.8	102.1	--	14.5	-45.0	--
स्वास्थ्य सेवाएं	35.0	33.9	50.9	58.2	21.3	15.9	39.1	17.3	73.4	129.8	-49.6	-3.6
होटल एवं रेस्तरां	6.5	2.8	0.8	6.0	3.9	1.0	--	103.3	--	--	-12.1	2543.7
आईटीईएस	12.7	10.5	18.7	7.9	6.4	10.1	22.5	6.3	34.9	18.9	20.1	-28.3
सॉफ्टवेयर	10.7	9.7	13.3	9.1	9.8	6.8	11.6	8.6	7.7	6.2	12.7	7.9
निर्माण एवं रियल एस्टेट	8.3	-1.8	7.7	-6.5	-0.9	-5.1	-11.6	0.4	--	18.5	--	-34.9

स्रोत: एक्जिम बैंक रिसर्च (सीएमआईई से प्राप्त डाटा)।

पर्यटन

9.23 पर्यटन में बृहत पैमाने पर विविध प्रकार के अत्यंत विशिष्टीकृत से लेकर अकुशल तक रोजगार सृजित करने; आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने; और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने की महती क्षमता है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) के अनुसार, यात्रा और पर्यटन ने 7.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर (वैश्विक जीडीपी का 10.2 प्रतिशत) और 292 मिलियन नौकरियों के सृजन द्वारा अपनी समुत्थान शक्ति को 2016 में बनाए रखा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर 10 नौकरियों में 1 के समतुल्य सृजन हुआ। यह क्षेत्र में कुल वैश्विक निर्यातों का 6.6 प्रतिशत और कुल वैश्विक सेवा निर्यातों का करीब-करीब 30 प्रतिशत बैठता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) का नवीनतम वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर (मार्च, 2017 संस्करण) भी यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन 2016 में कुल 1.2 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष में उनकी संख्या से 47 मिलियन अधिक है, यद्यपि इसमें

3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर, 2015 की वृद्धि दर (4.5 प्रतिशत) से मामूली कम थी।

9.24 यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार, भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन (अनिवासी भारतीयों के आगमन सहित) 2015 में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13.3 मिलियन था, जबकि पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015 और 2016 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) (अनिवासी भारतीयों को छोड़कर) 2015 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8.0 मिलियन और 2016 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8.8 मिलियन था। 2016 में पर्यटन के जरिए अमरीकी डालर के हिसाब से विदेशी मुद्रा अर्जन (एफईई) 2015 की अपेक्षा 8.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22.9 बिलियन अमरीकी डालर था। यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां (आईटीआर), लगभग इसके समान ही हैं (सारणी 8)।

भारत की अप्रयुक्त पर्यटन संभावना: तुलनात्मक विवेचन

9.25 दूसरे देशों से तुलना करें तो यह पता चलता

है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) में भारत का हिस्सा 2015 में प्रथम स्थान पर रहने वाले फ्रांस के 7.1 प्रतिशत के हिस्से की तुलना में 24वें स्थान पर रहने के साथ मामूली 1.1 प्रतिशत है। चीन का स्थान 4.8 प्रतिशत के हिस्से के साथ चौथा है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक प्राप्तियों (आईटीआर) के अनुसार, भारत का हिस्सा मामूली रूप में उच्च होकर 1.8 प्रतिशत है और इसका स्थान सुधर कर 14वां हो गया है। परंतु यह प्रथम स्थान पर रहने वाले अमरीका के 17.1 प्रतिशत हिस्से के आगे कहीं भी नहीं टिकता और चौथे स्थान पर रहने वाले चीन के 3.8 प्रतिशत हिस्से का लगभग आधा है (सारणी 8 देखें)।

9.26 घरेलू पर्यटन 1991 से 2016 तक के 13.6 प्रतिशत, और 2016 में 12.7 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि के साथ इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। जिन शीर्ष पांच राज्यों में घरेलू पर्यटक 2016 में पधारे, वे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और कर्नाटक थे। इस उद्योग के अनुमान के अनुसार, भारतीय पर्यटन और अतिथि सत्कार के बाजार का कुल धनराशि आकार 2014 में 117.7 बिलियन अमरीकी डालर बैठता था और इसके 2022 तक 418.9

बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है। इस प्रकार, एक समृद्धिप्रद अवसर वास्तविक उपयोग की प्रतीक्षा कर रहा है।

9.27 यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2017 (डब्ल्यूईएफ, 2017) के अनुसार, भारत ने विश्व के 136 देशों में 12 स्थानों का सुधारकर 40वां स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत अपने व्यापक सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों (क्रमशः 9वां और 24वां स्थान), और अपने कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ (10वां स्थान), अपने अंतरराष्ट्रीय खुलेपन (55वां स्थान) जो आगमन पर वीजा और ई-वीजा दोनों के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हुए 14 स्थान ऊपर है, के कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मनोरम बना हुआ है। परंतु यह स्वास्थ्य और स्वच्छता (104वां स्थान), आईसीटी तत्परता (112वां स्थान), सुरक्षा सरोकार (114वां स्थान), मानव संसाधन (87वां स्थान), पर्यटक सेवा ढांचा (110वां स्थान) और यात्रा तथा पर्यटन की प्राथमिकता (104वां स्थान) के मामले में अन्य देशों से बहुत पीछे है।

9.28 यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थलों की संख्या तथा विभिन्न देशों के कुल विदेशी पर्यटक आगमनों की तुलना करने से ज्ञात होता है कि यूनेस्को के वैश्विक

सारणी 8. पर्यटन निष्पादन: अंतरराष्ट्रीय तुलना 2015 और 2016

	अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आगमन					अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां				
	रैंक	संख्या (मिलियन में)	हिस्सा (%)	वृद्धि दर (%)		रैंक	मूल्य (यूएस\$ बिलियन)	हिस्सा (%)	वृद्धि दर (%)	
	2015	2016	2015	2015	2016	2015	2016	2015	2015	2016
विश्व		1235	100	4.5	3.9		1,194*	100.0	-4.5	--
फ्रांस	1	84.5*	7.1	0.9	--	3	43.1	3.8	-21.0	-6.1
यूएसए	2	77.5*	6.5	3.3	--	1	206.8	17.1	6.9	1.1
स्पेन	3	75.6	5.8	5.5	10.4	2	60.3	4.7	-13.2	6.7
चीन	4	59.3	4.8	2.3	4.2	5	44.4	3.8	2.3	-1.3
टर्की	6	39.5*	3.3	-0.8	--	12	18.7	2.2	-10.1	-29.7
थाइलैंड	10	32.6	2.5	20.6	9.0	6	49.9	3.8	16.9	11.1
मलेशिया	14	26.8	2.2	-6.3	4.3	17	16.9	1.5	-22.6	-3.4
भारत	24	13.3*	1.1	1.4	--	14	22.4	1.8	6.6	6.7
सिंगापुर	28	12.9	1.0	1.6	6.6	19	18.4	1.4	-13.1	10.8

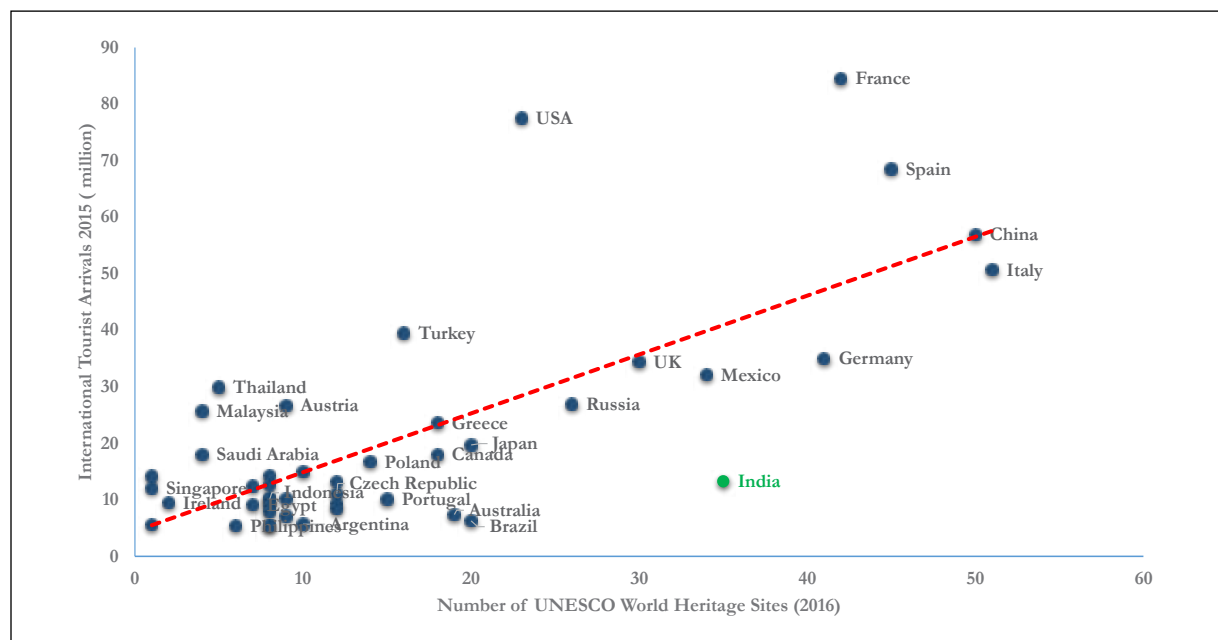
स्रोत: यूएनडब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर एंड स्टेटिस्टिकल एनेक्स, मार्च 2017 में दिए गए आंकड़ों पर आधारित।

टिप्पणी: * = 2015 डाटा।

विरासत स्थलों (35 स्थलों सहित 6ठा स्थान) की उच्च संख्या वाला देश होने के बावजूद, भारत अन्य देशों की अपेक्षा कम विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है और रुझान-रेखा के नीचे पड़ा हुआ है (चित्र 5)।

9.29 जनसंख्या में घरेलू पर्यटन अनुपात, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (कन्वेंशन) में स्थान निर्धारण, शीर्ष विरासत स्थलों में आगंतुकों, बड़े शहरों में विदेशी पर्यटक आगमनों जैसे अनेक दूसरे संकेतकों के अनुसार भी, भारत अमरीका और चीन से काफी पीछे हैं (सारणी 9)।

चित्र 5. विश्व धरोहर स्थलों और 2015 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की संख्या



स्रोत: यूएनडब्ल्यूटीओ और यूएनईएससीओ डाटा पर आधारित।

सारणी 9. तुलनात्मक पर्यटन निष्पादन संकेतक

संकेतक	चीन	भारत	यूएसए
धरोहर स्थलों का दौरा करने वाले विदेशी आगंतुक (संख्या)	ग्रेट वॉल* (कुल 10 मिलियन, 03 मिलियन विदेशी)	ताज महल (कुल 4.6 मिलियन, 0.5 मिलियन विदेशी)	स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी* (कुल 5 मिलियन, 02 मिलियन विदेशी)
घरेलू पर्यटन (संख्या)	3.6 बिलियन	1.7 बिलियन	2.2 बिलियन
जनसंख्या के मुकाबले घरेलू पर्यटन का अनुपात	2.6	1.3	6.6
मुख्य शहरों में विदेशी पर्यटकों का आगमन	बीजिंग* (4.5 मिलियन विदेशी, 250 मिलियन घरेलू)	नई दिल्ली* (2.4 मिलियन विदेशी, 25 मिलियन घरेलू)	न्यूयार्क* (10.1 मिलियन विदेशी, 50 मिलियन घरेलू)
अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन रेटिंग	333 बैठकों के साथ रैंक 9	132 बैठकों के साथ रैंक 31	925 बैठकों के साथ रैंक 1

स्रोत: यूएनडब्ल्यूटीओ, पर्यटन मंत्रालय, रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस एंड कन्वेंशन एसोसिएशन (आईसीसीए) जैसे विभिन्न आंकड़ा स्रोतों से संकलित,

नोट:* = फेथ से प्राप्त सूचना।

9.30 उपर्युक्त विश्लेषण और संकेतक, यद्यपि इनमें से कुछ कम पूर्ण हैं, यह दर्शाते हैं कि भारत में पर्यटन की विपुल संभावना है और भारत को एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्य बनाकर बड़ी मात्रा में कमाई करने वाला देश बनाने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना आवश्यक है।

9.31 देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं जिनमें 161 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा, 365 दिन के गंतव्य के रूप में भारत का प्रचार, स्वच्छता कार्ययोजना (एसएपी), कौशल विकास पहल, बहु-भाषायी पर्यटक इन्फोलाइन का प्रारंभ किया जाना, और स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप शामिल हैं। जनवरी से दिसम्बर, 2016 के दौरान कुल 10,79,696 ई-वीजा धारकों ने भारत का दौरा किया जिससे 2015 की तुलना में 142.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ई-वीजा की अनुमति 3 उप-श्रेणियों: ई-पर्यटक वीजा, ई-व्यवसाय वीजा, और ई-चिकित्सा वीजा के तहत दी जाती है। ई-वीजा के तहत आवेदन करने के लिए विंडो की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है और ई-वीजा के तहत भारत में ठहरने की अवधि भी 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। वैश्विक रूप से, 2019 में चिकित्सा महत्त्व यात्रा (एमवीटी) बाजार द्वारा 19.4 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़कर 100 बिलियन अमरीकी डालर को पार करने की संभावना है तथा 2014 में भारत का हिस्सा वैश्विक चिकित्सा पर्यटकों का 3.8 प्रतिशत और मध्यम पर्यटन से वैश्विक राजस्व का 5.5 प्रतिशत बैठता था। सरकार ने भारत को एक चिकित्सा महत्त्व यात्रा गंतव्य बनाने के लिए अनेक नीतियां प्रारंभ की हैं। इनमें 2015 में राष्ट्रीय चिकित्सा एवं आरोग्य पर्यटन संवर्धन बोर्ड का गठन और ई-पर्यटक वीजा तथा एम-वीजा सुविधाओं का प्रारंभ किया जाना शामिल है।

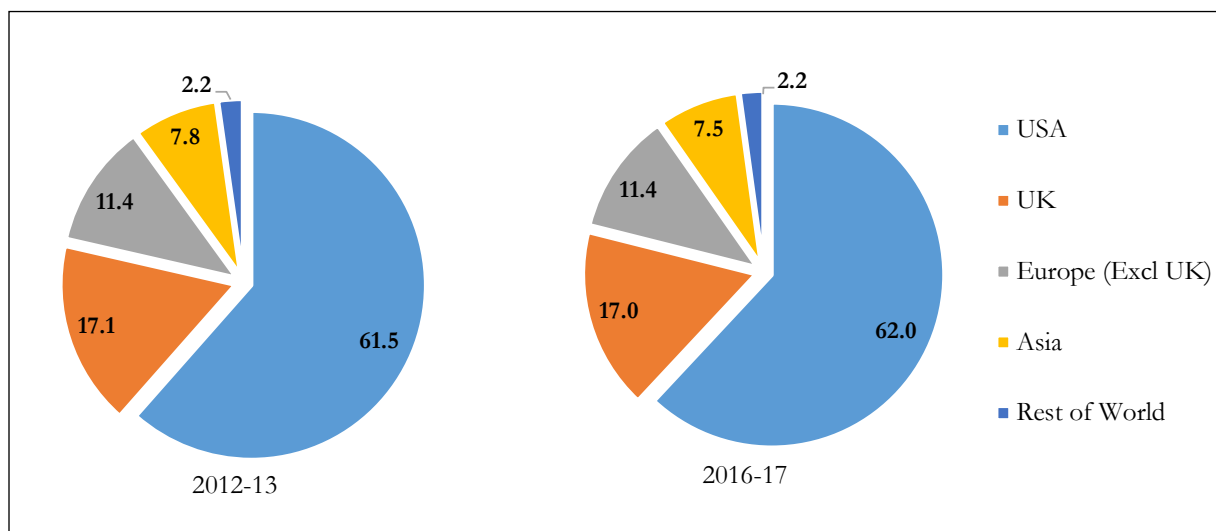
आईटी-बीपीएम सेवाएं

9.32 वर्ष 2016 में हार्डवेयर सहित और रहित वैश्विक आईटी-बीपीएम बाजार क्रमशः 2.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर और 1.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर पर स्थिर रहा। हार्डवेयर खंड का हिस्सा लगभग 44 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक था, इसके बाद आईटी सेवाओं (29 प्रतिशत से

अधिक), पैकेजयुक्त सॉफ्टवेयर (लगभग 19 प्रतिशत) और बीपीएम (8 प्रतिशत से अधिक) का स्थान था। जबकि ये परम्परागत खंड रहे हैं, इस उद्योग को उन डिजिटल प्रौद्योगिकियों से व्यवधान हो रहा है जिनसे प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन, [विनिर्माण में ऑटोमेशन की लहर] का पथ प्रशस्त हो रहा है और वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो मनुष्यों के स्थान पर रोबोटों को प्रतिस्थापित कर रही है।

9.33 वर्तमान में भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग एक वैश्विक शक्तिगृह है और भारत तथा विश्व पर इसका प्रभाव अप्रत्याशित है। भारत का अपतटीय मॉडल उत्कृष्ट है और वर्तमान में इसे प्रौद्योगिकी और व्यवसाय समाधानों के लिए विकल्प के भागीदार के रूप में देखा जाता है। यह उद्योग 1980 में 1 बिलियन अमरीकी डालर से भी कम के स्तर से 154 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के एक विशालकाय उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। विगत दशक में, इस उद्योग ने राजस्व की दृष्टि से छह गुणा से भी अधिक वृद्धि की है। 2016-17 में 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को रोजी-रोटी प्रदान करते हुए, इस क्षेत्र ने परिवहन, होटलों, अवसंरचना, सुरक्षा सेवाओं, जैसे सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार सृजित किया है। भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग में कई बिलियन डालर वाली फर्मों से लेकर स्टार्ट अप्स तक भिन्न-भिन्न प्रकार की 16,000 से अधिक फर्म सम्मिलित हैं। 1000 से अधिक वैश्विक इन-हाउस केंद्रों सहित अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा लगभग 4,750+ स्टार्ट अप्स के साथ है, जिससे भारत विश्व का तीसरा विशालतम स्टार्ट अप पारिस्थितिक तंत्र बन गया है। स्टार्ट अप पारिस्थितिक तंत्र में मेच्योर वर्टिकल (ई-वाणिज्य, एग्रीगेटर), उदीयमान वर्टिकल (वित्त-प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, आदि) और क्लाउड के आस-पास के इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मशीन जानकारी, कृत्रिम आसूचना, रोबोटिक्स, 3डी मुद्रण के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, आदि की जरूरतें पूरा करने वाली फर्में सम्मिलित हैं। अमरीका आईटी-बीपीएम सेवाओं के लिए भारत का बड़ा बाजार है और इसके बाद यूके, यूरोप, (यूके को छोड़कर) और एशिया का स्थान है। ये हिस्से 2012-13 की अपेक्षा 2016-17 में बहुत नहीं बदल पाए हैं (चित्र 6)

चित्र 6. भारत का आईटी-बीपीएम निर्यात-क्षेत्रवार हिस्सा 2016-17(%)



स्रोत: एनएसएससीओएम।

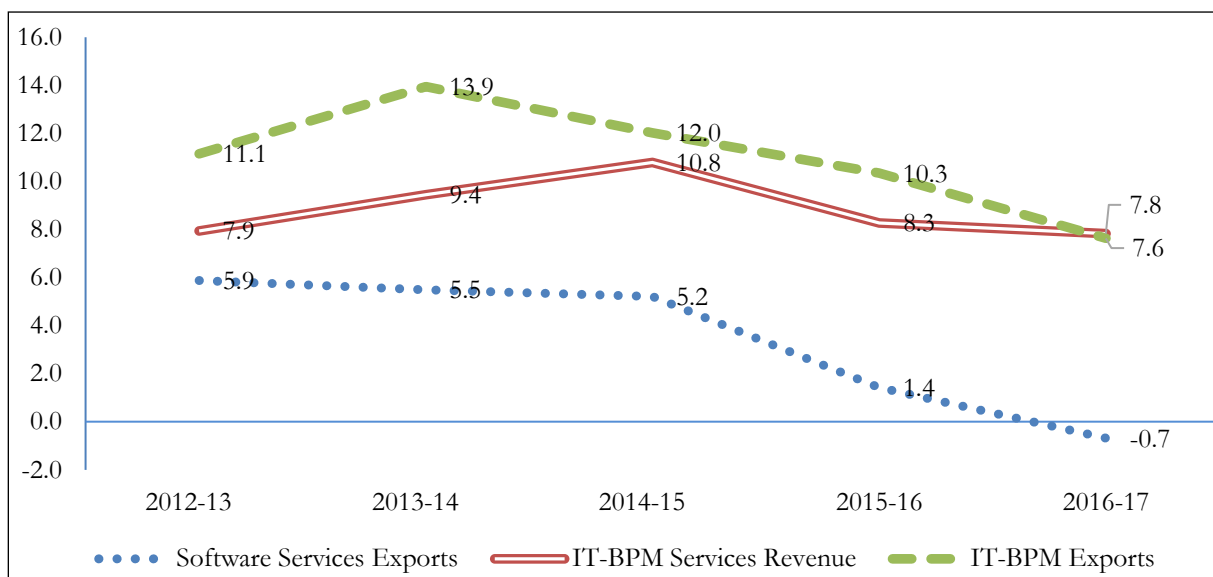
9.34 नैसकाम के अनुसार, 2016-17 में हार्डवेयर सहित और रहित आईटी-बीपीएम क्षेत्र में भारत का कुल राजस्व (निर्यात+घरेलू) 7.8 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत की वृद्धियों के साथ क्रमशः 140 बिलियन अमरीकी डालर और 154 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की संभावना है। हार्डवेयर सहित और रहित निर्यात दोनों 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए क्रमशः 117 बिलियन अमरीकी डालर और 116 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच सकते हैं। हार्डवेयर सहित और ई-कॉमर्स को छोड़कर घरेलू बाजार 8.5 प्रतिशत की दर पर बढ़कर 38 बिलियन अमरीकी डॉलर बिलियन तक पहुंचना तय है तथा हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर(यह 10.4 प्रतिशत की दर पर बढ़कर 24 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचना तय है। यद्यपि आईटी सेवा क्षेत्र के केवल एक तिहाई परिमाण के सॉफ्टवेयर उत्पाद क्लाउड आधारित समाधानों, विशेषकर सर्वर मैसेज ब्लॉक (एसएमबी) के लिए सदा बढ़ती हुई मांग के कारण 10.4 प्रतिशत की वृद्धि पर 4.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने का अनुमान है। ई-वाणिज्य के 19.1 प्रतिशत की वृद्धि से 33 बिलियन तक पहुंचने की आशा है।

9.35 2002-03 से 2007-08 की अवधि में 27 से 38 प्रतिशत की ठोस वृद्धि पर मजबूती से बढ़ रहे भारत के सॉफ्टवेयर निर्यातों में गिरावट के कारण हालिया वर्षों में मंदी आ गई है। आर०बी०आई के बीओपी के आंकड़ों

के अनुसार, 2016-17 में सॉफ्टवेयर निर्यात 2015-16 में 74.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 0.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73.7 बिलियन अमरीकी डालर रह गया, जबकि नैसकाम के अनुसार आईटी-बीपीएम निर्यात 7.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 117 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की आशा है। नैसकाम द्वारा 2017-18 के लिए आईटी-बीपीएम की निर्यात-वृद्धि 7-8 प्रतिशत नियत की गई है (चित्र 7)।

9.36 भारत की कम्प्यूटर सेवाओं के निर्यातों में 2016 के दौरान 0.2 प्रतिशत की गिरावट (डब्ल्यूटीओ के आंकड़ों के अनुसार) तब भी हो रही है जब विश्व कम्प्यूटर सेवा का निर्यात 2016 में 5.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और कुछ उन्नत, देशों जैसे अमरीका, इजरायल और दक्षिण-पूर्व एशिया लैटिन अमरीका और पूर्वी यूरोप के फिलीपीन्स, ब्राजील, चिली, रूस, यूक्रेन जैसे प्रतिस्पर्धाशील देशों, में वृद्धि सामान्य से काफी अधिक रही है (सारणी 10)। भारत के कम्प्यूटर-सेवा-आयात में भी 30.4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप 2016 में (-) 1.7 प्रतिशत के ऋणात्मक निवल कम्प्यूटर सेवा-निर्यात हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि आईटी-बीपीएम क्षेत्र न केवल वैश्विक मंदी और चुनौतीपूर्ण बाजार अभिगम स्थिति से वरन अन्य चुनौतियों से भी प्रभावित है (बॉक्स 2)।

चित्र 7. सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात और आईटी-बीपीएम राजस्व तथा निर्यात की वृद्धि



स्रोत: सॉफ्टवेयर सेवा: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े और आईटी-बीपीएम: नैसकॉम के आंकड़े।

सारणी 10. कम्प्यूटर सेवा निर्यात वृद्धि: चुनिंदा देश

	वृद्धि दर (%)				
	2009	2010	2014	2015	2016
आस्ट्रेलिया	-13.1	12.2	7.1	16.5	3.1
ब्राजील	6.5	-8.7	140.6	15.6	14.8
चिली	12.3	36.7	4.8	1.2	10.4
भारत	-9.0	20.5	1.3	1.2	-0.2
फिलीपींस	35.3	24.1	10.1	1.3	63.6
रूस	-21.8	5.0	5.7	-7.4	8.5
यूक्रेन	9.5	24.7	16.1	11.2	18.4
यूएसए	3.8	1.9	7.4	12.7	8.1
इजराइल	1.3	-43.9	18.2	-2.0	26.9
विश्व	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-3.6	5.8

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों पर आधारित।

9.37 इसी बीच, भारत सरकार द्वारा सरकार से सरकार और सरकार से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में प्रौद्योगिकियों को तेजी से अंगीकार किया जाना घरेलू आईटी-बीपीएम बाजार के लिए एक जबरदस्त उत्साहवर्धक कारक है। भारत सरकार डिजिटल प्रौद्योगिकियां अंगीकार करने में भी अग्रणी हो रही है और यह जनता के साथ संपर्क करने के साधनों के रूप में सामाजिक मीडिया के सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं में से एक है। इसने अपना स्वयं का धन प्लेटफार्म-मेघराज विकसित किया है जो सेवा

के रूप में प्लेटफार्म (पास), सेवा के रूप में अवसंरचना (लास), सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (सास) और सेवा के रूप में भंडारण (स्टास) की पेशकश करता है। इस पहल का केंद्र बिंदु सरकार के सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) व्यय को इष्टतम करते हुए देश में ई-सेवाओं की डिलीवरी की गति में तेजी लाना है। इसका इरादा भारत को विश्व के लिए साइबर सिक्वोरिटी सोल्यूशन का एक प्रमुख केंद्र बनाना भी है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, ई-अभिशासन, कौशल भारत के माध्यम से डिजिटल प्रतिभा का संवर्धन,

बाक्स 2. आईटी-बीपीएम: मंदी की चुनौतियां

आईटी-बीपीएम उद्योग भी वैश्विक मंदी और वैश्विक राजनैतिक अनिश्चितताओं के दंश का अनुभव कर रहा है। क्योंकि इनसे ग्राहकों की अपने निर्णय लेने और निवेश की प्रक्रियाओं की गति मंद हो जाती है। प्रमुख बाजारों में भारत के आईटी-बीपीएम क्षेत्र द्वारा सामना की गई कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं।

बाजार तक पहुंच: एक आव्रजन मुद्दे के रूप में कुशल लोगों का गलत आवागमन इस वैश्विक कारोबार के विकास में एक बाधक है जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख बाजारों में कौशल और आंकड़ों के मुक्त संचलन में अनेक बाधाएं आती हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका में, “अमरीकी खरीदो, अमरीकियों को काम पर लो” जैसे राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के तहत आंकड़ों के संग्रहण, संबंधित दूरदर्शिता और प्रवर्तन कार्रवाइयां, तथा उच्च कौशल वीजा कार्यक्रमों में सुधार लाने और कटौती करने के लिए प्रशासन संबंधी योजनाओं का विकास आवश्यक था। न्याय, मातृ भूमि सुरक्षा, राज्य और श्रम विभागों, सभी ने ज्ञापन, नीतिगत मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं जिनका उद्देश्य वीजा कार्यक्रमों पर नए प्रतिबंध लगाना, प्रवर्तन में संवृद्धि करना, प्रायोजकों की जांच-पड़ताल में वृद्धि करना, और उल्लंघनों के लिए शास्तियों में बढ़ोत्तरी करना है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने एच-1बी वीजा के संबंध में एक नीतिगत ज्ञापन की शुरुआत की, जिसमें “कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स” विशेषज्ञता संबंधी व्यवसायों के रूप में स्वतः अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। सरकार की गहन विधीक्ष प्रक्रिया के भाग के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा वीजा आवेदकों से अतिरिक्त ब्यौरे अपेक्षित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि श्रम विभाग की योजनाओं के अनुसार वर्तमान में कंपनियों को एच-1बी याचिकाएं प्रस्तुत करने से पूर्व लेबर कंडीशन अप्लीकेशन (एलएसी) से संबंधित और अधिक ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए। एच-1बी वीजा से संबंधित विभिन्न बिल अमरीकी कांग्रेस में पटल पर रखे गए हैं, जिनमें से अद्यतन बिल सदन की न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष बॉब गुडलेट्टे के दो बिल हैं जिन्हें तारीख 29 जून, 2017 को अमेरिकी कांग्रेस में पारित कर दिया गया है तथा अब उन्हें सीनेट में प्रस्तुत किया जा रहा है। इन दोनों बिलों में से एक बिल स्व-घोषित ‘सैंचुरि’ ऐसे नगरों को संघीय डालर नहीं प्रदान करेगा जो संघीय आव्रजन प्राधिकरणों से ऐसे निवासियों को संरक्षण देंगे, जबकि दूसरा बिल (जिसे कंटेस लॉ भी कहा जाता है) अमरीका में अवैध रूप से पुनः प्रवेश करने वाले लोगों के लिए दंडों को सख्त करेगा।

यूके ने तारीख 06 अप्रैल, 2017 से प्रव्रजन सलाहकार समिति की सिफारिशें लागू कर दी हैं जिनमें श्रेणी-2 अंतः-कंपनी अंतरण (आईसीटी) अल्पावधिक वीजा मार्ग बंद करने, प्रति वैध वीजा वर्ष 1,000 पाउंड प्रति प्रवासी का आव्रजन कौशल प्रभार (आई एस सी) और आव्रजन स्वास्थ्य प्रभार लगाना तथा श्रेणी-2 (आईसीटी) वीजा के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा में बढ़ोतरी करना भी शामिल है। यूरोपीय संघ ने भी डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवसी रूल्स लागू किए हैं जो भारतीय कंपनियों को भारत से सेवाएं प्रदान करने पर कारगर ढंग से प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि अमरीका को सुरक्षित आश्रय स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। आस्ट्रेलिया में, संघीय सरकार ने यह घोषणा की है कि यह वीजा की 457 श्रेणी को समाप्त करेगी और आस्ट्रेलियाई कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए इसके स्थान पर दो नई वीजा श्रेणियां लाएगी।

नव आगंतुकों से प्रतिस्पर्धा: भारतीय सेवा कंपनियों ने विगत दशक में आधुनिक अपतटीय उद्योग का सृजन करके विघटनकारी कंपनियों के रूप में अपनी ख्याति में सुधार किया था, किन्तु अब उनके स्थान को इस नए माहौल में उत्पन्न विशेषज्ञ और उपयुक्त स्टार्टअप के प्रबल समूह द्वारा चुनौती दी गई है। उपयुक्त कंपनियां ऐसे अत्यधिक विशेषज्ञतापूर्ण समाधानों का सृजन कर रही हैं जो उनके ग्राहकों की समस्याओं या मामलों का अतिविशिष्ट उपयोग द्वारा निराकरण करते हैं। समवेतबमण्वव जैसे क्षेत्रीय या उद्यम प्लेटफॉर्म ऐसे संपूर्ण इकोसिस्टम का सृजन करते हैं जो अंतःप्रज्ञ घन-आधारित प्रौद्योगिकी के साथ समस्याओं का आसानी से समाधान करता है। भारत, ग्लोबैट, ईपीएएम, और लक्सोफ्ट जैसी अपेक्षाकृत नई कंपनियों सहित पूर्वी यूरोप और लैटिन अमरीका से आगंतुकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

रोजगार हानि की चुनौतियां: घन-आधारित सेवाओं जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों में अपेक्षाकृत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और कंपनियों को नई प्रौद्योगिकियां और पुनः कौशल सीखना होता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट (2016) के अनुसार, भारत में ऑटोमेशन से 69 प्रतिशत रोजगार खतरे में है, जबकि चीन में 77 प्रतिशत, इथोपिया में 85 प्रतिशत। एजीक्यूटिव सर्च फर्म हैड हंटर्स इंडिया के अनुसार, अपेक्षाकृत नवीन प्रौद्योगिकियों से तालमेल बिटाने में तैयारी पूरी न होने के कारण अगले तीन वर्षों के दौरान रोजगार में आईटी क्षेत्र में 1.75 लाख और 2 लाख के बीच वार्षिक कटौती होगी। मैककिन्से एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार आईटी सेवा कंपनियों में लगभग आधा कार्यबल अगले 3-4 वर्षों में “अप्रसंगिक” हो जाएगा तथा उद्योग के लिए भविष्य में 50-60 प्रतिशत कार्यबल को पुनःप्रशिक्षित करने की बड़ी चुनौती होगी क्योंकि प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जबरी छुट्टी की भी रिपोर्टें हैं। हालांकि, नैसकॉम इसका विशेष रूप से खंडन करता है। नैसकॉम के अनुसार, निजी क्षेत्र के इस सबसे बड़े नियोजक ने विगत 3 वर्षों में 6 लाख से अधिक नए कर्मचारी जोड़े हैं और 2025 तक 2.5 से 3 मिलियन से अधिक रोजगार और जोड़ने की संभावना है। तथापि, कौशल की पृष्ठभूमि में तेजी से परिवर्तन किया जाना नियत किया गया है क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों के इर्द-गिर्द कौशलों की मांग अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है। अनेक कंपनियों ने अपने मौजूदा कर्मचारियों को पुनः कौशल प्रदान करने के लिए समर्पित कार्यक्रमों की रचना की है। 2016-17 में, लगभग 1.7 लाख रोजगार सृजित किए गए और 2016-17 की चौथी तिमाही में ही शीर्ष 5 कंपनियों द्वारा 50,000 से अधिक कुल लोग काम पर लिए गए थे। किन्तु भारतीय श्रम ब्यूरो के आंकड़े यह इंगित करते हैं कि अप्रैल से दिसम्बर, 2016 के दौरान आईटी-बीओपी क्षेत्र में नियोजन में परिवर्तन केवल 0.22 लाख था। इस प्रकार भाड़े पर लेने वालों की निवल वृद्धि दर में मामूली कमी आई है जैसाकि नैसकॉम ने भी इंगित किया है।

घरेलू चुनौतियां: कुशल डिजिटल प्रतिभा की कमी, श्रेणी-2 और 3 के नगरों में अल्प-विकसित अवसररचना और उत्पाद स्टार्टअप के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक विनियमों जैसी कुछ घरेलू चुनौतियां भी हैं।

स्रोत: नैसकॉम एंड डेस्क रिसर्च से प्राप्त सूचना पर आधारित।

नकदीरहित अर्थव्यवस्था के प्रति अभियान, स्टार्टअप इंडिया के जरिए अभिनवता लाने के प्रयास, आदि जैसी दीर्घावधि पहलों के माध्यम से भविष्य में प्रौद्योगिकी में स्थायी रूप से सुधार होने की आशा है।

भवन संपदा और आवासन

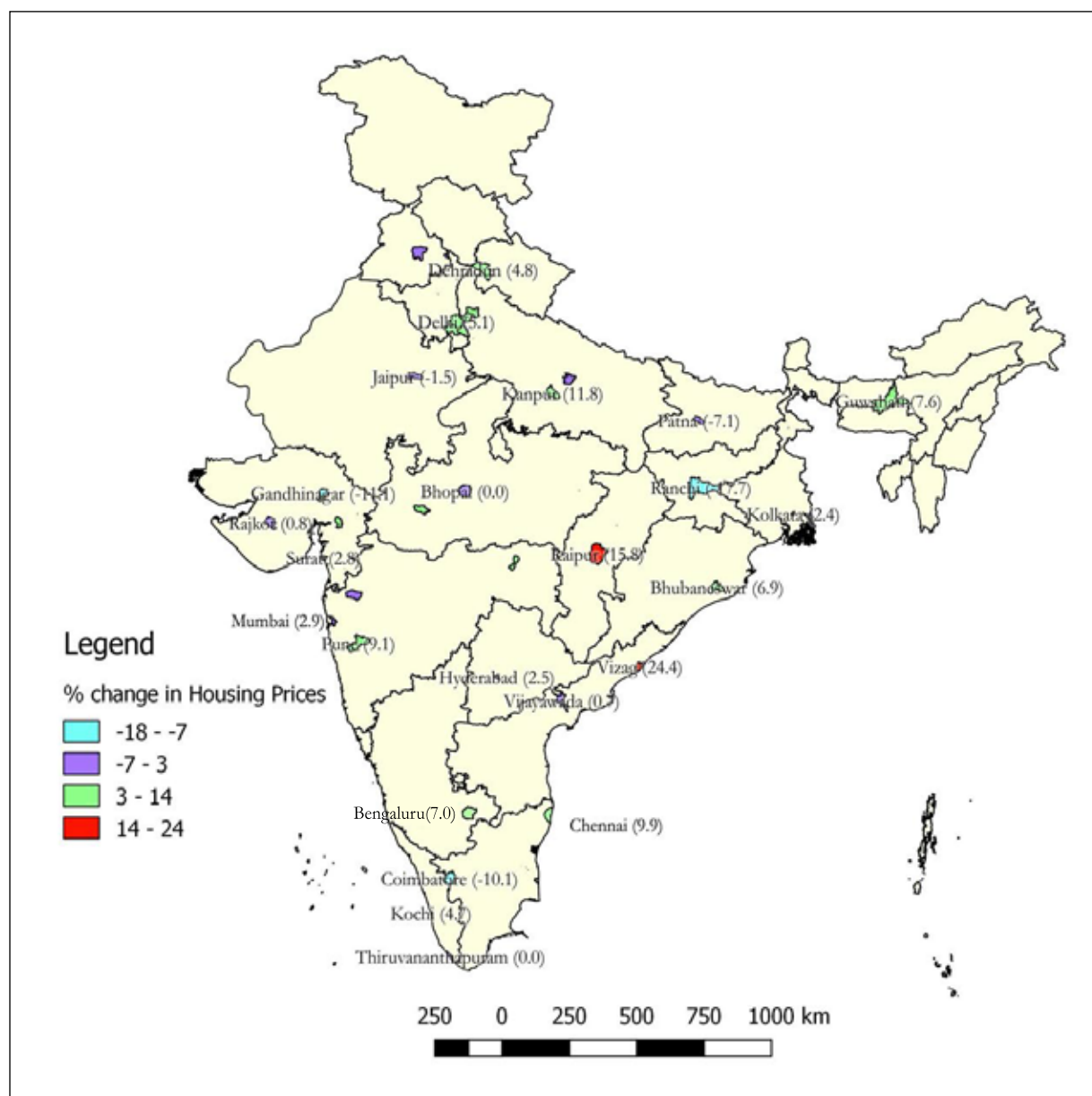
9.38 वर्ष 2015-16 में भारत की समग्र सकल मूल्य वृद्धि में स्वामित्व और निवास इकाइयों सहित भवन संपदा क्षेत्र का हिस्सा 7.6 प्रतिशत बैठता था। विगत 3 वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि 2013-14 में 7.5 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 6.7 प्रतिशत तथा 2015-16 में और भी घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई है। इसका मुख्य कारण समग्र सकल मूल्य वृद्धि में स्वामित्व और निवास इकाइयों का 6.8 प्रतिशत हिस्सा 2013-14 में 7.1 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 3.2 प्रतिशत रह जाना था। निर्माण क्षेत्र, जिसमें इमारतें, बांध, सड़कें, सेतु आदि शामिल हैं, की वृद्धि 2015-16 में 5.0 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 1.7 प्रतिशत रह गई है।

9.39 वर्ष 2016 में भारत के शीर्ष 8 नगरों में रिहायशी आवासों की बिक्री विगत 3 वर्षों में मांग में आई कमी के कारण पांच वर्ष के निम्नस्तर, लगभग 2,45,000 इकाइयां, रह गई है। इसी प्रकार, लांच की गई नई रिहायशी इकाइयों की बिक्री भी वर्ष 2016 के दौरान 1,76,000 इकाई रह गई है। लांच की गई इकाई में आई 64 प्रतिशत गिरावट महत्वपूर्ण थी जबकि बिक्री में लगभग एक-तिहाई की गिरावट आई। इसका मूल कारण दीर्घकालिक मंदी और परियोजना पूरा होने में विलंब रहा जिसके परिणामस्वरूप सभी नगरों में इन्वेंटरी बढ़ती गई। रोचक तथ्य यह है कि इस दीर्घकालिक मंदी के बीच भवन संपदा के प्रवर्तकों में एक सकारात्मक विकास (और अधिक परिपक्वता) ला रहा था और बाजार में नई आपूर्ति को सीमित कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रिहायशी आवासों की बिक्री में 2015 और 2016 में लगातार दो वर्षों तक नई आपूर्ति की गति में कमी आई। नवम्बर, 2016 में हुए विमुद्रीकरण ने अल्पावधि में नवीन इकाइयों के लांच और बिक्री को संभवतः प्रभावित किया जिससे अनेक राज्यों में विमुद्रीकरण के पश्चात संपत्ति के पंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई। निर्माण क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह भी 2016-17 में

1.9 बिलियन अमरीकी डालर रह गया जबकि 2016-17 में यह 4.6 बिलियन अमरीकी डालर था, हालांकि गत दो से तीन वर्षों के दौरान निर्माण विकास क्षेत्र के लिए एफडीआई के मानदंडों में ढील दी गई थी। मांग में आई कमी के बावजूद, रिहायशी आवासों की कीमतों में एनएचबी रेजिडेक्स के साथ गिरावट नहीं आई, यह 2015-16 की चौथी तिमाही की तुलना में 2016-17 की चौथी तिमाही में 50 नगरों में से 33 नगरों में कीमतों में बढ़ोतरी दर्शाता है। वर्ष के दौरान सबसे अधिक बढ़ोतरी विशाखापत्तनम (24 प्रतिशत) में देखी गई इसके बाद रायपुर (16 प्रतिशत) का स्थान था (चित्र 8)। 2015-16 के औसत की अपेक्षा 2016-17 का रेजिडेक्स सूचकांक भी 50 नगरों में से 42 नगरों में हुई कीमत वृद्धि के साथ यही परिणाम दर्शाता है। 2016-17 की दूसरी तिमाही की तुलना में केवल 2016-17 की चौथी तिमाही (अर्थात् विमुद्रीकरण से पहली तिमाही) यह दर्शाती है कि 50 नगरों में से 32 नगरों में मकानों की कीमत में गिरावट आई है। लेकिन इसका कारण यह भी हो सकता है कि 50 नगरों में से क्रमशः 41 और 31 नगरों में पिछली तिमाहियों में मकानों की कीमतों में वृद्धि के साथ तिमाहियों की अपेक्षा 2016-17 की पहली और दूसरी दोनों तिमाहियों में मकानों की कीमतों में अचानक उछाल आया था।

9.40 भवन संपदा और आवासन क्षेत्र में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दों और चुनौतियों में परमिटों का अनुमोदन, स्टाम्प ड्यूटी सहित उच्च भूमि पंजीकरण लागतें, ऋण स्तरों और अनर्जक आस्तियों का बढ़ना, कुशल कार्यबल का अभाव तथा भवन निर्माताओं द्वारा मकानों का विलंब से दिया जाना शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017' के अनुसार, निर्माण परमिटों पर कार्रवाई करने वाले 190 देशों में से भारत का स्थान 185वां है। भारत में किसी भवन संपदा परियोजना को विकसित करने के लिए किसी प्रवर्तक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित 30-35 विनियामकों के अनुमोदनों होते हैं फिर भी विभिन्न अनुमोदनों के लिए छह से बारह महीने या इससे भी अधिक समय लग जाता है। इसके परिणामस्वरूप, संपूर्ण प्रक्रिया बोझिल हो जाती है और इससे विलंब भी होता है। इसके चलते परियोजना की लागत 20-30 प्रतिशत बढ़ जाती है।

चित्र 8. आवासन मूल्य चुनौतियां (2015-16 तिमाही 4 के मुकाबले 2016-17 तिमाही 4)



स्रोत: एनएचबी रेजिडेक्स इंडेक्स डाटा पर आधारित।

संपत्ति को रजिस्टर करने वाले 190 देशों में से भारत का स्थान 138वां है। उप-नियम भी वैश्विक बेंचमार्क और सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार अद्यतन नहीं किए गए हैं। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का बढ़ना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भवन संपदा क्षेत्र को निर्दिष्ट उच्चतर जोखिमकारी उपबंध तथा भवन संपदा क्षेत्र में लाभों का कम होते जाना जैसे कारकों के चलते बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को उधार देने पर असर पड़ता है। भवन संपदा क्षेत्र को उधार देने वाले बैंकों में 2010 में 57 प्रतिशत से

2016 में 24 प्रतिशत से भी कम की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि निजी इक्विटी निवेश में वृद्धि हुई है (एनएआईडीसीओ और केपीएमजी) 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल आवासन ऋण बकाया राशि 15.2 प्रतिशत की वृद्धि (वर्षानुवर्ष) के साथ लगभग 8.6 ट्रिलियन रुपए थी जबकि आवासन वित्त कंपनियों (एचएफसी) की कुल आवासन ऋण बकाया राशि इसी अवधि के दौरान 15.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ

5.0 ट्रिलियन रुपए थी। भवन संपदा क्षेत्र नकदी की समस्याओं और बढ़ते जा रहे ऋण से भी जूझ रहा है। भारत में सूचीबद्ध भवन संपदा प्रवर्तकों का कुल बकाया ऋण 2006-07 में 25,000 करोड़ रुपए (3.7 बिलियन अमरीकी डालर) से बढ़कर 2015-16 में 83,000 करोड़ रुपए (12 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया है (एनएआरआईडीसीओ और केपीएमजी)।

9.41 सरकार ने भवन संपदा और आवासन क्षेत्र की सहायता करने के लिए अनेक नीतियां तैयार की हैं। सरकार द्वारा किए गए कुछ हालिया नीतिगत उपायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी), भवन संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, स्मार्ट सिटीज मिशन, भवन संपदा निवेश न्यास (आरआईआईटी) और अवसंरचना निवेश न्यास (इन्व आईटी), सस्ती आवासन परियोजनाओं के लिए कर-प्रोत्साहक दावा करने के लिए शर्तों में छूट, और बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 शामिल हैं।

उपग्रह-मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएं

9.42 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें सामाजिक विकास और कार्यनीतिक अपेक्षाओं से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए संचार, नौसंचालन तथा भू-प्रक्षेपण शामिल हैं, की अनुप्रयोज्यता के जरिए राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। पिछले तीन दशकों से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष और लिए गए आदानों को समाविष्ट करते हुए मिश्रित मॉडलों के विकास, निर्णय में सहायता और शीघ्र चेतावनी प्रणालियों के विकास के लिए आसान मानचित्रण अनुप्रयोज्यताएं उपलब्ध कराने से परिपक्व हो गई है। अनेक बार अंतरिक्ष संबंधी अनुप्रयोज्यता के लाभ अमूर्त प्रकृति के होते हैं और उनकी मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तथापि, कुछ मामलों में कतिपय अंतरिक्ष अनुप्रयोज्यताओं के आर्थिक लाभों की मात्रा निर्धारित की जा सकती है जो उन प्रयोज्यताओं से इसके सामाजिक आयाम के अनुरूप महत्वपूर्ण योगदान को इंगित करते हैं। उपग्रह-मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएं दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत अपनी छाप छोड़ रहा है और भविष्य में इसकी बृहत संभावना है।

उपग्रह मानचित्रण

9.43 विगत दशकों से, भू-प्रेक्षण (ईओ) आंकड़े, यथा

स्थान प्रेक्षण और यंत्रों के साथ एकीकृत, भू और जल, महासागर और वातावरण, पर्यावरण और ईको प्रणाली, शहरी और ग्रामीण अनुप्रयोज्यताओं तथा आपदा जोखिम में कमी के क्षेत्रों में अनुप्रयोज्यताओं की मेजबानी में सहायता करते रहे हैं। अंतरिक्ष संबंधी कुछ अनुप्रयोज्यताओं और सेवाओं से राजस्व का सृजन होता है और भारत के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। इनमें आईआरएस उपग्रहों से सीधे आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें संसाधित करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय सतही केंद्रों (आईजीएस) की स्थापना, जब उपग्रह अपने सतही केंद्र से गुजर जाते हैं; उनके सतही केंद्र में वास्तविक आंकड़ा अर्जन पर आधारित पहुंच शुल्क; इन आईजीएस द्वारा अपने ग्राहकों को अनुज्ञप्त आंकड़ों के लिए रॉयल्टी; विकासशील देशों को सीधे ही या अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को पुनः विक्रेताओं के माध्यम से आईआरएस उपग्रह आंकड़ा उत्पादों की लाइसेंसिंग, आदि शामिल हैं।

9.44 विगत तीन वर्षों में भारत द्वारा उपग्रह मानचित्रण से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक थी। इसमें से, सर्वाधिक अर्जन जर्मनी (57.4 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ था, इसके बाद अल्जीरिया (12.5 प्रतिशत) और चीन (6.5 प्रतिशत) का स्थान था। तथापि, हालिया वर्षों में विदेशी मुद्रा अर्जनों में कमी आई है (सारणी 11)। 2014-15 से, चीन और म्यांमार, जो भारत के चार शीर्ष बाजारों में थे, ने इन सेवाओं का उपयोग करना बंद कर दिया है। चीन के मामले में, करार समाप्त हो गए और चीन ने एक भाग या अपने भू-प्रेक्षण कार्यक्रम के रूप में ऑप्टिकल और माइक्रोवेव में उपग्रहों की श्रृंखला विकसित की है जो स्थानिक और स्पेक्ट्रल के विविध प्रकार के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। म्यांमार के मामले में, एंटीक्स-अंतरिक्ष विभाग की वितरण इकाई, नए सिरे से सहयोग करने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, इसरो भारतीय रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स (रिसोर्ससेट-2 और ओशियनसेट-2 से) आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें संसाधित करने के लिए म्यांमार सहित आसियान सदस्यों को सहायता प्रदान करने और आसियान सदस्य देशों के लाभार्थ अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोज्यताओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी एक परियोजना का अनुगमन कर रहा है।

सारणी 11. सेटेलाइट मैपिंग सेवा निर्यात (आईआरएस संबंधी सेवा)

विदेशी मुद्रा अर्जित (करोड़ रुपए में)						
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	संचयी
कुल	38.09	14.82	28.84	25.10	11.38	118.23
जर्मनी	20.86	9.88	11.52	17.97	7.57	67.80
अल्जिरिया	2.80	0.70	8.96	2.38	--	14.84
चीन	6.74	0.87	0.11	--	--	7.72
म्यांमार	2.64	2.16	2.40	--	--	7.20
ईरान	--	--	0.88	3.52	2.48	6.88
नार्वे	--	--	4.15	1.23	0.63	6.01
फ्रांस	2.19	1.17	--	--	--	3.36
यूएसए	2.80	--	--	--	--	2.80
यूके	--	--	0.82	--	0.70	1.52

स्रोत: एंट्रिक्स, इसरो।

9.45 भू-स्थानिक बाजार में मूल रूप से आंकड़ा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मानचित्रण सहित सेवाएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से, आंकड़ा संघटक केवल 5 प्रतिशत है। इस आंकड़ा संघटक में से, एशिया प्रशांत क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत है। अनेक उच्च समाधान आंकड़ा प्रदाताओं के कारण बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। एंट्रिक्स, अब केवल मध्यम और अपरिष्कृत समाधान आंकड़ा उत्पादों का विपणन करने में समर्थ है। अनेक देशों में मुफ्त और मुक्त आंकड़ा नीति, खासकर अमेरिका के लैंड सेट-8, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) से मुफ्त आंकड़ों की उपलब्धता जिसके परिणामस्वरूप ये आंकड़े पूरे विश्व को व्यावहारिक रूप से मुफ्त मिल रहे हैं, के कारण मध्यम और अपरिष्कृत समाधान आंकड़ा खंड के लिए वाणिज्यिक संभावना गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। फिलहाल अनेक देश दूर संवेदी आंकड़ों को सामाजिक या सार्वजनिक वस्तु के रूप में मान रहे हैं। चालू परिदृश्य में केवल उच्च और अति-उच्च समाधान आंकड़ों के ही वाणिज्यिक बाजार हैं। इस बाजार में भी विश्व भर में अनेक निजी उपग्रह प्रचालकों की वजह से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। फिलहाल, एंट्रिक्स, पूरे विश्व में विभिन्न उपयोगकर्ताओं को कार्टोसेट-1 डाटा (जो 2.5 एम स्टीरियो डाटा की पेशकश करता है) का विपणन कर रहा है और इस डाटा खंड में एंट्रिक्स

का योगदान मामूली (0.5 प्रतिशत से कम) है। तथापि, उच्च/अति-उच्च समाधान डाटा उपग्रहों के कार्यान्वयन के साथ इस स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

उपग्रह प्रक्षेपण

9.46 भारत ने पृथ्वी की कक्षा में स्वदेशी उपग्रहों का आत्मनिर्भर तरीके से अपना प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत का प्रचालनात्मक कार्योपयोगी यान, पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी) एक चार-स्टेज वाला यान है जिसे ध्रुवीय सूर्य-समकालिक कक्षा में दूर संवेदी उपग्रहों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। 10 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार, पीएसएलवी के 40 प्रक्षेपण किए जा चुके हैं। पिछली बार संचालित 39 मिशनो ने सफलताओं की झड़ी लगा दी है, यद्यपि ध्रुवीय कक्षाओं में दूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु प्रारंभिक रूप में निर्मित यान संचार, मौसम विज्ञान और नौचालन उपग्रहों को उप-भू अंतरण कक्षा (सब-जीटीओ) में प्रक्षेपित करने के अनुरूप रहा है। स्वदेशी रूप से निर्मित उपग्रहों के प्रक्षेपण के अलावा, पीएसएलवी एंट्रिक्स के साथ वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के जरिए ग्राहकों को उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं भी प्रदान करता है। मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, पीएसएलवी ने 225 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिए हैं। इनमें

सारणी 12. सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवा निर्यात

वित्त वर्ष	विदेशी मुद्रा अर्जन (करोड़ में रुपए) *	सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवा का प्रयोग करने वाले देश	वैश्विक सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवा राजस्व (यूरो मिलियन)	वैश्विक सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवा राजस्व में भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
2012-13	136.18	कनाडा, फ्रांस, जापान, यूके	5160	0.4
2013-14	--	--	4800	--
2014-15	149.41	कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर	5250	0.3
2015-16	394.22	कनाडा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएसए	4800	1.1
2016-17	274.66	अल्जिरिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, यूएसए	लागू नहीं	--

स्रोत: इसरो “सेटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन” द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित “स्टेट ऑफ द सेटेलाइट इंडस्ट्री रिपोर्ट” पर आधारित।

टिप्पणी: *अर्जन प्रक्षेपण के वर्ष में दर्ज किए गए हैं।

37 राष्ट्रीय उपग्रह, विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्मित 8 विद्यार्थी उपग्रह, एक पुनः-प्रविष्टि मिशन और 23 देशों के 180 विदेशी उपग्रह शामिल हैं।

9.47 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहकों को प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए, एंट्रिक्स ग्राहक और इसरो के बीच एकल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और ग्राहक को शुरू से अंत तक सहयोग प्रदान करता है। उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन में 2015-16 और 2016-17 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण सेवा राजस्व में भारत के हिस्से में भी बढ़ोतरी हुई है (सारणी 12)। 2015-16 में विदेशी मुद्रा अर्जन 2016-17 की तुलना में अधिक था क्योंकि 2015-16 में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए समर्पित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) मिशनों की संख्या दो थी, जबकि 2016-17 में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह मिशनों के लिए सह-यात्रियों के रूप में केवल अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था।

9.48 पीएसएलवी और भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण

यान (जीएसएलवी) के सफल कीर्तिमान तथा वैश्विक रूप से लघु उपग्रह बाजार के उभरने, (खासकर अमरीका और यूरोप में), के साथ, एंट्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनी निचली पृथ्वी कक्षा (एलईओ) उपग्रहों, जिनमें समर्पित प्रक्षेपण विकल्प के रूप में पीएसएलवी के बोर्ड पर तारामंडल नक्षत्रों और जीएसएलवी के बोर्ड पर अपेक्षाकृत छोटे संचार उपग्रह शामिल हैं, के प्रक्षेपण के लिए पीएसएलवी और जीएसएलवी प्रक्षेपण सेवाओं के काफी अधिक उपयोग की संभावनाएं दिखाई देती हैं।

निष्कर्ष

9.49 भारत की सेवा क्षेत्र वृद्धि, जो वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी अत्यधिक क्षमतापूर्ण थी, उसमें हालिया समय में नरमी दिखाई दे रही है। तथापि, हालिया महीनों में बेहतर निष्पादन दर्शाने वाले क्षेत्र के कुछ खंडों में सुधार दिखाई देता है। यह निष्कर्ष सर्विसेज पीएमआई ऑफ इंडिया में भी प्रतिबिम्बित होती है, जो नए कारोबार के अंतर्वाहों में ठोस और अपेक्षाकृत अधिक मजबूत उछाल के समर्थन से जून, 2017 में बढ़कर 53.1 हो गई। यह अक्टूबर, 2016 से सर्वाधिक मजबूत है।

सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार और मानव विकास

10

अध्याय

“हमारे अर्थतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मानव पूंजी का विकास। इसके अभाव में रह जाएगा केवल कठोर शारीरिक श्रम और गरीबी ...”

— टी० डब्ल्यू० शल्ट्ज़

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानव पूंजी में निवेश करना आर्थिक विकास का मुख्य तत्व है। भारत में फैली अधिकांश गरीबी का समाधान उसकी मानव-पूंजी को बढ़ाकर किया जा सकता है। ऐसा पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा में निवेश करके और रोज़गार के लिए उपयुक्त कौशल शिक्षा की व्यवस्था करने से होगा। हालांकि भारत की सामाजिक नीतियों में जन-कल्याण और मानव-विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, फिर भी हाशिए पर आ चुके लोगों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की क्षमताओं को बढ़ाने में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करने की चुनौतियां अभी भी सामने खड़ी हैं। भारत जहां ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था के सहारे विकास के लिए तैयार है, वहीं मानव पूंजी में निवेश करके लाभ भी बटोरे जाने हैं।

10.1 भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मानवीय पूंजी लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने तथा उन्हें एक स्वस्थ एवं सफल जीवन जीने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विगत वर्षों के दौरान एचडीआई स्कोर में पर्याप्त सुधार के बावजूद एचडीआई, 2016 के अनुसार मानव विकास सूचकांकों में 188 देशों में भारत का स्थान 131 वां है जो अपेक्षित वृद्धि से कोसों दूर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 2016 में 118 विकासशील देशों में भारत 97 वें स्थान पर है, उसमें भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की वृद्धि-बाधिता 39 प्रतिशत होना एक गहन चिंता का विषय है। इस परिदृश्य को देखते हुए भारत को सामाजिक बुनियादी ढांचे में प्रभावी निवेश करने की आवश्यकता है ताकि वह अपने धारणीय विकास लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्ति

10.2 शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचों में सरकारी निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास

के लिए अति आवश्यक है। केंद्र एवं राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सामाजिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय 2011-12 से 2014-15 की अवधि के मध्य 6 प्रतिशत के स्तर पर ही स्थिर रहा जबकि 2015-16 (सं.अ.) से 2016-17 (ब.अ.) के मध्य उसने 1 प्रतिशतांक बिन्दु की वृद्धि दर्ज की। जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में, शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय जो 2009-10 से 2013-14 की अवधि में लगभग 3.1 प्रतिशत पर स्थिर था, हालांकि यह 2014-15 में 2.8 प्रतिशत तक घट गया (सारणी 1)।

10.3 राज्य सरकारों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, उपेक्षित समूहों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए योजनाएं हैं। राज्य स्तर पर 2015-16 तक कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से में आंशिक वृद्धि हुई है (चित्र 1)।

सारणी 1. सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्यों) द्वारा सामाजिक सेवा व्यय की प्रवृत्तियां

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16(RE)	2016-17(BE)
	(रु० करोड़)					
कुल व्यय	24,21,768	26,94,934	30,00,299	32,85,210	39,74,103	44,48,860
सामाजिक सेवाओं में व्यय	5,80,868	6,58,320	7,46,391	7,67,622	10,02,591	11,18,094
जिसमें से:						
i) शिक्षा	2,77,053	3,12,932	3,48,267	3,53,589	4,23,171	4,74,672
ii) स्वास्थ्य	1,10,228	1,25,524	1,39,280	1,48,791	1,91,141	2,21,466
iii) अन्य	1,93,587	2,19,865	2,58,844	2,65,242	3,88,279	4,21,955
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में						
कुल व्यय	27.7	27.1	26.7	26.4	29.1	29.5
सामाजिक सेवाओं में व्यय	6.6	6.6	6.6	6.2	7.3	7.4
जिसमें से:						
i) शिक्षा	3.2	3.1	3.1	2.8	3.1	3.2
ii) स्वास्थ्य	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	1.5
iii) अन्य	2.2	2.2	2.3	2.1	2.8	2.8
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में						
सामाजिक सेवाओं में व्यय	24.0	24.4	24.9	23.4	25.2	25.1
जिसमें से:						
i) शिक्षा	11.4	11.6	11.6	10.8	10.6	10.7
ii) स्वास्थ्य	4.6	4.7	4.6	4.5	4.8	5.0
iii) अन्य	8.0	8.2	8.6	8.1	9.8	9.5
सामाजिक सेवाओं के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में						
पर व्यय						
i) शिक्षा	47.7	47.5	46.7	46.1	42.2	42.5
ii) स्वास्थ्य	19.0	19.1	18.7	19.4	19.1	19.8
iii) अन्य	33.3	33.4	34.7	34.6	38.7	37.7

स्रोत: केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बजट प्रपत्र।

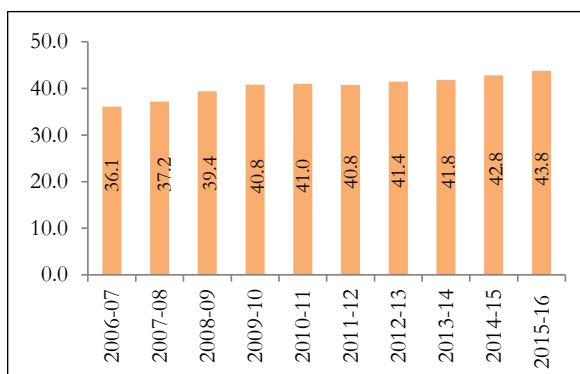
टिप्पणी: 1. सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल (क्रीड़ा), कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण, श्रम एवं श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत कार्य आदि विषय आ जाते हैं।

2. 'शिक्षा' पर व्यय का संबंध शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर व्यय से है।

3. 'स्वास्थ्य' पर व्यय के अंतर्गत चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर किया जाने वाला व्यय भी आ जाता है।

4. 2011-12 से जी.डी.पी. आंकड़े नई श्रृंखला के अनुसार हैं, जिसका आधार वर्ष 2011-12 पर है। 2014-15 तथा 2015-16 के जी.डी.पी. आंकड़ों का संबंध 28 फरवरी, 2017 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान से है। 2016-17 के जी.डी.पी. को 2016-17 के केंद्रीय बजट से लिया गया है।

चित्र 1. सामाजिक सेवाओं में राज्य व्यय के हिस्से की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

10.4 2014-15 तथा 2015-16 के मध्य राज्य स्तरीय बजटों के विश्लेषण के अनुसार समाज सेवाओं में राज्यों की बढ़ती भागीदारी में अंतर हैं। सामाजिक क्षेत्रों में किए गए व्यय में बढ़त को जहां पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गुजरात जैसे राज्यों में 15 से 20 प्रतिशत तक दर्ज किया गया वहीं बिहार (46 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (49 प्रतिशत) तथा झारखंड (53 प्रतिशत) जैसे गरीब राज्यों में यह 45 प्रतिशत से भी अधिक है।

10.5 सामाजिक क्षेत्र संबंधी व्यय के प्रतिशत में वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, बीमारी/मृत्युदर में कमी एवं बेहतर जीवन स्तर के जरिए राज्यों के परिणामों में परिलक्षित होना आवश्यक है। वांछनीय परिणामों में कमियों के कारणों की पहचान एवं उनकी ओर ध्यान देने की दृष्टि से सामाजिक क्षेत्र के स्थान पर केन्द्र और राज्यों में उपयुक्त, मानीटरिंग प्रणाली की आवश्यकता है। इस संबंध में नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों की राज्य स्तर पर नियमित आधार पर निगरानी करता है। इसके अलावा नीति आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक सामाजिक शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया है, जो स्कूली बच्चों में शिक्षण परिणामों को मानीटर करने और उसमें सुधार का मिश्रित सूचकांक है।

शिक्षा में चुनौतियाँ

10.6 चूंकि भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अतः गुणवत्ता एवं सुसंगत शिक्षा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

प्राथमिक शिक्षा

10.7 प्रारंभिक शिक्षा एक आधार है जिस पर बच्चे की शिक्षा का ढांचा खड़ा होता है और इस अधिकार को पाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 2005 से 'प्रथम शिक्षा फाउंडेशन' द्वारा आयोजित 'एन्युअल स्टेटस आन फाउंडेशन रिपोर्ट' (एएसईआर) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा परिणामों पर प्रकाश डालती है।

10.8 अखिल भारतीय स्तर पर एएसईआर 2016 के अनुसार 2014 तथा 2016 के बीच सभी आयु वर्ग के नामांकन में आंशिक वृद्धि हुई है। 2014 में 6-14 आयु वर्ग के लिए नामांकन 96.7 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 96.9 प्रतिशत हो गया, 15-16 आयु वर्ग के लड़कों तथा लड़कियों के मामले में नामांकन आंशिक वृद्धि के साथ 2014 में 83.4 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 84.7 प्रतिशत हो गया। फिर भी कुछ राज्यों में स्कूलों से बाहर रह गए बच्चों (आयु 6-14) का अनुपात 2014 तथा 2016 के बीच बढ़ा है। इसमें शामिल है मध्यप्रदेश (3.4 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (2 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत), और उत्तर प्रदेश (4.9 प्रतिशत से 5.3 प्रतिशत)। तीन राज्यों, अर्थात् राजस्थान (9.7 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (9.9 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (8.5 प्रतिशत) में स्कूल जाने वाली लड़कियों (आयु वर्ग 11-14) का अनुपात 8 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है।

10.9 राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी स्कूलों में शुरूआती श्रेणियों में पठन क्षमता में आंशिक वृद्धि हुई है। कक्षा 3 के छात्रों, जो कम से कम कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में सक्षम है, के अनुपात में आंशिक वृद्धि हुई है, अर्थात् यह 2014 में 40.2 प्रतिशत से 2016 में 42.5 प्रतिशत हो गया है। वस्तुतः एएसईआर रिपोर्ट कक्षा 3 के छात्रों की वृद्धि की तुलना कक्षा 1 के छात्रों से करती है, जो भारतीय प्राथमिक शिक्षा पर गंभीर आरोप है। प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों में अंकगणित विषयक कौशल में आंशिक सुधार हुआ है। बुनियादी अंकगणित के बारे में अखिल भारतीय (ग्रामीण) आंकड़े वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2016 में कक्षा 3 के लिए आंशिक सुधार का संकेत देते हैं; अर्थात् 25.4 प्रतिशत से 27.7 प्रतिशत। 2010 से यह पहला वर्ष जब अंकगणित शिक्षण संबंधी परिणामों में सुधार हुआ है, साथ ही इससे सरकारी

स्कूलों में सुधरे हुए निष्पादन का पता चलता है। तथापि एएसईआर रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि पठन तथा कक्षा 5 के अंकगणित कौशल के परिणाम में सुधार नहीं हुआ है और यह एक चिंता का विषय है (चित्र 2)।

10.10 'द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एण्ड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट' 2009 (आरटीई) से समूचे देश में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, किन्तु शिक्षण परिणामों के सन्दर्भ में गुणवत्ता की चुनौती की ओर ध्यान देने में असमर्थता रही है, जैसाकि ग्रामीण भारत के आंकड़ों से स्पष्ट है (चित्र 2)। वस्तुतः समस्या दृष्टिकोण में है, जिसमें पूरी तरह से आदानों (इनपुट) जैसे स्कूलों के ढांचों के लिए विनिर्देश, छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षक की अर्हता, शिक्षक के वेतन आदि पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, स्कूलों के प्रशासनिक दायित्वों से शिक्षकों की भाराक्रान्ति का भी प्राथमिक स्तर पर शिक्षण परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है सही इनपुट-आउटकम्स और (आदान-परिणाम) आव्यूह के जरिए शिक्षा गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाए।

10.11 अधिगम परिणामों में सुधार के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण आदान छात्र-शिक्षक अनुपात पीटीआर है

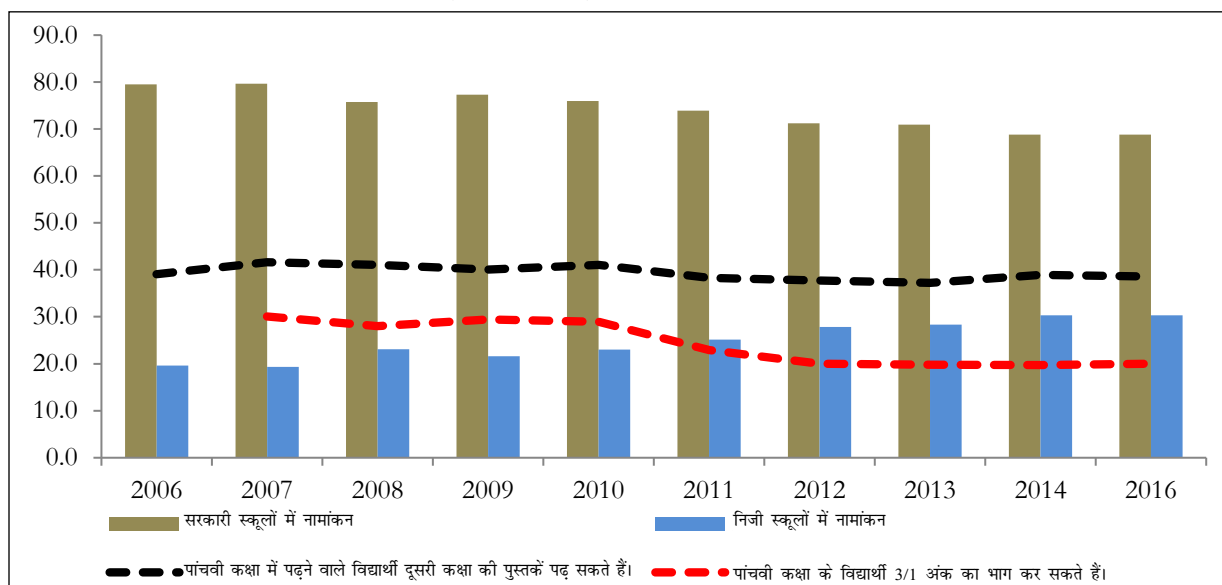
जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तथापि, एएसईआर 2016 रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है कि भारत में प्राथमिक विद्यालयों में पीटीआर और अधिगम स्तरों के बीच कोई सीधा सहसंबंध नहीं है (चित्र 3)। जिन राज्यों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पीटीआर उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है उनमें निम्न अधिगम परिणाम देखे जाते हैं।

10.12 इसके अतिरिक्त, विभिन्न आदान घटकों जैसेकि व्यावसायिक दृष्टि से योग्य और नियमित शिक्षकों का अभाव, कक्षा के लिए उपयुक्त अधिगम हेतु उपयोगी शिक्षा का अभाव, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सहायक उपकरणों की कमी; विद्यालयों में शिक्षकों तथा मध्याह्न भोजन के जरिए आकर्षित करने के प्रयास किए जाने के बावजूद छात्रों की अनुपस्थिति आदि को निम्न अधिगम परिणाम का कारण ठहराया जा सकता है।

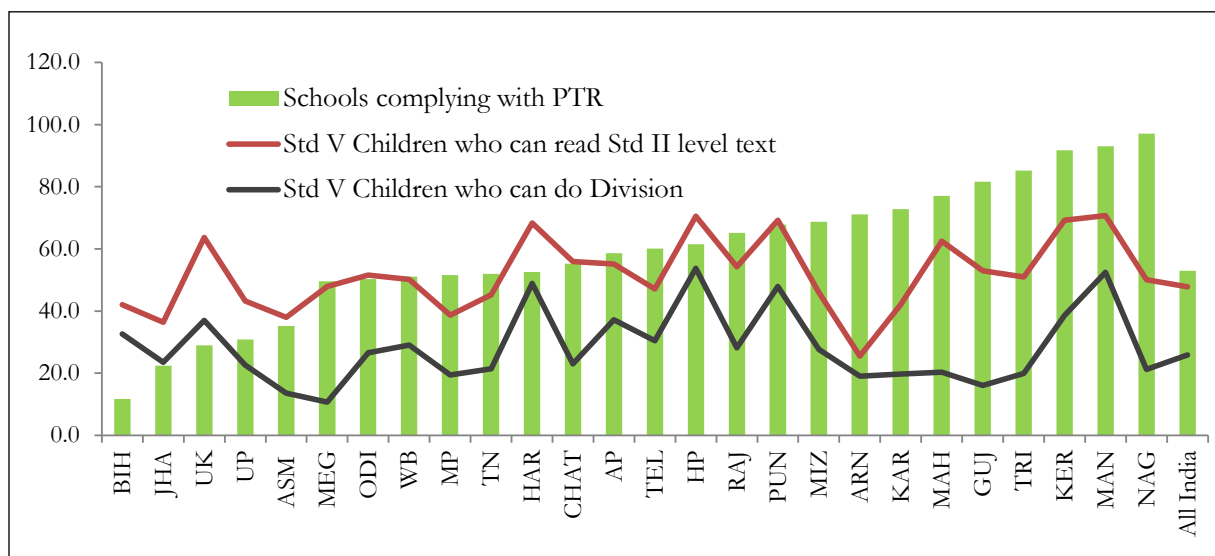
निधियों का सीधा अंतरण

10.13 शिक्षकों/स्टाफ के वेतन को आधार का उपयोग करके डीबीटी में प्रेषण की भांति सीधे भेजा जाए और इसे बायोमीट्रिक उपस्थिति से भी जोड़ा जाए। अभी डीबीटी को छात्रवृत्ति एवं छात्रों के अन्य भुगतानों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, इसके जरिए शत

चित्र 2. प्राथमिक स्कूलों में नामांकन और पढ़ने की स्थिति के रुझान (प्रतिशत में) - ग्रामीण भारत



चित्र 3. प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात और अधिगम स्तर 2016
(प्रतिशत)–ग्रामीण भारत



स्रोत: एएसईआर 2016

प्रतिशत अंतरित निधियों को हस्तांतरित करने का लक्ष्य है। डीबीटी से संसाधनों के अंतरण, लीकेज एवं विपथन में विलंब से बचा जा सकेगा। यह ऐसी स्थितियों पर भी ध्यान देगा, जहां कुछ राज्यों में शिक्षकों को देय वेतन का भुगतान बकाया है। शिक्षकों के वेतन की अदायगी न होने अथवा विलम्बित भुगतान से वे हतोत्साहित होते हैं और वे अपने मूल शिक्षण कार्य को छोड़कर आय के वैकल्पिक स्रोत तलाशने की ओर उन्मुख होते हैं।

विद्यालयों में उपस्थिति से संबंधित पायलट परियोजना

10.14 छह महीनों के भीतर एक पायलट परियोजना शुरू की जाए जिसमें प्रत्येक ब्लॉक के एक विद्यालय (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतम माध्यमिक प्रत्येक स्तर के एक विद्यालय) में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली आरंभ की जाए जिससे परिणामों में सुधार लाने में सहायता प्राप्त होगी। यह व्यवस्था प्रत्येक क्लास/सत्र के संबंध में लागू की जाए न कि दैनिक आधार पर। इसके साथ ही परीक्षा प्रश्न पत्रों के स्वतंत्र आधार पर निर्धारित किया जाए तथा उनका तटस्थ रहकर निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। एक

पायलट परियोजना से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसमें आशोधन किया जाए तथा इसे 2021-22 की समाप्ति से पूर्व भारत के सभी ब्लॉकों के सभी विद्यालयों में लागू किया जाए। शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण पढ़ने वाले प्रभावों के संबंध में किए गए विभिन्न अध्ययनों में से दो अध्ययनों का लिंक नीचे दिया गया है।¹

माध्यमिक शिक्षा

10.15 माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की पहली सीढ़ी है जो छात्रों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्कूली स्तर तथा श्रम बाजार के लिए आवश्यक कौशल से सज्जित एवं सशक्त करता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच में वृद्धि करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)–समेकित के अंतर्गत प्रत्येक वास स्थान से एक माध्यमिक विद्यालय खोलकर कक्षा IX-X में छात्रों की संख्या बढ़ाने, सभी माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था स्थापित करके माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक

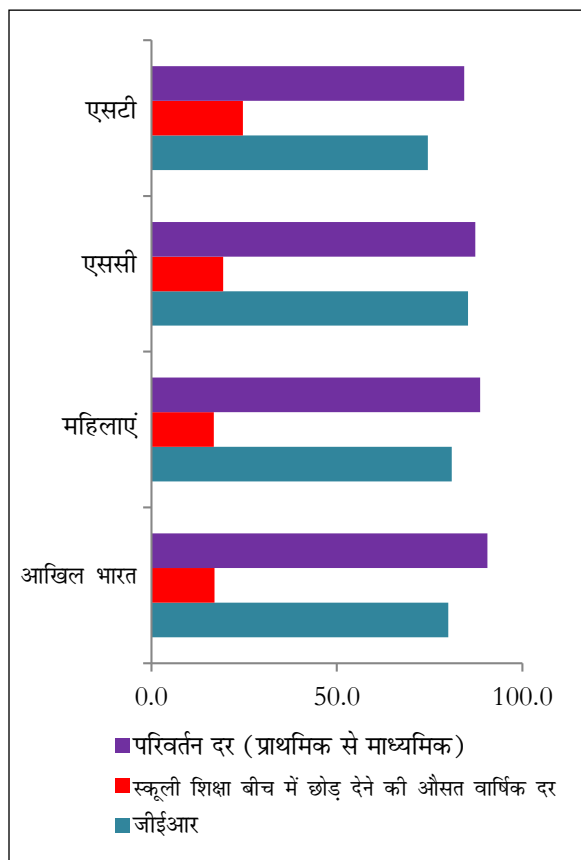
¹ (i) http://www.sas.upenn.edu/ppe/Events/uniconf_2011/documents/Saijhee.Aarti.FinalPaper.pdf

(ii) http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/36660_Teacher_absence_in_India_EEA_9_15_04_-_South_Asia_session_version.pdf

तथा निःशक्तता संबंधी कारकों को समाप्त करने, वर्ष 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा सर्वसुलभ बनाने तथा 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण की परिकल्पना की गई है।

10.16 माध्यमिक स्कूलों के संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) केवल 80 प्रतिशत है जो माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने तथा 100 प्रतिशत नामांकन की स्थिति से कम है। माध्यमिक स्तर (इसमें 12वीं कक्षा शामिल है) पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2011-12 के 56.8 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 65.3 प्रतिशत (अनंतिम) हो गया है। फिर भी, यह पैटर्न पूरे भारतभर में तथा विभिन्न सामाजिक समूहों में एक समान नहीं है (चित्र 4 और

चित्र 4. माध्यमिक स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात, स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने की औसत वार्षिक दर तथा परिवर्तन दर (प्रतिशत)



स्रोत: डीआईएसई, सेकंडरी स्कूल फ्लैश स्टैटिस्टिक्स, 2015-16

टिप्पणी: वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक औसत ड्रॉप आउट दर एवं ट्रांजिशन दर

5)। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ देने वाले छात्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे छात्रों की संख्या 17.1 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक 25 लगभग प्रतिशत रही है।

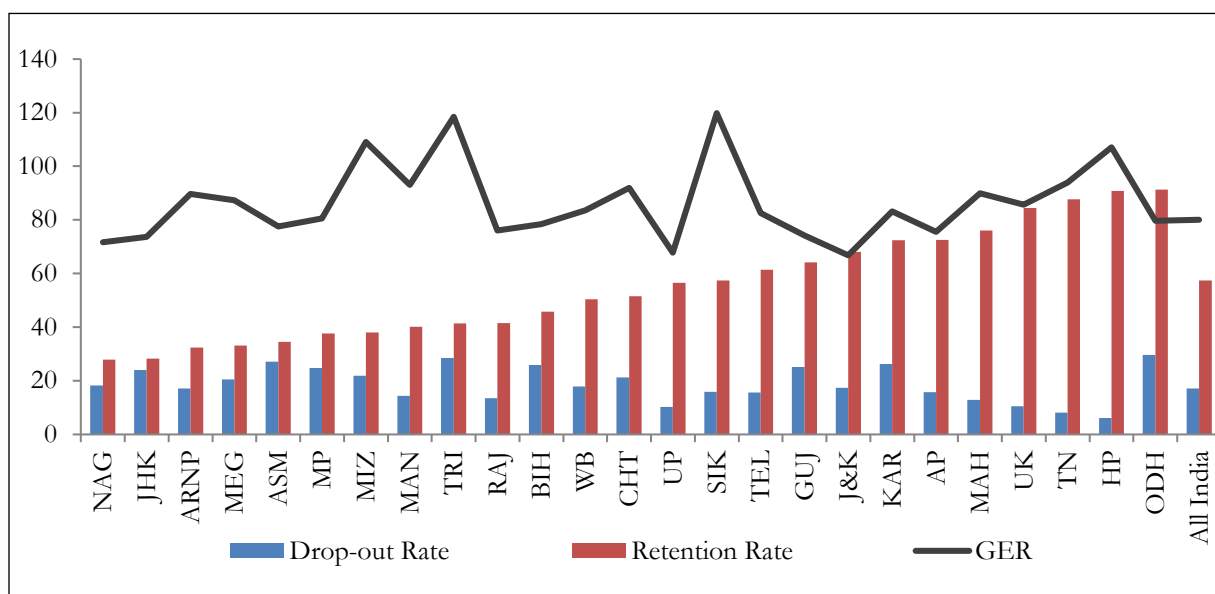
10.17 ओडिशा जैसे राज्यों में स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ देने वाले छात्रों की औसत संख्या 30 प्रतिशत तक रही है जिस पर नियंत्रण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। (चित्र 5)। इसी प्रकार, बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड तथा नागालैंड में माध्यमिक स्कूलों में प्रतिधारण दर 50 प्रतिशत से भी कम है। अखिल भारतीय स्तर पर माध्यमिक स्कूलों में प्रतिधारण दर 57 प्रतिशत है (चित्र 5) जिससे यह पता चलता है कि शिक्षा के संबंध में स्कीमों/कार्यक्रमों की सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है।

10.18 हमें लक्षित वर्ष 2020-21 तक 100 प्रतिशत जीईआर प्राप्त करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। 100 प्रतिशत जीईआर लक्ष्य के साथ ही 100 प्रतिशत निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) लक्ष्य तथा साथ ही प्राथमिक से माध्यमिक एवं तत्पश्चात उच्चतम/वरिष्ठतम माध्यमिक कक्षाओं, दोनों के संबंध में 100 प्रतिशत ट्रांजिशन दर प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके साथ अधिगम परिणामों के लक्ष्य का तय किया जाना आवश्यक है जिसका मूल्यांकन उसी कक्षा के लिए किया जाए तथा उसकी तुलना निम्न कक्षा की तुलना में नहीं हो जैसाकि एएसईआर सर्वेक्षण में किया जा चुका है।

10.19 सभी स्तरों पर प्रगति को ज्ञात करने, कमी की पहचान करने, तथा उनका समाधान करने के लिए उपायों को ढूंढने एवं व्यय की दक्षता में सुधार लाने के लिए अलग-अलग स्तरों (जिला और जिला से नीचे उप मंडल, ब्लॉक, तहसील, पंचायत, आदि) पर समेकित शिक्षा सूचकांक के साथ माध्यमिक से उच्चतर/वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों में जीईआर, एनईआर, ट्रांजिशन दर को उद्धृत करना उपयुक्त होगा।

10.20 अब तक स्कूली शिक्षा में मुख्य ध्यान भौतिक

चित्र 5. विभिन्न राज्यों में जीईआर, स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने की वार्षिक औसत दर तथा प्रतिधारण दर में अंतर (प्रतिशत)



स्रोत: डीआईएसई, सेकंडरी स्कूल फ्लैश स्टैटिस्टिक्स, 2015-16

टिप्पणी: वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक औसत ड्रॉप आउट दर

अवसंरचना सृजित करने पर दिया जाता रहा है जिसका क्षमता से कम उपयोग किया जा रहा है, अतः उन अवसंरचनाओं के उपयोग में वृद्धि करने पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एकल पारी में काम कर रहे स्कूलों की एक सूची तैयार करने की आवश्यकता है तथा अलग से बालिका प्राथमिक विद्यालय/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आदि के लिए दूसरी/अतिरिक्त पाली के संभावित उपयोग की पहचान करने के उपाय किए जाने चाहिए। इसके लाभों का विवरण बॉक्स 1 में है।

10.21 किसी भी स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण प्राप्त करने वाले प्रत्येक स्कूल की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) के समान एक पहचान टैग/संख्या होनी चाहिए जिससे केंद्र/राज्य/अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की पहचान करने में सहायता प्राप्त होगी जिससे आयकर अधिनियम की धारा 80जी (और अन्य धाराओं) के अंतर्गत कर रियायत प्राप्त होती है। टैग में उपलब्ध संसाधनों, अवसंरचना तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए और उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाए।

बॉक्स 1. स्कूलों में अवसंरचना का इष्टतम उपयोग

- सभी स्तरों के विद्यालयों के किसी एक ही स्थान पर अवस्थित होने की स्थिति में उनके पारस्परिक सह संबंध और दक्षता से लाभ प्राप्त करना।
- भौतिक अवसंरचनाओं, जैसे कि कक्षा कक्ष; विज्ञान प्रयोगशाला और उपकरण; विभिन्न पाठ्यक्रमों, कंप्यूटरों/कंप्यूटर के कमरों, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसंरचना; कला/शिल्प/सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले कक्ष, शौचालय और पेय जल सुविधा, खेल के मैदान और उपकरण, परामर्शदाता तथा प्रधानाचार्य के कमरे आदि के उपयोग में सुधार लाना।
- प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में तथा वहां से उच्चतर/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्रों की संख्या में निरंतरता लाना और इस प्रकार प्राथमिक से माध्यमिक और तत्पश्चात् उच्चतर/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ट्रांजिशन दर में सुधार लाना।
- सहोदर भाई-बहनों को एक ही स्कूल में दाखिला दिलाने से अन्य बातों के साथ स्कूल तक तथा स्कूल के भीतर बच्चों की सुरक्षित आवाजाही में सुविधा प्राप्त होगी।
- तीनों स्तरों के विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति सहित उनका कैरियर उन्नयन सुनिश्चित करके शिक्षकों के प्रतिधारण की दर में सुधार लाना।

महिला-पुरुष समानता सूचकांक

10.22 महिला-पुरुष समानता सूचकांक (जीपीआई) से उपस्थिति के विभिन्न स्तरों पर बालक और बालिका छात्रों की शिक्षा में सापेक्षिक भागीदारी सूचित होती है। उच्चतर माध्यमिक स्तर से ऊपर निवल उपस्थिति अनुपात (एनएआर) पर आधारित जीपीआई समानता रेखा से काफी कम है जो शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत के मामले में भी लागू होती है (चित्र 6)। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के संबंध में निवल उपस्थिति अनुपात (एनएआर) के कम मान में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पहुंच की स्थिति में सुधार लाकर ठीक किया जा सकता है। 'बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस' एक महत्वपूर्ण साधन है जो 2012-13 से 2013-14 के दौरान उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए परिभाषित विभिन्न संसूचकों के अंतर्गत राज्यों की रैंक तुलना में सहायक सिद्ध होता है और जिसे नियमित/वार्षिक आधार पर अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान करके आगे के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

उच्च शिक्षा

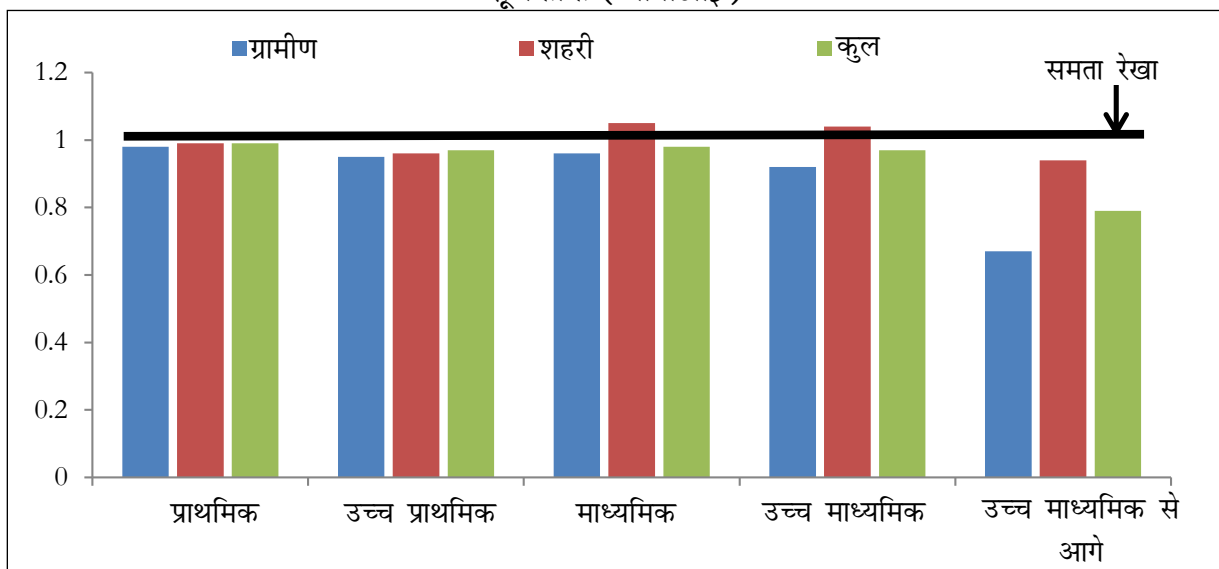
10.23 भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर एक ओर उपाधि स्तर के तथा तकनीकी/व्यावसायिक कॉलेजों की

संख्या में वृद्धि हो रही है जबकि दूसरी ओर श्रम बाजार को विभिन्न क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त श्रम बल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अनेक पैरामीटरों के संदर्भ में उच्च शिक्षा के बीच समन्वय भंग हो गया है, ये वे पैरामीटर हैं जो उपाधि प्रदान करने से कहीं अधिक से संबंधित हैं जैसेकि अपर्याप्त अधिगम, अनुपयुक्त अधिगम, पुरानी पाठ्यचर्चा, विशिष्ट अधिगम के बजाय सामान्य अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना तथा आखिरी किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य कि अधिगम की गुणवत्ता से संबंधित पैरामीटरों के संदर्भ में उच्च शिक्षा अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने से काफी पीछे है। डिग्री कॉलेजों तथा तकनीकी/व्यावसायिक कॉलेजों द्वारा मूल्य वर्धक अधिगम प्रदान किया जाना चाहिए जो न केवल अत्याधुनिक स्वरूप का हो बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपाधि व्यक्ति के लिए रोजगार प्रदायक भी हो।

शिक्षा पर व्यय

10.24 शिक्षा के संबंध में एनएसएस रिपोर्ट, 2014 में यह उल्लेख किया गया है कि बालकों के लिए शिक्षा को बीच में छोड़ देने का मुख्य कारण उनका आर्थिक क्रियाकलापों में जुट जाना है (31 प्रतिशत)। बालिकाओं के लिए स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ देने का पहला कारण उनके द्वारा घरेलू कार्यों में जुट जाना (30 प्रतिशत)

चित्र 6. वर्ष 2014 में निवल उपस्थिति अनुपात (एनएआर) पर आधारित महिला पुरुष समानता सूचकांक (जीपीआई)



स्रोत: भारत में शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 71वां चक्र (जनवरी-जून 2014)

और दूसरा कारण शिक्षा में रूचि न होना (16 प्रतिशत) तथा अंतिम कारण वित्तीय समस्याएं होना (15 प्रतिशत) है। इससे यह ज्ञात होता है कि शिक्षा को पूरा करने में शिक्षा की लागत एक महत्वपूर्ण निर्धारक कारण है।

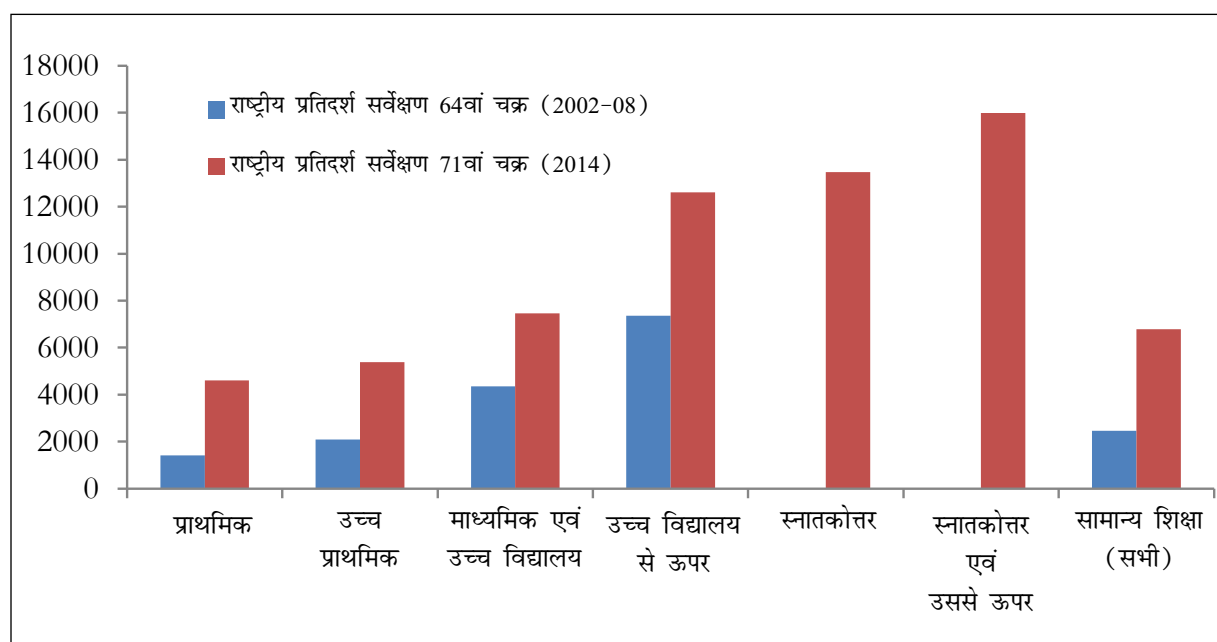
10.25 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की 71वीं रिपोर्ट (जनवरी, 2014 से जून, 2014) के अनुसार विगत वर्षों के दौरान शिक्षा की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सभी स्तरों पर शिक्षा की लागत में सामान्य एवं तकनीकी/व्यावसायिक, दोनों प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र में प्रति छात्र सामान्य शिक्षा पर औसत वार्षिक व्यय (प्राथमिक और इसके उच्च स्तर तक) 2007-08 के प्रति छात्र 2461 रुपए से बढ़कर 2014 में प्रति छात्र 6788 रुपए हो गया है (चित्र 7)।

10.26 शिक्षा पर होने वाला औसत व्यय संस्थाओं की किस्म, पाठ्यक्रम, स्तर आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा के मामले में व्यय में अंतर अधिक दिखाई पड़ता है। सरकारी सहायताप्राप्त और प्राप्त नहीं करने वाली निजी संस्थाओं में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा पर औसत व्यय सरकारी

संस्थाओं की तुलना में 1.5 से 2.5 गुना ज्ञात हुआ है, जो मुख्य रूप से सरकारी और निजी संस्थाओं में पाठ्यक्रम शुल्क में बड़ा अंतर होने के कारण है। निजी संस्थाओं में शिक्षा की बढ़ती लागत के अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुल्क की तुलना में निजी कोचिंग शिक्षा पर होने वाला व्यय के एक प्रमुख घटक के रूप में ऊभरा है। सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों के संबंध में शिक्षा के व्यय में निजी कोचिंग की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर लगभग 30 प्रतिशत है तथा शहरी क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर 45 प्रतिशत से अधिक है।

10.27 शिक्षा की लागत (पाठ्यक्रम शुल्क और निजी कोचिंग) में वृद्धि होने के साथ ही जिन परिवारों में बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में भेजने और वांछित स्तर की शिक्षा को पूरा करने के लिए उन बच्चों की शिक्षा जारी रखने में वित्तीय बाधाएं हैं उन परिवारों के संबंध में यह अनिवार्य है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित उपाय करे जो रोजगारपरक हो और शिक्षा पर किए जाने वाले निवेश से उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। इस संबंध में शिक्षा क्षेत्र को बड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है (बॉक्स 2)

चित्र 7. सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र की शिक्षा पर होने वाला औसत व्यय (रुपए में)



स्रोत: भारत में शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 71वां चक्र (जनवरी-जून 2014)

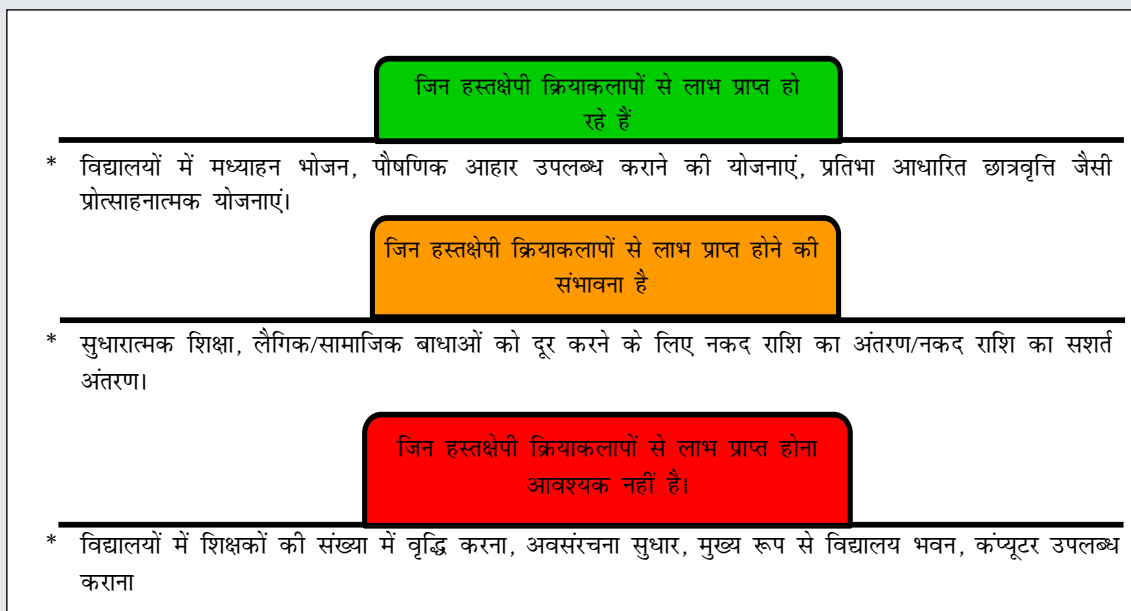
टिप्पणी: स्नातक तथा स्नातकोत्तर एवं उच्च अध्ययनों के अलग-अलग आंकड़े केवल राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 71वें चक्र में ही उपलब्ध कराए गए।

बॉक्स 2. अधिगम में सुधार के लिए हस्तक्षेपी क्रियाकलाप: हमें क्या सीखने की आवश्यकता है?

भारत में मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं को विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करने की दृष्टि से शुरू किया गया था। सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने, सर्वशिक्षा अभियान चलाने आदि से स्कूलों और विशेषकर प्राथमिक स्तर के स्कूलों में छात्रों के नामांकन अनुपात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसी बाधाएं और अवरोध सामने आते हैं जिनके कारण परिवार अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाता तथा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को पूरा नहीं कर पाता।

विभिन्न संदर्भों में व्यय की दक्षता में सुधार लाने के लिए इस बात का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि शिक्षा से प्राप्त परिणामों में सुधार लाने के लिए किस प्रकार की नीति अधिक दक्ष सिद्ध हुई है। इस प्रकार के विश्लेषण में अधिगम में सुधार लाने के लिए जिन क्षेत्रों में निवेश किए जाने की आवश्यकता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संसाधन से संबंधित बाधाओं को देखते हुए उन हस्तक्षेपी क्रियाकलापों को बंद कर देना उपयुक्त होगा जिनसे अभिप्रेत परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। नीचे दिया गया चित्र 8 केंद्र तथा राज्यों द्वारा चलायी जा रही कुछ योजनाओं के विश्लेषण पर आधारित है जिनमें उन हस्तक्षेपी क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला गया है जिनका भारत में प्रत्याशित परिणाम प्राप्त हुआ है और इनमें से कौन से क्रियाकलाप संस्थाओं के लिए अभी भी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं;

चित्र 8. नीतिगत हस्तक्षेप तथा शैक्षणिक परिणाम: एक विनियामक दृष्टिकोण (ट्रैफिक लाइट अप्रोच)



विशेषकर प्राथमिक स्तरों पर बालक और बालिकाओं दोनों के संदर्भ में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से स्कूलों में शुरू की गई पौषणिक योजनाओं, जैसेकि मध्याह्न भोजन, आदि के कारण हुई है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा बालिका छात्राओं के परिवारों को प्रत्यक्ष नकदी अंतरण की योजना शुरू की गई है जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। तथापि, मुख्य रूप से अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए विद्यालयों में स्टेनरी, कंप्यूटर आदि उपलब्ध कराने से अधिगम परिणामों में अनुरूपी सुधार नहीं देखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रशासन संबंधी समस्याओं के कारण इन हस्तक्षेपी क्रियाकलापों के कारण सुपुर्दगी प्रणाली में क्षरण की स्थिति उत्पन्न हुई है। शैक्षणिक योजनाएं “ट्रैफिक लाइट अप्रोच” के अंतर्गत लायी जानी चाहिए जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि किन हस्तक्षेपी क्रियाकलापों को ‘ग्रीन बॉक्स’ में शामिल किया जाए और किन्हें बंद करके रेड बॉक्स में डाल दिया जाए तथा जो हस्तक्षेपी क्रियाकलाप ‘एम्बर बॉक्स’ में रखे गए हैं उन्हें केवल उन्हीं राज्यों/क्षेत्रों में जारी रखा जाए जहां उन्हें लागू किया गया है और उन्हें देश भर के राज्यों में लागू किए जाने की आवश्यकता नहीं है

टिप्पणी: योजनाओं की प्रभावकारिता अनेक अध्ययनों के आधार पर श्रेणीबद्ध की गई है जिनमें आईआईपीएस 2015: एएसईआर 2010 विश्व बैंक और पीआरओबीई रिपोर्ट शामिल हैं

रोजगार तथा कौशल विकास

10.28 पिछले कुछ समय से रोजगार और बेरोजगारी के आकलन से संबंधित मापन समस्याओं पर चर्चा की जाती रही है। हालिया वर्षों के दौरान रोजगार के संबंध में कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध न होने के कारण

इसके मापन की प्रक्रिया बाधित हुई है और इस कारण सरकार को उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपी क्रियाकलापों को करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार के संबंध में मौजूदा आंकड़ा स्रोत और उनकी सीमाएं सारणी 2 में दी गई हैं।

सारणी 2 रोजगार तथा बेरोजगारी के संबंध में मौजूदा आंकड़ा स्रोत

एजेंसी	सेक्टर/क्षेत्र	बाधाएं
लेबर ब्यूरो तिमाही त्वरित रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस)	8 चुनिंदा श्रम-गहन तथा निर्यात उन्मुख क्षेत्र	आंशिक कवरेज, अपर्याप्त प्रतिदर्श आकार, निम्न आवृत्ति अधिक समयान्तराल, दोहरी गणना, संकल्पनात्मक मतभेद एवं परिभाषा संबंधी समस्याएं, रोजगार के आकलन हेतु विरले ही प्रयोग।
लेबर ब्यूरो वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण	परिवारों का प्रतिदर्श सर्वेक्षण	
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई)	विनिर्माणकारी सेक्टर में रोजगार, श्रमिकों की काम से अनुपस्थिति; श्रमिक टर्नओवर, आय तथा विभिन्न संघटकों के अनुरूप श्रम की लागत से संबंधित आंकड़े	
एनएसएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पंचवर्षीय रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण	परिवारों का प्रतिदर्श सर्वेक्षण	
भारत के महापंजीयक तथा जनगणना का कार्यालय जनगणना रिपोर्ट	10 वर्षों के अंतराल पर सभी प्रकार के श्रमिकों को शामिल किया गया है।	
भारत के महापंजीयक तथा जनगणना का कार्यालय जनगणना रिपोर्ट	आकार या सेक्टरों पर विचार किए बिना सभी गैर कृषि उद्यमों को शामिल किया गया है। अनियमित बारंबारता	
एनएसएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उद्योगों तथा सेवाओं का असंगठित क्षेत्र सर्वेक्षण	विनिर्माण, सेवा तथा व्यापार के क्षेत्रों में असंगठित गैर कृषि उद्यमों को शामिल किया गया है। निम्न तथा अनियमित बारंबारता की आर्थिक जनगणना के प्रतिदर्श फ्रेम पर आधारित	
मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यमों की गणना	अब तक केवल 4 सर्वेक्षण किए गए हैं। अंतिम सर्वेक्षण 2006-07 में किया गया था।	
प्रशासनिक स्रोत ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस एवं निजी सेक्टर	केवल औपचारिक सेक्टरों को शामिल किया गया है।	

10.29 रोजगार से संबंधित मौजूदा आंकड़ों में त्रुटियों को दूर करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया गया। इस टास्क फोर्स को रोजगार तथा बेरोजगारी से संबंधित मौजूदा डाटा संग्रहण का मूल्यांकन करने, हालिया वर्षों के दौरान सृजित रोजगार के अवसरों का तत्काल अनुमान प्राप्त करने के लिए किसी भी मौजूदा आंकड़ा स्रोत को प्रयोग में लाने की संभावना की जांच करने के लिए तथा रोजगार से संबंधित अनुमानों को सुदृढ़ रूप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से भविष्य में आंकड़ा संग्रहण के संबंध में कार्यक्रम की अनुशंसा करने का अधिदेश सौंपा गया था।

10.30 टास्क फोर्स भारत में रोजगार के अवसरों के संबंध में संरचना के संदर्भ में एक बड़ी चुनौती है जिसमें अनौपचारिक, असंगठित और मौसमी आधार पर काम करने वाले श्रमिकों की प्रधानता है तथा इन श्रमिकों के संबंध में एक खास बात यह है कि इन्हें रोजगार के अपेक्षाकृत कम अवसर प्राप्त होते हैं, इनमें कौशल का अभाव होता है, श्रम बाजार में कठोर श्रम कानूनों का प्रभाव रहता है, और यहां श्रमिकों से संविदा आधार पर काम कराए जाते हैं। श्रम बाजार प्रणाली को गतिशील और सुदृढ़ बनाये जाने की दृष्टि से सरकार ने विधायी और साथ ही प्रोद्योगिकीय दोनों प्रकार के कई सुधारात्मक

उपाय किए हैं। प्रौद्योगिकीय उपायों में “विभिन्न कानूनों के अंतर्गत रजिस्ट्रों के अनुरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सरलता नियम, 2017” को अधिसूचित करना शामिल है जिसमें 9 केंद्रीय कानूनों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन निर्धारित 56 प्रपत्रों/रजिस्ट्रों को 5 सामान्य रजिस्ट्रों/प्रपत्रों में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नए प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए एक साझा पंजीकरण प्रपत्र ई-बिज पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। इन रजिस्ट्रों/प्रपत्रों को डिजिटल रूप में भी अनुरक्षित किया जा सकता है।

10.31 सार्वजनिक रोजगार सृजन कार्यक्रम रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को सृजित करने एवं समावेशी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख सहायक उपक्रम बना रहा। सरकार ने रोजगार सृजन प्रयासों की अनुपूर्ति की दृष्टि से चलाई जा रही गरीबी निवारण कार्यक्रमों और रोजगार सृजन योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की है। वर्ष 2016-17 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत अभी तक सब से अधिक आवंटन हुआ है। लगभग 5.12 करोड़ परिवारों को रोजगार दिए गए जो कुल मिलाकर 235.4 करोड़ मानव दिवस थे। इनमें से 56 प्रतिशत रोजगारों का सृजन महिलाओं द्वारा किया गया था, 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा तथा 18 प्रतिशत रोजगार अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान कार्य समापन दर शुरुआत के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर थी जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था।

10.32 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, तथा 4.5 लाख नए श्रम सहायता समूहों के जरिए 52 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। फिलहाल 31 लाख स्वयं सहायता समूहों में 3.50 करोड़ परिवार हैं। इसी प्रकार, शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार उद्यमों को स्थापित करके स्वरोजगार तथा सवैतनिक रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने अब डीएवाई-एनयूएलएम के स्कोप में विस्तार किया है और इसे 790 शहरों से देश

के 4041 सांविधिक कस्बों में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 8,37,764 लाभ भोगियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, 4,27,470 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, 1,90,224 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है, 1,26,399 स्व सहायता समूहों को परिक्रामी निधि उपलब्ध करायी गयी है तथा 2,66,443 स्व सहायता समूहों को बैंकों से सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

10.33 किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की विविध मांगों को पूरा करने के लिए कुशल श्रमबल की आवश्यकता है ताकि देश में मौजूद युवा श्रम बल के लाभ प्राप्त किए जा सकें। इण्डिया स्कील रिपोर्ट, 2016 के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में मौजूदा युवा शक्ति की प्रधानता वर्ष 2040 तक बनी रहने की संभावना है।

10.34 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा किए गए एक क्षेत्रकवार अध्ययन में वर्ष 2022 तक 24 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 103.4 मिलियन वृद्धिशील मानव संसाधन अपेक्षाओं का आकलन किया गया है। इन संख्याओं के आधार पर एमएसडीई ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ रोजगार संबंधी अनुमानों के सत्यापन, क्षेत्रकीय/उप क्षेत्रकीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए विस्तृत उप-क्षेत्रकवार विश्लेषण के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया। प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता वर्ष 2022 तक 126.87 मिलियन हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

10.35 आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के जरिए अल्पावधिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मुख्य रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के जरिए दीर्घावधिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। देश के प्रत्येक जिले में आदर्श कौशल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं तथा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्कीम के अंतर्गत सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का कवरेज सुनिश्चित किया जा रहा है।

10.36 वर्तमान में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को इच्छित आधार पर प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। एक सक्षमता आधारित फ्रेमवर्क नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) वर्ष 2013 में अधिसूचित किया गया था। एनएसक्यूएफ अधिगम परिणामों पर बल देता है तथा लोगों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से प्रगति करने तथा पूर्व में अर्जित किए गए ज्ञान एवं अनुभव का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है।

10.37 कौशल प्रशिक्षण के परिणामों को ज्ञात करने के मौजूदा मापकों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या ही शामिल है जो एक आयामी है। कौशल प्रशिक्षण हेतु परिणाम उपायों के अंतर्गत इसे बहुआयामी बनाने के लिए पैरामीटरों की जांच किए जाने की आवश्यकता है जिसमें मानव दिवसों, मानव घंटों, प्रशिक्षण के स्तरों, प्रशिक्षण की अवधि के लिए मान ज्ञात करने, और अन्य उपयुक्त उपाय करने जैसे मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

स्वस्थ भारत की ओर

10.38 सरकार “स्वास्थ्य-सभी आयु के लोगों के लिए

स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने” तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संधारणीय विकास के लक्ष्य (एसडीजी-3) को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 तैयार की है जिसका उद्देश्य सभी विकासात्मक नीतियों में एक निवारक एवं संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सुविधा क्रियाकलाप को अपनाकर उच्चतम स्तर के उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करना है, और उत्तम गुणवत्ता की स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है तथा साथ ही इसके लिए यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े (बॉक्स 3)।

बॉक्स 3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की मुख्य बातें

- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को एक समयबद्ध रूप में बढ़ाकर जीडीपी का 2.5 प्रतिशत किया जाए। राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय के लिए राज्य के संसाधनों से अधिक व्यय करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को वित्तपोषित करने के लिए सामान्य कराधान प्रमुख साधन बना रहेगा।
- स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों के माध्यम से सुनिश्चित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का एक बड़ा पैकेज प्रदान करना जिसमें जरा चिकित्सीय स्वास्थ्य सुविधा, प्रशामक सुविधा तथा स्वास्थ्य लाभ सुविधा प्रदान करना शामिल है।
- जिला स्तर पर अधिकांश द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना जो फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- प्रत्येक परिवार को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जो उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में सहायक होगा और इसकी सहायता से वे देश में कहीं भी एक निर्धारित स्वास्थ्य सुविधा पैकेज प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रत्येक सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवाइयां, मुफ्त नैदानिक तथा मुफ्त आपात सेवाएं प्रदान करना।
- स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाले व्यावसायिकों की एक पहल के अंतर्गत पहचान करके निःशुल्क आधार पर ग्रामीण तथा अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वैच्छिक सेवाओं को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य सुविधाओं को निर्वाह उपलब्ध कराने के लिए उन्हें विनियमित, विकसित और संस्थापित करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी (एनडीएचए) की स्थापना करना।
- बीमारों की देखरेख के मानकों, सेवाओं के मूल्यों, लापरवाही तथा अनुचित पद्धतियों को अपनाने के संबंध में विवादों/शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए एक अलग, अधिकार प्राप्त चिकित्सा ट्रिब्यूनल की स्थापना करना। प्रयोगशालाओं तथा इमेजिंग सेंटरों के लिए मानक विनियामक डाटा, विशिष्ट उभरती हुई सेवाएं, जैसेकि सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक, कोख किराए पर देने (सेरोगेसी), स्टेम सैल बैंकिंग, अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण तथा नैनो चिकित्सा सुविधाएं उपयुक्त रूप में स्थापित की जाएगी।
- चिकित्सा उपकरणों के विनियमन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना तथा भारत में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण हेतु नवोन्मेषी एवं उद्यमी भावना को बढ़ावा देने के लिए एक विनियामक निकाय की स्थापना करना। यह नीति घरेलू विनियामक मानकों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करेगी।
- नैदानिक परिक्षण में भाग लेने वालों के अधिकारों, सुरक्षा तथा कल्याण को सुनिश्चित करने के संबंध में नीति के अंतर्गत यह सिफारिश की गई है कि इस संबंध में औषधि एवं कॉस्मेटिक अधिनियम में विनियमन हेतु विशेष खण्ड शामिल किए जाएं।
- अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में समय से संशोधन करना तथा जेनरिक दवाओं के लिए उचित मूल्य नियंत्रण तंत्र विकसित करना।
- मेटाडेटा एवं डेटा मानकों (एमडीडीएस) तथा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड (ईएचआर) के अनुरूप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य प्रदाता संस्थाओं में प्रणालियों को संस्थापित करने तथा संयोजित करने के लिए परस्पर संबद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरचना की स्थापना में यह नीति सहायता करेगी।
- वर्धित सार्वजनिक स्वास्थ्य/बड़े आंकड़ों के विश्लेषण के लिए रजिस्ट्रियों (अर्थात् रोगियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, सेवा, रोग, दस्तावेज और घटना की रजिस्ट्री) का सृजन, स्वास्थ्य सूचना विनियम प्लेटफार्म तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेटवर्क का सृजन, वास्तविक काल आंकड़ों के संग्रहण के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का प्रयोग, स्मार्ट फोनों/टैबलेटों का प्रयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचना संरचना की मुख्य-मुख्य बातें हैं।

स्रोत: स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत में स्वास्थ्य: चुनिंदा सूचक

10.39 भारत के जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सूचकों के अवलोकन से जनसंख्या के विभिन्न तबकों के समग्र स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति की जानकारी मिलती है। चुनिंदा सूचकों, जैसे कि कुल प्रजनन दर (टीएफआर), अपरिष्कृत जन्म दर (सीबीआर) तथा अपरिष्कृत मृत्यु

दर से संबंधित आंकड़ों में निरंतर गिरावट आ रही है (सारणी 3)।

10.40 हालांकि, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले प्रमुख देशों की तुलना में, भारत द्वारा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर तथा नवजात शिशुओं में मृत्यु दर को कम करने के प्रयास तेज किए जाने हैं। (सारणी-4)।

सारणी 3. चुनिंदा स्वास्थ्य संसूचकों से संबंधित रुझान

क्र० सं०	पैरामीटर	1981	1991	2001	Current level
1.	अपरिष्कृत जन्म दर (सीबीआर) (प्रति 1000 की आबादी)	33.9	29.5	25.4	20.8 (2015)
2.	अपरिष्कृत मृत्यु दर (सीडीआर) (प्रति 1000 की आबादी)	12.5	9.8	8.4	6.5 (2015)
3.	कुल जन्म दर (टीएफआर)	4.5	3.6	3.1	2.3 (2015)
4.	मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं पर)	NA	NA	301 (2001-03)	167 (2011-13)
5.	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं पर)	110	80	66	37 (2015)
6.	जन्म के समय आयु संभावितता	(1981-85)	(1989-93)	(1999-2003)	(2011-15)
	कुल	55.4	59.4	63.4	68.3
	पुरुष	55.4	59.0	62.3	66.9
	महिलाएं	55.7	59.7	64.6	70.0

स्रोत: प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस), भारत का महापंजीयक

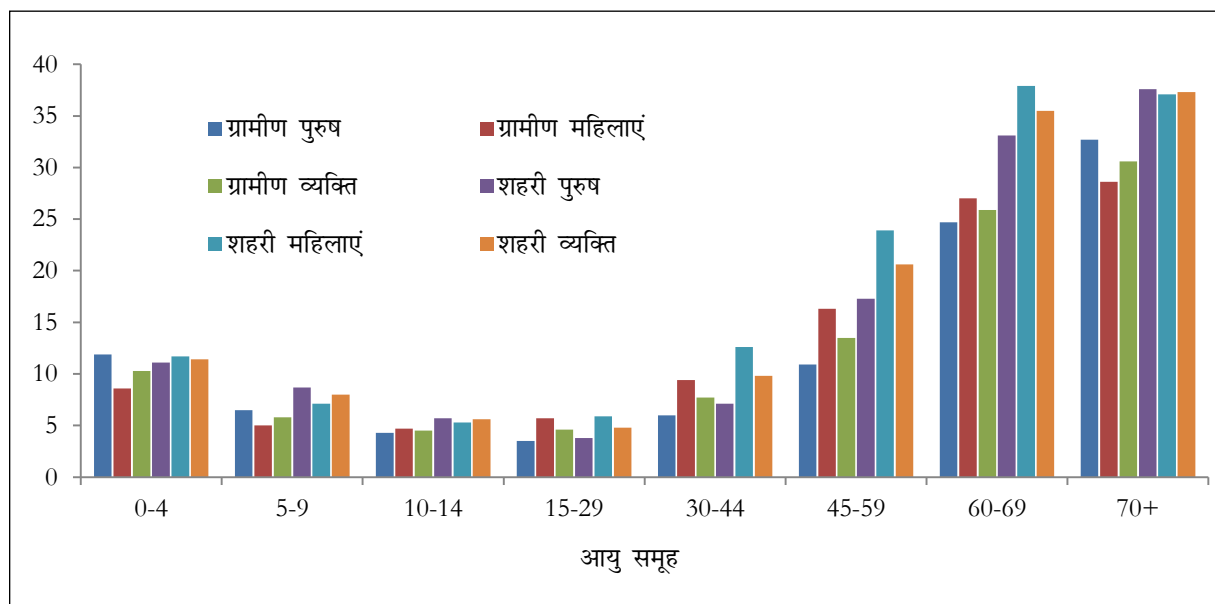
सारणी 4: चयनित स्वास्थ्य संकेतकों का भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण

देश	जन्म के समय आयु संभावितता (वर्ष)	मातृ मृत्यु दर (प्रति 100,000 जीवित जन्म)	कुशल कार्मिकों द्वारा बच्चे के जन्म के समय देखभाल करने का अनुपात (प्रतिशत)	5 के अन्तर्गत मृत्युदर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)
	2015	2015	2006-2014	2015	2015
ब्राजील	75	44	99	16.4	8.9
चीन	76.1	27	100	10.7	5.5
कोलम्बिया	74.8	64	99	15.9	8.5
भारत	68.3	174*	74	47.7	27.7
इंडोनेशिया	69.1	126	87	27.2	13.5
मलेशिया	75	40	99	7	3.9
नेपाल	69.2	258	48	35.8	22.2
पाकिस्तान	66.4	178	52	81.1	45.5
फिलीपींस	68.5	114	73	28	12.6
रूस	70.5	25	100	9.6	5
दक्षिण अफ्रिका	62.9	138	94	40.5	11
श्रीलंका	74.9	30	99	9.8	5.4
थाईलैंड	74.9	20	100	12.3	6.7
वियतनाम	76	54	94	21.7	11.4
विश्व	71.4	216	73	42.5	19.2

स्रोत: एसडीजी रिपोर्ट हेतु स्वास्थ्य निगरानी, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2016

टिप्पणी: * विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार आरजीआई के अनुसार एमएमआर 167 है।

चित्र 9. भारत में रूग्णता (बीमार व्यक्तियों का अनुपात) (प्रतिशत)



स्रोत: एनएसएस 71वां चरण, जनवरी से जून 2014

रूग्णता

10.41 स्वयं-सूचना संबंधी रूग्णता आंकड़े (बीमार व्यक्तियों के अनुपात में) स्वास्थ्य और क्षेम की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एक ही आयु समूह में महिला-पुरुष और शहरी ग्रामीण की रूग्णता में भिन्नता है। (चित्र-9)। 60 वर्ष की आयु के पश्चात् रूग्णता/बीमारी की सूचनाएं अधिक होती हैं। (चित्र-9)। 5 वर्ष की आयु से पहले ग्रामीण पुरुष के बीमार होने का 11.9 प्रतिशत उच्चतम है। 45 वर्ष के आयु समूह और इससे आगे रूग्णता में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। बीमारियों की उच्चतम दर 60 से 69 आयु समूह की शहरी महिलाओं में दर्ज की गई। यह उल्लेखनीय है कि 70 वर्ष से अधिक आयु की 29 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं ने बीमारियों के बारे में बताया, 38 प्रतिशत शहरी पुरुषों और 37 प्रतिशत शहरी महिलाओं द्वारा बीमारियों की सूचना की तुलना में।

स्वास्थ्य पर व्यय

10.42 एनएसएस 71वें दौर (जनवरी 2014 से जून 2014) के अनुसार निजी डाक्टर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार का एकमात्र स्रोत था। 70 प्रतिशत

से अधिक (ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत) बीमारियों का उपचार निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से किए गए उपचार की तुलना में काफी महंगा पड़ता है।

10.43 ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है, जो स्वास्थ्य पर जब से अधिक व्यय करता है, 2008 से लगातार वृद्धि के साथ यह 60 प्रतिशत से अधिक हो गया है)। जबकि ब्राजील जैसे विकासशील देश में, (OoP) व्यय 32 प्रतिशत से कम है, दक्षिणी अफ्रीका में यह 10 प्रतिशत से कम है (चित्र-10)।

10.44 स्वास्थ्य पर उच्चतर (OoP) से गरीब तबके में दरिद्रता बढ़ाती है और साथ ही असमानता है। OoP गरीबों के लिए दुहरी बाधा है क्योंकि किसी के खराब स्वास्थ्य स्थिति उसकी उत्पादकता और दैनिक आमदनी की क्षमता को प्रभावित करती है तथा, उनके उपचार के भुगतान उनकी 'वित्तीय विपदा' और गरीबी को बढ़ाते हैं। भारत में कम आय वाले वर्ग के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान का विस्तार करना आवश्यक है ताकि खराब स्वास्थ्य के कारण जनसंख्या के बड़े

बॉक्स 4: हृदयवाहिनी संबंधी बीमारियां, एक जनस्वास्थ्य मुद्दा और स्टेंट्स की कीमतें

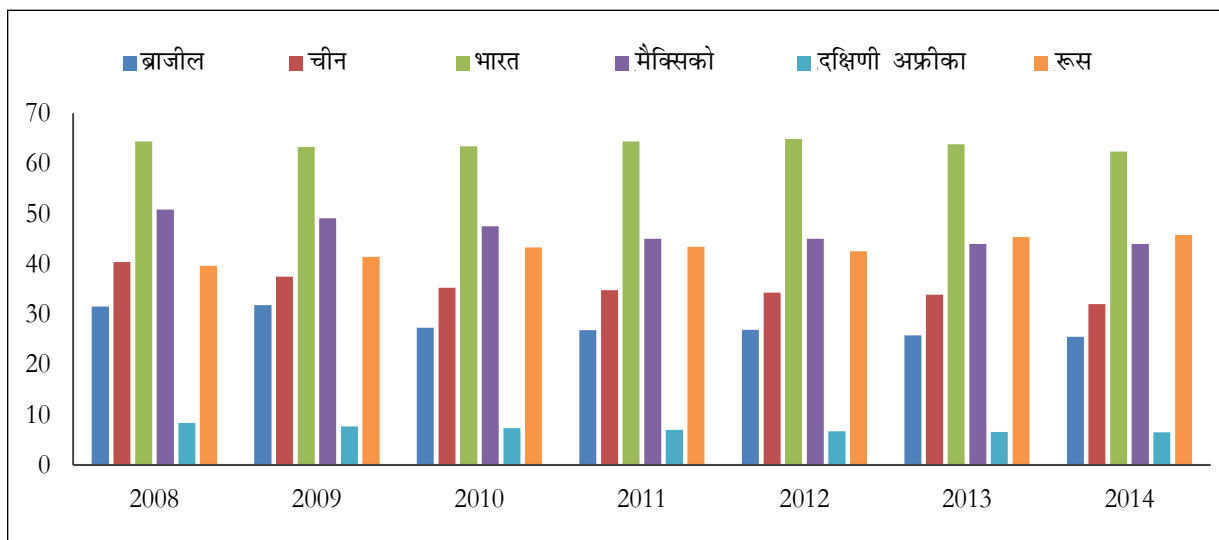
हृदयवाहिनी बीमारी (सीबीडी) भारत में एक तिहाई मौतों के लिए जिम्मेवार है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर 272 सीबीडी मृत्युदर, 1,00,000 की वैश्विक औसत 235 की दृष्टि से उच्चतर है, और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समस्या के उपचार के लिए वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली के विषय में जन-जागरूकता, अच्छा खाना, जनसंख्या के सभी आयु वर्गों द्वारा व्यायाम/शारीरिक गतिविधियों तथा शल्य उपचार आदि के द्वारा निपटने की जरूरत है। एक मुख्य समिति, जिसने कोरोनरी स्टेंट की आवश्यकता पर विचार किया है, ने अप्रैल 2016 में सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा कि, भारत में कोरोनरी धमनी बीमारी (सीएडी) की घटनाएं बहुत अधिक हैं। उसके बाद कोरोनरी स्टेंट्स को 'आवश्यक औषधि' घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की गई और डीपीसीओ, 2003 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया, एक आदेश जिसका उद्देश्य 2016 में सभी के लिए आवश्यक दवाईयां वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराना है।

एनपीपीए ने (राष्ट्रीय भेषज मूल्य, निर्धारण प्राधिकरण कोरोनरी स्टेंट्स का अधिकतम मूल्य निर्धारित करने, उपलब्ध सूचना का विश्लेषण और कोरोनरी स्टेंट्स के मूल्यों के आंकड़ों के विषय में विचार-विमर्श किया। यह पाया गया कि कोरोनरी स्टेंट्स आपूर्ति के प्रत्येक चरण में अनैतिक रूप से अधिक मूल्य लिया जा रहा है, परिणामस्वरूप रोगी और डॉक्टर के बीच सूचना वैषम्य से बाजार में अव्यवहारिक, प्रतिबंधकार और कीमत में रोगी को वित्तीय संकट में धकेल रही है।

ऐसी असाधारण परिस्थितियों के अधीन और लोक हित में, एनपीपीए ने दिनांक 13 फरवरी, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से बेयर मेटल के कोरोनरी स्टेंट्स की अधिकतम कीमत रु० 7,260 और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स (वीवीएस/बायोडिग्रेडेबल सहित) का अधिकतम कीमत रु० 29,600/- निर्धारित किया। कोरोनरी स्टेंट्स की अधिकतम कीमत-निर्धारण के परिणामस्वरूप 4450 करोड़ रु० वार्षिक की बचत हुई है।

स्रोत: राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

चित्र 10. क्षमता से परे व्यय (स्वास्थ्य पर कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में)



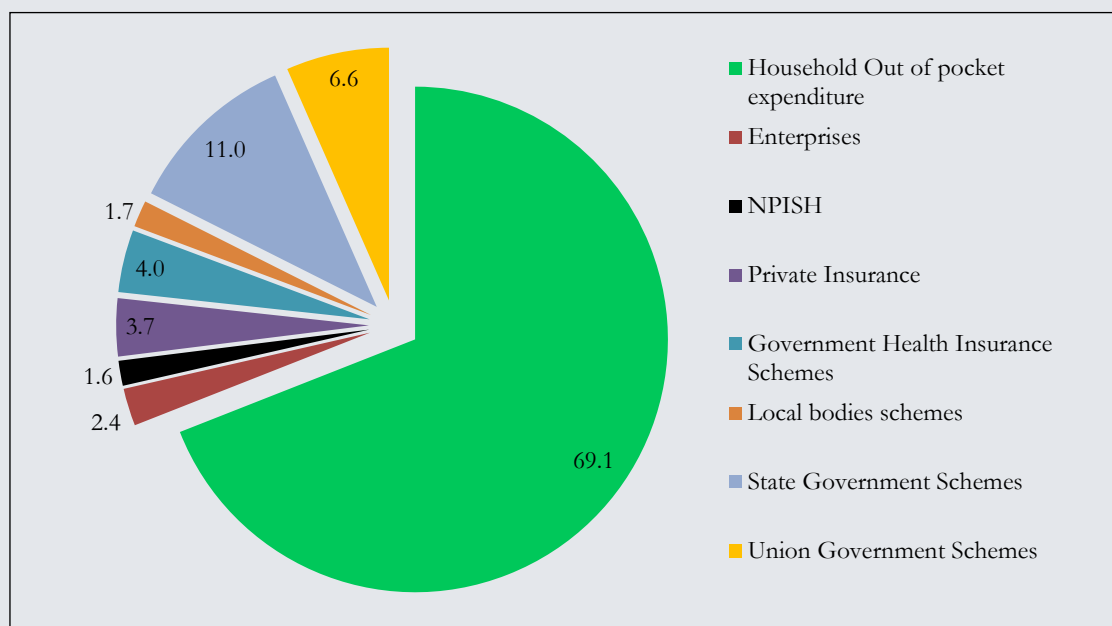
स्रोत: विश्व विकास सूचकांक, विश्व बैंक

भाग को दरिद्रता से बचाया जा सके। भारत में स्वास्थ्य व्यय का ब्यौरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़े (एनएच) द्वारा प्रकाशित किया जाता है (बॉक्स 5)।

बॉक्स 5: भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का वित्तपोषण: जेब पर बहुत अधिक भार?

नेशनल हेल्थ आकाओं ने (एनएचए) संघ सरकार, स्थानीय सरकार, विदेशी दानकर्ताओं, गैरलाभ संस्थाओं और परिवारों से निधि अर्न्तवाह का अनुमान लगाया है। एनएचए के (2013-14) के अनुमानों के अनुसार, वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (सीएचई) के घटक दर्शाते हैं कि संघ सरकार की स्कीमें 6.6 प्रतिशत, राज्य सरकार स्कीमें, 11 प्रतिशत, और स्थानीय निकायों की स्कीमें 1.7 प्रतिशत का योगदान करती हैं। कष्टप्रद बात यह है कि पारिवारिक (OoP) व्यय, जो सीएचई का 69 प्रतिशत, है वही भारत जैसे विकासशील देश (चित्र. 11) के लिए सबसे बड़ा घटक है। (चित्र 11) उच्च (OoP) व्यय सुधार की आवश्यकता को प्रतिबिम्बित करता है।

चित्र 11. भारत में वर्तमान स्वास्थ्य व्यय के घटक (प्रतिशत में)

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य गणना, 2013-14, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

10.45 भारत में पेटेंट औषधि व दवाई प्रदाता बड़े खिलाड़ी हैं, जो एकाधिकार की स्थिति का आनंद लेते हैं, उपभोक्ता की कीमत पर अत्यधिक लाभ कमाते हैं। इस स्थिति से अनेक प्रकार से निपटने की जरूरत है। प्रथम, सरकार और सरकारी विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से पेटेंट औषधि की मांग और सरकार की लागत को कम करने के लिए, जैनरिक दवाइयों को अपनाना होगा। दूसरा, उपभोक्ताओं को सूचना से लैस करना, जिसमें तालमेल सारणी भी शामिल है जो पेटेंट औषधि के समतुल्य जैनरिक दवाई की जानकारी प्रदान करेगी साथ ही अस्पताल सहित सार्वजनिक स्थानों पर पेपर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर, ऐप्स के रूप में मोबाईल फोन के जरिए या टेलीफोन के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार भी किया जाना चाहिए। इन सारणियों का पृष्ठांकन उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ाएगा।

इस सूचना युद्ध में सरकार की भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए, विक्कीपीडिया पर, यह सूचना खुले प्रारूप में डाली जा सकती है, कुछ संयम व सत्यापन के साथ। तीसरा, रूप आयुषपीडिया का हो सकता है जो सामान्य समस्याओं के लिए देशी दवाइयों की सूचना सहित घरेलू उपाय भी प्रदान करता है, ऐसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर मोबाईल फोन पर ऐप्स के रूप में टेलीफोन पर भी किया जाता है।

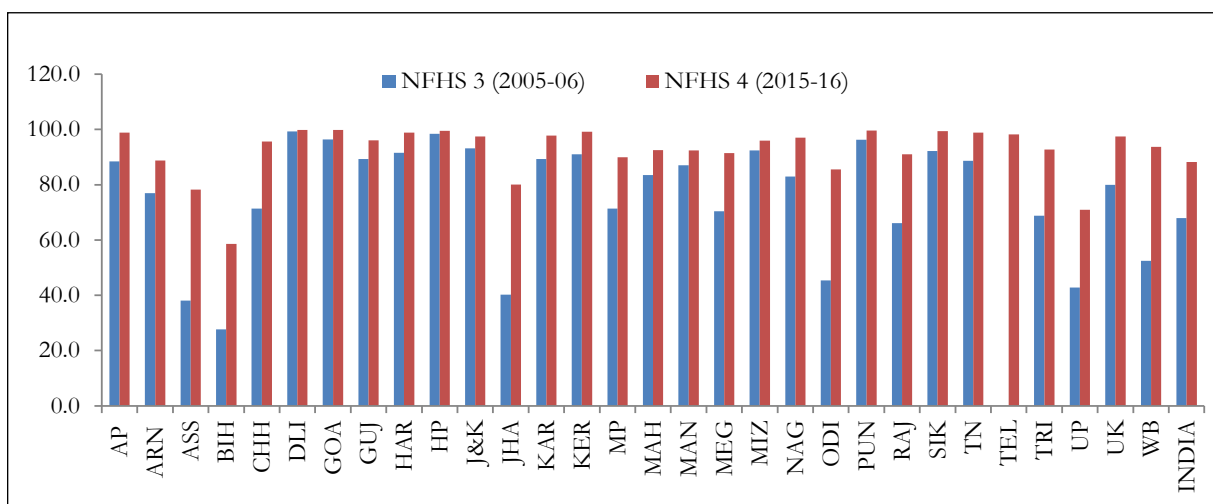
जीवन निर्वाह स्तर के संकेतक

10.46 किसी देश की जीडीपी उस देश की जीवन गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित नहीं करती। कुछ अन्य कारक, जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच, वायु गुणवत्ता, पेय जल आदि हैं, जो जीवन स्तर को निर्धारित करते हैं। जीवन स्तर को विविध संकेतकों का प्रयोग करके मापा जा सकता है जैसाकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य

सर्वेक्षण 4 (एनएफएचएस) (2015-16) द्वारा किया गया, जो भारत में जीवन के विशेष पहलुओं की गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हैं। (चित्र 12-14)। 2005-06 से 2015-16 (एनएफएचएस-4) की अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर बिजली, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन और पारिष्कृत पेय जल संसाधन वाले परिवारों के प्रतिशत में क्रमशः 68 से 88, 25 से 44 प्रतिशत

और 88 से 90 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता में असम, बिहार, ओडिसा, छत्तीसगढ़, मेघालय तथा झारखण्ड में क्षेत्रीय असमानता है, 2015-16 में जहां केवल लगभग 18.25 परिवारों की ही खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक पहुंच है।

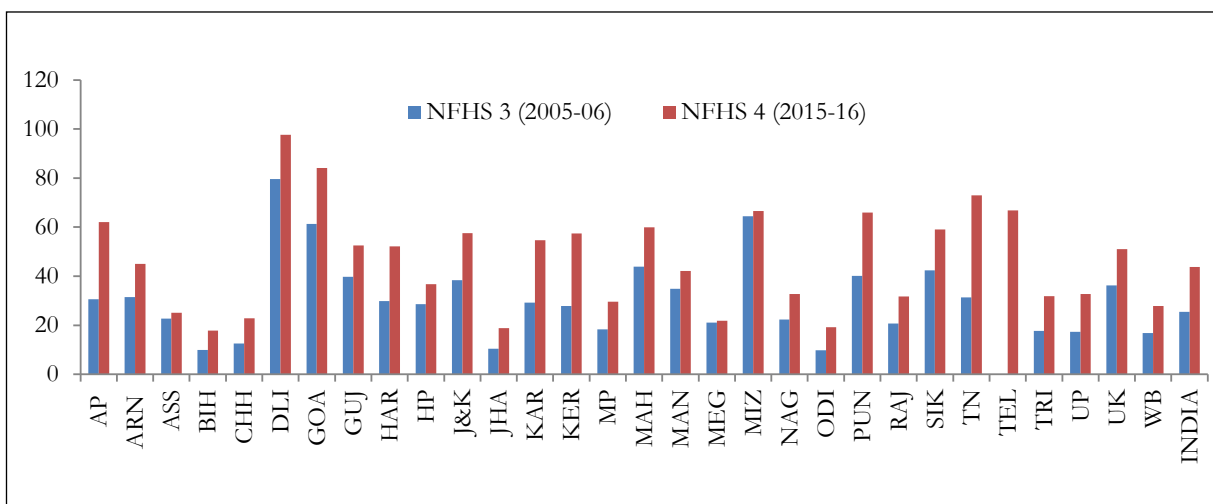
चित्र 12. विद्युतीकृत परिवार (प्रतिशत)



स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण।

नोट: एनएफएचएस-3 के दौरान, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया

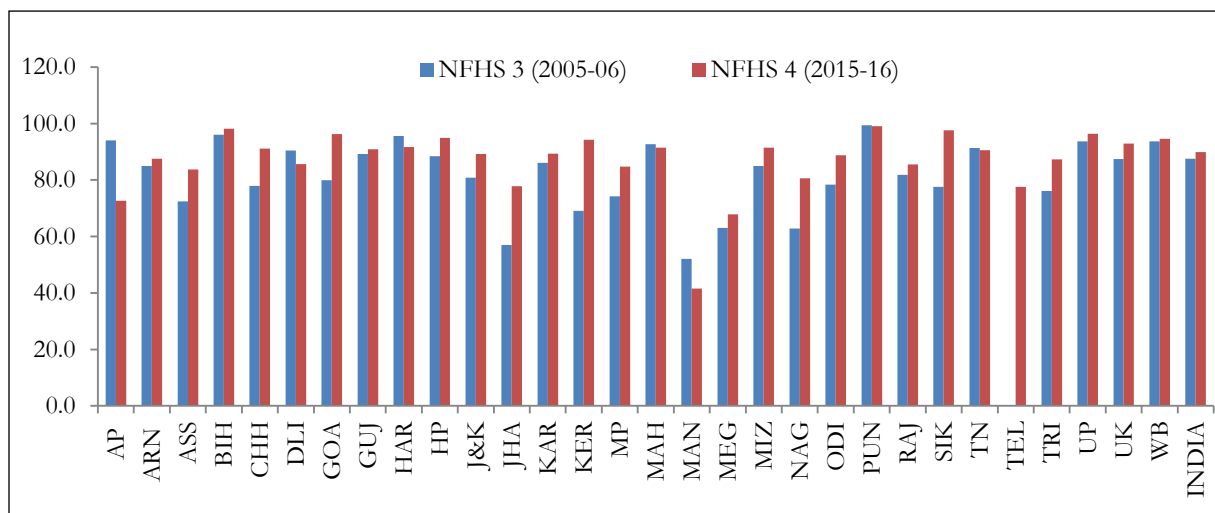
चित्र 13. खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने वाले परिवार (प्रतिशत में)



स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण।

नोट: एनएफएचएस-3 के दौरान, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया

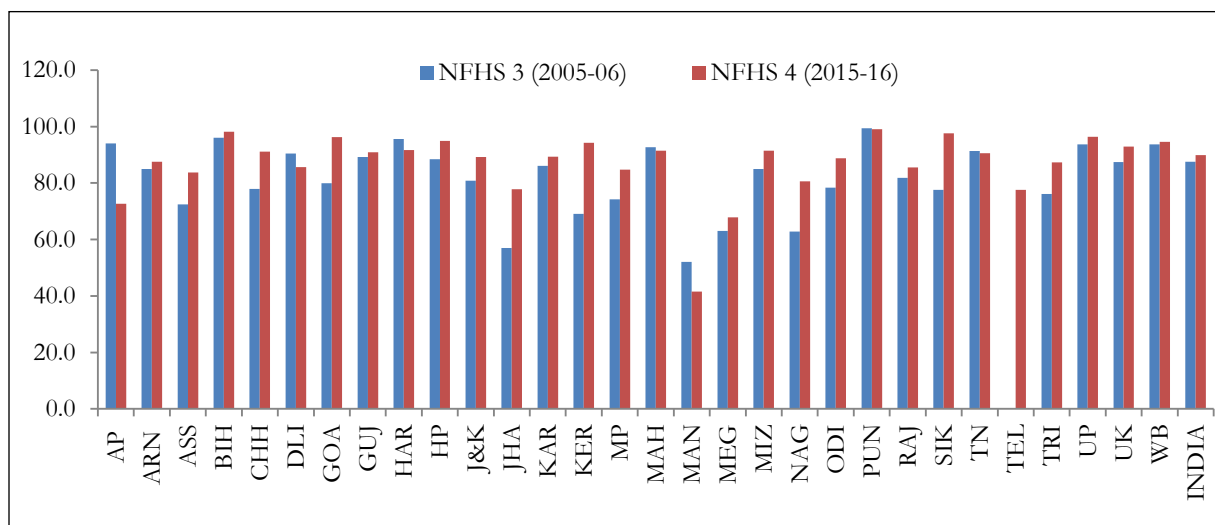
चित्र 14. उन्नत पेयजल स्रोत का प्रयोग करने वाले परिवार (प्रतिशत)



स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण।

नोट: एनएफएचएस-3 के दौरान, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया

चित्र 15. बेहतर स्वच्छता सुविधा वाले परिवार (प्रतिशत में)



स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

नोट: एनएफएचएस-3 के दौरान, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया

10.47 उन्नत पेयजल स्रोत प्रयोग करने वाले परिवारों के प्रतिशत के मामले में मणिपुर, एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडू, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में 2005-06 की अवधि की तुलना में 2015-16 के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। मणिपुर में जल स्तर में कमी, मुख्य नदियों इम्फाल व इरिल का वर्षा की कमी से सूख जाना, पेयजल की कमी का मुख्य कारण है। दिल्ली में जल का व्यर्थ होना और यमुना नदी का सूखा रहना जल

कमी का मुख्य कारण है। ऐसी स्थितियां अन्य शहरों में भी हैं। जल की बर्बादी को रोकने के लिए परिवारों में मीटर लगाने, मूल्य निर्धारण, भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण आदि को अपनाने की आवश्यकता है और पूरे देश में जल संभरण ढांचा बनाने की जरूरत है।

10.48 भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-2014 के आरम्भ में 55 करोड़ व्यक्तियों का खुले में मलत्याग

करना अनुमानित था। स्वच्छता और खुले में मलत्याग रहित (ओडीएफ) भारत पर ध्यान देने पर, खुले में मलत्याग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भारी कमी हुई है, जो अब अनुमानतः 35 करोड़ से कम है। दिनांक 01 अप्रैल 2017, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज अक्तुबर 2014 के 42 प्रतिशत से बढ़कर 01 अप्रैल 2017 तक 63 प्रतिशत तक हो गयी इस प्रकार यह केवल ढाई वर्षों में 21 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण भारत में पहले से ही 3.8 करोड़ शौचालयों के निर्माण से 1.87 लाख गांव, 129 जिले तथा 3 राज्य खुले में मलत्याग रहित घोषित किए जा चुके हैं। एनएफएचएस-3 के दौरान, बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले परिवार 29 प्रतिशत थे जो 2014-15 (एनएफएचएस-4) (चित्र 15) तक 48 प्रतिशत तक बढ़ गए। स्वच्छता कवर में इस सुधार को रख-रखाव तथा सुविधाओं के प्रयोग द्वारा जारी रखने की आवश्यकता है।

मानव विकास: अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएं

10.49 यह ध्यान में रखते हुए कि मानव चयन अपरिमित है, विकास के सभी स्तरों पर यह माना गया है कि तीन आवश्यक पहलुओं के तहत व्यक्ति लम्बा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, ज्ञान प्राप्त करें तथा अच्छे जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सके। यदि ये तीनों चयन उपलब्ध नहीं हैं, तो अनेक अवसर पहुंच से दूर होंगे। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) ने मानव विकास के इन आधारभूत आयामों पर ध्यान दिया है। और यह जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रतिव्यक्ति आय पर आधारित किसी देश के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण संकेतक है।

10.50 नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 2016 में 188 देशों में भारत का 131वां स्थान है, जो 2015 की एचडीआई वैल्यू 0.624 (सारणी 5) में 130 से एक स्थान कम हो गया है। ब्रिक्स समूह के अन्य देशों की तुलना में रूस 49, ब्राजील 79 और चीन 90 तथा दक्षिणी अफ्रीका 119 के साथ भारत का स्थान सबसे नीचे है। (सारणी 5)

10.51 भारत का एचडीआई 0.624, है और यह मध्यम मानव विकास समूह (0.631) में शामिल देशों के औसत से नीचे है, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों के एचडीआई

औसत (0.621) से थोड़ा सा अधिक है। वर्ष 1990 और वर्ष 2015 के बीच में, 45.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए भारत का एचडीआई मूल्य 0.428 से बढ़कर 0.624 हो गया। अन्य ब्रिक्स (बीआरआईसीएस) की तुलना में भारत के स्कूलिंग का औसत वर्ष सबसे नीचे है। प्रत्याशित आयु (एलईबी) भी बंगलादेश, ब्राजील, चीन, तथा रूस से कम है, दक्षिण अफ्रीका से अधिक है (सारणी 5)।

10.52 आय असमानता से संबंधित दो सूचकांक, नामतः आय गिनी गुणांक तथा क्विंटाईल आय अनुपात दर्शाते हैं कि भारत में कुछ समय से असमानता बढ़ा रही है, बढ़ रही आय असमानता का संकेत देते हुए, भारत में वर्ष 2010-15 के दौरान आय गिनी गुणांक 35.2 है, जो वर्ष 2005-13 (एचडीआर, 2015) के दौरान सूचित 33.6 से अधिक है इसके साथ ही सारणी-5 में क्विंटाईल आय अनुपात वर्ष 2005-2013 में 5.0 से वर्ष 2010-2015 में 5.3 की मामूली सी वृद्धि दर्शाई गई है (सारणी 5)। भारत के असमानता सूचकांक दक्षिण अफ्रीका (63.4), ब्राजील (51.5), मलेशिया 46.3), चीन (42.2), रूस फैंडरेशन (41.1) इंडोनेशिया (39.5), और श्रीलंका, (39.2) जैसे कई विकासशील देशों साथ ही यूएसए, चिली और अर्जेन्टिना जैसे देशों से कम हैं। देश के समानरूपी विकास एवं प्रगति के लिए विभिन्न वर्गों के बीच की खाई से जुड़े हुए मसलों का समाधान ढूंढने की जरूरत है।

10.53 जेंडर विकास सूचकांक (जीडीआई), जिसकी 2015 में 160 देशों के लिए गणना की गई है, के अनुसार भारत को 0.819 जीडीआई मूल्य सहित समूह 5 में रखा गया है (सारणी 5)। भारत में पुरुषों के लिए 0.671 की तुलना में महिलाओं के लिए एचडीआई मूल्य 0.549 है। महिलाओं का एचडीआई मूल्य वर्ष 2014 के 0.525 से अधिक है। भारत में लड़कियों के लिए स्कूलिंग का औसत वर्ष, 2014 में सूचित किए गए 3.6 वर्षों में बढ़कर 2015 में 4.8 हो गया है जो पुरुषों से कम है। समाज में शिक्षा पहुंच में पुरुष-महिला असमानता मौजूद है और अध्ययन के लिए समान अवसर उपलब्ध होने के लिए इन सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करने की जरूरत है।

सारणी 5: चुनिंदा देशों की एचडीआई घटक सूचियां 2015

देश	एचडीआई 2015		स्थान में परिवर्तन	प्रति व्यक्ति जीएनआई (\$)	एलईबी (वर्षों)	स्कूल जाने के संभावित वर्ष (वर्षों में)	स्कूल जाने का मध्यानुपात (वर्षों)	आय असमानता		लिंग विकास सूची	
	मूल्य	स्थान						पंचवर्षीय आय औसत	आय गति गुणांक	मूल्य	समूह
			2010-15	2015	2015	2015 ^a	2015 ^a		2010-15		
नॉर्वे	0.949	1	0	67,614	81.7	17.7	12.7	3.8	25.9	0.993	1
जर्मनी	0.926	4	0	45,000	81.1	17.1	13.2	4.6	30.1	0.964	2
यूनाइटेड स्टेट्स	0.920	10	-3	53,245	79.2	16.5	13.2	9.1	41.1	0.993	1
यू.के.	0.909	16	-4	37,931	80.8	16.3	13.3	5.3	32.6	0.964	2
रशियन फेड.	0.804	49	5	23,286	70.3	15.0	12.0	8.2	41.6	1.016	1
मलेशिया	0.789	59	1	24,620	74.9	13.1	10.1	11.3	46.3		...
मलेशिया	0.766	73	-2	10,789	75.0	14.0	10.9	6.6	39.2	0.934	3
श्रीलंका	0.754	79	7	14,145	74.7	15.2	7.8	15.5	51.5	1.005	1
ब्राजील	0.738	90	11	13,345	76.0	13.5	7.6	9.2	42.2	0.954	2
चाईना	0.691	111	-3	10,064	71.3	13.1	7.1			0.884	5
ईजिप्ट	0.689	113	3	10,053	69.1	12.9	7.9	6.6	39.5	0.926	3
इंडोनेशिया	0.666	119	2	12,087	57.7	13.0	10.3	27.9	63.4	0.962	2
साउथ अफ्रीका	0.624	131	4	5,663	68.3	11.7	6.3	5.3	35.2	0.819	5
भारत	0.579	139	2	3,341	72.0	10.2	5.2	4.7	32.1	0.927	3
बांग्लादेश	0.550	147	2	5,031	66.4	8.1	5.1	4.4	30.7	0.742	5
पाकिस्तान	0.717			14,447	71.6	12.3	8.3			0.938	
विश्व											

स्रोत: एचडीआई, 2016

टिप्पणी: (1)^क ये आंकड़े वर्ष 2015 अथवा सबसे हालिया वर्ष के उपलब्ध आंकड़े हैं। \$: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 2011 की डालर की क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) पर आधारित है। एलईबी है जन्म के समय आयु संभावित।

(2) जीडीआई को मापने के लिए देशों को महिलाएं एवं पुरुषों के बीच एचडीआई मूल्यों के पूर्ण विचलन के आधार पर पांच समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। समूह पांच 10 प्रतिशत से अधिक पूर्ण विचलन के साथ पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कम गुणवत्ता के एचडीआई मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है

महिलाओं संबंधी मुद्दे

10.54 सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण, विकास एवं धारणीयता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और महिलाओं, पुरुषों, परिवारों तथा समुदायों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी क्षेत्रों से संबंधित आर्थिक जीवन में पूर्ण रूप से भागीदारी के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। (यूएन महिला, 2011)।

10.55 एनएफएचएस-4 (2015-16) के निष्कर्षों से पता चलता है कि सभी मुख्य सूचकों के तहत 15-49

वर्ष आयु की महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। बचत खाता धारक महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि तथा परिवार में निर्णय लेने में भूमिका निभाने वाली महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि दर्शाने वाले सशक्तिकरण सूचकांकों में सुधार हुआ है।

10.56 जहां तक राज्यों का संबंध है, गोवा में बैंक खाता अथवा बचत खाता धारक महिलाएं सबसे ज्यादा हैं, इन खातों को वे अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करती हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भी भूमिका है, परिवार में निर्णय लेने का अधिकार रखने

वाली महिलाओं का प्रतिशत सिक्किम में बहुत ज्यादा है। अधिकांश राज्यों में 80 प्रतिशत से ज्यादा विवाहित महिलाएं परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, जो बड़ी स्वायत्तता का संकेत है और यह जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सशक्तिकरण हेतु पथ-प्रदर्शक है।

10.57 तथापि सशक्तिकरण के संकेतक है, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जैसे दंपति के बीच

हिंसा (बॉक्स 6)। हालांकि अधिकांश राज्यों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वैवाहिक जीवन में होने वाले अत्याचार जैसे सशक्तिकरण संबंधी सूचकों में सुधार की जरूरत है। वैसे अधिकांश राज्यों के 37.2 प्रतिशत के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वैवाहिक जीवन में होने वाला अत्याचार एनएफएचएस-3 से एनएफएचएस-4 में 28.8 प्रतिशत रह गया है। अखिल भारतीय स्तर पर 10 वर्षों की समयावधि

बॉक्स 6 : महिलाएं एवं 'स्वतंत्रता का विकास स्वरूप'

आबादी के लगभग 50 प्रतिशत हिस्से वाले 'महिला वर्ग' के मामले में 'स्वतंत्रता के रूप में विकास' में कई अड़चने हैं। लड़कियों और महिलाओं के साथ होने वाली अपहरण और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की असुरक्षा को दर्शाती हैं। संपत्ति में अधिकार न होना (भूमि का मालिकाना हक मुख्यतः पुरुषों का है), दहेज जैसे सामाजिक रीति-रिवाज, सामूहिक गतिशीलता के अभाव के साथ-साथ गतिशीलता में उत्पन्न बाधाएं और सामाजिकरण के अभाव ने महिलाओं की सौदा शक्ति को प्रभावित किया है और इनके निजी एवं सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों में गुणवत्ता के लिए बदलाव लाने की आवश्यकता है।

भारत में सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से महिलाओं की सुरक्षा एक चुनौती है और इस प्रकार लगातार बढ़ती हिंसाओं के कारण प्रतिष्ठित जीवन जीने के उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।

यह हालत भारत की है। नोबेल पुरस्कार विजेता कहनेमन के शब्दों में 'हम वास्तविकता के प्रति अंधे हो सकते हैं, तो फिर हम अपने अंधेपन के प्रति भी अंधे हैं' राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), 2015 भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामलों में 22 प्रतिशत से कम दोषसिद्धि की रिपोर्ट करता है जो अभिशासन की असफलता को दर्शाता है। कुल आईपीसी अपराधों की तुलना में महिलाओं पर हुए आईपीसी अपराधों का अनुपात पिछले 5 वर्षों में वर्ष 2011 में 9.4 प्रतिशत से वर्ष 2015 में 10.7 प्रतिशत तक बढ़ गया है। (सारणी 6)

सारणी 6: बच्चों एवं महिलाओं पर हुए अपराध वर्ष 2015

अपराध शीर्ष	सूचित अपराध	महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों का आईपीसी संघटक	कुल आईपीसी अपराधों* की तुलना में महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध हुए आईपीसी अपराधों का अनुपात	अपराध दर	आरोप पत्र दायर करने की दर	दोषसिद्धि दर
महिलाओं के विरुद्ध अपराध#	3,27,394	3,14,575	10.7	53.9	89.4	21.7
बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के) के विरुद्ध अपराध#	94,172	68,889	2.3	21.1	85.6	35.6
भारतीय दंड संहिता	29,49,400	-	100	234.2	77.7	46.9

स्रोत: आंकड़ों पर एक नजर, 2015, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) <http://ncrb.gov.in/>

टिप्पणी-1# : महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में बलात्कार (आईपीसी की धारा 376), बलात्कार करने की कोशिश (आईपीसी की धारा 304 बी), लाज भंग करने की कोशिश करना (आईपीसी की धारा 509), पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (आईपीसी की धारा 498ए), विदेशों से लड़कियों का आयात (आईपीसी की धारा 366बी), महिलाओं को आत्महत्या को प्रेरित करना (आईपीसी की धारा 306), सती निवारण अधिनियम आयोग, महिलाओं की अभद्र प्रस्तुति संबंधी शिकायत अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम तथा अनैतिक आचरण (निवारण) अधिनियम के तहत मामले शामिल हैं।

टिप्पणी- 2 * : कुल आईपीसी अपराधों की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध हुए आईपीसी अपराधों में से सती निवारण आयोग अधिनियम, महिलाओं की अभद्र प्रस्तुति संबंधी शिकायत अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम तथा अनैतिक आचार (निवारण) अधिनियम के तहत दायर मामले शामिल नहीं हैं।

महिलाओं के अधिकारों को अदालती प्रणाली से संरक्षित करने के लिए न्याय व्यवस्था में काफी सुधार की जरूरत है। विशेष अदालत/अधिकरणों के गठन के माध्यम से फास्ट ट्रैक निर्णय से परे इन निर्णयों पर हुए कार्यान्वयन और इसके परिणामों पर निगरानी की भी सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। इसके कार्यान्वयन तथा परिणामों की निगरानी के लिए, याचिका दायर करने/एफआईआर दर्ज करने की प्रारंभिक तारीख से निर्णय/निष्कर्ष हेतु लिए गये समय, निर्णय हेतु लिए गए दिनों की संख्या, निर्णय को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने हेतु लिए गए दिनों की संख्या, प्रारंभिक निर्णय के पश्चात् दायर अपीलों की संख्या ताकि इसके अंतिम निर्णय हेतु लिए गए समय तथा अंतिम सुनवाई के लिए एक मामले को सूचीबद्ध करने से पहले कितनी बार स्थगित हुआ है, की संख्या की गणना भी होनी चाहिए।

में, यह बड़ा सुधार नहीं है। इसके विपरीत पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में वैवाहिक जीवन में होने वाले अत्याचारों में वृद्धि हुई है।

भावी योजनाएं

10.58 भारत दो अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए, एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और इसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में निवेश करके सामाजिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

10.59 शिक्षा नीतियां इस तरह तैयार की जानी चाहिए जिनमें शिक्षण परिणामों एवं सुधारात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाए। यह कार्य ऐसी हस्तक्षेपी कार्रवाइयों के जरिए होना चाहिए जो कारगर हों तथा व्यय की दक्षता बढ़ाएं। फिर भी योग्यता एवं कक्षा के लिए उपयोगी अधिगम परिणामों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और देश में सभी स्कूलों में सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और आईसीटी का उपयोग करके निरंतर आधार पर निगरानी की आवश्यकता है। स्कूल कर्मचारियों की बायोमीट्रिक उपस्थिति, परीक्षा प्रश्नपत्रों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने अथवा परीक्षा आयोजित करने तथा स्कूलों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (जीबीटी) की सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया जाना चाहिए। योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एवं कौशल निर्माण कार्यक्रमों के लिए परिणामोन्मुख उपाय अपनाए

जाने की आवश्यकता है।

10.60 भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जन स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका में निरंतर गिरावट, अत्यधिक महंगी स्वास्थ्य सेवाएं और कई लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना एवं इनके खर्चों को वहन करने की क्षमता से संबंधित मसले शामिल हैं। गुणवत्ता मामलों के समाधान प्राप्त करके, नैदानिक जांचों के लिए मानक दर निर्धारित करके, वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालियों के बारे में जागरूकता सृजित करके और सर्जरी, दवाओं आदि के माध्यम से झूठे दावे करने वाले अस्पतालों और निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं पर दण्डात्मक उपाय के रूप में जुर्माना आदि लागू करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ एवं जोखिम सुरक्षा दी जानी चाहिए।

10.61 आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ, सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुसंख्यक दुर्बल, आर्थिक दृष्टि से कमजोर श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत की सामाजिक विकास रणनीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि सभी प्रकार की असमानताओं को कम किया जाए।

आर्थिक समीक्षा 2016-17
सांख्यिकीय परिशिष्ट

1.	राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन	
1.1	सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद	A1-A2
1.2	सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर	A3-A5
1.3 क	मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्द्धन (स्थिर मूल्यों पर)	A6-A7
1.3 ख	मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्द्धन (स्थिर मूल्यों पर)	A7
1.4 क	मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्द्धन (वर्तमान मूल्यों पर)	A8-A9
1.4 ख	मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्द्धन (वर्तमान मूल्यों पर)	A9
1.5 क	मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर वास्तविक सकल मूल्यवर्द्धन की वार्षिक वृद्धि दरें (प्रतिशत)	A10-A11
1.5 ख	मूल उद्योग के अनुसार मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्यवर्द्धन की वार्षिक वृद्धि दरें (प्रतिशत)	A11
1.6	वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद संबंधी संघटक	A12-A13
1.7	सतत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के संघटक	A14-A15
1.8	सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर)	A16-A18
1.9	सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू पूंजी निर्माण (वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	A19-A21
1.10 क	वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला)	A22
1.10 ख	वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 श्रृंखला)	A23
1.11 क	वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 श्रृंखला)	A24
1.11 ख	वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 श्रृंखला)	A25
1.12	कृषि उपज के सूचकांक	A26
1.13	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का सूचकांक	A27
1.14	प्रमुख फसलों की पैदावार का सूचकांक	A28
1.15	प्रमुख फसलों का उत्पादन	A29
1.16	प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र	A30
1.17	प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार	A31
1.18	वर्ष 2016-17 में तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन	A32
1.19	अनाज और दालों की निवल उपलब्ध मात्रा	A33
1.20	खाद्यान्नों की निवल उपलब्ध मात्रा, अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण	A34
1.21	उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा	A35
1.22	उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग	A36
1.23	मुख्य पशुधन उत्पादों और मछली का उत्पादन	A37
1.24	कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन	A38
1.25	विजली आपूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर-जनोपयोगी)	
	(क) स्थापित संयंत्र क्षमता	A39
	(ख) उत्पादित ऊर्जा	A40
1.26	भारतीय रेलों का प्रचालन	A41
1.27	भारतीय रेलवे का राजस्व उपार्जक माल यातायात	
	(क) प्रारम्भिक यातायात	A42
	(ख) ढोया गया माल	A43
1.28	सड़क परिवहन प्रचालन	A44
1.29	नागर विमानन में वृद्धि	A45-A46
1.30	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का वस्तु शेष	A47
1.31	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार 2011-12)	A48
2.	बजटीय लेन-देन	
2.1	केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के बजटीय लेन-देन	A49
2.2	केन्द्र सरकार का कुल व्यय	A50-A51
2.3	विकास शीर्षों के अनुसार बारहवीं योजना (2012-2017) का परिव्यय: केन्द्र	A52
2.4	केन्द्रीय योजनाओं के लिए वित्त पोषण	A53
2.5	बारहवीं योजना 2012-17 के दौरान सरकारी क्षेत्र के आयोजना परिव्यय की समग्र वित्त पोषण पद्धति	A54
2.6	भारतीय रेलवे का वित्तीय कार्य-निष्पादन	A54
2.7	डाक विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन	A54
2.8 क	केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय (करोड़ रु. में)	A55
2.8 ख	केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	A56
2.9	केन्द्र सरकार की बकाया देनदारियां	A57
2.10	केन्द्र सरकार द्वारा कुल व्यय और पूंजी निर्माण तथा इसकी कार्य प्रणाली	A58
2.11	राज्य और समेकित सामान्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण (करोड़ रु. में)	A59
2.12	राज्य और समेकित सामान्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	A60

3.	रोजगार	
3.1	संगठित क्षेत्रों में रोजगार-सरकारी और निजी	A61
3.2	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्य-निष्पादन	A62
4.	मौद्रिक प्रवृत्तियाँ	
4.1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक : निधियों का मौसमी प्रवाह	A63
4.2	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक : चुनिन्दा मदों में परिवर्तन	A64
4.3	संवेदी वस्तुओं के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम	A65
4.4	सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार	A66
4.5	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिम	A67-A68
4.6	बैंकों के कार्यालयों, सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में कुल जमा राशि और उनके द्वारा दिये गये कुल ऋणों तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के प्रतिशत अंश का राज्यवार वितरण	A69
5.	मूल्य	
5.1	थोक मूल्यों के सूचकांक	A70-A72
5.2	थोक मूल्यों के सूचकांक-चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह	A73-A75
5.3	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	A76-A77
5.4	थोक मूल्यों के सूचकांक-विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमतें	A78
5.5	फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य	A79-A80
6.	भुगतान संतुलन	
6.1क	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (₹ करोड़)	A81-A83
6.1ख	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (मिलियन अमरीकी डालर)	A84-A85
6.2	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष मैनुअल 5 के अनुसार भुगतान संतुलन	A86-A87
6.3क	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	A88-A89
6.3ख	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डालर)	A90-A91
6.4	विश्व की चुनिन्दा मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर	A92-A93
6.5	रुपये की सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की प्रवृत्तियाँ	A94
7.	विदेशी व्यापार	
7.1क	निर्यात, आयात और व्यापार शेष (₹ करोड़)	A95-A96
7.1ख	निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष (मिलियन अमरीकी डालर)	A97-A98
7.2क	मुख्य आयात	A99-A101
7.2ख	मुख्य आयातों का हिस्सा और प्रतिशत परिवर्तन	A102
7.3क	मुख्य निर्यात	A103-A105
7.3ख	मुख्य निर्यातों का हिस्सा और प्रतिशत परिवर्तन	A106
7.4क	आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात	A107-A114
7.4ख	निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात	A115-A122
7.5	वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा (मिलियन अमरीकी डालर)	A123-A126
7.6	विदेश व्यापार के सूचकांक	A127
8.	विदेश सहायता	
8.1क	समग्र विदेशी सहायता (₹ करोड़)	A128-A129
8.1ख	समग्र विदेशी सहायता (मिलियन अमरीकी डालर)	A130-A131
8.2क	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण (₹ करोड़)	A132-A133
8.2ख	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण (मिलियन अमरीकी डालर)	A134-A135
8.3क	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग (₹ करोड़)	A136-A137
8.3ख	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग (मिलियन अमरीकी डालर)	A138-A139
8.4क	भारत का बकाया विदेशी ऋण (₹ करोड़)	A140-A142
8.4ख	भारत का बकाया विदेशी ऋण (मिलियन अमरीकी डालर)	A143-A145
9.	मानव विकास संकेतक	
9.1	प्रमुख राज्यों के लिए मानव विकास के चुनिन्दा संकेतक	A146
9.2	कुल नामांकन अनुपात : 2015-16 (अंतिम)	A147
9.3	भारत में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की कुल संख्या 2015-16	A148
9.4	राज्य-वार साक्षरता दर (1951-2011)	A149
9.5	भारत में परिवारों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता	A150
9.6	भारत की जनसंख्या (1951-2011)	A151
9.7	वर्ष 2001 और 2011 में विभिन्न आयु वर्ग तथा बाल लिंग अनुपात के अन्तर्गत जनसंख्या	A152-A253
9.8	सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल और भारत के प्रमुख चयनित राज्यों की अन्तर-राज्य तुलना	A154-A157

सारणी 1.1. सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय

वर्ष	सकल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		निवल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (₹)	
	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1950-51	10360	292996	9829	269724	274	7513
1951-52	11019	302010	10443	279256	286	7651
1952-53	10825	310068	10241	287818	275	7737
1953-54	11791	329250	11235	307397	296	8111
1954-55	11141	344902	10635	326057	276	8447
1955-56	11361	356460	10819	337156	275	8579
1956-57	13530	376234	12944	356008	323	8878
1957-58	13931	374503	13277	353525	325	8644
1958-59	15516	402020	14802	379855	354	9087
1959-60	16327	412031	15564	389080	365	9133
1960-61	17870	434497	17062	411519	393	9482
1961-62	18912	450212	18016	426103	406	9597
1962-63	20321	463161	19350	437686	426	9641
1963-64	23350	491049	22266	464130	480	10003
1964-65	27222	527153	25982	498287	548	10512
1965-66	28693	512985	27300	482480	563	9948
1966-67	32439	512781	30806	480102	622	9699
1967-68	38003	552429	36136	517516	714	10228
1968-69	40257	571460	38259	534677	739	10322
1969-70	44334	608809	42035	569591	795	10767
1970-71	47354	640275	44550	596470	823	11025
1971-72	50708	650938	47630	605211	860	10924
1972-73	55912	647647	52487	600195	926	10585
1973-74	68095	669444	63983	619883	1103	10688
1974-75	80479	678151	75182	625455	1268	10547
1975-76	86452	740806	80189	685230	1321	11289
1976-77	93189	753348	86382	694149	1393	11196
1977-78	105615	808500	98287	746719	1550	11778
1978-79	114491	854867	106380	790566	1642	12200
1979-80	125882	811357	115995	743925	1747	11204
1980-81	149987	866338	138565	795193	2041	11711
1981-82	175845	917272	161924	842429	2340	12174
1982-83	196010	946491	179895	867337	2541	12251
1983-84	228077	1015342	210108	932241	2906	12894
1984-85	255187	1052643	234211	963767	3169	13041
1985-86	288095	1108266	262958	1013410	3483	13423
1986-87	322144	1160809	293806	1060195	3811	13751
1987-88	365592	1204856	332400	1097111	4218	13923
1988-89	432397	1317940	393546	1204380	4889	14961
1989-90	496197	1396154	450949	1275833	5486	15521
1990-91	578667	1470766	526017	1342031	6270	15996
1991-92	663798	1485707	599171	1348043	7000	15748
1992-93	762900	1567944	688762	1422097	7899	16308
1993-94	879275	1644886	796418	1492864	8928	16736

जारी ...

सारणी 1.1. सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय (जारी....)						
वर्ष	सकल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		निवल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (₹)	
	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1994-95	1032507	1755272	935759	1592980	10283	17505
1995-96	1213241	1888228	1100655	1715639	11861	18487
1996-97	1406195	2032837	1276347	1849226	13492	19548
1997-98	1559189	2118975	1411922	1920927	14646	19927
1998-99	1788410	2250012	1624669	2038124	16528	20734
1999-00	2007699	2448654	1821227	2220003	18194	22178
2000-01	2154680	2535911	1947788	2291795	19115	22491
2001-02	2335777	2661819	2106928	2401875	20259	23095
2002-03	2519637	2766298	2273456	2492931	21529	23607
2003-04	2820795	2983497	2548640	2692470	23775	25116
2004-05	3219835	3219835	2899944	2899944	26629	26629
2005-06	3667253	3518348	3303532	3167455	29869	28639
2006-07	4261472	3841974	3842743	3456274	34249	30805
2007-08	4966578	4233768	4481882	3806140	39384	33446
2008-09	5597140	4390966	5031943	3922062	43604	33987
2009-10	6439827	4763090	5780028	4241183	49402	36249
2010-11	7702308	5227739	6942089	4657438	58534	39270
2011-12	8932892	5586683	8052996	4958849	66997	41255
2011-12 श्रृंखला						
2011-12	8659505	8659505	7742330	7742330	63462	63462
2012-13	9827250	9104662	8766345	8094001	70983	65538
2013-14	11093638	9679027	9897663	8578417	79118	68572
2014-15	12297698	10412280	10953761	9231556	86454	72862
2015-16	13522256	11246305	12076882	9982112	94130	77803
2016-17 (अ.अ.)	14994109	12034713	13408211	10686776	103219	82269

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

अ.अ. : अग्रिम अनुमान

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अनुमान जो राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के संबंध में दिनांक 31.01.2017 के प्रेस नोट के ज़रिए जारी किए गए थे, मई 2017 में जारी नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आई आई पी और डब्ल्यूपीआई के नई श्रृंखला शामिल किए जाने के कारण अद्यतित किए गए हैं

सारणी 1.2 : सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय आय		निवल राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय	
	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1951-52	6.4	3.1	6.2	3.5	4.5	1.8
1952-53	-1.8	2.7	-1.9	3.1	-3.8	1.1
1953-54	8.9	6.2	9.7	6.8	7.7	4.8
1954-55	-5.5	4.8	-5.3	6.1	-7.1	4.1
1955-56	2.0	3.4	1.7	3.4	-0.1	1.6
1956-57	19.1	5.5	19.6	5.6	17.3	3.5
1957-58	3.0	-0.5	2.6	-0.7	0.6	-2.6
1958-59	11.4	7.3	11.5	7.4	9.1	5.1
1959-60	5.2	2.5	5.1	2.4	3.2	0.5
1960-61	9.5	5.5	9.6	5.8	7.6	3.8
1961-62	5.8	3.6	5.6	3.5	3.2	1.2
1962-63	7.5	2.9	7.4	2.7	5.0	0.5
1963-64	14.9	6.0	15.1	6.0	12.6	3.8
1964-65	16.6	7.4	16.7	7.4	14.2	5.1
1965-66	5.4	-2.7	5.1	-3.2	2.7	-5.4
1966-67	13.1	0.0	12.8	-0.5	10.6	-2.5
1967-68	17.2	7.7	17.3	7.8	14.8	5.4
1968-69	5.9	3.4	5.9	3.3	3.4	0.9
1969-70	10.1	6.5	9.9	6.5	7.6	4.3
1970-71	6.8	5.2	6.0	4.7	3.6	2.4
1971-72	7.1	1.7	6.9	1.5	4.4	-0.9
1972-73	10.3	-0.5	10.2	-0.8	7.7	-3.1
1973-74	21.8	3.4	21.9	3.3	19.2	1.0
1974-75	18.2	1.3	17.5	0.9	14.9	-1.3
1975-76	7.4	9.2	6.7	9.6	4.2	7.0
1976-77	7.8	1.7	7.7	1.3	5.5	-0.8
1977-78	13.3	7.3	13.8	7.6	11.3	5.2
1978-79	8.4	5.7	8.2	5.9	5.9	3.6
1979-80	9.9	-5.1	9.0	-5.9	6.4	-8.2
1980-81	19.1	6.8	19.5	6.9	16.8	4.5
1981-82	17.2	5.9	16.9	5.9	14.7	3.9
1982-83	11.5	3.2	11.1	3.0	8.6	0.6
1983-84	16.4	7.3	16.8	7.5	14.4	5.3
1984-85	11.9	3.7	11.5	3.4	9.1	1.1
1985-86	12.9	5.3	12.3	5.2	9.9	2.9
1986-87	11.8	4.7	11.7	4.6	9.4	2.4
1987-88	13.5	3.8	13.1	3.5	10.7	1.2
1988-89	18.3	9.4	18.4	9.8	15.9	7.5
1989-90	14.8	5.9	14.6	5.9	12.2	3.7

जारी ...

सारणी 1.2 : सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर

(जारी....)

(प्रतिशत)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय आय		निवल राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय	
	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1990-91	16.6	5.3	16.6	5.2	14.3	3.1
1991-92	14.7	1.0	13.9	0.4	11.6	-1.5
1992-93	14.9	5.5	15.0	5.5	12.8	3.6
1993-94	15.3	4.9	15.6	5.0	13.0	2.6
1994-95	17.4	6.7	17.5	6.7	15.2	4.6
1995-96	17.5	7.6	17.6	7.7	15.3	5.6
1996-97	15.9	7.7	16.0	7.8	13.8	5.7
1997-98	10.9	4.2	10.6	3.9	8.6	1.9
1998-99	14.7	6.2	15.1	6.1	12.8	4.1
1999-00	12.3	8.8	12.1	8.9	10.1	7.0
2000-01	7.3	3.6	6.9	3.2	5.1	1.4
2001-02	8.4	5.0	8.2	4.8	6.0	2.7
2002-03	7.9	3.9	7.9	3.8	6.3	2.2
2003-04	12.0	7.9	12.1	8.0	10.4	6.4
2004-05	14.1	7.9	13.8	7.7	12.0	6.0
2005-06	13.9	9.3	13.9	9.2	12.2	7.5
2006-07	16.2	9.2	16.3	9.1	14.7	7.6
2007-08	16.5	10.2	16.6	10.1	15.0	8.6
2008-09	12.7	3.7	12.3	3.0	10.7	1.6
2009-10	15.1	8.5	14.9	8.1	13.3	6.7
2010-11	19.6	9.8	20.1	9.8	18.5	8.3
2011-12	16.0	6.9	16.0	6.5	14.5	5.1
2011-12 श्रृंखला						
2012-13	13.5	5.1	13.2	4.5	11.9	3.3
2013-14	12.9	6.3	12.9	6.0	11.5	4.6
2014-15	10.9	7.6	10.7	7.6	9.3	6.3
2015-16	10.0	8.0	10.3	8.1	8.9	6.8
2016-17 (अ.अ.)	10.9	7.0	11.0	7.1	9.7	5.7
वार्षिक औसत वृद्धि दर						
पहली पंचवर्षीय योजना (1951-52 to 1955-56)	2.0	4.0	2.1	4.6	0.3	2.7
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-57 to 1960-61)	9.6	4.1	9.7	4.1	7.5	2.1
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 to 1965-66)	10.0	3.4	10.0	3.3	7.6	1.0
तीन वार्षिक योजनाएं (1966-67 to 1968-69)	12.0	3.7	12.0	3.5	9.6	1.3
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-70 to 1973-74)	11.2	3.2	11.0	3.0	8.5	0.7
पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-75 to 1978-79)	11.0	5.1	10.8	5.0	8.4	2.7

जारी ...

सारणी 1.2 : सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर

(जारी....)

(प्रतिशत)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय आय		निवल राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय	
	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर	वर्तमान कीमतों पर	सतत कीमतों पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वार्षिक योजना (1979-80)	9.9	-5.1	9.0	-5.9	6.4	-8.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 to 1984-85)	15.2	5.4	15.1	5.3	12.7	3.1
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 to 1989-90)	14.2	5.8	14.0	5.8	11.6	3.6
दो वार्षिक योजनाएं (1990-91 to 1991-92)	15.7	3.2	15.3	2.8	13.0	0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 to 1996-97)	16.2	6.5	16.3	6.5	14.0	4.4
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 to 2001-02)	10.7	5.6	10.6	5.4	8.5	3.4
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 to 2006-07)	12.8	7.6	12.8	7.6	11.1	5.9
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 to 2011-12)**	16.0	7.8	16.0	7.5	14.4	6.0
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 to 2016-17)***	11.6	6.8	11.6	6.7	10.2	5.3

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

अ.अ. : अनंतिम अनुमान

*: 2004 तीसरे संशोधित अनुमान # दूसरे संशोधित अनुमान @ प्रथम संशोधित अनुमान

** 2004-05 श्रृंखलाओं पर आधारित वर्ष 2011-12 के आंकड़े औसत वृद्धि दर को संकलित करने के लिए लिये गए हैं।

*** 2011-12 श्रृंखला के आंकड़े औसत वृद्धि दर को संकलित करने के लिए गए हैं।

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अनुमान जो राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के संबंध में दिनांक 31.01.2017 के प्रेस नोट के ज़रिए जारी किए गए थे, मई 2017 में जारी नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आई आई पी और डब्ल्यूपीआई के नई श्रृंखला शामिल किए जाने के कारण अद्यतन किए गए हैं।

सारणी 1.3क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष	सतत मूल्य पर					
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1950-51	150191	40138	30792	23325	28474	279618
1951-52	152987	41996	31608	23863	29329	286147
1952-53	157764	41834	32641	24863	29934	294267
1953-54	169547	44416	33861	25219	30860	312177
1954-55	174611	48325	36065	26140	31967	325431
1955-56	173255	53962	38700	27190	32955	333766
1956-57	182651	58809	41537	27635	34219	352766
1957-58	175180	57737	42831	28679	35765	348500
1958-59	192337	62009	44965	29492	37233	374948
1959-60	190851	66378	47779	30619	38834	383153
1960-61	204340	73555	51879	31252	40741	410279
1961-62	205014	78638	55259	32596	42656	423011
1962-63	202234	83517	58503	33693	45686	431960
1963-64	207030	92432	62650	34735	48684	453829
1964-65	225287	99250	66890	35688	51894	488247
1965-66	202906	102475	68079	36766	53950	470402
1966-67	200481	106304	69862	37412	56438	475190
1967-68	228813	109856	72852	38431	58659	513860
1968-69	228836	115422	76155	40305	61272	527270
1969-70	243347	124372	80275	41980	64655	561630
1970-71	258665	126356	84205	43735	68218	589787
1971-72	254395	129506	86121	45989	71264	595741
1972-73	243082	133917	87991	47767	73594	593843
1973-74	259751	134649	91686	48936	75541	620872
1974-75	256719	136045	97176	48779	79120	628079
1975-76	289695	144928	105980	52142	81914	684634
1976-77	274522	158354	110697	56277	84190	693191
1977-78	300873	170123	118084	59032	86450	744972
1978-79	307874	182590	127772	63203	90186	785965
1979-80	271096	176035	126751	63818	96779	745083
1980-81	305906	183970	133906	65041	101666	798506
1981-82	321876	197519	142057	70326	103842	843426
1982-83	323862	197833	149903	77029	111849	868092
1983-84	354720	214737	157545	84585	116027	936270
1984-85	360230	224284	165037	90907	124065	973357
1985-86	362783	233818	178195	99783	131184	1013866
1986-87	364989	245385	188888	110295	141043	1057612
1987-88	360949	259641	198578	118383	151240	1094993
1988-89	417581	280863	210405	129934	160385	1206243
1989-90	425075	304461	226074	146088	173022	1280228
1990-91	444880	325450	237736	155165	180564	1347889
1991-92	438685	325150	243178	171956	185232	1367171
1992-93	465084	336716	256897	181320	196332	1440504
1993-94	479592	357237	274682	201568	205101	1522344
1994-95	504477	389903	301997	209401	209742	1619694
1995-96	504527	436863	342536	226348	225157	1737741

सारणी 1.3क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन

(जारी....)

(₹ करोड़)

वर्ष	सतत मूल्य पर					
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, विजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1996-97	549202	468146	370200	240354	243288	1876319
1997-98	542313	483585	398109	268495	263486	1957032
1998-99	574374	504485	428613	289440	289085	2087828
1999-00	590696	535730	477605	327111	323800	2254942
2000-01	592227	570571	508299	338661	338723	2348481
2001-02	624923	585971	552118	359684	352267	2474962
2002-03	594280	627374	597896	385661	365724	2570935
2003-04	643183	676833	664637	406098	384998	2775749
2004-05	650454	744755	727720	437174	411361	2971464
2005-06	680628	824272	815407	492340	440426	3253073
2006-07	711768	928626	910084	561063	452823	3564364
2007-08	751077	1023998	1009520	628124	483917	3896636
2008-09	753744	1071681	1085125	703629	544497	4158676
2009-10	764817	1173089	1197891	771905	608369	4516071
2010-11	828431	1262722	1344024	849189	634167	4918533
2011-12	864557	1369932	1402261	945534	665246	5247530

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

- 1999-2000 से पूर्व के वर्षों के संबंध में कॉलम 7 के तहत जोड़ प्रत्येक उद्योग के स्तर पर और कुल के स्तर पर पृथक-पृथक रूप से अपनाई गई स्प्लाइसिंग तकनीक के कारण कॉलम 2 से कॉलम 6 के तहत प्रत्येक मद के जोड़ से संभवतः मेल न खाएँ।
- वर्ष 2011-12 से आगे के पूर्वानुमान (2011-12 के आधार पर) आधार मूल्यों पर ही उपलब्ध है और सारणी 1.3ख में दिए गए हैं।

सारणी 1.3 ख : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष	सतत मूल्य पर					
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, विजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011-12 श्रृंखला						
2011-12	1762983	2373988	1413116	1530877	1025982	8106946
2012-13	1786897	2458558	1551143	1680031	1069646	8546275
2013-14	1872305	2561081	1652062	1867407	1110794	9063649
2014-15	1899961	2741451	1800919	2075549	1201143	9719023
2015-16	1941948	2976344	1989161	2298798	1284263	10490514
2016-17 (अ.अ.)	2026660	3155185	2143956	2429638	1430002	11185440

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: अ.अ.: अंतिम अनुमान

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अनुमान जो राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के संबंध में दिनांक 31.01.2017 के प्रेस नोट के ज़रिए जारी किए गए थे, मई 2017 में जारी नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आई आई पी और डब्ल्यूपीआई के नई श्रृंखला शामिल किए जाने के कारण अद्यतित किए गए हैं।

सारणी 1.4क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन

(₹ करोड)

वर्ष	(वर्तमान मूल्यों पर)					
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1950-51	5274	1346	968	1254	1115	10036
1951-52	5453	1505	1048	1349	1162	10596
1952-53	5316	1416	1055	1425	1201	10449
1953-54	5850	1559	1121	1537	1250	11378
1954-55	4993	1640	1151	1647	1283	10689
1955-56	4847	1760	1192	1768	1361	10861
1956-57	6152	2071	1378	1917	1430	12965
1957-58	6045	2148	1525	2054	1503	13255
1958-59	7002	2334	1667	2203	1597	14827
1959-60	7043	2616	1801	2364	1760	15574
1960-61	7434	3113	1985	2547	1989	17049
1961-62	7704	3398	2145	2602	2154	17992
1962-63	7899	3740	2348	2987	2343	19238
1963-64	9274	4274	2628	3231	2599	21986
1964-65	11291	4788	3084	3512	2945	25686
1965-66	11301	5199	3345	3796	3276	26895
1966-67	13123	5819	3890	4063	3665	30613
1967-68	16393	6380	4445	4458	4105	35976
1968-69	16912	6940	4732	4772	4422	37938
1969-70	18505	7944	5107	5120	4822	41722
1970-71	19086	8622	5627	5579	5315	44382
1971-72	19510	9538	6102	6117	5901	47221
1972-73	21448	10534	6730	6694	6456	51943
1973-74	28171	12230	8057	7465	7261	63658
1974-75	31062	15232	10642	8390	9142	74930
1975-76	31028	16571	12067	9511	10290	79582
1976-77	31833	18811	13066	10579	11311	85545
1977-78	37592	21270	14702	11540	12296	97633
1978-79	38717	23951	16119	12448	13529	104930
1979-80	40373	26774	18604	13576	15149	114500
1980-81	50760	30900	21968	15120	17537	136838
1981-82	58745	36090	26946	17835	19927	160214
1982-83	63985	39953	30749	20453	23134	178985
1983-84	75982	47053	35716	23388	26345	209356
1984-85	82204	53656	41125	26907	30311	235113
1985-86	88083	60593	48022	30819	34284	262717
1986-87	95182	67754	54272	35337	39428	292924
1987-88	105358	77630	61963	40387	45700	332068
1988-89	130731	91163	73159	46926	52994	396295
1989-90	144461	108908	85630	55297	60741	456540
1990-91	168166	127079	100318	64598	70019	531814
1991-92	195454	140700	115570	78904	81366	613528
1992-93	219680	163887	136250	87495	94507	703723
1993-94	254876	188251	160990	105686	106090	817961
1994-95	293013	229365	192142	119442	118663	955386
1995-96	319243	280971	231175	143791	140190	1118586

सारणी 1.4क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन

(जारी....)

(₹ करोड़)

वर्ष	(वर्तमान मूल्यों पर)					
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, विजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1996-97	381142	318260	273135	158637	166469	1301788
1997-98	408521	348543	313093	180642	193188	1447613
1998-99	466446	393491	358538	210593	236123	1668739
1999-00	497027	426993	400650	260522	273013	1858205
2000-01	506476	474323	443169	282316	294459	2000743
2001-02	546674	497578	491952	321543	317513	2175260
2002-03	548062	550421	543691	360194	341496	2343864
2003-04	608788	618840	624394	402510	371288	2625819
2004-05	650454	744755	727720	437174	411361	2971464
2005-06	732234	859410	846606	493102	459151	3390503
2006-07	829771	1033410	998379	586595	505121	3953276
2007-08	961330	1205458	1150044	691464	573790	4582086
2008-09	1083032	1360426	1310845	845369	703895	5303567
2009-10	1242818	1536492	1481623	964937	883033	6108903
2010-11	1524552	1763584	1779630	1165243	1015850	7248860
2011-12	1721814	2061650	2072272	1381524	1154431	8391691

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

- 1999-2000 से पूर्व के वर्षों के संबंध में कॉलम 7 के तहत जोड़ प्रत्येक उद्योग के स्तर पर और कुल के स्तर पर पृथक-पृथक रूप से अपनाई गई स्लाइसिंग तकनीक के कारण कॉलम 2 से कॉलम 6 के तहत प्रत्येक मद के जोड़ से संभवतः मेल न खाएँ।
- वर्ष 2011-12 के आगे के पूर्वानुमान (2011-12 के आधार पर) आधार मूल्यों पर भी उपलब्ध है और सारणी 1.4ख में दिए गए हैं।

सारणी 1.4ख : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़)

वर्ष	(वर्तमान मूल्यों पर)					
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, विजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011-12 श्रृंखला						
2011-12	1762983	2373988	1413116	1530877	1025982	8106946
2012-13	1960949	2637551	1663986	1776632	1163574	9202692
2013-14	2222166	2895076	1874467	2069508	1301935	10363153
2014-15	2383135	3151061	2095121	2363250	1489226	11481794
2015-16	2471800	3392873	2294364	2631120	1668486	12458642
2016-17 (अ.अ.)	2674006	3641178	2519999	2889048	1945683	13669914

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

अ.अ.: अनंतिम अनुमान

टिप्पणी: * तीसरे संशोधित अनुमान; # दूसरे संशोधित; @ पहले अग्रिम अनुमान;

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अनुमान जो राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के संबंध में दिनांक 31.01.2017 के प्रेस नोट के जरिए जारी किए गए थे, मई 2017 में जारी नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आई आई पी और डब्ल्यूपीआई के नई श्रृंखला शामिल किए जाने के कारण अधतित किए गए हैं।

सारणी 1.5क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्तमान मूल्यों पर						
वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उल्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामूदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1951-52	1.9	4.6	2.6	2.3	3.0	2.3
1952-53	3.1	-0.4	3.3	4.2	2.1	2.8
1953-54	7.5	6.2	3.7	1.4	3.1	6.1
1954-55	3.0	8.8	6.5	3.7	3.6	4.2
1955-56	-0.8	11.7	7.3	4.0	3.1	2.6
1956-57	5.4	9.0	7.3	1.6	3.8	5.7
1957-58	-4.1	-1.8	3.1	3.8	4.5	-1.2
1958-59	9.8	7.4	5.0	2.8	4.1	7.6
1959-60	-0.8	7.0	6.3	3.8	4.3	2.2
1960-61	7.1	10.8	8.6	2.1	4.9	7.1
1961-62	0.3	6.9	6.5	4.3	4.7	3.1
1962-63	-1.4	6.2	5.9	3.4	7.1	2.1
1963-64	2.4	10.7	7.1	3.1	6.6	5.1
1964-65	8.8	7.4	6.8	2.7	6.6	7.6
1965-66	-9.9	3.2	1.8	3.0	4.0	-3.7
1966-67	-1.2	3.7	2.6	1.8	4.6	1.0
1967-68	14.1	3.3	4.3	2.7	3.9	8.1
1968-69	0.0	5.1	4.5	4.9	4.5	2.6
1969-70	6.3	7.8	5.4	4.2	5.5	6.5
1970-71	6.3	1.6	4.9	4.2	5.5	5.0
1971-72	-1.7	2.5	2.3	5.2	4.5	1.0
1972-73	-4.4	3.4	2.2	3.9	3.3	-0.3
1973-74	6.9	0.5	4.2	2.4	2.6	4.6
1974-75	-1.2	1.0	6.0	-0.3	4.7	1.2
1975-76	12.8	6.5	9.1	6.9	3.5	9.0
1976-77	-5.2	9.3	4.5	7.9	2.8	1.2
1977-78	9.6	7.4	6.7	4.9	2.7	7.5
1978-79	2.3	7.3	8.2	7.1	4.3	5.5
1979-80	-11.9	-3.6	-0.8	1.0	7.3	-5.2
1980-81	12.8	4.5	5.6	1.9	5.0	7.2
1981-82	5.2	7.4	6.1	8.1	2.1	5.6
1982-83	0.6	0.2	5.5	9.5	7.7	2.9
1983-84	9.5	8.5	5.1	9.8	3.7	7.9
1984-85	1.6	4.4	4.8	7.5	6.9	4.0
1985-86	0.7	4.3	8.0	9.8	5.7	4.2
1986-87	0.6	4.9	6.0	10.5	7.5	4.3
1987-88	-1.1	5.8	5.1	7.3	7.2	3.5
1988-89	15.7	8.2	6.0	9.8	6.0	10.2
1989-90	1.8	8.4	7.4	12.4	7.9	6.1
1990-91	4.7	6.9	5.2	6.2	4.4	5.3
1991-92	-1.4	-0.1	2.3	10.8	2.6	1.4
1992-93	6.0	3.6	5.6	5.4	6.0	5.4
1993-94	3.1	6.1	6.9	11.2	4.5	5.7
1994-95	5.2	9.1	9.9	3.9	2.3	6.4
1995-96	0.0	12.0	13.4	8.1	7.3	7.3

जारी ...

सारणी 1.5क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर (जारी....)

(प्रतिशत)

वर्तमान मूल्यों पर						
वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामूदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 श्रृंखला						
1996-97	8.9	7.2	8.1	6.2	8.1	8.0
1997-98	-1.3	3.3	7.5	11.7	8.3	4.3
1998-99	5.9	4.3	7.7	7.8	9.7	6.7
1999-00	2.8	6.2	11.4	13.0	12.0	8.0
2000-01	0.3	6.5	6.4	3.5	4.6	4.1
2001-02	5.5	2.7	8.6	6.2	4.0	5.4
2002-03	-4.9	7.1	8.3	7.2	3.8	3.9
2003-04	8.2	7.9	11.2	5.3	5.3	8.0
2004-05	1.1	10.0	9.5	7.7	6.8	7.1
2005-06	4.6	10.7	12.0	12.6	7.1	9.5
2006-07	4.6	12.7	11.6	14.0	2.8	9.6
2007-08	5.5	10.3	10.9	12.0	6.9	9.3
2008-09	0.4	4.7	7.5	12.0	12.5	6.7
2009-10	1.5	9.5	10.4	9.7	11.7	8.6
2010-11	8.3	7.6	12.2	10.0	4.2	8.9
2011-12	4.4	8.5	4.3	11.3	4.9	6.7

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

सारणी 1.5ख : मूल उद्योग के अनुसार बुनियादी मूल्य पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्तमान मूल्य पर						
वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामूदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011-12 Series						
2012-13	1.4	3.6	9.8	9.7	4.3	5.4
2013-14	4.8	4.2	6.5	11.2	3.8	6.1
2014-15	1.5	7.0	9.0	11.1	8.1	7.2
2015-16	2.2	8.6	10.5	10.8	6.9	7.9
2016-17 (अ.अ.)	4.4	6.0	7.8	5.7	11.3	6.6

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

अ.अ.: अनंतिम अनुमान

टिप्पणी: * तीसरे संशोधित अनुमान; # दूसरे संशोधित; @ पहले अग्रिम अनुमान;

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अनुमान जो राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के संबंध में दिनांक 31.01.2017 के प्रेस नोट के ज़रिए जारी किए गए थे, मई 2017 में जारी नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आई आई पी और डब्ल्यूपीआई के नई श्रृंखला शामिल किए जाने के कारण अधतित किए गए हैं

सारणी 1.6: वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के संघटक

									(₹ करोड़)
वर्ष	पीएफसीई	जीएफसीई	जीएफसी एफ	सीआईएस	मूल्यवान वस्तुएं	वस्तु एवं सेवा निर्यात	वस्तु एवं सेवा आयात	अंतर	सकल घरेलू उत्पाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2004-05 श्रृंखला									
1950-51	9394	608	968	165	उन	736	711	-759	10401
1951-52	10307	638	1045	173	उन	846	1038	-917	11054
1952-53	10284	661	974	40	उन	715	702	-1122	10850
1953-54	11190	698	968	-67	उन	644	652	-970	11810
1954-55	10414	728	1112	36	उन	705	750	-1076	11170
1955-56	10417	780	1384	53	उन	757	839	-1180	11371
1956-57	12286	860	1771	235	उन	767	1174	-1198	13547
1957-58	12462	1005	1803	242	उन	800	1304	-1057	13951
1958-59	14148	1078	1782	2	उन	719	1104	-1074	15551
1959-60	14707	1136	2003	209	उन	779	1010	-1440	16384
1960-61	15891	1240	2290	328	उन	787	1205	-1389	17942
1961-62	16617	1377	2554	276	उन	804	1113	-1506	19010
1962-63	17501	1670	2842	357	उन	837	1211	-1567	20429
1963-64	19430	2146	3374	275	उन	987	1362	-1387	23462
1964-65	22873	2313	3972	363	उन	1002	1529	-1627	27367
1965-66	24144	2665	4420	316	उन	938	1478	-2147	28857
1966-67	28119	2921	4866	514	उन	1330	2142	-2939	32669
1967-68	33509	3265	5395	432	उन	1517	2236	-3621	38261
1968-69	33524	3576	5672	96	उन	1608	1968	-1996	40512
1969-70	36265	4008	6192	554	उन	1628	1767	-2275	44605
1970-71	38474	4479	6488	809	उन	1771	1816	-2568	47638
1971-72	41496	5185	7479	1066	उन	1838	2006	-4059	50999
1972-73	45736	5514	8480	411	उन	2225	2049	-4102	56214
1973-74	55135	6045	9675	1639	उन	2830	3176	-3728	68420
1974-75	66799	7334	12080	2929	उन	3835	4779	-7429	80770
1975-76	68314	8645	13895	2123	उन	4812	5664	-5419	86707
1976-77	71024	9602	15546	1393	उन	6139	5614	-4669	93422
1977-78	81788	10245	17835	1387	उन	6640	6517	-5529	105848
1978-79	88950	11373	19719	3218	उन	7115	7423	-8305	114647
1979-80	96590	13074	22564	3791	उन	8340	10094	-8536	125729
1980-81	118068	15179	26815	188	उन	9029	13596	-6041	149642
1981-82	135676	17785	32650	5753	उन	10256	14809	-11506	175805
1982-83	149773	21022	38905	4451	उन	11563	15736	-13334	196644
1983-84	175357	24288	44005	1787	उन	13139	17675	-11880	229021
1984-85	194037	27927	50449	4820	उन	15846	19484	-16984	256611
1985-86	214154	33257	59640	8314	उन	14951	21754	-19038	289524
1986-87	240209	39322	69476	6532	उन	16543	22359	-25774	323949
1987-88	266649	46160	81204	2019	उन	20281	25259	-22843	368211
1988-89	310497	53280	95617	8543	उन	25913	32010	-24947	436893
1989-90	346807	60997	113993	6014	उन	34609	40212	-20279	501928
1990-91	398529	69525	139663	6355	उन	40635	48698	-19797	586212
1991-92	457735	78458	152466	-903	उन	56254	56249	-13887	673875
1992-93	516118	88846	177929	9839	उन	67312	73000	-12499	774545

सारणी 1.6: वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के संघटक

(जारी...)

									(₹ करोड़)
वर्ष	पीएफसीई	जीएफसीई	जीएफसी एफ	सीआईएस	मूल्यवान वस्तुएं	वस्तु एवं सेवा निर्यात	वस्तु एवं सेवा आयात	अंतर	सकल घरेलू उत्पाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2004-05 Series									
1993-94	591308	103066	191456	-1719	उन	86147	85999	7095	891355
1994-95	687154	114672	228442	14072	उन	101607	104710	4354	1045590
1995-96	792015	135883	295046	24557	उन	130733	144953	-6556	1226725
1996-97	928629	154089	328046	-14991	उन	144854	161022	39672	1419277
1997-98	1018559	182245	372401	13044	उन	165203	184333	5275	1572394
1998-99	1166300	225716	427069	-3023	उन	195280	224745	16780	1803378
1999-2000	1312537	258868	484666	42497	15519	227697	265702	-52952	2023130
2000-01	1406661	273400	495196	15158	14724	278126	297523	-8329	2177413
2001-02	1531672	291189	590240	-1971	14187	290757	311050	-49179	2355845
2002-03	1620293	301573	601120	18200	13957	355556	379981	5608	2536327
2003-04	1771305	324783	697478	20667	24572	417425	436878	22151	2841503
2004-05	1917508	354518	931028	80150	41054	569051	625945	-25154	3242209
2005-06	2152702	401619	1120292	104389	41392	712087	813466	-25647	3693369
2006-07	2476667	443477	1343774	147101	49709	904872	1040535	-30359	4294706
2007-08	2840727	513021	1641673	201534	53592	1018907	1219109	-63255	4987090
2008-09	3249284	615333	1821099	106791	72213	1328765	1614040	50618	5630063
2009-10	3707566	771151	2055772	179171	116312	1298780	1647139	-3786	6477827
2010-11	4360323	890136	2407069	273509	162836	1710193	2050182	30230	7784115
2011-12	5141896	1025895	2861062	170596	246673	2150326	2721947	135220	9009722
2011-12 श्रृंखला									
2011-12	4910447	968375	2997733	207983	253033	2143931	2715554	-29620	8736329
2012-13	5614485	1062404	3324973	214524	273775	2439707	3108428	122573	9944013
2013-14	6475650	1156509	3515621	144621	161761	2856781	3191811	114389	11233522
2014-15	7232800	1298639	3783837	308697	209407	2863541	3235965	-15828	12445128
2015-16	7932331	1411460	4002781	301923	197256	2728643	3044917	152559	13682035
2016-17 अ.अ.	8927010	1769036	4117674	328198	166287	2911700	3133081	96886	15183709

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

अ.अ.: अंतिम अनुमान;

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अनुमान जो राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के संबंध में दिनांक 31.01.2017 के प्रेस नोट के ज़रिए जारी किए गए थे, मई 2017 में जारी नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आई आई पी और डब्ल्यूपीआई के नई श्रृंखला शामिल किए जाने के कारण अधतित किए गए हैं
- पीएफसीई : निजी अंतिम खपत व्यय
- जीएफसीई : सरकारी अंतिम खपत व्यय
- जीएफसीएफ : सकल निर्धारित पूंजी निर्माण
- सीआईएस : स्टॉक में परिवर्तन
- उ. न. उपलब्ध नहीं
- जी.डी.पी. : सकल घरेलू उत्पाद

सारणी 1.7: सतत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के संघटक

(₹ करोड़)									
वर्ष	पीएफसीई	जीएफसीई	जीएफसी एफ	सीआईएस	मूल्यवान वस्तुएं	वस्तु एवं सेवा निर्यात	वस्तु एवं सेवा आयात	अंतर	सकल घरेलू उत्पाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2004-05 Series									
1950-51	244888	17979	40701	4205	उन	20455	23085	-11206	293937
1951-52	260454	18166	39772	3949	उन	22790	32667	-9865	302599
1952-53	270964	18187	37131	1046	उन	20085	23038	-13831	310544
1953-54	287254	18415	38705	-2382	उन	17625	20846	-9127	329643
1954-55	296678	18523	43546	1156	उन	21411	26611	-9201	345503
1955-56	299514	19036	50947	1457	उन	23206	30047	-7429	356684
1956-57	312764	20361	62224	4449	उन	20817	37224	-6808	376582
1957-58	306585	22929	57579	7128	उन	20981	39954	-215	375033
1958-59	334730	23742	56784	-480	उन	18136	32533	2371	402749
1959-60	338538	24168	61613	4479	उन	19117	28957	-5638	413320
1960-61	357795	25473	66760	6128	उन	18891	33792	-5218	436037
1961-62	363895	27415	73110	5204	उन	18856	30495	-5715	452270
1962-63	368636	33078	80082	4508	उन	18747	31687	-7836	465527
1963-64	382349	40647	90736	3680	उन	20322	32762	-11540	493432
1964-65	405190	42464	98565	6218	उन	18999	33869	-7358	530207
1965-66	405548	46580	101821	4695	उन	16365	30125	-28652	516232
1966-67	410819	47380	102257	6621	उन	20593	38747	-32976	515947
1967-68	434061	48658	107340	5590	उन	21614	37219	-23719	556324
1968-69	445463	51211	111372	1435	उन	22292	31874	-24727	575172
1969-70	462008	56050	111724	7245	उन	21860	27719	-18381	612787
1970-71	477697	61370	107541	8631	उन	28759	32685	-6923	644390
1971-72	486992	67386	118995	11455	उन	29062	38578	-20336	654976
1972-73	490254	68031	124912	3242	उन	31456	37849	-28694	651352
1973-74	502285	67936	123058	11795	उन	33017	40906	-24368	672818
1974-75	501907	65398	128951	14863	उन	35724	35687	-30362	680793
1975-76	530409	71715	128683	2170	उन	41600	36143	4652	743085
1976-77	540985	77084	141513	7607	उन	49845	36829	-24763	755443
1977-78	585099	79719	158620	11260	उन	48067	46918	-25597	810249
1978-79	620859	85618	165842	21755	उन	51818	46941	-42416	856535
1979-80	606933	90975	165092	15528	उन	57597	56011	-68448	811668
1980-81	661562	95196	178287	1004	उन	60614	64051	-66273	866340
1981-82	690331	99203	185401	23590	उन	60119	70474	-69795	918374
1982-83	697235	108747	197159	17857	उन	63738	72909	-61533	950295
1983-84	751352	113612	209780	7483	उन	63155	88937	-36884	1019561
1984-85	773009	122059	217283	17374	उन	67764	76192	-62780	1058515
1985-86	805271	134924	229215	27276	उन	63485	86761	-59276	1114133
1986-87	830682	147610	251020	21203	उन	66934	101583	-48516	1167350
1987-88	859153	159705	266072	6009	उन	75452	99889	-52862	1213640
1988-89	912779	168458	284466	24171	उन	81091	109073	-31406	1330486
1989-90	958075	177460	306311	16060	उन	90805	111346	-27749	1409615
1990-91	1000867	183488	347966	15063	उन	100888	115094	-45562	1487615
1991-92	1022458	183180	328594	-1791	उन	110637	115111	-24629	1503337
1992-93	1048825	189503	358162	18331	उन	116050	139432	-5683	1585756
1993-94	1094417	200751	354848	-3816	उन	132041	166297	49147	1661092

जारी ...

सारणी 1.7: सतत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के संघटक

(जारी...)

(₹ करोड़)

वर्ष	पीएफसीई	जीएफसीई	जीएफसी एफ	सीआईएस	मूल्यवान वस्तुएं	वस्तु एवं सेवा निर्यात	वस्तु एवं सेवा आयात	अंतर	सकल घरेलू उत्पाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2004-05 Series									
1994-95	1147607	203529	388410	21529	उन	149265	203883	65246	1771702
1995-96	1217472	219412	451596	34275	उन	196128	261227	48244	1905900
1996-97	1312114	229594	465355	-22555	उन	208464	254853	111667	2049786
1997-98	1351342	255429	506706	16929	उन	203610	288495	87279	2132799
1998-99	1439195	286572	555913	-5221	उन	231880	348634	104995	2264700
1999-2000	1526689	320320	599973	52890	उन	273617	373012	64553	2465029
2000-01	1579201	324727	591610	17320	उन	323288	390132	113697	2559711
2001-02	1673209	332369	682143	-3481	उन	337221	401619	63348	2683190
2002-03	1721238	331753	679170	20049	उन	408324	449800	74525	2785258
2003-04	1823227	340962	750940	21668	उन	447450	512250	132194	3004190
2004-05	1917508	354518	931028	80150	41054	569051	625945	-25154	3242209
2005-06	2083309	386007	1081792	101511	40414	717424	829926	-37288	3543244
2006-07	2259892	400579	1231265	133556	45933	863459	1008198	-54998	3871489
2007-08	2471397	438919	1430764	175411	47263	914628	1110963	-116472	4250947
2008-09	2649610	484459	1480943	85290	59987	1048140	1363302	-28778	4416350
2009-10	2845303	551702	1594475	143052	94524	999030	1334180	-103059	4790847
2010-11	3092373	583544	1769792	206953	125191	1195003	1542428	-148042	5282386
2011-12	3378506	623574	1986645	117111	133454	1381129	1867249	-120120	5633050
2011-12 Series									
2011-12	4910447	968375	2997733	207983	253033	2143931	2715554	-29620	8736329
2012-13	5179091	974263	3145793	201528	259949	2289836	2879079	41636	9213017
2013-14	5557329	979825	3194924	129758	148879	2468269	2644555	-33060	9801370
2014-15	5902386	1073894	3302173	270613	187957	2512176	2667658	-44556	10536984
2015-16	6262373	1109725	3518446	274447	180274	2378687	2510753	167803	11381002
2016-17(अ.अ.)	6806624	1340086	3602041	291179	148700	2486007	2568680	83897	12189854

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

अ.अ.: अंतिम अनुमान;

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अनुमान जो राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के संबंध में दिनांक 31.01.2017 के प्रेस नोट के ज़रिए जारी किए गए थे, मई 2017 में जारी नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आई पी और डब्ल्यूपीआई के नई श्रृंखला शामिल किए जाने के कारण अद्यतित किए गए हैं
- पीएफसीई : निजी अंतिम खपत व्यय
- जीएफसीई : सरकारी अंतिम खपत व्यय
- जीएफसीएफ : सकल निर्धारित पूंजी निर्माण
- सीआईएस : स्टॉक में परिवर्तन
- उ. न. उपलब्ध नहीं

सारणी 1.8 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल निर्यात पूंजी निर्माण				स्टॉक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण				(₹ करोड़)	
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्cen	जोड़ (12+13+14)	भूल-चूक	समायोजित जोड़ (15+16)		सकल घरेलू उत्पाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
2004-05 श्रृंखला																		
1950-51	681	93	215	989	264	704	968	26	140	165	290	844	उन	1133	-165	968	10401	
1951-52	634	136	309	1079	304	741	1045	30	143	173	334	884	उन	1218	44	1262	11054	
1952-53	695	64	195	954	324	650	974	-18	59	40	306	709	उन	1014	-95	920	10850	
1953-54	672	90	181	943	381	587	968	-26	-42	-67	355	545	उन	901	29	930	11810	
1954-55	774	118	213	1105	453	659	1112	45	-9	36	498	650	उन	1148	-28	1121	11170	
1955-56	1041	134	247	1422	619	765	1384	-25	77	53	594	842	उन	1437	24	1461	11371	
1956-57	1222	155	318	1696	721	1050	1771	37	198	235	758	1248	उन	2006	49	2056	13547	
1957-58	1028	121	336	1485	752	1051	1803	139	103	242	891	1154	उन	2045	-87	1958	13951	
1958-59	986	140	325	1450	817	965	1782	83	-81	2	900	884	उन	1784	42	1826	15551	
1959-60	1267	185	351	1803	1045	958	2003	12	198	209	1057	1156	उन	2212	-178	2034	16384	
1960-61	1226	281	572	2079	1215	1075	2290	63	265	328	1278	1340	उन	2618	-58	2560	17942	
1961-62	1237	320	654	2211	1269	1285	2554	29	247	276	1298	1532	उन	2830	-274	2556	19010	
1962-63	1519	344	750	2613	1510	1332	2842	97	260	357	1607	1592	उन	3199	-146	3053	20429	
1963-64	1589	394	929	2912	1794	1580	3374	87	188	275	1881	1768	उन	3649	-297	3352	23462	
1964-65	1897	389	1072	3358	2106	1866	3972	90	272	363	2196	2138	उन	4335	-377	3958	27367	
1965-66	2596	405	1085	4086	2348	2072	4420	124	192	316	2472	2264	उन	4736	-51	4685	28857	
1966-67	3161	424	941	4526	2360	2506	4866	64	450	514	2424	2956	उन	5380	69	5449	32669	
1967-68	3275	410	944	4629	2320	3075	5395	233	199	432	2553	3274	उन	5827	-361	5466	38261	
1968-69	3277	439	1165	4881	2431	3241	5672	41	55	96	2472	3296	उन	5768	-471	5297	40512	
1969-70	4375	549	1361	6285	2525	3667	6192	50	504	554	2575	4171	उन	6746	-220	6526	44605	
1970-71	4531	672	1618	6821	2742	3746	6488	302	507	809	3044	4253	उन	7297	-82	7215	47638	
1971-72	5229	769	1689	7687	3245	4234	7479	356	710	1066	3601	4944	उन	8545	-380	8165	50999	
1972-73	5330	806	1816	7952	4185	4295	8480	88	322	411	4273	4617	उन	8891	-641	8249	56214	
1973-74	8020	1083	2363	11466	4631	5044	9675	541	1097	1639	5172	6141	उन	11314	545	11858	68420	
1974-75	8677	1465	3340	13482	4948	7132	12080	938	1992	2929	5886	9124	उन	15009	-874	14135	80770	
1975-76	9790	1083	4192	15066	6401	7494	13895	1447	676	2123	7848	8170	उन	16018	-1070	14949	86707	

जारी ...

सारणी 1.8 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर)

(जारी...)

(₹ करोड़)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल निर्यात पूंजी निर्माण				स्टॉक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण				सकल घरेलू उत्पाद (15+16)
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (12+13+14)	भूल-चूक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2004-05 श्रृंखला																	
1976-77	11206	1181	5195	17582	8051	7495	15546	1121	272	1393	9172	7767	उन	16939	-666	16273	93422
1977-78	13679	1413	5253	20345	8792	9043	17835	109	1278	1387	8901	10321	उन	19222	-341	18880	105848
1978-79	16482	1652	5976	24110	9638	10081	19719	1100	2118	3218	10738	12199	उन	22937	1301	24238	114647
1979-80	16338	2398	6331	25068	11532	11032	22564	1346	2445	3791	12878	13477	उन	26355	-707	25648	125729
1980-81	18116	2339	6135	26590	13656	13159	26815	71	116	188	13727	13275	उन	27003	1682	28684	149642
1981-82	19013	2560	9120	30692	17376	15274	32650	2006	3747	5753	19382	19021	उन	38403	-5100	33303	175805
1982-83	21972	2980	10004	34956	22276	16629	38905	1136	3315	4451	23412	19944	उन	43356	-5833	37522	196644
1983-84	26955	3254	9030	39239	24225	19780	44005	337	1450	1787	24562	21230	उन	45792	-4037	41756	229021
1984-85	32796	4040	8950	45786	27823	22626	50449	1676	3144	4820	29499	25770	उन	55269	-6191	49078	256611
1985-86	36666	5426	11322	53414	32590	27050	59640	1932	6383	8314	34522	33433	उन	67954	-8306	59648	289524
1986-87	42111	5336	11246	58693	39723	29753	69476	896	5636	6532	40619	35389	उन	76008	-10960	65048	323949
1987-88	57304	5932	10471	73707	41211	39993	81204	-1515	3534	2019	39696	43527	उन	83223	-2691	80532	368211
1988-89	67063	8486	11943	87492	47566	48051	95617	-493	9036	8543	47073	57087	उन	104160	-4364	99796	436893
1989-90	82985	11845	11900	106730	52517	61476	113993	1690	4324	6014	54207	65800	उन	120007	-998	119009	501928
1990-91	108603	15164	10641	134408	60013	79650	139663	1987	4368	6355	62000	84018	उन	146018	6586	152604	586212
1991-92	105632	20304	17594	143530	70701	81765	152466	-2207	1304	-903	68494	83069	उन	151563	-4656	146907	673875
1992-93	127943	19968	16709	164621	71197	106732	177929	2657	7182	9839	73854	113914	उन	187768	-9331	178437	774545
1993-94	151454	29866	11674	192994	79309	112147	191456	1974	-3693	-1719	81283	108454	उन	189737	8048	197785	891355
1994-95	187142	35260	24266	246668	102134	126308	228442	-604	14676	14072	101530	140984	उन	242514	16047	258561	1045590
1995-96	198585	59153	31527	289265	105704	189342	295046	-613	25170	24557	105091	214512	उन	319603	-9558	310045	1226725
1996-97	224653	62540	31194	318387	108750	219296	328046	1883	-16873	-14991	110633	202423	उन	313055	23069	336125	1419277
1997-98	284127	66080	29583	379790	112814	259587	372401	3553	9491	13044	116367	269078	उन	385445	16647	402092	1572394
1998-99	352114	69191	-3146	418159	128621	298448	427069	2277	-5300	-3023	130898	293148	उन	424046	12475	436521	1803378
1999-00	438851	87234	-9238	516847	138611	346055	484666	15553	26944	42497	154164	372999	15519	542682	-3848	538834	2023130
2000-01	463750	81062	-29266	515545	145973	349223	495196	9326	5831	15158	155299	355054	14724	525078	3222	528299	2177413
2001-02	545288	76906	-36820	585374	160190	430050	590240	9079	-11050	-1971	169269	419000	14187	602456	-31310	571146	2355845

जारी ...

सारणी 1.8 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल नियत पूंजी निर्माण			स्टॉक में परिवर्तन			सकल पूंजी निर्माण				(जारी...)		
	घरेलू क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दे (12+13+14)	भूल-चूक (15+16)	समाजीत जोड़ (15+16)	सकल घरेलू उत्पाद	(₹ करोड़)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2004-05 श्रृंखला																	
2002-03	564161	99217	-7148	656230	168143	432977	601120	-4740	22940	18200	163403	455917	13957	633277	-5534	627743	2536327
2003-04	657587	129816	36372	823775	190806	506672	697478	-3076	23743	20667	187730	530415	24572	742717	19699	762416	2841503
2004-05	763685	212519	74499	1050703	224108	706920	931028	16472	63678	80150	240580	770598	41054	1052231	11809	1064041	3242209
2005-06	868988	277208	88955	1235151	271342	848950	1120292	22008	82381	104389	293350	931331	41392	1266073	13681	1279754	3693369
2006-07	994396	338584	152929	1485909	339617	1004157	1343774	16939	130162	147101	356556	1134319	49709	1540583	-9151	1531433	4294706
2007-08	1118347	469023	248962	1836332	401326	1240347	1641673	40597	160937	201534	441923	1401284	53592	1896799	3963	1900762	4987090
2008-09	1330873	417467	54280	1802620	480698	1340401	1821099	51032	55759	106791	531730	1396160	72213	2000103	-68723	1931380	5630063
2009-10	1630799	540955	10585	2182338	543883	1511889	2055772	48905	130266	179171	592788	1642155	116312	2351255	11878	2363132	6477827
2010-11	1800174	620300	201268	2621742	609189	1797881	2407069	47259	226250	273509	656448	2024131	162836	2843415	-1957	2841457	7784115
2011-12	2054737	658428	111295	2824459	639157	2221905	2861062	56678	113918	170596	695835	2335823	246673	3278331	-77698	3200633	9009722
2011-12 Series																	
2011-12	2065566	826805	134466	3026837	641260	2356472	2997733	17098	190885	207983	658358	2547358	253033	3458749	-55741	3403008	8736329
2012-13	2235280	994005	139917	3369202	698031	2626943	3324973	20618	193907	214524	718648	2820849	273775	3813272	33849	3847122	9944013
2013-14	2285301	1207187	115705	3608193	796950	2718671	3515621	-2019	146640	144621	794931	2865311	161761	3822003	-27868	3794135	11233522
2014-15	2555683	1455336	108746	4119766	833225	2950612	3783837	10305	298393	308697	843529	3249005	209407	4301941	-22353	4279587	12445128
2015-16	2621531	1621684	175704	4418919	1008535	2994247	4002781	20073	281850	301923	1028608	3276097	197256	4501960	57358	4559318	13682035

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अनुमान जो राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के संबंध में दिये गए थे, मई 2017 में जारी नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आई आई पी और डब्ल्यूपीआई के नई श्रृंखला शामिल किए जाने के कारण अद्यतित किए गए हैं
- उ.न.: उपलब्ध नहीं

सारणी 1.9 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण

(चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

Year	सकल घरेलू बचत				सकल निर्यात पूंजी निर्माण				स्वाक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण			
	घरेलू क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवात मर्दे (12+13+14)	जोड़ (15)	भूल-चूक	समायोजित जोड़ (15+16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2004-05 श्रृंखला																
1950-51	6.5	0.9	2.1	9.5	2.5	6.8	9.3	0.2	1.3	1.6	2.8	8.1	उन	10.9	-1.6	9.3
1951-52	5.7	1.2	2.8	9.8	2.8	6.7	9.5	0.3	1.3	1.6	3.0	8.0	उन	11.0	0.4	11.4
1952-53	6.4	0.6	1.8	8.8	3.0	6.0	9.0	-0.2	0.5	0.4	2.8	6.5	उन	9.3	-0.9	8.5
1953-54	5.7	0.8	1.5	8.0	3.2	5.0	8.2	-0.2	-0.4	-0.6	3.0	4.6	उन	7.6	0.2	7.9
1954-55	6.9	1.1	1.9	9.9	4.1	5.9	10.0	0.4	-0.1	0.3	4.5	5.8	उन	10.3	-0.2	10.0
1955-56	9.2	1.2	2.2	12.5	5.4	6.7	12.2	-0.2	0.7	0.5	5.2	7.4	उन	12.6	0.2	12.8
1956-57	9.0	1.1	2.4	12.5	5.3	7.8	13.1	0.3	1.5	1.7	5.6	9.2	उन	14.8	0.4	15.2
1957-58	7.4	0.9	2.4	10.6	5.4	7.5	12.9	1.0	0.7	1.7	6.4	8.3	उन	14.7	-0.6	14.0
1958-59	6.3	0.9	2.1	9.3	5.3	6.2	11.5	0.5	-0.5	0.0	5.8	5.7	उन	11.5	0.3	11.7
1959-60	7.7	1.1	2.1	11.0	6.4	5.8	12.2	0.1	1.2	1.3	6.4	7.1	उन	13.5	-1.1	12.4
1960-61	6.8	1.6	3.2	11.6	6.8	6.0	12.8	0.4	1.5	1.8	7.1	7.5	उन	14.6	-0.3	14.3
1961-62	6.5	1.7	3.4	11.6	6.7	6.8	13.4	0.2	1.3	1.5	6.8	8.1	उन	14.9	-1.4	13.4
1962-63	7.4	1.7	3.7	12.8	7.4	6.5	13.9	0.5	1.3	1.7	7.9	7.8	उन	15.7	-0.7	14.9
1963-64	6.8	1.7	4.0	12.4	7.6	6.7	14.4	0.4	0.8	1.2	8.0	7.5	उन	15.6	-1.3	14.3
1964-65	6.9	1.4	3.9	12.3	7.7	6.8	14.5	0.3	1.0	1.3	8.0	7.8	उन	15.8	-1.4	14.5
1965-66	9.0	1.4	3.8	14.2	8.1	7.2	15.3	0.4	0.7	1.1	8.6	7.8	उन	16.4	-0.2	16.2
1966-67	9.7	1.3	2.9	13.9	7.2	7.7	14.9	0.2	1.4	1.6	7.4	9.0	उन	16.5	0.2	16.7
1967-68	8.6	1.1	2.5	12.1	6.1	8.0	14.1	0.6	0.5	1.1	6.7	8.6	उन	15.2	-0.9	14.3
1968-69	8.1	1.1	2.9	12.0	6.0	8.0	14.0	0.1	0.1	0.2	6.1	8.1	उन	14.2	-1.2	13.1
1969-70	9.8	1.2	3.1	14.1	5.7	8.2	13.9	0.1	1.1	1.2	5.8	9.4	उन	15.1	-0.5	14.6
1970-71	9.5	1.4	3.4	14.3	5.8	7.9	13.6	0.6	1.1	1.7	6.4	8.9	उन	15.3	-0.2	15.1
1971-72	10.3	1.5	3.3	15.1	6.4	8.3	14.7	0.7	1.4	2.1	7.1	9.7	उन	16.8	-0.7	16.0
1972-73	9.5	1.4	3.2	14.1	7.4	7.6	15.1	0.2	0.6	0.7	7.6	8.2	उन	15.8	-1.1	14.7
1973-74	11.7	1.6	3.5	16.8	6.8	7.4	14.1	0.8	1.6	2.4	7.6	9.0	उन	16.5	0.8	17.3
1974-75	10.7	1.8	4.1	16.7	6.1	8.8	15.0	1.2	2.5	3.6	7.3	11.3	उन	18.6	-1.1	17.5
1975-76	11.3	1.2	4.8	17.4	7.4	8.6	16.0	1.7	0.8	2.4	9.1	9.4	उन	18.5	-1.2	17.2

जारी ...

सारणी 1.9 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)																	(जारी....)
Year	सकल घरेलू बचत				सकल निर्यात पूंजी निर्माण			स्टॉक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण				भूल-चूक (15+16)	समायोजित जोड़ (15+16)
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दे (12+13+14)	जोड़ (15)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2004-05 श्रृंखला																	
1976-77	12.0	1.3	5.6	18.8	8.6	8.0	16.6	1.2	0.3	1.5	9.8	8.3	ऊन	18.1	-0.7	17.4	
1977-78	12.9	1.3	5.0	19.2	8.3	8.5	16.8	0.1	1.2	1.3	8.4	9.8	ऊन	18.2	-0.3	17.8	
1978-79	14.4	1.4	5.2	21.0	8.4	8.8	17.2	1.0	1.8	2.8	9.4	10.6	ऊन	20.0	1.1	21.1	
1979-80	13.0	1.9	5.0	19.9	9.2	8.8	17.9	1.1	1.9	3.0	10.2	10.7	ऊन	21.0	-0.6	20.4	
1980-81	12.1	1.6	4.1	17.8	9.1	8.8	17.9	0.0	0.1	0.1	9.2	8.9	ऊन	18.0	1.1	19.2	
1981-82	10.8	1.5	5.2	17.5	9.9	8.7	18.6	1.1	2.1	3.3	11.0	10.8	ऊन	21.8	-2.9	18.9	
1982-83	11.2	1.5	5.1	17.8	11.3	8.5	19.8	0.6	1.7	2.3	11.9	10.1	ऊन	22.0	-3.0	19.1	
1983-84	11.8	1.4	3.9	17.1	10.6	8.6	19.2	0.1	0.6	0.8	10.7	9.3	ऊन	20.0	-1.8	18.2	
1984-85	12.8	1.6	3.5	17.8	10.8	8.8	19.7	0.7	1.2	1.9	11.5	10.0	ऊन	21.5	-2.4	19.1	
1985-86	12.7	1.9	3.9	18.4	11.3	9.3	20.6	0.7	2.2	2.9	11.9	11.5	ऊन	23.5	-2.9	20.6	
1986-87	13.0	1.6	3.5	18.1	12.3	9.2	21.4	0.3	1.7	2.0	12.5	10.9	ऊन	23.5	-3.4	20.1	
1987-88	15.6	1.6	2.8	20.0	11.2	10.9	22.1	-0.4	1.0	0.5	10.8	11.8	ऊन	22.6	-0.7	21.9	
1988-89	15.3	1.9	2.7	20.0	10.9	11.0	21.9	-0.1	2.1	2.0	10.8	13.1	ऊन	23.8	-1.0	22.8	
1989-90	16.5	2.4	2.4	21.3	10.5	12.2	22.7	0.3	0.9	1.2	10.8	13.1	ऊन	23.9	-0.2	23.7	
1990-91	18.5	2.6	1.8	22.9	10.2	13.6	23.8	0.3	0.7	1.1	10.6	14.3	ऊन	24.9	1.1	26.0	
1991-92	15.7	3.0	2.6	21.3	10.5	12.1	22.6	-0.3	0.2	-0.1	10.2	12.3	ऊन	22.5	-0.7	21.8	
1992-93	16.5	2.6	2.2	21.3	9.2	13.8	23.0	0.3	0.9	1.3	9.5	14.7	ऊन	24.2	-1.2	23.0	
1993-94	17.0	3.4	1.3	21.7	8.9	12.6	21.5	0.2	-0.4	-0.2	9.1	12.2	ऊन	21.3	0.9	22.2	
1994-95	17.9	3.4	2.3	23.6	9.8	12.1	21.8	-0.1	1.4	1.3	9.7	13.5	ऊन	23.2	1.5	24.7	
1995-96	16.2	4.8	2.6	23.6	8.6	15.4	24.1	-0.1	2.1	2.0	8.6	17.5	ऊन	26.1	-0.8	25.3	
1996-97	15.8	4.4	2.2	22.4	7.7	15.5	23.1	0.1	-1.2	-1.1	7.8	14.3	ऊन	22.1	1.6	23.7	
1997-98	18.1	4.2	1.9	24.2	7.2	16.5	23.7	0.2	0.6	0.8	7.4	17.1	ऊन	24.5	1.1	25.6	
1998-99	19.5	3.8	-0.2	23.2	7.1	16.5	23.7	0.1	-0.3	-0.2	7.3	16.3	ऊन	23.5	0.7	24.2	
1999-2000	21.7	4.3	-0.5	25.5	6.9	17.1	24.0	0.8	1.3	2.1	7.6	18.4	0.8	26.8	-0.2	26.6	
2000-01	21.3	3.7	-1.3	23.7	6.7	16.0	22.7	0.4	0.3	0.7	7.1	16.3	0.7	24.1	0.1	24.3	
2001-02	23.1	3.3	-1.6	24.8	6.8	18.3	25.1	0.4	-0.5	-0.1	7.2	17.8	0.6	25.6	-1.3	24.2	
2002-03	22.2	3.9	-0.3	25.9	6.6	17.1	23.7	-0.2	0.9	0.7	6.4	18.0	0.6	25.0	-0.2	24.8	
जारी ...																	

सारणी 1.9 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (जारी...)

Year	(चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)															
	सकल घरेलू बचत				सकल निर्यात पूंजी निर्माण				स्थापक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण			
	घरेलू क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दें (12+13+14)	जोड़ (15)	भूल-चूक	समावोजित जोड़ (15+16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2004-05 series																
2003-04	23.1	4.6	1.3	29.0	6.7	17.8	24.5	-0.1	0.8	0.7	6.6	18.7	0.9	26.1	0.7	26.8
2004-05	23.6	6.6	2.3	32.4	6.9	21.8	28.7	0.5	2.0	2.5	7.4	23.8	1.3	32.5	0.4	32.8
2005-06	23.5	7.5	2.4	33.4	7.3	23.0	30.3	0.6	2.2	2.8	7.9	25.2	1.1	34.3	0.4	34.7
2006-07	23.2	7.9	3.6	34.6	7.9	23.4	31.3	0.4	3.0	3.4	8.3	26.4	1.2	35.9	-0.2	35.7
2007-08	22.4	9.4	5.0	36.8	8.0	24.9	32.9	0.8	3.2	4.0	8.9	28.1	1.1	38.0	0.1	38.1
2008-09	23.6	7.4	1.0	32.0	8.5	23.8	32.3	0.9	1.0	1.9	9.4	24.8	1.3	35.5	-1.2	34.3
2009-10	25.2	8.4	0.2	33.7	8.4	23.3	31.7	0.8	2.0	2.8	9.2	25.4	1.8	36.3	0.2	36.5
2010-11	23.1	8.0	2.6	33.7	7.8	23.1	30.9	0.6	2.9	3.5	8.4	26.0	2.1	36.5	0.0	36.5
2011-12	22.8	7.3	1.2	31.3	7.1	24.7	31.8	0.6	1.3	1.9	7.7	25.9	2.7	36.4	-0.9	35.5
2011-12 Series																
2011-12	23.6	9.5	1.5	34.6	7.3	27.0	34.3	0.2	2.2	2.4	7.5	29.2	2.9	39.6	-0.6	39.0
2012-13	22.5	10.0	1.4	33.9	7.0	26.4	33.4	0.2	1.9	2.2	7.2	28.4	2.8	38.3	0.3	38.7
2013-14	20.3	10.7	1.0	32.1	7.1	24.2	31.3	0.0	1.3	1.3	7.1	25.5	1.4	34.0	-0.2	33.8
2014-15	20.5	11.7	0.9	33.1	6.7	23.7	30.4	0.1	2.4	2.5	6.8	26.1	1.7	34.6	-0.2	34.4
2015-16	19.2	11.9	1.3	32.3	7.4	21.9	29.3	0.1	2.1	2.2	7.5	23.9	1.4	32.9	0.4	33.3

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

1. वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अनुमान जो राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के संबंध में दिनांक 31.01.2017 के प्रेस नोट के ज़रिए जारी किए गए थे, मई 2017 में जारी नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आई आई पी और डब्ल्यूपीआई के नई श्रृंखला शामिल किए जाने के कारण अद्यतित किए गए हैं

2 उ.न.: उपलब्ध नहीं

सारणी 1.10क : वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला)

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	339996	370196	413164	469909	545638	620974
अरुणाचल प्रदेश	10229	11617	13398	15410	17229	उन
असम	129354	142039	160442	178479	201758	उन
बिहार	228497	261327	292143	345571	382223	उन
छत्तीसगढ़	142273	159431	185939	211016	233023	256346
गोवा	38009	34567	32043	36290	40659	उन
गुजरात	532809	634572	707456	789949	886092	उन
हरियाणा	271152	314353	363590	395890	438140	494090
हिमाचल प्रदेश	60536	69432	80129	88196	उन	उन
जम्मू और कश्मीर	67272	72963	79966	83217	98063	उन
झारखंड	137383	160304	172030	198386	223234	उन
कर्नाटक	552720	632211	747788	843918	940006	उन
केरल	328021	371384	417265	473045	531126	उन
मध्य प्रदेश	282370	333936	391369	429896	483969	571934
महाराष्ट्र	1119192	1271017	1450003	1572037	उन	उन
मणिपुर	11501	12193	14456	16189	उन	उन
मेघालय	18028	19653	20415	21838	23936	26505
मिजोरम	6404	7375	8989	10136	उन	उन
नागालैण्ड	10217	11816	14545	16137	उन	उन
ओडिसा	201111	229888	256211	282322	300236	334067
पंजाब	239227	267116	301673	332999	उन	उन
राजस्थान	396960	446835	497403	554783	उन	उन
सिक्किम	9742	10817	12203	13318	14558	उन
तमिलनाडु	674478	768951	861429	970953	1080461	1193578
तेलंगाना	325138	363929	408887	462636	522412	593930
त्रिपुरा	17419	19631	23329	27484	उन	उन
उत्तर प्रदेश	645130	733505	837614	925437	1024222	उन
उत्तराखण्ड	102156	117264	132556	142628	162168	उन
पश्चिम बंगाल ¹						
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3404	3793	4424	5025	उन	उन
चण्डीगढ़	16930	19507	22290	25061	27341	उन
दिल्ली	314619	357251	404664	447435	501104	565655
पुडुचेरी	15160	16984	19778	21776	24220	27511
अखिल भारतीय (निवल घरेलू उत्पाद)	7818898	8886659	10041060	11108576	12242873	13653519

स्रोत: राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए-केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

टिप्पणी:

1. डीईएस, पश्चिम बंगाल द्वारा संकलित आधार वर्ष 2011-12 के साथ नई श्रृंखला संबंधी पश्चिम बंगाल के अनुमानों की जांच की जा रही है।
2. उ.न.: उपलब्ध नहीं

सारणी 1.10ख : वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला)

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(प्रतिशत)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आन्ध्र प्रदेश	8.9	11.6	13.7	16.1	13.8
अरुणाचल प्रदेश	13.6	15.3	15.0	11.8	उन
असम	9.8	13.0	11.2	उन	उन
बिहार	14.4	11.8	18.3	10.6	उन
छत्तीसगढ़	12.1	16.6	13.5	उन	उन
गोवा	-9.1	-7.3	13.3	उन	उन
गुजरात	19.1	11.5	11.7	उन	उन
हरियाणा	15.9	15.7	8.9	उन	उन
हिमाचल प्रदेश	14.7	15.4	10.1	उन	उन
जम्मू और कश्मीर	8.5	9.6	4.1	उन	उन
झारखंड	16.7	7.3	15.3	12.5	उन
कर्नाटक	14.4	18.3	12.9	11.4	उन
केरल	13.2	12.4	13.4	उन	उन
मध्य प्रदेश	18.3	17.2	9.8	12.6	18.2
महाराष्ट्र	13.6	14.1	8.4	उन	उन
मणिपुर	6.0	18.6	12.0	उन	उन
मेघालय	9.0	3.9	7.0	9.6	10.7
मिजोरम	15.2	21.9	12.8	उन	उन
नागालैण्ड	15.7	23.1	10.9	उन	उन
ओडिसा	14.3	11.5	10.2	6.3	11.3
पंजाब	11.7	12.9	10.4	उन	उन
राजस्थान	12.6	11.3	11.5	उन	उन
सिक्किम	11.0	12.8	9.1	9.3	उन
तमिलनाडु	14.0	12.0	12.7	11.3	10.5
तेलंगाना	11.9	12.4	13.1	12.9	13.7
त्रिपुरा	12.7	18.8	17.8	उन	उन
उत्तर प्रदेश	13.7	14.2	10.5	10.7	उन
उत्तराखण्ड	14.8	13.0	7.6	13.7	उन
पश्चिम बंगाल ¹					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.4	16.6	13.6	उन	उन
चण्डीगढ़	15.2	14.3	12.4	9.1	उन
दिल्ली	13.6	13.3	10.6	12.0	12.9
पुडुचेरी	12.0	16.4	10.1	11.2	13.6
अखिल भारतीय (निवल घरेलू उत्पाद)	13.7	13.0	10.6	10.2	11.5

स्रोत: राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए-केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

टिप्पणी:

- डीईएस, पश्चिम बंगाल द्वारा संकलित आधार वर्ष 2011-12 के साथ नई श्रृंखला संबंधी पश्चिम बंगाल के अनुमानों की जांच की जा रही है।
- उ.न.: उपलब्ध नहीं

सारणी 1.11क : वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(₹)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	69000	74687	82870	93699	108163	122376
अरुणाचल प्रदेश	73068	81353	91953	103633	113645	उन
असम	41142	44599	49734	54618	60952	उन
बिहार	21750	24487	26948	31380	34168	उन
छत्तीसगढ़	55177	60849	69839	78001	84767	91772
गोवा	259444	234354	215776	242745	270150	उन
गुजरात	87481	102826	113139	124678	138023	उन
हरियाणा	106085	121269	138300	148485	162034	180174
हिमाचल प्रदेश	87721	99730	114095	124500	उन	उन
जम्मू और कश्मीर	53171	56803	61319	62857	72958	उन
झारखंड	41254	47360	50006	56737	62816	उन
कर्नाटक	89899	101722	119023	132880	146416	उन
केरल	97912	110314	123388	139195	155516	उन
मध्य प्रदेश	38550	44931	51897	56182	62334	72599
महाराष्ट्र	98910	111005	125146	134081	उन	उन
मणिपुर	39762	41246	47852	52436	उन	उन
मेघालय	60013	64036	65118	68202	73176	79332
मिजोरम	57654	65013	77581	85659	उन	उन
नागालैण्ड	51314	58727	71511	78526	उन	उन
ओडिशा	47632	53900	59468	64869	68293	75223
पंजाब	85577	94318	105143	114561	उन	उन
राजस्थान	57427	63722	69925	76881	उन	उन
सिक्किम	158667	174183	194624	210394	227465	उन
तमिलनाडु	92984	105032	116583	130197	143547	157116
तेलंगाना	91121	100979	112328	125832	140683	158360
त्रिपुरा	47079	52434	61570	71666	उन	उन
उत्तर प्रदेश	32002	35837	40306	43861	48520	उन
उत्तराखण्ड	100497	113826	126957	134784	151219	उन
पश्चिम बंगाल ¹						
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	88183	96032	109787	121954	उन	उन
चण्डीगढ़	159114	180624	203377	225369	242386	उन
दिल्ली	185343	206503	229518	249004	273618	303073
पुडुचेरी	119649	130548	148147	158830	172143	190384
अखिल भारतीय (प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय)	63460	71011	79146	86513	94178	103818

स्रोत: राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए-केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

टिप्पणी:

1. डीईएस, पश्चिम बंगाल द्वारा संकलित आधार वर्ष 2011-12 के साथ नई श्रृंखला संबंधी पश्चिम बंगाल के अनुमानों की जांच की जा रही है।
2. उ.न.: उपलब्ध नहीं

सारणी 1.11ख: : वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 श्रृंखला)

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(प्रतिशत)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आन्ध्र प्रदेश	8.2	11.0	13.1	15.4	13.1
अरुणाचल प्रदेश	11.3	13.0	12.7	9.7	उन
असम	8.4	11.5	9.8	उन	उन
बिहार	12.6	10.1	16.4	8.9	उन
छत्तीसगढ़	10.3	14.8	11.7	उन	उन
गोवा	-9.7	-7.9	12.5	उन	उन
गुजरात	17.5	10.0	10.2	उन	उन
हरियाणा	14.3	14.0	7.4	उन	उन
हिमाचल प्रदेश	13.7	14.4	9.1	उन	उन
जम्मू और कश्मीर	6.8	8.0	2.5	उन	उन
झारखंड	14.8	5.6	13.5	10.7	उन
कर्नाटक	13.2	17.0	11.6	10.2	उन
केरल	12.7	11.9	12.8	उन	उन
मध्य प्रदेश	16.6	15.5	8.3	10.9	16.5
महाराष्ट्र	12.2	12.7	7.1	उन	उन
मणिपुर	3.7	16.0	9.6	उन	उन
मेघालय	6.7	1.7	4.7	7.3	8.4
मिजोरम	12.8	19.3	10.4	उन	उन
नागालैण्ड	14.4	21.8	9.8	उन	उन
ओडिशा	13.2	10.3	9.1	5.3	10.1
पंजाब	10.2	11.5	9.0	उन	उन
राजस्थान	11.0	9.7	9.9	उन	उन
सिक्किम	9.8	11.7	8.1	8.1	उन
तमिलनाडु	13.0	11.0	11.7	10.3	9.5
तेलंगाना	10.8	11.2	12.0	11.8	12.6
त्रिपुरा	11.4	17.4	16.4	उन	उन
उत्तर प्रदेश	12.0	12.5	8.8	10.6	उन
उत्तराखण्ड	13.3	11.5	6.2	12.2	उन
पश्चिम बंगाल ¹					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.9	14.3	11.1	उन	उन
चण्डीगढ़	13.5	12.6	10.8	7.6	उन
दिल्ली	11.4	11.1	8.5	9.9	10.8
पुडुचेरी	9.1	13.5	7.2	8.4	10.6
अखिल भारतीय (प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय)	11.9	11.5	9.3	8.9	10.2

स्रोत: राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए-केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

टिप्पणी:

- डीईएस, पश्चिम बंगाल द्वारा संकलित आधार वर्ष 2011-12 के साथ नई श्रृंखला संबंधी पश्चिम बंगाल के अनुमानों की जांच की जा रही है।
- उ.न.: उपलब्ध नहीं

सारणी 1.12 : कृषि उत्पादन का सूचकांक

(आधार : 2007-08 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	भारत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. खाद्यान्न	50.7	105.4	106.5	100.6	114.3	119.5	119.4	123.3	115.9	115.6	129.7
(क) अनाज	41.7	105.5	107.4	100.2	111.1	119.1	117.3	120.7	114.6	115.5	123.1
चावल	16.9	102.9	105.6	94.8	102.2	112.1	112.0	113.5	112.3	111.1	116.2
गेहूं	18.0	105.4	108.2	108.3	116.5	127.2	125.4	128.5	116.0	123.7	130.7
(ख) मोटे अनाज ^क	6.9	112.1	110.0	92.3	118.9	114.8	109.2	118.0	116.7	104.6	120.6
मक्का	2.9	116.6	121.4	102.9	133.7	133.9	136.9	149.3	148.7	138.8	160.8
(ग) दालें ^ख	8.9	105.1	102.0	102.3	129.3	121.3	129.2	135.6	122.0	116.4	160.3
चना	3.5	97.5	119.8	126.8	139.5	130.7	149.9	161.6	124.4	119.7	154.0
तूर	1.7	113.5	83.6	91.0	105.6	98.0	111.6	117.2	103.6	94.5	169.7
ख. गैर-खाद्यान्न	49.3	108.6	107.5	104.9	128.0	131.2	129.1	136.1	132.3	122.0	122.4
(क) तिलहन जोड़ ^ग	13.2	108.6	100.8	88.9	116.8	106.5	107.4	119.0	99.7	92.5	115.3
मूंगफली	4.1	125.0	97.6	73.9	112.5	94.8	63.9	132.2	100.8	91.7	104.1
रेपसीड और सरसों	3.6	81.8	100.9	92.6	114.6	92.6	112.5	110.4	88.1	95.3	111.8
(ख) रेशे											
कपास	4.4	115.9	99.7	107.5	147.7	157.6	153.2	160.7	155.8	134.3	145.8
जूट	0.7	100.5	94.7	110.4	98.4	105.6	101.7	109.0	104.4	97.8	96.7
मेस्ता	0.0	105.5	77.9	62.5	65.1	70.6	62.8	64.6	54.1	62.1	46.9
(ग) बागानी फसलें											
चाय	0.3	95.9	98.8	100.7	98.2	99.2	99.2	124.4	123.2	126.9	na
काफी	0.6	95.4	95.5	105.4	110.0	114.3	115.8	110.9	119.1	126.7	na
रबड़	1.9	99.8	104.5	100.5	104.2	109.3	110.5	93.6	78.0	68.0	na
(ग) अन्य											
गन्ना	9.9	106.1	86.8	89.0	104.3	110.0	103.9	107.3	110.4	106.1	93.2
तम्बाकू	0.4	93.0	115.1	141.6	170.6	160.0	139.8	156.4	156.4	na	na
आलू	3.6	114.6	138.4	147.2	170.4	166.9	182.5	167.2	193.2	174.7	176.6
ग. सभी खाद्य वस्तुएं	100.0	107.0	107.0	102.7	121.0	125.2	124.2	129.6	124.0	118.8	126.1

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता और कल्याण विभाग।

टिप्पणी:

* तीसरे अग्रिम अनुमान

क : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और बाजरा शामिल हैं।

ख : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दालें शामिल हैं।

ग : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, नाइजरसीड, अरंडी, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

उ.न. : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.13 : प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का सूचकांक

(आधार : 2007-08 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क. खाद्यान्न	101.2	100.9	100.0	104.4	104.0	102.0	105.6	105.4	103.7	107.6
(क) अनाज	100.9	101.6	99.5	101.8	103.3	101.7	104.0	105.7	102.9	103.4
चावल	100.3	104.0	95.7	97.9	100.5	97.6	100.8	100.7	99.3	98.0
गेहूं	101.9	100.9	103.5	105.7	108.6	109.1	110.8	114.4	110.6	111.7
(ख) मोटे अनाज ^क	99.9	97.9	98.5	101.2	96.4	92.1	94.4	95.0	91.3	94.9
मक्का	103.2	103.9	105.0	108.7	111.6	110.2	115.3	116.8	111.9	124.0
(ग) दालें ^ख	102.3	97.3	102.2	116.4	107.5	103.8	112.8	104.2	107.5	127.4
चना	103.0	107.8	111.6	125.5	113.4	116.4	135.6	112.7	114.7	130.3
तूर	102.8	93.2	95.7	120.5	110.6	107.5	107.8	106.4	109.4	148.7
ख. गैर-खाद्यान्न	103.2	106.1	104.3	114.0	116.5	116.2	119.4	118.7	116.1	106.3
(क) तिलहन जोड़ ^क	98.5	101.8	94.8	101.0	97.5	97.5	104.1	94.3	95.4	98.2
मूंगफली	101.2	99.2	88.1	94.2	84.7	76.0	88.6	76.7	74.0	85.2
रेपसीड और सरसों	87.9	95.0	84.3	104.1	88.9	96.0	100.2	87.5	86.7	93.9
(ख) रेशे										
कपास	103.7	103.6	111.6	123.8	134.1	131.9	131.7	141.2	135.4	119.0
जूट	103.2	99.6	102.8	98.1	102.5	98.4	95.8	95.0	92.3	88.3
मेस्ता	102.9	81.1	66.3	69.4	67.3	60.4	57.4	42.2	38.0	36.4
(ग) बागानी फसलें										
चाय	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	99.9	99.9	99.9
काफी	113.2	115.0	116.5	118.0	119.5	121.1	122.2	112.6	115.8	115.8
रबड़	103.1	107.5	111.4	115.5	119.3	123.0	126.3	129.1	131.6	131.6
(ग) अन्य										
गन्ना	105.3	91.9	86.9	101.7	104.9	104.1	104.0	105.5	102.6	93.8
तम्बाकू	95.9	107.6	122.0	135.3	128.3	117.3	125.5	125.5	na	na
आलू	105.0	123.6	124.0	125.9	128.9	134.6	133.3	140.3	143.1	143.5
ग. सभी खाद्य वस्तुएं	102.2	103.5	102.1	109.1	110.2	109.0	112.4	112.0	109.8	107.0

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता और कल्याण विभाग।

टिप्पणी:

* तीसरे अग्रिम अनुमान

क : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और बाजरा शामिल हैं।

ख : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दालें शामिल हैं।

ग : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, नाइजरसीड, अरंडी, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

उ.न. : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.14 : प्रमुख फसलों की पैदावार का सूचकांक

(आधार : 2007-08 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क. खाद्यान्न	104.2	105.5	100.6	109.5	114.8	117.0	116.8	114.1	114.8	120.5
(क) अनाज	104.5	105.7	100.7	109.1	115.3	115.4	116.0	113.9	116.9	119.1
चावल	102.6	101.5	99.1	104.4	111.5	114.7	112.6	111.5	111.9	118.5
गेहूं	103.4	107.2	104.7	110.2	117.2	114.9	116.0	101.4	111.9	117.0
(ख) मोटे अनाज ^क	112.3	112.4	93.8	117.5	119.1	118.6	125.0	135.1	125.3	127.1
मक्का	113.0	116.8	97.9	122.9	119.9	124.2	129.5	127.4	124.0	129.7
(ग) दालें ^ख	102.7	104.9	100.1	111.1	112.8	124.5	120.2	119.0	107.3	125.8
चना	94.7	111.1	113.7	111.2	115.3	128.7	119.2	110.4	104.4	118.2
तूर	110.4	89.7	95.1	87.6	88.6	103.8	108.7	97.4	86.4	114.1
ख. गैर-खाद्यान्न	105.2	101.4	100.6	112.2	112.6	111.1	114.0	103.7	108.9	112.4
(क) तिलहन जोड़ ^ग	110.3	99.0	93.8	115.7	109.3	110.1	114.3	106.2	95.7	117.4
मूंगफली	123.5	98.4	83.8	119.4	111.9	84.1	149.3	131.3	123.9	122.2
रेपसीड और सरसों	93.1	106.3	109.9	110.2	104.1	117.3	110.2	100.7	110.0	119.1
(ख) रेशे										
कपास	111.7	96.2	96.4	119.4	117.5	116.1	122.0	110.3	99.2	122.6
जूट	97.4	95.1	107.4	100.4	103.0	103.3	113.7	109.9	105.9	109.5
मेस्ता	102.5	96.0	94.3	93.8	104.9	104.0	112.6	128.1	163.5	128.8
(ग) बागानी फसलें										
चाय	97.7	100.6	102.5	100.0	101.1	101.1	126.7	123.4	127.1	na
काफी	84.3	83.1	90.5	93.2	95.7	95.7	90.7	105.7	109.4	na
रबड़	96.8	97.3	90.2	90.2	91.6	89.9	74.1	60.4	51.6	na
(घ) अन्य										
गन्ना	100.8	94.4	102.4	102.5	104.8	99.8	103.2	104.6	103.5	99.4
तम्बाकू	97.0	107.0	116.1	126.1	124.6	119.2	124.6	124.6	na	na
आलू	109.1	112.0	118.7	135.3	129.5	135.5	125.4	137.7	122.1	115.2
ग. सभी खाद्य वस्तुएं	104.7	103.4	100.6	110.9	113.6	113.9	115.4	112.3	113.0	117.9

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता और कल्याण विभाग।

टिप्पणी:

* तीसरे अग्रिम अनुमान

क : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और बाजरा शामिल हैं।

ख : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दालें शामिल हैं।

ग : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, नाइजरसीड, अरंडी, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

उ.न. : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.15 : प्रमुख फसलों का उत्पादन

(मिलियन टन)											
समूह/वस्तु	1980-81	1990-91	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
खाद्यान्न ^क	129.6	176.4	196.8	218.1	244.5	259.3	257.1	265.0	252.0	251.5	273.4
खरीफ	77.7	99.4	102.1	104.0	120.9	131.3	128.1	128.7	128.1	125.1	138.0
रबी	51.9	77.0	94.7	114.1	123.6	128.0	129.1	136.4	124.0	126.5	135.3
अनाज ^ख	119.0	162.1	185.7	203.4	226.3	240.8	238.8	245.8	234.8	235.2	251.0
खरीफ	73.9	94.0	97.6	99.7	113.8	125.2	122.2	122.7	122.3	119.6	128.9
रबी	45.1	68.1	88.1	103.7	112.5	115.6	116.6	123.1	112.5	115.7	122.0
मोटे अनाज ^ग	29.0	32.7	31.1	33.6	43.4	42.0	40.0	43.3	42.9	38.5	44.4
खरीफ	23.8	27.7	24.9	23.8	33.1	32.4	29.8	31.2	30.9	28.2	32.8
रबी	5.2	5.0	6.2	9.7	10.3	9.6	10.3	12.1	11.3	10.4	11.6
दालें ^घ	10.6	14.3	11.0	14.7	18.2	17.1	18.3	19.3	17.2	16.4	22.4
खरीफ	3.8	5.4	4.4	4.2	7.1	6.1	5.9	6.0	5.7	5.5	9.1
रबी	6.8	8.9	6.6	10.5	11.1	11.0	12.4	13.3	11.4	10.8	13.3
चावल	53.6	74.3	85.0	89.1	96.0	105.3	105.2	106.6	105.5	104.4	109.1
खरीफ	50.1	66.3	72.8	75.9	80.7	92.8	92.4	91.5	91.4	91.4	96.1
रबी	3.5	8.0	12.2	13.2	15.3	12.5	12.9	15.1	14.1	13.0	13.1
गेहूं	36.3	55.1	69.7	80.8	86.9	93.5	93.5	95.8	86.5	92.3	97.4
ज्वार	10.4	11.7	7.5	6.7	7.0	6.0	5.3	5.5	5.5	4.2	4.7
खरीफ	7.5	8.3	4.5	2.8	3.4	3.3	2.8	2.4	2.3	1.8	1.9
रबी	2.9	3.4	3.0	3.9	3.6	2.7	2.4	3.1	3.2	2.4	2.8
मक्का	7.0	9.0	12.0	16.7	21.7	21.8	22.3	24.3	24.2	22.6	26.1
बाजरा	5.3	6.9	6.8	6.5	10.4	10.3	8.7	9.3	9.2	8.1	9.9
चना	4.3	5.4	3.9	7.5	8.2	7.7	8.8	9.5	7.3	7.1	9.1
तूर	2.0	2.4	2.2	2.5	2.9	2.7	3.0	3.2	2.8	2.6	4.6
तिलहन ^ङ	9.4	18.6	18.4	24.9	32.5	29.8	30.9	32.7	27.5	25.3	32.5
खरीफ	5.0	9.8	11.9	15.7	21.9	20.7	20.8	22.6	19.2	16.8	22.8
रबी	4.4	8.8	6.5	9.2	10.6	9.1	10.2	10.1	8.3	8.6	9.7
मूंगफली	5.0	7.5	6.4	5.4	8.3	7.0	4.7	9.7	7.4	6.7	7.7
खरीफ	3.7	5.1	4.9	3.8	6.6	5.1	3.2	8.1	5.9	5.4	6.3
रबी	1.3	2.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4
रेपसीड और सरसों	2.3	5.2	4.2	6.6	8.2	6.6	8.0	7.9	6.3	6.8	8.0
गन्ना	154.2	241.0	296.0	292.3	342.4	361.0	341.2	352.1	362.3	348.4	306.0
कपास ^च	7.0	9.8	9.5	24.0	33.0	35.2	34.2	35.9	34.8	30.0	32.6
जूट और मेस्ता ^छ	8.2	9.2	10.5	11.8	10.6	11.4	10.9	11.7	11.1	10.5	10.3
जूट	6.5	7.9	9.3	11.2	10.0	10.7	10.3	11.1	10.6	9.9	9.8
मेस्ता	1.7	1.3	1.2	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
बागानी फसलें											
चाय	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	na
काफी	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	na
रबड़	0.2	0.3	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	na
आलू	9.7	15.2	22.5	36.6	42.3	46.6	45.3	41.6	48.0	43.4	43.9

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग।

* तीसरे अग्रिम अनुमान

क : अनाज, मोटे अनाज एवं दालें सम्मिलित हैं।

ख : चावल और गेहूं सम्मिलित हैं।

ग : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और जौ शामिल हैं।

घ : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल सम्मिलित हैं।

ङ : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन सम्मिलित हैं।

च : 170 कि॰ग्रा॰ की गांठें।

छ : 180 कि॰ग्रा॰ की गांठें।

उन : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.16 : प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र

(मिलियन हे.)

समूह/वस्तु	1980-81	1990-91	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
खाद्यान्न ^क	126.7	127.8	121.0	121.3	126.7	124.8	120.8	125.0	124.3	123.2	127.6
खरीफ	83.2	80.8	75.2	69.5	72.4	72.1	67.7	69.1	68.8	69.2	72.2
रबी	43.5	47.0	45.8	51.8	54.3	52.7	53.1	56.0	55.5	54.0	55.4
अनाज ^ख	104.2	103.2	100.7	98.0	100.3	100.3	97.5	99.8	100.7	98.3	98.3
खरीफ	72.8	69.3	64.6	58.9	60.1	60.9	57.7	58.7	58.8	57.9	57.9
रबी	31.4	33.9	36.1	39.1	40.2	39.4	39.8	41.1	42.0	40.4	40.4
मोटे अनाज ^ग	41.8	36.3	30.3	27.7	28.3	26.4	24.8	25.2	25.2	24.4	24.7
खरीफ	34.3	29.6	23.9	21.3	22.1	20.8	18.8	19.3	18.9	18.2	19.0
रबी	7.4	6.7	6.4	6.4	6.3	5.7	5.9	5.9	6.2	6.2	5.6
दालें ^घ	22.5	24.7	20.3	23.3	26.4	24.5	23.3	25.2	23.6	24.9	29.3
खरीफ	10.4	11.5	10.6	10.6	12.3	11.2	10.0	10.3	10.0	11.3	14.3
रबी	12.1	13.2	9.7	12.7	14.1	13.3	13.3	14.9	13.6	13.6	14.9
चावल	40.1	42.7	44.7	41.9	42.9	44.0	42.8	44.1	44.1	43.5	42.9
खरीफ	38.4	39.7	40.7	37.6	38.0	40.1	38.9	39.4	39.8	39.7	38.8
रबी	1.7	3.0	4.0	4.3	4.8	3.9	3.8	4.7	4.3	3.8	4.1
गेहूं	22.3	24.2	25.7	28.5	29.1	29.9	30.0	30.5	31.5	30.4	30.7
ज्वार	15.8	14.4	9.9	7.7	7.4	7.4	6.2	5.8	6.2	6.1	5.1
खरीफ	10.2	8.6	4.9	3.2	3.1	3.1	2.4	2.3	2.3	2.1	1.9
रबी	5.6	5.8	5.0	4.5	4.3	4.3	3.8	3.5	3.9	3.9	3.2
मक्का	6.0	5.9	6.6	8.3	8.6	8.8	8.7	9.1	9.2	8.8	9.8
बाजरा	11.7	10.5	9.8	8.9	9.6	8.8	7.3	7.8	7.3	7.1	7.5
चना	6.6	7.5	5.2	8.2	9.2	8.3	8.5	9.9	8.3	8.4	9.5
तूर	2.8	3.6	3.6	3.5	4.4	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	5.4
तिलहन ^ङ	17.6	24.1	22.8	26.0	27.2	26.3	26.5	28.1	25.6	26.1	26.5
खरीफ	10.2	14.0	15.8	18.0	18.2	18.4	18.3	19.7	18.2	18.9	18.9
रबी	7.4	10.1	7.0	8.0	9.0	7.9	8.2	8.4	7.4	7.2	7.6
मूंगफली	6.8	8.3	6.6	5.5	5.9	5.3	4.7	5.5	4.8	4.6	5.3
खरीफ	5.9	6.8	5.7	4.6	5.0	4.3	3.9	4.6	4.0	3.8	4.5
रबी	0.9	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8
रेपसीड और सरसों	4.1	5.8	4.5	5.6	6.9	5.9	6.4	6.6	5.8	5.7	6.2
गन्ना	2.7	3.7	4.3	4.2	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	4.9	4.5
कपास ^च	7.8	7.4	8.6	10.1	11.2	12.2	12.0	12.0	12.8	12.3	10.8
जूट और मेस्ता ^छ	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
जूट	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
मेस्ता	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
बागानी फसलें											
चाय	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	na
काफी (तोड़ा गया क्षेत्र)	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	na
रबड़ (संभावित क्षेत्र)	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	na
आलू	0.7	0.9	1.2	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग।

* तीसरे अग्रिम अनुमान

क : अनाज, मोटे अनाज एवं दालें सम्मिलित हैं।

ख : चावल और गेहूं सम्मिलित हैं।

ग : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और जौ शामिल हैं।

घ : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल सम्मिलित हैं।

ङ : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन सम्मिलित हैं।

च : 170 कि॰ग्रा॰ की गांठें।

छ : 180 कि॰ग्रा॰ की गांठें।

उन : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.17 : प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार

(कि.ग्रा./हेक्टेयर)											
समूह/वस्तु	1980-81	1990-91	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
खाद्यान्न ^क	1023	1380	1626	1798	1930	2078	2128	2120	2028	2042	2142
खरीफ	933	1231	1357	1496	1669	1822	1892	1864	1862	1808	1911
रबी	1195	1635	2067	2203	2278	2430	2431	2435	2232	2342	2444
अनाज ^ख	1142	1571	1844	2076	2256	2415	2449	2462	2331	2393	2553
खरीफ	1015	1357	1512	1693	1893	2057	2116	2089	2081	2065	2227
रबी	1434	2010	2438	2649	2800	2968	2932	2995	2681	2862	3019
मोटे अनाज ^ग	695	900	1027	1212	1531	1590	1617	1717	1703	1579	1798
खरीफ	693	937	5298	1118	1500	1563	1583	1619	1633	1544	1724
रबी	702	741	973	1526	1641	1689	1725	2034	1915	1686	2049
दालें ^घ	473	578	544	630	691	699	789	764	728	656	765
खरीफ	361	471	417	397	578	541	594	580	573	489	636
रबी	571	672	604	823	790	831	934	891	843	796	889
चावल	1336	1740	1901	2125	2239	2393	2462	2416	2391	2400	2543
खरीफ	1303	1670	1788	2019	2121	2312	2374	2319	2295	2305	2474
रबी	2071	2671	3042	3055	3173	3228	3353	3232	3291	3382	3201
गेहूं	1630	2281	2708	2839	2989	3178	3117	3145	2750	3034	3172
ज्वार	660	814	764	860	949	957	850	957	884	697	924
खरीफ	737	969	938	853	1119	1257	1171	1050	1014	850	1014
रबी	520	582	594	865	827	746	644	896	808	615	871
मक्का	1159	1518	1822	2024	2540	2478	2566	2676	2632	2563	2679
बाजरा	458	658	688	731	1079	1171	1198	1184	1255	1132	1319
चना	657	712	744	915	895	928	1036	960	889	840	951
तूर	689	673	618	711	655	662	776	813	729	646	854
तिलहन ^ङ	532	771	810	958	1193	1133	1168	1168	1075	968	1229
खरीफ	492	698	757	875	1203	1123	1135	1151	1055	884	1210
रबी	588	872	929	1146	1174	1155	1244	1207	1125	1186	1275
मूंगफली	736	904	977	991	1411	1323	995	1764	1552	1465	1445
खरीफ	629	751	861	835	1335	1188	811	1735	1478	1399	1387
रबी	1444	1611	1756	1830	1846	1938	1910	1926	1948	1801	1776
रेपसीड और सरसों	560	904	935	1183	1185	1121	1262	1185	1083	1183	1281
गन्ना	58	65	69	70	70	72	68	71	71	71	68
कपास ^च	152	225	190	403	499	491	486	510	462	415	513
जूट और मेस्ता ^छ	1130	1634	1867	2349	2192	2268	2281	2512	2473	2421	2471
जूट	1245	1833	2026	2492	2329	2389	2396	2639	2549	2457	2541
मेस्ता	828	988	1078	1121	1115	1248	1237	1338	1525	1945	1532
बागानी फसलें											
चाय	1491	1794	1673	1756	1712	1967	2037	2170	2170	2170	na
काफी (तोड़ा गया क्षेत्र)	624	759	959	725	746	766	766	727	766	766	na
रबड़ (संभावित क्षेत्र)	788	1076	1576	1211	1211	1230	1206	994	994	994	na
आलू	13	16	18	20	23	22	23	21	22	21	21

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग।

* तीसरे अग्रिम अनुमान

क : अनाज, मोटे अनाज एवं दालें सम्मिलित हैं।

ख : चावल और गेहूं सम्मिलित हैं।

ग : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और जौ शामिल हैं।

घ : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल सम्मिलित हैं।

ङ : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन सम्मिलित हैं।

च : 170 कि॰ग्रा॰ की गांठें।

छ : 180 कि॰ग्रा॰ की गांठें।

उन : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.18 : 2016-17 में तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन*

		उत्पादन: (मिलियन टन)		
फसल/फसल समूह	राज्य	उत्पादन	अखिल भारत के संदर्भ में उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा	उत्पादन का संचयी प्रतिशत हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. खाद्यान्न				
चावल	पश्चिम बंगाल	15.0	13.8	13.8
	उत्तर प्रदेश	12.9	11.9	25.6
	पंजाब	11.0	10.1	35.7
गेहूँ	उत्तर प्रदेश	30.4	31.2	31.2
	मध्य प्रदेश	17.8	18.2	49.4
	पंजाब	16.0	16.5	65.9
मक्का	महाराष्ट्र	3.4	13.1	13.1
	कर्नाटक	3.2	12.2	25.3
	मध्य प्रदेश	3.1	11.9	37.2
जोड़ -मोटे अनाज	राजस्थान	6.7	15.1	15.1
	महाराष्ट्र	6.6	14.9	30.0
	कर्नाटक	5.0	11.3	41.4
चना	मध्य प्रदेश	3.5	39.1	39.1
	महाराष्ट्र	1.6	18.1	57.2
	राजस्थान	1.4	15.2	72.5
तूर	महाराष्ट्र	1.4	30.2	30.2
	कर्नाटक	0.9	18.8	49.0
	मध्य प्रदेश	0.8	17.0	66.0
जोड़ -दालें	मध्य प्रदेश	6.1	27.1	27.1
	महाराष्ट्र	3.7	16.4	43.5
	राजस्थान	3.0	13.3	56.7
जोड़ -खाद्यान्न	उत्तर प्रदेश	49.4	18.1	18.1
	मध्य प्रदेश	32.6	11.9	30.0
	पंजाब	27.6	10.1	40.1
II. तिलहन				
मूंगफली	गुजरात	3.1	41.1	41.1
	राजस्थान	1.1	14.9	56.0
	आन्ध्र प्रदेश	0.7	9.4	65.4
रेपसीड और सरसों	राजस्थान	3.7	46.8	46.8
	हरियाणा	0.9	11.4	58.2
	मध्य प्रदेश	0.9	10.9	69.1
सोयाबीन	मध्य प्रदेश	7.0	50.3	50.3
	महाराष्ट्र	5.0	35.4	85.7
	राजस्थान	1.1	8.1	93.8
सूरजमुखी	कर्नाटक	0.1	49.6	49.6
	उडिसा	0.02	9.2	58.8
	आंध्र प्रदेश	0.02	7.3	66.1
कुल-तिलहन	मध्य प्रदेश	8.7	26.7	26.7
	राजस्थान	6.3	19.5	46.2
	महाराष्ट्र	5.4	16.5	62.7
III. अन्य नकदी फसलें				
गन्ना	उत्तर प्रदेश	133.7	43.7	43.7
	महाराष्ट्र	49.7	16.2	59.9
	कर्नाटक	33.4	10.9	70.9
कपास ^क	महाराष्ट्र	10.2	31.4	31.4
	गुजरात	8.3	25.3	56.7
	तेलंगाना	2.9	9.0	65.7
जूट और मेस्ता ^ख	पश्चिम बंगाल	7.6	74.3	74.3
	बिहार	1.6	15.5	89.7
	असम	0.8	8.0	97.8

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग।

टिप्पणी:

* : तीसरे अग्रिम अनुमान

क : 170 कि॰ग्रा॰ वजन वाली मिलियन गांठों का उत्पादन।

ख : 180 कि॰ग्रा॰ वजन वाली मिलियन गांठों का उत्पादन।

सारणी 1.19 : अनाज और दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्ध मात्रा

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	अनाज				दालें निवल उपलब्ध मात्रा (मिलियन टन)	प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता प्रतिदिन (ग्राम में)		
		निवल उत्पादन (मिलियन टन)	निवल आयात (मिलियन टन)	सरकारी स्टॉक में घट-बढ़ (मिलियन टन)	निवल उपलब्ध मात्रा (कालम 3+4-5)		अनाज	दालें	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1951	363.2	40.1	4.1	(+)0.6	43.6	8.0	334.2	60.7	394.9
1961	442.4	60.9	3.5	(-)0.2	64.6	11.1	399.7	69.0	468.7
1971	551.3	84.5	2.0	(+)2.6	84.0	10.3	417.6	51.2	468.8
1981	688.5	104.1	0.5	(-)0.2	104.8	9.4	417.3	37.5	454.8
1991	851.7	141.9	(-)0.6	(-)4.4	145.7	12.9	468.5	41.6	510.1
2001	1033.2	162.5	(-)4.5	(+)12.3	145.6	11.3	386.2	30.0	416.2
2002	1050.6	174.5	(-)8.5	(-)9.9	175.9	13.6	458.7	35.4	494.1
2003	1068.2	143.2	(-)7.1	(-)23.2	159.3	11.3	408.5	29.1	437.6
2004	1085.6	173.5	(-)7.7	(-)3.3	169.1	14.2	426.9	35.8	462.7
2005	1102.8	162.1	(-)7.2	(-)2.4	157.3	12.7	390.9	31.5	422.4
2006	1119.8	170.8	(-)3.8	(-)1.8	168.8	13.3	412.8	32.5	445.3
2007	1136.6	177.7	(-)7.0	(+)1.7	169.0	14.7	407.4	35.5	442.8
2008	1153.1	197.3	(-)14.4	(+)17.0	165.9	17.6	394.2	41.8	436.0
2009	1169.4	192.4	(-)7.2	(+)11.5	173.7	15.8	407.0	37.0	444.0
2010	1185.8	178.0	(-)4.7	(-)0.5	173.8	15.3	401.7	35.4	437.1
2011	1201.9	198.0	(-)9.6	(+)8.3	180.1	18.9	410.6	43.0	453.6
2012	1213.4	211.9	(-)19.8	(+)11.2	181.0	18.4	408.6	41.7	450.3
2013	1228.8	208.9	(-)71.9	(-) 23.6	160.6	19.4	358.1	43.3	401.4
2014	1244.0	215.0	(-)19.9	(-)6.0	201.0	21.0	442.9	46.4	489.3
2015	1259.1	205.5	(-)12.3	(-)0.5	193.6	20.1	421.4	43.8	465.2
2016	1273.9	205.8	(-)8.6	(-)9.2	206.3	20.2	443.7	43.6	487.3
2017(अ)	1288.5	218.6	(-)7.7	(+)7.9	203.0	25.2	431.6	53.8	485.4

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग।

टिप्पणियाँ

अ : अनन्तिम

- जनसंख्या के आंकड़े मध्य वर्षीय हैं।
- खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता सकल उत्पादन (-) बीज, चारा और अपशिष्ट, (-) निर्यात (+) आयात (+/-) स्टॉक में परिवर्तन पर आंकी जाती है।
- खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता को किसी वर्ष विशेष के संबंध में जनसंख्या के अनुमानों से भाग करके किग्रा/वर्ष के संदर्भ में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता इंगित होती है।
- उपयुक्त प्रति व्यक्ति निवल उपलब्ध मात्रा को देश में खपत के वास्तविक स्तर के ठीक बराबर नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि व्यापारियों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के स्टॉक की घट-बढ़ को हिसाब में नहीं लिया गया है।
- प्रति व्यक्ति निवल उपलब्ध मात्रा के गणना के लिए 1981 से 1994 के निवल आयातों के आंकड़े केवल भारत सरकार के लेखे पर किए गए आयात और निर्यात पर आधारित हैं। 1995 तथा उससे आगे के निवल आयात कुल निर्यातों और आयातों (सरकारी और निजी दोनों लेखों) पर आधारित हैं।

सारणी 1.20 : खाद्यान्नों की निवल उपलब्ध मात्रा, अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण

(मिलियन टन)

वर्ष	खाद्यान्नों के निवल उत्पादन	निवल आयात	खाद्यान्नों की निवल उपलब्ध मात्रा ^क	अधिप्राप्ति	सार्वजनिक वितरण ^ख	का. 3, का. 4 के प्रतिशत के रूप में	का. 5, का. 2 के प्रतिशत के रूप में	का. 6, का. 4 के प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1951	48.1	4.8	52.4	3.8	8.0	9.2	7.9	15.3
1961	72.0	3.5	75.7	0.5	4.0	4.6	0.7	5.3
1971	94.9	2.0	94.3	8.9	7.8	2.1	9.3	8.3
1981	113.4	0.7	114.3	13.0	13.0	0.6	11.4	11.4
1991	154.3	(-)0.1	158.6	19.6	20.8	...	12.7	13.1
2001	172.2	(-)2.9	156.9	42.6	13.2	(-)1.8	24.7	8.4
2002	186.2	(-)6.7	189.5	40.3	18.2	(-)3.5	21.7	9.6
2003	152.9	(-)5.5	170.6	34.5	23.2	(-)2.8	22.6	13.2
2004	186.5	(-)6.5	183.3	41.1	28.3	(-) 3.5	22.0	15.5
2005	173.6	(-)6.0	170.0	41.5	31.0	(-) 3.5	23.9	18.2
2006	182.5	(-)2.3	181.9	37.0	31.8	(-) 1.3	20.3	17.5
2007	190.1	(-)4.7	183.7	35.8	32.8	(-) 2.6	18.8	17.8
2008	210.2	(-) 9.7	183.5	54.2	34.7	(-) 5.3	25.8	18.9
2009	205.2	(-) 4.1	189.5	60.5	41.3	(-) 2.2	29.5	21.8
2010	190.8	(-) 2.2	189.2	56.1	43.7	(-) 1.2	29.4	23.1
2011	213.9	(-) 2.9	203.1	64.5	47.9	(-) 1.4	30.1	23.6
2012	226.9	उन	उन	73.4	44.9	उन	उन	उन
2013	224.9	उन	उन	58.9	44.5	उन	उन	उन
2014	232.4	उन	उन	59.8	43.5	उन	उन	उन
2015	उन	उन	उन	65.0	उन	उन	उन	उन
2016	उन	उन	उन	60.8	उन	उन	उन	उन
2017	उन	उन	उन	40.2*	उन	उन	उन	उन

स्रोत :

1. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।
2. आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।

टिप्पणी :

उन : उपलब्ध नहीं अ : अनन्तिम ; नगण्य * : 09.05.2016 की स्थिति के अनुसार

क : उपलब्ध निवल मात्रा=निवल उत्पादन+निवल आयात - सरकारी भण्डारों में परिवर्तन।

ख : इसमें वर्ष 1978 से 1990 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई मात्रा शामिल है।

1. खरीद और सार्वजनिक वितरण के आंकड़े कैलण्डर वर्ष से संबंधित हैं।
2. प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता परिकलन हेतु 1981 से 1994 के निवल आयात के आंकड़े केवल भारत सरकार लेखे के उत्थान और निर्यात आंकड़ों पर आधारित हैं, लेकिन 1995 तथा इससे आगे के निवल आयात देश के कुल आयात तथा निर्यात (सरकारी तथा निजी दोनों लेखों) पर आधारित हैं।
3. निवल आयात देश का कुल आयात तथा निर्यात है।

सारणी 1.21 : उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा

वर्ष	खाद्य तेल ^१ (किलोग्राम)	वनस्पति ^२ (किलोग्राम)	चीनी (नवम्बर से अक्टूबर) (कि.ग्रा.) ^३	कपड़ा ^४		जोड़ (मीटर)	चाय (ग्राम)	कॉफी ^५ (ग्राम)	विजली घरेलू (कि.वाट प्रति घण्टे)
				सूती कपड़ा ^६ (मीटर)	मानव निर्मित कपड़ा (मीटर)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1960-61	3.2	0.8	4.8	13.8	1.2	15.0	296.0	80.0	3.4
1970-71	3.5	1.0	7.4	13.6	2.0	15.6	401.0	65.0	7.0
1980-81	3.8	1.2	7.3	12.9	4.4	17.3	511.0	79.0	13.5
1990-91	5.5	1.0	12.7	15.1	9.0	24.1	612.0	59.0	38.2
2000-01	8.2	1.3	15.8	14.2	16.5	30.7	631.0	58.0	75.2
2001-02	8.8	1.4	16.0	14.8	17.2	32.0	650.0	67.0	76.8
2002-03	7.2	1.4	16.3	14.4	17.0	31.4	623.0	67.0	79.0
2003-04	9.9	1.2	16.1	13.4	17.6	31.0	662.0	70.0	83.6
2004-05	10.2	1.1	15.5	14.1	19.4	33.5	663.0	72.0	87.8
2005-06	10.6	1.1	16.3	16.4	19.7	36.1	687.0	75.0	90.4
2006-07	11.1	1.2	16.8	18.0	21.6	39.6	687.0	77.0	98.8
2007-08	11.4	1.3	17.8	19.0	22.8	41.9	701.0	80.0	106.0
2008-09	12.7	1.2	18.8	17.9	21.1	39.0	704.0	82.0	112.7
2009-10	13.1	1.1	18.6	19.7	23.4	43.1	709.0	86.0	121.2
2010-11	13.0	1.0	17.0	21.4	22.6	44.0	715.0	90.0	130.9
2011-12	13.8	1.0	18.7	19.8	20.7	40.5	728.0	95.0	142.4
2012-13	15.8	0.7	18.7	19.9	18.6	38.5	779.0	97.0	150.9
2013-14	16.8	0.8	19.5	19.9	16.4	36.2	744.0	100.0	162.0
2014-15	18.3	0.8	20.3	23.6	17.0	40.6	752.0	100.0	174.2
2015-16	17.7	0.8	19.4(P)	24.6	15.9	40.5	758.0	100.0	189.1(P)

स्रोत :

1. शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

2. चाय बोर्ड।

3. कॉफी बोर्ड।

4. वस्त्र मंत्रालय

5. केन्द्रीय विजली प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय।

टिप्पणी:

उन : उपलब्ध नहीं

अ : अनन्तिम

क इसमें मूंगफली का तेल, रेपसीड और सरसों का तेल, तिल का तेल, नाइजर के बीज का तेल, सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी के बीजों का तेल शामिल हैं, किन्तु वनस्पति बनाने के काम आने वाला तेल शामिल नहीं है।

ख कैलण्डर वर्ष से संबंधित।

ग घरेलू उपभोग के लिए वास्तविक रूप से जारी की गई मात्रा से संबंधित, चीनी मौसम/वर्ष वित्त वर्ष के विपरीत अगले वर्ष के नवंबर से अक्टूबर के दौरान होता।

घ कपड़े संबंधी आंकड़े 1980-81 से पहले कैलण्डर वर्ष-वार हैं; 1984-85 तक मीटर में तथा 1985-86 से वर्ग मीटर में हैं।

ड ब्लैण्डेड/मिश्रित कपड़े के लिए 1969 के पहले के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं थे। इन्हें 1969 के बाद मानव-निर्मित कृत्रिम रेशे से बने कपड़ों में सम्मिलित किया गया है।

च 1971-72 तक के आंकड़े 'कॉफी' के मौसम से संबंधित हैं और इसके बाद के कैलण्डर वर्षों के आधार पर हैं।

सारणी 1.22 : उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग														
(हजार टन पोषाह)														
	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)
क नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक														
उत्पादन	830	2164	6993	11004	10900	10870	11900	12157	12259	12194	12378	12394	13416	13331
आयात	477	1510	414	154	3707	3751	3447	4493	5240	4801	3920	4766	5068	3385
उपभोग	1487	3678	7997	10920	14419	15090	15580	16558	17300	16821	16750	16946	17372	१७३७८
ख फास्फेटयुक्त उर्वरक														
उत्पादन	229	842	2052	3748	3807	3464	4321	4223	4368	3830	3960	4121	4394	4567
आयात	32	452	1311	396	1391	3067	2756	3802	4427	2797	1588	1832	2888	2130
उपभोग	462	1214	3221	4215	5515	6506	7274	8050	7914	6653	5633	6098	6979	७०७९
ग पोटाशयुक्त उर्वरक														
आयात	120	797	1328	1541	2653	3403	2945	4069	3335	1559	1926	2537	2053	2325
उपभोग	228	624	1328	1567	2636	3313	3632	3514	2576	2062	2099	2532	2402	२४०२
घ समस्त उर्वरक (ना.फा.पो.)														
उत्पादन	1059	3006	9045	14752	14707	14334	16221	16380	16627	16024	16338	16515	17810	17898
आयात	629	2759	2758	2090	7750	10221	9148	12364	13002	9157	7434	9135	10009	7840
उपभोग	2177	5516	12546	19702	22570	24909	26486	28122	27790	25534	24482	25576	26753	२६७५३

स्रोत : उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

टिप्पणी:

० : उपलब्ध नहीं

सारणी 1.23 : मुख्य पशुधन उत्पादों और मछली का उत्पादन

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडे (संख्या मिलियन में)	मछली (हजार टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1950-51	17.0	1832	752
1960-61	20.0	2881	1160
1970-71	22.0	6172	1756
1980-81	31.6	10060	2442
1990-91	53.9	21101	3836
2000-01	80.6	36632	5656
2006-07	102.6	50653	6869
2007-08	107.9	53583	7127
2008-09	112.2	55562	7620
2009-10	116.4	60267	7914
2010-11	121.8	63024	8400
2011-12	127.9	66450	8700
2012-13	132.4	69730	9040
2013-14	137.7	74752	9572
2014-15	146.3	78484	10164
2015-16	155.5	82929	10795

स्रोत: पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग।

सारणी 1.24 : कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन

(मिलियन टन)

वर्ष	कोयला			जोड़	लिग्नाइट	जोड़ कोयला और लिग्नाइट (5+6)
	कोकिंग		गैर-कोकिंग			
	धात्विक	गैर-धात्विक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1950-51	उन	उन	उन	32.3	उन	उन
1960-61	17.0	उन	38.2	उन	उन	उन
1970-71	17.8	उन	55.1	उन	3.4	उन
1980-81	24.6	8.0	81.3	113.9	5.1	119.0
1981-82	26.9	9.2	88.1	124.2	6.3	130.5
1982-83	30.1	7.5	92.9	130.5	6.9	137.4
1983-84	30.1	6.2	101.9	138.2	7.3	145.5
1984-85	30.6	6.0	110.8	147.4	7.8	155.2
1985-86	29.1	6.6	118.6	154.2	8.1	162.3
1986-87	27.9	11.6	126.2	165.8	9.4	175.2
1987-88	26.3	14.7	138.7	179.7	11.2	190.9
1988-89	25.2	17.6	151.9	194.6	12.4	207.0
1989-90	24.5	19.9	156.5	200.9	12.8	213.7
1990-91	24.1	21.2	166.4	211.7	13.8	225.5
1991-92	26.3	20.0	183.0	229.3	14.6	243.8
1992-93	25.7	19.6	192.9	238.3	16.6	254.9
1993-94	26.0	19.1	201.0	246.0	18.1	264.1
1994-95	24.5	19.7	209.6	253.8	19.3	273.1
1995-96	23.5	16.6	230.0	270.1	22.1	292.3
1996-97	22.6	17.9	245.1	285.7	22.5	308.2
1997-98	24.2	19.3	252.4	295.9	23.1	319.0
1998-99	23.8	15.4	253.1	292.3	23.4	315.7
1999-2000	21.2	12.0	266.7	300.0	22.1	322.1
2000-01	19.3	11.8	278.6	309.6	23.0	332.6
2001-02 ^a	18.0	10.7	299.1	327.8	24.8	352.6
2002-03 ^a	18.4	11.8	311.1	341.3	26.0	367.3
2003-2004	18.3	11.1	331.9	361.3	28.0	389.3
2004-2005	18.2	12.0	352.4	382.6	30.3	413.0
2005-2006	17.0	14.5	375.5	407.0	30.1	437.1
2006-2007	17.2	14.9	398.7	430.8	31.3	462.1
2007-08	18.1	16.4	422.6	457.1	34.0	491.0
2008-09	17.3	17.5	458.0	492.8	32.4	525.2
2009-10	17.7	26.7	487.6	532.0	34.1	566.1
2010-11	17.7	31.9	483.2	532.7	37.7	570.4
2011-12	16.2	35.4	488.3	540.0	42.3	582.3
2012-13	14.6	37.0	504.8	556.4	46.5	602.9
2013-14	15.1	41.7	509.0	565.8	44.3	610.0
2014-15	13.8	43.7	551.7	609.2	48.3	657.4
2015-16	14.3	46.5	578.3	639.2	43.8	683.0
2016-17 (अ)	14.5	47.2	597.5	659.3	45.1	704.4

स्रोत : कोयला मंत्रालय।

टिप्पणी:

उन : उपलब्ध नहीं।

क : मेघालय कोल सहित।

अ : अनंतिम

सारणी 1.25 : बिजली आपूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर-जनोपयोगी)
क. स्थापित संयंत्र क्षमता

वर्ष	जनोपयोगी				गैर- जनोपयोगी	(हजार मेगावाट में)
	जल विद्युत	तापीय + न.उ.स्रो	न्यूक्लीयर	जोड़	कुल जोड़ [5+6]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1950-51 ^a	0.6	1.1	0.0	1.7	0.6	2.3
1960-61	1.9	2.7	0.0	4.6	1.0	5.6
1970-71	6.4	7.9	0.4	14.7	1.6	16.3
1980-81	11.8	17.6	0.9	30.3	3.1	33.4
1981-82	12.2	19.3	0.9	32.4	3.4	35.8
1982-83	13.1	21.4	0.9	35.4	3.9	39.3
1983-84	13.9	24.4	1.1	39.4	4.4	43.8
1984-85	14.5	27	1.1	42.6	5.1	47.7
1985-86	15.5	30	1.3	46.8	5.5	52.3
1986-87	16.2	31.8	1.3	49.3	5.7	55
1987-88	17.3	35.6	1.3	54.2	6.3	60.5
1988-89	17.8	39.7	1.5	59	7.5	66.5
1989-90	18.3	43.8	1.5	63.6	8.2	71.8
1990-91	18.8	45.8	1.5	66.1	8.6	74.7
1991-92	19.2	48.1	1.8	69.1	9.3	78.4
1992-93	19.6	50.7	2.0	72.3	10.1	82.4
1993-94	20.4	54.4	2.0	76.8	10.7	87.5
1994-95	20.8	58.1	2.2	81.1	11.2	92.3
1995-96	21	60.1	2.2	83.3	11.8	95.1
1996-97	21.7	61.9	2.2	85.8	12.1	97.9
1997-98	21.9	65	2.2	89.1	13.2	102.3
1998-99	22.4	68.7	2.2	93.3	14.1	107.4
1999-00	23.9	71.3	2.7	97.9	14.7	112.6
2000-01	25.1	73.6	2.9	101.6	16.2	117.8
2001-02	26.3	76	2.7	105	17.1	122.1
2002-03	26.8	78.4	2.7	107.9	18.3	126.2
2003-04	29.5	80.5	2.7	112.7	18.7	131.4
2004-05	30.9	84.7	2.8	118.4	19.1	137.5
2005-06	32.3	88.6	3.4	124.3	21.3	145.6
2006-07	34.7	93.7	3.9	132.3	22.3	154.6
2007-08	35.9	103	4.1	143	25	168
2008-09	36.9	107	4.1	148	27	175
2009-10	36.9	118	4.6	159.4	31.5	190.9
2010-11	37.6	131.3	4.8	173.7	34.4	208.1
2011-12	39	156.1	4.8	199.9	36.5	236.4
2012-13	39.5	179.1	4.8	223.4	40.7	264.1
2013-14	40.5	199.9	4.8	245.2	42.3	287.5
2014-15	41.3	224.7	5.8	271.7	44.7	316.4
2015-16	42.8	253.5	5.8	302.1	48.3	350.4
2016-17	44.5	275.6	6.8	326.8	51.0 (\$)	377.8

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

टिप्पणी:

अ : अनन्तिम

क : कैलेंडर वर्ष

न.उ.स्र. : नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

\$: अनुमानित

सारणी 1.25 : बिजली आपूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर-जनोपयोगी)

ख : उत्पादित ऊर्जा (सकल)

(बिलियन कि.वा.घं)

वर्ष	जनोपयोगी				गैर- जनोपयोगी	कुल जोड़ [5+6]
	जल विद्युत	तापीय + न.उ.स्रो	न्यूक्लीयर	जोड़		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1950-51 ^अ	2.5	2.6		5.1	1.5	6.6
1960-61	7.8	9.1		16.9	3.2	20.1
1970-71	25.2	28.2	2.4	55.8	5.4	61.2
1975-76	33.3	43.3	2.6	79.2	6.7	85.9
1977-78	38.0	51.1	2.3	91.4	7.6	99.0
1978-79	47.1	52.6	2.8	102.5	7.6	110.1
1979-80	45.5	56.3	2.9	104.7	8.2	112.9
1980-81	56.5	61.3	3.0	120.8	8.4	129.2
1981-82	49.6	69.5	3.0	122.1	9.0	131.1
1982-83	48.4	79.9	2.0	130.3	10.0	140.3
1983-84	50.0	86.7	3.5	140.2	10.8	151.0
1984-85	53.9	98.8	4.1	156.8	12.3	169.1
1985-86	51.0	114.4	5.0	170.4	13.0	183.4
1986-87	53.8	128.9	5.0	187.7	13.6	201.3
1987-88	47.5	149.6	5.0	202.1	16.9	219.0
1988-89	57.9	157.7	5.8	221.4	19.9	241.3
1989-90	62.1	178.7	4.6	245.4	23.0	268.4
1990-91	71.7	186.5	6.1	264.3	25.1	289.4
1991-92	72.8	208.7	5.5	287.0	28.6	315.6
1992-93	69.9	224.8	6.7	301.4	31.3	332.7
1993-94	70.4	248.2	5.4	324.0	32.3	356.3
1994-95	82.7	262.1	5.6	350.4	35.1	385.5
1995-96	72.6	299.3	8.0	380.0	38.2	418.1
1996-97	68.9	317.9	9.1	395.9	40.8	436.7
1997-98	74.6	337.0	10.1	421.7	44.1	465.8
1998-99	82.9	353.7	11.9	448.5	48.4	496.9
1999-00	80.6	386.8	13.3	480.7	51.5	532.2
2000-01	74.5	408.1	16.9	499.5	55.0	554.5
2001-02	73.5	424.4	19.5	517.4	61.7	579.1
2002-03	64.0	449.3	19.4	532.7	63.8	596.5
2003-04	75.2	472.1	17.8	565.1	68.2	633.3
2004-05	84.6	492.8	17.0	594.4	71.4	665.8
2005-06	101.5	506.0	17.3	623.8	73.6	697.4
2006-07	113.5	538.4	18.8	670.7	81.8	752.5
2007-08	120.4	585.3	16.9	723.0	90.5	813.1
2008-09 ^अ	110.1	616.2	14.9	741.2	99.7	840.9
2009-10	104.1	677.1	18.6	799.8	106.1	906.0
2010-11	114.4	704.3	26.3	844.8	120.9	965.7
2011-12	130.5	759.4	33.3	923.2	128.2	1051.4
2012-13	113.7	817.9	32.9	964.5	144.0	1108.5
2013-14	134.9	857.5	34.2	1026.6	149.0	1175.6
2014-15	129.2	951.5	36.1	1116.8	162.1	1278.9
2015-16	121.4	1008.8	37.4	1167.6	168.4	1336.0
2016-17	122.4	1075.6 (अ)	37.9	1235.9	183.0 (\$)	1418.9

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

टिप्पणी:

अ : अनन्तिम

न.उ.स्र. : नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

क : कैलेंडर वर्ष

\$: अनुमानित

सारणी 1.26 : भारतीय रेलों का प्रचालन												
	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. मार्ग किलोमीटर (हज़ार)												
विद्युत चालित	0.4	0.8	3.7	5.4	10.0	14.9	19.6	20.3 ^अ	20.9 ^अ	21.6 ^अ	22.2 ^अ	23.6 ^अ
कुल	53.6	56.2	59.8	61.2	62.4	63.0	64.4	64.6 ^अ	65.4 ^अ	65.8 ^अ	66.0 ^अ	66.7 ^अ
2. आरम्भिक यातायात (मिलियन टन)												
राजस्व उपार्जक	73.2	119.8	167.9	195.9	318.4	473.5	921.7 ^अ	969.1 ^अ	1008.1 ^अ	1051.6 ^अ	1095.3 ^अ	1101.5 ^अ
कुल यातायात	93.0	156.2	196.5	220.0	341.4	504.2	926.4 ^अ	975.2 ^अ	1014.2 ^अ	1058.8 ^अ	1101.1 ^अ	1108.6 ^अ
3. ढोया गया माल (बि० टन कि.मी.)												
राजस्व उपार्जक	37.6	72.3	110.7	147.7	235.8	312.4	625.7 ^अ	667.6	691.7 ^अ	665.8 ^अ	681.7 ^अ	654.5 ^अ
कुल यातायात	44.1	87.7	127.4	158.5	242.7	315.5	626.5 ^अ	668.6	692.6 ^अ	666.7 ^अ	682.6 ^अ	655.6 ^अ
4. ढोये गये माल से आय (₹ करोड़)												
	139.3	280.5	600.7	1550.9	8247.0	23045.4	60687.1 ^अ	67761.4 ^अ	83478.8 ^अ	91570.9 ^अ	103015.2 ^अ	106940.6 ^अ
5. औसत भार : समस्त माल यातायात (कि.मी.)												
	470	561	648	720	711	626	676	686	683	630	620	591
6. औसत दर/प्रति टन-किलोमीटर (पैसे)												
	3.2	3.9	5.4	10.5	35.0	73.8	97.0	101.5	120.7	137.5	151.2	163.4
7. आरम्भिक यात्री (मिलियन)												
	1284	1594	2431	3613	3858	4833	7651.1	8224.4 ^अ	8420.7 ^अ	8397.1 ^अ	8224.1 ^अ	8107.3 ^अ
8. यात्री-किलोमीटर (बिलियन)												
	66.5	77.7	118.1	208.6	295.6	457	978.5	1046.5 ^अ	1098.1 ^अ	1158.7 ^अ	1147.2 ^अ	1143.0 ^अ
9. यात्री आय (₹ करोड़)												
	98.2	131.6	295.5	827.5	3144.7	10515.1 ^अ	25792.6 ^अ	28246.4 ^अ	31322.8 ^अ	36532.3 ^अ	42189.6 ^अ	44283.3 ^अ
10. औसत भार: यात्री यातायात (कि.मी.)												
	51.8	48.7	48.6	57.7	76.6	94.6	127.9	127.2 ^अ	130.4 ^अ	135.8 ^अ	139.5 ^अ	141.0 ^अ
11. प्रति यात्री औसत दर-किलोमीटर (पैसे)												
	1.5	1.7	2.5	4.0	10.6	22.9	26.3	27.0 ^अ	28.5 ^अ	31.5 ^अ	36.8 ^अ	38.7 ^अ

स्रोत : रेल मंत्रालय।

टिप्पणी

अ : अनन्तिम

ख : इसमें मेट्रो कोलकाता शामिल है।

क : इसमें कॉकण रेल निगम लिमिटेड का भार शामिल नहीं है।

सारणी 1.27 : भारतीय रेलवे का राजस्व उपार्जक माल यातायात
क. प्रारम्भिक यातायात

वस्तुएं	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11 ^a	2011-12 ^a	2012-13 ^a	2013-14 ^a	2014-15 ^a	2015-16 ^a	(मिलियन टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1. कोयला	20.2	30.9	47.9	64.1	135.2	223.7	420.4	455.8	496.4	508.1	545.8	551.8	
2. इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल जिसमें लौह अयस्क शामिल नहीं है	उन	10.5	16.1	20.2	25.9	38.8	13.3	14.5	15.6	17.3	18.3	20.3	
3. ढलवां लोहा तथा तैयार इस्पात													
i) इस्पात संयंत्र	उन	3.8	6.2	7.5	10.0	11.8	24.1	25.7	26.0	27.8	28.3	29.6	
ii) अन्य स्थलों से	उन	उन	उन	उन	उन	उन	8.8	9.5	9.4	11.1	14.6	15.2	
iii) कुल	उन	उन	उन	उन	उन	उन	32.8	35.2	35.3	39.0	42.9	44.8	
4. लौह अयस्क													
i) निर्यात के लिए	उन	2.6	9.8	11.1	13.1	14.6	25.7	8.4	5.5	6.6	2.5	2.1	
ii) इस्पात संयंत्रों के लिए	उन	उन	उन	उन	उन	उन	44.7	54.7	61.6	66.8	69.4	78.6	
iii) अन्य घरेलू उपयोग हेतु	उन	उन	उन	उन	उन	उन	48.1	40.3	44.4	50.9	40.9	36.2	
iv) कुल	उन	उन	उन	उन	उन	उन	118.5	103.4	111.4	124.3	112.8	116.9	
5. सीमेंट	2.5	6.5	11.0	9.6	28.9	42.9	99.1	107.7	105.9	109.8	109.8	105.4	
6. खाद्यान्न	7.8	12.7	15.1	18.3	25.4	26.7	43.5	46.3	49.0	55.1	55.5	45.7	
7. उर्वरक	उन	1.4	4.7	8.1	18.4	27.1	48.2	52.7	46.2	44.7	47.4	52.2	
8. पी ओ एल	2.7	4.7	8.9	15.0	25.0	36.3	39.3	39.8	40.6	41.2	41.1	43.2	
9. कन्टेनर सेवा													
i) घरेलू कन्टेनर	उन	उन	उन	उन	उन	उन	11.0	9.5	9.4	10.9	10.5	9.0	
ii) एक्विजिट कन्टेनर	उन	उन	उन	उन	उन	उन	26.6	28.5	31.7	32.6	37.9	36.8	
iii) जोड़	उन	उन	उन	उन	उन	उन	37.6	38.0	41.0	43.5	48.4	45.8	
10. शेष (अन्य माल)	40.0	46.7	48.2	42.1	36.6	51.8	69.2	75.7	66.6	68.8	73.4	75.3	
11. कुल राजस्व अर्जक मालवहन यातायात	73.2	119.8	167.9	195.9	318.4	473.5	921.7	969.1	1008.1	1051.6	1095.3	1101.5	

स्रोत : रेल मंत्रालय।

टिप्पणी :

अन : उपलब्ध नहीं क : इसमें कॉकण रेल निगम लिमिटेड का भार शामिल नहीं है।

पीओएल : पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स

1. वर्ष 2008-09 से आगे के आंकड़े अक्टूबर 2007 से संशोधित वस्तु समूह का प्रतिबिंबित करत हैं।

2. पूर्णांकन के कारण संभव: आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 1.27 : भारतीय रेलवे का राजस्व उपार्जक माल यातायात
ख. ढोया गया माल

वस्तुएं	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11 ^a	2011-12 ^a	2012-13 ^a	2013-14 ^a	2014-15 ^a	2015-16 ^a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. कोयला	11.3	20.5	27.8	36.4	85.9	133.4	268.3	291.5	303.4	271.9	301.5	280.7
2. इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल जिसमें लौह अयस्क शामिल नहीं है	उन	2.0	2.7	4.3	7.5	13.5	9.8	10.3	10.2	10.1	11.0	11.7
3. ढलवां लोहा तथा तैयार इस्पात												
i) इस्पात संयंत्र	उन	3.3	6.2	8.6	11.6	12.1	24.9	26.3	27.2	27.9	29.0	30.5
ii) अन्य स्थलों से	उन	उन	उन	उन	उन	उन	7.4	7.6	6.9	7.0	8.4	9.9
iii) कुल	उन	उन	उन	उन	उन	उन	32.2	33.9	34.1	34.9	37.4	40.4
4. लौह अयस्क												
i) निर्यात के लिए	उन	उन	5.5	7.3	7.5	7.9	15.5	2.0	3.1	2.7	1.3	0.9
ii) इस्पात संयंत्रों के लिए	उन	उन	उन	उन	उन	उन	9.6	14.3	15.4	16.4	19.2	19.1
iii) अन्य घरेलू उपयोग हेतु	उन	उन	उन	उन	उन	उन	21.2	19.7	19.6	18.1	16.2	12.3
iv) कुल	उन	उन	उन	उन	उन	उन	46.4	36.0	38.1	37.2	36.7	32.4
5. सीमेंट	उन	2.5	7.0	7.2	18.9	24.9	57.0	62.0	62.7	59.3	59.1	56.0
6. खाद्यान्न	4.0	9.6	14.5	24.3	35.6	33.1	52.0	57.9	71.3	70.5	67.0	60.1
7. उर्वरक	उन	उन	3.8	8.9	17.3	23.0	40.7	43.9	39.0	34.5	38.8	43.7
8. पी ओ एल	उन	2.6	5.3	11.7	15.1	19.9	26.1	26.1	28.5	29.3	27.2	29.3
9. कन्टेनर सेवा												
i) घरेलू कन्टेनर	उन	उन	उन	उन	उन	उन	13.8	13.6	13.8	15.9	15.0	12.4
ii) एक्विजिड कन्टेनर	उन	उन	उन	उन	उन	उन	27.2	31.6	36.2	36.3	32.9	33.0
iii) जोड़	उन	उन	उन	उन	उन	उन	41.0	45.2	50.0	52.2	47.9	45.4
10. शेष (अन्य माल)	22.3	31.9	37.9	39.1	36.4	44.5	52.3	60.8	54.4	66.0	55.1	54.7
11. कुल राजस्व अर्जक मालवहन यातायात	37.6	72.3	110.7	147.7	235.8	312.4	625.7	667.6	691.7	665.8	681.7	654.5

स्रोत : रेल मंत्रालय।

टिप्पणी :

अन : उपलब्ध नहीं क : इसमें कॉकण रेल निगम लिमिटेड का भार शामिल नहीं है।

पीओएल : पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेन्ट्स

1. वर्ष 2008-09 से आगे के आंकड़े अक्टूबर 2007 से संशोधित वस्तु समूह का प्रतिबिंबित करत हैं।

2. पूर्णांकन के कारण संभव: आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 1.28 : सड़क परिवहन प्रचालन													
	इकाई	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1. सड़कों की लम्बाई													
कुल ^१	(हजार कि.मी.)	399.9	524.5	914.9	1485.4	2327.4	3373.5	4690.3	4865.4	5231.9	5402.5	5472.1	
सतही	(हजार कि.मी.)	157.0	263.0	398.0	684.0	1090.2	1601.7	2524.7	2698.6	3171.0	3220.5	3341.0	
2. राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई													
कुल ^१	(हजार कि.मी.)	19.8	23.8	23.8	31.7	33.7	57.7	70.9	76.8	79.1	91.3	98.0	
सतही	(हजार कि.मी.)	उन	21.0	23.3	31.5	33.4	57.7	70.9	76.8	79.1	91.3	98.0	
3. राज्य राजमार्गों की लम्बाई													
कुल ^१	(हजार कि.मी.)	उन	उन	56.8	94.4	127.3	132.1	163.9	164.4	169.2	170.8	167.1	
सतही	(हजार कि.मी.)	उन	उन	51.7	90.3	124.8	129.9	161.9	163.0	167.2	169.0	165.3	
4. पंजीकृत वाहनों की संख्या													
सभी वाहन	(हजार)	306.0	665.0	1865.0	5391.0	21374.0	54991.0	141866.0	159491.0	176044 (R)	190704	210023	
माल वाहक वाहन	(हजार)	82.0	168.0	343.0	554.0	1356.0	2948.0	7064.0	7658.0	8307 (R)	8698	9344	
बसें*	(हजार)	34.0	57.0	94.0	162.0	331.0	634.0	1604.0	1677.0	1814.0 (R)	1887	1971	
5. सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व													
केंद्रीय	(₹ करोड़)	34.8	111.7	451.8	930.9	4596.0	23861.0	75453.2	75572.5	90931.2 (R)	89084.1	109941	
राज्य	(₹ करोड़)	12.6	55.2	231.4	750.4	3259.6	12901.7	45992.4	55161.1	50602.7 (R)	56749.8	63064.9	

स्रोत : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।

1. बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2013-14 और 2014-15
2. रोड ट्रांसपोर्ट ईयर बुक 2013-14 और 2014-15

टिप्पणी:

क : इसमें 31 मार्च, 1996 से जवाहर राजमार्ग योजना के तहत निर्मित सड़कें शामिल हैं।

सं: संशोधित

उन : उपलब्ध नहीं। *ओमनी बसें शामिल हैं।

सारणी 1.29 : नागर विमानन में वृद्धि

	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1999-00	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अंतिम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. विमान बेड़े की कुल संख्या																	
(i) एयर इंडिया	13	11	18	24	26	38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) इंडियन एयरलाइन्स	88	73	45	56	44	55	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) एअर इण्डिया लि. पूर्व में नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	108	103	109	106	94	93	96	101	107	उन
(iv) एलायन्स एयर	-	-	-	-	12	15	15	20	16	17	14	11	11	8	10	11	उन
(v) एयर इण्डिया एक्सप्रेस	-	-	-	-	-	4	13	18	21	25	NR	21	21	21	17	18	उन
(vi) अन्य प्रा. शेड्यूल्ड एअर लाइन्स	-	-	-	-	37	131	183	235	238	232	220	229	253	273	279	312	उन
2. राजस्व टन-कि.मी. (मिलियन)																	
(i) एयर इंडिया	109.4	275.2	980.1	1342.7	1456.5	2364.0	2220.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) इंडियन एयरलाइन्स	82.4	202.1	400.3	697.6	738.0	1589.0	1233.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) एअर इण्डिया लि. पूर्व में कम्प. नी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	3460.0	3191.0	3535.0	3682.0	3704.4	3346.3	3910.0	4196.0	4363.7	4739.0
(iv) एलायन्स एयर	-	-	-	-	131.0	73.0	55.0	40.0	29.0	38.0	36.0	30.2	26.6	22.7	18.0	20.2	29.4
(v) एयर इण्डिया एक्सप्रेस	-	-	-	-	-	113.0	270.0	435.0	553.0	576.0	547.0	538.0	507.9	620.5	541.4	672.2	856.2
(vi) अन्य निजी शेड्यूल्ड एअर लाइन्स	-	-	-	-	441.9	1789.0	2901.0	4173.6	4684.5	5338.6	6499.1	7673.0	7020.8	7280.8	8267.2	9607.2	11386.7
(vii) डेडिकेटेड प्राइवेट फ्लैट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114314.5	113865.0	123876.0	131155.5
(viii) जोड़ (अन्य निजी शेड्यूल्ड एअरलाइन्स, डेडिकेटेड प्राइवेट फ्लैट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121595.3	122132.2	133483.2	142542.2
3. ले जाये गए यात्रियों की संख्या (लाख)																	
(i) एयर इंडिया	1.3	4.9	14.2	21.6	31.9	43.6	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जारी ...

सारणी 1.29 : नागर विमानन में वृद्धि																	(जारी...)
	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1999-00	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अंतिम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
(ii) इंडियन एयरलाइन्स	7.9	21.3	54.3	78.7	58.9	78.2	85.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) एयर इंडिया लि. (पूर्व में नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड)	-	-	-	-	-	-	-	132.1	104.0	117.7	128.3	136.1	141.8	154.1	172.6	184.8	196.0
(iv) एलायन्स एयर	-	-	-	-	18.6	10.1	8.2	5.4	3.2	4.6	5.0	4.7	3.9	3.6	3.1	4.0	6.3
(v) एयर इंडिया एक्सप्रेस	-	-	-	-	-	4.9	7.3	17.1	22.4	25.0	23.8	23.0	21.6	26.7	25.8	27.8	34.2
(vi) अन्य निजी शेड्यूल्ड एयर लाइन्स	-	-	-	-	54.2	180.7	289.6	380.3	365.7	422.2	512.9	588.3	548.5	580.0	672.6	821.6	1009.2
4. यात्रियों की व्यवस्था (लाख)																	
एएआई एयरपोर्ट	उन	उन	107.38	177.23	390.35	733.42	-	-	-	508.71	596.43	684	683.87	716.48	1112.35	931.5	1132.8
संयुक्त उद्यम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट							-	-	-	728.84	837.87	939.1	910.14	972.68	788.94	1307.9	1516.8
भारतीय विमान पत्तन पर जोड़	उन	उन	107.38	177.23	390.35	733.42	-	-	-	1237.55	1434.3	1623.1	1594.01	1689.16	1901.29	2239.5	2649.6
5. कार्गो की व्यवस्था (हज़ार टन)																	
एएआई एयरपोर्ट	उन	उन	178.7	377.33	797.41	1397.3	-	-	-	592.95	726.98	703.43	650.41	636.48	681.56	724.5	808.7
संयुक्त उद्यम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट							-	-	-	1366.76	1621.92	1576.56	1540.14	1641.43	1846	1980.0	2169.6
भारतीय विमान पत्तन पर जोड़	उन	उन	178.7	377.33	797.41	1397.3	-	-	-	1959.71	2348.9	2279.99	2190.55	2277.91	2527.56	2704.5	2978.3

स्रोत: नागर विमानन मंत्रालय सं.न.: सूचना नहीं

टिप्पणी:

अ: अंतिम

उ.न.: उपलब्ध नहीं

सारणी 1.30 : पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का वस्तु शेष

मद	1950-51 ^१	1960-61 ^२	1970-71 ^३	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 ^४
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I. कच्चा तेल													
1. रिफाइनरी उत्पादन	0.3	6.6	18.4	25.8	51.8	103.4	197.0	204.1	219.2	222.5	223.2	232.8	245.3
2. घरेलू उत्पादन	0.3	0.5	6.8	10.5	32.2	32.4	37.7	38.1	37.9	37.8	37.4	36.9	36.0
(क) तटीय	0.3	0.5	6.8	5.5	11.8	11.8	16.4	18.0	19.4	19.6	18.5	17.7	17.5
(ख) अंतर्देशीय	...	...	...	5.0	20.4	20.6	21.3	20.1	18.4	18.2	18.9	19.2	18.4
3. आयात	उन	6.0	11.7	16.2	20.7	74.1	163.6	171.7	184.8	189.2	189.4	202.8	213.9
4. निर्यात	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	-	-	-	-	-	-
5. निवल आयात (3-4)	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	171.7	184.8	189.2	189.4	202.8	213.9
II. पेट्रोलियम उत्पाद													
1. घरेलू उपभोग ^५	3.3	7.7	17.9	30.9	55.0	100.1	141.0	148.1	157.1	158.4	165.5	184.6	194.2
जिसमें से													
(क) नैफ्था	...	...	0.9	2.3	3.4	11.7	10.7	11.2	12.3	11.3	11.0	13.2	13.2
(ख) मिट्टी का तेल	0.9	2.0	3.3	4.2	8.4	11.3	8.9	8.2	7.5	7.2	7.0	6.8	5.4
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल	0.2	1.2	3.8	10.3	21.1	37.9	60.1	64.8	69.1	68.4	69.4	74.6	76.0
(घ) ईंधन तेल	0.9	1.7	4.7	7.5	9.0	12.7	10.8	9.3	7.7	6.2	6.0	6.6	7.2
2. घरेलू उत्पादन ^६	0.2	5.7	17.1	24.1	48.6	95.6	194.8	203.2	217.7	220.8	221.1	231.9	243.5
जिसमें से													
(क) नैफ्था	उन	...	1.2	2.1	4.9	9.9	19.2	18.8	19.0	18.5	17.3	17.8	19.9
(ख) मिट्टी का तेल	उन	0.9	2.9	2.4	5.5	8.7	7.8	7.9	8.0	7.4	7.5	7.5	6.0
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल	उन	1.1	3.8	7.4	17.2	39.1	78.1	82.9	91.1	93.8	94.4	98.5	102.4
(घ) ईंधन तेल	उन	1.6	4.1	6.1	9.4	11.4	20.5	18.4	15.1	13.4	11.9	9.7	9.9
3. आयात	3.1	2.5	1.1	7.3	8.7	9.3	17.4	15.8	16.4	16.7	21.3	29.4	35.8
4. निर्यात	उन	उन	0.3	...	2.7	8.4	59.1	60.8	63.4	67.9	63.9	60.5	65.5
5. निवल आयात (3-4)	उन	उन	0.8	7.3	6.0	0.9	-41.7	-45.0	-47.6	-51.1	-42.6	-31.0	-29.4

स्रोत : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

टिप्पणी:

* : अनंतिम

उन : उपलब्ध नहीं

क : इसमें एलएनजी का आयात शामिल नहीं है।

ख : रिफाइनरी ईंधन को खपत शामिल नहीं है। इसमें निजी पार्टियों द्वारा किया गया आयात सम्मिलित है।

ग : इसमें प्रभाजकों (फैब्रिनेटर) से पेट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन सम्मिलित है।

1. रिफायनरी क्रूड शोधन से अन्य इनपुट सम्मिलित नहीं है।

सारणी 1.31 : औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12)

उद्योग समूह (एनआईसी 2008)	उद्योग	भारत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	सामान्य सूचकांक	100.00	103.3	106.8	111.1	114.9	120.7
	खनन	14.37	94.7	94.6	93.3	97.3	102.5
	विनिर्माण	77.63	104.8	108.6	112.8	116.2	121.9
10	खाद्य उत्पाद का विनिर्माण	5.30	103.3	104.6	110.9	104.7	98.9
11	पेय पदार्थ का विनिर्माण	1.04	106.7	104.8	108.2	109.7	105.9
12	तम्बाकू उत्पाद का विनिर्माण	0.80	107.5	116.3	131.0	135.8	116.3
13	सूती वस्त्रा का विनिर्माण	3.29	108.0	112.6	116.8	119.4	117.6
14	परिधान का विनिर्माण	1.32	100.0	114.7	114.9	131.8	154.9
15	चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण	0.50	110.6	113.0	123.0	123.6	122.1
16	काष्ठ और काष्ठ से बनी वस्तुएं कार्क, पफर्नीचर, छोड़कर घास-पफूस और प्लेटिंग सामानों से बनी चीजों का विनिर्माण	0.19	97.0	94.6	95.3	97.5	93.3
17	कागज, कागज उत्पादों का विनिर्माण	0.87	103.3	114.2	115.2	116.5	113.9
18	मुद्रण और रिकॉर्डिंग मीडिया का पुनः प्रस्तुतीकरण	0.68	96.8	105.8	100.0	103.9	106.5
19	कोक, परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	11.77	105.9	108.0	108.6	113.7	119.1
20	रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	7.87	103.9	108.8	109.2	113.7	116.2
21	भेषजों, औषधीय रसायनों तथा विस्थापित उत्पादों का विनिर्माण	4.98	108.1	114.6	117.7	133.5	177.6
22	रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	2.42	100.9	112.3	117.8	118.2	120.0
23	अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	4.09	103.0	103.1	108.2	110.4	109.9
24	क्षारीय धातुओं का विनिर्माण	12.80	107.8	112.5	123.5	124.3	130.6
25	मशीन और उपकरणों के सिवाय निर्मित धातु वस्तुओं का विनिर्माण	2.65	96.7	101.7	105.7	103.5	105.6
26	कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	1.57	100.6	115.1	117.6	123.6	126.5
27	बिजली के उपकरणों का विनिर्माण	3.00	112.9	117.2	121.8	128.3	122.0
28	मशीनरी और उपकरण एनईसी का विनिर्माण	4.77	102.9	103.3	103.3	105.5	111.3
29	मोटर वाहन, ट्रैलर और सेमी ट्रैलर का विनिर्माण	4.86	100.1	99.5	103.0	104.4	113.9
30	अन्य परिवहन उपकरण का विनिर्माण	1.78	99.2	103.5	110.0	112.5	117.5
31	फर्नीचर का विनिर्माण	0.13	112.7	125.0	114.7	162.5	173.8
32	अन्य विनिर्माण	0.94	113.1	105.2	105.7	119.8	124.8
	बिजली	7.99	104.0	110.3	126.6	133.8	141.6

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

टिप्पणी:

*अनंतिम

सारणी 2.1 : केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बजटीय लेन-देन
(इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आयोजनाओं के लिए उनके आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधन शामिल हैं)

	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15 (BE)	2014-15 (RE)	2015-16 (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. कुल परिव्यय	36845	176548	615658	2396419	3021229	3372982	3885473	3843346	3838558
क. विकास ¹	24426	105922	317464	1385265	1782915	1935977	2226539	2180981	2018434
ख. विकास-भिन्न	12419	70626	298194	1011154	1238314	1437005	1658934	1662365	1820124
1. रक्षा (निवल)	3600	15427	49622	154117	181776	203499	229000	222370	246727
2. व्याज अदायगियां	2957	25006	122792	351145	457550	537468	615553	599570	670904
3. कर संग्रहण प्रभार	504	1973	6570	20205	26489	29995	35626	34592	37292
4. पुलिस	1163	5657	21343	77103	101881	115217	132175	134442	146244
5. अन्य ²	4195	22563	97867	408584	470618	550826	646580	671391	718957
II. चालू राजस्व	24563	110607	393284	1720242	2116869	2393750	2783477	2630510	2947996
क. कर राजस्व	19844	87723	305320	1271665	1716117	1879143	2238115	2098175	2419085
1. आयकर और निगम-कर	2817	10712	67460	437790	553170	632548	729283	698689	791467
2. सीमा शुल्क	3409	20644	47542	135813	165346	172085	201819	188713	208336
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	6500	24514	68526	137701	175845	169455	206356	184731	229054
4. बिक्री कर	4018	18228	72874	293256	422578	475131	561597	544256	622856
5. अन्य	3100	13625	48918	267105	399178	429924	539060	481786	567372
ख. कर-भिन्न राजस्व ³	4719	22884	87964	448577	400752	514607	545362	532335	528911
(आयोजना के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक संसाधन)	(1374)	(11183)	(39415)	(184323)	(196771)	(237848)	(231445)	(211014)	(176778)
III. अन्तर (i-ii)	12282	65941	222374	676177	904360	979232	1101996	1212836	890562
निम्न द्वारा वित्त पोषित:									
IV निवल पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	8831	54455	223283	684695	927020	973545	1090298	1125810	855414
क. आन्तरिक (निवल)	7161	50192	214965	658466	917508	962635	1082159	1113294	842467
1. निवल बाजार ऋण ⁴	3163	11308	85341	445433	673820	701972	700997	695693	456405
2. निवल लघु बचतें	1121	8309	8192	3950	11934	33283	9533	4983	23836
3. निवल राज्य तथा लोक भविष्य निधियां	558	3887	23661	26131	26303	17559	41674	20320	36540
4. गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा रकमें	604	6721	7177	0	0	0	0	0	0
5. भारतीय रिजर्व बैंक से अनिवार्य जमा के आधार पर विशेष उधर	-70	-105	na	na	na	na	na	na	na
6. विविध निवल पूंजीगत प्राप्तियां ⁵	1785	20072	90594	182952	205451	209821	329955	392298	325686
ख. बाह्य ⁶	1670	4263	8318	26229	9512	10910	8139	12516	12947
1. निवल ऋण	749	3181	7505	23556	7201	7292	5734	9705	11173
(i) सकल	1141	5339	17328	35330	23309	25416	28175	30407	34373
(ii) घटाएँ अदायगियां	392	2158	9823	11774	16108	18124	22441	20702	23200
2. अनुदान	436	586	813	2673	2311	3618	2405	2811	1774
3. निवल विशेष ऋण	-53	-76	0						
V. कुल बजटीय घाटा	3451	11486	-909	-8517	-22658	5689	11697	87026	35147

स्रोत : आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

उन : उपलब्ध नहीं।

सं.अ. : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

टिप्पणियां:

- इसमें रेलवे, संचार और गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का आयोजनागत व्यय शामिल है, जिनका वित्तपोषण उनके आन्तरिक और बजट-बाह्य साधनों से किया जाता है जिसमें बाजार ऋण और वित्तीय संस्थाओं से राज्य सरकारों के उपक्रमों को दिये जाने वाले सावधिक ऋण शामिल हैं। इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा गैर-विभागीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य पक्षों को दिये जाने वाले विकास संबंधी ऋण भी शामिल हैं। फिर भी, 1980-81 में 45 करोड़ रुपये की सांकेतिक राशि शामिल नहीं है जो गैर-विभागीय उपक्रमों को दी गई ऋण पूंजी को इक्विटी पूंजी में रूपांतरित करने के कारण है।
- इसमें सामान्य प्रशासन, पेंशन और अकाल सहायता संबंधी अनुग्रह-राशि की अदायगियां (केवल आयोजना-भिन्न अंश), खाद्य और नियंत्रित कपड़े पर आर्थिक सहायता, अन्य देशों को अनुदान और ऋण और अन्य पक्षों की विकास भिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण शामिल हैं किन्तु इसमें आकस्मिकता निधि के लेन-देन शामिल नहीं हैं। इसमें अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए जाने वाले अभिदान के संबंध में सांकेतिक लेन-देन शामिल नहीं हैं जो 1980-81 में 559 करोड़ रुपये, 1990-91 में 550 करोड़ रुपये, 2000-01 में 629 करोड़ रुपये, 2010-11 में 9051 और 2011-12 में 1613 करोड़ रुपये, 2012-13 में 4323 करोड़ और 2013-14 में 367 करोड़ रु, 2014-15 (सं.अ.) में 4841 करोड़ रु तथा 2015-16 (ब.अ.) में 35 करोड़ रुपये हैं।
- इसमें रेलवे, संचार और गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के आयोजना के लिए आन्तरिक संसाधन शामिल हैं।
- इसमें राज्य सरकारों के सरकारी उद्यमों के लिए बाजार-उधार शामिल हैं।
- इसमें गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा उनके ऋणों को इक्विटी पूंजी में रूपांतरित किये जाने के कारण ऋणों की अदायगी के कारण, सांकेतिक प्राप्तियां शामिल नहीं हैं। इसमें अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और आकस्मिकता निधि के लेन-देन के संबंध में सांकेतिक लेन-देन भी शामिल नहीं हैं।
- आई एम एफ न्यास निधि से लिए गए 538 करोड़ रुपये के ऋण 1980-81 में विदेशी ऋणों के तहत परक्रामी निधि से लिए गए 572 करोड़ रुपये 1990-91 में विदेशी ऋण के तहत शामिल किए गए हैं।

सारणी 2.2 : केन्द्र सरकार का कुल व्यय

(₹ करोड़)

(1)	अंतिम परिव्यय			शेष अर्थव्यवस्था को अंतरण अदायगी			शेष अर्थ- व्यवस्था में वित्तीय निवेश तथा ऋण (सकल)	कुल व्यय (4+7+8)
	सरकारी उपभोग व्यय	सकल पूंजी निर्माण	जोड़ (2+3)	चालू	पूंजी	जोड़ (5+6)		
पहली योजना (1951-52 से 1955-56)	1241	612	1854	809	123	932	966	3751
दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61)	1962	1445	3406	1567	249	1816	2600	7823
तीसरी योजना (1960-61 से 1965-66)	4256	2445	6701	2983	501	3484	5076	15261
वार्षिक योजना (1966-67 से 1968-69)	3878	1243	5121	3214	407	3621	4740	13481
चौथी योजना (1969-70 से 1973-74)	9775	2969	12745	8036	1454	9490	10760	32994
पांचवीं योजना (1974-75 से 1978-79)	17576	5951	23527	19773	3230	23003	21145	67674
छठी योजना (1980-81 से 1984-85)	35885	14823	50708	50604	9910	60514	47034	158256
सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90)	81974	31616	113590	134246	26292	160538	89764	363892
आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97)	179676	73599	253275	387746	66433	454179	127752	835206
नौवीं योजना (1997-98 से 2001-02)	331143	100568	431711	795621	106925	902546	150754	1485011
दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07)	516165	144027	660192	1390293	185704	1575997	123921	2360110
ग्यारहवीं योजना (2007-08 से 2011-12)	1002126	284215	1286341	2946106	529055	3475161	212323	4973825
1950-51	235	80	315	111	6	117	72	504
1955-56	269	153	422	203	49	251	301	975
1960-61	433	307	740	427	69	495	570	1806
1965-66 ^क	1109	520	1630	754	132	886	1425 ^अ	3940 ^अ
1970-71	1669	519	2189	1239	193	1432	1956	5577
1975-76	3449	1204	4654	3018	536	3553	3830	12037
1980-81	5174	1908	7082	6912	1302	8214	7200	22495
1985-86	11210	4558	15768	18347	3825	22173	15172	53112
1990-91	22359	8602	30961	45134	7117	52251	21760	104973
1993-94 ^ख	31815	12765	44580	66750	11811	78560	22648	145788
1995-96	41881	16685	58566	85304	15263	100566	26101	185233
1997-98 ^ग	53090	18955	72046	111577	17360	128937	23884	224866
2000-01	71977	22258	94235	183696	22404	206100	27929	328265
2005-06	116305	34450	150755	297267	41681	338948	11380	501083

जारी ...

सारणी 2.2 : केन्द्र सरकार का कुल व्यय

(जारी....)

(₹ करोड़)

	अंतिम परिव्यय			शेष अर्थव्यवस्था को अंतरण अदायगी			शेष अर्थ- व्यवस्था में वित्तीय निवेश तथा ऋण (सकल)	कुल व्यय (4+7+8)
	सरकारी उपभोग व्यय	सकल पूंजी निर्माण	जोड़ (2+3)	चालू	पूंजी	जोड़ (5+6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2010-11	230262	65059	295321	656300	150312	806612	62795	1164728
2011-12	255498	65041	320539	756885	141353	898238	44439	1263216
2012-13	271119	74747	345866	851208	130771	981979	46902	1374747
2013-14	306898	74940	381838	940445	144129	1084574	44552	1510964
2014-15(सं.अ.)	335838	87518	423356	1010460	15541	1026001	47659	1497016
2015-16(ब.अ.)	373276	108683	481959	1049553	133317	1182870	46811	1711640

स्रोत : वित्त मंत्रालय, केन्द्र सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण-विभिन्न प्रकाशन।

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

क इसमें 1965-66 के लिए 53 करोड़ रु. की अतिरिक्त अदायगियों की रकम शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ तथा एशियाई विकास बैंक को रुपए के सममूल्य में हुए परिवर्तन के कारण की गई थी। यह सांकेतिक परिव्यय है क्योंकि यह भारत सरकार की अपरक्राम्य प्रतिभूतियां जारी करके पूरा किया जाता है।

ख 1993-94 से आगे, इसमें दिल्ली शामिल नहीं है।

ग 1997-98 से आगे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में लघु बचत संग्रहणों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के एवज में उन्हें दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

सारणी 2.3 : विकास शीर्षों के अनुसार बारहवीं योजना (2012-17) का परिव्यय : केन्द्र

विकास शीर्ष	राशि (₹ करोड़)						प्रतिशत वितरण						
	बारहवीं योजना (2012-17) प्रास्तावित चालू दरों पर	वार्षिक योजना 2012-13 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 2013-14 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 2014-15 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 2015-16 (सं.अ.)	वार्षिक योजना 2016-17 (ब.अ.)	बारहवीं योजना (2012-17) प्रास्तावित चालू दरों पर	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	वार्षिक योजना 2016-17 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	134636	17030	17788	9795	10942	19394	3.1	3.4	2.9	2.3	1.9	2.7	2.7
2. ग्रामीण विकास	267047	36579	38776	1222	3005	2623	6.2	7.3	6.4	0.3	0.5	0.4	0.4
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	17212	439	441	910	1105	1024	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
5. ऊर्जा	1085997	132146	182388	170812	171519	205877	25.1	26.5	30.2	40.6	29.4	29.2	29.2
6. उद्योग और खनिज	292090	33202	33433	44006	45512	49371	6.7	6.7	5.5	10.5	7.8	7.0	7.0
7. परिवहन	819482	90518	103959	100520	178502	229874	18.9	18.2	17.2	23.9	30.6	32.5	32.5
8. संचार	80984	6289	16209	6437	13451	13806	1.9	1.3	2.7	1.5	2.3	2.0	2.0
9. विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	130054	12048	13535	14382	17965	20926	3.0	2.4	2.2	3.4	3.1	3.0	3.0
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं	181476	20217	26064	16767	38597	46686	4.2	4.1	4.3	4.0	6.6	6.6	6.6
11. सामाजिक सेवाएं	1274261	144305	163718	50867	83555	100420	29.4	28.9	27.1	12.1	14.3	14.2	14.2
12. सामान्य सेवाएं	50500	5702	7263	5164	18554	16247	1.2	1.1	1.2	1.2	3.2	2.3	2.3
जोड़	4333739	498475	603574	420882	582707	706248	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : नीति आयोग

टिप्पणी:

ब.अ.: बजट अनुमान

स.अ.: संशोधित अनुमान

सारणी 2.4 : केंद्र की योजनाओं के लिए वित्त पोषण

(₹ करोड़)

Items	2015-16(सं.अ.)	2016-17(ब.अ.)
(1)	(2)	(3)
I घरेलू ऋण-भिन्न संसाधन	-43607	67097
क. बी.सी.आर.	-92278	-41256
ख. एम.सी.आर. (ऋण-अदायगी हेतु कटौतियां शामिल नहीं हैं)	48671	108353
ग. भारत सरकार से आयोजना-अनुदान (टी एफ सी)	0	0
घ. ए.आर.एम.	0	0
ङ अथशेष का समायोजन	0	0
II घरेलू ऋण-संसाधन	505026	459289
निवल उधार (i) - (ii)	505026	459289
सकल उधार (क. से. च.)	505026	459289
क. राज्य भविष्य निधि (निवल)	11000	12000
ख. लघु बचत (निवल)	53418	22108
ग. परक्रामित ऋण (निवल)	0	0
घ. भारत सरकार के ऋण	0	0
ङ बाज़ार उधार (निवल)	440608	425181
च. बॉण्ड/ऋण पत्र	0	0
(ii) अदायगियां	0	0
अपने संसाधन (उधर सहित) I+II	461419	526386
III केन्द्रीय सहायता (अनुदान) (1+2+3)	-216108	-241900
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए)*	0	0
2. ई.ए.पी. के लिए ए.सी.ए.	-16000	-14850
3. अन्य	-200108	-227050
क. सरकारी संसाधन (I+II+III)	245311	284486
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) का अंशदान	321618	398139
ग. स्थानीय निकाय	0	0
घ. विदेश से निवल आय	15778	23624
कुल आयोजनागत संसाधन (क+ख+ग+घ)	582707	706249

स्रोत : नीति आयोग

टिप्पणी :

सअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

बीसीआर : वर्तमान राजस्व से शेष

एमसीआर : विविध पूंजी प्राप्तियां

एआरएम : अतिरिक्त संसाधन जुटाना

एसीए : अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

ईएपी : विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

ख : ईएपी के लिए एसीए में ऋण एवं अनुदान राशि शामिल है।

सारणी 2.5 : बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के दौरान सरकारी क्षेत्र आयोजना परिव्यय की समग्र वित्तपोषण की पद्धति

(मौजूदा मूल्यों पर करोड़ रु में)			
संसाधन (1)	केन्द्र (2)	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र (3)	कुल (4)
1 चालू राजस्व से शेष राशि (बी.सी.आर.)	1387371	959979	2347350
2 उधार (निवल एम.सी.आर. सहित)	2181255	1518301	3699556
3 विदेशों से निवल अंतर्प्रवाह	...	...	...
4 केन्द्र की सकल बजटीय सहायता (1 + 2 + 3)	3568626	...	3568626
5 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन	1622899	380319	2003218
6 राज्यों के अपने संसाधन (1 + 2 + 5)	...	2858599	2858599
7 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	-857786	857786	...
8 सरकारी क्षेत्र की आयोजना के संसाधन (1+2+3+5+7)	4333739	3716385	8050123

स्रोत : योजना आयोग की 12वीं पंच-वर्षीय योजना दस्तावेज का प्रारूप।

सारणी 2.6 : भारतीय रेलवे का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(करोड़ रुपये में)									
	1980-81	1990-91	2001-02	2010-11	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अंतिम)	2017-18 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. सकल यातायात प्राप्तियां	2624	12096	37837	94536	139558	156711	164334	165294	188999
i) यात्री कोचिंग	827	3147	11197	25793	36532	42190	44283	46280	50125
ii) अन्य कोचिंग	116	336	872	2470	3679	3998	4371	4312	6494
iii) माल	1618	8408	24845	62845	93906	105791	109208	104339	118157
iv) अन्य आय प्राप्तियां	82	242	944	3418	5721	5093	5929	10370	14123
(v) उच्चत लेखा	-19	-37	-21	10	-280	-361	543	-7	100
2. कार्यचालन व्यय	2537	11154	36293	89474	130321	142996	147836	159036	178350
(i) साधारण कार्यचालन व्यय	2233	8234	28703	68139	97571	105996	107736	118836	129750
(ii) मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि में विनियोग	220	1950	2000	5515	7900	7775	5600	5200	5000
(iii) पेंशन निधि में विनियोग	84	970	5590	15820	24850	29225	34500	35000	43600
3. निवल यातायात प्राप्तियां (1-2)	87	942	1544	5062	9237	13715	16498	6258	10649
4. निवल विविध प्राप्तियां	40	171	793	1285	2512	3124	2731	-1500	-1700
5. निवल राजस्व (3+4)	127	1113	2337	6347	11749	16839	19229	4758	8949
6. लाभांश									
(i) सामान्य राजस्व को देय	325	938	2337	4941	8009	9174	8723	***	***
(ii) आस्थगित लाभांश का भुगतान									
(iii) अस्थगित लाभांश	0	0	1000						
(iv) निवल देय लाभांश	325	938	1337	4941	8009	9174	8723		
7. अधिशेष (+) अथवा घाटा (-)	-198	175	1000	1406	3740	7665	10506	4758	8949
8. (i) प्रभारित पूंजी	6096	16126	37757	130540	170168	197992	224685	257221	293301
(ii) पूंजी निधि से निवेश	0	0	10390	38676	38676	44125	50450	53450	59450
(iii) जोड़ [(i) + (ii)]	6096	16126	48147	169216	208844	242117	275135	310671	352751
9. मद 5, मद 8(iii) के प्रतिशत के रूप में	2.1	6.9	4.9	3.8	5.6	7.0	7.0	1.5	2.5
10. मद 5, मद 8(ii) के प्रतिशत के रूप में	-3.2	1.1	2.1	0.8	1.8	3.2	3.8	1.5	2.5

स्रोत : रेल मंत्रालय

टिप्पणी: बअ : बजट अनुमान

*** बजट विलय की शर्तों के अनुसार लाभांश भुगतान समाप्त कर दिया गया है अतः 2017-18 के बाद से लाभांश का भुगतान नहीं किया जाना है

सारणी 2.7 : डाक विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(₹ करोड़)									
	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. सकल प्राप्तियां	278	840	3298	6962	9367	10730	11636	12940	11509
2. निवल कार्यचालन व्यय	346	1033	4848	13308	14792	16204	17895	18947	23481
3. निवल प्राप्तियां (1-2)	-68	-193	-1550	-6346	-5425	-5474	-6259	-6007	-11972
4. सामान्य राजस्व को लाभांश	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5. अधिशेष(+)/घाटा (-) (3-4)	-72	-193	-1550	-6346	-5425	-5474	-6259	-6007	-11972

स्रोत : डाक विभाग, संचार मंत्रालय

सारणी 2.8क: केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय

(₹ करोड़)												
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (ब.अ.)	2016-17 (स.अ.)	2016-17 (अर्न्तमि.)	2017-18 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. राजस्व प्राप्तियां (क-ख)	540259	572811	788471	751437	879232	1014724	1101473	1195025	1377022	1423563	1376284	1515771
(क) कर राजस्व (राज्यों का निवल हिस्सा)	443319	456536	569869	629765	741877	815854	903615	943765	1054101	1088793	1102063	1227014
(ख) कर भिन्न राजस्व	96940	116275	218602	121672	137355	198870	197858	251260	322921	334770	274221	288757
2. राजस्व व्यय	793798	911809	1040723	1145785	1243514	1371772	1466992	1537761	1731038	1734561	1684556	1836933
जिससे से												
(क) ब्याज अदायगियां	192204	213093	234022	273150	313170	374254	402444	441659	492670	483069	480519	523078
(ख) प्रमुख सब्सिडियां	123206	134658	164516	211319	247493	244717	249016	241833	231782	232705	206586	240339
(ग) रक्षा व्यय	73305	90669	92061	103011	111277	124374	136807	145937	162759	170374	172737	175862
3. राजस्व घाट (2-1)	253539	338998	252252	394348	364282	357048	365519	342736	354016	310998	308272	321162
4. पूंजी प्राप्तियां	343696	451676	408856	552929	531140	544724	562200	595758	601038	590845	598571	630964
जिससे से												
(क) ऋणों की वसूली	6139	8613	12420	18850	15060	12497	13738	20835	10634	11071	15755	11932
(ख) अन्य प्राप्तियां (मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश)	566	24581	22846	18088	25890	29368	37737	42132	56500	45500	47748	72500
(ग) उधार और अन्य देनदारियां	336991	418482	373590	515991	490190	502859	510725	532791	533904	534274	535068	546532
5. पूंजी व्यय	90158	112678	156604	158580	166858	187675	196681	253022	247024	279847	290299	309801
6. ऋणोत्तर प्राप्तियां [1+4(क)+4(ख)]	546964	606005	823737	788375	920182	1056589	1152948	1257992	1444156	1480134	1439787	1600203
7. कुल व्यय [2+5=7(क)+7(ख)]	883956	1024487	1197327	1304365	1410372	1559447	1663673	1790783	1978062	2014408	1974855	2146734
जिससे से												
(क) आयोजना व्यय	275235	303391	379029	412375	413625	453327	462644	471083	550010		572106	
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	608721	721096	818298	891990	996747	1106120	1201029	1319700	1428050		1402749	
8. राजकोषीय घाट [7-1-4(क)-4(ख)]	336992	418482	373590	515990	490190	502858	510725	532791	533906	534274	535068	546531
9. प्राथमिक घाट [8-2(क)]	144788	205389	139568	242840	177020	128604	108281	91132	41236	51205	54549	23453
ज्ञापन करें												
(क) ब्याज प्राप्तियां	20717	21784	19734	20252	20761	21868	23804	25379	29620	18149	16288	19021
(ख) आयोजना भिन्न राजस्व व्यय	559024	657925	726491	812049	914306	1019040	1109394	1210587	1327408		1297721	

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक।

टिप्पणी:

स.अ. संशोधित अनुमान ब.अ. अनुमान अर्न्तमि.: अर्न्तम वास्तविक (संपरीक्षित)

§: इसमें बाजार स्थिरीकरण योजना की प्राप्तियां शामिल नहीं की गयी हैं। ये केंद्रीय सरकार के नकद शेष में बनी रहेंगी और व्यय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी।

सारणी 2.8ख: केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय

(बीडीपी प्रतिशत के अनुसार)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (B.E.)	2016-17 (R.E.)	2016-17 (P)	2017-18 (B.E.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	9.6	8.8	10.1	8.6	8.8	9.0	8.9	8.7	9.1	9.4	9.1	9.0
(क) कर राजस्व (राज्यों का निवल हिस्सा)	7.9	7.0	7.3	7.2	7.5	7.3	7.3	6.9	7.0	7.2	7.3	7.3
(ख) कर भिन्न राजस्व	1.7	1.8	2.8	1.4	1.4	1.8	1.6	1.8	2.1	2.2	1.8	1.7
2. राजस्व व्यय	14.1	14.1	13.4	13.1	12.5	12.2	11.8	11.2	11.5	11.5	11.1	10.9
जिससे से												
(क) ब्याज अदायगियां	3.4	3.3	3.0	3.1	3.1	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.1
(ख) प्रमुख सस्विडियां	2.2	2.1	2.1	2.4	2.5	2.2	2.0	1.8	1.5	1.5	1.4	1.4
(ग) रक्षा व्यय	1.3	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
3. राजस्व घाट (2-1)	4.5	5.2	3.2	4.5	3.7	3.2	2.9	2.5	2.3	2.1	2.0	1.9
4. पूंजी प्राप्तियां	6.1	7.0	5.3	6.3	5.3	4.8	4.5	4.4	4.0	3.9	3.9	3.7
जिससे से												
(क) ऋणों की वसूली	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
(ख) अन्य प्राप्तियां (मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश)	0.0	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
(ग) उधार और अन्य देनदारियां	6.0	6.5	4.8	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.5	3.2
5. पूंजी व्यय	1.6	1.7	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	1.6	1.9	1.9	1.8
6. ऋणोत्तर प्राप्तियां [1+4(क)+4(ख)]	9.7	9.4	10.6	9.0	9.3	9.4	9.3	9.2	9.6	9.8	9.5	9.5
7. कुल व्यय [2+5=7(क)+7(ख)]	15.7	15.8	15.4	14.9	14.2	13.9	13.4	13.1	13.1	13.4	13.0	12.7
जिससे से												
(क) आयोजना व्यय	4.9	4.7	4.9	4.7	4.2	4.0	3.7	3.4	3.7	-	3.8	-
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	10.8	11.1	10.5	10.2	10.0	9.8	9.7	9.6	9.5	-	9.2	-
8. राजकोषीय घाट [7-1-4(क)-4(ख)]	6.0	6.5	4.8	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.5	3.2
9. प्राथमिक घाट [8-2(क)]	2.6	3.2	1.8	2.8	1.8	1.1	0.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.1

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक।

टिप्पणी:

स.अ. संशोधित में ब.अ. अनुमान अन्तिम: अन्तिम वास्तविक (संपरीक्षित)

\$. इसमें बाजार स्थिरिकरण योजना की प्राप्तियां शामिल नहीं की गयी हैं। ये केंद्रीय सरकार के नकद शेष में बनी रहेंगी और व्यय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी।

सारणी 2.9 : केंद्रीय सरकार की बकाया देनदारियां

मार्चान्त (₹ करोड़)										
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (सं.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. आन्तरिक देयताएं #	3036132	3395877	3781135	4347164	4893303	5484848	6045007	6691709	7215739	7722082
क) आन्तरिक ऋण	2019841	2328339	2667115	3230622	3764566	4240767	4738291	5304835	5731392	6180027
i) बाजार उधारें	1338194	1746619	2072033	2516953	2984309	3441641	3891734	4298784	4647492	5006718
ii) अन्य	681647	581720	595082	713669	780257	799126	846557	1006051	1083900	1173309
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	1016291	1067538	1114020	1116542	1128737	1244081	1306716	1386874	1484347	1542055
2. विदेशी ऋण (बकाया)*	123046	134083	157639	170088	177289	184581	197514	210262	225135	240924
3. कुल बकाया देयताएं (1+2)	3159178	3529960	3938774	4517252	5070592	5669429	6242521	6901971	7440874	7963006
4. बंटवारे से पूर्व ऋण के हिस्से के कारण पाकिस्तान द्वारा देय राशि	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5. निवल देयताएं (3-4)	3158878	3529660	3938474	4516952	5070292	5669129	6242221	6901671	7440574	7962706
जापान मदें										
(क) विदेशी ऋण @	264059	249306	278877	322897	332004	374483	366191	406586	408094	423883
(ख) कुल बकाया देयताएं (समायोजित)	3300191	3645183	4060012	4670061	5225307	5859331	6411198	7098295	7623833	8145965
(ग) आन्तरिक देयताएं (गैर-आरबीआई) ##	2707846	3087360	3464858	3904022	4396810	4984590	5540570	6139580	6646470	7161810
(घ) बकाया देयताएं (गैर-आरबीआई) ##	2971905	3336666	3743735	4226919	4728814	5359073	5906761	6546166	7054564	7585693
(ङ) केन्द्रीय सरकार की आकस्मिक देयताएं	113335	137460	151292	190519	233769	249503	294700	343762	उन	उन
(च) कुल आस्तियां	1569043	1607544	1794504	1927143	2080649	2253627	2464424	2773756	3022919	3275837
(जोड़ीपी के प्रतिशत के रूप में)										
1. आन्तरिक देयताएं #	53.9	52.4	48.6	49.8	49.2	48.8	48.6	48.9	47.9	45.8
क) आन्तरिक ऋण	35.9	35.9	34.3	37.0	37.9	37.8	38.1	38.8	38.0	36.7
i) बाजार उधार	23.8	27.0	26.6	28.8	30.0	30.6	31.3	31.4	30.8	29.7
ii) अन्य	12.1	9.0	7.6	8.2	7.8	7.1	6.8	7.4	7.2	7.0
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	18.1	16.5	14.3	12.8	11.4	11.1	10.5	10.1	9.8	9.2
2. विदेशी ऋण (बकाया)*	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4
3. कुल बकाया देयताएं (1+2)	56.1	54.5	50.6	51.7	51.0	50.5	50.2	50.4	49.4	47.3

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज और डीएमओ तथा सीएए एवं ए

टिप्पणी:

उन : उपलब्ध नहीं

* विदेशी ऋण आंकड़े विदेशी स्रोतों से केंद्रीय सरकार द्वारा ली गई उधारों को प्रदर्शित करते हैं

@ मौजूदा विनियम दरों पर विदेशी ऋण के आंकड़े सहायता, लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग, वित्त मंत्रालय से लिए गए हैं 2017-18 (बअ) हेतु 2017-18 की निवल विदेशी सहायता मार्चान्त 2017 के बकाया स्टॉक में जोड़ दी गई है।

आंतरिक ऋण में बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत 2008-09 हेतु 88,773 करोड़ रुपए, 2009-10 हेतु 2,737 करोड़ रुपए की निवल उधारें शामिल हैं।

इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं।

बअ: बजट अनुमान

अ: अर्न्तिम वास्तविक राशि (आलेख परीक्षित)

सारणी 2.10: केंद्रीय सरकार द्वारा कुल व्यय और पूंजी निर्माण तथा इसकी कार्यप्रणाली
(केंद्रीय सरकार बजट के आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण के अनुसार)

(₹ करोड़)									
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (सं.अ.)	2015-16 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. कुल व्यय	688908	864530	992440	1164727	1263216	1374747	1510964	1636916	1711641
II. केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी निर्माण	143892	136935	184501	256368	234969	230792	242877	260955	262192
(i) केंद्रीय सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	43652	51464	58999	65059	65041	74747	74940	87518	108683
(ii) शेष अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	100240	85471	125502	191309	169928	156045	167937	173437	153509
III. केंद्रीय सरकार की सकल बचत	13674	-176082	-232452	-103270	-267428	-241090	-238268	-221961	-275055
IV. अंतर (II-III)	130218	313017	416953	359638	502397	471882	481145	482916	537247
द्वारा वित्तपोषित									
क. घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर ड्राफ्ट	118180	299208	402774	333409	486987	462370	470235	470399	524300
(i) घरेलू पूंजी प्राप्तियां	145351	246612	404160	326979	502977	513382	489406	486071	512259
(ii) बजटीय घाटा/नकद शेष के आहरण द्वारा कमी	-27171	52596	-1386	6430	-15990	-51012	-19171	-15672	12041
ख. विदेशी बचतों पर मसौदा	12038	13809	14179	26229	15410	9512	10910	12517	12947
(percentage increase over previous year)									
II. केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी	63.7	-4.8	34.7	39.0	-8.3	-1.8	5.2	7.4	0.5
ज्ञापन मर्दे	(₹ crore)								
1 कुल व्यय	688908	864530	992440	1164727	1263216	1374747	1510964	1636916	1711641
2 केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी	143891	136935	184501	256368	234969	230792	242877	260955	262192
3 खपत व्यय	131396	174345	210625	230262	255498	271119	306898	335838	373276
4 वर्तमान अंतरणों	408676	543347	580898	656300	756885	851208	940445	1010460	1049553
5 अन्य	4945	9903	16417	21798	15864	21628	20744	29663	26620
(Growth rate in per cent)									
1 कुल व्यय	20.8	25.5	14.8	17.4	8.5	8.8	9.9	8.3	4.6
2 केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी	63.7	-4.8	34.7	39.0	-8.3	-1.8	5.2	7.4	0.5
3 खपत व्यय	8.0	32.7	20.8	9.3	11.0	6.1	13.2	9.4	11.1
4 वर्तमान अंतरण	14.6	33.0	6.9	13.0	15.3	12.5	10.5	7.4	3.9
5 अन्य	19.7	100.3	65.8	32.8	-27.2	36.3	-4.1	43.0	-10.3
(Point contribution in per cent)									
1 कुल व्यय	20.8	25.5	14.8	17.4	8.5	8.8	9.9	8.3	4.6
2 केंद्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी	9.8	-1.0	5.5	7.2	-1.8	-0.3	0.9	1.2	0.1
3 खपत व्यय	1.7	6.2	4.2	2.0	2.2	1.2	2.6	1.9	2.3
4 वर्तमान अंतरण	9.1	19.5	4.3	7.6	8.6	7.5	6.5	4.6	2.4
5 अन्य	0.1	0.7	0.8	0.5	-0.5	0.5	-0.1	0.6	-0.2

स्रोत : वित्त मंत्रालय, एन एकोनामिक एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट-विभिन्न संस्करण।

सं.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

टिप्पणियां:

- इस सारणी में सकल पूंजी निर्माण में सकल आधार पर पूंजी निर्माण के लिए दिए गए ऋणों को शामिल किया गया है। परिणामस्वरूप, घरेलू पूंजी प्राप्तियों में केंद्रीय सरकार को पुनर्भुगतान किए गए ऋण शामिल हैं।
- खपत व्यय वर्तमान प्रयोग हेतु पारिश्रमिकों और वेतनों तथा पण्यों एवं सेवाओं पर किया गया व्यय है।
- व्याज भुगतानों, सब्सिडियों, पेंशन, आदि को वर्तमान अंतरणों की तरह माना गया है।
- सकल पूंजी निर्माण और कुल व्यय में लघु बचत संग्रहण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों के मुकाबले संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से में ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।
- आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण के अनुसार केंद्रीय सरकार के कुल व्यय के आंकड़े बजटीय दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण में, डीसीयू को अंतरित व्याज, बट्टे खाते डाले गए ऋण आदि चालू खाते में शामिल नहीं किए गए हैं। पूंजी लेखा में, रेलवे, डाक और दूर संचार की अपनी निधि आदि से वित्त पोषित व्यय शामिल नहीं हैं।
- बिंदु अंशदान का अभिप्राय है कुल वृद्धि में व्यक्तिगत अंशदान।

सारणी 2.11 : राज्य और समेकित सामान्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)									
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (सं.अ.)	2016-17 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
राज्य सरकार									
I. कुल प्राप्तियां (A+B)	891292	1007634	1173575	1367917	1557338	1688047	2008066	2508076	2829700
क. राजस्व प्राप्तियां (1+ 2)	694658	768137	935347	1098531	1252024	1369187	1591584	1958127	2257382
1. कर-प्राप्तियां	482983	528075	680198	812987	946081	1030692	1117113	1407779	1595368
जिनमें से									
राज्य के स्वयं के कर राजस्व	321930	363061	460709	557396	654551	712419	779278	891013	1014302
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	211675	240062	255149	285544	305943	338495	474471	550348	662014
जिनमें से									
ब्याज प्राप्तियां	16356	15294	15625	18582	24118	27215	24135	17349	16590
ख. पूंजी प्राप्तियां	196634	239497	238227	269385	305314	318860	416482	549949	572318
जिनमें से									
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	11072	8088	4995	17157	7265	6896	18916	7480	16867
II. कुल संवितरण (क+ख+ग)	882332	1015330	1158730	1351612	1534255	1706144	2025782	2555549	2826804
क. राजस्व	681985	799154	932297	1074571	1231702	1379750	1637288	1989233	2236535
ख. पूंजी	184376	198689	207617	238150	272576	302402	358856	477647	546628
ग. ऋण एवं अग्रिम	15971	17487	18816	38891	29977	23992	29638	88669	43641
III. राजस्व घाटा	-12673	31017	-3051	-23960	-20322	10563	45704	31106	-20847
IV. सकल राजकोषीय घाटा	134589	188819	161461	168353	195470	247852	327191	493361	449524
सामान्य सरकार									
I. कुल प्राप्तियां (क+ख)	1564803	1845808	2153561	2454062	2769029	3001372	3189737	3948715	4438562
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	1117098	1210559	1578820	1692679	1971619	2211475	2387693	2905410	3393791
1. कर-प्राप्तियां	926302	984611	1250067	1442752	1687959	1846545	2020728	2355287	2649470
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	190796	225948	328753	249927	283660	364930	366965	550123	744321
जिनमें से									
ब्याज प्राप्तियां	25368	25748	25078	28870	35543	40162	39622	33219	38467
ख. पूंजी प्राप्तियां	447705	635249	574742	761383	797410	789897	802044	1043305	1044771
जिनमें से									
क. विनिवेश प्राप्तियां	833	25393	24087	18753	25991	29728	38883	26363	56649
ख. ऋण और अग्रिम की वसूली	14611	11499	8206	25370	12929	9385	22072	17737	18474
II. कुल संवितरण (क+ख+ग)	1599677	1852119	2145145	2421768	2694934	3000299	3285211	3974103	4448859
क. राजस्व	1357963	1580574	1828020	2063068	2315578	2579086	2798917	3278106	3726958
ख. पूंजी	218679	246246	268328	291818	328324	377545	426949	571836	651407
ग. ऋण एवं अग्रिम	23035	25299	48797	66883	51031	43668	59345	124161	70494
III. राजस्व घाटा	240865	370015	249200	370388	343959	367611	411224	372696	333167
IV. सकल राजकोषीय घाटा	467137	604668	534032	684966	684395	749711	836563	1024593	979945

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

ब.अ. - बजट अनुमान

सं.अ. - संशोधित अनुमान

टिप्पणी:

1. ऋणात्मक चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष को दर्शाता है।
2. मौजूदा बाजार मूल्यों पर जीडीपी के अनुपात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की राष्ट्रीय लेखा, 2004-05 श्रृंखला पर आधारित है तथा 2011-12 के बाद के आंकड़े नए आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित हैं।
3. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर सरकारी लेखाएं शामिल किए गए हैं
4. पूंजीगत संवितरण में सरकारी लेखे शामिल नहीं हैं।

सारणी 2.12 : राज्य और समेकित सामान्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण

(As per cent to GDP)									
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (सं.अ.)	2016-17 (च.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
राज्य सरकार									
I. कुल प्राप्तियां (A+B)	15.8	15.6	15.1	15.7	15.7	15.0	16.1	18.5	18.8
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	12.3	11.9	12.0	12.6	12.6	12.2	12.8	14.4	15.0
1. कर-प्राप्तियां	8.6	8.2	8.7	9.3	9.5	9.2	9.0	10.4	10.6
<i>जिनमें से</i>									
राज्य के स्वयं के कर राजस्व	5.7	5.6	5.9	6.4	6.6	6.3	6.3	6.6	6.7
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	3.8	3.7	3.3	3.3	3.1	3.0	3.8	4.1	4.4
<i>जिनमें से</i>									
ब्याज प्राप्तियां	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
ख. पूंजी प्राप्तियां	3.5	3.7	3.1	3.1	3.1	2.8	3.3	4.1	3.8
<i>जिनमें से</i>									
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
II. कुल संवितरण (क+ख+ग)	15.7	15.7	14.9	15.5	15.4	15.2	16.3	18.8	18.8
क. राजस्व	12.1	12.3	12.0	12.3	12.4	12.3	13.2	14.7	14.8
ख. पूंजी	3.3	3.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	3.5	3.6
ग. ऋण एवं अग्रिम	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.7	0.3
III. राजस्व घाटा	-0.2	0.5	0.0	-0.3	-0.2	0.1	0.4	0.2	-0.1
IV. सकल राजकोषीय घाटा	2.4	2.9	2.1	1.9	2.0	2.2	2.6	3.6	3.0
सामान्य सरकार									
I. कुल प्राप्तियां (क+ख)	27.8	28.5	27.7	28.1	27.8	26.7	25.6	29.1	29.5
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	19.8	18.7	20.3	19.4	19.8	19.7	19.2	21.4	22.5
1. कर-प्राप्तियां	16.5	15.2	16.1	16.5	17.0	16.4	16.2	17.4	17.6
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	3.4	3.5	4.2	2.9	2.9	3.2	2.9	4.1	4.9
<i>जिनमें से</i>									
ब्याज प्राप्तियां	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3
ख. पूंजी प्राप्तियां	8.0	9.8	7.4	8.7	8.0	7.0	6.4	7.7	6.9
<i>जिनमें से</i>									
क. विनिवेश प्राप्तियां	0.0	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
ख. ऋण और अग्रिम की वसूली	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
II. कुल संवितरण (क+ख+ग)	28.4	28.6	27.6	27.7	27.1	26.7	26.4	29.3	29.5
क. राजस्व	24.1	24.4	23.5	23.6	23.3	23.0	22.5	24.2	24.7
ख. पूंजी	3.9	3.8	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	4.2	4.3
ग. ऋण एवं अग्रिम	0.4	0.4	0.6	0.8	0.5	0.4	0.5	0.9	0.5
III. राजस्व घाटा	4.3	5.7	3.2	4.2	3.5	3.3	3.3	2.7	2.2
IV. सकल राजकोषीय घाटा	8.3	9.3	6.9	7.8	6.9	6.7	6.7	7.6	6.5

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

ब.अ. - बजट अनुमान

सं.अ. - संशोधित अनुमान

* 2013-14 से आगे के आंकड़े अंतिम हैं और 25 राज्य सरकारों की बजट से संबंधित हैं।

टिप्पणी:

1. ऋणात्मक चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष को दर्शाता है।
2. मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के राष्ट्रीय लेखाओं (2004-05 नई श्रृंखला) पर तथा 2011-12 के बाद से आंकड़े 2011-12 के नए आधार के अनुसार हैं।
3. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर सरकारी लेखाएं शामिल किए गए हैं
4. पूंजीगत संवितरण में सरकारी लेखे शामिल नहीं हैं।

सारणी 3.1 : संगठित क्षेत्रों में रोज़गार सरकारी और निजी

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार लाख व्यक्ति)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. सरकारी क्षेत्र							
शाखाओं के अनुसार							
केन्द्र सरकार	28.6	28.0	27.4	26.6	25.5	24.6	25.2
राज्य सरकार	73.0	72.1	71.7	72.4	73.5	72.2	71.8
अर्ध-सरकारी	59.1	58.6	58.0	58.4	58.7	58.1	58.0
स्थानीय निकाय	21.2	21.3	19.7	20.7	20.9	20.5	21.1
जोड़	181.9	180.0	176.7	178.0	178.6	175.5	176.1
उद्योगों के अनुसार							
कृषि, शिकार आदि	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7
खनन और उत्खनन	11.5	11.4	11.2	11.1	11.0	10.9	10.8
विनिर्माण	10.9	10.9	10.4	10.6	10.7	10.2	10.7
बिजली, गैस और जल	8.5	8.5	8.0	8.4	8.4	8.3	8.2
निर्माण	8.9	8.7	8.5	8.5	8.6	8.5	8.3
थोक और खुदरा व्यापार	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
परिवहन, भण्डारण तथा संचार	26.8	26.4	26.3	26.0	25.3	23.8	24.9
वित्त, बीमा, स्थावर सम्पदा आदि	13.9	13.7	13.5	13.6	14.1	13.6	13.6
सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	91.8	90.9	88.5	90.1	90.5	91.0	90.4
जोड़	178.7	176.9	172.8	174.8	175.1	172.7	173.3
2. निजी क्षेत्र							
कृषि, शिकार आदि	10.3	9.5	9.9	9.0	9.2	9.2	9.2
खनन और उत्खनन	1.0	1.0	1.1	1.2	1.6	1.3	1.4
विनिर्माण	45.5	47.5	49.7	52.0	51.8	54.0	55.3
बिजली, गैस और जल	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
निर्माण	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
थोक और खुदरा व्यापार	3.9	4.1	2.7	4.7	5.1	5.5	6.0
परिवहन, भण्डारण तथा संचार	0.9	1.0	1.0	1.3	1.7	1.9	2.1
वित्त, बीमा, स्थावर सम्पदा आदि	6.5	8.8	11.0	13.1	15.5	17.2	19.1
सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	18.8	19.5	21.7	20.2	21.4	23.5	24.5
जोड़	87.7	92.4	98.4	102.9	107.9	114.2	119.4
3. सरकारी क्षेत्र							
पुरुष	151.9	149.8	146.3	147.0	146.7	143.8	144.6
महिला	30.0	30.2	30.4	30.9	32.0	31.7	31.5
जोड़	181.9	180.0	176.7	178.0	178.6	175.5	176.1
4. निजी क्षेत्र							
पुरुष	66.9	69.8	74.0	78.9	81.8	86.7	90.7
महिला	21.2	22.9	24.7	25.0	26.6	27.8	29.0
जोड़	88.1	92.7	98.8	103.8	108.5	114.5	119.7
5. सरकारी तथा निजी क्षेत्र							
पुरुष	218.7	219.6	220.4	225.9	228.5	230.5	235.3
महिला	51.2	53.1	55.1	55.8	58.6	59.5	60.5
जोड़	269.9	272.8	275.5	281.7	287.1	290.0	295.8

स्रोत : रोज़गार महानिदेशालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय।

टिप्पणी :

- सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें अभी तक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।
- एनआईसी 1998 के अनुसार 2012 में जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर एवं दमन और दीव से संबंधित आंकड़ों को शामिल नहीं किए जाने के कारण संभव है कि उद्पनोवार ब्यौरे सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सकल जोड़ के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी 3.2 : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
प्रचालनगत उद्यमों की संख्या	217	214	213	217	220	225	230	234	236	244
निर्वाचित पूंजी	660630	724009	792232	908007	1153833	1337821	1508177	1710453	1833274	1938795
कुल सकल ढाँ ओवर राजस्व	964890	1096308	1271536	1244805	1498018	1822049	1945814	2066057	1995176	1854667
कुल निवल आय/राजस्व	970357	1102772	1309639	1272219	1470569	1804614	1931186	2056336	1965638	1764749
निवल मूल्य	452613	518485	583144	652993	709498	776162	850921	926663	962518	1002749
पीबीडीआईआईटी	177990	195049	186836	211184	216602	250654	255936	289361	270400	280254
अवमूल्यन, न्यूनीकरण और वस्तुओं का मूल्यहास	38982	42470	44441	51168	57118	63591	66109	69817	77500	74631
आस्थायित राजस्व व्यय (डीआई) / हानि	5841	5802	7661	9565	187	154	436	851	554	409
पीबीआईआईटी	139008	152579	142395	160017	159298	186910	189390	218693	192346	205213
व्याज	27481	32126	39300	36060	26521	36152	38184	51638	44942	48373
पीबीआईटी	111528	120453	103095	123957	132777	150758	151207	167055	147412	156841
विशिष्ट मदों	0	0	0	0	-1479	3957	-13525	-14618	-1335	5580
पीबीईटी	0	0	0	0	134256	146801	164732	181673	148747	151261
असाधारण वस्तुएं	-3553	-2549	-2684	-8280	-2695	-428	-1276	-1550	-1394	-8865
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	115407	122023	117695	132222	136951	147230	166008	183223	150141	160126
कर प्रावधान	34352	40749	33828	40018	44871	48985	51025	55178	47230	44638
सतत प्रचालनों से कर पश्चात् निवल लाभ/हानि	81055	81274	83867	92203	92079	98245	114982	128045	102911	115488
असतत प्रचालनों से कर पश्चात्	0	0	0	0	49	1	-1	250	-45	279
समग्र निवल लाभ/हानि	81055	81274	83867	92203	92129	98246	114981	128295	102866	115767
लाभकारी सीपीएसई से लाभ	89581	91577	98488	108434	113944	125929	143543	149636	130364	144523
हानि उठा रही सीपीएसई से हानि	-8526	-10303	-14621	-16231	-21816	-27683	-28562	-21341	-27498	-28756
लाभकारी सीपीएसई की संख्या	154	160	158	157	158	161	151	164	159	165
हानि उठा रही सीपीएसई की संख्या	61	54	55	60	62	64	78	70	76	78
न लाभकारी न हानि उठा रही सीपीएसई की संख्या	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1
लाभान्श	26819	28123	25501	33223	35700	42627	49703	65115	56527	70954
कर लाभान्श	4107	4722	4132	5151	5372	5877	6704	8709	8642	11086

स्रोत : लोक उद्यम विभाग।

सारणी 4.1 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: निधियों का मौसमी प्रवाह

		(करोड़ रु. में)																	
मद	(1)	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17 (P)	
		एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2
स्रोत																			
1. कुल जमा में वृद्धि		242388	394782	284494	374223	218449	496694	326878	374235	383090	458282	399896	555210	347996	479730	375101	418903	766357	665404
2. आरबीआई से उधार में वृद्धि		2094	5633	-11728	42	2274	2716	-2333	6057	7713	5120	20640	-615	43092	73497	-94166	168431	-198100	-12557
3. अन्य उधारों में वृद्धि		5900	1532	-19495	9836	15677	11386	40853	34260	-5384	20594	32942	-33569	-33371	38205	15126	57980	-4124	21467
4. अन्य मांग और समय देनदारियों में वृद्धि		-1886	11051	11635	10265	1068	11317	18100	13484	1706	36539	-2597	29294	2635	16235	-4457	51297	-45890	6169
5. अवशिष्ट (निवल)		20077	-89931	31894	44908	47277	49845	6660	97635	-25620	-1757	36734	-58126	-62017	-20456	19919	-142805	-12192	-66041
कुल		268573	323068	296800	439273	284744	571958	390158	525671	361505	518777	487615	492194	298334	587210	311523	553807	506051	614442
उपयोग																			
1. बैंक ऋण में वृद्धि		189112	224524	99121	370118	180440	51685	152743	517026	151888	496718	341562	392075	123970	418354	149471	563723	245253	344539
2. निवेश में वृद्धि		12844	181852	205675	12667	89454	27413	200747	35421	209966	58351	105416	101300	150982	128023	150061	-16378	231321	174127
3. अपने पास रोकड़ शेष में वृद्धि		5438	-3201	4518	779	4475	293	5665	119	4660	-299	2256	3123	3392	4093	5075	-991	4512	-590
4. आरबीआई में शेष में वृद्धि		61179	-80107	-12514	55709	10375	27398	31003	-26896	-5010	-35993	38381	-4304	19989	36740	6916	7452	24964	96367
कुल		268573	323068	296800	439273	284744	571958	390158	525671	361505	518777	487615	492194	298334	587210	311523	553807	506051	614442

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

(अ) : अंतिम

टिप्पणी :

① इसमें आरबीआई, आईडीबीआई एक्विम बैंक नाबार्ड से उधार शामिल नहीं है। एच 1-अप्रैल से सितंबर एच 2-अक्टूबर से मार्च

1 कुल जमा के आंकड़े 1 अक्टूबर 2003 से रीसर्जेंट इंडिया बॉर्ड के 226.93 करोड़ रुपए के उन्मीचन को भी दर्शाते हैं।

2. अवशिष्ट (निवल) निधियों के स्रोतों की तुलना में निधियों के उपयोग का शेष है और इसमें आरबीआई, आईडीबीआई एक्विम बैंक और नाबार्ड से उधार शामिल नहीं है।

3. ये आंकड़े अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

4. पूर्णकृत किए जाने के कारण आंकड़े कुल में शामिल नहीं हो सकते।

5. 31 मार्च, 2017 से संबंधित आंकड़े अंतिम हैं

सारणी 4.2 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक : चुनिंदा मदों में अंतर

मद	(₹ करोड़)											
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	26 मई 2017 को बकाया (अ)	
	मार्च 30 से मार्च 28	मार्च 28 से मार्च 27	मार्च 27 से मार्च 26	मार्च 26 से मार्च 25	मार्च 25 से मार्च 23	मार्च 23 से मार्च 22	मार्च 22 से मार्च 21	मार्च 21 से मार्च 20	मार्च 20 से मार्च 18	मार्च 18 से मार्च 31 (अ)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1. मांग जमा	94579	-1225	122525	-3904	-16376	36969	51622	80108	94967	392861	1087343	
2. समय जमा* @	490427	638395	536191	719048	717488	804402	903484	747617	699038	1038899	9466548	
3. कुल जमा @	585006	637170	658716	715143	701113	841371	955106	827725	794005	1431760	10553889	
4. आरबीआई से उधार	-2245	7728	-11686	4989	3723	12833	20026	116589	74265	-210657	2285	
5. रोकड़ शेष और आरबीआई में शेष	78805	-16690	48492	42541	9891	-36642	39456	64215	18452	125252	497930	
6. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	182603	197124	222609	118753	237870	268636	207541	278557	539991	194524	3225859	
7. बैंक ऋण	430724	413636	469239	697295	669769	648607	733637	542325	713194	589792	7598482	

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी:

(अ) : अनंतिम

* नए लेखाकरण मानकों की तर्ज पर संशोधित और मुद्रा आपूर्ति संबंधी कार्य ढल द्वारा सुझाई गई प्राविधि के अनुरूप : विश्लेषण और संकलन की प्राविधि (जून 1998) 1998-99 के बाद से यह संशोधन वाणिज्यिक बैंकों में पेंशन तथा भविष्य निधियों के संबंध में है, जिन्हें अन्य मांग, और समय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन बैंकों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब तक ऐसे परिवर्तनों की सूचना दी है।

वाणिज्यिक बैंक के साथ पेंशन और भविष्य निधियों के संबंध में समोधन को अन्य मात्रा और समय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन बैंकों को सम्मिलित करता है जिसके बारे में अभी तक सूचित नहीं किया गया है।

@ ये आंकड़े अक्टूबर 2003 से 226.93 करोड़ रुपये के रिलजेंट इंडिया बॉर्ड के उन्मोचन को भी दर्शाते हैं।

सारणी 4.3 : संवेदी वस्तुओं के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम

Commodities	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	अक्टूबर 2014	मार्च 2015	अक्टूबर 2015	मार्च 2016	अक्टूबर 2016	मार्च 2015 की तुलना में अक्टूबर 2015 के दौरान अंतर	मार्च 2016 की तुलना में अक्टूबर 2015 के दौरान अंतर	मार्च 2016 की तुलना में अक्टूबर 2015 के दौरान अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 धान और चावल	18314	23218	25911	24803	30068	27588	31373	30240	1305	-2480	-1133
2 गेहूं	3000	4016	4146	6777	6710	5649	6568	7722	-142	-1061	1154
3 अन्य खाद्यान्न	2303	2696	3368	3497	4195	4501	7402	7544	3207	306	142
4 दाल	3594	4031	3395	3552	4497	3956	4865	4539	368	-541	-326
5 चीनी	15718	15451	15940	13518	14863	13979	16544	15785	1681	-884	-759
6 खंडसारी	330	446	402	260	378	298	431	296	53	-80	-135
7 गुड़	212	361	410	355	382	243	245	134	-137	-139	-111
8 मूंगफली	478	558	658	1654	1810	1412	1733	1700	-77	-398	-33
9 रैपसीड सरसों	528	478	790	855	574	586	578	1159	4	12	581
10 अलसी	16	15	18	17	14	13	13	4	-1	-1	-9
11 अरंडी का बीज	163	298	651	617	568	583	570	600	2	15	30
12 विनोले	259	407	375	254	433	357	656	415	223	-76	-240
13 सोयाबीन	1359	1200	1778	797	1382	1088	2361	2660	979	-294	299
14 अन्य तिलहन	775	880	903	851	930	1013	905	1383	-25	83	478
15 मूंगफली तेल	810	861	834	765	785	723	791	403	6	-62	-388
16 रैपसीड सरसों का तेल	386	631	383	369	472	315	426	858	-46	-157	432
17 अलसी का तेल	10	41	61	50	65	57	39	28	-26	-8	-11
18 अरंडी का तेल	456	447	492	435	437	405	379	742	-58	-32	363
19 विनोले का तेल	639	423	731	584	695	616	614	528	-81	-79	-86
20 सोयाबीन तेल	1321	1959	1504	1297	1561	1498	1377	1661	-184	-63	284
21 अन्य वनस्पति तेल	1587	2012	1569	1233	1444	4002	2281	2221	837	2558	-60
22 वनस्पति तेल	484	338	537	383	434	252	342	515	-92	-182	173
23 कपास	15562	15903	16602	16666	18881	17706	19823	17309	942	-1175	-2514
24 कच्चा जूट	639	521	551	641	740	651	673	929	-67	-89	256
कुल	68943	77191	82009	80232	92320	87489	100994	99376	8674	-4831	-1618

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक क : आंकड़े अनंतिम है

टिप्पणी:

1. 10 अक्टूबर 2000 से प्रभावी जारी न की गई लेवी चीनी को छोड़कर सभी वस्तुएं चुनिंदा ऋण नियंत्रण से मुक्त हैं।
2. पूर्णकित किए जाने के कारण आंकड़े कुल में शामिल नहीं हो सकते।
3. वर्ष 2016 से संबंधित आंकड़े अनंतिम है।

सारणी 4.4 : वाणिज्यिक बैंकों की कार्यशील शाखाओं की संख्या - बैंक समूहवार

30 जून की स्थिति के अनुसार सभी शाखाएं

	2012	2013	2014	2015	2016		कुल में ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत
	कुल	कुल	कुल	कुल	कुल	ग्रामीण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
एसबीआई और इसकी अनुषंगी	20797	22015	23710	24576	25362	7705	30.4
राष्ट्रीयकृत बैंक	50231	54206	60394	64360	66578	20370	30.6
अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक	1014	1147	1476	1862	2154	415	19.3
विदेशी बैंक	332	342	324	330	332	7	2.1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	17259	18231	19471	20484	21224	14605	68.8
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	69	79	89	105	127	35	27.6
निजी क्षेत्र के बैंक	14270	16692	18934	20714	23629	4484	19.0
कुल	103972	112712	124398	132431	139406	47621	34.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी:

1. आंकड़ों में प्रशासनिक कार्यालय से संबंधित आंकड़े शामिल हैं।
2. जनसंख्या का समूहों को निम्नवत परिभाषित किया गया है: ग्रामीण में 10,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं, “अर्धशहरी” में 10,000 तथा इससे अधिक किंतु 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं, शहरी में एक लाख तथा इससे अधिक किंतु दस लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं तथा ‘महानगर’ में 10 लाख और इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा इसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं।
5. स्रोत: मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) सिस्टम, सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, एमओएफ आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। इसे बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर अद्यतन किया जाता है। यह अनंतिम बना रहता है क्योंकि हाल में खोली गई अनेक शाखाओं से सूचना एमओएफ प्रणाली में आने से पूर्व प्रक्रियाधीन होती है।

सारणी 4.5 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम

क्षेत्रक	खातों की संख्या (हजार में)				बकाया राशि (करोड़ रुपए)			
	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. कृषि	43947	48336	51231	51363	531701	702541	743577	902331
क. प्रत्यक्ष वित्तपोषण ^क	43167	47581	50535	उ.न.	447094	525652	580164	उ.न.
ख. अप्रत्यक्ष वित्तपोषण ^क	780	755	696	उ.न.	84607	176889	163413	उ.न.
2. लघु उद्योग ^ख								
3. सूक्ष्म और लघु उद्यम	7478	8358	8329	10592	478361	593410	647855	733164
4. औद्योगिक संपदा की स्थापना								
5. लघु सड़क और जल परिवहन कार्य								
6. खुदरा व्यापार								
7. छोटे-मोटे व्यवसाय								
8. पेशेवर और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति								
9. सूक्ष्म ऋण								
10. शिक्षा	2479	2555	2536	2435	50927	55112	56997	59306
11. उपभोग								
12. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए राज्य प्रायोजित निगम/संगठन								
13. एससी/एसटी खरीद और निविष्टी की आपूर्ति तथा उत्पादन के विपणन हेतु राज्य प्रायोजित संगठन								
14. आवास ऋण	3929	4009	4082	4187	213892	235484	247887	273835
15. आरआरबी को प्रदत्त निधियां								
16. स्व-सहायता समूहों को अग्रिम								
17. सॉफ्टवेयर उद्योगों को अग्रिम								
18. खाद्य और कृषि प्रसंस्करण सेक्टर को अग्रिम								
19. उद्यम पूंजी में निवेश								
20. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ^ग	58804	64346	67151	69305	1283411	1602907	1707489	1981256
21. एएनबीसी ^घ					3530808	4110591	4584973	5056594
एएनबीसी के प्रति प्रतिशत								
1. कृषि					15.06	17.09	16.22	17.84
ग. प्रत्यक्ष वित्तपोषणक					12.66	12.79	12.65	
घ. अप्रत्यक्ष वित्तपोषण ^क					2.40	4.30	3.56	
2. लघु उद्योग ^ख								
3. सूक्ष्म और लघु उद्यम					13.55	14.44	14.13	14.50
4. औद्योगिक संपदा की स्थापना								
5. लघु सड़क और जल परिवहन कार्य								
6. खुदरा व्यापार								
7. छोटे-मोटे व्यवसाय								

सारणी 4.5 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम

(जारी....)

क्षेत्रक	खातों की संख्या (हजार में)				बकाया राशि (करोड़ रुपए)			
	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. पेशेवर और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति								
9. सूक्ष्म ऋण								
10. शिक्षा					1.44	1.34	1.24	1.17
11. उपभोग								
12. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए राज्य प्रायोजित निगम/संगठन								
13. एससी/एसटी खरीद और निविष्टी की आपूर्ति तथा उत्पादन के विपणन हेतु राज्य प्रायोजित संगठन								
14. आवास ऋण					6.06	5.73	5.41	5.42
15. आरआरबी को प्रदत्त निधियां								
16. स्व-सहायता समूहों को अग्रिम								
17. सॉफ्टवेयर उद्योगों को अग्रिम								
18. खाद्य और कृषि प्रसंस्करण सेक्टर को अग्रिम								
19. उद्यम पूंजी में निवेश								
20. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम					36.35	38.99	37.24	39.18

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

उ.न. : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी:

क. विकास वित्तसाधन को छोड़कर वागवानी को अग्रिम शामिल नहीं है।

ख. लघु व्यवसाय शामिल है।

ग. कुल प्रायोजित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम मद सं. 1 से 12 तथा 14 से 17 और मद 13 का आधा का जोड़ है।

घ. एएनबीसी का अर्थ है समायोजित निवल बैंक ऋण।

सारणी 4.6 : रिपोर्टिंग बैंक कार्यालयों की संख्या, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि तथा ऋण राशि का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा								
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्टिंग बैंक कार्यालयों की संख्या *		जमा राशि (₹ करोड़)		ऋण (₹ करोड़)		सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशतांक हिस्सा (अ)	
	मार्च 2016	सितम्बर 2016	मार्च 2016	सितम्बर 2016	मार्च 2016	सितम्बर 2016	मार्च 2016	सितम्बर 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	63	65	3325	3692	1409	1481	55	उन
2 आन्ध्र प्रदेश	6485	6594	213266	228478	222899	233650	70	उन
3 अरुणाचल प्रदेश	141	148	8879	9211	2539	2650	33	उन
4 असम	2177	2221	103795	106120	42671	46063	57	उन
5 बिहार	6379	6489	245223	254309	81246	85880	66	उन
6 चंडीगढ़	396	400	56231	57130	55923	58865	20	उन
7 छत्तीसगढ़	2317	2357	104054	109436	66067	68036	39	उन
8 दादरा और नागर हवेली	54	56	3083	3379	2814	1202	69	उन
9 दमन और दीव	47	47	3820	4039	874	914	76	उन
10 गोआ	658	671	56559	59109	15044	15333	54	उन
11 गुजरात	7303	7507	522407	550358	392377	398218	39	उन
12 हरियाणा	4505	4617	253707	273973	178241	170955	58	उन
13 हिमाचल प्रदेश	1497	1521	66793	73395	22500	23439	65	उन
14 जम्मू और कश्मीर	1687	1714	81122	85487	35484	37249	49	उन
15 झारखंड	2819	2867	162469	171234	46635	46408	56	उन
16 कर्नाटक	9469	9745	704274	732348	490850	496626	48	उन
17 केरल	6166	6259	363511	385614	224800	240596	60	उन
18 लक्षद्वीप	13	13	880	913	79	77	61	उन
19 मध्यप्रदेश	6148	6256	286913	285593	173308	180823	60	उन
20 महाराष्ट्र	11789	12023	2177596	2210712	2235305	2216029	27	उन
21 मणिपुर	147	157	6054	5950	2495	2778	50	उन
22 मेघालय	317	341	18411	18286	4523	4878	40	उन
23 मिजोरम	168	172	5957	6180	2373	2481	56	उन
24 नागालैंड	151	155	7796	8031	2637	2785	35	उन
25 दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	3408	3482	976166	1054836	970597	924928	11	उन
26 उड़ीसा	4528	4614	212055	224984	85607	85483	49	उन
27 पुडुचेरी	231	231	12686	14185	8426	8773	62	उन
28 पंजाब	6053	6169	293084	307211	205540	198761	57	उन
29 राजस्थान	6648	6822	260432	278585	190794	196698	65	उन
30 सिक्किम	127	130	6275	6505	1679	1832	62	उन
31 तमिलनाडु	9939	10117	604539	636925	682310	684615	47	उन
32 तेलंगाना	4807	4911	358650	375645	371581	372831	29	उन
33 त्रिपुरा	412	428	17514	18498	6083	6621	72	उन
34 उत्तर प्रदेश	16018	16233	749371	786674	327749	327643	60	उन
35 उत्तराखण्ड	1954	1989	97521	104290	33617	35404	85	उन
36 पश्चिम बंगाल	7566	7742	615552	645226	333854	336877	36	उन
अखिल भारत	132587	135263	9659968	10096540	7520929	7517886	39	उन

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणियाँ:

उ.न.: उपलब्ध नहीं

अ.: मार्च 2016 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं

*रिपोर्टिंग बैंक कार्यालयों की संख्या उन शाखाओं/कार्यालयों की संख्या है जिन्होंने आंकड़ों की रिपोर्ट दी तथा इसमें अनिवार्य रूप से सभी शाखाएं शामिल नहीं हैं।

1. आंकड़े एमओएफ प्रणाली में उपलब्ध भौगोलिक सीमाओं के अनुसार हैं, आंध्र प्रदेश से संबंधित आंकड़ों में विभाजित आंध्र प्रदेश के आंकड़े शामिल हैं।
2. स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि और ऋण से संबंधित तिमाही आंकड़े आधारित सांख्यिकी रिवर्न (बीएसआर)-7
3. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दी गई अग्रिम की हिस्सेदारी सर्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित है।

सारणी 5.1 : थोक मूल्यों के सूचकांक

सारणी 5.1 : थोक मूल्यों के सूचकांक													
	प्राथमिक वस्तुएं				विजली		विनिर्मित उत्पाद				समस्त वस्तुएं		
	जोड़	खाद्य-वस्तुएं		खाद्य-भित्त वस्तुएं	ईंधन, विद्युत खनिज	लेहक	जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रासायनिक उत्पाद		बुनियादी धातु, मिश्र धातु, तथा धातु उत्पाद	मशीनरी और मशीन औजार
		खाद्य	वस्तुएं										
भारत-आधार वर्ष : (2004-05=100)	20.1	14.3	4.1	4.3	1.5	14.9	65.0	10.0	7.3	12.0	10.7	8.9	100.0
भारत-आधार वर्ष : (2011-12=100)	22.6	15.3	3.5	4.1	0.8	13.2	64.2	9.1	4.9	6.5	9.6	4.8	100.0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
अंतिम सप्ताह (2004-05 = 100)													
2005-06	104	105	113	97	119	117	104	102	100	105	103	105	105.7
2006-07	118	119	126	107	135	119	110	107	101	110	116	112	112.8
2007-08	129	126	137	124	173	127	118	116	101	116	138	115	121.5
2008-09	136	136	152	125	168	123	120	123	103	116	130	118	123.5
2009-10	166	164	172	150	232	140	126	142	112	120	133	120	136.3
2010-11	188	179	176	191	267	158	136	145	132	129	148	123	149.5
2011-12	208	197	186	190	359	178	143	154	128	139	163	126	161.0
2012-13	223	214	216	208	352	192	149	166	133	146	165	129	170.1
2013-14	239	235	231	218	346	214	154	169	143	153	168	133	180.3
2014-15	239	249	236	203	243	188	154	170	140	151	162	135	176.1
2015-16	246	260	260	220	193	172	154	180	140	150	153	135	175.3
2016-17	259	269	270	231	247	204	159	192	143	152	161	135	185.8
अंतिम माह (2011-12 = 100)													
2012-13	115	114	120	120	122	110	106	109	107	110	103	105	108.6
2013-14	121	123	127	118	115	119	111	116	114	116	105	108	114.3
2014-15	120	129	129	112	112	92	110	113	110	114	100	109	109.9
2015-16	123	133	141	117	116	77	109	117	109	111	89	109	107.7
2016-17	127	138	147	122	115	94	112	127	113	112	96	108	113.2
सप्ताहों का औसत (2004-05 = 100)													
2005-06	104	105	107	97	115	114	102	101	99	104	102	104	104.5
2006-07	114	116	122	102	137	121	108	107	101	109	112	110	111.4
2007-08	124	124	131	114	153	121	113	110	102	113	123	114	116.6
2008-09	138	135	145	129	187	135	120	120	103	118	138	117	126.0
2009-10	155	155	166	136	203	132	123	136	107	118	130	118	130.8

जारी ...

सारणी 5.1 : थोक मूल्यों के सूचकांक (जारी...)													
	प्राथमिक वस्तुएं					विजली			विनिर्मित उत्पाद				समस्त वस्तुएं
	खाद्य वस्तुएं		खाद्य-भित्त वस्तुएं			सौहार्द		जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रासायनिक उत्पाद	बुनियादी धातु, मिश्र धातु, तथा धातु उत्पाद	मशीनरी और मशीन औजार
	जोड़	खाद्य वस्तुएं	जोड़	खाद्य वस्तुएं	खाद्य-भित्त वस्तुएं	इंधन, विद्युत खनिज	सौहार्द						
भारत-आधार वर्ष : (2004-05=100)	20.1	14.3	4.1	4.3	1.5	14.9	65.0	10.0	7.3	12.0	10.7	8.9	100.0
भारत-आधार वर्ष : (2011-12=100)	22.6	15.3	3.5	4.1	0.8	13.2	64.2	9.1	4.9	6.5	9.6	4.8	100.0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2010-11	182	180	174	167	253	148	130	141	120	124	141	121	143.3
2011-12	200	193	181	183	321	169	140	151	129	135	156	125	156.1
2012-13	220	212	207	202	347	186	147	163	131	144	166	128	167.6
2013-14	242	239	226	213	346	205	151	169	139	149	165	132	177.6
2014-15	249	253	235	212	309	203	155	173	143	153	166	135	181.2
2015-16	250	262	253	220	216	180	153	174	140	151	155	135	176.7
2016-17	262	275	281	230	220	190	157	191	142	151	156	135	183.2
महीनों का औसत (2011-12 = 100)													
2012-13	111	111	115	113	118	107	105	109	104	108	105	104	106.9
2013-14	122	125	125	118	114	115	109	114	112	113	103	106	112.5
2014-15	125	132	128	115	119	108	111	116	113	116	104	108	113.9
2015-16	125	135	137	118	106	87	109	115	109	113	92	109	109.7
2016-17	129	140	152	122	113	86	111	125	111	111	91	108	111.6
2015-16													
अप्रैल	122	131	130	112	107	91	110	113	109	114	99	109	110.2
मई	123	132	132	116	103	96	111	113	110	115	98	110	111.4
जून	125	134	133	117	108	96	110	113	110	115	97	111	111.8
जुलाई	124	134	134	116	105	94	110	113	110	114	95	110	111.1
अगस्त	125	136	135	118	105	88	109	114	110	113	92	110	110.0
सितम्बर	126	136	137	119	108	86	109	114	109	113	92	108	109.9
अक्टूबर	126	138	140	120	95	86	109	115	109	113	92	109	110.1
नवम्बर	127	139	141	121	100	86	109	115	108	112	89	109	109.9
दिसम्बर	127	138	142	122	120	85	108	115	109	111	87	109	109.4
जनवरी	124	136	142	121	99	80	108	116	108	111	87	108	108.0
फरवरी	122	133	141	118	102	76	108	116	109	111	87	108	107.1

जारी ...

सारणी 5.1 : थोक मूल्यों के सूचकांक													(जारी...)
		प्राथमिक वस्तुएं			खाद्य- भिन्न वस्तुएं	ईंधन, विद्युत खनिज	विजली सौहार्द	विनिर्मित उत्पाद					समस्त वस्तुएं
		जोड़	खाद्य वस्तुएं	जोड़				जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रसायनिक उत्पाद	बुनियादी धातु, मिश्र धातु, तथा धातु उत्पाद	मशीनरी और मशीन औजार
भारत-आधार वर्ष : (2004-05=100)	20.1	14.3	4.1	4.3	1.5	14.9	65.0	10.0	7.3	12.0	10.7	8.9	100.0
भारत-आधार वर्ष : (2011-12=100)	22.6	15.3	3.5	4.1	0.8	13.2	64.2	9.1	4.9	6.5	9.6	4.8	100.0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2016-17	123	133	141	117	116	77	109	117	109	111	89	109	107.7
अप्रैल	126	138	144	121	104	78	109	120	110	112	90	108	109.0
मई	129	141	147	121	111	81	110	121	110	112	90	108	110.4
जून	132	144	151	124	119	85	110	123	110	111	90	108	111.7
जुलाई	132	145	155	127	96	85	110	124	111	112	89	108	111.8
अगस्त	131	143	154	125	128	81	110	125	112	111	88	108	111.2
सितम्बर	131	142	153	123	129	83	110	126	112	110	89	107	111.4
अक्टूबर	129	142	155	120	105	85	111	127	111	110	91	108	111.5
नवम्बर	129	142	158	118	111	87	111	127	111	111	92	108	111.9
दिसम्बर	127	138	158	119	114	88	111	128	111	110	93	108	111.7
जनवरी	127	137	153	122	113	93	112	128	111	111	94	108	112.6
फरवरी	127	137	150	124	113	95	112	128	112	111	94	108	113.0
मार्च	127	138	147	122	115	94	112	127	113	112	96	108	113.2

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सारणी 5.2 : शोक मूल्यों के सूचकांक- चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह

चावल	गेहूँ	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मूंगफली के दालें	कायला	खनिज तेल	खंडसारी और गुड़	चीनी, खाद्य तेल	सूती धागा	सूती कपड़ा (मिल)	जूट, सन और मेस्ता वस्त्र	उर्वरक	सीमेंट	लोहा, इस्पात एवं लौह मिश्र वस्तुएं	
भारत-आधार वर्ष: (2004-05=100)	1.79	1.12	0.72	0.11	0.70	0.06	0.40	2.09	9.36	2.09	3.04	1.38	1.23	0.26	2.66	1.39	6.88
भारत-आधार वर्ष: (2011-12=100)	1.43	1.03	0.64	0.12	0.66	0.05	0.27	2.14	7.95	1.16	2.64	1.34	0.95	0.32	1.48	1.64	6.55
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
अंतिम सप्ताह (आधार : 2004-05=100)																	
2005-06	105	117	126	92	91	159	94	118	122	112	93	98	98	114	103	106	97
2006-07	115	129	147	97	99	118	132	118	123	97	107	98	97	120	105	130	111
2007-08	131	140	148	110	122	130	147	136	133	93	127	100	98	110	107	138	138
2008-09	151	151	159	156	124	142	141	151	124	126	114	102	105	125	108	148	126
2009-10	163	173	199	129	149	173	153	163	147	178	114	123	109	157	110	151	127
2010-11	167	173	191	138	303	240	171	185	168	164	129	179	128	182	121	154	143
2011-12	175	172	210	145	196	227	231	210	193	169	142	150	131	171	141	163	158
2012-13	206	205	233	212	214	273	266	190	214	184	147	164	134	182	152	172	158
2013-14	232	218	228	170	234	270	197	190	237	178	147	185	142	187	153	164	161
2014-15	234	216	258	156	178	310	223	190	194	171	145	169	145	202	156	178	153
2015-16	239	228	347	182	180	505	256	190	169	183	150	165	146	238	159	176	140
2016-17	257	245	325	203	242	397	262	226	210	218	156	175	150	235	155	172	150
अंतिम माह (आधार : 2011-12=100)																	
2012-13	119	123	115	141	100	124	121	103	116	112	100	109	106	107	116	105	102
2013-14	133	128	115	113	107	125	99	107	128	109	107	120	112	108	118	108	104
2014-15	132	126	131	103	84	142	115	107	82	98	99	108	114	121	120	112	97
2015-16	135	134	167	121	86	226	129	106	58	110	100	105	112	153	121	109	84
2016-17	148	143	154	133	114	188	138	116	84	133	108	114	113	147	117	109	91
सप्ताहों का औसत (आधार : 2004-05=100)																	
2005-06	105	105	113	89	90	135	97	118	117	109	94	95	99	112	102	102	100
2006-07	110	125	149	104	97	136	110	118	127	107	102	98	97	115	104	119	105
2007-08	122	134	145	104	112	122	140	122	126	91	116	101	99	111	106	138	119
2008-09	141	148	156	153	141	138	144	151	142	107	122	103	103	117	107	139	137
2009-10	158	166	191	174	139	160	148	156	136	162	114	111	107	146	108	149	124
2010-11	167	171	197	148	199	211	165	165	157	161	121	142	115	165	117	151	136
2011-12	172	168	202	151	225	223	200	191	184	168	136	155	132	176	133	157	150

जारी ...

सारणी 5.2 : थोक मूल्यों के सूचकांक चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह																	(जारी....)
	चावल	गेहूँ	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मूंगफली के दालें	कोयला	खनिज तेल	खंडसरी और गुड़	चीनी, खाद्य तेल	सूती धागा	सूती कपड़ा (मिल)	जूट, सन और मेस्ता वस्त्र	उर्वरक	सीमेंट	लोहा, इस्पात एवं लौह मिश्र वस्तुएं ^१
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
भारत- आधार वर्ष: (2004-05=100)	1.79	1.12	0.72	0.11	0.70	0.06	0.40	2.09	9.36	2.09	3.04	1.38	1.23	0.26	2.66	1.39	6.88
भारत- आधार वर्ष: (2011-12=100)	1.43	1.03	0.64	0.12	0.66	0.05	0.27	2.14	7.95	1.16	2.64	1.34	0.95	0.32	1.48	1.64	6.55
2012-13	194	194	241	199	206	242	247	209	202	186	148	157	134	178	149	169	160
2013-14	226	212	228	196	237	262	219	191	226	183	147	175	139	184	152	167	158
2014-15	241	212	241	179	206	288	210	190	220	183	145	179	144	193	155	170	158
2015-16	237	219	337	183	190	404	246	190	179	167	149	166	146	219	158	174	142
2016-17	252	242	406	210	224	448	265	199	194	208	156	172	148	238	157	175	143
महीनों का औसत (आधार: 2011-12=100)																	
2012-13	113	115	120	132	95	110	121	102	111	112	106	105	103	103	114	108	105
2013-14	129	125	115	131	109	121	108	105	122	109	104	117	110	106	117	106	102
2014-15	137	123	122	118	96	133	107	107	109	108	102	115	115	113	119	111	102
2015-16	135	128	164	121	90	182	128	107	74	99	99	107	113	137	121	110	87
2016-17	144	142	193	140	107	208	138	109	73	125	107	110	114	151	119	111	86
2015-16																	
अप्रैल	133	125	134	115	90	141	120	107	81	99	99	108	113	120	121	110	97
मई	134	124	144	119	93	142	127	107	88	98	99	109	112	120	121	108	95
जून	134	122	155	117	92	160	136	107	90	94	100	110	113	123	121	108	93
जुलाई	133	125	157	120	92	162	133	107	85	90	100	109	114	129	121	110	91
अगस्त	134	126	162	118	91	160	135	106	76	92	98	109	114	132	122	111	87
सितम्बर	135	126	167	116	91	167	136	106	72	94	98	107	114	135	122	112	88
अक्टूबर	136	129	178	119	87	181	122	106	73	96	99	106	113	141	122	112	86
नवम्बर	136	130	180	123	86	196	122	106	73	97	99	105	113	144	121	112	84
दिसम्बर	135	132	179	126	89	205	126	106	71	100	98	104	113	148	121	110	81
जनवरी	136	134	175	130	90	217	123	106	63	105	97	103	111	149	122	109	81
फरवरी	135	134	169	129	88	222	125	106	56	108	98	106	113	149	122	108	82
मार्च	135	134	167	121	86	226	129	106	58	110	100	105	112	153	121	109	84
2016-17																	
अप्रैल	136	133	180	141	90	229	139	106	62	117	103	105	113	156	121	109	85
मई	139	135	189	141	94	232	143	106	67	118	105	107	114	155	121	110	85
जारी ...																	

सारणी 5.2 : शोक मूल्यों के सूचकांक- चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह																(जारी....	
	चावल	गेहूँ	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मूंगफली के दानें	कोयला	खनिज तेल	चीनी, खाद्य तेल खंडसारी और गुड़	सूती धागा	सूती कपड़ा (मिल)	जूट, सन और मेस्ता वस्त्र	उर्वरक	सीमेंट	लोहा, इस्पात एवं लौह मिश्र वस्तुएं	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
भारत- आधार वर्ष: (2004-05=100)	1.79	1.12	0.72	0.11	0.70	0.06	0.40	2.09	9.36	2.09	3.04	1.38	1.23	0.26	2.66	1.39	6.88
भारत- आधार वर्ष: (2011-12=100)	1.43	1.03	0.64	0.12	0.66	0.05	0.27	2.14	7.95	1.16	2.64	1.34	0.95	0.32	1.48	1.64	6.55
जून	142	137	198	146	105	251	146	107	73	119	104	108	113	155	121	112	84
जुलाई	144	138	212	142	116	243	150	107	72	122	104	110	113	158	120	112	82
अगस्त	145	139	204	137	116	197	146	107	66	123	106	113	114	155	119	111	81
सितम्बर	145	140	199	141	111	194	140	107	69	124	108	112	117	150	118	113	83
अक्टूबर	145	141	211	141	106	194	132	107	71	126	108	110	114	148	118	113	86
नवम्बर	145	148	215	142	102	197	126	107	75	127	108	110	115	147	118	111	87
दिसम्बर	144	152	205	143	104	190	132	107	77	126	110	110	115	144	117	110	87
जनवरी	144	151	183	140	111	190	134	114	82	130	111	111	114	145	117	109	88
फरवरी	146	149	164	134	114	191	132	116	84	133	110	112	113	146	117	109	88
मार्च	148	143	154	133	114	188	138	116	84	133	108	114	113	147	117	109	91

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

टिप्पणी:

क : लोहे एवं अर्ध-धातुएं, इस्पात लॉग, इस्पात फ्लैट, स्टेनलेस और लौहमिश्रित वस्तुओं के लिए आधार 2004-05 है तथा इस्पात निर्माण, घात्विक आयरन, मुटु इस्पात-अर्ध तैयार इस्पात, मुटु स्टील-लॉग, मुटु इस्पात फ्लैट उत्पाद, धातु मिश्रित इस्पात (स्टेनलेस स्टील शेप्स को छोड़ कर) तथा स्टेनलेस इस्पात अर्ध तैयार वस्तुओं के लिए आधार वर्ष 2011-12 है।

सारणी 5.3 : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार	औद्योगिक कामगार (सीपीआई-आई डब्ल्यू)			नई श्रेणियां (सीपीआई-एनएस)			कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल)	ग्रामीण श्रमिक (सीपीआई-एएल)
	(1982=100 & 2001=100)			(2010=100 & 2012=100)			(1986-87=100)	(1986-87=100)
विवरण	खाद्य	गैर. खाद्य	सामान्य	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	सामान्य	सामान्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
महीनों का औसत								
1995-96	337	280	313	...	...	...	237	238 ^b
1996-97	369	307	342	...	...	...	256	256
1997-98	388	336	366	...	...	...	264	266
1998-99	445	372	414	...	...	...	293	294
1999-00	446	404	428	...	...	...	306	307
2000-01	453	433	444	...	...	...	305	307
2001-02	466	460	463	...	...	...	309	311
2002-03	477	488	482	...	...	...	319	321
2003-04	495	507	500	...	...	...	331	333
2004-05	506	538	520	...	...	...	340	342
2005-06	527 ^a	563 ^a	542 ^a	...	...	...	353	355
2006-07	126	124	125	...	...	...	380	382
2007-08	136	130	133	...	...	...	409	409
2008-09	153	138	145	...	...	...	450	451
2009-10	176	151	163	...	...	...	513	513
2010-11	194	168	180	...	...	...	564	564
2011-12	206	185	195	113.1	110.4	111.9	611	611
2012-13	230	202	215	124.5	121.8	123.3	672	673
2013-14	259	216	236	112.6	111.8	112.2	750	751
2014-15	276	230	251	119.5	118.1	118.9	800	802
2015-16	293	241	265	126.1	123.0	124.7	835	839
2016-17	305	251	276	132.4	127.9	130.3	870	875
के अंतिम महीने								
1995-96	339	292	319	...	...	...	237	238
1996-97	373	322	351	...	...	...	262	262
1997-98	401	352	380	...	...	...	272	273
1998-99	431	391	414	...	...	...	296	296
1999-00	446	418	434	...	...	...	306	307
2000-01	446	444	445	...	...	...	300	302
2001-02	462	476	468	...	...	...	309	311
2002-03	479	498	487	...	...	...	324	326
2003-04	494	517	504	...	...	...	332	334
2004-05	502	555	525	...	...	...	340	342
2005-06	115a	122a	119a	...	...	...	358	360
2006-07	129	125	127	...	...	...	392	393
2007-08	141	134	137	...	...	...	423	423
2008-09	156	141	148	...	...	...	463	464
2009-10	181	161	170	...	...	...	536	536
2010-11	196	176	185	106.9	103.9	105.6	585	584
2011-12	212	192	201	116.2	114.6	115.5	625	626
2012-13	240	210	224	128.3	126.5	127.5	704	705
2013-14	258	223	239	114.6	113.7	114.2	763	765

सारणी 5.3 : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(जारी....)

आधार	औद्योगिक कामगार (सीपीआई-आई डब्ल्यू)			नई श्रेणियां (सीपीआई-एनएस)			कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल)	ग्रामीण श्रमिक (सीपीआई-एएल)
	(1982=100 & 2001=100)			(2010=100 & 2012=100)			(1986-87=100)	(1986-87=100)
विवरण	खाद्य	गैर खाद्य	सामान्य	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	सामान्य	सामान्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2014-15	276	235	254	121.1	119.1	120.2	803	807
2015-16	293	247	268	128.0	123.8	126.0	843	848
2016-17	298	255	275	132.8	128.7	130.9	866	872
2015-16								
अप्रैल	278	237	256	121.5	119.7	120.7	805	809
मई	283	237	258	122.4	120.7	121.6	811	816
जून	288	238	261	124.1	121.7	123.0	820	824
जुलाई	289	241	263	124.7	122.4	123.6	822	827
अगस्त	292	240	264	126.1	123.2	124.8	832	836
सितम्बर	296	240	266	127.0	123.5	125.4	839	843
अक्टूबर	301	242	269	127.7	124.2	126.1	849	853
नवम्बर	302	243	270	128.3	124.6	126.6	853	857
दिसम्बर	299	243	269	127.9	124.0	126.1	853	857
जनवरी	297	245	269	128.1	124.2	126.3	849	854
फरवरी	292	246	267	127.9	123.8	126.0	843	849
मार्च	293	247	268	128.0	123.8	126.0	843	848
2016-17								
अप्रैल	299	247	271	129.0	125.3	127.3	848	854
मई	307	248	275	130.3	126.6	128.6	860	866
जून	312	247	277	131.9	128.1	130.1	869	874
जुलाई	316	249	280	133.0	129.0	131.1	877	881
अगस्त	310	251	278	133.5	128.4	131.1	876	881
सितम्बर	308	250	277	133.4	128.0	130.9	873	877
अक्टूबर	310	251	278	133.8	128.6	131.4	876	881
नवम्बर	307	251	277	133.6	128.5	131.2	878	883
दिसम्बर	301	253	275	132.8	127.6	130.4	876	881
जनवरी	298	253	274	132.4	127.8	130.3	870	876
फरवरी	297	254	274	132.6	128.2	130.6	869	874
मार्च	298	255	275	132.8	128.7	130.9	866	872

स्रोत :

1. श्रम ब्यूरो, शिमला, औद्योगिक कामगारों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संबंध में।
2. केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय को उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों संयुक्त (सीपीआई-सी) के संबंध में।

नोट :

क 2001 को आधार मानते हुए औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) की वर्तमान श्रृंखला जनवरी, 2006 से शुरू की गई है और 2005-06 (अंतिम माह) के आंकड़े नए आधार वर्ष पर आधारित हैं। इसके साथ-साथ पूर्व श्रृंखला आधार 1982=100 समाप्त कर दी गई है। सामान्य सूचकांक के संबंध में वर्तमान से पुरानी श्रृंखला के परिवर्तन का कारक 4.63 है और खाद्य सूचकांक के संबंध में 4.58 है।

ख औसत सूचकांक नवम्बर, 1995 से मार्च, 1996 का है।

1. खाद्य और खाद्य भिन्न वस्तुओं के बारे में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कामगार (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का भारांश आधार वर्ष 1982=100 के साथ खाद्य तथा खाद्य-भिन्न के साथ क्रमशः 57% तथा 43% और आधार वर्ष 2001=100 के साथ क्रमशः 46.20% तथा 53.80% है।
2. आधार 2010=100 सहित सीपीआई-नई श्रृंखला (ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त भारत) जनवरी 2011 से आरम्भ की गई थी। सीपीआई-यूएनएमई अब पूरी तरह से समाप्त हो गयी है।
3. 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के सीपीआई-नई श्रृंखला के आंकड़े 2012=100 नए आधार पर आधारित हैं।

सारणी 5.4 : थोक मूल्यों के सूचकांक-विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमतें

वर्ष/माह	थोक मूल्यों का सामान्य सूचकांक	विनिर्मित उत्पादों का मूल्य सूचकांक	कृषि उत्पादों का मूल्य सूचकांक [॥]	कृषि मूल्य सूचकांक के प्रतिशत के रूप में विनिर्मित उत्पादों का मूल्य सूचकांक
भारत (आधार: 2004-05)	100.00	64.97	18.59	कॉलम 3/ कॉलम 4*100
भारत (आधार: 2011-12)	100.00	64.23	19.37	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(आधार : 2004-05 = 100)				
2005-06	104.5	102.4	103.4	99.1
2006-07	111.4	108.2	112.5	96.3
2007-08	116.6	113.4	121.5	93.4
2008-09	126.0	120.4	133.5	90.2
2009-10	130.8	123.1	151.0	81.5
2010-11	143.3	130.1	176.7	73.6
2011-12	156.1	139.5	190.4	73.3
2012-13	167.6	147.1	209.6	70.2
2013-14	177.6	151.5	233.0	65.0
2014-15	181.2	155.1	243.9	63.6
2015-16	176.7	153.4	252.3	60.8
2016-17	183.2	157.4	265.0	59.4
(आधार : 2011-12 = 100)				
2012-13	106.9	105.3	111.4	94.5
2013-14	112.5	108.5	123.2	88.1
2014-15	113.9	111.2	128.0	86.9
2015-16	109.7	109.2	131.3	83.1
2016-17	111.6	110.7	136.5	81.1
2015-16				
अप्रैल	110.2	110.1	126.8	86.9
मई	111.4	110.5	128.6	86.0
जून	111.8	110.3	130.1	84.8
जुलाई	111.1	109.9	130.0	84.5
अगस्त	110.0	109.2	132.1	82.6
सितम्बर	109.9	109.2	132.5	82.4
अक्टूबर	110.1	109.4	134.1	81.6
नवम्बर	109.9	108.8	134.9	80.7
दिसम्बर	109.4	108.4	134.2	80.7
जनवरी	108.0	108.0	133.0	81.2
फरवरी	107.1	108.3	130.1	83.3
मार्च	107.7	108.8	130.0	83.7
2016-17				
अप्रैल	109.0	109.2	134.3	81.3
मई	110.4	109.8	136.6	80.4
जून	111.7	110.0	139.8	78.7
जुलाई	111.8	110.3	140.7	78.4
अगस्त	111.2	110.2	138.9	79.3
सितम्बर	111.4	110.4	137.9	80.1
अक्टूबर	111.5	110.8	137.2	80.7
नवम्बर	111.9	111.0	136.8	81.1
दिसम्बर	111.7	111.1	133.7	83.1
जनवरी	112.6	111.6	133.5	83.6
फरवरी	113.0	111.8	133.9	83.5
मार्च	113.2	112.3	134.3	83.6

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

टिप्पणी:

क : उप समूहों (खाद्य वस्तुओं तथा खाद्य-भिन वस्तुओं) का संयुक्त सूचकांक

सारणी 5.5 : फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य

वस्तुएं	1999-00	2002-03 ^b	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
धान (सामान्य)	490	550	560	570	580 ^c	645 ^b	850 ^k	950 ^k	1000	1080	1250	1310	1360	1410	1470
धान (ग्रेड 'ए')	520	580	590	600	610 ^c	675 ^b	880 ^k	980 ^k	1030	1110	1280	1345	1400	1450	1510
गेहूँ	580	630	640	650 ^k	750 ^b	1000	1080	1100	1120	1285	1350	1400	1450	1525	1625
ज्वार (संकर)	415	490	515	525	540	600	840	840	880	980	1500	1500	1530	1570	1625
ज्वार (मलहांडी)	...	...	...	...	555	620	860	860	900	1000	1520	1520	1550	1590	1650
बाजरा	415	495	515	525	540	600	840	840	880	980	1175	1250	1250	1275	1330
रागी	415	490	515	525	540	600	915	915	965	1050	1500	1500	1550	1650	1725
मक्का	415	490	525	540	540	620	840	840	880	980	1175	1310	1310	1325	1365
जौ	430	505	540	550	565	650	680	750	780	980	980	1100	1150	1225	1325
चना	1015	1225	1425	1435	1445	1600	1730	1760	2100	2800	3000	3100	3175	3425 ^a	3800 ^a
मसूर	...	...	1525	1535	1545	1700	1870	1870	2250	2800	2900	2950	3075	3325 ^a	3800 ^c
अरहर	1105	1325	1390	1400	1410	1550 ^d	2000	2300	3000 ⁱ	3200 ⁱ	3850	4300	4350	4425 ^a	4625 ^a
मूँग	1105	1335	1410	1520	1520	1700 ^d	2520	2760	3170 ⁱ	3500 ⁱ	4400	4500	4600	4650 ^b	4800 ^b
उड़द	1105	1335	1410	1520	1520	1700 ^d	2520	2520	2900 ⁱ	3300 ⁱ	4300	4300	4350	4425 ^a	4575 ^a
गन्ना ^g	56.10	69.50	74.50	79.50	80.25	81.18	81.18	129.84	139.12	145.00 ^m	170.0	210.0	220.0	230.0	255.0
कपास एफ-414/एच-777	1575	1695	1760	1760	1770 ^e	1800 ^e	2500 ^j	2500 ^j	2500 ^j	2800 ^j	3600	3700	3750	3800	3860
कपास एच-4 750	1775	1895	1960	1980	1990 ^f	2030 ^f	3000 ^j	3000 ^j	3000 ^j	3300 ^j	3900	4000	4050	4100	4160
मूँगफली	1155	1375	1500	1520	1520	1550	2100	2100	2300	2700	3700	4000	4000	4030	4120 ^h
बूट (टीडी-5)	750	850	890	910	1000	1055	1250	1375	1575	1675	2200	2300	2400	3200 ^u	3500
रेपसीडससलॉ	1100	1340	1700	1715	1715	1800	1830	1830	1850	2500	3000	3050	3100	3350	3600 ^r
सूरजमुखी	1155	1210	1340	1500	1500	1510	2215	2215	2350	2800	3700	3700	3750	3300	3700
सोयाबीन (काला)	755	805	900	900	900	910	1350	1350	1400	1650	2200	2500	2500	...	2875
सोयाबीन (पीला)	845	895	1000	1010	1020	1050	1390	1390	1440	1690	2240	2560	2560	2600 ^p	2675 ^c
कुसुम	1100	1305	1550	1565	1565	1650	1650	1680	1800	2500	2800	3000	3050	3300	3600 ^r

जारी ...

सारणी 5.5 : फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य (Contd....)																
वस्तुएं		1999-00	2002-03 ^b	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)
तैरिया	1065	1305	1665	1680	1680	1735	1735	1735	1780	2425	2970	3020	3020	3290	3560	3560
नारियल गिरी (मिलिंग)	3100	3300	3500	3570	3590	3620	3660	4450	4450	4525	5100	5250	5250	5950	6500	6500
नारियल गिरी बाल्स	3325	3550	3750	3820	3840	3870	3910	4700	4700	4775	5350	5500	5500	6240	6785	6785
तिल	1205	1455	1500	1550	1560	1580	2750	2850	2900	3400	4200	4500	4600	4700	4800 ^m	4800 ^m
तिल्ली बीज	915	1120	1180	1200	1220	1240	2405	2405	2450	2900	3500	3500	3600	3650	3725	3725

स्रोत: कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

टिप्पणी:

क 2008-09 तक सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी)। 2009-10 से उचित और लाभकर मूल्य (एफआरपी)।

ख वर्ष 2002-03 के लिए घोषित एक बारगी विशेष सूखा राहत मूल्य।

ग 10 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2007 के बीच में अधिप्राप्ति पर प्रति बिंदल 40 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय है।

घ न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 40 रुपये प्रति बिंदल का बोनस देय है।

ङ मध्यम स्टेपल

च दीर्घ स्टेपल

छ गेहूँ के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 50 रु प्रति बिंदल का प्रोत्साहन बोनस देय है।

ज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति बिंदल का बोनस देय है।

झ 24.5-25.5 की स्टेपल लम्बाई (एमएम) और 4.3-5.1 का माइक्रोनेयर मूल्य।

ञ 29.5-30.5 की स्टेपल लम्बाई (एमएम) और 3.5-4.3 का माइक्रोनेयर मूल्य।

ट न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 50 रुपये प्रति बिंदल का बोनस प्रोत्साहनात्मक देय है।

ठ अधिप्राप्ति एजेंसियों को बेची गई तूर, उडुद और मंग पर पांच रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर पर अतिरिक्त बोनस।

ड 9.5 प्रतिशत वसूली पर, 9.5 प्रतिशत से अधिक की वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 1.53 रुपये के प्रीमियम के अध्यक्षीन।

ढ न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक 75 रुपये प्रति बिंदल का बोनस देय।

ण न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक 200 रुपये प्रति बिंदल का बोनस देय।

त विविध के बजाय एकल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

थ एमएसपी के अतिरिक्त प्रति बिंदल 200 रु का बोनस देय है।

द एमएसपी के अतिरिक्त प्रति बिंदल 150 रु का बोनस देय है।

ध एमएसपी के अतिरिक्त प्रति बिंदल 425 रु का बोनस देय है।

न एमएसपी के अतिरिक्त प्रति बिंदल 100 रु का बोनस देय है।

सारणी 6.1 (क) : विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष के अंत में	प्रारक्षित भण्डार						अंगुष्को के साथ लेन-देन			
	सोना		आरटीपी	एस.डी.आर.		विदेशी मुद्रा आस्तियां	जोड़	आहरण	खरीद ^७	बकाया पुनः खरीद की देनदारियां
	टन	₹ करोड़	₹ करोड़	एसडीआर मिलियन में	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़ (3+4+6+7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1950-51	220	118	...	...	...	911	1029	...	...	48
1951-52	220	118	...	...	...	747	865	...	...	48
1952-53	220	118	...	...	...	763	881	...	...	48
1953-54	220	118	...	...	...	792	910	...	17	30
1954-55	220	118	...	...	...	774	892	...	17	13
1955-56	220	118	...	...	...	785	903	...	7	6
1956-57	220	118	...	...	...	563	681	61	6	61
1957-58	220	118	...	...	...	303	421	35	...	95
1958-59	220	118	...	...	...	261	379	...	...	95
1959-60	220	118	...	...	...	245	363	...	24	71
1960-61	220	118	...	...	...	186	304	...	11	61
1961-62	220	118	...	...	...	180	298	119	61	119
1962-63	220	118	...	...	...	177	295	12	...	131
1963-64	220	118	...	...	...	188	306	...	24	107
1964-65	250	134	...	...	...	116	250	48	48	107
1965-66	216	116	...	...	...	182	298	65	36	137
1966-67	216	183	...	...	...	296	479	89	43	313
1967-68	216	183	...	...	...	356	539	68	43	338
1968-69	216	183	...	...	...	391	574	...	59	279
1969-70	217	183	...	123	92	546	821	...	125	154
1970-71	216	183	...	149	112	438	733	...	154	...
1971-72	216	183	...	248	194	480	857	...	...	...
1972-73	216	183	...	247	226	479	888	...	...	...
1973-74	216	183	...	245	230	581	994	62	...	59
1974-75	216	183	...	235	229	611	1023	485	...	557
1975-76	216	183	...	203	211	1492	1886	207	...	804
1976-77	223	188	...	187	192	2863	3243	...	303	492
1977-78	229	193	...	162	170	4500	4863	...	249	210
1978-79	260	220	...	365	381	5220	5821	...	207	...
1979-80	266	225	...	529	545	5164	5934	...	55 ^e	...
1980-81	267	226	...	491	497	4822	5545	274 ^a	5 ^f	268
1981-82	267	226	...	425	444	3355	4025	637 ^b	...	901
1982-83	267	226	...	270	291	4265	4782	1893 ^b	...	2867
1983-84	267	226	...	216	248	5498	5972	1414 ^b	72 ^h	4444
1984-85	291	246	...	147	181	6817	7244	219 ^b	156 ⁱ	4888
1985-86	325	274	...	115	161	7384	7819	...	253 ^j	5285
1986-87	325	274	...	139	232	7645	8151	...	672 ^k	5548
1987-88	325	274	...	70	125	7287	7686	...	1209 ^l	4732
1988-89	325	274	...	80	161	6605	7040	...	1547 ^m	3696

जारी ...

सारणी 6.1 (क) : विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार

(जारी....)

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष के अंत में	प्रारक्षित भण्डार						अंशुको के साथ लेन-देन			
	सोना		आरटीपी	एस.डी.आर.		विदेशी मुद्रा आस्तियां	जोड़	आहरण	खरीद ^१	बकाया पुनः खरीद की देनदारियां
	टन	₹ करोड़	₹ करोड़	एसडीआर मिलियन में	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़ (3+4+6+7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1989-90	333	281	...	82	184	5787	6252	3334 ^c	1460 ⁿ	2572
1990-91	333	6828	...	76	200	4388	11416	3205 ^d	1156 ^o	5132
1991-92	351	9039	...	66	233	14578	23850	4231	1127 ^p	8934
1992-93	354	10549	...	13	55	20140	30744	1007	868 ^q	14986
1993-94	367	12794	...	77	339	47287	60420	...	420 ^r	15812
1994-95	396	13752	...	5	23	66006	79781	...	3585 ^s	13545
1995-96	398	15658	...	56	280	58446	74384	...	5749 ^t	8152
1996-97	398	14557	...	1	7	80368	94932	...	3461 ^u	4714
1997-98	396	13394	...	1	4	102507	115905	...	2286 ^v	2624
1998-99	357	12559	...	6	34	125412	138005	...	1652 ^w	1220
1999-2000	358	12973	...	3	16	152924	165913	...	...	...
2000-01	358	12711	...	2	11	184482	197204	...	...	...
2001-02	358	14868	...	8	50	249118	264036	...	...	...
2002-03	358	16785	3190	3	19	341476	361470	...	...	...
2003-04	358	18216	5688	2	10	466215	490129	...	2598.2	...
2004-05	358	19686	6289	3	20	593121	619116	...	414.9	...
2005-06	358	25674	3374	2	12	647327	676387	3024.6	220.5	...
2006-07	358	29573	2044	1	8	836597	868222	1360.3	...	...
2007-08	358	40124	1744	11	74	1196023	1237965	301.5	...	...
2008-09	358	48793	5000	1	6	1230066	1283865	371.1	2940.1	...
2009-10	558	81188	6231	3297	22596	1149650	1259665	...	10090.4	...
2010-11	558	102572	13158	2882	20401	1224883	1361013	161.3	1594.0	...
2011-12	558	138250	14511	2885	22866	1330511	1506139	...	1392.1	...
2012-13	558	139737	12513	2887	23538	1412631	1588418	...	...	...
2013-14	558	129616	11019	2888	26826	1660914	1828375	...	...	...
2014-15	558	119160	8085	2889	24944	1985458	2137647	...	...	...
2015-16	558	133429	16290	1066	9960	2219061	2378740	...	...	...
2016-17	558	128828	15047	1066	9379	2244939	2398193	...	...	...

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक। एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार, आरटीपी: अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति

..... : शून्य अथवा नगण्य।

टिप्पणी:

क : न्यास निधि के अंतर्गत आहरित 544.53 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।

ख : विस्तारित निधि सुविधा (ई.एफ.एफ.) के अंतर्गत निकासी।

ग : 1883.6 करोड़ रुपए की निकासी प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत तथा 1450.2 करोड़ रुपए की निकासी स्टैंड-बाई व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित पहली ऋण निधि के अंतर्गत की गई।

घ : 2217.2 करोड़ रुपए की निकासी प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत तथा 987.5 करोड़ रुपए की निकासी स्टैंड-बाई व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित पहली ऋण निधि के अंतर्गत की गई।

ङ : आईएमएफ द्वारा सामान्य संसाधन खाते के अंतर्गत रुपए की स्वैच्छिक पुनः खरीद (199 करोड़ ₹) और रुपए की बिक्री (35.2 करोड़ ₹) शामिल है।

च : अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा रुपए की बिक्री।

छ : इसके अतिरिक्त रुपए की स्वैच्छिक पुनः खरीद के लिए मई 1979 में 59.9 मिलियन एस.डी.आर., जुलाई, 1980 में 7.3 मिलियन एस.डी.आर. और मार्च, 1982 में 34.5 मिलियन एस.डी.आर. को रुपए के स्वैच्छिक पुनः खरीद के लिए प्रयोग में लाया गया।

जारी ...

(जारी...)

- ज : अनिवार्य वित्तपोषण स्कीम (सीएफएफ) के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए 66.50 मिलियन एस.डी.आर. का प्रयोग किया गया।
- झ : सीएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए विदेशी मुद्रा में 33.25 मिलियन और 117.85 करोड़ रुपए एस.डी.आर. का प्रयोग किया गया।
- ञ : सीएफएफ और ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए क्रमशः 66.5 मिलियन एस.डी.आर. और 131.25 मिलियन एसडीआर का प्रयोग किया गया।
- ट : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 431.25 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- ठ : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 704.17 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- ड : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 804.18 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- ढ : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 681.25 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- ण : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 468.75 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- त : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 337.49 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- थ : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 237.49 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- द : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 95.84 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- ध : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 812.77 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- न : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 1130.48 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- प : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 678.38 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- फ : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 449.29 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- ब : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 212.46 मिलियन का प्रयोग किया गया।
- भ : आंकड़े माह के अंत से संबंधित हैं।

1. जून 1966 में रुपए के अवमूल्यन के कारण वर्ष 1965-66 के बाद के आंकड़ों की पहले के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती है।
2. इसके साथ ही जुलाई 1991 के बाद के आंकड़ों की पहले के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 को रुपये का अधोमुखी समायोजन किया गया।
3. आहरणों, पुनःखरीद और बकाया पुनःखरीद दायित्वों को लागू विनिमय दरों पर परिकलित किया जाता है।
4. प्रारक्षित निधियां जहां अवधि के अन्त से सम्बन्धित हैं, वहीं पुनःखरीद सम्बन्धित अवधियों के लिए हैं।
5. मई, 1966 तक सोने का मूल्य 53.58 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा सितम्बर, 1990 तक 84.39 रुपए प्रति 10 ग्राम माना गया है और 17 अक्टूबर, 1990 से अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के सन्निकट माना गया है।
6. विदेशी मुद्रा में (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी आस्तियां और (ख) 1955-56 तक विदेश में सरकारी जमा राशि शामिल हैं।
7. (i) विदेशी मुद्रा आस्तियों में आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित बांडों में 20 मार्च, 2009 से 250.00 मिलियन अमरीकी डालर, 16 सितंबर, 2011 से 380.00 मिलियन अमरीकी डालर; 27 फरवरी, 2012 से 550 मिलियन अमरीकी डालर, 30 मार्च, 2012 से 673 मिलियन अमरीकी डालर, 5 जुलाई, 2012 से 790 मिलियन अमरीकी डालर; 04 मार्च, 2013 से 950 मिलियन अमरीकी डालर; 06 मार्च, 2014 से 1181 मिलियन अमरीकी डालर; 15 सितंबर, 2014 से 1,568 मिलियन अमरीकी डालर और 26 मार्च, 2015 से 2,100 मिलियन अमरीकी डालर (भारतीय रुपए में उसके समतुल्य मूल्य भी) का निवेश शामिल नहीं है।
- (ii) 24 मार्च, 2014 से 530.73 मिलियन एसडीआर (भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार द्वारा अंतरित), जून, 2014 से 530.80 मिलियन एसडीआर, सितंबर, 2014 से 530.92 मिलियन एसडीआर; जनवरी, 2015 से 1104.74 बिलियन एसडीआर; जून, 2015 से 1104.96 मिलियन एसडीआर; दिसंबर, 2015 से 1105.24 मिलियन एसडीआर (भारतीय रुपए में उसके समतुल्य मूल्य भी)।
- (iii) मार्च, 2013 से जून, 2013 की अवधि के दौरान भूटान रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण के साथ सार्क स्वैप प्रबंध के अंतर्गत 100 मिलियन अमरीकी डालर; अप्रैल से अक्टूबर, 2015 की अवधि के दौरान श्रीलंका केन्द्रीय बैंक के साथ सार्क स्वैप प्रबंध के अंतर्गत 400 मिलियन अमरीकी डालर और सितंबर, 2015 से श्रीलंका केन्द्रीय बैंक के साथ 1100 मिलियन अमरीकी डालर (भारतीय रुपए में उसके समतुल्य मूल्य भी)।
8. विदेशी मुद्रा आस्तियों में आईआईएफसी (यूके) द्वारा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित 20 मार्च 2009 के बाद से 250,00 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश, 16 सितंबर 2011 के बाद से 380 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश, 27 फरवरी 2012 के बाद से 550 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश, 30 मार्च 2012 के बाद से 673 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश तथा 5 जुलाई 2012 के बाद से किया गया 790 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश तथा साथ ही संबंधित महीनों में भारतीय रुपये में इसका समतुल्य मूल्य शामिल नहीं है।
9. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 6.1(ख) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(अमरीकी मिलियन अमरीकी डालर)

वित्त वर्ष की समाप्ति	प्रारक्षित भंडार					आईएमएफ के साथ लेन-देन		
	सोना	आरटीपी	एस.डी.आर.	विदेशी	कुल (2+3+4+5)	निकासी	पुनः खरीद	बकाया पुनः खरीद देनदारियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1950-51	247	...	...	1914	2161	...	...	100
1951-52	247	...	...	1568	1815	...	...	100
1952-53	247	...	...	1603	1850	...	...	100
1953-54	247	...	...	1664	1911	...	36	64
1954-55	247	...	...	1626	1873	...	36	28
1955-56	247	...	...	1648	1895	...	15	13
1956-57	247	...	...	1184	1431	126	12	128
1957-58	247	...	...	637	884	72	...	200
1958-59	247	...	...	548	795	...	...	200
1959-60	247	...	...	515	762	...	50	150
1960-61	247	...	...	390	637	...	23	128
1961-62	247	...	...	377	624	249	127	250
1962-63	247	...	...	372	619	25	...	275
1963-64	247	...	...	395	642	...	50	225
1964-65	281	...	...	243	524	99	100	225
1965-66	243	...	...	383	626	137	75	288
1966-67	243	...	...	395	638	126	57	418
1967-68	243	...	...	475	718	89	58	450
1968-69	243	...	...	526	769	...	78	372
1969-70	243	...	123	728	1094	...	167	205
1970-71	243	...	148	584	975	...	205	...
1971-72	264	...	269	661	1194	...	...	...
1972-73	293	...	297	629	1219	...	...	...
1973-74	293	...	296	736	1325	79	...	75
1974-75	304	...	293	782	1379	608	...	715
1975-76	281	...	234	1657	2172	239	...	896
1976-77	290	...	217	3240	3747	...	336	559
1977-78	319	...	200	5305	5824	...	333	249
1978-79	377	...	470	6421	7268	...	256	...
1979-80	375	...	662	6324	7361	...	145	...
1980-81	370	...	603	5850	6823	342	16	327
1981-82	335	...	473	3582	4390	692	40	964
1982-83	324	...	291	4281	4896	1968	...	2876
1983-84	320	...	230	5099	5649	1376	70	4150
1984-85	325	...	145	5482	5952	201	134	3932
1985-86	417	...	131	5972	6520	...	209	4290
1986-87	471	...	179	5924	6574	...	521	4291
1987-88	508	...	97	5618	6223	...	930	3653
1988-89	473	...	103	4226	4802	...	1070	2365
1989-90	487	...	107	3368	3962	...	873	1493
1990-91	3496	...	102	2236	5834	1858	644	2623
1991-92	3499	...	90	5631	9220	1240	460	3451
1992-93	3380	...	18	6434	9832	1623	335	4799
1993-94	4078	...	108	15068	19254	325	134	5040

जारी ...

सारणी 6.1(ख) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(जारी...)

(अमरीकी मिलियन अमरीकी डालर)

वित्त वर्ष की समाप्ति	प्रारक्षित भंडार				आईएमएफ के साथ लेन-देन			
	सोना	आरटीपी	एस.डी.आर.	विदेशी	कुल (2+3+4+5)	निकासी	पुनः खरीद	बकाया पुनः खरीद देनदारियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1994-95	4370	...	7	20809	25186	...	1146	4300
1995-96	4561	...	82	17044	21687	...	1710	2374
1996-97	4054	...	2	22367	26423	...	977	1313
1997-98	3391	...	1	25975	29367	...	615	664
1998-99	2960	...	8	29522	32490	...	102	287
1999-2000	2974	...	4	35058	38036	...	...	...
2000-01	2725	...	2	39554	42281	...	...	...
2001-02	3047	...	10	51049	54106	...	...	...
2002-03	3534	672	4	71890	76100	...	...	...
2003-04	4198	1311	2	107448	112959	...	561.3	...
2004-05	4500	1438	5	135571	141514	...	93.5	...
2005-06	5755	756	3	145108	151622	670.0	50.7	...
2006-07	6784	469	2	191924	199179	302.7	...	...
2007-08	10039	436	18	299230	309723	74.2	...	...
2008-09	9577	981	1	241426	251985	86.3	611.9	...
2009-10	17986	1380	5006	254685	279057	...	461.3	...
2010-11	22972	2947	4569	274330	304818	36.2	353.2	...
2011-12	27023	2836	4469	260069	294397	...	275.1	...
2012-13	25692	2301	4328	259726	292046	...	...	...
2013-14	21567	1834	4464	276359	304223	...	...	...
2014-15	19378	1139	4185	295947	320649	...	...	...
2015-16	20115	2456	1502	336104	360176	...	...	...
2016-17	19869	2321	1446	346319	369955	...	...	...

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार। आरटीपी: अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति : शून्य या नगण्य।

टिप्पणियां :

क : महीने के अन्त के आंकड़े

- अमरीकी डालर में आंकड़ों संकलित करने के लिए आईएमएफ के अंतराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी के अनुसार 16 अक्टूबर, 1990 तक सोने का मूल्य एसडीआर 35 प्रति ट्राय औंस माना गया है। इसके पश्चात् सोने का मूल्य अंतराष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुसार माना गया है।
- विदेशी मुद्रा आस्तियों और एस.डी.आर. का अमरीकी डालर में परिवर्तन आईएमएफ द्वारा बताई गई विनिमय दरों पर किया गया है।
- अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किए गए लेनदेनों को संबंधित एस.डी.आर./डालर दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- प्रारक्षित निधियां जहां अवधि के अन्त से सम्बन्धित हैं, वहीं पुनः खरीद सम्बन्धित अवधियों के लिए हैं।
- (i) विदेशी मुद्रा आस्तियों में 20 मार्च, 2009 से आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में निवेश किए गए 250.00 मिलियन अमरीकी डालर, 16 सितम्बर, 2011 से 380 मिलियन अमरीकी डालर, 27 फरवरी, 2012 से 550 मिलियन अमरीकी डालर, 30 मार्च, 2012 से 673 मिलियन अमरीकी डालर और 5 जुलाई, 2012 से 790 मिलियन अमरीकी डालर 04 मार्च, 2013 से 950 मिलियन अमरीकी डालर, 06 मार्च, 2014 से 1,181 मिलियन अमरीकी डालर, 15 सितम्बर, 2014 से 1,568 मिलियन अमरीकी डालर और 2015 मार्च, 2015 से 2,100 मिलियन अमरीकी डालर (भारतीय रुपय में उसके समतुल्य मूल्य भी (भारतीय रुपये में उसके समतुल्य मूल्य भी) शामिल नहीं है।
- (ii) 24 मार्च, 2014 से 530.73 मिलियन एसडीआर (भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार द्वारा अंतरित), जून, 2014 से 530.80 मिलियन एसडीआर, सितम्बर, 2014 से 530.92 मिलियन एसडीआर; जनवरी, 2015 से 1104.74 बिलियन एसडीआर; जून, 2015 से 1104.96 मिलियन एसडीआर; दिसम्बर, 2015 से 1105.24 मिलियन एसडीआर (भारतीय रुपय में उसके समतुल्य मूल्य भी)।
- (iii) मार्च, 2013 से जून, 2013 की अवधि के दौरान भूटान रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण के साथ सार्क स्वैप प्रबंध के अंतर्गत 100 मिलियन अमरीकी डालर; अप्रैल से अक्टूबर, 2015 की अवधि के दौरान श्रीलंका केन्द्रीय बैंक के साथ सार्क स्वैप प्रबंध के अंतर्गत 400 मिलियन अमरीकी डालर और सितम्बर, 2015 से श्रीलंका केन्द्रीय बैंक के साथ 1100 मिलियन अमरीकी डालर (भारतीय रुपय में उसके समतुल्य मूल्य भी)।
- इसमें 31,463 करोड़ रुपए (6699 मिलियन अमरीकी डालर) शामिल हैं जो 3 नवम्बर, 2009 को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मीट्रिक टन स्वर्ण खरीद को दशांते करते हैं यह खरीद क्रमशः 28 अगस्त 2009 तथा 9 सितम्बर 2009 को की गई।
- सामान्य आवंटन के तहत आवंटित 3082.5 मिलियन एस.डी.आर. विशेष आवंटन के तहत 214.6 मिलियन एस.डी.आर शामिल हैं।
- पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 6.2 : अंशु कोष के भुगतान मैनुअल 5 के अनुसार भुगतान शेष								
Items	2000-01		2010-11		2011-12		2012-13	
	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 आयात (लागत बीमा भाड़ा)	264589	57912	1746135	383481	2394647	499533	2732146	502237
2 निर्यात (जहाज तक निःशुल्क)	207852	45452	1165665	256159	1482517	309774	1667690	306581
3 व्यापार संतुलन (2-1)	-56737	-12460	-580470	-127322	-912129	-189759	-1064456	-195656
4 अदृश्य								
(क) प्राप्तियां	147778	32267	867228	190488	1053480	219229	1218893	224044
(ख) अदायगियां	102639	22473	506411	111218	517323	107625	634047	116551
(जिनमें से: उधारों एवं ऋणों पर ब्याज एवं शोधन भुगतान)	21948	4801	27660	6073	41046	8527	59546	10944
(ग) निवल	45139	9794	360817	79269	536157	111604	584846	107493
5 चालू खाता शेष	-11598	-2666	-219654	-48053	-375973	-78155	-479610	-88163
6 पूंजीगत खाता								
I) विदेशी निवेश (निवल)	26744	5862	193482	42127	188738	39231	254653	46711
i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)								
(क) अंतर्वाह एफडीआई	18404	4031	132358	29029	154961	32952	146954	26953
(ख) बहिर्वाह एफडीआई	-3480	-759	-78257	-17195	-51794	-10892	-38768	-7134
(ग) निवल	14924	3272	54101	11834	103167	22061	108186	19819
ii) पोर्टफोलियो निवेश	11820	2590	139381	30293	85571	17170	146467	26891
II) ऋण (निवल)	24459	5264	132714	29135	89748	19307	169073	31124
i) विदेशी सहायता								
(क) अंतर्वाह	13521	2941	35872	7882	27355	5646	25747	4735
(ख) बहिर्वाह	11519	2531	13393	2941	16051	3350	20421	3752
(ग) निवल	2002	410	22479	4941	11305	2296	5326	982
ii) वाणिज्यिक उधार ^क								
(क) अंतर्वाह	95750	20865	459540	100899	649101	135345	817606	150351
(ख) बहिर्वाह	73293	16011	349304	76705	570658	118333	653858	120209
(ग) निवल	22457	4854	110236	24194	78443	17011	163747	30142
III) बैंकिंग								
(क) प्राप्तियां	44448	9744	419273	92323	427827	89904	455407	83727
(ख) अदायगियां	53592	11705	397253	87361	356829	73678	365140	67157
(ग) निवल	-9144	-1961	22020	4962	70998	16226	90268	16570
IV) रुपए में ऋण शोधन (निवल)	-2760	-617	-310	-68	-381	-79	-313	-58
V) अन्य पूंजी								
(क) प्राप्तियां	12948	2856	45175	9995	64143	13296	97073	17861
(ख) अदायगियां	11637	2564	101914	22411	94216	20224	125020	22908
(ग) निवल	1311	292	-56739	-12416	-30073	-6929	-27946	-5047
VI) भूल-चूक (निवल)	-1369	-305	-12062	-2636	-11560	-2432	14578	2689
7 कुल पूंजी (6 का I से VI)	39241	8535	279105	61103	307470	65324	500313	91989
8 समग्र शेष (5+7)	27643	5868	59451	13050	-68503	-12831	20702	3826
9 मुद्रा संचलन								
(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेन-देन								
i) खरीद								
ii) पुनःखरीद	115	26						
iii) निवल	-115	-26						
(ख) प्रारक्षित भंडार में वृद्धि (-)/ कमी (+)	-27258	-5842	-59451	-13050	68503	12831	-20702	-3826
10 योग (प्रारक्षित भंडार में घट-बढ़ (9क iii) + 9ख) [(-) वृद्धि (+) कमी]	-27643	-5868	-59451	-13050	68503	12831	-20702	-3826

सारणी 6.2 : अंश-5 कोष के भुगतान मैनुअल 5 के अनुसार भुगतान शेष (जारी....)								
Items	2013-14		2014-15		2015-16 (PR)		2016-17 (P)	
	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर	₹ करोड़	मिलियन अम. डालर
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 आयात (लागत बीमा भाड़ा)	2815918	466216	2820072	461484	2592820	396444	2633395	392580
2 निर्यात (जहाज तक निःशुल्क)	1931074	318607	1934210	316545	1743289	266365	1878943	280138
3 व्यापार संतुलन (2-1)	-884845	-147609	-885862	-144940	-849531	-130079	-754452	-112442
4 अदृश्य								
(क) प्राप्तियां	1413843	233569	1478048	241645	1538693	235044	1616361	240978
(ख) अदायगियां	716134	118256	755499	123564	832924	127116	964714	143831
(जिनमें से: उधारों एवं ऋणों पर व्याज एवं शोधन भुगतान)	67747	11176	77376	12650	88044	13443	67444	13351
(ग) निवल	697709	115313	722549	118081	705769	107928	651646	97147
5 चालू खाता शेष	-187136	-32296	-163313	-26859	-143762	-22151	-102805	-15296
6 पूंजीगत खाता								
I) विदेशी निवेश (निवल)	159650	26386	449072	73456	208579	31891	289394	43224
i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)								
(क) अंतर्वाह एफडीआई	186830	30763	215893	35283	294258	44907	283292	42215
(ख) बहिर्वाह एफडीआई	-56860	-9199	-24675	-4031	-58476	-8886	-44379	-6603
(ग) निवल	129969	21564	191219	31251	235782	36021	238913	35612
ii) पोर्टफोलियो निवेश	29680	4822	257853	42205	-27203	-4130	50482	7612
II) ऋण (निवल)	45901	7765	19733	3184	-29767	-4634	16038	2379
i) विदेशी सहायता								
(क) अंतर्वाह	28239	4659	35408	5780	40244	6123	43561	6495
(ख) बहिर्वाह	22043	3627	24787	4054	30229	4619	30056	4482
(ग) निवल	6197	1032	10622	1725	10015	1505	13505	2013
ii) वाणिज्यिक उधार ^क								
(क) अंतर्वाह	785202	130177	718760	117575	748159	114200	764967	114037
(ख) बहिर्वाह	745498	123444	709648	116116	787941	120339	762434	113672
(ग) निवल	39704	6733	9112	1459	-39781	-6139	2533	366
III) बैंकिंग								
(क) प्राप्तियां	654482	108049	550976	90094	579805	88884	561610	83669
(ख) अदायगियां	502818	82601	478893	78476	514547	78254	672787	100285
(ग) निवल	151664	25449	72083	11618	65257	10630	-111177	-16616
IV) रुपए में ऋण शोधन (निवल)	-304	-52	-489	-81	-476	-73	-665	-99
V) अन्य पूंजी								
(क) प्राप्तियां	133801	22171	176562	28914	160653	24419	241024	35937
(ख) अदायगियां	200892	32932	169411	27806	137909	21103	190043	28343
(ग) निवल	-67091	-10761	7151	1109	22744	3315	50981	7594
VI) भूल-चूक (निवल)	-6629	-983	-6312	-1021	-6746	-1073	2468	364
7 कुल पूंजी (6 का I से VI)	283190	47804	541238	88265	259592	40055	247039	36846
8 समग्र शेष (5+7)	96054	15508	377925	61406	115830	17905	144234	21550
9 मुद्रा संचलन								
(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेन-देन								
i) खरीद								
ii) पुनः खरीद								
iii) निवल								
(ख) प्रारक्षित भंडार में वृद्धि (-)/कमी(+)	-96054	-15508	-377925	-61406	-115830	-17905	-144234	-21550
10 योग (प्रारक्षित भंडार में घट-बढ़ (9क (iii) + 9ख) [(-) वृद्धि (+) कमी]	-96054	-15508	-377925	-61406	-115830	-17905	-144234	-21550

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी : : शुल्क अथवा नगण्य क: वाणिज्यिक अर्जनों में अल्पकालिक उधार भी शामिल है। प्रा : प्रारंभिक (अं.सं.) : अंशतः संशोधित

- जो अनुदान प्राप्त हुए हैं वे मद 4(क) में शामिल हैं।
- वर्ष के दौरान उपार्जित तथा अनिवासी भारतीयों के जमा खातों में जमा किए गए अनुमानित व्याज को अदृश्य भुगतानों के अनुमानित कल्पित बहिर्वाह के रूप में माना गया है तथा बैंकिंग पूंजी के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों के जमा खातों में पुनः निवेश के रूप में जोड़ा गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भुगतान शेष नियम पुस्तिका (पांचवा संस्करण) के उपबंध के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार से खरीदे गए स्वर्ण को भुगतान शेष सांख्यिकी से बाहर रखा गया है। इसलिए "अन्य पूंजीगत प्राप्तियां और विदेशी मुद्रा भंडार" में उपयुक्त समायोजन करके पूर्ववर्ती वर्षों के आंकड़ों में संशोधन किया गया है। इसी प्रकार 'एस.डी.आर आबंटन' मद को इस सारणी से काट दिया गया है।
- वर्ष 1996-97 से निजी अंतरण अदायगियों में अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता एन आई ई (आर) ए, और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमा राशि एन आर (एन आर) आर डी, योजनाओं के तहत मूलधन और व्याज दोनों की रुपए में अदायगी शामिल है। यह आंकड़ों की रिपोर्टिंग में सुधार को दर्शाता है।
- पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 6.3(क) : अं मु के भुगतान शेष-सैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष

मद	2013-14				2014-15				2015-16 (PR)				2016-17 (P)			
	ऋडिट		डेबिट		ऋडिट		डेबिट		ऋडिट		डेबिट		ऋडिट		डेबिट	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	चालू खाता (1.क + 1ख + 1ग)	3342089	3528995	-186906	3412151	3575039	-162888	3281796	3425146	-143350	3495211	3597569	-102358			
1.ए	वस्तुएं तथा सेवाएं (1एए+1एबी)	2850324	3292300	-441976	2901402	3318948	-417546	2753734	3147437	-393703	2973118	3275080	-301962			
1.एए	वस्तुएं	1931074	2815918	-884845	1934210	2820072	-885862	1743289	2592820	-849531	1878943	2633395	-754452			
1.एबी	सेवाएं (1एबी.1 से एबी.13)	919250	476381	442869	967192	498877	468316	1010446	554617	455828	1094175	641685	452490			
1.एबी.1.	अन्यों के स्वातिन्त्र्यीन भौतिक आदानों पर विनिर्माण सेवाएं	945	170	775	663	177	485	1200	302	898	768	256	512			
1.एबी.2.	रखरखाव तथा मरम्मत सेवाएं एनआईई	1287	1694	-408	1062	1385	-323	995	2119	-1124	1221	2372	-1151			
1.एबी.3.	परिवहन	105261	89480	15781	106865	98925	7940	91660	98618	-6958	106312	94773	11539			
1.एबी.4.	यात्रा	108807	71418	37389	124542	93535	31008	139542	96756	42786	155929	110154	45775			
1.एबी.5.	विनिर्माण	8091	7462	630	9850	7052	2798	10256	6268	3987	14383	5911	8473			
1.एबी.6.	बीमा तथा पेंशन सेवाएं	12849	6760	6089	13461	6835	6626	13113	7530	5583	14795	10033	4761			
1.एबी.7.	वित्तीय सेवाएं	40158	34604	5554	34583	21772	12811	32271	20487	11784	34193	39262	-5069			
1.एबी.8.	बौद्धिक सम्पदा के उपयोग हेतु प्रभार	3567	24020	-20453	3226	29468	-26243	3191	31952	-28761	3807	38368	-34561			
1.एबी.9	दूरसंचार कम्प्यूटर तथा सूचना सेवाएं	436220	23815	412404	460702	25043	435659	501263	26732	474531	512084	32457	479627			
1.एबी.10.	अन्य कारोबारी सेवाएं	172250	164550	7699	173793	169173	4620	189693	203860	-14167	220981	216332	4648			
1.एबी.11.	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सेवाएं	7986	5066	2919	7282	8802	-1520	8658	7913	746	9338	14731	-5394			
1.एबी.12.	सरकारी वस्तुएं तथा सेवाएं एनआईई	2947	5888	-2941	3321	5871	-2550	3788	5677	-1890	3946	4021	-75			
1.एबी.13.	अन्य एन आई ई	18883	41452	-22569	27842	30838	-2996	14816	46401	-31585	16418	73015	-56597			
1.बी.	प्राथमिक आय	68877	208761	-139884	81994	229423	-147430	96324	256104	-159779	109268	285598	-176330			
1सी.	द्वितीय आय	422888	27935	394953	428756	26667	402088	431737	21605	410132	412825	36892	375933			
2	पूँजीगत खाता (2.1+2.2)	10019	6399	3620	2789	2257	532	1987	1719	268	2910	1909	1001			
2.1	अनुपादक अनार्थिक आस्तियों का सकल अर्जन (डीआर)/निपटन (सीआर)	610	570	40	1495	812	683	336	242	94	680	416	264			
2.2	पूँजी अंतरण	9409	5829	3580	1294	1445	-151	1651	1477	174	2230	1493	737			
3	वित्तीय खाता (3.1 से 3.5 तक)	3152932	2963018	189914	3365248	3196580	168668	3339775	3189946	149829	3699036	3600147	98889			
3.1	प्रत्यक्ष निवेश (3.1ए+3.1बी)	263894	133925	129969	317087	125869	191219	392422	156640	235782	474811	235898	238913			
3.1.ए	भारत में प्रत्यक्ष निवेश	218595	31765	186830	276400	60506	215893	364146	69888	294258	404057	120765	283292			

जारी ...

सारणी 6.3(क) : अं० मु० के भुगतान शेष-चैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष (जारी...)													
(₹ crore)													
मद	2013-14				2014-15				2015-16 (PR)				2016-17 (P)
	क्रेडिट	डेबिट	निवल		क्रेडिट	डेबिट	निवल		क्रेडिट	डेबिट	निवल	क्रेडिट	डेबिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.1.बी भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	45299	102159	-56860	40688	65363	-24675	28276	86752	-58476	70753	115133	-44379	
3.2 पोर्टफोलियो निवेश	1226673	1197104	29568	1561229	1311285	249945	1412345	1441933	-29588	1607507	1557026	50482	
3.2.ए 3.2.ए भारत में पोर्टफोलियो निवेश	1221704	1190713	30991	1556857	1307004	249853	1406792	1432998	-26207	1592617	1541095	51522	
3.2.बी भारत द्वारा पोर्टफोलियो निवेश	4968	6391	-1423	4372	4281	91	5553	8935	-3381	14890	15931	-1040	
3.3 वित्तीय व्युत्पन्न (प्रारक्षित के अलावा) तथा कर्मचारी स्वीकृत विकल्प?	58438	45777	12661	92447	102493	-10046	95295	90417	4878	155252	89346	65906	
3.4 अन्य निवेश	1537539	1423769	113769	1394485	1279009	115476	1434150	1379563	54587	1453092	1565270	-112177	
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	112		112	7909		7909	2385		2385	0	0	0	
3.4.2 मुद्रा तथा निक्षेप	536189	295199	240990	397597	300743	96855	392397	289262	103136	321269	403019	-81750	
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी तथा बैंकिंग पूंजी)	329292	340006	-10713	359172	363765	-4593	386224	444261	-58037	435424	492278	-56854	
3.4.4 बीमा, पेंशन तथा मानकीकृत गारंटी स्कीम	3559	3968	-409	2239	1771	468	2674	7972	-5298	2976	4941	-1965	
3.4.5 व्यापार ऋण तथा अग्रिम	602442	635155	-32712	548374	548820	-446	589587	599194	-9607	613446	569981	43465	
3.4.6 अन्य खाते व प्राप्य तथा भुगतान-आय	65944	149443	-83498	79194	63910	15283	60883	38874	22009	79978	95051	-15073	
3.4.7 विशेष आरक्षण प्राधिकार													
3.5 प्रारक्षित अस्तित्व	66389	162443	-96054	0	377925	-377925	5563	121393	-115830	8373	152607	-144234	
4 कुल अस्तित्व/देनदारियां	3152932	2963018	189914	3365248	3196580	168668	3339775	3189946	149829	3699036	3600147	98889	
5 भूल-चूक निवल	4961	11589	-6628	6725	13037	-6312	2796	9542	-6746	8205	5737	2468	

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी:

प्रा : प्रारंभिक अं.सं. : अंशतः संशोधित

नोट : पूर्णकृत के किये जाने के कारण संभव है कि जोड़ मेल न खाए।

सारणी 6.3(ख) : भुगतान शेष -सैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष

मद	2013-14 (P)				2014-15 (P)				2015-16 (PR)				2016-17 (P)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	चालू खाता (1.क + 1ख + 1ग)	551719	583976	-32257	558173	584962	-26789	501381	523469	-22088	521102	536331	-15229			
1.ए	वस्तुएं तथा सेवाएं (1ए+1एबी)	470420	544964	-74543	474652	543063	-68411	420676	481079	-60402	443261	488249	-44987			
1.ए.ए	वस्तुएं	318607	466216	-147609	316545	461484	-144940	266365	396444	-130079	280138	392580	-112442			
1.एबी	सेवाएं (1ए.बी. 1 से ए.बी. 13)	151813	78747	73066	158107	81578	76529	154311	84635	69676	163123	95668	67455			
1.ए.बी.1.	अन्यों के स्वामित्वधीन भौतिक आदानों पर विनिर्माण सेवाएं	154	28	125	109	29	79	183	45	138	115	38	76			
1.ए.बी.2.	खरखाब तथा मरम्मत सेवाएं एनआईई	214	282	-69	173	226	-53	152	324	-171	182	354	-172			
1.ए.बी.3.	परिवहन	17380	14792	2588	17485	16177	1308	14004	15080	-1076	15851	14132	1719			
1.ए.बी.4.	यात्रा	17922	11810	6112	20334	15306	5028	21268	14792	6476	23244	16427	6817			
1.ए.बी.5.	विनिर्माण	1339	1236	103	1613	1153	460	1562	955	607	2144	881	1263			
1.ए.बी.6.	बीमा तथा पेंशन सेवाएं	2121	1116	1005	2202	1119	1084	2002	1151	852	2206	1496	710			
1.ए.बी.7.	वित्तीय सेवाएं	6650	5814	835	5661	3580	2081	4944	3135	1809	5099	5852	-754			
1.ए.बी.8.	बौद्धिक सम्पदा के उपयोग हेतु प्रभार	585	3980	-3395	529	4820	-4291	489	4891	-4402	568	5720	-5152			
1.ए.बी.9.	दूरसंचार कम्प्यूटर तथा सूचना सेवाएं	72054	3928	68126	75334	4094	71240	76563	4076	72487	76345	4839	71506			
1.ए.बी.10.	अन्य कारोबारी सेवाएं	28482	27189	1293	28422	27644	778	28994	31095	-2101	32946	32254	692			
1.ए.बी.11.	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सेवाएं	1323	831	493	1192	1440	-248	1325	1221	104	1392	2197	-805			
1.ए.बी.12.	सरकारी वस्तुएं तथा सेवाएं एनआईई	488	979	-490	543	961	-418	579	869	-291	588	600	-11			
1.ए.बी.13.	अन्य एन आई ई	3102	6762	-3660	4510	5030	-520	2245	7000	-4755	2444	10879	-8435			
1.बी.	प्रारंभिक आय	11352	34380	-23028	13397	37537	-24140	14703	39078	-24375	16291	42582	-26291			
1सी.	द्वितीय आय	69948	4633	65315	70123	4362	65762	66002	3312	62690	61550	5500	56050			
2	पूँजीगत खाता (2.1+2.2)	1718	1060	659	456	370	85	304	263	41	434	285	150			
2.1	अनुयादक अनार्विक आस्तियों का सकल अर्जन (डीआर)/निपटान (सीआर)	99	93	6	244	134	110	51	37	13	101	62	40			
2.2	पूँजी अंतरण	1619	967	652	211	236	-25	253	226	27	333	223	110			
3	वित्तीय खाता (3.1 से 3.5 तक)	521478	488897	32581	550481	522757	27725	510639	487519	23120	551482	536767	14715			
3.1	प्रत्यक्ष निवेश (3.1ए+3.1बी)	43582	22018	21564	51796	20544	31251	59878	23857	36021	70784	35172	35612			
3.1.ए	भारत में प्रत्यक्ष निवेश	36047	5284	30763	45147	9864	35283	55559	10652	44907	60220	18005	42215			

जारी ...

सारणी 6.3(ख) : भुगतान शेष सैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष (जारी...)												
(मिलियन अमरीकी डॉलर)												
मद	2013-14 (P)				2014-15 (P)				2015-16 (PR)			
	ऋण	डेबिट	निवल	(2)	ऋण	डेबिट	निवल	(7)	ऋण	डेबिट	निवल	(10)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.1.बी भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	7535	16734	-9199	6649	10680	-4031	4320	13205	-8886	10564	17167	-6603
3.2 पोर्टफोलियो निवेश	203164	198362	4802	255490	214556	40934	216181	220685	-4503	239738	232127	7612
3.2.ए भारत में पोर्टफोलियो निवेश	202312	197304	5009	254777	213854	40923	215334	219349	-4016	237514	229748	7766
3.2.बी भारत द्वारा पोर्टफोलियो निवेश	851	1058	-207	713	702	11	848	1335	-487	2224	2378	-154
3.3 वितीय व्युत्पन्न (प्रारक्षित के अलावा) तथा कर्मचारी स्टाक विकल्प?	9607	7601	2006	15184	16748	-1563	14522	13891	631	23148	13327	9822
3.4 अन्य निवेश	254424	234707	19717	228011	209502	18509	219202	210326	8876	216570	233350	-16780
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	20	-	20	1271	-	1271	373	-	373	0	0	0
3.4.2 मुद्रा तथा निक्षेप	88244	48858	39386	64995	49205	15789	60024	44216	15808	47928	60009	-12081
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीवी तथा बैंकिंग पूंजी)	54524	55653	-1129	58725	59601	-876	59140	67343	-8203	64821	73444	-8623
3.4.4 बीमा, पेंशन तथा मानवीकृत त गारंटी स्कीमें	575	648	-74	364	288	76	407	1194	-787	443	737	-294
3.4.5 व्यापार ऋण तथा अग्रिम	100117	105161	-5044	89729	89840	-111	90043	91653	-1610	91453	84986	6467
3.4.6 अन्य खाते व प्राप्य तथा भुगतान-आय	10944	24387	-13443	12928	10568	2361	9215	5920	3294	11925	14175	-2250
3.4.7 विशेष आरक्षण प्राधिकार												
3.5 प्रारक्षित अस्तित्वां	10701	26209	-15508		61406	-61406	856	18761	-17905	1242	22792	-21550
4 कुल अस्तित्वां/देनदारियां	521478	488897	32581	550481	522757	27725	510639	487519	23120	551482	536767	14715
5 भूल-चूक निवल	881		-983	1089	2110	-1021	420	1493	-1073	1221	857	364

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी:

प्रा : प्रारंभिक अं. सं. : अंशतः संशोधित

नोट : पूर्णवर्ष के किये जाने के कारण संभव है कि जोड़ मेल न खाएं।

सारणी 6.4 : विश्व की चुनिन्दा मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर

वर्ष/माह	अमरीकी डालर	पौंड स्टर्लिंग	यूरो ^क	येन	कनाडियन डालर	टर्किश लीरा	इंडोनेशियाई रुपया	ब्राजीलियन रियाल	मैक्सिकन पीसो	कोरियन वोन	पाकिस्तानी रुपया	(विदेशी मुद्रा की प्रति ईकाई रुपया)		
												थाइलैंड बाट	एस.डी.आर.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(Official Rate)														
1992-93														
अप्रैल	25.890	45.461		0.194	21.800	0.004	0.013	0.012	0.009	0.033	1.049	1.021		35.485
मई	25.890	46.838		0.198	21.586	0.004	0.013	0.010	0.009	0.033	1.056	1.014		35.931
जून	25.890	47.788		0.204	21.651	0.004	0.013	0.008	0.009	0.033	1.085	1.020		36.551
जुलाई	25.890	49.721		0.206	21.764	0.004	0.013	0.007	0.009	0.033	1.119	1.025		37.385
अगस्त	25.890	50.384		0.205	21.734	0.004	0.013	0.006	0.009	0.033	1.035	1.027		37.709
सितम्बर	25.890	47.567		0.211	21.161	0.004	0.013	0.005	0.009	0.034	1.035	1.028		37.695
अक्टूबर	25.890	42.862		0.214	20.805	0.003	0.013	0.004	0.009	0.033	1.054	1.026		37.162
नवम्बर	25.890	39.535		0.209	20.413	0.003	0.013	0.003	0.008	0.033	1.021	1.019		35.910
दिसम्बर	26.154	40.578		0.211	20.574	0.003	0.013	0.002	0.008	0.033	1.028	1.026		36.329
जनवरी	26.199	40.141		0.210	20.500	0.003	0.013	0.002	8.435 ^b	0.033	1.025	1.028		36.082
फरवरी	26.199	37.704		0.217	20.788	0.003	0.013	0.002	8.460	0.033	1.010	1.029		35.939
बाजार भाव ^क														
मार्च 1993	31.526	45.952		0.270	25.279	0.003	0.015	0.001	10.151	0.040	1.198	1.242		43.521
1993-94	31.366	47.206		0.291	23.956	0.002	0.015	0.122	10.009	0.039	1.083	1.240		43.886
2000-01	45.684	67.552	41.483	0.414	30.383	0.007 ^d	0.005	24.153	4.788	0.039	0.820	1.100		59.546
2001-02	47.692	68.319	42.181	0.382	30.473	0.004 ^d	0.005	19.549	5.183	0.037	0.772	1.069		60.215
2002-03	48.395	74.819	48.090	0.397	31.253	0.003 ^d	0.005	15.489	4.806	0.040	0.819	1.132		64.126
2003-04	45.952	77.739	53.990	0.407	33.991	0.003 ^d	0.005	15.713	4.248	0.039	0.798	1.132		65.690
2004-05	44.932	82.864	56.555	0.418	35.205	8.269 ^e	0.005	15.707	3.964	0.041	0.763	1.121		66.928
2005-06	44.273	79.047	53.912	0.391	37.137	32.843	0.045	19.170	4.122	0.044	0.741	1.096		64.490
2006-07	45.250	85.643	58.051	0.387	39.765	31.156	0.005	21.044	4.113	0.048	0.748	1.236		67.254
2007-08	40.261	80.841	57.060	0.353	39.042	32.155	0.004	21.762	3.703	0.043	0.658	1.194		62.651
2008-09	45.993	78.316	65.058	0.462	40.875	32.678	0.004	23.569	3.853	0.038	0.613	1.346		71.277
2009-10	47.443	75.781	67.051	0.511	43.567	31.266	0.005	25.455	3.616	0.039	0.572	1.409		73.733
2010-11	45.563	70.881	60.232	0.533	44.840	29.888	0.005	26.385	3.663	0.040	0.534	1.464		69.723
2011-12	47.923	76.391	65.894	0.607	48.222	27.682	0.005	28.222	3.788	0.043	0.547	1.564		75.313
2012-13	54.410	85.971	70.069	0.658	54.347	30.291	0.006	27.092	4.171	0.049	0.572	1.768		83.026
2013-14	60.502	96.306	81.175	0.604	57.437	30.100	0.006	26.907	4.679	0.056	0.587	1.924		92.260

जारी ...

सारणी 6.5 : रुपये की सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की प्रवृत्तियां

(व्यापार आधारित भारांश)

वर्ष/माह (औसत)	नगण्य प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) 6 मुद्राओं का सूचकांक	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) 6 मुद्राओं का सूचकांक	नगण्य प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) 36 मुद्राओं का सूचकांक	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) 36 मुद्राओं का सूचकांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आधार वर्ष: 1993-94=100				
1994-95	96.86	105.71	99.21	104.59
1995-96	88.45	101.14	91.65	98.42
1996-97	86.73	100.97	89.08	96.64
1997-98	87.80	104.24	92.17	100.95
1998-99	77.37	95.99	88.76	92.84
1999-00	77.03	97.52	90.90	95.75
2000-01	77.30	102.65	92.11	100.04
2001-02	75.89	102.49	91.52	100.87
2002-03	71.09	97.43	89.22	98.19
2003-04	69.75	98.85	87.15	99.50
2004-05	69.26	101.35	87.28	100.05
आधार वर्ष: 2004-05=100				
2005-06	103.04	104.45	102.24	102.38
2006-07	98.09	103.82	97.63	100.76
2007-08	104.62	113.44	104.75	109.20
2008-09	90.42	103.94	93.34	99.65
2009-10	87.07	110.73	90.94	103.88
2010-11	91.83	124.50	93.54	112.68
2011-12	84.44	121.17	87.38	110.27
2012-13	75.59	117.15	78.32	105.57
2013-14	67.76	112.80	72.32	103.27
2014-15	68.60	119.92	74.08	108.94
2015-16	67.52	122.71	74.76	112.07
2016-17 (अ)	67.17	125.93	74.66	114.50
2016-17 (अ)				
अप्रैल	66.12	122.11	73.38	111.23
मई	65.81	123.11	73.37	112.11
जून	65.70	123.36	73.26	112.91
जुलाई	66.53	125.30	73.96	114.17
अगस्त	66.39	125.36	73.93	114.15
सितम्बर	66.65	125.68	74.31	114.40
अक्टूबर	67.34	127.13	74.85	115.50
नवम्बर	67.36	127.17	75.02	115.79
दिसम्बर	68.09	127.87	75.61	116.01
जनवरी	67.73	126.05	75.23	114.69
फरवरी	68.49	127.93	75.83	115.50
मार्च	69.81	130.87	77.21	117.56

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी:

अ : अर्न्तम

- 1994-95 से 2004-05 की अवधि के आंकड़े थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित हैं।
- 2005-06 से 2014-15 की अवधि के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित हैं।

सारणी 7.1(क) : निर्यात, आयात और व्यापार शेष					
वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) (₹ करोड़)	आयात (₹ करोड़)	व्यापार संतुलन (₹ करोड़)	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात
				(प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1949-50	485	617	-132	उन	उन
1950-51	606	608	-2	24.9	-1.5
1951-52	716	890	-174	18.2	46.4
1952-53	578	702	-124	-19.3	-21.1
1953-54	531	610	-79	-8.1	-13.1
1954-55	593	700	-107	11.7	14.8
1955-56	609	774	-165	2.7	10.6
1956-57	605	841	-236	-0.7	8.7
1957-58	561	1035	-474	-7.3	23.1
1958-59	581	906	-325	3.6	-12.5
1959-60	640	961	-321	10.2	6.1
1960-61	642	1122	-480	0.3	16.8
1961-62	660	1090	-430	2.8	-2.9
1962-63	685	1131	-446	3.8	3.8
1963-64	793	1223	-430	15.8	8.1
1964-65	816	1349	-533	2.9	10.3
1965-66	810	1409	-599	-0.7	4.4
1966-67	1157	2078	-921	42.8	47.5
1967-68	1199	2008	-809	3.6	-3.4
1968-69	1358	1909	-551	13.3	-4.9
1969-70	1413	1582	-169	4.1	-17.1
1970-71	1535	1634	-99	8.6	3.3
1971-72	1608	1825	-217	4.8	11.7
1972-73	1971	1867	104	22.6	2.3
1973-74	2523	2955	-432	28.0	58.3
1974-75	3329	4519	-1190	31.9	52.9
1975-76	4036	5265	-1229	21.2	16.5
1976-77	5142	5074	68	27.4	-3.6
1977-78	5408	6020	-612	5.2	18.6
1978-79	5726	6811	-1085	5.9	13.1
1979-80	6418	9143	-2725	12.1	34.2
1980-81	6711	12549	-5838	4.6	37.3
1981-82	7806	13608	-5802	16.3	8.4
1982-83	8803	14293	-5490	12.8	5.0
1983-84	9771	15831	-6060	11.0	10.8
1984-85	11744	17134	-5390	20.2	8.2
1985-86	10895	19658	-8763	-7.2	14.7
1986-87	12452	20096	-7644	14.3	2.2
1987-88	15674	22244	-6570	25.9	10.7
1988-89	20232	28235	-8003	29.1	26.9
1989-90	27658	35328	-7670	36.7	25.1
1990-91	32553	43198	-10645	17.7	22.3
1991-92	44041	47851	-3810	35.3	10.8
1992-93	53688	63375	-9687	21.9	32.4
1993-94	69751	73101	-3350	29.9	15.3

सारणी 7.1(क) : निर्यात, आयात और व्यापार शेष (जारी....)					
वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) (₹ करोड़)	आयात (₹ करोड़)	व्यापार संतुलन (₹ करोड़)	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात
				(प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1994-95	82674	89971	-7297	18.5	23.1
1995-96	106353	122678	-16325	28.6	36.4
1996-97	118817	138920	-20103	11.7	13.2
1997-98	130100	154176	-24076	9.5	11.0
1998-99	139752	178332	-38580	7.4	15.7
1999-00	159095	215529	-56434	13.8	20.9
2000-01	201356	228307	-26950	26.6	5.9
2001-02	209018	245200	-36182	3.8	7.4
2002-03	254913	296360	-41446	22.0	20.9
2003-04	293367	359108	-65741	15.1	21.2
2004-05	375340	501065	-125725	27.9	39.5
2005-06	456418	660409	-203991	21.6	31.8
2006-07	571779	881515	-309736	25.3	33.5
2007-08	655864	1012312	-356448	14.7	14.8
2008-09	840755	1374436	-533680	28.2	35.8
2009-10	845534	1363736	-518202	0.6	-0.8
2010-11	1136964	1683467	-546503	34.5	23.4
2011-12	1465959	2345463	-879504	28.9	39.3
2012-13	1634318	2669162	-1034844	11.5	13.8
2013-14	1905011	2715434	-810423	16.6	1.7
2014-15	1896445	2737087	-840642	-0.4	0.8
2015-16	1716378	2490298	-773920	-9.5	-9.0
2016-17 (अ)	1852340	2577422	-725082	7.9	3.5

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता। (डीजीसीआई एण्ड एस)

टिप्पणी:

अ: अर्न्तम

1. वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59 और 1959-60 से संबंधित आंकड़े पूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की आकलन समिति (1971-72) की चौदहवीं रिपोर्ट के अनुसार हैं।

सारणी 7.1(ख) : निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष					
वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) (अमरीकी मिलियन डालर)	आयात (अमरीकी मिलियन डालर)	व्यापार संतुलन (अमरीकी मिलियन डालर)	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात
				(प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1949-50	1016	1292	-276	उन	उन
1950-51	1269	1273	-4	24.9	-1.5
1951-52	1490	1852	-362	17.4	45.5
1952-53	1212	1472	-260	-18.7	-20.5
1953-54	1114	1279	-165	-8.1	-13.1
1954-55	1233	1456	-223	10.7	13.8
1955-56	1275	1620	-345	3.4	11.3
1956-57	1259	1750	-491	-1.3	8.0
1957-58	1171	2160	-989	-7.0	23.4
1958-59	1219	1901	-682	4.1	-12.0
1959-60	1343	2016	-673	10.2	6.0
1960-61	1346	2353	-1007	0.2	16.7
1961-62	1381	2281	-900	2.6	-3.1
1962-63	1437	2372	-935	4.1	4.0
1963-64	1659	2558	-899	15.4	7.8
1964-65	1701	2813	-1112	2.5	10.0
1965-66	1693	2944	-1251	-0.5	4.7
1966-67	1628	2923	-1295	-3.8	-0.7
1967-68	1586	2656	-1070	-2.6	-9.1
1968-69	1788	2513	-725	12.7	-5.4
1969-70	1866	2089	-223	4.4	-16.9
1970-71	2031	2162	-131	8.8	3.5
1971-72	2153	2443	-290	6.0	13.0
1972-73	2550	2415	135	18.4	-1.1
1973-74	3209	3759	-550	25.8	55.7
1974-75	4174	5666	-1492	30.1	50.7
1975-76	4665	6084	-1419	11.8	7.4
1976-77	5753	5677	76	23.3	-6.7
1977-78	6316	7031	-715	9.8	23.9
1978-79	6978	8300	-1322	10.5	18.0
1979-80	7947	11321	-3374	13.9	36.4
1980-81	8486	15869	-7383	6.8	40.2
1981-82	8704	15174	-6470	2.6	-4.4
1982-83	9107	14787	-5680	4.6	-2.6
1983-84	9449	15311	-5862	3.8	3.5
1984-85	9878	14412	-4534	4.5	-5.9
1985-86	8904	16067	-7163	-9.9	11.5
1986-87	9745	15727	-5982	9.4	-2.1
1987-88	12089	17156	-5067	24.1	9.1
1988-89	13970	19497	-5527	15.6	13.6
1989-90	16612	21219	-4607	18.9	8.8
1990-91	18143	24075	-5932	9.2	13.5
1991-92	17865	19411	-1546	-1.5	-19.4
1992-93	18537	21882	-3345	3.8	12.7
1993-94	22238	23306	-1068	20.0	6.5

सारणी 7.1(ख) : निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष (जारी....)					
वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) (अमरीकी मिलियन डालर)	आयात (अमरीकी मिलियन डालर)	व्यापार संतुलन (अमरीकी मिलियन डालर)	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात
				(प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1994-95	26330	28654	-2324	18.4	22.9
1995-96	31797	36678	-4881	20.8	28.0
1996-97	33470	39133	-5663	5.3	6.7
1997-98	35006	41484	-6478	4.6	6.0
1998-99	33218	42389	-9171	-5.1	2.2
1999-2000	36715	49738	-13023	10.5	17.3
2000-01	44076	49975	-5899	20.0	0.5
2001-02	43827	51413	-7587	-0.6	2.9
2002-03	52719	61412	-8693	20.3	19.4
2003-04	63843	78149	-14307	21.1	27.3
2004-05	83536	111517	-27981	30.8	42.7
2005-06	103091	149166	-46075	23.4	33.8
2006-07	126414	185735	-59321	22.6	24.5
2007-08	163132	251654	-88522	29.0	35.5
2008-09	185295	303696	-118401	13.6	20.7
2009-10	178751	288373	-109621	-3.5	-5.0
2010-11	251136	369769	-118633	40.5	28.2
2011-12	305964	489319	-183356	21.8	32.3
2012-13	300401	490737	-190336	-1.8	0.3
2013-14	314405	450200	-135794	4.7	-8.3
2014-15	310338	448033	-137695	-1.3	-0.5
2015-16	262290	381007	-118717	-15.5	-15.0
2016-17 (अ)	276280	384319	-108039	5.3	0.9

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता।

टिप्पणी : अ: अनंतिम

क संशोधित आधार की तुलना में अनंतिम आधार पर वृद्धि दर और वाणिज्य विभाग की विधि पर आधारित।

1. वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59 और 1959-60 से संबंधित आंकड़े पूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की आकलन समिति (1971-72) की चौदहवीं रिपोर्ट के अनुसार हैं।

सारणी 7.2(क) : मुख्य आयात

मात्रा: हजार टन मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर										
		1960-61			1970-71			1980-81		
		मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	खाद्य पदार्थ और खाद्य के लिए मुख्यतः जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा) जिसमें से:	...	214	449	...	242	321	...	380	481
I.1	अनाज और अनाज के उत्पाद	3747.7	181	380	3343.2	213	282	400.8	100	127
II.	कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण	...	527	1105	...	889	1176	...	9760	12341
II.1	काजूगिरी (असंसाधित)	उ.न.	...	...	169.4	29	39	25	9	11
II.2	कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त सहित)	36.2	11	23	7.8	4	5	26.2	32	40
II.3	रेशे जिसमें से :	...	101	212	...	127	168	...	164	208
II.3.1	कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	0.2	...	...	15.8	9	12	68.8	97	122
II.3.2	अपरिष्कृत ऊन	1.9	1	2	19	15	20	18.8	43	55
II.3.3	अपरिष्कृत कपास	237.1	82	172	139.1	99	131	na	...	...
II.3.4	अपरिष्कृत जूट	100.4	8	17	0.7	...	0	8	1	1
II.4	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	800	69	145	12767	136	180	23537	5264	6656
II.5	पशु और वनस्पति तेल और वसा जिसमें से :	...	5	10	...	39	51	...	709	896
II.5.1	खाद्य तेल	31.1	4	8	84.7	23	31	1633.3	677	857
II.6	उर्वरक और रासायनिक उत्पाद जिसमें से :	...	88	185	...	217	286	...	1490	1884
II.6.1	उर्वरक और उर्वरक सामग्री	307	13	27	2392.7	86	113	5560.2	818	1034
II.6.2	रासायनिक तत्व और यौगिक	...	39	82	...	68	90	...	358	453
II.6.3	रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	...	1	2	...	9	12	...	21	26
II.6.4	चिकित्सीय और भेषजीय उत्पाद	...	10	21	...	24	32	...	85	107
II.6.5	प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल									
II.7	लुगदी और रद्दी कागज	80.3	7	15	71.7	12	16	36.9	18	23
II.8	कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	55.6	12	25	159	25	33	371.4	187	236
II.9	अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमें से	...	6	13	...	33	44	...	555	702
II.9.1	मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	...	1	2	...	25	33	...	417	527
II.10	लौह और इस्पात	1325.2	123	258	683.4	147	194	2031.1	852	1078
II.11	अलौह धातुएं	...	47	99	...	119	158	...	477	604
III.	पूंजीगत वस्तुएं®	...	356	747	...	404	534	...	1910	2416
III.1	धातुओं का विनिर्माण	...	23	48	...	9	12	...	90	113
III.2	गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार समेत उपस्कर और उपकरण®	...	203	426	...	258	341	...	1089	1377
III.3	विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण®	...	57	120	...	70	93	...	260	328
III.4	परिवहन उपकरण	...	72	151	...	67	88	...	472	597
	कुल आयात	...	1122	2353	...	1634	2162	...	12549	15869

सारणी 7.2(क) : मुख्य आयात

(जारी...)

मात्रा: हजार टन
मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर

	1990-91			2000-01			2010-11		
	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I. खाद्य पदार्थ और खाद्य के लिए मुख्यतः जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा) जिसमें से:	...	...	...	...	...	...	...	...	...
I.1 अनाज और अनाज के उत्पाद	308.3	182	102	69.9	90	20	251.5	545	119
II. कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण	...	...	...	...	...	...	...	...	...
II.1 काजूगिरी (असंसाधित)	82.6	134	75	249.7	962	211	501.0	2650	578
II.2 कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त सहित)	105.1	226	126	119.1	695	152	587.7	8074	1771
II.3 रेशे जिसमें से :	...	...	...	...	...	...	...	...	...
II.3.1 कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	21.2	56	31	42.6	275	60	81.5	957	210
II.3.2 अपरिष्कृत ऊन	29.4	182	102	53.7	458	100	94.4	1435	315
II.3.3 अपरिष्कृत कपास	0.2	1	0	212.3	1185	259	56.5	624	137
II.3.4 अपरिष्कृत जूट	32.1	20	11	67.3	84	18	83.1	302	67
II.4 पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	29359	10816	6028	...	71497	15650	...	482282	105964
II.5 पशु और वनस्पति तेल और वसा जिसमें से :	...	...	...	...	...	...	...	...	...
II.5.1 खाद्य तेल	525.8	326	182	4267.9	6093	1334	6677.6	29860	6551
II.6 उर्वरक और रासायनिक उत्पाद जिसमें से :	...	...	...	...	...	...	...	...	...
II.6.1 उर्वरक और उर्वरक सामग्री	7560.3	1766	984	7423.4	3034	664	20658.9	31533	6885
II.6.2 रासायनिक तत्व और यौगिक	...	2289	1276	...	1542	338	...	13278	2914
II.6.3 रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	...	168	94	...	874	191	...	5368	1178
II.6.4 चिकित्सीय और भेषजीय उत्पाद	...	468	261	...	1723	377	...	11114	2436
II.6.5 प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	...	1095	610	...	2551	558	...	31304	6874
II.7 लुगदी और रद्दी कागज	678.2	458	255	1050.9	1290	282	2634.5	5208	1145
II.8 कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	286.4	456	254	585.6	2005	439	2145.0	9614	2111
II.9 अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमें से	...	...	...	...	797	174	...	...	...
II.9.1 मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गहने अथवा अनगढ़े	...	3738	2083	...	22101	4838	...	157596	34620
II.10 लौह और इस्पात	1920.5	2113	1178	1613.6	3569	781	9843.9	47275	10376
II.11 अलौह धातुएं	...	1102	614	...	2462	539	...	212153	46677
III. पूंजीगत वस्तुएं	...	10466	5833	...	25281	5534	...	231712	50907
III.1 धातुओं का विनिर्माण	...	302	168	...	1786	391	...	15167	3332
III.2 गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार समेत उपस्कर और उपकरण	...	4240	2363	...	16915	3703	...	118928	26111
III.3 विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण	...	1702	949	...	2227	487	...	17510	3845
III.4 परिवहन उपकरण	...	1670	931	...	4353	953	...	52112	11467
कुल आयात	...	43198	24075	...	228307	51413	...	1683467	369769

जारी ...

सारणी 7.2(क) : मुख्य आयात

(जारी...)

मात्रा: हजार टन

मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर

	2014-15			2015-16			2016-17 (P)		
	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
I. खाद्य पदार्थ और खाद्य के लिए मुख्यतः जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा) जिसमें से:	...	...	...	...	...	...	...	...	...
I.1 अनाज और अनाज के उत्पाद	120	718	117	786	1798	276	6129	9594	1430
II. कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण	...	...	...	...	...	...	...	...	...
II.1 काजूगिरी (असंसाधित)	933	6600	1087	962	8701	1339	774	9027	1347
II.2 कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त सहित)	916	11691	1916	928	9878	1513	885	10030	1496
II.3 रेशे जिसमें से :	...	...	...	...	...	...	...	...	...
II.3.1 कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	...	2484	407	...	2630	403	...	2454	366
II.3.2 अपरिष्कृत ऊन	97	2126	349	98	2016	308	87	1894	282
II.3.3 अपरिष्कृत कपास	289	3102	509	232	2566	394	499	6338	947
II.3.4 अपरिष्कृत जूट	44	140	23	88	363	56	139	704	105
II.4 पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	...	842874	138326	...	540505	82944	...	582762	86896
II.5 पशु और वनस्पति तेल और वसा जिसमें से :	...	...	...	...	...	...	...	...	...
II.5.1 खाद्य तेल	12732	64890	10621	15644	68677	10492	14010	73048	10894
II.6 उर्वरक और रासायनिक उत्पाद जिसमें से :	...	...	...	...	...	...	...	...	...
II.6.1 उर्वरक और उर्वरक सामग्री	26649	45295	7399	28593	52502	8072	23615	33726	5027
II.6.2 रासायनिक तत्व और यौगिक	...	145919	23899	...	142063	21738	...	147350	21973
II.6.3 रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	...	14937	2448	...	14699	2248	...	15308	2283
II.6.4 चिकित्सीय और भेषजीय उत्पाद	...	33211	5433	...	35575	5440	...	33504	4995
II.6.5 प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	...	73718	12070	...	77070	11795	...	80229	11964
II.7 लुगदी और रद्दी कागज	...	5781	944	...	6265	956	...	6537	975
II.8 कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	...	15681	2567	...	15758	2408	...	17458	2602
II.9 अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमें से	...	...	...	...	...	...	...	...	...
II.9.1 मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गड़े अथवा अनगढ़े	...	137968	22598	...	131366	20070	...	159464	23809
II.10 लौह और इस्पात	16874	75516	12342	20920	73558	11252	13911	55278	8239
II.11 अलौह धातुएं	...	304062	49676	...	295510	45239	...	262961	39226
III. पूंजीगत वस्तुएं ^१	...	348632	56930	...	353160	53879	...	379106	56494
III.1 धातुओं का विनिर्माण	...	27652	4516	...	28631	4372	...	28028	4178
III.2 गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार समेत उपस्कर और उपकरण ^२	...	110772	18106	...	100814	15396	...	100374	14962
III.3 विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण ^३	...	75475	12330	...	86183	13122	...	84157	12548
III.4 परिवहन उपकरण	...	112521	18345	...	119489	18228	...	152606	22728
कुल आयात	...	2737087	448033	...	2490298	381007	...	2577422	384319

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एंड.एस., कोलकाता।

टिप्पणी: उ.न. : उपलब्ध नहीं।

अ: अनंतिम

क वर्ष 1987-88 से, पूंजीगत वस्तुओं में परियोजना वस्तुएं भी शामिल हैं।

ख वर्ष 1992-92 से मद संख्या 111.2 और मद सं. 111.3 में इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल नहीं हैं।

* : II.6.2 रासायनिक तत्व और यौगिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनो, रसायनिक एवं उत्पाद सहित

** : धातु के विनिर्माण से संबंधी आईटम (कुछ आईटीसीएचएस को छोड़कर) पहले ही सारणी 4क के अन्य समूहों के साथ विचार किया जा चुका है।

सारणी 7.2(ख) : मुख्य आयतों का हिस्सा और प्रतिशत परिवर्तन						
वस्तु समूह	(प्रतिशत हिस्सा)			(प्रतिशत परिवर्तन) ^क		
	2014-15	2015-16	2016-17 (अ)	2014-15	2015-16	2016-17 (अ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. खाद्य पदार्थ और सम्बन्धित उत्पाद^ख	3.9	5.1	5.6	19.9	9.3	12.0
<i>जिसमें शामिल हैं :</i>						
1. अनाज ^ग	0.0	0.1	0.4	28.8	135.5	418.2
2. दालें	0.6	1.0	1.1	31.5	40.1	8.8
3. काजू	0.2	0.4	0.4	40.5	23.2	0.5
4. खाद्य तेल	2.4	2.8	2.8	13.1	-1.2	3.8
II. ईंधन	34.8	25.4	26.7	-13.8	-38.1	6.2
5. कोयला ^घ	4.0	3.6	4.1	8.5	-23.2	15.2
6. पेट्रोल, तेल और स्नेहक (पी. ओ.एल.)	30.9	21.8	22.6	-16.0	-40.0	4.8
III. उर्वरक ^ङ	1.7	2.1	1.3	18.1	9.1	-37.7
IV. गन्ता विनिर्माण और अखबारी कागज	0.7	0.8	0.9	1.0	3.5	7.4
V. पूंजीगत वस्तुएं ^च	11.7	13.0	13.6	-1.4	-5.5	5.7
<i>जिसमें शामिल हैं :</i>						
7. बिजली और मशीनी औजारों को छोड़कर मशीनरी	4.0	4.0	3.9	2.8	-15.0	-2.8
8. बिजली संबंधी मशीनरी	2.8	3.4	3.3	5.2	6.4	-4.4
9. परिवहन उपस्कर	4.1	4.8	5.9	-4.9	-0.6	24.7
10. परियोजना वस्तुएं	0.8	0.7	0.5	-20.2	-24.0	-24.7
VI. अन्य	34.0	38.1	37.0	11.2	-4.6	-2.0
<i>जिसमें शामिल हैं :</i>						
11. रसायन ^छ	5.9	6.3	6.3	6.5	-9.0	1.1
12. मोती, बहुमूल्य और अल्प मूल्य रत्न	5.0	5.3	6.2	-5.8	-11.2	18.6
13. लौह और इस्पात ^ज	2.8	3.0	2.1	35.5	-8.8	-26.8
14. अलौह धातुएं ^झ	2.4	2.6	2.6	21.0	-9.5	1.5
15. सोना और चांदी	8.7	9.3	7.6	17.1	-8.8	-17.3
16. व्यावसायिक उपकरण, प्रकाशीय वस्तुएं आदि	0.8	1.0	1.0	0.1	0.4	6.5
17. इलेक्ट्रॉनिक सामान	8.4	10.7	11.2	12.9	9.1	4.7
कुल आयत	100.0	100.0	100.0	-0.5	-15.0	0.9

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एंड.एस., कोलकाता।

टिप्पणी:

अ अनंतिम

क अमरीकी डालर मूल्य में।

ख चाय, चीनी, दूध और क्रीम, मसाले, फल और गिरियां, चावल, गेहूं सहित।

ग अनाज से तैयार खाद्य वस्तुएं।

घ कोक और ब्रिकेट शामिल हैं।

ङ कच्चे उर्वरक; विनिर्मित उर्वरक शामिल हैं।

च धातुओं के विनिर्माण शामिल हैं।

छ कार्बनिक रसायन; अकार्बनिक रसायन, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री सहित।

ज प्राथमिक इस्पात, ढलवां लोहा आधारित वस्तुओं सहित।

झ सोना और चांदी शामिल नहीं हैं।

सारणी 7.3(क) : मुख्य निर्यात

मात्रा: हजार टन मूल्य : ₹ करोड़ और अमरीकी \$ मिलियन									
	1960-61			1970-71			1980-81		
	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमें शामिल है :	...	284	596	...	487	644	...	2057	2601
I. 1 काफी	19.7	7	15	32.2	25	33	87.3	214	271
I. 2 चाय और मेट	199.2	124	260	199.1	148	196	229.2	426	538
I. 3 तेल की खली	433.8	14	29	878.5	55	73	886	125	158
I. 4 तम्बाकू	47.5	16	34	49.8	33	43	91.3	141	178
I. 5 काजू गिरी	43.6	19	40	60.6	57	76	32.3	140	177
I. 6 मसाले	47.2	17	36	46.9	39	51	84.2	11	14
I. 7 चीनी और शीरा	99.6	30	60	473	29	39	97	40	50
I. 8 अपरिष्कृत कपास	32.6	12	25	32.1	14	19	131.6	165	209
I. 9 चावल	...	...	...	32.8	5	7	726.7	224	283
I. 10 मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	19.9	5	10	32.6	31	40	69.4	217	274
I. 11 मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ	...	1	2	...	3	4	...	56	70
I. 12 फल, सब्जियां और दालें (काजू गिरी, संसाधित फलों व जूस के अतिरिक्त)	...	6	13	...	12	16	...	80	101
I. 13 विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल हैं)	...	1	2	...	4	6	...	36	45
II. अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमें शामिल है :	...	52	109	...	164	217	...	414	523
II.1 अभ्रक	28.4	...	...	26.7	16	21	16.7	18	22
II.2 लौह अयस्क (मिलियन टन)	3.2	17	36	21.2	117	155	22.4	303	384
III. विनिर्मित वस्तुएं जिसमें शामिल है :	...	291	610	...	772	1021	...	3747	4738
III. 1 कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से:	...	73	153	...	145	192	...	933	1179
III.1.1 सूती धागे, वस्त्र और उनसे तैयार वस्तुएं आदि	...	65	136	...	142	188	...	408	516
III.1.2 सभी प्रकार के कपड़े के सिले सिलाए वस्त्र	...	1	2	...	29	39	...	550	696
III. 2 नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	6	13	...	13	17	...	17	22
III. 3 बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	790.0	135	283	560.0	190	252	660.0	330	417
III. 4 चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान जिसमें चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं	...	28	59	...	80	106	...	390	493
III. 5 हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचे सहित) [†] जिसमें शामिल है :	...	11	23	...	73	96	...	952	1204
III. 5.1 रत्न और आभूषण	...	1	2	...	45	59	...	618	782
III. 6 रसायन और संबद्ध उत्पाद [‡]	...	7	15	...	29	39	...	225	284
III. 7 मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित धात्विक निर्मित सामान [§]	...	22	46	...	198	261	...	827	1045
IV. खनिज ईंधन और स्नेहक (कोयले सहित)^{††}	...	7	15	...	13	17	...	28	35
कुल निर्यात	...	642	1346	...	1535	2031	...	6711	8486

सारणी 7.3(क) : मुख्य निर्यात

(जारी...)

मात्रा: हजार टन

मूल्य : ₹ करोड़ और अमरीकी \$ मिलियन

	1990-91			2000-01			2010-11		
	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I. कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमें शामिल है :	...	6317	3521	...	28582	6256	...	111393	24448
I. 1 काफी	86.5	252	141	184.9	1185	259	232.6	3010	662
I. 2 चाय और मेट	199.1	1070	596	202.4	1976	433	238.3	3354	736
I. 3 तेल की खली	2447.8	609	339	2417.8	2045	448	6936.9	11070	2438
I. 4 तम्बाकू	87.1	263	147	108.3	871	191	215.9	3985	875
I. 5 काजू गिरी	55.5	447	249	83.8	1883	412	12156.5	2853	627
I. 6 मसाले	103.3	239	133	244.9	1619	354	762.7	8043	1768
I. 7 चीनी और शीरा	191.0	38	21	769.0	511	112	2086.3	5633	1246
I. 8 अपरिष्कृत कपास	374.4	846	471	30.2	224	49	1885.8	13160	2910
I. 9 चावल	505.0	462	257	1534.4	2943	644	2471.4	11586	2545
I. 10 मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	158.9	960	535	502.6	6367	1394	825.3	11917	2623
I. 11 मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ	...	140	78	...	1470	322	...	8960	1971
I. 12 फल, सब्जियाँ और दालें (काजू गिरी, संसाधित फलों व जूस के अतिरिक्त)	...	216	120	...	1609	352	...	6350	1397
I. 13 विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल हैं)	...	213	119	...	1094	239	...	3669	806
II. अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमें शामिल है :	...	1497	834	...	4139	906	...	39098	8581
II.1 अभ्रक	42.0	35	19	63.2	64	14	125.8	189	42
II.2 लौह अयस्क (मिलियन टन)	32.5	1049	585	20161.4	1634	358	46.9	21416	4715
III. विनिर्मित वस्तुएं जिसमें शामिल है :	...	23736	13229	...	160723	35181	...	789433	173263
III. 1 कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से:	...	6832	3807	...	...	...	...	...	...
III.1.1 सूती धागे, वस्त्र और उनसे तैयार वस्तुएं आदि	...	2100	1170	...	16030	3509	...	13160	2910
III.1.2 सभी प्रकार के कपड़े के सिले सिलाए वस्त्र	...	4012	2236	...	25478	5577	...	52861	11614
III. 2 नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	48	27	...	221	48	...	726	159
III. 3 बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	220.0	298	166	...	932	204	...	2092	459
III. 4 चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान जिसमें चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं	...	2600	1449	...	8914	1951	...	17818	3909
III. 5 हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचे सहित) ⁷ जिसमें शामिल है :	...	6167	3437	...	5097	1116	...	5877	1293
III. 5.1 रत्न और आभूषण	...	5247	2924	...	33734	7384	...	184420	40509
III. 6 रसायन और संबद्ध उत्पाद ⁸	...	2111	1176	...	22851	5002	...	131544	28905
III. 7 मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित धात्विक निर्मित सामान ⁹	...	3872	2158	...	31870	6976	...	226805	49815
IV. खनिज ईंधन और स्नेहक (कोयले सहित)¹⁰	...	948	528	...	8822	1931	...	192639	42280
कुल निर्यात	...	32553	18143	...	201356	44076	...	1136964	251136

जारी ...

सारणी 7.3(क) : मुख्य निर्यात

(जारी...)

मात्रा : हजार टन
मूल्य : ₹ करोड़ और अमरीकी \$ मिलियन

		2014-15			2015-16			2016-17 (अ.)		
		मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन	मात्रा	₹ करोड़	\$ मिलियन
(1)		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
I.	कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमें शामिल है :	240639	39356		216369	33049		...	228001	33994
I. 1	काफी	463.6	4973	813	255.7	5125	783	289.7	5669	845
I. 2	चाय और मेट	234.4	4171	682	245.7	4719	721	244.4	4926	734
I. 3	तेल की खली	3904.6	8129	1329	2056.3	3600	550	2616.1	5378	802
I. 4	तम्बाकू	251.2	5869	960	249.1	6452	986	240.9	6451	962
I. 5	काजू गिरी	145.3	5622	919	114.7	5086	777	104.0	5347	797
I. 6	मसाले	939.0	14848	2428	831.7	16630	2540	1019.3	19442	2899
I. 7	चीनी और शीरा	2202.8	5522	903	4663.0	10481	1601	2939.1	8993	1341
I. 8	अपरिष्कृत कपास	1142.5	11643	1904	1347.0	12821	1958	1002.7	10982	1637
I. 9	चावल	12001.0	48028	7855	10510.3	38202	5835	10821.2	38750	5778
I. 10	मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	1231.8	33688	5510	978.0	31219	4769	1190.5	39707	5920
I. 11	मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ	...	30128	4927	...	27528	4205	...	27198	4055
I. 12	फल, सब्जियां और दालें (काजू गिरी, संसाधित फलों व जूस के अतिरिक्त)	...	9045	1479	...	11084	1693	...	13854	2066
I. 13	विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल है)	...	13037	2132	...	14100	2154	...	12449	1856
II.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमें शामिल है :	...	28684	4691	...	26634	4068	...	35947	5360
II.1	अभ्रक	140.4	342	56	135.01	344	53	135.3	376	56
II.2	लौह अयस्क (मिलियन टन)	7.3	3143	514	5.4	1263	193	30.4	10175	1517
III.	बिनिर्मित वस्तुएं जिसमें शामिल है :	...	1266137	207076	...	1251146	191107	...	1363232	203255
III. 1	कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से:	...	42456	6944	...	40314	6158	...	32253	...
III.1.1	सूती धागे, वस्त्र और उनसे तैयार वस्तुएं आदि	...	57832	9458	...	58073	8870	...	57544	8580
III.1.2	सभी प्रकार के कपड़े के सिले सिलाए वस्त्र	...	102943	16836	...	111019	16958	...	117067	17454
III. 2	नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	1725	282	...	1717	262	...	1986	296
III. 3	बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	...	1934	316	...	2049	313	...	2088	311
III. 4	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान जिसमें चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं	...	37853	6191	...	36326	5549	...	35731	5327
III. 5	हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचे सहित) [†] जिसमें शामिल है :	...	16728	2736	...	20145	3077	...	22892	3413
III. 5.1	रत्न और आभूषण	...	252208	41248	...	257416	39319	...	291984	43534
III. 6	रसायन और संबद्ध उत्पाद [‡]	...	228282	37335	...	244779	37389	...	308529	46001
III. 7	मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित धात्विक निर्मित सामान [§]	...	433863	70958	...	384385	58713	...	436542	65087
IV.	खनिज ईंधन और स्नेहक (कोयले सहित) [†]	...	351090	57421	...	203735	31120	...	216280	32247
कुल निर्यात		...	1896445	310352	...	1716378	262290	...	1852340	276280

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कोलकाता

.... : उपलब्ध नहीं

अ: अनंतिम

टिप्पणी

क रसायनों और संबंधित उत्पादों के आंकड़े “आधारभूत रसायन” और “प्लास्टिक लिनोलियम उत्पादों” से संबंधित हैं।

ख इसमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं।

ग रत्न और आभूषण को हस्तशिल्प से निकाल दिया गया है और 1997-98 से अलग मद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

घ वर्ष 1990-91 और 2000-01 के दौरान कच्चे तेल के निर्यात से संबंधित राशि शून्य है।

सारणी 7.3(ख) : मुख्य निर्यातों का हिस्सा और प्रतिशत परिवर्तन

वस्तु समूह	(प्रतिशत हिस्सा)			(प्रतिशत परिवर्तन) ^क		
	2014-15	2015-16	2016-17 (अ)	2014-15	2015-16	2016-17 (अ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. कृषि और सम्बन्धित वस्तुएं, जिसमें शामिल है :	12.7	12.6	12.3	-8.8	-16.0	2.9
1 चाय	0.2	0.3	0.3	-15.3	5.7	1.9
2 काफी	0.3	0.3	0.3	2.5	-3.7	8.0
3 अनाज	3.1	2.4	2.2	-9.2	-34.4	-3.2
4 अनिर्मित तम्बाकू	0.2	0.3	0.2	-13.9	-1.9	-4.7
5 मसाले	0.8	1.0	1.0	-3.0	4.6	14.1
6 काजू	0.3	0.3	0.3	8.4	-15.5	2.6
7 आयल मीलस	0.4	0.2	0.3	-52.9	-58.6	45.8
8 फल, सब्जियां और दालें	0.5	0.6	0.7	-17.0	14.5	6.4
9 सामुद्रिक उत्पाद	1.8	1.8	2.1	8.8	-13.4	24.2
10 अपरिष्कृत कपास	0.6	0.7	0.6	-48.4	2.8	-16.4
II. अयस्क और खनिज जिसमें शामिल है :	1.5	1.6	1.9	-18.6	-13.3	31.7
11 लौह अयस्क	0.2	0.1	0.5	-67.2	-62.5	686.3
12 संसाधित खनिज	0.3	0.3	0.3	3.1	-15.5	2.8
13 अन्य अयस्क और खनिज	0.7	0.8	0.7	-2.9	-9.5	1.3
III. विनिर्मित वस्तुएं, जिसमें से	66.7	72.9	73.6	3.7	-7.7	6.4
14 चमड़ा और उससे बने उत्पाद	1.3	1.3	1.2	5.6	-13.1	-6.2
15 चमड़े के जूते	0.7	0.8	0.8	11.9	-5.7	-0.6
16 रत्न व आभूषण	13.3	15.0	15.8	-0.3	-4.7	10.7
17 दवाइयां, फार्मास्युटिकल और उत्तम रसायन	1.1	1.4	1.2	-1.2	0.9	-5.4
18 रंगाई/मध्यवर्ती और कोलतार रसायन	0.8	0.8	0.8	9.4	-13.2	3.0
19 धातुओं के उत्पाद	5.4	5.2	5.0	21.0	-19.1	2.0
20 मशीनरी और उपकरण	5.9	6.7	6.8	12.6	-4.1	5.8
21 परिवहन उपस्कर	7.9	7.5	7.7	21.8	-20.2	8.2
22 प्राथमिक एवं अर्धनिर्मित लौह और इस्पात	2.8	2.1	3.2	-6.3	-37.0	59.5
23 इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	1.8	2.0	2.0	-22.1	-5.6	1.6
24 सूती धागे, वस्त्र एवं उससे निर्मित वस्तुएं इत्यादि	3.0	3.4	3.1	-2.5	-6.2	-3.3
25 सिले-सिलाए वस्त्र	5.4	6.5	6.3	12.3	0.7	2.9
26 हस्तशिल्प	0.4	0.6	0.7	-8.7	19.0	17.6
IV. कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद (कोयला सहित)	18.5	11.9	11.7	-11.4	-45.8	3.6
V. अन्य और अवर्गीकृत मर्दे	0.5	1.1	0.5	7.5	74.5	-53.1
कुल निर्यात	100.0	100.0	100.0	-1.3	-15.5	5.3

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता।

टिप्पणी:

अ: अग्रिम

क: अमरीकी डालर मूल्य में

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात												
क्षेत्र/देश	2013-14		2014-15		परिवर्तन (2)		हिस्सा (प्रतिशत)	2015-16		2016-17(अ.)		परिवर्तन (10) की तुलना में (8) (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (4) (प्रतिशत)	(6)		(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 यूरोप	71010	424266	73920	451909	4.1	16.5	64633	422624	60236	403972	-6.8	15.7
1.1 यूरोपीय संघ के देश (27)	49951	301284	49208	300771	-1.5	11.0	43898	287133	41147	275993	-6.3	10.8
1. जर्मनी	12932	78210	12788	78181	-1.1	2.9	12088	79098	11484	77036	-5.0	3.0
2. बेल्जियम	10752	64672	10806	65939	0.5	2.4	8256	54001	6658	44617	-19.4	1.7
3. यूनाइटेड किंगडम	6045	36043	5018	30733	-17.0	1.1	5193	33936	3704	24845	-28.7	1.0
4. इटली	3692	22331	4416	27030	19.6	1.0	3730	24420	4609	30920	23.6	1.2
5. फ्रांस	4157	25141	4232	25862	1.8	0.9	4072	26645	3860	25888	-5.2	1.0
6. नीदरलैंड	3139	18921	2803	17095	-10.7	0.6	1860	12168	1897	12740	2.0	0.5
7. स्पेन	1843	11172	2005	12281	8.8	0.4	1646	10756	1969	13226	19.6	0.5
8. स्वीडन	1679	10158	1748	10702	4.1	0.4	1485	9693	1162	7796	-21.7	0.3
9. फिनलैंड	1054	6422	917	5600	-13.0	0.2	1002	6550	976	6552	-2.6	0.3
10. आस्ट्रिया	829	5018	816	4982	-1.6	0.2	827	5422	909	6087	9.9	0.2
11. पोलैंड	623	3780	636	3891	2.1	0.1	570	3731	682	4581	19.8	0.2
12. आयरलैंड	558	3379	533	3260	-4.5	0.1	552	3613	504	3383	-8.5	0.1
13. चेक गणराज्य	518	3140	518	3166	0.0	0.1	508	3319	547	3672	7.8	0.1
14. डेनमार्क	445	2692	458	2801	2.9	0.1	429	2812	482	3232	12.4	0.1
15. रोमानिया	376	2268	296	1812	-21.1	0.1	309	2024	320	2143	3.3	0.1
16. हंगरी	220	1334	240	1466	8.6	0.1	243	1586	219	1466	-9.9	0.1
17. पुर्तगाल	340	2075	145	885	-57.3	0.0	103	671	141	946	37.7	0.0
18. स्लोवानिया	53	322	137	846	157.9	0.0	65	423	69	464	7.1	0.0
19. ग्रीस	109	659	128	779	16.7	0.0	111	722	122	820	10.0	0.0
20. इस्त्रोनिया	115	710	118	720	2.4	0.0	142	913	102	687	-27.8	0.0
21. लिथुआनिया	54	323	112	678	108.4	0.0	214	1404	271	1820	26.5	0.1
22. स्लोवाक गणराज्य	118	714	105	639	-11.5	0.0	89	579	102	682	14.8	0.0
23. बुल्गारिया	94	568	104	634	10.7	0.0	94	616	182	1220	94.4	0.0
24. लक्जमबर्ग	46	277	42	256	-9.4	0.0	176	1143	46	310	-73.8	0.0
25. लात्विया	104	622	36	220	-65.1	0.0	62	399	40	266	-35.6	0.0
26. माल्टा	34	210	28	174	-17.5	0.0	26	174	22	150	-15.4	0.0
27. साइप्रस	20	122	23	140	12.4	0.0	48	314	67	445	38.2	0.0

जारी ...

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14		2014-15		परिवर्त (2)		हिस्सा		2015-16		2016-17(अ.)	
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (4)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	परिवर्त (10) की तुलना में (8) (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)	20063	116922	23140	141551	15.3	5.2	19890	129967	17825	119503	-10.4	4.7
1. स्विट्जरलैंड	19311	112338	22133	135367	14.6	4.9	19299	126074	17255	115663	-10.6	4.5
2. नार्वे	745	4540	1001	6148	34.4	0.2	585	3858	565	3803	-3.5	0.1
3. आइसलैंड	7	41	5	29	-29.3	0.0	4	27	5	32	10.1	0.0
4. लेटस्वोन	0	3	1	7	148.9	0.0	1	8	1	6	-27.1	0.0
1.3 अन्य यूरोपीय देश	996	6060	1572	9587	57.8	0.4	845	5524	1264	8475	49.6	0.3
1. तुर्की	760	4594	1464	8937	92.5	0.3	777	5080	1208	8101	55.5	0.3
2. अल्बेनिया	199	1244	51	301	-74.5	0.0	17	114	7	44	-62.2	0.0
3. क्रोशिया	10	58	29	174	194.8	0.0	36	236	22	147	-39.4	0.0
4. सर्बिया व मोन्टेनेग्रो यूनियन	6	33	15	93	172.6	0.0	3	19			-100.0	0.0
5. मकदूनिया	20	121	9	56	-54.6	0.0	7	46	24	162	240.8	0.0
6. बोसनिया-हर्जेगोविना	2	10	4	26	156.6	0.0	4	29	3	22	-24.5	0.0
2. अफ्रीका	36627	221340	38635	235792	5.5	8.6	31667	206498	28826	193327	-9.0	7.5
2.1 दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ (एसएससीयू)	6598	39081	7567	46262	14.7	1.7	6547	42692	7235	48515	10.5	1.9
1. दक्षिणी अफ्रीका	6075	35858	6497	39741	6.9	1.5	5948	38785	5814	38980	-2.3	1.5
2. बोत्स्वाना	383	2361	1013	6168	164.5	0.2	542	3539	1307	8766	141.1	0.3
3. नामिबिया	13	78	34	209	164.8	0.0	10	68	50	338	382.8	0.0
4. स्वाज़ीलैंड	125	770	22	136	-82.3	0.0	41	268	39	264	-3.9	0.0
5. लेसोथो	3	14	1	8	-45.0	0.0	5	32	25	167	404.3	0.0
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीका देश	6541	39962	5259	32059	-19.6	1.2	3630	23656	3947	26466	8.8	1.0
1. अंगोला	5992	36651	4618	28118	-22.9	1.0	2767	17984	2596	17406	-6.2	0.7
2. मोज़ाम्बिक	293	1781	326	1998	11.2	0.1	363	2375	546	3662	50.5	0.1
3. ज़ाम्बिया	243	1454	283	1740	16.5	0.1	475	3134	744	4991	56.5	0.2
4. जिंबाब्वे	13	76	33	202	161.6	0.0	24	162	60	406	147.3	0.0
2.3. पश्चिमी अफ्रीका	17237	104580	20035	122203	16.2	4.5	16741	109124	13025	87368	-22.2	3.4
1. नाइजीरिया	14098	85767	13683	83433	-2.9	3.1	9949	64923	7659	51375	-23.0	2.0
2. घाना	371	2250	1258	7741	239.4	0.3	2981	19405	1939	13015	-35.0	0.5
3. गैबोन	868	5077	793	4811	-8.7	0.2	106	691	69	466	-34.2	0.0
4. इक्वेटोरियल गिनी	302	1869	749	4581	148.3	0.2	457	3012	798	5353	74.5	0.2
5. कैमरून	268	1624	745	4542	177.8	0.2	558	3619	359	2411	-35.6	0.1

जारी ...

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17(अ.)		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	परिवर्तन (10) की तुलना में (8) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6. गिनी	194	1116	730	4449	275.4	0.2	370	2405	279	1874	-24.6	0.1
7. कोट डी आईबर	298	1791	532	3216	78.3	0.1	572	3697	456	3056	-20.4	0.1
8. कांगो जनवादी गणराज्य	90	539	366	2231	308.3	0.1	202	1305	157	1049	-22.4	0.0
9. बेनिन	168	1001	222	1343	32.5	0.0	276	1778	207	1391	-24.8	0.1
10. सेनेगल	154	954	208	1270	35.5	0.0	264	1727	316	2118	19.7	0.1
11. टोगो	156	949	196	1198	25.1	0.0	225	1454	138	929	-38.5	0.0
12. गिनी बिसाऊ	110	678	158	967	44.4	0.0	198	1294	216	1443	8.8	0.1
13. बुरुकिना फासो	17	101	152	937	816.3	0.0	238	1550	256	1715	7.7	0.1
14. माली	71	426	79	476	10.8	0.0	243	1606	99	662	-59.1	0.0
15. लाइबेरिया	27	156	58	359	114.7	0.0	32	205	8	51	-76.2	0.0
16. मोरिटानिया	7	44	43	265	489.9	0.0	19	122	11	73	-41.0	0.0
17. गाम्बिया	29	182	36	220	23.6	0.0	31	204	43	290	37.8	0.0
18. सिररा लियोन	6	34	24	144	324.3	0.0	17	108	12	82	-26.1	0.0
19. केप वर्ड द्वीप	3	19	3	18	-6.6	0.0	3	18	2	13	-31.4	0.0
20. नाईजर	1	3	1	3	1.9	0.0	0	2	0	0	-90.6	0.0
21. सेंट हेलेना	0	1	0	1	0.0	0.0			0	0		0.0
22. साओ टोम	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
2.4 मध्य अफ्रीका	108	647	266	1630	145.7	0.1	531	3438	369	2475	-30.5	0.1
1. कांगो लोक	47	277	126	770	167.4	0.0	98	624	86	576	-12.1	0.0
2. चाड	11	68	63	390	457.5	0.0	321	2077	169	1138	-47.2	0.0
3. युगांडा	33	200	38	230	13.7	0.0	46	300	69	462	51.4	0.0
4. मलावी	15	94	37	228	142.8	0.0	64	422	41	278	-35.7	0.0
5. रवांडा	0	2	1	7	384.0	0.0	1	9	1	8	-12.6	0.0
6. मध्य अफ्रीकी गणराज्य	1	5	1	4	-30.8	0.0	1	5	0	3	-54.2	0.0
7. बुरुंडी	0	1	0	2	61.1	0.0	0	1	2	11	1,354.5	0.0
2.5 पूर्वी अफ्रीका	1034	6160	1442	8837	39.5	0.3	1327	8724	1319	8854	-0.6	0.3
1. तंजानिया गणराज्य	724	4298	1089	6680	50.3	0.2	925	6086	948	6370	2.6	0.2
2. केन्या	127	763	117	717	-7.3	0.0	128	837	104	699	-18.2	0.0
3. मेडागास्कर	53	317	95	585	80.3	0.0	142	933	120	802	-15.5	0.0

जारी ...

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14		2014-15		परिवर्तन (2)		2015-16		2016-17(अ.)		परिवर्तन (10)	
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (8) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4. इथियोपिया	28	170	44	272	55.8	0.0	61	399	67	449	10.0	0.0
5. सोमालिया	46	279	38	231	-17.5	0.0	16	101	18	119	13.6	0.0
6. रिवूनियन	23	137	23	138	-0.8	0.0	19	123	14	93	-26.0	0.0
7. मारीशस	21	125	21	129	1.9	0.0	20	133	18	123	-9.8	0.0
8. कोमोरोस	7	41	11	70	71.5	0.0	15	100	26	173	69.9	0.0
9. जिबूती	4	24	1	9	-64.6	0.0	1	8	3	19	129.3	0.0
10. सेशल्स	1	6	1	7	18.2	0.0	1	4	1	6	38.8	0.0
2.6 उत्तरी अफ्रीका	5109	30910	4066	24801	-20.4	0.9	2893	18864	2930	19650	1.3	0.8
1. मिस्र आब गणराज्य	2389	14391	1742	10645	-27.1	0.4	1221	7922	1161	7794	-4.9	0.3
2. मौरक्कां	879	5388	936	5725	6.5	0.2	1078	7051	796	5343	-26.1	0.2
3. सूडान	436	2697	570	3440	30.5	0.1	149	964	245	1639	64.5	0.1
4. अल्जीरिया	861	5232	552	3380	-35.9	0.1	299	1972	605	4055	102.1	0.2
5. ट्यूनिशिया	92	557	196	1191	114.3	0.0	136	899	115	769	-15.9	0.0
6. लीबिया	452	2645	70	419	-84.5	0.0	9	56	7	50	-15.9	0.0
3. अमरीका	57454	347400	55909	341700	-2.7	12.5	45990	300963	46372	311093	0.8	12.1
3.1 उत्तरी अमरीका	29326	176996	28957	177103	-1.3	6.5	28299	185376	29117	195332	2.9	7.6
1. संयुक्त अमरीका	22505	135613	21815	133421	-3.1	4.9	21781	142678	22104	148241	1.5	5.8
2. कनाडा	3148	19030	3749	22966	19.1	0.8	4234	27793	4069	27314	-3.9	1.1
3. मैक्सिको	3672	22353	3393	20717	-7.6	0.8	2283	14905	2945	19776	29.0	0.8
3.2 लैटिन अमरीका	28128	170404	26952	164596	-4.2	6.0	17692	115587	17255	115762	-2.5	4.5
1. कोलुम्बिया	13940	84384	11730	71586	-15.9	2.6	5702	37150	5512	36964	-3.3	1.4
2. ब्राजील	3721	22547	5401	33037	45.1	1.2	4040	26392	4115	27653	1.8	1.1
3. चिली	2508	15230	3081	18806	22.8	0.7	1961	12759	1226	8229	-37.5	0.3
4. कोलंबिया	4971	29996	2135	13070	-57.0	0.5	808	5266	594	3985	-26.5	0.2
5. अर्जेंटीना	1338	8155	1992	12167	48.9	0.4	2472	16251	2501	16763	1.2	0.7
6. इक्वेडोर	255	1588	1066	6415	317.2	0.2	564	3652	356	2384	-36.9	0.1
7. पेरू	524	3172	590	3617	12.6	0.1	820	5407	1077	7227	31.3	0.3
8. डोमिनिक गणराज्य	13	76	291	1803	2,225.3	0.1	479	3146	675	4515	41.0	0.2
9. सूरीनाम	13	79	211	1309	1,503.6	0.0	43	279	46	309	6.0	0.0
10. कोस्टा रिका	204	1236	155	942	-23.9	0.0	62	403	59	394	-5.4	0.0

जारी ...

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17(अ.)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	परिवर्तन (10) की तुलना में (8) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11. पुरुष	5	33	88	540	1,568.9	0.0	112	736	155	1042	38.3	0.0
12. त्रिनिदाद	5	33	68	427	1,178.9	0.0	92	609	174	1164	88.8	0.0
13. पनामा गणराज्य	42	251	30	186	-26.8	0.0	72	473	166	1114	128.5	0.0
14. होङ्कंग	23	137	25	155	12.0	0.0	16	104	22	149	39.3	0.0
15. उरुग्वे	20	124	20	124	-0.3	0.0	18	116	13	90	-24.1	0.0
16. म्बेन्जाला	13	78	17	104	30.5	0.0	13	81	22	146	73.3	0.0
17. नीदरलैंड एंटील	4	26	11	69	160.0	0.0	59	395	67	448	13.1	0.0
18. गुयाना	7	44	10	63	41.5	0.0	18	121	14	97	-21.6	0.0
19. अल सल्वाडोर	8	48	10	63	28.5	0.0	6	40	6	39	-6.6	0.0
20. बोलिविया	2	14	4	22	47.1	0.0	240	1580	174	1167	-27.8	0.0
21. फाकलैण्ड द्वीप समूह	2	10	3	16	65.0	0.0	2	11			-100.0	0.0
22. निकरागुआ	3	16	2	13	-17.4	0.0	4	25	3	18	-31.9	0.0
23. जर्मेनी	1	6	2	11	97.8	0.0	2	10	1	8	-24.5	0.0
24. हैटी	1	6	2	10	65.3	0.0	3	21	4	24	10.1	0.0
25. क्यूबा	2	15	2	10	-34.6	0.0	1	9	1	9	-1.5	0.0
26. फ्रेंच गियाना	2	15	1	9	-42.9	0.0	1	8	1	10	25.0	0.0
27. ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स	0	1	1	5	412.5	0.0	2	10	7	45	333.5	0.0
28. बहामास	494	3052	1	4	-99.9	0.0	77	511	259	1728	235.1	0.1
29. वर्जिन द्वीप यूएस	2	14	1	4	-73.5	0.0	1	7	5	30	319.4	0.0
30. ऐन्टिगुआ	0	0	0	3	1,125.0	0.0	0	0	0	0	-100.0	0.0
31. सेंट किट्सिया	0	0	0	2	1,750.0	0.0	0	1	0	0	-93.8	0.0
32. बेलिन	2	9	0	1	-86.5	0.0	1	7	1	3	-48.5	0.0
33. बर्बाडोस	0	1	0	1	54.5	0.0	0	1	0	1	5.9	0.0
34. सेंट लूसिया	1	3	0	1	-72.0	0.0	0	3	0	2	-46.7	0.0
35. डोमिनिका	0	0	0	1	42.9	0.0	0	1	1	5	670.0	0.0
36. मार्टिनिक्	0	1	0	1	-25.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
37. बरमूडा	0	0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
38. गुआडेलूप	0	2	0	0	-77.1	0.0	0	0	0	0	-100.0	0.0

जारी ...

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14		2014-15		परिवर्तन (2)		2015-16		2016-17(अ.)		परिवर्तन (10)	
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (4)	हिस्सा (प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (8)	हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39. तुर्क सी द्वीप समूह	0	1	0	0	-91.7	0.0	0	0	0	0	50.0	0.0
40. मॉस्टेरट	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
41. केयमेन द्वीप	0	0	0	0	-100.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
42. सेंट वीसेंट	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
43. ग्रेनाडा	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
4. एशिया	273198	1650452	263913	1612004	-3.4	58.9	222628	1455055	230300	1544520	3.4	60.2
4.1 पूर्वी एशिया (ओसियाना)	10628	63822	11024	67445	3.7	2.5	9703	63430	11798	79181	21.6	3.1
1. आस्ट्रेलिया	9823	58958	10247	62701	4.3	2.3	8899	58181	11124	74658	25.0	2.9
2. न्यूजीलैंड	615	3701	591	3608	-3.8	0.1	548	3585	504	3385	-7.9	0.1
3. पापुआ न्यू गिनी	178	1084	157	961	-11.8	0.0	180	1161	108	726	-39.8	0.0
4. सोलोमन आईलैंड	5	33	13	84	154.2	0.0	68	444	54	364	-20.3	0.0
5. नौरु गणराज्य	5	30	10	62	114.1	0.0	6	38	0	0	-99.3	0.0
6. फिजी आईलैंड	2	11	2	11	-10.0	0.0	0	2	1	4	62.2	0.0
7. टूवालु			1	9	0	0.0	0	0	0	1	1,200.0	0.0
8. समोआ	0	0	1	7	5,800.0	0.0	2	16	6	42	156.1	0.0
9. टिमोलेसाइट	1	5	0	2	-62.7	0.0	0	0	0	1	466.7	0.0
10. किरिबाती गणराज्य	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
11. वेंतुआटु गणराज्य	0	0	0	0	0	0.0	0	2	0	0	-100.0	0.0
12. टोंगा	0	0	0	0	-50.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
4.2. आसियान	41278	249595	44715	273405	8.3	10.0	39910	260744	40637	272530	1.8	10.6
1. इंडोनेशिया	14748	89035	15005	91845	1.7	3.3	13132	85800	13431	90101	2.3	3.5
2. मलेशिया	9230	55902	11118	67919	20.5	2.5	9084	59373	8938	59912	-1.6	2.3
3. सिंगापुर	6762	41063	7124	43552	5.4	1.6	7308	47735	7095	47598	-2.9	1.9
4. थाईलैंड	5340	32380	5866	35862	9.8	1.3	5510	36011	5421	36350	-1.6	1.4
5. वियतनाम सङ्घ	2594	15568	3003	18398	15.8	0.7	2560	16763	3321	22263	29.7	0.9
6. म्यांमार	1396	8391	1232	7477	-11.8	0.3	984	6378	1066	7146	8.3	0.3
7. ब्रुनेई	764	4575	841	5134	10.1	0.2	554	3610	628	4208	13.3	0.2
8. फिलीपीन्स	392	2372	423	2585	8.0	0.1	542	3532	495	3318	-8.8	0.1
9. लाओ पी डी आर	39	229	85	523	116.4	0.0	180	1182	207	1391	15.2	0.1

जारी ...

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17(अ.)		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	परिवर्त (10) की तुलना में (8) (प्रतिशत)	दिसा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10. कंबोडिया	13	77	18	110	41.2	0.0	54	360	36	242	-33.7	0.0
4.3 पश्चिम एशियाई-जीसीसी	101799	614287	84433	514788	-17.1	18.8	55790	364147	55080	369347	-1.3	14.4
1. सऊदी अरब	36404	220515	28108	171221	-22.8	6.3	20321	132580	19957	133842	-1.8	5.2
2. संयुक्त अरब अमीरात	29020	174127	26140	159625	-9.9	5.8	19446	126981	21471	143973	10.4	5.6
3. कतर	15708	95005	14605	89064	-7.0	3.3	9022	58912	7632	51183	-15.4	2.0
4. कुवैत	17154	103363	13382	81511	-22.0	3.0	4970	32379	4457	29863	-10.3	1.2
5. ओमान	2951	17828	1752	10648	-40.6	0.4	1675	10957	1272	8535	-24.0	0.3
6. बहरीन द्वीपसमूह	563	3449	446	2720	-20.8	0.1	357	2339	291	1951	-18.5	0.1
4.4 अन्य पश्चिम एशियाई	32646	197386	26997	164590	-17.3	6.0	20140	131170	25070	168143	24.5	6.6
1. इराक	18521	111638	14248	86779	-23.1	3.2	10838	70564	11702	78476	8.0	3.1
2. ईरान	10307	62798	8955	54588	-13.1	2.0	6279	40823	10507	70478	67.3	2.7
3. इजराइल	2312	13888	2328	14229	0.7	0.5	2095	13713	1966	13182	-6.2	0.5
4. जोर्डन	611	3637	858	5253	40.5	0.2	853	5580	828	5556	-2.9	0.2
5. यमन गणराज्य	782	4727	541	3326	-30.9	0.1	7	44	5	32	-30.1	0.0
6. लेबनान	37	224	40	242	6.7	0.0	28	180	30	203	9.4	0.0
7. सीरिया	77	474	28	173	-63.0	0.0	41	266	32	216	-20.4	0.0
4.5 उत्तर पूर्वी एशिया	84373	510353	93813	573828	11.2	20.9	94110	616105	95083	637666	1.0	24.8
1. चीन जनवादी गणराज्य	51035	309235	60413	369565	18.4	13.5	61707	404043	61311	411288	-0.6	16.0
2. कोरिया गणराज्य	12471	75283	13529	82720	8.5	3.0	13047	85363	12581	84376	-3.6	3.3
3. जापान	9481	57212	10131	61990	6.9	2.3	9850	64493	9748	65372	-1.0	2.5
4. होंगकांग	7322	44107	5572	34089	-23.9	1.2	6052	39636	8205	54912	35.6	2.1
5. ताईवान	4041	24382	4029	24618	-0.3	0.9	3354	21921	3144	21081	-6.3	0.8
6. कोरिया डी पी आर	12	68	132	805	957.1	0.0	88	567	85	570	-2.9	0.0
7. मंगोलिया	9	51	4	26	-50.9	0.0	4	27	2	13	-51.9	0.0
8. मकाऊ	3	16	2	14	-13.2	0.0	8	54	8	53	-4.6	0.0
(छ) दक्षिणी एशिया	2473	15009	2931	17948	18.5	0.7	2975	19459	2631	17653	-11.6	0.7
1. श्रीलंका	667	4064	756	4643	13.4	0.2	743	4854	596	3997	-19.8	0.2
2. नेपाल	530	3204	640	3916	20.8	0.1	471	3069	442	2965	-6.1	0.1
3. बंगलादेश	484	2903	621	3794	28.3	0.1	727	4767	701	4701	-3.6	0.2

जारी ...

सारणी 7.4(क) : आयातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14		2014-15		परिवर्त (2)		2015-16		2016-17(अ.)		परिवर्त (10)	
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (8) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4. पाकिस्तान	427	2607	497	3041	16.5	0.1	441	2885	456	3056	3.3	0.1
5. अफगानिस्तान	209	1288	262	1613	25.5	0.1	308	2029	293	1967	-4.9	0.1
6. भूटान	152	919	150	915	-1.5	0.0	281	1827	135	905	-52.0	0.0
7. मालदीव	4	24	4	26	8.8	0.0	4	28	9	62	113.8	0.0
5) सीआईएस और बाल्टिक	7723	46694	7665	46737	-0.8	1.7	7078	46269	9334	62544	31.9	2.4
5.1 सी ए आर देश	703	4267	776	4723	10.3	0.2	457	2980	612	4085	34.0	0.2
1. कज़ाख़स्तान	656	3978	702	4267	6.9	0.2	353	2295	439	2933	24.5	0.1
2. उज़्बेकिस्तान	32	192	56	345	77.3	0.0	45	298	47	312	2.8	0.0
3. तुर्कमेनिस्तान	14	87	13	79	-7.4	0.0	47	310	21	143	-54.6	0.0
4. ताजिकिस्तान	1	5	4	27	410.5	0.0	10	65	22	146	118.6	0.0
5. किरगीज़स्तान	1	4	1	5	20.3	0.0	2	12	84	550	4,564.8	0.0
5.2 अन्य सीआईएस देश	7020	42427	6890	42014	-1.9	1.5	6621	43289	8722	58459	31.7	2.3
1. रूस	3894	23570	4249	25924	9.1	0.9	4585	29986	5564	37257	21.3	1.5
2. यूक्रेन	1805	10896	2239	13662	24.1	0.5	1751	11465	2481	16657	41.7	0.6
3. अज़र्बैजान	1137	6857	199	1189	-82.5	0.0	77	487	462	3105	498.9	0.1
4. बेलारूस	158	947	182	1114	15.5	0.0	165	1066	171	1143	3.4	0.0
5. जॉर्जिया	24	144	18	112	-23.0	0.0	24	160	32	211	28.8	0.0
6. माल्डोवा	1	3	1	9	175.0	0.0	5	32	12	79	139.9	0.0
7. आर्मेनिया	2	10	1	5	-51.8	0.0	14	93	1	7	-92.5	0.0
6) अविनिर्दिष्ट क्षेत्र	4187	25282	7992	48944	90.9	1.8	9010	58889	7673	51364	-14.8	2.0
कुल आयात	450200	2715434	448033	2737087	-0.5	100.0	381007	2490298	384319	2577422	0.9	100.0

स्रोत: वाणिज्य विभाग, डीजीसीआई एण्ड एस के अंतिम आंकड़ों पर आधारित।

अ: अंतिम

सारणी 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात												
क्षेत्र/देश	2013-14			2014-15			परिवर्तन (2) की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	2015-16			परिवर्तन (10) की तुलना में (8) (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(3)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(5)			(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I यूरोप	58326	353711	56304	344197	-3.5	18.1	50344	329678	53559	359072	6.4	19.4
1.1 यूरोपीय संघ के देश (27)	51635	313144	49358	301724	-4.4	15.9	44496	291392	47497	318428	6.7	17.2
1) यू.के.	9822	59478	9354	57179	-4.8	3.0	8858	57962	8581	57521	-3.1	3.1
2) जर्मनी	7523	45561	7540	46077	0.2	2.4	7095	46468	7245	48581	2.1	2.6
3) नीदरलैंड	7998	48757	6327	38662	-20.9	2.0	4727	30957	5056	33922	6.9	1.8
4) बेल्जियम	6377	38687	5520	33719	-13.4	1.8	5028	32959	5668	37990	12.7	2.0
5) इटली	5274	31892	5093	31124	-3.4	1.6	4218	27638	4948	33163	17.3	1.8
6) फ्रांस	5109	30954	4957	30327	-3.0	1.6	4634	30328	5381	36054	16.1	1.9
7) स्पेन	2885	17494	3148	19252	9.1	1.0	3237	21215	3439	23061	6.2	1.2
8) पोलैंड	996	6040	1051	6420	5.6	0.3	1025	6718	1204	8072	17.4	0.4
9) आयरलैंड	414	2511	760	4673	83.3	0.2	526	3445	487	3267	-7.4	0.2
10) स्वीडन	733	4446	740	4526	1.0	0.2	684	4476	711	4770	4.0	0.3
11) डेनमार्क	762	4610	724	4426	-4.9	0.2	689	4515	696	4664	1.0	0.3
12) पुर्तगाल	627	3809	636	3888	1.5	0.2	590	3866	671	4500	13.8	0.2
13) रोमानिया	286	1731	417	2554	45.5	0.1	256	1676	258	1732	1.1	0.1
14) चेक गणराज्य	387	2371	379	2308	-2.2	0.1	489	3181	534	3585	9.4	0.2
15) आस्ट्रिया	336	2037	363	2218	7.9	0.1	340	2228	385	2581	13.3	0.1
16) ग्रीस	335	2025	361	2204	7.7	0.1	336	2204	382	2554	13.7	0.1
17) हंगरी	344	2080	349	2134	1.6	0.1	345	2258	408	2733	18.1	0.1
18) फिनलैंड	416	2531	331	2020	-20.5	0.1	249	1629	273	1830	9.7	0.1
19) स्लोवेनिया	168	1028	328	2018	95.1	0.1	325	2117	138	925	-57.6	0.0
20) माल्टा	168	1018	266	1636	58.5	0.1	146	949	240	1609	65.0	0.1
21) बुल्गारिया	212	1277	246	1503	15.8	0.1	265	1744	252	1690	-4.9	0.1
22) स्लोवाक गणराज्य	104	631	137	837	31.1	0.0	138	899	147	984	6.8	0.1
23) लिथुआनिया	105	635	103	631	-1.6	0.0	88	579	96	645	9.2	0.0
24) लात्विया	102	617	98	600	-3.9	0.0	80	519	116	778	45.8	0.0
25) एस्टोनिया	79	479	68	417	-14.0	0.0	64	417	98	656	53.4	0.0
26) साइप्रस	62	375	51	313	-17.0	0.0	60	391	72	483	20.7	0.0
27) लक्जमबर्ग	12	70	10	59	-18.3	0.0	8	53	12	77	42.8	0.0

जारी ...

सारणी 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14			2014-15			परिवर्त (2)	हिस्सा (प्रतिशत)	2015-16			परिवर्त (10) की तुलना में (8) (प्रतिशत)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)			(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)	2047	12250	1353	8271	-33.9	0.4	1538	10042	1243	8322	-19.2	0.4
1) स्विट्ज़रलैंड	1797	10739	1069	6542	-40.5	0.3	977	6422	980	6559	0.3	0.4
2) नार्वे	229	1389	263	1606	15.0	0.1	542	3493	245	1645	-54.7	0.1
3) आइसलैंड	20	120	20	122	0.2	0.0	19	122	17	112	-9.9	0.0
4) लेटनश्टीन	0	2	0	1	-40.6	0.0	1	5	1	5	-11.0	0.0
1.3 अन्य यूरॉपिन देश	4644	28317	5594	34201	20.4	1.8	4309	28245	4820	32323	11.8	1.7
1) तुर्की	4434	27042	5359	32761	20.9	1.7	4140	27136	4640	31122	12.1	1.7
2) क्रोशिया	139	842	176	1083	26.8	0.1	112	737	124	833	10.7	0.0
3) अल्बेनिया	19	115	19	119	3.7	0.0	24	158	27	178	10.7	0.0
4) बोस्निया-हर्जोविना	12	70	18	109	54.5	0.0	20	129	13	89	-33.0	0.0
5) मकदूनिया	11	65	15	89	34.5	0.0	13	84	15	100	15.6	0.0
6) सर्बिया और मोंटेनेग्रो संघ	30	182	7	41	-77.9	0.0	0	1	0	1	20.0	0.0
2 अफ्रीका	31226	189782	32842	200559	5.2	10.6	25027	163540	23127	155065	-7.6	8.4
2.1 दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ (एसएससीयू)	5395	32757	5532	33777	2.5	1.8	3805	24820	3794	25438	-0.3	1.4
1) दक्षिणी अफ्रीका	5074	30770	5302	32363	4.5	1.7	3589	23411	3554	23835	-1.0	1.3
2) नामिबिया	212	1330	108	663	-49.2	0.0	74	484	89	599	21.3	0.0
3) बोत्सवाना	54	332	44	271	-18.3	0.0	52	341	77	517	47.2	0.0
4) स्वाज़ीलैंड	23	137	40	246	75.1	0.0	60	387	40	265	-34.0	0.0
5) लेसोथो	31	189	38	234	23.3	0.0	30	196	33	223	10.5	0.0
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीका देश	2329	14186	3214	19645	38.0	1.0	1968	12822	1483	9944	-24.7	0.5
1) मोज़ाम्बिक	1257	7679	2071	12652	64.7	0.7	1242	8087	981	6579	-21.0	0.4
2) अंगोला	536	3266	553	3378	3.1	0.2	223	1454	155	1042	-30.4	0.1
3) ज़ाम्बिया	377	2283	367	2243	-2.8	0.1	298	1947	238	1592	-20.3	0.1
4) ज़म्बियावे	158	958	224	1373	41.7	0.1	205	1333	109	732	-46.7	0.0
2.3 पश्चिमी अफ्रीका	6993	42441	6980	42672	-0.2	2.2	6095	39911	5637	37789	-7.5	2.0
1) नाइजीरिया	2668	16181	2681	16376	0.5	0.9	2222	14523	1771	11874	-20.3	0.6
2) टोगो	444	2721	688	4204	55.1	0.2	532	3504	284	1904	-46.6	0.1
3) घाना	831	5045	680	4170	-18.2	0.2	624	4091	682	4574	9.4	0.2
4) सेनेगल	426	2580	519	3173	21.6	0.2	546	3576	638	4271	16.8	0.2

जारी ...

सारणी 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17(अ.)		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)
5) बेनिन	764	4636	498	3039	-34.8	0.2	427	2798	453	3037	6.1	0.2
6) कोट डी आईवर	299	1814	310	1897	3.6	0.1	397	2601	419	2817	5.6	0.2
7) गिनी	203	1237	284	1735	39.5	0.1	279	1819	353	2367	26.8	0.1
8) कांगो जनवादी गणराज्य	210	1275	253	1553	20.2	0.1	167	1089	133	893	-20.0	0.0
9) कैमरून	260	1570	249	1526	-4.1	0.1	191	1246	150	1006	-21.5	0.1
10) लाइबेरिया	254	1546	207	1265	-18.6	0.1	134	874	146	979	9.3	0.1
11) माली	109	659	134	820	23.3	0.0	108	708	108	725	0.1	0.0
12) बुर्किना फासो	103	624	113	688	9.3	0.0	109	716	115	773	5.8	0.0
13) सिएरा लियोन	101	601	80	493	-20.4	0.0	91	595	94	629	2.9	0.0
14) नाइजर	86	525	78	478	-9.4	0.0	80	528	82	548	1.9	0.0
15) गांबिया	85	516	74	449	-13.6	0.0	60	391	63	422	5.9	0.0
16) मालिनीया	58	351	59	360	1.6	0.0	58	382	66	443	13.1	0.0
17) गैबॉन	53	321	43	260	-18.8	0.0	37	242	44	292	18.2	0.0
18) गिनी बिसाऊ	17	105	15	92	-12.9	0.0	18	116	11	75	-35.9	0.0
19) एक्वेटोरियल गिनी	19	117	10	60	-48.7	0.0	14	95	22	145	49.7	0.0
20) कंप वई आइलैण्ड	1	9	4	25	188.1	0.0	1	9	1	8	-12.6	0.0
21) साओ टोम	1	6	1	9	59.8	0.0	1	6	1	6	-1.1	0.0
22) सेंट हेलेना	0	0	0	1	600.0	0.0	0	1	0	0	-87.5	0.0
2.4 मध्य अफ्रीका	1092	6623	1251	7658	14.6	0.4	1252	8194	1048	7024	-16.3	0.4
1) यूगांडा	531	3217	554	3390	4.4	0.2	570	3731	496	3325	-13.0	0.2
2) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	181	1099	254	1559	40.1	0.1	318	2085	200	1341	-37.0	0.1
3) मलावी	221	1343	214	1307	-3.2	0.1	176	1154	179	1198	1.5	0.1
4) रवांडा	88	531	149	913	70.5	0.0	106	690	88	592	-16.7	0.0
5) चाड	33	202	41	249	23.2	0.0	43	284	39	258	-11.3	0.0
6) बुरुंडी	31	186	31	193	2.2	0.0	29	190	36	241	24.0	0.0
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	8	46	8	47	0.4	0.0	9	61	10	70	13.1	0.0
2.5 पूर्वी अफ्रीका	9975	60827	10152	61958	1.8	3.3	7312	47772	6745	45237	-7.8	2.4
1) केन्या	3882	23596	4118	25148	6.1	1.3	3026	19778	2199	14744	-27.3	0.8
2) तंजानिया गणराज्य	3401	20907	2485	15133	-26.9	0.8	1655	10800	1786	11984	8.0	0.6

जारी ...

सारणी 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17(अ.)		परिवर्तन (10)		(जारी...)	
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (8)	(प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3) मरीशस	1000	6077	1910	11649	90.9	0.6	856	5572	883	5929	3.2	0.3
4) इथियोपिया	817	4950	783	4792	-4.1	0.3	794	5198	776	5202	-2.3	0.3
5) सोमालिया	211	1287	353	2157	67.3	0.1	487	3190	506	3395	4.1	0.2
6) जिबूती	307	1844	238	1453	-22.5	0.1	205	1334	282	1888	37.7	0.1
7) मैडागास्कर	239	1456	167	1021	-30.0	0.1	197	1284	215	1436	9.1	0.1
8) रियूनियन	52	318	49	298	-6.9	0.0	43	279	41	278	-2.9	0.0
9) सेशेल्स	53	309	33	199	-38.2	0.0	34	224	36	241	5.5	0.0
10) कोमोरोस	14	82	18	108	29.6	0.0	17	112	21	139	22.2	0.0
2.6 उत्तरी अफ्रीका	5442	32948	5712	34849	5.0	1.8	4595	30022	4421	29632	-3.8	1.6
1) मिश्र अव गणराज्य	2562	15561	3026	18443	18.1	1.0	2338	15272	2072	13885	-11.4	0.7
2) अल्जीरिया	1070	6450	1064	6494	-0.5	0.3	788	5135	844	5658	7.1	0.3
3) सूडान	863	5213	882	5395	2.3	0.3	782	5110	751	5039	-4.0	0.3
4) मौरिक्या	386	2330	326	1993	-15.4	0.1	342	2246	376	2523	10.0	0.1
5) ट्यूनिशिया	274	1660	250	1526	-8.9	0.1	222	1459	256	1720	15.3	0.1
6) लीबिया	287	1734	164	999	-43.0	0.1	123	801	120	807	-1.7	0.0
7) सेनेरी द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 अमरीका	54215	328173	59050	360849	8.9	19.0	52754	345069	55072	369236	4.4	19.9
3.1 उत्तरी अमरीका	43423	262605	47522	290481	9.4	15.3	45223	295886	47815	320570	5.7	17.3
1) सं.र. अमरीका	39158	236686	42464	259523	8.4	13.7	40340	263886	42332	283810	4.9	15.3
2) मैक्सिको	2228	13572	2862	17528	28.5	0.9	2865	18794	3474	23291	21.2	1.3
3) कनाडा	2037	12346	2196	13431	7.8	0.7	2018	13207	2009	13468	-0.5	0.7
3.2 लैटिन अमरीका	10792	65568	11528	70368	6.8	3.7	7531	49183	7258	48666	-3.6	2.6
1) ब्राजील	5552	33871	5964	36340	7.4	1.9	2650	17261	2408	16150	-9.1	0.9
2) कोलंबिया	1008	6115	1105	6762	9.7	0.4	888	5803	787	5279	-11.3	0.3
3) पेरू	621	3766	820	5022	32.1	0.3	703	4596	699	4686	-0.6	0.3
4) चिली	664	4029	566	3461	-14.8	0.2	679	4451	676	4532	-0.5	0.2
5) अर्जेंटीना	611	3708	460	2811	-24.7	0.1	537	3510	512	3434	-4.5	0.2
6) पनामा गणराज्य	211	1285	302	1851	43.0	0.1	201	1319	222	1489	10.2	0.1
7) वेनेजुएला	197	1196	258	1580	31.0	0.1	131	852	62	416	-52.4	0.0

जारी ...

सारणी 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17(अ.)		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)	परिवर्त (2)
हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)	हिसा (प्रतिशत)
की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)	की तुलना में (4)
(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
8) गेटमाला	212	1289	229	1401	7.8	0.1	256	1676	243	1628	-5.1	0.1
9) एक्वेडोर	290	1761	225	1375	-22.5	0.1	153	1000	199	1334	29.8	0.1
10) उरुग्वे	161	975	208	1270	29.4	0.1	153	995	189	1268	23.4	0.1
11) होंडुरास	108	655	188	1150	73.8	0.1	155	1014	136	910	-12.4	0.0
12) त्रिनिदाद	105	630	165	1011	57.9	0.1	93	607	85	567	-9.0	0.0
13) डोमिनिक गणराज्य	126	765	141	863	12.1	0.0	175	1149	225	1512	28.7	0.1
14) बहामास	228	1302	124	733	-45.8	0.0	12	79	6	40	-50.4	0.0
15) पराग्वे	89	539	106	654	19.8	0.0	98	644	125	841	27.6	0.0
16) कोस्टा रिका	81	492	96	586	18.2	0.0	135	884	160	1073	18.8	0.1
17) हेटी	59	358	85	524	44.3	0.0	62	406	72	482	15.4	0.0
18) बोलिविया	53	320	71	433	33.2	0.0	74	487	80	535	7.4	0.0
19) निकारागुआ	59	361	66	401	10.6	0.0	83	541	87	585	5.8	0.0
20) अल सल्वाडोर	65	394	61	376	-5.6	0.0	69	448	60	405	-11.7	0.0
21) फ्रेंच गियाना	37	219	59	364	61.0	0.0	1	8	2	10	28.2	0.0
22) नीदरलैंड्स	69	416	41	250	-40.2	0.0	37	243	38	256	2.5	0.0
23) जमैका	36	219	38	232	4.4	0.0	40	263	43	291	8.0	0.0
24) क्यूबा	36	215	37	228	5.0	0.0	54	353	42	280	-22.9	0.0
25) बेलिज़	22	134	24	150	9.0	0.0	15	95	15	103	5.9	0.0
26) गुयाना	24	147	24	149	0.9	0.0	22	143	20	135	-8.2	0.0
27) सूरीनाम	24	146	18	108	-27.1	0.0	13	84	11	71	-17.7	0.0
28) वायबडोस	6	39	10	62	58.2	0.0	11	69	12	83	18.0	0.0
29) केमन आइलैंड	3	19	7	40	114.3	0.0	4	23	5	32	35.9	0.0
30) मॉर्टिनिक	8	47	6	38	-19.9	0.0	4	29	4	28	-7.0	0.0
31) बर्जिन आइलैंड ग्रुप	4	24	5	30	23.8	0.0	4	28	5	36	26.0	0.0
32) गुआडलूप	7	39	4	25	-36.1	0.0	3	19	4	29	53.0	0.0
33) बरमुडा	3	16	3	17	5.4	0.0	3	17	4	28	62.5	0.0
34) डोमिनिका	2	15	3	16	5.0	0.0	1	10	2	16	62.6	0.0
35) सेंट लूसिया	2	14	2	13	-6.6	0.0	3	18	4	29	62.2	0.0
36) एंटिगुआ	2	13	2	13	-5.5	0.0	3	17	2	13	-23.0	0.0

जारी ...

सारणी 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14		2014-15		परिवर्तन (2)		2015-16		2016-17(अ.)		परिवर्तन (10)	
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (4) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	की तुलना में (8) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37) ग्रेनाडा	1	9	1	8	-8.2	0.0	2	12	3	20	61.5	0.0
38) सेंट किट्स ए ए	1	7	1	8	2.5	0.0	2	14	3	21	40.9	0.0
39) सेंट वीत्सेंट	2	11	1	5	-58.7	0.0	1	4	1	5	41.8	0.0
40) ब्रिटीश वर्जिन आइलैंड	0	2	1	4	69.2	0.0	1	6	0	3	-51.2	0.0
41) मायोट	0	0	0	2	371.4	0.0	1	6	1	4	-35.4	0.0
42) बर्क सी द्वीप समूह	0	2	0	1	-63.4	0.0	0	1	1	5	387.5	0.0
43) फाकलैण्ड आइलैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 एशिया	155426	942046	153812	939921	-1.0	49.6	127847	836696	137904	924567	7.9	49.9
4.1 पूर्वी एशिया (ऑसियाना)	2683	16284	3221	19683	20.0	1.0	3667	23973	3378	22646	-7.9	1.2
1) ऑस्ट्रेलिया	2300	13958	2782	17001	20.9	0.9	3263	21332	2966	19880	-9.1	1.1
2) न्यूजीलैंड	277	1680	322	1969	16.4	0.1	308	2015	311	2084	0.8	0.1
3) पापुआ न्यू गिनी	44	268	52	319	18.7	0.0	39	257	36	244	-7.9	0.0
4) फिजी आइलैंड	49	295	50	303	2.1	0.0	44	288	53	353	19.4	0.0
5) सोलोमन आइलैंड	2	12	5	32	153.4	0.0	3	18	2	16	-13.7	0.0
6) टिमोर-लेस्ट	2	13	3	20	47.9	0.0	3	22	2	16	-32.5	0.0
7) समोआ	4	26	2	15	-42.3	0.0	2	15	2	12	-20.3	0.0
8) वुआटु गणराज्य	3	17	2	11	-33.1	0.0	2	13	2	14	5.0	0.0
9) किरिबाती गणराज्य	1	6	1	6	6.4	0.0	1	6	0	3	-50.0	0.0
10) टोंगा	1	6	1	6	-11.5	0.0	1	7	1	8	8.0	0.0
11) टुवालू	0	0	0	0	-50.0	0.0	0	0	0	1	33.3	0.0
12) नौरू गणराज्य	0	1	0	0	-88.2	0.0	0	0	3	17	25200.0	0.0
4.2 ऑसियान	33134	200183	31813	194483	-4.0	10.3	25155	164748	31059	208265	23.5	11.2
1) सिंगापुर	12511	74969	9810	59855	-21.6	3.2	7720	50532	9567	64132	23.9	3.5
2) वियतनाम समाजवादी गणराज्य	5442	33253	6258	38319	15.0	2.0	5266	34590	6815	45702	29.4	2.5
3) मलेशिया	4198	25414	5817	35615	38.6	1.9	3707	24160	5230	35084	41.1	1.9
4) इंडोनेशिया	4850	29340	4043	24674	-16.6	1.3	2820	18446	3500	23479	24.1	1.3
5) थाइलैंड	3703	22431	3465	21209	-6.4	1.1	2988	19557	3174	21282	6.2	1.1
6) फिलीपींस	1419	8610	1396	8531	-1.7	0.4	1374	9012	1487	9963	8.2	0.5
7) म्यांमार	787	4806	773	4736	-1.7	0.2	1071	7082	1111	7457	3.8	0.4

जारी ...

सारणी 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17(अ.)		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	परिवर्तन (10) की तुलना में (8) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8) कंबोडिया	141	858	143	874	0.9	0.0	143	935	105	707	-26.4	0.0
9) लाओ पीडी आर	50	305	67	413	34.9	0.0	38	246	26	172	-32.2	0.0
10) वूनेई	32	196	42	256	29.4	0.0	28	186	43	287	50.8	0.0
4.3 पश्चिमी एशियाई-जीसीसी	48221	291908	49297	301109	2.2	15.9	41679	272665	41885	280709	0.5	15.1
1) संयुक्त अरब अमीरात	30520	184779	33028	201853	8.2	10.6	30290	198140	31258	209490	3.2	11.3
2) सऊदी अरब	12219	73864	11163	68037	-8.6	3.6	6394	41798	5140	34450	-19.6	1.9
3) ओमान	2812	17156	2379	14548	-15.4	0.8	2191	14408	2732	18287	24.7	1.0
4) कुवैत	1061	6435	1199	7333	13.0	0.4	1248	8161	1494	10022	19.8	0.5
5) कतर	969	5911	1055	6443	8.9	0.3	902	5899	787	5280	-12.7	0.3
6) बहरीन आइलैण्ड	639	3763	473	2897	-26.0	0.2	654	4259	474	3180	-27.5	0.2
4.4 अन्य पश्चिमी एशिया	13067	79241	11185	68287	-14.4	3.6	7883	51561	7877	52818	-0.1	2.8
1) ईरान	4972	30060	4175	25530	-16.0	1.3	2782	18177	2393	16046	-14.0	0.9
2) इजराइल	3747	22757	3290	20071	-12.2	1.1	2821	18467	3065	20548	8.6	1.1
3) जोर्डन	1596	9827	1431	8697	-10.3	0.5	500	3265	524	3514	4.8	0.2
4) यमन गणराज्य	1307	7886	992	6045	-24.1	0.3	400	2635	446	2986	11.5	0.2
5) इराक	918	5525	829	5090	-9.7	0.3	1004	6550	1115	7483	11.1	0.4
6) लेबनान	294	1776	280	1708	-4.7	0.1	240	1571	212	1420	-11.6	0.1
7) सीरिया	234	1409	188	1145	-19.7	0.1	137	896	122	821	-10.6	0.0
4.5 उत्तर पूर्वी एशिया	40816	248095	37816	231103	-7.4	12.2	30842	201885	34700	232664	12.5	12.5
1) हांगकांग	12732	77241	13600	83119	6.8	4.4	12092	79307	14157	94852	17.1	5.1
2) चीन जनवादी गणराज्य	14867	90819	11957	73169	-19.6	3.9	9014	58953	10203	68461	13.2	3.7
3) जापान	6814	41256	5386	32838	-21.0	1.7	4663	30435	3855	25849	-17.3	1.4
4) कोरिया गणराज्य	4209	25475	4604	28092	9.4	1.5	3524	23045	4239	28424	20.3	1.5
5) ताईवान	1990	12061	2182	13355	9.6	0.7	1429	9347	2189	14700	53.2	0.8
6) कोरिया डी पी आर	187	1143	77	468	-59.0	0.0	111	730	45	302	-59.4	0.0
7) मंगोलिया	16	90	8	48	-49.0	0.0	8	55	10	66	16.0	0.0
8) मकाऊ	2	10	2	15	50.0	0.0	2	13	2	11	-18.3	0.0
4.6 दक्षिण एशिया	17504	106335	20480	125256	17.0	6.6	18620	121864	19005	127464	2.1	6.9
1) श्रीलंका	4534	27644	6704	41038	47.8	2.2	5310	34652	3921	26286	-26.1	1.4

जारी ...

सारणी 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात (जारी...)												
क्षेत्र/देश	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17(अ.)		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	परिवर्तन (10) की तुलना में (8) (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2) बांग्लादेश	6167	37411	6451	39440	4.6	2.1	6035	39527	6695	44910	10.9	2.4
3) नेपाल	3592	21770	4559	27859	26.9	1.5	3930	25724	5361	35965	36.4	1.9
4) पाकिस्तान	2274	13833	1857	11353	-18.3	0.6	2171	14286	1832	12289	-15.6	0.7
5) अफगानिस्तान	474	2879	423	2581	-10.9	0.1	527	3436	507	3404	-3.6	0.2
6) भूटान	356	2155	334	2051	-6.1	0.1	469	3068	489	3281	4.4	0.2
7) मालदीव	106	643	152	933	43.7	0.0	179	1171	198	1329	10.8	0.1
5 सीआईएस एवं बाल्टिक	3492	21149	3396	20763	-2.7	1.1	2392	15670	2794	18726	16.8	1.0
5.1 सीएएसएस देश	538	3256	605	3696	12.4	0.2	362	2368	339	2274	-6.4	0.1
1) कजाखस्तान	262	1580	251	1532	-4.1	0.1	152	994	121	811	-20.4	0.0
2) उज़्बेकिस्तान	114	692	170	1042	49.4	0.1	95	618	109	730	15.4	0.0
3) तुर्कमेनिस्तान	74	448	92	563	24.9	0.0	69	447	58	388	-15.7	0.0
4) ताजिकिस्तान	54	327	54	328	-1.0	0.0	22	145	20	136	-8.8	0.0
5) किरगीजस्तान	35	208	38	231	9.3	0.0	25	164	31	208	23.8	0.0
5.2 अन्य सीआईएस देश	2954	17893	2792	17066	-5.5	0.9	2029	13302	2454	16452	20.9	0.9
1) रूस	2121	12829	2097	12824	-1.1	0.7	1588	10409	1933	12956	21.7	0.7
2) यूक्रेन	481	2932	349	2129	-27.5	0.1	259	1697	311	2083	19.9	0.1
3) अज़रबाइजान	124	747	110	676	-10.9	0.0	33	218	40	271	20.9	0.0
4) आर्मेनिया	72	442	91	560	26.2	0.0	23	150	32	213	39.7	0.0
5) जॉर्जिया	91	555	87	530	-5.1	0.0	83	542	92	613	10.8	0.0
6) बेलारूस	53	325	48	294	-9.7	0.0	36	235	40	271	13.0	0.0
7) मालडोवा	10	64	9	54	-16.0	0.0	8	51	7	45	-14.0	0.0
6 अर्बिनिर्दिष्ट क्षेत्र	11720	70151	4935	30061	-57.9	1.6	3927	25724	4091	27429	4.2	1.5
कुल निर्यात	314405	1905011	310338	1896348	-1.3	100.0	262290	1716378	276280	1852340	5.3	100.0

स्रोत: वाणिज्य विभाग, डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों पर आधारित।

अ: अन्तिम

सारणी 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.स.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	1980			1985		
			विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	17832	67	0.4	15755	61	0.4
03		मछली, सूखी हुई मछली और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	12258	242	2.0	14335	337	2.4
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	41989	201	0.5	32643	211	0.6
	042	चावल	4355	160	3.7	2916	162	5.6
05		सब्जियां और फल	24018	259	1.1	23606	332	1.4
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	16183	46	0.3	10113	0	0.0
07		कॉफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	22121	879	4.0	20779	971	4.7
	071	काफी और कॉफी के अनुकल्प	12979	271	2.1	11676	226	1.9
	074	चाय और मेट	1631	452	27.7	1973	517	26.2
	075	मसाले	1072	156	14.5	1188	229	19.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री	10322	164	1.6	8515	127	1.5
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	3423	151	4.4	7822	140	1.8
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	3423	151	4.4	3798	113	3.0
	122	विनिर्मित तम्बाकू	...	...	...	4024	27	0.7
22		तिलहन और तेलिया फल	9487	30	0.3	7896	20	0.3
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	30239	465	1.5	23137	557	2.4
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रक	6515	411	6.3	6154	478	7.8
51		कार्बनिक रसायन	31841	17	0.1	36923	25	0.1
52		अकार्बनिक रसायन	15491	26	0.2	16318	22	0.1
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	7986	65	0.8	8024	62	0.8
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	13918	109	0.8	15920	130	0.8
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	7647	86	1.1	8136	56	0.7
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलुलोज इस्टर और ईथर	27223	3	0.0	28456	5	0.0
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	15960	8	0.0	16613	28	0.2
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	5967	405	6.8	6444	534	8.3
	611	चमड़ा	3415	342	10.0	4185	331	7.9
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	975	62	6.3	1233	202	16.4
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	1577	1	0.1	1026	0	0.0
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	48884	1145	2.3	48218	1037	2.1
	652	बुने सूती कपड़े	6632	351	5.3	6804	327	4.8
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	9325	44	0.5	9735	20	0.2
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	3188	204	6.4	3462	167	4.8
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	18563	579	3.1	12073	1165	9.6
67		लोहा और इस्पात	68231	87	0.1	61891	46	0.1
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	36840	221	0.6	32884	125	0.4
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	35722	88	0.2	38433	59	0.2
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	58495	65	0.1	54707	97	0.2
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	15671	32	0.2	12696	55	0.4
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	59443	67	0.1	53954	60	0.1
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	24750	2	0.0	53604	30	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर	26799	11	0.0	47318	4	0.0
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	60947	114	0.2	75739	121	0.2
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	127347	208	0.2	157446	126	0.1
79		अन्य परिवहन उपस्कर	41291	32	0.1	50709	27	0.1
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	32365	590	1.8	38718	887	2.3
कुल निर्यात			1997686	8486	0.4	1930849	8904	0.5

जारी ...

सारणी 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

(जारी...)

			(मिलियन अमरीकी डालर)					
क्र.स.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	1990			2000		
			विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	34118	77	0.2	44690	324	0.7
03		मछली, सूखी हुई मछली और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	32847	521	1.6	50875	1391	2.7
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	45314	285	0.6	53575	783	1.5
	042	चावल	3995	254	6.4	6411	654	10.2
05		सब्जियां और फल	50225	400	0.8	68355	856	1.3
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	14236	21	0.1	13866	118	0.9
07		काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	21131	842	4.0	27953	956	3.4
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	8659	148	1.7	11559	264	2.3
	074	चाय और मेट	2650	585	22.1	3087	431	14.0
	075	मसाले	1415	109	7.7	2541	261	10.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री	15603	336	2.2	20295	469	2.3
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	17860	145	0.8	21628	147	0.7
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	5187	107	2.1	5525	147	2.7
	122	विनिर्मित तम्बाकू	12674	39	0.3	16103	0	0.0
22		तिलहन और तेलिया फल	10477	83	0.8	14388	244	1.7
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	35734	753	2.1	49515	510	1.0
	281	लौह अयस्क और उसके सांद्रक	7653	578	7.6	9229	363	3.9
51		कार्बनिक रसायन	70721	232	0.3	134109	1491	1.1
52		अकार्बनिक रसायन	26079	59	0.2	33117	99	0.3
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	19952	233	1.2	34105	481	1.4
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	37753	453	1.2	107482	1255	1.2
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	21027	240	1.1	44279	216	0.5
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	65712	29	0.0	123353	174	0.1
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	33418	76	0.2	63411	437	0.7
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	13226	832	6.3	24440	808	3.3
	611	चमड़ा	9295	447	4.8	16551	388	2.3
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	2868	385	13.4	6831	421	6.2
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	1063	0	0.0	1058	0	0.0
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	105147	2180	2.1	167528	6000	3.6
	652	बुने सूती कपड़े	15559	571	3.7	22387	1103	4.9
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	22021	156	0.7	32151	506	1.6
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	8466	195	2.3	9432	370	3.9
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	27577	2710	9.8	54105	6477	12.0
67		लोहा और इस्पात	106342	283	0.3	146147	1481	1.0
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	66088	341	0.5	125259	1167	0.9
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	81675	126	0.2	158329	218	0.1
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	118617	236	0.2	167582	346	0.2
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	31051	58	0.2	41413	117	0.3
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	130836	132	0.1	225981	78	0.0
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	126743	112	0.1	378980	0	0.0
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर	100965	31	0.0	299356	0	0.0
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	185364	241	0.1	640575	92	0.0
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	312550	344	0.1	549596	370	0.1
79		अन्य परिवहन उपस्कर	96250	15	0.0	157654	53	0.0
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	94577	2211	2.3	201379	7093	3.5
		कुल निर्यात	3303563	18143	0.5	6254511	41543	0.7

जारी ...

सारणी 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा
(जारी....)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.स.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	2005			2010		
			विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	73937	620	0.8	112000	1821	1.6
03		मछली, सूखी हुई मछली और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	71559	1590	2.2	101800	2403	2.4
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	72416	1753	2.4	94300	3136	3.3
	042	चावल	9841	1411	14.3	20300	2296	11.3
05		सब्जियां और फल	114274	1586	1.4	180700	2338	1.3
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	24042	196	0.8	45500	1096	2.4
07		कॉफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	44914	1042	2.3	80700	2233	2.8
	071	काफी और कॉफी के अनुकल्प	15729	363	2.3	29600	558	1.9
	074	चाय और मेट	4159	393	9.4	7200	720	10.0
	075	मसाले	2995	281	9.4	6000	927	15.4
08		पशुओं के चारे की सामग्री	30390	1127	3.7	57600	2067	3.6
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	24759	232	0.9	35100	879	2.5
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	6875	0	0.0	10800	713	6.6
	122	विनिर्मित तम्बाकू	17884	0	0.0	24300	165	0.7
22		तिलहन और तेलिया फल	22888	319	1.4	56400	911	1.6
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	124604	4899	3.9	299000	8475	2.8
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रक	27673	3816	13.8	105200	6147	5.8
51		कार्बनिक रसायन	217584	4536	2.1	335000	7735	2.3
52		अकार्बनिक रसायन	55240	0	0.0	92200	972	1.1
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	50885	846	1.7	66300	1604	2.4
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	67107	564	0.8	134700	1357	1.0
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	82162	511	0.6	122900	1159	0.9
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	72911	0	0.0	108400	910	0.8
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	106894	1153	1.1	174100	2136	1.2
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	25347	773	3.1	28200	915	3.2
	611	चमड़ा	20500	638	3.1	23500	785	3.3
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	3125	0	0.0	3100	130	4.2
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	1722	0.0	0.0	1600	0.0	0.0
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	213619	8462	4.0	259700	12833	4.9
	652	बुने सूती कपड़े	28814	861	3.0	28600	1050	3.7
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	32121	981	3.1	36200	1987	5.5
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	11076	495	4.5	9900	518	5.2
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	91907	11929	13.0	129500	22589	17.4
67		लोहा और इस्पात	312975	4959	1.6	416400	10612	2.5
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	215402	2774	1.3	301800	4169	1.4
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	252199	926	0.4	330700	2335	0.7
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	264538	1125	0.4	364800	2230	0.6
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	63925	268	0.4	69400	381	0.5
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	375374	1825	0.5	527900	3886	0.7
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	488065	470	0.1	572700	619	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिक्रिया उपकरण और उपस्कर	492806	0	0.0	626200	2408	0.4
77		विजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	852088	2126	0.2	1240100	5522	0.4
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	896733	3088	0.3	1063500	8746	0.8
79		अन्य परिवहन उपस्कर	214311	1023	0.5	333500	5804	1.7
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	286840	9212	3.2	372000	11229	3.0
		कुल निर्यात	10355384	99618	1.0	15102605	226334	1.5

जारी ...

सारणी 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

(जारी....)

			2014			2015		
क्र.स.	कोड	वस्तु वर्गीकरण/समूह	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	151600	5079	3.4	131866	4347	3.3
03		मछली, सूखी हुई मछली और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	138600	5500	4.0	126276	4778	3.8
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	130000	10598	8.2	118540	7380	6.2
	042	चावल	25900	7906	30.5	22803	6380	28.0
05		सब्जियां और फल	234100	3305	1.4	228540	3176	1.4
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	50100	1386	2.8	44392	1529	3.4
07		काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	106700	3238	3.0	102459	3407	3.3
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	39600	843	2.1	37908	813	2.1
	074	चाय और मेट	9200	694	7.5	8505	713	8.4
	075	मसाले	9700	1575	16.2	9839	1701	17.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री	84800	2043	2.4	73947	1066	1.4
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	45600	957	2.1	42623	935	2.2
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	12000	688	5.7	11215	639	5.7
	122	विनिर्मित तम्बाकू	33600	269	0.8	31408	296	0.9
22		तिलहन और तेलिया फल	84900	1837	2.2	72833	1408	1.9
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	320600	2217	0.7	233287	1543	0.7
	281	लौह अयस्क और उसके सांद्रक	116900	874	0.7	67293	211	0.3
51		कार्बनिक रसायन	393000	10967	2.8	334703	10124	3.0
52		अकार्बनिक रसायन	101300	908	0.9	90759	813	0.9
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	76800	2886	3.8	68143	2452	3.6
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	189700	2243	1.2	186774	2339	1.3
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	160400	1905	1.2	149500	1833	1.2
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	135200	1272	0.9	123550	1223	1.0
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	223600	3355	1.5	200119	3156	1.6
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	34200	1603	4.7	29586	1312	4.4
	611	चमड़ा	27300	1361	5.0	23077	1095	4.7
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	4500	243	5.4	4610	216	4.7
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	2400	0.2	0.0	1899	0.8	0.0
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	319400	18266	5.7	296948	17263	5.8
	652	बुने सूती कपड़े	32100	1861	5.8	29641	1771	6.0
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	47400	2152	4.5	44623	2091	4.7
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	10700	322	3.0	9659	301	3.1
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	166000	24402	14.7	138524	22395	16.2
67		लोहा और इस्पात	466700	11540	2.5	375863	8289	2.2
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	401700	7953	2.0	372406	7113	1.9
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	410700	3991	1.0	373049	3637	1.0
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	428500	4233	1.0	379452	4101	1.1
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	90500	512	0.6	78819	527	0.7
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	694500	6137	0.9	633886	6179	1.0
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	603800	528	0.1	537520	590	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर	784700	2036	0.3	780740	1315	0.2
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	1501200	6218	0.4	1453566	5975	0.4
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	1374200	13519	1.0	1299882	13079	1.0
79		अन्य परिवहन उपस्कर	375500	11405	3.0	376308	7923	2.1
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	491700	17650	3.6	469054	18168	3.9
कुल निर्यात			18653609	317544.6423	1.7	16272345	264381.0036	1.6

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तिका, के विभिन्न अंक, और वर्ष 2014 एवं 2015 के आंकड़े 02 मई 2017 से लिए गए हैं।

<http://comtrade.un.org/>

सारणी 7.6 : विदेश व्यापार के सूचकांक

(आधार : 1999-2000=100)

वर्ष	इकाई मूल्य सूचकांक		परिमाण सूचकांक		व्यापार स्थिति		
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	सकल	निवल	आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2000-01	102	109	125	99	79	94	117
2001-02	103	112	126	103	82	92	116
2002-03	106	128	150	109	73	83	124
2003-04	114	132	161	128	80	86	139
2004-05	131	157	179	150	84	83	149
2005-06	139	179	206	174	84	78	160
2006-07	158	206	227	191	84	77	174
2007-08	166	210	245	218	89	79	194
2008-09	194	239	267	262	98	81	217
2009-10	196	215	264	288	109	91	241
2010-11	223	243	304	311	102	92	279
2011-12	268	425	331	246	74	63	209
2012-13	284	459	357	261	73	62	221
2013-14	312	518	378	233	62	60	228
2014-15	300	518	397	235	59	58	230
2015-16	372	518	290	214	74	72	208

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस, कोलकाता।

टिप्पणी :

- (i) व्यापार की निवल स्थिति (एनटीटी) अर्थात् समग्र निर्यात इकाई मूल्य सूचकांक और समान आयात सूचकांक का अनुपात।
- (ii) व्यापार की सकल स्थिति अर्थात् समग्र आयात परिमाण सूचकांक और समान निर्यात सूचकांक का अनुपात।
- (iii) व्यापार की आय-स्थिति = (एनटीटी x क्यूआईई)/100.
- (vi) क्यूआईई = निर्यातक का मात्रात्मक सूचकांक

सारणी 8.1(क) : समग्र विदेशी सहायता

(₹ करोड़)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
क. प्राधिकृत सहायता			
1985-86	5337.0	313.4	5650.4
1986-87	5730.0	429.5	6159.5
1987-88	8203.1	1062.2	9265.3
1988-89	12855.6	214.2	13069.8
1989-90	10105.8	720.2	10826.0
1990-91	7601.3	522.1	8123.4
1991-92	11805.8	901.8	12707.6
1992-93	13082.1	1011.7	14093.8
1993-94	11618.8	2415.1	14033.9
1994-95	12384.3	1075.8	13460.1
1995-96	10833.2	1330.0	12163.2
1996-97	14208.8	2932.6	17141.4
1997-98	14865.0	2101.0	16966.0
1998-99	8320.8	209.8	8530.6
1999-2000	17703.7	2615.3	20319.0
2000-01	16455.2	1963.5	18418.7
2001-02	21630.0	3465.0	25095.0
2002-03	19875.7	1296.1	21171.8
2003-04	14754.4	2350.7	17105.1
2004-05	22746.1	3071.1	25817.2
2005-06	17309.1	1628.8	18937.9
2006-07	28271.0	3518.9	31789.9
2007-08	28988.4	4294.4	33282.8
2008-09	28283.4	1242.5	29525.9
2009-10	48968.8	957.6	49926.4
2010-11	35895.1	1536.5	37431.6
2011-12	59035.3	1095.5	60130.8
2012-13	66891.6	1889.0	68780.6
2013-14	54372.6	140.2	54512.8
2014-15	48135.5	119.7	48255.2
2015-16	63847.0	3655.2	67502.2
2016-17#	55641.4	187.7	55829.1
ख. उपयोग			
1985-86	2493.1	442.9	2936.0
1986-87	3175.7	429.3	3605.0
1987-88	4574.4	477.5	5051.9
1988-89	4738.6	565.8	5304.4
1989-90	5137.8	664.7	5802.5
1990-91	6170.0	534.3	6704.3
1991-92	10695.9	919.1	11615.0
1992-93	10102.2	879.6	10981.8
1993-94	10895.4	885.6	11781.0
1994-95	9964.5	916.0	10880.5
1995-96	9958.6	1063.6	11022.2
1996-97	10892.9	1085.6	11978.5

जारी ...

सारणी 8.1(क) : समग्र विदेशी सहायता

(जारी....)

(₹ करोड़)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1997-98	10823.4	921.3	11744.7
1998-99	12343.4	895.5	13238.9
1999-2000	13330.7	1073.9	14404.6
2000-01	13527.2	727.2	14254.4
2001-02	16111.7	1447.6	17559.3
2002-03	13898.3	1835.8	15734.1
2003-04	15271.0	2073.4	17344.4
2004-05	14660.9	2490.7	17151.6
2005-06	16097.8	2790.6	18888.4
2006-07	16890.6	2528.4	19419.0
2007-08	17177.7	2673.7	19851.4
2008-09	24089.9	2803.8	26893.7
2009-10	27617.8	3121.2	30739.0
2010-11	35116.1	2789.5	37905.6
2011-12	29349.4	2926.2	32275.6
2012-13	25494.1	2373.6	27867.7
2013-14	31772.4	3415.8	35187.5
2014-15	35257.3	1491.7	36749.0
2015-16	40146.2	2196.5	42342.7
2016-17#	47313.1	985.2	48298.3

स्रोत : सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

टिप्पणी :

: 2016-17 के दौरान आंकड़े अनंतिम हैं

1. प्रत्येक दाता द्वारा मुद्राओं के साथ रुपए की औसत विनिमय दर का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत सहायता के आंकड़े निकाले गए हैं।
2. उपयोग के आंकड़े सौदे की तारीख को लागू चालू दरों पर आधारित हैं।
3. प्राधिकृत सहायता और उपयोग के आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों लेखों पर ऋण और अनुदान शामिल हैं।
4. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 8.1(ख) : समग्र विदेशी सहायता

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
क. प्राधिकृत सहायता			
1985-86	4362.1	256.2	4618.3
1986-87	4484.2	336.1	4820.3
1987-88	6326.7	819.2	7145.9
1988-89	8877.0	147.9	9024.9
1989-90	6069.9	432.6	6502.5
1990-91	4236.4	291.0	4527.4
1991-92	4766.0	364.1	5130.1
1992-93	4275.7	330.7	4606.4
1993-94	3717.5	772.7	4490.2
1994-95	3958.2	343.8	4302.0
1995-96	3249.8	399.0	3648.8
1996-97	4000.4	825.6	4826.0
1997-98	4006.8	566.3	4573.1
1998-99	1979.2	49.9	2029.1
1999-2000	4091.4	604.4	4695.8
2000-01	3609.4	430.7	4040.1
2001-02	4438.7	711.1	5149.8
2002-03	4183.5	244.4	4427.9
2003-04	3300.8	525.9	3826.7
2004-05	5212.2	703.7	5915.9
2005-06	3912.2	368.1	4280.4
2006-07	6209.8	773.0	6982.8
2007-08	7182.2	1064.0	8246.1
2008-09	6183.2	271.6	6454.9
2009-10	10318.0	201.8	10519.8
2010-11	7881.0	337.4	8218.3
2011-12	12343.4	229.1	12572.5
2012-13	12301.0	347.4	12648.3
2013-14	9003.7	23.2	9027.0
2014-15	7881.8	19.6	7901.4
2015-16	9763.0	559.0	10321.9
2016-17#	8281.7	27.9	8309.6
ख. उपयोग			
1985-86	2037.7	362.0	2399.7
1986-87	2485.3	336.0	2821.3
1987-88	3528.0	368.2	3896.2
1988-89	3272.1	390.7	3662.8
1989-90	3086.0	399.2	3485.2
1990-91	3438.7	297.8	3736.5
1991-92	4317.9	371.0	4688.9
1992-93	3301.8	287.5	3589.3
1993-94	3486.0	283.4	3769.4
1994-95	3184.8	292.7	3477.5
1995-96	2987.4	319.1	3306.4
1996-97	3066.8	305.6	3372.4

सारणी 8.1(ख) : समग्र विदेशी सहायता

(जारी....)

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1997-98	2917.4	248.3	3165.7
1998-99	2936.0	213.0	3149.0
1999-00	3080.8	248.2	3329.0
2000-01	2967.2	159.5	3126.7
2001-02	3306.3	297.1	3603.4
2002-03	2946.6	386.6	3333.2
2003-04	3416.3	463.8	3880.1
2004-05	3359.5	570.7	3930.2
2005-06	3607.0	625.3	4232.3
2006-07	3918.0	586.5	4265.5
2007-08	4280.5	666.3	4946.8
2008-09	4769.3	555.1	5324.4
2009-10	6130.5	692.8	6823.3
2010-11	7866.5	624.9	8491.4
2011-12	6060.2	590.1	6650.3
2012-13	4715.1	439.0	5154.1
2013-14	5282.9	567.8	5850.7
2014-15	5634.2	238.4	5872.6
2015-16	6034.5	330.2	6364.7
2016-17#	7287.3	151.8	7439.1

स्रोत : सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

टिप्पणी :

: वर्ष 2016-17 में आंकड़े अनंतिम हैं।

1. इस सारणी में दिए गए आंकड़ों को संबंधित रुपया-अमरीकी डालर दर के आधार पर पूर्ववर्ती सारणी 8.1 (क) से रूपांतरित किया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 8.2(क) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. सहायता संघ के सदस्य								
(क) ऋण	11189.6	28729.7	46401.4	59893.3	35842.5	37464.7	52068.6	39597.3
(ख) अनुदान	1912.3	1185.1	230.2	813.0	93.3	98.0	3.1	154.1
जोड़	13101.9	29914.8	46631.7	60706.3	35935.9	37562.7	52071.7	39751.4
देश-वार वितरण								
(i) कनाडा								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	20.5	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	20.5	...	...	...	...	...	...	...
(ii) डेनमार्क								
अनुदान	15.6	...	...	...	...	...	...	...
(iii) फ्रांस								
अनुदान	9.3	...	823.1	769.8	1645.2	...	1444.0	957.3
(iv) जर्मनी								
(क) ऋण	187.7	1504.0	2960.7	3240.2	1215.7	5659.1	1783.4	9015.0
(ख) अनुदान	5.7	12.0	...	38.5	...	21.3	...	...
जोड़	193.4	1516.0	2960.7	3278.7	1215.7	5680.4	1783.4	9015.0
(v) इटली								
ऋण	42.6	...	...	...	...	...	...	...
(vi) जापान								
(क) ऋण	784.1	2557.4	16186.2	23049.8	18818.6	6756.1	17337.0	10178.7
(ख) अनुदान	2.2	41.9	...	...	90.3	...	...	...
जोड़	786.3	2599.3	16186.2	23049.8	18909.0	6756.1	17337.0	10178.7
(vii) नीदरलैंड								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	6.7	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	6.7	...	...	...	...	...	...	...
(viii) यूनाइटेड किंगडम								
ऋण	474.7	905.3	160.2	764.2	...	...	...	...
(ix) संयुक्त राज्य अमेरिका								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	0.8	156.6	...	...	...	...	...	...
जोड़	0.8	156.6	...	...	...	...	...	...
(x) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक								
(क) ऋण	6816.8	8237.1	15250.5	2619.5	2361.2	14657.3	17667.0	13819.6
(ख) अनुदान	391.7	60.6	70.1	10.3	3.0	76.7	3.1	154.1
जोड़	7208.5	8297.7	15320.6	2629.8	2364.2	14733.9	17670.1	13973.7
(xi) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ								
(क) ऋण	3358.4	16431.2	11180.9	7374.7	11801.8	10392.3	13837.1	5626.9
(ख) अनुदान	985.1	8.7	...	...	...	...	...	...
जोड़	4343.5	16439.9	11180.9	7374.7	11801.8	10392.3	13837.1	5626.9
II. रूसी परिसंघ और पूर्वी यूरोप के देश								
ऋण	...	...	...	22839.3	...	...	...	...
ऋण देश-वार वितरण								

जारी ...

सारणी 8.2(क) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण								(जारी...)
								(₹ करोड़)
सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i) रूसी परिसंघ				22839.3				
ऋण	...	...	...	22839.3	...	...	...	...
III. अन्य								
(क) ऋण	5265.6	7165.3	12633.9	6998.3	18530.1	10670.7	11778.4	16044.1
(ख) अनुदान	51.2	351.5	865.2	1076.0	46.8	21.7	3652.1	33.6
जोड़	5316.8	7516.8	13499.1	8074.3	18576.9	10692.4	15430.5	16077.7
(i) यूरोपीय आर्थिक समुदाय								
अनुदान	...	4.3	...	559.9	...	...	...	...
(ii) आईएफएडी (अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि)								
(क) ऋण	...	87.9	426.5	...	400.1	383.2	475.7	...
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	87.9	426.5	...	400.1	383.2	475.7	...
(iii) एशियाई विकास बैंक								
(क) ऋण	5265.6	7077.5	12207.4	6998.3	18130.0	10287.6	9858.7	16044.1
(ख) अनुदान		...	...	...	...	11.0	13.1	33.59
जोड़	5265.6	7077.5	12207.4	6998.3	18130.0	10298.6	9871.8	16077.7
(iv) यूरोपिय निवेश बैंक								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	1444.0	...
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	...	...	...	...	...	1444.0	...
(v) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं ^१								
ऋण	51.2	347.2	865.2	516.2	46.8	10.7	3639.0	...
कुल जोड़	18418.7	37431.6	60130.7	68780.6	54512.8	48255.1	67502.2	55829.1
(क) ऋण	16455.2	35895.1	59035.3	66891.6	54372.6	48135.5	63847.0	55641.4
(ख) अनुदान	1963.5	1536.5	1095.4	1889.0	140.2	119.7	3655.2	187.7

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

टिप्पणी :

अ : वर्ष 2016-17 के आंकड़े अर्न्ततम हैं

.....: शून्य या नगण्य

क : अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में यूएनडीपी, यूएनएफपीए, वैश्विक निधि, आईडीएफ (डब्ल्यूबी), यूएन-एफओ तथा यूपीयू (वैश्विक डाक संघ) शामिल हैं।

- विदेशी सहायता प्राधिकरण के आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी लेखों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किए गए समझौते शामिल हैं।
- पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े मेल न खाएं।

सारणी 8.2(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. सहायता संघ के सदस्य								
(क) ऋण	2454.4	6307.8	9701.8	11014.0	5935.3	6134.5	7961.9	5893.7
(ख) अनुदान	419.5	260.2	48.2	149.5	15.5	16.0	0.5	22.9
जोड़	2873.9	6568.0	9750.0	11163.5	5950.7	6150.6	7962.4	5916.6
देश-वार वितरण								
(i) कनाडा								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	4.5	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	4.5	...	...	...	...	...	...	...
(ii) डेनमार्क								
अनुदान	3.4	...	...	...	...	...	...	...
(iii) फ्रांस								
अनुदान	2.1	...	172.1	141.6	272.4	...	220.8	142.5
(iv) जर्मनी								
(क) ऋण	41.2	330.2	619.0	595.9	201.3	926.6	272.7	1341.8
(ख) अनुदान	1.3	2.6	...	7.1	...	3.5	...	...
जोड़	42.4	332.8	619.0	602.9	201.3	930.1	272.7	1341.8
(v) इटली								
ऋण	9.4	...	...	...	...	...	...	...
(vi) जापान								
(क) ऋण	172.0	561.5	3384.3	4238.7	3116.2	1106.3	2651.0	1515.0
(ख) अनुदान	0.5	9.2	...	...	15.0	...	...	...
जोड़	172.5	570.7	3384.3	4238.7	3131.2	1106.3	2651.0	1515.0
(vii) नीदरलैंड								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	1.5	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	1.5	...	...	...	...	...	...	...
(viii) यूनाइटेड किंगडम								
अनुदान	104.1	198.8	33.5	140.5	...	...	...	...
(ix) संयुक्त राज्य अमेरिका								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	0.2	34.4	...	...	...	...	...	...
जोड़	0.2	34.4	...	...	...	...	...	...
(x) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक								
(क) ऋण	1495.3	1808.5	3188.7	481.7	391.0	2400.0	2701.5	2056.9
(ख) अनुदान	85.9	13.3	14.7	1.9	0.5	12.6	0.5	22.9
जोड़	1581.2	1821.8	3203.3	483.6	391.5	2412.6	2702.0	2079.8
(xi) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ								
(क) ऋण	736.7	3607.6	2337.7	1356.2	1954.3	1701.7	2115.9	837.5
(ख) अनुदान	216.1	1.9	...	...	...	...	...	...
जोड़	952.8	3609.5	2337.7	1356.2	1954.3	1701.7	2115.9	837.5
II. रूसी परिसंघ और पूर्वी यूरोप के देश								
ऋण	...	...	...	4200.0	...	...	...	...
ऋण देश-वार वितरण								

सारणी 8.2(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण
(जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i) रूसी परिसंघ								
ऋण	...	...	...	4200.0	...	...	...	...
III. अन्य								
(क) ऋण	1155.0	1573.2	2641.6	1286.9	3068.5	1747.24	1801.1	2388.0
(ख) अनुदान	11.2	77.1	180.9	197.9	7.8	3.6	558.4	5.0
जोड़	1166.2	1650.3	2822.5	1484.8	3076.2	1750.8	2359.5	2393.0
(i) यूरोपीय आर्थिक समुदाय								
अनुदान	...	0.9	...	103.0	...	...	...	...
(ii) आईएफएडी (अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि)								
(क) ऋण	...	19.3	89.2	...	66.3	62.7	72.7	...
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	19.3	89.2	...	66.3	62.7	72.7	...
(iii) एशियाई विकास बैंक								
(क) ऋण	1155.0	1553.9	2552.4	1286.9	3002.2	1684.5	1507.5	2388.0
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	1.8	2.0	5
जोड़	1155.0	1553.9	2552.4	1286.9	3002.2	1686.3	1509.5	2393.0
(iv) यूरोपिय निवेश बैंक								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	220.8	...
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	...	...	...	...	...	220.8	...
(v) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं^क								
अनुदान	11.2	76.2	180.9	94.9	7.8	1.8	556.4	...
कुल जोड़	4040.1	8218.4	12572.4	12648.3	9026.9	7901.4	10321.9	8309.6
(क) ऋण	3609.4	7881.0	12343.4	12300.9	9003.7	7881.8	9763.0	8281.7
(ख) अनुदान	430.7	337.4	229.1	347.4	23.2	19.6	558.9	27.9

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

टिप्पणी :

अ : वर्ष 2016-17 के आंकड़े अर्न्तर्गत हैं

.....: शून्य या नगण्य

क : अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में यूएनडीपी, यूएनएफपीए, वैश्विक निधि, आईडीएफ (डब्ल्यूबी), यूएन-एफएओ तथा यूपीयू (वैश्विक डाक संघ) शामिल हैं।

- विदेशी सहायता प्राधिकरण के आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी लेखों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किए गए समझौते शामिल हैं।
- पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े मेल न खाएं।

सारणी 8.3(क) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. सहायता संघ के सदस्य								
(क) ऋण	11168.6	27065.8	22785.9	18390.8	25164.7	26630.2	31137.7	33648.1
(ख) अनुदान	634.0	2018.5	1916.7	1560.1	1043.4	749.6	405.1	135.8
जोड़	11802.6	29084.3	24702.6	19950.9	26208.1	27379.8	31542.8	33784.0
देश-वार वितरण								
(i) कनाडा								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	2.9	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	2.9	...	...	...	...	...	...	...
(ii) डेनमार्क								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	49.5	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	49.5	...	...	...	...	...	...	...
(iii) फ्रांस								
(क) ऋण	65.2	...	...	16.0	921.7	225.78	329.4	762.2
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	-0.16
जोड़	65.2	...	...	16.0	921.7	225.78	329.4	762.0
(iv) जर्मनी								
(क) ऋण	318.9	1076.9	2043.1	1379.9	3122.0	1861.1	1888.1	2523.5
(ख) अनुदान	67.8	276.2	99.4	62.1	65.6	56.0	80.1	34.7
जोड़	386.7	1353.1	2142.5	1442.0	3187.6	1917.1	1968.2	2558.2
(v) जापान								
(क) ऋण	2714.0	6582.2	8474.8	7260.0	8750.5	8825.9	10341.5	12506.1
(ख) अनुदान	15.8	1.5	43.5	...	4.4	0.0	29.1	36.0
जोड़	2729.8	6583.7	8518.3	7260.0	8754.9	8825.9	10370.5	12542.1
(vi) नीदरलैंड								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	70.3	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	70.3	...	...	...	...	...	...	...
(vii) यूनाइटेड किंगडम								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	307.3	1682.2	1689.4	1293.4	855.0	601.8	224.3	-0.3
जोड़	307.3	1682.2	1689.4	1293.4	855.0	601.8	224.3	-0.3
(viii) संयुक्त राज्य अमेरिका								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	81.1	30.6	55.1	23.6	43.4	...	4.7	...
जोड़	81.1	30.6	55.1	23.6	43.4	...	4.7	...
(ix) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक								
(क) ऋण	3222.4	14533.4	4861.9	4894.8	5631.6	7703.5	9137.3	8609.0
(ख) अनुदान	24.5	24.1	27.2	180.6	73.8	85.9	67.0	65.5
जोड़	3246.9	14557.5	4889.0	5075.4	5705.3	7789.4	9204.3	8674.5
(x) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ								
(क) ऋण	4848.1	4873.3	7406.1	4840.1	6738.9	8013.9	9441.4	9247.4
(ख) अनुदान	14.8	3.9	2.2	0.5	1.2	6.0	0.0	0.0
जोड़	4862.9	4877.2	7408.2	4840.6	6740.1	8019.8	9441.4	9247.4

जारी ...

सारणी 8.3(क) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग								(जारी...)
								(₹ करोड़)
सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II. रूसी परिसंच और पूर्वी यूरोप के देश								
ऋण	130.1	220.5	35.9	26.4	8.2	16.9	3.7	1618.1
ऋण देश-वार वितरण								
(i) रूसी परिसंच								
ऋण	130.1	220.5	35.9	26.4	8.2	16.9	3.7	1618.1
III. अन्य								
(क) ऋण	2228.5	7829.8	6527.7	7076.9	6599.5	8610.3	9004.8	12046.9
(ख) अनुदान	93.2	770.95	1009.45	813.52	2371.83	742.1	1791.44	849.4
जोड़	2321.7	8600.8	7537.1	7890.5	8971.3	9352.3	10796.2	12896.3
देशवार वितरण								
(i) अन्य अन्तराष्ट्रीय संस्थाएँ								
अनुदान	50.0	501.7	795.9	710.2	1746.0	739.68	1503.8	770.95
(ii) यूरोपीय आर्थिक समुदाय								
ऋण	36.3	269.0	208.1	104.0	622.4	...	287.6	70.4
(iii) तेल उत्पादक एवं निर्यातक देश								
ऋण	41.5	1.0	15.5	20.8	7.9	54.5	26.3	18.7
(iv) नार्वे								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	6.9	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	6.9	...	...	...	...	...	...	...
(v) आईएफएडी (अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि)								
(क) ऋण	40.1	99.1	142.6	140.7	210.3	191.7	220.1	196.2
(ख) अनुदान	...	0.3	5.5	-0.8	3.5	...	...	1.0
जोड़	40.1	99.4	148.1	140.0	213.8	191.7	220.1	197.2
(vi) एशियाई विकास बैंक								
(क) ऋण	2146.9	7729.8	6369.5	6915.4	6381.2	8364.0	8758.4	11101.3
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	2.41	...	7
जोड़	2146.9	7729.8	6369.5	6915.4	6381.2	8366.4	8758.4	11108.3
(vii) यूरोपीय निवेश बैंक								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	730.7
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	730.7
कुल जोड़	14254.4	37905.6	32275.6	27867.7	35187.6	36749.0	42342.7	48298.3
(क) ऋण	13527.2	35116.2	29349.4	25494.1	31772.4	35257.3	40146.2	47313.1
(ख) अनुदान	727.2	2789.5	2926.2	2373.7	3415.2	1491.7	2196.5	985.2

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

टिप्पणी :

... शून्य अथवा नगण्य

: वर्ष 2016-17 के आकड़े अनंतिम हैं।

क : अन्य अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं में यू.एन.डी.पी., आई.एल.ओ., डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.एफ.पी.ए. यूनेस्को, यूपीयू, डब्ल्यूएफपी, वैश्विक निधि, आई.डी.एफ. (डब्ल्यू.बी.), यूएन-एफएओ और फोर्ड फाउंडेशन शामिल हैं।

1. उपयोग संबंधी आंकड़ों में आपूर्तिकर्ताओं के ऋण और वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं हैं।
2. सहायता का उपयोग सरकारी और गैर-सरकारी लेखों में है।
3. पूर्णांकन होने के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 8.3(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. सहायता संघ के सदस्य								
(क) ऋण	2449.8	6063.1	4682.1	3401.4	4184.2	4255.6	4680.4	5182.6
(ख) अनुदान	139.1	452.2	383.6	288.5	173.5	119.8	60.9	21.0
जोड़	2588.9	6515.3	5065.7	3689.9	4357.7	4375.4	4741.3	5203.6
देश-वार वितरण								
(i) कनाडा								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	0.6	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	0.6	...	...	...	...	...	...	...
(ii) डेनमार्क								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	10.9	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	10.9	...	...	...	...	...	...	...
(iii) फ्रांस								
(क) ऋण	14.3	...	...	3.0	153.3	36.08	49.5	117.4
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	14.3	...	...	3.0	153.3	36.08	49.5	117.4
(iv) जर्मनी								
(क) ऋण	70.0	241.2	411.0	255.2	519.1	297.4	283.8	388.7
(ख) अनुदान	14.9	61.9	21.2	11.5	10.9	8.9	12.0	5.3
जोड़	84.9	303.1	432.2	266.7	530.0	306.4	295.8	394.0
(v) जापान								
(क) ऋण	595.3	1474.5	1744.9	1342.7	1455.0	1410.4	1554.5	1926.2
(ख) अनुदान	3.5	0.3	8.8	...	0.7	...	4.4	5.6
जोड़	598.8	1474.8	1753.7	1342.7	1455.7	1410.4	1558.8	1931.8
(vi) नीदरलैंड								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	15.4	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	15.4	...	...	...	...	...	...	...
(vii) यूनाइटेड किंगडम								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	67.4	376.8	335.1	239.2	142.2	96.2	33.7	0.0
जोड़	67.4	376.8	335.1	239.2	142.2	96.2	33.7	0.0
(viii) संयुक्त राज्य अमेरिका								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	17.8	6.8	12.3	4.4	7.2	...	0.7	...
जोड़	17.8	6.8	12.3	4.4	7.2	...	0.7	...
(ix) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक								
(क) ऋण	706.8	3255.7	991.6	905.3	936.4	1231.1	1373.5	1326.0
(ख) अनुदान	5.4	5.4	5.7	33.4	12.3	13.7	10.1	10.1
जोड़	712.2	3261.1	997.3	938.7	948.6	1244.8	1383.5	1336.1
(x) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ								
(क) ऋण	1063.4	1091.7	1534.7	895.2	1120.5	1280.6	1419.2	1424.3
(ख) अनुदान	3.2	0.9	0.5	0.1	0.2	1.0	0.0	0.0
जोड़	1066.6	1092.6	1535.1	895.3	1120.7	1281.6	1419.2	1424.3

जारी ...

सारणी 8.3(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग
(जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II. रूसी परिसंच और पूर्वी यूरोप के देश								
ऋण	28.5	49.4	7.4	4.9	1.4	2.7	0.6	249.2
ऋण देश-वार वितरण								
(i) रूसी परिसंच								
ऋण	28.5	49.4	7.4	4.9	1.4	2.7	0.6	249.2
III. अन्य								
(क) ऋण	488.8	1754.0	1370.7	1308.9	1097.3	1376.0	1353.5	1855.5
(ख) अनुदान	20.5	172.7	206.5	150.5	394.4	118.6	269.3	130.8
जोड़	509.3	1926.7	1577.2	1459.3	1491.7	1494.5	1622.8	1986.3
देशवार वितरण								
(i) अन्य अन्तराष्ट्रीय संस्थाएँ								
अनुदान	11.0	112.4	157.9	131.4	290.3	118.2	226.04	118.7
(ii) यूरोपीय आर्थिक समुदाय								
अनुदान	8.0	60.3	47.5	19.2	103.5	...	43.2	10.9
(iii) तेल उत्पादक एवं निर्यातक देश								
अनुदान	9.1	0.2	3.3	3.9	1.3	8.7	4.0	2.9
(iv) नार्वे								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) अनुदान	1.5	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	1.5	...	...	...	...	...	...	...
(v) आईएफएडी (अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि)								
(क) ऋण	8.8	22.2	30.6	26.0	35.0	30.6	33.1	30.2
(ख) अनुदान	...	0.1	1.2	-0.1	0.6	...	...	0.2
जोड़	8.8	22.3	31.8	25.9	35.6	30.6	33.1	30.4
(vi) एशियाई विकास बैंक								
(क) ऋण	470.9	1731.6	1336.8	1279.0	1061.0	1336.6	1316.5	1709.9
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	0.4	...	1.08
जोड़	470.9	1731.6	1336.8	1279.0	1061.0	1337.0	1316.5	1710.9
(vii) यूरोपीय निवेश बैंक								
(क) ऋण	...	...	...	...	...	...	...	112.6
(ख) अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	112.6
कुल जोड़	3126.7	8491.4	6650.3	5154.1	5850.7	5872.6	6364.6	7439.1
(क) ऋण	2967.1	7866.5	6060.2	4715.1	5282.9	5634.2	6034.5	7287.3
(ख) अनुदान	159.6	624.9	590.1	439.0	567.9	238.4	330.2	151.8

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

टिप्पणी :

... शून्य अथवा नगण्य

: वर्ष 2016-17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

क : अन्य अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं में यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी., आई.एल.ओ., डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.एफ.पी.ए. यूनेस्को, यूपीयू., डब्ल्यूएफपी, वैश्विक निधि, आई.डी.एफ. (डब्ल्यू.बी.), यूएन-एफएओ और फोर्ड फाउंडेशन शामिल हैं।

1. इस सारणी में दिए गए आंकड़ों को संबंधित रुपये-अमरीकी डालर दरों पर आधारित पूर्ववर्ती सारणी 8.3 (क) से परिवर्तित किया गया है।
2. पूर्णांकन होने के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

सारणी 8.4(क) : भारत का बकाया विदेशी ऋण

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विदेशी ऋण के संघटक	वर्ष के अंत की स्थिति											2017 अ.
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 अ.स.	2017 अ.स.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
I.	बहुपक्षीय	154053	157901	201425	193436	216672	257089	279310	321560	328148	359201	353807	
	क. सरकारी उधार	141746	144627	181997	170722	190326	222579	235670	268491	269431	294122	288259	
	(i) रियायती	108448	107395	127771	116046	120653	138691	143130	163589	154581	166506	156726	
	(क) आई. डी. ए.	107019	105947	126127	114552	119068	136816	141119	161165	152171	163772	154050	
	(ख) अन्य	1429	1448	1644	1494	1585	1875	2011	2424	2410	2734	2676	
	(ii) गैर रियायती	33298	37232	54226	54676	69673	83888	92540	104902	114850	127616	131533	
	(क) आई. बी. आर. डी.	21864	22631	29948	28874	39218	45328	48239	53433	57107	61553	60681	
	(ख) अन्य	11434	14601	24278	25802	30455	38560	44301	51469	57743	66063	70852	
	ख. गैर-सरकारी उधार	12307	13274	19428	22714	26346	34510	43640	53069	58717	65079	65548	
	(i) रियायती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(ii) गैर रियायती	12307	13274	19428	22714	26346	34510	43640	53069	58717	65079	65548	
	क. सरकारी क्षेत्र	9315	10352	14298	14919	15802	19407	23414	28105	31385	35409	29485	
	(क) आई. बी. आर. डी.	4550	4690	7105	8544	9193	11092	12749	14412	15674	17005	16625	
	(ख) अन्य	4765	5662	7193	6375	6609	8315	10664	13693	15711	18404	12860	
	ख. वित्तीय संस्थाएं	2414	2350	3721	5385	7511	10290	14370	18881	21859	24901	32163	
	(क) आई. बी. आर. डी.	655	593	744	1343	1899	2707	2973	3820	3709	5984	7081	
	(ख) अन्य	1759	1757	2977	4042	5612	7583	11397	15061	18150	18917	25082	
	ग. निजी क्षेत्र	578	572	1409	2410	3033	4813	5856	6083	5473	4769	3900	
	(क) आई. बी. आर. डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(ख) अन्य	578	572	1409	2410	3033	4813	5856	6083	5473	4769	3900	
II.	द्विपक्षीय	70034	78802	104997	101976	114904	137086	136329	148813	136060	149483	150483	
	क. सरकारी उधार	53810	59391	74662	71584	80406	91641	88007	96918	88452	102925	109742	
	(i) रियायती	53810	59391	74662	71584	80406	91641	88007	96918	88452	102925	109742	
	(ii) गैर रियायती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ख. गैर-सरकारी उधार	16224	19411	30335	30392	34498	45445	48322	51895	47608	46558	40741	

जारी ...

सारणी 8.4(क) : भारत का बकाया विदेशी ऋण

(जारी...)

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विदेशी ऋण के संघटक	मार्च के अंत की स्थिति										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016अ.स.	2017त.अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i) रियायती												
	क. सरकारी क्षेत्र	1727	1737	3262	3169	4101	7648	8435	10318	10080	11892	11691
	ख. वित्तीय संस्थाएं	1241	1226	1156	1121	1621	4963	5916	7763	7546	9052	6454
	ग) निजी क्षेत्र	486	511	2106	2048	2480	2685	2519	2555	2534	2840	5237
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) नै-रियायती												
	क) सरकारी क्षेत्र	14497	17674	27073	27223	30397	37797	39887	41577	37528	34666	29050
	ख) वित्तीय संस्थाएं	7420	10097	15076	13845	13789	14200	13010	13374	11561	10938	9493
	ग) निजी क्षेत्र	3828	3735	4311	3436	3754	3886	4206	4361	3323	3029	3167
		3249	3842	7686	9942	12854	19711	22671	23842	22644	20699	16390
III.	आई एम एफ ^१	4484	4479	5188	27264	28163	31528	32439	36910	34350	37177	35129
IV.	निर्यात ऋण	31237	41296	73772	76011	83112	97117	96556	93275	78915	70603	62767
	क) क्रेता ऋण	23617	33134	64046	66849	73273	85896	84667	80069	66006	55565	47627
	ख) आपूर्तिकर्ता ऋण	2941	2998	3234	2937	2847	3252	4236	4779	5217	6088	5597
	ग) द्विपक्षीय ऋण का निर्यात ऋण संघटक	4679	5164	6492	6225	6992	7969	7653	8427	7692	8950	9543
V.	वाणिज्यिक उधार	180669	249243	318209	319221	448448	614623	762128	897744	1128501	1198932	1122186
	क) वाणिज्यिक बैंक ऋण ^२	107145	160577	219925	202350	261678	373194	454450	582644	635246	647305	571612
	ख) प्रतिभूतिकृत उधार ^३	68020	82641	91286	113177	183504	238849	306070	313416	490895	549227	548298
	ग) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारंटी आई.एफ.सी.(डब्ल्यू) सहित ऋण/प्रतिभूतिकृत उधार आदि	5504	6025	6998	3694	3266	2580	1608	1684	2360	2400	2276
VI.	एन.आर.आई. ^४ (1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली)	179786	174623	210118	217062	230812	299840	385202	624101	720997	841956	757750
VII.	रूपा ऋण ^५	8508	8065	7760	7480	7147	6922	6839	8826	9426	8479	7963
	(क) रक्षा	7533	7172	6935	6709	6416	6220	6164	8179	8807	7887	7400
	(ख) असैनिक	975	893	825	771	731	702	675	647	619	592	563
VIII.	कुल दीर्घकालिक ऋण (1 से VII)	628771	714409	921469	942450	1129258	1444205	1698803	2131229	2436397	2665831	2490085
IX.	अल्पावधि ऋण	122631	182881	220656	236188	290149	399962	525931	550985	535145	553044	570452
	(क) व्यापार से सम्बद्ध जमा राशियां	113256	167540	203345	214267	261006	333202	472026	491271	510938	530806	560781

जारी ...

सारणी 8.4(क) : भारत का बकाया विदेशी ऋण													(जारी....)
क्रम.सं०	विदेशी ऋण के संघटक	मार्च के अन्त की स्थिति											(₹ करोड़)
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016अ.स.	2017त्व.अ.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	1) 6 महीने से अधिक	52188	91502	118936	126391	157806	200454	321010	330500	334267	339674	364104	
	2) 6 महीने तक	61068	76038	84409	87876	103200	132748	151016	160771	176671	191132	196677	
	(ख) सरकारी राजकोषीय ढुंडियों और अन्य लिखतों में एफ.आ. ई.आई. निवेश	1732	2603	10522	15153	24214	48066	29671	33686	7307	132	260	
	(ग) विदेशी केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राजकोषीय ढुंडियों में निवेश	712	620	534	467	225	326	447	572	714	714	642	
	(घ) निम्नलिखित की विदेशी ऋण देनदारियां	6931	12118	6255	6301	4704	18368	23787	25456	16186	21392	8769	
	(1) केंद्रीय बैंक	2185	4458	3892	3139	693	871	985	892	939	1197	1575	
	(2) वाणिज्यिक बैंक	4746	7660	2363	3162	4011	17497	22802	24564	15247	20195	7194	
X.	कुल जोड़ (VIII+IX)	751402	897290	1142125	1178638	1419407	1844167	2224734	2682214	2971542	3218875	3060537	

स्रोत : वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), रक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ।

टिप्पणी :

अं.सं. : अंशतः संशोधित

त्व. : त्वरित अनुमान

आई.एफ.सी.(डब्ल्यू) : अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन डी.सी.) ।

एफ.आई.आई. : विदेशी संस्थागत निवेशक

क : मार्च 2014 से आगे आवृत्ति एसडीआर से सम्बन्धित

ख : इसमें 1996 से वित्तीय लीज शामिल है ।

ग : इसमें इंडिया डेवलपमेंट बैंड (आई.डी.बी.), रिसर्जेंट इंडिया बैंड (आर.आई.बी.), इण्डिया मिलोनियम डिपॉजिट्स (आईएमडी) तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बैंड (एफ.सी.सी.बी) और 100 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश ऋण निधियों द्वारा निवल निवेश भी शामिल है । मार्च अन्त 1998 से इक्विटी में रूपान्तरण को घटा कर एफ.सी.सी.बी ऋण को समाविष्ट किया गया है ।

घ : इन आंकड़ों में उपार्जित व्याज शामिल है ।

ङ : रूस से लिया गया एवं निर्यातों के माध्यम से भुगतान किया जाने वाला रुपया मूल्यवर्धित ऋण ।

एन.आर.ओ. जमाराशियों को जून 2005 को समाप्त तिमाही से एन.आर.आई. जमाराशियों के तहत शामिल किया गया है । 180 दिन तक के आपूर्तिकर्ता ऋण और अल्पावधिक लिखतों में एफ.आई.आई. निवेशों को मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से अल्पावधिक ऋण के तहत शामिल किया गया है । वाणिज्यिक बैंकों के वोल्टो शेयर नोस्ट्रो ओवरड्राफ्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शेयर और विदेशी बैंकों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राजकोषीय ढुंडियों/प्रतिभूतियों में निवेश को मार्च, 2007 में समाप्त तिमाही से विदेशी ऋण में शामिल किया गया है ।

सारणी 8.4(ख) : भारत का बकाया विदेशी ऋण

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	विदेशी ऋण के संघटक	मार्च के अन्त की स्थिति										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016अ.स.	2017(व.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	बहुपक्षीय	35337	39490	39538	42857	48475	50452	51590	53418	52391	53956	54452
	क. सरकारी उधार	32514	36171	35724	37825	42579	43686	43539	44598	43015	44170	44359
	(i) रियायती	24876	26859	25080	25711	26992	27221	26443	27173	24679	25005	24118
	(क) आई. डी. ए.	24548	26497	24757	25380	26637	26853	26071	26770	24294	24595	23706
	(ख) अन्य	328	362	323	331	355	368	372	403	385	410	412
	(ii) गैर रियायती	7638	9312	10644	12114	15587	16465	17096	17425	18336	19165	20241
	(क) आई. बी. आर. डी.	5015	5660	5878	6397	8774	8897	8912	8876	9117	9244	9338
	(ख) अन्य	2623	3652	4766	5717	6813	7568	8184	8549	9219	9921	10903
	ख. गैर-सरकारी उधार	2823	3319	3814	5032	5896	6766	8051	8820	9376	9786	10093
	(i) रियायती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ii) गैर रियायती	2823	3319	3814	5032	5896	6766	8051	8820	9376	9786	10093
	क. सरकारी क्षेत्र	2136	2589	2807	3305	3536	3808	4324	4669	5010	5320	4538
	(i) आई. बी. आर. डी.	1043	1173	1395	1893	2057	2177	2355	2394	2502	2554	2558
	(ii) अन्य	1093	1416	1412	1412	1479	1631	1969	2275	2508	2766	1980
	ख. वित्तीय संस्थाएं	554	587	730	1193	1681	2017	2650	3139	3492	3747	4954
	(i) आई. बी. आर. डी.	150	148	146	298	425	531	549	635	592	899	1090
	(ii) अन्य	404	439	584	895	1256	1486	2101	2504	2900	2848	3864
	ग. निजी क्षेत्र	133	143	277	534	679	941	1077	1012	874	719	601
	(i) आई. बी. आर. डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ii) अन्य	133	143	277	534	679	941	1077	1012	874	719	601
II.	द्विपक्षीय	16065	19708	20610	22593	25712	26884	25158	24727	21726	22464	23164
	क. सरकारी उधार	12344	14853	14655	15860	17988	17987	16259	16099	14121	15457	16887
	(i) रियायती	12344	14853	14655	15860	17988	17987	16259	16099	14121	15457	16887
	(ii) गैर रियायती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ख. गैर-सरकारी उधार	3721	4855	5955	6733	7724	8897	8899	8628	7605	7007	6277

जारी ...

सारणी 8.4(ख) : भारत का बकाया विदेशी ऋण													(जारी...)
क्र.सं०	विदेशी ऋण के संघटक	मार्च के अन्त की स्थिति										(मिलियन अमरीकी डालर)	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 अ.स.	2017 (रु.अ.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	(i) रियायती	396	435	641	702	918	1501	1558	1714	1610	1786	1799	
	क. सरकारी क्षेत्र	285	307	227	248	363	974	1093	1290	1205	1359	993	
	ख. वित्तीय संस्थाएं	111	128	414	454	555	527	465	424	405	427	806	
	ग) निजी क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(ii) गैर-रियायती	3325	4420	5314	6031	6806	7396	7341	6914	5995	5221	4478	
	क) सरकारी क्षेत्र	1702	2525	2959	3072	3087	2781	2397	2223	1846	1646	1462	
	ख) वित्तीय संस्थाएं	878	934	846	761	840	762	776	724	531	455	488	
	ग) निजी क्षेत्र	745	961	1509	2198	2879	3853	4168	3967	3618	3120	2528	
III.	आई एम एफ ^अ	1029	1120	1018	6041	6308	6163	5964	6149	5488	5605	5410	
IV.	निर्यात ऋण	7165	10328	14481	16841	18647	18990	17760	15518	12608	10639	9677	
	क) क्रेता ऋण	5417	8287	12572	14811	16437	16790	15567	13323	10547	8377	7345	
	ख) आपूर्तिकर्ता ऋण	675	750	635	651	646	636	779	795	833	918	863	
	ग) द्विपक्षीय ऋण का निर्यात ऋण संघटक	1073	1291	1274	1379	1564	1564	1414	1400	1228	1344	1469	
V.	बाणिज्यिक उधार	41443	62334	62461	70726	100476	120136	140125	149375	180295	180744	173074	
	क) वाणिज्यिक बैंक ऋण ^ब	24577	40159	43169	44832	58643	72946	83555	96946	101492	97584	88159	
	ख) प्रतिभूतिकृत उधार ^ग	15603	20668	17918	25075	41100	46686	56274	52149	78426	82798	84564	
	ग) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारण्टी आई.एफ.सी.(डब्ल्यू) सहित ऋण/ प्रतिभूतिकृत उधार आदि	1263	1507	1374	819	733	504	296	280	377	362	351	
VI.	एन.आर.आई. ^द (1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली)	41240	43672	41554	47890	51682	58608	70822	103845	115163	126929	116867	
VII.	रूया ऋण ^इ	1951	2017	1523	1658	1601	1354	1258	1468	1506	1278	1228	
	(क) रक्षा	1728	1794	1361	1487	1437	1216	1133	1361	1407	1189	1141	
	(ख) असेनिक	223	223	162	171	164	138	125	107	99	89	87	
VIII.	कुल दीर्घकालिक ऋण (1 से VII)	144230	178669	181185	208606	252901	282587	312677	354500	389177	401615	383872	
IX.	अल्पावधि ऋण	28130	45738	43313	52329	64990	78179	96697	91678	85498	83374	87980	
	(क) व्यापार से सम्बद्ध जमा राशियां	25979	41901	39915	47473	58463	65130	86787	81743	81631	80021	86488	
	1) 6 महीने से अधिक	11971	22884	23346	28003	35347	39182	59021	54992	53405	51207	56155	

जारी ...

सारणी 8.4(ख) : भारत का बकाया विदेशी ऋण (जारी...)

क्रम.सं.	विदेशी ऋण के संघटक	मार्च के अन्त की स्थिति											(मिलियन अमरीकी डालर)
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016अ.स.	2017(व.अ.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	2) 6 महीने तक	14008	19017	16569	19470	23116	25948	27766	26751	28226	28814	30333	
	(ख) सरकारी राजकोषीय ढुंडियों और अन्य लिखतों में एफ.आ. ई.आई. निवेश	397	651	2065	3357	5424	9395	5455	5605	1167	20	40	
	(ग) विदेशी केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राज. कोषीय ढुंडियों में निवेश	164	155	105	103	50	64	82	95	114	108	99	
	(घ) निम्नलिखित की विदेशी ऋण देनदारियां	1590	3031	1228	1396	1053	3590	4373	4235	2586	3225	1353	
	(1) केंद्रीय बैंक	501	1115	764	695	155	170	181	148	150	180	243	
	(2) वाणिज्यिक बैंक	1089	1916	464	701	898	3420	4192	4087	2436	3045	1110	
X.	कुल जोड़ (VIII+IX)	172360	224407	224498	260935	317891	360766	409374	446178	474675	484989	471852	
	ज्ञापन मदें :												
	रियायती ऋण ₹	39567	44164	41899	43931	47499	48063	45518	46454	41916	43526	44052	
	कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण (प्रतिशत)	23.0	19.7	18.7	16.8	14.9	13.3	11.1	10.4	8.8	9	9.3	
	अल्पावधि ऋण	28130	45738	43313	52329	64990	78179	96697	91678	85498	83374	87980	
	कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण (प्रतिशत)	16.3	20.4	19.3	20.1	20.4	21.7	23.6	20.6	18	17.2	18.6	

स्रोत : वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), रक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ।

टिप्पणी :

अं.सं. : अंशतः संशोधित त्व. : त्वरित अनुमान

आई.एफ.सी.(डब्ल्यू) : अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन डी.सी.)

एफ.आई.आई. : विदेशी संस्थागत निवेशक

क : मार्च 2004 से आगे आर्वाटिड एसडीआर से संबंधित

ख : इसमें 1996 से वित्तीय लीज शामिल है।

ग : इसमें इंडिया डेवलपमेंट बैंड (आई.डी.बी.), रिजर्वेट इंडिया बैंड (आर.आई.बी.), इण्डिया फिलेनियम डिपॉजिट्स (आईएमडी) तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बैंड (एफ सी सी बी) और 100 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश ऋण निधियों द्वारा निवल निवेश भी शामिल है। मार्च अन्त 1998 से इक्विटी में रूपांतरण को घटा कर एफ सी सी बी ऋण को समायोजित किया गया है।

घ : इन आंकड़ों में उपाजित व्याज शामिल है।

ङ : रूस से लिया गया एवं नियातों के माध्यम से भुगतान किया जाने वाला रुपया मूल्यवर्गीत ऋण।

एन.आर.ओ. जमा राशियों को जून 2005 को समाप्त तिमाही से एन.आर.आई. जमा राशियों के तहत शामिल किया गया है। 180 दिन तक के आपूर्तिकर्ता ऋण और अल्पावधिक लिखतों में एफ.आई.आई. निवेशों को मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से अल्पावधिक ऋण के तहत शामिल किया गया है। वाणिज्यिक बैंक के वोल्स्ट्रो शेयर/नोस्ट्रो ओवर ड्राफ्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राजकोषीय ढुंडियों/प्रतिभूतियों में निवेश को मार्च, 2007 में समाप्त तिमाही से विदेशी ऋण में शामिल किया गया है।

सारणी 9.1 : प्रमुख राज्यों के लिए मानव विकास के चुनिन्दा संकेतक																		
राज्य	जन्म के समय आयु संभावित प्रत्याशा (वर्षों में)										शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)							
	2007-11					2011-15					2005				जन्म दर (प्रति 1000)			
	पुरुष	महिला	जोड़	(4)	(5)	पुरुष	महिला	जोड़	(6)	(7)	पुरुष	महिला	जोड़	(8)	(9)	जोड़	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
आन्ध्र प्रदेश	64.0	68.6	66.3	67.1	71.2	69.0	56	58	57	36	38	37	19.1	16.8	7.3	7.1	2.0	1.7
असम	61.2	63.6	62.2	63.5	66.2	64.7	66	69	68	47	47	47	25.0	22.0	8.7	7.1	2.9	2.3
बिहार	65.9	66.8	66.3	68.5	68.3	68.4	60	62	61	36	50	42	30.4	26.3	8.1	6.2	4.3	3.2
गुजरात	65.2	69.6	67.3	66.9	71.6	69.1	52	55	54	33	34	33	23.7	20.4	7.1	6.1	2.8	2.2
हरियाणा	65.0	69.8	67.3	66.9	71.9	69.1	51	70	60	36	37	36	24.3	20.9	6.7	6.1	2.8	2.2
हिमाचल प्रदेश	67.9	72.3	70.1	69.1	75.2	72.0	47	51	49	28	27	28	20.0	16.3	6.9	6.6	2.2	1.7
जम्मू और कश्मीर	69.4	71.9	70.5	71.2	76.1	73.2	47	55	50	25	27	26	18.9	16.2	5.5	4.9	2.4	1.6
कर्नाटक	65.2	70.0	67.5	67.2	70.9	69.0	48	51	50	26	30	28	20.6	17.9	7.1	6.6	2.2	1.8
केरल	71.5	77.3	74.4	72.2	78.2	75.2	14	15	14	10	13	12	15.0	14.8	6.4	6.6	1.7	1.8
मध्य प्रदेश	61.3	64.5	62.8	63.2	66.5	64.8	72	79	76	51	48	50	29.4	25.5	9.0	7.5	3.6	2.8
महाराष्ट्र	68.3	72.4	70.3	70.3	73.9	72.0	34	37	36	19	22	21	19.0	16.3	6.7	5.8	2.2	1.8
उड़ीसा	62.9	64.5	63.7	65.6	68.3	66.9	74	77	75	45	47	46	22.3	19.2	9.5	7.6	2.6	2.0
पंजाब	67.7	72.2	69.8	70.3	74.2	72.1	41	48	44	22	24	23	18.1	15.2	6.7	6.2	2.1	1.7
राजस्थान	65.0	68.7	66.8	65.7	70.4	67.9	64	72	68	40	47	43	28.6	24.8	7.0	6.3	3.7	2.7
तमिलनाडु	67.6	71.4	69.4	69.1	73.0	71.0	35	39	37	19	19	19	16.5	15.2	7.4	6.7	1.7	1.6
उत्तर प्रदेश	61.9	64.2	63.0	63.4	65.6	64.5	71	75	73	44	48	46	30.4	26.7	8.7	7.2	4.2	3.1
पश्चिम बंगाल	67.8	71.3	69.4	69.4	71.8	70.5	38	39	38	25	28	26	18.8	15.5	6.4	5.9	2.1	1.6
अखिल भारत	64.9	68.2	66.5	66.9	70.0	68.3	56	61	58	35	39	37	23.8	20.8	7.6	6.5	2.9	2.3

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

सारणी 9.2 : कुल नामांकन अनुपात : 2014-15 (अन्तिम)

(प्रतिशत में)

राज्य/संघ क्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा VI-VIII			कक्षा I-VIII		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आन्ध्र प्रदेश	84.9	84.1	84.5	81.1	81.6	81.3	83.5	83.1	83.3
अरुणाचल प्रदेश	127.6	125.9	126.8	127.1	133.2	130.1	127.5	128.1	127.8
असम	104.7	107.6	106.1	87.7	98.8	93.1	98.8	104.6	101.6
बिहार	104.4	111.3	107.7	98.2	119.4	107.9	102.4	113.7	107.7
छत्तीसगढ़	100.2	99.9	100.0	101.6	103.1	102.3	100.7	101.1	100.9
गुजरात	95.6	99.1	97.2	94.7	97.0	95.7	95.3	98.3	96.7
हरियाणा	90.0	93.2	91.4	87.4	99.2	92.4	89.0	95.4	91.8
हिमाचल प्रदेश	98.0	99.7	98.8	103.4	105.5	104.4	100.0	101.9	100.9
जम्मू और कश्मीर	84.9	87.2	86.0	68.8	71.9	70.2	78.8	81.5	80.1
झारखंड	108.6	109.9	109.2	97.8	108.2	102.7	104.9	109.4	107.1
कर्नाटक	102.9	103.0	103.0	92.4	94.4	93.4	99.0	99.8	99.4
केरल	95.5	95.4	95.4	94.6	96.3	95.4	95.1	95.8	95.4
मध्य प्रदेश	95.4	93.5	94.5	90.5	98.1	94.0	93.5	95.2	94.3
महाराष्ट्र	97.9	97.6	97.7	97.4	101.4	99.2	97.7	99.0	98.3
मणिपुर	128.9	132.9	130.9	127.0	132.9	129.9	128.3	132.9	130.6
मेघालय	138.8	143.1	140.9	126.0	146.2	135.9	134.9	144.0	139.4
मिजोरम	124.9	121.0	123.0	135.9	133.6	134.8	128.3	124.8	126.6
नागालैण्ड	98.1	101.0	99.5	98.6	106.4	102.3	98.3	102.7	100.4
उड़ीसा	104.9	102.5	103.7	94.9	93.6	94.3	101.2	99.2	100.2
पंजाब	99.9	104.0	101.7	95.0	102.9	98.4	98.0	103.6	100.4
राजस्थान	101.3	99.5	100.4	91.5	91.2	91.3	97.8	96.6	97.2
सिक्किम	107.3	98.3	102.9	143.7	157.9	150.6	119.5	118.0	118.8
तमिलनाडु	103.4	104.4	103.9	92.6	95.7	94.0	99.0	100.9	99.9
तेलंगाना	103.1	102.9	103.0	88.6	90.3	89.4	97.6	98.0	97.8
त्रिपुरा	107.6	108.4	108.0	125.8	130.3	128.0	113.4	115.3	114.3
उत्तर प्रदेश	88.6	96.2	92.2	68.2	83.5	75.1	81.3	91.8	86.2
उत्तराखंड	98.9	99.8	99.3	85.8	88.1	86.9	93.9	95.3	94.6
पश्चिम बंगाल	103.1	104.3	103.7	97.9	112.6	105.0	101.2	107.3	104.2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	91.1	86.8	88.9	86.4	82.0	84.1	89.3	84.9	87.1
चण्डीगढ़	77.4	86.6	81.4	90.4	102.4	95.5	82.3	92.3	86.7
दादरा और नागर हवेली	84.7	80.2	82.5	93.7	88.0	91.0	88.0	83.0	85.6
दमन और दीव	79.7	85.0	82.0	74.9	84.6	79.2	77.9	84.8	81.0
दिल्ली	108.0	113.9	110.7	118.9	140.6	128.1	111.8	122.6	116.6
गोआ	100.9	104.5	102.6	96.8	100.9	98.7	99.3	103.1	101.1
लक्षद्वीप	77.9	69.9	73.8	92.5	75.7	83.3	83.3	72.2	77.5
पुडुचेरी	80.2	90.2	84.8	82.4	92.6	87.0	81.0	91.1	85.6
अखिल भारत	97.9	100.7	99.2	88.7	97.6	92.8	94.5	99.6	96.9

स्रोत: भारत में स्कूली शिक्षा, यू-डीआईएसई 2015-16 (अन्तिम)

सारणी 9.3 : भारत में मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या : 2015-16 (अंतिम)

राज्य/संघीय क्षेत्र	2015-16 (अंतिम) ¹			2015-16 ²								(संख्या में)
	इंटरमीडिएट/माध्यमिक स्कूल	उच्च/माध्यमिक स्कूल	उच्च/प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान	महा. विद्यालयों	तकनीकी शिक्षा	पीजीडीएम	नर्सिंग	अध्यापक प्रशिक्षण	मंत्रालयों के अंतर्गत संस्थान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
आन्ध्र प्रदेश	2589	11234	10086	38793	28	2532	156	11	297	351	उन	उन
अरुणाचल प्रदेश	155	263	1266	2363	9	28	3	उन	2	7	उन	उन
असम	2075	6987	13451	48529	21	539	16	1	45	22	2	2
बिहार	3926	3701	33204	43405	22	744	29	4	80	44	3	3
छत्तीसगढ़	3818	2465	14672	32826	22	706	1	10	38	32	3	3
गुजरात	6592	4350	29642	11840	57	2019	1	18	126	149	7	7
हरियाणा	4300	3363	4658	9994	39	1113	204	21	42	37	5	5
हिमाचल प्रदेश	2212	1570	2930	11327	25	348	41	1	31	18	2	2
जम्मू और कश्मीर	1061	3141	10286	14604	11	329	36	उन	12	25	उन	उन
झारखंड	1229	3372	15917	28010	14	328	32	8	33	7	10	10
कर्नाटक	4509	13627	30563	26790	52	3555	314	26	572	757	8	8
केरल	2949	1733	4020	8428	20	1302	79	8	233	273	7	7
मध्य प्रदेश	8100	6793	47276	88593	43	2260	103	19	128	204	7	7
महाराष्ट्र	8738	16287	29448	53151	45	4569	1091	75	167	1147	21	21
मेगालय	210	899	933	2951	4	87	1	उन	6	8	1	1
मेघालय	300	1255	3597	9362	10	63	3	उन	7	11	1	1
मिजोरम	138	615	1511	1561	3	29	2	उन	4	9	उन	उन
नागालैण्ड	175	561	825	1265	4	65	4	उन	3	4	उन	उन
उड़ीसा	1291	9454	22795	36760	21	1076	143	11	179	65	2	2
पंजाब	4553	4618	5446	14371	26	1050	173	2	209	31	4	4
राजस्थान	16958	11237	37656	42577	70	3050	199	19	160	202	5	5
सिक्किम	87	140	346	706	7	16	2	उन	1	2	उन	उन
तमिलनाडु	6877	5594	9733	35379	58	2368	476	10	115	399	13	13
तेलंगाना	2162	11333	7189	21948	21	2454	107	25	234	207	11	11
त्रिपुरा	411	603	1262	2568	3	51	3	उन	5	4	उन	उन
उत्तर प्रदेश	15937	8632	75644	155756	67	6491	370	128	245	182	12	12
उत्तराखंड	2218	1294	5017	15497	28	439	103	3	9	17	2	2
पश्चिम बंगाल	6898	3296	8839	76703	34	1082	118	12	54	100	11	11
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	63	49	84	218	उन	7	1	उन	2	1	उन	उन
चण्डीगढ़	90	70	29	12	3	25	3	1	उन	3	उन	उन
दादरा और नगर हवेली	21	20	129	177	उन	8	उन	उन	1	उन	1	1
दमन और दीव	24	18	44	59	उन	8	उन	उन	उन	2	उन	उन
दिल्ली	1684	377	939	2755	26	191	35	21	17	36	20	20
गोआ	110	385	86	973	2	55	8	1	2	1	उन	उन
लक्षद्वीप	13	1	14	17	उन	0	उन	उन	उन	उन	उन	उन
पुदुचेरी	164	202	87	278	4	84	10	उन	1	46	उन	उन
ऑखिल भारत	112637	139539	429624	840546	799	39071	3867	435	3060	4403	158	158

स्रोत : 1. भारत में स्कूली एवं माध्यमिक शिक्षा, यूडीआईएसई 2015-16, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
2. एआईएसएचई 2015-16, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

टिप्पणी: उ.न. : उपलब्ध नहीं।

1: जब तक, अन्यथा उल्लेखित नहीं किया जाता उच्च प्राथमिक का अर्थ प्राथमिक विद्यालय/अनुभाग, माध्यमिक का अर्थ माध्यमिक विद्यालय/अनुभाग वरिष्ठ माध्यमिक का अर्थ माध्यमिक विद्यालय/अनुभाग है।

सारणी 9.4 : राज्य-वार साक्षरता दर (1951-2011)

							(प्रतिशत में)
राज्य/संघीय क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आन्ध्र प्रदेश	उन	21.2	24.6	35.7	44.1	60.5	67.0
अरुणाचल प्रदेश	उन	7.1	11.3	25.6	41.6	54.3	65.4
असम	18.5	33.0	33.9	उन	52.9	63.3	72.2
बिहार	13.5	22.0	23.2	32.3	37.5	47.0	61.8
छत्तीसगढ़	9.4	18.1	24.1	32.6	42.9	64.7	70.3
गुजरात	21.8	31.5	37.0	44.9	61.3	69.1	78.0
हरियाणा	उन	उन	25.7	37.1	55.9	67.9	75.6
हिमाचल प्रदेश	उन	उन	उन	उन	63.9	76.5	82.8
जम्मू और कश्मीर	उन	13.0	21.7	30.6	उन	55.5	67.2
झारखंड	12.9	21.1	23.9	35.0	41.4	53.6	66.4
कर्नाटक	उन	29.8	36.8	46.2	56.0	66.6	75.4
केरल	47.2	55.1	69.8	78.9	89.8	90.9	94.0
मध्य प्रदेश	13.2	21.4	27.3	38.6	44.7	63.7	69.3
महाराष्ट्र	27.9	35.1	45.8	57.2	64.9	76.9	82.3
मणिपुर ^क	12.6	36.0	38.5	49.7	59.9	70.5	76.9
मेघालय	उन	26.9	29.5	42.1	49.1	62.6	74.4
मिजोरम	31.1	44.0	53.8	59.9	82.3	88.8	91.3
नागालैण्ड	10.5	22.0	33.8	50.3	61.7	66.6	79.6
उड़ीसा	15.8	21.7	26.2	33.6	49.1	63.1	72.9
पंजाब	उन	उन	34.1	43.4	58.5	69.7	75.8
राजस्थान	8.5	18.1	22.6	30.1	38.6	60.4	66.1
सिक्किम	उन	उन	17.7	34.1	56.9	68.8	81.4
तमिलनाडु	उन	36.4	45.4	54.4	62.7	73.5	80.1
त्रिपुरा	उन	20.2	31.0	50.1	60.4	73.2	87.2
उत्तर प्रदेश	12.0	20.9	24.0	32.7	40.7	56.3	67.7
उत्तराखंड	18.9	18.1	33.3	46.1	57.8	71.6	78.8
पश्चिम बंगाल	24.6	34.5	38.9	48.7	57.7	68.6	76.3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.3	40.1	51.2	63.2	73.0	81.3	86.6
चण्डीगढ़	उन	उन	70.4	74.8	77.8	81.9	86.0
दादरा और नागर हवेली	उन	उन	18.1	32.9	40.7	57.6	76.2
दमन और दीव	उन	उन	उन	उन	71.2	78.2	87.1
दिल्ली	उन	62.0	65.1	71.9	75.3	81.7	86.2
गोआ	23.5	35.4	52.0	65.7	75.5	82.0	88.7
लक्षद्वीप	15.2	27.2	51.8	68.4	81.8	86.7	91.8
पुडुचेरी	उन	43.7	53.4	65.1	74.7	81.2	85.8
अखिल भारत ^क	18.3	28.3	34.5	43.6	52.2	64.8	73.0

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

टिप्पणी :

क अखिल भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर के तीन उप-मंडल अर्थात् मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मराम, पाओमाता और पुरुल शामिल नहीं हैं क्योंकि इन तीन उप-मंडलों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से 2001 के जनगणना के परिणाम निरस्त कर दिए गए थे।

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

1. 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना के लिए साक्षरता दरें पांच वर्ष तथा इससे अधिक उम्र की जनसंख्या से संबंधित हैं। 1981 के बाद के वर्षों की जनगणना के लिए साक्षरता दरें सात वर्ष तथा इससे अधिक की जनसंख्या से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में 1951 की जनगणना के लिए साक्षरता दर 0-4 आयु वर्ग सहित कुल जनसंख्या से संबंधित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा मणिपुर संबंधी 1951 की साक्षरता दर नमूना जनसंख्या पर आधारित है।

सारणी 9.5 : भारत में परिवारों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

(प्रतिशत में)

राज्य/संघीय क्षेत्र	(नल/हैंडपम्प/ट्यूबवेल)								
	1991			2001			2011		
	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आन्ध्र प्रदेश	55.1	49.0	73.8	80.1	76.9	90.2	90.5	88.6	94.5
अरुणाचल प्रदेश	70.0	66.9	88.2	77.5	73.7	90.7	78.6	74.3	91.3
असम	45.9	43.3	64.1	58.8	56.8	70.4	69.9	68.3	78.2
बिहार	58.8	56.5	73.4	86.6	86.1	91.2	94.0	93.9	94.7
छत्तीसगढ़	क	क	क	70.5	66.2	88.8	86.3	84.1	93.9
गुजरात	69.8	60.0	87.2	84.1	76.9	95.4	90.3	84.9	97.0
हरियाणा	74.3	67.1	93.2	86.1	81.1	97.3	93.8	92.0	96.7
हिमाचल प्रदेश	77.3	75.5	91.9	88.6	87.5	97.0	93.7	93.2	97.8
जम्मू और कश्मीर	उन	उन	उन	65.2	54.9	95.7	76.8	70.1	96.1
झारखंड	क	क	क	42.6	35.5	68.2	60.1	54.3	78.4
कर्नाटक	71.7	67.3	81.4	84.6	80.5	92.1	87.5	84.4	92.3
केरल	18.9	12.2	38.7	23.4	16.9	42.8	33.5	28.3	39.4
मध्य प्रदेश	53.4	45.6	79.4	68.4	61.5	88.6	78.0	73.1	92.1
महाराष्ट्र	68.5	54.0	90.5	79.8	68.4	95.4	83.4	73.2	95.7
मणिपुर	38.7	33.7	52.1	37.0	29.3	59.4	45.4	38.1	60.8
मेघालय	36.2	26.8	75.4	39.0	29.5	73.5	44.7	35.1	79.5
मिजोरम	16.2	12.9	19.9	36.0	23.8	47.8	60.4	43.4	75.8
नागालैण्ड	53.4	55.6	45.5	46.5	47.5	42.3	53.8	54.6	51.8
उड़ीसा	39.1	35.3	62.8	64.2	62.9	72.3	75.3	74.4	79.8
पंजाब	92.7	92.1	94.2	97.6	96.9	98.9	97.6	96.7	98.9
राजस्थान	59.0	50.6	86.5	68.2	60.4	93.5	78.1	72.8	94.3
सिक्किम	73.1	70.8	92.8	70.7	67.0	97.1	85.3	82.7	92.2
तमिलनाडु	67.4	64.3	74.2	85.6	85.3	85.9	92.5	92.2	92.9
त्रिपुरा	37.2	30.6	71.1	52.5	45.0	85.8	67.5	58.1	91.9
उत्तर प्रदेश	62.2	56.6	85.8	87.8	85.5	97.2	95.1	94.3	97.9
उत्तराखंड	क	क	क	86.7	83.0	97.8	92.2	89.5	98.7
पश्चिम बंगाल	82.0	80.3	86.2	88.5	87.0	92.3	92.2	91.4	93.9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	67.9	59.4	90.9	76.7	66.8	97.8	85.5	78.2	98.1
चण्डीगढ़	97.7	98.1	97.7	99.8	99.9	99.8	99.3	98.7	99.4
दादरा और नागर हवेली	45.6	41.2	91.0	77.0	70.5	96.1	91.6	84.3	98.4
दमन और दीव	71.4	56.9	86.8	96.3	94.9	98.9	98.7	97.8	99.0
दिल्ली	95.8	91.0	96.2	97.2	90.1	97.7	95.0	87.9	95.2
गोआ	43.4	30.5	61.7	70.1	58.3	82.1	85.7	78.4	90.4
लक्षद्वीप	11.9	3.4	18.8	4.6	4.6	4.6	22.8	31.2	20.2
पुडुचेरी	88.8	92.9	86.1	95.9	96.6	95.5	97.8	99.6	97.0
अखिल भारत	62.3	55.5	81.4	77.9	73.2	90.0	85.5	82.7	91.4

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

टिप्पणी:

क : 2001 में गठित। 1991 के लिए उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ को क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है।

उ.न. : उपलब्ध नहीं क्योंकि 1991 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में कोई जनगणना नहीं हुई।

सारणी 9.6 : भारत की जनसंख्या (1951-2011)

							(हजार में)
राज्य/संघीय क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आन्ध्र प्रदेश	31115	35983	43503	53551	66508	76210	84581
अरुणाचल प्रदेश ^क	उन	337	468	632	865	1098	1384
असम ^ख	8029	10837	14625	18041	22414	26656	31206
बिहार	29085	34841	42126	52303	64531	82999	104099
छत्तीसगढ़	7457	9154	11637	14010	17615	20834	25545
गुजरात	16263	20633	26697	34086	41310	50671	60440
हरियाणा	5674	7591	10036	12922	16464	21145	25351
हिमाचल प्रदेश	2386	2812	3460	4281	5171	6078	6865
जम्मू और कश्मीर ^ग	3254	3561	4617	5987	7837	10144	12541
झारखंड	9697	11606	14227	17612	21844	26946	32988
कर्नाटक	19402	23587	29299	37136	44977	52851	61095
केरल	13549	16904	21347	25454	29099	31841	33406
मध्य प्रदेश	18615	23218	30017	38169	48566	60348	72627
महाराष्ट्र	32003	39554	50412	62783	78937	96879	112374
मणिपुर ^घ	578	780	1073	1421	1837	2294	2856
मेघालय	606	769	1012	1336	1775	2319	2967
मिजोरम	196	266	332	494	690	889	1097
नागालैण्ड	213	369	516	775	1210	1990	1979
ओडिसा	14646	17549	21945	26370	31660	36805	41974
पंजाब	9161	11135	13551	16789	20282	24359	27743
राजस्थान	15971	20156	25766	34262	44006	56507	68548
सिक्किम	138	162	210	316	406	541	611
तमिलनाडु	30119	33687	41199	48408	55859	62406	72147
त्रिपुरा	639	1142	1556	2053	2757	3199	3674
उत्तर प्रदेश	60274	70144	83849	105137	132062	166198	199812
उत्तराखंड	2946	3611	4493	5726	7051	8489	10086
पश्चिम बंगाल	26300	34926	44312	54581	68078	80176	91276
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31	64	115	189	281	356	381
चण्डीगढ़	24	120	257	452	642	901	1055
दादरा और नागर हवेली	42	58	74	104	138	220	344
दमन और दीव	49	37	63	79	102	158	243
दिल्ली	1744	2659	4066	6220	9421	13851	16788
गोआ	547	590	795	1008	1170	1348	1459
लक्षद्वीप	21	24	32	40	52	61	64
पुडुचेरी	317	369	472	604	808	974	1248
भारत ^घ	361088	439235	548160	683329	846421	1028737	1210855

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

टिप्पणी: उ.न.: उपलब्ध नहीं

क वर्ष 1961 में पहली बार जनगणना की गई।

ख वर्ष 1981 की जनगणना असम में नहीं की जा सकी। वर्ष 1981 की कुल जनसंख्या का हिसाब आन्तर-गणन द्वारा निकाला गया है।

ग वर्ष 1991 की जनगणना जम्मू एवं कश्मीर में नहीं की जा सकी। वर्ष 1991 की जनसंख्या का हिसाब आन्तर-गणन द्वारा निकाला गया।

घ भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उपमंडलों अर्थात् माओ मारम, पाओ माता और पुरूल की अनुमानित जनसंख्या शामिल की गई है क्योंकि इन तीन उपमंडलों के 2001 के जनगणना परिणाम तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से रद्द किए गए थे।

सारणी 9.7 : 2001 और 2011 में विभिन्न आयु वर्ग तथा बाल लिंग अनुपात के अन्तर्गत जनसंख्या (2001 - 2011)												
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु वर्ग (2001)						आयु वर्ग (2011)					
	0-14	15-34	35-59	60 और अधिक	आयु का पता नहीं	60 और अधिक नहीं	0-14	15-34	35-59	60 और अधिक	आयु का पता नहीं	बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आन्ध्र प्रदेश	24398125	26904637	18985717	5788078	133450	21790792	30609248	23131065	8278241	771431	961	939
अरुणाचल प्रदेश	442825	366838	237279	49916	1110	493361	512549	312669	63639	1509	964	972
असम	9970342	9220063	5875783	1560366	28974	10248899	11123193	7736116	2078544	18824	965	962
बिहार	34874151	24971476	17473783	5501274	177825	41721188	32264872	22002745	7707145	403502	942	935
छत्तीसगढ़	7692654	6782442	4826242	1504383	28082	8183836	8861697	6472641	2003909	23115	975	969
गुजरात	16624168	18233455	12267094	3499063	47237	17445613	21695832	16272844	4786559	238844	883	890
हरियाणा	7579980	7458045	4441951	1584089	80499	7529954	9370426	6225793	2193755	31534	819	834
हिमाचल प्रदेश	1884390	2159835	1471395	547564	14716	1775385	2419844	1956201	703009	10163	896	909
जम्मू और कश्मीर	3617025	3523571	2282065	675324	45715	4240710	4411400	2951417	922656	15119	941	862
झारखंड	10708694	8563383	6061782	1578662	33308	11891118	10992825	7630779	2356678	116734	965	948
कर्नाटक	16845601	18667321	13223774	4062022	51844	16024874	22349821	16883719	5791032	45851	946	948
केरल	8296545	11271154	8911546	3335675	26454	7830974	10335954	11011254	4193393	34486	960	964
मध्य प्रदेश	23252416	19871596	12783564	4280924	159523	24302242	25176834	17351555	5713316	82862	932	918
महाराष्ट्र	31100375	34038392	23167117	8454660	118083	29917215	40661653	30280834	11106935	407696	913	894
मणिपुर	706705	813358	496722	145470	4533	861688	1060221	726088	200020	7777	957	930
मेघालय	980877	776836	452223	105726	3160	1177942	1052138	592123	138902	5784	973	970
मिजोरम	313736	331766	193272	49023	776	356002	412771	259172	68628	633	964	970
नागालैण्ड	728409	762383	404177	90323	4744	679032	760810	434463	102726	1471	964	943
ओडिशा	12207872	12591532	8904094	3039100	62062	12076422	14385953	11408224	3984448	119171	953	941
पंजाब	7617876	8609860	5845668	2191693	93902	7084950	10174719	7576330	2865817	41522	798	846
राजस्थान	22543231	18257954	11608147	3810272	287584	23725426	23811691	15629580	5112138	269602	909	888
सिक्किम	188907	205320	115646	29040	1938	165937	251098	151614	40752	1176	963	957
तमिलनाडु	16710874	22392020	17366443	5507400	428942	17007503	25144641	22418323	7509758	66805	942	943
त्रिपुरा	1075552	1135652	750645	232549	4805	1017991	1362144	1002622	289544	1616	966	957
उत्तर प्रदेश	67923332	51963534	33924676	11649468	736911	71308266	68153539	43288570	15439904	1622062	916	902

जारी ...

सारणी 9.7 : 2001 और 2011 में विभिन्न आयु वर्ग तथा बाल लिंग अनुपात के अन्तर्गत जनसंख्या (2001 - 2011)													(जारी...)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु वर्ग (2001)						आयु वर्ग (2011)						बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष)
	0-14	15-34	(3)	(4)	(5)	(6)	0-14	15-34	35-59	60 और अधिक	आयु का पता नहीं	60 और अधिक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
उत्तराखण्ड	3086976	2845406	1884841	654356	17770	3129008	3602662	2437205	900809	16608	908	2011	890
पश्चिम बंगाल	26645405	27999332	19719644	5700099	111717	24737475	32655852	26027955	7742382	112451	960	956	956
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	104044	142088	90375	17366	2279	92675	147586	114528	25424	368	957	968	968
चण्डीगढ़	261188	364690	228545	44912	1300	266512	426702	294812	67078	346	845	880	880
दादरा और नगर हवेली	77758	90151	43663	8814	104	107813	147931	73701	13892	372	979	926	926
दमन और दीव	43194	75924	30973	8042	71	54985	122110	54435	11361	356	926	904	904
दिल्ली	4492939	5368740	3248002	719650	21176	4565319	6534460	4524015	1147445	16702	868	871	871
गोआ	331226	523205	373952	112273	7012	318160	503105	471691	163495	2094	938	942	942
लक्षद्वीप	20734	21382	14752	3729	53	16457	22857	19774	5270	115	959	911	911
पुडुचेरी	262686	373118	256712	81016	813	298392	440449	387575	120436	1101	967	967	967
अखिल भारत	363610812	347676459	237962264	76622321	2738472	372444116	421959587	308112432	103849040	4489802	927	918	918

स्रोत : भारत के महा पंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

सारणी 9.8 : सामाजिक - आर्थिक प्रोफाइल और								
सामाजिक आर्थिक संकेतक/मं	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हरियाण	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
जनसंख्या संबद्ध*								
जनसंख्या 2001 ('000 में)	76210	26656	82999	20834	50671	21145	6078	10144
जनसंख्या 2011 (000 में)	84581	31206	104099	25545	60439	25351	6865	12541
जनसंख्या की दशाब्दिक विकास दर का प्रतिशत (1991-2001)	14.6	18.9	28.6	18.3	22.7	28.4	17.5	29.4
जनसंख्या की दशाब्दिक विकास दर का प्रतिशत (2001-2011)	11.0	17.1	25.4	22.6	19.3	19.9	12.9	23.6
लिंग अनुपात 2001 (1000 पुरुषों के प्रति महिलाएं)	978	935	919	989	920	861	968	892
लिंग अनुपात 2011 (1000 पुरुषों के प्रति महिलाएं)	993	958	918	991	919	879	972	889
जन्म के समय लिंग अनुपात 2012-14 (1000 पुरुषों के प्रति महिलाएं)	919	918	907	973	907	866	938	899
जन्म के समय लिंग अनुपात 2013-15 (1000 पुरुषों के प्रति महिलाएं)	918	900	916	961	854	831	924	899
स्टेट एचडीआई और इसके घटक**								
एचडीआई रैंकिंग 1999-2000	15	17	19	21	10	7	4	11
एचडीआई 1999-2000	0.368	0.336	0.292	0.278	0.466	0.501	0.581	0.465
स्वास्थ्य सूचकांक 1999-2000	0.521	0.339	0.506	0.341	0.562	0.576	0.681	0.457
आय सूचकांक 1999-2000	0.197	0.152	0.100	0.127	0.323	0.417	0.426	0.431
शिक्षा सूचकांक 1999-2000	0.385	0.516	0.271	0.365	0.512	0.512	0.636	0.507
एचडीआई रैंकिंग- 2007-08	15	16	21	23	11	9	3	10
एचडीआई- 2007-08	0.473	0.444	0.367	0.358	0.527	0.552	0.652	0.529
स्वास्थ्य सूचकांक 2008	0.580	0.407	0.563	0.417	0.633	0.627	0.717	0.530
आय सूचकांक 2007-08	0.287	0.288	0.127	0.133	0.371	0.408	0.491	0.459
शिक्षा सूचकांक- 2007-08	0.553	0.636	0.409	0.526	0.577	0.622	0.747	0.597
स्थिर कीमतों पर वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति आय (2011-12)#								
जीएसडीपी 2013-14	7.0	4.9	5.0	9.8	7.6	8.2	7.1	6.2
जीएसडीपी 2014-15	8.5	7.9	13.0	7.6	7.8	5.7	7.5	-0.3
2012-13 से 2014-15 का औसत जीएसडीपी	5.3	5.2	7.3	7.5	8.8	7.2	7.0	2.9
प्रति व्यक्ति आय 2013-14	4.9	3.3	2.6	8.0	6.1	7.1	6.6	4.2
प्रति व्यक्ति आय 2012-13	8.0	6.3	11.5	5.8	7.1	4.0	6.5	-2.9
निर्धन व्यक्तियों का अनुपात***								
2011-12 (ग्रामीण)	10.9	33.9	34.1	44.6	21.5	11.6	8.5	11.5
2011-12 (शहरी)	5.8	20.5	31.2	24.8	10.1	10.3	4.3	7.2
2011-12 (कुल)	9.20	31.9	33.7	39.9	16.6	11.2	8.1	10.4
2009-10 ग्रामीण	22.8	39.9	55.3	56.1	26.7	18.6	9.1	8.1
2009-10 शहरी	17.7	26.1	39.4	23.8	17.9	23.0	12.6	12.8
2009-10 कुल	21.1	37.9	53.5	48.7	23.0	20.1	9.5	9.4
ग्रामीण-शहरी विभिन्नता###								
ग्रामीण औसत एमपीसीई 2009-10 है (रुपये में)	1234	1003	780	784	1110	1510	1536	1344
खाद्य व्यय में ग्रामीण हिस्सा 2009-10 (%)	58.0	64.4	64.7	58.2	57.7	54.0	51.6	57.8
शहरी औसत एमपीसीई 2009-10 (रुपये में)	2238	1755	1238	1647	1909	2321	2654	1759
खाद्य व्यय का शहरी हिस्सा 2009-10 (%)	44.8	52.9	52.9	43.7	46.2	43.1	41.5	51.3
ग्रामीण औसत एमपीसीई 2009-10 है (रुपये में)	1754	1219	1127	1027	1536	2176	2034	1743
खाद्य व्यय में ग्रामीण हिस्सा 2011-12 (%)	51.4	61.3	59.3	52.7	54.9	52.1	47.3	55.3
शहरी औसत एमपीसीई 2011-12 (रुपये में)	2685	2189	1507	1868	2581	3817	3259	2485
खाद्य व्यय का शहरी हिस्सा 2011-12 (%)	42.3	47.7	50.5	42.2	45.2	39.2	42.4	47.8

भारत के चयनित मुख्य राज्यों की अंतर राज्य तुलना

झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल	समस्त भारत
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26946	52851	31841	60348	96879	36805	24359	56507	62406	166198	8489	80176	1028737
32988	61095	33406	72627	112374	41974	27743	68548	72147	199812	10086	91276	1210855
23.4	17.5	9.4	24.3	22.7	16.3	20.1	28.4	11.7	25.9	20.4	17.8	21.5
22.4	15.6	4.9	20.3	16.0	14.0	13.9	21.3	15.6	20.2	18.8	13.8	17.7
941	965	1058	919	922	972	876	921	987	898	962	934	933
948	973	1084	931	929	979	895	928	996	912	963	950	943
910	950	974	927	896	953	870	893	921	869	871	952	906
902	939	967	919	878	950	889	861	911	879	844	951	900
23	12	2	20	6	22	5	14	8	18	16	13	
0.268	0.432	0.677	0.285	0.501	0.275	0.543	0.387	0.480	0.316	0.339	0.422	0.387
0.434	0.567	0.782	0.363	0.601	0.376	0.632	0.520	0.586	0.398	0.465	0.600	0.497
0.100	0.260	0.458	0.127	0.297	0.076	0.455	0.293	0.285	0.179	0.179	0.210	0.223
0.271	0.468	0.789	0.365	0.606	0.372	0.542	0.348	0.570	0.371	0.371	0.455	0.442
19	12	1	20	7	22	5	17	8	18	14	13	
0.376	0.519	0.790	0.375	0.572	0.362	0.605	0.434	0.570	0.380	0.490	0.492	0.467
0.500	0.627	0.817	0.430	0.650	0.450	0.667	0.587	0.637	0.473	0.530	0.650	0.563
0.142	0.326	0.629	0.173	0.351	0.139	0.495	0.253	0.355	0.175	0.302	0.252	0.271
0.485	0.605	0.924	0.522	0.715	0.499	0.654	0.462	0.719	0.492	0.638	0.575	0.568
1.6	10.5	3.9	3.6	6.2	8.7	6.3	6.1	6.9	6.4	8.2	na	6.5
12.5	7.3	7.3	5.4	5.8	6.0	4.9	6.1	6.9	6.3	5.0	na	7.2
7.4	8.0	5.9	6.8	6.2	6.4	5.5	5.5	6.2	5.7	6.8	na	6.4
-0.9	9.0	4.1	3.4	4.9	6.1	5.2	4.6	4.0	4.1	6.0	na	4.8
10.9	6.2	7.4	3.4	4.1	4.5	3.3	4.6	5.8	4.7	3.0	na	5.8
40.8	24.5	9.1	35.7	24.2	35.7	7.7	16.1	15.8	30.4	11.6	22.5	25.7
24.8	15.3	4.9	21.0	9.1	17.3	9.2	10.7	6.5	26.1	10.5	14.7	13.7
36.9	20.9	7.1	31.7	17.4	32.6	8.3	14.7	11.3	29.4	11.3	19.9	21.9
41.6	26.1	12.0	42.0	29.5	39.2	14.6	26.4	21.2	39.4	14.9	28.8	33.8
31.1	19.6	12.1	22.9	18.3	25.9	18.1	19.9	12.8	31.7	25.2	22.0	20.9
39.1	23.6	12.0	36.7	24.5	37.0	15.9	24.8	17.1	37.7	18.0	26.7	29.8
825	1020	1835	903	1153	818	1649	1179	1160	899	1747	952	1054
60.9	56.5	45.9	55.8	54.0	61.9	48.2	54.8	54.7	57.9	45.1	63.4	57.0
1584	2053	2413	1666	2437	1548	2109	1663	1948	1574	1745	1965	1984
51.5	42.3	40.2	41.7	41.0	48.4	44.3	48.0	45.0	46.3	48.5	46.2	44.4
1006	1561	2669	1152	1619	1003	2345	1598	1693	1156	1726	1291	1430
58.4	51.4	43.0	52.9	52.4	57.2	44.1	50.5	51.5	53.0	49.6	58.2	52.9
2018	3026	3408	2058	3189	1941	2794	2442	2622	2051	2339	2591	2630
46.5	40.1	37.0	42.2	41.6	45.4	41.0	44.8	42.7	44.0	46.3	44.2	42.6

सारणी 9.8 : सामाजिक – आर्थिक प्रोफाइल और								
सामाजिक आर्थिक संकेतक/मर्	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हरियाण	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
डब्ल्यूपीआर 2015-16(15 वर्ष और ऊपर) @								
ग्रामीण (%)	68.6	51.4	49.3	72.7	52.9	47.1	40.5	36.1
शहरी (%)	42.9	45.9	40.8	45.8	41.9	39.5	43.1	38.5
कुल (%)	61.6	50.6	48.4	67.3	49.0	44.7	40.8	36.7
बेरोजगार दरें 2015-16 (15 वर्ष और आगे) @								
ग्रामीण (%)	3.3	3.3	4.2	0.5	0.6	2.6	11.2	7.8
शहरी (%)	4.3	8.5	6.2	5.7	0.6	4.9	2.3	3.2
कुल (%)	3.5	4.0	4.4	1.2	0.6	3.3	10.2	6.6
स्वास्थ्य संबंधी*								
जन्म के समय पुरुष जीवन प्रत्याशा (2010-14)	66.3	62.7	67.8	63.3	66.6	66.3	69.3	70.9
जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा (2010-14)	70.8	65.5	68.4	66.3	71.0	71.3	74.1	74.9
जन्म के समय कुल (2010-14)	68.5	63.9	68.1	64.8	68.7	68.6	71.6	72.6
जन्म के समय पुरुष जीवन प्रत्याशा (2011-15)	67.1	63.5	68.5	63.6	66.9	66.9	69.1	71.2
जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा (2011-15)	71.2	66.2	68.3	66.8	71.6	71.9	75.2	76.1
जन्म के समय कुल (2011-15)	69.0	64.7	68.4	65.2	69.1	69.1	72.0	73.2
शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) 2014	39	49	42	43	35	36	32	34
शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) 2015	37	47	42	41	33	36	28	26
जन्म दर (प्रति 1000) 2014	17.0	22.4	25.9	23.4	20.6	21.2	16.4	16.8
मृत्यु दर (प्रति 1000) 2014	7.3	7.2	6.2	7.7	6.2	6.1	6.7	5.1
जन्म दर (प्रति 1000) 2015	16.8	22.0	26.3	23.2	20.4	20.9	16.3	16.2
मृत्यु दर (प्रति 1000) 2015	7.1	7.1	6.2	7.5	6.1	6.1	6.6	4.9
शिक्षा संबंधी \$								
जी०ई०आर० (I-V कक्षा) (2015-16)	84.5	106.1	107.7	100.0	97.2	91.4	98.8	86.0
जी०ई०आर० (VI-VIII कक्षा) (2015-16)	81.3	93.1	107.9	102.3	95.7	92.4	104.4	70.2
जी०ई०आर० (IX-X कक्षा) (2015-16)	75.5	77.6	78.4	91.9	74.1	84.2	107.1	66.8
पी०टी०आर० (2015-16) प्राथमिक विद्यालय	21	21	36	20	19	20	12	9
पी०टी०आर० (2015-16) माध्यमिक विद्यालय	16	13	24	17	13	13	10	6
पी०टी०आर० (2015-16) उच्च विद्यालय	20	14	66	33	34	15	18	15
जी०ई०आर० (I-V कक्षा) (2014-15)	88.2	115.0	101.1	103.1	98.7	97.6	99.4	86.0
जी०ई०आर० (VI-VIII कक्षा) (2014-15)	79.5	95.9	98.1	101.2	93.6	96.0	103.1	70.9
जी०ई०आर० (IX-X कक्षा) (2014-15)	72.4	74.8	69.1	101.8	74.3	84.3	115.9	66.3
पी०टी०आर० (2014-15) प्राथमिक विद्यालय	21	24	35	21	20	22	12	9
पी०टी०आर० (2014-15) माध्यमिक विद्यालय	15	14	23	18	13	14	10	6
पी०टी०आर० (2014-15) उच्च विद्यालय	19	13	59	33	34	14	19	16

स्रोत:

*: भारत के महा पंजीयक का कार्यालय (आरजीआई) तेलंगाना सहित आन्ध्र प्रदेश के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े शामिल हैं, आई एम आर जन्मदर एवं मृत्युदर को छोड़कर।

** : भारतीय एच०डी०आर० 2011 और 1999-2000

*** : नीति आयोग (योजना आयोग)

\$: भारत में विद्यालयी शिक्षा यू०डी०आई०एसई 2015-16 (अंतिम)

: सीएसओ

: एनएसएसओ, संयुक्त परिवर्तित वापसी अवधि पर आधारित मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई)

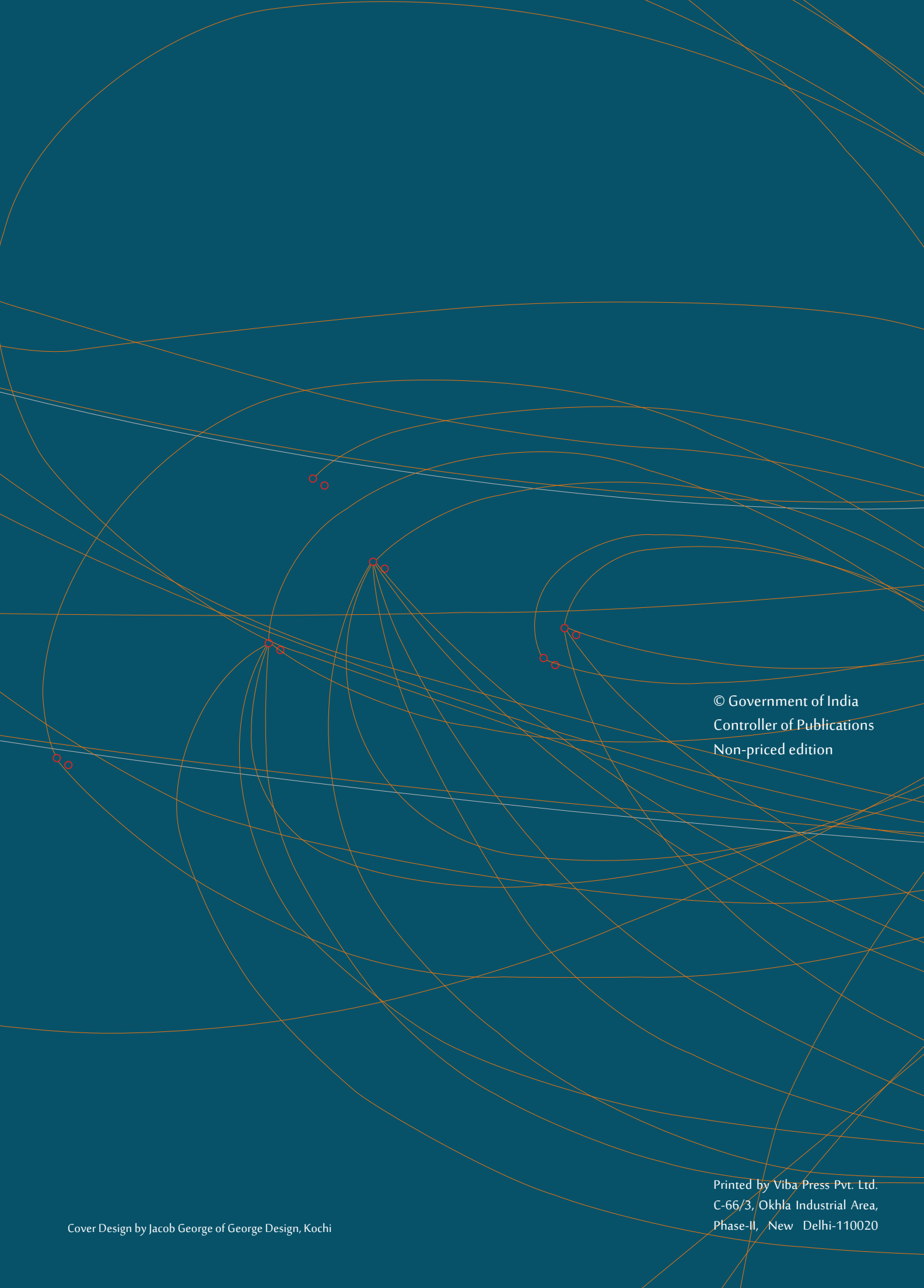
@ 5वां ईयूएस 2015-16, श्रम ब्यूरो, डब्ल्यू पी आर (कामगार भागीदारी दर) (सुजुअल प्रिंसिपल एण्ड सब्सिडियरी स्टेट्स (यूपीएसएस) पर आधारित रोजगार दर और बेरोजगारी)

टिप्पणी:

एन.ए. : उपलब्ध नहीं

भारत के चयनित मुख्य राज्यों की अंतर राज्य तुलना
(Contd....)

झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल	समस्त भारत
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
71.9	58.6	46.0	47.1	61.1	52.7	40.6	57.9	65.5	45.8	46.4	53.4	53.9
42.0	49.9	44.2	37.8	39.0	42.7	39.3	38.7	45.1	35.6	39.4	43.8	41.8
65.2	55.5	45.2	44.8	52.2	51.2	40.2	53.7	56.3	43.7	44.6	50.7	50.5
1.2	1.1	10.2	3.0	1.3	3.7	5.7	2.4	3.9	5.6	7.1	3.0	3.4
7.9	1.9	11.0	2.9	1.9	4.4	6.2	3.3	3.5	6.5	2.7	5.4	4.4
2.2	1.4	10.6	3.0	1.5	3.8	5.8	2.5	3.8	5.8	6.1	3.6	3.7
66.2	66.9	72.0	62.5	69.9	64.7	69.7	65.5	68.6	62.9	69.1	68.9	66.4
66.9	70.8	77.8	66.0	73.6	67.1	73.8	70.2	72.7	65.4	74.5	71.6	69.6
66.6	68.8	74.9	64.2	71.6	65.8	71.6	67.7	70.6	64.1	71.7	70.2	67.9
67.0	67.2	72.2	63.2	70.3	65.6	70.3	65.7	69.1	63.4	68.9	69.4	66.9
67.5	70.9	78.2	66.5	73.9	68.3	74.2	70.4	73.0	65.6	74.9	71.8	70.0
67.2	69.0	75.2	64.8	72.0	66.9	72.1	67.9	71.0	64.5	71.8	70.5	68.3
34	29	12	52	22	49	24	46	20	48	33	28	39
32	28	12	50	21	46	23	43	19	46	34	26	37
23.8	18.1	14.8	25.7	16.5	19.4	15.5	25.0	15.4	27.0	18.2	15.6	21.0
5.9	6.8	6.6	7.8	6.0	7.9	6.4	6.4	7.0	7.4	6.0	6.1	6.7
23.5	17.9	14.8	25.5	16.3	19.2	15.2	24.8	15.2	26.7	17.8	15.5	20.8
5.8	6.6	6.6	7.5	5.8	7.6	6.2	6.3	6.7	7.2	6.4	5.9	6.5
109.2	103.0	95.4	94.5	97.7	103.7	101.7	100.4	103.9	92.2	99.3	103.7	99.2
102.7	93.4	95.4	94.0	99.2	94.3	98.4	91.3	94.0	75.1	86.9	105.0	92.8
73.7	83.2	102.4	80.5	90.0	79.6	87.1	76.1	93.9	67.8	85.7	83.6	80.0
27	19	18	20	24	17	18	17	18	39	18	25	23
19	13	14	18	17	14	12	10	15	31	17	27	17
62	16	17	39	23	20	16	21	21	56	16	39	27
108.4	101.9	95.1	101.1	99.0	105.5	105.1	98.6	103.1	95.0	100.5	102.3	100.1
100.0	93.2	96.9	96.6	98.8	90.1	96.8	85.8	94.6	74.5	85.5	103.2	91.2
71.9	81.8	103.2	80.2	89.3	77.1	85.6	76.2	91.9	67.8	90.4	78.2	78.5
29	18	17	22	25	19	19	17	18	39	19	25	24
20	13	14	19	17	14	12	10	15	33	17	28	17
61	16	17	40	23	20	17	23	21	57	18	37	27



© Government of India
Controller of Publications
Non-priced edition